[2018] 8 एस. सी. आर *1*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* और ए. एन. आर.

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2012 की लिखित याचिका *(*सिविल*)* संख्या *494)*

26 सितंबर, *2018*

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. के. सिकरी, ए. एम. खानविलकर,

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ और अशोक भूषण, जे. जे.*]*

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016:* एस. *7*-क्या आधार अधिनियम

निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है और इस आधार पर असंवैधानिक है और क्या निजता के अधिकार में आक्रमण पुट्टास्वामी मामले में निर्धारित तीन गुना परीक्षण को पूरा करता है। आधार में नामांकन

उन लोगों के लिए अनिवार्य नामांकन की प्रकृति को मानता है जो एस के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। *7* - इसी तरह, प्रमाणीकरण, जैसे

एस में उल्लिखित है। *8*, यह भी अनिवार्य हो जाता है-संसद ने अब आधार अधिनियम, *2016* पारित कर दिया है-इसलिए, एक कानून के रूप में इस विषय पर कानून इस क्षेत्र को बहुत नियंत्रित करता है और इस प्रकार, पुट्टास्वामी मामले में निर्धारित पहली आवश्यकता यानी कानून की आवश्यकता पूरी हो जाती है-आधार अधिनियम राज्य के वैध उद्देश्य को पूरा करता है और इस प्रकार दूसरी आवश्यकता को भी पूरा करता है-उद्देश्यों और कारणों के विवरण में, यह उल्लेख किया गया है कि हालांकि सरकार द्वारा सामाजिक लाभ योजनाओं की संख्या जारी की गई है, लेकिन किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने में विफलता एक प्रमुख बात साबित हुई है।

उन कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए बाधा क्योंकि यह सुनिश्चित करना मुश्किल होता जा रहा था कि सब्सिडी, लाभ और सेवाएं

लाभार्थियों की पहचान को प्रमाणित करने के लिए एक विश्वसनीय प्रणाली के अभाव में इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचना-एस के पीछे का तर्क। *7* भारत के समेकित कोष से वित्त पोषित सेवाओं, लाभों और सब्सिडी के लक्षित वितरण को सुनिश्चित करने में निहित है-न्याय, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुनिश्चित करने के लिए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता *(Art.21)* के मौलिक अधिकारों को पुनर्जीवित करने के लिए अपने गंभीर संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करना और असमानता *(Art.14)* को समाप्त करना।

गरीबों और दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं-इन योजनाओं में सकल घरेलू उत्पाद का *3* प्रतिशत और सार्वजनिक धन की एक बड़ी राशि शामिल है

इन लाभों को प्राप्त करने का अधिकार, उन लोगों के दृष्टिकोण से जो

उसी के लायक है, अब मानव गरिमा की उसी अवधारणा के आधार पर मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त कर लिया है-संविधान

यह भारत के कुछ या अल्पसंख्यक लोगों के लिए मौजूद नहीं है, लेकिन "हम लोग"-संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित लक्ष्य मुख्य रूप से या कम से कम समान रूप से "भारत के सभी लोगों के लिए सुरक्षित" हैं।

नागरिकों के लिए, विशेष रूप से, दलितों, गरीबों और शोषितों के लिए, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा का आश्वासन देने वाली बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए आधार अधिनियम आनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरता है क्योंकि आनुपातिकता के निम्नलिखित घटक संतुष्ट हैं-एक सीमित करने वाला उपाय।

एक अधिकार का एक वैध लक्ष्य होना चाहिए *(*वैध लक्ष्य चरण*)*-यह इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने का एक उपयुक्त साधन होना चाहिए *(*उपयुक्तता या तर्कसंगत संबंध चरण*)*-कोई कम प्रतिबंधात्मक लेकिन समान रूप से प्रभावी विकल्प *(*आवश्यकता चरण*)* नहीं होना चाहिए-उपाय का सही धारक *(*संतुलन चरण*)* पर असमान प्रभाव नहीं होना चाहिए। *(* बहुमत की राय*)*

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016:* क्या आधार अधिनियम एक पर प्रहार करता है

दो मौलिक अधिकारों, निजता के अधिकार के बीच उचित संतुलन

एक ओर भोजन, आश्रय और रोजगार का अधिकार दूसरी ओर आयोजित किया गयाः स्वयंसिद्ध रूप से दोनों अधिकार इस पर आधारित हैं -

मानव गरिमा-एक ही समय में, दिए गए संदर्भ में, दो पहलू एक दूसरे के साथ संघर्ष में हैं-जैसा कि एकत्र की गई जानकारी

नामांकन के साथ-साथ प्रमाणीकरण का समय न्यूनतम है, पहले स्तर पर संतुलन पूरा किया जाता है-जहां तक दूसरे स्तर का संबंध है, दो प्रतिस्पर्धी मौलिक अधिकारों का संतुलन, अर्थात्, स्वायत्तता *(*सूचनात्मक गोपनीयता*)* के रूप में गरिमा और एक ही व्यक्ति के बेहतर जीवन स्तर को सुनिश्चित करने के रूप में गरिमा, दूसरे स्तर पर संतुलन भी पूरा किया जाता है-समाज के वंचित और हाशिए पर पड़े वर्ग के आधार में नामांकन, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, वास्तव में इन व्यक्तियों को सशक्त बनाने के बराबर है-एक ओर, यह ऐसे व्यक्तियों को उनकी अनूठी पहचान देता है और दूसरी ओर, यह ऐसे व्यक्तियों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी सक्षम बनाता है जो सामाजिक-आर्थिक कल्याण उपायों के रूप में बनाई गई हैं। *(* बहुमत की राय*)*

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016:* अधिनियम की संरचना और संरचना-यू. आई. डी. ए. आई. को एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है जिसे व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करने और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसका प्रमाणीकरण करने का कार्य दिया गया है।

नामांकन और आधार संख्या निर्धारित करना, नामांकन करने वाली एजेंसियां हैं प्राधिकरण द्वारा भर्ती, जो एक निजी निकाय/व्यक्ति हो सकता है -

एक निवासी को आधार संख्या प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, उसे जनसांख्यिकीय के साथ-साथ बायोमेट्रिक जानकारी, यानी नाम, जन्म तिथि और पते से संबंधित जानकारी देने के अलावा, बायोमेट्रिक जानकारी जमा करनी होती है।

फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन के रूप में भी जानकारी प्रदान की जानी है-किसी विशेष व्यक्ति को दी गई आधार संख्या को विशिष्ट संख्या माना जाता है क्योंकि इसे किसी अन्य व्यक्ति को फिर से नहीं सौंपा जा सकता है-जहां तक सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी, लाभ या सेवाओं की बात है, सरकार यह आदेश दे सकती है कि इन सब्सिडी, लाभ और सेवाओं की प्राप्ति केवल तभी दी जाएगी जब

आधार संख्या रखने का प्रमाण *(*या नामांकन के लिए आवेदन करने का प्रमाण, जहां आधार संख्या है*)*

असाइन नहीं किया गया*)*-ऐसे व्यक्ति को ऐसे लाभ आदि प्राप्त करने के समय प्रमाणीकरण से गुजरना होगा। एक विशेष संस्थान /

जिस निकाय से उक्त सब्सिडी, लाभ या सेवा का दावा ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना है, इच्छित प्राप्तकर्ता अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा।

आधार संख्या और उसे बायोमेट्रिक देना भी आवश्यक है

धारक द्वारा अन्य उद्देश्यों के लिए भी उपयोग किया जाता है। *(* बहुमत की राय*)* आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016:* क्या आधार परियोजना

निगरानी राज्य बनाने या बनाने की प्रवृत्ति रखता है और इस प्रकार, इस आधार पर असंवैधानिक है-आयोजितः आधार की संरचना के साथ-साथ आधार अधिनियम के प्रावधान एक निगरानी राज्य बनाने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं-यह आधार परियोजना के संचालन के तरीके से सुनिश्चित किया जाता है-प्रमाणीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट होती है।

[2018] 8 एस सी आर।

जनसांख्यिकीय जानकारी या किसी व्यक्ति की बायोमेट्रिक जानकारी के साथ आधार संख्या को उसके सत्यापन के लिए सी. आई. डी. आर. को प्रस्तुत किया जाता है। इसे जमा करने पर, सी. आई. डी. आर. इसकी शुद्धता या कमी की पुष्टि करता है-प्रमाणीकरण की मांग करते समय, न तो उस व्यक्ति का स्थान जिसका पहचान सत्यापित किया जाना है और न ही उद्देश्य।

जिसके लिए ऐसी पहचान का प्रमाणीकरण आवश्यक है, प्राधिकरण के संज्ञान में आता है। *(* बहुमत की राय*)*

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016:* आधार योजना की मुख्य विशेषताएं-आधार प्रमाणीकरण सेवा-क्या किसी व्यक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के दुरुपयोग का खतरा है-आयोजितः नामांकन प्रक्रिया के दौरान, आईरिस और उंगलियों के निशान के रूप में न्यूनतम बायोमेट्रिक डेटा एकत्र किया जाता है-प्राधिकरण उद्देश्य एकत्र नहीं करता है,

लेन-देन का स्थान या विवरण-इस प्रकार, यह पर्पस ब्लाइंड है-एकत्र की गई जानकारी साइलो में रहती है-साइलो का विलय निषिद्ध है-अनुरोध करने वाली एजेंसी को संबंधित व्यक्ति के प्रमाणीकरण के बारे में केवल 'हां' या 'नहीं' में जवाब दिया जाता है -

प्रमाणीकरण प्रक्रिया इंटरनेट दुनिया के संपर्क में नहीं है-सुरक्षा एस के प्रावधानों के अनुसार उपाय। *29 (3)* आर/डब्ल्यू एस। *38 ((*घ*)* और साथ ही

प्रमाणीकरण विनियमों के नियम *17 (1) (*डी*)* का सख्ती से पालन किया जाता है और उनका पालन किया जाता है-प्रमाणीकरण के दौरान, प्रमाणीकरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेन-देन आदि की प्रकृति प्राप्त की जाती है-प्राधिकरण ने सभी प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए पंजीकृत उपकरणों *(*आर. डी.*)* का उपयोग अनिवार्य कर दिया है, इनके साथ, बायोमेट्रिक डेटा को प्रदाता कुंजी का उपयोग करके उपकरण/आर. डी. सेवा के भीतर हस्ताक्षरित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह वास्तव में लाइव कैप्चर किया गया है-उपकरण प्रदाता आर. डी. सेवा होस्ट एप्लिकेशन पर लौटने से पहले पी. आई. डी. ब्लॉक को एन्क्रिप्ट करती है-यह आर. डी. सेवा बायोमेट्रिक कैप्चर, हस्ताक्षर और बायोमेट्रिक्स के एन्क्रिप्शन को समाहित करती है।

इसलिए, आधार प्रमाणीकरण प्रणाली में आर. डी. की शुरुआत संग्रहीत बायोमेट्रिक के उपयोग और अन्य स्रोतों से प्राप्त बायोमेट्रिक्स के पुनःप्रसारण की किसी भी संभावना को खारिज करती है-अनुरोध करने वाली संस्थाओं को प्रमाणीकरण विनियमों के विनियमन *17 (1) (*ए*)* के तहत आधार प्रमाणीकरण के लिए प्राप्त बायोमेट्रिक्स को संग्रहीत करने की कानूनी रूप से अनुमति नहीं है-प्राधिकरण को ए. यू. ए. कोड, ए. एस. ए. कोड, अद्वितीय उपकरण कोड, प्रमाणीकरण के लिए उपयोग किया जाने वाला पंजीकृत उपकरण कोड मिलता है-इसे आई. पी. पते या जी. पी. एस. स्थान से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिलती है जहां से प्रमाणीकरण किया जाता है क्योंकि ये मापदंड अन्य स्रोतों का हिस्सा नहीं हैं।

प्रमाणीकरण *(v2.0)* और ई-के. वाई. सी. *(v2.1)* ए. पी. आई.-प्राधिकरण के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

केवल यह जानने के लिए कि प्रमाणीकरण किस उपकरण से हुआ है, किस ए. यू. ए./ए. एस. ए. आदि के माध्यम से-इसे प्रमाणीकरण उपकरण को किस स्थान पर तैनात किया गया है, इसके आई. पी. पते और इसके प्रचालक और प्रमाणीकरण के उद्देश्य के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है-इसके अलावा, प्राधिकरण या इसके नियंत्रण में किसी भी इकाई को वैधानिक रूप से प्रतिबंधित किया जाता है।

एस के तहत प्रमाणीकरण के उद्देश्य के बारे में किसी भी जानकारी को एकत्र करने, रखने या बनाए रखने से। *32 (3)* आधार अधिनियम।

(बहुमत की राय*)*

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016:* एस. *7*-चाहे आधार में नामांकन स्वैच्छिक हो या अनिवार्य-आयोजितः एस के अनुसार। *7* आधार अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी भी सब्सिडी, लाभ या सेवाओं का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे आधार संख्या प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है और इसलिए, ऐसे व्यक्ति के लिए यह वस्तुतः अनिवार्य हो जाता है-इसलिए, भले ही आधार में नामांकन स्वैच्छिक हो, यह उन लोगों के लिए अनिवार्य नामांकन की प्रकृति मानता है जो एस के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। *7* . *(* बहुमत की राय*)*

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016:* आधार की संभावित प्रणाली के आधार पर तर्क के आधार पर अधिनियम का अमान्य होना, जिससे 'बहिष्करण' हो जाता है

की शुद्धता-आयोजितः प्राधिकरण ने दावा किया है कि बायोमेट्रिक सटीकता *99.76%* है-यदि आधार परियोजना को बंद कर दिया जाता है, तो *99.76%* लाभार्थियों को नुकसान होने वाला है-इस कार्यक्रम को शुरू करने के पीछे का पूरा उद्देश्य योग्य व्यक्तियों का 'समावेश' है जिन्हें इस तरह के लाभ प्राप्त करने की आवश्यकता है-जब यह सैकड़ों लाखों योग्य व्यक्तियों तक पहुँचकर बहुत बड़े उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, तो इसे कुछ के बहिष्कार के अप्रमाणित अनुरोध पर सूली पर नहीं चढ़ाया जा सकता है। *(* बहुमत की राय*)*

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016:* एस. *7*-सब्सिडी, सेवाओं और लाभों का दायरा-आयोजितः सरकार इसका दायरा नहीं बढ़ा सकती।

सब्सिडी, सेवाएँ और लाभ 'लाभ' ऐसे होने चाहिए जो कल्याणकारी योजनाओं की प्रकृति में हों जिनके लिए भारत की संचित निधि से संसाधन प्राप्त किए जाने हैं-एक लाभ जो किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित किया जाता है *(*जैसे सरकारी कर्मचारी द्वारा पेंशन*)*

एस के तहत कवर नहीं किया जा सकता है। *7* अधिनियम के अनुसार, क्योंकि ऐसा लाभ प्राप्त करना व्यक्ति का अधिकार है-अधिसूचनाएँ जो जारी की जाती हैं *[2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस के तहत। *7* आधार अधिनियम की धारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित है जिनके तहत लोगों को लाभ, सब्सिडी या सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इच्छुक प्राप्तकर्ता-इसके अलावा, लाभों का लाभ उठाने के लिए, कुछ सेवाओं को छोड़कर केवल एक बार सत्यापन की आवश्यकता होती है, जहां वार्षिक सत्यापन की आवश्यकता होती है-लाभ 'और' सेवाएं 'जैसा कि उल्लेख किया गया है।

एस में। *7* ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी प्रकार की सब्सिडी आदि का रंग हो, अर्थात् सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जिनमें सरकार ऐसे लाभ प्रदान कर रही हो जो किसी विशेष वंचित वर्ग के लिए लक्षित हों। *(* बहुमत की राय*)*

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016:* एसएस। *7* और *8*-बच्चों का नामांकन-क्या बच्चों को एस. एस. के दायरे में लाया जा सकता है। *7* और अधिनियम का *8*-वयस्क होने की आयु प्राप्त करने पर, ऐसे बच्चे जो अपने माता-पिता की सहमति से आधार के तहत नामांकित हैं,

यदि वे इस योजना का लाभ उठाने का इरादा नहीं रखते हैं तो आधार परियोजना से बाहर निकलने का विकल्प दिया जाता है जहां तक बच्चों के स्कूल में प्रवेश का संबंध है,

आधार की आवश्यकता अनिवार्य नहीं होगी क्योंकि यह न तो सेवा है और न ही सब्सिडी-इसके अलावा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि *6* से *14* वर्ष की आयु के बीच के बच्चे को संविधान के *Art.21A* के तहत शिक्षा का मौलिक अधिकार है, स्कूल में प्रवेश

किसी भी अन्य दस्तावेज का आधार-भारत का संविधान-*Art.21A*। *(* बहुमत की राय*)* आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016:* धारा *2 (*घ*)*-आयोजित की गई संवैधानिकताः धारा *2 (*घ*)* प्रमाणीकरण अभिलेखों से संबंधित है, ऐसे अभिलेख नहीं होंगे

आधार *(*प्रमाणीकरण*)* विनियम, *2016* के विनियमन *26 (*सी*)* में उल्लिखित मेटाडेटा को शामिल करें-इसलिए, वर्तमान रूप में इस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया है। *(* बहुमत की राय*)*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016:* धारा *2 (*बी*)*-याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यक्त निवासी आशंका की परिभाषा यह थी कि इससे अवैध प्रवासियों को आधार कार्ड नहीं दिया जाना चाहिए-प्रत्यर्थी को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करने का निर्देश दिया जाता है कि अवैध अप्रवासी इस तरह के लाभ लेने में सक्षम न हों। *(* बहुमत की राय*)*

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016:* एस. *2 (*एल*)*-नामांकन एजेंसी - धारा *2 (1)* ने इस आधार पर चुनौती दी कि नामांकन का कार्य नहीं हो सका

किसी निजी संस्था को दिया गया है क्योंकि निजी संस्था को आधार नामांकन की प्रकृति को समझाने और सूचित सहमति प्राप्त करने का महत्वपूर्ण कार्य नहीं सौंपा जा सकता है-आयोजितः प्राधिकरण द्वारा समझाई गई प्रक्रिया की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जो यह सुनिश्चित करता है कि नामांकन के तुरंत बाद, निजी संस्था द्वारा एकत्र किया गया संबंधित डेटा उसके नियंत्रण से बाहर है; यह एन्क्रिप्टेड हो जाता है; और सी. आई. डी. आर. को प्रेषित किया जाता है, याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यक्त की गई आशंका का कोई आधार नहीं है। *(* बहुमत की राय*)*

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016:* धारा *29*-आयोजित की संवैधानिकताः धारा *29* जानकारी साझा करने पर प्रतिबंध लगाती है और इसलिए यह वैध है क्योंकि यह आधार संख्या धारकों के हितों की रक्षा करती है।

(बहुमत की राय*)*

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016:* धारा *33*-आयोजित की संवैधानिकताः अधिनियम की धारा *33 (1)* पहचान की जानकारी या प्रमाणीकरण रिकॉर्ड सहित जानकारी के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करती है, सिवाय इसके कि यह जिला न्यायाधीश के आदेश से कम नहीं है-इस प्रावधान को इस स्पष्टीकरण के साथ पढ़ा जाना चाहिए कि एक व्यक्ति, जिसकी जानकारी जारी करने की मांग की जाती है, उसे सुनवाई का अवसर दिया जाएगा-यदि ऐसा आदेश पारित किया जाता है, तो इसमें संभावित रूप से, उसे उच्च न्यायालय से संपर्क करके पारित किए गए ऐसे आदेश को चुनौती देने का भी अधिकार होगा-संबंधित न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान, उक्त व्यक्ति हमेशा संविधान के

Art.20 (3) या गोपनीयता अधिकारों आदि सहित कानून में स्वीकृत आधारों पर जानकारी के प्रकटीकरण पर आपत्ति कर सकता है। *33 (2)* संबंधित है, यह माना जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में जानकारी के प्रकटीकरण को गलत नहीं माना जा सकता है-हालाँकि, ऐसी घटना के निर्धारण के लिए, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट से उच्च अधिकारी

[2018] 8 एस सी आर।

संयुक्त सचिव के पद को ऐसी शक्ति दी जानी चाहिए - अधिमानतः न्यायिक अधिकारी के साथ एक उच्च पदस्थ अधिकारी होना।

अधिकारी-एस में निहित प्रावधान। *33 (2)* अधिनियम की सीमा तक

यह संयुक्त सचिव को शक्ति देता है, इसलिए, देना बंद कर दिया जाता है उत्तरदाताओं को इन पर उपयुक्त रूप से प्रावधान लागू करने की स्वतंत्रता

रेखाएँ, जो व्यक्तियों के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा करेंगी।

(बहुमत की राय*)*

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी का लक्षित वितरण,

लाभ और सेवा*)* अधिनियम, *2016:* धारा *47*-धारा *47* की संवैधानिकता। *47*

यह प्रावधान है कि प्राधिकरण या उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर ही संज्ञान लिया जाएगा।

याचिकाकर्ता इस प्रावधान से व्यथित महसूस करते हैं क्योंकि यह अनुमति नहीं देता है व्यक्तिगत नागरिक जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, अपराधी को शुरू करने के लिए

प्रक्रिया-आयोजितः यह चीजों की योग्यता में होगा यदि एस। *47* जिस व्यक्ति/पीड़ित के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, उसे दायर करने की अनुमति देकर संशोधित किया जाता है

शिकायत करें और कार्यवाही शुरू करें। *(* बहुमत की राय*)*

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी का लक्षित वितरण,

लाभ और सेवा*)* अधिनियम, *2016:* धारा *57*-की संवैधानिकता - एस. *57* उल्लेख है कि आधार अधिनियम आधार संख्या के उपयोग को नहीं रोकेगा

कानून के तहत अन्य उद्देश्यों के लिए-आयोजितः जहाँ तक एस। *57* वर्तमान रूप में, यह दुरुपयोग के लिए अतिसंवेदनशील है क्योंकिः

इसका उपयोग किसी व्यक्ति की पहचान 'किसी भी उद्देश्य के लिए' स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, इसलिए प्रावधान को इस अर्थ में पढ़ा जाता है कि इस तरह के उद्देश्य को कानून द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए-इसके अलावा, जब भी ऐसा कोई हो।

"कानून बनाया जाता है, यह न्यायिक जांच के अधीन होगा-जैसे

उद्देश्य केवल किसी कानून के अनुसार ही सीमित नहीं है, बल्कि इस आशय के किसी भी अनुबंध के अनुसार भी किया जा सकता है-यह स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है क्योंकि संविदात्मक प्रावधान किसी कानून द्वारा समर्थित नहीं है।

और, इसलिए, आनुपातिकता परीक्षण की पहली आवश्यकता पूरी नहीं होती है

—

राज्य को अधिकृत करने के अलावा, यहां तक कि कोई भी निकाय निगमित या व्यक्ति प्रमाणीकरण सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अधिकृत है जो इस पर हो सकती हैं।

एक व्यक्ति और ऐसे निकाय के बीच कथित समझौते का आधार

निगमित या व्यक्ति-भले ही यह माना जाता है कि विधायिका ने नहीं किया था

ऐसा करने का इरादा, उक्त विशेषताओं का प्रभाव सक्षम करने के लिए होगा

व्यक्तिगत बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय का व्यावसायिक दोहन

निजी संस्थाओं द्वारा जानकारी-इस प्रकार, प्रावधान का यह भाग जो निगमित निकाय और व्यक्तियों को भी तलाश करने में सक्षम बनाता है

प्रमाणीकरण, वह भी न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम के बीच एक अनुबंध के आधार पर।

भारत का संघ

व्यक्ति और ऐसा निकाय निगमित या व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों की निजता के अधिकार पर अतिक्रमण करेगा-इस प्रकार, धारा के इस हिस्से को असंवैधानिक घोषित किया जाता है। *(* बहुमत की राय*)*

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016:* एस. *59*-की संवैधानिकता-जब अधिनियम के तहत आधार योजना/परियोजना को इसकी संवैधानिकता की चुनौती से बचा लिया गया है, तो इस अधिनियम के पारित होने से पहले किए गए नामांकनों को अमान्य करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि इससे अनावश्यक बोझ बढ़ेगा और इन व्यक्तियों को फिर से नामांकित करने की कवायद होगी-इसके बजाय उन सभी व्यक्तियों की 'सहमति' प्राप्त करके समस्या का समाधान किया जा सकता है जो अधिनियम के पारित होने से पहले नामांकित थे-चूंकि, नामांकन स्वैच्छिक प्रकृति का है, जो विशेष रूप से सहमति देने से इनकार करते हैं, उन्हें आधार योजना से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी-आखिरकार, आधार कार्ड प्राप्त करके, इस तरह से नामांकित व्यक्ति को पहचान पत्र का एक रूप मिल रहा है-फिर भी ऐसे व्यक्ति के लिए उक्त का उपयोग करने के लिए खुला रहेगा। उनके आधार कार्ड को रद्द करना उचित नहीं होगा-यदि उन सभी नामांकनों को अमान्य करने का निर्देश दिया जाता है जो *2016* से पहले किए गए थे, तो ऐसे

व्यक्तियों को फिर से खुद को नामांकित करने की कठोरता से गुजरना होगा-दूसरी ओर, जिन्हें एस के तहत निर्धारित प्रकृति का कोई लाभ नहीं मिलता है। *7* अधिनियम के अनुसार, उनके लिए यह हमेशा खुला रहेगा कि वे आधार कार्ड का उपयोग न करें या इस कार्ड का उपयोग सीमित अर्थों में न करें, अर्थात् इसे बिना किसी प्रमाणीकरण के अपनी पहचान के प्रमाण के रूप में दिखाएं। प्रक्रिया इसलिए, काफी हद तक, यह बाद में इसे नुकसान नहीं पहुंचाता है।

श्रेणी भी-एस की वैधता। *59* बरकरार रखा जाता है-एक परिणाम के रूप में, *2009* से *2016* तक की अवधि के लिए आधार भी मान्य है। *(* बहुमत की राय*)*

संविधान के *Art.110* के अर्थ में 'धन विधेयक' के रूप में पारित किया जा सकता है-आयोजितः राज्यसभा का महत्व *(*उच्च सदन*)* सदन*)* संसद की द्विसदनीय प्रणाली में-राज्यसभा संवैधानिक आधारवाद को दर्शाने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है-किसी भी कानून को लागू करने के लिए, विधेयक को लोकसभा के साथ-साथ राज्यसभा दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना होता है-यह संवैधानिक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट है।

जनादेश-इस संसदीय मानदंड का एकमात्र अपवाद है *Art.110* द्विसदनीयता की इस समग्र योजना को ध्यान में रखते हुए

हमारे संविधान में इसकी सख्त व्याख्या की जानी चाहिए

Art.110 जहाँ तक *s* है। *7* संबंधित है, यह आधार के तहत प्रमाणीकरण की प्रक्रिया द्वारा पहचान स्थापित करने या आधार आदि का प्रमाण प्रस्तुत करने के अधीन सब्सिडी, लाभ या सेवा की प्राप्ति करता है। ऐसी सब्सिडी, लाभ या सेवा के संबंध में किया गया व्यय भारत की संचित निधि से होता है - एस. *7* अधिनियम का मुख्य प्रावधान है-अधिनियम की शुरूआत के साथ-साथ उद्देश्यों और कारणों का विवरण बहुत स्पष्ट रूप से दर्ज करता है कि आधार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी सब्सिडी, लाभ और सेवाएं उन श्रेणियों के व्यक्तियों तक पहुंचे, जिनके लिए वे वास्तव में अभिप्रेत हैं-चूंकि इन तीनों प्रकार के कल्याणकारी उपायों को समाज के हाशिए पर पड़े वर्ग तक विस्तारित करने की मांग की जाती है, इसलिए इसके सामूहिक अध्ययन से पता चलेगा कि इसका उद्देश्य सभी प्रकार की सहायता, समर्थन, अनुदान, लाभ, राहत प्रावधान, सुविधा, उपयोगिता या सहायता का विस्तार करना है, जिसे लक्षित वितरण के उद्देश्य से भारत की संचित निधि के समर्थन से बढ़ाया जा सकता है।

इन प्रावधानों द्वारा विचार की गई विभिन्न योजनाएं समाज के कमजोर और कमजोर वर्ग से संबंधित हैं-यह आधार अधिनियम के पीछे मुख्य कार्य है और इस उद्देश्य के लिए, आधार संख्या के लिए नामांकन निर्धारित किया गया है-ऐसा नामांकन स्वैच्छिक प्रकृति का है-हालाँकि, यह उन लोगों के लिए अनिवार्य हो जाता है जो सरकारी व्यय की कल्याणकारी योजना के तहत कोई सब्सिडी, लाभ या सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे भारत की संचित निधि से पूरा किया जाना है-यह एस के तहत प्रमाणीकरण का अनुसरण करता है। *7* सब्सिडी, लाभ या सेवा की प्राप्ति के लिए एक शर्त के रूप में केवल तभी आवश्यक होगा जब ऐसी सब्सिडी, लाभ या सेवा का ध्यान भारत की समेकित निधि द्वारा रखा जाए-इसलिए, धारा *7* आधार अधिनियम का मुख्य प्रावधान है और यह प्रावधान संतुष्ट करता है -

संविधान की *Art.110* शर्तें-भारत का संविधान-*Art.110*। *(* बहुमत की राय*)*

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016:* डेटा मिनिमाइजेशन-जनसांख्यिकीय जानकारी विश्व स्तर पर व्यक्तियों द्वारा दूसरों के साथ संबंध रखते हुए पहचान का खुलासा करने के लिए और लाभ प्राप्त करने के लिए आसानी से प्रदान की जाती है, चाहे वह सरकार या निजी संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई हो, चाहे वह नागरिकता, चुनाव, पासपोर्ट, विवाह या न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* में नामांकन के लिए पंजीकरण हो।

भारत का संघ

शैक्षणिक संस्थान-ईमेल आईडी और फोन नंबर भी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं। *2 (* के*)* विशेष रूप से यह प्रावधान करता है कि विनियमों में नस्ल, धर्म, जाति, जनजाति, जातीयता, भाषा, पात्रता के रिकॉर्ड, आय या चिकित्सा इतिहास शामिल नहीं हो सकते हैं-इस प्रकार, संवेदनशील जानकारी विशेष रूप से बाहर रखी गई है - आधार अधिनियम की धारा *32 (3)* प्राधिकरण को प्रमाणीकरण के उद्देश्य के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी जानकारी को एकत्र करने, संग्रहीत करने या बनाए रखने से विशेष रूप से प्रतिबंधित करती है-प्रमाणीकरण विनियमों के विनियमन *26* के प्रावधान का भी यही प्रभाव है-इस प्रकार, डेटा न्यूनतमकरण के सिद्धांत का बड़े पैमाने पर पालन किया जाता है। *(* बहुमत की राय*)*

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी का लक्षित वितरण,

लाभ और सेवा*)* अधिनियम, *2016:* एस. *2 (*के*)*-आधार अधिनियम के तहत किसी की जनसांख्यिकीय जानकारी देने की आवश्यकता

निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन-आयोजितः रेगन। *4* यह इंगित करता है कि जो जानकारी व्यक्ति से एकत्र की जाएगी, वह उसकी है।

नाम, जन्म तिथि, लिंग और आवासीय पता-अतिरिक्त

जानकारी जो व्यक्ति के विकल्प पर एकत्र की जा सकती है वह है मोबाइल नंबर और ई-मेल पता-इस प्रकार, विनियमन *4* के तहत विचार की गई जानकारी व्यक्ति की पहचान से संबंधित जानकारी के अलावा और कुछ नहीं है-जन्म लेने के समय से व्यक्ति की पहचान एक जानी-पहचानी पहचान है और आम तौर पर प्रत्येक व्यक्ति इसका वर्णन करता है।

स्वयं ऐसे व्यक्ति का पुत्र या पुत्री होना

-

जो लोग स्कूलों/कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेते हैं, जो रोजगार चाहते हैं और जो विभिन्न व्यापार और वाणिज्य में संलग्न हैं, उन सभी को जनसांख्यिकीय जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसी जानकारी के संबंध में गोपनीयता की उचित अपेक्षा नहीं की जा सकती है। नामांकन की प्रक्रिया में दिए जाने की आवश्यकता गोपनीयता के किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है-आधार *(*नामांकन और अद्यतन*)* विनियम, *2016*-नियम *4*। *(* अशोक भूषण के अनुसार, जे.*)*

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी का लक्षित वितरण,

लाभ और सेवा*)* अधिनियम, *2016:* धारा *2 (छ)*-आधार अधिनियम के तहत किसी की बायोमेट्रिक जानकारी देने की आवश्यकता-चाहे वह निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो-आयोजित की गईः बायोमेट्रिक जानकारी का अर्थ है तस्वीरें, उंगलियों के निशान, आईरिस स्कैन और इस तरह के अन्य बायोमेट्रिक।

किसी व्यक्ति की विशेषताएँ जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं-सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2018] 8 एस सी आर।

बायोमेट्रिक जानकारी किसी व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं की होती है-एक व्यक्ति के पास पूर्ण शारीरिक स्वायत्तता होती है और किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वायत्तता में किसी भी तरह की घुसपैठ को उसके अधिकार के उल्लंघन के रूप में आसानी से स्वीकार किया जा सकता है।

गोपनीयता-बायोमेट्रिक डेटा जैसा कि एस में संदर्भित है। *2 (* छ*)* इसमें किसी व्यक्ति की जैविक विशेषताएँ हो सकती हैं जिनके संबंध में कोई व्यक्ति गोपनीयता की उचित अपेक्षा का दावा कर सकता है, लेकिन क्या गोपनीयता अधिकारों का उल्लंघन किया गया है या नहीं, इसकी जांच करने की आवश्यकता है।

वह विषय संदर्भ जिसके तहत जानकारी प्राप्त की गई थी। *(* अशोक भूषण के अनुसार, जे.*)*

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016:* एस. *2 (*जी*)*-क्या प्राप्त करना

नामांकन के संदर्भ में बायोमेट्रिक जानकारी व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है या नहीं-आयोजितः आधार अधिनियम के प्रावधानों का परीक्षण पुट्टास्वामी मामले में निर्धारित तीन गुना परीक्षण के आलोक में किया जाना है-पहली आवश्यकता जिसे पूरा किया जाना है वह है कानून का अस्तित्व-यह सच है कि आधार अधिनियम एक संसदीय कानून है, इसलिए कानून का अस्तित्व संतुष्ट है-आधार अधिनियम को व्यक्तियों को आधार संख्या प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया है ताकि किसी व्यक्ति की पहचान की जा सके।

इस प्रकार, एक वैध राज्य उद्देश्य के लिए अधिनियमित किया गया था और एक कानून के निष्पक्ष और उचित होने के मानदंडों को पूरा करता है-तीसरे की जांच करते समय आवश्यकता, अर्थात कानून की आनुपातिकता, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि राज्य न तो मनमाना है और न ही जनता के हित में आवश्यक से परे अत्यधिक प्रकृति का है-आधार अधिनियम का उद्देश्य इन उद्देश्यों के लिए विशिष्ट पहचान प्रदान करना था -

पात्र लाभार्थियों को लाभ, सब्सिडी और सेवाओं का वितरण और लाभों और सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने के लिए, पात्र लाभार्थियों को वंचित करने से बचाने के लिए-बायोमेट्रिक जानकारी, जो नामांकन के लिए प्राप्त की जानी है, वह असमान नहीं है और न ही जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी की आवश्यकता वाले आधार अधिनियम के प्रावधानों को पुट्टास्वामी मामले में निर्धारित तीन गुना परीक्षण में उत्तीर्ण नहीं कहा जा सकता है-इस प्रकार, आधार अधिनियम के तहत किसी की जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी देने की आवश्यकता गोपनीयता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है और इसलिए, असंवैधानिक नहीं है-भारत का संविधान न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

बायोमेट्रिक जानकारी-निजता का अधिकार। *(* अशोक भूषण के अनुसार, जे.*)* आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016:* क्या आनुपातिकता परीक्षण के रूप में

पुट्टास्वामी मामले में परिकल्पित तत्काल मामले में पूरा नहीं किया गया है क्योंकि राज्य ने पहचान का एक वैकल्पिक और अधिक उपयुक्त और कम से कम घुसपैठ का तरीका नहीं अपनाया-आयोजितः आधार नामांकन के लिए जो बायोमेट्रिक जानकारी प्राप्त की जाती है, वे तस्वीरें हैं।

उंगलियों के निशान और आईरिस स्कैन, जो किसी व्यक्ति की भौतिक स्वायत्तता में कम से कम घुसपैठ हैं-जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा उंगलियों के निशान लिए जाते हैं, उसके लिए वस्तु और उद्देश्य से परे जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है-इसलिए, यह गरिमा और गोपनीयता के उन सिद्धांतों को आसानी से आहत नहीं करता है, जो उचित प्रक्रिया के प्रत्येक कानून के लिए मौलिक हैं। *(* अशोक भूषण के अनुसार, जे.*)*

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016:* एसएस। *29* , *30* , *33-* क्या निवासियों के डेटा का संग्रह, इसका भंडारण, प्रतिधारण और उपयोग उल्लंघन करता है

निजता का मौलिक अधिकार-आयोजितः अधिनियम में विनिर्दिष्ट शामिल हैं

प्रावधान यह है कि अधिनियम के तहत एकत्र की गई कोई भी मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी किसी भी कारण से किसी को भी साझा नहीं की जाती है या आधार संख्या बनाने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं की जाती है या

इस अधिनियम के तहत प्रमाणीकरण-कानून के लिए निषेधाज्ञा बनाता है

किसी भी पहचान को प्रस्तुत करने के लिए व्यक्ति को निर्दिष्ट किए गए उद्देश्य के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए पहचान सूचना डेटा का उपयोग करने का अनुरोध करने वाली संस्था-कानून में नामांकन के समय प्रतिरूपण के लिए अपराध और दंड और पहचान जानकारी का खुलासा करने के लिए दंड का भी प्रावधान है-आधार अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों के तहत कार्यों की पूरी योजना का अवलोकन इंगित करता है कि निवासी के नामांकन के बाद, बायोमेट्रिक जानकारी सहित उसकी जानकारी सी. आई. डी. आर. में एन्क्रिप्टेड रूप में रखी जाती है।

आधार अधिनियम के तहत प्राधिकरण का प्रमुख कार्य आधार संख्या धारक की पहचान का प्रमाणीकरण है और जब भी अनुरोध करने वाली एजेंसी द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो उसके प्रमाणीकरण डेटा को बनाए रखना है। अनुरोध करने वाली एजेंसियों को सीमित अवधि के लिए रखा जाता है-प्रमाणीकरण डेटा को बनाए रखने के लिए अनुरोध करने वाली संस्था के साथ-साथ प्राधिकरण की भी आवश्यकता होती है

एक विशेष अवधि के लिए और उसके बाद इसे पांच साल के लिए संग्रहीत किया जाएगा और उसके बाद प्रमाणीकरण डेटा लेनदेन को ऐसे डेटा को छोड़कर हटा दिया जाएगा जो किसी भी लंबित विवाद के संबंध में न्यायालय द्वारा आवश्यक है-डेटा जो इकाई और सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट द्वारा रखा जाता है।

निश्चित अवधि के लिए प्राधिकरण से संबंधित न्यूनतम जानकारी है -

केवल पहचान प्रमाणीकरण कोई अन्य व्यक्तिगत डेटा नहीं रखा जाता है

इस प्रकार, आधार अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधान पुट्टास्वामी मामले में निर्धारित तीन गुना परीक्षण को पूरा करते हैं, इसलिए, डेटा का भंडारण और प्रतिधारण गोपनीयता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। *(* अशोक भूषण के अनुसार, जे.*)*

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016:* एस. *7*-चाहे एस. *7* असंवैधानिक है चाहे बहिष्करण एस बनाता है। *7* कलाओं का मनमाना और स्वैच्छिक। *14* और *21*-आयोजितः एस. *7* एक सक्षम प्रावधान है जो सशक्त बनाता है राज्य सरकार को यह अपेक्षा करनी चाहिए कि ऐसा व्यक्ति

सब्सिडी, लाभ या सेवा की प्राप्ति के लिए प्रमाणीकरण लेकिन न तो एस। *7* न ही केंद्र सरकार और राज्य द्वारा जारी आदेश

सरकार को पढ़ा जा सकता है कि यदि किसी व्यक्ति या लाभार्थी का प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, तो उसे सब्सिडी और लाभ या सेवाएं प्रदान नहीं की जानी चाहिए-इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रमाणीकरण की विफलता के कारण कुछ व्यक्तियों को इनकार किया गया है-लाभ और सब्सिडी के वितरण के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई योजना का कार्य

योग्य व्यक्ति एक बड़े पैमाने की योजना है जो देश के कोने-कोने में चलती है-जब सरकार की इस तरह की योजना को लागू किया जाता है, तो यह असामान्य नहीं है कि इसमें कमियां हो सकती हैं और कुछ इनकार हो सकता है-रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह इंगित करे कि लाभ प्राप्त करने में विफलता में वृद्धि हुई है। अधिनियम का कार्यान्वयन-इसलिए, बहिष्करण के कुछ मामले नहीं होंगे। *7* स्वयं मनमाना और कला का उल्लंघन करने वाला। *14* और *21*

भारतीय संविधान कला। *14* , *21. (* अशोक भूषण के अनुसार, जे.*)*

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016:* धारा *29*-की संवैधानिकता,

इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह पहचान साझा करने की अनुमति देता है

ऐसी जानकारी जो गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करती है-आयोजितः एस का प्रावधान। *29* और साझाकरण विनियमों में शामिल हैं प्रतिबंध और किसी भी तरह से किसी व्यक्ति के किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए नहीं माना जा सकता है-अधिनियम का उद्देश्य जानकारी साझा करने पर प्रतिबंध लगाना है, जो कि एक वैध राज्य उद्देश्य भी है-एस के तहत प्रावधान। *29* जो मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी को छोड़कर पहचान की जानकारी साझा करने की अनुमति देता है

अधिनियम और विनियमों को असमान या अनुचित नहीं कहा जा सकता-एस के प्रावधान।

29 यह संवैधानिक है और न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

आधार *(*सूचना साझा करना*)* विनियम, *2016* निरस्त किए जाने के योग्य नहीं है। *(* अशोक भूषण के अनुसार, जे.*)*

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी का लक्षित वितरण,

लाभ और सेवा*)* अधिनियम, *2016:* एस. *33*-की संवैधानिकता-चाहे एस. *33* असंवैधानिक है क्योंकि यह उपयोग के लिए प्रदान करता है

पुलिस सत्यापन के लिए आधार डेटा आधार जो भारत के संविधान के *Art.20 (3)* के तहत निहित आत्म-अपराध के खिलाफ सुरक्षा का उल्लंघन करता है-आयोजितः एस की उप-धारा *(1)*। *33* इसमें किसी भी प्रकटीकरण जानकारी के संबंध में पर्याप्त प्रतिबंध शामिल है जो

केवल न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किया जा सकता है जो जिला न्यायाधीश के आदेश से कम नहीं है

जानकारी उचित है और इसका वैध औचित्य है - धारा *33* की उप-धारा *(2)* में दो सुरक्षा उपाय हैं-पहला, जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में दी जानी चाहिए और दूसरा, किसी अधिकारी के निर्देश के अनुसरण में जो इससे कम नहीं हो।

सरकार के संयुक्त सचिव का पद, जो केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा के आदेश द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत है, इस प्रकार एक उच्च अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है जो इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत होता है-एस के तहत दी गई शक्ति। *33* जानकारी का खुलासा करना असमान नहीं कहा जा सकता है-यू. आई. डी. ए. आई. के पास जो बुनियादी जानकारी है वह जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी है-यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा रखी गई जानकारी का उपयोग एस. के तहत अदालत के आदेश द्वारा दिया गया है। *33* यह नहीं कहा जा सकता कि यह कला के तहत निहित संरक्षण का उल्लंघन कर रहा है। *20 (3)* इस प्रकार, एस के तहत जानकारी के प्रकटीकरण से *Art.20 (3)* का उल्लंघन नहीं होता है। *33*

-

इसे ध्यान में रखते हुए, धारा *33* भारत का संवैधानिक संविधान *Art.20 (3)* है। *(* अशोक भूषण के अनुसार, जे.*)*

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी का लक्षित वितरण,

लाभ और सेवा*)* अधिनियम, *2016:* धारा *47*-आधार अधिनियम के उल्लंघन से पीड़ित व्यक्ति की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह आपराधिक प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति नहीं देता है - आयोजित किया गयाः अधिनियम के तहत अपराधों के प्रति विशेष उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विशेष अधिनियम बनाए जाते हैं विशेष अधिनियम के तहत अपराधों की शुरुआत और मुकदमा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा रखा जाता है

विशेष अधिनियम के तहत अधिकारियों के हाथों में दीक्षा और अभियोजन जो निवारक के रूप में कार्य करता है और अभियोजन को इसके तार्किक अंत तक लाया जाता है-ऐसे प्रावधानों का उद्देश्य तुच्छ और परेशान करने वाली शिकायतों को हतोत्साहित करना है - एस. *47* को सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट द्वारा लागू किया जा सकता है।

प्राधिकरण अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या जब उसे किसी पीड़ित से शिकायत प्राप्त होती है-किसी ऐसे अपराध के संबंध में जो 'अपराध' की परिभाषा के भीतर आता है, एक पीड़ित हमेशा शिकायत दर्ज कर सकता है या एफ. आई. आर. दर्ज कर सकता है। धारा *46* में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि आधार अधिनियम के तहत दंड अन्य दंडों में हस्तक्षेप नहीं करेगा-धाराओं में निहित सीमा। *47* केवल प्राधिकरण द्वारा की गई शिकायत पर आधार अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान लेने की अनुमति देने में या इसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी या व्यक्ति का विधायी उद्देश्य और उद्देश्य होता है। *47* आधार अधिनियम। *(* अशोक भूषण के अनुसार, जे.*)*

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016:* धारा *57*-की संवैधानिकता, इस आधार पर चुनौती दी गई कि एस के तहत आने वाली गतिविधियों का व्यापक और असीमित दायरा। *57* और उपयोग करने की अनुमति प्राप्त निजी संस्थाओं के प्रकार

आधार पूरी तरह से अधिनियम के साधनों और उद्देश्यों से परे है और बिना किसी बाध्यकारी राज्य हितों के -

आयोजित किया गयाः धारा *57* आधार का उपयोग दो आधारों पर करती है-पहला, "किसी भी कानून के अनुसार, कुछ समय के लिए लागू" और दूसरा "इस आशय का कोई अनुबंध"-जब विधायिका "किसी भी कानून के अनुसार, कुछ समय के लिए लागू" वाक्यांश का उपयोग करती है, तो स्पष्ट रूप से धारा *57* में प्रयुक्त शब्द विधि। *57* एस के अलावा एक अन्य कानून है। *57* आधार अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियम-जब कोई कानून आधार के उपयोगकर्ता को अनुमति देता है, तो उसका

असंवैधानिक - एस. *59* अधिनियम के तहत बचत करना और जारी रखना चाहता है। कार्यकारी योजना के तहत क्या किया गया था-विधानमंडल अक्सर उन कई कार्यों को बचाने के लिए कानूनी कल्पना पैदा करता है जो संसदीय विधायी इरादे से पहले हुए थे। *59* सब कुछ बचाने के लिए

अधिनियमन

अधिसूचना डी. टी. डी. के तहत केंद्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई। *28.01.2009* और अधिसूचना डी. टी. डी. *12.09.2015* इसे वैध न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम बनाकर आधार अधिनियम के तहत वैध रूप से किया गया है।

भारत का संघ

इन दोनों अधिसूचनाओं के तहत की गई सभी कार्रवाइयों को सहेजने और उन्हें उस अधिनियम के तहत किया गया मानने का इरादा है

एस का उद्देश्य और उद्देश्य। *59* विधायी उपकरण द्वारा विधानमंडल कर सकता है

किसी भी कानूनी कल्पना का निर्माण करते समय पहले की गई कार्रवाइयों को शामिल करें जो वास्तव में एस द्वारा की गई हैं। *59* – कानूनी कानूनों की व्याख्या

काल्पनिक। *(* अशोक भूषण के अनुसार, जे.*)*

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी का लक्षित वितरण,

लाभ और सेवा*)* अधिनियम, *2016:* संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक *23.03.2017*

की संवैधानिकता-आयोजितः परिपत्र दिनांक *23.03.2017* के अनुसार, सभी

लाइसेंसधारियों को आधार आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से सभी मौजूदा मोबाइल ग्राहकों *(*प्रीपेड और पोस्टपेड*)* को फिर से सत्यापित करने का निर्देश दिया गया

-

सिम ग्राहकों के परिणामस्वरूप मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंसधारी बने ग्राहकों को अपने सिम को आधार से जोड़ने का निर्देश देना

मोबाइल नंबरों के साथ आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ना होगा

पुट्टास्वामी मामले में उल्लिखित-कानून का अस्तित्व सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी गोपनीयता अधिकार को प्रतिबंधित करने के लिए पूरी की जाने वाली शर्त-कानून

जैसा कि *Art.13 (3)* में बताया गया है, यह पता लगाने के लिए आवेदन करना होगा कि

कानून क्या है-*Art.13 (3) (a)* निम्नलिखित शब्दों में कानून की एक समावेशी परिभाषा देता हैः - *(* क*)* "कानून" में कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपनियम, नियम, विनियमन, अधिसूचना, प्रथा या उपयोग शामिल है जो भारत के क्षेत्र में कानून का बल रखता है-परिपत्र केवल सबसे अच्छा है

कार्यकारी निर्देश और इसे कानून और निर्देश नहीं माना जा सकता है

आधार के माध्यम से सभी मौजूदा मोबाइल ग्राहकों का पुनः सत्यापन करना। आधारित ई-केवाईसी को कानून द्वारा समर्थित नहीं माना जा सकता है, इसलिए इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है-प्रशासनिक कानून-कार्यकारी निर्देश-परिपत्र

दिनांक *23.03.2017* संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किया गया। *(* अशोक भूषण के अनुसार, जे.*)*

आधार *(*नामांकन और अद्यतन*)* विनियम, *2016:* रेगन *5*

- क्या *5* से *18* वर्ष के बीच के बच्चों की पहचान की जानकारी एकत्र करना असंवैधानिक है-माना गयाः विनियमन *5* प्रदान करता है

पाँच साल से कम उम्र के बच्चों के नामांकन के लिए आवश्यक जानकारी-पाँच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, कोई मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी नहीं है।

किसी भी माता-पिता/अभिभावक की केवल बायोमेट्रिक जानकारी ली गई है दर्ज किया जाता है-*5* से *18* वर्ष के बीच के बच्चों के नामांकन के लिए, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उनके माता-पिता या अभिभावक की सहमति होनी चाहिए क्योंकि वे स्वयं नामांकन के लिए कोई वैध सहमति देने में असमर्थ हैं इसलिए जहां तक *5* से *18* वर्ष के बच्चों का संबंध है, माता-पिता की सहमति को विनियमन *4* में पढ़ा जाना चाहिए ताकि *5* से *18* वर्ष के बच्चों के संबंध में प्रावधान असंवैधानिक न हो जाए।

-

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016 -* एस. *5*-कानूनों की व्याख्या। *(* अशोक भूषण के अनुसार, जे.*)*

आधार *(*प्रमाणीकरण*)* विनियम, *2016:* रेगन। *27* – समय

डेटा प्रतिधारण की अवधि-याचिकाकर्ताओं की शिकायत थी कि डेटा को अनुचित रूप से लंबे समय तक रखने की अनुमति दी गई है-आयोजितः प्रमाणीकरण विनियमों के नियम *27* में यू. आई. डी. ए. आई. को "प्रमाणीकरण लेनदेन डेटा" को बनाए रखने की आवश्यकता है।

मेटा डेटा शामिल है*) 6* महीने की अवधि के लिए और उसके बाद *5* साल की अवधि के लिए उसी को संग्रहीत करने के लिए-अनुरोध करने वाली संस्थाओं *(*आरई*)* और प्रमाणीकरण सेवा एजेंसियों को फिर *2* साल की अवधि के लिए प्रमाणीकरण लॉग रखने और फिर उन्हें *5* साल के लिए संग्रहीत करने की अनुमति दी जाती है-इसे केवल *7* साल के बाद ही हटाया जाना आवश्यक है जब तक कि अदालत द्वारा नहीं रखा जाता है-प्रमाणीकरण लेनदेन डेटा को पांच साल की अवधि के लिए संग्रहीत करने का कोई कारण नहीं है।

छह महीने की अवधि के लिए इस डेटा का प्रतिधारण पर्याप्त से अधिक है जिसके बाद इसे हटाने की आवश्यकता होती है, सिवाय इसके कि जब इस तरह के प्रमाणीकरण लेनदेन डेटा को अदालत द्वारा या किसी लंबित विवाद के संबंध में बनाए रखने की आवश्यकता होती है-छह महीने की अवधि से अधिक डेटा का प्रतिधारण अस्वीकार्य है-इसलिए, विनियमन। *27* जो पाँच साल की अवधि के लिए डेटा संग्रहित करने का प्रावधान करता है, उसे रद्द कर दिया जाता है। *(* बहुमत की राय*)*

आधार योजनाः चाहे सर्कुलर डी. टी. डी.। *23* मार्च, *2017*

दूरसंचार विभाग द्वारा जारी मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ना अनिवार्य करना अवैध और असंवैधानिक हैः यह परिपत्र अवैध और असंवैधानिक है क्योंकि यह किसी भी कानून द्वारा समर्थित नहीं है-इसलिए इसे रद्द कर दिया जाता है। *(* बहुमत की राय*)*

संविधानवादः आधार अधिनियम सीमित की अवधारणा को पूरा करता है

सरकार, सुशासन और संवैधानिक न्यास। *(* बहुमत की राय*)*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

भारत का संविधानः *Art.14* और *21*-क्या *Art.21* के तहत परिकल्पित भोजन, आश्रय आदि का अधिकार प्राथमिकता लेगा

लाभार्थियों की निजता का अधिकार-आयोजितः यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि मौलिक अधिकारों को संतुलित करते हुए एक अधिकार होना चाहिए

भोजन के अधिकार को जीवंत करते हुए राज्य को वरीयता दी गई,

Art.21 के तहत परिकल्पित आश्रय आदि अधिकार का अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं।

लाभार्थियों की गोपनीयता और न ही पूर्व को प्राथमिकता दी जा सकती है अंतिम के ऊपर। *(* अशोक भूषण के अनुसार, जे.*)*

भारत का संविधानः निजता की उचित अपेक्षा

आयोजित किया गयाः यह अच्छी तरह से तय है कि निजता के अधिकार के उल्लंघन का दावा किया जा सकता है

केवल तभी जब विशेष मामले के तथ्यों पर दावेदार और

परिस्थितियों में "निजता की उचित अपेक्षा" होती है। *(* अशोक भूषण के अनुसार, जे.*)*

भारत का संविधानः *Art.243G*-क्या आधार योजना और लाभों, सब्सिडी और सेवाओं के लिए इसका प्रमाणीकरण *Art.243G* के खिलाफ है और इसलिए यह संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है

आयोजित किया गयाः *Art.243G* एक सक्षम प्रावधान है, जो राज्य को सक्षम बनाता है। विधायिका, कानून द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियां प्रदान करने के लिए और

उन्हें सक्षम करने के लिए आवश्यक अधिकारी

स्वशासन की संस्थाएं-राज्य सभी मामलों को संभालने के लिए पंचायतों को अधिकृत करने के लिए कानून बनाने में पूरी तरह सक्षम है।

ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित-आधार अधिनियम एक अधिनियम है

ऐसे व्यक्तियों और संबंधित मामलों के लिए पहचान संख्या इसके साथ-इस प्रकार अधिनियम को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया है -

व्यय, जो भारत की संचित निधि से किया जाता है, आधार अधिनियम और किसी भी कानून के बीच कोई टकराव नहीं है, जो - सूची *II* के तहत राज्य द्वारा अधिनियमित देखा जाता है-भले ही कोई संघर्ष हो

माना जाता है कि पीठ और पदार्थ के सिद्धांत को दो विधानों की प्रकृति का पता लगाने के लिए लागू किया जाना चाहिए-पीठ और पदार्थ में, आधार अधिनियम को किसी भी कानून पर लागू करने वाला नहीं कहा जा सकता है, जिसे राज्य द्वारा सूची *II*-आधार अधिनियम की मद संख्या *5* के तहत बनाया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के लिए *Art.243G* और ग्यारहवीं अनुसूची के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है

[2018] 8 एस सी आर।

संविधान-आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016*-सिद्धांत/सिद्धांत। *(* अशोक भूषण के अनुसार, जे.*)* भारत का संविधानः कला. *110* - क्या आधार विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अध्यक्ष का निर्णय इनमें से किसी का भी उल्लंघन करता है

संवैधानिक प्रावधान-सब्सिडी, लाभ या सेवा की प्राप्ति के लिए एक शर्त जिसके लिए खर्च किया जाता है, या उससे रसीद भारत की समेकित निधि का हिस्सा है।

एस द्वारा प्रदान किया गया है। *7* - अधिनियम की प्रस्तावना के साथ-साथ उद्देश्यों और कारणों से यह भी संकेत मिलता है कि इस अधिनियम को एक सुशासन, कुशल, पारदर्शी और सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण के लिए लागू किया गया है, जिसके लिए भारत की समेकित निधि से व्यक्तियों को खर्च किया जाता है।

ऐसे व्यक्तियों को विशिष्ट पहचान संख्या निर्धारित करने के माध्यम से भारत में रहने वाले और उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए इस प्रकार, अधिनियम का विषय या मुख्य उद्देश्य और उद्देश्य यह अधिनियम सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के कुशल, पारदर्शी और लक्षित वितरण को लागू करने के लिए है, जो खर्च भारत की समेकित निधि से बाहर है-इस प्रकार, अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से *Art.110 (1) (c)* और *(e)*-आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभों और सेवाओं की लक्षित डिलीवरी*)* द्वारा कवर किए गए हैं।

सेवा*)* अधिनियम, *2016*। *(* अशोक भूषण के अनुसार, जे.*)* भारत का संविधानः *Art.110*-क्या आधार अधिनियम एक धन विधेयक है और इसे धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अध्यक्ष का निर्णय है

उच्चतम न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं-आयोजितः आधार विधेयक को अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया गया है, जो निर्णय किसी भी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है, इसलिए इस कार्यवाही में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है-आधार विधेयक, *2016* को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने वाले अध्यक्ष के निर्णय को न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं किया गया है। *(* अशोक भूषण के अनुसार, जे.*)*

सिद्धांत/सिद्धांतः आनुपातिकता का सिद्धांत-राज्य की कार्रवाई-जब इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि यह गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करता है-आयोजितः राज्य की कार्रवाई का परीक्षण निम्नलिखित मापदंडों पर किया जाना हैः *(* क*)* कार्रवाई को कानून द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए*; (*ख*)*

एक वैध उद्देश्य के लिए एक लोकतांत्रिक समाज में प्रस्तावित कार्रवाई आवश्यक होनी चाहिए*;* और *(*सी*)* इस तरह के हस्तक्षेप की सीमा इस तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता के अनुपात में होनी चाहिए-भारत का संविधान-निजता का अधिकार। *(* बहुमत की राय*)*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

आय कर अधिनियम, *1961: s.139AA*-की संवैधानिकता-चाहे एस। *139* एए निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है और इसलिए असंवैधानिक है-माना जाता हैः पुट्टास्वामी में, अदालत ने निर्धारित किया कि

किसी भी कानून की वैधता का परीक्षण करते समय गोपनीयता के आक्रमण के लिए अनुमेय सीमाओं को निर्धारित करने के लिए संतुष्ट होने के लिए ट्रिपल टेस्ट ये हैंः *(* क*)* एक कानून का अस्तित्व*; (*ख*)* एक वैध राज्य हित*;* और *(*ग*)* ऐसी कानून को "आनुपातिकता की कसौटी" में उत्तीर्ण होना चाहिए-इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि पहली आवश्यकता एस के रूप में संतुष्ट थी। *139* एए एक है वैधानिक प्रावधान और, कानून का समर्थन है-जहां तक वैध राज्य हित की आवश्यकता का संबंध है, *s.139AA* है

पैन संख्या को आधार संख्या से जोड़ने के लिए अधिनियम बनाया गया है जो जारी किया गया है

मजबूत प्रौद्योगिकी समाधान की मदद से प्रणाली से डुप्लिकेट पैन को समाप्त करने के उद्देश्य से अधिनियम के तहत-इसलिए, जिनके पास पैन संख्या है और वे पहले ही प्रदान कर चुके हैं

पैन संख्या प्राप्त करने के लिए आवश्यक जानकारी गोपनीयता के आधार पर आधार के लिए आवश्यक किसी भी डेटा को रोकने की कोई वैध अपेक्षा रखने का दावा नहीं कर सकती है-इसके अलावा, आधार के रूप में डेटा के संग्रह और भंडारण और इसे पैन के साथ जोड़ने के लिए राज्य के पास उचित कारण था। *1391961* का ए. ए. अधिनियम का संबंध है-एस के प्रावधान। *139* ए. ए. पुट्टास्वामी में निहित निजता के अधिकार की तिहरी कसौटी पर खरा उतरता है। *(* बहुमत की राय*)*

आय कर अधिनियम, *1961: s.139AA*-चाहे *s. 139* - आई. टी. अधिनियम, *1961* का ए. ए. निजता संबंधी निर्णय को देखते हुए असंवैधानिक है।

पुट्टास्वामी मामला-आयोजितः *s.139*-स्थायी खाता संख्या *(*पैन*)* के लिए एक प्रावधान और प्रावधान यह भी प्रदान करता है कि वैधानिक

"प्रत्येक व्यक्ति" कब विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऐसी संख्या *(*पैन संख्या*)* का उल्लेख करेगा, इस बारे में अनिवार्य प्रावधान। *139* ए-एस का परिचय। *139* - एए एस का एक विस्तार और निहितार्थ है। *139* ए-एस का परिचय। *139* - ए. ए. समाप्त करने के उद्देश्य से था

एक मजबूत प्रौद्योगिकी समाधान की मदद से प्रणाली से पैन की नकल करें - *s.139*-ए. ए. आधार से जोड़कर फर्जी पैन कार्डों को हटाना चाहता है, नकली कंपनियों का पर्दाफाश करना चाहता है और इस तरह काले धन, धन शोधन और कर चोरी के खतरे पर अंकुश लगाना चाहता है।

आधार के साथ पैन कम से कम यह सुनिश्चित करेगा कि डुप्लिकेट और नकली पैन कर चोरी के उद्देश्य से उपयोग किए जाने वाले कार्डों को समाप्त कर दिया जाएगा और यह काले धन को खत्म करने के लिए कई वित्तीय उपायों में से एक है

प्रणाली से - *s.139*-ए. ए. को भी असमान नहीं कहा जा सकता-इस धारा को राज्य के वैध उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लागू किया गया है-सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

एस. *139* - एए संसद द्वारा बनाया गया एक कानून है, जिसमें आधार को पैन से जोड़ने की आवश्यकता होती है। *139* - ए. ए. खरपतवार के लिए एक आवश्यक पहला कदम है

व्यक्तियों के लिए नकली पैन निकालना; बाद के चरण में अन्य कर-भुगतान करने वाली संस्थाओं के लिए नकली पैन निकालना विधायिका के लिए पूरी तरह से स्वीकार्य है-पैन में आधार को शामिल करने से ईमानदार करदाताओं और गैर-अनुपालन, बेईमान लोगों के बीच असमानता समाप्त हो जाती है जो बिना कर का भुगतान किए आधार को पैन में शामिल करते हैं

समानता को बढ़ावा देता है और *Art.14* के अनुरूप है-परिणामस्वरूप, *s.139*-ए. ए. पुट्टास्वामी के मामले में निर्धारित तीन गुना परीक्षण का पूरी तरह से अनुपालन करता है। *139* - एए, इस प्रकार किसी व्यक्ति के निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है और इसे निरस्त नहीं किया जा सकता है।

(अशोक भूषण के अनुसार, जे.*)* अंतरिम आदेशः याचिकाकर्ताओं के अनुसार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कुछ आदेश जारी किए हैं

लाभों, सब्सिडी और योजनाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता वाली अधिसूचनाएं अनिवार्य हैं और इसलिए, उत्तरदाताओं ने इस अदालत के आदेशों का उल्लंघन किया है-अभिनिर्धारित कियाः उक्त अंतरिम आदेश अदालत द्वारा तब पारित किए गए थे जब आधार अधिनियम लागू नहीं हुआ था। एस. *7* ने स्थिति को वैधानिक रूप से बदल दिया था अधिसूचनाएं और परिपत्र इस प्रावधान के तहत जारी किए जाते हैं इसलिए, यह नहीं माना जा सकता है कि ये परिपत्र जारी किए गए हैं

इस अदालत द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन-आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016*। *(* बहुमत की राय*)*

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016: 2009* से पूरा आधार कार्यक्रम संवैधानिक दुर्बलताओं और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से ग्रस्त है-आधार अधिनियम का अधिनियमन नहीं है।

आधार परियोजना को बचाएँ आधार अधिनियम, नियम और

इसके तहत बनाए गए विनियमों और अधिनियम के अधिनियमन से पहले की रूपरेखा को असंवैधानिक माना जाता है।

(डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)* के अनुसार

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016:* एस. *7*-आधार अधिनियम को इस आधार पर चुनौती दी गई कि इसे धन विधेयक के रूप में पारित नहीं किया जा सकता थाः एक धन विधेयक को प्रमाणित करने के लिए, एक विधेयक में "केवल प्रावधान" होने चाहिए जो *Art.110 (1)* के उपखंड *(*ए*)* से *(*जी*)* में निर्धारित मामलों में से प्रत्येक या किसी एक से संबंधित हों-एक विधेयक, जिसमें न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

जो प्रावधान *Art.110 (1)* के उपखंड *(ए)* से *(जी)* के भीतर आते हैं और जो प्रावधान उनके दायरे से बाहर आते हैं, वे एक होने के योग्य नहीं होंगे।

धन विधेयक-इस प्रकार, जब धन विधेयक के रूप में पारित किए गए किसी विधेयक में कुछ प्रावधान होते हैं जो उपखंडों के दायरे से बाहर होते हैं।

(a) Art.110 (1) के *(g)* तक, इन प्रावधानों को अलग नहीं किया जा सकता है-आधार अधिनियम एक विशिष्ट पहचान प्राप्त करने के लिए एक वैधानिक ढांचा बनाता है।

पहचान संख्या, जो "किसी भी" उद्देश्य के लिए उपयोग करने में सक्षम है, जिसमें लाभ, सब्सिडी और सेवाओं का लाभ उठाना, जिसके लिए भारत की संचित निधि से खर्च किए जाते हैं, न्यायसंगत है।

एस के तहत प्रदान किया गया एक उद्देश्य। *7 - Art.110 (1)* के खंड *(ई)* में यह अपेक्षा की गई है कि धन विधेयक में किसी भी व्यय को भारत की संचित निधि *(*या खर्च की राशि बढ़ाना*)* - एस. *7* इस आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहता है - एस. *7* संचित निधि पर किए गए व्यय को शुल्क घोषित नहीं करता है-यह केवल यह प्रावधान करता है कि ऐसी सेवाओं, लाभों या सब्सिडी के मामले में, उनका लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य बनाया जा सकता है-इसके अलावा, एस के अलावा अन्य प्रावधान। *7* अधिनियम आधार संख्या से संबंधित कई पहलुओं से संबंधित हैः जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर नामांकन, आधार संख्या का सृजन, लोगों की सहमति प्राप्त करना।

व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने से पहले, प्रक्रिया को लागू करने और पर्यवेक्षण करने के लिए एक वैधानिक प्राधिकरण का निर्माण, प्रक्रिया के दौरान एकत्र की गई जानकारी की सुरक्षा, कुछ परिस्थितियों में जानकारी का प्रकटीकरण, अपराधों का निर्माण और प्रकटीकरण या जानकारी की हानि के लिए दंड, और "किसी भी उद्देश्य" के लिए आधार संख्या का उपयोग-आधार अधिनियम के ये सभी प्रावधान कला के उपखंड *(ए)* से *(*जी*)* के दायरे में नहीं आते हैं। *110 (1)* - इस प्रकार, आधार अधिनियम को *Art.110 (1)*-भारत के संविधान-*Art.110* के तहत धन विधेयक के रूप में प्रमाणित होने के लिए आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहने के लिए असंवैधानिक घोषित किया जाता है। *(* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)* के अनुसार

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016:* वैध राज्य का उद्देश्य, कानून की वैधता को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त-आयोजितः आधार अधिनियम की संरचना निवासियों के लिए उनकी जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर एक अद्वितीय पहचान बनाने का प्रयास करती है-यह अधिनियम पहचान की एक प्रक्रिया स्थापित करता है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को सौंपी गई अद्वितीय पहचान को जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक *[2018] 8* एस. सी. आर. के साथ सत्यापित किया जाता है।

उस व्यक्ति से संबंधित जानकारी जो डेटा के केंद्रीकृत भंडार में संग्रहीत की जाती है-सामाजिक कल्याण योजनाओं को पूरा करने के लिए लाभार्थियों की पहचान अभिन्न और आवश्यक है। और कार्यक्रम, जो यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य के प्रयासों का एक हिस्सा हैं कि इसके नागरिकों की बुनियादी मानव सुविधाओं तक पहुंच हो।

भारत संघ का यह तर्क कि पहचान की एक प्रणाली को बनाए रखने का एक वैध राज्य उद्देश्य है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य द्वारा प्रदान किए जाने वाले कल्याणकारी लाभ उन लाभार्थियों तक पहुँचें, जो बिना किसी मोड़ के हकदार हैं, स्वीकार किया जाता है-पुट्टास्वामी में निर्णय ने माना कि राजस्व आनुपातिकता की तीन आयामी परीक्षा में एक वैध राज्य उद्देश्य का गठन करता है-हालाँकि,

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016:* बायोमेट्रिक डेटा का संग्रह और इसका प्रतिधारण-आधार कार्यक्रम में बायोमेट्रिक तकनीक का उपयोग शामिल है, जो किसी व्यक्ति के बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग प्रमाणीकरण या पहचान के आधार के रूप में करता है और इसलिए यह है

व्यक्ति से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ-जबकि नागरिकों के बारे में एकत्र की गई व्यक्तिगत या निजी जानकारी में गोपनीयता के हित होते हैं, बायोमेट्रिक डेटा की अनूठी प्रकृति इसे अन्य व्यक्तिगत डेटा से अलग करती है, बायोमेट्रिक जानकारी की सुरक्षा के लिए गोपनीयता सुरक्षा के बारे में चिंताओं को बढ़ाती है एक बार बायोमेट्रिक प्रणाली से समझौता किया जाता है, इसे हमेशा के लिए समझौता किया जाता है-इसलिए, यह जरूरी है कि गोपनीयता की सुरक्षा के बारे में चिंताओं को संबोधित किया जाना चाहिए।

एक बायोमेट्रिक प्रणाली विकसित करना-संग्रह से लेकर बायोमेट्रिक डेटा के प्रतिधारण तक प्रत्येक चरण के लिए पर्याप्त मानदंड निर्धारित किए जाने चाहिए-संग्रह के समय, व्यक्तियों को संग्रह प्रक्रिया, संग्रह के इच्छित उद्देश्य, विशेष डेटा सेट का अनुरोध क्यों किया जाता है और किसके पास होगा, इसके बारे में सूचित किया जाना चाहिए। उनके डेटा तक पहुंच-इसके अतिरिक्त, प्रतिधारण अवधि उचित होनी चाहिए और व्यक्तियों को किसी भी समय अपने डेटा तक पहुँचने, सही करने और हटाने का अधिकार दिया जाना चाहिए, एक परिचित प्रक्रिया

एक ऑप्ट-आउट विकल्प। *(* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)* के अनुसार

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016:* आधार अधिनियम और विनियम उस प्रक्रिया से वंचित हैं जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* तक पहुँच सकता है।

भारत का संघ

उनके प्रमाणीकरण रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी-आधार अधिनियम में स्पष्ट रूप से कोई परिभाषित विकल्प नहीं हैं जो आधार संख्या धारकों को उपलब्ध कराए जाने चाहिए यदि वे प्रमाणीकरण के दौरान पहचान की जानकारी जमा नहीं करना चाहते हैं, और न ही

यदि आधार संख्या धारक प्रमाणीकरण के लिए सहमति प्रदान नहीं करता है तो नियमों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया को निर्दिष्ट किया गया है-सरकार को इस निर्णय के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने में सक्षम बनाने के लिए, *Art.142* के तहत यह निर्देश दिया गया है कि जो मौजूदा डेटा एकत्र किया गया है उसे एक अवधि के लिए नष्ट नहीं किया जाएगा।

वर्ष-इस अवधि के दौरान, डेटा का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा-एक वर्ष के अंत में, यदि केंद्र सरकार द्वारा इस निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप कोई नया कानून नहीं बनाया गया है, तो डेटा होगा

नष्ट कर दिया।

कला. *142* .

(डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)* के अनुसार

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी का लक्षित वितरण,

लाभ और सेवा*)* अधिनियम, *2016:* एसएस। *2 (* छ*), (*जे*), (*के*)* और *(*टी*), 29 (1)* और *(2)*-किसी व्यक्ति की निजता पर आक्रमण की संवैधानिकता

एसएस। *29 (1)* और *(2)* अधिनियम सूचना के दो वर्गों *(*मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी और पहचान जानकारी*)* के बीच अंतर पैदा करता है, जो व्यक्तिगत पहचान के लिए अभिन्न हैं और जिन्हें समान सुरक्षा की आवश्यकता होती है।

एस. *29 (4)* अति विस्तार से पीड़ित है क्योंकि यह व्यापक विवेकाधीनता प्रदान करता है

यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किसी व्यक्ति की मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी को प्रकाशित करने, प्रदर्शित करने या पोस्ट करने की शक्ति

नियम-एसएस। *2 (* जी*), (*जे*), (*के*)* और *(*टी*)* अति विस्तार से पीड़ित हैं, क्योंकि इनसे जैविक विशेषताओं का एक आक्रामक संग्रह हो सकता है।

ये प्रावधान यू. आई. डी. ए. आई. को बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय जानकारी के दायरे को परिभाषित करने के लिए विवेकाधीन शक्ति प्रदान करते हैं और इसे नामांकन के समय पहले से एकत्र की गई जानकारी की प्रकृति का विस्तार करने के लिए सशक्त बनाते हैं, इस हद तक कि वह किसी भी अन्य जैविक विशेषताओं को भी एकत्र कर सकता है जिन्हें वह उचित समझता है।

(डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)* के अनुसार

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी का लक्षित वितरण,

लाभ और सेवा*)* अधिनियम, *2016:* एस. *28 (5)*-सूचनात्मक गोपनीयता का उल्लंघन-एस. *28 (5)* आधार अधिनियम, जो किसी व्यक्ति को बायोमेट्रिक जानकारी तक पहुंच की अनुमति नहीं देता है

उसकी अद्वितीय आईडी का मूल, एक मौलिक सिद्धांत का उल्लंघन है कि किसी व्यक्ति के डेटा का स्वामित्व हर समय सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में निहित होना चाहिए।

[2018] 8 एस सी आर।

व्यक्तिगत-यू. आई. डी. ए. आई. को निवासियों के बायोमेट्रिक लॉक को हटाने के संबंध में व्यापक शक्तियां भी प्रदान की गई हैं-आधार अधिनियम के अधिनियमन से पहले भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों के विश्लेषण

के साथ-साथ आधार अधिनियम, *2016* के तहत प्रावधानों का विस्तृत विश्लेषण और बनाए गए नियमों का समर्थन करना।

इसके तहत यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आधार कार्यक्रम सूचनात्मक गोपनीयता, आत्मनिर्णय और डेटा सुरक्षा से संबंधित आवश्यक मानदंडों का उल्लंघन करता है। *(* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)* के अनुसार आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016:* एक व्यक्ति की गरिमा-बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी जो आधार कार्यक्रम का मूल है

प्रकृति में संभावित, प्रमाणीकरण विफलताओं की ओर ले जाने वाली आधार परियोजना अपने ढांचे और डिजाइन में खामियों को दूर करने में विफल रही है, जिसके कारण पात्र लाभार्थियों को बाहर करने के गंभीर उदाहरण सामने आए हैं, जैसा कि भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण *(*आई. डी. *1)* और अनुसंधान अध्ययनों सहित सरकारी रिकॉर्ड से आधिकारिक आंकड़ों द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

व्यक्तियों को एल्गोरिदम या संभावनाओं पर निर्भर नहीं किया जा सकता है-संवैधानिक गारंटी प्रौद्योगिकी के उतार-चढ़ाव के अधीन नहीं हो सकती है-नागरिकों के सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को बढ़ावा देने वाली किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना से उत्पन्न होने वाले लाभों से इनकार करना मानव गरिमा का उल्लंघन है और हमारी संवैधानिक योजना के तहत इसकी अनुमति नहीं है। *(* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)* के अनुसार आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016:* आवश्यकता का परीक्षण और

आनुपातिकता-डेटा न्यूनतमकरण सिद्धांतों का उल्लंघन-आधार परियोजना के तहत, अनुरोध करने वाली संस्थाएं पहचान रख सकती हैं।

अस्थायी अवधि के लिए व्यक्तियों की जानकारी-इसे स्वीकार किया गया था

यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा कहा गया है कि ए. यू. ए. अपनी प्रणाली को सुरक्षित करने के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त जानकारी संग्रहीत कर सकते हैं-ए. एस. ए. को एक विशिष्ट समय अवधि के लिए प्रमाणीकरण लेनदेन के लॉग को संग्रहीत करने की भी अनुमति दी गई है-यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसे ए. यू. ए. कोड, ए. एस. ए. कोड, अद्वितीय उपकरण कोड और प्रमाणीकरण के लिए उपयोग किया जाने वाला पंजीकृत उपकरण कोड मिलता है, और यू. आई. डी. ए. आई. को पता होगा कि प्रमाणीकरण किस उपकरण से हुआ और किस ए. यू. ए./ए. एस. ए. के माध्यम से हुआ-विनियमों के तहत, यू. आई. डी. ए. आई. प्रमाणीकरण लेनदेन डेटा को आगे संग्रहीत करता है-यह व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त डेटा न्यूनतम सिद्धांतों का उल्लंघन है जो डेटा संग्रहकर्ताओं और जस्टिस के. एस. पुटास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* को अनिवार्य करता है।

भारत का संघ

प्रोसेसर व्यक्तिगत डेटा रिकॉर्ड को तब हटा देते हैं जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है जिसके लिए इसे एकत्र किया गया है-इसके अलावा, लेन-देन से संबंधित मेटा-डेटा का उपयोग करके, प्रमाणीकरण के स्थान का पता आसानी से आईपी पते का उपयोग करके लगाया जा सकता है, जो व्यक्ति की गोपनीयता पर प्रभाव डालता है। *(* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)* के अनुसार

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी का लक्षित वितरण,

लाभ और सेवा*)* अधिनियम, *2016:* संभावित निगरानी का खतरा

-

जब आधार को प्रत्येक डेटाबेस में जोड़ा जाता है, तो यह विवेकपूर्ण डेटा साइलो में एक सेतु बन जाता है, जो इस जानकारी तक पहुंच रखने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के जीवन की प्रोफ़ाइल का पुनर्निर्माण करने की अनुमति देता है-यह गोपनीयता के अधिकार के विपरीत है और संभावित निगरानी के कारण गंभीर खतरे पैदा करता है-सत्यापन लॉग से, पिछले पांच वर्षों में किसी व्यक्ति द्वारा लेनदेन के स्थानों का पता लगाना संभव है-सत्यापन लॉग के बिना भी आधार डेटाबेस के माध्यम से किसी व्यक्ति के वर्तमान स्थान का पता लगाना भी संभव है।

आधार डेटाबेस के माध्यम से निगरानी गतिविधियाँ-सत्यापन लॉग में कोई भी रिसाव किसी व्यक्ति के बायोमेट्रिक डेटा के तीसरे पक्ष द्वारा अनधिकृत शोषण के लिए असुरक्षित होने का एक अतिरिक्त जोखिम पैदा करता है-सी. आई. डी. आर. में बायोमेट्रिक डेटाबेस बायोमेट्रिक खोज और डी-डुप्लिकेशन एल्गोरिदम प्रदान करने वाले तीसरे पक्ष के विक्रेताओं के लिए सुलभ है, क्योंकि न तो केंद्र सरकार और न ही यू. आई. डी. ए. आई. के पास डी-डुप्लिकेशन तकनीक के लिए स्रोत कोड है जो कार्यक्रम के केंद्र में है।

निगम यू. आई. डी. ए. आई. केवल एक लाइसेंसधारी है-अधिनियम से पहले

आधार अधिनियम के तहत, व्यक्तिगत नागरिकों की सहमति के बिना, यू. आई. डी. ए. आई. ने एल-*1* आइडेंटिटी सॉल्यूशंस *(*विदेशी संस्था जिसने बायोमेट्रिक भंडारण के लिए स्रोत कोड प्रदान किया*)* के साथ अनुबंध किया ताकि उसे भारत के किसी भी निवासी से संबंधित कोई भी व्यक्तिगत जानकारी प्रदान की जा सके।

मूल आवश्यकता के विपरीत कि एक व्यक्ति को अधिकार है

व्यक्तिगत जानकारी पर नियंत्रण बनाए रखते हुए अपनी रक्षा करें *1.2* करोड़ नागरिकों के डेटा की सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है और इसे सामान्य अनुबंध के केवल नियमों और शर्तों के अधीन नहीं किया जा सकता है। *(* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)* के अनुसार

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी का लक्षित वितरण,

लाभ और सेवा*)* अधिनियम, *2016:* आधार अधिनियम के अधिनियमन से पहले, यू. आई. डी. आई. और पंजीयकों के बीच समझौता ज्ञापन *(2018) 8* एस. सी. आर. के *Art.299* के दायरे में अनुबंध नहीं थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान, और इसलिए, पंजीकरण के लिए पंजीयकों द्वारा नियुक्त निजी संस्थाओं द्वारा किए गए कार्यों को शामिल नहीं करता है-चूंकि यू. आई. डी. ए. आई. और नामांकन एजेंसियों के बीच अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं है, इसलिए आधार अधिनियम के अधिनियमन से पहले नामांकन की प्रक्रिया में लगे निजी पक्षों की गतिविधियों में कोई वैधानिक या कानूनी नहीं है।

में से

भारत

समर्थन

संविधान

Art.299।

(डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)* के अनुसार

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी का लक्षित वितरण,

लाभ और सेवा*)* अधिनियम, *2016:* आधार अधिनियम यू. आई. डी. ए. आई. के दायित्व पर चुप है-आधार संरचना के तहत, यू. आई. डी. ए. आई. एकमात्र है

प्राधिकरण जो सभी प्रशासनिक, न्यायनिर्णायक कार्य करता है,

परियोजना के जांच और निगरानी कार्य-जबकि अधिनियम यू. आई. डी. ए. आई. को ये कार्य प्रदान करता है, यह नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी के डेटाबेस की सुरक्षा के लिए यू. आई. डी. ए. आई. पर कोई संस्थागत जवाबदेही नहीं रखता है।

सी. आई. डी. आर. सही और प्रामाणिक है-कार्य नामांकन एजेंसी या पंजीयक को सौंपा गया है-सी. आई. डी. आर. में दर्ज किए जा रहे आंकड़ों का सत्यापन एक अत्यधिक संवेदनशील कार्य है जिसके लिए यू. आई. डी. ए. आई. को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी-आधार अधिनियम अधिनियम या विनियमों के प्रावधानों का पालन न करने के मामले में यू. आई. डी. ए. आई. और उसके कर्मियों के दायित्व पर भी चुप है। *(* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)* के अनुसार

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी का लक्षित वितरण,

एस. *47 (1)* , एक अदालत केवल यू. आई. डी. ए. आई. या उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान ले सकती है - धारा *47* मनमाना है क्योंकि यह व्यक्तियों को उनके उल्लंघन के लिए प्रभावी उपचार की तलाश करने के लिए एक तंत्र प्रदान करने में विफल रहता है। निजता का अधिकार-इसके अलावा, अधिनियम की धारा *23 (2) (*ओं*)* के तहत यू. आई. डी. ए. आई. को एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है-एक प्राधिकरण बनाना जो एक परियोजना का प्रशासन कर रहा है, जो एक परियोजना प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार है।

परियोजना से उत्पन्न होने वाली शिकायतों के लिए शिकायत निवारण तंत्र शिकायत निवारण निकाय की स्वतंत्रता से गंभीर रूप से समझौता करता है। *(* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)* के अनुसार

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016:* धारा *59-2009* की अधिसूचना के तहत की गई कार्रवाइयों का वैधीकरणः आधार अधिनियम की धारा *59* केंद्र सरकार के कार्यों को पूर्वव्यापी रूप से मान्य करने का प्रयास करती है।

28 जनवरी *2009* और *12* सितंबर *2015* की अधिसूचनाओं के अनुसार आधार अधिनियम से पहले किया गया था - धारा *59* राज्य सरकारों या निजी संस्थाओं की कार्रवाइयों को मान्य नहीं करती है-इसके अलावा, *2009* की अधिसूचना ने बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह को अधिकृत नहीं किया-परिणामस्वरूप, धारा *59* द्वारा *2009* की अधिसूचना के तहत की गई कार्रवाइयों का सत्यापन। *59* अधिनियम के प्रवर्तन से पहले बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह को सहेजा नहीं जाता है-जबकि संसद के पास एक मान्य कानून बनाने की क्षमता है, उसे दुर्बलता या अयोग्यता के कारण को ठीक करना चाहिए - एस. *59* अयोग्यता के कारण को ठीक करने में विफल रहता है

आधार अधिनियम के अधिनियमन से पहले-*2009* और *2016* के बीच आधार परियोजना के लिए एक विधायी ढांचे की अनुपस्थिति ने लाखों भारतीय नागरिकों के बायोमेट्रिक डेटा को उस तरह की सुरक्षा से वंचित कर दिया जो गोपनीयता के अधिकार को व्यापक रूप से संरक्षित करने और लागू करने के लिए प्रदान की जानी चाहिए - एस. *59*, इसलिए, एक नियामक की पूर्ण अनुपस्थिति के कारण एक मान्य कानून के परीक्षण को पूरा करने में विफल रहता है।

संरचना और सुरक्षा उपायों को केवल *2009* और *2016* की अधिसूचनाओं के तहत किए गए कार्यों को मान्य करके ठीक नहीं किया जा सकता है।

(डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)* के अनुसार आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016:* एक स्वतंत्र की अनुपस्थिति

डेटा सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय प्रदान करने के लिए नियामक और निगरानी ढांचा-आयोजितः एक स्वतंत्र नियामक की अनुपस्थिति

ढांचा अधिनियम को डेटा उल्लंघनों से निपटने में काफी हद तक अप्रभावी बनाता है-आधार का ढांचा होना चाहिए था, लेकिन डेटा सुरक्षा के व्यापक सिद्धांतों के साथ एक स्वतंत्र निगरानी प्राधिकरण *(*नियामकों के पदानुक्रम के साथ*)* की स्थापना को कानून के भीतर शामिल करने में विफल रहा है-शिकायत निवारण निकाय की स्वतंत्रता में यह समझौता नागरिकों को दिए जा रहे न्याय की संभावना और गुणवत्ता पर प्रभाव डालता है-एक स्वतंत्र नियामक और निगरानी ढांचे के अभाव में जो डेटा सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है, आधार अधिनियम *Art.14* के तहत तर्कसंगतता के आधार पर एक चुनौती के खिलाफ एकजुट नहीं हो सकता है। *(* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)* के अनुसार

लाभ और सेवा*)* अधिनियम, *2016:* धारा *57*-निजी संस्थाओं को आधार संख्या का उपयोग करने की अनुमति-आयोजित की गई संवैधानिकताः इससे सहमति के बिना व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा का व्यावसायिक दोहन होगा और व्यक्तिगत प्रोफाइलिंग भी हो सकती है।

-

प्रोफाइलिंग का उपयोग भविष्य के विकल्पों और व्यक्तियों की प्राथमिकताओं के उद्भव की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है-ये प्राथमिकताएं भी हो सकती हैं

चुनावी कार्यालयों के लिए उम्मीदवार चुनने में मतदाताओं के निर्णय लेने को प्रभावित करने के लिए उपयोग किया जाता है यह गोपनीयता के विपरीत है

सुरक्षा मानदंड-डेटा का उपयोग उन उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है जिन्हें अनुमोदित किया गया है।

आधार के परिमाण की पहचान प्रणाली, *12* करोड़ नागरिकों के डेटा से संबंधित सुरक्षा चिंताओं को संबोधित किया जाना चाहिए-इन मुद्दों को आधार अधिनियम द्वारा नहीं निपटाया गया है-नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहने से, धारा *57* कला का उल्लंघन करती है। *14* और *21* एस। *57* अनुमति के लिए आवेदन करने की संभावना है

व्यक्तियों के डेटा का व्यावसायिक दोहन या उनके व्यवहार पैटर्न को प्रभावित करना - धारा *57* संवैधानिक समूह को पारित नहीं कर सकती-क्योंकि यह स्पष्ट रूप से मनमाना है, यह अति विस्तार से ग्रस्त है और कला का उल्लंघन करता है। *14* भारतीय संविधान कला। *14* , *21* .

(डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)* के अनुसार

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी का लक्षित वितरण,

लाभ और सेवा*)* अधिनियम, *2016:* धारा *7*-आयोजित की संवैधानिकताः एस. *7* की व्यापक परिभाषाओं के बाद से अति विस्तार से ग्रस्त है अभिव्यक्ति सेवाएँ और लाभ सरकार को सक्षम बनाते हैं

आधार प्लेटफॉर्म के तहत नागरिकों के साथ अपने जुड़ाव के लगभग हर पहलू को विनियमित करना-यदि सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले हर लाभ या सेवा के लिए आधार की आवश्यकता को अनिवार्य बना दिया जाता है, तो समकालीन भारत में आधार के बिना रहना असंभव है। *7* फंक्शन क्रीप के प्रकार के लिए एक पूर्व कर्सर है जो इसके साथ असंगत है

सूचनात्मक आत्मनिर्णय का अधिकार - एस. *7*, इसलिए, सेवाओं के समावेश के संबंध में मनमाना और *Art.14* का उल्लंघन है और

भारतीय संविधान कला के रूप में परिभाषित लाभ। *14* .

(डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)* के अनुसार

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी का लक्षित वितरण,

लाभ और सेवा*)* अधिनियम, *2016:* एस. *7*-राज्य के वैध उद्देश्य को जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v* के विपरीत कम हस्तक्षेपकारी उपायों को अपनाकर पूरा किया जा सकता है।

भारत का संघ

पहचान के एकमात्र भंडार के रूप में आधार योजना के अनिवार्य प्रवर्तन के लिए राज्य प्रदर्शन करने में विफल रहा है

कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के अलावा कम घुसपैठ करने वाला उपाय इसके उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगा। *(* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)* के अनुसार

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016:* ई-केवाईसी की आवश्यकता

मोबाइल ग्राहकों का प्रमाणीकरण-की संवैधानिकता-आयोजितः सिम कार्ड के साथ बायोमेट्रिक जानकारी का संयोजन गंभीर स्थिति पैदा करता है

व्यक्तिगत गोपनीयता, स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए खतरे-पुट्टास्वामी में प्रस्तावित आनुपातिकता के परीक्षण को ध्यान में रखते हुए, आधार संख्या को मोबाइल सिम से जोड़ने का निर्णय

कार्ड न तो वैध है और न ही संवैधानिक-केवल एक का अस्तित्व

वैध राज्य उद्देश्य तत्काल मामले में अपनाए गए असमान साधनों को उचित नहीं ठहराएगा-दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा एकत्र की गई बायोमेट्रिक जानकारी और आधार विवरण को तुरंत हटा दिया जाएगा और टी. एस. पी. एस. या किसी भी एजेंसी या व्यक्ति या उनकी ओर से उक्त जानकारी या विवरण का कोई उपयोग नहीं किया जाएगा।

(डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)* के अनुसार

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016:* अंतरिम आदेश-की अवज्ञा

न्यायिक आदेश *(*अंतरिम और अंतिम दोनों*)* चाहे वे सरकार द्वारा हों या नागरिकों द्वारा, कानून के शासन के आधार को नकारते हैं-औचित्य और संवैधानिक कर्तव्य दोनों के लिए केंद्र सरकार को इस न्यायालय के अंतरिम आदेशों में बदलाव के लिए आधार अधिनियम के अधिनियमन के बाद इस न्यायालय में जाने की आवश्यकता थी-शासन के संस्थान इस भावना से बाध्य हैं कि

संवैधानिक नैतिकता जिसके लिए उन्हें न्यायिक नियमों का पालन करना पड़ता है आदेश-अंतर्वर्ती आदेश। *(* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)* के अनुसार

भारत का संविधानः *Art.110-Art.110* के तहत अध्यक्ष का निर्णय-क्या न्यायिक समीक्षा से मुक्त है-आयोजितः द.

अध्यक्ष के निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं, यदि वे अवैधता या संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन से पीड़ित हैं-अध्यक्ष की शक्ति का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। संवैधानिक मानदंड और मूल्य, क्योंकि यह संघीय द्विसदनीयता के सार को नुकसान पहुंचाते हैं, जो संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है-अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा, इस बात पर कि क्या कोई विधेयक संविधान की मूल संरचना की रक्षा के लिए धन विधेयक है-एक संवैधानिक न्यास लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय में निहित किया गया है-किसी विधेयक को धन की सर्वोच्च अदालत रिपोर्ट घोषित करके।

विधेयक, अध्यक्ष राज्य सभा की भूमिका को सीमित करता है

यह शक्ति

बेलगाम या न्यायिक जांच से वंचित नहीं किया जा सकता-यदि

अध्यक्ष का प्रयोग संवैधानिक मानदंडों के विपरीत किया जाता है, यह न केवल राज्य सभा की भूमिका को सीमित करेगा, बल्कि संविधान द्वारा बनाए गए विधायी निकाय की प्रभावशीलता को भी नकार देगा-ऐसा परिणाम भारतीय संविधान की योजना के साथ असंगत होगा न्यायिक समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि संविधान की संघीय विशेषताओं-प्रशासनिक कानून-न्यायिक समीक्षा का उल्लंघन न हो। *(* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)* के अनुसार

भारत का संविधानः *Art.110-Art.110 (3)* का इतिहास,

'अंतिम होगा' वाक्यांश का उपयोग करते हुए तुलनात्मक संवैधानिक प्रथाओं और अन्य संवैधानिक प्रावधानों की जांच की गई। *(* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)* के अनुसार

भारत का संविधानः राज्यसभा की भूमिका-राज्यसभा

यह भारत के घटक राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है-यह वैध रूप से एक संघीय राजनीति में घटक राज्यों के हितों के संरक्षक के रूप में खुद को रखता है-यह राज्य के प्रति चिंतित और संवेदनशील रहने का प्रयास करता है।

राज्यों की आकांक्षाएं, जिससे देश के "संघीय ताने-बाने" को मजबूती मिलती है और "राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है"-राज्यसभा एक स्थायी निकाय है क्योंकि यह विघटन के अधीन नहीं है।

अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन, सरकार बनाने या हटाने में इसकी कोई भूमिका नहीं है और इसलिए, यह तुलनात्मक रूप से "स्वतंत्र" है।

प्रतिस्पर्धी दल की राजनीति की मजबूरियां "-एक संशोधन कक्ष के रूप में, संविधान निर्माताओं ने कल्पना की कि यह संविधान के मूल्यों की रक्षा करेगा, भले ही यह जनता की इच्छा के खिलाफ हो-राज्यसभा बहुसंख्यकवाद के खिलाफ एक प्रतीक है।

शासन लोकतंत्र का सार है-यह प्रतिक्रियाशीलता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है

राज्य द्वारा संशोधित विधेयकों का विश्लेषण

सभा से पता चलता है कि कई मामलों में, लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों में राज्यसभा द्वारा अनुशंसित परिवर्तन अंततः किए गए थे। *(* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)* के अनुसार

संविधानवादः संवैधानिक पहचान-आधार योजना

आयोजित किया गयाः पहचान अनिवार्य रूप से एक बहुवचन अवधारणा है-संविधान

यह उन अधिकारों के माध्यम से कई पहचानों को भी मान्यता देता है जिनकी यह रक्षा करता है-आधार योजना में तैनात तकनीक विभिन्न संवैधानिक पहचानों को *12* अंकों की संख्या की एकल पहचान में बदल देती है और किसी व्यक्ति के न्याय के अधिकार का उल्लंघन करती है।

भारत का संघ

एक चुने हुए माध्यम से खुद को पहचानें-आधार पहचान के बारे में है और एक ऐसा साधन है जो पहचान के प्रमाण की सुविधा प्रदान करता है-इसे संवैधानिक पहचान को मिटाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। *(* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)* के अनुसार

आय कर अधिनियम, *1961: s.139AA*-की संवैधानिकता-आयोजितः पैन कार्ड के साथ आधार को जोड़ना इस बात पर निर्भर करता है कि

आधार कानून की संवैधानिक वैधता - *s.139AA* इस आधार पर आधारित है कि आधार अधिनियम अपने आप में एक वैध कानून है क्योंकि आधार अधिनियम को अब असंवैधानिक माना जाता है क्योंकि इसे धन विधेयक के रूप में अधिनियमित किया गया है और आनुपातिकता की कसौटी पर, कला के तहत आधार को पैन के साथ जोड़ा गया है। *139* एए

यह स्वतंत्र रूप से खड़ा नहीं है-आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016*। *(* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)* के अनुसार

क़ानूनों की व्याख्याः कल्पना मानते हुए जबकि ए

विधायिका के पास पूर्वव्यापी रूप से कानून बनाने की शक्ति है, यह पूर्वव्यापी रूप से अस्तित्व के बारे में एक काल्पनिक कल्पना नहीं बना सकती है मौलिक अधिकार पर अतिक्रमण को उचित ठहराने के लिए अतीत में सुरक्षा उपाय। *(* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)* के अनुसार

धन शोधन निवारण *(*अभिलेखों का रखरखाव*)* नियम, *2005:* आर. *9*-की संवैधानिकता-चाहे आर. *9* और

इसके तहत जारी अधिसूचना जो आधार को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य करती है, असंवैधानिक है-आयोजितः वर्तमान प्रपत्र में प्रावधान आनुपातिकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है और इसलिए, किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है जो बैंकिंग विवरण तक फैला हुआ है-इस लिंकिंग को न केवल बैंक खोलने के लिए अनिवार्य बनाया गया है।

नया बैंक खाता लेकिन मौजूदा बैंक खातों के लिए भी

यह शर्त कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो खाता निष्क्रिय हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप खाता धारक आधार के साथ बैंक खाते को जोड़ने तक बैंक खाते को संचालित करने का हकदार नहीं होगा-यह किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करने के बराबर है-आनुपातिकता की जांच के लिए आवश्यक है कि -

मौलिक अधिकारों की सीमा को आनुपातिक होने के लिए निम्नलिखित को संतुष्ट करना चाहिएः *(i)* इसे एक उचित उद्देश्य के लिए नामित किया गया है*; (ii)* सीमा को प्रभावी बनाने के लिए किए गए उपाय तर्कसंगत रूप से जुड़े हुए हैं।

उद्देश्य की पूर्ति के लिए*; (iii)* इससे कम कोई विकल्प नहीं है।

आक्रामक उपाय*;* और *(iv)* उद्देश्य को प्राप्त करने के महत्व और सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट को सीमित करने के महत्व के बीच एक उचित संबंध है।

आधार को बैंक से अनिवार्य रूप से जोड़ने का यह कदम सही है

खाता आनुपातिकता की कसौटी को संतुष्ट नहीं करता है-नियमों को असमान माना जाता है। *(* बहुमत की राय*)*

धन शोधन निवारण *(*अभिलेखों का रखरखाव*)* नियम, *2005:* आर. *9*-चाहे आर. *9* रोकथाम द्वारा संशोधित धन शोधन *(*दूसरा संशोधन*)* नियम, *2017* असंवैधानिक है-आयोजितः आर. *9* पी. एम. एल. ए. द्वारा संशोधित *(*दूसरा

संशोधन*)* नियम, *2017* असंवैधानिक नहीं है और कला का उल्लंघन नहीं करता है। *14* , *19 (1) (* छ*)* संविधान की धारा *21* और *300* ए। *3* , *7 & 51* आधार अधिनियम-आगे आर। *9* के रूप में संशोधित करने के लिए अल्ट्रा वायर्स नहीं है

पी. एम. एल. ए. अधिनियम, *2002*-संशोधित नियम सभी संबंधित लोगों को काल्पनिक, नकली और बेनामी खातों का पता लगाने में मदद करते हैं-पी. एम. एल. ए. का उद्देश्य और लाभकारी मालिक अधिनियम की परिभाषा नकली कंपनियों और नकली निदेशकों के कॉर्पोरेट आवरण के पीछे से गुजरना चाहती है ताकि खातों को नियंत्रित करने वाले वास्तविक प्राकृतिक व्यक्तियों का पता लगाया जा सके।

रिपोर्टिंग संस्थाओं में-वैधानिक नियमों ने सभी खाताधारकों पर आधार द्वारा अपनी पहचान सत्यापित कराने का दायित्व डाला है।

तंत्र और जो पहले से ही खाते में हैं सूचना देने वाली संस्था को आधार संख्या जमा करने की आवश्यकता होती है या

उनकी लागू आधार पहचान का प्रमाण-जब कोई कानून खाताधारक पर एक विशेष तरीके से पहचान सत्यापन प्राप्त करने का दायित्व डालता है तो किसी व्यक्ति ने आधार संख्या प्राप्त नहीं करने का विकल्प चुना।

अपने खाते के संचालन में उसकी अयोग्यता की शिकायत नहीं कर सकता-नियम डालने का उद्देश्य नकली और डुप्लिकेट पैन और झूठे बैंक खातों को निकालना संभव बनाना है।

संशोधन नियम नकली निदेशकों, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंक वित्तपोषण आदि के नाम पर मुखौटा कंपनियों द्वारा रखे गए नकली बैंक खातों के खतरे को दूर करने की दिशा में एक कदम है-आधार संख्या खाता खोलने के समय दी जानी चाहिए, न कि बैंक के खाताधारक द्वारा किए गए प्रत्येक लेनदेन के लिए जिनके पास पहले से ही खाते हैं

सत्यापन के लिए केवल एक बार अपनी आधार संख्या जमा करने की आवश्यकता होती है-केवल एक बार के लिए आधार संख्या दिए जाने की आवश्यकता खाताधारक पर कोई बोझिल या अनुचित बोझ नहीं है और यह एक आनुपातिक उपाय है-आधार संख्या और पैन जमा नहीं करने के लिए केवल परिणाम जो उप-नियम *(*सी*)* द्वारा विचार किया जाता है वह यह है कि खाता चालू नहीं रहेगा-खाता धारक का ही रहेगा और राशि न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

खाते में केवल उसकी राशि है और खाताधारक की संपत्ति से कोई वंचित नहीं है-इसके अलावा, खाता केवल आधार संख्या और पैन जमा होने तक ही चालू रहता है-प्रदान किए गए परिणाम केवल अधिनियम के उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए हैं।

और नियम अर्थात खाते को आधार तंत्र द्वारा सत्यापित किया जाए।

इस प्रकार, आर. *9 (17) (*सी*) Art.300A* के तहत अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है-खाते के सत्यापन के लिए आधार संख्या भी प्रदान नहीं की जा सकती है *Art.21* के तहत अधिकार का उल्लंघन करने वाला माना जाता है-विभिन्न कानूनों के तहत रिपोर्टिंग इकाई यानी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को आयकर प्राधिकरण सहित विभिन्न प्राधिकरणों को बैंक खाते की जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है, आधार द्वारा खाता सत्यापन किसी व्यक्ति द्वारा किए गए लेनदेन पर नज़र रखने के उद्देश्य से नहीं है-आधार संख्या को खाता खोलने या खाते के सत्यापन के लिए केवल एक बार दिया जाना चाहिए और

लेन-देन हर बार आधार सत्यापन के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए जब नियमों को किसी भी तरह से एस. एस. का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। *3* , *7* और *51* नियमों में सत्यापन के लिए आधार के उपयोग का प्रावधान है।

धन शोधन निवारण *(*अभिलेखों का रखरखाव*)* नियम, *2005:* आर. *9 (*पीएमएलए *(*दूसरा संशोधन*)* नियम, *2017* द्वारा संशोधित*)*-की संवैधानिकता-आयोजितः *2017* के लिए संशोधन पी. एम. एल. ए. नियम आनुपातिकता की कसौटी को पूरा करने में विफल रहे-आधार संख्या को सभी के साथ जोड़ने की एक समान आवश्यकता लागू करना।

खाता आधारित संबंध इस धारणा पर आगे बढ़ते हैं कि सभी मौजूदा खाताधारकों के साथ-साथ भविष्य में खाता खोलने की इच्छा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक संभावित धन है-धनशोधन करने वाला ग्राहक, व्यावसायिक संबंध की प्रकृति, लेनदेन की प्रकृति और मूल्य या आतंकवाद और धन शोधन की वास्तविक संभावना के आधार पर लगाए जाने की मात्रा में कोई अंतर नहीं किया गया है-नियम खाता खोलने और खाता चलाने के बीच अंतर करने में भी विफल रहते हैं-इसके अलावा, आधार संख्या जमा करने में विफलता के परिणाम हैंः

कठोर अपने वर्तमान रूप में, नियम स्पष्ट रूप से हैं असमान और अत्यधिक। *(* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)* के अनुसार

मामलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः

प्रति ए. के. सीकरी, जे. *(*सीजेआई के लिए, स्वयं और ए. एम. खानविलकर, जे.*) (*बहुमत की राय*)*

1.1 आधार की पूरी संरचना देने के लिए तैयार की गई है

इस देश के नागरिकों के लिए अद्वितीय पहचान। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक व्यक्ति के पास विभिन्न दस्तावेज हो सकते हैं जिनके आधार पर वह व्यक्ति अपनी पहचान स्थापित कर सकता है। यह पासपोर्ट, स्थायी खाता संख्या *(*पैन*)* कार्ड, राशन कार्ड आदि के रूप में हो सकता है। नामांकन के उद्देश्य से ही कई दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं जिन्हें एक व्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है जिसके आधार पर आधार कार्ड जारी किया जा सकता है। इस प्रकार, ऐसे दस्तावेज, एक तरह से, हैं -

पहचान का प्रमाण भी। हालांकि, पहचान के साधन के रूप में आधार कार्ड और अन्य के बीच एक बुनियादी अंतर है।

दस्तावेज़ जिनके माध्यम से पहचान स्थापित की जा सकती है। आधार कार्ड के लिए नामांकन के लिए जनसांख्यिकीय जानकारी के साथ-साथ बायोमेट्रिक जानकारी भी देनी होती है जो आईरिस और उंगलियों के निशान के रूप में होती है। यह प्रक्रिया दोहराव की किसी भी संभावना को समाप्त करती है। एक व्यक्ति से अधिक के साथ प्रणाली में हेरफेर कर सकता है पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि की एक या सम संख्या। जब आधार कार्ड प्राप्त करने की बात आती है, तो डुप्लिकेट कार्ड प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है। एक बार जब बायोमेट्रिक जानकारी संग्रहीत हो जाती है और उस आधार पर आधार कार्ड जारी किया जाता है, तो यह प्राधिकरण के पास प्रणाली में रहता है। जहाँ भी एक सेकंड होगा

आधार के लिए नामांकन करने का प्रयास और इस उद्देश्य के लिए वही व्यक्ति अपनी बायोमेट्रिक जानकारी देता है, यह तुरंत उसी बायोमेट्रिक जानकारी के साथ मिलान हो जाएगा जो पहले से ही प्रणाली में है और दूसरा अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाएगा। यही कारण है कि आधार कार्ड को विशिष्ट पहचान *(*यू. आई. डी.*)* के रूप में जाना जाता है। ऐसी पहचान अद्वितीय है। किसी भी निवासी को इस तरह के अनूठे पहचान प्रमाण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के अलावा, यह समाज के हाशिए पर पड़े वर्ग, विशेष रूप से उन लोगों को सशक्त बनाने के लिए भी है जो अनपढ़ हैं और जो घोर गरीबी में या बिना किसी आश्रय आदि के रह रहे हैं। यह ऐसे व्यक्तियों को भी पहचान देता है। इसके अलावा, आधार कार्ड की सहायता से, वे विभिन्न विशेषाधिकारों और लाभों आदि का दावा कर सकते हैं जो वास्तव में इन लोगों के लिए हैं। *[* पारस *55,56] [188-*सी

जी*; 189-*ए-बी*]* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

बशेशर नाथ बनाम। आयकर आयुक्त, दिल्ली और राजस्थान और अन्र। *[1959]* पूरक *1* एस. सी. आर. *528;* रोमेश थापर बनाम। मद्रास राज्य *[1950]* एससीआर *594;* राज्य

कर्नाटक और अन्र। वी. श्री रंगनाथ रेड्डी और अन्र।

(1977) 4 एससीसी *471: [1978] 1* एस. सी. आर. *641;* दत्तात्रेय गोविंद महाजन बनाम। महाराष्ट्र राज्य *(1977) 2* एससीसी

548 [1977] 2 एस. सी. आर. *790;* राष्ट्रीय मानवाधिकार

आयोग *v.* अरुणाचल प्रदेश राज्य *(1996) 1* एस. सी. सी. *742 [1996] 1* एस. सी. आर. *278*-पर निर्भर था।

एक्स पार्टी जैक्सन *96* यूएस *727 (1878);* लवेल बनाम। ग्रिफिन शहर *303* यू. एस. *444 (1938);* बिडी बनाम। सामान्य दुर्घटना,

अग्नि और जीवन आश्वासन निगम *(1948) 2* सभी ई. आर.

995 , 998 ; होम्स इन टाउन वी. ईसनर टाउन बनाम। ईसनर *245* यू. एस. *418;* जेम्स बनाम। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल
(1936) ए. सी. *578*-संदर्भित।

तिरुवेंगडम, में विदेशी कानून का उपयोग

भारत और सिंगापुर में संवैधानिक मामले *(2010) -*

संदर्भित किया गया।

1.2 जब न्यायपालिका को कानून के शासन को बनाए रखने की भूमिका सौंपी जाती है, तो न्यायपालिका का पहला कार्य लोकतंत्र के साथ-साथ संविधान की रक्षा करना होता है। साथ ही, न्यायालय की दूसरी भूमिका, जो समान रूप से महत्वपूर्ण है, कानून और समाज के बीच की खाई को पाटना है। इस भूमिका को निभाने की प्रक्रिया में, एक तीसरी भूमिका भी सामने आती है, जिसका समान महत्व है। न्यायपालिका को यह भी सुनिश्चित करना है कि राज्य की सकारात्मक कार्रवाई से योग्य लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिले। *[* पैरा *72] [205*-सी-डी*]*

बिनॉय विश्वम बनाम। भारत संघ और अन्य। *(2017) 7* एससीसी *59:*

[2017] 7 एस. सी. आर. *1*-निर्भर।

एम. पी. बनाम राज्य राकेश कोहली *(2012) 6* एससीसी *312: [2012] 6* एससीआर *661;* अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत संघ *(2008) 6* एससीसी *1: [2008] 4* एससीआर *1;* ए. पी. और अन्य। वी. एम. सी. डी. ओ. डब्ल्यू. ई. एल. एंड कं. और अन्य। *(1996) 3* एससीसी *709: [1996] 3* एससीआर *721;* राजबाला और अन्य। वी. हरियाणा राज्य और अन्य। *(2016) 2* एससीसी *445: [2015]*

12 एस. सी. आर. *1106*-संदर्भित।

2. न्यायिक समीक्षा का क्षेत्रः न्यायिक समीक्षा का अर्थ है कानून की सर्वोच्चता। यह न्यायालय की विधायिका, कार्यपालिका और स्वयं न्यायपालिका के कार्यों की समीक्षा करने और

किसी भी कानून या कार्रवाई की वैधता की जांच करना। यह एक संवैधानिक लोकतंत्र में पोषित स्वतंत्रताओं की रक्षा और संरक्षण के सबसे प्रभावी साधनों में से एक के रूप में उभरा है और

शक्तियों के पृथक्करण और कानून के शासन जैसे सिद्धांतों को बनाए रखना। न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा के माध्यम से, अन्य शाखाओं के निर्णयों को संवैधानिक मूल्यों पर प्रभाव डालने से रोकती है। संविधान की मौलिक प्रकृति यह है कि यह एक सीमित दस्तावेज है, जो राज्य का अपहरण करने से बहुसंख्यकवाद की शक्तियों को कम करता है। समीक्षा की शक्ति वह कवच है जो संवैधानिक लोकतंत्रों की अधिकांश न्यायपालिकाओं के हाथों में दी जाती है।

सर्वोच्च दस्तावेज़ की सुरक्षा को सक्षम करना। *[* पैरा *74] [205* सी-डी*]*

शायरा बानो बनाम भारत संघ *(2017) 9* एससीसी *1: [2017] 7* एससीआर *797;* डॉ. के. आर. लक्ष्मणन बनाम राज्य टी. एन. और

एन. आर. *(1996) 2* एससीसी *226: [1996] 1* एस. सी. आर. *395;* मेनका गांधी बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. *(1978) 1* एससीसी *248:*

[1978] 2 एस. सी. आर. *621*-पर निर्भर।

3. निजता के अधिकार की रूपरेखाः

3.1 यह के. एस. पुट्टास्वामी में इस न्यायालय के नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के निर्णायक निर्धारण के साथ स्थापित है।

निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इस फैसले की एक विशेषता यह है कि एक न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित कानून के बिना निजता के अधिकार को बाधित नहीं किया जा सकता है। इसे आनुपातिकता की कसौटी को पूरा करना होता है। *(i)* कानून का अस्तित्व*; (ii)* राज्य के वैध उद्देश्य को पूरा करना चाहिए*;* और *(iii)* आनुपातिकता। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि निजता हमेशा एक प्राकृतिक अधिकार रहा है जो अपने व्यक्तित्व पर नियंत्रण रखने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता।

निकाय*; (ii)* सूचनात्मक गोपनीयता*;* और *(iii)* पसंद की गोपनीयता। इसके अलावा, गोपनीयता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक उपसमुच्चय माना जाता है। एक अन्य इस निर्णय का महत्वपूर्ण न्यायिक विकास यह है कि मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार अनुच्छेद *21* तक सीमित नहीं है। इसके विपरीत, गोपनीयता न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भाग *III* की संपूर्णता के माध्यम से प्रतिध्वनित होती है।

भारत का संघ

विशेष रूप से अनुच्छेद *14,19* और *21*। *[* पारस *81,82,84] [216*-एफ*; 254* एफ-जी*; 255*-एफ*]* *3.2* निर्णय स्पष्ट करता है पहले अपनाए गए 'वर्गीकरण' परीक्षण का विस्तार किया जाना चाहिए और इसके बजाय कानून/कार्रवाई का परीक्षण 'स्पष्ट मनमानेपन' के आधार पर किया जाना चाहिए। जब संविधान के अनुच्छेद *19* के प्रावधानों के अनुसार 'प्रतिबंधों' की जांच करने की बात आती है, तो निर्णय स्पष्ट करने के लिए आगे बढ़ता है

कि एक ऐसा कानून जो अनुच्छेद *21* के तहत गरिमा और स्वतंत्रता को प्रभावित करता है, साथ ही साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भयावह प्रभाव डालता है जो संरक्षित है।

के हितः *(i)* भारत की संप्रभुता और अखंडता, *(ii)* राज्य की सुरक्षा, *(iii)* विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, *(iv)* सार्वजनिक व्यवस्था, *(v)* शालीनता या नैतिकता या *(vi)* अदालत की अवमानना के संबंध में, *(vii)* मानहानि या *(viii)* किसी व्यक्ति को उकसाना। अपराध। फैसले में आगे कहा गया कि अनुच्छेद *21* के संदर्भ में, किसी विशेष परीक्षा की जांच करते समय परीक्षण लागू किया जाना चाहिए।

प्रावधान 'न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित परीक्षण' है जिससे आनुपातिकता की धारणा आती है। गोपनीयता की उचित अपेक्षा अंतरंग क्षेत्र से लेकर निजी क्षेत्र और अंतरंग क्षेत्र से भिन्न हो सकती है।

सार्वजनिक क्षेत्र के लिए निजी क्षेत्र। *[* पारस *87,88* और *90] [257-*एच*; 258-*ए, ई*]*

के. एस. पुट्टास्वामी और अन्र. वी. भारत संघ और अन्य। *[2017]*

10 एससीआर *569: (2017) 10* एस. सी. सी. *1-*फॉलो किया गया।

3.3 मानवीय गरिमा के सिद्धांतः गोपनीयता है

मानव गरिमा का संवैधानिक मूल। आधार योजना के संदर्भ में मानव गरिमा की अवधारणा को कैसे लागू किया जाना है, यह महत्वपूर्ण है। चयन के अधिकार और आत्मनिर्णय के अधिकार को मानव गरिमा के पहलुओं के रूप में स्वीकार किया गया था। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता का मूल सिद्धांत प्राकृतिक कानून की एक विशेषता है जो संवैधानिक *[2018] 8* एस. सी. आर. में सभी व्यक्तियों का अधिकार बन जाता है।

लोकतंत्र। गरिमा की केंद्रीय मानक भूमिका के साथ-साथ संवैधानिक मूल्य भी है। जब सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को मानव गरिमा में पढ़ा जाता है, तो मानव गरिमा के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण के साथ-साथ सामुदायिक दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण होता है। अब यह अच्छी तरह से माना गया है कि मानव गरिमा के मूल में तीन तत्व हैं, अर्थात् आंतरिक मूल्य, स्वायत्तता और सामुदायिक मूल्य। इन्हें मानव गरिमा के मूल मूल्यों के रूप में जाना जाता है। ये तीन

तत्व कानूनी तर्क को संरचित करने और 'कठिन मामलों' में न्यायिक विकल्पों को उचित ठहराने में सहायता कर सकते हैं। मानव गरिमा स्वतंत्र मौलिक अधिकारों के बजाय एक संवैधानिक सिद्धांत है। *[* पैरा *94,97,105* और *116] [262-*ई*; 264-*डी-ई*; 275-*सी*; 279-*ए-बी*]*

सामान्य कारण वी। भारत संघ *(2018) 5* एससीसी *1;*

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम। भारत संघ

(2014) 5 एस. सी. सी. *438;* शबनम बनाम। भारत संघ और अन्य। *(2015) 6* एस. सी. सी. *702 [2015] 8* एस. सी. आर. *289;* जीजा घोष और एक अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य। *(2016) 7* एससीसी *761: [2016] 4* एससीआर *638;* अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम। भारत संघ और अन्य। *(2011) 4* एससीसी *454: [2011] 4*

एस. सी. आर. *1057*-पर निर्भर।
गोबिंद वी. एम. पी. राज्य *(1975) 2* एस. सी. सी. *148 [1975] 3* एस. सी. आर. *946;* खरक सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. *1963* एस. सी.

1295 : [1964] 1 एस. सी. आर. *332*-संदर्भित।

डेनियल सोलोव, अंडरस्टैंडिंग प्राइवेसी, कैम्ब्रिज,

मैसाचुसेट्सः हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, *2008;*
रोनाल्ड ड्वोर्किन, अधिकारों को गंभीरता से लेते हुए *(*ए एंड सी*)*

यहाँ संभव है*?* एक नई राजनीतिक बहस के लिए सिद्धांत
(प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, *2006);* न्याय के लिए

हेजहोग्स *(2011)* हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, *2011;*

पारस्परिक नैतिक कर्तव्यों का लेखा *", 90* बोस्टन
लॉ रेव. *715 (2010)];* 'मानवीय गरिमा और न्यायपालिका

में प्रकाशित मानवाधिकारों की व्याख्या

सितंबर को यूरोपीय जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ
01 , 2008 - संदर्भित किया गया।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

4. आनुपातिकता का सिद्धांतः

जब भी राज्य की किसी कार्रवाई को इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि वह निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है, तो राज्य की कार्रवाई का परीक्षण निम्नलिखित मापदंडों पर किया जाता हैः *(* क*)* कार्रवाई को कानून द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए*; (*ख*)* एक वैध उद्देश्य के लिए एक लोकतांत्रिक समाज में प्रस्तावित कार्रवाई आवश्यक होनी चाहिए*;* और *(*ग*)* इस तरह के हस्तक्षेप की सीमा ऐसी आवश्यकता के अनुपात में होनी चाहिए।

हस्तक्षेप। *[* पैरा *117] [282*-डी-ई*]*

मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर बनाम मध्य प्रदेश राज्य *(2016) 7* एस. सी. सी. *353*-पर निर्भर था। *5.* निगरानीः

आधार अधिनियम के प्रावधान और तंत्र जो प्राधिकरण ने डेटा सुरक्षा के लिए बनाया है जैसा कि प्रदर्शित किया गया है पावरप्वाइंट प्रस्तुति में उत्तरदाताओं ने दिखाया कि सी. आई. डी. आर. में संग्रहीत बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय जानकारी के आधार पर किसी व्यक्ति की प्रोफ़ाइल बनाना बहुत मुश्किल है। जहां तक प्रमाणीकरण का संबंध है, उत्तरदाताओं ने सही संकेत दिया

कि पर्याप्त सुरक्षा तंत्र हैं। यह विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया था कि सुरक्षा प्रौद्योगिकियां थीं, *24/7* सुरक्षा निगरानी, डेटा रिसाव की रोकथाम, भेद्यता प्रबंधन कार्यक्रम और स्वतंत्र लेखा परीक्षा के साथ-साथ प्राधिकरण का रक्षा तंत्र। यह भी बताया गया कि प्राधिकरण ने उचित सक्रिय सुरक्षा उपाय किए हैं, जिनमें आपदा पुनर्प्राप्ति योजना, डेटा बैकअप और उपलब्धता और मीडिया प्रतिक्रिया योजना शामिल हैं। उत्तरदाताओं ने यह भी बताया कि सभी सुरक्षा सिद्धांतों का पालन किया जाता है क्योंकि: *(क)* पकड़ने के समय से पी. के. आई.*-2048* कूटलेखन है,

अर्थात्, जैसे ही नामांकन के समय डेटा दिया जाता है, उसका एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है और इसे एन्क्रिप्टेड रूप में प्राधिकरण को प्रेषित किया जाता है। उक्त कूटलेखन लगभग है *(बी)* श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा मानकों और प्रथाओं को अपनाना; और *(सी)* मजबूत लेखा परीक्षा और पता लगाने के साथ-साथ धोखाधड़ी का पता लगाना; और इसे समझना लगभग असंभव है।

कुल मिलाकर, प्रौद्योगिकी और वास्तुकला पुनः बोर्ड *(*टी. ए. आर. बी.*)* और सुरक्षा समीक्षा समिति की निगरानी होती है। इस बोर्ड समिति में बहुत उच्च पदस्थ अधिकारी होते हैं। इसलिए अधिनियम ने सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया है *[*पैरा *153] [3* सी

एच*; 309*-ए-बी*]*

सेल्वी और ओआरएस। वी. कर्नाटक राज्य *(2010) 7* एससीसी *263: [2010] 5* एस. सी. आर. *381;* खरक सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. *1963* एस. सी. *1295: (1964) 1* एस. सी. आर. *332;* जिला पंजीयक और कलेक्टर, हैदराबाद और अन्र। वी. केनरा बैंक और अन्य। *(2005) 1* एससीसी *496: [2004] 5* पूरक। एससीआर *833 -*

संदर्भित किया गया।

आर. वी. ओक्स *[1986] 1* एससीआर *103;* यू. एस. बनाम। जोन्स *132* एस. सी. *945 (2012);* ज़खारोव बनाम। रूस *(2015)* आवेदन संख्या *47143/2006;* डिजिटल राइट्स आयरलैंड लिमिटेड *v.* मंत्री के लिए संचार, समुद्री और प्राकृतिक संसाधन *[2014]* सभी ई. आर. *(*डी*) 66 (*अप्रैल*);* एस और मार्पर बनाम। यूनाइटेड किंगडम

(2008) ईसीएचआर *1581*-संदर्भित।

रॉबर्ट अलेक्सी, संवैधानिक अधिकारों का एक सिद्धांत,

(ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, *2002);* जॉन डोने,

XVII। मध्यस्थता, उभरते समय की भक्ति में

और औचित्य का अधिकारः मुद्दा और उद्देश्य
अधिकार-आधारित आनुपातिकता समीक्षा *'(2010) 4* कानून

'सॉक्रेटिक प्रतियोगिता को संस्थागत बनानाः द.
तर्कवादी मानवाधिकार प्रतिमान, वैध

प्राधिकरण और न्यायिक समीक्षा का बिंदु *'(2007) 1* यूरोपीय जर्नल ऑफ लीगल स्टडीज; के मोलर, संवैधानिक अधिकारों का वैश्विक मॉडल *(*ऑक्सफोर्ड,

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, *2012);* एम. कुम्म, 'राजनीतिक उदारवाद और अधिकारों की संरचनाः आनुपातिक आवश्यकता के स्थान और सीमाओं पर

पाव्लाकोस *(संस्करण),* कानून, अधिकार और प्रवचनः रॉबर्ट अलेक्सी का कानूनी दर्शन *(*ऑक्सफोर्ड, हार्ट पब्लिशिंग, *2007) 131;* मोलर, संवैधानिक का वैश्विक मॉडल
राइट्स *(*ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, *2012)* च जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम।

भारत का संघ

7 ; अलेक्सी का 'संतुलन का दूसरा नियम', जिसे उन्होंने

पोस्टस्क्रिप्ट में एक सिद्धांत का प्रस्ताव है

संवैधानिक अधिकार *(*ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय*)*

प्रेस, *2002);* 'आवश्यकता और आनुपातिकताः एक संतुलित दृष्टिकोण की ओर*? '* , हार्ट पब्लिशिंग, ऑक्सफोर्ड और पोर्टलैंड, ओरेगन, *2016;* एस चौधरी, 'तो ओक्स की वास्तविक विरासत क्या है*?* दो दशक

कनाडाई चार्टर के तहत आनुपातिकता विश्लेषण

धारा *1 '(2006) 34* उच्चतम न्यायालय विधि समीक्षा *501*

संदर्भित किया गया।

—

5.2 इंटरनेट की सुविधा दिन-ब-दिन सस्ती होती जा रही है, जिसे न केवल डेस्कटॉप के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है

कंप्यूटर या लैपटॉप और यहां तक कि अन्य उपयोगी उपकरण जैसे स्मार्ट फ़ोन. हालाँकि, ऐसी तकनीकों का उपयोग व्यक्तिगत जानकारी देने की कीमत पर है, जो गोपनीयता के दायरे में है। ऐसी तकनीकों से जुड़ने और उनके लाभों का लाभ उठाने के लिए, उपयोगकर्ता अपनी बायोमेट्रिक जानकारी के साथ भाग ले रहे हैं जैसे

अपने उपयोगकर्ताओं के संबंध में कंपनियों के पास डेटा है जो मेटाडेटा में भी बदल सकता है। वास्तव में, ऐसे मामलों की सूचना दी जाती है जहां उपयोगकर्ताओं के ऐसे डेटा को विभिन्न उद्देश्यों के साथ विभाजित किया जाता है। ये डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा के बारे में चिंता जताई है। समस्या डेटा स्थानीयकरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अतिरिक्त क्षेत्रीय हो गई है। व्यक्तिगत डेटा के सीमा पार हस्तांतरण के मुद्दे हैं,

जिसका विनियमन फिर से एक बड़ी चुनौती है जिससे विभिन्न रायें जूझ रही हैं। जब राज्य की बात आती है या

राज्य की साधनशीलता, इस मामले को सभी के साथ लिया जाना चाहिए

गंभीरता, संविधानवाद की कसौटी और सीमित सरकार की अवधारणा पर। *[* पैरा *159,160,161* और *162] [311*-बी, जी-एच*; 312*-ए-बी, सी-डी, जी*]* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2018] 8 एस सी आर।

5.3 डेटा संरक्षण पर कानूनः

5.3. 1 भारत में कानून। बायोमेट्रिक जानकारी से संबंधित डेटा सुरक्षा को कवर करने वाला एकमात्र मौजूदा कानून हैं - आई. टी. अधिनियम की धारा *43* ए और धारा *72* ए और सूचना प्रौद्योगिकी *(*उचित सुरक्षा व्यवहार और प्रक्रियाएं और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना*)* नियम, *2011*। हालाँकि आई. टी. अधिनियम और नियम आधार अधिनियम और नियमों द्वारा बायोमेट्रिक डेटा और जानकारी के उपयोग की संवैधानिकता को निर्धारित नहीं करते हैं, लेकिन वे बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने के लिए किए जाने वाले सुरक्षा उपायों को निर्धारित करने में निर्देशात्मक हैं। आई. टी. अधिनियम की धारा *43* ए किसी निगमित निकाय के दायित्व को जोड़ती है, जो है -

किसी भी 'संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी या डेटा' को रखना, संभालना और उससे निपटना और उसे लागू करने में लापरवाही करना और

उचित सुरक्षा प्रथाओं को बनाए रखना जिसके परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति को गलत नुकसान या गलत लाभ होता है। संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी या डेटा को बायोमेट्रिक डेटा से संबंधित जानकारी को शामिल करने के लिए संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा नियमों के नियम *3* के तहत परिभाषित किया गया है। इसी तरह, आई. टी. अधिनियम की धारा *72* ए एक अनुबंध के तहत प्राप्त 'व्यक्तिगत जानकारी' के जानबूझकर प्रकटीकरण को, संबंधित पक्षों की सहमति के बिना और एक वैध अनुबंध के उल्लंघन में, कारावास और जुर्माने से दंडनीय बनाती है। संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा नियमों के नियम *2 (i)* "व्यक्तिगत जानकारी" को परिभाषित करता है -

इसका अर्थ किसी प्राकृतिक व्यक्ति से संबंधित कोई भी जानकारी है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य जानकारी के साथ संयोजन में हो। उपलब्ध है या एक निकाय कॉर्पोरेट के साथ उपलब्ध होने की संभावना है, सक्षम है

ऐसे व्यक्ति की पहचान करना। इस प्रकार, बायोमेट्रिक्स "व्यक्तिगत जानकारी" का एक हिस्सा होगा। संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा नियम

संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा *(*बायोमेट्रिक जानकारी सहित*)* के संग्रह और प्रकटीकरण से संबंधित वाणिज्यिक और व्यावसायिक संस्थाओं *(*आईटी अधिनियम की धारा *43* ए के तहत परिभाषित निकाय निगमों*)* पर अतिरिक्त आवश्यकताओं का प्रावधान। *[* पारस *163-166] [313-B E; 314-D-F; 325-A-B]*

5.3. 2 अन्य देशों में स्थितिः *(ए)* ई. यू. जी. डी. पी. आर. *(*यूरोपीय*)*

यूनियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन*):* ई. यू. जी. डी. पी. आर., जिसे ई. यू. द्वारा *2016* में अधिनियमित किया गया था, *25* मई, *2018* को *1995* के डेटा संरक्षण निर्देश की जगह पर लागू हुआ। यह एक संपूर्ण और व्यापक कानूनी ढांचा है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक व्यक्तियों को व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण और उनके न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* से सुरक्षा प्रदान करना है।

भारत का संघ

सूचना गोपनीयता का अधिकार। यह डेटा विषयों के अधिकारों और डेटा प्रोसेसर के दायित्वों को विस्तार से चित्रित करते हुए व्यक्तिगत डेटा के सभी प्रकार के प्रसंस्करण से संबंधित है। *(* ख*)* संयुक्त राज्य अमेरिका में बायोमेट्रिक गोपनीयता अधिनियम। *[* पैरा *166,168] [316-*जी*; 317* ए-बी*; 318-*डी-ई*]*

एस और मार्पर वी। यूनाइटेड किंगडम *[2008]* ईसीएचआर *1581*

- संदर्भित किया गया।

-

यूरोपीय संसद का विनियमन *(*ईयू*) 2016/679*
और *27* अप्रैल *2016* की परिषद के संरक्षण पर

प्राकृतिक व्यक्तियों के प्रसंस्करण के संबंध में
व्यक्तिगत डेटा और इस तरह के डेटा की मुक्त आवाजाही पर,

और निर्देश *95/46/*ईसी को निरस्त करना *(*सामान्य डेटा*)*

संरक्षण विनियमन*)*-संदर्भित।

5.3. 3 मुकदमों के कानूनः डेटा संग्रह, उपयोग और भंडारण

(बायोमेट्रिक डेटा सहित*)* यूरोप में सहमति, उद्देश्य और भंडारण सीमा, डेटा विभेदन, डेटा अपवाद, डेटा न्यूनतमकरण, मूल और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और सुरक्षा, पारदर्शिता, डेटा सुरक्षा और सुरक्षा के सिद्धांतों के पालन की आवश्यकता है। केवल उपरोक्त के इस तरह के सख्त पालन से सिद्धांत राज्य द्वारा अपने नागरिकों के गोपनीयता अधिकारों को प्रभावित करते हुए आनुपातिकता के बोझ का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में बायोमेट्रिक जानकारी के संग्रह, उपयोग और प्रतिधारण के संबंध में न्यायशास्त्र यूरोपीय संघ से अलग है। अमेरिका के संदर्भ में, कोई व्यापक डेटा संरक्षण व्यवस्था नहीं है। ऐसा अमेरिकी सरकार की संघीय प्रणाली के कारण है, कानून के कई स्तर हैं

संघीय, राज्य और स्थानीय प्रवर्तन। विभिन्न राज्यों में सूचनात्मक गोपनीयता के लिए अलग-अलग मानक हैं। इस प्रकार, नागरिकों के डेटा को संसाधित करने में डेटा सुरक्षा का महत्व एक स्वीकृत मानदंड है। किसी नागरिक के निजता के मौलिक अधिकार के असमान उल्लंघन को रोकने के लिए इस मौलिक सिद्धांत का पालन करना आवश्यक है। *[* पैरा *187,188,189,190] [326-*ए-बी, ई-एफ*]*

डिजिटल राइट्स आयरलैंड लिमिटेड वी.

मंत्री के लिए

सभी ई. आर. *(डी) 66 (अप्रैल);* टेली*2* स्वेरिज ए. बी. *v.* पोस्ट-ओच टेलिस्टीरेलसन और गृह राज्य सचिव

विभाग वी। टॉम वॉटसन, पीटर ब्राइस, जेफ्री सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

लुईस, संयुक्त मामले सी-*203/15* और सी-*698/15,2016;* बी. वी. आर. एफ. जी. *2.03.2010,1* बी. वी. आर. *256/08,1* बी. वी. आर. *263/08,1* बी. वी. आर. *586/08;* मैक्सिमिलियन श्रेम्स वी। डेटा संरक्षण आयुक्त *[2016] 2* डब्ल्यू. एल. आर. *873;* स्ज़ाबो और विस्सी वी। हंगरी यूरोप। सीटी। एच. आर. *2016; 186*-संदर्भित।

6. डेटा का न्यूनतमकरणः जनसांख्यिकीय जानकारी, अनिवार्य और वैकल्पिक दोनों, और तस्वीरों से कोई फर्क नहीं पड़ता है।

अनुच्छेद *21* के तहत गोपनीयता की उचित अपेक्षा तब तक की जाती है जब तक कि कानून के टकराव में किशोर या बलात्कार पीड़ित की पहचान जैसी विशेष परिस्थितियां न हों। आज, सभी वैश्विक पहचान पत्रों में शामिल हैं

पता, जन्म तिथि, लिंग आदि के साथ पहचान के लिए फोटो। जनसांख्यिकीय जानकारी विश्व स्तर पर व्यक्तियों द्वारा दूसरों के साथ संबंध रखते हुए पहचान का खुलासा करने और लाभ प्राप्त करने के लिए आसानी से प्रदान की जाती है।

सरकार या निजी संस्थाओं द्वारा, चाहे वह नागरिकता, चुनाव, पासपोर्ट, विवाह या शिक्षा में नामांकन के लिए पंजीकरण हो संस्थाएं। ईमेल आईडी और फोन नंबर भी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं। आधार अधिनियम केवल जनसांख्यिकीय जानकारी का उपयोग करता है जो संवेदनशील नहीं है और जहां गोपनीयता की कोई उचित अपेक्षा मौजूद नहीं है-नाम, जन्म तिथि, पता, लिंग, मोबाइल नंबर और ई-मेल पता। धारा *2 (के)* विशेष रूप से प्रदान करती है

कि विनियमों में नस्ल, धर्म, जाति, जनजाति, जातीयता, भाषा, पात्रता के अभिलेख, आय या चिकित्सा इतिहास शामिल नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार, संवेदनशील जानकारी विशेष रूप से बहिष्कृत है। आधार अधिनियम की धारा *32 (3)* विशेष रूप से प्राधिकरण को प्रमाणीकरण के उद्देश्य के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी जानकारी को एकत्र करने, संग्रहीत करने या बनाए रखने से रोकती है। विनियम *26* का प्रावधान भी इसी प्रभाव का है। इस प्रकार, सिद्धांत

डेटा मिनिमाइजेशन का काफी हद तक पालन किया जाता है। *[* पारस *193-195] [327-F-H; 328-A-C]*
7. कुछ अन्य प्रावधान जिन्हें डेटा की सुरक्षा के लिए खतरे के आधार पर चुनौती दी गई है। धारा *2 (*ग*)* से संबंधित है -

प्रमाणीकरण। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनसांख्यिकीय जानकारी या किसी व्यक्ति की बायोमेट्रिक जानकारी के साथ आधार संख्या को इसके सत्यापन के लिए सी. आई. डी. आर. को प्रस्तुत किया जाता है। इसे

जमा करने पर, सी. आई. डी. आर. इसकी शुद्धता या कमी की पुष्टि करता है। धारा *10* में कहा गया है कि प्राधिकरण किसी एक को नियुक्त कर सकता है या

सी. आई. डी. आर. की स्थापना या रखरखाव और न्याय करने के लिए अधिक संस्थाएं के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

कोई अन्य कार्य जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं। प्रमाणीकरण की मांग करते समय, न तो उस व्यक्ति का स्थान, जिसकी पहचान सत्यापित की जानी है और न ही जिस उद्देश्य के लिए ऐसी पहचान के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है, प्राधिकरण के संज्ञान में आता है और इसलिए, प्राधिकरण द्वारा एकत्र किया गया ऐसा डेटा। इसलिए, वास्तविक समय की निगरानी और प्रोफाइलिंग के लिए खतरा दूरगामी हो सकता है। प्रमाणीकरण रिकॉर्ड में केवल आरई के बारे में पहचान के बारे में जानकारी होगी। दे देंगे। केवल आरई *(nic.in)* के बारे में जानकारी और उस संगठन के बारे में नहीं जिसे आरई के माध्यम से प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। ज्यादातर मामलों में प्रमाणीकरण एक बार होता है। *[*पैरा *196,197] [328-*जी*; 329-*बी-सी*]*

8. डेटा प्रतिधारण के लिए समय अवधिः

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, डेटा को बनाए रखने की अनुमति है

अनुचित लंबे समय के लिए। प्रमाणीकरण विनियमों के विनियमन *27* में यू. आई. डी. ए. आई. को *6* महीने की अवधि के लिए *"*प्रमाणीकरण लेनदेन डेटा*" (*जिसमें मेटा डेटा शामिल है*)* को बनाए रखने और उसके बाद *5* साल की अवधि के लिए इसे संग्रहीत करने की आवश्यकता है। विनियम *18 (3)* और *20 (3)* अनुरोध करने वाली संस्थाओं *(*आरई*)* और प्रमाणीकरण सेवा एजेंसियों को बनाए रखने की अनुमति देते हैं।

प्रमाणीकरण *2* साल की अवधि के लिए लॉग करता है और फिर उन्हें *5* साल के लिए संग्रहीत करता है। इसे केवल *7* साल के बाद ही हटाया जाना आवश्यक है जब तक कि अदालत द्वारा बरकरार नहीं रखा जाता है। पाँच साल की अवधि के लिए प्रमाणीकरण लेनदेन डेटा को संग्रहीत करने का कोई कारण नहीं है।

छह महीने की अवधि के लिए इस डेटा का प्रतिधारण पर्याप्त से अधिक है जिसके बाद इसे हटाने की आवश्यकता होती है, सिवाय इसके कि जब इस तरह के प्रमाणीकरण लेनदेन डेटा को अदालत द्वारा या किसी लंबित विवाद के संबंध में बनाए रखने की आवश्यकता होती है। नियम-कानून *26* और *27,* इसलिए, तदनुसार संशोधित किया जाएगा। *[*पैरा *205] [332-*ई*-*एफ*,* एच*; 333-*ए*]*

9. डेटा संरक्षण और सुरक्षाः आशंका

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अधिनियम में डेटा सुरक्षा और सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं थे। विभिन्न पहलुओं पर उत्तरदाताओं द्वारा दी गई निम्नलिखित व्याख्या काफी हद तक डेटा सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करती हैः

*(*क*)* सी. आई. डी. आर.-आधार *(*डेटा सुरक्षा*)* विनियमन *2016* का विनियमन *3 (i)* और *(*जे*)* सी. आई. डी. आर. नेटवर्क को क्षेत्रों में विभाजित करने में सक्षम बनाता है।

जोखिम और विश्वास और अन्य सुरक्षा उपायों के आधार पर। सी. आई. डी. आर. एक कंप्यूटर संसाधन होने के नाते केंद्र सरकार द्वारा *11.12.2015* पर आई. टी. अधिनियम, *2000* की धारा *70* के तहत "संरक्षित प्रणाली" के रूप में अधिसूचित किया जाता है। इस प्रणाली में गैरकानूनी रूप से प्रवेश करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को *10* साल के कारावास और जुर्माने की सजा दी जा सकती है। भंडारण में अंत से अंत तक कूटलेखन, तार्किक विभाजन, फायरवॉलिंग और डिक्रिप्ट किए गए बायोमेट्रिक डेटा का अनामकरण शामिल है। जुर्माने के उल्लंघन को अधिनियम के अध्याय *VII* द्वारा दंडात्मक बनाया गया है। *[* पैरा *207,208] [333*-बी, जी-एच*; 334*-ए-बी*]*

(ख*)* अनुरोध करने वाली संस्थाएं *(*ए. यू. ए. और के. यू. ए.*)*-अन्य पहचान की जानकारी अनुरोध करने वाली संस्था *(*ए. यू. ए. और के. यू. ए. एस.*)* के साथ साझा की जाती है।

जानकारी दी। ए. एस. ए., आर. ई. और सी. आई. डी. आर. के डेटा केंद्र भारत के क्षेत्र के भीतर होने चाहिए। *[* पैरा *209] [334*-सी-एफ*]* *(* ग*)* नामांकन एजेंसियां और पंजीयक-नामांकन और प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं को दृढ़ता से विनियमित किया जाता है ताकि डेटा सुरक्षित रहे। नामांकन एजेंसी, जो नामांकन के दौरान व्यक्तियों के बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय एकत्र करती है, को यू. आई. डी. ए. आई. या एक पंजीयक द्वारा नियुक्त किया जाता है। पंजीयक की नियुक्ति नामांकन के लिए समझौता ज्ञापनों या समझौतों के माध्यम से की जाती है और उन्हें एक आचार संहिता और प्रक्रिया, नीतियों और दिशानिर्देशों का पालन करना होता है जो जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.*

भारत का संघ

प्राधिकरण द्वारा। वे प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं नामांकन। नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों की श्रेणियां विनियमों द्वारा सीमित हैं। एजेंसी नामांकन और अद्यतन विनियमों के तहत एक प्रमाणित पर्यवेक्षक, एक प्रचालक और एक सत्यापनकर्ता को नियुक्त करती है। पंजीयक, नामांकन एजेंसी नामांकन के लिए यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा प्रदान किए गए या अधिकृत सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए बाध्य हैं।

उद्देश्य। मानक सॉफ्टवेयर में निर्दिष्ट सुरक्षा सुविधाएँ हैं।

प्राधिकरण द्वारा। उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरण प्राधिकरण द्वारा जारी विनिर्देश के अनुसार हैं। पंजीयक को एकत्र की गई जानकारी को अपलोड करने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है। सी. आई. डी. आर. को जानकारी। नामांकन कार्य के उप-अनुबंध की अनुमति नहीं है। आचार संहिता में गोपनीयता, गोपनीयता और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने और नामांकन की आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट निर्देश हैं। न केवल हेरफेर और धोखाधड़ी प्रथाओं को प्रतिबंधित करने वाले निर्देश हैं, बल्कि अधिनियम में विनियमों के अध्याय *VII* में ऐसे उल्लंघनों के लिए दंडात्मक प्रावधान हैं। नामांकन एजेंसियां हैं -

प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध। उन्हें एक नामांकन एजेंसी कोड दिया जाता है जिसका उपयोग करके पंजीयक ऐसी एजेंसी को भेज सकता है।

(एएसए*)*। इन्हें आधार *(*प्रमाणीकरण*)* विनियम, *2016* द्वारा विनियमित किया जाता है। उन्हें प्रमाणित उपकरणों, उपकरणों या सॉफ्टवेयर का उपयोग करना है जो प्राधिकरण*/*एजेंसी के साथ विधिवत पंजीकृत या अनुमोदित या प्रमाणित हैं। प्रणालियों और संचालन का लेखा-परीक्षण सूचना प्रणाली लेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। आरईएस ए. एस. ए. के माध्यम से एन्क्रिप्टेड डेटा को सी. आई. डी. आर. को भेजते हैं और प्रतिक्रिया *(*हां*/*नहीं*)* देते हैं। प्रमाणीकरण या ई-के. वाई. सी. जानकारी*)* भी वही रास्ता अपनाती है। ए. एस. ए. के सर्वर को सी. आई. डी. आर. को अग्रेषित करने से पहले प्रमाणीकरण डेटा पैकेट पर बुनियादी अनुपालन और पूर्णता जांच करनी होती है। *[* पैरा *211] 335*-एफ-एच*]*

(ई*)* हैकिंग-अब तक हैकिंग की कोई घटना नहीं हुई है। हालाँकि, प्राधिकरण हैकर्स के बारे में सचेत है और यह *[2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डेटा की सुरक्षा के लिए लगातार खुद को अपडेट करते रहें। हाल ही में समाचार पत्रों में इस आशय की कुछ खबरें आई हैं कि कुछ लोग सी. आई. डी. आर. की वेबसाइट को हैक कर सकते हैं, हालांकि यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा इसका जोरदार खंडन किया जाता है। *[* पैरा *212] [336*-ए-सी*]*

(च*)* बायोमेट्रिक समाधान प्रदाता-सॉफ्टवेयर रखने वाली विदेशी कंपनियों के संबंध में, उत्तरदाताओं का कहना है कि यूआईडीएआई ने

सॉफ्टवेयर के लिए विदेशी बायोमेट्रिक समाधान प्रदाताओं *(*बी. एस. पी.*)* के साथ लाइसेंस समझौते किए। भले ही सॉफ्टवेयर का स्रोत कोड बी. एस. पी. द्वारा बनाए रखा जाता है क्योंकि यह उनकी बौद्धिक संपदा का गठन करता है, सर्वर रूम में डेटा सुरक्षित है क्योंकि सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से संचालित होता है और बायोमेट्रिक डेटा ऑफ़लाइन संग्रहीत किया जाता है। बी. एस. पी. के पास डेटा निकालने का कोई अवसर उपलब्ध नहीं है क्योंकि उनकी इस तक पहुंच नहीं है। *[* पैरा*213] [336*-डी-ई*]*

10. महत्वपूर्ण, प्रक्रियात्मक या न्यायिक सुरक्षा उपायः

केंद्र सरकार ने *31* जुलाई *2017* को सेवानिवृत्त राज्यपाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। न्यायमूर्ति बी एन श्रीकृष्णा, पूर्व

देश में डेटा सुरक्षा मानदंडों की समीक्षा करने और सिफारिशें करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। द. समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट और व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, *2018* का पहला मसौदा जारी किया है जो व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को व्यापक रूप से संबोधित करता है जहां इस तरह के डेटा को भारत के क्षेत्र के भीतर एकत्र किया गया है, खुलासा किया गया है, साझा किया गया है या अन्यथा संसाधित किया गया है। विधेयक में यूरोप के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन *(*ई. यू. जी. डी. पी. आर.*)* के प्रावधानों और सिद्धांतों को शामिल किया गया है। विधेयक में बड़े पैमाने पर ई. यू. जी. डी. पी. आर. और ई. यू. डेटा संरक्षण न्यायशास्त्र के डेटा संरक्षण सिद्धांतों को शामिल किया गया है, जिसमें डेटा का निष्पक्ष और उचित प्रसंस्करण, उद्देश्य सीमा, संग्रह सीमा, वैध प्रसंस्करण शामिल हैं।

भंडारण सीमा, डेटा की गुणवत्ता और जवाबदेही। मसौदा विधेयक और रिपोर्ट में क्रमशः डेटा न्यासी और डेटा नियंत्रक के अधिकारों और दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इन अधिकारों में पहुंच और सुधार का अधिकार, डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार और भूल जाने का अधिकार-एक न्यासी द्वारा व्यक्तिगत डेटा के प्रकटीकरण को रोकने या प्रतिबंधित करने का अधिकार शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डेटा संरक्षण कानून के मसौदे में सहमति को एक महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। अतः एक प्राथमिक

व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए आधार व्यक्तिगत सहमति होनी चाहिए। इस सहमति को स्वतंत्र, सूचित, विशिष्ट, स्पष्ट और एक महत्वपूर्ण जोड़ में, वापस लेने में सक्षम होना आवश्यक है।

न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

विधेयक के तहत प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य और सशक्त है कि दुरुपयोग और समझौते से डेटा की सुरक्षा। *[* पैरा *223,225,229] [340*-एफ-जी; *341*-बी-डी*]*

11. निजताः क्या आधार अधिनियम निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है और इस आधार पर असंवैधानिक है*?*

11.1 आधार अधिनियम की धारा *7* के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी भी सब्सिडी लाभ या सेवाओं का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे आधार संख्या प्रस्तुत करें और इसलिए, ऐसे व्यक्ति के लिए यह वस्तुतः अनिवार्य हो जाता है। उस हद तक याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करने में सही हो सकते हैं कि भले ही आधार में नामांकन हो

स्वैच्छिक रूप से, यह उन लोगों के लिए अनिवार्य नामांकन की प्रकृति मानता है जो धारा *7* के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। इसी तरह, धारा *8* में उल्लिखित प्रमाणीकरण भी अनिवार्य हो जाता है। इसलिए, प्रासंगिक प्रश्न यह है कि क्या इस गोपनीयता में आक्रमण तीन आवश्यकताओं को पूरा करता है या अधिकार गोपनीयता के लिए। संसद ने अब आधार अधिनियम, *2016* पारित कर दिया है। इसलिए, कानून के रूप में इस विषय पर कानून इस क्षेत्र को बहुत नियंत्रित करता है और इस प्रकार, पहली आवश्यकता पूरी होती है। उद्देश्यों और कारणों के विवरण में, यह उल्लेख किया गया है कि हालांकि सरकार द्वारा कई सामाजिक लाभ योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने में विफलता उन कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए एक बड़ी बाधा साबित हुई है क्योंकि लाभार्थियों की पहचान को प्रमाणित करने के लिए एक विश्वसनीय प्रणाली के अभाव में सब्सिडी, लाभ और सेवाएं इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचना सुनिश्चित करना मुश्किल होता जा रहा था। धारा *7* के पीछे का तर्क भारत की संचित निधि से वित्त पोषित सेवाओं, लाभों और सब्सिडी के लक्षित वितरण को सुनिश्चित करने में निहित है। न्याय, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुनिश्चित करने के लिए जीवन के मौलिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता *(*अनुच्छेद *21)* को पुनर्जीवित करने और गरीबों और दलितों की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से असमानता *(*अनुच्छेद *14)* को समाप्त करने के अपने गंभीर संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए, केंद्र सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। ऐसी कुछ योजनाओं में पीडीएस, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन, एलपीजी सब्सिडी आदि शामिल हैं। इन योजनाओं में सकल घरेलू उत्पाद का *3* प्रतिशत शामिल होता है और इसमें भारी मात्रा में सार्वजनिक धन शामिल होता है। प्राप्त करने का अधिकार

इन लाभों को, जो इसके हकदार हैं, उनके दृष्टिकोण से, अब सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त हो गया है

मानव गरिमा की वही अवधारणा, जिस पर याचिकाकर्ता भरोसा करना चाहते हैं। पर्याप्त भोजन का सभी का अधिकार अब राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों *(*अनुच्छेद *47)* पर आधारित नहीं है, हालांकि उक्त सिद्धांत प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। यह अधिकार एक संवैधानिक मौलिक अधिकार में बदल गया है। अधिनियम की योजना बी. पी. एल. से नीचे के लोगों को खाद्यान्न प्रदान करने के लिए एक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तैयार करती है। इसका उद्देश्य लोगों को किफायती कीमतों पर पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करना है ताकि लोग सम्मान के साथ जीवन जी सकें। एक कल्याणकारी राज्य में, जहां दलितों की पीड़ाओं को कम करने के लिए उपाय किए जाते हैं, इस अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ये लाभ वास्तव में उन लोगों तक पहुंचे जिनके लिए वे हैं। यह स्वाभाविक रूप से राज्य का एक वैध उद्देश्य है। *[* अनुच्छेद *261,263,266] [359-*बी-डी*; 360-*डी-ई*; 364-*डी-एफ*; 365-*ए-बी, डी*]*

परम पूज्य केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु
वी. केरल राज्य और अन्र। *(1973) 4* एससीसी *225: [1973]* पूरक। एस. सी. आर. *1-*अनुसरण किया गया।

गोबिंद वी. एम. पी. राज्य *(1975) 2* एस. सी. सी. *148: [1975] 3*

एस. सी. आर. *946;* अध्यक्ष, अखिल भारतीय रेलवे भर्ती

बोर्ड वी। के श्याम कुमार और अन्य *(2010) 6* एस. सी. सी. *614*

: [2010] 6 एस. सी. आर. *291;* सामान्य कारण *v.* भारत संघ

[2014] 3 एससीआर *289;* पी. यू. सी. एल. बनाम। भारत संघ *(2011) 14*

एस. सी. सी. *331;* जी. सुंदरराजन बनाम भारत संघ *(2013) 6*
एस. सी. सी. *620-*संदर्भित।

जॉर्डन एंड ओआरएस वी. राज्य *(2002)* जेड. ए. सी. सी. *22;* क्रूज़न बनाम।

निदेशक, मिसौरी विभाग। स्वास्थ्य *497* यू. एस. *361 (1990)*

संदर्भित किया गया।

-

11.2 आनुपातिकता की कसौटी को पूरा करने के लिए, आनुपातिकता के चार उप घटकों को संतुष्ट करने की आवश्यकता है: *(क)* किसी अधिकार को प्रतिबंधित करने वाले उपाय का एक वैध लक्ष्य *(*वैध लक्ष्य चरण*)* होना चाहिए। *(ख)* यह इस लक्ष्य *(*उपयुक्तता या तर्कसंगत संबंध चरण*)* को आगे बढ़ाने का एक उपयुक्त साधन होना चाहिए। *(ग)* कोई कम प्रतिबंधात्मक लेकिन उतना ही प्रभावी विकल्प *(*आवश्यकता*)* नहीं होना चाहिए।

चरण*)*। *(घ)* उपाय का सही धारक *(*संतुलन चरण*)* पर असमान प्रभाव नहीं होना चाहिए। *[* पैरा *267] [367-*ई-एफ*]*

11.3 क्या ये घटक आवश्यकता को पूरा करते हैं

तत्काल मामले में मापदंड।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

(क*)* वैध लक्ष्य चरणः आधार अधिनियम का उद्देश्य, जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण में दर्ज किया गया है और

आधार अधिनियम की धारा *7* द्वारा लागू किया जाना, बताए गए उद्देश्यों को प्राप्त करना है। *[* पैरा *268,276] [363-*जी*; 371-*ए-बी*]*

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज *(*पी. यू. सी. एल.*) v.* भारत संघ *(2001) 5* स्केल *303;* बिहार राज्य और अन्य। वी.

प्रोजेक्ट उच्च विद्या, शिक्षक संघ और अन्य। सिविल
2001 की अपील सं. *6626-6675;* अशोक ठाकुर बनाम।

भारत संघ की *2006* की रिट याचिका *(*सिविल*)* संख्या *265,10* अप्रैल, *2008* को दिया गया निर्णय; पश्चिम बंगा केट मजदूर समिति बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य *(1996) 4* एस. सी. सी. *37 [1996] 2* पूरक। एस. सी. आर. *331;* मोहिनी जैन बनाम। केरल राज्य और अन्य। *(1992) 3* एससीसी *666: [1992] 3*

एससीआर *658;* उन्नीकृष्णन बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य
(1993) 1 एससीसी *645: [1993] 1* एससीआर *594;* ओल्गा टेलिस और ओआरएस। वी. बॉम्बे नगर निगम और अन्य। *[1985]* एस. सी. आर. *2* पूरक। *51 ;* फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम। द.

प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और अन्य। *[1981]*

2 एस. सी. आर. *516-*पर निर्भर।

(ख*)* उपयुक्तता या तर्कसंगत संबंध चरणः जिन उपायों की गणना की गई है और प्रावधानों के अनुसार किए गए हैं

आधार अधिनियम की धारा *5* के साथ पठित धारा *7* आधार अधिनियम में निहित उद्देश्यों की पूर्ति के साथ तर्कसंगत रूप से जुड़ी हुई है। आधार अधिनियम के तहत नामांकन करने और आधार संख्या प्राप्त करने की योजना वैकल्पिक और स्वैच्छिक है। इसे अद्वितीय पहचान का नामकरण दिया गया है। आधार संख्या वाले व्यक्ति को एक पहचान मिलती है। यह प्रावधान करके कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ उन लोगों को दिए जाएंगे जिनके पास आधार संख्या है और आधार अधिनियम की धारा *8* में दिए गए प्रमाणीकरण से गुजरने के बाद, उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल सही व्यक्तियों को ही ये लाभ प्राप्त हों। यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य बन जाता है कि यह योग्य व्यक्तियों को मिले।

इसलिए, दूसरा घटक भी पूरा हो जाता है। *[* अनुच्छेद *277,279] [371-*सी-डी*; 372-*सी-डी*]* *(* ग*)* आवश्यकता चरणः जिस तरह से अतीत में कदाचार किए गए हैं, वह इसे अलग रखने के लिए छोड़ देता है

आधार में विशिष्ट पहचान की प्रणाली और वास्तविक लाभार्थियों के प्रमाणीकरण के लिए, कम उच्च न्यायालय रिपोर्ट के साथ कोई वैकल्पिक उपाय नहीं है

यह उन व्यक्तियों के अधिकार हैं जिनकी गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। गरिमापूर्ण जीवन जीएँ। इसलिए, संतुलन दो स्तरों पर किया जाना चाहिए, एक ओर निजता का अधिकार और दूसरी ओर भोजन, आश्रय और रोजगार का अधिकार। सबसे पहले, यह देखा जाना चाहिए कि क्या याचिकाकर्ता प्रदान की गई जानकारी पर दावा करते हैं जबकि प्रमाणीकरण को संरक्षित किया जाना उचित अपेक्षा पर आधारित है। 'उचित अपेक्षा' में दो पहलू शामिल हैं। सबसे पहले, निजता के अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को यह स्थापित करना चाहिए कि उनके दावे में कथित कार्य के कारण उन्हें होने वाले कुछ नुकसान के बारे में चिंता शामिल है। यह चिंता वास्तविक होनी चाहिए न कि काल्पनिक या अटकलबाजी। दूसरा, 'चिंता कमजोर या तुच्छ नहीं होनी चाहिए'। यह एक उचित चिंता होनी चाहिए। *[* पैरा *285,288,289] [374-*ए-बी; *376-*ई-जी*]*

काट्ज़ वी। यूएस *389* यूएस *347;* स्मिथ बनाम। मार्लैंड *442* यू. एस. *735;* आर. वुड बनाम आयुक्त *(2010) 1* डब्ल्यू. एल. आर. *123-*संदर्भित।

11.4 संतुलन का दूसरा पहलू, अर्थात् संतुलन

दो मौलिक अधिकार। आधार अधिनियम वास्तव में गरीबों और वंचित व्यक्तियों को अपना जीवन जीने और अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने का अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। डिजिटल पहचान के माध्यम से लक्षित वितरण सुनिश्चित करके, यह न केवल उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पहचान प्रदान करता है, बल्कि सार्वजनिक खजाने/भारत के समेकित कोष की सहायता से लाभ, सेवा और सब्सिडी का वितरण सुनिश्चित करने का भी प्रयास करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम, *2013*

संसद द्वारा पारित खाद्य, सुरक्षा के मुद्दे को घरेलू स्तर पर संबोधित करने का प्रयास करता है। उस अधिनियम की योजना का उद्देश्य बी. पी. एल. श्रेणियों से संबंधित लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। जैसे मनरेगा अधिनियम, *2005* रोजगार का ध्यान रखता है। वृद्धि के लिए मनरेगा अधिनियम लागू किया गया है, आजीविका, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की सुरक्षा। यह सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम बनाने वाली परिसंपत्तियों पर ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सक्षम सदस्य को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम *100* दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देता है।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

मनरेगा अधिनियम की धारा *3* और *4* में यह गारंटी है। प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सुविधाएं अनुसूची *II* के साथ पठित धारा *5* द्वारा निर्धारित की गई हैं। धारा *22* में वित्त पोषण पद्धति का प्रावधान है। और धारा *23* पारदर्शिता और जवाबदेही का प्रावधान करती है। यह अधिनियम अधिकार आधारित दृष्टिकोण

का एक और उदाहरण है और यह निम्नलिखित लोगों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को पुनर्जीवित करता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के लोग। गोपनीयता अधिकारों में प्रवेश जहां इन व्यक्तियों को उनके साथ अलग किया जाता है

बायोमेट्रिक जानकारी न्यूनतम है। यह इस तथ्य के साथ जोड़ा गया है कि ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर कोई डेटा संग्रह नहीं है, जब वे अधिनियम की धारा *7* के तहत लाभ उठाते हैं, जिससे उनकी प्रोफ़ाइल बनाने की संभावना को खारिज कर दिया जाता है। वास्तव में यह

प्रौद्योगिकी एक सामाजिक कल्याण राज्य में सुशासन सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाती है। इसलिए, आधार अधिनियम संतुलन की कसौटी पर भी खरा उतरता है। इस प्रकार, तब भी जब के दो पहलू

एक ही व्यक्ति के मौलिक अधिकार, जो एक-दूसरे के साथ टकराव में प्रतीत होते हैं, किए जाते हैं, आधार अधिनियम ने व्यक्ति की निजता के अधिकार और एक ही व्यक्ति के जीवन के अधिकार के बीच एक उचित संतुलन बनाया है। सिद्ध सामाजिक-आर्थिक के लिए सभी व्यापक निर्देश के बावजूद

अधिनियम के इन प्रावधानों में निहित संवैधानिक अनिवार्यता के रूप में समाज के वंचित और हाशिए पर पड़े वर्ग को जो अधिकार दिए जाने की आवश्यकता है, वह न्यायिक अधिकार प्राप्त करने का हकदार है अनिवार्य है। *[पैरा 298,309,313] [379-जी-एच; 380-ए-डी; 390-ए-बी; 394-जी-एच; 395-ए-बी]*

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज *(पी. यू. सी. एल.)* और ए. एन. आर. वी.

भारत संघ और ए. एन. आर. *(2003) 4* एससीसी *399: [2003] 2*

एस. सी. आर. *1136;* सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। भारत संघ,

विधि और अन्य मंत्रालय। *(2016) 7* एससीसी *221: [2016] 3*

एस. सी. आर. *865* पर भरोसा किया। -
दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार और अन्य। वी.

ग्रूटबूम *(2000)* जेड. ए. सी. सी. *19;* बुडिना बनाम। रूस ऐप।

नहीं। *45603/05* पर तय किया गया *18.06.2009;* वर्नोनिया स्कूल

जिला *47* जे बनाम। एक्टन एट यूएक्स। , संरक्षक विज्ञापन लिटम
एक्टन *515* यू. एस. *646 (1995)*-संदर्भित।

12. बहिष्करणः प्राधिकरण ने दावा किया है कि बायोमेट्रिक

सटीकता *99.76%* है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि जहां *110* करोड़ से अधिक व्यक्तियों ने अपना नामांकन कराया है, वहां भी *0.232%* विफलता भी एक अभूतपूर्व आंकड़ा होगा-बहिष्करण सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट की दर।

यह चिंताजनक है और इसके परिणामस्वरूप जरूरतमंद व्यक्ति इससे वंचित हो जाएंगे अपने मौलिक अधिकारों का आनंद लें, जो उत्तरदाताओं द्वारा घोषित तथाकथित प्रशंसनीय उद्देश्य है। इस अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक उद्देश्य को प्राप्त करना है, जिससे लाखों लोगों को लाभ पहुंचे।

योग्य लोग। इसे केवल इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता है कि इन कल्याणकारी योजनाओं के कुछ साधकों के बहिष्कृत होने की संभावना है। ऐसी स्थिति भी है जहाँ उंगलियों के निशान के गठन में विभिन्न कारणों से परिवर्तन हो सकता है। आइरिस परीक्षण भी किसी व्यक्ति के अंधेपन सहित कुछ कारणों से विफल हो सकता है। लाभों का हकदार कोई भी व्यक्ति नहीं होगा

इस तरह के आधार पर इनकार कर दिया। ऐसी स्थितियों में वैकल्पिक माध्यमों से पहचान स्थापित करने के लिए संबंधित विनियमों में एक उपयुक्त प्रावधान किया जाना उचित होगा।

इसके अलावा, यदि प्रमाणीकरण में *0.232%* विफलता है, तो यह भी नहीं कहा जा सकता है कि ये सभी विफलताएं केवल उन मामलों में थीं जहां प्रमाणीकरण कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए उपयोग करने के उद्देश्य से था, यानी अधिनियम की धारा *7* के संदर्भ में। ऐसा अन्य मामलों में भी हो सकता था। प्रमाणीकरण की विफलताओं को दूर करने के लिए, उपाय यह है कि ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को अपनाया जाए। उनके मामलों में विफलता के कारण। सरकार सब्सिडी, सेवाओं और लाभों का दायरा नहीं बढ़ा सकती। लाभ ऐसे होने चाहिए जो कल्याणकारी योजनाओं की प्रकृति के हों, जिनके लिए भारत की संचित निधि से संसाधन लिए जाने चाहिए। एक लाभ जो एक व्यक्ति द्वारा अर्जित किया जाता है *(*जैसे एक सरकारी कर्मचारी द्वारा पेंशन*)* धारा *7* के तहत कवर नहीं किया जा सकता है

अधिनियम, क्योंकि ऐसा लाभ प्राप्त करना व्यक्ति का अधिकार है। आधार की धारा *7* के तहत जारी की जाने वाली अधिसूचनाएँ

अधिनियम विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित है जिनके तहत इच्छुक प्राप्तकर्ताओं को लाभ, सब्सिडी या सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, लाभ प्राप्त करने के लिए, कुछ सेवाओं को छोड़कर केवल एक बार सत्यापन की आवश्यकता होती है, जहां वार्षिक सत्यापन किया जाता है। जरूरत है। धारा *7* में उल्लिखित 'लाभ' और 'सेवाएं' वे होनी चाहिए जो किसी प्रकार की सब्सिडी आदि के रंग की हों, अर्थात् सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जिनके तहत सरकार ऐसे लाभ प्रदान कर रही है जो किसी विशेष वंचित वर्ग के लिए लक्षित हैं। इसका खर्च होना चाहिए

भारत की संचित निधि से लिया गया। उस आधार पर, सी. बी. एस. ई., एन. ई. ई. टी., जे. ई. ई., यू. जी. सी. आदि आधार न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* की आवश्यकता नहीं बना सकते हैं।

अनिवार्य है क्योंकि वे धारा *7* के दायरे से बाहर हैं और किसी भी कानून द्वारा समर्थित नहीं हैं। *[* अनुच्छेद *314,318,319,321,322] [395*-ई-एफ; *396*-एफ-जी; *397*-ए-डी; *398*-ए-बी, डी-एच; *399*-सी-डी*]*

13. बच्चे: संविधान का अनुच्छेद *21* ए गारंटी देता है

शिक्षा का अधिकार और इसे *6* वर्ष से *14* वर्ष की आयु के बच्चों का मौलिक अधिकार बनाता है। बच्चों पर आधार कार्ड रखने की आवश्यकता लागू करके इस तरह के अधिकार को नहीं खोया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, किसी बच्चे का उसके स्कूल में प्रवेश आधार अधिनियम की धारा *7* के तहत नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह न तो सब्सिडी है और न ही सेवा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा *7* में आने वाली अभिव्यक्ति 'लाभ' बहुत व्यापक है। साथ ही, इसे प्रतिबंधात्मक अर्थ दिया जाना चाहिए और स्कूलों में बच्चों का प्रवेश, जब उन्हें शिक्षा का मौलिक अधिकार है, धारा *7* के अंतर्गत नहीं आएगा। *[* पैरा *324,325] [400*-बी-सी*]*

आर. डी. उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य।

(2007) 15 एस. सी. सी. *49*-पर निर्भर।

मर्रे वी। बिग पिक्चर्स *(*यूके*)* लिमिटेड *(2008) 3* डब्ल्यूएलआर *1360*

संदर्भित किया गया।

-

14. आधार अधिनियम के कुछ अन्य प्रावधानों की वैधता जारी करना।

'नामांकन एजेंसी' से संबंधित, मुख्य चुनौती इस आधार पर है कि नामांकन का काम किसी निजी संस्था को नहीं दिया जा सकता था क्योंकि निजी संस्था को नहीं सौंपा जा सकता था आधार नामांकन की प्रकृति को समझाने और सूचित सहमति प्राप्त करने का महत्वपूर्ण कार्य। इसके अलावा, संवेदनशील व्यक्तिगत बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा के संग्रह का कार्य और

भंडारण के उद्देश्य से जानकारी निजी हाथों में नहीं दी जा सकती है। हालाँकि, प्राधिकरण द्वारा समझाई गई प्रक्रिया की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जो यह सुनिश्चित करता है कि नामांकन के तुरंत बाद, निजी संस्था द्वारा एकत्र किया गया संबंधित डेटा उसके नियंत्रण से बाहर है; यह एन्क्रिप्टेड हो जाता है; और सी. आई. डी. आर. को प्रेषित किया जाता है, याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यक्त की गई आशंका का कोई आधार नहीं है। *[* पैरा *334] [412*-बी-डी*]*

14.2 धारा *3*, उसकी भाषा के अनुसार, उल्लेख करती है कि यह एक सक्षम प्रावधान है जो प्रत्येक निवासी को प्राप्त करने का 'अधिकार' देता है। आधार संख्या। इसलिए, यह स्वैच्छिक प्रकृति का है।

याचिकाकर्ता की आशंका कि धारा *3* अनिवार्य है, शांत हो जाती है। *[* पैरा *336] [412*-एफ-जी; *414*-ए*]*

14.3 धारा *33* में कुछ मामलों में सूचना के प्रकटीकरण का प्रावधान है। इस प्रावधान के लिए चुनौती पर आधारित है

यह आधार कि यह पुलिस सत्यापन के लिए आधार डेटाबेस के उपयोग का प्रावधान करता है जो संविधान के अनुच्छेद *20 (3)* के लोकाचार के खिलाफ है जो स्वयं को दोषी ठहराने के खिलाफ एक नियम है। धारा *33* की उप धारा *(2)* राष्ट्रीय हित में पहचान सूचना रिकॉर्ड सहित जानकारी के प्रकटीकरण को सक्षम बनाती है।

सुरक्षा। राष्ट्रीय हित में सूचना का प्रकटीकरण

सुरक्षा को दोष नहीं दिया जा सकता है। हालाँकि, संयुक्त सचिव के हाथों में ऐसी महत्वपूर्ण शक्ति देना उचित नहीं हो सकता है। अधिमानतः न्यायिक अधिकारी के साथ एक उच्च पदस्थ अधिकारी होना चाहिए। इसलिए, अधिनियम की धारा *33 (2)* में निहित प्रावधानों को संयुक्त सचिव को दी गई शक्ति को निरस्त कर दिया गया है, जिससे उत्तरदाताओं को उपरोक्त तर्ज पर एक प्रावधान को उपयुक्त रूप से लागू करने की स्वतंत्रता दी गई है, जो पर्याप्त रूप से सुरक्षा प्रदान करेगा। व्यक्तियों का हित। *[* पैरा *343,349] [415-*जी-एच*; 416-*ए*; 419* जी-एच*; 420-*ए-बी*]*

14.4 धारा *47* में प्रावधान है कि प्राधिकरण या किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर ही संज्ञान लिया जाएगा।

इसके द्वारा अधिकृत। याचिकाकर्ता इस प्रावधान से व्यथित महसूस करते हैं क्योंकि यह एक व्यक्तिगत नागरिक को आपराधिक प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति नहीं देता है जिसके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। यह उचित होगा यदि धारा *47* में उस व्यक्ति/पीड़ित को, जिसके अधिकार का उल्लंघन किया गया है, शिकायत दर्ज करने और कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देकर संशोधन किया जाए। धारा *48* को अस्पष्ट या मनमाना नहीं माना जा सकता है। 'सार्वजनिक आपातकाल' वह अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग कई अन्य में किया गया है।

अधिनियम और संवैधानिक माने जाते हैं। यह हमेशा न्यायालयों की जांच के अधीन हो सकता है। *[* पारस *352,353,354] [420-*एफ-जी*; 421-*एफजी*]*

भूतपूर्व-आर्ममेन प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड *v.*

भारत संघ और अन्य। *(2014) 5* एससीसी *409: [2014] 3* एस. सी. आर. *359;* पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज *(*पी. यू. सी. एल.*) v.* भारत संघ और ए. एन. आर. *(1997) 1* एससीसी *301: [1996] 10*

पूरक। एस. सी. आर. *321-*निर्भर।

राज कुमार गुप्ता बनाम। उपराज्यपाल, दिल्ली और अन्य। *(1997) 1* एससीसी *556: [1996] 8* पूरक। एस. सी. आर. *464;* राज्य *(*एन. सी. टी. दिल्ली*) v.* संजय *(2014) 9* एससीसी *772: [2014] 9* एससीआर *1063*

- न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

आर. वी. ओक्स *(1986) 1* एस. सी. आर. *103;* क्यूबेक एसोसिएशन ऑफ

प्रोटेस्टेंट एससी। बीडीएस। वी. क्यूबेक *(*ए. जी.*), (1984) 2* एस. सी. आर *66;*

दोस्त वी। अल्बर्टा *(1998) 1* एससीआर *493;* आर. वी. ज़ुंडेल *(1992)*

2 एससीआर *731;* आर. वी. बिग एम ड्रग मार्ट लिमिटेड *(1985) 1* एससीआर

295 संदर्भित किया गया।
निकोलस एमिलिउ, आनुपातिकता का सिद्धांत

यूरोपीय कानूनः एक तुलनात्मक अध्ययन *5 (*क्लूवर लॉ*)*

इंटल। *1996)* - संदर्भित किया गया।

14.5 धारा *59* 'कुछ भी किया गया या कोई भी' अभिव्यक्ति का उपयोग करती है।

संकल्प के तहत कार्रवाई '। विधायिका द्वारा प्रावधान में उपयोग की जाने वाली यह शब्दावली स्पष्ट रूप से सभी कार्यों को शामिल करने के लिए है आधार योजना में व्यक्तियों के नामांकन सहित प्राधिकरण। धारा के अंत में शब्द 'इस अधिनियम के तहत वैध रूप से किए गए या लिए गए माने जाएंगे' चीजों को इससे परे रखते हैं।

किसी भी तरह का संदेह। विधायी आशय स्पष्ट है, अर्थात्, प्रावधान को पूर्वव्यापी बनाना ताकि इसके कार्यों को शामिल किया जा सके

अपनी स्थापना की तारीख से प्राधिकरण। याचिकाकर्ताओं द्वारा सुझाए गए तरीके से प्रावधान को पढ़ने से धारा *59* को रद्द करने का प्रभाव पड़ेगा। ऐसी व्याख्या को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। *[* पैरा *371] [426-*एफ-एच*; 427-*ए*]*

वेस्ट रामनाड इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कं, लिमिटेड बनाम की स्थिति

मद्रास और अन्र। *[1963] 2* एस. सी. आर. *747-*अनुसरण किया गया।
बिशंभर नाथ कोहली और अन्य। वी. उत्तर प्रदेश राज्य

& ओआरएस। *[1966] 2* एस. सी. आर. *158;* मैसूर और अन्र राज्य। वी. डी.

अचिया चेट्टी, आदि *(1969) 1* एस. सी. सी. *248: [1969] 3* एससीआर

55 ; कर्नाटक राज्य बनाम। तमिलनाडु राज्य और अन्य।

(2017) 3 एससीसी *362 [2016] 8* एससीआर *499*

· पर भरोसा किया।

14.6 जब अधिनियम के तहत आधार योजना/परियोजना है

इसकी संवैधानिकता की चुनौती से बचने के लिए, इस अधिनियम के पारित होने से पहले किए गए नामांकनों को अमान्य करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि इससे अनावश्यक बोझ बढ़ेगा और इन व्यक्तियों को फिर से नामांकित किया जाएगा। इसके बजाय उन सभी व्यक्तियों की 'सहमति' प्राप्त करके समस्या का समाधान किया जा सकता है जो अधिनियम के पारित होने से पहले नामांकित थे। चूंकि नामांकन स्वैच्छिक प्रकृति का है, इसलिए जो लोग विशेष रूप से सहमति देने से इनकार करते हैं, उन्हें आधार योजना से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। आखिरकार, आधार कार्ड प्राप्त करने से, इस तरह से नामांकित व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट है

पहचान पत्र का एक रूप प्राप्त करना। ऐसा व्यक्ति अभी भी उक्त आधार संख्या का उपयोग कर सकता है या नहीं। जिन व्यक्तियों को किसी भी सब्सिडी, लाभ या सेवा का लाभ उठाने की आवश्यकता है, वे किसी भी मामले में आधार की आवश्यकता है। उनके आधार कार्ड को रद्द करना उचित नहीं होगा। यदि उन सभी को अमान्य करने का निर्देश दिया जाता है

नामांकन जो *2016* से पहले किए गए थे, तो ऐसे व्यक्ति

स्वयं को फिर से नामांकित करने की कठोरता से गुजरना होगा। दूसरी ओर, जिन्हें अधिनियम की धारा *7* के तहत निर्धारित प्रकृति का कोई लाभ नहीं मिलता है, उनके लिए आधार कार्ड का उपयोग नहीं करना या सीमित अर्थों में इस कार्ड का उपयोग करना हमेशा खुला रहेगा, अर्थात् इसे बिना किसी प्रमाणीकरण प्रक्रिया से गुजरे अपनी पहचान के प्रमाण के रूप में दिखाना। इसलिए, काफी हद तक, यह बाद में इसे नुकसान नहीं पहुंचाता है

श्रेणी भी। धारा *59* की वैधता बरकरार है। परिणामस्वरूप, *2009* से *2016* तक की अवधि के लिए आधार भी मान्य है। *[* पैरा *373] [431-*ए-एफ*]* *15.* सीमित सरकार, सुशासन, संवैधानिक विश्वास और संविधानवादः

सिद्धांत कि 'सीमित सरकार' की अवधारणा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लागू होती है कि राज्य के तीन अंगों को एक लिखित संविधान के ढांचे के भीतर कार्य करना है जो राज्य के प्रत्येक हिस्से को विशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है और यह अनुमान लगाता है कि संसद की संप्रभु शक्ति है संविधान के प्रावधानों द्वारा सीमित और विधायिका को निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्य करना चाहिए।

संविधान द्वारा। संविधानवाद, जो कानून के शासन का आधार है, का संसद द्वारा अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए। इसके अलावा, अदालतों को दी गई न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग किसी भी कानून या कार्यकारी कार्रवाई को असंवैधानिक होने पर रद्द करने के लिए किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए व्यापक प्रस्ताव से सहमत होना मुश्किल है कि आधार परियोजना सीमित सरकार और संवैधानिक विश्वास के लिए विनाशकारी है। *[* पारस *387,388] [443-*डी-जी*]*

केशवानंद भारती बनाम. केरल राज्य *(1973) 4* एससीसी

225 [1973] पूरक। एस. सी. आर. *1-*अनुसरण किया गया।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

454 ; गोबिंद वी. एम. पी. राज्य *(1975) 2* एस. सी. सी. *148: [1975] 3* एससीआर *946;* एस. पी. संपत कुमार बनाम भारत संघ
(1987) 1 एससीसी *124: [1987] 1* एस. सी. आर. *435;* न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति *v.* भारत संघ *(1991) 4*

एससीसी *699;* आई. आर. कोएल्हो बनाम टी. एन. राज्य *(2007) 2* एस. सी. सी. *1:*

[2007] 1 एससीआर *706;* नंदिनी सुंदर बनाम। की स्थिति

छत्तीसगढ़ *(2011) 7* एस. सी. सी. *547: [2011] 8* एस. सी. आर. *1028;* मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ *(1980) 3* एससीसी *625: [1981] 1* एस. सी. आर. *206;* मनोज नरूला बनाम। भारत संघ *(2014) 9* एससीसी *1: [2014] 9* एस. सी. आर. *965;* एन. सी. टी. दिल्ली सरकार बनाम। भारत संघ *(2018)* एससीसी ऑनलाइन एससी

661 – संदर्भित किया गया।

दीवान ने अपनी पुस्तक संवैधानिक कानून में सीरवई का उद्धरण दिया है।

भारत का; एच. एम. सीरवई, भारत का संवैधानिक कानूनः ए क्रिटिकल कमेंटरी *(*एन. एम. त्रिपाठी प्राइवेट लिमिटेड,

बॉम्बे, चौथा संस्करण। , खण्ड. *2 , 1993)* पृष्ठों पर *1928-1937 -*

संदर्भित किया गया।

16. धन विधेयकः क्या आधार अधिनियम एक वैध रूप से अधिनियमित कानून है जिसे धन विधेयक के रूप में पारित किया गया है*?*

16.1 धारा *23 (2) (*एच*)* प्राधिकरण को निर्दिष्ट करने में सक्षम बनाती है -

विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आधार के उपयोग का तरीका, अर्थात् विभिन्न सब्सिडी, लाभ प्रदान करने या प्राप्त करने के लिए और

सेवाएँ। ये धारा *7* से संबंधित हैं। हालाँकि, यह 'अन्य उद्देश्य' अभिव्यक्ति का भी उपयोग करता है। अभिव्यक्ति 'अन्य उद्देश्यों' को पढ़ा जा सकता है एजुस्डेम जेनरिस जिसमें इसका होगा धारा *7* में उल्लिखित सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के संबंध में और यह केवल उस उद्देश्य तक ही सीमित हो सकता है अर्थात कोई भी अनुदान, राहत आदि देने के लिए लक्षित वितरण की योजना जब यह भारत की समेकित निधि से प्रभार्य हो। इसलिए, इस प्रावधान को मुख्य प्रावधान के आनुषंगिक के रूप में पढ़ा जा सकता है और यह संविधान के अनुच्छेद *110 (*जी*)* द्वारा कवर किया जाएगा। *[* पैरा *410] [464-*बी-डी*]*

16.2 धारा *54* प्राधिकरण को अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है।

अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए। व्याख्या दी गई है धारा *23 (2) (*एच*)* धारा *54 (2) (*एम*)* पर भी लागू होगी और इसलिए, इस प्रावधान में भी कोई समस्या नहीं है।

अब सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 8 एस सी आर।

आधार अधिनियम की धारा *57* में उल्लेख किया गया है कि आधार अधिनियम कानून के तहत अन्य उद्देश्यों के लिए आधार संख्या के उपयोग को नहीं रोकेगा। यह केवल एक सक्षम प्रावधान है क्योंकि यह अन्य उद्देश्यों

के लिए भी आधार संख्या के उपयोग की अनुमति देता है। इस प्रावधान को इस पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए कि धारा *7* मुख्य प्रावधान है। इससे धन के विनियोग के साथ इसका काफी संबंध है

भारत की संचित निधि और संविधान के अनुच्छेद *110* से सीधे जुड़ी हुई है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, यू. आई. डी. ए. आई. को अधिनियम के तहत प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया है जो विभिन्न कार्य करता है।

जिसमें एक नियामक को कर्मचारियों के वेतन और अपने स्वयं के खर्चों के लिए धन की आवश्यकता होती है। प्राधिकरण मुख्य कलाकार है, जो प्रमुख नाटकीय व्यक्तित्व है। यह पंजीयकों, नामांकनकर्ताओं, आरई और एएसए की नियुक्ति करता है; यह उपकरण और सॉफ्टवेयर विनिर्देशों को निर्धारित करता है, और सॉफ्टवेयर भी विकसित करता है; यह नामांकन करता है; यह डुप्लिकेट करता है; यह सी. आई. डी. आर. स्थापित करता है और इसका प्रबंधन करता है; यह प्रमाणित करता है; यह निरीक्षण करता है; यह मुकदमा चलाता है; यह हतोत्साहित करता है; आदि। और यह सब करता है भारत की संचित निधि *(*धारा *24)* से विनियोग द्वारा प्राप्त निधियों के आधार पर। *[* अनुच्छेद *410,411] [464-*डी-ई, एफ-एच*; 465-*ए-बी*]*

कुलदिप नायर और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। *(2006) 7* एससीसी *1: [2006] 5* पूरक। एस. सी. आर. *1-*निर्भर।

हरि राम और ओआरएस। वी. बाबू गोकुल प्रसाद *(1991)* सप. *2* एस. सी. सी. *608;* मेसर्स। सारू स्मेल्टिंग *(*पी*)* लिमिटेड बनाम बिक्री कर आयुक्त, लखनऊ *(1993)* सप. *3* एससीसी *97: [1993]*

3 एससीआर *719;* एस. आर. बोम्मई और अन्य। वी. भारत संघ और

ओआरएस। *(1994) 3* एससीसी *1: [1994] 2* एस. सी. आर. *644;* राजा राम

पाल वी. माननीय अध्यक्ष जी, लोकसभा और अन्य। *(2007) 3*

एससीसी *184: [2007] 1* एस. सी. आर. *317;* किहोतो होलोहन बनाम।

ज़चिल्लू और ओआरएस। *(1992)* सप. *2* एससीसी *651: [1992] 1*

एस. सी. आर. *686;* मो. सईद सिद्दीकी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य प्रदेश और अन्र। *(2014) 11* एस. सी. सी. *415;* योगेंद्र कुमार

जयस्वाल और ओआरएस। वी. बिहार राज्य और अन्य। *(2016) 3* एससीसी

183 ; मैंगलोर गणेश बीडी वर्क्स बनाम। मैसूर राज्य

& एन. आर. *, [1963]* उदाहरण के लिए *1* एससीआर *275;* रामदास अठावले बनाम।

भारत संघ और अन्य। *, (2010) 4* एससीसी *1: [2010] 3*

एससीआर *1059;* एम एस एम शर्मा बनाम डॉ. श्री कृष्ण सिन्हा

& ओआरएस। *,* ए. आई. आर. *1960* एस. सी. *1186;* पटना जिला ट्रक मालिक

एसोसिएशन और ओआरएस। वी. बिहार राज्य और अन्य। आकाशवाणी *1963*

पैट *16;* पंजाब राज्य बनाम। सत पाल डांग और ओआरएस। *[1969]*

1 एससीआर *478;* ए. एस. कृष्णा बनाम। मद्रास राज्य, *(1957)*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

एस. सी. आर. *399;* भारत संघ और अन्य। वी. शाह गोवर्धन एल. काबरा शिक्षक महाविद्यालय, *(2002) 8* एस. सी. सी. *228: [2002] 3* पूरक। एससीआर *220;* पी. एन. कृष्ण लाल और अन्य। वी. केरल सरकार और अन्र. *, (1995)* पूरक *2* एस. सी. सी. *187 [1994] 5* पूरक। एस. सी. आर. *526*-संदर्भित।

16.3 धारा *57* केवल आधार संख्या धारक को अन्य उद्देश्यों के लिए भी उक्त संख्या का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। ऐसा नहीं होगा।

खंड *7 (*अब धारा *7)* की चमक को हटा दें या कमजोर कर दें, जिसके लिए विधेयक को धन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। किसी भी मामले में, धारा *57* के एक हिस्से ने पहले ही असंवैधानिक घोषित कर दिया है जिसके तहत निजी क्षेत्र में एक निगम निकाय या व्यक्ति भी किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए प्राधिकरण से प्रमाणीकरण की मांग कर सकता है। सभी कथित कारणों से, बिल सही था धन विधेयक के रूप में पेश किया गया। मुख्य प्रावधान धन का एक हिस्सा है।

विधेयक और अन्य केवल आकस्मिक हैं और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद *110* के खंड *(*जी*)* के अंतर्गत आते हैं। *[* पैरा *412] [465*-सी-डी, ई*]*

17. आयकर अधिनियम, *1961* की धारा *139* एए

के. एस. पुट्टास्वामी की संविधान पीठ ने ट्रिपल टेस्ट निर्धारित किया जिसे अनुमेय निर्णय लेने के लिए संतुष्ट करने की आवश्यकता है। किसी भी विधान की वैधता का परीक्षण करते समय गोपनीयता के आक्रमण के लिए सीमाएँ। तत्काल मामले में, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि पहली आवश्यकता पूरी हो जाती है क्योंकि धारा *139* एए एक वैधानिक प्रावधान है और इसमें कानून का समर्थन है। जहां तक 'वैध राज्य हित' की आवश्यकता का संबंध है, धारा *139* एए को पैन संख्या को आधार संख्या के साथ जोड़ने के लिए अधिनियमित किया गया है, जिसे मजबूत प्रौद्योगिकी समाधान की मदद से प्रणाली से डुप्लिकेट पैन को समाप्त करने के उद्देश्य से अधिनियम के तहत जारी किया गया है। इसलिए, जिनके पास पैन संख्या है और जिन्होंने पहले ही पैन संख्या प्राप्त करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान कर दी है, वे गोपनीयता के आधार पर आधार के लिए आवश्यक किसी भी डेटा को रोकने की कोई वैध अपेक्षा रखने का दावा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, जहां तक *1961* के अधिनियम की धारा *139* एए का संबंध है, आधार के रूप में डेटा के संग्रह और भंडारण और इसे पैन के साथ जोड़ने के लिए राज्य के पास उचित कारण था। आयकर अधिनियम, *1961* की धारा *139* एए के प्रावधान के. एस. पुट्टास्वामी में निहित निजता के अधिकार के तिहरे परीक्षण को पूरा करते हैं। *[* पैरा *417,418,420,424,425] [467* एफ, जी; *468*-ई-एफ; *477*-सी-डी; *479*-डी*]* सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

18. धन शोधन रोकथाम नियमः

18.1 धन शोधन निवारण *(*अभिलेखों का रखरखाव*)* नियम, *2005* के नियम *9* में संशोधन को चुनौती। नियम *9* के अनुसार, आधार को बैंक खाते से जोड़ना न केवल नया बैंक खाता खोलने के लिए बल्कि सभी के लिए अनिवार्य है।

मौजूदा बैंक खाते इस शर्त के साथ कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो खाता निष्क्रिय हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप खाता धारक तब तक बैंक खाते को संचालित करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि बैंक खाते को आधार के साथ जोड़ा नहीं जाता है। यह किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करने के बराबर है। आधार को बैंक से अनिवार्य रूप से जोड़ने का यह कदम

लेखा आनुपातिकता की कसौटी को संतुष्ट नहीं करता है। आनुपातिकता के परीक्षण के लिए आवश्यक है कि मौलिक अधिकारों की एक सीमा को आनुपातिक होने के लिए निम्नलिखित को संतुष्ट करना चाहिएः *((i)* इसे उचित उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट किया गया है*; (ii)* इसे प्रभावी बनाने के लिए उपाय किए गए हैं।

सीमाएं तर्कसंगत रूप से उद्देश्य की पूर्ति से जुड़ी हैं*; (iii)* कोई वैकल्पिक कम आक्रामक उपाय नहीं हैं*;* और *(iv)* उद्देश्य को प्राप्त करने के महत्व और अधिकार को सीमित करने के महत्व के बीच एक उचित संबंध है। *[* पैरा *433] [487-*डी-एफ*]*

18.2 नियम निम्नलिखित के लिए असमान हैं।

कारणः *(क)* केवल *"*मनी लॉन्ड्रिंग*",* "काला धन*"* का एक अनुष्ठानिक मंत्र पहली परीक्षा को संतुष्ट नहीं करता है*; (*ख*)* प्रत्येक बैंक को अनिवार्य रूप से जोड़ने के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

खाता *"*धन*"* की समस्याओं को समाप्त*/*कम करेगा।

धनशोधन *"*और*"* काला धन *"; (*ग*)* के. वाई. सी. के वैकल्पिक तरीके हैं जो बैंक पहले से ही अपना रहे हैं*,* राज्य ने

आधार को जोड़ना क्यों अनिवार्य है*,* इसका बोझ नहीं उठाया। *[* पैरा *434] [487-*जी-एच*; 488-*ए-बी*]*

राम जेठमलानी और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। *(2011)*

8 एससीसी *1: [2011] 8* एससीआर *725;* लाल बाबू हुसैन बनाम। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और अन्य *(1995) 3* एस. सी. सी.

100 : [1995] 1 एस. सी. आर. *877-*पर निर्भर।

18.3 इस तरह के कदम के लिए राज्य का वैध उद्देश्य हो सकता है क्योंकि इसका उद्देश्य धन शोधन और काले धन की रोकथाम करना है।

हालाँकि, जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम बनाते समय कोई गंभीर विचार नहीं किया गया है।

ऐसा प्रावधान प्रत्येक बैंक खाते के लिए लागू होता है। आज की दुनिया में वापस खाते को बनाए रखना लगभग एक आवश्यकता बन गई है। सरकार ने स्वयं इसके लाभों का प्रचार किया है और लोगों को प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत शून्य शेष राशि के साथ भी बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। इनके तहत योजनाओं में, लाखों लोग, जो अन्यथा गरीब हैं, अपने बैंक खाते खोल रहे हैं। वे अपने बैंकों के माध्यम से लेनदेन करने और यहां तक कि बैंक खातों के संचालन के लिए डिजिटल मोड का उपयोग करने की अच्छी प्रथा के भी आदी हो रहे हैं। धनशोधन या काले धन पर रोक लगाने के नाम पर ऐसे सभी और अन्य व्यक्तियों के लिए आधार की आवश्यकता को अनिवार्य बनाना सरासर अनुचित है। होना चाहिए था

धन शोधन में लिप्त व्यक्तियों द्वारा अपनाए गए तरीकों के बारे में उचित अध्ययन, बैंक खातों के प्रकार जिन्हें ऐसे व्यक्ति बनाए रखते हैं और इस उद्देश्य के लिए उन बैंक खातों को लक्षित करते हैं -

आधार। यह नहीं किया गया है। इस प्रकार सातवें संशोधन नियम, *2017* द्वारा नियम *9* में संशोधन, वर्तमान रूप में, असंवैधानिक माना जाता है। *[* पैरा *435,436] [488-*बी-एफ*]*

19. मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ना

23 मार्च, *2017* के एक परिपत्र द्वारा दूरसंचार विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी लाइसेंसधारियों को इसका सत्यापन करना होगा

आधार आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से मौजूदा मोबाइल ग्राहक *(*पूर्व-भुगतान और पोस्ट-भुगतान*)*। ठीक है, यह आधार के साथ मोबाइल कनेक्शन को अनिवार्य रूप से जोड़ने के बराबर है, जो आवश्यकता न केवल उन व्यक्तियों के संबंध में है जो मोबाइल ग्राहक बनने वाले हैं, बल्कि मौजूदा ग्राहकों पर भी लागू होती है। इस तरह के परिपत्र में न केवल कानून का समर्थन नहीं है, बल्कि यह आनुपातिकता की आवश्यकता को भी पूरा करने में विफल रहता है। यह प्राथमिक खतरे की जांच करने के लिए 'आवश्यकता चरण' और 'संतुलन चरण' परीक्षणों को पूरा नहीं करता है जो प्रतिवादी अधिकारियों के दिमाग में है। अन्य उपयुक्त कानून और कम घुसपैठ करने वाले विकल्प हो सकते हैं। मुट्ठी भर व्यक्तियों द्वारा ऐसे सिम कार्डों के दुरुपयोग के लिए, पूरी आबादी को उनके निजी जीवन में घुसपैठ के अधीन नहीं किया जा सकता है। यह आधार की स्वैच्छिक प्रकृति पर भी प्रभाव डालता है।

योजना। यह राज्य की अनुचित और अनुचित मजबूरी है। सिम कार्ड की सदस्यता लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति/निवासी अदालत की रिपोर्ट का समर्थन नहीं करता है।

[2018] 8 एस सी आर।

धारा *7* में उल्लिखित सब्सिडी लाभ या सेवाओं का लाभ उठाएँ। अधिनियम। *23* मार्च, *2017* के परिपत्र को असंवैधानिक घोषित किया गया है। *[* पैरा *437,442] [488-*जी*; 491-*डी-एफ*]*

लोकनीति फाउंडेशन बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. *(2017) 7*

एस. सी. सी. *155* पर भरोसा किया।

एम. पी. शर्मा और *4* अन्य बनाम सतीश चंद्र जिला।
मजिस्ट्रेट, दिल्ली और *4* अन्य *[1954]* एससीआर *1077;*

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज *(*पी. डी. एस. मामला*) v.* संघ

318 ; (2010) 13 एस. सी. सी. *45;* केरल राज्य और अन्य। वी.
अध्यक्ष, अभिभावक शिक्षक संघ एस. एन. वी. यू. पी. स्कूल

और ओआरएस। *(2013) 2* एससीसी *705: [2013] 4* एससीआर *66 -*

—

अशोक भूषण के अनुसार जे. *1.* क्या आधार अधिनियम के तहत देने की आवश्यकता है

किसी की बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय जानकारी निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

1.1 आधार देने के लिए आधार अधिनियम के तहत आवश्यकता

जनसांख्यिकीय जानकारी

1.1. 1 जनसांख्यिकीय जानकारी में जानकारी शामिल है।

नाम, जन्म तिथि, पता और अन्य प्रासंगिक से संबंधित

आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नियमों द्वारा निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की जानकारी। वहाँ भी है

धारा *2 (*के*)* में निषेधाज्ञा कि जनसांख्यिकीय जानकारी में नस्ल, धर्म, जाति, जनजाति, जातीयता, भाषा, पात्रता के अभिलेख, आय या चिकित्सा इतिहास शामिल नहीं होंगे। इस प्रकार, जनसांख्यिकीय

अधिनियम में दी जाने वाली जानकारी बहुत सीमित जानकारी है। ये विनियम आधार *(*नामांकन और अद्यतन*)* विनियम, *2016* नामक अधिनियम के तहत बनाए गए हैं। विनियम *4* के अवलोकन से संकेत मिलता है कि व्यक्ति से जो जानकारी एकत्र की जाएगी, वह उसका नाम, जन्म तिथि, लिंग और आवासीय पता है। अतिरिक्त जानकारी जो हो सकती है

व्यक्ति के विकल्प पर एकत्र किया गया मोबाइल नंबर और ई-मेल पता है। विनियम *4* के तहत विचार की गई जानकारी व्यक्ति की पहचान से संबंधित जानकारी के अलावा और कुछ नहीं है। *[* पारस *112,113,114] [562-*डी-ई*; 563-*ई-एफ*]* न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

1.1. 2 पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक स्थान पर जन्म लेता है।

उसके करीबी रिश्तेदार स्वाभाविक रूप से उसे कई जानकारी देते हैं और प्रकट करते हैं जैसे कि उसका नाम, उम्र, जन्म तिथि, आवासीय पता आदि। उन सूचनाओं को देने में कोई तर्कसंगत बात नहीं है।
गोपनीयता की अपेक्षा। इस प्रकार, नामांकन की प्रक्रिया में दी जाने वाली आवश्यक जनसांख्यिकीय जानकारी

गोपनीयता के किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है। पहचान का अधिकार किसी व्यक्ति के राज्य के साथ उसके संबंधों का एक अनिवार्य घटक है। आधार है

इसे एक अखिल भारतीय पहचान के रूप में माना जाता है, जो देश के कोने-कोने में पहचान का स्वीकार्य प्रमाण है। लिंग के संबंध में निजता के अधिकार की कोई अपेक्षा नहीं है। इस न्यायालय द्वारा इस अधिकार को स्पष्ट रूप से मान्यता दिए जाने के बाद, आत्म-पहचान के उन अधिकारों की अभिव्यक्ति को किसी भी तरह से उनके निजता के अधिकार को प्रभावित करने वाला नहीं कहा जा सकता है। ट्रांसजेंडरों के संबंध में जनसांख्यिकीय जानकारी देने में गोपनीयता के किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाता है। जहां तक बायोमेट्रिक जानकारी है, पर्याप्त औचित्य पाया गया है जो पुट्टास्वामी मामले में निर्धारित तीन गुना परीक्षण को संतुष्ट करता है, जो ट्रांसजेंडर पर भी समान रूप से लागू होता है। *[* पारस *115,116,121,123,129] [563-*जी*; 564-*बी-सी*; 567-*एफ*; 568-*ए बी*; 571-*सी-डी*]*

एम. पी. शर्मा और अन्य बनाम सतीश चंद्र और अन्य *1954*
एयर एससी *300: [1954]* एस. सी. आर. *1077;* खरक सिंह बनाम। राज्य

यू. पी. और अन्य *1963* ए. आई. आर. एस. सी. *1295 [1964]* एस. सी. आर.

332 ; राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और संघ

भारत और अन्य *(2014) 5* एस. सी. सी. *438-*संदर्भित।
एलन एफ. वेस्टिन ने अपने काम "गोपनीयता और स्वतंत्रता" में;

महानगर *(2009)* ई. डब्ल्यू. सी. ए. सिविल *414: [2010] 1* डब्ल्यूएलआर *123;*
काट्ज़ वी। संयुक्त राज्य अमेरिका *389* यूएस *347 (1967);* संयुक्त राज्य अमेरिका

वी. एंटोनियो डायोनिसियो *35* एल. एड. *2* डी *67;* ओटिस आर. बोवेन,

स्वास्थ्य और मानव सेवा सचिव, आदि। वी.
स्टीफन जे. रॉय और अन्य। *, 476* अमेरिका *693 (1986);* डोरिस

मैकएलराथ वी। जोसेफ ए. कैलिफानो-संदर्भित।

1.2 नामांकन के संदर्भ में बायोमेट्रिक जानकारी प्राप्त करना-व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है या नहीं*?*

1.2. 1 धारा *2 (*जी*)* में निर्दिष्ट बायोमेट्रिक जानकारी किसी व्यक्ति द्वारा नामांकन की प्रक्रिया में दी जानी आवश्यक है। बायोमेट्रिक जानकारी का अर्थ है किसी व्यक्ति की तस्वीरें, उंगलियों के निशान, आईरिस स्कैन और ऐसी अन्य बायोमेट्रिक विशेषताएँ जो नियमों द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं। बायोमेट्रिक जानकारी है एक व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएँ। एक व्यक्ति के पास पूर्ण शारीरिक स्वायत्तता होती है और किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वायत्तता में किसी भी तरह की घुसपैठ को उसकी निजता के उल्लंघन के रूप में आसानी से स्वीकार किया जा सकता है। धारा *2 (*जी*)* में निर्दिष्ट बायोमेट्रिक डेटा में किसी व्यक्ति की जैविक विशेषताएँ हो

सकती हैं जिनके संबंध में कोई व्यक्ति गोपनीयता की उचित अपेक्षा का बहुत अच्छी तरह से दावा कर सकता है, लेकिन क्या गोपनीयता अधिकारों का उल्लंघन किया गया है या नहीं, इसकी जांच उस विषय संदर्भ में की जानी चाहिए जिसके तहत जानकारी प्राप्त की गई थी। *[* पारस *130,134] [571-ई; 574-*डी-ई*]*

1.2. 2 आधार अधिनियम के प्रावधानों का परीक्षण तीन गुना परीक्षण के आलोक में किया जाना है जैसा कि पुट्टास्वामी मामले में निर्धारित किया गया है। पहली आवश्यकता जिसे पूरा किया जाना है वह है कानून का अस्तित्व। मान लीजिए, आधार अधिनियम एक संसदीय कानून है, इसलिए कानून का अस्तित्व संतुष्ट है। केवल कानून का अस्तित्व तब तक पर्याप्त नहीं हो सकता जब तक कि कानून निष्पक्ष और उचित न हो। आधार अधिनियम को लाभ, सब्सिडी और सेवाओं के वितरण के लिए किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए व्यक्तियों को आधार संख्या प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। अभिलेख पर कई सामग्रियाँ दर्शाती हैं कि

सरकार के साथ-साथ विश्व बैंक और योजना आयोग द्वारा शुरू किए गए कई अध्ययनों से यह पता चला कि सरकार द्वारा लाभार्थियों के लिए जारी किया गया खाद्यान्न पहचान स्थापित करने में विफलता के कारण इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुंचा। कानून, यानी आधार अधिनियम, जिसे सब्सिडी, लाभ या सेवाओं के वितरण के लिए विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए लाया गया है, एक गंभीर आवश्यकता थी, जो कई रिपोर्टों और अध्ययनों के बाद निर्णय लिया गया था। इस प्रकार, आधार अधिनियम एक के लिए अधिनियमित किया गया था वैध राज्य का उद्देश्य एक कानून के निष्पक्ष और उचित होने के मानदंडों को पूरा करता है। जहां तक तीसरी परीक्षा, अर्थात आनुपातिकता की परीक्षा का संबंध है, यह ध्यान रखना होगा कि राज्य न तो मनमाना है और न ही जनता के हित में आवश्यक से अधिक प्रकृति का है। आधार अधिनियम का उद्देश्य लाभ, सब्सिडी और सेवाओं के वितरण के उद्देश्यों के लिए विशिष्ट पहचान प्रदान करना था-जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

पात्र लाभार्थियों को लाभ और सब्सिडी के दुरुपयोग से बचाने के लिए, पात्र लाभार्थियों को वंचित करने से बचाने के लिए। नामांकन के लिए प्राप्त की जाने वाली बायोमेट्रिक जानकारी असमान नहीं है और न ही जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी की आवश्यकता वाले आधार अधिनियम के प्रावधानों को पुट्टास्वामी मामले में निर्धारित तीन गुना परीक्षण में उत्तीर्ण नहीं कहा जा सकता है। *[* पैरा *137,138,142,143,145] [575-*एफ-एच*; 576-*ई*; 578-*ई-एफ*; 580-*बी-डी*; 581* जी-एच*; 582-*ए-बी*]*

2. संग्रह, भंडारण, प्रतिधारण, उपयोग, साझाकरण और

निगरानी।

2.1 क्या निवासियों के आंकड़ों का संग्रह, इसका भंडारण,

प्रतिधारण और उपयोग गोपनीयता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है*?*

2.1. 1 आधार अधिनियम पूर्ण संरचना प्रदान करता है

नामांकन से शुरुआत करें। नामांकन का अर्थ है नामांकित एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया। नामांकन एजेंसियों को नामांकन केंद्र स्थापित करने होते हैं और उन्हें यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार काम करना होता है। धारा *8* आधार संख्या के

प्रमाणीकरण पर विचार करती है जो प्राधिकरण द्वारा किया गया था। जब बायोमेट्रिक या जनसांख्यिकीय के संबंध में किसी भी अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा पहचान के लिए अनुरोध किया जाता है

केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी *(*सी. आई. डी. आर.*)* की स्थापना और रखरखाव के लिए एक या अधिक संस्थाएं। धारा *28* सूचना की सुरक्षा और गोपनीयता प्रदान करती है। धारा *29* में इस अधिनियम के तहत एकत्र की गई या बनाई गई जानकारी को साझा नहीं करने का प्रावधान है। धारा *30* स्वयं विचार करती है कि बायोमेट्रिक जानकारी संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी है। सख्त शर्तें हैं। सूचना के प्रकटीकरण के लिए धारा *33* में परिकल्पित। अधिनियम का अध्याय *VII* अपराधों और दंड से संबंधित है

पहचान की जानकारी का खुलासा करने के लिए नामांकन के समय प्रतिरूपण दंड धारा *34* से *37* के तहत प्रदान किया जाता है। *[* पारस *146,147,148,149] [582*-डी-एफ; *583*-जी-एच; *584*-ई, एफ-जी*]*

2.1. 2 प्रमाणीकरण के विभिन्न तरीके प्रदान किए गए हैं

प्रमाणीकरण विनियम *2016* का विनियम *4*, जो हैं: जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण; वन टाइम पिन-आधारित प्रमाणीकरण; बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण और बहु-कारक *[2018] 8* एस. सी. आर.

प्रमाणन। एक अनुरोध करने वाली संस्था अपनी आवश्यकता के अनुसार विशेष कार्य या व्यावसायिक कार्य के लिए प्रमाणीकरण का उपयुक्त तरीका चुन सकती है। आधार *(*डेटा सुरक्षा*)* विनियम, *2016* में डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत प्रावधान हैं। विनियम *3* सूचना सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों से संबंधित है। विनियमन *5* एजेंसियों, सलाहकारों, सलाहकारों और अन्य सेवा प्रदाताओं के सुरक्षा दायित्व प्रदान करता है।

प्राधिकरण द्वारा अपनी प्रक्रियाओं से संबंधित किसी भी कार्य के निर्वहन के लिए नियुक्त। आधार *(*सूचना साझा करना*)* विनियम, *2016* में भी साझा करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान हैं। पहचान की जानकारी। विनियम *3* के उप-विनियम *(1)* में प्रावधान है कि अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा एकत्र की गई मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी को किसी भी कारण से किसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा। सूचना साझा करने के विनियम, *2016* में भी विभिन्न शामिल हैं -

अन्य प्रतिबंध। आधार अधिनियम की योजना इंगित करती है कि आधार संख्या के आवंटन के लिए एक निवासी के नामांकन से शुरू होने वाली पूरी प्रक्रिया के सभी भाग वैधानिक रूप से विनियमित हैं।

प्रमाणीकरण विनियम, *2016* भी अवधि को सीमित करता है अनुरोध करने वाली इकाई द्वारा लॉग को बनाए रखना। *[* पैरा *153,156-160] [586 E; 587-B-E; 588-B-C]*

2.1. 3 सी. आई. डी. आर. में निवासियों की जानकारी को भी आधार *(*नामांकन और पंजीकरण*)* के प्रावधानों के अनुसार अद्यतन करने की अनुमति है।

अद्यतन*)* विनियम, *2016*। की पूरी योजना का एक समग्र दृश्य

आधार अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों के तहत कार्य इंगित करते हैं कि निवासी के नामांकन के बाद, बायोमेट्रिक जानकारी सहित उसकी जानकारी सी. आई. डी. आर. में एन्क्रिप्टेड रूप में रखी जाती है। आधार अधिनियम के तहत प्राधिकरण का प्रमुख कार्य आधार संख्या धारक की पहचान का प्रमाणीकरण है जब भी उनके द्वारा अनुरोध किया जाता है।

अनुरोध करने वाली एजेंसी, अनुरोध करने वाली एजेंसियों के प्रमाणीकरण डेटा को सीमित अवधि के लिए बनाए रखा जाता है। काफी हैं। तंत्र में सुरक्षा और डेटा गोपनीयता के लिए सुरक्षा उपाय। *[* पैरा *161] [588-*जी-एच*; 589-*ए*]*

2.1. 4 डेटा के प्रतिधारण के विषय पर विभिन्न देशों के अधिकारियों की प्रमुखता यह है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत डेटा के प्रतिधारण से उसकी गोपनीयता के अधिकार में हस्तक्षेप हो सकता है और राज्य आनुपातिकता के अधीन अपने प्रतिधारण को उचित ठहरा सकता है और इसके अधीन व्यक्तिगत जानकारी के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय आवश्यकता से अधिक समय तक नहीं रखे जाते हैं।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

आधार अधिनियम पर वापस आते हुए, यह स्पष्ट है कि अनुरोध करने वाली संस्था के साथ-साथ प्राधिकरण को एक विशेष अवधि के लिए प्रमाणीकरण डेटा को बनाए रखना आवश्यक है और उसके बाद इसे पांच साल के लिए संग्रहीत किया जाएगा और उसके बाद प्रमाणीकरण डेटा लेनदेन को ऐसे डेटा को छोड़कर हटा दिया जाएगा जो किसी भी लंबित विवाद के संबंध में अदालत द्वारा आवश्यक है। एक निश्चित अवधि के लिए इकाई और प्राधिकरण द्वारा रखी गई जानकारी न्यूनतम होती है। केवल पहचान प्रमाणीकरण से संबंधित जानकारी कोई अन्य व्यक्तिगत डेटा नहीं रखा जाता है। इस प्रकार, आधार अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधान पुट्टास्वामी मामले में निर्धारित तीन गुना परीक्षण को पूरा करते हैं, इसलिए, डेटा का भंडारण और प्रतिधारण गोपनीयता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। *[* पारस *180,181] [595-*सी

एफ*]*

जी. सुंदरराजन बनाम भारत संघ और अन्य *(2013) 6*

एससीसी *620: [2013] 8* एस. सी. आर. *631-*पर निर्भर।

एबी वी. महामहिम के अधिवक्ता *[2017]* यूके एससी *25;*

माधेवू वी. मॉरीशस राज्य-संदर्भित।

3. क्या आधार अधिनियम की धारा *7* असंवैधानिक है*?* क्या भोजन, आश्रय आदि का अधिकार अनुच्छेद *21* के तहत परिकल्पित है क्या लाभार्थियों की निजता के अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी*?*

3.1 अनुच्छेद *38* में प्रावधान है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावी ढंग से सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करेगा। इसने आगे प्रावधान किया कि राज्य, विशेष रूप से, आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, और न केवल व्यक्तियों के बीच, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में

रहने वाले या विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों के समूहों के बीच भी स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा। लागू होने के बाद

संविधान में लगभग सभी सरकारों ने गरीबी उन्मूलन और सीमांत/गरीबों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से काम किया

समाज का वर्ग। सरकार का प्रयास हमेशा "छोटे भारतीय" को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाना था जो सभी नीतियों और शासन के केंद्र में है। *[* पारस *200, 201] [604 -* ए-सी*]*

3.2 धारा *7* एक सक्षम प्रावधान है जो अधिकार देता है

राज्य सरकार को यह अपेक्षा करनी चाहिए कि ऐसा व्यक्ति सब्सिडी, लाभ या सेवा लेकिन सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट की प्राप्ति के लिए प्रमाणीकरण

[2018] 8 एस सी आर।

न तो धारा *7* और न ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों को पढ़ा जा सकता है कि किसी व्यक्ति या लाभार्थी का प्रमाणीकरण विफल होने की स्थिति में, उसे प्रदान नहीं किया जाना है अनुदान और लाभ या सेवाएँ। इस प्रावधान को एक सक्षम प्रावधान के रूप में जोड़ा गया है, लेकिन इसे प्रमाणीकरण की विफलता की स्थिति में सब्सिडी, लाभ या सेवाएं देने को नकारने के प्रावधान के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। *24.10.2017* दिनांकित परिपत्र जो एक अंतराल को भरता है और लाभों और सब्सिडी के वितरण को सुविधाजनक बनाने वाला एक निर्देश है

अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन। *[* पैरा *219] [611-*जी-एच*; 612-*ए-बी*]*

दिल्ली और अन्य क्षेत्र *(1981) 1* एस. सी. सी. *608: [1981] 2* एस. सी. आर. *516-*पर निर्भर। पी. यू. सी. एल बनाम भारत संघ *(2011) 14* एस. सी. सी. *331;* पी. यू. सी. एल. बनाम।

भारत संघ *(2013) 14* एस. सी. सी. *368-*संदर्भित।

ओटिस आर. बोवेन, स्वास्थ्य और मानव सेवा सचिव, आदि। वी. स्टीफन जे. रॉय और अन्य। , *476* यूएस *693 (1986);* बुकानन बनाम। विंग *664* एन. वाई. *2* डी *865;* डोरिस मैकएलराथ बनाम। जोसेफ ए. कैलिफानो, जूनियर, स्वास्थ्य, शिक्षा सचिव

और कल्याण, *615* एफ. *2* डी *434-*संदर्भित।

3.3 इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ लोगों के कारण इनकार किया गया है

प्रमाणीकरण की विफलता। अभिलेख पर यह इंगित करने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि आधार योजना के लागू होने से पहले कई कारणों से वास्तविक लाभार्थियों को बड़ी संख्या में लाभ और सब्सिडी से वंचित किया गया था। जब सरकार की ऐसी योजना को लागू किया जाता है, तो यह असामान्य नहीं है कि इसमें खामियां और कुछ इनकार हो सकते हैं। अभिलेख पर यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अधिनियम के प्रवर्तन से पहले योग्य लाभार्थियों की प्राप्ति न होने की तुलना में, अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद विफलता

में वृद्धि हुई है। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा बताए गए बहिष्करण के कुछ मामले धारा *7* को ही मनमाना और अनुच्छेद *14* और *21* का उल्लंघन करते हैं। द.

उत्तरदाता अभी भी यह सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक उपाय करने के लिए तैयार हैं कि योग्य व्यक्तियों को सब्सिडी से इनकार न किया जाए। *[* पैरा

220] [612 - सी-एफ*]*

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य *v.* जिला परिषद,

गाजियाबाद और एक अन्य *(2013) 11* एस. सी. सी. *783;* एक्स.

आर्मीमेन प्रोटेक्शन सर्विसेज पी. लिमिटेड बनाम।

भारत संघ न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

(यूओआई*)* और ओआरएस। *, (2014) 5* एससीसी *409 [2014] 3* एससीआर *359*

संदर्भित किया गया।

3.4 क्या आधार योजना और इसके लिए प्रमाणीकरण

लाभ, सब्सिडी और सेवाएं अनुच्छेद *243* जी के खिलाफ हैं और इसलिए संविधान के अधिकार से बाहर हैं*?*

और अधिकारी जो उन्हें कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं स्वशासन की संस्थाओं के रूप में। राज्य पूरी तरह से सक्षम है

ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी मामलों को संभालने के लिए पंचायतों को अधिकृत करने के लिए कानून। आधार अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित एक अधिनियम है, जो सूची *I* की प्रविष्टि *97* के लिए संदर्भित है। आधार अधिनियम को सब्सिडी, लाभों और सेवाओं के कुशल, पारदर्शी और लक्षित वितरण के लिए अधिनियमित किया गया है।

सेवाएँ, वह व्यय जिसके लिए भारत की संचित निधि से ऐसे व्यक्तियों को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करके भारत में रहने वाले व्यक्तियों को खर्च किया जाता है।

सूची *II.* आधार अधिनियम संविधान के अनुच्छेद *243* जी और ग्यारहवीं अनुसूची के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है। *[* पारस *230,231] [618-*डी-जी*; 620-*एफ-जी*]* *4.* क्या आधार अधिनियम की धारा *29* को निरस्त किया जा सकता है*?*

4.1 धारा *29* को चुनौती देने का आधार यह है कि यह पहचान की जानकारी साझा करने की अनुमति देता है जो अधिकार का उल्लंघन है।

गोपनीयता। धारा *29* एक प्रावधान है, जिसमें जानकारी साझा करने पर प्रतिबंध हैं जैसा कि खंड के शीर्षक से स्पष्ट है। धारा *29* उप-धारा *(1)* में किसी भी चीज़ को साझा करने पर प्रतिबंध है।

इस अधिनियम के तहत एकत्र या बनाई गई मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी।

उप-धारा *(2)* केवल सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के प्रावधानों के अनुसार, मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी के अलावा पहचान की जानकारी साझा करने की अनुमति देती है।

इस अधिनियम की और ऐसी रीति से जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की जाए। इसके अलावा उप-धारा *(3)* पहचान का उपयोग करने के लिए अनुरोध करने वाली संस्था को प्रतिबंधित करती है।

व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए जानकारी या व्यक्ति की सहमति के बिना किसी भी जानकारी का खुलासा करना। उप-धारा *(4)* में प्रावधान है कि आधार संख्या या मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित, प्रदर्शित या पोस्ट नहीं किया जाएगा, सिवाय उन उद्देश्यों के जो निम्नलिखित द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

नियम। इस प्रकार धारा *29* पर हमला कि यह जानकारी साझा करने की अनुमति देता है, पूरी तरह से गलत धारणा है। जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान की जानकारी साझा करने के बारे में सहमति देता है, तो वह गोपनीयता अधिकार के उल्लंघन की शिकायत नहीं कर सकता है। जब कोई अधिनियम या विनियमन सूचना के साझाकरण को विनियमित और नियंत्रित करता है, तो प्रावधान विनियामक होता है और व्यक्ति के गोपनीयता अधिकार की रक्षा के लिए बनाया गया है। *[* पारस *234-235] [622-B-C; 623-A-E]*

4.2 धारा *29* के तहत प्रावधान जो मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी को छोड़कर पहचान की जानकारी साझा करने की अनुमति देता है।

अधिनियम और विनियमों के अनुसार असंगत या अनुचित नहीं कहा जा सकता है। विधायिका उन परिस्थितियों और शर्तों की बहुत अच्छी तरह से गणना कर सकती है जहां सूचना साझा करना आवश्यक हो जाता है। उन परिस्थितियों में से एक जहां जानकारी साझा करना विशेष रूप से उप में संलग्न है

भारत सरकार के संयुक्त सचिव। इस प्रकार, ऐसी परिस्थितियाँ जो जानकारी साझा करने के लिए विचार कर सकती हैं, उचित और आनुपातिक हैं। धारा *29* के प्रावधान संवैधानिक हैं और निरस्त किए जाने के योग्य नहीं हैं। *[* पैरा *236] [623-*जी-एच*; 624-*ए-बी*]*

5. क्या धारा *33* संवैधानिक है*?*

5.1 यह कहना सही नहीं है कि धारा *33* असंवैधानिक है क्योंकि इसमें पुलिस के लिए आधार डेटा आधार के उपयोग का प्रावधान है।

सत्यापन जो संविधान के अनुच्छेद *20 (3)* के तहत निहित आत्म-दोषारोपण के खिलाफ संरक्षण का उल्लंघन करता है

भारत से। धारा *33* की उप-धारा *(1)* में किसी भी प्रकटीकरण जानकारी के संबंध में पर्याप्त प्रतिबंध हैं जो केवल न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

न्यायालय के किसी आदेश के अनुसरण में जो जिला न्यायाधीश के आदेश से कम न हो। सूचना के प्रकटीकरण में प्रतिबंध है उचित और वैध औचित्य है। जिस प्राधिकारी का कर्तव्य पूरे डेटा की सुरक्षा करना है, उसे अदालत द्वारा एक आदेश पारित करने से पहले सुना जाना चाहिए जो उस व्यक्ति के हितों की रक्षा करता है जिसके डेटा का खुलासा किया जाना है। *[* अनुच्छेद *238,239] [625-*बी-डी*]*

5.2 धारा *33* की उप-धारा *(2)* में दो सुरक्षा उपाय हैं। सबसे पहले, सूचना का प्रकटीकरण के हित में किया जाना है

राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरा, सरकार के संयुक्त सचिव के पद से कम के अधिकारी के निर्देश के अनुसरण में, जो केंद्र सरकार के आदेश द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत है। इस प्रकार, राष्ट्रीय सुरक्षा का निर्धारण एक उच्च अधिकारी द्वारा किया जाना है जो इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत है। धारा *33* के तहत दी गई जानकारी का खुलासा करने की शक्ति को असमान नहीं कहा जा सकता है। धारा *33* में उल्लिखित परिस्थितियों में जानकारी का प्रकटीकरण उचित और जनहित में है। धारा *33* संवैधानिक है। *[* पैरा *240,245,248] [625-*एफ*; 628-*बी-सी*; 630-*ए-बी*]*

बॉम्बे राज्य बनाम। काठी कालू ओघड़ ए. आई. आर. *1961* एस. सी.

1808 : [1962] एस. सी. आर. *10-*पर निर्भर।

सेल्वी और अन्य वी। कर्नाटक राज्य *2010 (7)* एस. सी. सी. *263 [2010] 5* एस. सी. आर. *381-*लागू नहीं है।

6. क्या आधार अधिनियम की धारा *47* है

असंवैधानिक*?* अधिनियम के तहत अपराधों के प्रति विशेष उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विशेष अधिनियम बनाए गए हैं। अपराधों की शुरुआत और अभियोजन

विशेष अधिनियम के तहत विशेष अधिनियम के तहत अधिकारियों के हाथों में दीक्षा और अभियोजन रखने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा रखा जाता है जो निवारक के रूप में कार्य करता है और अभियोजन को इसके तार्किक अंत तक लाया जाता है। इस तरह के प्रावधानों का उद्देश्य तुच्छ और परेशान करने वाली शिकायतों को हतोत्साहित करना है। धारा *47* कर सकती है

प्राधिकरण द्वारा अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या जब उसे किसी पीड़ित से शिकायत प्राप्त होती है तो उसे लागू किया जाएगा। प्राधिकरण अर्थात यू. आई. डी. ए. आई. के पास अधिनियम की धारा *23* में उल्लिखित विभिन्न शक्तियाँ और कार्य हैं। यह.

वह प्राधिकारी है जिसे यह सुनिश्चित करने का सबसे अधिक जिम्मा सौंपा गया है कि अधिनियम के प्रावधानों को अधिनियम के अनुसार लागू किया जाए और अपराधियों को दंडित किया जाए। अपराध सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के संबंध में

जो 'अपराध' की परिभाषा के भीतर आता है, एक पीड़ित हमेशा शिकायत दर्ज कर सकता है या एफ. आई. आर. दर्ज कर सकता है। आधार अधिनियम की धारा *46* स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि आधार अधिनियम के तहत दंड

अन्य दंडों में हस्तक्षेप न करें। केवल प्राधिकरण या उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर आधार अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान लेने की अनुमति देने में धारा *47* में निहित सीमा का विधायी उद्देश्य और उद्देश्य है। इस प्रकार, आधार अधिनियम की धारा *47* में कोई असंवैधानिकता नहीं है। *[* पैरा *256,258,261,263] [635-*सी डी; *636-*ए-बी; *637-*बी-सी; *638-*सी-डी*]*

राज्य *(*एन. सी. टी. दिल्ली*) v.* संजय *(2014) 9* एससीसी *772:*

[2014] 9 एस. सी. आर. *1063-*पर निर्भर।

(1997) 1 एस. सी. सी. *556 [1962]* एस. सी. आर. *10* संदर्भित।
7. क्या आधार अधिनियम की धारा *57* असंवैधानिक है*?*

7.1 पुट्टास्वामी मामले में तीन गुना परीक्षण विकसित हुआ,

आनुपातिकता तीसरा घटक है जो यह सुनिश्चित करता है कि विधायिका द्वारा अपनाए गए साधन कानून द्वारा पूरा किए जाने वाले उद्देश्य और आवश्यकताओं के आनुपातिक हैं।

आनुपातिकता मनमाना राज्य कार्रवाई के खिलाफ गारंटी का एक आवश्यक पहलू है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि अधिकार पर अतिक्रमण की प्रकृति और गुणवत्ता कानून के उद्देश्य के लिए असमान नहीं है। *[* पैरा *273,274] [643-*जी; *644-*जी*]*

आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र और अन्य बनाम। मध्य प्रदेश राज्य और अन्य *(2016) 7* एस. सी. सी. *353;* टेरी ओट एस्टेट्स *(*पी*)* लिमिटेड *v.* यू. टी. चंडीगढ़ और अन्य *(2004) 2* एस. सी. सी. *130: [2003] 6* पूरक। एस. सी. आर. *1235;* मद्रास राज्य बनाम। वी. जी. रो एयर *1952* एस. सी. *196: [1952]* एससीआर *597;* ओम कुमार और अन्य बनाम। भारत संघ

(2001) 2 एससीसी *386: [2000] 4* पूरक। एससीआर *693-*निर्भर

पर।

आर वी। ओक्स *(1986) 26* डीएलआर *2001;* जॉन डेविस बनाम। मिसिसिपी राज्य *394* यू. एस. *721 (1969);* संयुक्त राज्य बनाम। एंटोनी जोन्स *132* एस. सी. टी. *945 (2012);* एस. और मार्पर बनाम। यूनाइटेड किंगडम *2008 (48)* ई. एच. आर. आर. *50;* रेजिना

(कैट*)* वी। मुख्य पुलिस अधिकारियों का संघ

इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड और एक अन्य न्यायाधीश के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम।

भारत का संघ

(2015) 2 डब्ल्यूएलआर *664-(2015)* यूकेएससी *9;* संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम। एंटोनी जोन्स *132* एस. सी. टी. *945 (2012);* रोमन जाखारोव बनाम। रूस; डिजिटल राइट्स आयरलैंड लिमिटेड बनाम। संचार मंत्री *[2015]* क्यू. बी. ई. सी. जे. *127;* टेली*2* स्वेरिज ए. बी. बनाम। पोस्ट-और टेलीसिरेल्सन; वर्नोनिया स्कूल डिस्ट्रिक्ट बनाम। वेन एक्टन *515* यूएस *646,132* एल. एड. *2* डी *564;* स्वतंत्र विद्यालय जिले का शिक्षा बोर्ड *v.* लिंडसे अर्ल्स *536* यूएस *822 = 153 L.Ed.2d*। *735 ;* माइकल श्वार्ज बनाम। स्टैड्ट बोचम ने अपने दिनांकित *17.10.2013* के फैसले में -

संदर्भित किया गया।

7.2 क्या कम से कम घुसपैठ परीक्षण न्यायाधीश पर लागू नहीं किया जा सकता है

आधार अधिनियम की आनुपातिकता*?* ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण कम से कम घुसपैठ परीक्षण पर जोर नहीं दिया जा सकता है। आवेदन करने के लिए

कम से कम घुसपैठ परीक्षण, न्यायालय को तुलनात्मक प्रवेश करना होगा

पहचान के सभी उपलब्ध तरीकों का विश्लेषण, जिनकी उनके विवरण के साथ जांच और तुलना करने की आवश्यकता है। अदालत को यह पता लगाने के लिए पहुंचना होगा कि पहचान का कौन सा तरीका कम से कम घुसपैठ करने वाला है।

पहचान के कई तरीकों की तुलना और एक निर्णय पर आना, जो कम से कम घुसपैठ करने वाला है, एक ऐसा मामला है, जिसकी जांच करने के लिए विशेषज्ञों पर छोड़ दिया जाना बेहतर होगा। इसके अलावा, पहचान के अन्य तरीकों के संबंध में कोई उचित अभिवचन और सामग्री नहीं है, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए राज्य द्वारा अपनाया जा सकता था। धारा *57* इस वाक्यांश से शुरू होती है "इस अधिनियम में निहित कुछ भी आधार संख्या के उपयोग को नहीं रोकेगा". किसी भी उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए। धारा *57* निम्नलिखित अवधारणाओं और विचारों को प्रकट करती है, जिन्हें निम्नलिखित तरीके से पैराफ्रेज़ किया जा सकता हैः - *(क)* इस अधिनियम में निहित कुछ भी किसी भी उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति की पहचान की पहचान के लिए आधार संख्या के उपयोग को नहीं रोकेगा। *((ख)* चाहे राज्य या निकाय निगमित या निजी व्यक्ति द्वारा। *(ग)* किसी भी कानून के अनुसार, कुछ समय के लिए लागू या इस आशय का कोई अनुबंध। *[पैरा 280,281] [647-जी-एच; 648-ए-बी, सी-ई]*

7.3 आधार कार्यक्रम को लागू करने के लिए आधार अधिनियम का मूल विषय आधार के वितरण के उद्देश्यों के लिए था - इसके लिए हकदार व्यक्तियों को सब्सिडी, लाभ या सेवाएं। धारा *7* के तहत जारी विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा, सरकार ने बड़ी संख्या में *133* योजनाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण लागू किया है। धारा *57* के पीछे का विचार सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट है।

[2018] 8 एस सी आर।

आधार का उपयोग और आधार का उपयोग एक वैध कानून द्वारा समर्थित होना चाहिए। यदि धारा *57* के बल पर यह स्वीकार किया जाता है कि किसी राज्य या निकाय कॉर्पोरेट या व्यक्ति को, इस आशय के किसी भी अनुबंध के आधार पर, आधार का उपयोग करने की अनुमति है, तो यह पूरी तरह से दिशाहीन और अनियंत्रित होगा, जिससे निजता के अधिकार का उल्लंघन होने की संभावना है। धारा *57* आधार का उपयोग दो आधारों

पर करती है। सबसे पहले, "अनुसरण में किसी भी कानून के लिए, कुछ समय के लिए लागू "और दूसरा" इस प्रभाव के लिए कोई अनुबंध "। जब विधायिका "किसी भी कानून के अनुसार, कुछ समय के लिए लागू" वाक्यांश का उपयोग करती है, तो स्पष्ट रूप से धारा *57* में उपयोग किया गया शब्द कानून आधार अधिनियम, *2016* की धारा *57* और उसके तहत बनाए गए विनियमों के अलावा एक अन्य कानून है। जब कोई कानून आधार के उपयोगकर्ता को अनुमति देता है, तो इसकी वैधता का परीक्षण पुट्टास्वामी मामले में निर्धारित तीन गुना परीक्षण के आधार पर किया जाना है, लेकिन अनुमति देते हुए

इस आशय के किसी भी अनुबंध पर आधार का उपयोग, स्पष्ट रूप से गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है। दो पक्षों के बीच किए गए अनुबंध को, भले ही एक पक्ष राज्य हो, कानून नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार, खंड *57* जहाँ तक यह "इस आशय के किसी भी अनुबंध" पर आधार के उपयोग की अनुमति देता है, स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए। धारा *57* को केवल इस अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए कि यह स्पष्ट करता है कि आधार अधिनियम में निहित कुछ भी आधार के उपयोग को नहीं रोकेगा।

किसी भी उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करना,

इस आशय का अनुबंध असंवैधानिक और अमान्य है। इस प्रकार, धारा *57* के मुख्य प्रावधान में अंतिम वाक्यांश, अर्थात "या कोई अनुबंध इस प्रभाव को कम कर दिया जाता है। *[* पैरा *282,283,284] [648-*ई-एच*; 649* ए-जी*]* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

8. धारा *59* अमान्य है या असंवैधानिक*?*

8.1 'संकल्प के तहत कुछ भी किया गया या कोई भी कार्रवाई' अभिव्यक्ति उन सभी कार्यों को शामिल करने के लिए पर्याप्त है जो

यू. आई. डी. ए. आई. को केंद्र सरकार के विभाग के रूप में निष्पादित किया गया। धारा *59* उक्त अधिनियम के तहत कार्यकारी योजना के तहत जो किया गया था उसे बचाने और जारी रखने का प्रयास करती है। यह निवेदन कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन को पूर्वव्यापी रूप से ठीक नहीं किया जा सकता है, गलत है। धारा *59* के अंतिम वाक्यांश में इस अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है "होगा

माना जाता है ", यह अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से की गई कार्रवाई को विधायी समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से कल्पना के निर्माण को इंगित करती है।

अधिनियम से पहले। यह आधार के पूरे ढांचे को जारी रखने का प्रयास करता है जो सरकारी संकल्प दिनांक *28.01.2009* के तहत स्थापित किया गया था। प्रावधान माने जाने के परिणामस्वरूप उक्त योजना के तहत सभी कार्रवाई अधिनियम के तहत की गई मानी जाएगी न कि उक्त अधिसूचना के तहत। *[* पैरा *287] [650-*जी-एच*; 651-*ए-बी*]*

एम/एस। वेस्ट रामनाड इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बनाम द.

मद्रास राज्य और एक अन्य ए. आई. आर *1962* एस. सी.

1753 : [1963] एस. सी. आर. *747-*निर्भर।

8.2 एक क़ानून एक विधायी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक कानूनी कल्पना बनाता है। विधायिका ने अक्सर कई लोगों को बचाने के लिए कानूनी कल्पनाएँ बनाई हैं। अधिनियम बनने से पहले की गई कार्रवाई। धारा *59* का संसदीय विधायी उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा दिनांकित *28.01.2009* अधिसूचना और दिनांकित *12.09.2015* अधिसूचना के तहत की गई सभी कार्रवाइयों को एक कानूनी कल्पना बनाकर आधार अधिनियम के तहत वैध रूप से किया गया है। उपरोक्त दो अधिसूचनाओं के तहत की गई सभी कार्रवाइयों को सहेजने और उन्हें उस अधिनियम के तहत किया गया मानने का इरादा स्पष्ट है। यह धारा *59* का उद्देश्य और उद्देश्य है। विधायी उपकरण द्वारा विधानमंडल किसी भी कानूनी कल्पना का निर्माण करते समय पहले की गई कार्रवाइयों को शामिल कर सकता है जो वास्तव में धारा *59* द्वारा की गई है। *[* पैरा *301,302,305] [657*-डी, एफ-जी*; 661*-डी-एफ*]*

हरि सिंह और अन्य बनाम। सैन्य संपदा अधिकारी और दूसरा *(1972) 2* एस. सी. सी. *239: [1973] 1* एससीआर *515* - पीछा किया।

विशंभर नाथ कोहली और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ए. आई. आर. *1966* एस. सी. *573 [1966]* एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2018] 8 एस सी आर।

158 ; राजमुंदरी विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश राज्य ए. आई. आर. *1954* एस. सी. *251: [1954]* एस. सी. आर. *779;* कृष्ण चंद्र गंगोपाध्याय और
अन्य वी। भारत संघ और अन्य *(1975) 2* एस. सी. सी. *303: [1975] 0* पूरक। एस. सी. आर. *151;* आई. टी. डब्ल्यू. सिग्नोड इंडिया लिमिटेड *v.* केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर *(2004) 3* एस. सी. सी. *48: [2003] 5* पूरक। एस. सी. आर. *751;* नर बहादुर भंडारी और

एक अन्य वी। सिक्किम राज्य और अन्य *(1998) 5* एससीसी *39: [1998] 3* एस. सी. आर. *421;* मैसूर राज्य और एक अन्य *v.* डी। अचिया चेट्टी, आदि *(1969) 1* एस. सी. सी. *248: [1969] 3* एस. सी. आर. *55;* कर्नाटक राज्य बनाम। तमिलनाडु राज्य और अन्य *(2017) 3* एस. सी. सी. *362: [2016] 8* एससीआर *499*-निर्भर

पर।

ईस्ट एंड लिविंग *Co.Ltd*। और फिन्सरी बरो

परिषद *1952* ए. सी. *109*-निर्दिष्ट।

9. क्या *5* से *18* वर्ष के बीच के बच्चों की पहचान की जानकारी एकत्र करना असंवैधानिक है*?*
अधिनियम की धारा *5* में प्रावधान है कि प्राधिकरण महिलाओं, बच्चों को आधार संख्या जारी करने के लिए विशेष उपाय करेगा।

वरिष्ठ नागरिक, विकलांग व्यक्ति, अकुशल और असंगठित श्रमिक, खानाबदोश जनजाति या ऐसे अन्य व्यक्ति जिनके पास कोई स्थायी आवास नहीं है और व्यक्तियों की ऐसी अन्य श्रेणियां जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की

जाएं। आधार *(*नामांकन और अद्यतन*)* विनियम, *2016* में कुछ विशेष उपाय शामिल हैं। विनियम *5* आवश्यक जानकारी प्रदान करता है -

पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों का नामांकन। पाँच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, कोई मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी नहीं ली जाती है और केवल

माता-पिता/अभिभावक में से किसी एक की बायोमेट्रिक जानकारी ली जाती है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्ति *5* से *18* वर्ष के बीच के बच्चों के संबंध में इस आधार पर है कि वे नाबालिग होने के कारण माता-पिता की सहमति नहीं ली जाती है। आधार नामांकन के लिए, सूचना के सत्यापन के लिए प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति से सहमति प्राप्त की जाती है।

नामांकन। इस प्रकार, आधार संख्या के लिए नामांकन सहमति के आधार पर होता है। हालाँकि, यह अलग बात है कि कोई भी लाभ या सेवा प्राप्त करने के उद्देश्य से, एक व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करने के लिए बाध्य है। याचिकाकर्ताओं की यह दलील सही है कि *5* से *18* वर्ष के बीच के बच्चों के नामांकन के लिए उनके माता-पिता या अभिभावक की सहमति होनी चाहिए क्योंकि वे स्वयं जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.*

भारत का संघ

नामांकन के लिए कोई वैध सहमति देने में असमर्थ हैं। इस प्रकार, जहां तक *5* से *18* वर्ष के बच्चों का संबंध है, माता-पिता की सहमति को विनियमन *4* में पढ़ा जाना चाहिए ताकि *5* से *18* वर्ष के बच्चों के संबंध में प्रावधान असंवैधानिक न हो। *[* पैरा *307,308] [662-*डी-एफ*; 663-*डी-एफ*]*

10. क्या धन शोधन निवारण *(*दूसरा संशोधन*)* नियम, *2017* द्वारा संशोधित नियम *9* है

असंवैधानिक*?*

10.1 पी. एम. एल. ए.*, 2002* को धन को रोकने के लिए लागू किया गया है।

धनशोधन और प्राप्त संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करना। धन-शोधन और उससे जुड़े या उससे आनुषंगिक मामलों से, या उसमें शामिल। विशाल से दूर जा रहा है

घोषणा ने पीएमएलए अधिनियम को अधिनियमित किया। *[* पैरा *309,311] [664-*सी*; 667* डी-ई*]*
10.2 द्वितीय संशोधन नियम, *2017* के अवलोकन से संकेत मिलता है कि राज्य ने पीएमएलए के प्रावधानों को और अधिक मजबूत बनाने और यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि अधिनियम का अंतिम उद्देश्य

हासिल किया। आधार अधिनियम, *2016 01.07.2016* से लागू होने के बाद, खातों को आधार द्वारा सत्यापित करने का निर्णय लिया गया था। संशोधित नियम सभी संबंधित लोगों को काल्पनिक, नकली और बेनामी खातों का पता लगाने में मदद करते हैं। पी. एम. एल. ए. का उद्देश्य और लाभकारी स्वामी अधिनियम की परिभाषा, रिपोर्टिंग संस्थाओं में खातों को नियंत्रित करने वाले वास्तविक प्राकृतिक व्यक्तियों का पता लगाने के लिए मुखौटा कंपनियों और नकली निदेशकों के कॉर्पोरेट पर्दे के पीछे से गुजरना चाहती है। रिपोर्टिंग संस्थाओं पर लागू संशोधन नियम और राज्य द्वारा प्राप्त किए जाने वाले वैध उद्देश्य जो एक प्राकृतिक व्यक्ति या लाभकारी मालिक की निर्णायक पहचान है। वैधानिक नियमों ने सभी खाताधारकों पर आधार तंत्र द्वारा अपनी पहचान

सत्यापित करने का दायित्व डाल दिया है और जो पहले से ही रिपोर्टिंग इकाई में खाता रखते हैं, उन्हें आधार संख्या या अपने आवेदन *[2018] 8* एस. सी. आर. का प्रमाण जमा करना आवश्यक है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आधार पहचान। इस नियम को शामिल करने का उद्देश्य नकली और डुप्लिकेट पैन और झूठे बैंक खातों को समाप्त करना संभव बनाना है। दूसरा संशोधन नियम नकली निदेशकों के नाम पर जाली कंपनियों द्वारा रखे गए बैंक खातों, धन शोधन, आतंक के खतरे को दूर करने की दिशा में उठाया गया कदम है वित्तपोषण आदि। आधार संख्या खाता आधारित संबंध खोलने के समय दी जानी चाहिए न कि बैंक के खाताधारक द्वारा किए गए प्रत्येक लेनदेन के लिए। जिनके पास पहले से ही खाते हैं, उन्हें सत्यापन के लिए केवल एक बार अपनी आधार संख्या जमा करनी होगी। केवल एक बार के लिए आधार संख्या दिए जाने की आवश्यकता खाताधारक पर कोई बोझिल या अनुचित बोझ नहीं है और यह एक आनुपातिक उपाय है। आधार संख्या और पैन जमा न करने पर केवल वही परिणाम होता है जिस पर उप-नियम *(सी)* द्वारा विचार किया जाता है

गैर-प्रचालन खाता भी एक ऐसा खाता है जो खाताधारक का होता है और गैर-प्रचालन खाते में रखी गई राशि को न तो बैंक द्वारा जब्त किया जाता है और न ही उक्त खाते से निकाला जाता है। इसके अलावा, आधार संख्या और पैन जमा होने तक ही खाता बंद रहता है। इसके परिणाम प्रदान किया गया केवल अधिनियम और नियमों के उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए है अर्थात खाते को आधार तंत्र द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य खाताधारक को खाते में पड़ी राशि से वंचित करना नहीं है। इस प्रकार, नियम *9 (17) (सी)* अनुच्छेद *300* ए के तहत अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। खाते के सत्यापन के लिए भी आधार संख्या प्रदान करता है।

अनुच्छेद *21* के तहत अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। विभिन्न कानूनों के तहत रिपोर्टिंग इकाई यानी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अलग-अलग लोगों को बैंक खाते की जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है।

आयकर प्राधिकरण सहित प्राधिकरण, आधार द्वारा खाता सत्यापन किसी व्यक्ति द्वारा किए गए लेनदेन पर नज़र रखने के उद्देश्य से नहीं है। खाता खोलने या सत्यापन के लिए केवल एक बार आधार संख्या देनी होती है।

खाता और लेन-देन हर बार आधार सत्यापन के आधार पर नहीं किए जाने चाहिए। नियमों को किसी भी तरह से धारा *3,7* और *51* का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जा सकता है।

नियम न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* के उपयोग के लिए प्रावधान करते हैं। भारत का संघ

कानून द्वारा बैंक खाते के सत्यापन के लिए आधार

आधार अधिनियम की धारा *57* द्वारा। पीएमएलए *(*दूसरा संशोधन*)* नियम, *2017* द्वारा संशोधित नियम *9* असंवैधानिक नहीं है और संविधान के अनुच्छेद *14,19 (1) (*जी*), 21* और *300* ए और आधार अधिनियम की धारा *3,7* और *51* का उल्लंघन नहीं करता है। आगे नियम *9* के रूप में

संशोधित पी. एम. एल. ए. अधिनियम, *2002* के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है। *[* पैरा*315,316, 320 , 321 , 324] [677 -* डी-जी*; 678-*ए-सी, एफ-एच*; 679-*ए-सी*; 680-*ए*; 681* सी-डी*]*

बैंक मेलाट बनाम। महामहिम का खजाना *(2013)* यूकेएससी *39*

-

संदर्भित किया गया।

11. मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक *23.03.2017*

संचार, दूरसंचार विभाग

11.1 परिपत्र दिनांक *23.03.2017* द्वारा, सभी लाइसेंसधारी थे

मौजूदा ग्राहकों के *100%* ई-केवाईसी के संबंध में। परिपत्र में लाइसेंसधारियों को मौजूदा सिम को अनिवार्य रूप से सत्यापित करने का निर्देश दिया गया है इसके परिणामस्वरूप मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंसधारियों ने ग्राहकों को अपने सिम को आधार के साथ जोड़ने का निर्देश दिया। सेल्युलर द्वारा बार-बार संदेश और निर्देश जारी किए गए हैं।

मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रचालक। मोबाइल नंबरों के साथ आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ना किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार में घुसपैठ माना जाना चाहिए। किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार पर किसी भी आक्रमण को तीन गुना परीक्षण के अनुसार कानून द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

पुट्टास्वामी मामले में गणना की गई। किसी भी गोपनीयता अधिकार को प्रतिबंधित करने के लिए कानून का अस्तित्व सबसे प्रमुख शर्त है जिसे पूरा किया जाना चाहिए।

[अनुच्छेद *325,327,328] [681-*ई-एफ*; 682-*सी-डी*; 683-*सी-ई*]*

11.2 अनुच्छेद *13 (3)* में बताए गए कानून को लागू करना होगा।

यह पता लगाने के लिए कि कानून क्या है। अनुच्छेद *13 (3) (*ए*)* निम्नलिखित शब्दों में कानून की एक समावेशी परिभाषा देता हैः *- (* क*)* "कानून" में कोई भी शामिल है

अध्यादेश, आदेश, उप-कानून, नियम, विनियमन, अधिसूचना, प्रथा या उपयोग जिसका भारत के क्षेत्र में कानून का बल हो। द.

23.03.2017 दिनांकित परिपत्र केवल संचार मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट द्वारा *23.03.2017* पर जारी एक कार्यकारी निर्देश है।

दूरसंचार विभाग। परिपत्र में इसका उल्लेख नहीं है परिपत्र जारी करने के लिए किसी भी वैधानिक प्रावधान या वैधानिक आधार के लिए।

केवल यह तथ्य कि *TRAI* द्वारा सिफारिश भेजे जाने के बाद *23.03.2017* दिनांकित परिपत्र जारी किया गया था, *23.03.2017* दिनांकित परिपत्र किसी भी वैधानिक चरित्र को प्राप्त नहीं करता है। दिनांकित परिपत्र *23.03.2017* अतः इसे संविधान के भाग *III* के अर्थ के भीतर एक कानून नहीं माना जा सकता है। ऐसी शर्त पर लाइसेंस देकर किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेष विशेषाधिकार के साथ भाग लेने के केंद्र सरकार के अधिकार पर कोई विवाद नहीं हो सकता है

इस प्रकार, इसे आधार आधारित ई-केवाईसी के माध्यम से सभी मौजूदा मोबाइल ग्राहकों के पुनः सत्यापन के लिए एक कानून और निर्देश नहीं माना जा सकता है। इसे कानून द्वारा समर्थित नहीं माना जा सकता है, इसलिए इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। *[* पैरा *329,330,337,342] [683-*ई-जी*; 687-*ए-बी*; 688-*एफ-जी*]*

बागलकोट सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम आर. के. पठान और अन्य
ए. आई. आर *1963* एस. सी *439: [1962]* पूरक। एस. सी. आर. *697;* सुखदेव

सिंह और अन्य बनाम। भगतराम सरदार सिंह

रघुवंशी और एक और *(1975) 1* एस. सी. सी. *421: [1975] 3* एस. सी. आर. *619;* लिली कुरियन बनाम। सीनियर लेविना और अन्य *(1979) 2* एस. सी. सी. *124: [1979] 1* एस. सी. आर. *820;* अल्पना वी. मेहता बनाम महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और

एक और *(1984) 4* एस. सी. सी. *27;* सेंट जॉन्स शिक्षक प्रशिक्षण

संस्थान वी. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय परिषद
शिक्षक शिक्षा और एक अन्य *(2003) 3* एस. सी. सी. *321:*

[2003] 1 एस. सी. आर. *975-*लागू नहीं होता है।

लोकनीति फाउंडेशन बनाम। भारत संघ और एक अन्य

(2017) 7 एससीसी *155-*प्रतिष्ठित।

भारत संघ और एक अन्य *v.* संघ का एकीकरण

भारत और अन्य के दूरसंचार सेवा प्रदाता *(2011)*

10 एससीसी *543: [2011] 14* एससीआर *657-*संदर्भित

12. क्या आधार अधिनियम एक धन विधेयक है और इसे धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक के अधीन नहीं है इस न्यायालय की समीक्षा*?*

12.1 अनुच्छेद *110 (3)* इस प्रश्न पर लोक सभा के अध्यक्ष के निर्णय को अंतिम रूप देता है कि क्या

बिल मनी बिल है या नहीं। अनुच्छेद *110* के उप-अनुच्छेद *(3)* में आने वाला शब्द "अंतिम होगा" है। अनुच्छेद *122 (1)* संसद में किसी भी कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाने पर प्रतिबंध लगाता है।

किसी भी कथित अनियमितता या प्रक्रिया के आधार पर। संविधान विभिन्न अनुच्छेदों में अलग-अलग अभिव्यक्तियों का उपयोग करता है जैसे "अंतिम होगा", "सवाल नहीं किया जाएगा", "किसी भी न्यायालय में सवाल नहीं किया जाएगा" आदि। अनुच्छेद *110 (3)* के तहत अध्यक्ष के निर्णय से जुड़ी अंतिमता न्यायालय को अपनी न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करने से नहीं रोकती है। *[* पैरा *328,351] [691-*एफ जी*; 695-*बी*]*

किहोतो होलोहन बनाम। ज़चिल्लू और अन्य *(1992)* सप।

2 एससीसी *651: [1992] 1* एस. सी. आर. *686;* राजा रामपाल बनाम माननीय अध्यक्ष, लोकसभा और अन्य *(2007) 3* एस. सी. सी. *184:*

[2007] 1 एस. सी. आर. *317-*निर्भर

12.2 सभी विधेयकों को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। धन बिलों के मामले में अपवाद दिया गया है और

दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का मामला। जब कोई विधेयक अनुच्छेद *110 (1)* के तहत आवश्यक संवैधानिक शर्त को पूरा नहीं करता है, तो उक्त आवश्यकता केवल द्वारा प्रमाणन पर वाष्पित नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय। विधेयक को धन के रूप में प्रमाणित करने का अध्यक्ष का निर्णय

विधेयक केवल प्रक्रिया का विषय नहीं है और यदि निर्णय में कोई अवैधता हुई है और निर्णय स्पष्ट रूप से संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है, तो निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। *[* पैरा *359] [704-*डी-ई, एफ-एच*]*

मोहम्मद. सईद सिद्दीकी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य *(2014) 11* एस. सी. सी. *415;* योगेंद्र कुमार जायसवाल और अन्य बनाम। बिहार राज्य और अन्य *(2016) 3* एससीसी

183 – सही कानून नहीं।

12.3 सब्सिडी, लाभ या सेवा की प्राप्ति के लिए एक शर्त जिसके लिए खर्च किया जाता है, या रसीद

भारत की संचित निधि का हिस्सा धारा *7* द्वारा प्रदान किया गया है, अर्थात किसी व्यक्ति के प्रमाणीकरण के लिए। अधिनियम की प्रस्तावना के साथ-साथ उद्देश्य और

कारणों से यह भी संकेत मिलता है कि इस अधिनियम को एक सुशासन, कुशल, पारदर्शी और सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण के लिए अधिनियमित किया गया है, जिसके लिए भारत के समेकित कोष से खर्च किया जाता है।

विशिष्ट पहचान निर्धारित करके भारत में रहने वाले व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों को और उनसे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए संख्याएँ। इस प्रकार, अधिनियम के प्रावधान स्पष्ट रूप से अनुच्छेद *110 (1) (*सी*)* और *(*ई*)* द्वारा कवर किए गए हैं। *[* पैरा *361] [705-*जी-एच*; 706* ए-बी*]*

बिनॉय विश्वम बनाम। भारत संघ और अन्य *(2017) 7*

एस. सी. सी. *59 [2017] 7* एस. सी. आर. *1-*पर निर्भर था।

13. क्या आयकर अधिनियम, *1961* की धारा *139-*एए पुट्टास्वामी मामले में गोपनीयता निर्णय को देखते हुए असंवैधानिक है। मामला*?*

13.1 धारा *139-*ए. ए. को स्पष्ट रूप से पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया था

राज्य का वैध हित। धारा *139-*ए, जो डब्ल्यू. ई. एफ*. 01.04.1989* से प्रभावी हुई, स्थायी खाता संख्या *(*पैन*)* का प्रावधान करती है और प्रावधान यह भी प्रदान करता है कि वैधानिक रूप से अनिवार्य है। धारा *139* ए में उल्लिखित विभिन्न उद्देश्यों के लिए *"*प्रत्येक व्यक्ति*"* कब ऐसी संख्या *(*पैन संख्या*)* का उल्लेख करेगा, इसके बारे में प्रावधान। धारा *139-*एए का परिचय धारा *139* ए का विस्तार और निहितार्थ है। आयकर अधिनियम की नई धारा *139-*ए. ए. आधार से जोड़कर फर्जी पैन कार्डों को हटाने, जाली कंपनियों का पर्दाफाश करने और इस तरह काले धन, धन शोधन और कर चोरी के खतरे पर अंकुश लगाने का प्रयास करती है। पैन को आधार से जोड़ने से यह सुनिश्चित होगा कि कर चोरी के उद्देश्य से उपयोग किए जाने वाले डुप्लिकेट और नकली पैन कार्ड समाप्त हो जाएंगे और यह प्रणाली से काले धन को खत्म करने के कई वित्तीय उपायों में से एक है। धारा *139-*ए. ए. को भी असमान नहीं कहा जा सकता है। यह धारा राज्य के वैध उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अधिनियमित की गई है। जिन साधनों की तलाश की जाती है

इस तरह के अधिनियम द्वारा प्राप्त किया जाना नहीं कहा जा सकता है

किसी भी तरह से असमान। धारा *139-*एए व्यक्तियों के लिए नकली पैन को समाप्त करने के लिए एक आवश्यक पहला कदम है*;* अन्य लोगों के लिए नकली पैन को समाप्त करना विधायिका के लिए पूरी तरह से स्वीकार्य है। बाद के चरण में कर-भुगतान करने वाली संस्थाएं। *[* पैरा *373,374,375] [715-*सी, डी-ई, एफ, एच*; 716-*ए-बी*]*

शायरा बानो बनाम। भारत संघ *(2017) 9* एससीसी *1*

: [2017] 7 एससीआर *797;* नमित शर्मा बनाम। भारत संघ

(2013) 1 एससीसी *745: [2013] 13* एस. सी. आर. *1-*निर्भर।
13.3 धारा *139-*ए. ए. केवल व्यक्तिगत निर्धारिती को लक्षित करता है।

और हर अन्य कर-भुगतान करने वाली संस्था नहीं।

कानून को जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* की आवश्यकता नहीं है। भारत का संघ

कर दाताओं के पूर्ण कवरेज के लिए प्रावधान-जो वित्तीय धोखाधड़ी में लिप्त हो सकते हैं लेकिन 'नुकसान की डिग्री' की परिकल्पना कर सकते हैं और उस आधार पर कार्य कर सकते हैं। इस संदर्भ में, सभी व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आधार संख्या अनिवार्य की जा रही है। यह प्राकृतिक व्यक्तियों के साथ-साथ उन व्यक्तियों

पर भी लागू होता है जो एक साथ कानूनी व्यक्तियों *(*जैसे साझेदारी में भागीदार, कंपनी के सदस्य आदि*)* का गठन करते हैं और इसलिए डुप्लिकेट पैन को हटाने के लिए महत्वपूर्ण कवरेज प्रदान करता है और

इसलिए इन माध्यमों से वित्तीय और कर धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करें। पैन में आधार को शामिल करने का उद्देश्य कर चोरी, नकली लेनदेन, प्रवेश प्रदाताओं पर अंकुश लगाना है जो फर्जी पैन के कारण बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। बायोमेट्रिक पहचान पर आधारित आधार के अद्वितीय डी डुप्लिकेशन को विश्व बैंक द्वारा सबसे परिष्कृत प्रणाली के रूप में सराहा गया है। का समावेशन

पैन में आधार ईमानदार करदाताओं और गैर-अनुपालन, बेईमान लोगों के बीच असमानता को समाप्त करता है जो करों का भुगतान किए बिना भाग जाते हैं। पैन में आधार को शामिल करने से समानता को नकारने के बजाय बढ़ावा मिलता है। यह समानता को बढ़ावा देता है और अनुच्छेद के अनुरूप है।

14. नतीजतन, धारा *139*-ए. ए. पुट्टास्वामी के मामले में निर्धारित तीन गुना परीक्षण का पूरी तरह से अनुपालन करती है। धारा *139*-एए, इस प्रकार किसी व्यक्ति के निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है और उस आधार पर इसे निरस्त नहीं किया जा सकता है। *[* पारस *376,377] [716*-डी-जी*]*

के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ *[2017] 10* एससीआर *569:*

(2017) 10 एस. सी. सी. *1*-फॉलो किया गया।

14. क्या आधार अधिनियम अंतरिम आदेशों का उल्लंघन करता है

इस न्यायालय द्वारा *2012* की लिखित याचिका *(*सी*)* संख्या *494* में पारित किया गया*?* आधार अधिनियम, *2016* आधार योजना को विधायी समर्थन देता है। अधिनियम में निषेध करने वाले विशिष्ट प्रावधान हैं

आधार नामांकन में एकत्र की गई मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी का प्रकटीकरण। इस प्रकार, आधार अधिनियम को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि यह *2012* की रिट याचिका *(*सी*)* संख्या *494* में इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों का उल्लंघन है। *[* पैरा *383,384] [719*-डी-ई, एफ-जी*]*

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ के अनुसार, जे.

1.1 चाहे अनुच्छेद *110 (3)* के तहत, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय, कि कोई विधेयक एक धन विधेयक है, न्यायिक समीक्षा से मुक्त है।

1.1. 1 अनुच्छेद *109* में एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है।

धन बिलों का। इसमें प्रावधान है कि धन विधेयक सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट नहीं होगी।

[2018] 8 एस सी आर।

राज्यसभा और लोकसभा द्वारा स्वीकार किया गया। हालांकि, जब लोकसभा राज्यसभा की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है, तो कहा जाता है कि धन विधेयक दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित

किया गया था जिसमें इसे मूल रूप से लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और उसकी सिफारिशों के लिए राज्यसभा में प्रेषित किए जाने के बाद चौदह दिनों की अवधि के भीतर लोकसभा को वापस नहीं किया जाता है, तो इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित किया गया माना जाता है जिसमें इसे मूल रूप से लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। *[* पैरा *56] 791-*ई-एच*; 792-*ए-बी*]* *1.1. 2* राज्यसभा द्विसदनीय विधानमंडल में एक संवैधानिक निकाय है। संविधान निर्माताओं ने द्विसदनीयता को अपनाया

ब्रिटेन से। संविधान के प्रारूपक थे -

संस्थागत शक्ति के दुरुपयोग के प्रभाव के प्रति सचेत। हमारा संविधान किसी भी संस्था को पूर्ण शक्ति प्रदान नहीं करता है। यह प्रत्येक संस्थान के लिए सीमाएं निर्धारित करता है। हमारी संवैधानिक योजना में नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली की परिकल्पना की गई है। लोकसभा अध्यक्ष की यह तय करने की शक्ति कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। यह तर्क कि अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा से मुक्त है और नहीं हो सकता है यह संविधान की पूरी योजना के विपरीत है, जो पारदर्शिता, मनमानी और निष्पक्षता पर आधारित है। अनुच्छेद *110 (3)* में प्रयुक्त वाक्यांश "अंतिम होगा" को आयरिश संविधान के अनुच्छेद *22* से अपनाया गया है जो न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v* प्रदान करता है।

भारत का संघ

अध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र की समीक्षा के लिए तंत्र। आयरिश संविधान के तहत सहायता प्रदान की जाती है जिसके द्वारा आयरिश संसद के ऊपरी सदन के सदस्य अनुरोध कर सकते हैं।

आयरलैंड के राष्ट्रपति इस सवाल को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने के लिए कि क्या कोई विधेयक धन विधेयक है। संविधान सभा के सदस्यों ने इस तंत्र को नहीं अपनाया। इस तंत्र की अनुपस्थिति का मतलब यह नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय नियंत्रण और संतुलन के अधीन नहीं हो सकता है, जिसमें न्यायिक समीक्षा एक अनिवार्य पहलू है। अध्यक्ष को उस अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्य करना होता है, जिसे संविधान अध्यक्ष के कार्यालय को प्रदान करता है। न्यायिक समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए अंतिम उपाय है कि अध्यक्ष संवैधानिक सौंप से परे कार्य न करें। *[* पारस *60,71] [793-*जी-एच*; 805-*बी-एफ*]*

न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी *(*सेवानिवृत्त*)* बनाम। भारत संघ *(2017)*

10 एससीआर *569: (2017) 10* एस. सी. सी. *1-*फॉलो किया गया।

[1952] एस. सी. आर. *218;* भारत संघ बनाम। ज्योति प्रकाश मित्तर *(1971) 1* एससीसी *396: [1971] 3* एस. सी. आर. *483;* भारत संघ बनाम। तुलसीराम पटेल *(1985) 3* एससीसी *398: [1985] 2* पूरक। एस. सी. आर. *131;* किहोतो होलोहन बनाम। ज़चिल्लु *(1992)* सप
2 एस. सी. सी. *651 [1992] 1* एस. सी. आर. *686*

1.1. 3 एक संवैधानिक न्यास लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय में निहित किया गया है। एक साधारण विधेयक को धन विधेयक घोषित करके, अध्यक्ष राज्यसभा की भूमिका को सीमित कर देता है। यह शक्ति बेलगाम या न्यायिक जांच से रहित नहीं हो सकती है। यदि अध्यक्ष की शक्ति का प्रयोग संवैधानिक मानदंडों के विपरीत किया जाता है, तो यह न केवल राज्यसभा की भूमिका को सीमित करेगा, बल्कि संविधान द्वारा बनाए गए

विधायी निकाय की प्रभावशीलता को भी कम करेगा। ऐसा परिणाम भारतीय संविधान की योजना के साथ असंगत होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक समीक्षा आवश्यक है कि संविधान की संघीय विशेषताओं का उल्लंघन न हो। *[पैरा 94] [830-*डी-एफ*]*

1964 ए. आई. आर. *1965* एस. सी. *745* का विशेष संदर्भ सं. *1: [1965]* एससीआर *413;* रामदास अठावले बनाम भारत संघ *(2010) 4* एससीसी *1: [2010] 3* एससीआर *1059;* राजा राम पाल बनाम *[2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

माननीय अध्यक्ष, लोकसभा *(2007) 3* एस. सी. सी. *184: [2007] 1* एस. सी. आर. *1;* मैंगलोर गणेश बिडी वर्क्स बनाम राज्य मैसूर *[1963]* पूरक *1* एस. सी. आर. *275;* पंडित एम. एस. एम. शर्मा

बनाम डॉ. श्री कृष्ण सिन्हा ए. आई. आर. *1960* एस. सी. *1186* ने भरोसा किया

पर।

मोहम्मद सईद सिद्दीकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य *(2014) 11* एस. सी. सी. *415;* योगेंद्र कुमार जायसवाल बनाम बिहार राज्य

(2016) 3 एस. सी. सी. *183-*खारिज।
फतहली एम. मोगद्दम, द सेज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ

द्विसदनीयवादः तुलनात्मक अंतर्दृष्टि और सबक,
सेमिनार *(*फरवरी, *2013);* राज्यसभा सचिवालय,

भारतीय संसद का दूसरा सदनः भूमिका और

पृष्ठ *2* पर राज्य सभा की स्थिति, *(2009);* एम. एन. कौल

और एस. एल. शकधर, अभ्यास और प्रक्रिया

संसद, लोकसभा सचिवालय *(2001);* एच. एम. सीरवई, भारत का संवैधानिक कानून, यूनिवर्सल लॉ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड, वॉल्यूम। *1 , (1991) ;* राज्यसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय की संरचना और कार्य, *(2009)* , पृष्ठ *2-3* पर; गैरी रोथेनबाग, *(*ए. कैवकियन में उद्धृत, गोपनीयता और बायोमेट्रिक्स, सूचना और

गोपनीयता आयुक्त, ओंटारियो, कनाडा, *1999,* पृष्ठ *11;* एल्स जे. किंड्ट, गोपनीयता और डेटा सुरक्षा मुद्दे

बायोमेट्रिक अनुप्रयोगः एक तुलनात्मक कानूनी

विश्लेषण, स्प्रिंगर *(2013)-*संदर्भित।

1.2 क्या आधार अधिनियम वैध रूप से धन के रूप में पारित किया गया था

बिल।

1.2. 1 संविधान का अनुच्छेद *110 (1)* धन विधेयक को परिभाषित करता है। किसी विधेयक के धन विधेयक बनने के लिए, इसमें "केवल

अनुच्छेद *110* के खंड *1* के उपखंड *(ए)* से *(जी)* में। अभिव्यक्ति "यदि इसमें केवल निम्नलिखित सभी या किसी से संबंधित प्रावधान हैं। विषय, अर्थात् ". महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, अभिव्यक्ति "यदि" एक शर्त को इंगित करती है और यह केवल शर्त को पूरा करने पर है कि

अध्याय के प्रयोजनों के लिए किसी विधेयक के धन विधेयक होने की काल्पनिक कल्पना उत्पन्न होगी। दूसरा, एक धन विधेयक होने के लिए, विधेयक में केवल वे प्रावधान होने चाहिए जो खंड *(ए)* से *(जी)* के लिए संदर्भित हैं। शर्त यह निर्धारित करने की तुलना में बहुत अधिक कठोर है कि विधेयक में न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(आर. ई. टी. डी.) v.* में वर्णित किसी भी मामले को शामिल किया जाना चाहिए।

भारत का संघ

उपखंड *(ए)* से *(एफ)* में निर्दिष्ट। यदि उपखंड *(छ)* को एक पकड़ के रूप में पढ़ा जाता है-सभी अवशिष्ट प्रावधान, तो यह बिलों के एक वर्ग को धन बिल के रूप में परिभाषित करने के उद्देश्य को विफल कर देगा। आनुषंगिक क्या है उपखंड *(छ)* के तहत वह है जो किसी ऐसे मामले का सहायक है जो पहले से ही उपखंड *(क)* से *(च)* में निर्दिष्ट है। परीक्षण यह नहीं है कि क्या यह किसी विधेयक की सामग्री के लिए आनुषंगिक है, बल्कि यह है कि क्या यह आनुषंगिक है

उपखंड *(क)* से *(च)* में विशेष रूप से वर्णित किसी भी मामले के लिए। अनुच्छेद *110* के खंड *(2)* में प्रावधान है कि किसी विधेयक को केवल इस कारण से धन विधेयक नहीं माना जाएगा कि यह जुर्माना या अन्य आर्थिक दंड लगाने, या प्रदान की गई सेवाओं के लिए लाइसेंस या शुल्क की मांग या भुगतान के लिए, या इस कारण से कि यह किसी स्थानीय प्राधिकरण या निकाय द्वारा स्थानीय उद्देश्यों के लिए किसी भी कर को लागू करने, समाप्त करने, छूट, परिवर्तन या विनियमन का प्रावधान करता है। *1911* के संसद अधिनियम की तरह, अनुच्छेद *110 (1)* के तहत प्रदान की गई धन विधेयक की परिभाषा संपूर्ण प्रकृति की है। एक विधेयक एक धन विधेयक हो सकता है यदि इसमें अनुच्छेद *110 (1)* के उपखंड *(ए)* से *(जी)* के तहत सूचीबद्ध सभी या किसी भी मामले से संबंधित "केवल प्रावधान" हैं। यदि किसी विधेयक में ऐसे प्रावधान हैं जो उपखंड *(ए)* से *(जी)* के बाहर आते हैं, तो यह धन विधेयक नहीं है। विधेयक की संपूर्णता को धन विधेयक के रूप में नहीं माना जा सकता है, एक बार जब इसमें कोई ऐसा मामला शामिल हो जो उप-विधेयक से परे हो।

खंड *(ए)* से *(जी)*। एक बार यह स्थिति हो जाने के बाद, उन भागों को अलग करना असंभव हो सकता है जो उपखंड *(ए)* से *(जी)* के भीतर आते हैं और जो बाहर झूठ बोलते हैं। *[*पारस *95,98] [831*-ए-एफ, जी-एच; *832*-ए-बी; *834*-बी-सी*]*

हरि राम बनाम। बेबी गोकुल प्रसाद, *(1991)* सप्लीमेंट *2* एस. सी. सी. *608;* मेसर्स सारू स्मेल्टिंग *(पी)* लिमिटेड बनाम।

बिक्री कर, लखनऊ *(1993)* पूरक *3* एस. सी. सी. *97: [1993] 3* एस. सी. आर. *719;* एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ ए. आई. आर. *1994* एस. सी.

1998 - पर भरोसा किया।

1.2. 2 लोकसभा किसी विधान को पेश और पारित नहीं कर सकती है।

इस कानून का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक निवासी के लिए एक राष्ट्रीय पहचान बनाना है। यह जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने के लिए एक प्रक्रिया को कानून बनाकर ऐसा करना चाहता है। अधिनियम में है इसके प्रावधानों की पूर्ति की देखरेख के लिए एक प्राधिकरण बनाया। अपने प्राथमिक फोकस और पहलों में, कानून धन विधेयक के लिए अनुच्छेद *110* द्वारा आरक्षित क्षेत्र से परे जाता है।

आधार न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(आर. ई. टी. डी.) v.* भारत का संघ

संख्याओं का उपयोग "अन्य उद्देश्यों" के लिए किया जा सकता है। *[* पारस *100,101,107] [835-*जी*; 836-*ए*-*बी*; 839-*डी*-*जी*; 840-*बी*]* *1.4* आधार अधिनियम की प्रस्तावना से संकेत मिलता है कि इसका मुख्य उद्देश्य एक कुशल और लक्षित वितरण प्राप्त करना था।

अनुदान, लाभ और सेवाएँ, जिसके लिए भारत की संचित निधि से व्यय किया जाता है। हालाँकि, अधिनियम के मूल प्रावधान प्रस्तावना में निर्दिष्ट उद्देश्य तक ही सीमित नहीं हैं। वास्तव में, वे अनुच्छेद *110 (1)* के तहत धन विधेयक की सीमाओं से बहुत आगे निकल जाते हैं। जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर नामांकन,

आधार संख्या का सृजन, व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने से पहले व्यक्तियों की सहमति प्राप्त करना, प्रक्रिया को लागू करने और पर्यवेक्षण के लिए एक वैधानिक प्राधिकरण का निर्माण, प्रक्रिया के दौरान एकत्र की गई जानकारी का संरक्षण, कुछ परिस्थितियों में जानकारी का प्रकटीकरण, अपराधों का निर्माण और प्रकटीकरण या जानकारी के नुकसान के लिए दंड, और किसी भी उद्देश्य के लिए आधार संख्या का उपयोग अनुच्छेद *110* के दायरे से बाहर है। ये विषय अनुच्छेद *110 (1)* के उपखंड *(ए)* से *(एफ)* में शामिल किसी भी मामले के लिए आकस्मिक नहीं हैं। *[* पैरा *108] [840* एच*; 841-*ए*-*बी*]*

1.5 अनुच्छेद *110 (1)* के खंड *(ई)* के तहत, धन विधेयक को किसी भी व्यय को व्यय घोषित करने से संबंधित होना चाहिए।

भारत की संचित निधि पर प्रभारित *(*या व्यय की राशि में वृद्धि*)*। धारा *7* घोषित नहीं करती है कि

सेवाओं, लाभों या सब्सिडी पर किया गया व्यय भारत की संचित निधि पर एक शुल्क होगा। धारा *7* समेकित निधि से ली जाने वाली सेवाओं, लाभों या सब्सिडी के मामले में आधार को अनिवार्य बनाने की अनुमति देने वाले प्रावधान को लागू करती है। धारा *7* में प्रावधान है कि सेवाओं, लाभों या सब्सिडी के मामले में, जो पहले से ही समेकित निधि से लिए जाते हैं, उनका लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य बनाया जा सकता है। इसलिए, धारा *7* भी अनुच्छेद *110 (1) (ई)* के दायरे में नहीं है। हालाँकि, भले ही धारा *7* को अनुच्छेद *110* के

लिए संदर्भित माना जाना था, लेकिन यह अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर लागू नहीं होता है। अधिनियम के अन्य प्रावधान किसी भी स्थिति में अनुच्छेद *110 (1)* के दायरे में नहीं आते हैं। विशेष रूप से अधिनियम की धारा *57 (*जो निजी संस्थाओं द्वारा आधार संख्या के उपयोग के लिए एक मंच तैयार करती है*)* किसी भी तर्क से *[2018] 8* एस. सी. आर. नहीं हो सकती है।

अनुच्छेद *110 (1)* के अंतर्गत आता है। अधिनियम के अन्य प्रावधान अनुच्छेद *110* के उपखंड *(ए)* से *(*जी*)* के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों से संबंधित नहीं हैं। जहां तक अनुच्छेद *110 (1) (*जी*)* के तहत 'आनुषंगिक' प्रावधान का संबंध है, आधार अधिनियम के प्रावधान उपखंड *(ए)* से *(*एफ*)* में निर्दिष्ट किसी भी मामले के लिए आनुषंगिक नहीं हैं। भले ही यह माना जाता है कि एक प्रावधान *(*धारा *7)* है जो अनुच्छेद *110 (1)* के उपखंड *(ई)* से संबंधित है, अधिनियम के अन्य प्रावधान अनुच्छेद *110 (1)* से असंबंधित हैं। *[* पैरा

109] [841 - डी-ई*; 842-*ए-बी*]*

1.6 पीठ और पदार्थ के सिद्धांत का उपयोग मुख्य रूप से यह जांचने के लिए किया जाता है कि क्या विधायिका के पास एक अधिनियम बनाने की क्षमता है

संविधान के तहत प्रदान की गई तीन सूचियों में से किसी के संबंध में कानून। इसे धन विधेयक के रूप में बनाए रखने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है, एक ऐसा विधेयक जो अनुच्छेद *110* द्वारा निर्धारित संवैधानिक सीमाओं से परे जाता है। क्या किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में वैध रूप से पारित किया जाता है, इसका धन विधेयक की विधायी क्षमता से कोई लेना-देना नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद *246* के तहत विधायिका। *[* पैरा *115] [848* एफ-जी*]*

ए एस कृष्णा बनाम मद्रास राज्य *[1957]* एससीआर *399;* महाराष्ट्र राज्य बनाम। भारत शांति लाल शाह *(2008) 13*

भारत संघ बनाम। शाह गोवर्धन एल काबरा टीचर्स ' महाविद्यालय *(2002) 8* एस. सी. सी. *228: [2002] 3* पूरक। एससीआर *220*

- अप्रयोज्य रखा गया।

1.7 आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पेश करने ने राज्यसभा के संवैधानिक अधिकार को दरकिनार कर दिया है। यह.

लोकतांत्रिक संस्थानों की वैधता। यह संविधान के साथ धोखाधड़ी है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में पारित करना, जब वह इसके लिए योग्य नहीं होता है, तो द्विसदनीयता के नाजुक संतुलन को नुकसान पहुंचाता है जो संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है। लोकतंत्र के लिए संस्थान महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद *110* के तहत धन विधेयक के रूप में अर्हता प्राप्त करने में विफल रहता है। आधार अधिनियम अनुच्छेद *110* का उल्लंघन करता है और इसलिए यह न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम के रूप में उत्तरदायी है।

असंवैधानिक घोषित किया गया। *[* पारस *116,117] [850-*एफ-जी; *851* बी-सी, ई-एफ*]*

2. बायोमेट्रिक्स, गोपनीयता और आधार

2.1. 1 बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकियों का तात्पर्य है कि "अद्वितीय या

एक व्यक्ति की विशिष्ट मानवीय विशेषताओं को एकत्र किया जाता है, उस व्यक्ति की पहचान के लिए उस व्यक्ति द्वारा किए गए दावे के स्वचालित सत्यापन के लिए मापा और संग्रहीत किया जाता है। इस प्रकार ये प्रणालियाँ स्वचालित माप और उनके जैविक लक्षणों *(*जैसे उंगलियों के निशान, चेहरा और आईरिस*)* या व्यवहार संबंधी विशेषताओं *(*जैसे हस्ताक्षर और आवाज*)* के विश्लेषण के आधार पर व्यक्तियों की पहचान या दावे की पहचान या सत्यापन करती हैं। विशेष रूप से विकासशील देशों में बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकियों को अपनाना

इन देशों में नई प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन के बाद से अद्वितीय चुनौतियों में शायद ही कभी मजबूत कानूनी ढांचे को लागू किया जाता है। विनियामक ढांचे की कमी, या मौजूदा ढांचे की अपर्याप्तता के सामाजिक और नैतिक परिणाम हैं और यह एक निरंतर जोखिम पैदा करता है कि गोपनीयता, स्वतंत्रता और अन्य मौलिक स्वतंत्रताओं की अवधारणाओं को नुकसान होगा।

गलत समझा गया, क्षरण या अवमूल्यन किया गया। बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी के प्रसार ने अभूतपूर्व पैमाने पर व्यक्तिगत गोपनीयता के आक्रमण को सुगम बनाया है। बायोमेट्रिक्स के केंद्र में कच्ची जानकारी अपनी प्रकृति से व्यक्तिगत है। आधार अधिनियम इसे संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के रूप में मान्यता देता है। बायोमेट्रिक

प्रौद्योगिकी इस मायने में अद्वितीय है कि यह मानव शरीर या व्यवहार के हिस्से का उपयोग प्रमाणीकरण या पहचान के आधार के रूप में करती है और इसलिए संबंधित व्यक्ति से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। *[* पारस *118,121,122,124] [852-*बी; *854-*डी-ई; *855-*बी, डी-ई*]* *2.1. 2* गोपनीयता से संबंधित हितों के दो मुख्य समूह हैं जो सीधे समकालीन के लिए प्रासंगिक हैं।

बायोमेट्रिक्स के नैतिक और कानूनी प्रभावों पर चर्चा।

पहला समूह 'सूचनात्मक गोपनीयता' के अंतर्गत आता है और व्यक्तिगत जानकारी के नियंत्रण से संबंधित है। नियंत्रित करने की क्षमता अपने बारे में व्यक्तिगत जानकारी व्यक्ति की गरिमा, आत्म-सम्मान और व्यक्तित्व की भावना से निकटता से संबंधित है। दूसरा हित समूह 'भौतिक गोपनीयता' के दायरे में आता है। निजता की यह भावना विशुद्ध रूप से शारीरिक से परे है और इसका उद्देश्य अनिवार्य रूप से मानव व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना है। यह व्यक्तियों के भौतिक शरीर और सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में घुसपैठ के खिलाफ एक सुरक्षा है।

निजता यह धारणा है कि किसी व्यक्ति के बारे में सभी जानकारी कुछ मौलिक रूप से उनकी अपनी संपत्ति है, और यह उनकी है जैसे वे उचित समझते हैं वैसे संवाद करें या बनाए रखें। *[* पैरा *125] [855*-एफ-जी; *856*-ए-सी*]*

2.1. 3 बायोमेट्रिक डेटा के अधिकांश रूपों के संग्रह के लिए डेटा विषय के व्यक्तिगत स्थान के कुछ उल्लंघन की आवश्यकता होती है। आइरिस और फिंगरप्रिंट स्कैनर को आंखों, हाथों और उंगलियों जैसे शरीर के अंगों के लिए बायोमेट्रिक सेंसर की निकटता की आवश्यकता होती है। यहां तक कि कानून प्रवर्तन और फोरेंसिक पहचान के संदर्भ में, फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग को भौतिक गोपनीयता को खतरे में डालने के लिए स्वीकार किया जाता है। कई देशों में ऐसे कानून और विनियम हैं जिनका उद्देश्य राज्य की शक्तियों और कानून प्रवर्तन द्वारा उल्लंघन के खिलाफ व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने के लिए ऐसे उपायों को विनियमित करना है। हालांकि, के उद्देश्य के लिए बायोमेट्रिक्स

प्रमाणीकरण और पहचान अलग है क्योंकि उनका अपराध से संबंधित निशान खोजने का कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति के लिए विशिष्ट पहचान जानकारी उत्पन्न करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। वास्तव में उद्देश्य में यह अंतर भौतिक बायोमेट्रिक्स के संग्रह को अखंडता और गोपनीयता का अधिक गंभीर उल्लंघन बनाता है। शारीरिक गोपनीयता के बारे में चिंताएं आमतौर पर चिंताओं की तुलना में पीछे हट जाती हैं।

सूचनात्मक गोपनीयता। इसका कारण यह है कि बायोमेट्रिक तकनीक के उपयोग के परिणामस्वरूप होने वाली भौतिक घुसपैठ आमतौर पर भौतिक जानकारी के संग्रह के परिणामस्वरूप होती है। हालाँकि, विशिष्ट सांस्कृतिक या धार्मिक पृष्ठभूमि के कुछ लोगों के लिए, शारीरिक घुसपैठ से होने वाला मानसिक नुकसान भी काफी गंभीर हो सकता है। *[* पैरा *126,127] [856*-सी-ई, जी*]*

नैन्सी यू लियू, बायो-प्राइवेसीः गोपनीयता विनियम और बायोमेट्रिक्स की चुनौती, रूटलेज *(2013);* साइमन डेविस, जैसा कि जॉन डी वुडवर्ड, बायोमेट्रिक में उद्धृत किया गया है।

स्कैनिंग, कानून और नीतिः चिंताओं की पहचान करना-बायोमेट्रिक ब्लूप्रिंट का मसौदा तैयार करना, विश्वविद्यालय पिट्सबर्ग लॉ रिव्यू, *(1997);* डैनियल एम. एल.

स्टोरिस्टियनू, टोबी एल. नॉर्मन, एलेक्जेंड्रा ग्रिगोर और एलेन बी. लैब्रिक, क्या बायोमेट्रिक्स विकासशील दुनिया की चुनौतियों को हरा सकता है*?*

, बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी टुडे जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

(2016) ; पाम डिक्सन, ए फेल्योर टू डू नो हार्म-भारत का आधार बायोमेट्रिक आई. डी. कार्यक्रम और इसमें असमर्थता यूरोप और अमेरिका में उपायों के संबंध में गोपनीयता की रक्षा, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी *(2017),* खंड। *7* , में

पृष्ठ *539-567*-संदर्भित।

2.2 बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह में सहमतिः आधार अधिनियम में गोपनीयता संबंधी चिंताएँ आधार अधिनियम की धारा *3 (2) (*सी*)* और धारा *32 (2)* में किसी व्यक्ति के अपने प्रमाणीकरण रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के अधिकार को मान्यता दी गई है। हालांकि,

अधिनियम के पूरक नियम ऐसी जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से नहीं जानते हैं। यद्यपि विनियम *5* में उल्लेख किया गया है कि प्रमाणीकरण के समय,

अनुरोध करने वाली संस्थाएं आधार संख्या धारक को इस उद्देश्य के लिए पहचान की जानकारी जमा करने के विकल्पों के बारे में सूचित करेंगी। प्रमाणीकरण, और विनियम *6* अनिवार्य करता है कि अनुरोध करने वाली संस्था प्रमाणीकरण के लिए आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगी, उपरोक्त परिस्थितियों में से किसी में भी विनियम स्पष्ट रूप से परिभाषित विकल्पों को निर्दिष्ट नहीं करते हैं जिन्हें होना चाहिए

आधार संख्या धारक को उपलब्ध कराया जाता है यदि वे पहचान की जानकारी जमा नहीं करना चाहते हैं, और न ही नियम आधार संख्या धारक द्वारा सहमति प्रदान नहीं करने के मामले में पालन की जाने वाली प्रक्रिया को निर्दिष्ट करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण चूक है। *[* पारस *145,146] [871-*सी, ई-एफ*]*

विकास के लिए पहचान *(*विश्व बैंक समूह*)*, डिजिटल पहचान प्रणाली के लिए तकनीकी मानक चर्चा के लिए डिजिटल पहचान मसौदा, तकनीकी मानकों पर उपलब्ध है। पीडीएफ, पृष्ठ *22* पर*;* केटी बर्ड, क्या आपका बायोमेट्रिक डेटा ऑनलाइन सुरक्षित है*?*
आईएसओ*/*आईईसी मानक सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करता है*, (11)*

अगस्त *2011)-*संदर्भित।

2.3 मूल बायोमेट्रिक जानकारी के प्रमाणीकरण और साझा करने के दौरान प्रकट की गई जानकारी का विस्तारः आधार अधिनियम की धारा *29 (1)* में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 'मूल बायोमेट्रिक जानकारी को कभी भी किसी भी कारण से किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता है या आधार संख्या बनाने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है

और इस अधिनियम के तहत प्रमाणीकरण '। हालाँकि, इस प्रावधान का अधिनियम की धारा *29 (4)* द्वारा खंडन किया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट करता है।

[2018] 8 एस सी आर।

जानकारी और पहचान की जानकारी*)*, जो अभिन्न हैं व्यक्तिगत पहचान। पहचान की जानकारी को समान सुरक्षा की आवश्यकता होती है जैसा कि मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी को प्रदान किया जाता है। *[* पारस *145,148] [872* जी-एच*; 873-*सी-ई*; 874-*ए*]*

2.4 आधार अधिनियम के संबंध में अन्य चिंताएँः

आधार अधिनियम की धारा *6* और *31 (2)* व्यक्तिगत आधार धारकों पर अपनी जानकारी को अद्यतन करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी डालती है। ये प्रावधान व्यक्तियों पर यह सुनिश्चित करने के लिए एक कानूनी अधिदेश बनाते हैं कि उनकी जानकारी सी. आई. डी. आर. के भीतर सटीक है। किसी व्यक्ति की बायोमेट्रिक जानकारी समय-समय पर बदल सकती है। उम्र बढ़ने, शारीरिक श्रम, चोट और बीमारी जैसे प्राकृतिक कारक किसी व्यक्ति की बायोमेट्रिक जानकारी को पाठ्यक्रम के दौरान बदल सकते हैं। एक जीवनकाल। *[* पारस *150-151] [874-F; 875-C-D]*

रमेश सुब्रमण्यन, कंप्यूटर सुरक्षा, गोपनीयता और

राजनीतिः वर्तमान मुद्दे, चुनौती और समाधान,

Cavoukian, गोपनीयता और बायोमेट्रिक्स, जानकारी और
गोपनीयता आयुक्त कनाडा *(1999);* रॉबर्ट

गेलमैन, गोपनीयता और बायोमेट्रिक पहचान प्रणालीः अ.

विकासशील देश, सी. जी. डी. नीति पत्र *028*
वाशिंगटन डी. सी.*:* वैश्विक विकास केंद्र *(1)*

अगस्त *2013)*-संदर्भित।
2.5 डेटाबेस में बायोमेट्रिक रिकॉर्ड तक कोई पहुंच नहीं हैः द.

आधार अधिनियम की धारा *28 (5)* का प्रावधान किसी व्यक्ति को बायोमेट्रिक जानकारी तक पहुंच की अनुमति नहीं देता है जो उसकी विशिष्ट आईडी *(*आधार*)* का मूल है। व्यक्ति तक पहुँच से इनकार करना डेटा संरक्षण के एक मौलिक सिद्धांत का उल्लंघन करता हैः डेटा का स्वामित्व हर समय व्यक्ति के पास होना चाहिए। इस मौलिक सिद्धांत को नजरअंदाज करना स्पष्ट रूप से मनमाना और अनुच्छेद *14* का उल्लंघन है।

[पैरा *152] [876-*एफ-जी*; 877-*सी*]* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

2.6 बायोमेट्रिक लॉकिंगः प्रमाणीकरण विनियम *11 (1)* और *(4)* बायोमेट्रिक लॉकिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। द.

बायोमेट्रिक लॉकिंग की अनुमति देने वाला प्रावधान इस हद तक फायदेमंद है कि यह आधार संख्या धारकों को अपने बायोमेट्रिक्स को स्थायी रूप से लॉक करने और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक होने पर ही उन्हें अस्थायी रूप से खोलने की अनुमति देता है। लेकिन विनियमन इस हद तक समस्याग्रस्त है कि यह यू. आई. डी. ए. आई. को बिना किसी निर्दिष्ट आधार के इस तरह के ताला हटाने के प्रावधान करने का भी अधिकार देता है। *[* पैरा *153] [877-*सी-डी, ई-एफ*]*

2.7 प्रमुख उपायः लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए, सरकार को संबंधित अपनी शक्तियों में कटौती करने की आवश्यकता है

सभी नागरिकों की निगरानी करना और डेटा के अनावश्यक संग्रह को रोकना। इस तरह की सुरक्षा आशंकाओं को शांत कर सकती है और आधार की दीर्घकालिक वैधता को बरकरार रख सकती है। यदि विधायी प्रक्रिया सार्वजनिक प्रतिक्रिया को ध्यान में रखती है और आधार के संबंध में गोपनीयता की चिंताओं को दूर करती है, तो यह अधिक डिजिटल पहलों के लिए एक ठोस आधार प्रदान करेगी, जो आज के डिजिटल युग में आसन्न हैं। हालाँकि, अपने वर्तमान रूप में, आधार ढांचा गोपनीयता को संबोधित नहीं करता है।

चिंता के मुद्दे। *[* पैरा *157] [879-*एफ-जी*]*

जॉन डी वुडवर्ड, बायोमेट्रिक्सः कानून की पहचान करना और

बायोमेट्रिक्स में नीतिगत चिंताएँ *(*ए. के. जैन ए. के., आर. बोले और एस. पंकांती संस्करण*)* , स्प्रिंगर *(1996);* रॉबर्ट गेलमैन, गोपनीयता और बायोमेट्रिक पहचान प्रणालीः एक दृष्टिकोण

विकास के लिए उचित सूचना प्रथाओं का उपयोग करना

यूरोप और अमेरिका में उपायों के संबंध में गोपनीयता, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी, खंड। *7 (2017)* , पृष्ठ *539* पर *567* संदर्भित किया गया।

3 . राज्य का वैध उद्देश्य

3.1 निर्देशक सिद्धांतः निर्देशक सिद्धांतों का सार संविधान के अनुच्छेद *38* में निहित है, जो लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए राज्य को बाध्य करता है। अनुच्छेद *41* में काम करने, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद *43* एक जीवित मजदूरी और काम की शर्तों पर विचार करता है जो उच्च न्यायालय रिपोर्ट प्रदान करते हैं।

[2018] 8 एस सी आर।

जीवन का एक सभ्य मानक। अनुच्छेद *47* राज्य पर पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए एक सकारात्मक दायित्व डालता है, जो उसके प्राथमिक कर्तव्यों में से एक है। *[* पैरा *158,161] [880-*ए*; 881-*एफ-जी*; 882-*एफ-जी*; 883-*ए, सी*]*

3.2 विकास और स्वतंत्रताः सामाजिक सुरक्षा विकास के साथ एक आधार कड़ी के रूप में कार्य करती है। एक दो रास्ता भी है

विकास और सामाजिक सुरक्षा *(*मानव क्षमता का विस्तार*)* के बीच संबंध। राज्य का एक वैध उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उसके नागरिकों को बुनियादी मानव सुविधाएं प्राप्त हों। विकास देखने के लिए, राज्य में भारी मात्रा में खर्च होता है आम नागरिकों को सब्सिडी और लाभ प्रदान करने में, जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। ये

आधार अधिनियम, *2016* का आधार चिंताएँ हैं। उद्देश्यों और कारणों का विवरण इंगित करता है कि यह अधिनियम "भारत के समेकित कोष से लाभों, सब्सिडी और सेवाओं का प्रभावी, सुरक्षित और सटीक वितरण" सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।

लक्षित लाभार्थी "। आधार प्लेटफॉर्म अपने आप में एक सामाजिक कल्याण लाभ नहीं है। अनिवार्य रूप से, यह जो हासिल करना चाहता है वह प्रत्येक निवासी को एक अनूठी पहचान प्रदान करना है। यह पहचान, आधार संख्या के रूप में, जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी जमा करने पर प्राप्त की जाती है।

नामांकन। विधायी डिजाइन में परिकल्पना की गई है कि व्यक्ति की पहचान प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापित की जाती है, जिसके द्वारा केंद्रीय भंडार में संग्रहीत बायोमेट्रिक डेटा का जमा की गई बायोमेट्रिक जानकारी के साथ मिलान किया जाता है। प्रमाणीकरण। पहचान के सत्यापन के लिए

एक साधन के रूप में, आधार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि सामाजिक कल्याण लाभ प्राप्त किए जाएं

ऐसा करने के लिए पात्र व्यक्ति और अयोग्य द्वारा पकड़े नहीं जाते हैं। बायोमेट्रिक मार्करों की एक प्रबल विश्वसनीयता पर भरोसा करते हुए, आधार मंच समाप्त करने का प्रयास करता है, या कम से कम किराया मांगने के व्यवहार पर अंकुश लगाने का प्रयास करता है। यह सुनिश्चित करने में राज्य का हित है कि राज्य जो कल्याणकारी लाभ प्रदान करता है, वे उन लोगों तक पहुंचे जिनके लिए

वे अभिप्रेत हैं। *[* पैरा *164,174,175,177,178] [885*-एफ; *894*-एफ जी; *895*-ई; *897*-जी; *898*-सी-डी; *899*-बी-सी, ई, जी*]*

मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ *(1980) 3* एससीसी

625 : [1981] 1 एस. सी. आर. *206*-निर्भर।

अरुण के तिरुवेंगडम, भारत का संविधानः ए.

पृष्ठ *1* पर प्रासंगिक विश्लेषण, *(*ब्लूम्सबरी *2017);* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम।

भारत का संघ

जॉर्ज एच. गडबोइस, जे. आर., भारत का सर्वोच्च न्यायालयः शुरुआत *(*विक्रम राघवन और वासुजीत राम*)*

एडीएस.*)* , ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस *(2017),* पृष्ठ *193* पर*; "*एक ज्ञात लेकिन एक उदासीन न्यायाधीश*":* रोनाल्ड की स्थिति

समकालीन भारतीय न्यायशास्त्र में कार्य करते हुए

उपेंद्र बख्शी द्वारा पृष्ठ *582* पर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कांस्टीट्यूशनल लॉ *(2003);* अमर्त्य सेन द्वारा पृष्ठ *xii* पर डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस *(2000);* यशैया बर्लिन द्वारा स्वतंत्रता की दो अवधारणाएँ*;* स्वतंत्रता का संविधान, रूटलेज और केगन

पॉल, *(1960)* पृष्ठ *11* पर, एफ ए हायेक द्वारा *207-208;*

महिला और मानव विकास, कैम्ब्रिज

यूनिवर्सिटी प्रेस, *(2000)* मार्था नुसबाम द्वारा*;* बुनियादी अधिकारः निर्वाह, समृद्धि और अमेरिकी विदेश नीति, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, हेनरी शू द्वारा दूसरा संस्करण *(1996);* अमर्त्य सेन द्वारा पृष्ठों पर द आइडिया ऑफ जस्टिस, पेंगुइन *(2009);* जीन ड्रेज़ द्वारा पृष्ठ *x* और *xi* पर एक अनिश्चित गौरव, पेंगुइन *(2013)* और

अमर्त्य सेन ने उल्लेख किया। -

3.3 पहचान और पहचानः पहचान मानव व्यक्तित्व से अविभाज्य है। एक पहचान एक बयान है कि कौन

व्यक्ति है। मानव व्यक्तित्व, एक निश्चित स्तर पर, पहचान के बारे में है, क्योंकि यह पहचान के दावे के माध्यम से है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मानवता के मूल को संरक्षित करना चाहता है। एक पहचान वह व्यक्तित्व है जिसे एक व्यक्ति भीड़ में प्रस्तुत करता है।

संबंधों की। जब संविधान हमारे होने और हम जैसे हैं वैसे होने के अधिकार की रक्षा करता है, तो यह एक ऐसा स्थान बनाता है जहां व्यक्ति हस्तक्षेप से मुक्त होता है। हमारी स्वतंत्रता को मान्यता देकर

स्वायत्त व्यक्तियों, संविधान दूसरों के साथ बातचीत में अपनी पहचान को संरक्षित करने और आकार देने की हमारी क्षमता को मान्यता देता है।

पहचान यह स्थापित करने का प्रमाण है कि एक व्यक्ति है वास्तव में, वह व्यक्ति जो किसी अधिकार या हकदारी का दावा करता है। अपनी दैनिक बातचीत में, व्यक्तियों को खुद को दूसरों से अलग करना पड़ता है, चाहे वह रोजगार, यात्रा, नागरिक संघ, स्थान, सामुदायिक दृष्टिकोण, राजस्व दायित्वों या लाभों तक पहुंच के दौरान हो। पहचान पहचान या पहचान का प्रमाण है। दैनिक जीवन की कई गतिविधियों में पहचान अनिवार्य हैः अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए एक पासपोर्ट आवश्यक है, एक सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 8 एस सी आर।

चुनावी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए मतदाता पहचान पत्र की आवश्यकता होती है, एक ड्राइविंग

वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है और फायर आर्म रखने के लिए हथियार लाइसेंस की आवश्यकता होती है। *[* पारस *17,99,180] [899-*जी-एच*; 900-*ए-बी, ई-एफ*]*

3.4 आधार व्यवस्था के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला यह है कि धारा *3* के तहत, यह एक स्वैच्छिक विकल्प है

भारत को केवल कानून के अनुसार, संविधान द्वारा प्रदान किए गए उद्देश्य और तरीके से विनियोजित किया जा सकता है। द. राज्य सार्वजनिक संसाधनों का न्यासी है। आधार को अपनाना सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत की पूर्ति में है। राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि संचित निधि में रखे गए उसके राजस्व को कानून के अनुसार विनियोजित किया जाए और बाहरी उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग न किया जाए। धारा *7* का अधिदेश राज्य के वैध हित पर आधारित है। यह सुनिश्चित करने में राज्य का महत्वपूर्ण हित है कि सार्वजनिक राजस्व का विधिवत लेखा-जोखा किया जाए, कि समेकित निधि का उपयोग कानून द्वारा अधिकृत उद्देश्यों के लिए किया जाए; कि विकास के लिए धन वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे और सामाजिक-आर्थिक सीढ़ी के नीचे रहने वालों के लिए दुर्लभ सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग किराया मांगने के व्यवहार द्वारा गलत तरीके से न किया जाए। *[* पैरा *187] [907-*सी-ई, जी-एच*; 908-*ए*]*

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम। भारत संघ

(2014) 5 एस. सी. सी. *438;* प्राकृतिक संसाधन आवंटन, में

पुनः*, 2012 (2012)* का विशेष संदर्भ संख्या *1 10* एस. सी. सी. *1:*

[2012] 9 एस. सी. आर. *311;* जनहित याचिका केंद्र

वी. भारत संघ *(2012) 3* एससीसी *1: [2012] 3* एस. सी. आर. *147;* रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड बनाम। भारत संघ *(2017) 4* एस. सी. सी *269: [2017] 4* एस. सी. आर. *972* पर भरोसा किया।

पहचान के अधिकार पर राय, *2007;* पहचान और

पहचान-न्याय के समय में व्यक्ति के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

नेटवर्क शासन, द्वारा सामाजिक कानूनी समीक्षा
निशांत शाह*;* मैनुअल कैस्टेल्स के साथ बातचीत,

मैनुअल कैस्टेल्स द्वारा ग्लोबट्रॉटर-संदर्भित।
4. आनुपातिकता

4.1 परस्पर विरोधी अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करना-जुर्माने को प्राप्त करने और बनाए रखने की दिशा में काम करना राज्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है।

संतुलन, इन असंख्य विचारों को ध्यान में रखते हुए। राज्य को हमेशा इस ज्ञान और कर्तव्य की भावना से निर्देशित होना चाहिए कि एक सच्चे लोकतंत्र में, नागरिकों को अधिकारों और जरूरतों के बीच चयन करने के लिए नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि वे दोनों के लिए समान रूप से हकदार हैं। न्याय के प्रहरी और मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में, यह इस न्यायालय की जिम्मेदारी है कि वह एक रोक के रूप में कार्य करे और यह सुनिश्चित करे कि सरकारी कार्रवाई या निष्क्रियता उस संतुलन को खतरे में नहीं डालती है जिसे संविधान प्राप्त करना चाहता है। *[* पैरा *190] [911-*बी-सी*]*

4.2 न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करते समय, न्यायालयों को अक्सर अधिकारों के बीच संघर्ष से जुड़ी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक ही अधिकार के दावे से उत्पन्न अधिकारों और कलह के दावे से उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों के बीच तनाव। अधिकारों के बीच संघर्ष तब उत्पन्न होते हैं जब किसी व्यक्ति द्वारा मौलिक मानव अधिकार का दावा दूसरों द्वारा अलग-अलग स्वतंत्रताओं के प्रयोग पर प्रभाव डालता है। एक व्यक्ति की बोलने और व्यक्त करने की स्वतंत्रता दूसरे की गरिमा को प्रभावित कर सकती है। एक व्यक्ति व्यथित हो सकता है जब मुक्त व्यायाम

किसी व्यक्ति द्वारा बोलने का अधिकार उसके अधिकार में बाधा डालता है। प्रतिष्ठा, जो अनुच्छेद *21* के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है। *[* पैरा *191] [911-*डी-ई*]*

आर्थिक अधिकारों को मान्यता देने का अधिनायकवादी विकल्प राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना। स्वतंत्रता और कानून के शासन पर आधारित संवैधानिक गारंटी के कारण आर्थिक अधिकार न्यायसंगत हो गए हैं। संविधान लोकतांत्रिक शासन पर आधारित है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा पर आधारित है।

स्वतंत्रता मौलिक राजनीतिक स्वतंत्रताओं के साथ-साथ बुनियादी मानवाधिकारों दोनों को समझती है। दोनों के बीच एक न्यायपूर्ण संतुलन सामाजिक संदर्भ में मानव स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए अभिन्न है जो बड़े पैमाने पर भेदभाव और पूर्वाग्रह के इतिहास से परिचित है।

हमारे समाज के वर्ग। जहाँ प्रश्न निजता के अधिकार को सीमित करने से संबंधित है, वहाँ पुट्टास्वामी को आनुपातिकता के परीक्षण की आवश्यकता है। इसलिए, यह परीक्षण किया जाना चाहिए कि क्या आधार योजना आनुपातिकता की कसौटी को पूरा करती है। आनुपातिकता परीक्षण यह निर्धारित करता है कि किसी अधिकार के प्रयोग में राज्य के हस्तक्षेप की प्रकृति और सीमा *(*इस मामले में, निजता के अधिकार,

गरिमा, विकल्प और बुनियादी अधिकारों तक पहुंच*)* उस लक्ष्य के अनुपात में होनी चाहिए जिसे वह प्राप्त करना चाहता है *(*इस मामले में, कल्याणकारी रिसाव को कथित रूप से रोकना और बेहतर लक्ष्यीकरण*)*। आनुपातिकता परीक्षण को लागू करने में, न्यायालय यांत्रिक रूप से राज्य के दावों को स्थगित नहीं कर सकता है। विशेष रूप से घुसपैठ को देखते हुए

आधार योजना की प्रकृति, विधायिका के प्रति ऐसा सम्मान अनुचित है। *[* पैरा *196,198] [915-*जी-एच*; 916-*ए-सी*; 917-*बी, ई*]*

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज *(*पी. यू. सी. एल.*)* बनाम यूनियन ऑफ

भारत *(2003) 4* एससीसी *399: [2003] 2* एससीआर *1136;*

थलाप्पलम सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम राज्य केरल *(2013) 16* एस. सी. सी. *82: [2013] 14* एससीआर *475;*

जी सुंदरराजन बनाम भारत संघ *(2013) 6* एससीसी *620: [2013] 8* एस. सी. आर. *631;* सुब्रमण्यम स्वामी बनाम यूनियन ऑफ

भारत *(2016) 7* एससीसी *221: [2016] 3* एससीआर *865;* आशा

रंजन बनाम चंद्रकेश्वर प्रसाद *(2017) 4* एससीसी *397;*

चिंतामन राव बनाम मध्य प्रदेश राज्य *[1950]* एससीआर

पर भरोसा किया।

ग्रैनविल ऑस्टिन, एक लोकतांत्रिक संविधान पर काम कर रहे हैं:

भारतीय अनुभव का इतिहास, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय

प्रेस *(2003)* पृष्ठ *6* पर; लोन एल. फुलर और केनेथ *I*।

विंस्टन, निर्णय के रूप और सीमाएँ, हार्वर्ड लॉ रिव्यू, वॉल्यूम। *92 , (1978)* , पृष्ठ *353* पर

409 ; क्वामे एंथनी अप्पिया, द लाइज़ दैट बाइंड:

पहचान पर पुनर्विचार, लिवराइट पब्लिशिंग *(2018);* फ्रांसिस

फुकुयामा, पहचानः गरिमा की मांग और

प्रबुद्धता की राजनीति, फरार, स्ट्रॉस और गिरौक्स
(2018) ; आनंद गिरिधरदास 'पहचान क्या है?'

, न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

न्यूयॉर्क टाइम्स, *27* अगस्त, *2018;* पीटर एफ ड्रकर, द एज ऑफ डिस्कंटीन्यूटीः हमारे बदलते समाज के लिए दिशानिर्देश, हार्पर एंड रो *(1969)*। ड्रकर की पुस्तक

ज्ञान अर्थव्यवस्था शब्द को लोकप्रिय बनाया; ज्ञान अर्थव्यवस्था क्या है*?* , आई. जी. आई. ग्लोबलः प्रसारक

ज्ञान का; कृष्णदास राजगोपाल, 'आधार संख्या मेंः यू. आई. डी. ए. आई. के सी. ई. ओ. के प्रमुख व्यक्ति

सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुति ', द हिंदू, *(22* मार्च, *2018)*। मार्च *2018* तक आधार नामांकन *1* अरब से अधिक था; उपेंद्र बख्शी, मानव होने का अधिकारः कुछ पाखंड, इंडिया इंटरनेशनल

सेंटर क्वार्टरली, वॉल्यूम। *13 , (1986) ;* थॉमस एर्स्किन मे, संसद के कानून, विशेषाधिकारों, कार्यवाही और उपयोग पर एक ग्रंथ, नौवां संस्करण *(1883);* बी. शिवा राव, द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कांस्टीट्यूशनः एक अध्ययन,

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान *(1968),* पृष्ठ *420* पर; प्रतीक दत्ता, शेफाली मल्होत्रा और शिवांगी

त्यागी, न्यायिक समीक्षा और धन विधेयक, एन. यू. जे. एस. कानून

समीक्षा *(2017);* ग्रैनविल ऑस्टिन, द इंडियन

संविधानः एक राष्ट्र की आधारशिला, ऑक्सफोर्ड

यूनिवर्सिटी प्रेस *(1966)*-संदर्भित।

4.4 भारतीय न्यायशास्त्र में आनुपातिक मानक आनुपातिकता तब से तर्कसंगतता का मूल रहा है जब से

निजता के उल्लंघन के लिए संविधान को उचित ठहराया जाए। तीसरा सिद्धांत वस्तुओं और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनाए गए साधनों के बीच एक तर्कसंगत संबंध सुनिश्चित करने के लिए आनुपातिकता की परीक्षा को अपनाता है। आनुपातिकता परीक्षण की आवश्यक भूमिका अदालत को यह निर्धारित करने में सक्षम बनाना है कि क्या कोई विधायी उपाय है मौलिक अधिकार के साथ इसके हस्तक्षेप में असमान। इसका निर्धारण करने में, न्यायालय को इस बात का ध्यान रखना होगा कि क्या कानून के उद्देश्य के अनुरूप कम हस्तक्षेपकारी उपाय अपनाया जा सकता था और क्या किसी मौलिक अधिकार पर अतिक्रमण का प्रभाव उस लाभ के लिए असमान है जो होने की संभावना है। आनुपातिकता मानक को कानून के प्रक्रियात्मक और मूल पहलुओं द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। 'आनुपातिकता की परीक्षा' एक न्यायिक रूप से स्थापित सिद्धांत है जिसने देश में मौलिक अधिकारों के न्यायशास्त्र को सशक्त किया है।

अधिकारों में आनुपातिकता मानक का एकीकरण-बीविभिन्न क्षेत्राधिकारों में मान्यता अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है। *[*

204] [917 - एफ*; 918-*सी-डी*; 922-*बी-सी, ई-जी*; 923-*बी-सी*]*

बिहार राज्य बनाम। कमला कांत मिश्रा *(1969) 3* एस. सी. सी. *337*

: [1970] 3 एससीआर *181;* मोहम्मद फारूक बनाम। की स्थिति

मध्य प्रदेश *(1969) 1* एससीसी *853 [1970] 1* एससीआर

उत्तर प्रदेश *(1982) 1* एससीसी *39: [1982] 1* एससीआर *1137;* ओम कुमार बनाम। भारत संघ *(2001) 2* एससीसी *386: [2000]*

4 पूरक। एस. सी. आर. *693;* टेरी ओट एस्टेट बनाम। यू. टी., चंडीगढ़

(2004) 2 एससीसी *130: [2003] 6* पूरक। एससीआर *1235;* आधुनिक

डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर बनाम मध्य राज्य

प्रदेश *(2016) 7* एस. सी. सी. *353-*पर निर्भर था।

एलोय डी फ्रीटास बनाम। मंत्रालय के स्थायी सचिव

कृषि, मत्स्य पालन, भूमि और आवास, *[1999] 1*

एसी *69;* हुआंग *(*एफसी*)* बनाम। गृह राज्य सचिव

विभाग *[2007]* यूकेएचएल *11-*संदर्भित।

सब कुछ अनुपात में*?* अमेरिकी अधिकारों की समीक्षा

और संतुलन की समस्या, एमोरी लॉ जर्नल, खण्ड. *60 (2011)* जूड मैथ्यूज और एलेक स्टोन स्वीट द्वारा;

वैश्विक

आनुपातिक संतुलन

और

संवैधानिकता, कोलंबिया जर्नल ऑफ ट्रांसनेशनल लॉ, वॉल्यूम। *47 (2008)* एलेक स्टोन स्वीट एंड जूड

मैथ्यूज; आनुपातिकता और संस्कृति औचित्य, तुलनात्मक कानून की अमेरिकी पत्रिका

खण्ड. *59 (2011) (* में उद्धृत*);* एटियेन मुरेनिक, ए ब्रिज कहाँ तक*?* अधिकारों का अंतरिम विधेयक प्रस्तुत करना,

साउथ अफ्रीकन जर्नल ऑन ह्यूमन राइट्स, वॉल्यूम। *10 (1994)*

मोशे कोहेन द्वारा-एलिया और इड्डो पोराट; सिद्धांत

आनुपातिकता, मिशिगन विश्वविद्यालय जर्नल ऑफ विधि सुधार, खण्ड। *42 (2009)* एंड्रयू बी. सर्विन, गोपनीयता

3.0 - आनुपातिकताक सिद्धान्त, विश्वविद्यालय

मिशिगन जर्नल ऑफ लॉ रिफॉर्म, वॉल्यूम। *42 (2009)* द्वारा

एंड्रयू बी. सर्विन, गोपनीयता *3;* अदालाह बनाम। द.

आंतरिक मंत्री, एचसीजे *7052/03;* जीन ड्रेज़ और

अमर्त्य सेन, एन अनसर्टेन ग्लोरी, पेंगुइन *(2013)*

पृष्ठ *x* और *xi;* गैरी रोथेनबाग, *(*ए में उद्धृत*)*।

Cavoukian, गोपनीयता और बायोमेट्रिक्स, जानकारी और गोपनीयता आयुक्त, ओंटारियो, कनाडा, *1999*, पृष्ठ जस्टिस के. एस. पुटास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

11 ; राज्यसभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय की संरचना और कार्य, *(2009)*, पृष्ठ *2-3* पर; अहरोन बराक की मौलिक पुस्तक; अहरोन बराक,

आनुपातिकताः संवैधानिक अधिकार और उनके
सीमाएँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस *(2012) -*

संदर्भित किया गया।

4.5 आधारः आनुपातिकता विश्लेषण

4.5. 1 जब आधार को हर डेटाबेस में जोड़ा जाता है, तो यह

विवेकपूर्ण डेटा साइलो के पार एक सेतु बन जाता है, जो इस जानकारी तक पहुँच रखने वाले किसी भी व्यक्ति को एक प्रोफ़ाइल का पुनः निर्माण करने की अनुमति देता है।

व्यक्ति का जीवन। जबकि आधार अधिनियम की धारा *2 (*के*)* जाति, धर्म, जाति, जनजाति, जातीयता, भाषा, आय या चिकित्सा इतिहास से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी को सी. आई. डी. आर. में संग्रहीत नहीं करती है, विभिन्न योजनाओं के साथ आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने से एक ही परिणाम प्राप्त होता है। आधार

अधिनियम विशेष रूप से जिसे बाहर करने का प्रयास करता है, वह लाभों और सेवाओं के वितरण की आड़ में विभिन्न डेटाबेस के साथ आधार संख्या को अनिवार्य रूप से जोड़कर किया जाता है। इसके अलावा, एक के प्रमाण की अनुपस्थिति

आधार संख्या राज्य की नजर में एक निवासी को अस्तित्वहीन बना देगी और ऐसे निवासियों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर देगी। इस प्रकार धारा *7* नागरिकों के जीवन पर सीधा प्रभाव डालती है। यदि सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रत्येक लाभ या सेवा के लिए आधार की आवश्यकता को अनिवार्य कर दिया जाता है, तो समकालीन भारत में आधार के बिना रहना असंभव है। इससे पीड़ित है

ओवरब्रॉड होने की बुराई। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी का दायरा *(*जो समेकित से व्यय करता है*)*

निधि*)* अन्य लाभों और सेवाओं के समान नहीं है जो सरकार अपने नागरिकों को प्रदान करती है। इसलिए, लाभों और सेवाओं को एक ही मानदंड से नहीं मापा जा सकता है।

अनुदान। धारा *7* में सेवाओं और लाभों का समावेश उस प्रकार के कार्य के लिए एक पूर्व-कर्सर है जो असंगत है। गोपनीयता और सूचनात्मक आत्मनिर्णय के साथ। 'सेवाएँ और' लाभ 'अभिव्यक्तियों की व्यापक परिभाषाएँ सरकार को आधार मंच के तहत नागरिकों के साथ अपने जुड़ाव के लगभग हर पहलू को विनियमित करने में सक्षम बनाएंगी। धारा *7* अपने अप्रचलित अनुप्रयोग में स्पष्ट अति विस्तार से ग्रस्त है

सेवाएँ और लाभ। *[* पैरा *247] [968-*ई-एच*; 969-*ए-सी*]*

मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड बनाम भारत संघ *(2012) 11* एस. सी. सी. *1: [2012] 7* एस. सी. आर. *644-*संदर्भित।

[2018] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संघीय जनगणना अधिनियम मामला *(*वोक्सज़लुंगसुरटेल*) (1983) 65* बीवीईआरएफजीई *1;* एस और मार्पर बनाम यूनाइटेड किंगडम *(2008)*

48 ई. एच. आर. आर. *1169;* अयकागुएर बनाम। फ्रांस आवेदन सं।

8806/12 ; डिजिटल राइट्स आयरलैंड लिमिटेड *v.* मंत्री सी *293/12* और सी *594/12;* माइकल श्वार्ज बनाम। स्टैड्ट बोचम
[2013] ई. यू. ई. सी. जे. सी*-291/12;* माधव बनाम। राज्य का

मॉरीशस *[2016]* यूकेपीसी *30;* एस और मार्पर बनाम। द.

यूनाइटेड किंगडम *[2008]* ईसीएचआर *1581;* वर्नोनिया स्कूल

जिला *47* जे बनाम। एक्टन *515* यू. एस. *646 (1995);* स्किनर बनाम

रेलवे श्रम कार्यकारी संघ *489* यू. एस. *602*

2012) ; यूटिलिटी वर्कर्स यूनियन ऑफ अमेरिका बनाम परमाणु
विनियामक आयोग *664* एफ. सप. *136 (S.D.N.Y*।

1987) ; निकोलस ए इकोबुची बनाम। न्यूपोर्ट शहर *785*

एफ. *2* डी *1354 (*छठा सिर। *1986);* थॉम वी। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज *303* एफ. सप. *1002 (S.D.N.Y. 1969);* पर्की वी। मोटर वाहन विभाग *(1986) 42* कैल. *3* डी *185;*
बुकानन बनाम विंग *N.Y.S.2d 865;* लोग बनाम। स्टलर *10*

कैल। *App.3d 582 (1970);* संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम। केली *55* एफ. *2* डी *67 (2* डी सिर। *1932);* ब्राउन बनाम। ब्रैनन *399* एफ. सप. *133 (M.D.N.C. 1975)*-संदर्भित।

एसोसिएशन फॉर प्रमोशन द इमेज काउंसिल डी '

फ्रांस में एटाट, *26* अक्टूबर *2011;* आधार की गोपनीयता और सुरक्षाः एक कंप्यूटर विज्ञान परिप्रेक्ष्य "

संदर्भित किया गया।

क्या धारा *7* के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है

4.5. 2

किसी व्यक्ति द्वारा राज्य को दी गई पिछली सेवा के कारण देय पेंशन के लिए कोई औचित्य? पेंशन राज्य द्वारा दी जाने वाली कोई बड़ी राशि या इनाम नहीं है। पेंशन, सेवा की एक शर्त के रूप में, किसी व्यक्ति द्वारा राज्य और उसके उपकरणों को दी गई लंबे वर्षों की सेवा के लिए एक प्रतिफल के रूप में संलग्न है। एक अधिकार।

पहचान के एक और केवल एक साधन की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता है। पेंशन वितरण प्राधिकरण उस व्यक्ति को पेंशन का वितरण सुनिश्चित करने के लिए विनियम *(*जो आम तौर पर पहले से ही लागू हैं*)* निर्धारित करने का हकदार है जो सही रूप से हकदार है। सरकार के इस उद्देश्य को न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम द्वारा पूरा किया जा सकता है।

भारत का संघ

अन्य कम घुसपैठ करने वाले उपाय। आग्रह करने की आवश्यकता

जो उनके हकदार हैं। पहचान के एकमात्र भंडार के रूप में आधार योजना के अनिवार्य प्रवर्तन के विपरीत कम घुसपैठ के उपायों को अपनाकर इस वैध उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। राज्य यह प्रदर्शित करने में विफल रहा है कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के अलावा कम घुसपैठ करने वाला उपाय इसके उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगा। धारा *7* में लाभों और सेवाओं का समावेश एक पेटेंट अस्पष्टता, अस्पष्टता से ग्रस्त है और अति विस्तार जो सेवाओं और लाभों के समावेश को मनमाना और अनुच्छेद *14* का उल्लंघन करता है। *[* पैरा *248] [969*-जी-एच*; 970*-ए सी*]*

मेनका गांधी बनाम। भारत संघ *(1978) 1* एससीसी *248: [1978] 2* एस. सी. आर. *621;* विशाखा बनाम। राजस्थान राज्य *(1997)*

6 एससीसी *241 [1997] 3* पूरक। एससीआर *404;* गीता

हरिहरन *(*सुश्री*)* बनाम। भारतीय रिजर्व बैंक *(1999) 2* एस. सी. सी. *228 [1999] 1* एस. सी. आर. *669;* अनुज गर्ग बनाम। होटल

भारतीय संघ *(2008) 3* एस. सी. सी. *1: [2007] 12* एस. सी. आर. *991;* राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम। भारत संघ *(2014) 5* एस. सी. सी. *438;* मधु किश्वर बनाम। बिहार राज्य *(1996) 5* एससीसी *125: [1996] 1* पूरक। एससीआर *442;* नंदिनी सुंदर बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य *(2011) 7* एससीसी

547 [2011] 8 एस. सी. आर. *1028*-पर निर्भर।

बेट्टी ड्रेक्सहेज, द्विसदनीय विधानमंडलः अ.

अंतर्राष्ट्रीय तुलना, आंतरिक और राज्य संबंध मंत्रालय-नीदरलैंड *(2015),* पृष्ठ *7* पर*;*

अभिनय मुथू और केनेथ ए. शेपसल, द

संस्थानों और आर्थिक प्रदर्शन में द्विसदनीयता की संवैधानिक पसंद *(*एल्हानन हेल्पमैन एड*),* हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस *(2008),* पृष्ठों पर *251-252;*

जेम्स मैडिसन, द फेडरलिस्ट नंबर *62*-द सीनेट, द फेडरलिस्ट पेपर्स *(1788);* विलियम एच. रिकर, द *[2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

द्विसदनीयता का औचित्य, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक
विज्ञान समीक्षा *(1992),* खंड। *13* , अंक *1,* पृष्ठों पर

101-16 ; शाऊल लेवमोर, द्विसदनीयवादः दो कब होते हैं

एक से बेहतर निर्णय*?* , की अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा

कानून और अर्थशास्त्र *(1992),* खंड। *12* , पृष्ठ *147* पर

148 ; जेम्स एन. ड्रुकमैन और माइकल एफ. थीज़, द

एकरूपता के महत्वः का प्रभाव

सरकार के गठन पर द्विसदनीयता और

ड्यूरेशन, अमेरिकन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस

(2002) , खण्ड. *46* , नंबर *4,* पृष्ठों पर *760-771;* इलियट बुल्मर, द्विसदनीयवाद, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी

और चुनावी सहायता *(2017)*, पृष्ठ *4* पर; जेम्स आर।

रोजर्स, द एडवांटेज ऑफ सेकंड चैंबर्स इन

रिपब्लिकन विधायिकाः एक सूचनात्मक सिद्धांत,

पृष्ठ *6* पर; "गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के मुद्दे
बायोमेट्रिक अनुप्रयोगः एक तुलनात्मक कानूनी

विश्लेषण "; असमानता को स्वचालित करनाः कितना उच्च-तकनीकी

टूल प्रोफाइल, पुलिस और गरीबों को दंडित करें "; झारखंड में आधार और खाद्य सुरक्षाः बिना लाभ के दर्द? "

- संदर्भित किया गया।

4.5. 3 आधार पहचान के बारे में है और एक ऐसा साधन है जो पहचान के प्रमाण की सुविधा प्रदान करता है। इसे मिटाना नहीं चाहिए।

संवैधानिक पहचान। धारा *2 (के)* में जनसांख्यिकीय जानकारी की परिभाषा में नस्ल, धर्म, जाति, जनजाति, जातीयता, भाषा, पात्रता के अभिलेख, आय या चिकित्सा इतिहास शामिल नहीं हैं।

उसकी जाति, धर्म, जाति, जनजाति, जातीयता, भाषा, पात्रता के अभिलेख, आय या चिकित्सा इतिहास के संबंध में। इस प्रकार, प्रौद्योगिकी का प्रभाव ऐसा है कि आधार की योजना विभिन्न संवैधानिक पहचानों को एक ही पहचान में बदल सकती है।

12 अंकों की संख्या और किसी व्यक्ति के पसंद के साथ खुद को पहचानने के अधिकार का उल्लंघन करता है। *[* पैरा *252] [974-*एफ-जी; *975-*ए*]*

4.5. 4 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और कार्यक्रम

समाज के एक बड़े वर्ग के अस्तित्व का माध्यम। भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, जैसे कि पीडीएस, हाशिए पर पड़े लोगों की गरिमा की रक्षा के लिए शुरू की गई थीं। इन योजनाओं से बहिष्करण उन योजनाओं के औचित्य को विफल कर देता है जो पुरानी भूख और कुपोषण को दूर करने के लिए हैं। बहिष्करण मानव गरिमा का उल्लंघन है।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

सरकारी अभिलेखों में दर्ज आंकड़े और याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर हलफनामे आधार में तकनीकी त्रुटियों के कारण बहिष्कार के स्पष्ट उदाहरणों की ओर इशारा करते हैं। परिणामस्वरूप बहिष्करण

बायोमेट्रिक उपकरणों का हाशिए पर पड़े लोगों और गरीबों के जीवन पर असमान प्रभाव पड़ता है। बायोमेट्रिक्स को संवैधानिक अधिकारों से अनिवार्य रूप से जोड़ने के परिणामस्वरूप गरीब लोगों को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय को विशेष रूप से वंचितों की गरिमा के प्रति सचेत रहना होगा। इस

मामले में बहिष्करण त्रुटियों ने हाशिए पर पड़े लोगों के साथ गंभीर अन्याय किया है। इसलिए न्यायालय को उनकी गरिमा की रक्षा करने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। *[* पैरा *253] [975*-बी-एफ*]*

वैध उद्देश्य। जबकि भोजन का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है और इसका संवर्धन राज्य का एक संवैधानिक दायित्व है, फिर भी निजता का अधिकार आसानी से और स्वचालित रूप से इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। राज्य के किसी भी वैध लक्ष्य की कीमत पर अनुमति नहीं दी जा सकती है संवैधानिकता की कसौटी पर खरे उतरे बिना मौलिक अधिकार का उल्लंघन। आधार की संरचना का विश्लेषण करते हुए, इस न्यायालय ने प्रदर्शित किया है कि कैसे आधार संरचना में कथित सुरक्षा उपाय व्यक्तिगत डेटा की अखंडता, सूचनात्मक आत्मनिर्णय के अधिकार और सबसे बढ़कर गोपनीयता-गरिमा-स्वायत्तता के लिए जिम्मेदार अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपर्याप्त हैं

त्रयी। यह भी निष्कर्ष निकाला गया है कि आधार योजना विभिन्न संवैधानिक पहचानों को नष्ट करने में सक्षम है। वित्तीय

आधार आधारित प्रमाणीकरण में त्रुटियों के कारण होने वाला बहिष्कार व्यक्ति के गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करता है। आधार योजना भारतीय संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक स्वतंत्रताओं में अनुचित घुसपैठ का कारण बनती है क्योंकि उत्तरदाता यह प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं कि ये उपाय आवश्यकता और आनुपातिकता की कसौटी को पूरा करते हैं। *[* पैरा *255] [976*-डी-जी*]*

4.6 गरिमा और वित्तीय बहिष्करणः गरिमा प्राकृतिक कानून का एक अभिन्न तत्व है और एक अविभाज्य संवैधानिक निर्माण है। गरिमापूर्ण जीवन जीना एक संवैधानिक आश्वासन है

व्यक्तिगत। राज्य की ओर से कोई भी कार्रवाई या निष्क्रियता जो हाशिए पर पड़े लोगों की गरिमा की रक्षा के प्रति असंवेदनशील और बेपरवाह है, संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है। सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट को बढ़ावा देने वाली किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना से होने वाले लाभों से इनकार

हाशिए पर पड़े लोगों के सामाजिक-आर्थिक अधिकार संविधान के तहत वैध नहीं होंगे, क्योंकि इस तरह का इनकार मानव गरिमा का उल्लंघन करता है। किसी भी व्यक्ति को उसकी गरिमा से अलग नहीं किया जा सकता है। गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी न केवल सरकारों की है, बल्कि व्यक्तियों, समूहों और संस्थाओं की भी है। आधार अधिनियम की धारा *7* किसी व्यक्ति के लिए सब्सिडी, लाभ या सेवा का लाभ उठाने के लिए प्रमाणीकरण से गुजरना या आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाती है, जिस पर भारत की संचित निधि से खर्च होता है। बायोमेट्रिक्स मिलान में त्रुटियों का मतलब है कि एक व्यक्ति नहीं होगा

बायोमेट्रिक्स डेटाबेस का एक हिस्सा माना जाता है। यदि कोई लाभ या सेवा बायोमेट्रिक्स के मिलान के अधीन है, तो किसी भी बेमेल के परिणामस्वरूप उस लाभ या सेवा को अस्वीकार कर दिया जाएगा। तकनीकी त्रुटियों के आधार पर बहिष्करण, जिसमें व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, एक उल्लंघन है।

गरिमा की। व्यक्तियों के भाग्य को तकनीकी एल्गोरिदम या उपकरणों की कमजोरियों पर नहीं छोड़ा जा सकता है। त्रुटियों का एक छोटा सा प्रतिशत भी करोड़ों की आबादी को प्रभावित करता है। बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी की दुर्बलताओं के कारण उन्हें सब्सिडी और लाभों से इनकार करना सुशासन के लिए खतरा है

और सामाजिक समानता। *[* पैरा *256,257,258,262] [976-*जी; *977-*बी; *978* बी-सी, ई; *984-*जी; *986-*डी*]*

4.7 आयकर अधिनियम *1961* की धारा *139* एए की संवैधानिक वैधता

आयकर अधिनियम *1961* की धारा *139* एए जो थी

वित्त अधिनियम *2017* द्वारा जोड़ा गया, स्थायी खाता संख्या *(*पैन*)* के लिए आवेदन में और आयकर की वापसी में आधार संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य है। आधार संख्या को सूचित करने में विफलता के परिणामस्वरूप पैन अमान्य माना जाता है।

पीछे की ओर। आयकर अधिनियम *1962* की धारा *139* एए है -

आधार की आवश्यकता को एक वैध कानून के तहत अधिनियमित किया गया है। आधार को पैन से जोड़ने वाले कानून की वैधता इस पर निर्भर है और इसे मूल आधार कानून की वैधता से अलग नहीं किया जा सकता है। पुट्टास्वामी में निर्णय ने माना है कि राजस्व के हितों की रक्षा आनुपातिकता की त्रि-आयामी परीक्षा में एक वैध राज्य उद्देश्य है। बिनॉय विश्वम में निर्णय में जिन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है, वे न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* के लिए एक कार्यक्रम शुरू करके कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए राजस्व की वैध चिंताओं का एक पर्याप्त संकेतक हैं।

भारत का संघ

पैन डेटा बेस का डी-डुप्लिकेशन। एक वैध राज्य उद्देश्य मौजूद है। हालाँकि, यह अपने आप में कानून की वैधता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, जो अन्य मापदंडों को पूरा करना चाहिए

मूल आधार कानून से संख्या ',' नामांकन 'और' निवासी '। आधार को पैन कार्ड के साथ जोड़ना आधार की संवैधानिक वैधता पर निर्भर करता है। कानून। इसलिए, यह पुष्टि करने के अलावा कि धारा *139* एए में उपाय का उद्देश्य एक वैध राज्य उद्देश्य है, आधार की वैधता के संबंध में इस न्यायालय का निर्णय पैन को आधार के साथ जोड़ने पर प्रभाव डालेगा।

139 ए. ए. हासिल करना चाहता है। *[* अनुच्छेद *271,278] [995-*ए; *1003-*बी; *1005* डी-एफ*]*

बिनॉय विश्वम बनाम। भारत संघ *(2017) 7* एससीसी *59: [2017] 7* एस. सी. आर. *1;* मालपे विश्वनाथ आचार्य बनाम। महाराष्ट्र राज्य *(1998) 2* एससीसी *1: [1997] 6* पूरक। एस. सी. आर. *717;* मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड बनाम। भारत संघ *(2004) 4* एससीसी *311: [2004] 3* एस. सी. आर. *982;* तमिलनाडु राज्य बनाम।

के श्याम सुंदर *(2011) 8* एससीसी *737 [2011]*

11 एस. सी. आर. *1094;* आंध्र प्रदेश डेयरी विकास

निगम संघ बनाम। बी नरसिम्हा रेड्डी *(2011)*

9 एससीसी *286: [2011] 14* एससीआर *1;* केटी प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम। कर्नाटक राज्य *(2011) 9* एससीसी *1: [2011] 13* एस. सी. आर. *636;* अविषेक गोयनका बनाम। भारत संघ *(2012)*

5 एससीसी *275: [2012] 5* एस. सी. आर. *547*-संदर्भित।

4.8 सिम कार्ड और आधार संख्या को जोड़ना

निजता की रक्षा करने की आवश्यकता और आधार के उपयोग में निहित खतरों से राज्य बेखबर नहीं रह सकता है

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा मंच। पर्याप्त सुरक्षा उपायों के अभाव में, मोबाइल ग्राहकों के बायोमेट्रिक डेटा से गंभीर रूप से समझौता किया जा सकता है और व्यावसायिक लाभ के लिए इसका दोहन किया जा सकता है। उचित सत्यापन की आवश्यकता पर जोर देते हुए, राज्य बायोमेट्रिक डेटा की अखंडता और मोबाइल फोन ग्राहकों की गोपनीयता को संरक्षित करने की जवाबी आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं कर सकता है। केवल एक वैध राज्य उद्देश्य का अस्तित्व उन साधनों को उचित नहीं ठहराएगा जो अपनाए जाते हैं। अंत कम से कम संवैधानिक सिद्धांत के रूप में साधनों को उचित नहीं ठहराते हैं। साधनों को वैध होने के लिए, उन्हें एक उच्च न्यायालय रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए।

[2018] 8 एस सी आर।

वैध राज्य का उद्देश्य और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं पर उनके अतिक्रमण में या तो असमान या अत्यधिक नहीं होना चाहिए। मोबाइल प्रौद्योगिकी हमारे युग की एक सर्वव्यापी विशेषता बन गई है। मोबाइल फोन केवल टेलीफोन की सुविधा के लिए उपकरण नहीं हैं।

बातचीत। वे आंकड़ों का भंडार हैं जो इस पर प्रतिबिंबित करते हैं। व्यक्तिगत प्राथमिकताएँ, जीवन शैली और व्यक्तिगत विकल्प। वे पारिवारिक जीवन, कार्यस्थल और व्यक्तिगत अंतरंगता को सहन करते हैं। सिम कार्ड के साथ बायोमेट्रिक डेटा का संयोजन व्यक्तिगत स्वायत्तता के लिए गंभीर खतरों से भरा हुआ है। उदारवाद पर आधारित संविधान

संवैधानिक मस्टर और अमान्य होना चाहिए। सभी टी. एस. पी. को केंद्र सरकार और टी. आर. ए. आई. द्वारा दो सप्ताह के भीतर सभी ग्राहकों के बायोमेट्रिक डेटा और आधार विवरण को तुरंत हटाने का निर्देश दिया जाएगा। उपरोक्त डेटा और आधार विवरण का उपयोग किसी भी टीएसपी या किसी अन्य व्यक्ति या एजेंसी द्वारा नहीं किया जाएगा। उनकी ओर से किसी भी उद्देश्य के लिए। *[* पैरा *283,284,285] [1008*-जी-एच*; 1009*-ए, सी-एफ*]*

5. धन शोधन के नियम

5.1 संसद ने मनी लॉन्ड्रिंग पर एक कानून बनाया

प्रत्येक सूचना देने वाली संस्था से खाता-आधारित शुरू करने के समय ग्राहक को उचित परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। संबंध। उचित परिश्रम के लिए ग्राहक की पहचान के सत्यापन और यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि क्या ग्राहक एक लाभकारी मालिक की ओर से काम कर रहा है, जिसे तब पहचाना जाना है। *[* पारस *286,288] [1009*-जी-एच*; 1013*-ई*]*

लोकनीति फाउंडेशन बनाम। भारत संघ *(2017) 7* एस. सी. सी. *155;* बॉम्बे डाइंग और एम. एफ. जी बनाम। बॉम्बे एनवायरनमेंटल एक्शन ग्रुप *(2006) 3* एससीसी *434: [2006] 2* एससीआर *920 -*

संदर्भित किया गया।

5.2 लाए गए नियमों में संशोधन के परिणामस्वरूप

लगभग *2017* में, नियम *9 (4)* अनिवार्य करता है कि एक ग्राहक के मामले में जो एक व्यक्ति है, जो आधार के लिए नामांकित होने के योग्य है। संख्या, आधार संख्या जमा करना अनिवार्य है। छह ओ. वी. डी. में से किसी एक को जमा करने का विकल्प प्रस्तुत करने के बजाय, जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

5.3 राज्य का धन शोधन को रोकने का एक वैध उद्देश्य है। वास्तव में, यह धन शोधन पर अंकुश लगाने और उससे निपटने की दृष्टि से है कि मास्टर परिपत्र का मूल संस्करण साथ ही इसका अद्यतन संस्करण प्रारंभिक और उचित परिश्रम के लिए शर्तें लगाता है। रिजर्व बैंक ने एफ. ए. टी. सी. ए. मानदंडों का पालन करने के लिए आवश्यक आवश्यकताओं सहित कई रिपोर्टिंग आवश्यकताएं शुरू की हैं। एक वैध राज्य लक्ष्य का अस्तित्व आनुपातिकता के केवल एक तत्व को संतुष्ट करता है। खाता आधारित संबंध में प्रत्येक ग्राहक को आधार संख्या को बैंक खाते से जोड़ने और प्रमाणीकरण की आवश्यकता को लागू करने की आवश्यकता, राज्य के उद्देश्य और उद्देश्य के लिए अत्यधिक है। ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि सभी मौजूदा खाताधारकों के साथ-साथ भविष्य में खाता खोलने की इच्छा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति धन शोधन करने वाला हो सकता है। ग्राहक का प्रकार, व्यावसायिक संबंध की प्रकृति, लेन-देन की प्रकृति और मूल्य और

आतंकवाद और धनशोधन के जोखिम मामलों और ग्राहकों के बीच अंतर करने के लिए एक आधार प्रदान कर सकते हैं। नियम खाता खोलने और खाते के संचालन के बीच अंतर करने में भी विफल रहते हैं।

खाता। यदि अतीत में कोई खाता खोला गया है, तो यह एक स्थापित पहचान के आधार पर होगा। इसके परिणाम

आधार संख्या जमा न करना कठोर है। निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत न करने के परिणामस्वरूप एक

खाते का चालू होना बंद होने का परिणाम। एक पूरी तरह से वास्तविक ग्राहक जो किसी भी गलत काम में शामिल नहीं है, वह सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में परिलक्षित धन और निवेश के उपयोग से वंचित रहेगा।

[2018] 8 एस सी आर।

वित्तीय प्रणाली। पेंशनभोगी या वेतनभोगी वेतनभोगी के खाते को सीमा पार प्रवाह और बहिर्वाह वाले उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति के समान नहीं कहा जा सकता है। प्रत्येक खाताधारक के साथ अत्यधिक हस्तक्षेपकारी मानदंड के साथ व्यवहार करना स्पष्ट मनमानेपन से ग्रस्त है। किसी खाते को अवरुद्ध करना अनुच्छेद *300* ए के तहत संपत्ति से वंचित करना है। केंद्र सरकार यह स्थापित करने के बोझ का निर्वहन करने में असमर्थ रही है

कि यह धन शोधन को रोकने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का सबसे कम घुसपैठ करने वाला साधन था या यदि वह रिपोर्टिंग इकाई के साथ सभी खाता आधारित संबंधों के साथ आधार संख्या को अनिवार्य रूप से जोड़ने की आवश्यकता को लागू नहीं करती तो इसका उद्देश्य विफल हो जाता। धन शोधन वास्तव में एक गंभीर मामला है और केंद्र सरकार आवश्यक कदम उठाने की हकदार है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं - लेन-देन और स्रोतों को वर्गीकृत करना जो कानून के उल्लंघन पर संदेह करने के लिए उचित आधार को जन्म देते हैं। लेकिन, आधार संख्या को सभी खातों से जोड़ने की एक समान आवश्यकता लागू करने के लिए

रिश्ते स्पष्ट रूप से असमान और अत्यधिक होते हैं। यह आनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरने में विफल रहता है और प्रकट से पीड़ित होता है।

मनमानी। *[* पैरा *296] [1022*-जी-एच*; 1023*-ए-एच*; 1024*-ए-बी*]*

6. धारा *59* में बचत

6.1 धारा *59* एक प्रमाणक प्रावधान है। यह आधार से पहले केंद्र सरकार के सभी कार्यों को मान्य करना चाहता है।

अधिनियम, जो *28* जनवरी *2009* और *12* सितंबर *2015* की अधिसूचनाओं के तहत किया गया था। धारा *59* राज्य सरकारों या निजी संस्थाओं के कार्यों को मान्य नहीं करती है। द्वारा किए गए कार्य राज्य सरकारों और निजी संस्थाओं द्वारा धारा *59* द्वारा सुरक्षित नहीं किया जाता है। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट में कहा गया है कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा आधार अधिनियम को अधिसूचित किया गया था, तब तक यू. आई. डी. ए. आई. ने लगभग *100* करोड़ आधार संख्याएँ तैयार कर ली थीं। आधार अधिनियम के लागू होने से पहले व्यक्तियों से बायोमेट्रिक्स का संग्रह *2009* की अधिसूचना के दायरे में नहीं आता है। अधिसूचना में उंगली के निशान और आईरिस स्कैन को निर्दिष्ट करने में विफल रहने के कारण, न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

सरकारी विभाग या किसी भी संस्था को बायोमेट्रिक्स एकत्र करने के लिए। चूंकि बायोमेट्रिक्स के संग्रह को *2009* की अधिसूचना द्वारा अधिकृत नहीं किया गया था, इसलिए आधार अधिनियम की धारा *59* इन कार्यों को मान्य नहीं करती है। *[* पैरा*302,303] [1027*-बी-सी, ई-जी*]* *6.2* निजता से आने वाले किसी भी अधिकार का आक्रमण राज्य पर अपने कार्यों को उचित ठहराने की भारी जिम्मेदारी डालता है। नौ न्यायाधीश

व्यक्ति को। निर्णय में डेटा संरक्षण व्यवस्था में सहमति की केंद्रीयता का उल्लेख किया गया। आधार अधिनियम में कुछ प्रावधान हैं - सूचित सहमति सुनिश्चित करने के उद्देश्यों के लिए और दंड के रूप में अध्याय *VII* के साथ पठित धारा *29* के संदर्भ में धारा *3 (2)* और धारा *8 (3)* में सुरक्षा उपाय। अधिनियम के तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपाय अधिनियम के अधिनियमन से पहले मौजूद नहीं थे। *2009* की अधिसूचना के बाद और आधार अधिनियम से पहले बायोमेट्रिक्स का संग्रह पर्याप्त सुरक्षा उपायों के अभाव से ग्रस्त है। जबकि एक विधायिका के पास पूर्वव्यापी रूप से कानून बनाने की शक्ति होती है, यह पूर्वव्यापी रूप से अतीत में सुरक्षा उपायों के अस्तित्व के बारे में एक काल्पनिक कल्पना नहीं बना सकती है ताकि किसी भी मुद्दे को सही ठहराया जा सके।

मौलिक अधिकार का अतिक्रमण। उस समय जब नामांकन आधार अधिनियम के अधिनियमन से पहले हुए थे सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उस अवधि को पूर्वव्यापी रूप से एक धारणा द्वारा विधिबद्ध नहीं किया जा सकता है कानून से। इसके अलावा, यह आपराधिक कानून का एक सिद्धांत है कि इसे उन कृत्यों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है जो अपराध नहीं थे।

वह समय जब वे घटित हुए। संविधान के अनुच्छेद *20 (1)* में प्रावधान है कि "किसी भी व्यक्ति को अपराध के रूप में आरोपित अधिनियम के कार्य के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा"। "अपराध और दंड" से संबंधित अधिनियम के अध्याय *VII* के तहत प्रदान किए गए अधिनियम के आपराधिक प्रावधानों के अनुप्रयोग को आधार अधिनियम के अधिनियमन से पहले की अवधि तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। *[* पैरा *304] [1028*-बी-जी; *1029*-ए-डी*]*

6.4 धारा *43* ए केवल निगमित निकायों पर लागू होती है और यह सरकार या उसके विभागों पर लागू नहीं होती है। स्पष्टीकरण *(i)* निगमित निकाय को किसी भी कंपनी के अर्थ में परिभाषित करता है और इसमें एक फर्म, एकल स्वामित्व या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल होता है। व्यावसायिक या व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न। सरकारी एजेंसियों द्वारा व्यक्तिगत जानकारी लीक या गुम नहीं होगी

धारा *43* ए के अंतर्गत आता है। धारा *66* ई का दायरा सीमित है। यह केवल किसी भी व्यक्ति के "निजी क्षेत्र" की गोपनीयता से संबंधित है। यह सूचनात्मक गोपनीयता से संबंधित नहीं है। धारा *72* ए का दायरा भी सीमित है। यह केवल व्यक्तिगत खुलासा करने के कृत्यों को दंडित करता है।

सेवाएँ प्रदान करते समय प्राप्त व्यक्ति के बारे में जानकारी

अधिनियम केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी तक अनधिकृत पहुंच को भी दंडित नहीं करता है। आधार अधिनियम द्वारा शुरू किए गए कई सुरक्षा उपायों को आधार अधिनियम में नहीं समझा गया था सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधान। *[* पैरा*306] [1032* डी-एफ*]*

के इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ *(2007) 13* एससीसी *673: [2007] 12* एस. सी. आर. *136;* वेस्ट रामनाड इलेक्ट्रिक

वितरण कंपनी लिमिटेड *v.*

मद्रास राज्य *[1963] 2* एससीआर न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

747 ; मैसूर राज्य बनाम। डी. अचिया चेट्टी, आदि *(1969) 1* एस. सी. सी. *248 [1969] 3* एस. सी. आर. *55;* हरि सिंह बनाम। सैन्य

संपदा अधिकारी *(1972) 2* एस. सी. सी. *239: [1973] 1* एस. सी. आर. *515;* कर्नाटक राज्य बनाम तमिलनाडु राज्य *(2017) 3* एस. सी. सी. *362 [2016] 8* एस. सी. आर. *499;* जावरा शुगर मिल्स *(*पी*)* लिमिटेड

बनाम। मध्य प्रदेश राज्य *[1966] 1* एस. सी. आर. *523;* एस. के. जी. शुगर लिमिटेड *v.* बिहार राज्य *(1974) 4* एससीसी *827: [1975]*

1 एस. सी. आर. *312;* कृष्ण चंद्र गंगोपाध्याय बनाम।

भारत संघ *(1975) 2* एस. सी. सी. *302 [1975]* पूरक।

एस. सी. आर. *151* संदर्भित है।

6.5 आधार अधिनियम लागू होने से पहले *2009* और *2016* के बीच की अवधि के दौरान बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह में कई कमियां थीं। पहला सक्षम कानून का अभाव था। नतीजतन, संवेदनशील का संग्रह व्यक्तिगत जानकारी कानून के अधिकार के बिना हुई। दूसरा, *2009* की अधिसूचना ने बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह को अधिकृत नहीं किया। तीसरा, बायोमेट्रिक डेटा का संग्रह उस प्रकृति के सक्षम ढांचे के बिना था जिसे आधार अधिनियम ने *2016* से लागू किया था। आधार अधिनियम ने सूचित सहमति प्राप्त करने, नागरिकों से एकत्र की गई जानकारी की गोपनीयता, उल्लंघन के लिए दंड और अपराधों को सुरक्षित करने के लिए एक व्यवस्था शुरू की और उन उपयोगों को विनियमित किया जिन पर एकत्र किए गए डेटा को रखा जा सकता था। सुरक्षा उपायों के अभाव में, आधार अधिनियम *2016* के अधिनियमन से पहले बायोमेट्रिक डेटा का संग्रह अधिकार से बाहर है। *[* पैरा *317] [1041-*जी-एच*; 1042-*ए-बी*]*

(1981) 1 एस. सी. सी. *722 [1981] 2* एस. सी. आर. *79;* डॉ. के. आर. लक्ष्मणन बनाम। टी एन राज्य *(1996) 2* एस. सी. सी. *226: [1996] 1* एस. सी. आर. *395;* ई. पी. रोयप्पा बनाम। तमिलनाडु राज्य *(1974) 4* एस. सी. सी. *3 [1974] 2* एस. सी. आर. *328;* बिशंभर नाथ कोहली वी. उत्तर प्रदेश राज्य *[1966] 2* एस. सी. आर. *158;* कर्नाटक राज्य बनाम। तमिलनाडु राज्य *(2017) 3* एससीसी *362: [2016] 8* एस. सी. आर. *499;* अमरेंद्र कुमार महापात्रा बनाम। उड़ीसा राज्य *(2014) 4* एससीसी *583: [2014] 2* एस. सी. आर. *1031;* सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 8 एस सी आर।

श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम ब्रोच बरो

नगरपालिका *(1969) 2* एस. सी. सी. *283: [1970] 1* एससीआर *388 -*

संदर्भित किया गया।

7. कानून का शासन और अंतरिम आदेशों का उल्लंघन

7.1 कानून का शासन आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों की आधारशिला है और लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों की रक्षा करता है।

जब कानून के शासन की व्याख्या संवैधानिकता के सिद्धांत के रूप में की जाती है, तो यह सरकारी शक्तियों या कार्यों का एक विभाजन मानता है जो मनमाने ढंग से राज्य शक्ति के प्रयोग को रोकता है। यह. कानून की व्यापकता को भी मानता है: मनमानी शक्ति से व्यक्ति के संरक्षण में यह तथ्य शामिल है कि राज्य के साथ उसके व्यक्तिगत व्यवहार सामान्य नियमों द्वारा विनियमित होते हैं, जो निजी नागरिकों और सार्वजनिक

अधिकारियों पर समान रूप से बाध्यकारी होते हैं। इसमें राज्य के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों के मौलिक पृथक्करण की परिकल्पना की गई है।

शक्ति का पृथक्करण कानून के शासन के जवाबदेही पहलू का समर्थन करता है। न्यायिक और कार्यकारी शक्तियों का पृथक्करण कानून के शासन की एक अनिवार्य विशेषता है। की शक्ति को सौंप कर

अदालतों में न्यायिक समीक्षा, यह सिद्धांत सरकारी अधिकारियों को इस बारे में अंतिम शब्द रखने से रोकता है कि क्या उन्होंने अवैध रूप से काम किया है। न्यायिक शक्ति का पृथक्करण कार्यकारी शाखा पर एक प्रभावी नियंत्रण प्रदान करता है। *[* पैरा *323] [1046-*सी-ई*]*

7.2 अदालतों के अंतरिम आदेश न्यायिक समीक्षा का एक अभिन्न अंग हैं। किसी मामले में प्रथम दृष्टया निष्कर्षों के आधार पर जारी किए गए अंतरिम निर्देश तब तक की अस्थायी व्यवस्था हैं जब तक कि मामले का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। अंतरिम आदेश यह सुनिश्चित करते हैं कि जो कारण उत्तेजित किया जा रहा है वह अंतिम सुनवाई से पहले निष्फल न हो। न्यायिक समीक्षा की शक्ति केवल रिटों के बारे में नहीं है

उच्चतर न्यायालयों द्वारा जारी किया गया या सरकारी कार्रवाई को निरस्त किया गया। न्यायिक समीक्षा को सौंपने के साथ यह सुनिश्चित करना एक कर्तव्य है कि न्यायिक आदेशों का पालन किया जाए। जब तक आदेश नहीं लागू किए जाने पर, नागरिक न्यायिक समीक्षा की प्रभावशीलता और कानूनी प्रणाली में विश्वास खो देंगे। जब *25* मार्च *2016* को आधार अधिनियम अधिसूचित किया गया था, तो इस अदालत द्वारा जारी अंतरिम निर्देश लागू थे। संसद द्वारा एक बार कानून बनाए जाने के बाद, सरकार को प्रशासनिक निर्देश जारी करने में सक्षम बनाने के लिए एक वैधानिक प्राधिकरण अस्तित्व में लाया गया था। इसलिए, कानून के अधिनियमन पर अंतरिम आदेशों का अनुपालन वर्जित है। *[* अनुच्छेद *331,333] [1054-*ए-बी*; 1059-*ए, बी-सी*]* न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम।

भारत का संघ

7.3 न्यायिक आदेश, चाहे वे अंतरिम हों या अंतिम, को केवल अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। यदि सरकारों या नागरिकों को न्यायिक रूप से लागू करने योग्य निर्देशों की अनदेखी करने की अनुमति दी जाती है, तो यह कानून के शासन के आधार को नकार देगा। औचित्य और संवैधानिक कर्तव्य दोनों के लिए केंद्र सरकार को अधिनियम के अधिनियमन के बाद इस न्यायालय का रुख करने की आवश्यकता थी

अंतरिम आदेशों में बदलाव के लिए आधार अधिनियम। अंतरिम व्यवस्था को तय करने में कानून का अस्तित्व *(2016* के बाद*)* केवल एक पहलू है जिस पर विचार किया जाना चाहिए जो इस न्यायालय के समक्ष संवैधानिक चुनौती के निर्णय के लंबित होने पर लागू होगा। शासन की संस्थाएं एक भावना से बंधी होती हैं -

संवैधानिक नैतिकता जिसके लिए उन्हें न्यायिक आदेशों का पालन करना पड़ता है। सरकार द्वारा वर्तमान मामले में जिस कार्रवाई का पालन किया गया है, उससे जो सामने आता प्रतीत होता है वह है

यह धारणा कि कानून के कथित निर्माण पर न्यायिक निर्देशों की अनदेखी की जा सकती है। इस तथ्य के अलावा कि यह निर्माण कानून में गलत है, यह सुनिश्चित करना इस न्यायालय का मौलिक कर्तव्य है कि उसके आदेशों को तिरस्कार के साथ नहीं माना जाए। *[* पैरा *334] [1060-*सी, डी-एफ*]*

साहिब राम जवाया कपूर बनाम। पंजाब राज्य *[1955] 2* एस. सी. आर. *225;* एस. जी. जयसिंघानी बनाम। भारत संघ *[1967] 2* एस. सी. आर. *703;* श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी बनाम। श्री राज नारायण

(1975) पूरक एस. सी. सी. *1: [1976]* एस. सी. आर. *347;* तमिलनाडु राज्य बनाम। केरल राज्य *(2014) 12* एस. सी. सी. *696;* बिहार राज्य बनाम। बाल मुकुंद साह *(2000) 4* एससीसी *640: [2000] 2* एस. सी. आर. *299;* अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर

वी. शिवकांत शुक्ला *(1976) 2* एस. सी. सी. *521 [1976]* पूरक।

एस. सी. आर. *172;* एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ *(1997) 3* एससीसी *261: [1997] 2* एस. सी. आर. *1186;* आई आर कोएल्हो बनाम। तमिलनाडु राज्य *(2007) 2* एससीसी *1: [2007] 1* एससीआर *706;*

कृष्ण कुमार सिंह बनाम। बिहार राज्य *(2017) 3* एससीसी *1: [2017] 5* एससीआर *160;* एम. पी. बनाम राज्य ठाकुर भारत

सिंह *[1967] 2* एससीआर *454;* एस. पी. संपत कुमार बनाम। भारत संघ *(1987) 1* एससीसी *124: [1987] 1* एससीआर *435;* के. टी. प्लांटेशन *(*पी*)* लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य *(2011) 9* एससीसी *1: [2011] 13* एस. सी. आर. *636;* असम राज्य बनाम बराक उपात्यक डीयू कर्मचारी संस्था *(2009) 5* एससीसी *694;* भुवनेश्वर सिंह बनाम। भारत संघ *(1994) 6* एससीसी *77: [1994] 1* पूरक। एस. सी. आर. *639;* पी. संबमूर्ति बनाम।

राज्य सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 8 एस सी आर।

आंध्र प्रदेश *(1987) 1* एस. सी. सी. *362 [1987] 1* एस. सी. आर. *879;* पुनः: अरुंधति रॉय *(2002) 3* एस. सी. सी. *343: [2002] 2* एस. सी. आर. *212*-पर निर्भर था।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण *v.* केंद्रीय

जांच ब्यूरो एसएलपी *(*सी. आर. एल.*)* नं. *2524/2015;* अखिल बंगाल अल्पसंख्यक छात्र परिषद बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया डब्ल्यूपी

(सिविल*)* सं. *686/2016*-संदर्भित।

वर्तमान मामले में संस्थागत प्राधिकरण ने सामाजिक प्रभाव डाला है। इसके परिणामस्वरूप एक आम नागरिक के अस्तित्व के लिए आवश्यक सब्सिडी और अन्य लाभों से भी इनकार किया गया है। संवैधानिक इसलिए नैतिकता को एक वैध प्रतिक्रिया के रूप में लागू करने की आवश्यकता है

अनिवार्य, इस न्यायालय के अंतरिम आदेश के बावजूद गंभीर चिंता का विषय है। उच्चतम न्यायालय के संस्थागत अधिकार की रक्षा करना उन मूल्यों का अभिन्न अंग है जिन्हें संविधान अपनाता है। एक सीमित सरकार का अभिधारणा इसके द्वारा लागू किया जाता है नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने और सरकार को उसके उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका। इस न्यायालय का अधिकार शक्ति के अच्छे संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जिस पर लोकतंत्र पनपता है और जीवित रहता है। न्यायालय के आदेश अनुशंसा करने वाले नहीं हैं वे बाध्यकारी हैं

इस न्यायालय की संस्थागत प्रतिष्ठा केवल एक अरब से अधिक नागरिकों की स्वतंत्रता को खतरे में डालने की कीमत पर हो सकती है। समीक्षा सुरक्षा का प्रयास करती है। *[* पैरा *337] [1062*-डी; *1063*-ए-डी*]*

केशवानंद भारती बनाम. केरल राज्य *(1973) 4* एससीसी

225 : [1973] पूरक। एस. सी. आर. *1*-अनुसरण किया गया।

अयकागुएर वी। फ्रांस आवेदन सं। *8806/12 ;* डिजिटल राइट्स आयरलैंड लिमिटेड *v.* मंत्री सी *293/12* और सी *594/12 -*

संदर्भित किया गया।

फ्रांस में छवि परिषद के प्रचार के लिए संगठन, *26* अक्टूबर *2011*-संदर्भित।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

मामला कानून संदर्भ

[सीकरी के फैसले में, जे।*]*

[1954] एससीआर *1077*

संदर्भित किया गया है

पैरा *18*

(2010) 5 एस. सी. सी. *318*

संदर्भित किया गया है

पैरा *22*

(2010) 13 एससीसी *45*

संदर्भित किया गया है

पैरा *22*

[2013] 4 एससीआर *66*

संदर्भित किया गया है

पैरा *23*

(2017) 10 एससीसी *1*

पीछा किया।

पैरा *45*

[1959] पूरक *1* एस. सी. आर. *528*

उस पर भरोसा करें

पैरा *72*

[1950] एससीआर *594*

उस पर भरोसा करें

पैरा *72*

[1978] 1 एससीआर *641*

उस पर भरोसा करें

पैरा *72*

[1977] 2 एससीआर *790*

उस पर भरोसा करें

पैरा *72*

[1996] 1 एससीआर *278*

उस पर भरोसा करें

पैरा *72*

[2017] 7 एससीआर *1*

उस पर भरोसा करें

पैरा *75*

[2012] 6 एससीआर *661*

संदर्भित किया गया है

पैरा *76*

[2008] 4 एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *76*

[1996] 3 एससीआर *721*

पैरा *76*

संदर्भित किया गया है

[2015] 12 एससीआर *1106*

संदर्भित किया गया है

पैरा *76*

[2017] 7 एससीआर *797*

उस पर भरोसा करें

पैरा *77*

[1996] 1 एससीआर *395*

उस पर भरोसा करें

पैरा *77*

[1978] 2 एससीआर *621*

उस पर भरोसा करें

पैरा *77*

[1975] 3 एससीआर *946*

पैरा *81*

संदर्भित किया गया है

[1964] 1 एससीआर *332*

संदर्भित किया गया है

पैरा *84*

(2018) 5 एससीसी *1*

उस पर भरोसा करें

पैरा *95*

(2014) 5 एस. सी. सी. *438*

उस पर भरोसा करें

पैरा *96*

[2015] 8 एससीआर *289*

उस पर भरोसा करें

पैरा *98*

[2016] 4 एससीआर *638*

उस पर भरोसा करें

पैरा *99*

[2011] 4 एससीआर *1057*

उस पर भरोसा करें

पैरा *101 [2018] 8* एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7 एस. सी. सी. *353*

उस पर भरोसा करें

(2016)

पैरा *11*

[2010] 5 एससीआर *381*

संदर्भित किया गया है

पैरा *13*

[2004] 5 पूरक। एससीआर *833*

संदर्भित किया गया है

पैरा *13*

[2010] 6 एससीआर *291*

संदर्भित किया गया है

पैरा *23*

(2011) 14 एससीसी *331*

संदर्भित किया गया है

पैरा *25*

(2013) 6 एस. सी. सी. *620*

संदर्भित किया गया है

पैरा *25*

[1973] पूरक। एससीआर *1*

पीछा किया।

पैरा *26*

(2001) 5 स्केल *303*

उस पर भरोसा करें

पैरा *27*

[1996] 2 पूरक। एससीआर *331*

उस पर भरोसा करें

पैरा *27*

[1992] 3 एससीआर *658*

उस पर भरोसा करें

पैरा *27*

[1993] 1 एससीआर *594*

उस पर भरोसा करें

पैरा *27*

उस पर भरोसा करें

[1985] एस. सी. आर. *2* पूरक। *51*

पैरा *27*

[1981] 2 एससीआर *516*

उस पर भरोसा करें

पैरा *27*

[2003] 2 एससीआर *1136*

उस पर भरोसा करें

पैरा *31*

[2016] 3 एससीआर *865*

उस पर भरोसा करें

पैरा *31*

(2007) 15 एससीसी *49*

उस पर भरोसा करें

पैरा *32*

[2014] 3 एससीआर *359*

उस पर भरोसा करें

पैरा *34*

[1996] 10 पूरक। एससीआर *321*

उस पर भरोसा करें

पैरा *34*

[1996] 8 पूरक। एससीआर *464*

संदर्भित किया गया है

पैरा *35*

[2014] 9 एससीआर *1063*

संदर्भित किया गया है

पैरा *35*

[1963] 2 एससीआर *747*

पीछा किया।

पैरा *37*

[1966] 2 एससीआर *158*

उस पर भरोसा करें

पैरा *37*

[1969] 3 एससीआर *55*

उस पर भरोसा करें

पैरा *37*

[2016] 8 एससीआर *499*

उस पर भरोसा करें

पैरा *37*

[1967] 2 एससीआर *454*

संदर्भित किया गया है

पैरा *37*

[1975] 3 एससीआर *946*

संदर्भित किया गया है

पैरा *37*

[1987] 1 एससीआर *435*

संदर्भित किया गया है

पैरा *37* टाइस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

पैरा *376*

4 एससीसी *699*

संदर्भित किया गया है

1 एससीआर *706*

पैरा *376*

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

8 एससीआर *1028*

पैरा *376*

1 एससीआर *206*

पैरा *378*

संदर्भित किया गया है

पूरक। एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *379*

9 एससीआर *965*

संदर्भित किया गया है

पैरा *381*

संदर्भित किया गया है

एससीसी ऑनलाइन एससी *661*

पैरा *384*

सप. *2* एस. सी. सी. *608*

पैरा *393*

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

3 एससीआर *719*

पैरा *394*

पैरा *396*

संदर्भित किया गया है

| 2 एससीआर *644 | 1* एससीआर *317*

संदर्भित किया गया है

पैरा *396*

1 एससीआर *686*

पैरा *396*

संदर्भित किया गया है

5 पूरक। एससीआर *1*

उस पर भरोसा करें

पैरा *397*

11 एससीसी *415*

संदर्भित किया गया है

पैरा *398*

संदर्भित किया गया है

पैरा *399*

3 एससीसी *183*

पूरक *1* एस. सी. आर. *275*

संदर्भित किया गया है

पैरा *400*

पैरा *400*

3 एससीआर *1059*

संदर्भित किया गया है

960 एससी *1186*

संदर्भित किया गया है

पैरा *400*

पैरा *401*

963 पैट *16*

संदर्भित किया गया है

पैरा *401*

संदर्भित किया गया है

1 एससीआर *478*

पैरा *402*

एससीआर *399*

संदर्भित किया गया है

3 पूरक। एससीआर *220*

संदर्भित किया गया है

पैरा *402*

5 पूरक। एससीआर *526*

संदर्भित किया गया है

पैरा *402*

उस पर भरोसा करें

8 एससीआर *725*

पैरा *430*

उस पर भरोसा करें

1 एससीआर *877*

पैरा *432*

उस पर भरोसा करें

पैरा *439*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अशोक भूषण के फैसले में, जे. *(*आंशिक रूप से सहमत*)*

[1954] एससीआर *1077*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1964] एससीआर *332*

संदर्भित किया गया है

पैरा *2*

[2017] 10 एससीआर *1*

पीछा किया।

पैरा *3*

[2017] 7 एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *5*

(2014) 5 एस. सी. सी. *438*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2013] 8 एससीआर *631*

उस पर भरोसा करें

पैराः

(2011) 14 एससीसी *331*

संदर्भित किया गया है

पैरा *2*

(2013) 14 एस. सी. सी. *368*

संदर्भित किया गया है

पैरा *2*

[1981] 2 एससीआर *516*

उस पर भरोसा करें

पैरा *2*

(2013) 11 एस. सी. सी. *783*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2014] 3 एससीआर *359*

संदर्भित किया गया है

पैरा *2*

[1996] 10 पूरक। एससीआर *321*

संदर्भित किया गया है

पैरा *2*

अप्रयोज्य रखा गया

[2010] 5 एससीआर *381*

पैरा *2*

[1962] एससीआर *10*

उस पर भरोसा करें

पैरा *2*

[2014] 9 एससीआर *1063*

उस पर भरोसा करें

पैरा *2*

[1952] एससीआर *597*

उस पर भरोसा करें

पैरा *2*

[2000] 4 पूरक। एससीआर *693*

उस पर भरोसा करें

पैरा *2*

[2003] 6 पूरक। एससीआर *1235*

उस पर भरोसा करें

पैरा *2*

(2016) 7 एस. सी. सी. *353*

उस पर भरोसा करें

पैरा *2*

[1963] एससीआर *747*

उस पर भरोसा करें

पैरा

[1954] एससीआर *779*

उस पर भरोसा करें

पैरा *2*

[1966] एससीआर *158*

उस पर भरोसा करें

पैरा *2*

[1973] 1 एससीआर *515*

पीछा किया।

पैरा *2*

[1975] पूरक। एससीआर *151*

उस पर भरोसा करें

पैरा *2*

[2003] 5 पूरक। एससीआर *751*

उस पर भरोसा करें

पैरा

[1969] 3 एससीआर *55*

संदर्भित किया गया है

पैरा *3* न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[1998] 3 एससीआर *421*

उस पर भरोसा करें

पैरा*302*

[2016] 8 एससीआर *499*

उस पर भरोसा करें

पैरा *303*

(2017) 7 एससीसी *155*

प्रतिष्ठित

पैरा *326*

अप्रयोज्य रखा गया

[1962] पूरक। एससीआर *697*

पैरा *339*

[1975] 3 एससीआर *619*

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा *340*

[1979] 1 एससीआर *820*

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा *340*

अप्रयोज्य रखा गया

(1984) 4 एससीसी *27*

पैरा *340*

[2003] 1 एससीआर *975*

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा *340*

[2011] 14 एससीआर *657*

पैरा *341*

संदर्भित किया गया है

[1992] 1 एससीआर *686*

उस पर भरोसा करें

पैरा *350*

[2007] 1 एससीआर *317*

उस पर भरोसा करें

पैरा *351*

(2014) 11 एससीसी *415*

सही कानून नहीं

पैरा *354*

(2016) 3 एससीसी *183*

सही कानून नहीं

पैरा *354*

[2017] 7 एससीआर *1*

उस पर भरोसा करें

पैरा *365*

[2017] 7 एससीआर *797*

उस पर भरोसा करें

पैरा *367*

[2013] 13 एससीआर *1*

उस पर भरोसा करें

पैरा *375*

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ के निर्णय में, जे. *(*असहमति*)*

(2017) 10 एससीसी *1*

पीछा किया।

पैरा *204*

[2012] 7 एससीआर *644*

संदर्भित किया गया है

पैरा *233*

[1978] 2 एससीआर *621*

उस पर भरोसा करें

पैरा *251*

[1997] 3 पूरक। एससीआर *404*

उस पर भरोसा करें

पैरा *251*

[1999] 1 एससीआर *669*

उस पर भरोसा करें

पैरा *251*

[2007] 12 एससीआर *991*

उस पर भरोसा करें

पैरा *251*

(2014) 5 एस. सी. सी. *438*

उस पर भरोसा करें

पैरा *251*

[1996] 1 पूरक। एससीआर *442*

उस पर भरोसा करें

पैरा *251*

[2011] 8 एससीआर *1028*

उस पर भरोसा करें

पैरा *251*

[2017] 7 एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1996] 3 एससीआर *721*

संदर्भित किया गया है

पैरा *2*

[2012] 6 एससीआर *661*

संदर्भित किया गया है

पैरा *2*

[2015] 12 एससीआर *1106*

संदर्भित किया गया है

पैरा *2*

[2017] 7 एससीआर *797*

उस पर भरोसा करें

पैरा *2*

[1981] 2 एससीआर *79*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1996] 1 एससीआर *395*

संदर्भित किया गया है

पैरा *2*

[1974] 2 एससीआर *348*

संदर्भित किया गया है

पैरा *2*

[1997] 6 पूरक। एससीआर *717*

संदर्भित किया गया है

पैरा *2*

[2004] 3 एससीआर *982*

संदर्भित किया गया है

पैरा *2*

[2011] 11 एससीआर *1094*

संदर्भित किया गया है

पैरा *2*

[2011] 14 एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *2*

[2011] 13 एससीआर *636*

संदर्भित किया गया है

पैरा *2*

[2012] 5 एससीआर *547*

संदर्भित किया गया है

पैरा *2*

(2017) 7 एससीसी *155*

संदर्भित किया गया है

पैरा *2*

[2006] 2 एससीआर *920*

संदर्भित किया गया है

पैरा *2*

[2007] 12 एससीआर *136*

संदर्भित किया गया है

पैरा *2*

[1963] 2 एससीआर *747*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1969] 3 एससीआर *55*

संदर्भित किया गया है

पैरा *2*

[1973] 1 एससीआर *515*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2016] 8 एससीआर *499*

संदर्भित किया गया है

पैरा *2*

[1966] 1 एससीआर *523*

संदर्भित किया गया है

पैरा *3*

[1975] 1 एससीआर *312*

संदर्भित किया गया है

पैरा *3*

[1975] पूरक। एससीआर *151*

संदर्भित किया गया है

पैरा *3*

[1966] 2 एससीआर *158*

संदर्भित किया गया है

पैरा *3*

[2016] 8 एससीआर *499*

संदर्भित किया गया है

पैरा *3*

[2014] 2 एससीआर *1031*

संदर्भित किया गया है

पैरा *3*

[1970] 1 एससीआर *388*

संदर्भित किया गया है

पैरा *3*

[1955] 2 एससीआर *225*

उस पर भरोसा करें

पैरा *3* न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[1967] 2 एससीआर *703*

उस पर भरोसा करें

पैरा *324*

[1973] पूरक। एससीआर *1*

पैरा *324*

पीछा किया।

[1976] एससीआर *347*

उस पर भरोसा करें

पैरा *324*

(2014) 12 एस. सी. सी. *696*

उस पर भरोसा करें

पैरा *324*

[2000] 2 एससीआर *299*

उस पर भरोसा करें

पैरा *324*

[1965] 1 एससीआर *413*

उस पर भरोसा करें

पैरा *325*

[1976] पूरक। एससीआर *172*

उस पर भरोसा करें

पैरा *325*

[1997] 2 एससीआर *1186*

उस पर भरोसा करें

पैरा *325*

[2007] 1 एससीआर *706*

उस पर भरोसा करें

पैरा *326*

[2017] 5 एससीआर *160*

उस पर भरोसा करें

पैरा *327*

[1967] 2 एससीआर *454*

पैरा *328*

उस पर भरोसा करें

[1987] 1 एससीआर *435*

उस पर भरोसा करें

पैरा *329*

[2011] 13 एससीआर *636*

उस पर भरोसा करें

पैरा *330*

(2009) 5 एस. सी. सी. *694*

उस पर भरोसा करें

पैरा *331*

[1994] 1 पूरक। एस. सी. आर. *239*

उस पर भरोसा करें

पैरा *333*

[1987] 1 एससीआर *879*

उस पर भरोसा करें

पैरा *335*

[2002] 2 एस. सी. आर. *212*

उस पर भरोसा करें

पैरा *336*

(2014) 11 एससीसी *415*

खारिज कर दिया गया

पैरा *339*

(2016) 3 एससीसी *183*

खारिज कर दिया गया

पैरा *339*

[1965] एससीआर *413*

उस पर भरोसा करें

पैरा *339*

[2010] 3 एससीआर *1059*

उस पर भरोसा करें

पैरा *339*

[2007] 1 एससीआर *1*

उस पर भरोसा करें

पैरा *339*

[1963] पूरक *1* एस. सी. आर. *275*

उस पर भरोसा करें

पैरा *339*

उस पर भरोसा करें

पैरा *339*

आकाशवाणी *1960* एससी *1186*

[2002] 3 पूरक। एससीआर *220*

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा *115*

[1957] एससीआर *399*

उस पर भरोसा करें

पैरा *114*

[2008] 12 एससीआर *1083*

उस पर भरोसा करें

पैरा *114 [2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल /

आपराधिक आपराधिक मूल/अपीलीय न्यायनिर्णयः *2012* की लिखित याचिका *(*सिविल*)* संख्या *494*।

भारत के संविधान के अनुच्छेद *32* के तहत।

के साथ

डब्ल्यू. पी. *(C) Nos.833,829* और *932/2013*

डब्ल्यू. पी. *(C) 2015* का *No.37* और *220*

डब्ल्यू. पी. *(*ग*)* संख्या। *231* और *2016* का *797*
डब्ल्यू. पी. *(*ग*)* संख्या। *342 , 372 , 841 , 1058 , 966 , 1014 , 1002* और *1056* का

2017

कोंम्ट। पेट। *(* ग*)* डब्ल्यू. पी. में *No.844/2017 (C) No.494/2012*
कोंम्ट। पेट। *(* ग*)* डब्ल्यू. पी. में *No.34/2018*। *(C) No.1014/2017*

के. वी. वेणुगोपाल, ए. जी., तुषार मेहता, ए. एस. जी., अनिल ग्रोवर, ए. ए. जी., गोपाल सुब्रमण्यम, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, के. वी. विश्वनाथन, श्याम दीवान,

सी. यू. सिंह, श्याम दीवान, पी. चिदंबरम, आनंद ग्रोवर, अरविंद पी. दातार, राकेश द्विवेदी, जयंत भूषण, वी. गिरि, साजन पूवय्या, पी. वी. सुरेंद्र नाथ, नीरज किशन कौल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , जयदीप सिंह, अनिरबेन सेन, गोपाल थिरुमन, पवन भूषण, जयवर्धन सिंह, सुश्री वैद्री मिश्रा, सुश्री चित्रांगदा आर., विश्वजीत सिंह, हितेश सैनी, विवेक राजा, अनीश कुमार गुप्ता, अवधेश कुमार सिंह, सुश्री हर्षा, श्रीमती रीता गुप्ता, सुश्री दीपशिखा भारती, श्रीमती गीता कोविलन, राहुल नारायण, सुश्री अनन्या घोष, सुश्री भावना दास, सुश्री वृंदा भंडारी, गौतम भाटिया, एन. साई विनोद *(*श्री शादन फरासत, अधिवक्ता के लिए*)* प्रताप वेणुगोपाल, सुश्री सुरेखा अरमान, प्रसन्ना एस., उदयादित्य बनर्जी, सुश्री निहारिका, सुश्री कनिका कलैयारसन, *(*मेसर्स के लिए। के. जे. जॉन एंड कंपनी*)*, मेसर्स। मेहरिया एंड कंपनी, सुश्री ज्योति मेंदिरत्ता अभिषेक अत्रे, जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम।

भारत का संघ

विक्रमादित्य, आर. वी. प्रभात, राजेश इनामदार, गौरव गुप्ता, अभिषेक जेबराज, उमर होदा, जसपाल सिंह, सुश्री प्रियंका राव खान, नम्रता नासिर, जफर खुर्शीद, गौतम तालुकदार, प्रशांत भूषण, विपिन नायर, पी. बी. सुरेश, सुश्री समीक्षा गोदियाल, अभय प्रताप सिंह, वी. के. बीजू,

पृथ्वी गर्ग, सुश्री कृतिका भारद्वाज, भानु प्रताप सिंह, प्रणय कुमार महापात्रा, सुहान मुखर्जी, सुश्री आस्था शर्मा, विशाल प्रसाद, अमजिद मकबूल, अमित वर्मा *(*पी. एल. आर. चैम्बर्स एंड कंपनी के लिए*)*, सुश्री प्रियम लिजमेरी चेरियन, सुश्री नेहमत कौर, सुश्री स्तुति वत्स, वरुण मैथ्यू, सुश्री उपासना गरनायक, आनंदो मुखर्जी, सुश्री प्रज्ञा बघेल, अपार गुप्ता, दीपायन।

वशिष्ठ, जयंत मोहन, जगजीत सिंह छाबड़ा, हरीश पांडे, गर्वेश काबरा, सुश्री सौया मेहरोत्रा, अनीप सचथे, श्रीमती अनिल कटियार, गुंटूर प्रभाकर, सुश्री प्रेरणा सिंह, अभिनव मुखर्जी, सतीश कुमार, शिवम कुमार, संजय कुमार विसेन, तपेश कुमार सिंह, आदित्य प्रताप सिंह, मोहम्मद। वकास, जायेश गौरव, रतन के. आर.। चौधरी, एम. शोएब आलम, सुश्री फौजिया शकील, उज्जवल सिंह, मोजाहिद करीम खान, सुश्री अनीता शेनॉय, अनिरुद्ध पी. मयी, टी. जी. नारायणन नायर, मैसर्स। अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी, जतिंदर कुमार भाटिया, आशुतोष कुमार शर्मा, सुहान मुखर्जी, विशाल प्रसाद, शुभोदीप रॉय, के. वी. विजयकुमार, सुश्री मैत्रेयी मिश्रा, सुश्री किरण करण चावला, मिलिंद कुमार, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, सुश्री रश्मि सिंघानिया, गोपाल सिंह, दिनकर कालरा, मोहित डी. राम, कुलदिप एस. परिहार, एच. एस. परिहार, एस. उदय कुमार सागर, मृत्युंजय *[2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिंह, विल्स मैथ्यूज *(श्री राबिन मजूमदार के लिए)*, जोगी स्कारिया, मेसर्स। मेहरिया एंड कंपनी, एम. पी. विनोद, सुश्री नीना गुप्ता, सुश्री शेरीन शुक्ला, मुदित शर्मा, हर्ष कौशिक, मैसर्स। खेतान एंड कंपनी, के. आर. शशिप्रभु, चंचल कुमार गांगुली, निशे राजन शोंकर, सुश्री अनु के. जॉय, मानव वोहरा, कृष्ण देव जे., मोहम्मद सादिक टी. ए., सुश्री स्वाधा शंकर, अमित कृष्ण, अनवर अलीम, जोसेफ अरिस्टोटल एस., श्रीमती प्रिया अरिस्टोटल, जावेदुर रहमान, आदित्य भट, करण भरीहोक, भुपेश नरूला, के. वी. जगदीश्वरन, श्रीमती जी. इंदिरा, श्रीमती के. एनाटोली सेमा, एडवर्ड बेल्हो, अमित कुमार सिंह, के. लुइकांग माइकल, लीसांगथेम रोशनी के. ,

सुश्री मैबम बबीना, अजय बंसल, कुलदिप सिंह, गौरव यादव, महेश अग्रवाल, प्रियदर्शी बनर्जी, प्रतिभा सिंह खरोला, सारांश

कुमार, सारांश जैन, माधवम शर्मा, मेका वेंकट राम कृष्ण, विवेक जैन *(श्री ई. सी. अग्रवाल के लिए)*, सुश्री रश्मीता आर. चंद्र,

सुश्री लेखा सुधाकरन, निपुण सक्सेना, नमित सक्सेना, देवांशु सजलन, आदित्य पी. अरोड़ा, सुश्री पल्लवी प्रताप, सुश्री बीना माधवन, सुश्री श्रेयसी कुंवर *(मेसर्स के लिए)*। वकील एस निट एंड कंपनी*)* श्रीराम पी., सुश्री खुशबू जैन, विष्णु शंकर एम. एस. , सुश्री अथिरा जी. नायर, राहुल मथान, सैयद जफर आलम, सुश्री शिवानी खांडेकर, थॉमस जे. वल्लियानेथ, समर कछवाहा, बी. विवेकानंद, अशोक माथुर, आर. सुधींदर, सुश्री सौम्या मेहरोत्रा, सुश्री अमृता सरकार, एस. मुखर्जी, मनोज के. मिश्रा, उमेश दुबे, आशीष कुमार मिश्रा, सुश्री राधिका चतुर्वेदी, हितेश कुमार शर्मा, एस. के. राजोरा *(डॉ. (श्रीमती)* विपिन गुप्ता के लिए*)* सुश्री पूजा धर, के. राजीव, फुज़ैल अहमद अयूबी, सुश्री दीपाली, इबादत मुश्ताक, सुश्री अदिति गुप्ता, जावेद तारिक, डॉ. अनिंदिता पुजारी, सुश्री कविता भारद्वाज, पुखरंबम रमेश कुमार, सुश्री अपर्णा भट, मयंक सप्रा, डॉ. ललित भसीन, साई कृष्ण राजगोपाल, जूलियन जॉर्ज, सुश्री अरुंधति गोपाल, अर्जुन

रंगनाथन और सुश्री वनीशा जैन *(श्री निखिल नय्यर के लिए)*, अधिवक्ता। , उपस्थित दलों के लिए।

समीर एच. शाहनी *(*कॉनमिट में व्यक्तिगत रूप से। डब्ल्यू. पी. में *2018* की याचिका *(सी)* संख्या *34*। *(ग)* नहीं। *1014 2017)*।

न्यायालय के निम्नलिखित निर्णय दिए गए थे -

ए. के. सिकरी, जे. *(*मुख्य न्यायाधीश के लिए, स्वयं और

ए. एम. खानविलकर, जे.*)*

परिचय और प्रारंभिकः
सर्वश्रेष्ठ होने की तुलना में अद्वितीय होना बेहतर है। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ होना आपको नंबर एक बनाता है, लेकिन अद्वितीय होना

आपको एकमात्र बनाता है।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(आर. ई. टी. डी.)* बनाम। भारत संघ *[ए. के. सिकरी, जे.]*

2. 'अद्वितीय आपको एकमात्र 'आधार' का केंद्रीय संदेश बनाता है, जो इन मामलों में संवैधानिक चुनौती का सामना कर रहा है।

याचिकाएँ '। आधार 'जिसका अंग्रेजी में अर्थ है,' नींव 'या' आधार ', हाल के वर्षों में सबसे अधिक चर्चा की जाने वाली अभिव्यक्ति बन गई है, न केवल अंग्रेजी में।

भारत में लेकिन कई अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों में। हिंदी शब्दकोश का एक शब्द गौण महत्व धारण कर चुका है। आज, उल्लेख करें 'आधार' शब्द का अर्थ एक श्रोता को शब्दकोश अर्थ की ओर नहीं ले जाएगा।

जहाँ से उसकी पहचान की जा सकती है। इसे 'विशिष्ट पहचान' के रूप में वर्णित किया गया है और वह प्राधिकरण जो किसी व्यक्ति का नामांकन करता है और जिसके कहने पर आधार कार्ड जारी किया जाता है, उसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण *(*इसके बाद 'यू. आई. डी. ए. आई.' या 'प्राधिकरण' के रूप में संदर्भित किया जाता है*)* के रूप में जाना जाता है। इसे विभिन्न कारणों से अद्वितीय बताया गया है। यू. आई. डी. ए. आई. का दावा है कि यह न केवल किसी व्यक्ति की पहचान करने का एक अचूक तरीका है, बल्कि यह एक ऐसा साधन भी है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति समर्थन में किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता के बिना किसी भी लेनदेन में प्रवेश कर सकता है। यह डिजिटल अर्थव्यवस्था का प्रतीक बन गया है। और आम आदमी के लिए कई रास्ते बनाए हैं। आधार योजना, जिसकी अवधारणा वर्ष *2006* में की गई थी और जिसे वर्ष *2009* में यू. आई. डी. ए. आई. के निर्माण के साथ शुरू किया गया था, ने इस देश में लगभग *11* करोड़ लोगों का नामांकन सुनिश्चित किया है। इसका उपयोग जंगल की आग की तरह फैल रहा है, जो उनके द्वारा किए गए मजबूत और आक्रामक अभियान का परिणाम है।

सरकार, सरकारी एजेंसियां और ऐसे अन्य निकाय। इस तरह से

यह वस्तुतः एक घरेलू प्रतीक बन गया है। सरकार आधार के कई लाभों का दावा करती है।

3. साथ ही, आधार की योजना और उसके बाद बनाई गई वास्तुकला की समाज के एक वर्ग ने कड़ी आलोचना की है। उनके अनुसार, आधार व्यक्तियों की निजता के अधिकार में एक गंभीर आक्रमण है और इसमें निगरानी की प्रवृत्ति है

राज्य जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को आधार के उपयोग के साथ-साथ उसकी जीवन प्रोफ़ाइल और गतिविधि बनाकर निगरानी में रखा जा सकता है। हाल के दिनों में कोई अन्य विषय नहीं रहा है जिसने उस तरह की गहन और गरमागरम बहस को जन्म दिया है जिसमें दोनों पक्ष, पक्ष और विपक्ष, अपने-अपने विश्वास के समर्थन में इतने जोश से बहस करते हैं। द. इन याचिकाओं में याचिकाकर्ता बाद की श्रेणी से संबंधित हैं जो आधार परियोजना को जारी रखने की अनुमति दिए जाने पर अधिनायकवादी राज्य की आशंका जताते हैं। वे पूरे आधार ढांचे को समाप्त करने और ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं, जो उनके अनुसार, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के लिए अभिशाप है

कानून का शासन, जो भारतीय संविधान का आधार है। याचिकाकर्ताओं ने आधार परियोजना को चुनौती दी है जो वर्ष *2009* में प्रशासनिक कार्रवाई के माध्यम से शुरू हुई थी। आधार को वैधानिक सुरक्षा का कवच

मिलने के बाद भी, चुनौती बनी हुई है क्योंकि आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016 (*इसके बाद 'आधार अधिनियम' के रूप में संदर्भित*)* को संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य के रूप में चुनौती दी गई है। इस मामले में शामिल मुद्दों की विस्तृत श्रृंखला इस तथ्य से स्पष्ट है कि इन मामलों में पक्षों को अपनी दलीलें पूरी करने में लगभग चार महीने लग गए, और न्यायालय ने अत्यधिक कुशल, सौम्य, प्रतिभाशाली और बौद्धिक वकालत देखी, जिसमें जुनून के निशान भी थे।

4. इस मुद्दे पर गरमागरम सार्वजनिक बहस भी हुई है। अदालत के बाहर भी ऐसे समूह हैं जो आधार योजना के पक्ष में वकालत कर रहे हैं और जो इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि न केवल आम लोग हैं जो दोनों समूहों में से किसी एक से संबंधित हैं, बल्कि बुद्धिजीवी वर्ग भी समान रूप से विभाजित है। आधार के पक्ष या विपक्ष में प्रवचन के लिए कई लेख, साक्षात्कार हुए हैं। इनमें शामिल लोग आधार परियोजना को राष्ट्र को सुशासन के शासन में लाने, सामाजिक-आर्थिक अधिकारों, आर्थिक समृद्धि आदि को आगे बढ़ाने के रूप में देखें।

और इस प्रक्रिया में वे दावा करते हैं कि यह राष्ट्र को एक विश्व नेता बना सकता है। भारत के विद्वान महान्यायवादी श्री के. के. वेणुगोपाल ने विश्व बैंक सहित कुछ अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा की गई प्रशंसाओं का उल्लेख किया। हम स्पष्ट करते हैं कि हम आधार के पक्ष या विपक्ष में व्यक्त किए गए ऐसे विचारों से प्रभावित नहीं हुए हैं। आधार का विरोध करने वालों को आशंका है कि यह नागरिकों की निजता में अत्यधिक हस्तक्षेप कर सकता है और एक अधिनायकवादी राज्य बनाने की प्रवृत्ति रखता है, जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को प्रभावित करेगा। बहस के दौरान विभिन्न व्यक्तियों/निकायों की कुछ ऐसी राय का उल्लेख किया गया था। बहस के दौरान दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से प्रदर्शित भावनाओं, झुंझलाहट, निराशा, परमानंद, उत्साह के साथ-साथ बयानबाजी के बावजूद, इस न्यायालय को शामिल मुद्दों पर अपना निर्णय देते समय संवैधानिक प्रावधानों की कसौटी पर मुद्दों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा के साथ शांति की स्थिति रखने की आवश्यकता है। *5.* आधार संरचना पर हमले का नेतृत्व करने की पहल याचिकाकर्ताओं, न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी *(*सेवानिवृत्त*)* और श्री प्रवेश खन्ना द्वारा *2012* की रिट याचिका *(*सिविल*)* संख्या *494* दायर करके की गई थी। उस समय आधार योजना विधायी दायरे में नहीं थी। रिट याचिका में योजना को मुख्य रूप से न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम के आधार पर चुनौती दी गई है।

भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

कि यह भारत के असंख्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों, अर्थात् संविधान के अनुच्छेद *21* के तहत आने वाले निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

भारत। कुछ अन्य संबंधित याचिकाएं दायर करके दौड़ में शामिल हुए। इस याचिका में समय-समय पर आदेशों की श्रृंखला पारित की जाती थी, जिनमें से कुछ हमारे द्वारा उचित स्तर पर संदर्भित किए जाते थे। *2016* में, आधार अधिनियम के पारित होने के साथ, इन याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम के अधिकारों को चुनौती देते हुए एक और रिट याचिका दायर की। यहाँ फिर से, इसी उद्देश्य के साथ कुछ और रिट याचिकाएँ दायर की गई हैं। इन सभी रिट याचिकाओं को एक साथ जोड़ा गया था। कई हस्तक्षेप भी हैं जिनके द्वारा

6. इससे पहले कि हम उस आधार में जाएं जिस पर आधार परियोजना और आधार अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर हमला किया गया है, कालानुक्रमिक क्रम में उन घटनाओं पर ध्यान देना उचित होगा जिन्होंने आधार योजना के निर्माण, शुरुआत और कार्यान्वयन को आकार दिया। *7. 3* मार्च, *2006* को संचार और सूचना मंत्रालय के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मंजूरी दी गई थी

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र *(*एन. आई. सी.*)* द्वारा बारह महीने से अधिक की अवधि के लिए कार्यान्वित की जाने वाली 'बी. पी. एल. परिवारों के लिए विशिष्ट पहचान' नामक परियोजना के लिए प्रौद्योगिकी, भारत सरकार। परिणामस्वरूप, *3* जुलाई, *2006* को एक प्रक्रिया समिति का गठन किया गया था, जो आंकड़ों को अद्यतन करने, संशोधन करने, जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया का सुझाव देगी।

बी. पी. एल. परिवारों के लिए विशिष्ट पहचान परियोजना के तहत बनाए जाने वाले मुख्य डेटाबेस से क्षेत्र। इस समिति ने *26* नवंबर, *2006* को 'स्ट्रेटेजिक विजन यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजिडेंट्स' के नाम से एक पेपर तैयार किया। इसके आधार पर, मंत्रियों का अधिकार प्राप्त समूह

(ई. जी. ओ. एम.*)* की स्थापना *04* दिसंबर, *2006* को राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी।

नागरिकता अधिनियम, *1955* और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की विशिष्ट पहचान संख्या परियोजना के तहत जनसंख्या रजिस्टर। ई. जी. ओ. एम. को परियोजनाओं को जल्दी और प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए कार्यप्रणाली और विशिष्ट मील के पत्थर पर गौर करने और इन परियोजनाओं पर अंतिम विचार करने का भी अधिकार दिया गया था। ई. जी. ओ. एम. में तत्कालीन विदेश, गृह, कानून, पंचायती राज और संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और तत्कालीन उपाध्यक्ष, योजना आयोग शामिल थे।

8. विशिष्ट पहचान *(*इसके बाद 'यू. आई. डी.' के रूप में संदर्भित*)* परियोजना पर समय-समय पर विभिन्न बैठकें आयोजित की जाती थीं।

22 दिसंबर, *2006* को आयोजित बैठक में प्रस्तावित डेटा तत्वों के विभिन्न पहलुओं और उनके प्रारूपों पर चर्चा की गई। इसके बाद, *27* अप्रैल, *2007* को आयोजित इसकी पांचवीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यू. आई. डी. डेटाबेस का विकास सैद्धांतिक रूप से तीन चरणों में होगा। समिति ने आगे निर्णय लिया कि आर. डी. के घरेलू सर्वेक्षण और व्यक्तिगत राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली *(*पी. डी. एस.*)* डेटाबेस जैसे प्रमुख भागीदार डेटाबेस को चरणबद्ध तरीके से जोड़ा जाना चाहिए। *11* जून, *2007* को, परियोजना के अंतिम चरण में, कैबिनेट सचिव द्वारा तत्कालीन प्रधान मंत्री को यू. आई. डी. परियोजना पर एक प्रस्तुति दी गई थी। यू. आई. डी. परियोजना की छठी बैठक *15* जून, *2007* को हुई थी। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय लिए:

(i) 11 अंकों के संख्याकरण प्रारूप को मंजूरी दी गई थी।

(ii) योजना आयोग के तत्वावधान में एक कार्यकारी आदेश द्वारा यू. आई. डी. प्राधिकरण बनाने की आवश्यकता की सराहना की गई ताकि लोगों के लिए अखिल विभागीय और तटस्थ पहचान सुनिश्चित की जा सके।

प्राधिकरण। *(iii)* केंद्रीय और राज्य यू. आई. डी. के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

(iv) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग *(*डी. आई. टी.*)* को चुनाव आयोग के साथ जुड़ने के लिए तौर-तरीकों पर काम करने का निर्देश दिया गया और

जुड़ाव के लिए एम. ओ. आर. डी. और पी. डी. एस. के साथ चर्चा शुरू करें।
(v) सैद्धांतिक रूप से, चरणबद्ध योजना के लिए प्रस्तावित अनुक्रम की मंजूरी

दिया गया।

9. 30 अगस्त, *2007* को आयोजित सातवीं बैठक में, प्रस्तावित प्रशासनिक ढांचा और यू. आई. डी. प्राधिकरण और श्रमशक्ति की संरचना

वित्तीय प्रभाव सहित आवश्यकता पर चर्चा की गई। यह निर्णय लिया गया कि संसाधन मॉडल के आधार पर एक विस्तृत प्रस्ताव समिति को उसके 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाए। इस स्तर पर, ई. जी. ओ. एम. ने *27* नवंबर, *2007* को अपनी पहली बैठक बुलाई। इस बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर आम सहमति बनीः

(i) पहचान से संबंधित निवासी डेटाबेस बनाने की स्पष्ट आवश्यकता है, भले ही डेटाबेस डेटा के नए संग्रह पर बनाया गया हो या पहले से मौजूद डेटा पर आधारित हो।

(जैसे कि चुनाव आयोग की मतदाता सूची*)*।
(ii) इसके अतिरिक्त, एक संस्थागत न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* बनाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

तंत्र जो डेटाबेस का 'मालिक' होगा और इसके लिए जिम्मेदार होगा

इसका रखरखाव और अद्यतन।

(iii) अगली बैठक में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर *(*एन. पी. आर.*)* और यू. आई. डी. योजनाओं के मिलान से संबंधित विषयों पर विचार किया जाएगा, जिसमें कार्यप्रणाली, प्रभावी कार्यान्वयन तकनीक, ऊपर बताए गए संस्थागत तंत्र की पहचान और योजना को लागू करने के लिए समय सारिणी शामिल है।

इसके बाद कार्यक्रम के तौर-तरीकों पर काम करने के लिए कई बैठकें हुईं। उसमें कुछ मुद्दे उठाए गए और उन मुद्दों को हल करने के लिए सचिवों की एक समिति का गठन किया गया। उक्त समिति ने अपनी सिफारिशें दीं जिन पर ई. जी. ओ. एम. द्वारा चर्चा की गई। सैद्धांतिक रूप से आधार योजना को मंजूरी देने के बाद, इसने कैबिनेट सचिव को यू. आई. डी. के विस्तृत संगठनात्मक ढांचे को अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया।

10. कैबिनेट सचिव की सिफारिश पर विचार करने के बाद, अधिसूचना सं। ए-*43011/02/2009*-प्रशासन। आई भारत सरकार द्वारा *28* जनवरी, *2009* को जारी किया गया था जिसने इसका गठन और अधिसूचना जारी की थी। यू. आई. डी. ए. आई. योजना आयोग के तत्वावधान में एक संलग्न कार्यालय के रूप में। यू. आई. डी. ए. आई. के गठन के परिणामस्वरूप, रु. वित्त मंत्री ने वित्त पर स्थायी समिति की सिफारिश पर आधार नामांकन के पहले चरण के लिए *147.31* करोड़ रुपये को मंजूरी दी थी। योजना आयोग के सचिव द्वारा *25* फरवरी, *2009* को *35* राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को डेमो आधिकारिक पत्र भेजा गया था, जिसमें उन्हें यू. आई. डी. ए. आई. के कार्यान्वयन में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी भूमिकाओं और

जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया था, जैसे कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के यू. आई. डी. आयुक्तों की नियुक्ति, विभिन्न विभागों और राज्य इकाइयों के साथ रसद सहायता और समन्वय।

जैसा कि वे कहते हैं, बाकी इतिहास है, जिसे हम संक्षेप में दोहराते हैं।

इसके बाद।

11. यू. आई. डी. ए. आई. से संबंधित कार्य को सलाह देने और आगे बढ़ाने के लिए एक कोर समूह का गठन किया गया था। यू. आई. डी. ए. आई. को बजट आवंटित किया गया था ताकि वह ऐसा कर सके।

उसका कार्य। इसके लिए कर्मचारी भी आवंटित किए गए थे। कोर समूह की बैठकें हुईं

समय-समय पर जगह। कोर ग्रुप ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्णय लिया कि यू. आई. डी. ए. आई. परियोजना को शुरू करने के लिए *2009* के मतदाता सूची डेटाबेस के साथ शुरुआत करना बेहतर होगा। पीडीएस अभिलेखों के डिजिटलीकरण की स्थिति, राज्यवार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से स्थायी आयोग/यूआईडी को भेजने की मांग की गई थी। यह और अन्य उठाए गए कदम सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रस्तावित यू. आई. डी. परियोजना। प्रस्तावों में से एक यू. आई. डी. के लिए जल्द से जल्द एक विधायी ढांचा प्रदान करना था ताकि उसे अपना कार्य करने के लिए कानूनी मंजूरी मिल सके। कुछ अन्य समितियाँ जैसे बायोमेट्रिक्स मानक समिति, जनसांख्यिकीय डेटा मानक और सत्यापन प्रक्रिया समिति का गठन एक समर्थन प्रणाली के रूप में किया गया था परियोजना, जिसने दिसंबर *2009* में अपनी-अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यहां तक कि *22* अक्टूबर, *2009* के आदेशों के माध्यम से यू. आई. डी. पर एक कैबिनेट समिति का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की थी, जिसका उद्देश्य यू. आई. डी. ए. आई. से संबंधित सभी मुद्दों को शामिल करना था, जिसमें इसके संगठन, नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं, वित्त पोषण और कार्यप्रणाली शामिल हैं।

अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना।

12. इस मामले को सत्रहवें वित्त में संबोधित किया गया था।

रणनीति का अवलोकन। यह अवलोकन यू. आई. डी. ए. आई. परियोजना की विशेषताओं, लाभों, राजस्व मॉडल और समयसीमा का वर्णन करता है। इसके अलावा, इसने पहचान के सार्वभौमिक प्रमाण के रूप में काम करने के लिए यू. आई. डी. के लक्ष्य को रेखांकित किया, जिससे निवासियों को देश में कहीं भी अपनी पहचान साबित करने की अनुमति मिलती है। यह परियोजना सरकार को भारत की आबादी के बारे में एक स्पष्ट दृष्टिकोण देगी, जिससे यह प्रभावी ढंग से सेवाओं को लक्षित करने और वितरित करने, सामाजिक निवेश पर अधिक लाभ प्राप्त करने और देश भर में धन और संसाधन प्रवाह की निगरानी करने में सक्षम होगी। यह महसूस किया गया कि इस उपलब्धि के लिए यह महत्वपूर्ण है लक्ष्य केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के साथ-साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी है। केवल उनके सहयोग से ही यह परियोजना भारत में समावेश और विकास के एक बड़े दृष्टिकोण को साकार कर पाएगी।

13. यू. आई. डी. ए. आई. पर मंत्रिमंडलीय समिति के लिए यू. आई. डी. ए. आई.-सं. *4 (4)/57/2010/*सी. सी. वाला एक मंत्रिमंडल नोट *12* मई, *2010* को प्रस्तुत किया गया था। द.

नोट में यू. आई. डी. ए. आई. की एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि को रेखांकित किया गया है, जिसमें न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम के लिए निवासियों की जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक विशेषताओं के संग्रह के लिए एक दृष्टिकोण का प्रस्ताव किया गया है।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

यू. आई. डी. परियोजना और उपरोक्त दृष्टिकोण को अपनाने के लिए कैबिनेट समिति की मंजूरी मांगी और सुझाव दिया कि एन. पी. आर. के लिए भारत के महापंजीयक द्वारा समान मानकों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाए।

यू. आई. डी. प्रणाली में अभ्यास और अन्य सभी पंजीयक। इसके लिए तर्क

बायोमेट्रिक विवरण को पकड़ने के समय आईरिस स्कैन को पकड़ने की आवश्यकता को समझाने के लिए उपरोक्त कैबिनेट नोट के साथ आईरिस बायोमेट्रिक्स को भी शामिल किया गया था। *14.* सितंबर *2010* तक आधार परियोजना के राष्ट्रव्यापी शुभारंभ के साथ आधार की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। दिसंबर *2010* में, यू. आई. डी. ए. आई. ने नामांकन प्रक्रिया पर एक रिपोर्ट जारी की जिसे 'यू. आई. डी. नामांकन' के रूप में जाना जाता है।

कर्नाटक, बिहार और आंध्र प्रदेश के तीन ग्रामीण क्षेत्रों में नामांकन प्रमाण-की-अवधारणा का अध्ययन करने वाली प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट रिपोर्ट

भारत के सभी निवासियों तक इसका विस्तार करने की उचित अपेक्षाएँ। *15.* यू. आई. डी. ए. आई. को विधायी ढांचा प्रदान करने के लिए यू. आई. डी. ए. आई. के अध्यक्ष की सिफारिश के अनुसार एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था।

3 दिसंबर, *2010* को राज्यसभा को 'भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक, *2010'* के रूप में जाना जाता है।

16. प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए कई अन्य कदम उठाए गए

नामांकन। नामांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर समय-समय पर अध्ययन किए जाते थे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचना/आदेश भी जारी किए गए थे जिसमें कहा गया था कि किसी निवासी के लिए बैंक खाते खोलने के लिए बैंकों द्वारा आधार पत्र को मान्यता दी जाएगी। समान आदेश / अन्य अधिकारियों द्वारा भी अधिसूचना जारी की गई थी। आधार की शुरुआत की पहली वर्षगांठ पर, जो *29* सितंबर, *2011* को हुई थी, घोषणा की गई थी कि *10* करोड़ नामांकन हुए हैं और *3.75* करोड़ से अधिक आधार बनाए गए हैं। नियत समय में प्रस्तुत की गई कुछ रिपोर्टें, जो हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक हैं। इस स्तर पर ध्यान दिया जाता है:

(i) केरोसिन, एलपीजी और उर्वरक पर सब्सिडी के प्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए आधार-सक्षम एकीकृत भुगतान अवसंरचना पर कार्यबल की रिपोर्ट।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यू. आई. डी. ए. आई. को प्रस्तुत। इस रिपोर्ट ने उच्च सटीकता का प्रदर्शन किया पहचान को प्रमाणित करने के लिए उंगलियों के निशान का उपयोग करने की दर। ग्रामीण परिवेश में किया गया अध्ययन विशिष्ट जनसांख्यिकी का प्रतिनिधित्व करता है

और *99.3%* को दो उंगलियों का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा सुधार संभव है यदि उपकरण विनिर्देशों को केवल सर्वोत्तम उपकरणों को शामिल करने के लिए कड़ा किया जाता है और उंगली के उचित स्थान में सहायता के लिए कुछ यांत्रिक गाइड का उपयोग किया जाता है। यह भी था

बेंचमार्किंग के माध्यम से प्रदर्शित किया कि प्रमाणीकरण

बुनियादी ढांचा प्रति दस लाख प्रमाणीकरण को बनाए रखने में सक्षम है।

घंटा।

(iii) योजना मंत्रालय की *'*अनुदान मांगों *(2012-13)'* पर वित्त पर स्थायी समिति की *53* वीं रिपोर्ट।

24 अप्रैल को लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था।

2012. इस रिपोर्ट में उद्देश्यों और वित्तीय कार्यों का सारांश दिया गया है।

इस तत्वावधान में लागू की जा रही यू. आई. डी. योजना के निहितार्थ

योजना आयोग। *(iv)* आईरिस प्रमाणीकरण सटीकता रिपोर्ट *12* सितंबर, *2012* को यू. आई. डी. ए. आई. को प्रस्तुत की गई थी। *5833* निवासियों के अनुभवजन्य अध्ययन पर आधारित इस रिपोर्ट ने भारतीय संदर्भ में आईरिस प्रमाणीकरण को व्यवहार्य होने का प्रदर्शन किया। आइरिस के लिए उपकरण की तैयारी के वर्तमान स्तर के साथ

दरें आगे। समग्र प्रणालियों-नेटवर्क और सॉफ्टवेयर-ने वास्तविक जीवन की स्थिति में वांछित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिखाया है। अंत में, प्रतिस्पर्धी विक्रेता पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के रूप और कार्य के साथ छह अलग-अलग उपकरण उपलब्ध हैं। *(v)* प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण पर राष्ट्रीय समिति द्वारा नकद हस्तांतरण की शुरुआत पर पृष्ठभूमि टिप्पणी तैयार की गई थी।

26 नवंबर, *2012* को इसकी पहली बैठक हुई। यह रिपोर्ट भारतीय संदर्भ में नकद हस्तांतरण के लाभों को रेखांकित करती है जिसमें कहा गया है कि

इस उद्देश्य के लिए सभी के लिए विशिष्ट पहचान पत्र एक पूर्व शर्त है।

17. इस मोड़ पर, *2012* की रिट याचिका *(*सिविल*)* संख्या *494* थी जिसमें *30* नवंबर, *2012* को न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

इस न्यायालय द्वारा। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस रिट याचिका में आधार योजना पर मुख्य रूप से इस आधार पर हमला किया गया है कि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है जो संविधान के अनुच्छेद *21* में निहित मौलिक अधिकारों का एक पहलू है।

18. भारत संघ के साथ-साथ यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा भी जवाबी हलफनामा दायर किया गया था। उत्तरदाताओं द्वारा लिया गया रुख, अन्य बातों के साथ, था

कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, जो एम. पी. शर्मा और *4* अन्य बनाम मामले में आठ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले द्वारा इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया था। सतीश चंद्र जिला। मजिस्ट्रेट, दिल्ली और *4* अन्य *1.* यह है।

इस तथ्य के बावजूद कि इसके बाद इस न्यायालय द्वारा दिए गए कई निर्णयों में निजता के अधिकार को अनुच्छेद *21* के एक पहलू के रूप में स्वीकार किया गया था। हालाँकि, उत्तरदाताओं का तर्क था कि वे निर्णय एम. पी. शर्मा में निर्धारित आदेश के विपरीत थे और इसलिए, वे उचित थे। इस पहलू पर मामले की सुनवाई तीन न्यायाधीशों की पीठ ने की और पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने संविधान पीठ को निर्देश देना उचित समझा। एक पाँच न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया, जिसने मामले पर विचार करने के बाद, विवाद को आधिकारिक तरीके से हल करने के लिए इसे नौ न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया। नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले ने निर्णायक, स्पष्ट और जोरदार तरीके से संदर्भ का सर्वसम्मत जवाब दिया है

19. हम इस स्तर पर यह भी दर्ज कर सकते हैं कि इस याचिका में समय-समय पर कुछ अंतरिम आदेश पारित किए गए थे। हम इसका सार दे सकते हैं कुछ प्रासंगिक आदेशः

(क*) 23* सितंबर, *2013* का आदेश *(*दो न्यायाधीशों की पीठ*)*

"सभी मामलों की सुनवाई अंततः होनी चाहिए। सभी मामलों की सूची बनाएँ

संविधान पीठ के समाप्त होने के बाद अंतिम सुनवाई होती है।

इस बीच, किसी भी व्यक्ति को आधार कार्ड नहीं मिलने के लिए पीड़ित नहीं होना चाहिए, इस तथ्य के बावजूद कि किसी प्राधिकरण ने इसे अनिवार्य बनाने के लिए एक परिपत्र जारी किया था और जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है, तो यह जांचा जा सकता है कि क्या वह व्यक्ति कानून के तहत इसके लिए हकदार है और ऐसा नहीं होना चाहिए।

किसी भी अवैध अप्रवासी को दिया जाता है।

›) *26* नवंबर, *2013* का आदेश *(*दो न्यायाधीशों की पीठ*)*

"मामले को विस्तार से सुनने के बाद, हमारा विचार है कि सभी

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस रूप में शामिल करना होगा

उत्तरदाताओं को प्रभावी निर्देश देने के लिए। इसे ध्यान में रखते हुए, नोटिस सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया जाए

वकील।

XX

XX

XX

इस बीच जारी रखने का आदेश "।

ग*) 16* मार्च, *2015* का आदेश *(*तीन न्यायाधीशों की पीठ*)*

"इस बीच, यह हमारे ध्यान में लाया जाता है कि निश्चित रूप से आधार पहचान पर जोर दिया जा रहा है

विभिन्न प्राधिकरण, हम विशिष्ट में जाने का प्रस्ताव नहीं करते हैं

मामले।

चूंकि भारत संघ का प्रतिनिधित्व विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा किया जाता है

और सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व उनके संबंधित माध्यम से किया जाता है

अधिवक्ता, हम उम्मीद करते हैं कि भारत संघ और राज्य दोनों और

उनके सभी अधिकारियों को इसके द्वारा पारित आदेश का पालन करना चाहिए।

23 सितंबर, *2013* को न्यायालय। "

1) 11 अगस्त, *2015* का आदेश *(*तीन न्यायाधीशों की पीठ*)*

"इस मामले पर विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि

जब तक मामला समाप्त नहीं हो जाता, तब तक ब्याज संतुलन सबसे अच्छा रहेगा।

एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय लिया जाता है, यदि भारत संघ या यू. आई. डी. ए. आई.

निम्नलिखित तरीके से आगे बढ़ें:

1. भारत संघ इलेक्ट्रॉनिक में व्यापक प्रचार करेगा

और रेडियो और टेलीविजन नेटवर्क सहित प्रिंट मीडिया कि यह है

किसी नागरिक के लिए आधार कार्ड प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है।

2. आधार कार्ड दिखाने की कोई शर्त नहीं होगी -

किसी नागरिक को अन्यथा देय कोई भी लाभ प्राप्त करना। *3.* विशिष्ट पहचान संख्या या आधार कार्ड होगा

पीडीएस योजना और विशेष रूप से वितरण के उद्देश्य के लिए खाद्यान्न आदि और खाना पकाने का ईंधन, जैसे मिट्टी का तेल। द.

वितरण योजना। *4.* विशिष्ट द्वारा प्राप्त किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी

भारतीय पहचान प्राधिकरण आधार कार्ड जारी करते समय आईसीई के. एस. पुट्टास्वामी *(*आरईटीडी.*) v.*

भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

ऊपर के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि

जैसा कि किसी न्यायालय द्वारा आपराधिक उद्देश्य के लिए निर्देशित किया जा सकता है

जाँच "।

1) 15 अक्टूबर, *2015* का आदेश *(*संविधान पीठ*)*

अन्य दो योजनाओं जैसे पी. डी. एस. योजना और एल. पी. जी. वितरण योजना से महात्मा गांधी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम *(*वृद्धावस्था पेंशन*),* विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन*),* प्रधानमंत्री जन धन योजना *(*पीएमजेडीवाई*)* और कर्मचारी भविष्य निधि

संगठन *(*ई. पी. एफ. ओ.*)* वर्तमान में, यह पहले कमजोर नहीं होगा। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश। इसलिए, अब हम उपरोक्त योजनाओं को अन्य दो योजनाओं के अलावा शामिल करते हैं जिन्हें इस न्यायालय ने अपने पूर्व आदेश दिनांक *11.08.2015* में अनुमति दी है।

4. हम भारत संघ से आग्रह करते हैं कि वह इस न्यायालय द्वारा पारित पहले के सभी आदेशों का सख्ती से पालन करेगा। *23.09.2013* से।

5. हम यह भी स्पष्ट करेंगे कि आधार कार्ड योजना विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक है और इसे तब तक अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता जब तक कि इस मामले पर इस अदालत द्वारा किसी न किसी तरह से फैसला नहीं लिया जाता।

ङ*)* डब्ल्यू. पी. *(*सी*)* सं. *686/2016* में *14* सितंबर, *2016* का आदेश।

"मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, रिकॉर्ड पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्य और विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, हम कार्रवाई पर रोक लगाते हैं और प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति योजना के लिए दिनांकित *14.07.2006 (*अर्थात अनुलग्नक पी-*5*, पी-*6*, पी-*7)* पत्रों का कार्यान्वयन, जिस हद तक उन्होंने आधार जमा करना अनिवार्य कर दिया है।

और इलेक्ट्रानिक्स और सूचना मंत्रालय को निर्देशित करना

प्रौद्योगिकी, भारत सरकार, अर्थात प्रत्यर्थी संख्या *2*, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर छात्र पंजीकरण प्रपत्र के लिए एक अनिवार्य शर्त के रूप में आधार संख्या को हटाने के लिए

वेबसाइट पर। *"[2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

20. यह इंगित करना भी प्रासंगिक है कि पणजी में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ, कुछ आपराधिक कार्यवाही में,

जिसमें प्राधिकरण को एक व्यक्ति पर बायोमेट्रिक जानकारी देने का निर्देश दिया गया था, यू. आई. डी. ए. आई. ने विशेष अनुमति याचिका *(*आपराधिक*)* संख्या *2524* दायर की थी। *2014* के उक्त आदेश को इस दलील के साथ चुनौती देते हुए कि बायोमेट्रिक जानकारी देने के लिए ऐसा निर्देश के प्रावधानों के विपरीत था

आधार अधिनियम और प्राधिकरण को ऐसा नहीं देना चाहिए था।

जानकारी, जो गोपनीय थी। उक्त विशेष अनुमति याचिका में, *24* मार्च, *2014* का आदेश बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेशों के प्रवर्तन पर रोक लगाते हुए पारित किया गया था। यह आदेश इस प्रकार है:

"नोटिस जारी करें।

विवादित आदेश के संचालन पर रोक रहेगी।
इस बीच, वर्तमान याचिकाकर्ता को किसी भी व्यक्ति की किसी भी बायोमेट्रिक जानकारी को स्थानांतरित करने से रोक दिया गया है, जिसे उसकी लिखित सहमति के बिना किसी अन्य एजेंसी को आधार संख्या आवंटित की गई है।

इसके अलावा, किसी भी व्यक्ति को आधार संख्या के अभाव में किसी भी सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा, यदि वह अन्यथा पात्र/हकदार है। सभी अधिकारियों को अपने प्रपत्रों/परिपत्रों/पसंदों में संशोधन करने का निर्देश दिया जाता है ताकि आधार संख्या की अनिवार्य रूप से आवश्यकता न हो।
इस न्यायालय द्वारा तुरंत पारित अंतरिम आदेश की आवश्यकता को पूरा करना।

मामले को टैग करें और मुख्य मामले यानी डब्ल्यू. पी. *(*सी*)* संख्या *494* के साथ सूचीबद्ध करें।

2012. "

21. इसी तरह, *2017* की रिट याचिका *(*सिविल*)* संख्या *1002* में डॉ. कल्याण मेनन सेन बनाम। भारत संघ और अन्य, जहां संवैधानिक

बैंक खातों और मोबाइल फोन को आधार से जोड़ने की वैधता को चुनौती दी गई थी, अंतरिम आदेश *3* नवंबर, *2017* को पारित किया गया था, जिसमें इसे जोड़ने की अंतिम तिथि क्रमशः *31* दिसंबर, *2017* और *6* फरवरी, *2018* तक बढ़ा दी गई थी। इसके बाद इस आदेश को बढ़ा दिया गया और यह जारी है।

संचालन करने के लिए।

22. हम *14* सितंबर के आदेश का भी उल्लेख करना चाहेंगे।

2011 पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज *(*पी. डी. एस. मैटर*) v.* भारत संघ और *Ors.*[2], जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न निर्देश दिए गए थे

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

पीडीएस योजना का प्रभावी कार्यान्वयन और इस प्रक्रिया में भी

कार्य और नकली राशन कार्ड को समाप्त करने की कवायद शुरू करें। इसी प्रकार *16* मार्च, *2012* के आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि सरकार ने श्री नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया था, जो अन्य बातों के अलावा, पीडीएस के लिए एक आईटी रणनीति की सिफारिश करेगा। श्री नीलेकणी से अनुरोध किया गया कि वे उन तरीकों और साधनों का सुझाव दें जिनके द्वारा पीडीएस की कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है। पीडीएस प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण को तैयार करने का निर्देश दिया गया था और इस रंग में आधार पंजीकरण के साथ कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया का भी सुझाव दिया गया था।

उपरोक्त उसी मामले में, जो बेघर निराश्रित व्यक्तियों को रात्रि आश्रय प्रदान करने से संबंधित था, कुछ आदेश पारित किए गए थे

10 फरवरी, *2010* को *3* और साथ ही *14* सितंबर, *2011* ए को।

23. एक बार फिर, केरल और अन्य राज्यों के मामले में। वी. अध्यक्ष, अभिभावक शिक्षक संघ एस. एन. वी. यू. पी. स्कूल और *Ors.5*, जहाँ अदालत नकली या फर्जी प्रवेश की समस्या से चिंतित थी, यह महसूस किया गया कि नकली प्रवेश को रोकने के लिए स्कूलों में पुलिस को शामिल करने के बजाय, सत्यापन के साधन के रूप में विशिष्ट पहचान *(*यू. आई. डी.*)* कार्ड सत्यापन का अधिक उपयुक्त तरीका होगा।

आधार परियोजना और आधार अधिनियम की संरचनाः

24. इन याचिकाओं में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने से पहले, आधार अधिनियम की संरचना और उसमें निहित विभिन्न प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यह कैसे काम करता है, इसे समझना उचित होगा। यू. आई. डी. ए. आई. की स्थापना *2009* में हुई थी।

एक प्रशासनिक आदेश द्वारा अर्थात सरकार के संकल्प द्वारा। भारत सरकार, योजना आयोग, दिनांक *28* जनवरी, *2009* की अधिसूचना के माध्यम से। उक्त प्राधिकरण की स्थापना का उद्देश्य मुख्य रूप से सरकार की विशिष्ट पहचान योजना *(*संक्षेप में 'यू. आई. एस.'*)* को लागू करने के लिए नीतियां निर्धारित करना था, जिसके

द्वारा भारत के निवासियों को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जानी थी। इसका उद्देश्य इसे पहचान के प्रमाण के रूप में पेश करना था, जो प्रकृति में अद्वितीय है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की केवल एक ही पहचान होगी जिसमें दोहराव की कोई संभावना नहीं होगी। एक अन्य उद्देश्य यह था कि इस संख्या का उपयोग लाभों, सब्सिडी, सेवाओं और अन्य उद्देश्यों के हस्तांतरण के लिए लाभार्थियों की पहचान के लिए किया जा सकता है। यह प्राथमिक कारण था, अर्थात। विभिन्न वितरण के लिए लक्षित लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित करना।

सब्सिडी, लाभ, सेवाएँ, अनुदान, मजदूरी और अन्य सामाजिक लाभ

3 (2010) 5 एससी *318* *4 (2010) 13* एससीसी *45*

5 (2013) 2 एस. सी. सी. *705* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2018] 8 एस सी आर।

ऐसी योजनाएं जिन्हें भारत की समेकित निधि से वित्त पोषित किया जाता है। यह महसूस किया गया कि वास्तविक और वास्तविक लाभार्थियों की पहचान सरकार के लिए एक चुनौती बन गई है। लाभार्थियों की पहचान को प्रमाणित करने के लिए एक विश्वसनीय प्रणाली के अभाव में, यह सुनिश्चित करना मुश्किल हो रहा था कि सब्सिडी, लाभ और सेवाएं इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचे। सरकार के अनुसार, पहचान स्थापित करने में विफलता कल्याण के सफल कार्यान्वयन के लिए बड़ी बाधा साबित हो रही थी कार्यक्रम और यह समाज के हाशिए पर पड़े वर्ग और विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, प्रवासी अकुशल और संगठित श्रमिकों और खानाबदोश जनजातियों को बुरी तरह प्रभावित कर रहा था। इसके बाद

प्राधिकरण की स्थापना, उपरोक्त अधिसूचना के माध्यम से, इसने इस देश के निवासियों को यू. आई. एस. के तहत नामांकित करना शुरू कर दिया। इन निवासियों ने उन्हें आवंटित आधार संख्या का भी उपयोग करना शुरू कर दिया। यह पाया गया कि समय के साथ आधार संख्या का उपयोग कई गुना बढ़ गया है।

इसके लिए आधार संख्या में निहित जानकारी के साथ-साथ आधार संख्या के उपयोग के परिणामस्वरूप उत्पन्न जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया। इस प्रकार, एक संसदीय अधिनियम के साथ प्रणाली का समर्थन करना वांछनीय महसूस किया गया।

25. इसी इरादे से आधार विधेयक को निम्नलिखित परिचय के साथ पेश किया गया थाः

"भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना *2009* में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से नीतियों को निर्धारित करना और विशिष्ट पहचान योजना को लागू करना था, जिसके द्वारा भारत के निवासियों को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जानी थी। यह संख्या पहचान के प्रमाण के रूप में काम करती है और इसका उपयोग लाभों, सब्सिडी, सेवाओं और अन्य उद्देश्यों के हस्तांतरण के लिए लाभार्थियों की पहचान के लिए किया जा सकता है।

बाद में यह महसूस किया गया कि नामांकन, प्रमाणीकरण, सुरक्षा, गोपनीयता और आधार से संबंधित जानकारी के उपयोग की प्रक्रिया

यह भारत के समेकित कोष का हिस्सा था।
आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* विधेयक, *2016* अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान करता हैः

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना, व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करना, केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में जानकारी का रखरखाव और अद्यतन करना, एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

सूचना की सुरक्षा, गोपनीयता और गोपनीयता के साथ-साथ प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अपराध और दंड से संबंधित।

26. ऊपर दर्ज किए गए कारणों का उल्लेख करने के बाद, सी. टी. एस. का वक्तव्य और विधेयक को पेश करने के कारण भी मुख्य रूप से उजागर करते हैं

निम्नलिखित तरीके सेः

"5. आधार *(*वित्तीय और अन्य वस्तुओं की लक्षित डिलीवरी*)* अनुदान, लाभ और सेवा*)* विधेयक, *2016*, अन्य बातों के साथ-साथ,

के लिए प्रदान करें

*(*क*)* विशिष्ट पहचान को अपनी जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करने पर व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करना।

भारतीय प्राधिकरण*;*

*(*ख*)* लाभों, सब्सिडी और सेवाओं के वितरण के लिए किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए आधार संख्या की आवश्यकता होती है जिससे खर्च किया जाता है या उससे रसीद प्राप्त होती है। भारत की समेकित निधि*;*

*(*ग*)* जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी के संबंध में आधार संख्या धारक की आधार संख्या का प्रमाणीकरण*;*

*(*घ*)* भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना जिसमें एक अध्यक्ष, दो सदस्य और एक सदस्य शामिल हैं। सचिव उपरोक्त उद्देश्यों के अनुसरण में कार्य करेगा*;*

*(*ई*)* केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी में व्यक्तियों की जानकारी को इस तरह से बनाए रखना और अद्यतन करना जो हो सके

विनियमों द्वारा निर्दिष्ट*;*

*(*च*)* केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में संग्रहीत जानकारी सहित प्राधिकरण के कब्जे या नियंत्रण में जानकारी की सुरक्षा, गोपनीयता और गोपनीयता से संबंधित उपाय; और

*(*छ*)* प्रासंगिक वैधानिक उल्लंघन के लिए अपराध और दंड

प्रावधान "।

27. विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के बाद यह विधेयक *25* मार्च, *2016* को राष्ट्रपति के पास गया और इस प्रकार यह अधिनियम *(*का *18)* बन गया। इस अधिनियम की प्रस्तावना फिर से उद्देश्य और उद्देश्य पर जोर देती है।एच यह अधिनियम प्राप्त करना चाहता है। इसमें लिखा है:

"एक सुशासन के रूप में कुशल, पारदर्शी,

और सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण, जिसके लिए संचित निधि से व्यय किया जाता है

भारत, भारत में रहने वाले व्यक्तियों को अद्वितीय नियुक्तियों के माध्यम से

ऐसे व्यक्तियों और संबंधित मामलों के लिए पहचान संख्या

इसके साथ या उससे आनुषंगिक "

28. अधिनियम की धारा *2* कुछ परिभाषाएँ प्रदान करती है। इनमें से कुछ

इसे इस स्तर पर ही नोट किया जा सकता है, जबकि अन्य प्रासंगिक परिभाषाएँ

घ का उल्लेख उचित स्तर पर किया जाए।

*"(*क*)* "आधार संख्या" का अर्थ है उन्हें जारी की गई पहचान संख्या।

धारा *3* की उप-धारा *(3)* के तहत एक व्यक्ति;

*(*ख*)* "आधार संख्या धारक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने

इस अधिनियम के तहत आधार संख्या जारी की गई;

*(*ग*)* "प्रमाणीकरण" का अर्थ है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आधार का निर्धारण किया जाता है।
जनसांख्यिकीय जानकारी या बायोमेट्रिक के साथ संख्या

किसी व्यक्ति की जानकारी केंद्रीय पहचानों को प्रस्तुत की जाती है

इसके सत्यापन के लिए डेटा रिपॉजिटरी और इस तरह के रिपॉजिटरी का सत्यापन करता है

जानकारी के आधार पर शुद्धता, या उसकी कमी

*(*घ*)* "प्रमाणीकरण अभिलेख" का अर्थ है समय का अभिलेख अनुरोध करने वाली इकाई का प्रमाणीकरण और पहचान और प्रतिक्रिया

प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया*;*

XX

XX

XX

*(*च*)* "लाभ" का अर्थ है कोई लाभ, उपहार, पुरस्कार, राहत या भुगतान,

और इसमें ऐसे अन्य लाभ शामिल हैं जिन्हें केंद्र द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। सरकार*;*

*(*छ*)* "बायोमेट्रिक जानकारी" का अर्थ है फोटोग्राफ, फिंगर प्रिंट, आइरिस।

*(*ज*)* "केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी" का अर्थ है एक केंद्रीकृत सभी आधार संख्या वाले एक या अधिक स्थानों पर डेटाबेस

आधार संख्या धारकों को संबंधित के साथ जारी किया गया

जनसांख्यिकीय जानकारी और ऐसी बायोमेट्रिक जानकारी व्यक्ति और उससे संबंधित अन्य जानकारी*;* एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम।

भारत का संघ

*[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

XX

XX

XX

*(*के*)* "जनसांख्यिकीय जानकारी" में किसी व्यक्ति के नाम, जन्म तिथि, पता और अन्य प्रासंगिक जानकारी से संबंधित जानकारी शामिल है, जैसा कि उद्देश्य के लिए विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। आधार संख्या जारी करने के लिए, लेकिन इसमें नस्ल, धर्म, जाति, जनजाति, जातीयता, भाषा, पात्रता के रिकॉर्ड, आय या चिकित्सा इतिहास शामिल नहीं होंगे।

*(*1*)* " "नामांकन एजेंसी" से इस अधिनियम के तहत व्यक्तियों की जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने के लिए प्राधिकरण या एक पंजीयक द्वारा नियुक्त एक एजेंसी, जैसा भी मामला हो, अभिप्रेत है*;*

*(*एम*)* "नामांकन" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है*;*

*(*एन*)* किसी व्यक्ति के संबंध में "पहचान की जानकारी" में उसकी आधार संख्या, उसकी बायोमेट्रिक जानकारी और उसकी जनसांख्यिकीय जानकारी शामिल है;

XX

XX

XX

*(*आर*)* "हकदारी के अभिलेख" का अर्थ है किसी भी व्यक्ति को प्रदान किए गए या उसके द्वारा प्राप्त किए गए लाभों, सब्सिडी या सेवाओं के अभिलेख।

कार्यक्रम;

XX

XX

XX

("निवासी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो नामांकन के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले के बारह महीनों में कुल एक सौ बयासी दिन या उससे अधिक की अवधि या अवधि के लिए भारत में रहा हो;
((घ) "सेवा" से किसी व्यक्ति या *[2018]* एस. सी. आर. के समूह को किसी भी रूप में प्रदान किया गया कोई प्रावधान, सुविधा, उपयोगिता या कोई अन्य सहायता अभिप्रेत है।

व्यक्ति और इसमें ऐसी अन्य सेवाएं शामिल हैं जिन्हें इसके द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है

केंद्र सरकार;

(x*)* "सब्सिडी" का अर्थ है किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को नकद या किसी भी प्रकार की सहायता, समर्थन, अनुदान, अनुदान या विनियोग और इसमें ऐसी अन्य सब्सिडी शामिल हैं जिन्हें अधिसूचित किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा "।

29. अधिनियम का दूसरा अध्याय नामांकन से संबंधित है। इस अध्याय की धारा *3* प्रत्येक निवासी को आधार संख्या प्राप्त करने का अधिकार देती है - अपनी जनसांख्यिकीय जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी प्रस्तुत करना। के रूप में

ऊपर उल्लिखित जनसांख्यिकीय जानकारी में किसी व्यक्ति के नाम, जन्म तिथि, पता और अन्य प्रासंगिक जानकारी से संबंधित जानकारी शामिल है, जैसा कि जारी करने के उद्देश्य से विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

एक आधार संख्या '। फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन, या किसी व्यक्ति की ऐसी अन्य जैविक विशेषता जो नियमों द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है, को बायोमेट्रिक जानकारी के रूप में माना जाता है। धारा *3* की उप-धारा *(2)* में कहा गया है कि नामांकन एजेंसी, नामांकन के समय, निम्नलिखित विवरणों के नामांकन से गुजर रहे व्यक्ति को ऐसी तरीके से सूचित करेगी जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की जाए, अर्थात्:

((क) जिस तरीके से जानकारी का उपयोग किया जाएगा;

(बी*)* प्राप्तकर्ताओं की प्रकृति जिनके साथ जानकारी का इरादा है

प्रमाणीकरण के दौरान साझा किया जाना; और *(* ग*)* सूचना तक पहुँच के अधिकार का अस्तित्व, ऐसी पहुँच के लिए अनुरोध करने की प्रक्रिया, और व्यक्ति का विवरण या

प्रभारी विभाग जिसे इस तरह के अनुरोध किए जा सकते हैं। *30.* धारा *4*, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करती है कि किसी व्यक्ति को जारी की गई आधार संख्या को किसी भी व्यक्ति को फिर से नहीं सौंपा जाएगा। इस मायने में, यह

किसी विशेष व्यक्ति को दी गई आधार संख्या को 'अद्वितीय' बनाता है। धारा *5* कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के लिए विशेष उपायों का वर्णन करती है और निम्नानुसार है:

" 5. आधार संख्या जारी करने के लिए विशेष उपाय

स्थायी आवास और व्यक्तियों की ऐसी अन्य श्रेणियां

जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

32. अध्याय *III* 'प्रमाणीकरण' से संबंधित है, जिसने इन कार्यवाहियों में अधिकतम बहस पैदा की है। धारा *7* इसके अंतर्गत आती है।

आधार संख्या का प्रमाणीकरण और यह प्रावधान है कि किसी भी अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा अनुरोध जमा करने पर, प्राधिकरण आधार संख्या का प्रमाणीकरण करेगा। यह प्रमाणीकरण बायोमेट्रिक के संबंध में है। आधार संख्या धारक की जानकारी या जनसांख्यिकीय जानकारी। प्रमाणीकरण के उद्देश्य से पहचान की जानकारी एकत्र करने से पहले, अनुरोध करने वाली संस्था को किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करनी होती है और यह भी सुनिश्चित करना होता है कि उस व्यक्ति की पहचान की जानकारी का उपयोग केवल प्रमाणीकरण के लिए केंद्रीय पहचान डेटा भंडार *(*सी. आई. डी. आर.*)* में जमा करने के लिए किया जाता है। धारा *7* और *8* निम्नानुसार हैं:

सरकार या, यथास्थिति, राज्य सरकार, किसी व्यक्ति की पहचान को एक शर्त के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से कर सकती है।
किसी सब्सिडी, लाभ या सेवा की प्राप्ति के लिए, जिसके लिए व्यय किया जाता है, या भारत की संचित निधि के भाग के रूपों से प्राप्त रसीद के लिए, यह आवश्यक है कि ऐसा व्यक्ति प्रमाणीकरण से गुजरता है, या आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करता है या किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे कोई आधार संख्या नहीं दी गई है, ऐसा व्यक्ति नामांकन के लिए आवेदन करता है:

बशर्ते कि यदि कोई आधार संख्या किसी को नहीं दी गई है

8. आधार संख्या का प्रमाणीकरण। *(1)* प्राधिकरण
आधार *[2018] 8* एस. सी. आर. की आधार संख्या का प्रमाणीकरण करेगा।

अपनी बायोमेट्रिक जानकारी या जनसांख्यिकीय जानकारी के संबंध में किसी भी अनुरोध करने वाली संस्था द्वारा प्रस्तुत संख्या धारक,

ऐसी शर्तें और ऐसे शुल्कों के भुगतान पर और ऐसी रीति से जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की जाए।

(2) एक अनुरोध करने वाली संस्था

विनियम; और *(ख)*
यह सुनिश्चित करें कि किसी व्यक्ति की पहचान की जानकारी का उपयोग केवल केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में जमा करने के लिए किया जाता है।

प्रमाणीकरण।

(3) एक अनुरोध करने वाली संस्था, प्रमाणीकरण के लिए अपनी पहचान की जानकारी जमा करने वाले व्यक्ति को प्रमाणीकरण के संबंध में निम्नलिखित विवरणों के बारे में सूचित करेगी, अर्थात् -

(क) जानकारी की प्रकृति जिस पर साझा की जा सकती है

प्रमाणीकरण; *(ख)* प्रमाणीकरण के दौरान
प्राप्त जानकारी का उपयोग अनुरोध करने वाली संस्था द्वारा किया जा सकता है; और

(ग) पहचान की जानकारी प्रस्तुत करने के विकल्प

अनुरोध करने वाली इकाई।

(4) प्राधिकरण किसी भी मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी को छोड़कर ऐसी पहचान जानकारी को साझा करते हुए एक सकारात्मक, नकारात्मक या किसी अन्य उपयुक्त प्रतिक्रिया के साथ एक प्रमाणीकरण प्रश्न का जवाब देगा।

33. धारा *10* के तहत, प्राधिकरण को सी. आई. डी. आर. की स्थापना और रखरखाव के लिए एक या अधिक संस्थाओं को शामिल करने और किसी भी कार्य को करने की शक्ति दी गई है। विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले अन्य कार्य।

34. अध्याय *IV* प्राधिकरण की स्थापना से संबंधित है। धारा *11* के अनुसार, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के रूप में जाना जाएगा। प्राधिकरण की स्थापना करने वाली केंद्र सरकार द्वारा *12* जुलाई, *2016* को अधिसूचना जारी की गई थी। इस अध्याय के अन्य प्रावधान प्राधिकरण की संरचना, उनकी नियुक्ति के लिए योग्यताओं से संबंधित हैं।

प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य; उनके पद की अवधि और उनके न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)*
v.

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

35. अध्याय *5* केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकरण को अनुदान के साथ-साथ लेखा और लेखा परीक्षा और प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट की बात करता है। प्राधिकरण।

36. अध्याय *VI* संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित है -

'सूचना की सुरक्षा '। आधार अधिनियम की धारा *28* प्राधिकरण पर व्यक्तियों की पहचान की जानकारी और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व डालती है। इसी तरह, धारा *29* जानकारी को साझा करने पर कुछ प्रतिबंध लगाती है अर्थात अधिनियम या पहचान की जानकारी के तहत एकत्र या बनाई गई मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी। इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में एकत्र और संग्रहीत बायोमेट्रिक जानकारी को अधिनियम की धारा *30* के आधार पर 'इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड' और 'संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी' के रूप में माना जाता है। चूँकि ये अधिनियम के बहुत ही भौतिक और महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, इसलिए इन्हें पूरी तरह से शाब्दिक रूप से पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"28. सूचना की सुरक्षा और गोपनीयता। — *(1)* प्राधिकरण पहचान की जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और

व्यक्तियों के प्रमाणीकरण अभिलेख।

(2) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, प्राधिकरण पहचान की जानकारी और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड की गोपनीयता सुनिश्चित करेगा।

व्यक्तियों से।

(3) प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा कि प्राधिकरण के कब्जे या नियंत्रण में जानकारी,

केंद्रीय पहचान डेटा में संग्रहीत जानकारी सहित

भंडार, सुरक्षित है और उपयोग, या उपयोग के खिलाफ संरक्षित है

इस अधिनियम या बनाए गए नियमों के तहत प्रकटीकरण की अनुमति नहीं है

इसके तहत, और आकस्मिक या जानबूझकर विनाश के खिलाफ, नुकसान

या नुकसान।

(4) उप-धारा *(1)* और *(2)* पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण
(क*)* उपयुक्त तकनीकी और संगठनात्मक सुरक्षा उपायों को अपनाना और लागू करना; *[2018] 8* एस. सी. आर.

*(*ख*)* यह सुनिश्चित करें कि इस अधिनियम के तहत प्राधिकरण के किसी भी कार्य को करने के लिए नियुक्त या नियुक्त एजेंसियों, सलाहकारों, सलाहकारों या अन्य व्यक्तियों के पास उपयुक्त तकनीकी और

सूचना के लिए संगठनात्मक सुरक्षा उपाय; तथा

*(*ग*)* यह सुनिश्चित करना कि ऐसी एजेंसियों, सलाहकारों, सलाहकारों या अन्य व्यक्तियों के साथ किए गए समझौते या व्यवस्थाएं लागू हों।

इस अधिनियम के तहत प्राधिकरण पर लगाए गए दायित्वों के बराबर दायित्व, और ऐसी एजेंसियों, सलाहकारों, सलाहकारों और अन्य व्यक्तियों से केवल प्राधिकरण के निर्देशों पर कार्य करने की आवश्यकता होती है। *29.* जानकारी साझा करने पर प्रतिबंध। - *(1)* इस अधिनियम के तहत एकत्र या बनाई गई कोई भी मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी नहीं होगी।

*(*क*)* किसी भी कारण से किसी के साथ साझा किया गया; या

(2) इस अधिनियम के तहत एकत्र की गई या बनाई गई मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी के अलावा पहचान की जानकारी को केवल यहां साझा किया जा सकता है - इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और ऐसी रीति से जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की जाए।

(3) अनुरोध करने वाली संस्था के पास कोई पहचान जानकारी उपलब्ध नहीं होगी।

*(*क*)* व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है।

प्रमाणीकरण के लिए किसी भी पहचान की जानकारी जमा करते समय;

या

*(*ख*)* आगे खुलासा किया गया, सिवाय उस व्यक्ति की पूर्व सहमति के जिसके साथ ऐसी जानकारी संबंधित है।

(4) आधार संख्या धारक के संबंध में इस अधिनियम के तहत एकत्र की गई या बनाई गई कोई भी आधार संख्या या मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी प्रकाशित, प्रदर्शित या सार्वजनिक रूप से पोस्ट नहीं की जाएगी, सिवाय उन उद्देश्यों के जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

30. संवेदनशील व्यक्तिगत मानी जाने वाली बायोमेट्रिक जानकारी

जानकारी दी। इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में एकत्र और संग्रहीत बायोमेट्रिक जानकारी को "इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड" माना जाएगा और जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

"संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना ", और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, *2000 (2000* का *21)* में निहित प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम ऐसी जानकारी पर लागू होंगे, इसके अलावा, और इस हद तक कि इसके प्रावधानों का अपमान नहीं किया गया है

यह अधिनियम।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्तियाँ

(क*)* "इलेक्ट्रॉनिक रूप" का वही अर्थ होगा जो उन्हें सौंपा गया है।

सूचना की धारा *2* की उप-धारा *(1)* के खंड *(*आर*)* में

प्रौद्योगिकी अधिनियम, *2000 (2000* का *21);*

(ख*)* "इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड" का वही अर्थ होगा जो सूचना की धारा *2* की उप-धारा *(1)* के खंड *(*टी*)* में दिया गया है।

प्रौद्योगिकी अधिनियम, *2000 (2000* का *21);*

(ग*)* "संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, *2000 (2000* का *21)* की धारा *43*-ए के स्पष्टीकरण के खंड *(iii)* में दिया गया है।

37. धारा *32* में प्रावधान है कि प्राधिकरण बनाए रखेगा

प्रमाणीकरण अभिलेख इस तरह से और ऐसी अवधि के लिए जो हो सके विनियमों द्वारा निर्दिष्ट और प्रत्येक आधार संख्या धारक को अपने प्रमाणीकरण रिकॉर्ड को इस तरह से प्राप्त करने में सक्षम बनाता है जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है

नियम। यह प्रावधान प्राधिकरण पर 'उद्देश्य' के बारे में कोई भी जानकारी एकत्र करने, रखने या बनाए रखने पर भी प्रतिबंध लगाता है। प्रमाणीकरण '। धारा *33*, हालांकि, एक अपवाद बनाता है

धारा *28 (ii)* और *(v)* के साथ-साथ धारा *29 (ii)* के प्रावधानों में यह निर्धारित किया गया है कि अदालत के आदेश के अनुसार जानकारी का खुलासा किया जा सकता है।

38. अधिनियम के अध्याय *VII* में धारा *34* से *47* विभिन्न प्रकार के अपराधों की गणना करती है और ऐसे अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करती है। हमारे लिए प्रासंगिक धारा धारा *37* है जो पहचान की जानकारी का खुलासा करने के कार्य को अपराध के रूप में बनाती है जो तीन साल तक की अवधि के कारावास या दस हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय है। एक कंपनी के मामले में, यह जुर्माना हो सकता है

एक लाख रुपये तक बढ़ाएँ। इसी तरह, धारा *38* सी. आई. डी. आर. तक अनधिकृत पहुंच के लिए दंड का प्रावधान करती है। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में डेटा के साथ छेड़छाड़ के लिए दंड

सी. आई. डी. आर. *(*धारा *39)* और अनुरोध करने वाली संस्था द्वारा अनधिकृत उपयोग *(*धारा *40)* भी निर्धारित किए गए हैं।

इस अध्याय के तहत अपराधों का संज्ञान केवल प्राधिकरण या उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर ही लिया जा सकता है। *39.* अधिनियम की धारा *50* केंद्र सरकार को समय-समय पर प्राधिकरण को लिखित निर्देश जारी करने का अधिकार देती है और

प्राधिकरण नीति संबंधी प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा। धारा *53* केंद्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार देती है -

अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ उसकी उप-धारा *(2)* में उल्लिखित विशिष्ट मामलों का आम तौर पर पालन करना। धारा *54* प्राधिकरण को अधिनियम के प्रावधानों और विशेष रूप से उप-धारा *(2)* में उल्लिखित मामलों को पूरा करने के लिए अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप विनियम बनाने का अधिकार देती है। इस तरह के नियम और विनियम संसद के समक्ष रखे जाने हैं, जैसा कि धारा *55* में प्रावधान किया गया है।

40. धारा *57* में प्रावधान है कि आधार अधिनियम किसी भी उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या के उपयोग को नहीं रोकेगा और यह निम्नानुसार हैः

"57. कानून के तहत अन्य उद्देश्यों के लिए आधार संख्या के उपयोग को रोकने के लिए अधिनियम नहीं। इस अधिनियम में निहित कुछ भी किसी भी उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या के उपयोग को नहीं रोकेगा, चाहे वह राज्य या किसी निगम निकाय या व्यक्ति द्वारा, किसी भी कानून के अनुसार, कुछ समय के लिए, या इस आशय के किसी अनुबंध के अनुसारः
बशर्ते कि इस धारा के तहत आधार संख्या का उपयोग धारा *8* के तहत प्रक्रिया और दायित्वों के अधीन होगा और

अध्याय *VI "*।

41. यदि अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्र सरकार को उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रावधान करने का अधिकार है, बशर्ते कि ऐसे प्रावधान अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत न हों। धारा *59,* जो अधिनियम में अंतिम प्रावधान है, केंद्र के सभी कृत्यों और कार्यों को बचाने का एक प्रयास है।

28 जनवरी, *2009* की अधिसूचना के तहत सरकार, जिसके माध्यम से प्राधिकरण की स्थापना की गई थी या इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रिमंडल सचिवालय अधिसूचना दिनांक *12* सितंबर, *2015* के तहत सूचना प्रौद्योगिकी। यह प्रावधान निम्नलिखित भाषा में हैः

" 59. बचत। - भारत सरकार के संकल्प के तहत केंद्र सरकार द्वारा कुछ भी किया गया या कोई कार्रवाई की गई,

अधिसूचना संख्या ए वाला योजना आयोग-*43011/02/2009*-प्रशासन। *I,* दिनांक *28* जनवरी, *2009* या विभाग द्वारा

मंत्रिमंडल के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अधिसूचना संख्या वाली सचिवालय अधिसूचना एस. ओ.

2492 (ई), दिनांक *12* सितंबर, *2015,* जैसा भी मामला हो,

माना जाएगा कि इसे वैध रूप से किया गया है या इसके तहत लिया गया है।

अधिनियम "।

42. अधिनियम के तहत विनियम बनाए गए हैं, अर्थात् *(1)* आर *(*नामांकन और अद्यतन*)* विनियम, *2016; (2)* आधार आवेदन विनियम, *2016; (3)* आधार *(*डेटा सुरक्षा*)* राशन, *2016;* और *(4)* आधार *(*सूचना साझा करना*)* राशन, *2016*। इन विनियमों में प्रासंगिक प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

" आधार *(*नामांकन और अद्यतन*)* विनियम, *2016*

4. नामांकन के लिए आवश्यक जनसांख्यिकीय जानकारी। — *(1)*

निम्नलिखित जनसांख्यिकीय जानकारी सभी से एकत्र की जाएगी।

नामांकन से गुजर रहे व्यक्ति *(*पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों को छोड़कर*):*

((i) नाम*;* *((ख)* जन्म तिथि*;*

((ग) लिंग*;*

((iv) आवासीय पता।

(2) नामांकन के दौरान निम्नलिखित जनसांख्यिकीय जानकारी भी अतिरिक्त रूप से एकत्र की जा सकती है, नामांकन से गुजरने वाले व्यक्ति के विकल्प पर:

((i) परिचयकर्ता का नाम*;* *((ii)* परिचयकर्ता की आधार संख्या।

(4) परिवार प्रमुख आधारित नामांकन के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी एकत्र की जाएगी:

((i) परिवार के मुखिया का नाम*; (ii)* संबंध।

((ग) परिवार के मुखिया की आधार संख्या; *((iv)* परिवार के मुखिया की बायोमेट्रिक जानकारी का एक तरीका।

(5) उपरोक्त जनसांख्यिकीय जानकारी के मानक इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किए जाएंगे।

3. प्रमाणीकरण के प्रकार। प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली दो प्रकार की प्रमाणीकरण सुविधाएं होंगी, अर्थात् *(i)* हां/नहीं प्रमाणीकरण सुविधा, जिसे विनियमन *4 (2)* में निर्दिष्ट किसी भी तरीके का उपयोग करके किया जा सकता है; और

((ii) ई-के. वाई. सी. प्रमाणीकरण सुविधा, जिसे विनियमन *4 (2)* में निर्दिष्ट केवल ओ. टी. पी. और/या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विधियों का उपयोग करके किया जा सकता है।

4. प्रमाणीकरण के तरीके। *(1)* प्राधिकरण द्वारा प्रमाणीकरण अनुरोध पर केवल अनुरोध करने वाली संस्था द्वारा इनके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे गए अनुरोध पर विचार किया जाएगा।

विनियम और प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप।

(2) प्रमाणीकरण निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है:

(क) जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण: आधार संख्या धारक से प्राप्त आधार संख्या धारक की आधार संख्या और जनसांख्यिकीय जानकारी का जनसांख्यिकीय के साथ मिलान किया जाता है।

सी. आई. डी. आर. में आधार संख्या धारक की जानकारी।

(ख) वन-टाइम पिन आधारित प्रमाणीकरण: एक बार का पिन *(*ओ. टी. पी.*)*, सीमित समय की वैधता के साथ, प्राधिकरण के साथ पंजीकृत आधार संख्या धारक के मोबाइल नंबर और/या ई-मेल पते पर भेजा जाता है, या अन्य उपयुक्त माध्यमों से उत्पन्न किया जाता है। आधार संख्या धारक इस ओ. टी. पी. को अपने आधार एसटी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* के साथ प्रदान करेगा।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

प्रमाणीकरण के दौरान संख्या और उसी का प्राधिकरण द्वारा उत्पन्न ओ. टी. पी. के साथ मिलान किया जाएगा।

(ग) बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण: आधार संख्या धारक द्वारा प्रस्तुत आधार संख्या और बायोमेट्रिक जानकारी का मिलान सी. आई. डी. आर. में संग्रहीत उक्त आधार संख्या धारक की बायोमेट्रिक जानकारी से किया जाता है। यह फिंगरप्रिंट-आधारित या आईरिस-आधारित प्रमाणीकरण या सी. आई. डी. आर. में संग्रहीत बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर अन्य बायोमेट्रिक तौर-तरीके हो सकते हैं। *(घ)* बहु-कारक प्रमाणीकरण: प्रमाणीकरण के लिए उपरोक्त दो या दो से अधिक विधियों के संयोजन का उपयोग किया जा सकता है।

(3) एक अनुरोध करने वाली संस्था उपयुक्त मोड *(*ओं*)* चुन सकती है

किसी विशेष सेवा या व्यावसायिक कार्य के लिए उसकी आवश्यकता के अनुसार उप-विनियमन *(2)* में निर्दिष्ट तरीकों से प्रमाणीकरण, जिसमें सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई कारक प्रमाणीकरण शामिल हैं। संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-केवाईसी प्रमाणीकरण केवल ओ. टी. पी. और/या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके किया जाएगा।

XX

XX

XX

7. अनुरोध करके बायोमेट्रिक जानकारी प्राप्त करना

(2) एक अनुरोध करने वाली संस्था अनिवार्य रूप से प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार बायोमेट्रिक डेटा को एन्क्रिप्ट और सुरक्षित करेगी। *(3)* बायोमेट्रिक जानकारी प्राप्त करने में इष्टतम परिणामों के लिए, एक अनुरोध करने वाली संस्था इस उद्देश्य के लिए समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रियाओं को अपनाएगी।

XX

XX

XX

9. प्रमाणीकरण अनुरोध भेजने की प्रक्रिया। — *(1)* आधार संख्या या अनुरोध करने वाली संस्था द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य पहचानकर्ता को एकत्र करने के बाद जिसे आधार संख्या और आवश्यक जनसांख्यिकीय और/या बायोमेट्रिक जानकारी के साथ मैप किया गया है और/या

आधार संख्या धारक से ओ. टी. पी., ग्राहक आवेदन तुरंत इन इनपुट मापदंडों को पी. आई. डी. *[2018] 8* एस. सी. आर. में पैकेज और एन्क्रिप्ट करेगा।

प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार, किसी भी संचरण से पहले ब्लॉक करें और इसे इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सुरक्षित प्रोटोकॉल का उपयोग करके अनुरोध करने वाली संस्था के सर्वर को भेजें।

(2) सत्यापन के बाद, अनुरोध करने वाली इकाई का सर्वर पास हो जाएगा

(3) प्रमाणीकरण अनुरोध के तरीके के आधार पर, सी. आई. डी. आर. उसमें संग्रहीत डेटा के खिलाफ इनपुट मापदंडों को मान्य करेगा और प्रमाणीकरण लेनदेन से संबंधित अन्य तकनीकी विवरणों के साथ एन्क्रिप्टेड ई. के. वाई. सी. डेटा के साथ डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित हां या नहीं प्रमाणीकरण प्रतिक्रिया, या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-के. वाई. सी. प्रमाणीकरण प्रतिक्रिया, जैसा भी मामला हो, वापस करेगा। *(4)*

प्रमाणीकरण के सभी तरीकों में, आधार संख्या अनिवार्य है और इसे उपरोक्त उप-विनियमन *(1)* में निर्दिष्ट इनपुट मापदंडों के साथ प्रस्तुत किया जाता है ताकि प्रमाणीकरण हमेशा *1* तक कम हो जाए: *1* मैच।

(5) अनुरोध करने वाली संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं और विनिर्देशों के अनुसार प्रमाणीकरण उपकरण पर कब्जा करने के समय पी. आई. डी. ब्लॉक का कूटलेखन हो।

XX

XX

XX

18. अनुरोध करने वाली इकाई द्वारा लॉग का रखरखाव। — *(1)* ए.

अनुरोध करने वाली संस्था अपने द्वारा संसाधित प्रमाणीकरण लेनदेन के लॉग बनाए रखेगी, जिसमें निम्नलिखित लेनदेन विवरण होंगे, अर्थात्:

(क) आधार संख्या जिसके खिलाफ प्रमाणीकरण की मांग की जाती है*;*

(बी) प्रस्तुत प्रमाणीकरण अनुरोध के निर्दिष्ट मापदंड*;* *(ग)* प्रमाणीकरण प्रतिक्रिया के रूप में प्राप्त निर्दिष्ट मापदंड*;*

(घ) प्रमाणीकरण के समय आधार संख्या धारक को जानकारी के प्रकटीकरण का रिकॉर्ड*;* और

(ङ) एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* के लिए आधार संख्या धारक की सहमति का अभिलेख।

प्रमाणीकरण, लेकिन किसी भी स्थिति में, पी. आई. डी. जानकारी को बरकरार नहीं रखेगा।

(2) प्रमाणीकरण लेन-देन के लॉग को अनुरोध करने वाली संस्था द्वारा *2 (*दो*)* वर्षों की अवधि के लिए बनाए रखा जाएगा, इस अवधि के दौरान आधार संख्या धारक को निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार ऐसे लॉग तक पहुंचने का अधिकार होगा।

(3) उप-विनियम *(2)* में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर, लॉग को पांच साल की अवधि या इकाई को नियंत्रित करने वाले कानूनों या विनियमों द्वारा आवश्यक वर्षों की संख्या के लिए संग्रहीत किया जाएगा, जो भी बाद में हो, और उक्त अवधि की समाप्ति पर, लॉग को हटा दिया जाएगा, सिवाय उन रिकॉर्डों के जिन्हें अदालत द्वारा बनाए रखा जाना आवश्यक है या किसी भी लंबित विवाद के लिए बनाए रखा जाना आवश्यक है। *(4)* अनुरोध करने वाली संस्था संबंधित आधार संख्या धारक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के अनुरोध पर या शिकायत निवारण और विवादों के समाधान के लिए या लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए प्राधिकरण के साथ प्रमाणीकरण लॉग साझा नहीं करेगी। प्रमाणीकरण लॉग का उपयोग इस उप विनियमन में बताए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

(5) अनुरोध करने वाली संस्था लॉग के भंडारण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, *2000* और साक्ष्य अधिनियम, *1872* सहित सभी प्रासंगिक कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करेगी, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(6) इस विनियम में निर्दिष्ट प्रमाणीकरण लॉग से संबंधित दायित्व इन विनियमों के अनुसार नियुक्ति की समाप्ति के बावजूद लागू रहेंगे।

XX

XX

XX

26. प्रमाणीकरण लेन-देन का भंडारण और रखरखाव

डेटा. - *(1)* प्राधिकरण प्रमाणीकरण लेनदेन डेटा को संग्रहीत और बनाए रखेगा, जिसमें निम्नलिखित जानकारी होगीः

(क*)* पी. आई. डी. ब्लॉक सहित प्राप्त प्रमाणीकरण अनुरोध डेटा*;*

(बी*)* भेजे गए प्रमाणीकरण प्रतिक्रिया डेटा*;*

(ग*)* लेन-देन से संबंधित मेटा डेटा*;*

बशर्ते कि प्राधिकरण, किसी भी मामले में, उद्देश्य को संग्रहीत नहीं करेगा प्रमाणीकरण।

3. सूचना सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय। - *(1)* प्राधिकरण एक सूचना सुरक्षा नीति निर्दिष्ट कर सकता है जो प्राधिकरण और उसके कर्मियों द्वारा अपनाए जाने वाले तकनीकी और संगठनात्मक उपायों और एजेंसियों, सलाहकारों, सलाहकारों और अन्य सेवाओं द्वारा अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों को निर्धारित करती है।

(क*)* सूचना और सूचना प्रसंस्करण सुविधाओं से जुड़ी परिसंपत्तियों की सूची की पहचान और रखरखाव*;*
(बी*)* संपत्ति के किसी भी नुकसान, क्षति, चोरी या समझौते को रोकने और पता लगाने के लिए नियंत्रणों को लागू करना*;*

(ग*)* केवल गोपनीय जानकारी तक नियंत्रित पहुंच की अनुमति देना*;*

(डी*)* वायरस का पता लगाने और उससे बचाव के लिए नियंत्रणों को लागू करना */*

मैलवेयर*;* *(* ङ*)* परिवर्तनों के दौरान सूचना सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया*;*

(च*)* सूचना प्रणालियों को कमजोरियों और सुरक्षा जोखिमों से बचाने के लिए एक पैच प्रबंधन प्रक्रिया; *(* छ*)* असामान्य घटनाओं और प्रतिरूपों की पहचान करने के लिए एक मजबूत निगरानी प्रक्रिया जो सुरक्षा और सूचना प्रणालियों के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है और एक उचित रिपोर्टिंग और शमन प्रक्रिया;

(ज*)* बायोमेट्रिक्स वाले डेटा पैकेटों का एन्क्रिप्शन, और केवल सुरक्षित स्थानों में डिक्रिप्शन को सक्षम करना; *(i)* सी. आई. डी. आर. नेटवर्क को जोखिम और जोखिम के आधार पर क्षेत्रों में विभाजित करना।

विश्वास रखें;

(जे*)* सी. आई. डी. आर. की सुरक्षा के लिए आवश्यक तकनीकी नियंत्रणों को तैनात करना।

नेटवर्क; *(* के*)* आपदा की स्थिति में सेवा की निरंतरता;

(1) उपकरणों, प्रणालियों और नेटवर्क की निगरानी;

(एम*)* धोखाधड़ी की रोकथाम और धोखाधड़ी के मामले में प्रभावी उपचार के लिए उपाय; एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

(एन*)* गैर-प्रकटीकरण समझौतों में प्रवेश करने की आवश्यकता कर्मचारी;

(आंतरिक प्रणालियों और नेटवर्क के लेखा परीक्षा के लिए प्रावधान; *(*पी*)*

प्रक्रियाओं, प्रणालियों से संबंधित कर्मियों पर प्रतिबंध और

अभिकरणों, सलाहकारों के साथ समझौते या व्यवस्थाएँ, सलाहकार या प्राधिकरण द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति।

(3) प्राधिकरण सूचना के अनुपालन की निगरानी करेगा।

आंतरिक सुरक्षा नीति और अन्य सुरक्षा आवश्यकताएँ लेखापरीक्षा या स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से।

(4) प्राधिकरण एक अधिकारी को मुख्य सूचना के रूप में नामित करेगा।

सूचना के प्रसार और निगरानी के लिए सुरक्षा अधिकारी

सुरक्षा नीति और अन्य सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम और प्राधिकरण की पहल।

XX

XX

XX

5. सेवा प्रदाताओं आदि के सुरक्षा दायित्व। द. अभिकरण, सलाहकार, सलाहकार और अन्य सेवा प्रदाता

संबंधित किसी कार्य के निर्वहन के लिए प्राधिकरण द्वारा नियुक्त इसकी प्रक्रियाएँः

(क*)* निर्दिष्ट सूचना सुरक्षा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करना। प्राधिकरण द्वारा*;*

प्राधिकरण द्वारा आवश्यकतानुसार नीति और संविदात्मक आवश्यकताएँ*;* *(* ग*)* प्राधिकरण को प्रभावित करने वाली किसी भी सुरक्षा घटना की तुरंत रिपोर्ट करें।

संबंधित जानकारी की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता प्राधिकरण के कार्यों के लिए*;*

(घ*)* यह सुनिश्चित करना कि प्राधिकरण से संबंधित अभिलेखों की रक्षा की जाए।

हानि, विनाश, मिथ्याकरण, अनधिकृत पहुँच और

अनधिकृत रिलीज*;* *(* ई*)* सुनिश्चित करें कि गोपनीयता दायित्वों को बनाए रखा जाता है

अवधि और समझौते की समाप्ति पर*;* *(* च*)* उचित सुरक्षा और गोपनीयता दायित्वों को सुनिश्चित करना।

अपने कर्मचारियों के साथ अपने समझौतों में प्रदान किए जाते हैं और

(छ*)* यह सुनिश्चित करें कि जिन कर्मचारियों की सी. आई. डी. आर. डेटा केंद्रों तक भौतिक पहुंच है और सी. आई. डी. आर. डेटा केंद्रों तक तार्किक पहुंच है, उनकी पृष्ठभूमि की आवश्यक जांच की जाए। *(* ज*)* संवेदनशील जानकारी रखने वाली सुरक्षा सीमाओं को परिभाषित करें, और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी डेटा रिसाव या दुरुपयोग को रोकने के लिए केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही ऐसे क्षेत्रों तक पहुंचने की अनुमति है*;* और

(i*)* जहां वे बायोमेट्रिक डेटा को संभालने में शामिल हैं, सुनिश्चित करें कि वे केवल उन्हीं बायोमेट्रिक उपकरणों का उपयोग करते हैं जो

प्राधिकरण द्वारा पहचाने गए प्रमाणन निकाय द्वारा प्रमाणित और यह सुनिश्चित करना कि बायोमेट्रिक डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियाँ बनाई गई हैं।

आधार *(*सूचना साझा करना*)* विनियम, *2016*।

अधिनियम और आधार *(*प्रमाणीकरण*)* विनियम, *2016* के प्रावधानों के अनुसार प्रमाणीकरण प्रक्रिया के लिए धारक। *(* 3 *)* प्राधिकरण आधार के प्रमाणीकरण रिकॉर्ड साझा करेगा।

आधार *(*प्रमाणीकरण*)* विनियम, *2016* के विनियम *28* के अनुसार उसके साथ संख्या धारक।

(4) प्राधिकरण जनसांख्यिकीय जानकारी साझा कर सकता है और अधिनियम की धारा *33* के अनुसार ऐसा करने के लिए आवश्यक होने पर आधार संख्या धारक की तस्वीर और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड।

XX

XX

XX

6. आधार संख्या साझा करने, प्रसारित करने या प्रकाशित करने पर प्रतिबंध। — *(1)* किसी व्यक्ति की आधार संख्या को किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रकाशित, प्रदर्शित या सार्वजनिक रूप से पोस्ट नहीं किया जाएगा।

भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

या इकाई या एजेंसी।

(2) कोई भी व्यक्ति, संस्था या एजेंसी, जिसके पास आधार संख्या धारकों की आधार संख्या *(*ओं*)* है, आधार संख्या और किसी भी आधार संख्या की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करेगी।

आधार संख्या वाला अभिलेख या डाटाबेस।
(3) उप-विनियम *(1)* और *(2)* के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, कोई भी संस्था, जिसमें एक अनुरोध करने वाली संस्था भी शामिल है, जिसके पास आधार संख्या धारक की आधार संख्या है, किसी भी जानकारी को सार्वजनिक नहीं करेगी।

व्यक्तियों के आधार संख्या वाले डेटाबेस या रिकॉर्ड, जब तक कि आधार संख्या को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों रूपों में उचित साधनों के माध्यम से संशोधित या ब्लैक आउट नहीं किया गया हो।
(4) अनुरोध करने वाली संस्था सहित किसी भी संस्था को किसी व्यक्ति को अपनी आधार संख्या इंटरनेट पर प्रसारित करने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि ऐसा न हो।

प्रसारण सुरक्षित है और आधार संख्या को संचारित किया जाता है

त्रुटियों का सुधार या शिकायतों का निवारण।
(5) अनुरोध करने वाली संस्था सहित कोई भी संस्था आधार अपने पास नहीं रखेगी।

संख्या या आधार युक्त कोई भी दस्तावेज या डेटाबेस

सहमति प्राप्त करने के समय आधार संख्या धारक को निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए आवश्यक संख्या से अधिक समय के लिए संख्या।

43. संक्षेप में, प्राधिकरण को अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है जिसे नीति विकसित करने का कार्य दिया गया है।

व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनका प्रमाणीकरण करने की प्रक्रिया और प्रणाली। नामांकन और आधार संख्या निर्धारित करने के उद्देश्य से, प्राधिकरण द्वारा नामांकन एजेंसियों की भर्ती की जाती है। भारत के सभी निवासी हैं

आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र। एक निवासी को आधार संख्या प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, उसे जनसांख्यिकीय के साथ-साथ बायोमेट्रिक भी जमा करना होगा

जानकारी अर्थात नाम, जन्म तिथि और पते से संबंधित जानकारी देने के अलावा, फोटो, फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन के रूप में बायोमेट्रिक जानकारी भी प्रदान की जानी है। किसी विशेष व्यक्ति को दी गई आधार संख्या को विशिष्ट संख्या माना जाता है क्योंकि इसे किसी अन्य व्यक्ति को फिर से नहीं सौंपा जा सकता है। जहां तक केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी, लाभ या सेवाओं का संबंध है, ये सरकारें इन सब्सिडी, लाभों की प्राप्ति को अनिवार्य कर सकती हैं।

और सेवाएं केवल कब्जे का प्रमाण प्रस्तुत करने पर दी जाएंगी

आधार संख्या *(*या नामांकन के लिए आवेदन करने का प्रमाण, जहां आधार संख्या निर्दिष्ट नहीं है*)*। एक अतिरिक्त आवश्यकता यह है कि ऐसे व्यक्ति को ऐसे लाभ आदि प्राप्त करने के समय प्रमाणीकरण से गुजरना होगा। एक विशेष संस्थान/निकाय जिससे ऐसे व्यक्ति द्वारा उपरोक्त सब्सिडी, लाभ या सेवा का दावा किया जाना है, इच्छित प्राप्तकर्ता अपनी आधार संख्या जमा करेगा और उसे उस एजेंसी को अपनी बायोमेट्रिक जानकारी भी देनी होगी। यह जानकारी प्राप्त होने पर और इसके प्रमाणीकरण के उद्देश्य से, उक्त एजेंसी, जिसे अनुरोध करने वाली संस्था के रूप में जाना जाता है, प्राधिकरण को अनुरोध भेजेगी जो आधार संख्या के प्रमाणीकरण का काम करेगी। पुष्टि करने पर एक व्यक्ति की पहचान, व्यक्ति सब्सिडी, लाभ या सेवा प्राप्त करने का हकदार है। आधार संख्या को धारक द्वारा अन्य उद्देश्यों के लिए भी उपयोग करने की अनुमति है।

44. इस पूरी प्रक्रिया में, आधार संख्या प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी निवासी को, पहली बार में, उसे जमा करना आवश्यक है।

नामांकन के समय जनसांख्यिकीय जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी। इस प्रकार, वह अपनी तस्वीर, फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन के साथ उस स्तर पर नामांकन एजेंसी को देती है, जो एक निजी निकाय/व्यक्ति हो सकता है। इसी तरह, हर बार जब ऐसा आधार धारक सब्सिडी, लाभ या सेवा प्राप्त करने का इरादा रखता है और उसके पास जाता है।

उस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट/नामित एजेंसी या व्यक्ति, वह उस अनुरोध करने वाली संस्था को अपनी बायोमेट्रिक जानकारी देगी, जो बदले में, सब्सिडी, लाभ या सेवा प्रदान करने से पहले प्राधिकरण से उसी को प्रमाणित करेगी। जब भी अनुरोध प्राप्त होता है

प्राधिकरण द्वारा प्रमाणीकरण, इस तरह के अनुरोध का रिकॉर्ड रखा जाता है और

सी. आई. डी. आर. में संग्रहीत। साथ ही, ऐसी जानकारी/डेटा की सुरक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है। आधार संख्या का उपयोग अधिनियम में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है, अर्थात अधिनियम की धारा *7* के तहत प्रदान किए गए उद्देश्यों के अलावा, जैसा कि अधिनियम की धारा *57* में उल्लेख किया गया है, जो राज्य या किसी भी निकाय कॉर्पोरेट या व्यक्ति को किसी भी कानून के अनुसार, किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग करने

की अनुमति देता है। इसका उपयोग पहचान के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है, जैसे कि अन्य पहचान प्रमाण जैसे पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि। *45.* उपरोक्त आधार कार्यक्रम और आधार अधिनियम के तहत इसके गठन/संरचना में छेद करते हुए, मूलभूत तर्क हैं कि यह इस न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* के नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के लिए एक गंभीर खतरा है।

भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

ऐसा देश जो भारत के संविधान द्वारा सुरक्षित है। यह संवैधानिक पालन मूल्यों और इसकी मूलभूत नैतिकता के खिलाफ लड़ता है और प्रत्येक के संबंध में एकत्र की गई जानकारी के आधार पर एक घुसपैठ करने वाले राज्य को निगरानी राज्य बनने में सक्षम बनाने की क्षमता रखता है।

एक संयुक्त इलेक्ट्रॉनिक जाल के निर्माण द्वारा व्यक्ति। इस तरह, अधिनियम प्रत्येक व्यक्ति की निजता पर हमला करता है जिससे निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है जिसे के. एस. पुट्टास्वामी और ए. एन. आर. मामले में इस न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद *14,19* और *21* में इसका पता लगाकर मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। वी. भारत संघ *& Ors.6.* विभिन्न याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिकांश वकीलों *(*हालांकि सभी नहीं*)* ने स्वीकार किया कि आधार संख्या के आवंटन के संबंध में कोई गंभीर विवाद नहीं हो सकता है। निवासियों की पहचान का संबंध है। हालाँकि, जिस तरह से इस योजना को लागू किया गया है और लागू किया गया है, उस बारे में आशंका व्यक्त की गई है। उपरोक्त प्रक्षेपण की पूरी इमारत इस आधार पर आधारित है कि यह एक व्यक्ति को, जो आधार के लिए नामांकन करने का इरादा रखता है, अपनी मूल जानकारी अर्थात् फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन के रूप में बायोमेट्रिक जानकारी के साथ भाग लेने के लिए मजबूर करता है। ये पहली बार में नामांकन एजेंसी को दिए जाने हैं जो एक निजी निकाय है और इस प्रकार, किसी व्यक्ति से संबंधित इस महत्वपूर्ण जानकारी के दुरुपयोग का खतरा है। इसके अलावा, यह तर्क दिया जाता है कि सबसे नाजुक और नाजुक हिस्सा, दुरुपयोग के लिए अतिसंवेदनशील, प्रमाणीकरण प्रक्रिया है जिसे हर बार आधार संख्या धारक को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाता है। उस स्तर पर, न केवल आरई के साथ बायोमेट्रिक जानकारी के साथ अलग-अलग भाग *(*जो फिर से एक निजी एजेंसी भी हो सकती है*)*, जिस उद्देश्य के लिए ऐसा व्यक्ति आरई से संपर्क करता है, वह भी होगा

ज्ञात अर्थात लेन-देन की प्रकृति जो उस समय उक्त व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए। नागरिक के पूरे जीवन में किसी व्यक्ति के विभिन्न लेन-देन से संबंधित ऐसी जानकारी एक केंद्रीय डेटाबेस से जुड़ी होती है। यह रिकॉर्ड राज्य को नागरिकों की प्रोफाइल बनाने, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने, उनकी आदतों का आकलन करने और चुपचाप उनके व्यवहार को प्रभावित करने में सक्षम बना सकता है। समय के साथ, प्रोफाइलिंग राज्य को असहमति को दबाने और राजनीतिक निर्णय लेने को प्रभावित करने में सक्षम बनाएगी। यह राज्य को एक सतर्क राज्य के रूप में कार्य करने में भी सक्षम बना सकता है और इसके लिए एक अधिनायकवादी राज्य बनने की प्रवृत्ति है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि आधार अपने मूल में नागरिक और राज्य के बीच संबंधों को बदल देता है। यह नागरिक की स्थिति को कम करता है। स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाने वाले अधिकार, स्वतंत्र रूप से प्राप्त स्वतंत्रता, संविधान और कानूनों द्वारा प्रदान किए गए अधिकार सभी को सशर्त बनाया गया है।

एक अनिवार्य वस्तु विनिमय पर। वस्तु-विनिमयकर्ता नागरिक को अपनी बायोमेट्रिक्स 'स्वेच्छा से' छोड़ने के लिए मजबूर करता है, अपनी बायोमेट्रिक्स और जनसांख्यिकीय जानकारी को राज्य और निजी ऑपरेटरों द्वारा संग्रहीत करने की अनुमति देता है और फिर 'प्रमाणीकरण' नामक प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाता है।

संक्षेप में कहें तो याचिकाकर्ताओं द्वारा आधार अधिनियम के प्रावधानों को निवासियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने के रूप में माना जाता है

राज्य को न केवल बायोमेट्रिक्स के रूप में बल्कि आवाजाही के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के लेनदेन के बारे में भी जो एक निवासी समय-समय पर करेगा। यह धमकी एक ओर राज्य द्वारा नागरिकों की प्रोफाइलिंग के रूप में है और दूसरी ओर निजी एजेंसियों द्वारा भी इसका दुरुपयोग किया जाता है, चाहे वह पंजीकरण करने वाली एजेंसी हो या अनुरोध करने वाली एजेंसी या अधिनियम की धारा *57* में उल्लिखित निजी निकाय हों। संक्षेप में, यह कहा गया है कि न केवल उपरोक्त प्रकृति का डेटा सी. आई. डी. आर. द्वारा संग्रहीत किया जाता है, जिसमें लीक होने का खतरा होता है, बल्कि गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा भी इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, इस बात पर प्रकाश डालने की कोशिश की जाती है कि किसी भी डेटा का कोई आश्वासन नहीं है

किसी भी स्तर पर संरक्षण।

46. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों ने याचिकाकर्ताओं के मामले की उपरोक्त संरचना की नींव को हिलाने का प्रयास किया है।

उनका तर्क है कि पहली बार में, न्यूनतम बायोमेट्रिक जानकारी

आवेदक, जो आधार संख्या रखना चाहता है, उसे प्राप्त किया जाता है जिसे प्रमाणीकरण के उद्देश्य से सी. आई. डी. आर. में भी संग्रहीत किया जाता है। दूसरा, कोई अन्य जानकारी संग्रहीत नहीं की जाती है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि आधार नामांकन के समय धर्म, जाति, जनजाति, पात्रता के भाषा रिकॉर्ड, आय या आवेदक के चिकित्सा इतिहास के संबंध में कोई डेटा संग्रह नहीं है।

तीसरा, प्राधिकरण ने यह भी दावा किया कि बायोमेट्रिक्स के कुछ ही सेकंड के भीतर पूरी आधार नामांकन पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से सुरक्षित है

नामांकन एजेंसी द्वारा एकत्र किए जाने के बाद, उक्त जानकारी अधिकारियों/सी. आई. डी. आर. को प्रेषित की जाती है, वह भी एक कूटबद्ध रूप में, और

नामांकन एजेंसी की पहुंच से बाहर हो जाता है। प्रमाणीकरण के समय भी यही स्थिति है क्योंकि बायोमेट्रिक जानकारी अनुरोध करने वाली एजेंसी के पास नहीं रहती है। चौथा, प्रमाणीकरण प्रक्रिया शुरू करते समय, प्राधिकरण केवल बायोमेट्रिक्स से मेल खाता है और उद्देश्य, स्थान या प्रकृति के संबंध में कोई अन्य जानकारी प्राप्त या संग्रहीत नहीं की जाती है।

या लेनदेन आदि। इसलिए, प्रोफाइलिंग का सवाल ही नहीं उठता है। प्राधिकरण के सी. ई. ओ. डॉ. अजय भूषण पांडे ने अदालत में पूरी प्रक्रिया की विभिन्न बारीकियों को समझाते हुए एक पावरप्वाइंट प्रस्तुति दी। इस प्रस्तुति में नामांकन प्रक्रिया को निम्नलिखित तरीके से प्रस्तुत किया गया है:

सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(आर. ई. टी. डी.) v.* भारत संघ *[ए. के. सिकरी, जे.]*

आधार

ग्राहक

1

)

अल्ला।

लॉजिस्टिक्स पार्टनर

केंद्र

पोस्ट

संपर्क करें

भारत

(

वितरण और सत्यापन

आधार

या अस्वीकृति

पत्र

पत्र

पत्र

नियुक्ति

4

यूआईडी

संकल्प

जानकारी /

नामांकन

स्वभाव

मैनुअल

सेवा

मुद्दा

स्वचालित

सी. आई. डी. आर

सॉफ्टवेयर*)*

11

+

सिंक करें

आँकड़ा */*

निवासियों

00

(

बायोमेट्रिक
डी डुप्लिकेशन

निवासी

एप्पलटन
हुआ है।

पकड़ना

दोहराव

)

दस्तावेज़

डीडीसी *(*

डेमो
दी।

यूआईडी

समर्थन

डेटा

पकड़ना

फरमा।

1

प्रविष्टि

डेटा बायोमेट्रिक

क्यूसी

पंजीकरण नामांकन

नामांकन

डेटासीआईडीआर

नामांकन

एजेंसी

प्रक्रमण

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

47. जहां तक आधार प्रमाणीकरण सेवा का संबंध है, यह बताया गया कि यह ई-केवाईसी है जिसमें निम्नलिखित प्रक्रिया शामिल हैः

आधार

केवाईसी

आधार

- ई.

केवाईसी-ई

फोटोग्राफ

जन्म.

पता

लिंग

फोन®

में से

नाम

ईमेल करें।

तिथि

●

•

•

•

•

•

आधार -

एक

जुलाई

के साथ

से

साथ में

ओटिपी

/

सेवाएँ

मोड

आइरिस

/

में संलयन

बायोमेट्रिक

इलेक्ट्रॉनिक

-

और

ओटिपी

या /

फिंगरप्रिंट

इस तरह उपलब्ध है

होना।

+

कारक होगा

पुष्टि

धार

3333

प्रमाणीकरण *2018*।

आपकी.

प्रमाणीकरण

/

आधार

एफटी *2222*

,

अधिक *1* का सामना करें

1111

48. इस बात पर जोर दिया गया कि उक्त प्रमाणीकरण करते समय, प्राधिकरण/सी. आई. डी. आर. द्वारा कोई अन्य जानकारी एकत्र या संग्रहीत नहीं की जाती है, विशेष रूप से यह इंगित करते हुए कि:

(क) प्राधिकरण लेन-देन के उद्देश्य, स्थान या विवरण एकत्र नहीं करता है। इस प्रकार, यह उद्देश्यहीन है।
(ख) उपरोक्त के रूप में एकत्र की गई जानकारी सिलोस में रहती है।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

(ग) साइलो का विलय निषिद्ध है।

(घ) आरई का उत्तर केवल संबंधित व्यक्ति के प्रमाणीकरण के बारे में हाँ या नहीं में दिया जाता है।

(ई) प्रमाणीकरण प्रक्रिया इंटरनेट दुनिया के संपर्क में नहीं है।

(च) धारा *38 (छ)* के साथ पठित धारा *29 (3)* के प्रावधानों के साथ-साथ प्रमाणीकरण विनियमों के विनियम *17 (1) (घ)* के अनुसार सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन किया जाता है और उनका पालन किया जाता है।

आधार

प्रमाणीकरण सुरक्षा में वर्णित किया गया है

निम्नलिखित तरीके से:

आधार

एम.

धोखाधड़ी पर हस्ताक्षर किए गए

उपकरण

पहचानकर्ता होना चाहिए

और

करेंगे।

अद्वितीय

ए

:

पंजीकृत

डेटा एनालिटिक्स,

इच्छा है

के साथः

डाउनलोड करें

मैट्रिक्स

-

इकाई

आवेदन

बायोमेट्रिक।

बायो

लाखों

उपकरण

के साथ

1

और

सुरक्षा

उपकरण

केवाईसी

मोबाइल

पता लगाने की क्षमता

ताला खोलें -

उपकरण

ई से अधिक

&

द.

बायोमेट्रिक

अधिक

लॉक शेयर

••

•

प्रबंधन

पंजीकृत अनुमति

हर एक

एमआधार के भीतर

1.1

14

पुष्टि

एसए

प्रमाणित

प्रमाणीकरण

यू. आई. डी. ए. आई.

कूटबद्ध

प्रमाणीकरण अधिसूचनाएँ

13

आधार

और

लेन-देन

बायोमेट्रिक

बायोमेट्रिक

इतिहास

हमेशा

है।

एस. टी. क्यू. सी.

ताला लगाना

उपकरण

ऑथ.

आँकड़ा

चैनल

में से

कारक -

में से

मल्टी अलर्ट

पहचान

सुरक्षित उपयोग

आई.

49. इस रंग में, प्राधिकरण ने अनुमान लगाया है कि आधार व्यक्ति की गोपनीयता और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता है। निम्नलिखित विशेषताओं को इंगित करके इसका मूल्यांकन करने की कोशिश की जाती है:

(i) गोपनीयता आधार के उसी डिजाइन द्वारा सुनिश्चित की जाती है जिसकी कल्पना प्राधिकरण द्वारा शुरू से ही की गई थी और अब इसे आधार अधिनियम में भी शामिल किया गया है क्योंकि: *(ए)* यह न्यूनतम डेटा, संघीय डेटाबेस, इष्टतम अज्ञानता द्वारा समर्थित है; और *(*बी*)* कोई नहीं है

लेन-देन/पूलिंग डेटा इस तथ्य के साथ कि निवासी

पहचान डेटा तक अधिकृत पहुंच उपलब्ध है।

(ii) आधार को शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है क्योंकि: *(क)* जनसांख्यिकीय डेटा, बहु-मॉडल बायोमेट्रिक्स और लचीली प्रक्रियाओं में लचीलापन है; *(ख)* डॉ. वी. एन. विट्टल, पूर्व द्वारा डी. डी. एस. वी. पी. समिति

सीवीसी; और *(सी)* बायोमेट्रिक डिजाइन और मानक समिति डॉ।

गैरोला, पूर्व महानिदेशक, एन. आई. सी. *(iii)* सभी सुरक्षा नंबरों का पालन किया जाता है जिन्हें निम्न से देखा जा सकता है: *(क)* पी. के. आई.-*2048* कब्जा करने के समय से कूटलेखन, *(ख)* श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा मानकों और प्रथाओं को अपनाना, और *(ग)* मजबूत

लेखापरीक्षा और पता लगाने के साथ-साथ धोखाधड़ी का पता लगाना। *50.* यह समझाया गया कि सुरक्षा और डेटा गोपनीयता सुनिश्चित की जाती है

निम्नलिखित तरीके से:

(i) ए. बी. आई. एस. को भेजा गया डेटा पूरी तरह से गुमनाम है। ए. बी. आई. एस. प्रणालियों के पास निवासी की जनसांख्यिकीय जानकारी तक पहुंच नहीं है क्योंकि उन्हें केवल एक संदर्भ संख्या के साथ एक निवासी की बायोमेट्रिक जानकारी भेजी जाती है और उन्हें डुप्लिकेट करने के लिए कहा जाता है। संदर्भ संख्या के साथ डी-डुप्लिकेशन परिणाम को सही पर वापस मैप किया गया है

प्राधिकरण के अपने नामांकन सर्वर द्वारा नामांकन संख्या।

((ii) ए. बी. आई. एस. प्रदाता केवल अपना सॉफ्टवेयर और सेवाएं प्रदान करते हैं। डेटा को यू. आई. डी. ए. आई. भंडारण में संग्रहीत किया जाता है और यह कभी भी सुरक्षित नहीं छोड़ता है।

परिसर।

(iii) ए. बी. आई. एस. प्रदाता बायोमेट्रिक छवियों *(स्रोत)* को संग्रहीत नहीं करते हैं। वे केवल डी-डुप्लिकेशन *(*के साथ*)* के उद्देश्य से टेम्पलेट संग्रहीत करते हैं।

संदर्भ संख्या*)*। *(iv)* नामांकन ग्राहक द्वारा भेजा गया कूटबद्ध नामांकन पैकेट

सी. आई. डी. आर. के लिए सॉफ्टवेयर को नामांकन सर्वर द्वारा डिक्रिप्ट किया जाता है लेकिन डिक्रिप्ट किए गए पैकेट को कभी भी संग्रहीत नहीं किया जाता है।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

ऑनलाइन नेटवर्क के माध्यम से। *(vi)* बायोमेट्रिक प्रणाली *99.86%* से अधिक की उच्च सटीकता प्रदान करती है। मिश्रित बायोमेट्रिक को केवल टी को बढ़ाने के लिए अपनाया गया है

सटीकता और उन त्रुटियों को कम करने के लिए जो कुछ निवासियों के पास या तो बायोमेट्रिक्स नहीं होने या कुछ नहीं होने के कारण उत्पन्न हो सकती हैं

विशेष बायोमेट्रिक।

51. इन सबसे ऊपर, प्रौद्योगिकी और वास्तुकला अवलोकन बोर्ड *(*टी. ए. आर. बी.*)* और सुरक्षा समीक्षा समिति द्वारा निरीक्षण किया जाता है। यह बोर्ड

घ. समिति में बहुत उच्च पदस्थ अधिकारी होते हैं। उपरोक्त

प्राधिकरण द्वारा त्वरित उपायों को निम्नलिखित तरीके से दिखाया गया हैः

आधार

आधारित ए. पी. आई., डेटाबेस फेडरेटेड

पर

पारगमन, एन्क्रिप्शन डेटा पर स्रोत,

परतें

दुकान

औजारों को स्कैन करने के लिए

आँकड़ा

सुरक्षा

और

मुखिया।

अपटाइम द्वारा

नेटवर्क

एच. एस. एम. एस. को सुरक्षित रूप से,

आंतरिक,

बायोमेट्रिक, कोर भंडारण और

उद्योग से

बाहर से कार्यान्वयन

अंतराल

अनेक,

जीआरसीपी -

प्रमाणित *3*

टीम के लिए सुरक्षा अभियान

आवधिक रूप से

टियर

एजेंसी

उपकरणों के लिए

रक्षा करें।

प्रबंधन

व्यक्तियों

हैं।

को

संपर्क

समीक्षा

पहुँच

डेटा बायोमेट्रिक

केंद्र

निगरानी

के लिए प्रसिद्ध

फायरवॉल,

आदि।

असुरक्षा

,

,

डेटा

सुरक्षा

को नियंत्रित करें

इसका

सुरक्षा

रिसाव

प्रबंधन

और

घटनाएँ

जिसमें शामिल हैं

आंतरिक

आँकड़ा

सुरक्षा

&

अनामित

वरिष्ठ

एस. टी. क्यू. सी.

28

और

)

आईटी

लॉग

द्वारा

स्वतंत्र रूप से

प्रबंधन

रोकें

,

सीआईएसओ *(*

समिति

को

,

)

निगरानी करें

प्रमाणित

अभिगम्यता

सुरक्षा

जुड़ाव

डीएलपी (

को

सुरक्षा संरचना पर

अधिकारी

प्रक्रिया

सलाह देना

नहीं।

और

2013 :

के रूप में

कमजोरियाँ

एस. आई. ई. एम.

पहुँच

,

के साथ

आदि।

बाहर।

सलाह दें।

सुरक्षा

सुरक्षा

कुंजी

आधार

पहचान

को

रोकथाम

लागू करें।

आँकड़ा

,

आईएसओ *27001*

और संगठनात्मक है

आता है।

प्रतिबंधित

बेसिस लीक

न्यूनतम

टीएआरबी

कभी भी यू. आई. डी. ए. आई. शिक्षाविदों की टीमों के साथ मजबूत सूचना डेटा दैनिक नेटवर्क एन्क्रिप्शन नहीं

इंको डोप्शन इवेंट पुय से *110*

कैचनोलॉजीज़

प्रोटेक्ट डिजाइन

बर्ट्रागर शुद्धिकरण

द्वारा

y

आधार

और लॉग टूल का प्रबंधन करते हैं*)* एस. आई. ई. एम. *(*

केंद्र में आयोजन सुरक्षा मॉनिटर

अन्य

और

सुरक्षा,

कार्यबल

निरंतर,

प्राथमिकता

जीआरसीपी

पर

प्रशिक्षित,

प्रौद्योगिकी*)* डीएलपी *(*रोकथाम*)*

उन्हें

के माध्यम से

अनुप्रयोग

बुनियादी ढांचा

रिसाव

घटनाएँ

और

डेटा किसी भी

में

पता

साझेदारों

सहसंबद्ध

और

रोकने के लिए

बुनियादी ढांचा

पारिस्थितिकी तंत्र

कमजोरियाँ

लेखापरीक्षा

पार

,

पहचानें

जीआरसीपी

सुरक्षा

को

अंक

द्वारा

व्यायाम

29

जोखिम

आईटी

मीडिया

पर

प्रणालियाँ

सामाजिक

मूल्यांकन आधारित

संचालन

विवरण

में से

आंतरिक

रिसाव।

प्रबंधन

में से

डेटा

सुरक्षा

आयोजन

में से

असुरक्षा

आधार

सुरक्षा

लेखापरीक्षा

निगरानी

कमजोरियाँ

और

में से

दौड़ना

लेखा परीक्षक

7

x

निगरानी करें

24 तैनाती की घटना निरंतर बंद निरंतर

आश्रित

सोशल मीडिया

.

असुरक्षा

निगरानी

ए.

निगरानी

लेखापरीक्षा

कार्यक्रम

रोकथाम

सुरक्षा

रिसाव।

24X7

ता.

प्रबंधन न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

आधार

DE

और विश्वास बनाए रखने और सही संचार के हितधारकों ने प्रतिक्रिया की योजना बनाना सुनिश्चित किया मीडिया रोबस्ट

ज़ेलीनी

संचालन

आदि।

यू. आई. डी. ए. आई.

ड्रिल्स डी. आर.

अभ्यास

पूरा करें

सुरक्षा

आवधिक,

दौड़ें।

पुनर्प्राप्ति

द्वारा डिजाइन किया गया

कर सकते हैं

डेटा

केंद्र

आवधिक,

डेटा

लाभप्रद माप

बुनियादी ढांचा

प्रत्येक।

में यूआईडीएआई

पूरा अंदर

मोड

सभी का डेटा

कोई नहीं।

में से

सक्रिय

सक्रिय

अनावश्यकता

बैक-अप

में

डेटा

निर्मित।

उपयुक्त

,

केंद्र

सुरक्षित रहें।

नागरिकों

आँकड़ा

व्यक्तिगत रूप से

दो।

ऑफ़लाइन

लें

ओवरई

प्रतिक्रिया

योजना

एचएएस

योजना

बदरप &

टैब्लिसिटी

एचए

यू. आई. डी. ए. आई.

वॉट

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

52. हम इस स्तर पर इंगित कर सकते हैं कि पावरप्वाइंट तक

डॉ. पांडे द्वारा उपरोक्त पंक्तियों पर प्रस्तुतिकरण, श्री श्याम दीवान के साथ-साथ श्री विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा उनसे कुछ प्रश्न पूछे गए थे और उनके उत्तर डॉ. पांडे द्वारा दिए गए थे। पूर्ण चित्र प्राप्त करने के लिए, हमें इन प्रश्नों और उनके उत्तरों को भी पुनः प्रस्तुत करने की अच्छी सलाह दी जाएगी, जो इस प्रकार हैं:

53. याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों के प्रश्न और उत्तर

डब्ल्यू. पी. में *(ग) 2017* की सं. *1056* जिसका शीर्षक 'नचिकेत उदुपा और अन्न' है। वी. भारत संघ

(1) प्रमाणीकरण विफलताओं के आंकड़े क्या हैं, दोनों में

राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर? कृपया उंगलियों के निशान और आईरिस के बीच एक ब्रेकअप प्रदान करें।

उत्तर। *:* यू. आई. डी. ए. आई. प्रमाणीकरण विफलता दर प्रदान नहीं कर सकता है

राज्य स्तर पर क्योंकि यह प्रमाणीकरण लेनदेन के स्थान को ट्रैक नहीं करता है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणीकरण विफलता दर नीचे दी गई है:

असफल प्रतिशत

तौर-तरीके

विशिष्ट यू. आई. डी. विफल विशिष्ट आई. डी.

भाग लिया।

आईआरआईएस

8.54 %

1,08,50,391

9,27,132

61,63,63,346

6.00 %

फ़िंगर

3,69,62,619

यह कहा जाना चाहिए कि प्रमाणीकरण विफलताओं का मतलब बहिष्करण नहीं है

या सब्सिडी, लाभ या सेवाओं से इनकार क्योंकि अनुरोध करने वाली संस्थाएं कानून के तहत अपवाद प्रबंधन तंत्र प्रदान करने के लिए बाध्य हैं।

(2) यदि कोई व्यक्ति बायोमेट्रिक अपवाद का दावा कर रहा है *(*उदाहरण के लिए ए

कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति*)* के पास मोबाइल फोन नंबर नहीं है, या इसे नामांकन प्रपत्र में नहीं दिया है, या यदि फोन नंबर बदलता है-तो उसका आधार नामांकन और बाद में प्रमाणीकरण कैसे होगा

और कानून के किस प्रावधान के तहत*?*

उत्तर। *:* आधार नामांकन सभी निवासियों, यहां तक कि निवासियों के लिए भी किया जाता है।

कुष्ठ रोग के साथ। बायोमेट्रिक अपवाद प्रक्रिया यू. आई. डी. ए. आई. में परिभाषित की गई है।

निवासी नामांकन प्रक्रिया। कुष्ठ रोगी के मामले में, जो फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण करने में सक्षम नहीं हो सकता है, आईरिस प्रमाणीकरण का उपयोग अद्यतन *(*और मोबाइल नंबर जोड़ने*)* के लिए किया जा सकता है। यही कारण था कि आधार में उपयोग के लिए बहु-पद्धति नामांकन और प्रमाणीकरण का चयन किया गया था।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

केवल एक अप्रत्याशित परिदृश्य में जहां आईरिस और फिंगरप्रिंट दोनों का उपयोग प्रमाणीकरण के लिए नहीं किया जा सकता है, मोबाइल नंबर के लिए तरीकों में से एक है प्रमाणीकरण। ऐसे मामलों में जहां मोबाइल नंबर के माध्यम से प्रमाणीकरण संभव या व्यवहार्य नहीं है, अनुरोध करने वाली संस्थाओं को आधार धारकों को सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए अपना अपवाद और समर्थन तंत्र प्रदान करना होगा। अपवाद प्रबंधन तंत्र के हिस्से के रूप में, यू. आई. डी. ए. आई. पहले से ही

ई-आधार में डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित एक क्यू. आर. कोड लागू किया गया जो अनुमति देता है।

यू. आई. डी. ए. आई. की ई-के. वाई. सी. ए. पी. आई. सेवा का उपयोग किए बिना आधार कार्ड को ऑफ-लाइन तरीके से सत्यापित करने और डेटा *(*डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापन के आधार पर*)* पर भरोसा करने वाली एजेंसियां। आधार कार्ड की वैधता को जल्दी से सत्यापित करने के लिए यह एक सरल ऑफ-लाइन तंत्र है। लेकिन, यह सुनिश्चित नहीं करता है कि कार्ड रखने वाला व्यक्ति उस आधार संख्या का मालिक है। यह.

व्यक्ति के चेहरे पर फोटो की हाथ से जांच *(*जैसे कि हवाई अड्डों के प्रवेश पर आईडी को सत्यापित करने का तरीका*)* या आधार प्रमाणीकरण एपीआई या एजेंसी विशिष्ट प्रमाणीकरण योजना का उपयोग करके किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। क्यू. आर. कोड आधारित सत्यापन आधार संख्या धारकों को अपने आई. डी. का उपयोग दिन-प्रतिदिन के उद्देश्य के बिना करने की अनुमति देता है।

ऑनलाइन ई-केवाईसी प्रमाणीकरण का उपयोग करना। ऑफ़लाइन क्यू. आर. कोड के माध्यम से सत्यापन का उपयोग उन उद्देश्यों या मामलों के लिए किया जा सकता है जहां उपस्थिति का प्रमाण हो।

या कार्ड के स्वामित्व के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।

आधार अधिनियम और आधार *(*नामांकन और अद्यतन*)*

विनियम, *2016* बायोमेट्रिक अपवाद के साथ निवासियों के नामांकन के लिए विशेष प्रावधान को परिभाषित करता है। इसके अलावा, प्रमाणीकरण विनियमों के विनियम *14 (i)* के अनुसार, आरई आधार संख्या धारकों को प्रमाणीकरण सेवाओं का निर्बाध प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए अपवाद-प्रबंधन तंत्र और समर्थन पहचान प्रमाणीकरण तंत्र को लागू करेगा। तदनुसार, डी. बी. टी. मिशन कैबिनेट सचिवालय ने *19* दिसंबर, *2017* को एक विस्तृत परिपत्र जारी किया है।

सरकार की लाभ योजनाओं में आधार का उपयोग। *(3)* क्या छूट रजिस्टरों की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए कोई आकस्मिक जांच, क्षेत्र अध्ययन किए गए हैं*?*

उत्तर। *:* प्रमाणीकरण विनियमों के विनियम *14 (i)* के अनुसार, इस अपवाद प्रबंधन तंत्र को लागू और निगरानी की जानी है

अनुरोध करने वाली संस्थाओं और सरकार के मामले में, उनके संबंधित मंत्रालयों द्वारा। इसके अलावा, डी. बी. टी. मिशन कैबिनेट सचिवालय ने अपवाद प्रबंधन और अपवादों के ऑडिट पर *19* दिसंबर, *2017* को परिपत्र जारी किया था।

(4) 5-15 वर्ष की आयु के बीच, क्या एक स्कूल, एक 'परिचयकर्ता' के रूप में, माता-पिता की सहमति के बिना एक बच्चे का नामांकन कर सकता है*?*

उत्तर। *:* यदि स्कूल के अधिकारियों को 'परिचयकर्ता' के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाती है, तो वे केवल तभी नामांकन कर सकते हैं जब नामांकन के लिए माता-पिता की सहमति हो। प्रकटीकरण की आवश्यकता

आधार अधिनियम की धारा *3 (2)* और आधार *(*नामांकन और अद्यतन*)* विनियम, *2016 (*अनुसूची-*I)* के अनुसार नामांकन प्रपत्र के माध्यम से लागू किया जाता है, जिस पर निवासी द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं और उसे सूचित किया जाता है प्रकटीकरण। बच्चों के मामले में, सहमति पत्र पर माता-पिता/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(5) एक बार जब कोई बच्चा *18* साल का हो जाता है, तो क्या इसके लिए कोई रास्ता है*?*

वे सहमति से बाहर निकलने या रद्द करने के लिए*?*

उत्तर। *:* आधार अधिनियम के तहत इसकी अनुमति नहीं है। हालांकि, निवासियों के पास अपने बायोमेट्रिक्स को स्थायी रूप से बंद करने का विकल्प है और

प्रमाणीकरण विनियमों के विनियमन *11* के अनुसार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक होने पर ही इसे अस्थायी रूप से खोलें। *(6)* ब्लैकलिस्ट किए गए *49,000* नामांकन ऑपरेटरों द्वारा किए गए नामांकन की स्थिति क्या है*?* कृपया संख्या प्रदान करें

उनके द्वारा किए गए नामांकन*?*

उत्तर। *:* यू. आई. डी. ए. आई. की प्रक्रिया दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए एक नीति है और

नामांकन प्रक्रिया के दौरान डेटा की गुणवत्ता की जाँच करें। *100 %* प्रचालक द्वारा किए गए नामांकन की गुणवत्ता आश्वासन जांच की जाती है, जिसमें प्रत्येक नामांकन मानव आंख से होकर गुजरता है। कोई भी आधार नामांकन पाया गया

यू. आई. डी. ए. आई. प्रक्रिया के विपरीत होने के कारण, नामांकन स्वयं अस्वीकृत हो जाता है और आधार उत्पन्न नहीं होता है। निवासी को फिर से नामांकन करने की सलाह दी जाती है। एक बार जब किसी ऑपरेटर को काली सूची में डाल दिया जाता है या निलंबित कर दिया जाता है, तो उसके द्वारा काली सूची/निलंबन के आदेश के वैध होने के दौरान आगे नामांकन नहीं किया जा सकता है।

(7) अब तक बायोमेट्रिक डी-डुप्लिकेशन अस्वीकृतियों की कुल संख्या कितनी है*?* यदि नामांकन अस्वीकार कर दिया जाता है या तोः *(क)* डुप्लिकेट नामांकन और *(ख)* आधार नामांकन विनियमों के विनियम *14* के तहत अन्य तकनीकी कारणों से, डेटा पैकेट का क्या होता है जिसमें संग्रहीत बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय जानकारी होती है*?*

उत्तर। *:* बायोमेट्रिक डी-डुप्लिकेशन अस्वीकृतियों की कुल संख्या जो

21 मार्च, *2018* तक *6.91* करोड़ हुए हैं।

ये आंकड़े जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

यह उन विशिष्ट व्यक्तियों की संख्या से संबंधित नहीं है जिन्हें आधार नामांकन से वंचित कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कोई आधार जारी नहीं किया गया है। यह आंकड़ा केवल उन आवेदनों की संख्या से संबंधित है जिनकी पहचान की गई है। आधार डी-डुप्लिकेशन प्रणाली द्वारा एक मौजूदा आधार संख्या धारक के साथ मैचिंग बायोमेट्रिक्स के रूप में। बायोमेट्रिक डी-डुप्लिकेशन प्रणाली को उन मामलों को डुप्लिकेट के रूप में पहचानने के लिए डिज़ाइन किया गया है जहां बायोमेट्रिक्स *(*दस उंगलियां और दो आईरिस*)* में से कोई एक मेल खाता है। हालांकि, अक्सर यह पाया जाता है कि सभी बायोमेट्रिक्स मेल खाते हैं। यह अत्यधिक असंभव है

बायोमेट्रिक्स मिलान के लिए जब तक कि उसी व्यक्ति ने फिर से आवेदन नहीं किया हो। एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक बार आवेदन करने के कई कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कई व्यक्ति डाक में देरी, अपने कार्ड के खो जाने या नष्ट होने या प्रणाली के काम करने के बारे में भ्रम के कारण अपने आधार कार्ड प्राप्त करने में देरी के कारण कई बार नामांकन के लिए आवेदन करते हैं। हर बार जब कोई आधार के लिए आवेदन करता है, तो प्रणाली उसे एक नए नामांकन के रूप में पहचानती है, लेकिन जब यह पहचानती है कि व्यक्ति का बायोमेट्रिक्स पहले से ही डेटाबेस में मौजूद लोगों से मेल खाता है, तो उसके बाद आगे की जांच की जाती है, जिसमें अनुभवी व्यक्ति द्वारा हाथ से की गई जांच भी शामिल है। कर्मचारी, हो गए हैं। उस अभ्यास के बाद, यदि यह पाया जाता है कि व्यक्ति पहले से ही पंजीकृत है, तो यह नामांकन आवेदन को अस्वीकार कर देता है। उनमें से एक

अस्वीकृति का मुख्य कारण यह है कि कई लोग अपने बायोमेट्रिक विवरण जैसे कि आधार बनाने के लिए उंगलियों के निशान या तो धोखाधड़ी के रूप में या गलती से डाल देते हैं, जिसे भी अस्वीकार कर दिया जाता है। पहले की प्रणालियों में कई नकली और धोखाधड़ी हुई थी और कई रिपोर्टों में पाया गया है कि लगभग *50* प्रतिशत सब्सिडी की चोरी हो रही थी। प्रणाली में नकली और डुप्लिकेट। फिर, ऐसे कई लोग भी होंगे जिन्होंने आधार नामांकन में धोखाधड़ी करने की कोशिश की होगी

प्रणाली भी लेकिन कड़ी आधार डी-डुप्लिकेशन प्रक्रिया के कारण कई आधार संख्या प्राप्त करने में विफल रही। इस प्रकार, केवल यह तथ्य कि *6.23* करोड़ नामांकनों को बायोमेट्रिक डुप्लिकेट के रूप में अस्वीकार कर दिया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि *6.23* करोड़ लोगों को आधार संख्या से वंचित कर दिया गया है जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया गया है। कोई भी वास्तविक व्यक्ति जिसके पास आधार संख्या नहीं है और जिसका नामांकन अस्वीकार कर दिया गया है, वह हमेशा ऐसा कर सकता है।

नामांकन के लिए फिर से आवेदन करें। यह ध्यान देने योग्य है कि दोहराए जाने वाले अस्वीकृतियों में से कोई भी प्राधिकरण के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आया है

या आधार संख्या से इनकार करने के बारे में सरकार के साथ। उनमें से किसी ने भी किसी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया है। जाहिर है, वास्तविक निवासियों ने खुद को फिर से नामांकित किया है और बाकी वे हैं जो धोखाधड़ी के माध्यम से आधार प्रणाली तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे।

यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 8 एस सी आर।

आधार संख्या से इनकार करने की शिकायत करने के लिए किसी ने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया है। यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा प्राप्त सभी नामांकन पैकेट *(*स्वीकृत/अस्वीकृत*)* सी. आई. डी. आर. में संग्रहीत किए जाते हैं, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी हो।

(8) यदि *2015* तक नामांकन पैकेटों की अस्वीकृति का आंकड़ा *8* करोड़ था, तो नामांकन पैकेटों के लिए कुल अस्वीकृति का आंकड़ा क्या है*?*

तारीख*?* यह सुनिश्चित करने के लिए कितने क्षेत्र अध्ययन/भौतिक सत्यापन किए गए हैं कि ये व्यक्ति *(*जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया है*)* वास्तव में "गलत या डुप्लिकेट" नामांकन हैं*?*

उत्तर। *:* नामांकन पैकेट्स के लिए कुल अस्वीकृति का आंकड़ा *18* करोड़ है। *26* मार्च, *2018* तक। ये अस्वीकृति विभिन्न तकनीकी कारणों से हैं।

इसके कारण इस प्रकार हैं: *(i)* डेटा की गुणवत्ता को अस्वीकार करना जैसे कि पता अधूरा, नाम अधूरा, नाम, पते आदि में अपशब्दों का उपयोग, फोटो वस्तु का है, फोटो का फोटो, आयु फोटो बेमेल है आदि। *;* और *(ii)* ओ. एस. आई. सत्यापन अस्वीकार जैसे कि प्रचालक/पर्यवेक्षक/परिचयकर्ता सत्यापन विफल, प्रचालक/पर्यवेक्षक/परिचयकर्ता/परिवार के प्रमुख बायोमेट्रिक सत्यापन विफल आदि।

जिनका नामांकन किसी भी कारण से अस्वीकार कर दिया गया है और जिनके पास आधार नहीं है, वे फिर से नामांकन कर सकते हैं और आधार प्राप्त कर सकते हैं। नामांकन को अस्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। आधार।

(9) आधार अधिनियम की धारा *8 (4)* के तहत "किसी अन्य उचित प्रतिक्रिया" में क्या शामिल है*?*

उत्तर। *:* "किसी भी अन्य उपयुक्त प्रतिक्रिया में ई-केवाईसी या सीमित ई-केवाईसी डेटा शामिल है। प्रमाणीकरण विनियमों के विनियम *3* के अनुसार, यू. आई. डी. ए. आई. दो प्रकार की प्रमाणीकरण सुविधाएं प्रदान करता है, अर्थात् -

(i) हां/नहीं प्रमाणीकरण सुविधा*;* और

((ii) ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा।

हां/नहीं प्रमाणीकरण में, यू. आई. डी. ए. आई. प्रासंगिक त्रुटि कोड, यदि कोई हो, के साथ हां या नहीं के रूप में प्रतिक्रिया प्रदान करता है। ई-के. वाई. सी. प्रमाणीकरण में, यू. आई. डी. ए. आई. चित्र के साथ जनसांख्यिकीय डेटा प्रदान करता है और बेमेल/त्रुटि के मामले में, प्रासंगिक त्रुटि कोड प्रदान करता है।

54. डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों के प्रश्न और उत्तर *(*ग*) 2013* की सं. *829* जिसका शीर्षक 'एस. जी. वोम्बटकेरे और अन्र' है। वी.

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

(1) कृपया पुष्टि करें कि कोई भी यू. आई. डी. ए. आई. अधिकारी नामांकन/अद्यतन के चरण में प्रस्तुत दस्तावेजों की शुद्धता की पुष्टि नहीं करता है। उत्तर। *:* यू. आई. डी. ए. आई. प्रक्रिया के अनुसार, दस्तावेजों का सत्यापन पंजीयक को सौंपा जाता है। दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन के लिए, नामांकन केंद्र में मौजूद सत्यापनकर्ता दस्तावेजों का सत्यापन करेगा। पंजीयक/नामांकन एजेंसी को सत्यापन के लिए कर्मियों की नियुक्ति करनी चाहिए।

दस्तावेजों से।

(2) कृपया पुष्टि करें कि यू. आई. डी. ए. आई. को पता नहीं है कि

नामांकन/अद्यतन के समय दिखाए गए दस्तावेज़ वास्तविक या झूठे हैं।

उत्तर। *:* जवाब वही है जो ऊपर *(1)* में है।

(3) कृपया पुष्टि करें:

रिकॉर्ड करता है और हां/नहीं प्रतिक्रिया प्रदान करता है*;* उत्तर। *:* आधार संख्या धारक का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण हमेशा *1* के रूप में किया जाता है: *1* सी. आई. डी. आर. में उसकी आधार संख्या *(*पहचान*)* के साथ बायोमेट्रिक मिलान। मैच के आधार पर, यू. आई. डी. ए. आई. हां या नहीं देता है।

उत्तर। *:* नाम/पता/डी. ओ. बी. पहचान के प्रमाण *(*पी. ओ. आई.*)*/पते के प्रमाण *(*पी. ओ. ए.*)* दस्तावेजों से लिया गया है। नामांकन।

नामांकन/अद्यतन पैकेट *(*एन्क्रिप्टेड*)* नामांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले पी. ओ. आई./पी. ओ. ए. दस्तावेजों की एक स्कैन की गई प्रति रखता है जो

विवाद के मामले में समीक्षा की गई।

यू. आई. डी. ए. आई. नाम, पता, जन्म तिथि आदि में परिवर्तन से संबंधित प्रत्येक आधार संख्या का अद्यतन इतिहास रखता है।

(4) कृपया पुष्टि करें:

(क*)* यू. आई. डी. ए. आई. किसी व्यक्ति की सही पहचान के संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।

उत्तर। कृपया ऊपर दिए गए उत्तर *(1)* को देखें। इसके अलावा, यह हो सकता है

आधार का नामांकन एक निवासी नामांकन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है और पी. ओ. आई./पी. ओ. ए. दस्तावेज़ का सत्यापन स्वीकार्य दस्तावेजों के खिलाफ किया जाता है, यू. आई. डी. ए. आई. की दस्तावेजों की वैध सूची के अनुसार जैसा कि अनुसूची *II* और *III* आधार *(*नामांकन और अद्यतन*)* विनियम, *2016* में विनियमन *10* के साथ पढ़ा गया है।

यू. आई. डी. ए. आई. मानकों को बनाने और लागू करने की जिम्मेदारी लेता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सी. आई. डी. आर. के काम में स्थापित मिलान प्रणाली को उसी रूप में तैयार किया गया है जैसे वे बनाए गए हैं।

ऐसा करना और आधार धारकों को उनकी पहचान को नियंत्रित करने *(*जैसे कि उनके डेटा को अपडेट करना, उनके बायोमेट्रिक्स को लॉक करना, आदि*)* और अपने स्वयं के प्रमाणीकरण रिकॉर्ड तक पहुँचने के संदर्भ में विकल्प प्रदान करना। आधार के प्रमुख लक्ष्यों में से एक भारत के निवासियों के लिए एक विशिष्ट पहचान जारी करना है। इसलिए, आधार संख्या *(*या विशिष्ट पहचान*)* जारी करने के लिए सभी *(1.2* अरब*)* निवासियों के खिलाफ प्रत्येक नामांकन को बायोमेट्रिक रूप से दोहराया जाता है।

आधार की धारा *4* आधार संख्या के गुणों को निर्धारित करती है। धारा *4* की उप-धारा *(3)* निम्नानुसार हैः

"(3) एक आधार संख्या, भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, प्रमाणीकरण और अन्य शर्तों के अधीन, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है

नियम, आधार की पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं

किसी भी उद्देश्य के लिए संख्या धारक।

अनुरोध करने वाली संस्थाएं इनमें से किसी भी या कई का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं।

प्रमाणीकरण मोड आधार *(*प्रमाणीकरण*)* विनियमन, *2016* के विनियमन *4* के तहत उनकी आवश्यकताओं और सुरक्षा की आवश्यकताओं आदि के अनुसार उपलब्ध है।

(ख) बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रमाणीकरण के दौरान ली गई बायोमेट्रिक और संग्रहीत रिकॉर्ड के संभावित मिलान पर आधारित है।

प्रमाणीकरण के दौरान पकड़ा गया या एक ढोंगी प्रमाणीकरण की कोशिश करता है, यह प्रमाणीकरण विफलता की ओर ले जाएगा। अवधारणा अध्ययनों के आधार प्रमाण से पता चलता है कि अधिकांश निवासी *(> 98* प्रतिशत*)* फिंगरप्रिंट और/या आईरिस जैसे बायोमेट्रिक तौर-तरीकों का उपयोग करके सफलतापूर्वक प्रमाणित कर सकते हैं। हालांकि, आधार अधिनियम और विनियमों में प्रावधान है कि न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम की विफलता के कारण आधार संख्या धारक को सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता है।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

आधार प्रमाणीकरण। इसलिए, सभी आधार आवेदनों को अपवाद प्रक्रियाओं को लागू करना चाहिए। अपवाद प्रक्रिया को लागू करने के संभावित तरीकों में शामिल हैंः

(i) परिवार आधारित प्रमाणीकरणः पी. डी. एस. या स्वास्थ्य अनुप्रयोग जैसे परिवार आधारित अनुप्रयोग परिवार द्वारा प्रमाणीकरण की अनुमति दे सकते हैं।

निवासियों को सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति देने के लिए सदस्य। *((ii)* वैकल्पिक तौर-तरीकेः कुछ अनुप्रयोग अपवाद को संभालने के लिए अलग-अलग तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। वैकल्पिक तौर-तरीकों में शामिल हैंः

(क*)* आइरिस प्रमाणीकरण
(बी*)* ओ. टी. पी. प्रमाणीकरण *(*यदि नीति द्वारा अनुमति दी गई है*)*

(iii) बायोमेट्रिक संलयनः यू. आई. डी. ए. आई. प्रमाणीकरण की दर को कम करने के लिए माध्यमिक प्रमाणीकरण कारक के रूप में चेहरे के प्रमाणीकरण की शुरुआत कर रहा है।

विफलताएँ, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए। इस समय, चेहरे के प्रमाणीकरण का उपयोग केवल एक अन्य प्रमाणीकरण कारक जैसे उंगली/आईरिस/ओ. टी. पी. के साथ किया जाएगा।

(ग*)* फेस *+* ओ. टी. पी. फ्यूजन
(iv) गैर-आधार आधारित अपवाद प्रक्रियाः आवेदन हो सकते हैं

यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी निवासी को सेवा से वंचित न किया जाए, गैर-आधार आधारित अपवाद प्रक्रिया को लागू करें। आवेदनों को अपवाद प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए अपने आवेदनों में अपवादों के उपयोग की निगरानी करने की आवश्यकता है।

(v) तदनुसार, डी. बी. टी. मिशन कैबिनेट सचिवालय ने एक

सरकार की लाभ योजनाओं में आधार के उपयोग के संबंध में *19* दिसंबर, *2017* का विस्तृत परिपत्र-अपवाद प्रबंधन।

(5) कृपया पुष्टि करें कि *15* वर्ष से कम और *60* वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के संबंध में, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के विफल होने की संभावना है।

प्रमाणीकरण विफलता दर केवल *70* वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए उंगलियों के निशान के लिए देखी गई है। कई अपवाद प्रक्रियाएँ सेवा से इनकार को रोकने के लिए उपरोक्त प्रश्न *4 (*बी*)* के उत्तर में प्रदान किए गए हैं

प्रमाणीकरण की विफलता के लिए। इसके अलावा, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में किसी भी समस्या के मामले में, एक आधार संख्या धारक किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर अपने बायोमेट्रिक को अपडेट कर सकता है, जो आधार अधिनियम में भी प्रदान किया गया है।

(6) कृपया पुष्टि करें कि *49000* से अधिक नामांकन ऑपरेटरों को काली सूची में डालने के कारणों में शामिल हैंः *(i)* दस्तावेजों को सत्यापित करने में विफलता

प्रस्तुत किए गए*; (ii)* प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के रिकॉर्ड को बनाए रखने में विफलता*; (iii)* प्रस्तुत की गई जानकारी का दुरुपयोग*;* और *(iv)* गलत जानकारी देने में सहायता करना या उसे बढ़ावा देना।

नामांकन*?*

उत्तर। *:* यू. आई. डी. ए. आई. की प्रक्रिया दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए एक नीति है और

नामांकन प्रक्रिया के दौरान डेटा की गुणवत्ता की जाँच करें। *100 %* प्रचालक द्वारा किए गए नामांकनों की गुणवत्ता आश्वासन जांच की जाती है। अगर कोई आधार

नामांकन यू. आई. डी. ए. आई. प्रक्रिया के अनुसार नहीं पाया जाता है, नामांकन स्वयं अस्वीकृत हो जाता है और आधार उत्पन्न नहीं होता है। यदि किसी ऑपरेटर द्वारा की गई ऐसी गलती पॉलिसी में परिभाषित सीमा को पार कर जाती है, तो ऑपरेटर को यू. आई. डी. ए. आई. पारिस्थितिकी तंत्र से काली सूची में डाल दिया जाता है/हटा दिया जाता है। इस प्रकार, उन *49,000* ऑपरेटरों में से जिन्हें यू. आई. डी. ए. आई. से काली सूची में डाल दिया गया है/हटा दिया गया है प्रणाली, सभी नामांकन जो प्रक्रिया का उल्लंघन कर रहे थे, उन्हें क्यू. ए. चरण में अस्वीकार कर दिया गया था। नामांकन संचालकों को निम्नलिखित कारणों से काली सूची में डाला जा सकता हैः

आधार नामांकन के लिए निवासी से अवैध रूप से शुल्क लेना

- खराब जनसांख्यिकीय डेटा गुणवत्ता
- अमान्य बायोमेट्रिक अपवाद
- अन्य प्रक्रिया कदाचार

(7) कृपया पुष्टि करेंः

(क) नामांकन के चरण में, इस बात का कोई सत्यापन नहीं होता है कि कोई व्यक्ति अवैध अप्रवासी है या नहीं।

(ख) नामांकन के चरण में, पिछले *12* महीनों में किसी व्यक्ति के *182* दिनों या उससे अधिक समय तक भारत में रहने के बारे में कोई सत्यापन नहीं होता है।

(ग) विदेशी नागरिक नामांकन कर सकते हैं और उन्हें आधार संख्या जारी की जा सकती है।

(घ) निवासी नहीं रहने के बाद भी व्यक्ति अपनी आधार संख्या अपने पास रखते हैं। यही बात विदेशी नागरिकों के बारे में भी सच है।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

उत्तर। *:*

(क) नामांकन के समय, निवासी द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाता है। यदि निर्धारित दिशानिर्देशों का कोई उल्लंघन सामने आता है, तो संबंधित आधार को हटा दिया जाता है/निष्क्रिय कर दिया जाता है।

(ख) इसे नामांकन प्रपत्र के माध्यम से शामिल किया गया है जहाँ

निवासी प्रकटीकरण करता है और हस्ताक्षर करता हैः

"आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत प्रकटीकरण,

2016

मैं पुष्टि करता हूं कि मैं पिछले 12 महीनों में कम से कम 182 दिनों से भारत में रह रहा हूं और यू. आई. डी. ए. आई. को मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी (बायोमेट्रिक्स सहित) मेरी अपनी है और सही, सही और सटीक है। मुझे पता है कि मेरी जानकारी (बायोमेट्रिक्स सहित) का उपयोग आधार बनाने और प्रमाणीकरण के लिए किया जाएगा। मैं समझता हूं कि मेरी पहचान की जानकारी (मुख्य बायोमेट्रिक को छोड़कर) प्रमाणीकरण के दौरान या आधार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केवल मेरी सहमति से किसी एजेंसी को प्रदान की जा सकती है। मुझे यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी पहचान की जानकारी (मुख्य बायोमेट्रिक्स को छोड़कर) प्राप्त करने का अधिकार है।

(ग) आधार भारत के निवासी को जारी किया जाता है और शब्द

'निवासी 'को आधार अधिनियम की धारा 2 (v) में परिभाषित किया गया है। भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को आधार संख्या जारी की जा सकती है। अनुभाग

2 (v) निम्नानुसार हैः

" 'निवासी' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत में तत्काल पूर्ववर्ती बारह महीनों में एक सौ अस्सी दिन या उससे अधिक की अवधि या अवधि के लिए रहा हो।

नामांकन के लिए आवेदन की तारीख; "

उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने वाला विदेशी नागरिक आधार के लिए पात्र है, बशर्ते वह आधार के अनुसार स्वीकार्य पी. ओ. आई./पी. ओ. ए. दस्तावेज़ प्रस्तुत करे।

यू. आई. डी. ए. आई. दस्तावेजों की वैध सूची।

(घ) आधार अधिनियम के अनुसार, एक आधार संख्या उस निवासी को जारी की जाती है जो भारत में कम से कम 182 दिनों से रह रहा है।

12 महीनों से पहले। आधार संख्या किसी व्यक्ति को जीवन भर के लिए जारी की जाती है और केवल निर्धारित दिशानिर्देशों के उल्लंघन के मामले में इसे हटाया/निष्क्रिय किया जा सकता है। आधार संख्या रखने के लिए किसी व्यक्ति की अयोग्यता

गैर-निवासी होने के कारण आधार संख्या और आधार नामांकन [2018] 8 एस. सी. आर. के विनियमन 28 (1) (एफ) को निष्क्रिय करने के आधार के रूप में माना जा सकता है।

नियम। यह आधार अधिनियम की धारा *31 (1)* और *(3)* को ध्यान में रखते हुए है जिसमें आधार संख्या धारक को सूचित करना एक दायित्व है।

जनसांख्यिकीय जानकारी में परिवर्तन का यू. आई. डी. ए. आई. और प्राधिकरण के लिए आवश्यक परिवर्तन करना।

(8) कृपया पुष्टि करें कि प्वाइंट ऑफ सर्विस *(*पी. ओ. एस.*)* बायोमेट्रिक पाठक बायोमेट्रिक जानकारी संग्रहीत करने में सक्षम हैं।

उत्तर। *:* यू. आई. डी. ए. आई. ने सभी प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए पंजीकृत उपकरणों *(*आर. डी.*)* का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। आर. डी. के साथ, बायोमेट्रिक डेटा पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह वास्तव में लाइव कैप्चर किया गया है, प्रदाता कुंजी का उपयोग करके उपकरण/आर. डी. सेवा। उपकरण प्रदाता आर. डी. सेवा मेजबान अनुप्रयोग पर लौटने से पहले पी. आई. डी. खंड को कूटबद्ध करती है। यह आर. डी. सेवा बायोमेट्रिक कैप्चर, हस्ताक्षर और बायोमेट्रिक्स के एन्क्रिप्शन को अपने भीतर समाहित करती है। इसलिए, आधार प्रमाणीकरण प्रणाली में आर. डी. की शुरुआत संग्रहीत बायोमेट्रिक के उपयोग और बायोमेट्रिक्स के पुनः प्रदर्शन की किसी भी संभावना को खारिज करती है।

दूसरे स्रोत से लिया गया। अनुरोध करने वाली संस्थाओं को प्रमाणीकरण विनियमों के विनियमन *17 (1) (*ए*)* के तहत आधार प्रमाणीकरण के लिए ली गई बायोमेट्रिक्स को संग्रहीत करने की कानूनी रूप से अनुमति नहीं है।

(9) स्लाइड/पृष्ठ *13* का उल्लेख करते हुए, कृपया पुष्टि करें कि आधार अधिनियम के तहत संरचना में शामिल हैं: *(i)* प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसियां *(*जैसे। केरल डेयरी किसान कल्याण कोष बोर्ड*); (ii)* प्रमाणीकरण सेवा एजेंसियां *(*जैसे। एयरटेल*)* और *(iii)* सी. आई. डी. आर.। उत्तर। *:* यू. आई. डी. ए. आई. ने विनियमन *12* के अनुसार अनुरोध करने वाली संस्थाओं *(*ए. यू. ए./के. यू. ए.*)* और प्रमाणीकरण सेवा एजेंसी *(*ए. एस. ए.*)* की नियुक्ति की है।

प्रमाणीकरण नियम। यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा नियुक्त अनुरोध करने वाले अधिकारों *(*ए. यू. ए./के. यू. ए.*)* और प्रमाणीकरण सेवा एजेंसी की सूची यू. आई. डी. ए. आई. की वेबसाइट पर उपलब्ध है। एक ए. यू. ए./के. यू. ए. विनियमन *15* और विनियमन *16* के तहत अन्य संस्थाओं की ओर से प्रमाणीकरण कर सकता है।

(10) कृपया पुष्टि करें कि पिछले पैराग्राफ में वर्णित आधार संरचना में एक या एक से अधिक अधिकार तारीख और तारीख को दर्ज करते हैं।

प्रमाणीकरण का समय, ग्राहक आई. पी., उपकरण आई. डी. और इसका उद्देश्य प्रमाणीकरण।

उत्तर। *:* यू. आई. डी. ए. आई. अनुरोध करने वाली संस्थाओं को उपकरण के आई. पी. पते, उपकरण के जी. पी. एस. निर्देशांक और प्रमाणीकरण के उद्देश्य से संबंधित किसी भी लॉग को बनाए रखने के लिए नहीं कहता है। हालांकि, बैंकों, दूरसंचार आदि जैसे ए. यू. ए., यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी प्रणालियां सुरक्षित हैं, धोखाधड़ी का प्रबंधन किया जाता है, वे जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* के तहत अपनी आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त जानकारी संग्रहीत कर सकते हैं।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

उनकी प्रणाली को सुरक्षित करने के लिए उनके संबंधित कानून। आधार अधिनियम की धारा *32 (3)* विशेष रूप से यू. आई. डी. ए. आई. को अपने द्वारा या अपने नियंत्रण में किसी भी संस्था के माध्यम से प्रमाणीकरण के उद्देश्य के बारे में किसी भी जानकारी को रखने या बनाए रखने से रोकती है। अनुरोध करने वाली संस्थाओं को प्रमाणीकरण विनियमों के विनियम *18* के अनुसार निम्नलिखित लॉग बनाए रखने के लिए अनिवार्य किया गया है। ये हैं:

((ii) प्रस्तुत प्रमाणीकरण अनुरोध के निर्दिष्ट मापदंड*;*
(iii) प्रमाणीकरण प्रतिक्रिया के रूप में प्राप्त निर्दिष्ट मापदंड*;*

((iv) आधार संख्या में सूचना के प्रकटीकरण का अभिलेख।

प्रमाणीकरण के समय धारक*;* और

(v) प्रमाणीकरण के लिए आधार संख्या धारक की सहमति का रिकॉर्ड, लेकिन किसी भी स्थिति में, पी. आई. डी. को अपने पास नहीं रखेगा।

जानकारी दी।

इसके अलावा, अगर कोई अनुरोध करने वाली संस्था अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई अन्य डेटा लेती है, तो भी यू. आई. डी. ए. आई. केवल प्रमाणीकरण लॉग का ऑडिट करेगा।

ए. एस. ए. एस. को उपकरण के आई. पी. पते, उपकरण के जी. पी. एस. निर्देशांक आदि से संबंधित किसी भी लॉग को बनाए रखने की अनुमति नहीं है। एएसए अनिवार्य हैं प्रमाणीकरण विनियमों के विनियम *20* के अनुसार लॉग बनाए रखने के लिए:

((ii) प्रस्तुत प्रमाणीकरण अनुरोध के मापदंड*;* और
(iii) प्रमाणीकरण प्रतिक्रिया के रूप में प्राप्त मापदंड।

बशर्ते कि कोई भी आधार संख्या, पी. आई. डी. जानकारी, उपकरण पहचान से संबंधित डेटा और ई-के. वाई. सी. प्रतिक्रिया डेटा, जहां लागू हो, नहीं होगा।

बनाए रखा।

(11) स्लाइड/पृष्ठ *7* और *14* का उल्लेख करते हुए, कृपया पुष्टि करें कि

' ट्रेसेबिलिटी' सुविधाएँ यू. आई. डी. ए. आई. को विशिष्ट उपकरण और उसके स्थान को ट्रैक करने में सक्षम बनाती हैं जहाँ से प्रत्येक प्रमाणीकरण होता है। उत्तर। *:* यू. आई. डी. ए. आई. को प्रमाणीकरण के लिए उपयोग किया जाने वाला ए. यू. ए. कोड, ए. एस. ए. कोड, अद्वितीय उपकरण कोड, पंजीकृत उपकरण कोड मिलता है। यूआईडीएआई को नहीं मिलता है

आईपी पते या जी. पी. एस. स्थान से संबंधित कोई भी जानकारी जहाँ से सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट आती है

प्रमाणीकरण। इसके अलावा, यू. आई. डी. ए. आई. या उसके नियंत्रण वाली किसी भी संस्था को आधार की धारा *32 (3)* के तहत प्रमाणीकरण के उद्देश्य के बारे में कोई भी जानकारी एकत्र करने, रखने या बनाए रखने से वैधानिक रूप से प्रतिबंधित किया गया है। एक्ट करें।

योजना का सारांशः

55. आधार का पूरा ढांचा इस देश के नागरिकों को अनूठी पहचान देने के लिए तैयार किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक व्यक्ति के पास हो सकता है

विभिन्न दस्तावेज जिनके आधार पर वह व्यक्ति अपनी पहचान स्थापित कर सकता है। यह पासपोर्ट, स्थायी खाता संख्या *(*पैन*)* कार्ड, राशन कार्ड आदि के रूप में हो सकता है। नामांकन के उद्देश्य से ही कई दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं जिन्हें एक व्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है जिसके आधार पर आधार कार्ड जारी किया जा सकता है। इस प्रकार, ऐसे दस्तावेज, एक तरह से, पहचान का प्रमाण भी हैं। लेकिन एक बुनियादी बात है

पहचान के साधन के रूप में आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के बीच अंतर जिसके माध्यम से पहचान स्थापित की जा सकती है। आधार कार्ड के लिए नामांकन के लिए जनसांख्यिकीय जानकारी के साथ-साथ बायोमेट्रिक जानकारी भी देनी होती है जो आईरिस और उंगलियों के निशान के रूप में होती है। यह प्रक्रिया दोहराव की किसी भी संभावना को समाप्त करती है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि एक व्यक्ति एक से अधिक या समान संख्या में पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि रख कर प्रणाली में हेरफेर कर सकता है। जब आधार कार्ड प्राप्त करने की बात आती है, तो डुप्लिकेट कार्ड प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है। एक बार जब बायोमेट्रिक जानकारी संग्रहीत हो जाती है और उस आधार पर आधार कार्ड जारी किया जाता है, तो यह प्राधिकरण के पास प्रणाली में रहता है। जहां भी आधार के लिए नामांकन का दूसरा प्रयास होगा और इस उद्देश्य के लिए वही व्यक्ति अपनी बायोमेट्रिक जानकारी देगा, वह तुरंत

सिस्टम में पहले से मौजूद उसी बायोमेट्रिक जानकारी के साथ मिलान करें और दूसरा अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाएगा। यही कारण है कि आधार कार्ड को विशिष्ट पहचान *(*यू. आई. डी.*)* के रूप में जाना जाता है। ऐसी पहचान अद्वितीय है।

56. फिर, आधार कार्ड के रूप में अद्वितीय पहचान पत्र जारी करने की ऐसी प्रणाली का एक और उद्देश्य है। एग्लिम्प्स इसका उल्लेख ऊपर 'परिचय' शीर्षक के तहत किया गया है जबकि जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

यह उल्लेख करते हुए कि कैसे और किन परिस्थितियों में पूरी परियोजना थी परिकल्पित। संक्षेप में कहें तो, किसी भी निवासी को इस तरह के अद्वितीय पहचान प्रमाण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के अलावा, यह हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए भी है

समाज का वर्ग, विशेष रूप से वे जो अनपढ़ हैं और घोर गरीबी में या बिना किसी आश्रय आदि के रह रहे हैं। यह ऐसे व्यक्तियों को भी पहचान देता है। इसके अलावा, आधार कार्ड की सहायता से, वे विभिन्न विशेषाधिकारों और लाभों आदि का दावा कर सकते हैं जो वास्तव में इन लोगों के लिए हैं।

प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसकी पहचान का महत्व होता है। सभ्य समाज में प्रत्येक व्यक्ति को जन्म लेने पर एक

नाम। उसका जन्म स्थान और माता-पिता का होना भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वह समाज में जानी जाती है और ये जनसांख्यिकीय विवरण भी उसके व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण विशेषता बन जाते हैं। अपने पूरे जीवन में, व्यक्तियों को ऐसी जानकारी प्रदान करनी चाहिएः चाहे वह किसी स्कूल या कॉलेज में प्रवेश हो या नौकरी लेने या किसी पेशे में शामिल होने के समय हो या व्यावसायिक गतिविधि आदि। जब यह सारी जानकारी आधार कार्ड के रूप में एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी, तो यह न केवल अद्वितीय होगी, बल्कि सशक्तिकरण के दस्तावेज के रूप में भी योग्य होगी। इस विशेषता के साथ, जब कोई व्यक्ति जानता है कि कोई अन्य व्यक्ति उसका प्रतिरूपण नहीं कर सकता है, तो यह अधिक महत्व रखता है।

57. इस प्रकार, इस योजना को अपने आप में प्रशंसनीय माना जा सकता है जब किसी व्यक्ति को आधार संख्या प्राप्त करने में सक्षम बनाने की बात आती है, विशेष रूप से तब जब यह स्वैच्छिक प्रकृति की हो। यह योजना चाहे कितनी भी हितकारी क्यों न हो, इसे संवैधानिकता की कसौटी से गुजरना होगा। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, आधार की संरचना विभिन्न आधारों पर असंवैधानिक है, जिसकी झलक इस स्तर पर प्रदान की जा सकती हैः

आधार योजना के साथ-साथ चुनौती का सार

58. याचिकाकर्ता स्वीकार करते हैं कि यह मामला अद्वितीय है, केवल इस कारण से कि यहां जिस कार्यक्रम को चुनौती दी गई है वह स्वयं बिना किसी मिसाल के है। उनके अनुसार, किसी भी लोकतांत्रिक समाज ने ऐसा कार्यक्रम नहीं अपनाया है जो अपनी कमान और विस्तार में समान हो। मामला एक नई तकनीक के बारे में है जिसे सरकार तैनात करना चाहती है और एक नई तकनीक शासन की संरचना जिसे वह इस तकनीक पर बनाना चाहता है। याचिकाकर्ता सरकार के इस दावे को खारिज कर रहे हैं कि बायोमेट्रिक

प्रयुक्त तकनीक और आधार अधिनियम बहुत फायदेमंद है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं में एक प्रवेश है जिसकी भारत का संविधान गारंटी देता है। यह प्रकृति में घुसपैठ है।

इसका मूल आधार नागरिक और राज्य के बीच संबंधों को बदल देता है। यह नागरिकों की स्थिति को कम करता है। स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाने वाले अधिकार, स्वतंत्र रूप से प्राप्त स्वतंत्रता, संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकार और कानून सभी को अनिवार्य विनिमय पर सशर्त बनाया जाता है। बार्टर नागरिकों को अपनी बायोमेट्रिक्स 'स्वेच्छा से' छोड़ने के लिए मजबूर करता है, अपनी बायोमेट्रिक्स और जनसांख्यिकीय जानकारी को राज्य और निजी ऑपरेटरों द्वारा संग्रहीत करने की अनुमति देता है और फिर 'प्रमाणीकरण' नामक प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाता है। उनके अनुसार, अधिनियम की योजना और इसके संचालन के

तरीके से, इसमें किसी व्यक्ति के आधार को बदलकर उसकी 'नागरिक मृत्यु' का कारण बनने की प्रवृत्ति है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि संविधान राज्य के हितों के खिलाफ व्यक्तियों के अधिकारों को संतुलित करता है। आधार

इस संतुलन को पूरी तरह से खराब कर देता है और दोनों के बीच संबंधों को खराब कर देता है। नागरिक और राज्य जो राज्य को व्यक्ति पर पूरी तरह से हावी होने में सक्षम बनाता है।

59. चुनौती आधार के निम्नलिखित पहलुओं की संवैधानिक वैधता पर निर्देशित हैः

(i) आधार कार्यक्रम जो *28* जनवरी, *2009* से जुलाई में आधार अधिनियम लागू होने तक चला।

12 , 2016 .

((ii) आधार अधिनियम *(*और वैकल्पिक रूप से इसके कुछ प्रावधान*)*

अधिनियम*)*।

((iii) आधार परियोजना या कार्यक्रम के तत्व जो काम करना जारी रखते हैं, हालांकि आधार अधिनियम के दायरे में नहीं हैं।

(iv) आधार अधिनियम के तहत बनाए गए विशिष्ट विनियम,

उदाहरण के लिए आधार *(*प्रमाणीकरण*)* विनियम, *2016*।

(v) धन शोधन *(*संशोधन*)* सहित वैधानिक नियमों/विनियमों के रूप में अधीनस्थ विधानों का एक समूह।

नियम, *2017*।

(vi) आधार अधिनियम की धारा *7* के तहत जारी की गई सभी अधिसूचनाएं *(*लगभग *139) (*यह मानते हुए कि अधिनियम को बरकरार रखा गया है*)* क्योंकि वे कुछ लाभों/सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य बनाती हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मनरेगा और सामाजिक सुरक्षा सहित सब्सिडी

पेंशन।

(vii) अन्य बातों के साथ-साथ जहां धारा *7* के अंतर्गत नहीं आता है, वहां भी आधार को अनिवार्य बनाने के लिए अधिकारियों की ओर से कार्रवाईः सी. बी. एस. ई., एन. ई. ई. टी., जे. ई. ई. और यू. जी. सी. की आवश्यकताओं के लिए कार्रवाई

छात्रवृत्ति।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

(viii) विशेष रूप से, सरकार की ओर से मोबाइल फोन और आधार को जोड़ने के लिए दिनांकित डीओटी परिपत्र के माध्यम से कार्रवाई

23 मार्च, *2017*।

(ix) आयकर अधिनियम, *1961* की धारा *139* एए जहां तक यह आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य करके और रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को जोड़ने की आवश्यकता के द्वारा अनुच्छेद *21* का उल्लंघन करती है।

60. ऊपर बताए गए प्रावधानों/कार्यों को रद्द करने के लिए अति अधिकार और प्रमाणपत्र के संबंध में घोषणात्मक राहतों के अलावा, कुछ अन्य राहतें भी हैं जिनकी मांग की गई है, जिनमें शामिल हैं:

(i) किसी राज्य की भौतिक स्वायत्तता के संबंध में उपयुक्त घोषणाएँ।

भारतीय राज्य में अपने शरीर के ऊपर व्यक्ति।

(ii) उत्तरदाताओं को अनिवार्य निर्देश जो आधार कार्यक्रम के साथ नामांकित व्यक्तियों को ऑप्ट आउट करने और उपयुक्त प्रमाणन के साथ डेटा को हटाने का विकल्प देने की आवश्यकता है।

अनुपालन।

(iii) सभी संबंधित प्राधिकरणों को अनिवार्य निर्देश कि आधार अधिनियम आदि को बरकरार रखा जाना चाहिए, फिर भी, प्रत्येक व्यक्ति को

सेवाओं, लाभों आदि का लाभ उठाने का हकदार होना चाहिए।

पहचान के वैकल्पिक साधन। नकारात्मक रूप से, एक नागरिक से कुछ भी केवल इसलिए नहीं रोका जा सकता है क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं है या वह अपने आधार कार्ड का उपयोग नहीं करना चाहता है।

(iv) निजता के मौलिक अधिकार और एक नागरिक के अधिकार के अनुरूप अनिवार्य निर्देश

इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण या उसके प्रमाणीकरण का रिकॉर्ड बनाए रखा जाना चाहिए।

61. उपरोक्त आधार पर, याचिकाकर्ता निम्नलिखित चुनौती के शीर्षों की ओर इशारा करते हैं:

निगरानी:

62. यह परियोजना व्यापक निगरानी के लिए वास्तुकला का निर्माण करती है और जब तक परियोजना को रोका नहीं जाता है, यह एक ऑरवेलियन राज्य की ओर ले जाएगी जहां नागरिक की हर गतिविधि पर लगातार नज़र रखी जाती है और उसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है।

राज्य। परियोजना की संरचना में एक केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी *(*सी. आई. डी. आर.*)* शामिल है जो प्रमाणीकरण को संग्रहीत और बनाए रखता है।

लेन-देन डेटा। प्रमाणीकरण रिकॉर्ड में प्रमाणीकरण का समय और अनुरोध करने वाली संस्था की पहचान शामिल होती है। इस वास्तुकला के आधार पर राज्य के लिए *[2018] 8* एस. सी. आर. के स्थान का पता लगाना संभव है।

प्रमाणीकरण की मांग पर। चूँकि अनुरोध करने वाली संस्था को भी सूचित किया जाता है, इसलिए नागरिक किस गतिविधि में संलग्न है, यह भी ज्ञात है।

निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघनः

63. निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन आधार सी. टी. और आधार अधिनियम द्वारा कई तरीकों से किया जाता है। निम्नलिखित हैं -

याचिकाकर्ताओं द्वारा दिया गया राशनः

(a) 2009-10 और जुलाई *2016* के बीच परियोजना ने व्यक्तिगत जनसांख्यिकी के साथ-साथ गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन किया।

बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र की गई, संग्रहीत की गई और साझा की गई क्योंकि इन कार्यों को अधिकृत करने वाला कोई कानून नहीं था। *(ख)* अधिनियम से पहले और अधिनियम के बाद की दोनों अवधियों के दौरान, परियोजना व्यक्तियों को जनसांख्यिकीय के साथ-साथ बायोमेट्रिक जानकारी को निजी रूप से साझा करने की आवश्यकता के द्वारा गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करना जारी रखती है।

नामांकन करने वाली एजेंसियाँ।

(ग) आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने के लिए निजी संस्थाओं को सक्षम करके

प्लेटफॉर्म, नागरिक के सूचनात्मक गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है क्योंकि नागरिक को अपने कार्यों की 'रिपोर्ट' करने के लिए मजबूर किया जाता है राज्य।

(घ) जहां कोई व्यक्ति राज्य से सब्सिडी, लाभ या सेवा का लाभ उठा रहा है, वहां भी आधार के माध्यम से अनिवार्य प्रमाणीकरण।

प्लेटफॉर्म *(*नागरिक को पहचान के वैकल्पिक तरीके का उपयोग करने के विकल्प के बिना*)* सूचनात्मक गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

(ङ) बैंक खाता रखने, सेल फोन चलाने, वैध पैन रखने, म्यूचुअल फंड रखने, स्कूल में प्रवेश प्राप्त करने, बोर्ड परीक्षा देने आदि के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने के साथ नागरिक के पास आधार प्राप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मजबूर करना। बायोमेट्रिक जानकारी के साथ भाग लेने वाला नागरिक व्यक्ति का उल्लंघन करता है

स्वायत्तता और गरिमा।

व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करता है। *(छ)* अलग-अलग डेटाबेस में आधार की सीडिंग एक व्यक्ति के बारे में जानकारी की सामग्री को सक्षम बनाती है जो एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

[ए. के. सिकरी, जे.]

एकत्रित किया जाए। यह राज्य को डेटा के अभिसरण के माध्यम से गोपनीयता का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की पूरी प्रोफ़ाइल बनाने में सक्षम बनाता है। सीमित सरकारः

64. संविधान की एक मूलभूत विशेषता संप्रभुता है।

सीमित सरकारी अधिकार वाले लोग। संविधान मानसिक प्राधिकार को विभिन्न तरीकों से सीमित करता है, जिनमें मौलिक अधिकार, राज्य के अंगों के बीच शक्तियों का वितरण और न्यायिक समीक्षा के माध्यम से अधिकार शामिल हैं। आधार परियोजना है

सीमित सरकार में सक्रिय। संविधान राज्य के अधिकार के बारे में नहीं है, बल्कि राज्य की शक्ति की सीमाओं के बारे में है। आर के बाद, राज्य पूरी तरह से नागरिक पर हावी हो जाएगा और नागरिक और राज्य के बीच की स्थिति को बदल देगा। एक अधिनायकवादी की विशेषताओं को निम्न से देखा जाता हैः

(क) कोई व्यक्ति इन गतिविधियों के बारे में राज्य को बताए बिना बैंक खाता चलाने, म्यूचुअल फंड में निवेश करने, सरकारी पेंशन प्राप्त करने, छात्रवृत्ति प्राप्त करने, खाद्य राशन प्राप्त करने, मोबाइल फोन चलाने जैसी नियमित गतिविधियों का संचालन नहीं कर सकता है। *(ख)* राज्य प्रमाणीकरण के परीक्षण के आधार पर व्यक्ति का एक प्रोफाइल बना सकता है जिससे नागरिक की गतिविधि की प्रकृति का पता चलता है।

निर्धारित किया जा सकता है।

(ग) आधार को निष्क्रिय करके राज्य नागरिक मृत्यु का कारण बन सकता है।

व्यक्ति।

(घ) हवाई यात्रा, रेल यात्रा, कंपनियों में निदेशक, सेवाओं जैसी अन्य गतिविधियों के लिए आधार को अनिवार्य बनाना और

राज्य सरकारों और नगर पालिकाओं द्वारा दिए गए लाभ निगमों आदि में वस्तुतः कोई गतिविधि क्षेत्र नहीं बचेगा जहां नागरिक राज्य की नजरों में न हो। यह होगा।

(च) यह सूचना के अधिकार के युग में जवाबदेही का व्युत्क्रम हैः राज्य के पारदर्शी होने के बजाय नागरिक, यह नागरिक है जो राज्य के लिए पारदर्शी है।

विवादित अधिनियम अवैध रूप से 'धन विधेयक' के रूप में पारित किया गयाः

65. 2016 का विधेयक संख्या *47* लोकसभा में पेश किया गया और जो पारित होने पर विवादित अधिनियम बन गया, भारत के संविधान के अनुच्छेद *110* के संदर्भ में धन विधेयक नहीं था। भले ही विवादित कानून के उद्देश्य और उद्देश्य में कहा गया है कि इसका उपयोग सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के वितरण के लिए किया जाना है, जिसके लिए खर्च है

भारत की संचित निधि से उपगत, विवादित का दायरा

अधिनियम अनुच्छेद *110* के तहत परिकल्पित से बहुत आगे है। चूंकि विवादित अधिनियम ने कानून को 'धन विधेयक' के रूप में प्रच्छन्न करके कानून को पारित करने के लिए अनिवार्य संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, इसलिए इस मामले में कोई वैध विधायी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। विधायी प्रक्रिया रंगीन होने के कारण और चूंकि न्यायिक समीक्षा का विस्तार जहां भी भाग *III* के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, आधार अधिनियम को निरस्त किया जा सकता है।

अपनाई गई प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद *14* और *21* का उल्लंघन करती है।

संविधानः

66. प्रत्यर्थियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया, अधिनियम से पहले और अधिनियम के बाद दोनों, मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद *14* और *21* का उल्लंघन है। संविधान क्योंकिः

*(*क*)* नामांकन के समय कोई सूचित सहमति नहीं है। व्यक्तियों को संभावित जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में नहीं बताया जाता है।

जानकारी का दुरुपयोग, जानकारी का वाणिज्यिक मूल्य, एक केंद्रीकृत डेटाबेस में जानकारी का भंडारण, कि

आपूर्ति की गई जानकारी का उपयोग अदालत के आदेश के अनुसार आपराधिक कार्यवाही में व्यक्ति के खिलाफ किया जा सकता है, कोई ऑप्ट-आउट विकल्प नहीं है, पूरी नामांकन प्रक्रिया निजी संस्थाओं द्वारा इसके बिना संचालित की जाती है।

कोई भी सरकारी पर्यवेक्षण, आदि।

*(*ख*)* यू. आई. डी. ए. आई. का नामांकन एजेंसी के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है।

जो संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करता है *(*बायोमेट्रिक और

जनसांख्यिकीय*)*।

*(*ग*)* सी. आई. डी. आर. में एकत्र और अपलोड किए गए आंकड़ों को यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा नामित किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया जाता है। एकत्रित और संग्रहीत डेटा में अखंडता का अभाव है।

*(*घ*)* नामांकन और प्रमाणीकरण के चरण में प्रक्रिया

नामांकन एजेंसी के साथ-साथ 'अनुरोध करने वाली संस्था' को बायोमेट्रिक के साथ-साथ जनसांख्यिकीय न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* को पकड़ने, संग्रहीत करने और दुरुपयोग/उपयोग करने में सक्षम बनाता है।

यू. आई. डी. ए. आई. के बिना ऐसी जानकारी पर कोई नियंत्रण नहीं है।
दुरुपयोग/उपयोग।

बायोमेट्रिक्स और बहिष्करण की अविश्वसनीयताः

विश्वसनीयता। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली एक संभाव्यता पर काम करती है। मॉडल।
नतीजतन, पात्रताओं को निश्चितता से एक मौका वितरण तक कम कर दिया जाता है जहां बायोमेट्रिक्स मेल खाते हैं। देश भर में कई लोग अपने अधिकारों को खो रहे हैं, जैसे कि खाद्य राशन, एक बायोमेट्रिक बेमेल के कारण जिसके परिणामस्वरूप उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से बाहर रखा जा रहा है। यह परियोजना एक 'पहचान' परियोजना नहीं है, बल्कि एक 'पहचान' अभ्यास है। जब तक बायोमेट्रिक्स काम नहीं करता है, तब तक राज्य के लिए मांस और रक्त में एक व्यक्ति मौजूद नहीं है।

अवैध वस्तुः *68.* यह
हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है कि एकल बनाने का उद्देश्य

समय के साथ व्यापक पहचान अपने आप में अवैध है। अवैधता के कई पहलू हैं और उनमें से एक नागरिक की अलग-अलग माध्यमों से पहचान करने की स्वतंत्रता का निषेध है। द जबरदस्ती विवादित अधिनियम की नींव वास्तव में एक अवैध उद्देश्य है जो क़ानून को भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* के अधिकार क्षेत्र से बाहर करता है।

लोकतंत्र, पहचान और विकल्पः

69. एक लोकतांत्रिक समाज में एक नागरिक या निवासी के पास आम तौर पर समाज में अपनी बातचीत के साथ-साथ राज्य के साथ अपनी बातचीत के दौरान विभिन्न तरीकों से खुद को पहचानने का विकल्प होता है। केवल एक अत्यधिक घुसपैठ के तरीके से पहचान को अनिवार्य करना अत्यधिक, असमान है और अनुच्छेद *14,19* और *21* का उल्लंघन करता है।

बच्चेः *70.*
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, बच्चों को शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है

विभिन्न कारणों से आधार कार्यक्रम में।

71. इस समय यह भी दर्ज किया जा सकता है कि जहां तक आधार अधिनियम का संबंध है, उसके निम्नलिखित प्रावधानों पर विशेष रूप से असंवैधानिक के रूप में हमला किया जाता हैः

(i) धारा *2 (*सी*)* और *2 (*डी*)*-प्रमाणीकरण और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड, धारा *32 [2018]* के साथ पढ़ें।

((ii) सी. आई. डी. आर. की धारा *10* के साथ पठित धारा *2 (*एच*)*

(iii) आधार की धारा *2 (1)* को विनियमन *23* के साथ पढ़ा जाता है *(*

और अद्यतन*)* विनियमन-'नामांकन एजेंसी'

(iv) धारा *2 (v)*-'निवासी'

(v) धारा *3*-आधार संख्या

(viii) धारा *7* *(ix)* धारा *8*

(x) धारा *9*

(xi) अध्याय *IV*-धारा *11* से *23*

(xii) धारा *23* और *54*-अत्यधिक प्रत्यर्पण

(xiii) आधार *(*नामांकन और अद्यतन*)* के अध्याय *VI* और *VII-R 27* से *32* के साथ पठित धारा *23 (2) (g)* पुनः *2016*

(xiv) धारा *29* *(xv)* धारा *33*

(xvi) धारा *47* *(xvii)* धारा *48*-केंद्र सरकार की शक्ति

यू. आई. डी. ए. आई.

(xviii) धारा *57*

(xix) धारा *59*

कुछ परिचयात्मक टिप्पणियां:

72. आगे बढ़ने से पहले, इन याचिकाओं में विभिन्न आई. एस. ई. डी. से निपटने के लिए जो हमने अपनाया है, उस पर दोषारोपण करना आवश्यक होगा। इससे यह समझने में मदद मिल सकती है कि किस मामले से निपटा गया है। इसके लिए कुछ इंट की आवश्यकता होती है

आरकेएस:

(i) हम इस स्तर पर ही टिप्पणी कर सकते हैं कि जिन पहलुओं पर ऊपर ध्यान दिया गया है, उनमें से कई अतिव्यापी हैं और, जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.*

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

एक पहलू पर चर्चा चुनौती के दूसरे शीर्ष के तहत भी दिए गए तर्कों के लिए पर्याप्त उत्तर प्रदान कर सकती है। इसलिए हमारा प्रयास होगा कि हम बार-बार होने वाली चर्चा से बचें। हालाँकि, स्पष्टता लाने की हमारी चिंता और किसी विशेष विषय पर चर्चा करते समय विचार की निरंतरता रखने के लिए, अलग-अलग स्थानों पर कुछ पुनरावृत्तियाँ हो सकती हैं। किसी भी मामले में, हम एक-एक करके चुनौती के विभिन्न शीर्षों से निपटेंगे, ताकि पूरे स्पेक्ट्रम को कवर किया जा सके।

((ii) चर्चा के सुचारू प्रवाह के लिए, हम इन सभी याचिकाओं में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को तैयार करने जा रहे हैं और फिर निर्णय लेंगे।

उन मुद्दों को। चूंकि, दोनों पक्षों की ओर से कई अधिवक्ता उपस्थित हुए, कई उनके द्वारा संबोधित तर्क अतिव्यापी और दोहराए जाने वाले थे। इस परिदृश्य में, हम सभी वकीलों की दलीलों को जोड़ना और प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा करते समय उन्हें प्रस्तुत करना उचित समझते हैं। इस प्रकार, इस प्रक्रिया में, हम प्रत्येक वकील और उसके तर्कों का उल्लेख नहीं करेंगे। हालाँकि, हम रिकॉर्ड पर रखने का इरादा रख सकते हैं कि दोनों पक्षों के सभी वकीलों ने शामिल जटिल मुद्दों की सभी संभावित बारीकियों को प्रस्तुत करके वकालत को अपने उच्चतम स्तर पर ले जाया था। इस प्रक्रिया में, दुनिया भर में प्रचलित कानून सहित ऐसे मुद्दों पर बहुत सारे साहित्य का हवाला दिया गया था। इसलिए हम इस मामले में कानून व्यवस्था की उदात्त प्रकृति की सराहना करते हैं।

(iii) जैसा कि ऊपर बताया गया है, बहस के दौरान कई विदेशी निर्णयों का हवाला दिया गया था। इस न्यायालय का इतिहास दर्शाता है कि

न्यायालय ने अन्य क्षेत्राधिकारों के संवैधानिक न्यायालयों की अच्छी प्रथाओं, व्याख्या के नियमों और मानदंडों को उदारता से स्वीकार किया है। वास्तव में, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करते समय, निर्माताओं ने विभिन्न विदेशी मॉडलों का अध्ययन किया था और गहन चिंतन के बाद विभिन्न संविधानों के प्रावधानों को अपनाया था। भारतीय संविधान पर कुछ देशों में प्रचलित प्रणाली के संवैधानिक प्रभावों को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता हैः

ब्रिटेन से

निचला सदन अधिक शक्तिशाली
निचले सदन के लिए जिम्मेदार मंत्रियों की परिषद

1 एस/श्री कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, पी. चिदंबरम, श्याम दीवान, के. वी. विश्वनाथन, नीरज किशन कौल, सी. यू. सिंह, आनंद ग्रोवर, संजय आर. हेगड़े, अरविंद पी. दातार, वी. गिरी, राकेश द्विवेदी, जयंत भूषण, साजन पूवय्या, पी. वी. सुरेंद्र नाथ, वरिष्ठ अधिवक्ता, के. के. वेणुगोपाल, भारत के अटॉर्नी जनरल, तुषार मेहता, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, गोपाल शंकरनारायणन और जोहेब हुसैन, अधिवक्ता।

लिखित संविधान

अमेरिका से

राष्ट्रपति के रूप में जाने जाने वाले राज्य के कार्यकारी प्रमुख और उनके सर्वोच्च कमांडर होने के नाते

सशस्त्र बल

राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति

अधिकारों का विधेयक

सुप्रीम कोर्ट

न्यायपालिका और न्यायपालिका की स्वतंत्रता

समीक्षा

प्रस्तावना

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को हटाना

न्यायाधीश

मौलिक कर्तव्य

यूएसएसआर से

पंचवर्षीय योजना

ऑस्ट्रेलिया से

- समवर्ती सूची

प्रस्तावना की भाषा

व्यापार, वाणिज्य और संबंधित प्रावधान

संभोग

जापान से

कानून जिस पर सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है

मौलिक अधिकारों का निलंबन

वाइमर

से

संविधान

से

आपातकाल

जर्मनी

एक मजबूत केंद्र के साथ संघ की योजना

कनाडा से

केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण और अवशिष्ट शक्तियों को स्थापित करना।
केंद्र के साथ

राज्यों के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा

आयरलैंड से

नीति

राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका

राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन

राष्ट्रपति द्वारा

इसलिए यह पता लगाना स्वाभाविक था कि किस तरीके से

उपरोक्त देशों के संवैधानिक न्यायालयों द्वारा विशेष प्रावधानों की व्याख्या की गई है। इस न्यायालय का मामला कानून अंतर-राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और वाणिज्य से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए इसे प्रतिबिंबित करेगा। संभोग '। ऑस्ट्रेलियाई उच्च न्यायालय के मामले कानून को उदारतापूर्वक संदर्भित किया जाता है क्योंकि यह अध्याय ऑस्ट्रेलियाई संविधान में निहित प्रावधानों से प्रभावित है। इसी तरह, 'संघ और राज्यों के बीच संबंध' पर संविधान के भाग *IX* के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

जहाँ कनाडाई मॉडल का पालन किया जाता है, वहाँ इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर कनाडाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला दिया गया है। अमेरिकी संविधानवाद का प्रभाव, भारत के अपने संरक्षण की इच्छा से शांत

टी एफ

मौलिक अधिकारों से संबंधित अध्याय की व्याख्या करने के साथ-साथ न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी स्पष्ट है। इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का एक आलोचनात्मक विश्लेषण, जिसमें विदेशी उदाहरणों का हवाला दिया गया है, उपयोग के चार प्रकारों को तैयार करता है, अर्थात्:

एफ.

(क*)* जहाँ न्यायालय सामान्य संवैधानिक सिद्धांतों पर मार्गदर्शन के लिए विदेशी उदाहरणों पर निर्भर करता है और जब आवश्यक हो;

(ख) जहां न्यायालय निर्णय के लिए और/या मूल्यांकन परीक्षण और रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रस्तुत मुद्दे को तैयार करता है;

(ग) देश के संदर्भ को विदेशी संदर्भ से अलग करना।

(घ) संविधान में निहित या असंकलित अधिकारों को 'पढ़ना'।

यह कहा जा सकता है कि यद्यपि यह न्यायालय अन्य देशों के संवैधानिक न्यायालयों के निर्णयों पर उदारतापूर्वक भरोसा करता रहा है,

विशेष रूप से जब मानवाधिकारों के विमर्श की बात आती है, तो साथ ही, कुछ स्थितियों में, यह संदेश देने के लिए सावधानी भी जोड़ी जाती है कि अन्य क्षेत्राधिकार के निर्णय पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया जा सकता है और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कोई विशेष निर्णय भारतीय संदर्भ में फिट होगा या नहीं। वास्तव में, बशेशर नाथ मामले में, न्यायालय ने संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू छूट के सिद्धांत पर चर्चा की और इसे दृढ़ता से यह कहते हुए खारिज कर दिया किः

1

जी

..... अमेरिकी संविधान के अर्थ में कुछ अमेरिकी न्यायाधीशों द्वारा प्रतिपादित छूट के सिद्धांत को हमारे संविधान में पेश नहीं किया जा सकता है। हम अभी इस बात से आश्वस्त नहीं हैं कि इस सिद्धांत की प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अर्थ में कोई प्रासंगिकता है।

एस.

संविधान के भाग *III* द्वारा "।

इसके विपरीत, रोमेश थापर में, न्यायालय ने मुक्त प्रसार को प्रतिबंधित करने वाले कानून को रद्द करने के अपने फैसले को पूरी तरह से आधारित किया।
दो अमेरिकी उदाहरणों पर समाचार पत्र, एक्स पार्टी जैक्सन और लवेल बनाम।

ग्रिफिन *1 2* का शहर, और पुष्टि की कि स्वतंत्रता का संरक्षण

8 थिरुवेंगडम, भारत और सिंगापुर में संवैधानिक मामलों में विदेशी कानून का उपयोग *(2010)*

' बशेशर नाथ बनाम। आयकर आयुक्त, दिल्ली और राजस्थान और अन्र। , *1959* पूरक *(1)* एस. सी. आर. *528*
10 रोमेश थापर बनाम। मद्रास राज्य, *1950* एस. सी. आर. *594 11* एक्स पार्ट जैक्सन, *96* यू. एस. *727 (1878)*।

1 2 लवेल बनाम। ग्रिफिन शहर, *303* यूएस *444 (1938)*।

भारत में अभिव्यक्ति मैडिसन के सिद्धांत का पालन करती है कि न्यायालय

नियर वी में इसके उद्धरण से स्थानांतरित। मिनेसोटा *1 3*, जिसके अनुसार 'इसकी कुछ हानिकारक शाखाओं को उनके शानदार विकास के लिए छोड़ना बेहतर है, बजाय इसके कि उन्हें काटकर, उचित फल देने वालों की शक्ति को चोट पहुँचाई जाए'। इसी तरह, परम पूज्य केशवानंद के निर्णय में बहुमत की राय में विदेशी उदाहरणों की भूमिका की पुष्टि होती है

भारती श्रीपदगलवरु जो संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को स्पष्ट करता है। इसके साथ ही, इस फैसले में विदेशी उदाहरणों के उपयोग को देखते हुए, न्यायमूर्ति एस. एम. सीकरी *(*जैसा कि उस समय उनका प्रभुत्त्व था*)* ने संविधान के अनुच्छेद *368* की व्याख्या से संबंधित, सबसे पहले, इस बात पर प्रकाश डाला किः

"दुनिया का कोई और संविधान हमारे जैसा नहीं है। कोई और नहीं।
संविधान अपने पंखों के नीचे ऐसे विविध लोगों को जोड़ता है,

इनकी संख्या अब *550* मिलियन से अधिक है *[*एस. आई. सी.*]*
भाषाएँ और धर्म और आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में

विकास, एक राष्ट्र में, और किसी अन्य राष्ट्र का सामना नहीं करना पड़ता है

ऐसी विशाल सामाजिक-आर्थिक समस्याएं।
हालाँकि, इस आधार के बाद, उनका प्रभुता स्वीकार करता है, ताकि

परिभाषित करें कि भारतीय संविधान के अनुसार 'संशोधन' क्या है, बिडी बनाम में लॉर्ड ग्रीन का तर्क। सामान्य दुर्घटना, अग्नि और जीवन आश्वासन निगम *1 4* और टाउन बनाम में न्यायमूर्ति होम्स का। ईसनर *1 5*, जो पुष्टि करता है कि एक शब्द को समझने के लिए यह आवश्यक है

उस संदर्भ को समझें जिसमें इसे डाला गया है। इसे मजबूत करने के लिए, जेम्स बनाम। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल *1 6* को भी संदर्भित किया जाता है।

हमने इस प्रवृत्ति को एक उद्देश्य के साथ संक्षेप में बताया है। की संख्या

यू. के. न्यायालयों, जर्मन सर्वोच्च न्यायालय, यूरोपीय मानवाधिकार आयोग *(*ई. सी. एच. आर.*)*, यू. एस. सर्वोच्च न्यायालय आदि के निर्णय थे

उद्धृत किया गया। हालाँकि, अलग-अलग सिद्धांतों को लागू करके किसी विशेष मुद्दे पर निर्णय लेने में इन न्यायालयों के दृष्टिकोण में कोई समानता नहीं है, विशेष रूप से जब डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दों की बात आती है। इसमें इस पृष्ठभूमि में, इन निर्णयों का उल्लेख करते समय, इस देश के लोकाचार, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और विशाल सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को ध्यान में रखना और उस आधार पर किसी विशेष मानदंड को स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है, या

13 13 वी के पास। मिनेसोटा, *282* यूएस *607 (1931) 717-18*।

14 1 4 बिडी बनाम। सामान्य दुर्घटना, अग्नि और जीवन आश्वासन निगम *(1948) 2* सभी ई. आर. *995,998*।

15 टाउन वी। ईसनर, *245* यू. एस. *418*। *16* जेम्स वी. ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल, *(1936)* ए. सी. *578*।

अपनी प्रकृति से, संभावित है और इसलिए, इसके परिणामस्वरूप कई मामलों में बहिष्कार हो सकता है। इसलिए, समाज के उस वर्ग को सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का विस्तार करने के बजाय, जिसके लिए ये हैं, इसके पास हो सकता है उन्हें ऐसी सब्सिडी, लाभ और सेवाएं प्राप्त करने से बाहर करने की प्रवृत्ति। दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों ने शपथ पत्र पर कहा है कि प्रत्यर्थियों का प्रयास यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति जो इस तरह के लाभों आदि के लिए पात्र है, उन लाभों को प्राप्त करने से वंचित न रहे, भले ही किसी विशेष मामले में, यह पाया जाता है कि प्रमाणीकरण पर, उसके उंगलियों के निशान या आईरिस मेल नहीं खा रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप विफलता हो रही है। यह.

यह स्पष्ट किया गया कि चूंकि आधार परियोजना एक चालू परियोजना है, इसलिए इसके काम में कुछ खामियां हो सकती हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए सुधार करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि यह समय के साथ पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए। हमने उन तर्कों के संबंध में विस्तृत चर्चा को छोड़ दिया है, जिनकी अधिनियम और योजना की संवैधानिक वैधता का निर्णय करते समय बहुत अधिक प्रासंगिकता नहीं हो सकती है। हालांकि, अनुच्छेद *14* और *21* के उल्लंघन की ओर ले जाने वाले बहिष्करण आदि के ऐसे तर्कों से उचित स्तर पर निपटा जाता है। लेकिन प्राधिकरण/भारत संघ द्वारा कुछ कार्यक्रमों के संबंध में बचत के कथित गलत दावों पर आधारित तर्क, जैसे कि आधार परियोजना के कारण प्रति वर्ष *11* अरब अमेरिकी डॉलर की बचत, साथ ही मनरेगा योजना, एलपीजी सब्सिडी, पीडीएस बचत के कार्यान्वयन में बचत, हमें लंबे समय तक रोकने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक अधिनियम के कार्यकरण का संबंध है, याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए इस तरह के खंडन प्रासंगिक हो सकते हैं। यह अपने आप में क़ानून को अमान्य करने का आधार नहीं हो सकता है।

(v) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दोनों पक्षों में समान रूप से उत्पन्न भावनाओं और भावनाओं के बावजूद, इस न्यायालय ने एक प्रतिबंध को अपनाया है।

उठाए गए मुद्दों से निपटने के दौरान दृष्टिकोण, संवैधानिक प्रावधानों की कसौटी पर मुद्दों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा के साथ शांति की मुद्रा रखना। हम संवैधानिक लोकतंत्र के युग में हैं, वह भी ठोस और उदार लोकतंत्र के युग में। ऐसा लोकतंत्र केवल अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों के शासन पर आधारित नहीं है जिसे "औपचारिक लोकतंत्र" के रूप में जाना जाता है। इसमें कानून का शासन, मानवाधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों का पृथक्करण आदि जैसे अन्य नियम भी हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने विधिवत सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट प्रस्तुत की

कानून के शासन के साथ एक महत्वपूर्ण और मौलिक स्तंभ के रूप में उदार और मूल लोकतंत्र के उपरोक्त उपदेशों को मान्यता दी। साथ ही, संविधान की योजना में, यह न्यायपालिका है जिसे कानून के शासन को बनाए रखने और संविधान की रक्षा करने की भूमिका सौंपी गई है और

लोकतंत्र।

कानून के शासन का सार मनमानी कार्रवाई को रोकना है। कानून के शासन का प्रतिपादन करने वाले डाइसी ने इस अवधारणा को विशिष्ट अर्थ दिया

और समझाया कि यह तीन प्रकार की विशेषताओं पर आधारित था, जो इस प्रकार हैं:

कानून के शासन के तीन पहलू हैं, जो इस प्रकार हैं:
(क) एक औपचारिक पहलू जिसका अर्थ है कानून का शासन बनाना।

इन आवश्यकताओं को सामूहिक रूप से 'कानून की आंतरिक नैतिकता' के रूप में वर्णित किया गया है। न्यायशास्त्र की अवधारणा के अलावा, जो कानून के शासन के लिए महत्वपूर्ण और एक आवश्यक शर्त है, कानून के शासन की मूल अवधारणा वास्तविक अर्थों में कानून के शासन का समान रूप से महत्वपूर्ण और अविभाज्य मानदंड है। इसमें प्रस्तावित कानून के शासन की सही अवधारणा शामिल है ड्वोर्किन। इसका अर्थ है नैतिकता, न्याय और मानवाधिकारों के मौलिक मूल्यों की गारंटी देना, इन और समाज की अन्य आवश्यकताओं के बीच उचित संतुलन के साथ। इज़राइल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अहरोन बराक ने कानून के शासन के इस पहलू को निम्नलिखित में स्पष्ट रूप से समझाया है:

तरीका -

"कानून का शासन केवल सार्वजनिक व्यवस्था नहीं है, कानून का शासन सार्वजनिक व्यवस्था पर आधारित सामाजिक न्याय है। उचित सामाजिक जीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून मौजूद है। हालाँकि, सामाजिक जीवन अपने आप में एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(आर. ई. टी. डी.)* बनाम है।

भारत संघ *[ए. के. सिकरी, जे.]*

इसका अर्थ है व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने और खुद को विकसित करने की अनुमति देना। मानव और मानवाधिकार इस मूल आधार पर हैं।
विभिन्न अधिकारों और मानवाधिकारों और उचित आवश्यकताओं के बीच उचित संतुलन के साथ कानून के शासन की धारणा

समाज से। कानून का मूल शासन "उचित कानून का शासन है, जो समाज और व्यक्ति की जरूरतों को संतुलित करता है"। यह कानून का शासन है जो एक ओर समाज की राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक समानता, आर्थिक विकास और आंतरिक व्यवस्था की आवश्यकता और दूसरी ओर व्यक्ति की जरूरतों, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसकी मानवीय गरिमा के बीच संतुलन बनाता है। न्यायाधीश ने

कानून के शासन की इस समृद्ध अवधारणा की रक्षा करनी चाहिए।

'कानून का शासन', जो एक अच्छा सुरीला वाक्यांश है, गतिशील और निरंतर विस्तार करने वाला है और इसे मनुष्य, मानव के भाईचारे के साथ रखा जा सकता है। अधिकार और मानव गरिमा। कानून के आधुनिक शासन के बारे में, प्रोफेसर गार्नर ने कहाः

और इसका कोई न कोई उद्देश्य अवश्य पूरा होना चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन समाज में रहने के लिए उसे अपने लिए और अपने हित में कानून और सरकार के अन्य उपकरणों को तैयार करना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता कुछ हद तक सीमित होनी चाहिए। समस्या यह है कि कानून के शासन के अनुसार और सरकार के हित में सरकार के उन साधनों को कैसे नियंत्रित किया जाए।

शासित "।

इसी तरह, हमारे संविधान की मूल भावना राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को एक मानव के रूप में विकसित होने का समान अवसर प्रदान करना है

नस्ल, जाति, धर्म, समुदाय और सामाजिक स्थिति के बावजूद। ग्रैनविल ऑस्टिन ने पहले *50* वर्षों में भारतीय संविधान के कामकाज का विश्लेषण करते हुए भारतीय संविधान के तीन विशिष्ट क्षेत्रों का वर्णन किया है। संविधानः *(i)* राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा करना, *(ii)* लोकतंत्र की संस्था और भावना की स्थापना करना और *(iii)* सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना। स्ट्रैंड्स पारस्परिक रूप से निर्भर हैं और अटूट रूप से आपस में जुड़े हुए हैं जिसे वह एक 'निर्बाध वेब' के रूप में वर्णित करते हैं। और जब तक यह सुनिश्चित नहीं किया जाता है कि इस देश का प्रत्येक नागरिक अपनी क्षमता का अधिकतम दोहन करने में सक्षम हो, तब तक सामाजिक सुधार नहीं हो सकते। संविधान, हालांकि संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, भारत के लोगों के लिए था और यही कारण है कि यह लोगों द्वारा खुद को दिया जाता है

"हम लोग" प्रारंभिक शब्दों में व्यक्त किया गया।

सबसे अधिक *[2018] 8* एस. सी. आर. क्या है*?*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस संविधान द्वारा आम आदमी को दिया गया उपहार है -विलापात्मक अधिकार "जिसे मानवाधिकार भी कहा जा सकता है।

अटाका और अन्र राज्य में हमारे संस्थापकों के दृष्टिकोण के लिए बोलते हुए। वी. श्री रंगनाथ रेड्डी और *Anr.*[17] *17*, इस दरबार के राजा ने न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के माध्यम से कहाः

"संविधान का सामाजिक दर्शन रचनात्मक न्यायिक दृष्टि और अभिविन्यास को आकार देता है। हमारे राष्ट्र के पास अपने गतिशील सिद्धांत के रूप में,

आर्थिक लोकतंत्र बिना किसी राजनीतिक लोकतंत्र के है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा संविधान, भाग *III* और *IV* और अन्य जगहों पर, ऐसी मूल्य प्रणाली का समर्थन करता है, और इस मामले में बहस ठीक इसी आत्मा को खतरे में डालती है। यदि भाग *III* और भाग *IV* का संश्लेषण राज्य की कार्रवाई और अदालत को प्रभावित करने के लिए है तो सामाजिक न्याय की द्वंद्वात्मकता को नहीं छोड़ना चाहिए।

घोषणाएँ। संवैधानिक समस्याओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता है सामाजिक-आर्थिक शून्यता, क्योंकि सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन नए मूल्यों का स्रोत हैं, और पुराने कानूनी विचारों को हटाना नई समानता से भरी वैधता की प्रक्रिया का हिस्सा है। एक न्यायाधीश संवैधानिक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी भूमिका में एक सामाजिक वैज्ञानिक होता है और यदि वह अपने जटिल कर्तव्यों में इस आयाम को भूल जाता है तो वह कार्यात्मक रूप से विफल हो जाता है।

दत्तात्रेय गोविंद महाजन बनाम। महाराष्ट्र राज्य *1 8* द

हमारे संविधान की व्याख्या इस प्रकार की गई थीः

"हमारा संविधान नियति के साथ एक प्रयास है, जिसकी प्रस्तावना 'न्याय-सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक' शब्दों में स्पष्ट गंभीरता के साथ है। सरकार की तीन महान शाखाओं को, संविधान के निर्माताओं के रूप में, इस वादे को अपनी मौलिक भूमिका में याद रखना चाहिए और इसे अपने जोखिम पर भूल जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना उन चुने हुए उच्च मूल्यों और लक्ष्यों के साथ विश्वासघात होगा जो इस राष्ट्र ने अपने उद्देश्यपूर्ण संकल्प में अपने लिए निर्धारित किए हैं और जिनका विस्तृत सारांश सर्वोच्च पार्चमेंट के भाग *IV* में दिखाई देता है। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास सामाजिक-आर्थिक शोषण की ताकतों और वंचितों के बीच की लड़ाई की कहानी थी

विभिन्न स्तरों के लोग और संविधान राष्ट्र की नई दृष्टि निर्धारित करते हैं। एक बार जब हम संविधान के धर्म को समझ लेते हैं, तो न्यायनिर्णयन के कर्म का नया अभिविन्यास स्पष्ट हो जाता है। हमारे संस्थापकों ने, हमारी सामाजिक वास्तविकताओं से अवगत होकर, हमारी लड़ाई की आस्था को गढ़ा और न्याय को इसके सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में एकीकृत किया।

77) 4 एस. सी. सी. *471*

 # 7) 2 एस. सी. सी. *548* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

राजनीतिक पहलू। लेखों के अर्थ पर विचार करते हुए
जैविक कानून के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय सामाजिक न्याय को अस्वीकार नहीं करेगा।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम। अरुणाचल प्रदेश राज्य *1*, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे फिर से इस प्रकार समझायाः

"हम कानून के शासन द्वारा शासित देश हैं। हमारा संविधान प्रत्येक मनुष्य को कुछ अधिकार और नागरिकों को कुछ अन्य अधिकार प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का अधिकार है।

इस मामले को इस दृष्टिकोण से देखते हुए, जब न्यायपालिका को कानून के शासन को बनाए रखने की भूमिका सौंपी जाती है, तो न्यायपालिका का पहला कार्य है - लोकतंत्र के साथ-साथ संविधान की भी रक्षा करना। साथ ही, न्यायालय की दूसरी भूमिका, जो उतनी ही महत्वपूर्ण है, इस अंतर को पाटना है

कानून और समाज के बीच। इस भूमिका को निभाने की प्रक्रिया में, एक तीसरी भूमिका भी सामने आती है, जिसका समान महत्व है। न्यायपालिका है यह भी सुनिश्चित करना कि राज्य की सकारात्मक कार्रवाई से योग्य लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिले। हमारा प्रयास प्रतिस्पर्धी संवैधानिक मानदंडों

के संतुलन का प्रयास करना रहा है। जटिल मुद्दों को संविधान द्वारा सौंपी गई सर्वोच्च न्यायालय की इस भूमिका को ध्यान में रखते हुए निपटाया जाता है, भले ही वे संवैधानिक मानदंडों के भीतर हों।

न्यायिक समीक्षा का क्षेत्रः

73. उपरोक्त चर्चा हमें एक अन्य सूत्र पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा।

74. न्यायिक समीक्षा का अर्थ है कानून की सर्वोच्चता। यह शक्ति है।

विधायिका, कार्यपालिका और स्वयं न्यायपालिका के कार्यों की समीक्षा करने और किसी भी कानून या कार्रवाई की वैधता की जांच करने के लिए। यह एक संवैधानिक लोकतंत्र में पोषित स्वतंत्रताओं की रक्षा और संरक्षण और शक्तियों के पृथक्करण और कानून के शासन जैसे सिद्धांतों को बनाए रखने के सबसे प्रभावी साधनों में से एक के रूप में उभरा है। न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा के माध्यम से, अन्य शाखाओं के निर्णयों को संवैधानिक मूल्यों पर प्रभाव डालने से रोकती है। संविधान की मौलिक प्रकृति यह है कि यह एक सीमित दस्तावेज है, जो राज्य का अपहरण करने से बहुसंख्यकवाद की शक्तियों को कम करता है। समीक्षा की शक्ति वह कवच है जिसे सर्वोच्च दस्तावेज़ की सुरक्षा को सक्षम करने के लिए संवैधानिक लोकतंत्रों की अधिकांश न्यायपालिकाओं के हाथों में रखा जाता है।

19 (1996) 1 एससीसी *742 [2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

75. बिनॉय विश्वम बनाम। भारत संघ और *Ors.20,* न्यायिक का दायरा

विधायी अधिनियम का वर्णन निम्नलिखित तरीके से किया गया थाः

" 76. संविधान के तहत, सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालयों को न केवल न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है कार्यपालिका के प्रशासनिक कार्य लेकिन विधायी अधिनियम

विधायिका द्वारा भी पारित। यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद *226* के तहत उच्च न्यायालयों और अनुच्छेद *32* के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद *136* के तहत सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। साथ ही, जिन मापदंडों पर प्रशासनिक अधिनियम की न्यायिक समीक्षा की शक्ति शुरू की जानी है, वे उन मापदंडों से अलग हैं जिन पर विधायी अधिनियम की वैधता होनी है।

जाँच की गई। निस्संदेह, विधायी कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय या उस मामले के लिए, उच्च न्यायालय संसद या राज्य द्वारा पारित कानून घोषित कर सकते हैं।

विधानमंडल अमान्य है। हालाँकि, संघ या राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित प्राथमिक विधान को निरस्त करने की शक्ति सीमित आधारों पर है। अदालतें या तो इस आधार पर कानून को रद्द कर सकती हैं कि यह शक्तियों के संघीय वितरण के खिलाफ है या यह भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों या अन्य संवैधानिक अधिकारों/प्रावधानों का उल्लंघन करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चूंकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को संविधान की व्याख्या से जुड़े सभी मामलों में अंतिम मध्यस्थ के रूप में माना जाता है,

इसलिए यह अदालतें हैं जो अधिकारों से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय लेती हैं और क्या इस तरह के अधिकार का उल्लंघन किया गया है या नहीं। उपरोक्त कथन का आधार संविधान के अनुच्छेद *13 (2)* में निहित है जो राज्य को "कोई भी कानून बनाने से प्रतिबंधित करता है जो अधिकार को छीनता है या कम करता है।

मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए भाग *III* द्वारा प्रदान किया गया। यह.

स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसके उल्लंघन में बनाया गया कोई भी कानून,

उल्लंघन की सीमा तक, शून्य हो। *77.* हम इस स्तर पर संविधान के अनुच्छेद *372* पर भी ध्यान दे सकते हैं जो पूर्व-संवैधानिक कानूनों पर लागू होता है। अनुच्छेद *372 (1)* इस प्रकार हैः

"372. मौजूदा कानूनों के बल में निरंतरता और उनका अनुकूलन। — *(1)* इस संविधान द्वारा अनुच्छेद *395* में निर्दिष्ट अधिनियमों के निरसन के बावजूद, लेकिन इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन, भारत के क्षेत्र में लागू सभी कानून

7) 7 एस. सी. सी. *59* एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

जब तक किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा परिवर्तित या निरस्त या संशोधित नहीं किया जाता है विधायिका या अन्य सक्षम प्राधिकारी।

विधान की न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में, यह प्रावधान एक संकेत देता है कि संविधान के प्रारंभ से पहले लागू किए गए सभी कानूनों का न्यायालयों द्वारा संविधान के प्रावधानों के अनुपालन के लिए परीक्षण किया जा सकता है। ऐसी शक्ति को इस न्यायालय द्वारा भारत संघ बनाम में मान्यता दी गई है। *SICOM Ltd.* उस फैसले में, यह भी कहा गया था कि चूंकि अनुच्छेद *372* के अनुसार "कानून" शब्द में सामान्य कानून शामिल है, इसलिए कानून की न्यायिक समीक्षा की शक्ति, जो संविधान से पहले भारत में लागू सामान्य कानून का एक हिस्सा है।

लागू हुआ, भारतीय अदालतों में निहित रहना जारी रहेगा।

78. ..... न्यायिक समीक्षा की इन रूपरेखाओं को राकेश कोहली में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है, और विशेष रूप से निम्नलिखित मेंः परिच्छेदः *(* एससीसी पीपी। *321-22 & 325-27* , पैरा *16-17,26-28 & 30)*

" 16. संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित क़ानून को हल्के में असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय को किसी भी संदेह से परे यह ठहराने में सक्षम होना चाहिए कि

संवैधानिक प्रावधान इतने स्पष्ट थे कि विधायी

चुनौती के तहत प्रावधान खड़ा नहीं हो सकता है। संवैधानिक प्रावधानों के स्पष्ट उल्लंघन के बिना, संसद द्वारा बनाए गए कानून या

राज्य विधानमंडल को खराब घोषित नहीं किया जाता है।

17. इस न्यायालय ने बार-बार कहा है कि विधायी अधिनियम को न्यायालय द्वारा केवल दो आधारों पर निरस्त किया जा सकता है, अर्थात् *(i)*

कि उपयुक्त विधायिका के पास क्षमता नहीं है कानून बनाने के लिए, और *(ii)* कि यह *(*एस. आई. सी.*)* दूर नहीं करता है या

संविधान के भाग *III* या किसी अन्य संवैधानिक प्रावधानों में उल्लिखित किसी भी मौलिक अधिकार को कम करें। मैकडॉवेल एंड कंपनी में एक चुनौती से निपटने के दौरान

अनुच्छेद *14* के आधार पर अधिनियम, इस न्यायालय ने अनुच्छेद *14* के पैरा *43* में कहा

रिपोर्ट इस प्रकार हैः *(* एससीसी पीपी। *737-38)*

'43 . ..... संसद या विधायिका द्वारा बनाया गया कानून हो सकता है -

न्यायालय द्वारा दो आधारों और केवल दो आधारों पर निरस्त किया गया। *(1)* विधायी क्षमता की कमी, और *(2)* किसी का उल्लंघन

भाग *III* में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का

संविधान या किसी अन्य संवैधानिक प्रावधान का।

किसी अधिनियम को अमान्य करने से पहले दुर्बलता का पता लगाना होता है। किसी अधिनियम को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि अदालत इसे अनुचित समझती है। संसद और विधानसभाएँ, गठित चूंकि वे जनता के प्रतिनिधियों में से हैं, इसलिए उन्हें लोगों की जरूरतों और उनके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, के बारे में पता होना चाहिए और जागरूक होना चाहिए। अदालत उनके विवेक पर फैसले में नहीं बैठ सकती।

XX

XX

XX

26. मोहम्मद में। हनीफ कुरेशी, संविधान पीठ ने आगे कहा कि किसी अधिनियम की संवैधानिकता के पक्ष में हमेशा एक धारणा होती है और यह दिखाने का बोझ उन पर है, जो इस पर हमला करते हैं कि संवैधानिक सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। रिपोर्ट के पैरा *15* में कहा गया हैः *(* एयर पीपी। *740-41)*

'15 . ..... यह स्वीकार किया जाता है कि अदालतों को यह मान लेना चाहिए कि विधायिका अपने लोगों की जरूरतों को समझती है और सही ढंग से सराहना करती है, कि उसके कानून अनुभव द्वारा प्रकट की गई समस्याओं के लिए निर्देशित हैं और इसके भेदभाव पर्याप्त आधारों पर आधारित हैं। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि

विधायिका नुकसान की मात्रा को पहचानने के लिए स्वतंत्र है और अपने प्रतिबंधों को उन मामलों तक सीमित कर सकती है जहां आवश्यकता को स्पष्ट माना जाता है और अंत में संवैधानिकता के अनुमान को बनाए रखने के लिए न्यायालय सामान्य ज्ञान के मामलों, सामान्य रिपोर्ट के मामलों, समय के इतिहास पर विचार कर सकता है और उन तथ्यों की हर स्थिति को मान सकता है जिनकी कल्पना कानून के समय की जा सकती है।

27. उपरोक्त कानूनी स्थिति को दोहराया गया है

इस न्यायालय की संविधान पीठ ने महांत मोती दास बनाम. एस. पी. साही।

सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

28. हमरद दवाखाना बनाम। भारत संघ, अन्य बातों के साथ,

इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड और महांत मोती दास, में यह देखा गया था रिपोर्ट का पैरा *8* इस प्रकार हैः *(* हमदरद दावा मामला,

एयर पी। *559)*

'8. इसलिए, जब किसी अधिनियम की संवैधानिकता है

में से किसी भी लेख के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई

संविधान का भाग *III*, इसकी वास्तविक प्रकृति का निर्धारण

और चरित्र आवश्यक हो जाता है अर्थात उसका विषय-पदार्थ,

जिस क्षेत्र में इसे संचालित करने का इरादा है, उसका उद्देश्य और इरादा तय करना पड़ता है। ऐसा करने के लिए यह लेना वैध है

विधान के इतिहास जैसे सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए,

इसका उद्देश्य, आसपास की परिस्थितियाँ और

परिस्थितियाँ, वह शरारत जिसे वह दबाने का इरादा रखता था,

हमरद दावा में, अदालत ने भी इसका पालन किया महांत मोती दास और पहले दोनों में कानून का बयान

निर्णय, अर्थात्, चरणजीत लाल चौधरी बनाम। संघ का

भारत और बॉम्बे राज्य बनाम। एफ. एन. बलसारा और दोहराया सिद्धांत कि अनुमान हमेशा के पक्ष में था

किसी अधिनियम की संवैधानिकता।

XX

XX

XX

30. एक सर्वविदित सिद्धांत कि कराधान के क्षेत्र में,

विधायिका को वर्गीकरण के लिए अधिक अक्षांश प्राप्त है,

निर्णय स्टीलवर्थ लिमिटेड बनाम हैं। असम राज्य *[स्टीलवर्थ]* लिमिटेड वी. असम राज्य, *1962* पूरक *(2)* एससीआर *589]*, गोपाल नारायण

वी. यू. पी. राज्य *[*गोपाल नारायण बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. *1964*

एस. सी. *370]*, गंगा शुगर कार्पोरेशन। लिमिटेड वी. यू. पी. राज्य *[*गंगा

शुगर कॉर्प. लिमिटेड वी. उत्तर प्रदेश राज्य *(1980) 1* एस. सी. सी. *223: 1980*

एस. सी. सी. *(*कर*) 90]*, आर. के. गर्ग बनाम। भारत संघ *[*आर. के. गर्ग बनाम।

भारत संघ, *(1981) 4* एस. सी. सी. *675: 1982* एस. सी. सी. *(*कर*) 30]* और

राज्य डब्ल्यू. बी. वी. *E.I.T.A.* इंडिया लिमिटेड. *[*राज्य डब्ल्यू. बी. बनाम। *E.I.T.A*।

इंडिया लिमिटेड *(2003) 5* एस. सी. सी. *239] "*

(मूल में जोर*)*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

XX

XX

XX

83. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए,

भारतीय अदालतों को प्राथमिक को निरस्त करने की शक्तियां दी गई हैं
संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित विधान।

हालांकि, न्यायिक समीक्षा की इस कवायद को करते हुए,
यही काम तीन स्तरों पर किया जाना है। पहले चरण में, न्यायालय ने

इस बात की जांच करेंगे कि क्या किसी विधान में आक्षेपित प्रावधान है
मौलिक अधिकारों या संवैधानिक अधिकारों के साथ संगत है

प्रावधान *(*मूल न्यायिक समीक्षा*)* या यह संघीय कानून का उल्लंघन करता है।

शक्तियों का वितरण *(*प्रक्रियात्मक न्यायिक समीक्षा*)*। अगर नहीं मिला तो

ऐसा करने के लिए, आगे किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं है क्योंकि चुनौती विफल हो जाएगी।
उस पर

विधिबद्ध विषय में निर्दिष्ट शक्तियों के भीतर नहीं था
अनुसूची *VII* में सूचीबद्ध करें, आगे किसी जांच की आवश्यकता नहीं है और ऐसा कानून

इसे संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किया जाना है। हालांकि, इस दौरान

ठोस न्यायिक समीक्षा करना, यदि यह पाया जाता है कि

विवादित प्रावधान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होता है

समीक्षा। जाँच के इस दूसरे चरण में, न्यायालय को माना जाता है
यह अभ्यास करने के लिए कि क्या विवादित प्रावधान

इसे पढ़कर अभी भी बचाया जा सकता है ताकि इसे अनुरूपता में लाया जा सके

संवैधानिक प्रावधानों के साथ। अगर यह संभव नहीं है तो

जाँच तीसरे चरण में प्रवेश करती है। यदि आक्षेप करने वाला भाग

कानून विच्छेद योग्य है, इसे विच्छेदित किया जाता है और न्यायालय इसे निरस्त कर देता है

उसी को असंवैधानिक घोषित करने वाला प्रावधान "।
76. उपरोक्त प्रस्ताव के समर्थन में कि एक अधिनियम

संसद को केवल उपरोक्त दो आधारों पर अमान्य किया जा सकता है।

विभिन्न निर्णयों से *2 1* निकाला गया। न्यायालय ने ए. पी. और अन्य राज्यों की टिप्पणियों को भी नोट किया। वी. एम. सी. डी. ओ. डब्ल्यू. ई. एल. एंड कंपनी और *Ors.22* जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उपरोक्त दो आधारों के अलावा, किसी भी कानून के टुकड़े को मान्य करने के लिए कोई तीसरा आधार उपलब्ध नहीं है। इस प्रक्रिया में, यह आगे नोट किया गया कि राजबाला और ओआरएस में। वी. हरियाणा राज्य और *Ors.23 (*जो एम. सी. डी. ओ. डब्ल्यू. ई. एल. एंड कंपनी मामले का अनुसरण करता है*)*, अदालत ने माना कि

विधान को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है कि यह 'मनमाना' है क्योंकि यह जांचने के लिए कि क्या कोई विशेष अधिनियम असंवैधानिक है।

21 एम. पी. बनाम राज्य राकेश कोहली, *(2012) 6* एससीसी *312;* अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत संघ, *(2008) 6* एस. सी. सी. *1*

22 (1996) 3 एस. सी. सी. *709*

23 (2016) 2 एस. सी. सी. *445* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

मनमाना या नहीं एक मूल्य निर्णय का तात्पर्य है और अदालतें विधायी विकल्पों के विवेक की जांच नहीं करती हैं, और इसलिए, इस अभ्यास को नहीं कर सकती हैं।

77. इस मुद्दे पर कि क्या कानून को मनमानेपन के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, इस अदालत का ध्यान शायरा बानो बनाम के मामले में संविधान पीठ के फैसले में गया है। भारत संघ *& Ors.24.* आर. एफ. नरीमन और यू. यू. ललित, जे. उपरोक्त निर्णयों के अनुपात को अस्वीकार कर दिया गया जिसमें न्यायालय ने कहा था कि किसी कानून को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है कि वह मनमाना है। न्यायाधीशों ने डॉ. के. आर. के मामले में वृहद पीठ के फैसले की ओर इशारा किया।

लक्ष्मणन बनाम। स्टेट ऑफ टी. एन. एंड *Anr.25* और मेनका गांधी बनाम। भारत संघ और *Anr.26* जहाँ 'स्पष्ट मनमानेपन' को तीसरे आधार के रूप में मान्यता दी गई है जिस पर विधायी अधिनियम को अमान्य किया जा सकता है। इस संबंध में निम्नलिखित चर्चा ध्यान देने योग्य हैः

"*87.* तर्कसंगतता का धागा पूरे मौलिक अधिकारों के अध्याय में चलता है। जो स्पष्ट रूप से मनमाना है वह स्पष्ट रूप से अनुचित है और कानून के शासन के विपरीत होने से अनुच्छेद *14* का उल्लंघन होगा। इसके अलावा, मैकडॉवेल *[*स्टेट ऑफ ए. पी. *v.* में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में एक स्पष्ट विरोधाभास है। मैकडॉवेल एंड कंपनी, *(1996) 3* एस. सी. सी. *709]* जब यह कहा जाता है कि एक संवैधानिक चुनौती इस आधार पर सफल हो सकती है कि एक कानून "असमान, अत्यधिक या अनुचित" है, फिर भी ऐसी चुनौती कानून के "अनुचित, अनावश्यक या अनुचित" होने के आधार पर विफल हो जाएगी। मनमानी सिद्धांत जब कानून पर लागू होता है तो स्पष्ट रूप से बाद वाले को शामिल नहीं करता है।

लेकिन इसमें केवल एक कानून का असमान, अत्यधिक या अन्यथा स्पष्ट रूप से अनुचित होना शामिल होगा। इन सभी

अतः, उपरोक्त आधार अपने विभिन्न रूपों में राज्य की कार्रवाई के बीच अंतर करने का प्रयास नहीं करते हैं, जिनमें से सभी को बाधित किया जाता है यदि वे व्यक्तियों को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और

संविधान के भाग *III* में नागरिक।

88. हमें केवल यह इंगित करने की आवश्यकता है कि मैकडॉवेल *[*स्टेट ऑफ ए. पी. बनाम के बाद भी। मैकडॉवेल एंड कंपनी, *(1996) 3* एस. सी. सी. *709],* इस न्यायालय ने वास्तव में इस आधार पर वैधानिक कानून को अस्वीकार कर दिया है कि यह मनमाना है और इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* का उल्लंघन करता है। में।

24 (2017) 9 एससीसी *1*

25 (1996) 2 एससीसी *226* *26 (1978) 1* एससीसी *248 [2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

माल्पे विश्वनाथ आचार्य बनाम। महाराष्ट्र राज्य *[माल्पे]*

विश्वनाथ आचार्य बनाम। महाराष्ट्र राज्य, *(1998) 2* एससीसी

1] , इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि समय बीतने के बाद, एक कानून बन सकता है

मनमाना, और इसलिए, *1940* के बाजार में किराए को फ्रीज करना

बॉम्बे रेंट एक्ट के तहत मूल्य मनमाना और उल्लंघनकारी होगा

भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* का *(*पैरा *8* से *15* तक देखें और *31)* .

XX

XX

XX

99. हालांकि, बिहार राज्य बनाम। बिहार डिस्टिलरी लिमिटेड *[*राज्य

बिहार बनाम. बिहार डिस्टिलरी लिमिटेड, *(1997) 2* एस. सी. सी. *453]*, एस. सी. सी. पैरा

22 , राज्य में एम. पी. बनाम. राकेश कोहली *[*स्टेट ऑफ एम. पी. बनाम. राकेश कोहली *(2012) 6* एस. सी. सी. *312: (2012) 3* एस. सी. सी. *(*सी. आई. वी.*) 481]*, एस. सी. सी.

बिनॉय विश्वम बनाम। भारत संघ *[*बिनॉय विश्वम बनाम। संघ का भारत, *(2017) 7* एस. सी. सी. *59]*, एस. सी. सी. पैरा *80* से *82*, मैकडॉवेल *[*राज्य*]*

ए. पी. वी. मैकडॉवेल एंड कंपनी, *(1996) 3* एससीसी *709]* को इस रूप में पढ़ा गया था एक उपकरण के रूप में "मनमानेपन" के उपयोग के लिए एक पूर्ण प्रतिबंध होने के नाते

इससे पहले इस फैसले में, मैकडॉवेल *[*स्टेट ऑफ ए. पी. बनाम। मैकडॉवेल और कंपनी, *(1996) 3* एस. सी. सी. *709]* अपने आप में इनक्यूरियम के अनुसार है, जिसके पास नहीं है

समान या उच्चतर शक्ति की पीठों के कई निर्णयों को देखा,

इसका तर्क अन्यथा भी त्रुटिपूर्ण है। निर्णयों को,

मैकडॉवेल के बाद *[*स्टेट ऑफ ए. पी. बनाम। मैकडॉवेल एंड कंपनी, *(1996)*

3 इसलिए एस. सी. सी. *709]* अब अच्छा कानून नहीं है।

78. मनमानेपन के सिद्धांत का ऐतिहासिक विकास

शायरा बानो में उक्त न्यायाधीशों द्वारा विस्तार से देखा गया। यह.

घ उक्त निर्णय के पैराग्राफ *67* से *69* को पुनः प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त होगा और इन पैराग्राफ में चर्चा इस बारे में पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करती है कि संवैधानिक निर्णय लेते समय मनमानेपन को कैसे लागू किया जाना चाहिए।

एक कानून।

मनमानी और एक विशिष्ट सिद्धांत के रूप में राज्य कार्रवाई के लिए इसका अनुप्रयोग जिसके उल्लंघन के रूप में राज्य की कार्रवाई को निरस्त किया जा सकता है

अनुच्छेद *14* में निहित विधि का शासन। एक महत्वपूर्ण परिच्छेद में,

भगवती, जे., ई. पी. रोयप्पा बनाम। टी. एन. राज्य ने कहाः *(* एस. सी. सी पी.

38 , पैरा *85)*

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

"85. चुनौती के अंतिम दो आधारों को एक साथ लिया जा सकता है। विचार के लिए। हालाँकि हमने चुनौती के तीसरे आधार को एक विशिष्ट और अलग आधार के रूप में तैयार किया है, लेकिन यह वास्तव में सार और प्रभाव में केवल दूसरे आधार का एक पहलू है।

दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद *14* जीनस है जबकि अनुच्छेद *16* एक प्रजाति है। अनुच्छेद *16* सभी मामलों में समानता के सिद्धांत को प्रभावी बनाता है। सार्वजनिक रोजगार से संबंधित। इसलिए, मूल सिद्धांत जो अनुच्छेद *14* और *16* दोनों को सूचित करता है, वह समानता और भेदभाव के खिलाफ निषेध है। अब, इस महान बराबरी के सिद्धांत की सामग्री और पहुंच क्या है*?* यह एक संस्थापक विश्वास है, शब्दों का उपयोग करना

बोस, जे., "जीवन का एक तरीका", और इसे एक संकीर्ण पांडित्यपूर्ण या शब्दकोश दृष्टिकोण के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। हम किसी का समर्थन नहीं कर सकते।

इसके सर्वव्यापी दायरे और अर्थ को कम करने का प्रयास करना, क्योंकि ऐसा करना इसके सक्रिय परिमाण का उल्लंघन करना होगा। समानता कई पहलुओं और आयामों के साथ एक गतिशील अवधारणा है और यह नहीं हो सकता है

"पारंपरिक और सैद्धांतिक सीमाओं के भीतर रखा गया, कैद किया गया और सीमित किया गया। सकारात्मक दृष्टिकोण से, समानता मनमानेपन के विरोधी है। वास्तव में समानता और मनमानेपन कट्टर दुश्मन हैं; एक गणराज्य में कानून के शासन से संबंधित है जबकि दूसरा, एक पूर्ण सम्राट की सनक और सनक से संबंधित है। जहाँ कोई कार्य मनमाना है, वहाँ यह निहित है कि यह राजनीतिक तर्क और संवैधानिक कानून दोनों के अनुसार असमान है और

इसलिए यह अनुच्छेद *14* का उल्लंघन है, और यदि यह सार्वजनिक रोजगार से संबंधित किसी भी मामले को प्रभावित करता है, तो यह अनुच्छेद *16* का भी उल्लंघन है। अनुच्छेद *14* और *16* राज्य की कार्रवाई में मनमानेपन पर प्रहार करते हैं और निष्पक्षता और व्यवहार की समानता सुनिश्चित करते हैं। वे चाहते हैं कि राज्य की कार्रवाई सभी समान स्थितियों के लिए समान रूप से लागू वैध प्रासंगिक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए और यह किसी भी बाहरी या *[2018] 8* एस. सी. आर. द्वारा निर्देशित नहीं होनी चाहिए।

अप्रासंगिक विचार क्योंकि यह समानता से इनकार होगा। जहां राज्य की कार्रवाई के लिए कार्यात्मक कारण, जैसा कि मन के अंतः प्रकोष्ठ से प्रेरित उद्देश्य से अलग है, वैध और प्रासंगिक नहीं है, लेकिन बाहरी है और अनुमेय विचारों के क्षेत्र से बाहर है, यह शक्ति का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग होगा और जो अनुच्छेद *14* और *16* द्वारा प्रभावित होता है। शक्ति और मनमानेपन का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग एक ही बुराई से निकलने वाले अलग-अलग घातक विकिरण हैंः वास्तव में बाद वाला पहले वाले को समझता है। दोनों अनुच्छेद *14* और *16* द्वारा बाधित हैं।

(जोर दिया गया*)*

68. इसे आगे मेनका गांधी बनाम में स्पष्ट किया गया था। भारत संघ, जहाँ यह कहने के बाद कि विभिन्न मौलिक अधिकारों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और एक दूसरे को ओवरलैप और निषेचित करना चाहिए, न्यायमूर्ति भगवती ने इस सिद्धांत को आगे इस प्रकार बढ़ायाः *(* एससीसी पीपी। *283-84* , पैरा *7)*

"प्रक्रिया की प्रकृति और आवश्यकता अनुच्छेद *21*

7. अब, सवाल तुरंत उठता है कि क्या है

अनुच्छेद *14* की आवश्यकताः इसकी सामग्री और पहुंच क्या है

क्योंकि ऐसा करना इसके सक्रिय परिमाण का उल्लंघन होगा। समानता कई पहलुओं और आयामों के साथ एक गतिशील अवधारणा है और यह

पारंपरिक और सैद्धांतिक सीमाओं के भीतर कैद नहीं किया जा सकता है।

हमें यहां दोहराना चाहिए कि बहुमत ने क्या कहा था। ई. पी. रोयप्पा बनाम टी. एन. की स्थिति, अर्थात्ः *(* एस. सी. सी पी. *38* ,

पैरा *85)*

'85 . ..... सकारात्मक दृष्टिकोण से, समानता विरोधी है।

मनमानी करने के लिए। वास्तव में समानता और मनमानी की शपथ ली जाती है।

दुश्मन; एक गणराज्य में कानून के शासन से संबंधित है, जबकि अन्य, एक पूर्ण सम्राट की सनक और सनक के लिए। कहाँ*?*

एक अधिनियम मनमाना है, इसमें यह निहित है कि यह दोनों एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम असमान है।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

राजनीतिक तर्क और संवैधानिक कानून के अनुसार और इसलिए है

अनुच्छेद *14* का उल्लंघन '।

अनुच्छेद *14* राज्य की कार्रवाई में मनमानी पर प्रहार करता है और यह सुनिश्चित करता है कि

निष्पक्षता और व्यवहार की समानता। का सिद्धांत

तर्कसंगतता, जो कानूनी और साथ ही दार्शनिक रूप से,

समानता या गैर-मनमानी का एक अनिवार्य तत्व है

अनुच्छेद *14* एक सर्वव्यापी सर्वव्यापीता की तरह व्याप्त है और

अनुच्छेद *21* द्वारा विचार की गई प्रक्रिया को परीक्षण का उत्तर देना होगा।

अनुच्छेद के अनुरूप होने के लिए तर्कसंगतता

14. यह "सही और न्यायपूर्ण और निष्पक्ष" होना चाहिए न कि मनमाना, काल्पनिक।

या दमनकारी; अन्यथा, यह कोई प्रक्रिया नहीं होगी और

अनुच्छेद *21* की आवश्यकता पूरी नहीं होगी।

(जोर दिया गया*)*

69. ए. एल. कालरा बनाम में इसे और स्पष्ट किया गया था। परियोजना और

ओमेंट कॉर्प. , रोयप्पा का अनुसरण करते हुए और यह मानते हुए कि मनमाना है

ट्राइन भेदभाव से अलग है। यह आयोजित किया गया थाः *(* ए. एल. कालरा मामला,

पी। *328* , पैरा *19)*

" 19. ..... इस प्रकार यह अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होता है कि अनुच्छेद *14*

कार्यपालक/प्रशासनिक कार्रवाई में मनमानी क्योंकि कोई भी

मनमाना कार्रवाई में अनिवार्य रूप से निषेध शामिल होना चाहिए
समानता। किसी को समानता के इनकार को सीमित करने की आवश्यकता नहीं है

एक पर पहुंचने के लिए दो व्यक्तियों के बीच तुलनात्मक मूल्यांकन

मनमाना स्वयं कानून द्वारा समान *(*एस. आई. सी.*)* संरक्षण से इनकार करता है। द. संविधान पीठ ने अजय हासिया मामले में उचित रूप से टिप्पणी की

और इस मामले को विवाद से परे रखा जब उसने कहाः *(* एस. सी. सी पी. *741 ,* पैरा *16)*

'16 . ..... इसलिए जहां कहीं भी राज्य में मनमानी है

कार्रवाई चाहे वह विधायिका की हो या कार्यपालिका की या

अनुच्छेद *12,* अनुच्छेद *14* के तहत एक "प्राधिकरण" तुरंत उभरता है

कार्रवाई करें और ऐसी राज्य कार्रवाई को निरस्त करें। "

इस दृष्टिकोण को डी. एस. नकारा बनाम में और विस्तृत और पुष्ट किया गया था।

भारत संघ। मेनका गांधी बनाम। भारत संघ यह था

यह पाया गया कि अनुच्छेद *14* राज्य की कार्रवाई में मनमानेपन पर प्रहार करता है

और निष्पक्षता और व्यवहार की समानता सुनिश्चित करता है। इसलिए बहुत देर हो चुकी है।

दिन में यह तर्क देने के लिए कि एक कार्यकारी कार्रवाई मनमाना दिखाई देती है

यह या तो न्यायिक रूप से समीक्षा योग्य नहीं है या अनुच्छेद *14* की पहुंच के भीतर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बबीता प्रसाद बनाम में भी यही विचार दोहराया गया था। बिहार राज्य

एस. सी. सी. पी. *285 ,* पैरा *31* "।

9

इस प्रकार, इस सिद्धांत को संविधान के अनुच्छेद *14* और *21* दोनों का एक पहलू माना जाता है।

79. हम यह दर्ज करना चाहेंगे कि हम आगे बढ़ गए हैं

यह आधार कि स्पष्ट मनमानी भी एक आधार प्रदान करती है जिसके आधार पर एक विधायी अधिनियम की न्यायिक रूप से समीक्षा की जा सकती है। इस प्रक्रिया में, आयकर अधिनियम, *1961* की धारा *139* एए की संवैधानिक वैधता को भी इस मानक की कसौटी पर एक नया रूप दिया गया है।

उन सिद्धांतों/सिद्धांतों की व्याख्या करना जिन पर मामले हैं

तय करने के लिए:

80. इस चरण तक की हमारी चर्चा, जो आधार योजना और आधार अधिनियम पर हमले की एक झलक देती है।

याचिकाकर्ता, यह प्रकट करेंगे कि सबसे आगे गोपनीयता का अधिकार है और यह मुख्य स्तंभ बनाता है जिस पर तर्कों की इमारत काफी हद तक है। *2 7* का निर्माण। निजता के इस अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार अंतर्निहित है, जो निजता के अधिकार का एक अभिधारणा है। इस प्रक्रिया में, चर्चा आनुपातिकता के मुद्दे की ओर ले जाती है। क्या आधार अधिनियम के तहत किए गए उपाय आनुपातिकता के सिद्धांत को संतुष्ट करते हैं। इसलिए, हमें इन अवधारणाओं की व्याख्या करने की अच्छी सलाह दी जाएगी, ताकि उनकी

तथ्य स्थिति के लिए आवेदन स्पष्ट और स्थिर मानदंडों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

निजता के अधिकार की रूपरेखा:

81. के. एस. पुट्टास्वामी में इस न्यायालय के नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के निर्णायक निर्धारण के साथ यह स्थापित हो गया है कि

निजता एक मौलिक अधिकार है। डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे. *(*तीन अन्य न्यायाधीशों की ओर से*)* द्वारा लिखित बहुमत निर्णय और अन्य पांच न्यायाधीशों के पांच सहमत निर्णयों ने गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। यह निर्णय निजता के अधिकार के दायरे और दायरे पर भी विस्तार से चर्चा करता है। याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियों पर ध्यान देते हुए इस संबंध में प्रासंगिक अंशों को ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है। एक दिलचस्प घटना जो दोनों तरफ के संबंधित प्रस्तुतियों से पता चलता है वह यह है कि

27 याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए कुछ अन्य आनुषंगिक और सहायक मुद्दे भी हैं, जिन पर हम इन बुनियादी बातों का जवाब देने के बाद चर्चा करने और उनसे निपटने का प्रस्ताव करते हैं प्रस्तुतियाँ।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

दोनों पक्षों ने अपने-अपने रुख का समर्थन करने के लिए इस निर्णय के अलग-अलग अंशों पर मजबूत निर्भरता रखी है। इस फैसले को बारीकी से पढ़ने से निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती हैं:

(ख*)* गोपनीयता भाग *III* में किसी भी गारंटी के आनंद के लिए आवश्यक शर्त है। *(* ग*)* निजता के मौलिक अधिकार में कम से कम तीन पहलू शामिल होंगे-*(i)* किसी व्यक्ति के भौतिक शरीर में घुसपैठ, *(ii)* सूचनात्मक।

गोपनीयता, और *(iii)* पसंद की गोपनीयता।

*(*घ*)* निजता का एक पहलू व्यक्तिगत जानकारी के प्रसार को नियंत्रित करने का अधिकार है। और यह कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए

अपने जीवन और छवि पर व्यायाम को नियंत्रित करने में सक्षम होना जैसा कि चित्रित किया गया है

संसार में और उसकी पहचान के व्यावसायिक उपयोग को नियंत्रित करना।

विभिन्न विचारों के निम्नलिखित अंश उपरोक्त को दर्शाते हैं।

प्रस्तावः

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. *:*

42. निजता व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व पर नियंत्रण रखने के अधिकार का एक सहवर्ती है। यह इस धारणा में एक मूल पाता है कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो मनुष्य के लिए स्वाभाविक या अंतर्निहित हैं। प्राकृतिक अधिकार अपरिहार्य हैं क्योंकि वे मानव व्यक्तित्व से अविभाज्य हैं। प्राकृतिक अधिकारों के अस्तित्व के बिना जीवन में मानव तत्व की कल्पना करना असंभव है। *1690* में, जॉन लॉकहेड ने अपने सरकार के दूसरे ग्रंथ में कहा कि व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति मौलिक प्राकृतिक कानून, एक निजी संरक्षण के रूप में हैं। एक निजी संरक्षण का विचार बाहर से बाधाएं पैदा करना था।
हस्तक्षेप। *1765* में, विलियम ब्लैकस्टोन ने इंग्लैंड के कानूनों पर अपनी टिप्पणियों में "प्राकृतिक स्वतंत्रता" की बात की। उनके विचार में, ऐसे पूर्ण अधिकार थे जो प्रकृति के अपरिवर्तनीय नियमों द्वारा व्यक्ति में निहित थे। इन पूर्ण अधिकारों को व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों में विभाजित किया गया था। द.

28 (1975) 2 एस. सी. सी *148 [2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार में कानूनी और निर्बाध रूप से शामिल है एक व्यक्ति द्वारा जीवन, अंगों, शरीर, स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा का आनंद लेना।

XX

XX

XX

46. प्राकृतिक अधिकार राज्य द्वारा नहीं दिए जाते हैं। वे मनुष्यों में इसलिए हैं क्योंकि वे मनुष्य हैं। वे वर्ग या स्तर, लिंग या अभिविन्यास की परवाह किए बिना व्यक्ति में समान रूप से मौजूद हैं।

XX

XX

XX

318. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अपरिहार्य अधिकार हैं। ये ऐसे अधिकार हैं जो गरिमापूर्ण मानव अस्तित्व से अविभाज्य हैं। व्यक्ति की गरिमा, मनुष्यों के बीच समानता और स्वतंत्रता की खोज भारतीय संविधान के मूलभूत स्तंभ हैं।

एस. ए. बोबडे, जे.

415. इसलिए, गोपनीयता भाग *III* में किसी भी गारंटी के आनंद के लिए आवश्यक शर्त है। नतीजतन, जब संवैधानिक अदालतों के समक्ष अधिकार धारकों द्वारा इसका दावा किया जाता है, तो निजता का अधिकार न केवल अनुच्छेद *21* में स्थित हो सकता है, बल्कि

भाग *III* में किसी भी अन्य गारंटी में एक साथ। में

वर्तमान स्थिति, अनुच्छेद *19 (1), 20 (3), 25,28* और *29* सभी अधिकार हैं जो गोपनीयता के प्रयोग द्वारा सहायता और सार्थक बनाए गए हैं।

यह एक विस्तृत सूची नहीं है। प्रौद्योगिकी में भविष्य के विकास

और सामाजिक व्यवस्था से यह अच्छी तरह से पता चल सकता है कि अभी और भी अधिक संवैधानिक साइटें हैं जिनमें गोपनीयता का अधिकार निहित है जो वर्तमान में हमारे लिए स्पष्ट नहीं है।

आर. एफ. नरीमन, जे.

521. भारतीय संदर्भ में, निजता के मौलिक अधिकार में कम से कम निम्नलिखित तीन पहलू शामिल होंगेः

- गोपनीयता जिसमें व्यक्ति शामिल होता है अर्थात जब कोई आक्रमण होता है

  किसी व्यक्ति के भौतिक शरीर से संबंधित अधिकारों की स्थिति द्वारा,

  जैसे कि स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार;

- सूचनात्मक गोपनीयता जो किसी व्यक्ति के शरीर से संबंधित नहीं है

  लेकिन एक व्यक्ति के मन से संबंधित है, और इसलिए यह स्वीकार करता है कि एक
व्यक्ति के पास सामग्री के प्रसार पर नियंत्रण हो सकता है

  यह उसके लिए व्यक्तिगत है। ऐसी जानकारी का अनधिकृत उपयोग

  इसलिए इस अधिकार का उल्लंघन हो सकता है; और एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

- पसंद की गोपनीयता, जो किसी व्यक्ति की स्वायत्तता की रक्षा करती है

बुनियादी व्यक्तिगत विकल्पों पर।

उदाहरण के लिए, हम संबंधित भौतिक गोपनीयता या गोपनीयता को आधार बना सकते हैं।

अनुच्छेद *21* के साथ पठित अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* और *(*ई*)* में निकाय को; अनुच्छेद *21* के तहत व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता को आधार बनाना; और

अनुच्छेद *19 (1) (*ए*)* से *(*सी*), 20 (3), 21* और *25* में चयन। "गोपनीयता" पर आधारित तर्क एक अस्पष्ट और अस्पष्ट अवधारणा होने की आवश्यकता नहीं है,

इसलिए हमें हिरासत में ले लीजिए।

XX

XX

XX

532. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने निजता के अधिकार के एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू का भी उल्लेख किया। विद्वानों के अनुसार याचिकाकर्ता के वकील का यह अधिकार एक प्राकृतिक कानूनी अधिकार है जो है -

अविच्छेद्य। वास्तव में, संदर्भ आदेश स्वयं, पैरा *12* में, निहित मौलिक अधिकार के इस पहलू को संदर्भित करता है। इसलिए, हमारे सामने यह तर्क दिया गया था कि संदर्भित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को देखते हुए

इसके ऊपर और इस तथ्य के लिए कि यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति में उसके मनुष्य होने के कारण निहित है, ऐसा अधिकार संविधान द्वारा प्रदान नहीं किया गया है, बल्कि केवल मान्यता प्राप्त है और उसे मौलिक होने का दर्जा दिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता इस निवेदन में सही हैं। हालांकि, रास्ते में एक महत्वपूर्ण बाधा को दूर करने की आवश्यकता है।

533. ए. डी. एम., जबलपुर बनाम। इस न्यायालय की संविधान पीठ शिवकांत शुक्ला *(*बहुमत से*)* इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अनुच्छेद *21* जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सभी अधिकारों का एकमात्र भंडार है, और जब निलंबित किया जाता है, तो उन अधिकारों को पूरी तरह से छीन लिया जाता है। एक उल्लेखनीय असहमति खन्ना, जे। *[*खन्ना, जे. भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में थे, लेकिन इस असहमत फैसले के कारण उन्हें हटा दिया गया। नानी पालखीवाला पर लिखे गए एक लेख में इस महान न्यायाधीश का अधिनिर्णय एक मार्मिक सजा के साथ समाप्त हुआ, "ऐसे व्यक्ति के कद के लिए, भारत का मुख्य न्यायाधीश कुछ भी नहीं जोड़ सकता है।" सीरवई ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ संवैधानिक में

भारत के कानून में यह कहना था: *53* . यदि इस परिशिष्ट में खन्ना, जे. के असहमत निर्णय पर विस्तार से विचार नहीं किया गया है, तो यह निर्णय के लिए प्रशंसा की कमी या उस साहस के लिए नहीं है जो उन्होंने इसे देने में दिखाया, चाहे लागत और परिणाम कुछ भी हों।

अपने लिए। यह उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से महँगा पड़ा, लेकिन इसने *[2018] 8* एस. सी. आर. प्राप्त किया।

उनके लिए सार्वभौमिक सम्मान न केवल उनके साहस के लिए बल्कि उनकी लचीली न्यायिक स्वतंत्रता के लिए भी है। यदि उनके निर्णय पर विस्तार से विचार नहीं किया जाता है, तो इसका कारण यह है कि हमने जो पूर्ववर्ती सिद्धांत अपनाया है, उसके तहत एक असहमत निर्णय, चाहे वह कितना भी मूल्यवान क्यों न हो, कानून को निर्धारित नहीं करता है और इस परिशिष्ट में बहुमत के निर्णयों की आलोचनात्मक जांच का उद्देश्य यह दिखाना था कि वे निर्णय कानून में असमर्थनीय हैं, जो गंभीर सार्वजनिक शरारत के लिए उत्पादक हैं और उन्हें जल्द से जल्द अवसर पर खारिज कर दिया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति खन्ना अनुच्छेद *21* के निलंबन के प्रभाव पर जो निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, वह सही है। उनका यह स्मरण दिलाना कि कानून के शासन का मतलब केवल एक अधिनियमित कानून को प्रभावी बनाना नहीं था, समय पर था, और लाखों लोगों की सामूहिक हत्याओं के उनके संदर्भ से इसे मजबूत किया गया था।

एक अधिनियमित कानून के तहत नाजी यातना शिविरों में यहूदी। हालाँकि, इस अध्याय में कानूनी विश्लेषण उनके निष्कर्ष की पुष्टि करता है, हालांकि उनके द्वारा दिए गए आधारों से अलग आधारों पर। *(* परिशिष्ट पी। *2229)।]* विद्वान न्यायाधीश ने निर्णय दियाः *(* एससीसी पीपी। *747 & 751 ,* पैरा *525* और *531)*

" 525. किसी को स्थानांतरित करने के अधिकार के निलंबन का प्रभाव

अनुच्छेद *21* द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रवर्तन के लिए अदालत, मेरी राय में, यह है कि जब अदालत में कोई याचिका दायर की जाती है, तो अदालत को इस आधार पर आगे बढ़ना होगा कि आपातकाल की अवधि के दौरान अदालत से राहत प्राप्त करने के लिए उस अनुच्छेद पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। तब सवाल उठता है कि क्या राष्ट्रपति के आदेश के बावजूद आपातकाल की अवधि के दौरान यह नियम अभी भी कायम है कि कानून के अधिकार के बिना किसी को भी उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।

प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित करना

अनुच्छेद *21* में निहित अधिकार। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रश्न के उत्तर से जुड़ा हुआ है कि क्या अनुच्छेद *21* जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एकमात्र भंडार है। इस मामले पर गंभीरता से विचार करने के बाद, मेरी राय है कि अनुच्छेद *21* को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एकमात्र भंडार नहीं माना जा सकता है। कानून के शासन द्वारा शासित सभ्य समाजों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मनुष्य का सबसे मूल्यवान अधिकार है। कई आधुनिक संविधानों में कुछ मौलिक अधिकार शामिल हैं, जिनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार भी शामिल हैं। ब्लैकस्टोन के अनुसार, अंग्रेजों के पूर्ण अधिकार सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम थे।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजी संपत्ति। द. अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा *(1776)* में कहा गया है कि सभी

पुरुषों को समान बनाया गया है, और उनके अपरिहार्य अधिकारों में से हैं

जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज। द सेकंड अमेरिकी संविधान में संशोधन अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षा को संदर्भित करता है

मानवाधिकारों और मौलिक अधिकारों की विभिन्न घोषणाएँ सभी स्वतंत्रताओं ने जीवन और स्वतंत्रता की पवित्रता पर जोर दिया है।

इस सिद्धांत के बिना कोई भी अपने जीवन या स्वतंत्रता से प्राप्त नहीं होगा कानून का अधिकार। न्यायविदों का अंतर्राष्ट्रीय आयोग,

"के नियम" को सामग्री सामग्री देने में काफी सफलता कानून ", मानव की सार्वभौमिक घोषणा में उपयोग की जाने वाली एक अभिव्यक्ति

अधिकार। इसकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक थी

दिल्ली की घोषणा, *1959*। यह एक कांग्रेस के परिणामस्वरूप हुआ

नई दिल्ली में आयोजित *50* से अधिक न्यायविदों ने भाग लिया देशों, और *75,000* को प्रसारित एक प्रश्नावली पर आधारित था

वकीलों "। मानव व्यक्तित्व के सर्वोच्च मूल्य का सम्मान "

ओ. हुड फिलिप्स द्वारा संवैधानिक और प्रशासनिक कानून, *3* आरडी एडन।*)* .

XX

XX

XX

531. मैं इस विचार को स्वीकार करने में असमर्थ हूं कि जब सही हो अनुच्छेद *21* के तहत अधिकार को लागू करना निलंबित कर दिया जाता है, परिणाम होगा

कि अभाव के खिलाफ कोई उपाय नहीं होगा

राज्य द्वारा व्यक्ति का जीवन या स्वतंत्रता, भले ही ऐसा अभाव हो।

कानून के अधिकार के बिना या यहाँ तक कि घोर उल्लंघन में है

कानून के प्रावधान। अपने जीवन से वंचित न होने का अधिकार

या कानून के अधिकार के बिना स्वतंत्रता का निर्माण नहीं था

संविधान। इस तरह का अधिकार संविधान के आने से पहले मौजूद था

बलपूर्वक। तथ्य यह है कि संविधान निर्माताओं ने बनाया

इस तरह के अधिकार का एक पहलू मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा नहीं था

की स्वतंत्र पहचान को समाप्त करने का प्रभाव है

ऐसा अधिकार और अनुच्छेद *21* को एकमात्र भंडार बनाने का

यह सही है। इसका वास्तविक प्रभाव यह सुनिश्चित करना था कि एक कानून जिसके तहत

किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है *[2018] 8* एस. सी. आर.

ऐसे अभाव के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करें या, के अनुसार

गोपालन बनाम। मद्रास राज्य, ए. आई. आर *1950* एस. सी. *27: 1950* एससीआर
88] , ऐसा कानून एक वैध कानून होना चाहिए जो मौलिक कानूनों का उल्लंघन नहीं करता है।

संविधान के भाग *III* द्वारा गारंटीकृत अधिकार। पहचान

पूर्व-संवैधानिक के एक पहलू के मौलिक अधिकार के रूप में

अधिकार का चीजों को कम अनुकूल बनाने का प्रभाव नहीं हो सकता है

जहाँ तक जीवन की पवित्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संबंध है

स्थिति की तुलना में यदि इस तरह के अधिकार का कोई पहलू नहीं था
मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई क्योंकि

मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि राष्ट्रपति के आदेश को देखते हुए
जीवन और स्वतंत्रता की पवित्रता के मामले में, चीजें होंगी

कानून की स्थिति की तुलना में बदतर जैसा कि यह पहले मौजूद था

संविधान के बल में आना "।

(मूल में जोर)

574. मुझे रोहिंटन एफ. नरीमन और डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे. के विस्तृत और विद्वान विचारों को पढ़ने का लाभ मिला है। निष्कर्ष एक ही है, इस संदर्भ का उत्तर देते हुए कि गोपनीयता केवल एक सामान्य कानून अधिकार नहीं है, बल्कि भारत के संविधान के भाग *III* में आने वाला एक मौलिक अधिकार है। मैं इस निष्कर्ष से सहमत हूं क्योंकि गोपनीयता एक प्राथमिक, प्राकृतिक अधिकार है जो एक व्यक्ति के लिए अंतर्निहित है। हालाँकि, मैं निजता के मुद्दे पर अपने दृष्टिकोण को एक अधिकार के रूप में निर्धारित करने के लिए लालायित हूँ, जो मेरे विचार से, किसी भी व्यक्तिगत अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण मूल है।

XX

XX

XX

620. मैंने पहले गोपनीयता के एक पहलू की ओर इशारा किया था-अधिकार

व्यक्तिगत जानकारी के प्रसार को नियंत्रित करना। समाज में लोग दूसरों से जो सीमाएँ स्थापित करते हैं, वे न केवल भौतिक होती हैं, बल्कि सूचनात्मक भी होती हैं। विभिन्न संबंधों के संबंध में विभिन्न प्रकार की सीमाएँ होती हैं। गोपनीयता अजीब सामाजिक स्थितियों को रोकने और सामाजिक घर्षण को कम करने में सहायता करती है। व्यक्तियों के बारे में अधिकांश जानकारी "आपका कोई व्यवसाय नहीं" वाक्यांश के तहत आ सकती है। स्वैच्छिक रूप से जानकारी साझा किए जाने पर, इसे विश्वास में और किसी भी उल्लंघन के रूप में कहा जा सकता है

गोपनीयता विश्वास का उल्लंघन है।

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* में ऐसा अधिक है। भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

डॉक्टरों और वकीलों जैसे पेशेवर संबंधों के लिए जानकारी के प्रकटीकरण में स्पष्टता की आवश्यकता होती है। अ.

विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं के लिए व्यक्तिगत डेटा जमा करते समय व्यक्ति को अपने जीवन को नियंत्रित करने का अधिकार है। यह आवश्यक है कि व्यक्ति को पता हो कि डेटा का उपयोग किस लिए किया जा रहा है और उसे सही करने और संशोधित करने की क्षमता के साथ। ए में स्वतंत्रता की पहचान लोकतंत्र का हमारे जीवन पर स्वायत्तता और नियंत्रण है जो

गोपनीयता क्यों मायने रखती है *"20-1-2014 <HTTTPS* पर प्रकाशित किया गया: *//* डब्ल्यू. डब्ल्यू. गोपनीयता सिखाएँ। *com/10-*कारणों-गोपनीयता-मामले/>।*]* *XX*

XX

XX

625. प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और छवि पर नियंत्रण रखने में सक्षम होने का अधिकार होना चाहिए जैसा कि दुनिया के सामने चित्रित किया गया है और अपनी पहचान के व्यावसायिक उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार होना चाहिए। इसका यह भी अर्थ है कि किसी व्यक्ति को अपनी सहमति के बिना व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अपनी छवि, नाम और अपने व्यक्तिगत जीवन और पहचान के अन्य पहलुओं का उपयोग करने से दूसरों को रोकने की अनुमति दी जा सकती है। *[* हेलन लैबोरेटरीज इंक. टॉप्स में दूसरे सर्किट का निर्णय

जेरोम फ्रैंक, जे. द्वारा लिखित च्यूइंग गम इंक., *202* एफ *2* डी *866 (2* डी सिर *1953)* ने प्रचार के अधिकार को "अपनी तस्वीर प्रकाशित करने का विशेष विशेषाधिकार देने के अधिकार" के रूप में परिभाषित किया।*]* "

XX

XX

यह अन्य मौलिक अधिकारों के साथ अंतर-खेल है और जब ऐसा हो प्रतिबंध आवश्यक हो जाएंगे जो प्रत्येक मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर निर्भर करेंगे। यह कि यह अधिक मुकदमेबाजी को जन्म दे सकता है, इस महत्वपूर्ण, प्राकृतिक, आदिम अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता न देने का कारण शायद ही हो। *"[2018] 8* एस. सी. आर.

((ii) निजता की पवित्रता इसके कार्यात्मक संबंध में निहित है।

गरिमा के साथः निजता यह सुनिश्चित करती है कि एक व्यक्ति मानव व्यक्तित्व के आंतरिक भागों को अवांछित घुसपैठ से सुरक्षित करके गरिमापूर्ण जीवन जी सके। जबकि गोपनीयता की वैध अपेक्षा हो सकती है अंतरंग क्षेत्र से लेकर निजी क्षेत्र तक और निजी से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र तक, यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि गोपनीयता केवल इसलिए नहीं खोती है या आत्मसमर्पण नहीं किया जाता है क्योंकि व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर है। इसके अलावा, गोपनीयता अपने आप में गरिमा का एक अभिधारणा है। इसके अलावा, गोपनीयता की चिंता तब उत्पन्न होती है जब राज्य नागरिक के शरीर और दिमाग में घुसपैठ करना चाहता है। इस पहलू पर निम्नलिखित तरीके से चर्चा की गई हैः

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. *:*

127. यह निवेदन कि निजता के अधिकार को मान्यता देना एक

ऐसा अभ्यास जिसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी और

सैद्धांतिक स्थिति। तर्क यह मानता है कि निजता का अधिकार
के भाग *III* द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं से स्वतंत्र है

संविधान। गलती वहीं है। निजता का अधिकार एक तत्व है

मानव गरिमा। निजता की पवित्रता इसके कार्य में निहित है।

सम्मान के साथ संबंध। गोपनीयता यह सुनिश्चित करती है कि एक इंसान कर सकता है
मनुष्य के आंतरिक अवकाश को सुरक्षित करके गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करें।

अवांछित घुसपैठ से व्यक्तित्व। निजता पहचानती है कि

व्यक्ति की स्वायत्तता और प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार

आवश्यक विकल्प जो जीवन के पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। ऐसा करने में गोपनीयता

उन स्वतंत्रताओं और स्वतंत्रताओं को पूरा करना जो आधारशिला हैं
संविधान से। गोपनीयता के मूल्य को पहचानने के लिए

संवैधानिक हकदारी और ब्याज एक नया गठन नहीं है।

न्यायिक माध्यम से संशोधन की प्रक्रिया द्वारा मौलिक अधिकार

फिएट। न तो न्यायाधीश हैं और न ही न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया है।

संशोधन करने की संवैधानिक जिम्मेदारी सौंपी गई

संविधान। लेकिन न्यायिक समीक्षा का कार्य निश्चित रूप से इसके सामने है -
उपलब्ध स्वतंत्रताओं की प्रकृति और सीमा का निर्धारण करना

उन संवैधानिक गारंटी के ताने-बाने के तहत प्रत्येक व्यक्ति

उल्लेख किया, एक के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने वाली सुरक्षाओं का एक समूह
गरिमापूर्ण अस्तित्व को संरक्षण के दायरे में रखा गया है

अनुच्छेद *21.*

XX

XX

XX STICE K. S. पुट्टास्वामी *(RETD.) v.* भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

297. फिर, गोपनीयता क्या मानती है*?* गोपनीयता व्यक्ति के लिए एक निजी स्थान के आरक्षण को स्वीकार करती है, जिसे अकेले रहने के अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। यह अवधारणा व्यक्ति की स्वायत्तता पर आधारित है। किसी व्यक्ति की चुनाव करने की क्षमता मानव व्यक्तित्व के मूल में निहित है। निजता की धारणा व्यक्ति को मानव तत्व पर जोर देने और नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व से अविभाज्य है। अदम्य

मानव व्यक्तित्व की प्रकृति मानव जीवन के अंतरंग मामलों पर निर्णय लेने की क्षमता में प्रकट होती है। व्यक्ति की स्वायत्तता उन मामलों से जुड़ी होती है जिन्हें रखा जा सकता है।

निजी। ये ऐसी चिंताएं हैं जिन पर गोपनीयता की वैध अपेक्षा है। शरीर और मन मानव व्यक्तित्व के अविभाज्य तत्व हैं। शरीर की अखंडता और मन की पवित्रता इस आधार पर मौजूद हो सकती है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक अविभाज्य क्षमता और एक निजी स्थान को संरक्षित करने का अधिकार है जिसमें मानव व्यक्तित्व विकसित हो सकता है। चुनाव करने की क्षमता के बिना, व्यक्तित्व की अनुल्लंघनीयता संदेह में होगी। गोपनीयता के एक क्षेत्र को पहचानना लेकिन एक है

यह स्वीकार करना कि प्रत्येक व्यक्ति को चार्ट बनाने और व्यक्तित्व के विकास के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए

निजता अपने आप में मानवीय गरिमा का एक अभिधारणा है। विचार और व्यवहार संबंधी पैटर्न जो किसी व्यक्ति के लिए अंतरंग होते हैं, वे गोपनीयता के क्षेत्र के हकदार होते हैं जहां कोई व्यक्ति सामाजिक

अपेक्षाओं से मुक्त होता है। निजता के उस क्षेत्र में, किसी व्यक्ति को दूसरों द्वारा नहीं आंका जाता है। निजता प्रत्येक व्यक्ति को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाती है।

मानव व्यक्तित्व में अभिव्यक्ति। यह व्यक्तियों को एकरूपता की सामाजिक मांगों के खिलाफ अपनी मान्यताओं, विचारों, अभिव्यक्तियों, विचारों, विचारधाराओं, प्राथमिकताओं और विकल्पों को संरक्षित करने में सक्षम बनाता है। गोपनीयता विविधता की एक आंतरिक मान्यता है, व्यक्ति के अलग होने के अधिकार की और एकांत का क्षेत्र बनाने में अनुरूपता के ज्वार के खिलाफ खड़े होने की। निजता व्यक्ति को उन मामलों में प्रचार की खोज से बचाती है जो उसके जीवन के लिए व्यक्तिगत हैं। निजता उस व्यक्ति से जुड़ी होती है न कि उस स्थान से जहां वह जुड़ी हुई है। निजता सभी स्वतंत्रता की नींव का गठन करती है क्योंकि यह गोपनीयता में है कि व्यक्ति यह तय कर सकता है कि स्वतंत्रता का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जाता है। व्यक्तिगत गरिमा और गोपनीयता एक बहुवचन संस्कृति के ताने-बाने में विविधता के धागे से बुने गए पैटर्न में अटूट रूप से जुड़े हुए हैं।

XX

XX

322. निजता मानव गरिमा का संवैधानिक मूल है। निजता में मानक और वर्णनात्मक दोनों कार्य होते हैं। मानक स्तर पर गोपनीयता उन शाश्वत मूल्यों को कम करती है जिन पर जीवन, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की गारंटी स्थापित होती है। वर्णनात्मक स्तर पर गोपनीयता अधिकारों और हितों के एक समूह को प्रस्तुत करती है।

जो आदेशित स्वतंत्रता की नींव पर स्थित है।

323. निजता के मूल में व्यक्तिगत गोपनीयता का संरक्षण शामिल है।

अंतरंगता, पारिवारिक जीवन की पवित्रता, विवाह, प्रजनन, घर और यौन अभिविन्यास। निजता होने के अधिकार को भी दर्शाती है

अकेला छोड़ दिया। गोपनीयता व्यक्तिगत स्वायत्तता की रक्षा करती है और अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को नियंत्रित करने की व्यक्ति की क्षमता को पहचानती है। जीवन शैली को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत विकल्प आंतरिक हैं -

गोपनीयता। गोपनीयता विविधता की रक्षा करती है और हमारी संस्कृति की बहुलता और विविधता को पहचानती है। जबकि गोपनीयता की वैध अपेक्षा अंतरंग क्षेत्र से निजी क्षेत्र में और निजी से सार्वजनिक क्षेत्र में भिन्न हो सकती है, यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि गोपनीयता केवल इसलिए नहीं खोती है या आत्मसमर्पण नहीं की जाती है क्योंकि व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर है। निजता व्यक्ति से जुड़ी होती है क्योंकि यह मनुष्य की गरिमा का एक अनिवार्य पहलू है।

एस. ए. बोबडे, जे.

407. निस्संदेह, गोपनीयता मौजूद है, जैसा कि पूर्वगामी दर्शाता है, सभी सभ्य समाजों में एक सत्यापन योग्य तथ्य के रूप में। लेकिन गोपनीयता केवल एक वर्णनात्मक दावा होने पर नहीं रुकती है। यह भी एक का प्रतीक है

मानक एक। गोपनीयता के लिए मानक मामला सहज रूप से सरल है। प्रकृति ने मनुष्य को अन्य चीजों के अलावा गरिमा और स्वतंत्रता के साथ पहना है ताकि वह जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र हो सके। दूसरे की स्वतंत्रता और सुख और शांति से रहने के लिए आवश्यक अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से विकसित करना। द.

संविधान, अपने भाग *III* के माध्यम से, इनमें से कई स्वतंत्रताओं और उनके संबंधित अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में सूचीबद्ध करता है। इनमें से अधिकांश स्वतंत्रताओं के प्रयोग के लिए गोपनीयता एक आवश्यक शर्त है। प्रत्यक्षतः, प्रत्येक अधिकार जो इसका अभिन्न अंग है गरिमा, जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों को, वास्तव में निजता का अधिकार होने के नाते, अपने आप में एक मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए।

सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]8.* हालाँकि उन्होंने "गोपनीयता" के नाम का उपयोग नहीं किया, लेकिन यह स्पष्ट है कि जे. एस. मिल ने इस नाम के अस्तित्व के लिए अपरिहार्य माना।

स्वतंत्रता का प्राकृतिक भंडार जो लोकतंत्रों से अपेक्षित है

अपने नागरिकों की सेवा करें। अपने सेमिनल ऑन बर्टी *(1859)* के परिचय में, उन्होंने निम्नलिखित तरीके से स्वतंत्रता की विशेषता बताईः

"तो, यह मानव स्वतंत्रता का उपयुक्त क्षेत्र है। यह.

विवेक की स्वतंत्रता की मांग, सबसे अधिक व्यापक भावना; विचार और भावना की स्वतंत्रता;

व्यावहारिक या सट्टा, वैज्ञानिक, नैतिक या धर्मशास्त्रीय सभी विषयों पर राय और भावना की पूर्ण स्वतंत्रता। राय व्यक्त करने और प्रकाशित करने की स्वतंत्रता एक अलग सिद्धांत के तहत आती प्रतीत हो सकती है, क्योंकि यह एक व्यक्ति के आचरण के उस हिस्से से संबंधित है जो अन्य लोगों से संबंधित है; लेकिन,

स्वयं, और बहुत हद तक उन्हीं कारणों से विश्राम करना, व्यावहारिक रूप से इससे अविभाज्य है। दूसरा, इस सिद्धांत के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता है रुचियों और खोजों का; हमारे जीवन की योजना तैयार करने का

हमारे अपने चरित्र के अनुरूप; जैसा हम चाहते हैं वैसा करने के लिए, ऐसे परिणामों के अधीन जो निम्नलिखित हो सकते हैंः हमारी बाधाओं के बिना

साथी प्राणी, जब तक कि हम जो करते हैं वह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता है, भले ही उन्हें हमारे आचरण को मूर्खतापूर्ण, विकृत या गलत सोचना चाहिए। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति की इस स्वतंत्रता से निम्नलिखित होता है -

समान सीमाओं के भीतर, व्यक्तियों के बीच संयोजन की स्वतंत्रता; एकजुट होने की स्वतंत्रता, किसी भी उद्देश्य के लिए जिसमें दूसरों को नुकसान न पहुंचेः व्यक्तियों का संयोजन पूर्ण आयु का माना जाता है, और

जबरदस्ती या धोखा नहीं दिया।

कोई भी समाज जिसमें इन स्वतंत्रताओं का समग्र रूप से सम्मान नहीं किया जाता है, वह स्वतंत्र नहीं है, चाहे उसका सरकार का रूप कुछ भी हो।

और कोई भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है जिसमें वे मौजूद नहीं हैं

पूर्ण और अयोग्य। एकमात्र स्वतंत्रता जो योग्य है

नाम, अपने स्वयं के अच्छे के लिए पीछा करने का है जिस तरह से, जब तक हम दूसरों को वंचित करने का प्रयास नहीं करते हैं

उनका, या इसे प्राप्त करने के उनके प्रयासों में बाधा डालना। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का उचित संरक्षक है, चाहे वह शारीरिक हो, या मानसिक और आध्यात्मिक। मनुष्यजाति एक-दूसरे को अपने लिए अच्छा लगने पर जीने के लिए पीड़ित करने से अधिक लाभ प्राप्त करती है, बजाय इसके कि प्रत्येक को दूसरों को अच्छा लगने पर जीने के लिए मजबूर किया जाए।

यद्यपि यह सिद्धांत कुछ भी नया नहीं है, और कुछ व्यक्तियों के लिए,

और अभ्यास करें। समाज ने पूरी तरह से उतना ही प्रयास किया है
लोगों को अनुरूप होने के लिए मजबूर करने का प्रयास *(*इसकी रोशनी के अनुसार*)*

व्यक्तिगत की अपनी धारणाओं के लिए, सामाजिक उत्कृष्टता के रूप में। *[* जॉन स्टुअर्ट
मिल, ऑन लिबर्टी एंड अदर एसेज़ *(*स्टीफन कॉलिनी संस्करण,

1989) (1859)]

(जोर दिया गया*)*

409. निजता के अधिकार के लिए पहला और स्वाभाविक अधिकार अनुच्छेद *21* में *"*व्यक्तिगत स्वतंत्रता*"* और स्वयं जीवन के केंद्र में है। स्वतंत्रता और गोपनीयता इस तरह से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं कि गोपनीयता अक्सर व्यक्तिगत अधिकार के प्रयोग के लिए आवश्यक बुनियादी शर्त होती है।

स्वतंत्रता। ऐसी अनगिनत गतिविधियाँ हैं जो वास्तव में बिल्कुल भी और कई मामलों में गरिमा के साथ किए जाने में असमर्थ हैं जब तक कि किसी व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ दिया जाता है या अन्यथा उसे करने का अधिकार नहीं है।

उसकी गोपनीयता सुनिश्चित करें। जन्म और मृत्यु ऐसी घटनाएँ हैं जब सभी सभ्य लोगों के बीच गरिमा सुनिश्चित करने के लिए गोपनीयता की आवश्यकता होती है। इस प्रकार गोपनीयता उन अधिकारों में से एक है

"यदि किसी को आनंद लेना है तो साधन के रूप में आवश्यक है" [लॉरेंस एच. ट्राइब और माइकल सी. डॉर्फ, "के स्तर"

अधिकारों की परिभाषा में सामान्यता ", *57* यू ची एल आरईवी *1057 (1990)* पी। *1068.]* संविधान में निर्दिष्ट और सूचीबद्ध अधिकार

410. इस न्यायालय ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है कि "जीवन" का अर्थ "केवल पशु अस्तित्व से कुछ अधिक" होना चाहिए। इलिनोइस, *1876* एस. सी. सी. ऑनलाइन यू. एस. एस. सी. *4: 24* एल एड *77: 94* यू. एस. *113 (1877) (*प्रति फील्ड, जे.*)* जैसा कि खड़क सिंह में उद्धृत किया गया है, *(1964) 1* एस. सी. आर. *332* पीपी पर। *347 48]* कई मौकों पर, संविधान से शुरू सुनील बत्रा *(1)* बनाम. दिल्ली प्रशासन। *[* सुनील बत्रा बनाम। दिल्ली प्रशासन। *, (1978) 4* एससीसी *494: 1979* एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई.*) 155]* सुनील बत्रा *[*सुनील बत्रा बनाम। दिल्ली प्रशासन। *, (1978) 4* एससीसी *494: 1979* एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई.*) 155]* ने अनुच्छेद *21* के इस दृष्टिकोण को गरिमा के संवैधानिक मूल्य से जोड़ा। फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम सहित कई मामलों में। दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश *[*फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, *(1981) 1* एस. सी. सी. *608: 1981* एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई.*) 212]*, इस न्यायालय ने स्वतंत्रता को गरिमा से निकटता से जुड़ा हुआ माना है। "जीवन" के संरक्षण में "संकायों सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* के संरक्षण के प्रभाव के साथ उनका संबंध।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

सोच और भावना ", और अस्थायी और स्थायी

उन संकायों के लिए जोड़ी। फ्रांसिस कोरली में

उलिन *[*फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, *(1981) 1* एस. सी. सी. *8: 1981* एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई.*) 212]*, जे. भगवती ने निम्नलिखित राय दीः *(* एस. सी. सी. *618,* पैरा *7)*

" 7. अब स्पष्ट रूप से, अनुच्छेद *21* में निहित जीवन का अधिकार नहीं हो सकता है

केवल पशु अस्तित्व तक ही सीमित रहें। इसका कुछ मतलब है।

केवल शारीरिक अस्तित्व से बहुत अधिक। खरक सिंह बनाम।

यू. पी. राज्य *[*खरक सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. *1963* एस. सी. *1295: (1963) 2* क्रि एल. जे. *329: (1964) 1* एस. सी. आर. *332]*, जे. सुब्बा राव ने निर्णय के निम्नलिखित अंश को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया।

फील्ड, जे. बनाम मुन्न में। इलिनोइस *[*मुन बनाम। इलिनोइस, *1876* एस. सी. सी. ऑनलाइन यू. एस. एस. सी. *4: 24* एल एड *77: 94* यू. एस. *113 (1877)]* जोर देने के लिए

अनुच्छेद *21* द्वारा कवर किए गए जीवन की गुणवत्ताः *(* खरक सिंह मामला *[*खरक सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. *1963* एस. सी. *1295: (1963) 2* क्रि एल. जे. *329: (1964) 1* एस. सी. आर. *332]*, ए. आई. आर पी. *1301 ,* पैरा *15)*

15. ..... "जैसा कि यहाँ "जीवन" शब्द का उपयोग किया गया है, इसका अर्थ केवल पशु अस्तित्व से अधिक है। इसके खिलाफ प्रतिबंध

अभाव उन सभी अंगों और क्षमताओं तक फैला हुआ है जिनके द्वारा

जीवन आनंदित होता है। यह प्रावधान शरीर के अंगछेदन या हाथ या पैर के विच्छेदन या आंख से बाहर निकलने या शरीर के किसी अन्य अंग के विनाश को समान रूप से प्रतिबंधित करता है। जिसे आत्मा बाहरी दुनिया के साथ संचारित करती है। "

और इस परिच्छेद को फिर से सही रखने के रूप में स्वीकार किया गया

इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा पहले सुनील में कानून

बत्रा मामला *[*सुनील बत्रा बनाम। दिल्ली प्रशासन। *, (1978) 4* एससीसी *494: 1979* एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई.*) 155]* प्रत्येक अंग या संकाय जिसके माध्यम से जीवन का आनंद लिया जाता है, इस प्रकार अनुच्छेद *21* और एक दुर्ग द्वारा संरक्षित है।

इसमें सोचने और महसूस करने की क्षमताएँ शामिल होंगी।

अब अनुच्छेद *21* द्वारा बाधित अभाव पूर्ण या आंशिक हो सकता है, न तो किसी अंग या संकाय को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है और न ही इसे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त किया जा सकता है। इसके अलावा यह हर तरह का अभाव है जो अनुच्छेद *21* द्वारा प्रभावित होता है, चाहे वह अभाव स्थायी हो या अस्थायी और इसके अलावा, अभाव है ऐसा कार्य नहीं जो हमेशा के लिए पूर्ण होः यह निरंतरता है

अधिनियम और जब तक यह रहता है, यह इसके अनुसार होना चाहिए

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसलिए यह स्पष्ट है कि कोई भी *[2018] 8* एस. सी. आर.

ऐसा कार्य जो नुकसान पहुँचाता है या घायल करता है या उपयोग में हस्तक्षेप करता है,

किसी व्यक्ति का कोई अंग या संकाय, या तो स्थायी रूप से या यहाँ तक कि अस्थायी रूप से, अनुच्छेद *21* के निषेध के भीतर होगा।

(जोर दिया गया*)*

इसलिए, गारंटीकृत स्वतंत्रताओं के प्रवर्तक के रूप में गोपनीयता अपने मानसिक और शारीरिक दोनों पहलुओं में आवश्यक है। *411.* यह देखना मुश्किल है कि कितनी गरिमा-जिसका संवैधानिक महत्व प्रस्तावना और इसके द्वारा दोनों द्वारा स्वीकार किया जाता है।

अन्य अधिकारों के साथ-साथ अनुच्छेद *21* की व्याख्या में न्यायालय को बिना गोपनीयता के व्यक्ति को आश्वस्त किया जा सकता है। गरिमा और गोपनीयता दोनों अंतरंग रूप से जुड़े हुए हैं और व्यक्तियों के जन्म और मृत्यु के लिए और इन घटनाओं के बीच जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए प्राकृतिक स्थितियां हैं।

अनिवार्य रूप से, तब, निजता का अधिकार अनुच्छेद *21* के तहत "जीवन" और "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" दोनों का एक अभिन्न अंग है, और इसका उद्देश्य अधिकार धारक को अपनी क्षमता विकसित करने में सक्षम बनाना है। पूर्ण सीमा तक केवल प्रस्तावना के साथ-साथ भाग *III* में व्यक्त किए गए संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप ही संभव हुआ।

525. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बंधुत्व का मूल मूल्य है जो व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। *[1834* में, जैक्स चार्ल्स डुपॉन्ट डी ल 'यूरे ने स्वतंत्रता के तीन शब्दों को जोड़ा, रेव्यू रिपब्लिकेन में समानता और बंधुत्व एक साथ, जो

उन्होंने निम्नलिखित रूप में संपादन कियाः कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता, समानता की आकांक्षा रखता है, लेकिन वह इसे अन्य पुरुषों की सहायता के बिना, बंधुत्व के बिना प्राप्त नहीं कर सकता है। हमारे कई निर्णय मानव गरिमा को मौलिक अधिकारों के अध्याय का एक अनिवार्य हिस्सा मानते हैं। उदाहरण के लिए, प्रेम शंकर शुक्ला बनाम देखें। दिल्ली प्रशासन। *, (1980) 3* पैरा *21* पर एस. सी. सी. *526,* फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, *(1981) 1* एस. सी. सी. *608* पैरा *6,7* और *8* पर, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम। भारत संघ, *(1984) 3* एस. सी. सी. पैरा *10* पर *161,* महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाम। सञ्जिकित्सा प्रसार मंडल, *(2010) 3* एस. सी. सी. *786* पैरा *37,* शबनम बनाम। भारत संघ, *(2015) 6* एस. सी. सी. *702* पैरा *12.4* और *14* पर और जीजा घोष बनाम। भारत संघ, *(2016) 7* एस. सी. सी. *761* पैरा *37* पर।*]* व्यक्ति की गरिमा में शामिल है

व्यक्ति का अपनी क्षमता की पूरी सीमा तक विकास करने का अधिकार। और यह विकास तभी हो सकता है जब किसी व्यक्ति को एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

मौलिक व्यक्तिगत विकल्पों पर नियंत्रण और व्यक्तिगत जानकारी के प्रसार पर नियंत्रण जो ऐसी जानकारी के अनधिकृत उपयोग के माध्यम से उल्लंघन किया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद *21,* मौलिक अधिकार अध्याय के किसी भी अन्य अनुच्छेद से अधिक, इन संवैधानिक मूल्यों में से प्रत्येक को पूरी तरह से दर्शाता है, और इन मूल्यों और उन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुरूप पढ़ें जिनका हमने उल्लेख किया है। अंतिम विश्लेषण में, निजता का मौलिक अधिकार, जिसके कई विकासशील पहलू हैं,

केवल मामले-दर-मामले के आधार पर विकसित किया जा सकता है। जिस विशेष पहलू पर भरोसा किया जाता है, उसके आधार पर या तो अनुच्छेद *21* अपने आप में या अन्य मौलिक अधिकारों के साथ आकर्षित होगा।

एस. के. कौल, जे.

618. रोहिंटन एफ. नरीमन और डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे. , स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निजता की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया है। मैं उनसे सहमत हूँ और चाहता हूँ कि

इस संबंध में कुछ कानूनी टिप्पणियों का संदर्भ लेंः *618.1 .* मीडिया कानून पर रॉबर्टसन और निकोल में *[*जेफ्री*]*

रॉबर्टसन, क्यू. सी. और एंड्रयू निकोल, क्यू. सी., मीडिया लॉ, *5* म संस्करण। , पी। *265.]* यह देखा गयाः

"व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व और परिवार के लिए एक घुसपैठ मुक्त क्षेत्र को संरक्षित करने की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होती है और जब उस क्षेत्र का उल्लंघन किया जाता है तो वे पीड़ा और तनाव का सामना करते हैं। लोकतांत्रिक समाजों को व्यक्तिगत सुविधा के हिस्से के रूप में गोपनीयता की रक्षा करनी चाहिए। स्वतंत्रता, और व्यक्तिगत पसंद के लिए कुछ कानूनी समर्थन प्रदान करें कि नागरिक अंतरंग व्यक्तिगत जीवन के किन पहलुओं को दूसरों के साथ साझा करने के लिए तैयार है। दूसरे शब्दों में यह स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समान स्रोत से उत्पन्न होती हैः एक ऐसी स्वतंत्रता जो एक लोकतांत्रिक समुदाय में व्यक्तिगत जीवन को बढ़ाती है।

618.2 . लॉर्ड निकोल्स और लॉर्ड हॉफमैन ने नाओमी कैंपबेल मामले में अपनी राय में *[*कैंपबेल बनाम। एमजीएन लिमिटेड, *(2004) 2* एसी *457: (2004) 2* डब्ल्यूएलआर *1232: (2004)* यूकेएचएल *22 (एचएल)]* ने इसके महत्व को पहचाना। निजता की सुरक्षा। लॉर्ड हॉफमैन ने इस प्रकार राय दीः *(* एसी पी। *472 H & 473 A-D,* पैरा *50-51)*

"*50.* मानवाधिकार कानून ने जो किया है वह निजी जानकारी की पहचान करना है जो एक पहलू के रूप में सुरक्षा के लायक है। मानव स्वायत्तता और गरिमा। और इस मान्यता ने *[2018] 8* एस. सी. आर. को बढ़ा दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपरिहार्य रूप से यह सवाल कि यह राज्य के खिलाफ सुरक्षा के लायक क्यों होना चाहिए, लेकिन एक निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। निजी प्रकाशन के लिए निश्चित रूप से औचित्य हो सकते हैं

निजी व्यक्तियों द्वारा दी गई जानकारी जो राज्य को उपलब्ध नहीं होगी-मुझे विशेष रूप से मीडिया की स्थिति का ध्यान है, जिस पर मैं एक पल में लौटूंगा-लेकिन मुझे यह कहने का कोई तार्किक आधार नहीं दिखता है कि किसी व्यक्ति को किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ कम सुरक्षा मिलनी चाहिए, जितना कि उसे व्यक्तिगत जानकारी के प्रकाशन के लिए राज्य के खिलाफ सुरक्षा मिलनी चाहिए।

कोई औचित्य नहीं है। न ही ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य न्यायाधीशों में से कोई है

जिन्होंने इस मामले पर विचार किया है। *51.* इन विकासों का परिणाम विश्वासघात के लिए कार्रवाई की गंभीरता के केंद्र में एक बदलाव रहा है जब इसका उपयोग व्यक्तिगत जानकारी के अनुचित प्रकाशन के लिए एक उपाय के रूप में किया जाता है। ..... कार्रवाई का कारण गोपनीय व्यक्तिगत जानकारी और व्यापार रहस्यों पर समान रूप से लागू सद्भावना के कर्तव्य पर आधारित होने के बजाय, यह इस पर केंद्रित है

मानव स्वायत्तता और गरिमा का संरक्षण-अपने निजी जीवन के बारे में जानकारी के प्रसार को नियंत्रित करने का अधिकार और

अन्य लोगों के सम्मान और सम्मान का अधिकार।

8.3 . लॉर्ड निकोल्स की राय इस प्रकार है: *(* नाओमी कैम्पबेल मामला कैम्पबेल बनाम। एमजीएन लिमिटेड, *(2004) 2* एसी *457: (2004) 2* डब्ल्यूएलआर *1232 2004)* यूकेएचएल *22 (*एचएल*)],* एसी पी। *464* डी-एफ, पैरा *12)*

एक व्यक्ति का विकास। और लगाए गए प्रतिबंध नागरिकों के जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए सरकार एक लोकतांत्रिक राज्य के सार तक जाती है: आर. वी. में ला फॉरेस्ट जे. देखें। डायमेंट *[*आर. वी.*]*

डायमेंट, *1988* एस. सी. सी. ऑनलाइन कैन एस. सी. *86: (1988) 2* एससीआर *417],*

एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. पैरा *17:* एस. सी. आर पी.

426. " एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

619. निजता भी विचार की स्वतंत्रता की कुंजी है। व्यक्ति को सोचने का अधिकार है। विचारों को कभी-कभी भाषण में अनुवादित किया जाता है लेकिन यह उस व्यक्ति तक सीमित होता है जिसे यह बनाया जाता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति किसी की आलोचना करना चाहेगा लेकिन आलोचना को दुनिया के साथ साझा नहीं करेगा।

चेलमेश्वर, जे। *:*

372. इतिहास सरकार द्वारा विषयों के दिमाग को आकार देने के प्रयासों के उदाहरणों से भरा हुआ है। दूसरे शब्दों में, क्या पढ़ना है या क्या नहीं पढ़ना है, यह निर्धारित करके विचार प्रक्रिया को अनुकूलित करना। केवल कला के रूपों की सराहना की जानी चाहिए जिससे विश्वासों की कंडीशनिंग हो; साहित्य, संगीत या कला के प्रकार के बारे में लोगों की पसंद में हस्तक्षेप करना जिसका कोई व्यक्ति आनंद लेना पसंद करेगा। *[* स्टेनलीव। जॉर्जिया, *1969* एस. सी. सी. ऑनलाइन यू. एस. एस. सी. *78: 22* एल एड *2* डी *542: 394* यूएस *557 (1969) "3. .....* कि केवल अश्लील पदार्थों को निजी रूप से रखने को संवैधानिक रूप से अपराध नहीं बनाया जा सकता है। **** 9 . .....* राज्य को एक आदमी को यह बताने का कोई काम नहीं है,

अपने घर में अकेले बैठे, वह कौन सी किताबें पढ़ सकते हैं या कौन सी फिल्में देख सकते हैं। हमारी पूरी संवैधानिक विरासत सरकार को पुरुषों के दिमाग को नियंत्रित करने की शक्ति देने के विचार से विद्रोह करती है। *(* एस. सी. सी. ऑनलाइन यू. एस. एस. सी. पैरा *3* और *9)]* इस तरह की शर्त है

स्वीकार नहीं करते। *[* बिजोए इमैनुएल बनाम। केरल राज्य, *(1986) 3* एससीसी *615]* जहाँ तक धार्मिक मान्यताओं का संबंध है, हमारी प्रजातियों के दुख का एक बड़ा हिस्सा अपने अस्तित्व और आसपास के केंद्रों के कारण है।

धर्म के प्रचार के अधिकार के प्रतिस्पर्धी दावे। भारत का संविधान सभी विषयों की स्वतंत्रता की गारंटी देता है *["25.*

विवेक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र पेशा, अभ्यास और

धर्म का प्रचार। — *(1)* सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन, सभी व्यक्ति हैं -

समान रूप से विवेक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है। *(2)* इस लेख में कुछ भी नहीं है *(क)* किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित या प्रतिबंधित करना जो धार्मिक प्रथा से जुड़ी हो; *(ख)* सामाजिक कल्याण और सुधार का प्रावधान करना या हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के लिए सार्वजनिक चरित्र की हिंदू धार्मिक संस्थाओं को खुला रखना। स्पष्टीकरण *I.*

कृपाण पहनने और ले जाने को सिख धर्म के पेशे में शामिल माना जाएगा। स्पष्टीकरण *II*। — खंड *(2)* के उपखंड *(*बी*)* में, हिंदुओं के संदर्भ का अर्थ सिख, जैन या अन्य धर्म मानने वाले व्यक्तियों के संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा।

बौद्ध धर्म और हिंदू धार्मिक संस्थानों के संदर्भ का अर्थ उसी के अनुसार लगाया जाएगा। *]* विवेक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन करने और प्रचार करने का अधिकार। जबकि स्वतंत्र रूप से "धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने" का अधिकार अनुच्छेद *19 (1) (ए)* के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू हो सकता है, किसी भी धर्म में विश्वास या आस्था की स्वतंत्रता का मामला है -

जो निजता के अधिकार के क्षेत्र में आता है। मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि यह मुद्दा इस न्यायालय के समक्ष लंबित है। लेकिन विभिन्न अन्य क्षेत्राधिकारों में, उन मुद्दों पर एक बड़ी बहस है, हालांकि यह अभी भी एक धूसर क्षेत्र है। *[* अमेरिका में इस क्षेत्र में कानूनी बहस के लिए, देखें लॉरेंस एच. ट्राइब, द्वितीय संस्करण द्वारा अमेरिकी संवैधानिक कानून का अध्याय *15.11*।*]* एक महिला की पसंद की स्वतंत्रता कि बच्चे को जन्म देना है या उसकी गर्भावस्था का गर्भपात करना है, ऐसे क्षेत्र हैं जो गोपनीयता के दायरे में आते हैं। इसी तरह, काम करने या न करने का चुनाव करने की स्वतंत्रता

और कार्य की प्रकृति चुनने की स्वतंत्रता निजी निर्णय लेने की प्रक्रिया के क्षेत्र हैं। देश के भीतर स्वतंत्र रूप से यात्रा करने या विदेश जाने का अधिकार गोपनीयता के अधिकार के अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र है।

यह पहले से ही मान्यता प्राप्त है कि इस तरह का अधिकार विदेश यात्रा करने के अधिकार को अपने दायरे में लेता है। *[* मेनका गांधी बनाम। भारत संघ, *(1978) 1* एस. सी. सी. *248]* एक व्यक्ति की अपनी जगह चुनने की स्वतंत्रता। निवास एक बार फिर गोपनीयता के उनके अधिकार का हिस्सा है *[*विलियम्स बनाम। भय, *1900* एस. सी. सी. ऑनलाइन यू. एस. एस. सी *211: 45* एल एड *186: 179* यूएस *270 (1900)-"8.* निस्संदेह चलने-फिरने का अधिकार, झुकाव के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की एक विशेषता है। *"(*एस. सी. सी. ऑनलाइन यू. एस. एस. सी. पैरा *8)]* जिसे अनुच्छेद *19 (1) (*ई*)* के तहत भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है।

यद्यपि गणना करने का प्रमुख उद्देश्य

निजता के अधिकार के पहलू। विषयों के कुछ समूहों की अपनी उपस्थिति और परिधान निर्धारित करने की स्वतंत्रता *(*जैसे लंबे बाल रखना और पगड़ी पहनना*)* को निजता के अधिकार के हिस्से के रूप में नहीं बल्कि उनके धार्मिक विश्वास के हिस्से के रूप में संरक्षित किया जाता है। जरूरी नहीं कि ऐसी स्वतंत्रता अनुच्छेद *25* के तहत आने वाली धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हो। सूचनात्मक निशान भी एक क्षेत्र हैं। जो विषय है-गोपनीयता के अधिकार के दायरे में आने वाले विभिन्न न्यायालयों में भारी बहस का विषय है, इस तरह का डेटा उतना ही व्यक्तिगत है जितना कि उपस्थिति और परिधान के चयन का। टेलीफोन टैपिंग और राज्य द्वारा व्यक्तिगत डेटा की इंटरनेट हैकिंग एक अन्य क्षेत्र है जो गोपनीयता के दायरे में आता है। तत्काल संदर्भ भारत संघ द्वारा इस देश के सभी निवासियों के बारे में बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करने के इस तरह के प्रयास से उत्पन्न होता है। उपर्युक्त कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ गोपनीयता के कुछ हित मौजूद हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण कुछ हद तक निजता के अधिकार की प्रकृति और दायरे को इंगित करते हैं।

374. मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई भी यह चाहेगा कि राज्य के अधिकारी उनके घरों में या निजी तौर पर घुसपैठ करें

वसीयत पर संपत्ति या सैनिकों को उनके बिना उनके घरों में रखा जाता है सहमति दें। मुझे नहीं लगता कि कोई भी राज्य द्वारा यह बताना चाहेगा कि उन्हें क्या खाना चाहिए या उन्हें कैसे कपड़े पहनने चाहिए या उन्हें अपने व्यक्तिगत, सामाजिक *[2018] 8* एस. सी. आर. में किसके साथ जोड़ा जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

या राजनीतिक जीवन। सामाजिक और राजनीतिक संगठन की स्वतंत्रता है
अनुच्छेद *19 (1) (*सी*)* के तहत नागरिकों को गारंटी। व्यक्तिगत संगठन

यह अभी भी एक संदिग्ध क्षेत्र है। *[* ए. पी. के उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद *19 (1) (*सी*)* टी. सरिता बनाम में वैवाहिक संघ को अपने दायरे में लेगा। टी. वेंकट सुब्बैया, *1983* एससीसी ऑनलाइन एपी *90 :* ए. आई. आर. *1983* ए. पी. *356* हालाँकि, इस मामले को बाद में इस न्यायालय द्वारा सरोज रानी बनाम में खारिज कर दिया गया था। सुदर्शन कुमार चड्ढा *(1984) 4* एस. सी. सी. *90* ए. आई. आर. *1984* एस. सी. *1562*।*]* निर्णय लेने की प्रक्रिया

संगठन की स्वतंत्रता, यात्रा की स्वतंत्रता और
निवास विशुद्ध रूप से निजी हैं और अधिकार के दायरे में आते हैं।

गोपनीयता के लिए। यह सबसे अंतरंग निर्णयों में से एक है।

375. सभी उदार लोकतंत्रों का मानना है कि राज्य को मानव जीवन के कुछ पहलुओं में घुसपैठ करने का अयोग्य अधिकार नहीं होना चाहिए

और कि प्राधिकरण को मापदंडों द्वारा सीमित किया जाना चाहिए

संवैधानिक रूप से तय। मनुष्य की स्वतंत्रता का गठन करने वाली उन मूल स्वतंत्रताओं में राज्य के हस्तक्षेप को रोकने के लिए मौलिक अधिकार ही एकमात्र संवैधानिक सुरक्षा कवच हैं। निजता का अधिकार निश्चित रूप से मुख्य स्वतंत्रताओं में से एक है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। यह है।
अनुच्छेद *21* में उस अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर स्वतंत्रता का हिस्सा।

376. दर्ज किए गए निष्कर्षों से मैं पूरी तरह सहमत हूं।

इस संबंध में मेरे विद्वान भाइयों द्वारा।

((iii) निजता स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और गरिमा के लिए अंतर्निहित हैः निजता का अधिकार संविधान के भाग-*III* द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं में निहित है और निजता मानव गरिमा का एक तत्व है। निजता का मौलिक अधिकार संविधान के भाग-*III* से प्राप्त होता है और इस अधिकार की मान्यता के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। निजता केवल एक व्युत्पन्न संवैधानिक अधिकार से अधिक है। यह संविधान के पाठ में गारंटीकृत अधिकारों का आवश्यक आधार है। इस संबंध में चर्चा निम्नलिखित अंशों में दर्ज की गई हैः

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.

127. यह निवेदन कि निजता के अधिकार को मान्यता देना एक

ऐसा अभ्यास जिसमें संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है और जो न्यायिक व्याख्या का विषय नहीं हो सकता है, एक स्वीकार्य सैद्धांतिक स्थिति नहीं है। तर्क यह मानता है कि गोपनीयता का अधिकार भाग *III* द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं से स्वतंत्र है
संविधान। गलती वहीं है। निजता का अधिकार मानव गरिमा का एक तत्व है। निजता की पवित्रता इसके कार्यात्मक एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम में निहित है।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

सम्मान के साथ संबंध। निजता यह सुनिश्चित करती है कि मनुष्य अपने आंतरिक अवकाश को सुरक्षित करके गरिमापूर्ण जीवन जी सके। अवांछित घुसपैठ से व्यक्तित्व। निजता पहचानती है कि

व्यक्ति की स्वायत्तता और प्रत्येक व्यक्ति का आवश्यक विकल्प चुनने का अधिकार जो जीवन के पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। ऐसा करने में गोपनीयता

यह स्वीकार करता है कि एक इंसान के लिए गरिमापूर्ण जीवन जीना आवश्यक है

उन स्वतंत्रताओं और स्वतंत्रताओं को पूरा करना जो संविधान की आधारशिला हैं। गोपनीयता के मूल्य को पहचानने के लिए

संविधान। लेकिन न्यायिक समीक्षा के सामने निश्चित रूप से उपलब्ध स्वतंत्रताओं की प्रकृति और विस्तार को निर्धारित करने का कार्य है। उन संवैधानिक गारंटी के ताने-बाने के तहत प्रत्येक व्यक्ति

जो संरक्षित हैं। अदालतों ने पारंपरिक रूप से कहा है कि कार्य और स्वयं अनुच्छेद *21* के संदर्भ में, जैसा कि हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, एक गरिमापूर्ण अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने वाले संरक्षणों का एक समूह अनुच्छेद *21* के संरक्षण के दायरे में आता है।

एस. ए. बोबडे, जे.*:*

416. न्यायिक गणना में कुछ भी असामान्य नहीं है।

पी. जे. फिट्जगेराल्ड, न्यायशास्त्र पर सैल्मंड पी. *228.]* सही है। गणना की प्रक्रिया द्वारा, संवैधानिक न्यायालय केवल एक नाम देते हैं और संवैधानिक स्वतंत्रता के अवशेष में पहले से मौजूद गारंटी के मूल को निर्दिष्ट करते हैं। समय के साथ, सर्वोच्च न्यायालय अपनी व्याख्यात्मक प्रक्रिया से यह संकेत देने में सक्षम रहा है कि निजता के अधिकार सहित कई मौलिक अधिकार इससे उभरते हैं। स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार बताए गए। उन्नी कृष्णन में, जे. पी. बनाम. एपी का राज्य *[*उन्नी कृष्णन, जे. पी. बनाम। ए. पी. राज्य, *(1993) 1* एस. सी. सी. *645]*, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि "कई असंकलित अधिकार अनुच्छेद *21* के अंतर्गत आते हैं क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता व्यापक आयाम की है" *[*उन्नी कृष्णन, जे. पी. बनाम। ए. पी. राज्य, *(1993) 1* एस. सी. सी. *645* पी. *669* , पैरा *29]* शिक्षा के अधिकार के अस्तित्व की पुष्टि करने के रास्ते पर। इसने निम्नलिखित संकेत *[2018] 8* एस. सी. आर. की आपूर्ति की।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऐसे अधिकारों की धारा, जिसमें गोपनीयता का अधिकार शामिल हैः *(* एससीसी पीपी। *59-70* , पैरा *30)*

" 30. निम्नलिखित अधिकार अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं।

21 : *1.* विदेश जाने का अधिकार। सतवंत सिंह बनाम। डी. रामारत्नम *[*सतवंत सिंह साहनी बनाम। डी. रामारत्नम, *(1967) 3* एससीआर

525 : ए. आई. आर. *1967* एस. सी. *1836]*

वी. कनेक्टिकट *[*ग्रिसवोल्ड बनाम। कनेक्टिकट, *1965* एससीसी ऑनलाइन यूएस एससी *124: 14* एल एड *2* डी *510 85* एस सीटी *1678: 381* यू. एस. *479 (1965)]*, पी. *510 .* *3.* एकान्त कारावास के खिलाफ अधिकार। सुनील बत्रा *(1)* बनाम। दिल्ली प्रशासन। *[* सुनील बत्रा बनाम। दिल्ली प्रशासन। , *(1978) 4* एससीसी *494*

: 1979 एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई.*) 155]*, पी. *545 .*

4. बार की बेड़ियों के खिलाफ अधिकार। चार्ल्स शोभराज बनाम। सुप्ट। , केंद्रीय जेल *[*चार्ल्स सोबराज बनाम। सुप्ट। , केंद्रीय जेल, *(1978)* *4* एससीसी *104: 1978* एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई.*) 542]*

5. कानूनी सहायता का अधिकार। एम. एच. होसकोट बनाम की स्थिति

महाराष्ट्र *[*एम. एच. होसकोट बनाम। महाराष्ट्र राज्य, *(1978)*

3 एससीसी *544: 1978* एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई.*) 468]*

6. त्वरित सुनवाई का अधिकार। हुसैनारा खातून *(1) v.* बिहार राज्य *[*हुसैनारा खातून *(1) v.* बिहार राज्य, *(1980)*

1 एससीसी *81: 1980* एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई.*) 23]*

7. हथकड़ी लगाने के खिलाफ अधिकार। प्रेम शंकर बनाम। दिल्ली

एडमिन। *[* प्रेम शंकर शुक्ला बनाम। दिल्ली प्रशासन। *, (1980) 3* एससीसी

526 : 1980 एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई*) 815]* *8.* विलंबित निष्पादन के विरुद्ध अधिकार। टी. वी. वथीस्वरन बनाम राज्य टी. एन. *[*टी. वी. वथीस्वरन बनाम। टी. एन. राज्य, *(1983) 2*

एससीसी *68: 1983* एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई*) 342]*

9. अभिरक्षा हिंसा के खिलाफ अधिकार। शीला बारसे बनाम। महाराष्ट्र राज्य *[*शीला बारसे बनाम। महाराष्ट्र राज्य,

(1983) 2 एससीसी *96: 1983* एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई.*) 353]*

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

10. सार्वजनिक फांसी के खिलाफ अधिकार। भारत के महान्यायवादी बनाम लच्मा देवी *[*भारत की महान्यायवादी बनाम। लच्मा देवी, *1989* पूरक *(1)* एस. सी. सी. *264: 1989* एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई.*) 413]*

11. डॉक्टर की सहायता। परमानंद कटारा बनाम। भारत संघ *[*परमानंद कटारा बनाम। भारत संघ *(1989) 4* एस. सी. सी.

286 : 1989 एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई.*) 721]*

12. आश्रय। सैंटिस्टार बिल्डर्स बनाम। नारायण खिमलाल टोटामे

[शांतिस्टार बिल्डर्स बनाम। नारायण खिमलाल टोटामे, *(1990) 1* एससीसी *520]*। ”

विशेष रूप से मजबूत। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अनुच्छेद *21* का एक उचित निहितार्थ है। लेकिन और भी। निजता एक अधिकार या शर्त है *”*, तार्किक रूप से

पूर्वनिर्धारित *"[*लॉरेंस एच. जनजाति और माइकल सी. डॉर्फ", अधिकारों की परिभाषा में सामान्यता के स्तर *", 57* यू. सी. एच. आई. एल. आर. ई. वी. *1057 (1990)* पी. *1068.]* संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज अधिकारों द्वारा

पाठ, यदि उन्हें समझ में आना है। नतीजतन, निजता केवल एक व्युत्पन्न संवैधानिक अधिकार से अधिक है। यह पाठ में गारंटीकृत अधिकारों का आवश्यक और अपरिहार्य तार्किक निहितार्थ है संविधान।

आर. एफ. नरीमन, जेः

बैंक ऑफ कोचीन *[*जॉली जॉर्ज वर्गीज बनाम। बैंक ऑफ कोचीन, *(1980) 2* एस. सी. सी. *360],* पैरा *10* पर। इसी तरह, बार की बेड़ियों और हथकड़ी लगाने के खिलाफ अधिकार को किसी व्यक्ति की गरिमा का अभिन्न अंग होने के कारण सुनील बत्रा बनाम के फैसले द्वारा अनुच्छेद *21* में पढ़ा गया था। दिल्ली प्रशासन। *[* सुनील बत्रा बनाम। दिल्ली प्रशासन। *, (1978) 4* एससीसी *494: 1979* एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई.*) 155],* पैरा *192,197*-बी, *234* और *241* पर और प्रेम

शंकर शुक्ला बनाम। दिल्ली प्रशासन। *[* प्रेम शंकर शुक्ला बनाम।

दिल्ली प्रशासन। *, (1980) 3* एससीसी *526: 1980* एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई.*) 815],* पैरा *[2018] 8* एस. सी. आर. पर।

21 और *22.* यह दिन में बहुत देर हो चुकी है कि एक मौलिक

संविधान। जैसा कि बाद में इस फैसले में बताया जाएगा, ए
संविधान को इस तरह से पढ़ना होगा कि शब्द प्रभावी हों।

ऊपर।

स्पष्ट करें कि गोपनीयता की अवधारणा केवल व्यक्तिगत रूप में निहित नहीं है
स्वतंत्रता, लेकिन व्यक्ति की गरिमा में भी।

((iv) निजता में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विषय होते हैंः द.

नकारात्मक सामग्री राज्य को किसी नागरिक के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में घुसपैठ करने से रोकती है। इसकी सकारात्मक सामग्री राज्य पर व्यक्ति की गोपनीयता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का दायित्व लगाती है।

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. *:*

326. निजता में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विषय होते हैं। नकारात्मक

सामग्री राज्य को घुसपैठ करने से रोकती है

एक नागरिक का जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसकी सकारात्मक सामग्री लागू होती है

राज्य की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का दायित्व

व्यक्ति की गोपनीयता "।

(v) सूचनात्मक गोपनीयता गोपनीयता के अधिकार का एक पहलू हैः द.

पुरानी कहावत है कि 'ज्ञान शक्ति है' का व्यक्ति की स्थिति के लिए स्पष्ट प्रभाव पड़ता है जहां डेटा सर्वव्यापी है, एक सर्वव्यापी उपस्थिति है।

एक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता का प्रत्येक लेन-देन उसकी जानकारी के बिना इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक छोड़ देता है। व्यक्तिगत रूप से ये सूचना सिलोस प्रतीत हो सकते हैं

अप्रासंगिक। एकत्रीकरण में, जानकारी प्राणियों की एक तस्वीर प्रदान करती है। बिग डेटा गोपनीयता के लिए जो चुनौती पेश करता है, वह राज्य और गैर-राज्य दोनों संस्थाओं से उत्पन्न होती है। इस प्रस्ताव को निम्नलिखित तरीके से वर्णित किया गया हैः

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. : *300.* हमारा युग सूचना का युग है। जानकारी ज्ञान है।

पुरानी कहावत है कि "ज्ञान ही शक्ति है" का गहरा प्रभाव पड़ता है।

व्यक्ति की स्थिति के लिए जहां डेटा सर्वव्यापी है, और सभी

आपस में जुड़े हुए। इंटरनेट सर्वव्यापी हो गया है लोग अपना हर दिन अधिक से अधिक समय ऑनलाइन बिताते हैं।

जीवन जीते हैं। व्यक्ति दूसरों के साथ जुड़ते हैं और इंटरनेट का उपयोग करते हैं।

संचार के साधन। इंटरनेट का उपयोग व्यवसाय चलाने के लिए किया जाता है एसटी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

ऑनलाइन बैंकिंग ने बैंकरों और बैंकों के बीच संबंधों को फिर से परिभाषित किया है। ग्राहक। ऑनलाइन व्यापार ने एक नया मंच बनाया है

प्रतिभूतियों में बाजार। ऑनलाइन संगीत ने रेडियो को नया रूप दिया है। ऑनलाइन किताबों ने ग्रंथप्रेमी के लिए एक नया ब्रह्मांड खोल दिया है। पुराना।

वेब पोर्टल द्वारा फैशन ट्रैवल एजेंट को अनावश्यक बना दिया गया है

लेकिन कुछ कारणों से लोग हर दिन इंटरनेट का उपयोग करते हैं उनके जीवन। फिर भी प्रत्येक उपयोगकर्ता का प्रत्येक लेन-देन और प्रत्येक

वह जिस साइट पर जाती है, वह आम तौर पर उसके बिना इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक छोड़ देती है

ज्ञान। इन इलेक्ट्रॉनिक पटरियों में शक्तिशाली साधन होते हैं -

ऐसी जानकारी जो उस व्यक्ति के प्रकार का ज्ञान प्रदान करती है जो

उपयोगकर्ता है और उसकी रुचियाँ *[फ्रेंकोइस नवरोट, कटारज़िना देखें]*

सिस्का और प्रिज़ेमिस्लाव स्वितालस्की, "क्षैतिज अनुप्रयोग मौलिक अधिकार-इंटरनेट पर निजता का अधिकार ", *9* वां

वार्षिक यूरोपीय संविधानवाद संगोष्ठी *(*मई *2010),*

वारसॉ विश्वविद्यालय, *<HTTP:* पर उपलब्ध हैः *//*एन। जेडपीसी। डब्ल्यूपीआईए। यू. डब्ल्यू. एडयू। पीएल

/ डब्ल्यूपी-सामग्री/अपलोड*/2010/04 /*

भाषा, स्वास्थ्य, शौक, यौन पसंद, दोस्ती, तरीके पोशाक और राजनीतिक संबद्धता। एकत्रीकरण में, जानकारी प्रदान करता है

अस्तित्व की एक तस्वीरः जिन चीजों का महत्व है और जो करते हैं

नहीं, प्रकट की जाने वाली चीजों और सबसे अच्छी तरह से छिपी हुई चीजों के बारे में।

XX

XX

XX

304. ज्ञान की खोज के साथ डेटा खनन प्रक्रियाएँ व्यक्तियों के बारे में तथ्य बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। मेटाडेटा और

उन तरीकों से जिन्हें अभी पूरी तरह से माना जाना बाकी है। यह, क्रिस्टीना के रूप में मोनियोडिस ने अपने प्रकाशित लेख में कहा है, जिसके परिणामस्वरूप यह रचना हुई है

या उसके पास नहीं था। यह अदालत के लिए गंभीर मुद्दे पैदा करता है। में। तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी के युग में एक न्यायाधीश *[2018] 8* एस. सी. आर. के लिए यह असंभव है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जानकारी के सभी संभावित उपयोगों की कल्पना करना या

परिणामः

"..... नए ज्ञान का निर्माण डेटा गोपनीयता कानून को जटिल बनाता है क्योंकि इसमें ऐसी जानकारी शामिल होती है जो व्यक्ति के पास नहीं थी। और जानबूझकर या अन्यथा खुलासा नहीं कर सकता था। इसके अलावा, जैसे-जैसे हमारा राज्य सूचना पर बढ़ती निर्भरता के

माध्यम से एक "सूचना राज्य" बन जाता है, उस जानकारी को "राजनीतिक, सामाजिक और व्यवसाय को बनाए रखने वाली जीवनदायिनी" के रूप में वर्णित किया जाता है।

निर्णय लेते हैं। सभी की अवधारणा बनाना असंभव हो जाता है

जानकारी का संभावित उपयोग और परिणामी नुकसान। इस तरह की

स्थिति उन अदालतों के लिए एक चुनौती पेश करती है जिन्हें अदृश्य, विकसित होने वाले नुकसान का पूर्वानुमान लगाने और उनका उपचार करने के लिए प्रभावी रूप से कहा जाता है। *[* क्रिस्टीना पी. मोनियोडिस, "निक्सन से नासा की ओर बढ़नाः प्राइवेसीज़ सेकंड स्ट्रैंड-ए राइट टू इन्फॉर्मेशनल प्राइवेसी ", येल जर्नल ऑफ़ लॉ एंड टेक्नोलॉजी *(2012),* वॉल्यूम। *15 (1)* , पी पर। *154.]*

समकालीन युग को "सर्वव्यापी डेटा निगरानी का युग, या सूचना के उपयोग के माध्यम से नागरिकों के संचार या कार्यों की व्यवस्थित निगरानी" के रूप में माना गया है।

प्रौद्योगिकी *"[*यवोन मैकडरमोट", बिग डेटा के युग में डेटा संरक्षण के अधिकार की अवधारणा ", बिग डेटा एंड सोसाइटी *(2017),* पी। *1.]* . यह "बिग डेटा" या डेटा सेट के संग्रह का भी युग है। ये डेटा सेट खोजने में सक्षम हैं; वे

अन्य डेटा सेटों के साथ संबंध हैं; और उनके विस्तृत दायरे और संग्रह की स्थायित्व द्वारा चिह्नित हैं। *[* आईडी, पीपी पर। *1* और *4.]* गोपनीयता हितों के लिए बड़ी जानकारी जो चुनौती पेश करती है, वह राज्य और गैर-राज्य संस्थाओं से उत्पन्न होती है। पहनने योग्य उपकरणों और सोशल मीडिया नेटवर्क के उपयोगकर्ता स्वयं को स्वैच्छिक डेटा के रूप में नहीं बल्कि उपयोग की उनकी गतिविधियों के रूप में कल्पना कर सकते हैं और

जुड़ाव के परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में डेटा का उत्पादन होता है

व्यक्तिगत जीवन शैली, विकल्प और वरीयताएँ। यवोन मैकडरमोट वाक्पटु शब्दों में मात्रात्मक स्व के बारे में बात करते हैं:

"..... तथाकथित 'मात्रात्मक स्व' में वृद्धि, या ट्रैकिंग उपकरणों, इंटरनेट-ऑफ-थिंग्स उपकरणों, सोशल नेटवर्क डेटा और अन्य साधनों *(?* हंस। *2013)* इसके परिणामस्वरूप न केवल व्यक्तिगत उपयोगकर्ता के बारे में, बल्कि उनके आसपास के लोगों के बारे में भी जानकारी एकत्र की जा सकती है। इस प्रकार, केवल सहमति-आधारित मॉडल किसी के डेटा की सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं करता है, विशेष रूप से जब एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुटास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

एक उद्देश्य के लिए एकत्र किए गए डेटा को दूसरे उद्देश्य के लिए फिर से तैयार किया जा सकता है। " *[* आईडी, पी। *4.]*

XX

XX

XX

328. सूचनात्मक गोपनीयता निजता के अधिकार का एक पहलू है। सूचना के युग में गोपनीयता के लिए खतरे न केवल राज्य से बल्कि गैर-राज्य अभिनेताओं से भी उत्पन्न हो सकते हैं। हम केंद्र सरकार को डेटा सुरक्षा के लिए एक मजबूत व्यवस्था की जांच करने और स्थापित करने की आवश्यकता की सराहना करते हैं। इस तरह के शासन के निर्माण के लिए व्यक्तिगत हितों और राज्य की वैध चिंताओं के बीच सावधानीपूर्वक और संवेदनशील संतुलन की आवश्यकता होती है। राज्य के वैध उद्देश्यों में उदाहरण के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना, अपराध को रोकना और जांच करना, नवाचार और ज्ञान के प्रसार को प्रोत्साहित करना और सामाजिक कल्याण लाभों के अपव्यय को रोकना शामिल होगा। ये ऐसे नीतिगत मामले हैं जिन पर केंद्र सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक संरचित योजना तैयार करते समय विचार किया जाना चाहिए।

डेटा की सुरक्षा के लिए व्यवस्था। चूंकि केंद्र सरकार ने न्यायालय को सूचित किया है कि उसने इस उद्देश्य के लिए इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, माननीय श्री न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, इसलिए इस निर्णय में जो कुछ भी निर्धारित किया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा इस मामले को उचित तरीके से निपटाया जाएगा। एस. के. कौल जे. *:*

585. प्रौद्योगिकी के विकास और विकास ने राज्य द्वारा गोपनीयता के संभावित आक्रमण के लिए नए साधन बनाए हैं, जिसमें निगरानी, प्रोफाइलिंग और डेटा संग्रह शामिल हैं।

सार्वजनिक सुरक्षा संबंधी चिंताओं को बढ़ाना। राज्यों द्वारा अपनाई जा रही ऐसी ही एक तकनीक "प्रोफाइलिंग" है। *2016* का यूरोपीय संघ विनियमन *[*विनियमन सं। *(*ई. यू.*)* के प्रसंस्करण के संबंध में प्राकृतिक व्यक्तियों की सुरक्षा पर यूरोपीय संसद और *27-4-2016* की परिषद का <आई. डी. *2.* व्यक्तिगत डेटा और ऐसे डेटा की मुक्त आवाजाही पर और निर्देश संख्या *95/46/*ईसी *(*सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन*)* को निरस्त करना।*] [2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डेटा गोपनीयता पर "प्रोफाइलिंग" को व्यक्तिगत डेटा के स्वचालित प्रसंस्करण के किसी भी रूप के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें एक प्राकृतिक व्यक्ति से संबंधित कुछ व्यक्तिगत पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए व्यक्तिगत डेटा का उपयोग शामिल है। विशेष रूप से काम पर उस प्राकृतिक व्यक्ति के प्रदर्शन, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, रुचियों, विश्वसनीयता, व्यवहार, स्थान या गतिविधियों से संबंधित पहलुओं का विश्लेषण या भविष्यवाणी करना। *(*ई. यू.*)* प्राकृतिक व्यक्तियों के संरक्षण पर यूरोपीय संसद और *27-4-2016* की परिषद का *2016/679*

व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण और ऐसे डेटा की मुक्त आवाजाही के संबंध में, और निर्देश संख्या *95/46/*ईसी *(*सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन*)* को निरस्त करना। . इस तरह के विवरण के परिणामस्वरूप धर्म, जातीयता और जाति के आधार पर भेदभाव हो सकता है। हालांकि, "प्रोफाइलिंग" का उपयोग सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लाभ के लिए भी किया जा सकता है।

586. सुरक्षा वातावरण, न केवल हमारे देश में, बल्कि दुनिया भर में व्यक्तियों और राज्य की सुरक्षा को निजता के इस अधिकार के खिलाफ संतुलित किया जाना चाहिए।

587. गैर-राज्य अभिनेताओं की घर और गोपनीयता पर आक्रमण करने की क्षमता को भी बढ़ाया गया है। तकनीकी विकास ने पत्रकारिता को सुगम बनाया है जो पहले से कहीं अधिक घुसपैठ करने वाली है।

588. इसके अलावा, इस डिजिटल युग में, व्यक्ति लगातार मूल्यवान डेटा उत्पन्न कर रहे हैं जिसका उपयोग गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा उनकी चाल, पसंद और प्राथमिकताओं पर नज़र रखने के लिए किया जा सकता है। डेटा न केवल जानकारी के सक्रिय साझाकरण से उत्पन्न होता है, बल्कि "वर्ल्ड वाइड वेब" पर हर क्लिक के साथ निष्क्रिय भी होता है। हम एक बनाने के लिए कहा जाता है

हर दूसरे दिन समान मात्रा में जानकारी, जैसा कि मानव जाति ने दर्ज किए गए इतिहास की शुरुआत से लेकर वर्ष *2003* तक बनाया-"वर्ल्ड वाइड वेब" द्वारा सक्षम। *[* माइकल एल. रुस्ताद, सन्ना कुलेव्स्का, "ट्रान्साटलांटिक को सक्षम करने के लिए भुला दिए जाने के अधिकार की पुनः अवधारणा करना। डेटा फ्लो *", (2015) 28* हार्व जे. एल. एंड टेक *349।]*

589. हाल ही में, यह बताया गया था कि दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी "उबर" के पास कोई वाहन नहीं है। फेसबुक *",* दुनिया का सबसे बड़ा

लोकप्रिय मीडिया मालिक, कोई सामग्री नहीं बनाता है। "सबसे मूल्यवान खुदरा विक्रेता अलीबाबा के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है। और दुनिया के सबसे बड़े आवास प्रदाता "एयरबीएनबी" के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। कुछ दिलचस्प हो रहा है। "*[* टॉम गुडविन "द बैटल इज फॉर"

ग्राहक इंटरफेस *", <HTTPS: //*टेकक्रंच।

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

एज-ऑफ-डिसइंटरमीडिएशन-द-बैटल-इज-ऑल-फॉर-द-कस्टमर इंटरफेस/>।*]* "उबर "हमारे ठिकाने और उन स्थानों को जानता है जहाँ हम अक्सर जाते हैं।" फेसबुक "कम से कम, जानता है कि हम कौन दोस्त हैं

के साथ "। अलीबाबा "हमारी खरीदारी की आदतों को जानता है"। एयरबीएनबी "जानता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। सोशल नेटवर्क प्रदाता, खोज इंजन, ई-मेल सेवा प्रदाता, संदेश अनुप्रयोग सभी आगे हैं। गैर-राज्य अभिनेताओं के उदाहरण जिनका व्यापक ज्ञान है

हमारी गतिविधियों, वित्तीय लेन-देन, बातचीत दोनों

व्यक्तिगत और व्यावसायिक, स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, रुचि, यात्रा स्थान, किराया और खरीदारी की आदतें। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं

एक डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने और इंटरनेट आधारित सेवाओं पर अपनी निर्भरता बढ़ाने के लिए हम गहरे और गहरे डिजिटल पदचिह्न बना रहे हैं

-निष्क्रिय और सक्रिय रूप से।

प्रौद्योगिकी में प्रगति ने न केवल नए रूप बनाए हैं डेटा, लेकिन डेटा का विश्लेषण करने के नए तरीके भी और इसके कारण

प्रभावी और कम्प्यूटेशनल शक्ति तेजी से बढ़ी है। बड़ी संख्या में लोग इस तरह के खोज इतिहास को निजी रखना चाहेंगे, लेकिन यह शायद ही कभी निजी रहता है, और लक्षित विज्ञापन जैसे उद्देश्यों के लिए एकत्र किया जाता है, बेचा जाता है और विश्लेषण किया जाता है। बेशक,

"बिग डेटा का उपयोग जनहित को आगे बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां गोपनीयता के लिए आक्रामक होने के बावजूद बड़े डेटा का संग्रह और प्रसंस्करण वैध और आनुपातिक हो।

591. एक व्यक्ति के बारे में ज्ञान उस व्यक्ति पर एक शक्ति देता है।

एकत्र किया गया व्यक्तिगत डेटा प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करने और व्यवहार को आकार देने में सक्षम है। इसका उपयोग "बड़े भाई" राज्य की तरह हम पर नियंत्रण रखने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है। यह एक उत्तेजक प्रभाव डाल सकता है

असहमति और मतभेद की अभिव्यक्ति, जो नहीं लोकतंत्र वहन कर सकता है।

592. इस प्रकार, इस तरह की जानकारी को किस हद तक संग्रहीत, संसाधित किया जा सकता है, इस बारे में विनियमन की अभूतपूर्व आवश्यकता है

और गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। राज्य से ऐसी जानकारी की सुरक्षा की भी आवश्यकता है। हमारी सरकार *[2018] 8* एस. सी. आर. थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ब्लैकबेरी को ब्लैकबेरी उपकरणों पर भेजे गए डेटा को रोकने की क्षमता देने के लिए मजबूर करने में सफल रहा। जबकि ऐसा राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अवरोधन वांछनीय और अनुमेय हो सकता है, इसे अनियंत्रित नहीं किया जा सकता है। *[* कादिम शुबर ने कहा, "ब्लैकबेरी भारत सरकार को रोकने की क्षमता देता है।

वायर्ड द्वारा *11-7-2013 <HTTP* पर प्रकाशित संदेशः *//* डब्ल्यू. डब्ल्यू. तार। को. यूके/लेख/ब्लैकबेरी-इंडिया>।*]*

निजी क्षेत्र की संस्थाएं। *[* डेनियल सोलोव, *"10* कारण क्यों गोपनीयता मायने रखती है" *20-1-2014 <HTTTPS:* पर प्रकाशित *//*डब्ल्यू. डब्ल्यू. गोपनीयता सिखाएँ। *com/10*-कारण-गोपनीयता-मामले/>।*]*
594. जॉर्ज ऑरवेल ने उन्नीस अस्सी चार में एक काल्पनिक राज्य का निर्माण किया। आज यह एक वास्तविकता हो सकती है। आज का तकनीकी विकास न केवल राज्य को, बल्कि बड़े निगमों और निजी संस्थाओं को भी "बड़ा भाई" बनने में सक्षम बना सकता है।

XX

XX

XX

629. एक व्यक्ति का अपने व्यक्तिगत नियंत्रण का प्रयोग करने का अधिकार डेटा और अपने जीवन को नियंत्रित करने में सक्षम होना भी शामिल होगा।

इंटरनेट पर अपने अस्तित्व को नियंत्रित करने का उसका अधिकार। कहने की जरूरत नहीं है कि यह एक पूर्ण अधिकार नहीं होगा। इस तरह के अधिकार के अस्तित्व का मतलब यह नहीं है कि एक अपराधी अपने अतीत को मिटा सकता है, लेकिन गलतियों की अलग-अलग डिग्री हैं, छोटी और बड़ी, और यह नहीं कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति को सभी के जानने के लिए नौवीं सीमा तक प्रोफाइल किया जाना चाहिए।

630. एक हाई स्कूल की शिक्षिका को उसके फेसबुक पेज पर पोस्ट करने के बाद निकाल दिया गया था कि वह "एक और *[*स्कूल*]* वर्ष की प्रतीक्षा नहीं कर रही थी" क्योंकि स्कूल जिले के निवासी "घमंडी और घटिया" थे। एक उड़ान परिचारिका को कंपनी की वर्दी में अपनी सूचक तस्वीरें पोस्ट करने के लिए निकाल दिया गया था। *[* पेट्रीसिया सांचेज़ एब्रिल, "धुंधली सीमाएँ: सोशल मीडिया गोपनीयता और बीस-प्रथम सेंचुरी एम्प्लॉयी *", 49* एएम बस एलजे *63* पी। *69 (2012) .]* पूर्व-डिजिटल युग में ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई होंगी। लोग तब गलतियाँ कर सकते हैं और खुद को शर्मिंदा कर सकते हैं, इस आराम के साथ कि जानकारी आमतौर पर समय के साथ भुला दी जाएगी।

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

631. डिजिटल युग के प्रभाव के परिणामस्वरूप इंटरनेट पर जानकारी स्थायी हो जाती है। मनुष्य भूल जाते हैं, लेकिन इंटरनेट भूलता नहीं है और मनुष्यों को भूलने नहीं देता है। कोई भी प्रयास

इंटरनेट से जानकारी को हटाने से इसका पूर्ण रूप से उन्मूलन नहीं होता है। पैरों के निशान बने हुए हैं। इस प्रकार कहा जाता है कि डिजिटल दुनिया में संरक्षण आदर्श है और संघर्ष को भूल जाना *[*रवि*]*

632. तकनीक के परिणामस्वरूप लगभग एक प्रकार का स्थायी भंडारण होता है। किसी न किसी तरह से पिछली गलतियों को छोड़ कर फिर से जीवन शुरू करना मुश्किल हो जाता है। लोग स्थिर नहीं होते हैं, वे अपने जीवन में बदलते हैं और बढ़ते हैं। वे विकसित होते हैं। वे गलतियाँ करते हैं। लेकिन

उन्हें खुद को फिर से आविष्कार करने और सुधार करने और अपनी गलतियों को सुधारने का अधिकार है। यह गोपनीयता है जो इस क्षमता को पोषित करती है और अवांछनीय चीजों की बेड़ियों को हटा देती है जो शायद इस में की गई हों। अतीत।

सोशल नेटवर्क वेबसाइटों पर *24/7* के आधार पर जब वे सीखते हैं कि "एबीसी *":* एप्पल, ब्ल्यूटूथ और चैट के बाद डाउनलोड, ई-मेल, फेसबुक, गूगल, हॉटमेल और इंस्टाग्राम आते हैं। *[* माइकल एल।

रुस्ताद, सन्ना कुलेव्स्का, "होने के अधिकार की पुनः अवधारणा

ट्रान्साटलांटिक डेटा फ्लो को सक्षम करना भूल गए *", (2015) 28* हार्व जेएल एंड टेक *349।]* उन्हें इसके परिणामों के अधीन नहीं किया जाना चाहिए

उनकी बचकानी गलतियाँ और नादानी, उनका पूरा जीवन। बच्चों की निजता को विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होगी न कि केवल संदर्भ में

आभासी दुनिया, लेकिन वास्तविक दुनिया भी।

634. लोग बदलते हैं और एक व्यक्ति को निर्धारित करने में सक्षम होना चाहिए

उसके जीवन का मार्ग और न केवल उस मार्ग पर अटके रहें जिस पर वह शुरू में चला था। एक व्यक्ति में अपनी मान्यताओं को बदलने और एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने की क्षमता होनी चाहिए। व्यक्तियों को इस डर में नहीं रहना चाहिए कि उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचार हमेशा उनके साथ जुड़े रहेंगे और इस प्रकार उन्हें खुद को व्यक्त करने से बचना चाहिए।

635. जबकि व्यक्तिगत प्रसार को नियंत्रित करने का यह अधिकार

भौतिक और आभासी स्थान में जानकारी इतिहास को पूरी तरह से मिटाने के अधिकार के बराबर नहीं होनी चाहिए, यह अधिकार, गोपनीयता के बड़े अधिकार के एक हिस्से के रूप में, अन्य मौलिक *[2018] 8* एस. सी. आर. के खिलाफ संतुलित होना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या मीडिया की स्वतंत्रता जैसे अधिकार,

एक लोकतांत्रिक समाज के लिए मौलिक।

636. इस प्रकार, *2016* का यूरोपीय संघ विनियमन *[*विनियमन सं। प्राकृतिक व्यक्तियों के संरक्षण के संबंध में यूरोपीय संसद और *27-4-2016* की परिषद के *2016/679* व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण और ऐसे डेटा की मुक्त आवाजाही पर, और निर्देश संख्या *95/46/*ईसी *(*सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन*)* को निरस्त करना। जिसे "भुला दिए जाने का अधिकार" कहा गया है, उसे मान्यता दी है। इसका मतलब यह नहीं है कि पहले के अस्तित्व के सभी पहलुओं को मिटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ का सामाजिक प्रभाव हो सकता है। यदि हम एक समान अधिकार को मान्यता देते हैं, तो इसका मतलब केवल यह होगा कि एक व्यक्ति जो अब अपने व्यक्तिगत डेटा को संसाधित या संग्रहीत करने का इच्छुक नहीं है, उसे उस प्रणाली से हटाने में सक्षम होना चाहिए जहां व्यक्तिगत डेटा/जानकारी अब आवश्यक, प्रासंगिक, या गलत है और कोई वैध हित नहीं है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करने के लिए ऐसे अधिकार का उपयोग नहीं किया जा सकता है जहां सूचना/डेटा आवश्यक है और

कानूनी दायित्वों के अनुपालन के लिए जानकारी

लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोक हित के आधार पर, लोक हित, वैज्ञानिक या ऐतिहासिक अनुसंधान उद्देश्यों या सांख्यिकीय उद्देश्यों में संग्रह उद्देश्यों के लिए, या स्थापना, अभ्यास या रक्षा के लिए किए गए कार्य का प्रदर्शन।

कानूनी दावे। इस तरह के औचित्य सभी मामलों में मान्य होंगे

डेटा गोपनीयता के उल्लंघन सहित गोपनीयता का उल्लंघन।

(vi) निजता के अधिकार को एक न्यायपूर्ण, निष्पक्ष उचित कानून के बिना बाधित नहीं किया जा सकता हैः इसे आनुपातिकता की कसौटी को पूरा करना होता है। *(i)* किसी कानून की स्थापना*; (ii)* राज्य के वैध उद्देश्य को पूरा करना चाहिए*;* और *(iii)*

मौलिकता।

" डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.

310. यद्यपि यह राज्य के वैध हितों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करता है, फिर भी राज्य को एक ऐसी मजबूत व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए जो तीन गुना आवश्यकता की पूर्ति सुनिश्चित करे। ये तीन आवश्यकताएँ

गोपनीयता पर सभी प्रतिबंधों पर लागू होता है *(*न कि केवल सूचनात्मक गोपनीयता*)*। वे अनुच्छेद *21* के प्रक्रियात्मक और विषय-वस्तु आधारित अधिदेश से निकलते हैं। गोपनीयता पर अतिक्रमण को सही ठहराने के लिए पहली आवश्यकता यह है कि एक कानून होना चाहिए अनुच्छेद *21* की आवश्यकता। क्योंकि, किसी भी व्यक्ति को उसके एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* से वंचित नहीं किया जा सकता है।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता। कानून का अस्तित्व एक अनिवार्य आवश्यकता है। दूसरा, एक वैध राज्य उद्देश्य के संदर्भ में आवश्यकता की आवश्यकता यह सुनिश्चित करती है कि कानून की प्रकृति और सामग्री जो प्रतिबंध लगाती है, अनिवार्य तर्कसंगतता के क्षेत्र के भीतर आती है। अनुच्छेद *14* द्वारा, जो मनमाना राज्य कार्रवाई के खिलाफ एक गारंटी है। एक वैध राज्य उद्देश्य की खोज यह सुनिश्चित करती है कि कानून स्पष्ट मनमानेपन से पीड़ित न हो। वैधता, एक अभिधारणा के रूप में,

इसमें एक मूल्य निर्णय शामिल है। न्यायिक समीक्षा विधायिका के मूल्य निर्णय की पुनः सराहना या दूसरा अनुमान नहीं लगाती है, बल्कि यह तय करने के लिए है कि जिस उद्देश्य को आगे बढ़ाने की मांग की गई है, वह स्पष्ट या स्पष्ट मनमानेपन से ग्रस्त है या नहीं। तीसरी आवश्यकता यह सुनिश्चित करती है कि विधायिका द्वारा अपनाए गए साधन कानून द्वारा पूरा किए जाने वाले उद्देश्य और आवश्यकताओं के समानुपाती हों। आनुपातिकता मनमाना राज्य कार्रवाई के खिलाफ गारंटी का एक अनिवार्य पहलू है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि अधिकार पर अतिक्रमण की प्रकृति और गुणवत्ता कानून के उद्देश्य के लिए असमान नहीं है। इसलिए, एक वैध कानून के लिए तीन गुना आवश्यकता दोनों के बीच आपसी निर्भरता से उत्पन्न होती है।

एक तरफ मनमानेपन के खिलाफ बुनियादी गारंटी और

दूसरी ओर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। निजता का अधिकार, जो जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक आंतरिक हिस्सा है, और भाग *III* में सन्निहित स्वतंत्रताएँ उसी के अधीन हैं।

प्रतिबंध जो उन स्वतंत्रताओं पर लागू होते हैं। *311.* राष्ट्रीय सुरक्षा के अलावा, राज्य के पास डेटा के संग्रह और भंडारण के लिए उचित कारण हो सकते हैं। समाज कल्याण राज्य में, सरकार ऐसे कार्यक्रम शुरू करती है जो

समाज के गरीब और हाशिए पर पड़े वर्गों को लाभ। दुर्लभ सार्वजनिक संसाधनों को सुनिश्चित करने में राज्य का महत्वपूर्ण हित है

उन व्यक्तियों को संसाधनों के हस्तांतरण से नष्ट नहीं होते हैं जो प्राप्तकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं। मानव विकास के लिए संसाधनों का आवंटन एक वैध चिंता के साथ जुड़ा हुआ है कि संसाधनों का उपयोग बाहरी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। वैध लाभार्थियों के लिए संसाधनों को ठीक से तैनात करना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डेटा माइनिंग राज्य के लिए प्रामाणिक डेटा के संग्रह पर जोर देने का एक वैध आधार है। लेकिन, राज्य ने जो डेटा एकत्र किया है, उसका उपयोग वैध उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए

राज्य का और *[2018]* एस. सी. आर. के लिए अनधिकृत रूप से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

बाहरी उद्देश्य। यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य की वैध चिंताओं की विधिवत रक्षा की जाए और साथ ही, गोपनीयता संबंधी चिंताओं की रक्षा की जाए। अपराध की रोकथाम और जांच और राजस्व की सुरक्षा राज्य के वैध उद्देश्यों में से हैं। समाज कल्याण राज्य में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म एक महत्वपूर्ण साधन हैं। कानूनी रूप से तैनात सूचना प्रौद्योगिकी नवाचार और ज्ञान के प्रसार में एक शक्तिशाली प्रवर्तक है।

312. समकालीन साहित्य में एक विशिष्टता पाई गई है।

अनामता ", वर्जीनिया लॉ रिव्यू *(2015),* वॉल्यूम। *101* , पीपी में। *691 762.]* अनामता और गोपनीयता दोनों ही दूसरों को लाभ प्राप्त करने से रोकते हैं। व्यक्तिगत जानकारी के टुकड़ों तक पहुँच फिर भी वे विपरीत तरीकों से ऐसा करते हैं। गोपनीयता में गुमनामी के दौरान जानकारी छिपाना शामिल है।

इसमें वह बात छिपाना शामिल है जो इसे व्यक्तिगत बनाती है। किसी व्यक्ति के चिकित्सा रिकॉर्ड का अनधिकृत विभाजन जो किसी अस्पताल को प्रस्तुत किया गया है, गोपनीयता पर आक्रमण के बराबर होगा। दूसरी ओर, राज्य जनसंख्या पर गंभीर प्रभाव को रोकने के लिए मलेरिया या डेंगू जैसी सार्वजनिक स्वास्थ्य महामारी को समझने और उससे निपटने के लिए अस्पताल के रिकॉर्ड से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने में वैध रुचि दिखा सकता है। यदि राज्य व्यक्ति की अनामता को संरक्षित रखता है तो वह अपने पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर उचित नीतिगत हस्तक्षेप तैयार करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य के संरक्षण में वैध रूप से राज्य के हित का दावा कर सकता है।

313. निजता को अनुच्छेद *21* के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक आंतरिक तत्व और एक संवैधानिक मूल्य के रूप में माना गया है जो संविधान के भाग *III* में अंतर्निहित मौलिक स्वतंत्रताओं में सन्निहित है। जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की तरह, निजता निरपेक्ष नहीं है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर काम करने वाली सीमाएँ निजता के अधिकार पर काम करेंगी। उस अधिकार में कोई भी कटौती या वंचित करना कानून के शासन के तहत होना चाहिए। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। अधिकार में कटौती का प्रावधान करने वाला कानून भी संवैधानिक प्रावधानों के अधीन होना चाहिए।

सुरक्षा उपाय।

XX

XX

XX STICE K. S. पुट्टास्वामी *(RETD.) v.* भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

325. अन्य अधिकारों की तरह जो अनुच्छेद *21* के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार सहित भाग *III* द्वारा संरक्षित मौलिक स्वतंत्रताओं का हिस्सा हैं, गोपनीयता एक पूर्ण अधिकार नहीं है। एक कानून जो गोपनीयता का अतिक्रमण करता है, उसे मौलिक अधिकारों पर अनुमेय प्रतिबंधों की कसौटी का सामना करना होगा। अनुच्छेद *21* के संदर्भ में निजता पर आक्रमण को इस आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिएः

एक ऐसी विधि जो एक ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करती है जो निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित है। कानून को अनुच्छेद *21* के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण के संदर्भ में भी वैध होना चाहिए। जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आक्रमण को तीन गुना पूरा करना चाहिए

(i) वैधता की आवश्यकता, जो कानून के अस्तित्व को स्वीकार करती है*;*

((ii) आवश्यकता, जिसे राज्य के वैध उद्देश्य के संदर्भ में परिभाषित किया गया है*;* और *(iii)* आनुपातिकता जो वस्तुओं के बीच तर्कसंगत संबंध सुनिश्चित करती है।

और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनाए गए साधन। एस. ए. बोबडे, जे.

426. इसमें कोई संदेह नहीं है कि निजता संविधान के भाग *III* द्वारा मान्यता प्राप्त कई मौलिक अधिकारों का अभिन्न अंग है और इसे स्वयं एक मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। निजता के अधिकार और इसमें शामिल विशेष मौलिक अधिकार *(*या अधिकार*)* के बीच संबंध किसी विशेष कानून द्वारा बाधित कार्रवाई पर निर्भर करेगा। कम से कम, चूंकि गोपनीयता हमेशा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ एकीकृत होती है, इसलिए कानून की संवैधानिकता, जिसके बारे में आरोप लगाया जाता है कि यह किसी अधिकार वाहक की गोपनीयता पर हमला करती है, का परीक्षण उन्हीं मानकों द्वारा किया जाना चाहिए जिनके द्वारा कोई कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आक्रमण करता है। अनुच्छेद *21* के तहत परीक्षण किया जा सकता है। अनुच्छेद *21* के तहत, वर्तमान में मानक परीक्षण मेनका में व्यक्त तर्कसंगतता समीक्षा है।

गांधी मामला *[*मेनका गांधी बनाम। भारत संघ*, (1978) 1* एस. सी. सी. *248]*। इसके लिए आवश्यक है कि कोई भी प्रक्रिया जिसके द्वारा राज्य अनुच्छेद *21* के अधिकार में हस्तक्षेप करता है, "निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित, काल्पनिक, दमनकारी या मनमाना नहीं" हो। संघ

आर. एफ. नरीमन, जे. *526.* लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा अधिकार निरपेक्ष है। यह अधिकार राज्य द्वारा संरक्षण के लिए बनाए गए उचित नियमों के अधीन है।

वैध राज्य हित या सार्वजनिक हित। हालाँकि, जब इस अधिकार पर प्रतिबंधों की बात आती है, तो विभिन्न लेखों की ड्रिल जिस पर *[2018] 8* एस. सी. आर.

सही संबंध का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि गोपनीयता पर प्रतिबंध मौलिक व्यक्तिगत विकल्पों पर है जो किसी व्यक्ति को करना है, तो राज्य की कार्रवाई को अनुच्छेद *14* के साथ पढ़ने वाले अनुच्छेद *21* के तहत रोका जा सकता है यदि यह मनमाना और अनुचित है; और अनुच्छेद *19 (1) (ए)* के साथ पढ़ने वाले अनुच्छेद *21* के तहत केवल तभी जब यह अनुच्छेद *19 (2)* में उल्लिखित विषयों से संबंधित है और इस न्यायालय द्वारा इस तरह के कानून या अधीनस्थ कानून को उक्त लेख के तहत पारित करने के लिए निर्धारित परीक्षणों से संबंधित है। अनुच्छेद *14* के साथ पठित अनुच्छेद *21* के तहत इस न्यायालय द्वारा विकसित प्रत्येक परीक्षण, कानून या कार्यकारी कार्रवाई; या उपरोक्त उदाहरणों में अनुच्छेद *19 (1) (ए)* के साथ पठित अनुच्छेद *21* को पूरा किया जाना चाहिए ताकि राज्य कार्रवाई को पारित कर सके। अंतिम विश्लेषण में, व्यक्तिगत, सामाजिक और राज्य के हितों के बीच संतुलन बनाने का कार्य न्यायिक मस्तिष्क के प्रशिक्षण और विशेषज्ञता पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

एस. के. कौल, जे.

638. राज्य द्वारा निजता के अधिकार का उल्लंघन करने की संभावना से उत्पन्न याचिकाकर्ताओं की ओर से व्यक्त की गई चिंताओं को राज्य के विवेक को सीमित करने के लिए सुझाए गए परीक्षण द्वारा पूरा किया जा सकता है:

" ((i) कार्रवाई को कानून द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

((ग) इस तरह के हस्तक्षेप की सीमा इस तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता के अनुपात में होनी चाहिए।
((iv) इस तरह के हस्तक्षेप के दुरुपयोग के खिलाफ प्रक्रियात्मक गारंटी होनी चाहिए।

चेलमेश्वर, जे। *:*

377. यह बिना कहे चला जाता है कि कोई भी कानूनी अधिकार निरपेक्ष नहीं हो सकता है। हर अधिकार की सीमाएँ होती हैं। मामले के इस पहलू को बार में स्वीकार किया जाता है। इसलिए निजता के मौलिक अधिकार की भी सीमाएँ हैं। दावा किए गए गोपनीयता हित की प्रकृति के आधार पर मामले-दर-मामले के आधार पर सीमाओं की पहचान की जानी है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का परीक्षण करने के लिए समीक्षा के विभिन्न मानक हैं। जबकि तर्कसंगतता की अवधारणा

भाग *III* की तुलना में, यह लेखों में अलग-अलग तरीके से काम करता है *(*यहां तक कि एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.*

भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

यदि उनमें से कुछ में केवल थोड़ा अलग है*)*। संविधान की स्वतंत्रता की गारंटी की जोरदार व्याख्या करते हुए

निजता का मौलिक अधिकार है, यह मेरे लिए आवश्यक है

निजता के इस तरह के अधिकार को किस तरह सीमित किया जा सकता है, इसकी रूपरेखा तैयार करें। मैं ऐसा केवल बहस की दिशा को इंगित करने के लिए करता हूं क्योंकि यहाँ सीमा की प्रकृति का कोई मुद्दा नहीं है।

378. शुरुआत में, निजता के अधिकार को सीमित करने के लिए जिन विकल्पों का प्रचार किया गया है, उनमें एक अनुच्छेद *14* प्रकार की तर्कसंगतता जांच शामिल है *[*अनुच्छेद *14* के तहत एक चुनौती दी जा सकती है यदि कोई अनुचित वर्गीकरण है और/या यदि विवादित उपाय मनमाना है। वर्गीकरण अनुचित है यदि वर्गीकरण को उचित ठहराने वाला कोई बोधगम्य अंतर नहीं है और यदि वर्गीकरण का प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है। मनमानी, जिसे पहली बार ई. पी. रोयप्पा बनाम के पैरा *85* में समझाया गया था। की स्थिति

टी. एन. *(1974) 4* एस. सी. सी. *3: 1974* एस. सी. सी. *(*एल. एंड एस.*) 165:* ए. आई. आर. *1974* एस. सी. *555,* बहुत सरलता से किसी भी तर्क की कमी है।*] ;* अनुच्छेद *19* के स्पष्ट प्रावधानों के अनुसार सीमा; एक न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित आधार

(अर्थात्, मूल नियत प्रक्रिया*)* अनुच्छेद *21* के अनुसार सीमा के लिए; और अंत में, अनुच्छेद *21* के अनुसार एक न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित मानक और "बाध्यकारी राज्य हित" का अनाकार मानक। इन चार विकल्पों में से अंतिम जांच का उच्चतम मानक है *[*जांच के एक स्तरीय स्तर का संकेत दिया गया था जिसे संवैधानिक कानून में सबसे प्रसिद्ध फुटनोट के रूप में जाना जाता है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम एफएन *4* में है। कैरोलीन उत्पाद कंपनी, *1938* एस. सी. सी. ऑनलाइन यू. एस. एस. सी. *93: 82* एल एड *1234: 304* यूएस *144 (1938)*। गुरुत्वाकर्षण के आधार पर

चुना जाता है। *379.* शुरुआत में, यदि गोपनीयता का दावा विशेष रूप से अनुच्छेद *19* के तहत स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध प्रावधानों में से केवल एक से आता है, तो समीक्षा का मानक स्पष्ट रूप से प्रदान किया जाएगा।

अनुच्छेद *19* के तहत। हालाँकि, अनुच्छेद *21* के अलावा अन्य अधिकारों के लिए गोपनीयता के दावे का पूरी तरह से पता लगाने की संभावना धूमिल है। उस संभावना को खारिज किए बिना, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि अनुच्छेद *21* है

गोपनीयता गारंटी का आधार। अगर स्वतंत्रता की भावना निजता के हर दावे में व्याप्त, यह कल्पना करना असंभव नहीं तो मुश्किल है कि *[2018] 8* एस. सी. आर. के तहत सीमा के किसी भी मानक के अलावा।

अनुच्छेद *21* लागू होता है। यही कारण है कि मैं उपलब्ध को सीमित कर दूंगा

उपरोक्त वर्णित चार में से बाद के दो के लिए विकल्प।

380. अनुच्छेद *21* के तहत समीक्षा के न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित मानक को विस्तार की आवश्यकता नहीं है। इसका उपयोग अब तक गोपनीयता के दावे से संबंधित मामलों में भी किया जाता रहा है। *[* जिला पंजीयक और कलेक्टर बनाम। केनरा बैंक *(2005) 1* एस. सी. सी. *496:* ए. आई. आर. *2005* एस. सी. *186], [*महाराष्ट्र राज्य बनाम। भारत शांति लाल शाह, *(2008) 13* एस. सी. सी. *5]* गोबिंद *[*गोबिंद बनाम। एम. पी. राज्य,

(1975) 2 एस. सी. सी. *148: 1975* एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई.*) 468]* ने अनुच्छेद *21* की तर्कसंगतता के अलावा बाध्यकारी राज्य ब्याज मानक का सहारा लिया।

पूछताछ की। संयुक्त राज्य अमेरिका से, जहाँ की शब्दावली

"बाध्यकारी राज्य हित "उत्पन्न हुआ, जांच के एक सख्त मानक में दो चीजें शामिल हैं-एक" बाध्यकारी राज्य हित "और एक

"संकीर्ण सिलाई" की आवश्यकता *(*संकीर्ण सिलाई का अर्थ है कि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कानून को संकीर्ण रूप से तैयार किया जाना चाहिए*)*। एक शब्द के रूप में, अमेरिका में "बाध्यकारी राज्य हित" की कोई निश्चित रूपरेखा नहीं है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि इस मानक को कुछ स्पष्टता के साथ अपनाया जाए कि कब और किस प्रकार के गोपनीयता दावों में इसका उपयोग किया जाना है। केवल गोपनीयता के दावों में जो सबसे सख्त जांच के योग्य हैं, राज्य के हित का उपयोग करने के लिए मजबूर करने वाला मानक है। अन्य के लिए, अनुच्छेद *21* के तहत न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित मानक लागू होंगे। जब बाध्यकारी राज्य ब्याज मानक का उपयोग किया जाना है, तो ठोस मामलों के संदर्भ पर निर्भर होना चाहिए। हालाँकि, यह चर्चा जमीनी नियमों को निर्धारित करती है जिसके भीतर

निजता के अधिकार की सीमा का पता लगाया जाना चाहिए "।

82. छह माननीय न्यायाधीशों द्वारा संपादित सभी विचारों में उपरोक्त विस्तृत चर्चा को देखते हुए, यह स्थापित हो गया है कि गोपनीयता को अब मौलिक अधिकारों के हिस्से के रूप में माना गया है। न्यायालय ने अनिश्चित शब्दों में कहा है कि निजता हमेशा प्राकृतिक अधिकार रहा है जो किसी व्यक्ति को नियंत्रण रखने की स्वतंत्रता देता है।उसका व्यक्तित्व। फैसला तीन पहलुओं की पुष्टि करता है।

निजता का मौलिक अधिकार, अर्थात्:

((ख) सूचना की गोपनीयता; और *((iii)* अपनी पसंद की गोपनीयता।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

अनुच्छेद *14,19* और *21*। निजता को एक प्राकृतिक अधिकार के रूप में भी मान्यता दी गई है जो व्यक्तियों में निहित है और इस प्रकार, अपरिहार्य है। उपरोक्त अवधारणाओं को विकसित करने में, न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों के सिद्धांतों के प्रति ग्रहणशील रहा है। यह मान्यता है कि तथ्य यह है कि कुछ मानवाधिकारों को किसी राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति की सीमा के भीतर सीमित नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनका सार्वभौमिक अनुप्रयोग है। में

प्रक्रिया, न्यायालय मानव के सार्वभौमिकरण की अवधारणा को स्वीकार करता है मानवाधिकार, जिसमें मानव अधिकार के रूप में निजता का अधिकार और अन्य देशों में ऐसे अधिकारों को विकसित करने और समझने में अच्छी प्रथाएं शामिल हैं,

85. इस प्रकार, माननीय न्यायाधीशों की विभिन्न रायों में निहित तर्क की पूरी प्रक्रिया इस तर्क को प्रतिबिंबित करेगी कि यह है गोपनीयता के सामान्य भाजक को सटीक रूप से परिभाषित करना मुश्किल था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। ऐसा करते समय, न्यायालय ने गोपनीयता तैयार करने में विभिन्न दृष्टिकोणों का उल्लेख किया। सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी द्वारा निर्णय का एक चतुर और विवेकपूर्ण विश्लेषण निम्नलिखित लाता हैः

ऐसे दृष्टिकोण जिन्होंने गोपनीयता के निम्नलिखित अधिकार को तैयार करने में योगदान दियाः *(क)* 'हानि' के आधार पर गोपनीयता का वर्गीकरण करना, जिससे डैनियल सोलोव द्वारा परिकल्पित दृष्टिकोण को अपनाना। अपनी पुस्तक में,

गोपनीयता *3 1* को समझते हुए, डैनियल सोलोव गोपनीयता को एक पारिवारिक समानता अवधारणा मानते हैं।

(ख) 'हितों' के आधार पर गोपनीयता का वर्गीकरणः गैरी बोस्टविक की गोपनीयता की वर्गीकरण सबसे प्रमुख में से एक है छात्रवृत्ति जो गोपनीयता के अधिकार के भीतर उप-क्षेत्र विभिन्न 'हितों' या 'औचित्य' की रक्षा करते हैं। इस वर्गीकरण को जे. चेलमेश्वर की 'गोपनीयता' की परिभाषा में अपनाया गया है और इसमें आराम की गोपनीयता, अभयारण्य की गोपनीयता और अंतरंग निर्णय की गोपनीयता के तीन हित शामिल हैं। आराम करें।

क्या अकेले रहने का अधिकार है, अभयारण्य वह हित है जो दूसरों को जानने, देखने और सुनने से रोकता है और इस प्रकार निजी क्षेत्र के भीतर जानकारी रखता है, और अंत में, अंतरंग निर्णय की गोपनीयता स्वायत्त रूप से कार्य करने की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। *(ग)* निजता को 'अधिकारों के एकत्रीकरण' के रूप में वर्गीकृत करनाः गोपनीयता को एक अधिकार के रूप में वर्गीकृत करने का यह दृष्टिकोण, जैसा कि ऊपर बताया गया है, एक तक सीमित नहीं है।

संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के अध्याय में विशेष प्रावधान लेकिन विभिन्न लेकिन जुड़े अधिकारों के समामेलन से जुड़ा हुआ है। इस सिद्धांत को तैयार करते हुए, न्यायालय ने विद्वानों का उल्लेख किया है जैसे रोजर क्लार्क, अनीता एलन आदि। इसने निजी को मान्यता दी है

30 सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी द्वारा दिए गए इस फैसले का विश्लेषण देखें। *//* सिस इंडिया। *org/*इंटरनेट-शासन/ब्लॉग/मौलिक-अधिकार-से-गोपनीयता-एक-विश्लेषण

31 डेनियल सोलोव, अंडरस्टैंडिंग प्राइवेसी, कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्सः हार्वर्ड

यूनिवर्सिटी प्रेस, *2008*।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

*[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

गोपनीयता के अधिकार के तहत संरक्षित स्थान या क्षेत्र *(*इस प्रकार स्थानिक गोपनीयता के दायरे और दायरे का विस्तार*)*, सूचनात्मक गोपनीयता और

निर्णयात्मक स्वायत्तता।

86. इन मामलों में सीधे तौर पर शामिल होने वाला महत्वपूर्ण सवाल यह है:

निजता के अधिकार का दायरा क्या है और किसमें

किन परिस्थितियों में ऐसा अधिकार सीमित हो सकता है*?*

'पहले अपनाए गए वर्गीकरण परीक्षण का विस्तार किया जाना चाहिए और इसके बजाय कानून/कार्रवाई का परीक्षण 'स्पष्ट मनमानेपन' के आधार पर किया जाना चाहिए। ऊपर 'न्यायिक समीक्षा का दायरा' शीर्षक के तहत इस पहलू पर पहले ही विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। जब संविधान के अनुच्छेद *19* के प्रावधानों के अनुसार 'प्रतिबंधों' की जांच करने की बात आती है, तो निर्णय यह स्पष्ट करने के लिए आगे बढ़ता है कि एक कानून जो अनुच्छेद *21* के तहत गरिमा और स्वतंत्रता को प्रभावित करता है, साथ ही साथ अनुच्छेद *19 (1) (ए)* द्वारा संरक्षित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भयावह प्रभाव डालता है, उसे दोनों प्रावधानों के तहत न्यायिक समीक्षा के मानकों को पूरा करना चाहिए। इसलिए, इस तरह के प्रतिबंध को परीक्षण को संतुष्ट करना चाहिए। न्यायिक समीक्षा के तहतः *(i)* अनुच्छेद *19 (2)* के तहत उल्लिखित आठ आधारों में से एक; और *(ii)* प्रतिबंध उचित होना चाहिए। इस न्यायालय ने निकटता, मनमानेपन और आनुपातिकता सहित तर्कसंगतता निर्धारित करने के लिए कई मानकों को लागू किया है। इसके अलावा, उचित प्रतिबंध निम्नलिखित के हित में होने चाहिएः *(i)* भारत की संप्रभुता और अखंडता, *(ii)* राज्य की सुरक्षा, *(iii)* विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, *(iv)* सार्वजनिक व्यवस्था, *(v)* शालीनता या नैतिकता या *(vi)* अदालत की अवमानना के संबंध में, *(vii)* मानहानि या *(viii)* किसी अपराध के लिए उकसाना।

88. निर्णय में आगे कहा गया है कि अनुच्छेद *21* के संदर्भ में, किसी विशेष प्रावधान की जांच करते समय लागू किया जाने वाला परीक्षण है -

'न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित परीक्षण 'जिससे आनुपातिकता की धारणा आती है।

किसी व्यक्ति की निजता को कानून द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इस तरह के कानून को वैध होने के लिए, वैध उद्देश्य की कसौटी को पार करना होता है जो इसे पूरा करना चाहिए और आनुपातिकता यानी इस तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता के अनुपात में भी होना चाहिए। इतना ही नहीं, विचाराधीन कानून को इस तरह के हस्तक्षेप के दुरुपयोग के खिलाफ प्रक्रियात्मक गारंटी भी प्रदान करनी चाहिए। *90.* साथ ही, उपरोक्त निर्णय को पढ़ने से यह भी पता लगाया जा सकता है कि गोपनीयता की उचित अपेक्षा हो सकती है।

अंतरंग क्षेत्र से लेकर निजी क्षेत्र और निजी क्षेत्र से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र तक भिन्न होते हैं। इसके अलावा, गोपनीयता केवल इसलिए नहीं खोती है या आत्मसमर्पण नहीं करती है क्योंकि व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति फेसबुक पर अपने बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पोस्ट करता है, तो

सार्वजनिक क्षेत्र में होने के कारण, वह निजता के अधिकार का दावा करने का हकदार नहीं होगा। इस पहलू पर कुछ माननीय न्यायाधीशों द्वारा निम्नानुसार प्रकाश डाला गया हैः

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. :

"297. फिर, गोपनीयता क्या मानती है*?* गोपनीयता व्यक्ति के लिए एक निजी स्थान के आरक्षण को स्वीकार करती है, जिसे अकेले रहने के अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। यह अवधारणा व्यक्ति की स्वायत्तता पर आधारित है। किसी व्यक्ति की चुनाव करने की क्षमता मानव व्यक्तित्व के मूल में निहित है। निजता की धारणा व्यक्ति को मानव तत्व पर जोर देने और नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व से अविभाज्य है। मानव व्यक्तित्व की अलंघनीय प्रकृति मानव जीवन के अंतरंग मामलों पर निर्णय लेने की क्षमता में प्रकट होती है।

स्वायत्तता एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

व्यक्ति उन मामलों से जुड़ा हुआ है जिन्हें रखा जा सकता है

गोपनीयता की अपेक्षा। शरीर और मन अविभाज्य हैं। मानव व्यक्तित्व के तत्व। शरीर की अखंडता और

मन की पवित्रता इस नींव पर मौजूद हो सकती है कि प्रत्येक

व्यक्ति के पास एक अपरिहार्य क्षमता और एक को संरक्षित करने का अधिकार है निजी स्थान जिसमें मानव व्यक्तित्व विकसित हो सकता है। इसके बिना

चुनाव करने की क्षमता, व्यक्तित्व की अनुल्लंघनीयता संदेह में रहें। गोपनीयता के एक क्षेत्र को पहचानना लेकिन एक है

यह स्वीकार करना कि प्रत्येक व्यक्ति को चार्ट का हकदार होना चाहिए और व्यक्तित्व के विकास के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए

निजता अपने आप में मानवीय गरिमा का एक अभिधारणा है। विचार और

व्यवहार संबंधी प्रतिरूप जो किसी व्यक्ति के लिए अंतरंग होते हैं, वे हकदार हैं।

गोपनीयता के उस क्षेत्र में, एक व्यक्ति को दूसरों द्वारा नहीं आंका जाता है। निजता प्रत्येक व्यक्ति को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाता है जो

मानव व्यक्तित्व में अभिव्यक्ति। यह व्यक्तियों को सक्षम बनाता है

उनकी मान्यताओं, विचारों, अभिव्यक्तियों, विचारों, विचारधाराओं को संरक्षित करें, एकरूपता के सामाजिक माँगों के विरुद्ध वरीयताएँ और विकल्प।

निजता विविधता की एक आंतरिक मान्यता है, अधिकार की

व्यक्ति को अलग होना और ज्वार के खिलाफ खड़ा होना

एकांत का क्षेत्र बनाने में अनुरूपता। गोपनीयता की रक्षा करता है जिन मामलों में प्रचार की खोज की चमक से व्यक्ति

वे अपने जीवन के लिए व्यक्तिगत हैं। गोपनीयता व्यक्ति से जुड़ी होती है और

उस स्थान पर नहीं जहाँ यह जुड़ा हुआ है। गोपनीयता का गठन करता है

सभी स्वतंत्रता की नींव क्योंकि यह गोपनीयता में है कि व्यक्ति यह तय कर सकते हैं कि स्वतंत्रता का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जाता है। व्यक्तिगत गरिमा और

गोपनीयता एक धागे से बुने गए पैटर्न में अटूट रूप से जुड़ी हुई है।

एक बहुवचन संस्कृति के ताने-बाने में विविधता।

XX

XX

XX

299. गोपनीयता मानव व्यक्तित्व के मूल का प्रतिनिधित्व करती है और प्रत्येक व्यक्ति की चुनाव करने की क्षमता को पहचानता है और

अंतरंग और व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले निर्णय लें। फिर भी यह

व्यक्तियों का जीवन उतना ही सामाजिक घटना है। उनमे दूसरों के साथ बातचीत, व्यक्ति लगातार *[2018] 8* एस. सी. आर. में लगे हुए हैं।

व्यवहार के प्रतिमान और संबंधों में जो बाकी पर प्रभाव डालते हैं समाज। समान रूप से, व्यक्ति के जीवन को समुदाय में रहने से आत्मसात सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों द्वारा लगातार आकार दिया जा रहा है।

प्रवाह की यह स्थिति जो शेष समाज के साथ संबंधों में व्यक्तिगत व्यक्तित्व के निरंतर विकास का प्रतिनिधित्व करती है व्यक्ति के लिए एक विश्राम क्षेत्र आरक्षित करने का तर्क। समाज के सदस्यों के रूप में व्यक्ति जो जीवन जीते हैं, वे एक

निजता की उचित अपेक्षा। निजता की उचित अपेक्षा की धारणा में व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकृति के तत्व हैं। व्यक्तिपरक स्तर पर गोपनीयता उन क्षेत्रों का प्रतिबिंब है जहाँ एक व्यक्ति अकेला रहना चाहता है। एक वस्तुनिष्ठ स्तर पर, गोपनीयता को उन संवैधानिक मूल्यों द्वारा परिभाषित किया जाता है। जो संरक्षित क्षेत्र की सामग्री को आकार देते हैं जहाँ व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए। यह धारणा कि

गोपनीयता की एक उचित अपेक्षा मौजूद होनी चाहिए, यह सुनिश्चित करती है कि एक ओर व्यक्ति के पास गोपनीयता का एक संरक्षित क्षेत्र है, फिर भी दूसरी ओर, व्यक्तिगत विकल्पों का अभ्यास व्यवस्थित जीवन जीने के लिए दूसरों के अधिकारों के अधीन है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसके पास भूमि का एक भूखंड है, वह क्षेत्राधिकार नियमों के अधीन उस पर निर्माण करने का निर्णय ले सकता है। यदि भवन उप-कानून उस क्षेत्र को परिभाषित करते हैं जिस पर निर्माण किया जा सकता है या संपत्ति के चारों ओर चारदीवारी की ऊंचाई, तो व्यक्ति की गोपनीयता का अधिकार नियोजित रूप से समुदाय के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

रिक्त स्थान। इसलिए जबकि व्यक्ति गोपनीयता के क्षेत्र का हकदार है, इसका विस्तार न केवल व्यक्ति की व्यक्तिपरक अपेक्षा पर आधारित है, बल्कि एक वस्तुनिष्ठ सिद्धांत पर आधारित है जो एक उचित अपेक्षा को परिभाषित करता है।

XX

XX

XX

307. निजता का क्षेत्र एक छोर पर उन अंतरंग मामलों तक फैला हुआ है जिनसे निजता की उचित अपेक्षा जुड़ी हो सकती है। यह अकेले रहने के अधिकार को व्यक्त करता है। एक व्यापक अर्थ जो तुलनात्मक रूप से हाल के मूल के अकादमिक साहित्य में उभरा है जो किसी की पहचान की सुरक्षा से संबंधित है। डेटा सुरक्षा बाद के क्षेत्र के साथ निकटता से संबंधित है। डेटा जैसे कि चिकित्सा

सूचना एक ऐसी श्रेणी होगी जिसमें गोपनीयता की उचित अपेक्षा संलग्न होती है। अन्य डेटा हो सकते हैं जो उचित अपेक्षा प्रतिमान से बाहर हैं। निजता की रक्षा करने के अलावा, डेटा सुरक्षा व्यवस्था एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुटास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम की स्वायत्तता की रक्षा करना चाहती है।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

व्यक्ति को। यह सहमति की केंद्रीयता पर यूरोपीय डेटा संरक्षण व्यवस्था में जोर देने से स्पष्ट है। सहमति के मुद्दे से संबंधित पारदर्शिता की आवश्यकता है जिसकी आवश्यकता है

डेटा प्राप्तकर्ता द्वारा डेटा से संबंधित जानकारी का प्रकटीकरण

मौलिक अधिकार द्वारा संरक्षित। इस मामले के उद्देश्य के लिए गोपनीयता के दावों के विशेष उदाहरणों से निपटना आवश्यक नहीं है, जिन्हें एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी जानी है। वास्तव में, ऐसा करना जल्दबाजी होगी। निजता के संवैधानिक संरक्षण के दायरे और दायरे का खुलासा ही किया जा सकता है हमारे लिए मामले-दर-मामले के आधार पर।

91. यद्यपि नरीमन, जे. ने उपरोक्त दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया, तथापि, हिज लॉर्डशिप ने एक उदाहरण भी दिया है कि यदि कोई व्यक्ति फेसबुक पर महत्वपूर्ण जानकारी पोस्ट करता है, तो वह सार्वजनिक क्षेत्र में है। निजता के अधिकार के दावे का हकदार नहीं होगा।

92. हम निम्नलिखित चर्चा को भी पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे,

नरीमन, जे. द्वारा लिखित, मार्गदर्शन देते हुए कि किसी कानून का परीक्षण कैसे किया जाए जब इसे इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि यह उल्लंघन करता है

निजता का मानसिक अधिकारः

"..... निजता के पहलुओं से निपटने वाले सांविधिक प्रावधानों का इस आधार पर परीक्षण जारी रहेगा कि वे नियमों का उल्लंघन करेंगे। निजता का मौलिक अधिकार, और यह निरस्त नहीं किया जाएगा, यदि यह एक संतुलन परीक्षण पर पाया जाता है कि सामाजिक या सार्वजनिक हित और प्रतिबंधों की तर्कसंगतता दावा की गई गोपनीयता के विशेष पहलू से अधिक होगी। यदि ऐसा है, तो ऐसे कानून जो राज्य को व्यक्तियों के बारे में संविदात्मक रूप से जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं, दी गई परिस्थितियों में पारित हो जाएंगे, बशर्ते वे व्यक्तिगत गोपनीयता के अधिकार की भी रक्षा करें। एक सरल उदाहरण पर्याप्त होगा। अगर किसी व्यक्ति को फेसबुक पर महत्वपूर्ण जानकारी चिपकानी थी

अपने बारे में ऐसी जानकारी, सार्वजनिक क्षेत्र में होने के कारण, संभवतः उसके तुरंत बाद गोपनीयता के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।

प्रकटीकरण। लेकिन, एक वैधानिक आवश्यकता के अनुसरण में, यदि कुछ सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

संबंधित वैधानिक उद्देश्य के लिए विवरण दिए जाने की आवश्यकता है, तो इस तरह के विवरण निश्चित रूप से गोपनीयता के अधिकार को प्रभावित करेंगे, लेकिन संतुलन पर, पारित होना चाहिए जैसा कि संबंधित राज्य की कार्रवाई में है।
इस अधिकार की रक्षा के लिए पर्याप्त अंतर्निहित सुरक्षा उपाय। तथ्य यह है कि इस तरह की जानकारी को सार्वजनिक हित के अनिवार्य आधारों को छोड़कर किसी और को प्रसारित नहीं किया जा सकता है।

93. एक महत्वपूर्ण टिप्पणी जो इस स्तर पर की जानी चाहिए, न्यायिक समीक्षा की वैधता की जांच करते समय न्यायिक समीक्षा के मानक से संबंधित है। एक विशेष कानून जो कथित रूप से गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करता है। सवाल यह है कि क्या न्यायालय को 'सख्त जांच' मानक लागू करना है या 'न्यायसंगत, निष्पक्ष और तर्कसंगतता' मानक लागू करना है। निजता निर्णय में, अलग-अलग माननीय न्यायाधीशों द्वारा अलग-अलग टिप्पणियां की जाती हैं और उपरोक्त पहलू आधिकारिक रूप से निर्धारित नहीं किया जाता है, इसका कारण यह हो सकता है कि पीठ इस मुद्दे पर संदर्भ का निर्णय ले रही थी कि क्या निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है या नहीं और इस प्रक्रिया में, इसे निर्दिष्ट विशिष्ट प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए कहा गया था। हमने इस पहलू से उचित स्तर पर निपटा है।

मानवीय गरिमा के सिद्धांतः

94. के. एस. पुट्टास्वामी में निर्णय का विश्लेषण करते समय, हमने उल्लेख किया है कि उसमें निर्धारित विशेषताओं में से एक यह है कि गोपनीयता की पवित्रता गरिमा के साथ इसके कार्यात्मक संबंध में निहित है।

निजता मानव गरिमा का संवैधानिक मूल है। आधार योजना के संदर्भ में मानव गरिमा की अवधारणा को कैसे लागू किया जाना है, यह महत्वपूर्ण है।

95. सामान्य कारण *v.* भारत संघ *3 2,* मानव गरिमा की अवधारणा को बहुत विस्तार से समझाया गया है। मानव की अवधारणा

उक्त निर्णय में विकसित गरिमा प्रकृति में सामान्य थी जो स्वायत्तता और पसंद के अधिकार पर आधारित है और यह एक संवैधानिक मूल्य बन गया है। पिछले लगभग *40* वर्षों में, इस न्यायालय ने कई ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं जिनमें मानव गरिमा की अवधारणा को मौलिक अधिकारों की विशेषता के रूप में मान्यता दी गई है। पहले के वर्षों में, हालांकि मानव गरिमा के अर्थ और दायरे का अपने आप में विस्तार नहीं किया गया था, लेकिन यह अभ्यास पिछले कुछ वर्षों में किया गया है। इससे पहले के निर्णयों में उल्लेख किया गया है कि मानव गरिमा प्रत्येक मनुष्य का आंतरिक मूल्य है और इस प्रक्रिया में, गरिमा की विशेषता के रूप में एक व्यक्ति की स्वायत्तता बनी रहती है।

पहचाने जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में दिए गए निर्णय

32 (2018) 5 एससीसी *1*

33 एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* निर्णय के पैरा *72-79* को देखें। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

मानव गरिमा की अवधारणा को न्यायशास्त्रीय आधार प्रदान करने के लिए

96. राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम। भारत संघ और *4* ने ट्रांसजेंडरों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देते हुए, न्यायालय ने मानव गरिमा की रूपरेखा को समझाया

वींग शब्दः

" 106. व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता का मूल सिद्धांत सभी देशों के लिए समान है, विशेष रूप से जिनके पास है लोकतांत्रिक व्यवस्था। लोकतंत्र के लिए हमें सम्मान और विकास की आवश्यकता है

मनुष्य की स्वतंत्र भावना जो मानव इतिहास की सभी प्रगति के लिए जिम्मेदार है। लोकतंत्र एक ऐसा तरीका भी है जिसके द्वारा हम लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के अवसर देने का प्रयास करते हैं। यह शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और सहकारी जीवन पर आधारित है। यदि लोकतंत्र मनुष्य के व्यक्तित्व और गरिमा की मान्यता पर आधारित है, तो एक शक्ति के रूप में हमें एक मनुष्य के अपनी लिंग/लिंग पहचान चुनने के अधिकार को पहचानना होगा जो उसके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है और आत्मनिर्णय, गरिमा और स्वतंत्रता के सबसे बुनियादी पहलुओं में से एक है। वास्तव में, यह मान्यता बढ़ती जा रही है कि किसी राष्ट्र के विकास का वास्तविक पैमाना है -

आर्थिक विकास नहीं, यह मानवीय गरिमा है।

107. 225 साल से भी पहले, इमैनुएल कांट ने स्वतंत्र इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, अर्थात्, एक प्राकृतिक कानून आदर्श के रूप में स्वतंत्र इच्छुक व्यक्ति। उनके न्याय के उपरोक्त सिद्धांत के विस्तृत विश्लेषण में गए बिना *(*जैसा कि हम उनके न्यायशास्त्र के विश्लेषण से संबंधित नहीं हैं*)* हम जो इंगित करना चाहते हैं वह

मानव इच्छा की "स्वतंत्रता" पर उनका जोर है। इच्छा और स्वतंत्रता की अवधारणाएँ "शुद्ध" हैं, जो अनुभव से नहीं ली गई हैं। वे हैं।

नैतिक या कानूनी नियमों के किसी विशेष निकाय से स्वतंत्र। वे ऐसे सभी नियमों की पूर्वधारणाएँ हैं, जो सभी के लिए वैध और आवश्यक हैं।

उन्हें।

108. समय के साथ, न्याय के कांटियन मानदंड की दो अलग-अलग व्याख्याओं पर चर्चा की गई। एक प्रवृत्ति कानून के अंत के रूप में व्यक्तिगत कार्रवाई की अधिकतम स्वतंत्रता पर बढ़ता दबाव था। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है और था

"भोगवादी उपयोगितावाद" के नायक द्वारा आलोचना की गई, विशेष रूप से

बेंथम। इस विचारधारा ने अधिकांश लोगों को अधिकतम खुशी के सिद्धांत का प्रतिपादन करके एक व्यक्ति के बजाय समाज के कल्याण पर जोर दिया। सौभाग्य से, तत्काल मामले में, हम जिस व्यक्तिगत स्वतंत्रता/स्वतंत्रता की चर्चा कर रहे हैं, उसके बीच ऐसा कोई द्वंद्व नहीं है, जैसा कि सार्वजनिक भलाई के खिलाफ है। इसके विपरीत, लिंग चुनने का अधिकार देने से सार्वजनिक भलाई होती है। न्याय के कांटियन मानदंड की दूसरी प्रवृत्ति थी
"स्वतंत्रता" को न केवल संयम के अभाव के संदर्भ में बल्कि व्यक्तिगत पूर्णता की प्राप्ति के संदर्भ में पुनः व्याख्या करने में पाया जाता है। यह वही बाद की प्रवृत्ति है जिसके बारे में हम वर्तमान मामले में चिंतित हैं और यह आज भी अच्छी स्थिति में है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के रूप में और उसके बाद व्यक्तिगत पूर्णता की प्राप्ति पर अधिक जोर दिया जाता है। उस संयुक्त अर्थ में कम से कम एक पुनरुद्धार है

न्याय का प्राकृतिक कानून सिद्धांत। ब्लैकस्टोन ने अपने "वैटेलियन फैशन" के शुरुआती पन्नों में कहा कि समाज का प्रमुख उद्देश्य "

उन पूर्ण अधिकारों के आनंद में व्यक्तियों की रक्षा करें जो प्रकृति के अपरिवर्तनीय कानूनों द्वारा उनमें निहित थे।

97. इस प्रकार, पसंद के अधिकार और आत्मनिर्णय के अधिकार को मानव गरिमा के पहलुओं के रूप में स्वीकार किया गया। इस बात पर भी जोर दिया गया कि

इस न्यायालय ने मौत के दोषियों के कुछ अधिकारों की रक्षा करने की हद तक यह अभिनिर्धारित किया है कि उन्हें तब तक फांसी नहीं दी जा सकती जब तक कि वे सभी उपलब्ध संवैधानिक और वैधानिक उपायों को समाप्त नहीं कर देते। प्रक्रिया में, न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः

" " *15.* मानव गरिमा के इस अधिकार में कई तत्व हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मानव गरिमा प्रत्येक मनुष्य की 'एक मनुष्य के रूप में' गरिमा है। एक अन्य तत्व, जिसे वर्तमान मामले के संदर्भ में उजागर करने की आवश्यकता है, वह यह है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन, शारीरिक या मानसिक कल्याण को नुकसान पहुँचाया जाता है तो मानव गरिमा का उल्लंघन होता है। इसमें है।

यह भावना यातना, अपमान, जबरन श्रम आदि सभी मानव गरिमा का उल्लंघन करते हैं। यह इस संदर्भ में है कि अभियुक्त के कई अधिकार एक इंसान के रूप में उसकी गरिमा से प्राप्त होते हैं। इनमें *35 (2015) 6* एस. सी. सी. *702* एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम शामिल हो सकते हैं।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

मानव गरिमा का हिस्सा। जेल सुधार या जेल सुधार के उपाय दोषियों को एक सुधार व्यक्ति बनाने के लिए हैं ताकि वे सामान्य जीवन जी सकें और जेल की सजा काटने के बाद समाज में आत्मसात हो सकें, जो मानवीय गरिमा न्यायशास्त्र से प्रेरित हैं। *16.* वास्तव में, मानव गरिमा के इस सिद्धांत का उपयोग अदालतों द्वारा मृत्युदंड पर विचार करने के संदर्भ में अक्सर किया गया है। बहुत पहले वर्ष *1972* में, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने फुरमैन बनाम के मामले में इस पहलू को ध्यान में रखा था। जॉर्जिया *408* यूएस *238 (1972)*। अदालत, ब्रेनन, जे. के माध्यम से बोलते हुए, आठवें संशोधन के निषेध के आवेदन पर विचार करते हुए

क्रूर और असामान्य दंड, पिछले सारांश

संशोधन पर न्यायशास्त्र के रूप में 'असभ्य और अमानवीय दंडों को लागू करने को प्रतिबंधित करता है। राज्य के रूप में भी

दंडित करते हुए, अपने सदस्यों के साथ मनुष्य के रूप में उनके आंतरिक मूल्य के सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। एक सजा 'क्रूर और असामान्य' है, इसलिए, अगर यह मानव गरिमा के अनुरूप नहीं है '। ग्रेग वी. जॉर्जिया *428* यू. एस. *153 (1976)*, उसी न्यायालय ने, फिर से ब्रेनन, जे. के माध्यम से, माना कि 'मौत की सजा में घातक संवैधानिक दुर्बलता यह है कि यह मानव जाति के सदस्यों को गैर-मनुष्यों के रूप में मानता है, एक वस्तु के रूप में जिसे त्याग दिया गया है। *(* यह*)*, इस प्रकार, के मौलिक आधार के साथ असंगत है

खंड कि सबसे नीच अपराधी भी मनुष्य बना रहता है

आम मानव गरिमा के अधिकारी '। कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय, हंगरी के संवैधानिक न्यायालय और दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायालय ने इस हद तक निर्णय दिया है कि मृत्युदंड मानव गरिमा की गंभीर हानि है और जीवन और मानव गरिमा के मौलिक अधिकारों की आवश्यक सामग्री पर एक सीमा लागू करता है और उस कसौटी पर घोषणा करता है

वह गरिमा असंवैधानिक है "।

99. इन मामलों में अगला फैसला जीजा का होगा।

एच एंड अदर वी। भारत संघ और *0rs.36* जिसमें न्यायालय,

न्यायशास्त्र के आधार का विस्तार करते हुए, गरिमा के तीन मॉडल की रूपरेखा ऊपर हमारे द्वारा चर्चा की गई है। इनका उल्लेख तब किया गया था जब

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मानव गरिमा की मानक भूमिका के साथ-साथ, निम्नलिखित में

एरः

मानव गरिमा के मूल्य पर आधारित। जहाँ तक भारत का संबंध है, हमें धर्मशास्त्रीय या धार्मिक शरण लेने की भी आवश्यकता नहीं है। दार्शनिक सिद्धांत। हमारे पास एक लिखित संविधान है जो

मानवाधिकारों की गारंटी देता है जो भाग *III* में निहित हैं

शीर्षक "मौलिक अधिकार"। अनुच्छेद *21* में निहित ऐसा ही एक अधिकार जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। इस न्यायालय द्वारा गरिमा के साथ जीने के अधिकार को शामिल करने के लिए जीवन के अधिकार को एक उद्देश्यपूर्ण अर्थ दिया गया है। यह उद्देश्यपूर्ण व्याख्या है जिसे इस न्यायालय द्वारा अपनाया गया है अनुच्छेद *21* में निहित संवैधानिक मूल्य की पूर्ति के रूप में मानव गरिमा के अधिकार की सामग्री दें। इस प्रकार, मानव गरिमा

यह एक संवैधानिक मूल्य और एक संवैधानिक लक्ष्य है। मानव गरिमा के संवैधानिक मूल्य के क्या आयाम हैं? यह सुंदर है।

अहरोन बराक *(*इज़राइल के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश*)* द्वारा निम्नलिखित तरीके से सचित्रः

"मानव गरिमा का संवैधानिक मूल्य केंद्रीय है।

मानक भूमिका। संवैधानिक मूल्य के रूप में मानव गरिमा वह कारक है जो मानवाधिकारों को एक समग्र रूप में एकजुट करता है। यह मानवाधिकारों की मानक एकता सुनिश्चित करता है।

यह मानक एकता सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v* है। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

तीन तरीकों से व्यक्त किया गयाः पहला, मानव गरिमा का मूल्य संविधान में निर्धारित संवैधानिक अधिकारों के लिए एक मानक आधार के रूप में कार्य करता है; दूसरा, यह मानव गरिमा के अधिकार सहित संवैधानिक अधिकारों के दायरे को निर्धारित करने के लिए एक व्याख्यात्मक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है; तीसरा, मानव गरिमा के मूल्य की क़ानून की आनुपातिकता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है।

एक संवैधानिक अधिकार को सीमित करना।

3. संवैधानिक मूल्य के रूप में मानव गरिमा के तीनों लक्ष्यों का लेखक ने विद्वतापूर्ण तरीके से विस्तार किया है। इसके कुछ अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं जो विशिष्ट लक्ष्यों की एक झलक देते हैं:

यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। संवैधानिक मूल्य के रूप में मानव गरिमा की दूसरी भूमिका कानूनी प्रणाली के मानदंडों को अर्थ प्रदान करना है। उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के अनुसार, के सभी प्रावधान

संविधान, और विशेष रूप से अधिकारों के संवैधानिक विधेयक में सभी अधिकारों की व्याख्या मानवीय गरिमा के आलोक में की जाती है। अंत में, संवैधानिक मूल्य के रूप में मानव गरिमा सामान्य कानून के विकास को प्रभावित करती है। वास्तव में, जहाँ सामान्य कानून

मान्यता प्राप्त है, न्यायाधीशों का कर्तव्य है कि वे इसे विकसित करें, और यदि आवश्यक हो, तो इसे संशोधित करें, ताकि यह संवैधानिक मूल्यों को व्यक्त कर सके,

मानव गरिमा के संवैधानिक मूल्य सहित। जिस हद तक

कि सामान्य कानून के बीच अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है

व्यक्तियों, यह एक व्यक्ति की मानवीय गरिमा को सीमित कर सकता है

और दूसरे की मानवीय गरिमा की रक्षा करें।

0. इस अवधारणा को के. एस. में विकसित और विस्तारित किया गया था।

एमी। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि गोपनीयता किसी व्यक्ति के लिए स्थान के आरक्षण को अभिनिर्धारित करती है, जिसे अकेले रहने के अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है, जो व्यक्ति की स्वायत्तता पर आधारित है। इस तरह, अधिकार को मानव गरिमा के एक अभिधारणा के रूप में माना गया है। जबकि

इसलिए, न्यायालय ने भी निम्नलिखित टिप्पणी की:

"298. व्यक्ति की निजता गरिमा का एक अनिवार्य पहलू है।

गरिमा का एक आंतरिक और वाद्य मूल्य दोनों है। एक आंतरिक मूल्य के रूप में, मानव गरिमा अपने आप में एक अधिकार या संवैधानिक रूप से संरक्षित हित है। इसके वाद्य पहलू में, गरिमा और स्वतंत्रता अविभाज्य रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्रत्येक दूसरे को प्राप्त करने के लिए एक सुविधाजनक उपकरण है। निजता के क्षेत्र की रक्षा करने की व्यक्ति की क्षमता जीवन और स्वतंत्रता के पूर्ण मूल्य का एहसास करने में सक्षम बनाती है। परिवार, विवाह, प्रजनन और यौन अभिविन्यास सभी व्यक्ति की गरिमा के अभिन्न अंग हैं। इन सबसे ऊपर, व्यक्ति की निजता यह निर्धारित करने के एक अलंघनीय अधिकार को मान्यता देती है कि स्वतंत्रता कैसे होगी।

अभ्यास किया "।

101. गरिमा की इस अवधारणा ने कॉमन कॉज *v* के मामले में एक छलांग लगाई। निष्क्रिय इच्छामृत्यु से संबंधित भारत संघ *3 7*। हालाँकि इस अधिकार को पहले अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम में मान्यता दी गई थी। भारत संघ और अन्य। *38*, एक बिल्कुल नया आयाम था

यह अधिकार पसंद की स्वतंत्रता के आधार पर दिया गया है जो किसी व्यक्ति को उसकी गरिमा को स्वीकार करते हुए दिया जाना है। चार एकमत राय थीं। *39* रायों में से एक में, गरिमा के पहलुओं को संक्षिप्त रूप से निम्नलिखित तरीके से सामने लाया गया है:

" 154. वर्ष *1948* में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अधिनियमन के साथ ही किसी व्यक्ति की गरिमा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में मान्यता दी गई है। मानवीय गरिमा को न केवल इस महत्वपूर्ण दस्तावेज की प्रस्तावना में बल्कि इसके अनुच्छेद *1* में भी जगह मिलती है। यह सर्वविदित है कि यू. डी. एच. आर. में निर्धारित सिद्धांत सर्वोपरि हैं और दुनिया भर में मानवाधिकारों की व्याख्या करते समय उन्हें अत्यधिक महत्व दिया जाता है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तय की गई राज्य
मानव गरिमा की रक्षा है जिसके बिना कोई अन्य अधिकार टूट जाएगा। न्यायमूर्ति ब्रेनन ने अपनी पुस्तक द कांस्टीट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स में कहा: समकालीन अनुसमर्थन ने संविधान को "एक चमकदार दृष्टि" के रूप में संदर्भित किया है।

प्रत्येक व्यक्ति की मानवीय गरिमा की सर्वोच्चता "।

155. वास्तव में, क्रिस्टीन गुडविन बनाम में। यूनाइटेड किंगडम द

यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के संरक्षण के लिए समझौते के संदर्भ में बोलते हुए इस हद तक कहा है कि "बहुत सार"

37 (2018) 5 एससीसी *1* *38 (2011) 4* एससीसी *454*

39 दीपक मिश्रा द्वारा प्रस्तुत, सी. जे. आई. एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

इस समझौते का उद्देश्य मानव गरिमा और मानव स्वतंत्रता का सम्मान करना है। दक्षिण अफ्रीकी मामले में एस. वी. मकवान्याने, ओ 'रेगन, जे. ने संवैधानिक न्यायालय में कहा कि "गरिमा के बिना, मानव जीवन काफी कम हो जाता है"।

XX

XX

XX

157. गरिमा की अवधारणा और मूल्य को और विस्तार की आवश्यकता है क्योंकि हम इसे जीवन के अधिकार के एक अटूट पहलू के रूप में देख रहे हैं जो एक व्यक्ति को प्राप्त सभी मानवाधिकारों का सम्मान करता है। जीवन मूल रूप से आत्म-प्रतिपादन है। एक व्यक्ति के जीवन में, संघर्ष और दुविधा सामान्य घटना होने की उम्मीद है। ओलिवर वेंडेल होम्स ने अपने एक संबोधन में एक लैटिन कवि की एक पंक्ति का हवाला दिया, जिन्होंने यह संदेश दिया था, "मृत्यु मेरे कान तोड़ती है और कहती है, जीवित रहो मैं आ रहा हूं"। यही जीवन का महत्व है। लेकिन जब कोई रोगी वास्तव में यह नहीं जानता है कि वह मृत्यु तक जीवित है या नहीं और उसके पास जीने की कोई उम्मीद के बिना निरंतर पीड़ा है, तो क्या उसे ऐसा करना चाहिए*?*

इंतजार करने की अनुमति है*?* क्या उसे मरने का श्राप दिया जाना चाहिए क्योंकि जीवन धीरे-धीरे उसके अस्तित्व से बाहर निकल जाता है*?* क्या उसे नवीन चिकित्सा प्रौद्योगिकी के कारण जीना चाहिए या, उस मामले के लिए, क्या उसे समर्थन प्रणाली के साथ रहना चाहिए क्योंकि उसके आस-पास के लोग सोचते हैं कि विज्ञान अपने प्रगतिशील आविष्कार में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। इलाज की नवीन विधि*?* इसे अलग तरह से कहने के लिए, क्या उसे किसी प्रकार के प्रयोग के लिए "गिनी पिग" होना चाहिए*?* इसका उत्तर एक जोरदार "नहीं" होना चाहिए क्योंकि इस तरह की व्यर्थ प्रतीक्षा जीवन की प्राचीन अवधारणा को नष्ट कर देती है, गरिमा के सार को नष्ट कर देती है और अंतिम विकल्प के तथ्य को नष्ट कर देती है जो गोपनीयता के लिए महत्वपूर्ण है।

XX

XX

XX

159. महमूद नय्यर आज़म बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार निर्णय दियाः *(* एस. सी. सी पी. *6,* पैरा *1)*

" 1. ..... अल्बर्ट श्वित्जर, जीवन की महिमा पर प्रकाश डालते हुए,

दृढ़ विश्वास और विनम्रता के साथ उच्चारण किया गया, "

जीवन मुझे नैतिकता पर मेरा मौलिक सिद्धांत प्रदान करता है। द.

उपरोक्त अभिव्यक्ति एक व्यक्तिवादी प्रतीत हो सकती है

एक महान व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, लेकिन, जब इसे समझा जाता है

पूर्ण अर्थ में, यह वास्तव में अपनी अवधारणा में दर्शाता है

अनिवार्यता, और इसके मैक्रोकॉस्म में, मौलिक

जीवन द्वारा दिए जाने वाले सम्मान के बारे में एक विचारक की धारणा।

जीवन की श्रद्धा अटूट रूप से गरिमा *[2018] 8* एस. सी. आर. से जुड़ी हुई है।

एक ऐसे मनुष्य का जो मूल रूप से दिव्य है, दास नहीं है। एक मानव।

व्यक्तित्व संभावित अनंतता से संपन्न होता है और यह खिलता है

जब गरिमा बनी रहती है। इस तरह की गरिमा का निर्वाह है
प्रत्येक संवेदनशील आत्मा की उत्कृष्ट चिंता होना। द.

गरिमा के सार को कभी भी क्षणिक चिंगारी के रूप में नहीं माना जा सकता है
प्रकाश या, उस मामले के लिए, "एक संक्षिप्त मोमबत्ती", या "एक खोखला बुलबुला"।

जब मनुष्य का इलाज किया जाता है तो जीवन की चिंगारी अधिक चमकती है।
बिना अपमान के गरिमा के साथ, क्योंकि हर आदमी से नेतृत्व करने की अपेक्षा की जाती है

एक सम्मानजनक जीवन जो रचनात्मकता का एक शानदार उपहार है।

बुद्धिमत्ता "।

XX

XX

XX

166. ऐसा कहने का उद्देश्य केवल इस बात को उजागर करना है कि कानून को बदलते समाज का संज्ञान लेना चाहिए और विकासशील अवधारणाओं के अनुरूप आगे बढ़ना चाहिए। वर्तमान की आवश्यकता को कानून की व्याख्यात्मक प्रक्रिया के साथ पूरा करना होगा। हालाँकि, यह देखा जाना चाहिए कि बदलती विचारधारा को पूरा करने के लिए संविधान से कितनी ताकत और मंजूरी ली जा सकती है और

इसे वास्तविकता में बदलें। तत्काल जरूरतों को अदालत द्वारा व्याख्या की प्रक्रिया के माध्यम से संबोधित करने की आवश्यकता है जब तक कि यह पूरी तरह से संवैधानिक ढांचे के बाहर न हो या संवैधानिक व्याख्या ऐसी गतिशीलता को पहचानने में विफल न हो। ज्ञान कौर में संविधान पीठ *[*ज्ञान कौर बनाम। पंजाब राज्य, *(1996) 2* एससीसी *648: 1996* एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई.*) 374]*, जैसा कि पहले कहा गया है, आत्महत्या के प्रयास और आत्महत्या के लिए उकसाने को अलग करता है। प्राकृतिक मृत्यु की प्रक्रिया का त्वरण जो शुरू हो गया है। अधिकारियों, हमने अन्य क्षेत्राधिकारों से नोट किया है, के बीच अंतर देखा है

दर्द रहित मृत्यु का कारण बनने के लिए घातक इंजेक्शन या कुछ दवाओं का देना और कुछ उपचार का न देना जो उन मामलों में जीवन को लंबा कर सकता है जहां मृत्यु की प्रक्रिया जो शुरू हो गई है वह प्रतिवर्ती नहीं है या जीवन बचाने की संभावना के पूर्ण अभाव के कारण रोगी को दिए गए उपचार को वापस ले लिया गया है। स्पष्ट करने के लिए, पहला भाग एक स्पष्ट कार्य से संबंधित है जबकि दूसरा सूचित सहमति और अधिकृत चूक के दायरे में आता है। यदि ऐसी कार्रवाई कुछ सुरक्षा उपायों द्वारा निर्देशित की जाती है तो ऐसी प्रकृति की चूक किसी भी आपराधिक दायित्व को आमंत्रित नहीं करेगी। यह अवधारणा जीवन के लंबे समय तक न चलने पर आधारित है जहां रोगी एसटीआईसीई के. एस. पुट्टास्वामी *(*आरईटीडी.*) v.*

भारत संघ *[ए. के. सिकरी, जे.]*

है और वह, किसी भी परिस्थिति में, इस तरह की अपमानजनक स्थिति को पसंद नहीं करता। "कोई इलाज नहीं" शब्दों को यह बताने के लिए समझना होगा कि रोगी दर्द की उसी स्थिति में रहता है और

लेने के माध्यम से पीड़ित या मरने की प्रक्रिया में देरी होती है आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी का सहारा लेना। यह एक ऐसा राज्य है जहाँ

उपचार केवल व्यक्ति की सांस की निरंतरता को कम करने के लिए किया जाता है और रोगी को यह भी पता नहीं होता है कि वह सांस ले रहा है। जीवन को कृत्रिम हृदयगति द्वारा मापा जाता है और रोगी को इस अपमानजनक स्थिति से गुजरना पड़ता है जो उस पर थोपी जाती है। उसे जीवन की गरिमा से वंचित किया जाता है क्योंकि कोई और नहीं है। विकल्प लेकिन एक परिहार्य दीर्घकालिक उपचार से पीड़ित होने के लिए जिससे

इस प्रकार निर्विवाद रूप से एक संदेह पैदा हो जाता है और गरिमा के साथ जीने और गरिमा के साथ मृत्यु का सामना करने के उसके अधिकार में सेंध लग जाती है, जो शारीरिक स्वायत्तता और गोपनीयता के अधिकार की एक संरक्षित अवधारणा है। ऐसी अवस्था में, उसके पास कोई पुरानी यादें या भविष्य की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन वह दुख की स्थिति में है जिसे कोई भी कभी नहीं चाहता है। कुछ लोग चुपचाप यह भी सोच सकते हैं कि जीवन के अपरिहार्य तथ्य, मृत्यु को आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अनुच्छेद *21* की व्याख्या और अधिक गतिशील तरीके से करे और यह बिना किसी संदेह के कहा जाना चाहिए कि गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार में मृत्यु की प्रक्रिया को सुचारू बनाना शामिल है जब व्यक्ति एक गंभीर स्थिति में हो।

वानस्पतिक अवस्था या प्रशासन द्वारा विशेष रूप से जीवित है

कृत्रिम सहायता जो सम्मानित लोगों को गिरफ्तार करके जीवन को लम्बा खींचती है और

मरने की अपरिहार्य प्रक्रिया। यहाँ, पसंद का मुद्दा भी आता है।

में। इस प्रकार विश्लेषण किए जाने पर हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि ऐसा अधिकार संविधान के अनुच्छेद *21* के दायरे में आएगा।

102. दूसरी राय में, इच्छामृत्यु के चार पहलू थे

एसएसईडी, अर्थात्: *((i)* इच्छामृत्यु का दर्शन, *(ii)* इच्छामृत्यु की नैतिकता,

इच्छामृत्यु में गरिमा, और *(iv)* इच्छामृत्यु का अर्थशास्त्र। जबकि

इच्छामृत्यु में गरिमा को ध्यान में रखते हुए, गरिमा के तीन मॉडल, अर्थात् ओजीकल, दार्शनिक और संवैधानिक मॉडल पर प्रकाश डाला गया। इसके बाद, गरिमा के अभिधारणाओं को निम्नलिखित में समझाया गया है:

एर:

" 292. इज़राइल के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अहरोन बराक, संवैधानिक मूल्य के रूप में मानव गरिमा की अवधारणा को दो भूमिकाओं के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, जो हैं:

ए. के. सीकरी, जे.

292.1 . मानव गरिमा सभी मानवाधिकारों की नींव रखती है

यह मानवाधिकारों के अस्तित्व के लिए केंद्रीय तर्क है।

कानूनी प्रणाली के मानदंडों के लिए। इस प्रक्रिया में, कोई भी समझ सकता है कि उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत हमें व्याख्या करने के लिए प्रोत्साहित करता है

संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकार, मानव के प्रकाश में

गरिमा। इस मायने में, मानव गरिमा उद्देश्य को प्रभावित करती है।

संविधान की व्याख्या। इतना ही नहीं, यह प्रभावित भी करता है।

कानूनी में प्रत्येक उप-संवैधानिक मानदंड की व्याख्या

प्रणाली। इसके अलावा, संवैधानिक मूल्य के रूप में मानव गरिमा भी

सामान्य कानून के विकास को प्रभावित करता है।

XX

XX

XX

295. ड्वोर्किन, एक दार्शनिक-न्यायविद होने के नाते, इस विचार से अवगत थे।

संविधान और मानव गरिमा का संवैधानिक अधिकार। में।

राज्य के संबंध में मानवाधिकार मौजूद हैं। उनके अनुसार, इस तरह का जवाब देने के लिए कम से कम इस विचार को स्वीकार करना चाहिए।

मानव गरिमा। जैसा कि वे लिखते हैं:

"मानव गरिमा. कांट के साथ संबद्ध, लेकिन द्वारा संरक्षित

विभिन्न विद्यालयों के दार्शनिकों का मानना है कि कुछ तरीके हैं

मानव समुदाय का एक पूर्ण सदस्य, और ऐसा मानता है कि व्यवहार घोर अन्यायपूर्ण है। *" 41*

296. अपनी पुस्तक में, क्या यहाँ लोकतंत्र संभव है*? 42* ड्वोर्किन

मानव गरिमा की अवधारणा के बारे में दो सिद्धांतों का विकास करता है।

पहला सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति के आंतरिक मूल्य का संबंध रखता है। प्रत्येक व्यक्ति का एक विशेष वस्तुनिष्ठ मूल्य होता है जो न केवल

केवल उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन जीवन की सफलता या विफलता हम सभी के लिए प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। दूसरा सिद्धांत,

ड्वोर्किन के अनुसार, यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। के अनुसार

इस सिद्धांत के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति की सफलता की जिम्मेदारी है अपना जीवन और इसलिए, उसे अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए

जीवन का वह तरीका जो उसके दृष्टिकोण से सफल होगा।

इस प्रकार, मानव गरिमा के बारे में ड्वोर्किन का न्यायशास्त्र इस पर आधारित है

अल्ड ड्वोर्किन, टेकिंग राइट्स सीरियसली *(*ए एंड सी ब्लैक, *2013) 239*।

अल्ड ड्वोर्किन, क्या यहाँ लोकतंत्र संभव है*?* एक नई राजनीतिक बहस के लिए सिद्धांत

ईटन यूनिवर्सिटी प्रेस, *2006)*

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

उपरोक्त दो सिद्धांत, जो एक साथ, न केवल आधार को परिभाषित करते हैं, बल्कि मानव गरिमा के लिए शर्तों को भी परिभाषित करते हैं। ड्वोर्किन चला गया

इन सिद्धांतों को अपनी पुस्तक जस्टिस फॉर में विकसित और विस्तारित करें।

हेजहोग्स *(2011) 4 3.* *297.* अधिकारों की बात करते समय, गरिमा के बिना इसकी कल्पना करना असंभव है। हेजहोग्स के लिए अपने अग्रणी और सर्व-समावेशी न्याय में,

उन्होंने एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जिसमें मानव गरिमा का सम्मान किया जाए, इसमें दो आवश्यकताएँ शामिल हैं; सबसे पहले, आत्म-सम्मान अर्थात

अपने जीवन का वस्तुनिष्ठ महत्व गंभीरता से; यह व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा, अपने लिए सोचने की उसकी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है।

अपने जीवन को नियंत्रित करें और दूसरा, प्रामाणिकता अर्थात

"पहचानने के लिए विशेष, व्यक्तिगत जिम्मेदारी कि क्या मायने रखता है

सफलता "अपने जीवन में और उस जीवन को" एक सुसंगत कथा के माध्यम से "बनाने के लिए जिसे किसी ने चुना है। ड्वोर्किन के अनुसार,

ये सिद्धांत मौलिक मानदंड बनाते हैं जो पर्यवेक्षण करते हैं कि क्या

हमें अच्छा जीवन जीने के लिए ऐसा करना चाहिए। *45* वे आगे बताते हैं कि

वे अधिकार जो व्यक्तियों को अपने राजनीतिक समुदाय के खिलाफ हैं, *46* और वे दूसरों के प्रति हमारे नैतिक कर्तव्यों के लिए एक तर्क प्रदान करते हैं। गरिमा की यह धारणा, जिसे ड्वोर्किन अत्यधिक महत्व देता है,

यह किसी भी सभ्य समाज के लिए अपरिहार्य है। यह वही है जिसे हमारे देश में संवैधानिक रूप से और अच्छे कारण से मान्यता प्राप्त है। अच्छी तरह से जीना व्यक्तियों की एक नैतिक जिम्मेदारी है; यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो चरित्र की एक स्थिर स्थिति नहीं है, बल्कि एक ऐसा तरीका है जिसे एक व्यक्ति लगातार आत्मसात करने का प्रयास करता है। गरिमा के बिना जीने वाला जीवन, अच्छी तरह से जीने के लिए जीने वाला जीवन नहीं है, जो मानव की अवधारणा को दर्शाता है।

ड्वोर्किन जिस गरिमा की व्याख्या करते हैं, उसमें आत्म-सम्मान और प्रामाणिकता के आदर्श शामिल हैं।

103. संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि मानव गरिमा की अवधारणा हजारों साल पुरानी है। ऐतिहासिक रूप से, मानव गरिमा, एक अवधारणा के रूप में,

डी विभिन्न धर्मों में इसकी उत्पत्ति जो एक महत्वपूर्ण माना जाता है

उनके धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण के घटक। न्यायविदों ने इस दृष्टिकोण को गरिमा का 'हीओलॉजिकल मॉडल' दिया है। यह मुख्य रूप से आधार पर आधारित है

मनुष्य भगवान की रचना है और उन्हें ऐसा नहीं माना जा सकता है

ऊपर *33* नोट करें।ऊपर *32* नोट करें।

अपना लक्ष्य स्वयं निर्धारित करता है। इसलिए, मनुष्य को इच्छा की स्वतंत्रता है। कुछ शताब्दियों पहले, मानव गरिमा की अवधारणा को दार्शनिक दृष्टिकोण दिया गया था। इस क्षेत्र का नेतृत्व जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट ने किया था, जिनके नैतिक सिद्धांत को दो भागों में विभाजित किया गया है: नैतिकता और अधिकार। कांट के अनुसार, एक व्यक्ति नैतिक रूप से कार्य करता है जब वह एक कर्तव्य के बल पर कार्य करता है जिसे एक तर्कसंगत प्रतिनिधि अपनी इच्छा पर स्वयं कानून बनाता है। इस प्रकार, उन्होंने मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा की बात की। कांट के लिए, नैतिकता में स्वयं के कर्तव्य *(*उदाहरण के लिए-अपनी प्रतिभा का विकास करना*)* और दूसरों के लिए *(*उदाहरण के लिए-उनकी खुशी में योगदान करना*)* शामिल हैं। यह क्षमता मनुष्य की मानवीय गरिमा है। इस प्रकार, दार्शनिक दृष्टिकोण अति नैतिक है, जो 'मनुष्य' और 'शेष मानव' से एक यात्रा है। यह समझाया गया है प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी 'स्वयं', 'दूसरों' और 'समाज' के बीच संबंध के रूप में। इस दार्शनिक अर्थ में, गरिमा 'स्वतंत्रता और विकल्प चुनने की क्षमता के सिद्धांत पर आधारित एक व्यक्ति के लिए सम्मान है और एक अच्छी या न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था वह है जो' संदर्भों 'और' स्थितियों 'को' स्वतंत्र और सूचित विकल्प के स्रोत 'के रूप में आश्वस्त करके गरिमा का सम्मान करती है। दार्शनिक रूप से कहें तो प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी अधीनता के अपना जीवन अपनी इच्छानुसार जीने का अधिकार है। एक व्यक्ति दूसरे पर शासन कर सकता है, लेकिन फिर यह कभी भी महान नहीं होता है। यह अनैतिक है क्योंकि दूसरा आपके लिए कोई साधन नहीं है,

दूसरा स्वयं का अंत है। कांत का यह भी कहना है कि दूसरे को एक साधन के रूप में उपयोग करना बुनियादी अनैतिक कार्य है। इसके कारण जो कुछ भी अनैतिक है वह अनैतिक है, इसलिए यह मानदंड होना चाहिएः क्या आप दूसरे को एक साधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं? किसी ने इसे निम्नलिखित शब्दों में उल्लेखनीय रूप से रखा हैः

उनके अस्तित्व का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो उनके अनुरूप न हो। वह पूर्ण सद्भाव प्राप्त करने के लिए आया है। उनमें कोई संघर्ष नहीं है, पूर्ण शांति का शासन है। और उसकी चेतना सर्वोच्च है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है-कोई वृत्ति नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कुछ भी नहीं है।

उसकी चेतना से भी ऊँचा। जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

104. ऐतिहासिक रूप से, धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण *(*मनुष्य को सृष्टि के रूप में*)* के मिश्रण को बदलकर गरिमा के विचार में एक परिवर्तन हुआ है। गरिमा के योग्य ईश्वर*)* और नैतिकता पर आधारित दार्शनिक दृष्टिकोण, मानव गरिमा को संवैधानिक मूल्य से जोड़ते हुए एक संवैधानिक मानदंड के रूप में ऊपर उठाकर। यह सम्मान करके 'सम्मान' से 'अधिकार' में परिवर्तन है।

प्रवर्तनीय अधिकार के रूप में। जिस तरह से यह भारत में हुआ है, उसका पता ऊपर लगाया गया है।

105. उपरोक्त चर्चा से यह पता चलता है कि न्यायशास्त्र की अवधारणा के रूप में गरिमा को अब इस न्यायालय द्वारा अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। इसका

आवश्यक अवयवों को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता हैः व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता का मूल सिद्धांत प्राकृतिक कानून की एक विशेषता है जो सभी व्यक्तियों का अधिकार बन जाता है।

संवैधानिक लोकतंत्र। गरिमा की केंद्रीय मानक भूमिका के साथ-साथ संवैधानिक मूल्य भी है। यह मानक भूमिका तीन तरीकों से की जाती हैः

सबसे पहले, यह संवैधानिक अधिकारों का आधार बन जाता है।

दूसरा, यह संवैधानिक अधिकारों के दायरे को निर्धारित करने के लिए एक व्याख्यात्मक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है; और,

तीसरा, यह एक क़ानून की आनुपातिकता निर्धारित करता है जो एक को सीमित करता है

संवैधानिक अधिकार। इस प्रकार, यदि कोई अधिनियम किसी संवैधानिक अधिकार पर सीमा लगाता है और ऐसी सीमा असमान है, तो आनुपातिकता के सिद्धांत को लागू करके इस तरह के क़ानून को असंवैधानिक माना जा सकता है।

106. ड्वोर्किन के अनुसार, मानव गरिमा की अवधारणा के बारे में दो सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत प्रत्येक के 'आंतरिक मूल्य' के बारे में है।

व्यक्ति, अर्थात्, प्रत्येक व्यक्ति का एक विशेष वस्तुनिष्ठ मूल्य होता है, जो यह न केवल उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की सफलता या विफलता हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसे

आत्म सम्मान के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है जो व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा, अपने लिए सोचने और अपने जीवन को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा सिद्धांत 'व्यक्तिगत जिम्मेदारी' का है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास है

अपने जीवन में सफलता के लिए जिम्मेदारी और इसलिए, उसे अपने दृष्टिकोण से सफल होने वाले जीवन के तरीके के बारे में अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए।

107. प्रोफेसर बख्शी द्वारा इस व्याख्या के कुल योग को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है कि उपरोक्त दृष्टिकोण के अनुसार, गरिमा को इस प्रकार माना जाना चाहिएः

' 'सशक्तिकरण' जो मानव गरिमा के लिए 'सम्मान' के नाम पर तीन गुना मांग करता है, अर्थात्ः

((i) एक प्रतिनिधि के रूप में अपनी स्वतंत्र पसंद बनाने की क्षमता का सम्मान करना।
((ख) इस प्रकार किए गए विकल्पों का सम्मान करना; और

(iii) किसी की आवश्यकता का सम्मान करने के लिए एक संदर्भ और परिस्थितियाँ होनी चाहिए जिसमें कोई व्यक्ति स्वतंत्र और सूचित विकल्प के स्रोत के रूप में काम कर सके।

108. इस पूरे सूत्रीकरण में, किसी व्यक्ति के लिए 'सम्मान' आधार है, जो स्वतंत्रता और क्षमता के सिद्धांत पर आधारित है।

चुनाव करें और एक अच्छी या न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था वह है जो सम्मान करती है। 'संदर्भ' और 'शर्तों' को 'स्वतंत्र और सूचित विकल्प के स्रोत' के रूप में आश्वस्त करने के माध्यम से गरिमा।

109. मानव गरिमा की अवधारणा पर उपरोक्त विमर्श व्यक्तिगत दृष्टिकोण से है। याचिकाकर्ताओं का भी यही जोर है। यह सिक्के का एक पहलू होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता जिसे वर्तमान मामले ने ध्यान में लाया है, वह है एक और आयाम

मानव गरिमा, अर्थात्, 'सामान्य भलाई' या 'सार्वजनिक भलाई' के रूप में। इस प्रकार, हमारा प्रयास यहाँ अधिक समृद्ध और अधिक सूक्ष्मता प्रदान करना है

मानव गरिमा की अवधारणा को समझना। यहाँ, गरिमा एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है और इसे व्यक्तिगत तरीके से देखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण *(*ट्रांसजेंडर मामले*)* में मानव गरिमा के इस पहलू पर एक प्रतिबिंब कहा गया था, जिसे निम्नलिखित चर्चा से देखा जा सकता हैः

" 103. इस विकास का एक परिणाम यह है कि जब तक अनुच्छेद *21* की नकारात्मक भाषा और "वंचित" शब्द का उपयोग राज्य पर कानून की मंजूरी के बिना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करने के नकारात्मक कर्तव्य को लागू करने के लिए माना जाता था, इस प्रावधान की चौड़ाई और आयाम ने अब एक सकारात्मक दायित्व लागू कर दिया है *(*विंसेंट पनिकुरलंगारा बनाम। भारत संघ*)* राज्य को व्यक्ति के लिए बेहतर विकास सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए

उनके जीवन और गरिमा का आनंद लेना जैसे। *:*
(i) सार्वजनिक स्वास्थ्य का रखरखाव और सुधार *(*विंसेंट पनिकुरलंगारा *v.* भारत संघ*)*।

((ii) जल और वायु प्रदूषण का उन्मूलन *(*एम. सी. मेहता बनाम। संघ

भारत से*)*।

(iii) संचार के साधनों में सुधार *(*एच. पी. की स्थिति *v.*

उमेद राम शर्मा*)*।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

(4. बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास *(*बंधुआ मुक्ति मोर्चा*)*

वी. भारत संघ*)*। *(v)* जेलों में मानवीय स्थितियाँ प्रदान करना *(*शेर सिंह बनाम। पंजाब राज्य*)* और सुरक्षात्मक गृह *(*शीला बारसे बनाम। भारत संघ*)*।

(vi) बूचड़खाने *(*भैंस*)* में स्वच्छ स्थिति प्रदान करना।

व्यापारी कल्याण संघ। वी. मेनका गांधी*)*।

104. इन सभी घोषणाओं से गुजरने वाला आम सुनहरा धागा यह है कि अनुच्छेद *21* जीवन के आनंद की गारंटी देता है। इस देश के सभी नागरिकों द्वारा इस मानवाधिकार को गरिमा के साथ देखना।

मानव विकास के संदर्भ में।

105. न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, स्थिति और अवसर की समानता और प्रस्तावना में शामिल व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने की अवधारणाएं, नागरिकों के व्यक्तित्व को पूरी तरह से खिलाने के लिए बनाई गई इन बुनियादी आवश्यकताओं के नागरिकों में से एक और सभी के अधिकार को स्पष्ट रूप से मान्यता देती हैं। समानता की अवधारणा
नागरिकों को उनकी उच्चतम क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। इस प्रकार, हर तरह से एक व्यक्ति के विकास पर जोर दिया जाता है।

110. क्रिस्टोफर मैकक्रुडेन, एक ऑक्सफोर्ड अकादमिक, अपने लेख 'मानव गरिमा और मानवाधिकारों की न्यायिक व्याख्या' में *47*

1 सितंबर, *2008* को यूरोपियन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ में प्रकाशित मानव गरिमा की अवधारणा के विकास का पता चलता है। वास्तव में, उनका विश्लेषण यह है कि सामाजिक विकास के प्रारंभिक चरणों में, मानव गरिमा को 'स्थिति' से जुड़ी एक अवधारणा के रूप में समझा गया था। केवल उन्हीं व्यक्तियों को सम्मान के योग्य माना जाता था जिन्हें सामाजिक संरचना के भीतर एक निश्चित दर्जा प्राप्त था। यद्यपि मनुष्य के रूप में मनुष्य की गरिमा के बारे में बयान एक रोमन राजनेता और दार्शनिक *(63* ईसा पूर्व*)* मार्कस टुलियस सिसेरो

के भाषण में ईश्वर की सर्वोच्च रचना और उनके मन और तर्क की शक्ति के कारण पाए जाते हैं, और पिको डेला मिरांडोला, ए

सुधारवादी मानवतावादी *(1486)* 'मनुष्य की गरिमा पर', फिर भी ऐसे मनुष्य मौजूद थे जिन्हें मनुष्य नहीं माना जाता था। ऐसे गुलाम थे जिनके साथ जानवरों के समान व्यवहार किया जाता था।

111. कांट ने इस सिद्धांत की व्याख्या की कि मनुष्यों को अपने आप में एक अंत के रूप में माना जाना चाहिए न कि केवल अपने भाग्य को चुनने की क्षमता के साथ अंत के साधन के रूप में। के आंतरिक मूल्य पर जोर दिया गया था

47 यूरोपीय जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ में *1* सितंबर, *2008* को शीर्ष अदालत की रिपोर्ट में प्रकाशित

मनुष्य होना। इस दर्शन के आधार पर अधिकारों की प्रारंभिक घोषणा सामने आई। कांत ने इस प्रकार लिखा हैः

"मानवता अपने आप में एक गरिमा है; क्योंकि एक इंसान का उपयोग किसी भी इंसान द्वारा केवल एक साधन के रूप में नहीं किया जा सकता है *(.)* लेकिन हमेशा एक उद्देश्य के रूप में उसी समय उपयोग किया जाना चाहिए। बस इसी में उसकी गरिमा *(*व्यक्तित्व*)* निहित है, जिसके द्वारा वह खुद को दुनिया के अन्य सभी प्राणियों से ऊपर उठाता है जो मनुष्य नहीं हैं और फिर भी उनका उपयोग किया जा सकता है, और इसलिए समग्र चीजें।

112. एक फ्रांसीसी दार्शनिक चार्ल्स बर्नार्ड रेनोवियर ने कहाः

"गणतंत्र एक ऐसा राज्य है जो सभी की गरिमा के साथ व्यक्ति की गरिमा का सबसे अच्छा मिलान करता है।

113. सभी नागरिकों को दी गई गरिमा में यह विचार शामिल है कि

साम्यवाद। कुछ समय पहले *1798* में स्वतंत्रता और दर्शन के जर्मन कवि फ्रेडरिक शिलर ने गरिमा के बीच के संबंध को सामने लाया था।

और उनके काम "वुर्डे डेस मेन्शेन" में सामाजिक स्थिति। उन्होंने कहा, "*(छ)* उसे भोजन और आश्रय दें; जब आप उसकी नग्नता को ढक लेंगे, तो गरिमा अपने आप आ जाएगी।" यह वह अवधि थी जब गुलामी का उन्मूलन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक एजेंडा बन गया था। गुलामी को मानव गरिमा का अपमान माना जाता था।

114. मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा *(*यू. डी. एच. आर*)*

मानव परिवार के सभी सदस्यों की अंतर्निहित गरिमा और समान और अपरिहार्य अधिकारों की स्वतंत्रता, न्याय और शांति की नींव के रूप में मान्यता को प्रस्तावना में दर्ज किया गया है। इसमें आम लोगों की सर्वोच्च आकांक्षाओं में से एक के रूप में भय और अभाव से मुक्ति शामिल थी। यह निश्चित रूप से प्रत्येक राज्य के संसाधनों के अधीन है। लेकिन राष्ट्रीय प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से इस उपलब्धि पर विचार

किया जाता है। जाहिर है, यू. डी. एच. आर. मानव गरिमा की एक ठोस या सामुदायिक अवधारणा को अपनाता है। राष्ट्रीय प्रयासों के माध्यम से समाज के एक सदस्य के रूप में प्रत्येक मनुष्य के आंतरिक मूल्य की प्राप्ति एक अपरिहार्य कार्य के रूप में

इस स्थिति को एक महत्वपूर्ण मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। वास्तव में, यह वंचितों, दलितों और वंचितों की ओर निर्देशित है। *115.* इसलिए, हमें मानव गरिमा की मानवतावादी अवधारणा को ध्यान में रखना होगा जो मानव जाति के एक विशेष वर्ग को प्रदान की जानी है।

समाज और, वास्तव में, एक बड़ा वर्ग। उनकी मानवीय गरिमा उन सामाजिक-आर्थिक अधिकारों पर आधारित है जिन्हें मौलिक अधिकारों के साथ पढ़ा जाता है, जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

116. जब हम सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को मानव गरिमा में पढ़ते हैं, तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण के साथ-साथ सामुदायिक दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण हो जाता है

मानव गरिमा के प्रति दृष्टिकोण। अब यह अच्छी तरह से माना गया है कि मानव गरिमा के मूल में तीन तत्व हैं, अर्थात् आंतरिक मूल्य, स्वायत्तता और सामुदायिक मूल्य। इन्हें मानव गरिमा के मूल मूल्यों के रूप में जाना जाता है। ये तीन तत्व कानूनी तर्क की संरचना करने और 'कठिन मामलों' में न्यायिक विकल्पों को उचित ठहराने में सहायता कर सकते हैं। होना ही चाहिए।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मानव गरिमा स्वतंत्र मौलिक अधिकारों के बजाय एक संवैधानिक सिद्धांत है। जहाँ तक आंतरिक मूल्य का संबंध है, यहाँ मानव गरिमा अस्तित्व की प्रकृति से जुड़ी हुई है। हम मानव गरिमा के विचार की इन तीन सामग्री का संक्षिप्त विवरण नीचे दे सकते हैं:

(I) आंतरिक मूल्य:

मानव जाति की विशिष्टता अंतर्निहित लक्षणों और विशेषताओं के संयोजन का उत्पाद है-जिसमें बुद्धि, संवेदनशीलता और

संवाद करने की क्षमता-जो मनुष्यों को दुनिया में एक विशेष दर्जा देती है, जो अन्य प्रजातियों से अलग है। *48* सभी व्यक्तियों के आंतरिक मूल्य के परिणामस्वरूप दो बुनियादी अभिधारणाएँ होती हैं: उपयोगितावि‌रोधी और सत्ताविरोधी। पूर्व में कांट की स्पष्ट अनिवार्यता का सूत्रीकरण शामिल है कि प्रत्येक

व्यक्ति अपने आप में एक अंत है, न कि सामूहिक लक्ष्यों या दूसरों के उद्देश्यों का साधन। उत्तरार्द्ध को इस विचार में संश्लेषित किया गया है कि

राज्य व्यक्ति के लिए होता है, इसके विपरीत नहीं। जहाँ तक इसके कानूनी निहितार्थों का संबंध है, आंतरिक मूल्य मौलिक अधिकारों के एक समूह की उत्पत्ति है। इन अधिकारों में से पहला जीवन का अधिकार है, जो किसी भी अन्य अधिकार के आनंद के लिए एक बुनियादी पूर्व शर्त है। प्रत्येक व्यक्ति के आंतरिक मूल्य से सीधे संबंधित दूसरा अधिकार कानून के समक्ष और उसके तहत समानता है। सभी व्यक्ति समान मूल्य के हैं और इसलिए, समान सम्मान और चिंता के पात्र हैं। इसका मतलब है कि इसके कारण भेदभाव नहीं किया जा रहा है नस्ल, रंग, जातीय या राष्ट्रीय मूल, लिंग, आयु या मानसिक क्षमता *(*गैर-भेदभाव का अधिकार*)*, साथ ही सांस्कृतिक, धार्मिक या भाषाई विविधता *(*मान्यता का अधिकार*)* के लिए सम्मान। मानव गरिमा समानता

के विचार की सामग्री के केवल एक हिस्से को पूरा करती है, और कई स्थितियों में लोगों के बीच अंतर करना स्वीकार्य हो सकता है। समकालीन दुनिया में, यह विशेष रूप से सकारात्मक कार्रवाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़े मामलों में मुद्दा है। आंतरिक मूल्य भी शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से सत्यनिष्ठा के अधिकार की ओर ले जाता है। शारीरिक अखंडता के अधिकार में यातना, दास श्रम और अपमानजनक व्यवहार या सजा का निषेध शामिल है। आजीवन कारावास, पूछताछ तकनीकों पर चर्चा,

48 जॉर्ज काटेब, ह्यूमन डिग्निटी *5 (2011)* देखें *("*हम प्रत्येक मानव व्यक्ति की गरिमा और समग्र रूप से मानव प्रजाति की गरिमा के बीच अंतर कर सकते हैं।*") .*

और जेल की स्थितियाँ इस अधिकार के दायरे में होती हैं। मानसिक अखंडता के अधिकार में व्यक्तिगत सम्मान और छवि का अधिकार शामिल है और इसमें निजता का अधिकार भी शामिल है।

(II) स्वायत्तताः

स्वायत्तता मानव गरिमा का नैतिक तत्व है। यह व्यक्तियों की स्वतंत्र इच्छा की नींव है, जो उन्हें अच्छी तरह से जीने और अपने तरीके से अच्छा जीवन जीने के आदर्शों को आगे बढ़ाने का अधिकार देती है। केंद्रीय धारणा आत्मनिर्णय की हैः एक स्वायत्त व्यक्ति उन नियमों को स्थापित करता है जो उसके जीवन को नियंत्रित करेंगे। स्वायत्तता की कांटियन अवधारणा नैतिक कानून *(*नैतिक स्वायत्तता*)* द्वारा शासित इच्छा है। यहाँ, हम व्यक्तिगत स्वायत्तता से संबंधित हैं, जो मूल्य तटस्थ है और जिसका अर्थ है अपने स्वयं के मूल्यों, हितों और इच्छाओं के अनुसार इच्छा का स्वतंत्र अभ्यास। स्वायत्तता के लिए कुछ शर्तों की पूर्ति की आवश्यकता होती है, जैसे कि तर्क *(*सूचित निर्णय लेने की मानसिक क्षमता*)*, स्वतंत्रता *(*जबरदस्ती की अनुपस्थिति, हेरफेर और गंभीर कमी*)*, और विकल्प *(*विकल्पों का वास्तविक अस्तित्व*)*। इस प्रकार, स्वायत्तता व्यक्तिगत निर्णय लेने और चुनाव करने की क्षमता है।

अनुचित बाहरी प्रभावों के बिना, अच्छे की अवधारणा पर आधारित जीवन। जहाँ तक इसके कानूनी निहितार्थों का संबंध है, स्वायत्तता लोकतांत्रिक संविधानवाद से जुड़े मौलिक अधिकारों का एक समूह है, जिसमें बुनियादी स्वतंत्रताएँ *(*निजी स्वायत्तता*)* और राजनीतिक भागीदारी का अधिकार *(*सार्वजनिक स्वायत्तता*)* शामिल हैं। यहां इस बात पर जोर देना उचित होगा कि कल्याणकारी राज्य के उदय के साथ दुनिया के कई देश *(*और जिसमें भारत भी शामिल है*)*

संतुलन में न्यूनतम जीवन स्थितियों *(*अस्तित्वगत न्यूनतम*)* के मौलिक अधिकार पर विचार करें जिसके परिणामस्वरूप प्रभावी स्वायत्तता प्राप्त होती है। इस प्रकार स्वायत्तता के तीन पहलू हैं, अर्थात्ः निजी स्वायत्तता, सार्वजनिक

स्वायत्तता और अस्तित्वगत न्यूनतम। जहाँ तक अंतिम घटक का संबंध है, इसे सामाजिक न्यूनतम भी कहा जाता है या पर्याप्त जीवन स्थितियों के प्रावधान के मूल अधिकार की जड़ें समानता के अधिकार में भी हैं। वास्तव में, समानता, एक मूल अर्थ में, और विशेष रूप से स्वायत्तता *(*निजी और सार्वजनिक दोनों*)*, इस तथ्य पर निर्भर करती है कि व्यक्ति "अभाव से मुक्त" हैं, जिसका अर्थ है कि उनकी आवश्यक ज़रूरतें पूरी होती हैं। स्वतंत्र, समान और जिम्मेदार नागरिकता का प्रयोग करने में सक्षम होने के लिए, व्यक्तियों को कल्याण की

न्यूनतम सीमा को पार करना चाहिए, जिसके बिना स्वायत्तता केवल एक कल्पना है। इसके लिए कुछ आवश्यक उपयोगिताओं, जैसे बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के साथ-साथ कुछ प्राथमिक आवश्यकताओं, जैसे भोजन, पानी, कपड़े और आश्रय तक पहुंच की आवश्यकता होती है।

अस्तित्वगत न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

इसलिए, न्यूनतम सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की मूल सामग्री है। न्यूनतम सामाजिक अधिकार की इस अवधारणा को न्यायालय द्वारा बार-बार संरक्षित किया जाता है।

(III) सामुदायिक मूल्यः

सामुदायिक मूल्य के रूप में मानव गरिमा का यह तत्व गरिमा के सामाजिक आयाम से संबंधित है। मानव गरिमा की रूपरेखाएँ आकार लेती हैं।

दूसरों के साथ व्यक्ति के संबंध के साथ-साथ उसके आसपास की दुनिया के साथ भी। अंग्रेजी कवि जॉन डोने भी यही भावना व्यक्त करते हैं जब वे कहते हैं कि 'कोई भी व्यक्ति एक द्वीप नहीं है, अपने आप में संपूर्ण है'। इस प्रकार व्यक्ति अपने भीतर, एक समुदाय के भीतर और एक राज्य के भीतर रहता है। उनकी व्यक्तिगत स्वायत्तता उनके मूल्यों, अधिकारों और नैतिकता से बाधित है।

जो लोग उतने ही स्वतंत्र और उनके समान हैं, साथ ही साथ दंडात्मक विनियमन द्वारा भी। रॉबर्ट पोस्ट ने सामाजिक व्यवस्था के तीन अलग-अलग रूपों की पहचान कीः

समुदाय *("*समान विश्वास और भाग्य की साझा दुनिया*")*, प्रबंधन *(*विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कानून के माध्यम से सामाजिक जीवन का साधन संगठन*)*, और लोकतंत्र *(*एक ऐसी व्यवस्था जो व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मनिर्णय के उद्देश्य को मूर्त रूप देती है। इन तीन रूपों में

सामाजिक व्यवस्था एक-दूसरे का अनुमान लगाती है और एक-दूसरे पर निर्भर रहती है, लेकिन वे निरंतर तनाव में भी रहती है।

एक सामुदायिक मूल्य के रूप में गरिमा, इसलिए, की भूमिका पर जोर देती है

अच्छे जीवन के एक निश्चित विचार की ओर से व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं और अधिकारों पर सामूहिक लक्ष्यों और प्रतिबंधों को स्थापित करने में राज्य और समुदाय। यहाँ प्रासंगिक प्रश्न यह है कि संवैधानिक लोकतंत्र में इन कार्यों को किन परिस्थितियों में और किस हद तक वैध माना जाना चाहिए*?* यह उदार संकट कि एक बहुलवादी समाज में अच्छाई की विभिन्न अवधारणाओं के संबंध में राज्य को तटस्थ होना चाहिए, असंगत नहीं है, निश्चित रूप से, विभिन्न विचारों और संभावित रूप से परस्पर विरोधी अधिकारों के आवश्यक सह-अस्तित्व के परिणामस्वरूप सीमा के साथ। इस तरह

हालाँकि, हस्तक्षेप को न्याय के एक वैध विचार के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए, एक "अतिव्यापी सर्वसम्मति" *50* जिसे अधिकांश व्यक्तियों और समूहों द्वारा साझा किया जा सकता है। जब भी ऐसा तनाव उत्पन्न होता है, तो न्यायालयों को संतुलन बनाने का कार्य पूरा करना होता है। हम एक और महत्वपूर्ण विशेषता पर प्रकाश डालना चाहते हैं जो वर्तमान मामले में शामिल मुद्दे लाते हैं। यह संतुलन है

49 जॉन डोने, *XVII* को देखें। आपात अवसरों पर समर्पण में मध्यस्थता *107,*

108-09 (यूनिव। माइक से। प्रेस *1959) (1624)*

50 " सर्वसम्मति *"*जॉन रॉल्स द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जो न्याय के बुनियादी विचारों की पहचान करता है जिन्हें विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक और नैतिक व्यापक सिद्धांतों के समर्थकों द्वारा साझा किया जा सकता है।

एक ही व्यक्ति की गरिमा के दो पहलू। जहां एक तरफ व्यक्तिगत स्वायत्तता का अधिकार गरिमा *(*और निजता का अधिकार*)* का हिस्सा है, वहीं उसी व्यक्ति की गरिमा का दूसरा हिस्सा गरिमापूर्ण जीवन जीना भी है *(*जो फिर से संविधान के अनुच्छेद *21* का एक पहलू है*)*। इसलिए, ऐसे परिदृश्य में जब राज्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है, जो मानव गरिमा के साथ सद्भाव में सम्मानजनक जीवन देने का प्रयास करती हैं और इस प्रक्रिया में स्वायत्तता के कुछ पहलू का त्याग कर दिया जाता है, तो दोनों में संतुलन स्थापित किया जाता है

यह एक महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है जिसे न्यायालयों द्वारा पूरा किया जाना है। क्योंकि, आर्थिक लाभ प्रदान करने के बहाने स्वायत्तता में अनुचित घुसपैठ नहीं हो सकती है। सटीक रूप से, संतुलन का यह अभ्यास न्यायालय द्वारा याचिकाओं में उठाए गए जटिल मुद्दों को हल करने के लिए किया जाता है।

आनुपातिकता का सिद्धांतः

117. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जब भी राज्य की किसी कार्रवाई को इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि वह निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है, तो राज्य की कार्रवाई का परीक्षण निम्नलिखित मापदंडों पर किया जाता हैः

(क*)* कार्रवाई को कानून द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए*;*

*((*ख*)* एक लोकतांत्रिक समाज में एक वैध उद्देश्य के लिए प्रस्तावित कार्रवाई आवश्यक होनी चाहिए*;* और *(* ग*)* इस तरह के हस्तक्षेप की सीमा इस तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता के अनुपात में होनी चाहिए।

118. आनुपातिकता के सिद्धांत को मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले द्वारा समझाया गया था।

केंद्र और अन्य। वी. मध्य प्रदेश राज्य *& Ors.5*[1] सबसे पहले उदाहरण के लिए, उक्त चर्चा को पुनः प्रस्तुत करना उपयुक्त होगाः

" 60. ..... इस प्रकार, इस बात की जांच करते हुए कि क्या क़ानून और नियमों के विवादित प्रावधान उचित प्रतिबंधों के बराबर हैं और आम जनता के हित में लाए गए हैं, जो अभ्यास किया जाना आवश्यक है वह मौलिक नियमों का संतुलन है।
एक तरफ कब्जा रखने का अधिकार और प्रतिबंध

दूसरी ओर लगाया गया। इसी को "आनुपातिकता का सिद्धांत" कहा जाता है। न्यायिक रूप से, "आनुपातिकता" हो सकती है

द्वारा संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार की सीमा के लिए आवश्यक और पर्याप्त शर्तों का निर्धारण करने वाले नियमों के समूह के रूप में परिभाषित

कानून संवैधानिक रूप से अनुज्ञेय होना। अहरोन बराक के अनुसार

51 (2016) 7 एस. सी. सी. *353* एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

(पूर्व मुख्य न्यायाधीश, इज़राइल का सर्वोच्च न्यायालय*)*, आनुपातिकता के चार उप-घटक हैं जिन्हें संतुष्ट करने की आवश्यकता है

[अहरोन बराक, आनुपातिकता संवैधानिक अधिकार और

उनकी सीमा *(*कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस *2012)]*, एक संवैधानिक अधिकार की सीमा संवैधानिक रूप से अनुमत होगी यदिः

((i) यह एक उचित उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट किया गया है*;* *((ii)* ऐसी सीमा को प्रभावी बनाने के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं -

उस उद्देश्य की पूर्ति से तर्कसंगत रूप से जुड़ा हुआ है*;* *(iii)* किए गए उपाय इस मायने में आवश्यक हैं कि कोई वैकल्पिक उपाय नहीं हैं जो समान रूप से उसी उद्देश्य को प्राप्त कर सकें।

कम सीमा के साथ*;* और अंत में

(iv) उचित उद्देश्य को प्राप्त करने के महत्व और संवैधानिक अधिकार पर सीमा को रोकने के सामाजिक महत्व के बीच एक उचित संबंध *("*आनुपातिकता स्ट्रिक्टो सेंसु*"* या *"*संतुलन*")* होने की आवश्यकता है।

61. संवैधानिक अधिकारों का आधुनिक सिद्धांत संवैधानिक अधिकारों के दायरे और इसके संरक्षण के दायरे के बीच एक मौलिक अंतर दर्शाता है। जहाँ तक संवैधानिक अधिकारों के दायरे का संबंध है, यह उक्त अधिकारों की बाहरी सीमाओं को चिह्नित करता है और इसकी सामग्री को परिभाषित करता है। इसके संरक्षण की सीमा इसके दायरे में अधिकारों के प्रयोग पर सीमाओं को निर्धारित करती है। उस में

अर्थ में, यह उन सीमाओं के लिए औचित्य को परिभाषित करता है जिन्हें लगाया जा सकता है

इस तरह के अधिकार पर।

62. यह अब लगभग स्वीकार किया जाता है कि कोई निरपेक्ष नहीं हैं।

संवैधानिक अधिकार *[*हालाँकि, इस परेशान करने वाले मुद्दे पर बहस अभी भी जारी है और कुछ संवैधानिक विशेषज्ञों का दावा है कि कुछ अधिकार हैं, हालांकि बहुत कम हैं, जिन्हें अभी भी *"*निरपेक्ष*"* माना जा सकता है। दिए गए उदाहरण हैंः *(* क*)* मानव गरिमा का अधिकार जो अलंघनीय है, *(*ख*)* यातना या अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा के अधीन नहीं होने का अधिकार। इस संबंध में भी अधिकार, एक

सोच है कि व्यापक सार्वजनिक हित में, उनके संरक्षण की सीमा को कम किया जा सकता है। हालाँकि, अब तक राज्यों के ऐसे प्रयासों को न्यायपालिका द्वारा विफल कर दिया गया है।*]* और ऐसे सभी

अधिकार संबंधित हैं। अहरोन बराक *[*अहरोन*]* के विश्लेषण के अनुसार

बराक, आनुपातिकताः संवैधानिक अधिकार और उनके

सीमा *(*कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस *2012)*।*]*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपनी सीमाओं के साथ सकारात्मक संवैधानिक अधिकारों को मान्यता देने के आधुनिक संवैधानिक सिद्धांत को विकसित करने में तत्व लोकतंत्र और कानून के शासन की धारणाएँ हैं। इस प्रकार, एक उप-संवैधानिक कानून यानी कानून द्वारा संवैधानिक अधिकारों की आनुपातिक सीमाओं की आवश्यकता, स्वयं लोकतंत्र की धारणा की व्याख्या से प्राप्त होती है। जहाँ तक भारतीय संविधान का संबंध है, लोकतंत्र को संविधान की मूल विशेषता के रूप में माना जाता है और विशेष रूप से

संवैधानिक स्थिति जो संविधान की प्रस्तावना में मान्यता प्राप्त है

स्वयं संविधान। यह भी निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जाता है कि लोकतंत्र की इस धारणा में मानवाधिकार शामिल हैं जो लोकतंत्र की आधारशिला है।

भारतीय लोकतंत्र। एक बार जब हम उपरोक्त सिद्धांत को स्वीकार कर लेते हैं *(*और इसका कोई खंडन नहीं किया जा सकता है*)*, एक दुर्भाग्य के रूप में, यह भी स्वीकार करना होगा कि लोकतंत्र दोनों के बीच संतुलन पर आधारित है।

संवैधानिक अधिकार और लोक हित। वास्तव में, अनुच्छेद *19* में ही ऐसा प्रावधान एक ओर कुछ निश्चित गारंटी देता है। अनुच्छेद *19* के खंड *(1)* में स्वतंत्रताएँ और साथ ही सशक्त करती हैं

राज्य जनहित में उन स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध लगाएगा। यह धारणा आधुनिक संवैधानिक सिद्धांत को स्वीकार करती है कि संवैधानिक अधिकार संबंधित हैं। इस सापेक्षता का अर्थ है कि उन अधिकारों को सीमित करने के लिए एक संवैधानिक लाइसेंस दिया जाता है जहां इस तरह की सीमा सार्वजनिक हित या दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए उचित होगी। संविधान में अधिकार और इसकी सीमा दोनों की यह घटना-दोनों के बीच अंतर्निहित तनाव का उदाहरण है। लोकतंत्र के दो बुनियादी तत्व हैं। एक ओर अधिकार का तत्व है, जो मूल लोकतंत्र का एक मौलिक घटक है; दूसरी ओर जनता का तत्व है, जो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उन अधिकारों को सीमित करता है। ये दोनों लोकतंत्र की धारणा का एक मौलिक घटक हैं, हालांकि इस बार इसके औपचारिक पहलू में। इस तनाव को कैसे दूर किया जा सकता है*?* इसका उत्तर यह है कि इस तनाव का समाधान संविधान के "हारे हुए" पहलू को समाप्त करके नहीं किया जा सकता है। बल्कि, प्रतिस्पर्धी सिद्धांतों के उचित संतुलन के माध्यम से तनाव का समाधान किया जाता है। यह लोकतंत्र की बहुआयामी प्रकृति की अभिव्यक्तियों में से एक है। वास्तव में, लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं के बीच अंतर्निहित तनाव एक "रचनात्मक तनाव" है। यह प्रत्येक पहलू को दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से सह-अस्तित्व में रहते हुए विकसित करने में

सक्षम बनाता है। इस शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका प्रतिस्पर्धी हितों के बीच संतुलन बनाना है।

इस तरह का संतुलन प्रत्येक एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुटास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. को सक्षम बनाता है। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

अन्य पहलुओं के साथ विकसित होने का पहलू, उनके स्थान पर नहीं। एक पर दो मौलिक पहलुओं के अधिकारों के बीच यह तनाव हाथ और दूसरी ओर इसकी सीमा-द्वारा हल किया जाना है

दोनों को संतुलित करना ताकि वे सामंजस्यपूर्ण रूप से प्रत्येक के साथ सह-अस्तित्व में रहें अन्य। यह संतुलन प्रत्येक प्रतिस्पर्धी पहलू के सापेक्ष सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है जब इन पर विचार किया जाता है।

उचित संदर्भ।

63. इस दिशा में अगला सवाल यह उठता है कि दोनों के बीच उचित संतुलन के लिए कौन से मानदंड अपनाए जाने चाहिए।

पहलू अर्थात। कानून द्वारा उस पर लगाए गए अधिकार और सीमाएँ। यहाँ "आनुपातिकता" की अवधारणा आती है, जो एक उचित मानदंड है। सटीक शब्दों में कहें तो जब कोई कानून किसी संवैधानिक अधिकार को सीमित करता है, तो ऐसी सीमा संवैधानिक होती है यदि वह आनुपातिक हो। कानून.

प्रतिबंध लगाने को आनुपातिक माना जाएगा यदि यह एक उचित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए है, और यदि इसे प्राप्त करने के लिए उपाय किए गए हैं।

ऐसा उद्देश्य तर्कसंगत रूप से उद्देश्य से जुड़ा हुआ है और ऐसे उपाय आवश्यक हैं। आनुपातिकता के सिद्धांत के इस सार को कनाडा के सी. जे. डिक्सन ने आर. वी. में खूबसूरती से चित्रित किया है। ओक्स *[*आर. वी. ओक्स, *(1986) 1* एस. सी. आर. *103 (*कैन एस. सी.*)]*, निम्नलिखित शब्दों में *(*पी. *138):*

'यह स्थापित करने के लिए कि एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज में एक सीमा उचित और स्पष्ट रूप से उचित है, दो केंद्रीय मानदंडों को पूरा किया जाना चाहिए। सबसे पहले, उद्देश्य, जिसे चार्टर अधिकार या स्वतंत्रता की सीमा के लिए जिम्मेदार उपायों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, एक अधिकार को ओवरराइड करने के लिए पर्याप्त महत्व का होना चाहिए।

संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार या स्वतंत्रता। दूसरा, धारा *1* का आह्वान करने वाले पक्ष को यह दिखाना चाहिए कि चुने गए साधन उचित और स्पष्ट रूप से उचित हैं। इसमें "एक रूप" शामिल है

आनुपातिकता परीक्षण की। "हालांकि इसकी प्रकृति

आनुपातिकता परीक्षण परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग होगा, प्रत्येक मामले में अदालतों को व्यक्तियों और समूहों के साथ समाज के हितों को संतुलित करने की आवश्यकता होगी। वहाँ हैं, मेरे अंदर देखें, आनुपातिकता परीक्षण के तीन महत्वपूर्ण घटक। सबसे पहले, अपनाए गए उपाय उद्देश्य से तर्कसंगत रूप से जुड़े होने चाहिए। दूसरा, साधनों को अधिकार या स्वतंत्रता को "जितना संभव हो उतना कम" बाधित करना

चाहिए। तीसरा, चार्टर के अधिकार या स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए जिम्मेदार उपायों के प्रभावों और *[2018] 8* एस. सी. आर. के बीच एक आनुपातिकता होनी चाहिए।

उद्देश्य जिसे "पर्याप्त महत्व" के रूप में पहचाना गया है। किसी उपाय के हानिकारक प्रभाव जितने अधिक गंभीर होंगे, उद्देश्य उतना ही अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए यदि

उपाय में उचित और स्पष्ट रूप से उचित होना है

मुक्त और लोकतांत्रिक समाज '।

64. इसलिए जो अभ्यास किया जाना है, वह यह पता लगाने के लिए है कि क्या संवैधानिक अधिकारों की सीमा किसी उद्देश्य के लिए है।

यह एक लोकतांत्रिक समाज में उचित और आवश्यक है और इस तरह की कवायद में प्रतिस्पर्धी मूल्यों का वजन बढ़ाना और अंततः आनुपातिकता यानी विभिन्न हितों के संतुलन पर आधारित मूल्यांकन शामिल है।

(2) प्रतिबंध मनमाना या अत्यधिक प्रकृति के नहीं होने चाहिए ताकि सामान्य हित की आवश्यकता से परे जा सकें। सार्वजनिक।

(3) प्रतिबंधों की तर्कसंगतता का न्याय करने के लिए, नहीं

अमूर्त या सामान्य पैटर्न या एक निश्चित सिद्धांत निर्धारित किया जा सकता है।

मानव जीवन, संविधान का सामाजिक दर्शन, प्रचलित
परिस्थितियाँ और आसपास की परिस्थितियाँ।

(4) लगाए गए प्रतिबंधों के बीच एक उचित संतुलन बनाना होगा।

और अनुच्छेद *19 (6)* द्वारा परिकल्पित सामाजिक नियंत्रण।
5) प्रचलित सामाजिक मूल्यों के साथ-साथ सामाजिक आवश्यकताओं को भी जो अपेक्षित हैं

प्रतिबंधों से संतुष्ट होना।

(6) एक प्रत्यक्ष और निकटवर्ती सांठगांठ या उचित होना चाहिए।

लगाए गए प्रतिबंधों और मांगे गए उद्देश्य के बीच संबंध

हासिल करने के लिए। यदि प्रतिबंधों के बीच कोई सीधा संबंध है,

और अधिनियम का उद्देश्य, फिर के पक्ष में एक मजबूत धारणा

अधिनियम की संवैधानिकता स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होगी।

(मूल में जोर*)*

119. हम इस स्तर पर ध्यान दे सकते हैं कि जागरूकता बढ़ रही है

अधिकारों के निर्णय के लिए आनुपातिकता के सिद्धांत के व्यावहारिक महत्व के बारे में और इसने अकादमिक छात्रवृत्ति की एक लहर को भी जन्म दिया है। पहला आनुपातिकता के सिद्धांत को व्यापक रूप से एकीकृत करता है।

सैद्धांतिक ढांचा। यह रॉबर्ट अलेक्सी द्वारा प्रस्तावित है, जो सिद्धांतों और अनुकूलन आवश्यकताओं के रूप में अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित है। अलेक्सी के लिए, सभी मानदंड या तो नियम या सिद्धांत हैं। संवैधानिक अधिकार सिद्धांत हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें तथ्यात्मक और कानूनी रूप से अधिकतम संभव सीमा तक प्राप्त किया जाना चाहिए। अलेक्सी के लिए, आनुपातिकता का सिद्धांत सिद्धांतों के रूप में संवैधानिक अधिकारों की प्रकृति से तार्किक रूप से अनुसरण करता है। दूसरी ओर, मैटियास कुम्म ने अधिकारों का अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया।

सॉक्रेटिक प्रतिस्पर्धा के रूप में निर्णय, इसके केंद्र में आनुपातिकता सिद्धांत के साथ। कुम के अनुसार, आनुपातिकता एक सैद्धांतिक उपकरण है जो अनुमति देता है

न्यायाधीश किसी नीति की तर्कसंगतता या संभाव्यता का आकलन करने के लिए और इस प्रकार यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह सॉक्रेटिक प्रतियोगिता *3 3 53* में जीवित है। हाल ही में, काई

52 रॉबर्ट अलेक्सी, ए थ्योरी ऑफ कांस्टीट्यूशनल राइट्स, *(*ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस,

2002)

54 एम. कुम, 'सॉक्रेटिक प्रतिस्पर्धा का विचार और औचित्य का अधिकारः द.

अधिकारों का बिंदु और उद्देश्य-आधारित आनुपातिकता समीक्षा *'(2010) 4* कानून और नैतिकता मानवाधिकार *141;* एम. कुम्म, 'सॉक्रेटिक प्रतियोगिता को संस्थागत बनानाः द.

तर्कवादी मानवाधिकार प्रतिमान, वैध प्राधिकरण और न्यायिक का बिंदु

समीक्षा *'(2007) 1* यूरोपीय जर्नल ऑफ लीगल स्टडीज।

मोलर ने एक और सिद्धांत प्रस्तावित किया है, जो एक स्वायत्तता-आधारित सिद्धांत है जिसे वे 'संवैधानिक अधिकारों का वैश्विक मॉडल' कहते हैं, जिसके मूल में प्रत्येक व्यक्ति के स्वायत्तता हितों को पर्याप्त रूप से ध्यान

में रखना राज्य का दायित्व है। इस प्रक्रिया में, स्वायत्तता की उनकी समझ एक परिणाम की ओर ले जाती है, अर्थात। , अक्सर संघर्ष होंगे

स्वायत्तता हितों का, जिन्हें प्रत्येक अभिकर्ता की समान स्थिति के अनुरूप हल किया जाना है। यहाँ, आनुपातिकता सिद्धांत एक सैद्धांतिक उपकरण बन जाता है जो उन संघर्षों को हल करने की प्रक्रिया के माध्यम से न्यायाधीशों का मार्गदर्शन करता है।

उपरोक्त से एक बात स्पष्ट है, अर्थात आनुपातिकता सिद्धांत की न्यायशास्त्रीय व्याख्याएँ। कुछ मतभेद हो सकते हैं आनुपातिकता सिद्धांत के अनुप्रयोग पर दृष्टिकोण, यह निश्चित है कि

आनुपातिकता सीमाओं के पार न्यायिक प्रणालियों की भाषा बन गई है, जो उन परिस्थितियों से संबंधित है जिनके तहत मौलिक अधिकारों को सीमित करना उचित है।

120. आनुपातिकता परीक्षण जो उपरोक्त में बताया गया है

न्यायमूर्ति बराक की अवधारणा को स्वीकार करते हुए निर्णय अनिवार्य रूप से उस संस्करण को लेता है जिसका उपयोग जर्मन संघीय संवैधानिक न्यायालय द्वारा किया जाता है और इसे आनुपातिकता के अधिकांश सिद्धांतकारों द्वारा भी स्वीकार किया जाता है। के अनुसार

यह परीक्षण, एक अधिकार को प्रतिबंधित करने वाला एक उपाय, पहले एक वैध लक्ष्य *(*वैध लक्ष्य चरण*)* को पूरा करना चाहिए*;* दूसरा, इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने का एक उपयुक्त साधन होना चाहिए *(*उपयुक्तता या तर्कसंगत संबंध चरण*);* तीसरा, कोई कम प्रतिबंधात्मक लेकिन समान रूप से प्रभावी विकल्प *(*आवश्यकता चरण*)* नहीं होना चाहिए*;* और चौथा, उपाय का अधिकार धारक *(*संतुलन चरण*)* पर असमान प्रभाव नहीं होना चाहिए।

121. अभ्यास करते समय कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं

आनुपातिकता जांच। वैध लक्ष्य स्तर पर, सवाल उठता है कि किसी नीति के लक्ष्य के बारे में बात करने का क्या अर्थ है, और किसी लक्ष्य को वैध होने की आवश्यकता का क्या अर्थ है*? 55* उपयुक्तता और आवश्यकता चरणों के संबंध में, कुछ खुले मुद्दे हैं कि अनुभवजन्य अनिश्चितता से कैसे निपटा जाए: क्या यह व्यापक सम्मान की ओर ले जाना चाहिए

54 के मोलर, संवैधानिक अधिकारों का वैश्विक मॉडल *(*ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय*)*

प्रेस, *2012)*।

55 इस मुद्दे पर एम. कुम्म में एक विस्तृत चर्चा है, 'राजनीतिक उदारवाद और अधिकारों की संरचना: 'आनुपातिक आवश्यकता' के स्थान और सीमाओं पर 'पाव्लाकोस *(*संस्करण*)*, कानून, अधिकार और प्रवचन: द लीगल फिलॉसफी ऑफ रॉबर्ट अलेक्सी *(*ऑक्सफोर्ड, हार्ट पब्लिशिंग, *2007) 131;* मोलर, द ग्लोबल मॉडल ऑफ कांस्टीट्यूशनल राइट्स *(*ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, *2012)* चै।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

निर्वाचित शाखाएँ*? 56* संतुलन के स्तर पर, हमें यह सवाल पूछना होगा कि यह कहने का क्या अर्थ है कि एक अधिकार एक प्रतिस्पर्धी अधिकार या सार्वजनिक हित के खिलाफ 'संतुलित' है। जर्मन परीक्षण की एक

उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह अधिकांश महत्वपूर्ण मुद्दों को अंतिम चरण में धकेलता है। , संतुलन चरण। वैध लक्ष्य स्तर पर, कोई भी वैध लक्ष्य स्वीकार किया जाएगा। उपयुक्तता स्तर पर, लक्ष्य की प्राप्ति में एक मामूली योगदान भी पर्याप्त होगा। आवश्यकता स्तर पर, यह बहुत है

किसी नीति का विफल होना दुर्लभ है क्योंकि कम प्रतिबंधात्मक विकल्प आमतौर पर कुछ नुकसान के साथ आते हैं और इसलिए, उन्हें समान रूप से प्रभावी नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार, संतुलन चरण कानूनी विश्लेषण पर हावी होता है और आमतौर पर परिणाम का निर्धारक होता है।

122. इसके विपरीत, कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने अलग-अलग चार्टर दिए हैं।

आनुपातिकता परीक्षण का उपयोग करते हुए। आर. वी. ओक्स *57 (*लोकप्रिय रूप से ज्ञात*)*

जैसा कि ओक्स परीक्षण*)* ने माना है कि उद्देश्य 'संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार या स्वतंत्रता को ओवरराइड करने के लिए पर्याप्त महत्व का होना चाहिए'; उपाय और उद्देश्य के बीच एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए; साधनों को यथासंभव कम से कम 'अधिकार या स्वतंत्रता' को 'बाधित' करना चाहिए; और अंत में, इसके प्रभावों के बीच एक आनुपातिकता होनी चाहिए। ऐसे उपाय जो चार्टर के अधिकार या स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए जिम्मेदार हैं, और उद्देश्य जिसे "पर्याप्त महत्व" के रूप में पहचाना गया है। इस परीक्षण के तहत, यकीनन शुरुआती चरणों में अधिक मुद्दों को संबोधित किया जाता है। किसी भी वैध लक्ष्य को स्वीकार करने के बजाय, ओक्स को 'संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार या स्वतंत्रता को ओवरराइड करने के लिए पर्याप्त महत्व के लक्ष्य' की आवश्यकता होती है। और न्यूनतम हानि परीक्षण जर्मन आवश्यकता परीक्षण से अलग है, जिस तरह से इसे तैयार किया गया है *(*कोई आवश्यकता नहीं है कि कम प्रतिबंधात्मक उपाय समान रूप से प्रभावी हो*)* और जिस तरह से इसे व्यवहार में लागू किया जाता हैः कनाडाई सर्वोच्च न्यायालय उस स्तर पर मामलों को हल करता है, न कि जर्मन संघीय संवैधानिक न्यायालय के रूप में, संतुलन स्तर पर।

123. उपरोक्त दो दृष्टिकोणों में से कौन सा एक बेहतर दृष्टिकोण है, इस पर एक बड़ी बहस है। कुछ न्यायविदों का मानना है कि

जर्मन परीक्षण के उचित अनुप्रयोग से संवैधानिक का अभ्यास होता है।

दो जुड़ी हुई समस्याओं के साथ समीक्षाः सबसे पहले, जैसा कि ऊपर बताया गया है, आमतौर पर लगभग सभी नैतिक कार्य संतुलन के चरण में किए जाते हैं, यकीनन प्रतिपादन

प्रारंभिक चरण काफी हद तक बेकार हैं और सच्चाई पर संदेह करते हैं

56 अनिश्चितता से कैसे निपटा जाए, इसके प्रस्ताव के रूप में, अलेक्सी का 'संतुलन का दूसरा नियम' देखें, जिसे उन्होंने पोस्टस्क्रिप्ट टू ए थ्योरी ऑफ कॉन्स्टीट्यूशनल राइट्स *(*ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड*)* में प्रस्तावित किया है।

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, *2002)*।

57 (1986) 1 एस. सी. आर. *103* सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अंतिम चरण में संतुलनकारी कार्य अक्सर एक प्रभाववादी तरीके से किया जाता है जो सिद्धांत द्वारा काफी हद तक दिशाहीन प्रतीत होता है और इस प्रकार व्यक्तिपरक, मनमाने और अप्रत्याशित निर्णयों के लिए द्वार खोलता है जो इस बात पर अतिक्रमण करते हैं कि लोकतांत्रिक विधानमंडल का उचित क्षेत्र क्या होना चाहिए। हालाँकि, इन चिंताओं को दूर किया जा सकता है। बिलचिट्ज़*58* के अनुसार, परीक्षण के आवश्यकता चरण पर ध्यान केंद्रित करके पहली चिंता का समाधान किया जा सकता है। वह जर्मन परीक्षण दोनों के साथ मुद्दा उठाते हैं-जिसके अनुसार लगभग सभी नीतियां आवश्यक हैं क्योंकि किसी भी वैकल्पिक नीति का आमतौर पर कुछ नुकसान होगा जिसका अर्थ है कि इसे समान रूप से प्रभावी नहीं माना जा सकता है-और कनाडाई न्यूनतम हानि परीक्षण-जिसे गंभीरता से लिया जाए, संवैधानिक रूप से स्वीकार्य नीतियों की सीमा को बहुत कम कर देता हैः 'न्यूनतम हानि' को इस बात पर जोर देने के रूप में पढ़ा जा सकता है कि केवल एक उपाय संवैधानिक जांच को पारित कर सकता है, अर्थात् वह उपाय जो कम से कम अधिकार को बाधित करता है। *59* इसलिए विकल्प या तो आवश्यकता *(*न्यूनतम हानि*)* परीक्षण का निर्माण करना प्रतीत होता है क्योंकि लगभग कुछ भी नहीं निकालना या केवल एक नीति की अनुमति देना, इस प्रकार निर्वाचित शाखाओं को आंशिक रूप से अनावश्यक बनाता है। आवश्यकता चरण के लिए एक सार्थक लेकिन अनावश्यक रूप से सख्त भूमिका को बनाए रखने के लिए, बिलचिट्ज़ निम्नलिखित जांच का प्रस्ताव करता है। सबसे पहले, द्वारा नियोजित उपाय के संभावित विकल्पों की एक श्रृंखला सरकार की पहचान होनी चाहिए। दूसरा, इन उपायों की प्रभावशीलता को व्यक्तिगत रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए; यहाँ परीक्षण यह नहीं है कि क्या प्रत्येक संबंधित उपाय सरकारी उद्देश्य को समान सीमा तक महसूस करता है, बल्कि यह है कि क्या यह इसे 'वास्तविक और पर्याप्त तरीके' से महसूस करता है। तीसरा, दांव पर लगे अधिकार पर संबंधित उपायों के प्रभाव को निर्धारित किया जाना चाहिए। अंत में, इस बारे में एक समग्र निर्णय लिया जाना चाहिए कि क्या पिछले चरणों के निष्कर्षों के आलोक में, एक विकल्प मौजूद है जो बेहतर है; और यह निर्णय ग्रिम और आनुपातिकता परीक्षण के जर्मन संस्करण द्वारा समर्थित मूल्यांकन के सख्त साधनों से परे जाएगा; इसके लिए आवश्यकता स्तर पर संतुलन के एक रूप की भी आवश्यकता होगी।

124. जहाँ तक जर्मन परीक्षण में दूसरी समस्या का संबंध है, इसका ध्यान 'तदर्थ संतुलन' से बचकर रखा जा सकता है और इसके बजाय

58 ' आवश्यकता और आनुपातिकताः एक संतुलित दृष्टिकोण की ओर*?* ', हार्ट प्रकाशन,

ऑक्सफोर्ड और पोर्टलैंड, ओरेगन, *2016*।

59 कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने आनुपातिकता पर अपने शुरुआती दुर्भाग्यपूर्ण बयानों के कारण अपने लिए जो विभिन्न समस्याएं पैदा कीं, उन पर एस चौधरी को देखें, 'तो ओक्स की वास्तविक विरासत क्या है*?* कनाडाई चार्टर की धारा *1 '(2006) 34* सुप्रीम कोर्ट लॉ रिव्यू *501* के तहत आनुपातिकता विश्लेषण के दो दशक।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

कुछ 'उज्ज्वल-रेखा नियमों' पर आगे बढ़ना अर्थात किसी स्थापित नियम के आधार पर संतुलन बनाने का कार्य करना या एक ठोस नियम बनाना। हम यह इंगित कर सकते हैं कि जबकि चंद्रचूड, जे. ने परीक्षण तैयार किया है

'वैध राज्य हित ', अन्य दो न्यायाधीश, अर्थात् चेलमेश्वर और सप्रे, जे. जे.। उन्होंने 'बाध्यकारी राज्य हित' की कसौटी का उपयोग किया है न कि 'वैध राज्य हित' का। दूसरी ओर, एस. के. कौल, जे. ने माना है कि लागू की जाने वाली परीक्षा यह है कि क्या कानून 'जनहित' को संतुष्ट करता है।

दूसरी ओर, न्यायमूर्ति नरीमन ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, *2005* में 'व्यापक सार्वजनिक हित' की संतुष्टि के अधीन तीसरे पक्ष को व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने का प्रावधान किया गया है। यदि यह परीक्षण लागू किया जाता है, तो परिणाम यह होगा कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की गोपनीयता के दावे पर अनुमेय प्रतिबंध के रूप में 'वैध राज्य उद्देश्य' या 'वैध राज्य हित' के बदले 'बड़े सार्वजनिक हित' का आह्वान करने का हकदार होगा।

125. मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में, चार उप-घटक या आनुपातिकता ली गई जिन्हें संतुष्ट करने की आवश्यकता है। नोट करें। ये हैं:

*(*क*)* किसी अधिकार को सीमित करने वाले उपाय का एक वैध लक्ष्य होना चाहिए।

*(*वैध लक्ष्य चरण*)*।

*(*ख*)* यह इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने का एक उपयुक्त साधन होना चाहिए *(*उपयुक्तता*)*

या तर्कसंगत संबंध चरण*)*।

*(*ग*)* कोई कम प्रतिबंधात्मक लेकिन समान रूप से प्रभावी नहीं होना चाहिए।

वैकल्पिक *(*आवश्यकता चरण*)*।

*(*घ*)* उपाय का सही धारक *(*संतुलन चरण*)* पर असमान प्रभाव नहीं होना चाहिए।

126. के. एस. पुट्टास्वामी में भी इसे मंजूरी दी गई है। इसलिए, आनुपातिकता के उपरोक्त चरणों पर विचार और चर्चा की जा सकती है। बेशक, इस अभ्यास को शुरू करते समय यह भी देखा जाना चाहिए कि वैध लक्ष्य संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार या स्वतंत्रता को ओवरराइड करने के लिए पर्याप्त महत्व का होना चाहिए और यह भी कि इस तरह का अधिकार स्वतंत्रता को कम से कम बाधित करता है। इस न्यायालय ने अपने पहले के फैसलों में आनुपातिकता *[2018] 8* एस. सी. आर. को लागू करते हुए जर्मन दृष्टिकोण को लागू किया।

हाथ में मामले का परीक्षण। हम उसी आधार पर आगे बढ़ना चाहेंगे जो बिलचिट्ज़ द्वारा सुझाए गए अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण के साथ है। वास्तव में, यह जर्मन और कनाडाई दृष्टिकोण का मिश्रण है। हम महसूस करते हैं कि आधुनिक दंत चिकित्सा महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र में उल्लिखित और ऊपर वर्णित चरण, बिलचिट्ज़ द्वारा सुझाए गए मापदंडों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ इस अभ्यास को शुरू करने के लिए सुरक्षित तरीका होगा, क्योंकि यह एक आदर्श दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जिसे अपनाने की आवश्यकता है।

मुद्दे:

127. मामले का लहजा तय करने के बाद, अब उन सटीक मुद्दों को निर्दिष्ट करने का समय आ गया है जो इसमें शामिल हैं जिन पर निर्णय लेने की आवश्यकता है

मुद्देः

(1) चाहे आधार परियोजना सृजन करती है या बनाने की प्रवृत्ति रखती है

निगरानी राज्य और इस प्रकार, इस आधार पर असंवैधानिक है*?*

(क*)* बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह, भंडारण और उपयोग के लिए किस परिमाण की सुरक्षा की आवश्यकता है*?*

(ख*)* क्या आधार अधिनियम और नियम इस तरह का प्रावधान करते हैं।

सुरक्षा, जिसमें डेटा न्यूनतमकरण, उद्देश्य सीमा, डेटा प्रतिधारण के लिए समय अवधि और डेटा सुरक्षा और सुरक्षा शामिल हैं*?*

(2) क्या आधार अधिनियम निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है और है

इस आधार पर असंवैधानिक*?*

{ इस मुद्दे पर आधार अधिनियम की धारा *7* और *8* के संदर्भ में विचार किया जाता है। 'बहिष्करण' का आकस्मिक मुद्दा भी है

यहाँ विचार किया गया है*}*

(3) क्या बच्चों को अनुभागों के दायरे में लाया जा सकता है

7 और आधार अधिनियम का *8?*

(4) क्या आधार अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान और

विनियम असंवैधानिकता के दुष्प्रभाव से ग्रस्त हैंः

(i) धारा *32* के साथ पठित धारा *2 (*ग*)* और *2 (*घ*)*

((ii) सी. आई. डी. आर. की धारा *10* के साथ पठित धारा *2 (*एच*)*
(iii) विनियमन *23* के साथ पठित धारा *2 (1)*

((iv) धारा *2 (v)*

टाइस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

(x) धारा *11* से *23(xi)* धारा *23* और *54*

(xii) अध्याय *VI* और *VII* के साथ पठित धारा *23 (2) (छ)*-विनियम

27 32 तक

(xviii) धारा *59(5)* क्या आधार अधिनियम सीमित की अवधारणा का उल्लंघन करता है

सरकार, सुशासन और संवैधानिक न्यास*?*

(6) क्या आधार अधिनियम को 'धन विधेयक' के रूप में पारित किया जा सकता है

संविधान के अनुच्छेद *110* के अर्थ के भीतर*?*

(7) क्या आयकर अधिनियम, *1961* की धारा *139* एए उल्लंघनकारी है

निजता का अधिकार और इसलिए, असंवैधानिक है*?*

(8) क्या धन शोधन निवारण *(*अभिलेखों का रखरखाव*)* नियम, *2005* का नियम *9 (ए) (17)* और उसके तहत जारी अधिसूचनाएं, जो आधार को बैंक से जोड़ना अनिवार्य करती हैं।

क्या खाते असंवैधानिक हैं*?*

(9) क्या *23* मार्च, *2017* का परिपत्र जारी किया गया है

दूरसंचार विभाग द्वारा मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ना अनिवार्य करना अवैध और असंवैधानिक है।

(10) क्या उत्तरदाताओं की कुछ क्रियाएँ हैं

न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों का उल्लंघन, यदि ऐसा है,

इसका प्रभाव*?*

128. अब हम इन आधारों पर दलीलों पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उनका जवाब दें और अपने निष्कर्ष दें।

इसके बाद।

निगरानीः

चाहे आधार परियोजना सृजन करती है या बनाने की प्रवृत्ति रखती है

निगरानी राज्य और इस प्रकार, इस पर असंवैधानिक है

जमीन*?*

शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले गई

प्रौद्योगिकी हमें हस्ताक्षर से अंगूठे की छाप तक ले गई है,

फिर से

प्रमाणीकरण। चूँकि अनुरोध करने वाली संस्था की भी पहचान की जाती है, इसलिए नागरिक किस गतिविधि में संलग्न है, यह भी ज्ञात है। *(* आधार के विनियम *18,20,26* के साथ पठित अधिनियम की धारा *2 (*डी*), 2 (*एच*), 8,10,32 (* प्रमाणीकरण*)* विनियमन, *2016)*।

131. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, प्राधिकरण के पास निम्नलिखित जानकारी है *(*तकनीकी विनिर्देश पर दस्तावेज़ के अनुसार*)*

प्राधिकरण द्वारा फरवरी *2017* में प्रकाशित आधार पंजीकृत उपकरण*)*-आधार संख्या, आधार धारक का नाम, चाहे प्रमाणीकरण न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

असफल या सफल रहा, इस तरह की विफलता का कारण, संस्थाओं का इंटरनेट प्रोटोकॉल *(*आईपी*)* पता, प्रमाणीकरण की तारीख और समय, उपकरण आईडी और प्रमाणीकरण उपकरण की इसकी अनूठी आईडी का अनुरोध करना जिसका उपयोग व्यक्ति का पता लगाने के लिए किया जा सकता है।

132. आधार संख्या के प्रमाणीकरण से ट्रैकिंग, टैगिंग संभव हो जाती है।

एक इकाई में सूचना का केंद्रीकरण, यानी प्राधिकरण, समग्र जानकारी तक आसान पहुंच को सक्षम बनाता है, राज्य को भारी शक्ति का उपयोग करने की स्थिति में रखता है। यह देखते हुए कि प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ, ऐसी जानकारी किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत, व्यावसायिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकती है, ऐसी शक्ति व्यक्ति के लिए खतरा है। संविधान के अनुच्छेद *19 (1) (*ए*)* से *19 (1) (*जी*)* के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता और अनुच्छेद *21 (*सूचनात्मक गोपनीयता का अधिकार*)* और संविधान के अनुच्छेद *25* के तहत गारंटीकृत अन्य मौलिक अधिकार। यह प्रस्तुत किया गया था कि आधार अधिनियम देश की पूरी आबादी को संभावित अपराधियों के रूप में मानता है, जो व्यक्तिगत शारीरिक अखंडता के अधिकार के साथ अपराध से सुरक्षा के राज्य के जनादेश को संतुलित करने की आवश्यकता की अनदेखी करता है, जिसकी परिकल्पना संविधान के अनुच्छेद *20 (3)* के साथ पठित अनुच्छेद *21* के तहत की गई है। अपराध के साथ संबंध रखने के लिए डेटा के संग्रह की आवश्यकता नहीं होती है। श्री सिब्बल सेल्वी एंड ओआरएस में निर्णय में यह प्रस्तुत करते हैं। वी. कर्नाटक राज्य, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया हैः

"अधिकारों के परस्पर संबंध के सिद्धांत में कहा गया है कि आत्म-दोषारोपण के खिलाफ अधिकार को भी अनुच्छेद *21* के तहत "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" के एक घटक के रूप में देखा जाना चाहिए। इसलिए, "निजता के अधिकार" के बारे में हमारी समझ अनुच्छेद के साथ इसके प्रतिच्छेदन के लिए जिम्मेदार होनी चाहिए।

20 (3) "

133. यह तर्क दिया जाता है कि आधार अधिनियम, इसलिए, अनुच्छेद *20 (3)* और अनुच्छेद *21* के तहत आत्म-अपराध से सुरक्षा के अधिकार और गोपनीयता और व्यक्तिगत गरिमा/शारीरिक अखंडता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

134. यह तर्क दिया गया था कि भारत का संविधान जनसमूह को अस्वीकार करता है

आधार द्वारा सक्षम निगरानी और परियोजना को केवल इसी आधार पर बंद किया जाना चाहिए। निगरानी संरचना के मामले में संतुलन या औचित्य का कोई सवाल ही नहीं है।

135. एक प्रयास में विभिन्न निर्णयों के अंश उद्धृत किए गए थे

यह स्थापित करने के लिए कि निगरानी गोपनीयता, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप का कारण बनती है। खरक सिंह बनाम। *U.P.6[1]* की स्थिति, जे. सुब्बा राव की असहमत राय *(*जिसे के. एस. पुट्टास्वामी में बरकरार रखा गया है*)* पर भरोसा किया गया था। जिस तरह से निगरानी जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करती है, उसके संबंध में उनके प्रभुत्त्व ने कहा किः

जीवन से दूर, अर्थात, मृत्यु का कारण बनना। मुन्न बनाम में। इलिनोइस *(1)*, फील्ड, जे., "जीवन" को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया हैः

"केवल पशु अस्तित्व से कुछ अधिक। प्रतिबंध

इसके अभाव के खिलाफ उन सभी अंगों और क्षमताओं तक फैला हुआ है

जिसके द्वारा जीवन का आनंद लिया जाता है। प्रावधान समान रूप से प्रतिबंधित करता है

हाथ या पैर के विच्छेदन द्वारा शरीर का विच्छेदन, या

आँख बाहर निकालना, या किसी अन्य अंग का विनाश

जिस शरीर के माध्यम से आत्मा संवाद करती है

बाहरी दुनिया। अभिव्यक्ति "स्वतंत्रता" को बहुत व्यापक रूप से दिया गया है।

जिसका अर्थ अमेरिका में है। यह सभी स्वतंत्रताएँ लेता है। बोलिंग वी.

शार्प *(2)*, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि
कहा गया अभिव्यक्ति केवल शारीरिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं थी

प्रतिबंध और कानून के तहत स्वतंत्रता पूरी सीमा तक विस्तारित की गई
ऐसा आचरण जिसका अनुसरण करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र था। लेकिन यह

स्वतंत्रता के पूर्ण अधिकार को अन्य सामाजिक अधिकारों की रक्षा के लिए विनियमित किया गया था।

पुलिस जैसी अपनी शक्तियों का प्रयोग करने वाले राज्य के हित

आदि। शक्ति का उचित प्रयोग जिसे देय कहा जाता है
कानून की प्रक्रिया अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियंत्रित की जाती है।

भारत में "स्वतंत्रता" शब्द को इस शब्द से योग्य बनाया गया है।

" व्यक्तिगत ", जिससे संकेत मिलता है कि यह केवल तक ही सीमित है

व्यक्ति की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के अन्य पहलू हैं

संविधान के अन्य अनुच्छेदों में प्रावधान किया गया है

XX

XX

XX

61 (1964) 1 एस. सी. आर. *332* सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

यह सच है कि हमारा संविधान स्पष्ट रूप से अधिकार की घोषणा नहीं करता है

निजता एक मौलिक अधिकार के रूप में, लेकिन उक्त अधिकार एक आवश्यक अधिकार है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का घटक। प्रत्येक लोकतांत्रिक देश घरेलू जीवन को पवित्र करता है; इससे उसे आराम, शारीरिक रूप से मिलने की उम्मीद की जाती है।

सुख, मन की शांति और सुरक्षा। अंतिम उपाय में, ए व्यक्ति का घर, जहाँ वह अपने परिवार के साथ रहता है, उसका "महल" है;

यह उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण के खिलाफ उनकी प्राचीर है।

उस प्रसिद्ध न्यायाधीश, फ्रैंकफर्टर जे. के गर्भवती शब्द

वोल्फवी। कोलोराडो *[[1949] 238* यू. एस. *25]* ने महत्व की ओर इशारा किया मनमाने ढंग से घुसपैठ के खिलाफ किसी की गोपनीयता की सुरक्षा

पुलिस, के रूप में एक भारतीय घर के लिए कोई कम आवेदन हो सकता है

आंदोलन उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शारीरिक अतिक्रमण को प्रभावित करते हैं। उनके निजी जीवन पर इसका काफी प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में,

मनुष्य की शारीरिक खुशी के लिए इससे अधिक हानिकारक और कुछ नहीं है।

उसकी निजता में एक सुनियोजित हस्तक्षेप की तुलना में स्वास्थ्य। हम करेंगे, इसलिए, अनुच्छेद *21* में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को परिभाषित करें -

किसी व्यक्ति का प्रतिबंधों से मुक्त होने का अधिकार या

अतिक्रमण प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से थोपा जाता है गणना किए गए उपायों द्वारा।

XX

XX

XX

इसलिए अनुच्छेद *19* के खंड *(घ)* में आवाजाही की स्वतंत्रता

एक स्वतंत्र देश में एक आंदोलन होना चाहिए यानी एक ऐसे देश में जहां

वह जो चाहे कर सकता है, जिससे चाहे बात कर सकता है।

स्वतंत्रता। वह शारीरिक रूप से चल सकता है, लेकिन वह स्वतंत्र रूप से ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि उनकी सभी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है और उनका उल्लेख किया जाता है। का कफन

उस पर की गई निगरानी उसके अंदर अवरोध पैदा करती है

और वह स्वतंत्र रूप से वैसा कार्य नहीं कर सकता जैसा वह करना चाहता है।

6. जिला पंजीयक और कलेक्टर, हैदराबाद के मामले में

वी. केनरा बैंक और *Ors.62*, इस न्यायालय ने प्रावधानों को रद्द कर दिया

इस आधार पर कटौती कि यह नागरिकों के अधिकार में बहुत अधिक घुसपैठ थी इस मामले में आंध्र प्रदेश डाक टिकट का मूल्यांकन शामिल था

च ने कलेक्टर को "किसी भी व्यक्ति" को प्रवेश करने के लिए अधिकृत किया

अनुचित रूप से मुहर लगाए गए किसी भी दस्तावेज की खोज करने और उसे जब्त करने के लिए कोई परिसर। दुनिया भर में और भारत में गोपनीयता कानूनों के विस्तृत विश्लेषण के बाद, न्यायालय ने कहा कि संभावित या उचित कारण या उचित आधार के रूप में किसी भी सुरक्षा उपायों के अभाव में,

यह प्रावधान "घर और व्यक्ति दोनों की" निजता के संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार का उल्लंघन था। न्यायालय ने कहाः

निजी दस्तावेजों तक पहुंच के साथ कलेक्टर
अभिरक्षा अर्थात लोक अधिकारी के अलावा अन्य अभिरक्षा। यह स्पष्ट है।

कि यह प्रावधान व्यक्ति के घर पर आक्रमण करने का अधिकार देता है

जिनके कब्जे में दस्तावेज़ 'देख रहे हैं' या जिसके लिए अग्रणी हैं

सेक में बताए गए विभिन्न तथ्य। *73* अस्तित्व में हैं और सेक। *73* होने के नाते

संभावित या उचित कारण के रूप में किसी भी सुरक्षा उपायों के बिना या

उचित आधार या सामग्री गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करती है दोनों
घर और व्यक्ति का। हम पहले ही आर का उल्लेख कर चुके हैं।

राजगोपाल के मामले में विद्वान न्यायाधीशों ने कहा है कि

व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अर्थ भी जीवन से मुक्त होना है।
कानून में अस्थिर अतिक्रमण और इस तरह के अधिकार

संविधान का अनुच्छेद *21* "।

137. अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के मामले का संदर्भ दिया गया था

अमेरिका बनाम जोन्स *63* जहाँ अदालत ने माना कि एक वैश्विक स्थिति स्थापित करना वाहन पर प्रणाली *(*जी. पी. एस.*)* अनुरेखण उपकरण और निगरानी के लिए उपकरण का उपयोग करना

वाहन की आवाजाही चौथे संशोधन के तहत एक गैरकानूनी खोज का गठन करती है। न्यायाधीश सोटोमेयर ने अपने सहमत निर्णय में कहा कि चौथे संशोधन की खोज और जब्ती न केवल संपत्ति पर शारीरिक अतिक्रमण से संबंधित है, बल्कि गोपनीयता के गैर-भौतिक उल्लंघन से भी संबंधित है जिसे समाज उचित मानता है। वह नोट करती है कि जी. पी. एस. डेटा केवल यह जानकर किसी व्यक्ति की पूरी प्रोफ़ाइल को प्रकट कर सकता है कि

वह जिन स्थानों पर जाती है और सरकार भविष्य में इन आंकड़ों का खनन कर सकती हैः

"बढ़ती नियमितता के साथ, सरकार सक्षम होगी
इस मामले में की गई निगरानी को सूचीबद्ध करके दोहराना

कारखाना या मालिक-स्थापित वाहन ट्रैकिंग उपकरण या जीपीएस सक्षम

स्मार्ट फोन। इलेक्ट्रॉनिक या अन्य नए तरीकों के मामलों में
निगरानी जो एक भौतिक आक्रमण पर निर्भर नहीं करती है

विशेष रूप से, अतिचार परीक्षण बहुत कम मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।

XX

XX

XX

63 132 एस. सी. *945 (2012)*

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

जी. पी. एस. निगरानी एक सटीक, व्यापक रिकॉर्ड उत्पन्न करती है

व्यक्ति के सार्वजनिक आंदोलन जो विवरण के धन को दर्शाते हैं उसके पारिवारिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, धार्मिक और यौन संबंध

खुलासा किया गया जी. पी. एस. डेटा मनोचिकित्सक के पास जाएगा, प्लास्टिक

सर्जन, गर्भपात क्लिनिक, एड्स उपचार केंद्र, स्ट्रिप क्लब, आपराधिक

हो सकता है कि आप कड़ाके की संगतिपूर्ण और अभिव्यंजक स्वतंत्रता देख रहे हों। यह नागरिक और सरकार के बीच संबंधों को बदल सकता है

जो लोकतांत्रिक समाज के लिए शत्रुतापूर्ण है।

XX

XX

XX

यह एक अलग वस्तु नहीं है, जो पूरी तरह से स्वामित्व में है या बिल्कुल नहीं है। वे। जो किसी बैंक या फोन कंपनी को कुछ तथ्यों का खुलासा करता है

सीमित व्यावसायिक उद्देश्य को यह मानने की आवश्यकता नहीं है कि यह जानकारी

अन्य उद्देश्यों के लिए अन्य व्यक्तियों को जारी किया जाएगा। *[* एक व्यक्ति*]* निजी के रूप में संरक्षित करना चाहता है, यहां तक कि एक सुलभ क्षेत्र में भी

जनता के लिए, संवैधानिक रूप से संरक्षित किया जा सकता है *")*। "

138. ज़खारोव बनाम में ईसीटीएचआर का निर्णय। रूस था

जहां ई. सी. टी. एच. आर. ने दावा करने वाले आवेदन की जांच की थी कन्वेंशन के अनुच्छेद *8 (*निजी और अन्य लोगों के लिए सम्मान का अधिकार*)*

y लाइफ*)* आरोप लगाते हुए कि मोबाइल ऑपरेटरों ने सुरक्षा सेवाओं द्वारा सभी टेलीफोन संचारों को अप्रतिबंधित रूप से रखने की अनुमति दी थी

प्रचलित राष्ट्रीय कानून के तहत पूर्व न्यायिक प्राधिकरण। द.

टी ने देखा किः

"श्री जाखारोव उल्लंघन के शिकार होने का दावा करने के हकदार थे

यूरोपीय सम्मेलन, भले ही वह आरोप लगाने में असमर्थ था

कि वह निगरानी के एक ठोस उपाय का विषय रहा था।

प्रदान किए गए निगरानी उपायों की गुप्त प्रकृति को देखते हुए

कानून द्वारा, उनका व्यापक दायरा *(*मोबाइल के सभी उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करना*)*

दूरभाष संचार*)* और प्रभावी साधनों की कमी

5) आवेदन संख्या *47143/2006 [2018] 8* एस. सी. आर.

राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें चुनौती दें। रूसी कानून पूरा नहीं हुआ

"कानून की आवश्यकता की गुणवत्ता और इसे बनाए रखने में असमर्थ था

संचार का अवरोधन जो एक में आवश्यक था
लोकतांत्रिक समाज "। तदनुसार एक उल्लंघन हुआ था

कन्वेंशन का अनुच्छेद *8.* मनमाना और अपमानजनक का अस्तित्व

निगरानी प्रथाएँ, जो अपर्याप्त होने के कारण प्रतीत होती हैं

कानून द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा उपाय "।

139. अदालत ने माना कि निजता के अधिकार में कोई भी हस्तक्षेप

अनुच्छेद *8* के तहत अनुच्छेद *8 (2)* के तहत केवल तभी उचित ठहराया जा सकता है जब यह कानून के अनुसार हो, एक या एक से अधिक वैध उद्देश्यों का पालन करता हो और किसी भी मामले में आवश्यक हो।

इस तरह के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लोकतांत्रिक समाज "। कानून के अनुसार "विवादित उपाय के लिए घरेलू कानून में कुछ आधार होना और कानून के शासन के साथ संगत होना दोनों की आवश्यकता होती है, जिसका कन्वेंशन की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और जो उद्देश्य और उद्देश्य में निहित है।

अनुच्छेद *8.* इस प्रकार, कानून को गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिएः यह संबंधित व्यक्ति के लिए सुलभ और इसके प्रभावों के बारे में पूर्वानुमेय होना चाहिए। निगरानी की दूरदर्शिता के संबंध में, अदालत ने अभिनिर्धारित कियाः

"गुप्त उपायों के विशेष संदर्भ में पूर्वाभास
निगरानी, जैसे कि संचार का अवरोधन, नहीं कर सकता है

इसका मतलब है कि एक व्यक्ति को यह अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि कब

अधिकारियों के उसके संचार को रोकने की संभावना है ताकि वह

उसके अनुसार अपने आचरण को अनुकूलित कर सकते हैं। हालांकि, विशेष रूप से जहां ए

कार्यपालिका में निहित शक्ति का प्रयोग गुप्त रूप से किया जाता है, इसके जोखिम

मनमानी स्पष्ट है। इसलिए यह स्पष्ट होना आवश्यक है,

विशेष रूप से टेलीफोन वार्तालापों के अवरोधन पर विस्तृत नियम
जैसे-जैसे उपयोग के लिए उपलब्ध तकनीक लगातार बढ़ती जा रही है

परिष्कृत। घरेलू कानून पर्याप्त रूप से स्पष्ट होना चाहिए

नागरिक उन परिस्थितियों के बारे में पर्याप्त संकेत देते हैं जिनमें

और वे शर्तें जिन पर सार्वजनिक प्राधिकरणों को अधिकार दिया गया है

इस तरह के किसी भी उपाय का सहारा लें।

XX

XX

XX

संचार की निगरानी जांच के लिए खुली नहीं है
संबंधित व्यक्ति या बड़े पैमाने पर जनता, यह इसके विपरीत होगा

कार्यपालिका को दिए गए विवेकाधिकार के लिए कानून के शासन के लिए या

एक न्यायाधीश जिसे एक निरंकुश शक्ति के संदर्भ में व्यक्त किया जाना है।
नतीजतन, कानून को ऐसे किसी भी न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* के दायरे को इंगित करना चाहिए।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

सक्षम अधिकारियों को दिया गया विवेकाधिकार और व्यक्ति को पर्याप्त स्पष्टता देने के लिए पर्याप्त स्पष्टता के साथ इसके अभ्यास का तरीका

मनमाने हस्तक्षेप के खिलाफ संरक्षण "।

140. न्यायालय ने कहा कि निम्नलिखित न्यूनतम सुरक्षा उपाय

निगरानी के लिए शक्ति के दुरुपयोग से बचने के लिए कानून में जो निर्धारित किया जाना चाहिए वे हैं: अपराधों की प्रकृति जो एक अवरोधन आदेश को जन्म दे सकती है; लोगों की श्रेणियों की एक परिभाषा जो अपने टेलीफोन को टैप करने के लिए उत्तरदायी हैं; टेलीफोन टैपिंग की अवधि पर एक सीमा; डेटा की जांच, उपयोग और भंडारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

प्राप्त; अन्य पक्षों को डेटा संचारित करते समय की जाने वाली सावधानियाँ; और वे परिस्थितियाँ जिनमें रिकॉर्डिंग को मिटाया या नष्ट किया जा सकता है।

141. यह स्थापित करने के लिए कि क्या उपाय आवश्यक थे

लोकतांत्रिक समाज "एक वैध उद्देश्य की खोज में, न्यायालय ने कहा:

उनके निजी जीवन के प्रति सम्मान, राष्ट्रीय अधिकारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के वैध उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साधन चुनने में प्रशंसा का एक निश्चित अंतर प्राप्त होता है। हालाँकि, यह अंतर यूरोपीय पर्यवेक्षण के अधीन है जिसमें दोनों शामिल हैं।
इसे लागू करने वाले कानून और निर्णय। इस जोखिम को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए स्थापित गुप्त निगरानी की एक प्रणाली लोकतंत्र को कमजोर या नष्ट भी कर सकती है।

इसका बचाव करते हुए, न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि दुरुपयोग के खिलाफ पर्याप्त और प्रभावी गारंटी हैं। मूल्यांकन मामले की सभी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जैसे कि प्रकृति, दायरा।
और संभावित उपायों की अवधि, उन्हें आदेश देने के लिए आवश्यक आधार, अधिकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी,

और उनकी निगरानी करें, और राष्ट्रीय कानून द्वारा प्रदान किए गए उपचार की तरह। न्यायालय को यह निर्धारित करना है कि क्या प्रक्रियाएँ

आदेश की निगरानी और प्रतिबंधात्मक उपायों के कार्यान्वयन ऐसे हैं जैसे कि "हस्तक्षेप" को क्या है

"एक लोकतांत्रिक समाज में आवश्यक "।

142. मानवाधिकारों के यूरोपीय सम्मेलन के अनुच्छेद के उल्लंघन के दो अन्य मामलों का हवाला दिया गया, अर्थात् डिजिटल राइट्स आयरलैंड।

लिमिटेड वी. संचार, समुद्री और प्राकृतिक संसाधन मंत्री *65* और एस और मार्पर बनाम। यूनाइटेड किंगडम "। डिजिटल आयरलैंड में, यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ की परिषद ने निर्देश *2006/24/*ईसी *(*निर्देश*)* को अपनाया, जो इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के दूरसंचार डेटा के भंडारण को विनियमित करता है। इसका उपयोग यूरोपीय संघ *(*ई. यू.*)* में गंभीर अपराध से लड़ने के उद्देश्य से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक संचार सेवाओं या सार्वजनिक संचार नेटवर्क के प्रावधान के संबंध में उत्पन्न या संसाधित डेटा को बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। डेटा में संचार के स्रोत और उसके गंतव्य का पता लगाने और पहचान करने के लिए आवश्यक डेटा शामिल था, ताकि तारीख, समय अवधि, संचार का प्रकार, आईपी पता, टेलीफोन नंबर और अन्य क्षेत्रों की पहचान की जा सके। यूरोपीय न्याय न्यायालय *(*ईसीजे*)* ने यूरोपीय संघ के मौलिक अधिकारों के चार्टर के अनुच्छेद *7* और *8* के साथ निर्देश की अनुकूलता का मूल्यांकन किया और निर्देश को अमान्य घोषित कर दिया। ईसीजे के अनुसार, निर्देश अनुच्छेद *7* के तहत निजी जीवन के सम्मान के अधिकार और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकार में हस्तक्षेप करता है अनुच्छेद *8* के तहत। इसने उन व्यक्तियों के निजी जीवन के बारे में बहुत सटीक निष्कर्ष निकालने की अनुमति दी, जिनके डेटा को बनाए रखा गया था, जैसे कि रोजमर्रा की जिंदगी की आदतें, स्थायी या अस्थायी निवास स्थान, दैनिक और अन्य गतिविधियाँ, की गई गतिविधियाँ, सामाजिक संबंध आदि। अधिकार का आक्रमण पीछा किए गए वैध उद्देश्य के अनुपात में नहीं था।

143. एस एंड मार्पर में, यूनाइटेड किंगडम में गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति के डीएनए प्रोफाइल और सेलुलर नमूनों के भंडारण को चुनौती दी गई थी।

ईसीटीएचआर से पहले। भले ही व्यक्ति पर कभी आरोप नहीं लगाया गया हो, यदि आपराधिक कार्यवाही बंद कर दी गई हो, या यदि व्यक्ति को बाद में किसी अपराध से बरी कर दिया गया हो, तो भी उनकी डीएनए प्रोफ़ाइल को स्थायी रूप से रिकॉर्ड में रखा जा सकता है। इसने माना कि ईसीएचआर के अनुच्छेद *8* का उल्लंघन किया गया था। उंगलियों के निशान, डीएनए प्रोफाइल और सेलुलर नमूने, व्यक्तिगत डेटा का गठन करते हैं और उनका प्रतिधारण किसी व्यक्ति के निजी जीवन को प्रभावित करने में सक्षम था।

व्यक्तिगत। इस प्रकार, सहमति के बिना इस तरह के डेटा को बनाए रखना अनुच्छेद *8* का उल्लंघन क्योंकि वे पहचाने गए और पहचान योग्य व्यक्तियों से संबंधित हैं। अदालत ने माना कि निजता पर आक्रमण "एक लोकतांत्रिक समाज में आवश्यक नहीं था क्योंकि यह किसी भी सामाजिक आवश्यकता को पूरा नहीं करता था। डेटा के प्रतिधारण की व्यापक और अंधाधुंध प्रकृति अत्यधिक थी और निजी और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन नहीं बना पाई।

144. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं ने तर्कों का खंडन किया

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आधार अधिनियम की संरचना राज्य की निगरानी को सक्षम बनाती है। यह प्रस्तुत किया गया था कि आधार के लिए नामांकन करने वाले व्यक्ति से न्यूनतम जानकारी प्राप्त की गई थी। जनसांख्यिकीय के रूप में जानकारी का संबंध है, इसमें नाम, जन्म तिथि, पता, लिंग, मोबाइल नंबर और ईमेल पता शामिल हैं। बाद वाले दो वैकल्पिक हैं और ए. एम. एच. को प्रासंगिक जानकारी प्रेषित करने के लिए और एक बार के लिए हैं।

पासवर्ड *(*ओ. टी. पी.*)* आधारित प्रमाणीकरण। यह जानकारी एक व्यक्ति के संबंध में थी और हमेशा सार्वजनिक क्षेत्र में होती है। आधार अधिनियम की धारा *2 (*के*)* विशेष रूप से प्रदान करती है कि विनियमों में नस्ल, धर्म, जाति, जनजाति, जातीयता, भाषा, अधिकार के अभिलेख, आय या चिकित्सा इतिहास। इसलिए, संवेदनशील जानकारी को विशेष रूप से बाहर रखा गया है। यह विशिष्ट बहिष्कार, संदर्भ में, यह सुनिश्चित करता है कि अतिरिक्त जनसांख्यिकीय जानकारी को शामिल करने का दायरा बहुत संकीर्ण है और

सीमित। यह भी तर्क दिया गया कि बायोमेट्रिक जानकारी भी उंगलियों के निशान और आईरिस स्कैन तक सीमित थी, जिसे मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी माना जाता है। इस तरह की जानकारी का उपयोग अक्सर किसी व्यक्ति की पहचान का पता लगाने के लिए विश्व स्तर पर किया जाता है। तर्क इस प्रकार था,

कि एकत्र की गई जानकारी गैर-आक्रामक और गैर-घुसपैठ पहचान जानकारी थी। *145.* यह भी तर्क दिया गया कि आधार की योजना और जिस तरह से यह संचालित होता है, वह डेटा प्रोफाइलिंग की हर संभावना को बाहर करता है और इसलिए, राज्य की निगरानी का सवाल ही नहीं उठेगा। डॉ. पांडे द्वारा दी गई पावरप्वाइंट प्रस्तुति, जैसा कि ऊपर बताया गया है, का उल्लेख किया गया था, जिसके आधार पर यह तर्क दिया गया था कि आधार डिजाइन व्यक्तियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता है।

146. उत्तरदाताओं द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि पहचान सूचना डेटा सी. आई. डी. आर. में रहता है जो सरकार के नियंत्रण में नहीं है। या पुलिस बल। प्राधिकरण एक निकाय है जिसका गठन एक निगमित निकाय के रूप में किया जाता है जिसका स्थायी उत्तराधिकार और एक आम मुहर होती है। इसके द्वारा विनियमित है

पहचान की जानकारी की सुरक्षा के लिए ठोस और प्रक्रियात्मक जाँच और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड। यह जानकारी प्रकाशित या प्रदर्शित नहीं की जा सकती है।

या सार्वजनिक रूप से पोस्ट किया गया। इसके पास निगरानी करने का अधिकार नहीं है। राज्य सरकारें और पुलिस बल प्राप्त नहीं कर सकते हैं

सी. आई. डी. आर. या प्रमाणीकरण अभिलेखों में निहित जानकारी को छोड़कर

धारा *33* द्वारा विचार की गई दो स्थितियों में-*(i)* जब जिला न्यायाधीश प्राधिकरण को सुनवाई का अवसर देने के बाद ऐसा आदेश देता है *(*इस स्थिति में भी मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी साझा नहीं की जाएगी; और *(ii)* राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में जहां एक संयुक्त सचिव या एक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट।

भारत सरकार का वरिष्ठ अधिकारी इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत करता है और इस मामले में हर निर्देश की समीक्षा कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक निरीक्षण समिति द्वारा की जाती है। इसके अलावा, यह निर्देश तीन महीने के लिए सीमित है और *3* महीने की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

147. यह प्रस्तुत किया गया था कि निगरानी, यदि बिल्कुल भी हो, तो इसके वैधानिक होने के बावजूद, केवल सी. आई. डी. आर. जानकारी के अनधिकृत उपयोग से ही की जा सकती है। निषेध और दंडात्मक आदेश या शारीरिक निगरानी जैसे अन्य माध्यमों से। हालाँकि, यह एक अवैध निगरानी है। अधिनियम की

संरचना निगरानी की अनुमति नहीं देती है। यह प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ताओं ने प्राधिकरण द्वारा निगरानी का मामला नहीं बनाया है, बल्कि केवल निगरानी की संभावना की ओर इशारा किया है।

148. हम दोहरा सकते हैं कि निगरानी के तर्क में गोपनीयता के प्रतिबिंब भी हैं और वास्तव में तर्क पर संरचित है इस आधार पर कि सरकार के पास उपलब्ध महत्वपूर्ण जानकारी का उपयोग व्यक्तियों की प्रोफाइलिंग बनाने और उत्तरदाताओं के हाथों में ऐसी जानकारी को बनाए रखने के लिए किया जा सकता है, एक जोखिम भरा मामला है जो राज्य को किसी भी व्यक्ति की निगरानी करने में सक्षम बना सकता है जो वह चाहता है।

149. जहाँ तक व्यक्ति की निजता के पहलू का संबंध है, उस मुद्दे को संबोधित करते समय उस पर विस्तार से विचार किया जाएगा। अलग करने के लिए

गोपनीयता से निगरानी के मुद्दे पर, हम इस पहलू पर चर्चा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि क्या उत्तरदाताओं के पास पर्याप्त डेटा उपलब्ध है जो प्रोफाइलिंग और दुरुपयोग की सुविधा प्रदान कर सकता है या क्या इसे रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं। इस प्रक्रिया में, हम डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही, चर्चा का कुछ अतिव्यापी होना होगा क्योंकि इसे बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह, भंडारण और उपयोग के रूप में देखना होगा जो आनुपातिकता सिद्धांत को संतुष्ट करता है। *150.* यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि प्राधिकरण के पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, एक प्रोफाइलिंग हो सकती है

एक व्यक्ति जो निगरानी स्थिति बना सकता है। और इस तरह की सामूहिक निगरानी की अनुमति भारत के संविधान द्वारा नहीं है। आधार संरचना के बारे में पूरी जानकारी तथाकथित विशाल है।

निवासियों द्वारा आधार कार्ड का उपयोग करने के बारे में जानकारी जो सरकार को उपलब्ध होगी। पक्षों के संबंधित तर्कों से दो मुद्दे उत्पन्न होते हैं:

*(*क*)* क्या आधार परियोजना की संरचना न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* को सक्षम बनाती है।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

राज्य निगरानी व्यवस्था बनाएगा*?* ; और
*(*ख*)* क्या डेटा सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं*?*

151. जहां तक उपरोक्त मुद्दे *(*ए*)* का संबंध है, इसे देखने के बाद

आधार परियोजना के विभिन्न पहलुओं, आधार अधिनियम के प्रावधानों और जिस तरह से यह काम करता है, याचिकाकर्ताओं के तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है। उत्तरदाताओं ने समझाया है कि नामांकन और प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं को दृढ़ता से विनियमित किया जाता है ताकि

डेटा सुरक्षित है। नामांकन एजेंसी, जो नामांकन के दौरान व्यक्तियों के बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय को एकत्र करती है, या तो यू. आई. डी. ए. आई. या एक पंजीयक *[*धारा *2 (*ओं*)]* द्वारा नियुक्त की जाती है। पंजीयकों की नियुक्ति नामांकन के लिए समझौता ज्ञापनों या समझौतों के माध्यम से की जाती है और उन्हें प्राधिकरण

द्वारा जारी आचार संहिता और प्रक्रियाओं, नीतियों और दिशानिर्देशों का पालन करना होता है। वे नामांकन की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं। नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों की श्रेणियां विनियमों द्वारा सीमित हैं। एजेंसी ने

नामांकन के तहत एक प्रमाणित पर्यवेक्षक, एक प्रचालक और एक सत्यापनकर्ता को नियुक्त किया जाता है

और नियमों को अद्यतन करें। पंजीयक और नामांकन एजेंसियां नामांकन के लिए यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा प्रदान किए गए या अधिकृत सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए बाध्य हैं।

उद्देश्य। मानक सॉफ्टवेयर में प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा सुविधाएँ हैं। उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरण प्राधिकरण द्वारा जारी विनिर्देश के अनुसार हैं। पंजीयकों को एकत्र की गई जानकारी का उपयोग सी. आई. डी. आर. को जानकारी अपलोड करने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करने से मना किया गया है। नामांकन कार्य के उप-अनुबंध की अनुमति नहीं है। का कोड

आचरण में गोपनीयता, गोपनीयता और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने और नामांकन की आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट निर्देश शामिल हैं। न केवल हेरफेर और धोखाधड़ी प्रथाओं को प्रतिबंधित करने वाले निर्देश हैं, बल्कि अधिनियम में विनियमों के अध्याय *VII* में ऐसे उल्लंघनों के लिए दंडात्मक प्रावधान हैं। नामांकन अभिकरण। प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध किए जाते हैं। उन्हें एक नामांकन एजेंसी दी जाती है। कोड जिसका उपयोग करके पंजीयक ऐसी एजेंसी को सी. आई. डी. आर. में भेज सकता है। नामांकन डेटा को केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी *(*सी. आई. डी. आर.*)* प्रमाणित उपकरण और सॉफ्टवेयर पर पंजीयक/नामांकन एजेंसी के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपलोड किया जाता है। डेटा को पकड़ने के तुरंत बाद एन्क्रिप्ट किया जाता है। डिक्रिप्शन कुंजी केवल यू. आई. डी. ए. आई. के पास है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, *2000* की धारा *2 (*जेडई*) (*जिसे इसके बाद 'आईटी अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है*)* जो 'सुरक्षित प्रणालियों' को परिभाषित करती है और अधिनियम की धारा *2 (*डब्ल्यू*),* जो 'मध्यस्थों' को परिभाषित करती है, प्रक्रिया पर लागू होती है। प्रमाणीकरण केवल प्रमाणीकरण सेवा एजेंसी *(*ए. एस. ए.*)* के माध्यम से उपलब्ध होता है। इन्हें आधार *(*प्रमाणीकरण*)* विनियम, *2016* द्वारा विनियमित किया जाता है।

उनकी भूमिका और जिम्मेदारियां प्रमाणीकरण विनियमों के विनियम *19* द्वारा प्रदान की जाती हैं। उन्हें प्रमाणित उपकरणों का उपयोग करना है। उपकरण या सॉफ्टवेयर को प्राधिकरण/एजेंसी द्वारा विधिवत पंजीकृत या अनुमोदित या प्रमाणित किया जाना चाहिए। प्रणालियों और संचालन का लेखा-परीक्षण सूचना प्रणाली लेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। अनुरोध करने वाली संस्थाएं ए. एस. ए. और प्रतिक्रिया *(*हाँ/नहीं*)* के माध्यम से सी. आई. डी. आर. को एन्क्रिप्टेड डेटा पास करती हैं।

प्रमाणीकरण या ई-के. वाई. सी. जानकारी*)* भी वही रास्ता अपनाती है। ए. एस. ए. के सर्वर को सी. आई. डी. आर. को अग्रेषित करने से पहले प्रमाणीकरण डेटा पैकेट पर बुनियादी अनुपालन और पूर्णता जांच करनी होती है। यह अधिनियम धारा *8* और *29* के तहत मुख्य बायोमेट्रिक डेटा को साझा करने और प्रकट करने पर प्रतिबंध लगाता है। अन्य पहचान जानकारी केवल प्रमाणीकरण के सीमित उद्देश्य के लिए अनुरोध करने वाली संस्था *(*ए. यू. ए. और के. यू. ए. एस.*)* के साथ साझा की जाती है। सुरक्षित प्रोटोकॉल *(*प्रमाणीकरण विनियमों का विनियमन *9)* का उपयोग करके लीज्ड लाइन सर्किटरी के माध्यम से डेटा को अनुरोध करने वाली इकाई से एएसए से सी. आई. डी. आर. को एन्क्रिप्टेड तरीके से स्थानांतरित किया जाता है। डेटा टेम्पलेटों का भंडारण

सुरक्षित रूप से स्थित सर्वरों में होता है जिसमें कोई सार्वजनिक इंटरनेट इनलेट/आउटलेट नहीं होता है, और मूल एन्क्रिप्टेड डेटा *(*पी. आई. डी. ब्लॉक*)* का ऑफ़लाइन भंडारण होता है। सुरक्षा और सुरक्षा प्रावधान हैं जैसे कि सूचना द्वारा लेखा परीक्षा सिस्टम ऑडिटर। अनुरोध करने वाली संस्थाओं की नियुक्ति समझौते के माध्यम से की जाती है। वे उप-ए. यू. ए या उप-के. यू. ए. के साथ समझौता कर सकते हैं

यू. आई. डी. ए. आई. की अनुमति। अनुरोध करने वाली संस्था द्वारा जो भी पहचान जानकारी प्राप्त की जाती है, वह आधार संख्या धारक की एक विशिष्ट सहमति पर आधारित होती है। अनुरोध करने वाली संस्था के साथ साझा किया गया ई-के. वाई. सी. डेटा केवल

भारत का क्षेत्र। निगरानी के लिए कई अन्य प्रावधान हैं, लेखापरीक्षा, निरीक्षण, डेटा साझाकरण पर सीमाएं, डेटा सुरक्षा, दंड आदि, शिकायत निवारण तंत्र, सेवाओं का निलंबन और समाप्ति आदि ताकि प्रक्रिया में शामिल सभी कार्यों को किया जा सके।

विनियमित। आधार *(*डेटा सुरक्षा*)* विनियमन, *2016* का विनियमन *3 (*आई*)* और *(*जे*)* सी. आई. डी. आर. नेटवर्क को जोखिम और विश्वास और अन्य सुरक्षा उपायों के आधार पर क्षेत्रों में विभाजित करने में सक्षम बनाता है। सी. आई. डी. आर. एक कंप्यूटर संसाधन होने के नाते *11* दिसंबर, *2015* को केंद्र सरकार द्वारा आई. टी. अधिनियम की धारा *70* के तहत एक "संरक्षित प्रणाली" के रूप में अधिसूचित किया गया है।

न्याय करने की कोशिश करने वाला कोई भी व्यक्ति के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

इस प्रणाली में गैरकानूनी रूप से प्रवेश पाने पर *10* साल के कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है। भंडारण में अंत से अंत तक कूटलेखन, तार्किक विभाजन, फायरवॉलिंग और डिक्रिप्ट किए गए बायोमेट्रिक डेटा का अनामकरण शामिल है। जुर्माने के उल्लंघन को अधिनियम के अध्याय *VII* द्वारा दंडात्मक बनाया गया है। बायोमेट्रिक जानकारी को आईटी अधिनियम के तहत एक "इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड" और "संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी" माना जाता है। आधार *(*डेटा सुरक्षा*)* विनियम, *2016* के तहत और भी सुरक्षा उपाय हैं।

152. इसके अलावा, हमने पावरप्वाइंट को विस्तार से दर्ज किया है।

प्राधिकरण के सी. ई. ओ. डॉ. अजय भूषण पांडे द्वारा दी गई प्रस्तुति, जो निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं को सामने लाती हैः

(क*)* नामांकन प्रक्रिया के दौरान, न्यूनतम बायोमेट्रिक डेटा
आँख की पुतली और उंगलियों के निशान एकत्र किए जाते हैं। प्राधिकरण लेन-देन के उद्देश्य, स्थान या विवरण एकत्र नहीं करता है। इस प्रकार, यह उद्देश्यहीन है। एकत्र की गई जानकारी, जैसा कि ऊपर कहा गया है, सिलोस में रहती है। साइलो का विलय निषिद्ध है। अनुरोध करने वाली एजेंसी प्रदान की जाती है

इंटरनेट की दुनिया। धारा के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा उपाय
29 (3) धारा *38 (*जी*)* के साथ-साथ विनियमन *17 (1) (*डी*)* के साथ पढ़ें

प्रमाणीकरण नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है और उनका पालन किया जाता है
को।

(ख) पर्याप्त प्रमाणीकरण सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं, जैसा कि प्रस्तुति की स्लाइड *14,28* और *29* में दिखाया गया है।

(ग) प्राधिकरण के पास पर्याप्त रक्षा तंत्र है, जैसा कि स्लाइड *30* में बताया गया है। इसने उचित सुरक्षा उपाय भी किए हैं

स्लाइड *31* में प्रदर्शित किया गया।
(घ) प्रौद्योगिकी और वास्तुकला समीक्षा द्वारा निरीक्षण किया जाता है।

बोर्ड *(*टी. ए. आर. बी.*)* और सुरक्षा समीक्षा समिति।
(ङ) प्रमाणीकरण के दौरान इसकी प्रकृति के बारे में कोई जानकारी नहीं

लेन-देन आदि प्राप्त होता है।
(च) प्राधिकरण ने सभी प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए पंजीकृत उपकरणों *(*आर. डी.*)* का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। इनके साथ, बायोमेट्रिक डेटा को प्रदाता कुंजी का उपयोग करके उपकरण/आर. डी. सेवा के भीतर हस्ताक्षरित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि

वास्तव में लाइव पकड़ा गया। उपकरण प्रदाता आर. डी. सेवा कूटलेखन करता है।

मेजबान अनुप्रयोग पर लौटने से पहले पी. आई. डी. ब्लॉक करें। यह आर. डी. सेवा बायोमेट्रिक कैप्चर, हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन सुपर कोर्ट रिपोर्ट को समाहित करती है।

बायोमेट्रिक्स सब इसके भीतर। इसलिए, आधार प्रमाणीकरण प्रणाली में आर. डी. की शुरुआत संग्रहीत बायोमेट्रिक के उपयोग और अन्य स्रोतों से प्राप्त बायोमेट्रिक्स के पुनः प्रदर्शन की किसी भी संभावना को खारिज करती है। अनुरोध करने वाली संस्थाओं को विनियमन *17 (1) (*ए*)* के तहत आधार प्रमाणीकरण के लिए ली गई बायोमेट्रिक्स को संग्रहीत करने की कानूनी रूप से अनुमति नहीं है।

(छ) प्राधिकरण को प्रमाणीकरण के लिए उपयोग किया जाने वाला ए. यू. ए. कोड, ए. एस. ए. कोड, अद्वितीय उपकरण कोड, पंजीकृत उपकरण कोड मिलता है। इसे आई. पी. पते या जी. पी. एस. स्थान से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिलती है जहाँ से प्रमाणीकरण किया जाता है क्योंकि ये मापदंड हैं -
प्रमाणीकरण *(v2.0)* और ई-केवाईसी *(v2.1)* एपीआई का हिस्सा नहीं है। प्राधिकरण को केवल यह पता होगा कि किस उपकरण से प्रमाणीकरण हुआ है, किस ए. यू. ए./ए. एस. ए. आदि के माध्यम से। इसे इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है कि प्रमाणीकरण उपकरण को किस स्थान पर तैनात किया गया है, इसका आई. पी. पता और इसका प्रचालक और इसका उद्देश्य

प्रमाणीकरण। इसके अलावा, प्राधिकरण या उसके नियंत्रण में किसी भी इकाई को किसी भी वस्तु को इकट्ठा करने, रखने या बनाए रखने से वैधानिक रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
धारा के तहत प्रमाणीकरण के उद्देश्य के बारे में जानकारी

32 (3) आधार अधिनियम।

153. आधार संरचना के माध्यम से जाने के बाद, जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा पावरप्वाइंट प्रस्तुति में प्रावधानों से प्रदर्शित किया गया है आधार अधिनियम और प्राधिकरण ने डेटा सुरक्षा के लिए जो तंत्र बनाया है, हमारा मानना है कि सी. आई. डी. आर. में संग्रहीत बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय जानकारी के आधार पर किसी व्यक्ति का प्रोफाइल बनाना बहुत मुश्किल है। जहां तक प्रमाणीकरण का संबंध है, उत्तरदाताओं ने सही बताया कि पर्याप्त सुरक्षा हैं

तंत्र। पुनर्कथन के लिए, यह विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया था कि सुरक्षा प्रौद्योगिकियां मौजूद थीं *(*डॉ. पांडे की स्लाइड *28)*

प्रस्तुति*), 24/7* सुरक्षा निगरानी, डेटा रिसाव की रोकथाम, भेद्यता प्रबंधन कार्यक्रम और स्वतंत्र ऑडिट *(*स्लाइड *29)* के साथ-साथ प्राधिकरण का रक्षा तंत्र *(*स्लाइड *30)*। यह भी बताया गया कि प्राधिकरण ने उचित सक्रिय सुरक्षा उपाय किए हैं, जिनमें आपदा पुनर्प्राप्ति योजना, डेटा बैकअप और उपलब्धता और मीडिया प्रतिक्रिया योजना *(*स्लाइड *31)* शामिल हैं। उत्तरदाताओं ने यह भी बताया कि सभी सुरक्षा सिद्धांतों का पालन किया जाता है क्योंकिः *(* क*)* कब्जा करने के समय से पी. के. आई.*-2048* एन्क्रिप्शन है, जिसका अर्थ है, जैसे ही नामांकन के समय डेटा दिया जाता है, उसका एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है और इसे एन्क्रिप्टेड जस्टिस के. एस. पुटास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* में प्राधिकरण को प्रेषित किया जाता है।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

रूप में। उक्त कूटलेखन लगभग त्रुटिहीन है और इसे समझना लगभग असंभव है*; (*बी*)* श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा मानकों और प्रथाओं को अपनाना; और *(*सी*)* मजबूत लेखा परीक्षा और पता लगाने के साथ-साथ धोखाधड़ी का पता लगाना। इन सबसे ऊपर, प्रौद्योगिकी और वास्तुकला समीक्षा बोर्ड *(*टी. ए. आर. बी.*)* और सुरक्षा समीक्षा समिति की निगरानी होती है। यह बोर्ड

और समिति में बहुत उच्च पदस्थ अधिकारी होते हैं। इसलिए, अधिनियम ने सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया है।

154. मुद्दा *(*बी*)* डेटा सुरक्षा से संबंधित है। इसके अनुसार

याचिकाकर्ताओं के पास कोई डेटा सुरक्षा नहीं है और व्यक्तियों के डेटा/व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग की संभावना है।

155. तय किया जाने वाला सवाल यह है कि क्या सुरक्षा उपाय हैं।

आधार अधिनियम और नियमों में व्यक्तिगत बायोमेट्रिक डेटा की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। न्यायालय को जिन महत्वपूर्ण कार्यों को करने की आवश्यकता है, वे हैं*-(i)* प्रौद्योगिकी की दुनिया में आंकड़ों के महत्व और उसके प्रभाव पर चर्चा करना*; (ii)* संवेदनशील वस्तुओं के संग्रह, भंडारण और उपयोग के लिए सुरक्षा की मात्रा निर्धारित करना।

बायोमेट्रिक डेटा, ताकि वे आनुपातिक के रूप में अर्हता प्राप्त कर सकें; और *(iii)* यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आधार अधिनियम और नियम ऐसे डेटा प्रदान करते हैं

सुरक्षा, जिससे निगरानी की किसी भी संभावना को रोका जा सके। *67* हम विद्वान महान्यायवादी और यू. आई. डी. ए. आई. की ओर से पेश श्री द्विवेदी के जिम्मेदार बयानों को भी रिकॉर्ड में ले सकते हैं कि किसी भी राज्य को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। देश के *12* करोड़ लोगों या यहां तक कि अधिकारियों और कर्मचारियों या पेशेवरों के भारी बहुमत की सामूहिक निगरानी। राज्य द्वारा सामूहिक निगरानी का विचार जो एक ए. एन. एच. द्वारा हर समय किए जाने वाले कार्यों का अनुसरण करता है और आधार पर आधारित है, एक बेतुका और असंभव है। उनके अनुसार, याचिकाकर्ताओं का निवेदन बहुत सारी काल्पनिक संभावनाओं पर आधारित है। *:*

(i) आधार राज्य के लिए सभी ए. एन. एच. की पहचान की जानकारी प्राप्त करना संभव बनाता है। यह संभव है कि यू. आई. डी. ए. आई. पहचान की जानकारी/प्रमाणीकरण रिकॉर्ड साझा करेगा।

अधिनियम में वैधानिक निषेध और दंडात्मक निषेधाज्ञा के बावजूद सी. आई. डी. आर.। यह संभव है कि राज्य ए. एन. एच. के एक बड़े हिस्से का सर्वेक्षण करने के लिए अपने जांचकर्ताओं को मुक्त करेगा, यदि सभी प्रमाणीकरण रिकॉर्ड के आधार पर नहीं हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आधार अधिनियम की संरचना को देखते हुए, ऐसी कोई संभावना नहीं है और किसी भी स्थिति में, काल्पनिक संभावना के आधार पर प्रस्तुत करना आधार अधिनियम की वैधता पर सवाल उठाने का कोई आधार प्रदान नहीं करता है। *(ii)* किसी भी रिट याचिका में विशिष्ट तथ्यों और यहां तक कि आरोपों को भी नहीं बताया गया है कि किसी भी आधार संख्या धारक की यू. आई. डी. ए. आई. या केंद्र/राज्यों द्वारा निगरानी की जा रही है। तर्क के दौरान जोर केवल इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक ट्रेल्स और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड के आधार पर निगरानी की संभावना पर था। यह दावा किया गया था कि ट्रैक बैक के लिए बाजार में उपकरण हैं। पूरा मामला अटकलबाजी और अटकलबाजी वाला था। क्लैपर में, राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनाम। एमनेस्टी इंटरनेशनल यू. एस. ए., बहुमत के फैसले ने विदेशी खुफिया निगरानी अधिनियम के संदर्भ में प्रस्तुतियों को मंजूरी नहीं दी और इसका एक कारण यह था कि आरोप अनुमानात्मक और अटकलबाजी थे। ऐसे कोई तथ्य नहीं थे जिनके आधार पर कथित खतरे का उचित रूप से पता लगाया जा सके। हालाँकि, हमने इस तर्क पर चर्चा नहीं की है।

((i) आंकड़ों का महत्वः

156. एल्विन टॉफलर ने अपने प्रकाशित लेख *'*हमारा भविष्य कैसा होगा*?'* में लिखा है। मन को झकझोर देने वाले विचार प्रस्तुत किए हैं। टॉफलर कृषि समाज से उद्योग समाज में ज्ञान आधारित समाज में परिवर्तन का पता लगाते हैं। अगर हम समय की शुरुआत में वापस जाएं, तो कृषि प्रमुख स्रोत थी और पूरी मानव जाति कृषि पर आधारित थी। *350* वर्षों बाद भाप इंजनों के आविष्कार के साथ औद्योगिकरण हुआ

युग और अब हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वह तीसरी विशाल लहर है, जो औद्योगिक युग से कहीं अधिक शक्तिशाली है। आयु के आधार पर

ज्ञान। टॉफलर इस बात पर जोर देते हैं कि आज के समाज में केवल ज्ञान ही धन के निर्माण की ओर ले जाता है। अतीत के विपरीत जिसमें अर्थशास्त्र को दुर्लभ आवंटन के विज्ञान के रूप में वर्णित किया गया था

संसाधन, आज हम मुख्य रूप से ज्ञान पर निर्भर हैं और वह है

157. इजरायल के प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में एक भाषण में नवाचार और उद्यमिता के बारे में बात करते हुए मुक्त बाजार की दुनिया में एक दिलचस्प घटना को सामने लाया। सिद्धांत, अर्थात वैश्वीकरण के युग में, निम्नलिखित शब्दों में:

"2006 में दस प्रमुख कंपनियों, पाँच ऊर्जा कंपनियों को देखें,

एक आई. टी. कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और केवल दस साल बाद, *2016* में, एक पलक झपकते ही, ऐतिहासिक रूप से, यह पूरी तरह से उलट गया, पांच आई. टी. कंपनियां एक ऊर्जा कंपनी छोड़ गई। असली धन में है

नवाचार-आप इन कंपनियों को जानते हैं-ऐप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॅन, फेसबुक।

158. वह इस परिवर्तन के पीछे के कारण के रूप में एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहते हैं:

"..... एक कारण है कि कुछ चल रहा है, यह एक बड़ा बदलाव है-आप एक शब्द सुनना चाहते हैं-यह एक वाक्य है, यह एक भयानक वाक्य है, लेकिन मेरे पास यह कहने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, यह बड़े डेटा, संपर्क और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का संगम है। ठीक है, क्या आप समझते हैं? आप जानते हैं कि यह क्या करता है-यह पुराने उद्योगों में क्रांति लाता है और यह जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम का निर्माण करता है।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

पूरी तरह से नए उद्योग, इसलिए यहाँ एक पुराना उद्योग है जिसमें इज़राइल हमेशा महान था-कृषि। हम हमेशा कृषि में अच्छे हैं लेकिन अब हमारे पास सटीक कृषि है। क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? देखें कि आकाश में ड्रोन एक बड़े डेटाबेस से जुड़ा हुआ है और खेत में संवेदक है और खेत में ड्रिप सिंचाई और ड्रिप निषेचन है और अब हम इस तकनीक के साथ उस पानी को लक्षित कर सकते हैं जो हम देते हैं, जो उर्वरक हम अलग-अलग पौधे को देते हैं जिसे इसकी आवश्यकता होती है। यह सटीक कृषि है, यह इज़राइल है। अविश्वसनीय "।

159. यह हमें डेटा-बिग डेटा की दुनिया में लाता है। जबरदस्त प्रकृति के इसके अपने फायदे हैं। इससे लोगों का जीवन आसान हो रहा है।

लोग एक-दूसरे से दूर स्थानों पर स्थित होने पर भी एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं। वे न केवल एक-दूसरे से बात कर सकते हैं बल्कि बात करते समय एक-दूसरे को देख भी सकते हैं। विभिन्न नेटवर्कों पर बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है जिन तक वे आसानी से पहुँच सकते हैं और उत्तर प्राप्त करके सेकंडों के भीतर ज्ञान की अपनी खोज को पूरा कर सकते हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम *(*जी. पी. एस.*)* की सहायता से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। वे स्मार्ट सेलफोन सहित अपने उपयोगी उपकरणों पर संगीत सुन सकते हैं और फिल्में देख सकते हैं। हम डिजिटल अर्थव्यवस्था के युग में हैं जिसने आम आदमी के लिए कई रास्ते बनाए हैं। इंटरनेट की सुविधा दिन-ब-दिन सस्ती होती जा रही है, जिसे न केवल डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप और यहां तक कि स्मार्ट फोन जैसे अन्य उपयोगी उपकरणों के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। ऑनलाइन खरीदारी, बिल भुगतान, फिल्म/ट्रेन/हवाई टिकट बुकिंग, धन हस्तांतरण, ई-वॉलेट भुगतान, ऑनलाइन बैंकिंग और ऑनलाइन

बीमा आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन बहुत आसानी से हो रहे हैं। इस तरह के कार्यों को ड्राइंग रूम में बैठकर किया जा सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते समय भी

अपनी गाड़ी में, वे उपरोक्त सभी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इस मायने में प्रौद्योगिकी ने उनके जीवन को इतना आसान बना दिया है।

ऐसी तकनीकों से जुड़ने और उनके लाभों का लाभ उठाने के लिए, उपयोगकर्ता अपनी बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फिंगरप्रिंट और फिंगरप्रिंट के साथ भाग ले रहे हैं। आइरिस के साथ-साथ जनसांख्यिकीय जानकारी जैसे कि उनके नाम, माता-पिता, परिवार के सदस्य, उनकी उम्र, यहां तक कि व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि उनका लिंग, रक्त समूह या यहां तक कि वे किन बीमारियों से पीड़ित हैं। इतना ही नहीं, नेट पर या ऐप्पल, गूगल, फेसबुक सुपर कोर्ट रिपोर्ट जैसे किसी भी पोर्टल पर उपरोक्त सुविधाओं का उपयोग करना।

आदि में उनकी गतिविधियों पर नज़र रखना शामिल है, जिसमें गतिविधियों की प्रकृति, जैसे कि खरीदारी का प्रकार, वे स्थान जहाँ से खरीदारी की जाती है, उस पर खर्च किया गया वास्तविक पैसा, देखी गई फिल्मों की प्रकृति आदि शामिल हैं। यह सारा डेटा अपने उपयोगकर्ताओं के संबंध में कंपनियों के पास है जो हो सकता है मेटाडेटा में बदल दें। वास्तव में, ऐसे मामलों की सूचना दी जाती है जहां उपयोगकर्ताओं के ऐसे डेटा को विभिन्न उद्देश्यों के साथ विभाजित किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसी सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, लोग जानबूझकर और स्वेच्छा से अपनी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए तैयार हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक लेनदेन किसी न किसी प्रकार की संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी से जुड़ा होता है। यह किसी व्यक्ति का उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, खाता संख्या, पैन संख्या, बायोमेट्रिक विवरण, ई-मेल आईडी, डेबिट/क्रेडिट कार्ड संख्या, सीवीवी संख्या और लेनदेन का ओ. टी. पी. आदि हो सकता है।

161. इनसे निजता और सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

डेटा, जो बहुत चिंता का विषय बन गया है। समस्या डेटा स्थानीयकरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अतिरिक्त-क्षेत्रीय हो गई है। व्यक्तिगत डेटा के सीमा पार हस्तांतरण के मुद्दे हैं, जिसका विनियमन फिर से एक बड़ी चुनौती है जिससे विभिन्न रायें जूझ रही हैं। इस संबंध में विनियामक व्यवस्था के अभिसरण की भी बातचीत हो रही है ताकि सीमा पार डेटा हस्तांतरण को विनियमित करने के लिए एक कानूनी पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने में एक समान दृष्टिकोण अपनाया जा सके। एशियन बिजनेस लॉ इंस्टीट्यूट *(*एबीएलआई*)* ने सिंगापुर एकेडमी ऑफ लॉ *(*एसएएल*)* के सहयोग से

सीमा पार डेटा हस्तांतरण और डेटा के विनियमन पर अपने-अपने क्षेत्राधिकार में *14* देशों की रिपोर्टों को संकलित करते हुए गहन अध्ययन करना।

एशिया में स्थानीयकरण।

यह राज्य के पास उपलब्ध है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, निजी खिलाड़ियों के संबंध में भी डेटा सुरक्षा गंभीर मामला बन गया है चिंता की बात। जब राज्य या राज्य के साधनों की बात आती है, तो इस मामले को पूरी गंभीरता के साथ संवैधानिकता और सीमित सरकार की अवधारणा के आधार पर लिया जाना चाहिए।

((ii) डेटा संरक्षण पर कानूनः

163. इस पहलू को निर्धारित करने के लिए, यानी डेटा संरक्षण की प्रकृति और परिमाण जो न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* के कानूनी संग्रह और उपयोग को सक्षम करने के लिए आवश्यक है।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

बायोमेट्रिक डेटा, निर्भरता को *(*ए*)* विभिन्न मौजूदा कानूनों पर रखा जा सकता है।

- भारत और दुनिया भर में; और *(*बी*)* मामले कानून सहित

के. एस. पुट्टास्वामी में निर्णय।

(क*)* भारत में विधानः

((i) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, *2000*

बायोमेट्रिक जानकारी से संबंधित डेटा सुरक्षा को कवर करने वाला एकमात्र मौजूदा कानून आईटी अधिनियम की धारा *43* ए और धारा *72* ए है।

और सूचना प्रौद्योगिकी *(*उचित सुरक्षा व्यवहार और प्रक्रियाएं और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना*)* नियम, *2011 (*इसके बाद "संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा नियम"*)*। हालाँकि आई. टी. अधिनियम और नियम आधार अधिनियम और नियमों द्वारा बायोमेट्रिक डेटा और जानकारी के उपयोग की संवैधानिकता को निर्धारित नहीं करते हैं, लेकिन वे बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने के लिए किए जाने वाले सुरक्षा उपायों को निर्धारित करने में निर्देशात्मक हैं।

164. निम्नलिखित प्रावधान बायोमेट्रिक को शामिल करते हैं।

आई. टी. अधिनियम के तहत जानकारीः

आई. टी. अधिनियम की धारा *43* ए किसी निगमित निकाय के दायित्व को जोड़ती है,

जो किसी भी 'संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी या डेटा' को रखता है, संभालता है और उससे निपटता है और उचित सुरक्षा प्रथाओं को लागू करने और बनाए रखने में लापरवाही करता है जिसके परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति को गलत नुकसान या गलत लाभ होता है। संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी या डेटा 'के तहत परिभाषित किया गया है

संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा नियमों के नियम *3* में बायोमेट्रिक डेटा से संबंधित जानकारी शामिल है। धारा *43* ए इस प्रकार हैः

" *43* ए. डेटा की सुरक्षा करने में विफलता के लिए मुआवजा। -कहाँ ए।
निगमित निकाय, किसी भी संवेदनशील वस्तु को रखना, संभालना या संभालना

एक कंप्यूटर संसाधन में व्यक्तिगत डेटा या जानकारी जिसका वह स्वामित्व, नियंत्रण या संचालन करता है, उचित सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं को लागू करने और बनाए रखने में लापरवाही है और इस तरह किसी भी व्यक्ति को गलत नुकसान या गलत लाभ होता है।

क्षतिपूर्ति के रूप में नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा

इतना प्रभावित व्यक्ति।

स्पष्टीकरण। -इस धारा के प्रयोजनों के लिए,

68 शमनाद बशीर बनाम यू. आई. डी. ए. आई. और अन्य के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में आई. टी. अधिनियम और नियमों के उल्लंघन के लिए आधार परियोजना को चुनौती दी गई है। इसलिए, हम इस पहलू पर विचार नहीं कर रहे हैं, न ही यह इन कार्यवाहियों में विचार के लिए आता है।

((i) "निगमित निकाय" से कोई भी कंपनी अभिप्रेत है और इसमें एक फर्म, एकल स्वामित्व या इसमें लगे व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है।

व्यावसायिक या व्यावसायिक गतिविधियाँ;

अनधिकृत पहुँच, क्षति, उपयोग, संशोधन, प्रकटीकरण या हानि से, जैसा कि पार्टियों के बीच एक समझौते में निर्दिष्ट किया जा सकता है या जैसा कि उस समय लागू किसी कानून में निर्दिष्ट किया जा सकता है और ऐसे समझौते या किसी कानून के अभाव में, जैसे
उचित सुरक्षा प्रथाएं और प्रक्रियाएं, जो केंद्र सरकार द्वारा ऐसे पेशेवर निकायों या संघों के परामर्श से निर्धारित की जा सकती हैं जो उसे उचित लगे।

(iii) "संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी" का अर्थ है ऐसी व्यक्तिगत जानकारी जो केंद्र सरकार द्वारा ऐसे पेशेवर निकायों या संघों के परामर्श से निर्धारित की जा सकती है।

उचित लग सकता है।*]* "

165. इसी तरह, आई. टी. अधिनियम की धारा *72* ए एक अनुबंध के तहत प्राप्त 'व्यक्तिगत जानकारी' का जानबूझकर खुलासा करती है, संबंधित पक्षों की सहमति के बिना और एक वैध अनुबंध के उल्लंघन में, कारावास और जुर्माने के साथ दंडनीय है। संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा नियमों के नियम *2 (i)* "व्यक्तिगत जानकारी" को किसी भी ऐसी जानकारी के लिए परिभाषित करता है जो एक प्राकृतिक व्यक्ति से संबंधित है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उपलब्ध अन्य जानकारी के साथ संयोजन में या एक निकाय कॉर्पोरेट के साथ उपलब्ध होने की संभावना है, ऐसे व्यक्ति की पहचान करने में सक्षम है। इस प्रकार, बायोमेट्रिक्स "व्यक्तिगत जानकारी" का एक हिस्सा होगा। खंड निम्नानुसार है

" *72* ए. वैध अनुबंध के उल्लंघन में जानकारी के प्रकटीकरण के लिए दंड-इस अधिनियम या कुछ समय के लिए किसी अन्य कानून में अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर, एक मध्यस्थ सहित कोई भी व्यक्ति, जिसने वैध अनुबंध की शर्तों के तहत सेवाएं प्रदान करते समय, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत

जानकारी वाली किसी भी सामग्री तक पहुंच हासिल कर ली है, यह जानने के इरादे से कि वह गलत नुकसान या गलत लाभ का कारण बन सकता है, संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना, या किसी वैध अनुबंध के उल्लंघन में, किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी सामग्री का खुलासा करता है।
तीन वर्ष तक की अवधि के कारावास या पाँच लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

या दोनों के साथ। एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

166. संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा नियम संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा *(*बायोमेट्रिक जानकारी सहित*)* के संग्रह और आश्वासन से संबंधित वाणिज्यिक और व्यावसायिक संस्थाओं *(*आईटी अधिनियम की धारा *43* ए के तहत निगमित निकाय*)* पर अतिरिक्त छूट प्रदान करते हैं। महत्वपूर्ण आवश्यकताएँ, जो भारत द्वारा पालन किए जाने वाले आंकड़ों के लिए सिद्धांतों का संकेत हैं, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:

(i) निगमित निकाय या कोई भी व्यक्ति जो निगमित निकाय की ओर से सूचना प्रदाता की जानकारी एकत्र करता है, प्राप्त करता है, रखता है, संग्रहीत करता है, सौदा करता है या संभालता है, एक गोपनीयता नीति प्रदान करेगा।

संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी सहित व्यक्तिगत जानकारी को संभालने या उससे निपटने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे देखने के लिए उपलब्ध हैं।

((ii) निगमित निकाय या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति सहमति प्राप्त करेगा।

ऐसी जानकारी के संग्रह से पहले उपयोग के उद्देश्य के बारे में संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी के प्रदाता से लिखित रूप में। *((iii)* निगमित निकाय या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति संग्रह नहीं करेगा।

संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी जब तक-*(*ए*)* जानकारी किसी कार्य से जुड़े वैध उद्देश्य के लिए एकत्र नहीं की जाती है या

निगमित निकाय या उसकी ओर से किसी व्यक्ति की गतिविधि; और *(*बी*)* संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी का संग्रह है

उस उद्देश्य के लिए आवश्यक माना जाता है

((iv) संबंधित व्यक्ति को *(*ए*)* इस तथ्य का ज्ञान है कि जानकारी एकत्र की जा रही है; *(*बी*)* किस उद्देश्य के लिए जानकारी एकत्र की जा रही है; *(*सी*)* जानकारी के इच्छित प्राप्तकर्ता; और *(*डी*)* एकत्र करने वाली एजेंसी का नाम और पता

और जानकारी को बनाए रखें।

(v) निगमित निकाय या उसकी ओर से संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस जानकारी को उन उद्देश्यों के लिए आवश्यक समय से अधिक समय तक नहीं रखेगा जिनके लिए जानकारी

का कानूनी रूप से उपयोग किया जा सकता है या अन्यथा किसी अन्य उद्देश्य के तहत आवश्यक है।
उस समय लागू कानून।

((vi) एकत्र की गई जानकारी का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए इसे एकत्र किया गया है।

((vii) निगमित निकाय या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या *[2018] 8* एस. सी. आर. सहित जानकारी के संग्रह से पहले करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जानकारी, जानकारी प्रदाता को एक विकल्प प्रदान करें

एकत्र किए जाने के लिए मांगी गई जानकारी या जानकारी प्रदान नहीं करना।

(viii) निगमित निकाय किसी भी विसंगतियों को दूर करेगा और

जानकारी के उनके प्रदाता की शिकायतें

किसी भी तीसरे पक्ष को निगमित करने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी ऐसी जानकारी प्रदान करने वाला, जिसने ऐसी जानकारी प्रदान की है

कानूनी अनुबंध के तहत या अन्यथा जानकारी, जब तक कि ऐसा न हो

निकाय के बीच अनुबंध में प्रकटीकरण पर सहमति हो गई है निगमित और सूचना प्रदाता, या जहाँ प्रकटीकरण किया जाता है

कानूनी दायित्व के अनुपालन के लिए आवश्यक।

(x) कोई निगमित निकाय या उसकी ओर से कोई व्यक्ति इसका पालन करेगा - उचित सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रिया यानी इस तरह के कार्यान्वयन

सुरक्षा नीतियाँ जिनमें प्रबंधकीय, तकनीकी, परिचालन शामिल हैं और भौतिक सुरक्षा नियंत्रण उपाय जो अनुरूप हैं

सूचना परिसंपत्तियों को प्रकृति के साथ संरक्षित किया जा रहा है व्यवसाय। सूचना सुरक्षा उल्लंघन की स्थिति में, निगमित निकाय या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को इसके तहत अनिवार्य एजेंसी द्वारा ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी।

कानून, कि उन्होंने सुरक्षा नियंत्रण उपायों को लागू किया है

उनके प्रलेखित सूचना सुरक्षा कार्यक्रम के अनुसार और

सूचना सुरक्षा नीतियाँ।

उपरोक्त मूल और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।

बायोमेट्रिक जानकारी का गैलन संग्रह, भंडारण और उपयोग

सीटी। वे उस कठोरता को इंगित करते हैं जिसके साथ ऐसी प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है।

एड आउट।

अन्य देशों में स्थितिः *(* ई. यू. जी. डी. पी. आर. *(*यूरोपीय संघ सामान्य डेटा संरक्षण*)*

विनियमन*) 6 9*

व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण और इस तरह के डेटा की मुक्त आवाजाही के संबंध में प्राकृतिक व्यक्तियों की सुरक्षा पर यूरोपीय संसद और *27* अप्रैल *16* की परिषद के यूलेशन *(*ईयू*) 2016/679* और निर्देश *95/46/*ईसी को निरस्त करना।

एनरल डेटा संरक्षण विनियमन*)*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

ई. यू. जी. डी. पी. आर., जिसे ई. यू. द्वारा *2016* में अधिनियमित किया गया था, *25* मई, *2018* को *1995* के डेटा संरक्षण निर्देश की जगह पर लागू हुआ। यह एक संपूर्ण और व्यापक कानूनी ढांचा है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक व्यक्तियों को व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण और सूचनात्मक गोपनीयता के उनके अधिकार से बचाना है। यह डेटा विषयों के अधिकारों और डेटा प्रोसेसर के दायित्वों को विस्तार से चित्रित करते हुए व्यक्तिगत डेटा के सभी प्रकार के प्रसंस्करण से संबंधित है। डेटा संग्रह, प्रसंस्करण, भंडारण और उपयोग के निम्नलिखित मौलिक सिद्धांत आनुपातिकता को दर्शाते हैं।

ईयूजीडीपीआर को रेखांकित करने वाला सिद्धांत

(i) व्यक्तिगत डेटा को डेटा विषय के संबंध में कानूनी, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संसाधित किया जाएगा। वैधता, निष्पक्षता और पारदर्शिता*);*

(व्यक्तिगत डेटा को निर्दिष्ट, स्पष्ट और वैध उद्देश्यों के लिए एकत्र किया जाना चाहिए *(*उद्देश्य सीमा का सिद्धांत*);* *(iii)* प्रसंस्करण भी पर्याप्त, प्रासंगिक और आवश्यक *(*डेटा न्यूनतमकरण का सिद्धांत*)* के साथ-साथ सीमित होना चाहिए।

सटीक और, जहाँ आवश्यक हो, अद्यतित रखा गया *(*का सिद्धांत*)*

सटीकता*);*

(iv) डेटा को एक ऐसे प्रपत्र में रखा जाना चाहिए जो डेटा विषयों की पहचान की अनुमति देता है जो उन उद्देश्यों के लिए आवश्यक नहीं है जिनके लिए व्यक्तिगत डेटा को संसाधित किया जाता है *(*भंडारण सीमा का सिद्धांत*);* *(v)* डेटा प्रोसेसिंग सुरक्षित होनी चाहिए *(*अखंडता का सिद्धांत और

गोपनीयता*);* और

(vi) डेटा नियंत्रक को जिम्मेदार ठहराया जाना है *(*का सिद्धांत*)*

उत्तरदायित्व*)*।

167. अनुच्छेद *9* के तहत ई. यू. जी. डी. पी. आर. बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह को प्रतिबंधित करता है जब तक कि कुछ परिस्थितियों को छोड़कर जिनमें शामिल हैं *(*लेकिन

इन तक सीमित नहीं हैं*)* -

(क*)* जिस पक्ष का डेटा एकत्र किया जा रहा है, उसकी स्पष्ट सहमति है। सहमति स्वतंत्र रूप से दी जानी चाहिए, जो स्पष्ट और सरल भाषा का उपयोग करके एक बोधगम्य और आसानी से सुलभ रूप में स्पष्ट रूप से अलग की जा सकती है। इस सहमति को वापस लेने से पहले की कार्रवाई को प्रभावित किए बिना किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। *(* ख*)*
नियंत्रक या सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के दायित्वों को पूरा करने और विशिष्ट अधिकारों का प्रयोग करने के उद्देश्यों के लिए प्रसंस्करण आवश्यक है।

रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में डेटा विषय और

सामाजिक सुरक्षा कानून*;*

(ग*)* प्रसंस्करण व्यक्तिगत डेटा से संबंधित है जिसे डेटा विषय द्वारा स्पष्ट रूप से सार्वजनिक किया जाता है*;* और

(घ*)* पर्याप्त सार्वजनिक कारणों से प्रसंस्करण आवश्यक है।

ब्याज, और यह अनुसरण किए गए उद्देश्य के अनुपात में होगा, डेटा संरक्षण के अधिकार के सार का सम्मान करेगा और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उपयुक्त और विशिष्ट उपायों का प्रावधान करेगा और डेटा विषय के हित।

168. विनियमन डेटा विषय *(*वह व्यक्ति जिसका डेटा एकत्र किया जाता है*)* के अधिकारों को भी स्थापित करता है, अपवादों के अधीन, जिसमें डेटा विषय का डेटा संग्रह के उद्देश्य के बारे में जानकारी तक पहुंच का अधिकार, डेटा नियंत्रक का विवरण और बाद में उपयोग और डेटा का हस्तांतरण, डेटा विषय का डेटा में सुधार करने का अधिकार, मिटाने का अधिकार या भूल जाने का अधिकार, डेटा विषय का प्रसंस्करण के प्रतिबंध का अधिकार, सूचित होने का अधिकार, डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार और डेटा विषय का डेटा के अवैध उपयोग पर आपत्ति करने का अधिकार शामिल है।

(ख*)* संयुक्त राज्य अमेरिका में बायोमेट्रिक गोपनीयता अधिनियम

169. संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्यों में बायोमेट्रिक जानकारी के संग्रह और उपयोग को विनियमित करने वाले कानून हैं। इलिनोइस ने *2008* में बायोमेट्रिक सूचना गोपनीयता अधिनियम *(740* आईएलसीएस *14/1* या बीआईपीए*)* पारित किया है। टेक्सास ने बायोमेट्रिक पहचानकर्ता *(*टेक्स*)* के उपयोग को पकड़ने के

लिए कानून को भी संहिताबद्ध किया है। बस। & कॉम. कोड एन। *§ 503.001) 2009* में। वाशिंगटन राज्य के राज्यपाल ने *16* मई, *2017* को कानून हाउस बिल *1493 ("*एच. बी. *1493") पर* हस्ताक्षर किए, जो उन व्यवसायों के लिए आवश्यकताओं को निर्धारित करता है जो वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए बायोमेट्रिक पहचानकर्ता एकत्र करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। बी. आई. पी. ए., इलिनोइस उदाहरण के लिए निजी संस्थाओं के लिए ऐसी गतिविधियों के लिए पहले व्यक्तिगत सहमति प्राप्त किए बिना रेटिना/आईरिस स्कैन, वॉयस स्कैन, फेस स्कैन या फिंगरप्रिंट जैसी बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करना, संग्रहीत करना या उपयोग करना गैरकानूनी बनाता है। बी. आई. पी. ए. के लिए यह भी आवश्यक है कि कवर की गई संस्थाएं विशिष्ट सावधानी बरतें

जानकारी को सुरक्षित करें।

(ख) मुकदमों के कानूनः

170. के. एस. पुट्टास्वामी के फैसले में, सभी न्यायाधीशों ने डेटा की आसान पहुंच, हस्तांतरण, भंडारण और खनन के युग में सूचनात्मक गोपनीयता के महत्व पर प्रकाश डाला। विभिन्न उपकरणों के माध्यम से व्यक्तियों के डेटा के एकत्रीकरण और विश्लेषण के साधनों को समझाया गया है। चंद्रचूड, जे.

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

यह देखा गया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बढ़ती सर्वव्यापीता के साथ, जानकारी को बिना किसी सूचना के प्राप्त किया जा सकता है, संग्रहीत किया जा सकता है और प्रसारित किया जा सकता है। मेटाडेटा और डेटा माइनिंग व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी को निजी कंपनियों और राज्य के अधीन बनाते हैं। इस पृष्ठभूमि में, हिज लॉर्डशिप एक डेटा संरक्षण व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा करता है गोपनीयता की रक्षा करना और व्यक्ति की स्वायत्तता की रक्षा करना। निर्णय के समापन में निम्नलिखित टिप्पणियां उद्धृत करने योग्य हैं:

"328. सूचनात्मक गोपनीयता निजता के अधिकार का एक पहलू है। सूचना के युग में गोपनीयता के लिए खतरे न केवल राज्य से बल्कि गैर-राज्य अभिनेताओं से भी उत्पन्न हो सकते हैं। हम प्रशंसा करते हैं कि

केंद्र सरकार को जांच करने और स्थापित करने की आवश्यकता है

डेटा सुरक्षा के लिए मजबूत व्यवस्था। इस तरह के शासन के निर्माण के लिए व्यक्तिगत हितों के बीच सावधानीपूर्वक और संवेदनशील संतुलन की आवश्यकता होती है

और राज्य की वैध चिंताएँ। के वैध उद्देश्य
उदाहरण के लिए, राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा शामिल होगी,

अपराध को रोकना और जांच करना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और

ज्ञान का प्रसार, और सामाजिक कल्याण लाभों के अपव्यय को रोकना। ये ऐसे नीतिगत मामले हैं जिन पर केंद्र सरकार को सावधानीपूर्वक संरचित व्यवस्था तैयार करते समय विचार करना चाहिए।

डेटा की सुरक्षा के लिए। चूंकि केंद्र सरकार ने

न्यायालय को सूचित किया कि उसने अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है

माननीय श्री न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्णा, इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश,

उस उद्देश्य के लिए, मामले को उचित रूप से निपटाया जाएगा

जो निर्धारित किया गया है उस पर केंद्र सरकार का उचित ध्यान है

इस फैसले में बाहर निकलें "।

171. एस. के. कौल, जे. ने यूरोपीय संघ के सामान्य आंकड़ों का हवाला दिया

डेटा सुरक्षा के महत्व और उन परिस्थितियों को उजागर करने के लिए संरक्षण विनियम जिनमें गोपनीयता के अधिकार पर प्रतिबंध हो सकते हैं आनुपातिकता के सिद्धांत के अधीन न्यायसंगत होना। इनमें अन्य मौलिक अधिकारों के खिलाफ संतुलन, वैध राष्ट्रीय सुरक्षा हित, वैज्ञानिक या ऐतिहासिक अनुसंधान उद्देश्यों या सांख्यिकीय उद्देश्यों सहित सार्वजनिक हित, आपराधिक अपराध, कर उद्देश्य आदि शामिल हैं।

172. कई मामले कानून हैं-अमेरिकी और यूरोपीय दोनों।

याचिकाकर्ताओं और उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए

7 यूरोपीय संसद और *27* अप्रैल *2016* की परिषद का विनियमन *(*ई. यू.*)* व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण और ऐसे डेटा की मुक्त आवाजाही के संबंध में प्राकृतिक व्यक्तियों की सुरक्षा पर, और निर्देश *95/46/*ईसी *(*सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन*)* को निरस्त करना।

बायोमेट्रिक डेटा का संग्रह, भंडारण और उपयोग जो लिया गया है

ऊपर का नोट। वे बायोमेट्रिक डेटा से निपटने के दौरान आनुपातिकता सिद्धांत को पूरा करने के लिए आवश्यक विधि और सुरक्षा उपायों के उदाहरण हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा उद्धृत मामलों का पहला समूह यूरोपीय मामलों का है।

मानवाधिकार न्यायालय।

173. यूरोपीय मानवाधिकार कानूनों ने स्पष्ट रूप से और मामले के कानूनों के माध्यम से सूचनात्मक गोपनीयता के अधिकार को मान्यता दी है और

डेटा सुरक्षा। ई. यू. चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स के अनुच्छेद *7* में कहा गया है कि 'हर किसी को अपने निजी और पारिवारिक जीवन, घर और संचार का सम्मान करने का अधिकार है' और अनुच्छेद *8* में यह व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यूरोपीय संघ चार्टर का पहला अनुच्छेद मानव गरिमा के सम्मान और संरक्षण के अधिकार की पुष्टि करता है। ईसीएचआर निजी और पारिवारिक जीवन, घर और उनके पत्राचार के सम्मान के अधिकार को भी मान्यता देता है, जिसे व्यक्तिगत बायोमेट्रिक जानकारी पर नियंत्रण के अधिकार की सुरक्षा को शामिल करने के लिए पढ़ा गया है।

174. जैसा कि ऊपर भी बताया गया है, एक प्रमुख मामला जो बायोमेट्रिक डेटा के भंडारण के सवाल को संबोधित करता है, यानी कि क्या डीएनए नमूनों और उंगलियों के निशान का भंडारण और प्रतिधारण ईसीएचआर के अनुच्छेद *8* का उल्लंघन करता है, वह है एस और मार्पर *'1*। इस मामले में, यूनाइटेड किंगडम में गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति के डीएनए प्रोफाइल और सेलुलर नमूनों का भंडारण किया गया था

प्रोफाइल और सेलुलर नमूने, व्यक्तिगत डेटा का गठन करते हैं और उनका प्रतिधारण किसी व्यक्ति के निजी जीवन को प्रभावित करने में सक्षम था। की प्रतिधारण सहमति के बिना ऐसा डेटा, इस प्रकार, अनुच्छेद *8* का उल्लंघन है क्योंकि वे पहचाने गए और पहचान योग्य व्यक्तियों से संबंधित हैं। इसमें कहा गया था किः

" 84. ..... उंगलियों के निशान में वस्तुनिष्ठ रूप से संबंधित व्यक्ति के बारे में अनूठी जानकारी होती है जो परिस्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला में सटीकता के साथ उसकी पहचान की अनुमति देती है। इस प्रकार वे उसके निजी जीवन को प्रभावित करने में सक्षम हैं और संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना इस जानकारी को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

तटस्थ या महत्वहीन माना जाता है।

71 एस और मार्पर वी।

यूनाइटेड किंगडम *[2008]* ईसीएचआर *1581* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आरईटीडी.*)* बनाम। भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

176. इसने आनुपातिकता सिद्धांत को निम्नलिखित रूप में व्यक्त कियाः

शब्दः

लोकतांत्रिक समाज "एक वैध उद्देश्य के लिए यदि यह एक" दबाव "का जवाब देता है सामाजिक आवश्यकता "और, विशेष रूप से, यदि यह वैध के अनुपात में है

उद्देश्य का पीछा किया जाता है और यदि राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा दिए गए कारण

इसे उचित ठहराने के लिए "प्रासंगिक और पर्याप्त" हैं।

XX

XX

XX

व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा मौलिक महत्व की है

व्यक्ति के निजी सम्मान के अधिकार का आनंद और

कन्वेंशन के अनुच्छेद *8* द्वारा गारंटीकृत पारिवारिक जीवन। द.

घरेलू कानून को किसी भी घटना को रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपाय करने चाहिए।
व्यक्तिगत डेटा का ऐसा उपयोग जो असंगत हो सकता है

प्रसंस्करण का संबंध है, कम से कम जब इस तरह के डेटा का उपयोग किया जाता है
पुलिस के उद्देश्य। घरेलू कानून को विशेष रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि

डेटा प्रासंगिक है और उद्देश्यों के संबंध में अत्यधिक नहीं है

जिसे वे संग्रहीत किए जाते हैं और एक ऐसे रूप में संरक्षित किया जाता है जो अनुमति देता है

आवश्यकता से अधिक समय के लिए डेटा विषयों की पहचान

जिस उद्देश्य के लिए उन आंकड़ों को संग्रहीत किया जाता है। घरेलू

कानून को व्यक्तिगत रूप से बनाए रखने वाली पर्याप्त गारंटी भी देनी चाहिए।
डेटा को दुरुपयोग और दुरुपयोग से कुशलता से संरक्षित किया गया था।

177. अदालत के अनुसार मामले में मुद्दा यह था कि क्या

आवेदकों के उंगलियों के निशान और डी. एन. ए. डेटा को बनाए रखना, जैसे -

जिन व्यक्तियों पर संदेह किया गया था लेकिन कुछ आपराधिक मामलों में दोषी नहीं ठहराया गया था
कन्वेंशन के अनुच्छेद *8* के तहत अपराधों को उचित ठहराया गया था।

178. न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निजता पर इस तरह का आक्रमण नहीं था

आनुपातिक क्योंकि यह "एक लोकतांत्रिक समाज में आवश्यक" नहीं था जैसा कि उसने किया था

किसी भी सामाजिक आवश्यकता को पूरा न करें। डेटा के प्रतिधारण की व्यापक और अंधाधुंध प्रकृति अत्यधिक
थी और दोनों के बीच संतुलन नहीं बना पाई।

निजी और सार्वजनिक हित। इसमें कहा गयाः

"125. की शक्तियों की कंबल और अंधाधुंध प्रकृति

उंगलियों के निशान, कोशिकीय नमूने और डीएनए प्रोफाइल का प्रतिधारण

जिन व्यक्तियों पर संदेह है लेकिन अपराधों के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है, जैसा कि में लागू होता
है

वर्तमान आवेदकों का मामला, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के बीच उचित संतुलन बनाने में विफल
रहता है

प्रतिस्पर्धी सार्वजनिक और निजी हितों और यह कि प्रतिवादी राज्य ने इस संबंध में प्रशंसा के किसी भी स्वीकार्य अंतर को पार कर लिया है। तदनुसार, मुद्दे पर प्रतिधारण निजी जीवन के सम्मान के लिए आवेदकों के अधिकार के साथ एक असमान हस्तक्षेप का गठन करता है और एक मामले में आवश्यक नहीं माना जा सकता है। लोकतांत्रिक समाज। यह निष्कर्ष अदालत को कुछ विशेष सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता के बारे में आवेदकों की आलोचना पर विचार करने की आवश्यकता को दूर करता है, जैसे कि संबंधित व्यक्तिगत डेटा तक बहुत व्यापक पहुंच और इसके खिलाफ अपर्याप्त सुरक्षा।

इस तरह के डेटा का दुरुपयोग या दुरुपयोग।

179. मामले के दो महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है-पहला, उस मामले में, उंगलियों के निशान आपराधिक उद्देश्यों के लिए और उस व्यक्ति की सहमति के बिना एकत्र किए गए थे जिसकी उंगलियों के निशान थे। दूसरा, उंगलियों के निशान को व्यक्ति की सहमति के बिना अनिश्चित काल के लिए संग्रहीत किया जाना था और व्यक्ति के पास हटाने का विकल्प नहीं था। ये पहलू न्यायालय के लिए यह निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण थे कि प्रतिधारण नागरिक के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

180. इसी तरह, डिजिटल आयरलैंड मामले में, यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ की परिषद ने निर्देश को अपनाया।

2006 / 24 / ईसी *(*निर्देश*)*, जो इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के दूरसंचार डेटा के भंडारण को विनियमित करता है। इसका उपयोग यूरोपीय संघ में गंभीर अपराध से लड़ने के उद्देश्य से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक संचार सेवाओं या सार्वजनिक संचार नेटवर्क के प्रावधान के संबंध में उत्पन्न या संसाधित किए गए डेटा को बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। डेटा में संचार के स्रोत और उसके गंतव्य का पता लगाने और पहचान करने के लिए आवश्यक डेटा शामिल था, ताकि तारीख, समय अवधि, संचार के प्रकार, आईपी पता, टेलीफोन नंबर और अन्य क्षेत्रों की पहचान की जा सके।

यूरोपीय न्यायालय के न्याय न्यायालय *(*सीजेईयू*)* ने चार्टर के अनुच्छेद *7* और *8* के साथ निर्देश की अनुकूलता का मूल्यांकन किया और

निर्देश को अमान्य घोषित कर दिया।

181. सीजेईयू के अनुसार, निर्देश अनुच्छेद *7* के तहत निजी जीवन के सम्मान के अधिकार और मौलिक चार्टर के अनुच्छेद *8* के तहत व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकार में हस्तक्षेप करता है। यूरोपीय संघ के अधिकार। इसने उन व्यक्तियों के निजी जीवन के बारे में बहुत सटीक निष्कर्ष निकालने की अनुमति दी, जिनके डेटा को बनाए रखा गया था, जैसे कि रोजमर्रा की जिंदगी की आदतें, स्थायी या अस्थायी स्थान।

निवास, दैनिक और अन्य गतिविधियाँ, की जाने वाली गतिविधियाँ, सामाजिक संबंध आदि। अधिकार का आक्रमण निम्नलिखित कारणों से किए गए वैध उद्देश्य के अनुपात में नहीं थाः

(i) किसी विशेष विषय से संबंधित डेटा प्रतिधारण की सीमा का अभाव।

समय अवधि और/या एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र और/या एक वृत्त के लिए

((ii) वस्तुनिष्ठ मानदंड, मूल और प्रक्रियात्मक मानदंडों की अनुपस्थिति।
सक्षम की पहुंच की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए शर्तें

राष्ट्रीय प्राधिकरणों को डेटा और उनके बाद के उपयोग के लिए

रोकथाम, पता लगाने या आपराधिक अभियोजन के उद्देश्य। वहाँ।

अदालत या किसी स्वतंत्र द्वारा कोई पूर्व समीक्षा नहीं की गई थी

प्रशासनिक निकाय जिसका निर्णय पहुँच को सीमित करने की मांग करता था

उद्देश्य का पीछा किया गया।
((iii) एकत्र किए गए आंकड़ों की श्रेणियों के बीच उनकी संभावित उपयोगिता के आधार पर अंतर नहीं किया जा रहा है।

((iv) प्रतिधारण की अवधि यानी *6* महीने बहुत लंबे समय तक नहीं थी।

एक वस्तुनिष्ठ मानदंड पर आधारित।
(v) जोखिम के खिलाफ रखे गए डेटा की सुरक्षा के लिए नियमों की अनुपस्थिति

दुरुपयोग और किसी भी गैरकानूनी पहुंच और उस डेटा के उपयोग के खिलाफ।

(vi) निर्देश में संबंधित डेटा को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।

यूरोपीय संघ के भीतर।

182. टेली*2* स्वेरिज एबी बनाम पोस्ट-और टेलिस्टीरेलसेन में, सीजेईयू को इस मुद्दे के साथ पकड़ा गया था कि क्या डिजिटल राइट्स आयरलैंड के प्रकाश में, एक राष्ट्रीय कानून जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संचार सेवाओं के प्रदाता को अपराध से लड़ने के उद्देश्य से उपयोगकर्ताओं/ग्राहकों के संबंध में मेटा-डेटा *(*नाम, पता, टेलीफोन नंबर और आईपी पता*)* को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, ईयू चार्टर के अनुच्छेद *7,8* और *11* के विपरीत था। सीजेईयू ने हमला किया

उद्देश्य सीमा की कमी, डेटा विभेदन, डेटा संरक्षण, अदालत या प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा पूर्व समीक्षा और सहमति के आधार पर ऐसे मेटा डेटा के संग्रह की अनुमति देने वाले प्रावधान को कम करना। इसमें कहा गयाः

" 103. जबकि गंभीर अपराध, विशेष रूप से संगठित अपराध और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की प्रभावशीलता अपने आप में नहीं हो सकती है।

73 टेली*2* स्वेरिज एबी वी। पोस्ट और टेलिस्टीरेलसन और गृह विभाग के लिए राज्य सचिव बनाम। टॉम वॉटसन, पीटर ब्राइस, जेफ्री लुईस, केस सी-*203/15* में शामिल हुए

और सी-*698/15,2016 [2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सामान्य और के लिए प्रदान करने वाले राष्ट्रीय कानून को उचित ठहराएँ

सभी यातायात और स्थान डेटा का अंधाधुंध प्रतिधारण होना चाहिए उस लड़ाई के उद्देश्यों के लिए आवश्यक माना जाता है।

XX

XX

XX

105. दूसरा, राष्ट्रीय विधान *(.)* में किसी भेदभाव का प्रावधान नहीं है,

अनुसरण उद्देश्य के अनुसार सीमा या अपवाद। यह है।

व्यापक रूप से यह इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग करने वाले सभी व्यक्तियों को प्रभावित करता है

संचार सेवाएँ, भले ही वे व्यक्ति नहीं हैं,

अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसी स्थिति में जो अपराधी को जन्म देने के लिए उत्तरदायी है

कार्यवाही। अतः यह उन व्यक्तियों पर भी लागू होता है जिनके लिए

अपराध। इसके अलावा, इसमें किसी भी अपवाद का प्रावधान नहीं है, और फलस्वरूप यह उन व्यक्तियों पर भी लागू होता है जिनके संचार

राष्ट्रीय कानून के नियमों के अनुसार, के दायित्व के अधीन हैं

पेशेवर गोपनीयता।

XX

XX

XX

यदि यह सुनिश्चित किया जाना है कि डेटा प्रतिधारण उस तक सीमित है जो सख्ती से है

आवश्यक है, यह देखा जाना चाहिए कि, जबकि उन शर्तों कर सकते हैं उद्देश्यों के लिए किए गए उपायों की प्रकृति के अनुसार अलग-अलग

अपराध, फिर भी डेटा का प्रतिधारण जारी रहना चाहिए वस्तुनिष्ठ मानदंड, जो डेटा के बीच एक संबंध स्थापित करते हैं

बनाए रखा जाए और उद्देश्य का पीछा किया जाए। विशेष रूप से, ऐसी स्थितियाँ

व्यवहार में ऐसा दिखाया जाना चाहिए कि वास्तव में घेराबंदी करने के लिए,

उस उपाय की सीमा और इस प्रकार, जनता प्रभावित हुई।

183. डेटा सुरक्षा और डेटा सुरक्षा के उपायों के संबंध में

हमारा आयोजनः

" 122. उन प्रावधानों के लिए उन प्रदाताओं को उचित कदम उठाने की आवश्यकता होती है

प्रभावी सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी और संगठनात्मक उपाय

रखे गए डेटा को दुरुपयोग के जोखिमों से और उनके खिलाफ सुरक्षा

डेटा, उस डेटा की संवेदनशीलता और गैरकानूनी पहुंच का जोखिम इसमें, इलेक्ट्रॉनिक संचार सेवाओं के प्रदाताओं को,

उस डेटा की पूर्ण अखंडता और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए,

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम द्वारा विशेष रूप से उच्च स्तर की सुरक्षा की गारंटी।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

उपयुक्त तकनीकी और संगठनात्मक उपायों के साधन। विशेष रूप से, राष्ट्रीय कानून को यूरोपीय संघ के भीतर डेटा को बनाए रखने और डेटा प्रतिधारण अवधि के अंत में डेटा के अपरिवर्तनीय विनाश के लिए प्रावधान करना चाहिए।

184. BVerfG74 में, जर्मन संवैधानिक न्यायालय ने *02* मार्च, *2010* को एक निर्णय दिया जिसके द्वारा डेटा प्रतिधारण के प्रावधान

अन्य बातों के साथ-साथ, अपराध की रोकथाम के लिए अपनाए गए कानून को डेटा प्रतिधारण प्रदान करने के लिए मानदंडों की कमी के कारण अमान्य कर दिया गया था आनुपातिक।

185. मैक्सिमिलियन श्रेम्स बनाम। डाटा की सुरक्षा

कमिश्नर *75,* सीजेईयू ने ट्रान्साटलांटिक यूएस-ईयू सेफ हार्बर समझौते को रद्द कर दिया, जिसने कंपनियों को इस आधार पर यूरोप से संयुक्त राज्य अमेरिका में डेटा स्थानांतरित करने में सक्षम बनाया कि डेटा की सुरक्षा के लिए पर्याप्त स्तर की सुरक्षा नहीं थी। यह माना गया कि अमेरिकी अधिकारी कर सकते हैं

राष्ट्रीय सुरक्षा की सुरक्षा के लिए कड़ाई से आवश्यक और आनुपातिक से परे डेटा तक पहुंच। विषय के पास अपने डेटा तक पहुँचने, सुधारने या मिटाने का कोई प्रशासनिक या न्यायिक साधन नहीं था।

186. Szabo और *Vissy v.* हंगरी *",* ईसीटीएचआर ने आयोजित किया

सर्वसम्मति से कि मानवाधिकारों पर यूरोपीय समझौते के अनुच्छेद *8 (*निजी और पारिवारिक जीवन, घर और पत्राचार के लिए सम्मान का अधिकार*)* का उल्लंघन किया गया था। यह मामला *2011* में शुरू किए गए गुप्त आतंकवाद-रोधी निगरानी पर हंगरी के कानून से संबंधित है। अदालत ने माना कि विचाराधीन कानून में दुरुपयोग से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं हैं। विशेष रूप से, उपायों के दायरे में हंगरी में लगभग कोई भी शामिल हो सकता है, नई तकनीकों के साथ सरकार को संचालन की मूल सीमा से बाहर के व्यक्तियों से संबंधित डेटा के द्रव्यमान को आसानी से इंटरसेप्ट करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा, इस तरह के उपायों का आदेश पूरी तरह से कार्यपालिका के दायरे में और इस आकलन के बिना किया जा रहा था कि क्या संचार का अवरोधन सख्ती से आवश्यक था। वहाँ

न्यायिक उपायों की तो बात ही छोड़िए, इनमें कोई प्रभावी उपचारात्मक उपाय नहीं थे। अदालत ने कहाः

" 77. ..... कानून के शासन का तात्पर्य है, अन्य बातों के साथ-साथ, कि एक व्यक्तिगत अधिकार के साथ कार्यकारी अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप एक प्रभावी नियंत्रण के अधीन होना चाहिए जिसे आम तौर पर द्वारा आश्वस्त किया जाना चाहिए

न्यायपालिका, कम से कम अंतिम उपाय में "।

74 2.03.2010 , 1 बीवीआर *256/08,1* बीवीआर *263/08,1* बीवीआर *586/08 75 [2016] 2* डब्ल्यू. एल. आर. *873*

76 यूर। सीटी।

187. इस प्रकार, ऊपर उद्धृत विभिन्न मामलों के कानूनों से यह स्पष्ट है कि यूरोप में डेटा संग्रह, उपयोग और भंडारण *(*बायोमेट्रिक डेटा सहित*)*

सीमा, डेटा विभेदन, डेटा अपवाद, डेटा न्यूनतमकरण, मूल और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और सुरक्षा, पारदर्शिता, डेटा सुरक्षा और सुरक्षा। केवल उपरोक्त सिद्धांतों के इस तरह के सख्त पालन से ही राज्य सफलतापूर्वक इन दायित्वों का निर्वहन कर सकता है। अपने नागरिकों के गोपनीयता अधिकारों को प्रभावित करते हुए आनुपातिकता।

188. संयुक्त राज्य अमेरिका में बायोमेट्रिक जानकारी के संग्रह, उपयोग और प्रतिधारण के संबंध में न्यायशास्त्र यूरोपीय संघ से अलग है। में

अमेरिकी संदर्भ में, कोई व्यापक डेटा संरक्षण व्यवस्था नहीं है। ऐसा अमेरिकी सरकार की संघीय प्रणाली के कारण है, कानून प्रवर्तन संघीय, राज्य और स्थानीय के कई स्तर हैं। विभिन्न राज्यों में सूचनात्मक गोपनीयता के लिए अलग-अलग मानक हैं। इसके अलावा, यू. एस. में गोपनीयता के लिए एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण है, यानी डेटा से संबंधित कानून और नियम स्वास्थ्य क्षेत्र या छात्र क्षेत्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न हैं। हालाँकि, ज्यादातर मामलों में, चौथा संशोधन जो सरकार द्वारा "अनुचित खोज और बरामदगी" को प्रतिबंधित करता है, अदालतों द्वारा विभिन्न स्तरों के डेटा संरक्षण की परिकल्पना करने के लिए पढ़ा गया है। *189.* इस मोड़ पर,

हम इस बहस में प्रवेश नहीं कर रहे हैं कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित न्यायशास्त्र को प्राथमिकता दी जानी है या ई. यू.

दृष्टिकोण अधिक उपयुक्त होगा। तथ्य यह है कि नागरिकों के डेटा को संसाधित करने में डेटा सुरक्षा का महत्व एक स्वीकृत मानदंड है।

190. इस मूल सिद्धांत का पालन करना आवश्यक है -

के मौलिक अधिकार के असमान उल्लंघन को रोकें

एक नागरिक की गोपनीयता। अब जिस प्रश्न पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या आधार अधिनियम और नियम डेटा सुरक्षा के इन सिद्धांतों को शामिल करते हैं। हम पहले ही अधिनियम के प्रावधानों पर ध्यान दे चुके हैं, जो डेटा संरक्षण से संबंधित हैं। हालांकि, इस उद्देश्य के लिए अधिनियम के प्रावधानों का एक विस्तृत विश्लेषण उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए जो अन्य क्षेत्राधिकार में मामले की कानून से उभरे हैं और उपरोक्त पैराग्राफ *187* में उल्लिखित हैं।

डेटा का न्यूनतमकरणः

जनसांख्यिकीय विवरण, प्रमाणीकरण रिकॉर्ड, मेटा-संबंधित डेटा लेन-देन*)* भले ही इस तरह के डेटा का कथित उद्देश्य जस्टिस के. एस. पुटास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v* से कोई संबंध नहीं है।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

सब्सिडी, इस प्रकार डेटा न्यूनतमकरण के सिद्धांत का उल्लंघन। एकत्र की गई जानकारी धर्म, वर्ग, सामाजिक स्थिति, आय को इंगित करने के लिए पर्याप्त है।

शिक्षा और अंतरंग व्यक्तिगत विवरण। अधिनियम की धारा *32* के तहत, प्रमाणीकरण रिकॉर्ड केंद्रीय डेटाबेस में विनियमों के तहत निर्धारित तरीके से संग्रहीत किए जाते हैं। प्रमाणीकरण विनियमों के विनियम *26* में यू. आई. डी. ए. आई. को "प्रमाणीकरण लेनदेन डेटा" को संग्रहीत करने की आवश्यकता होती है जिसमें शामिल हैं: *(* ए*)* पी. आई. डी. ब्लॉक सहित प्राप्त प्रमाणीकरण अनुरोध डेटा; *(*बी*)* भेजे गए प्रमाणीकरण प्रतिक्रिया डेटा; *(*सी*)* लेनदेन से संबंधित मेटा डेटा; और *(*डी*)* आवश्यकतानुसार कोई भी प्रमाणीकरण सर्वर साइड कॉन्फ़िगरेशन। प्रमाणीकरण रिकॉर्ड ऐसी जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति और उसकी गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से ट्रैक करने या प्रोफाइल करने के लिए किया जा सकता है और उनका विश्लेषण किया जा सकता है।

192. उत्तरदाताओं के अनुसार, आधार में प्रभावी प्रमाणीकरण के लिए न्यूनतम पहचान जानकारी शामिल है। चार प्रकार की जानकारी आधार प्रदान करने के लिए एकत्र किया गयाः

जन्म, पता और लिंग *(*आधार *(*नामांकन और अद्यतन*)* विनियम, *2016* के विनियम *4 (1)* के साथ पठित धारा *2 (*के*));* *(ii)* वैकल्पिक जनसांख्यिकीय जानकारी *[*धारा *2 (*के*)* के साथ पढ़ें

विनियम, *2016];* *(iii)* गैर-मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी जिसमें फोटोग्राफ शामिल है;

(iv) फिंगर प्रिंट और आईरिस वाली मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी।

स्कैन करें।

193. जनसांख्यिकीय जानकारी, अनिवार्य और वैकल्पिक दोनों, और तस्वीरें गोपनीयता की उचित अपेक्षा नहीं बढ़ाती हैं। अनुच्छेद *21* जब तक कि कानून के टकराव में किशोर या बलात्कार पीड़ित की पहचान जैसी विशेष परिस्थितियों में न हो। आज सभी वैश्विक पहचान पत्रों में पता, जन्म तिथि, लिंग आदि के साथ पहचान के लिए तस्वीरें होती हैं। जनसांख्यिकीय जानकारी विश्व स्तर पर व्यक्तियों द्वारा दूसरों के साथ संबंध बनाते समय पहचान का खुलासा करने के लिए और सरकारी या निजी संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए लाभों की मांग करते समय आसानी से प्रदान की जाती है, चाहे वह नागरिकता, चुनाव, पासपोर्ट, विवाह या शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए पंजीकरण हो। ईमेल आईडी और फोन नंबर भी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं, उदाहरण के लिए टेलीफोन निर्देशिकाओं में। आधार अधिनियम केवल जनसांख्यिकीय जानकारी का उपयोग करता है जो संवेदनशील नहीं है और जहां सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट है

गोपनीयता की कोई उचित अपेक्षा मौजूद नहीं है-नाम, जन्म तिथि, पता, लिंग, मोबाइल नंबर और ई-मेल पता। धारा *2 (*के*)* विशेष रूप से प्रदान करती है कि विनियमों में नस्ल, धर्म, जाति, जनजाति, जातीयता, भाषा, पात्रता के रिकॉर्ड, आय या चिकित्सा इतिहास शामिल नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार, संवेदनशील जानकारी विशेष रूप से बहिष्कृत है।

194. हम पाते हैं कि आधार अधिनियम की धारा *32 (3)* विशेष रूप से प्राधिकरण को प्रमाणीकरण के उद्देश्य के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी जानकारी को एकत्र करने, संग्रहीत करने या बनाए रखने से रोकती है। द.

प्रमाणीकरण विनियमों के विनियम *26* का प्रावधान भी इसी प्रभाव का है।

195. इस प्रकार, डेटा न्यूनतमकरण के सिद्धांत का काफी हद तक पालन किया जाता है।

196. इसके साथ हम कुछ अन्य प्रावधानों का विज्ञापन करते हैं, चुनौती देते हैं

जिसका डेटा की सुरक्षा के लिए खतरे पर आधारित है। ये आधार अधिनियम की धारा *10* के साथ पठित धारा *2 (*सी*),* धारा *2 (*जी*)* और धारा *2 (*एच*)* हैं। धारा *2 (*सी*)* प्रमाणीकरण से संबंधित है। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा

एक व्यक्ति की जानकारी उसके सत्यापन के लिए सी. आई. डी. आर. को प्रस्तुत की जाती है। इसे जमा करने पर, सी. आई. डी. आर. इसकी शुद्धता या कमी की पुष्टि करता है। सी. आई. डी. आर. को धारा *2 (*एच*)* में परिभाषित किया गया है। धारा *10* में कहा गया है कि प्राधिकरण सी. आई. डी. आर. की स्थापना या रखरखाव

के लिए एक या अधिक संस्थाओं को नियुक्त कर सकता है और विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किए गए किसी भी अन्य कार्यों को करने के लिए।

197. जहां तक प्रमाणीकरण प्रक्रिया का संबंध है, उस पर पहले ही ध्यान दिया जा चुका है। जिस तरह से प्रतिवादी प्राधिकारी द्वारा इसे समझाया गया है, वह बहुत अधिक समस्या पैदा नहीं कर सकता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, प्रमाणीकरण की मांग करते समय, न तो उस व्यक्ति का स्थान, जिसकी पहचान सत्यापित की जानी है और न ही जिस उद्देश्य के लिए ऐसी पहचान के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है, प्राधिकरण के संज्ञान में आता है और इसलिए, प्राधिकरण द्वारा एकत्र किए गए ऐसे डेटा। इसलिए, वास्तविक समय की निगरानी और प्रोफाइलिंग के लिए खतरा दूरगामी हो सकता है। उत्तरदाताओं ने समझाया है कि धारा *2 (*डी*)* "प्रमाणीकरण रिकॉर्ड" को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है प्रमाणीकरण के समय का रिकॉर्ड, आरई की पहचान और प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया ", विनियमन *26 (*ए*)* से *(*डी*)* धारा *2 (*डी*)* के दायरे से परे नहीं जाता है। विनियमन *26* के चार खंडों में से कोई भी प्राधिकरण को उस उद्देश्य के बारे में डेटा संग्रहीत करने का अधिकार नहीं देता है जिसके लिए प्रमाणीकरण किया जा रहा है। इसलिए उपकरण केवल प्राधिकरण को आरई की पहचान, पी. आई. डी., प्रतिक्रिया का समय और प्रकृति, उपकरण का कोड और प्रमाणीकरण सर्वर पक्ष जस्टिस के. एस. पुटास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. बता सकता है।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

विन्यास। आरई की पहचान में विवरण शामिल नहीं है

संगठन जो आरई के रूप में प्रमाणीकरण की मांग कर रहा है बड़ी संख्या में सरकारी संगठनों को प्रमाणीकरण सेवा जो

उसके साथ समझौते करें। ऐसा तंत्र प्राधिकरण को गतिविधि की प्रकृति पर नज़र रखने से रोकता है जिसके लिए प्रमाणीकरण की आवश्यकता थी। ठीक से समझाने के लिए। इन एक आरई है जो बड़ी संख्या में सरकारी संगठनों को प्रमाणीकरण सेवा प्रदान करता है जिनके साथ इसके समझौते हैं। प्रमाणीकरण रिकॉर्ड में केवल आरई के बारे में पहचान के बारे में जानकारी होगी। यह केवल आरई *(nic.in)* के बारे में जानकारी देगा न कि उस संगठन के बारे में जिसे आरई के माध्यम से प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। ज्यादातर मामलों में प्रमाणीकरण एक बार होता है। श्री द्विवेदी ने यह भी समझाया है कि एक बार फिर, हो सकता है

संगठन, जिनकी भारत के विभिन्न हिस्सों में शाखाएँ हैं। मान लीजिए कि अपोलो अस्पताल *(*हालांकि वास्तव में यह आरई नहीं है*)* की पांच शाखाएँ हैं।

भारत। यदि अपोलो अस्पताल आरई के रूप में प्रमाणीकरण चाहता है, तो प्रमाणीकरण रिकॉर्ड केवल अपोलो अस्पताल और उसके उपकरण कोड की पहचान बताएगा, लेकिन यह इंगित नहीं करेगा कि अपोलो की कौन सी शाखा प्रमाणीकरण की मांग कर रही थी और देश के किस हिस्से से। इसके अलावा, यह मानते हुए कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक आरई है और प्रवेश और/या निकास के बिंदु पर प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। यह सब रिकॉर्ड दिखाएगा कि ए. एन. एच. ने एक विशेष समय पर हवाई अड्डे में प्रवेश किया है, लेकिन यह नहीं बताएगा कि वह किस विमान से उड़ान भर रहा है और किस गंतव्य पर जा रहा है। बाहर निकलने के समय, यह केवल यह दिखाएगा कि व्यक्ति एक विशेष समय पर हवाई अड्डे से बाहर निकला है। यह

नहीं बताएगा कि वह किस उड़ान से आया है और किस गंतव्य से आया है और किस समय आया है या किसके साथ यात्रा की है।

198. हालाँकि, याचिकाकर्ताओं की अन्य आशंका यह है कि विनियमन *20* और *26/27* के अनुसार सात साल की अवधि के लिए डेटा का भंडारण

आधार *(*प्रमाणीकरण*)* विनियम, *2016* बहुत लंबी अवधि है। हम आधार *(*प्रमाणीकरण*)* विनियम, *2016* के विनियम *26* और *27* को यहाँ पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं:

"26. प्रमाणीकरण लेनदेन डेटा का भंडारण और रखरखाव-*(1)* प्राधिकरण प्रमाणीकरण लेनदेन डेटा को संग्रहीत और बनाए रखेगा, जिसमें निम्नलिखित जानकारी होगी:

(बी*)* भेजे गए प्रमाणीकरण प्रतिक्रिया डेटा; *(*
ग*)* लेन-देन से संबंधित मेटा डेटा; सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2018] 8 एस सी आर।

(घ*)* आवश्यकतानुसार कोई भी प्रमाणीकरण सर्वर साइड विन्यास:

बशर्ते कि प्राधिकरण, किसी भी मामले में, उद्देश्य को संग्रहीत नहीं करेगा

प्रमाणीकरण।

27. भंडारण की अवधि-*(1)* प्रमाणीकरण लेनदेन डेटा प्राधिकरण द्वारा *6* महीने की अवधि के लिए रखा जाएगा, और

इसके बाद पाँच साल की अवधि के लिए संग्रहीत किया गया।

विनियमन *(1),* प्रमाणीकरण लेनदेन डेटा को हटा दिया जाएगा, सिवाय इसके कि जब इस तरह के प्रमाणीकरण लेनदेन डेटा की आवश्यकता हो।
न्यायालय द्वारा या किसी लंबित विवाद के संबंध में बनाए रखा जाए।

199. यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि धारा *10* जो प्राधिकरण को एक या अधिक संस्थाओं, जो निजी संस्थाएं हो सकती हैं, को सी. आई. डी. आर. की स्थापना और रखरखाव के लिए अधिकृत करती है, गोपनीयता के लिए एक गंभीर खतरा है और यह राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा पर भी समझौता करने के बराबर है। जहाँ तक पहले तर्क का संबंध है, उसमें कुछ बल प्रतीत होता है। यदि प्रमाणीकरण ही एकमात्र उद्देश्य है, तो हम यह समझने में विफल रहते हैं कि ऐसा क्यों है।

प्रमाणीकरण रिकॉर्ड को *2 + 5* वर्षों की अवधि के लिए रखने की आवश्यकता होती है। नहीं।

इस संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया गया।

200. जहाँ तक मेटाडेटा के बारे में जानकारी का संबंध है, हम ध्यान दे सकते हैं कि उत्तरदाताओं ने तीन प्रकार के मेटा डेटा के बीच अंतर किया: तकनीकी, व्यवसाय और प्रक्रिया मेटाडेटा। प्रोसेस मेटाडेटा विभिन्न

कार्यों के परिणामों का वर्णन करता है जैसे लॉग की डेटा, प्रारंभ समय, अंतिम समय, उपयोग किए गए सीपीयू सेकंड, डिस्क रीड, डिस्क राइट और संसाधित पंक्तियाँ। यह डेटा लेन-देन को प्रमाणित करने, समस्या निवारण, सुरक्षा, अनुपालन और निगरानी और सुधार के उद्देश्यों के लिए मूल्यवान है। प्रदर्शन। वे प्रस्तुत करते हैं कि इस विनियमन के तहत विचार किया गया मेटाडेटा प्रक्रिया मेटाडेटा है।

201. हालांकि, आधार अधिनियम में मेटाडेटा को परिभाषित नहीं किया गया है। आम बोलचाल में, इसे आंकड़ों के बारे में जानकारी के रूप में समझा जाता है, जिसका उदाहरण श्री सिब्बल ने दिया था कि एक संदेश के पाठ का आदान-प्रदान किया गया था।

दो व्यक्तियों के बीच डेटा ही होगा। हालाँकि, आसपास की परिस्थितियाँ जैसे कि कब संदेश भेजा गया था; किससे और किससे भेजा गया था जिसे संदेश भेजा गया था और जिस स्थान से संदेश भेजा गया था, उसमें मेटा डेटा शामिल होगा। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, श्री द्विवेदी ने यह कहते हुए इसे स्पष्ट करने की कोशिश की थी कि तीन प्रकार के मेटा डेटा हैं, अर्थात्, तकनीकी, व्यवसाय और प्रक्रिया मेटा डेटा। उनके अनुसार, आधार अधिनियम के तहत मेटा डेटा केवल प्रक्रिया मेटा डेटा को संदर्भित करता है।

समर्थन में, उन्होंने जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम. भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

आधार अधिनियम की धारा *2 (*डी*)* का उल्लेख किया गया था जो 'प्रमाणीकरण रिकॉर्ड' को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है प्रमाणीकरण के समय का रिकॉर्ड, अनुरोध करने वाली संस्था की पहचान और प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया। इस प्रकार, उन्होंने प्रस्तुत किया कि विनियमन *26* धारा *2 (*डी*)* से आगे नहीं जाएगा। हालांकि, उपरोक्त स्पष्टीकरण कि मेटा डेटा केवल प्रक्रिया डेटा को संदर्भित करता है, का विशिष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। इस प्रकार, विनियमन *26* में संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि इसे मेटा डेटा को संसाधित करने के लिए प्रतिबंधित किया जा सके और अन्य को बाहर रखा जा सके।

विशेष रूप से मेटा डेटा का प्रकार।

उद्देश्य सीमाः

202. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, कोई उद्देश्य सीमा नहीं है। अधिनियम के तहत एक उद्देश्य के लिए एकत्र की गई पहचान जानकारी का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है कोई अन्य *(*नया*)* उद्देश्य। "लाभ" की परिभाषा *(*धारा *2 (*च*))* और

"सेवा *"(*धारा *2 (*डब्ल्यू*))* और" सब्सिडी *"(*धारा *2 (*एक्स*))*, जिस पर एकत्र किए गए व्यक्तिगत डेटा को लागू किया जाना चाहिए, पहचान योग्य नहीं है। यह है।

कार्यपालिका को यह सूचित करने का अधिकार है कि किसी भी लाभ, उपहार, पुरस्कार, राहत, भुगतान, प्रावधान, सुविधा, उपयोगिता या किसी अन्य सहायता सहायता, समर्थन, अनुदान अनुदान या विनियोग को आधार प्रमाणीकरण पर सशर्त बनाया जा सकता है। इसके अलावा, धारा *57* के तहत, राज्य, एक निकाय निगमित कोई भी व्यक्ति प्रमाणीकरण सुविधा का लाभ उठा सकता है और सी. आई. डी. आर. के तहत जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह कानूनों और अनुबंधों का एक खुला और अनिर्दिष्ट समूह बनाता है जिसके लिए आधार का उपयोग किया जा सकता है और नामांकन और उद्देश्य सीमा के समय सूचित सहमति के सिद्धांत को पराजित करता है।

203. उत्तरदाता यह तर्क देते हुए उपरोक्त प्रस्तुतिकरण का विरोध करते हैं कि आधार अधिनियम के तहत उद्देश्य की सीमा है क्योंकि सी. आई. डी. आर. में बायोमेट्रिक डेटा के उपयोग का उद्देश्य पहचान के लिए प्रमाणीकरण तक सीमित है। आधार धारक को आधार कार्ड के इस तरह के उपयोग के बारे में जागरूक किया जाता है

नामांकन का समय। नामांकन एजेंसी नामांकन विनियमों के तहत व्यक्ति को उस तरीके के बारे में सूचित करने के लिए बाध्य है जिसमें जानकारी का उपयोग किया जाएगा, प्राप्तकर्ताओं की प्रकृति जिनके साथ

प्रमाणीकरण के दौरान जानकारी साझा की जानी चाहिए; और जानकारी प्राप्त करने के अधिकार का अस्तित्व, ऐसी पहुंच के लिए अनुरोध करने की प्रक्रिया और उस व्यक्ति/विभाग का विवरण जिसे अनुरोध किया जा सकता है। व्यक्ति के लिए यह जानकारी नामांकन के लिए उसकी सहमति का आधार है।

204. उत्तरदाताओं के अनुसार, धारा *57* एक सक्षम प्रावधान नहीं है जो आधार को धारा *7* के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है, लेकिन यह एक सीमित प्रावधान है। यह राज्य, निगमित निकाय या सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट द्वारा इसके उपयोग को सीमित करता है।

8 (2) (क*)* निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किसी व्यक्ति की पहचान की जानकारी एकत्र करने से पहले उसकी सहमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध करने वाली संस्थाओं *(*आरई*) (*धारा *57* के तहत प्रमाणीकरण करने के लिए अधिकृत पक्ष*)* की आवश्यकता होती हैः ऐसे तरीके से प्रमाणीकरण जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सके। धारा *8 (3)* इस सहमति को यह अपेक्षा करके सूचित सहमति बनाने में सक्षम बनाती है कि प्रमाणीकरण के लिए अपनी पहचान की जानकारी जमा करने वाले व्यक्ति को उस जानकारी की प्रकृति और उपयोग के बारे में सूचित किया जाएगा जिसे प्रमाणीकरण और पहचान प्रस्तुत करने के विकल्पों पर साझा किया जा सकता है।

अनुरोध करने वाली संस्था को जानकारी। इस पहलू पर बाद के चरण में विस्तार से चर्चा की गई है, क्योंकि यह गोपनीयता पहलुओं को भी छूता है। यहाँ यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि हमने धारा *57* के कुछ हिस्से को अपमानजनक पाया है और इसे असंवैधानिक घोषित किया है।

जहां तक धारा *2 (*एफ*), (*डब्ल्यू*)* और *(*एक्स*)* का संबंध है, इन प्रावधानों पर बाद के चरण में चर्चा की गई है। हम उल्लेख करना चाहेंगे

यहाँ हम इन प्रावधानों को पढ़ चुके हैं। उपरोक्त उपाय उद्देश्य सीमा को भी कम करेगा।

डेटा प्रतिधारण के लिए समय अवधिः

प्रमाणीकरण लॉग को *2* साल की अवधि के लिए बनाए रखें और फिर उन्हें *5* साल के लिए संग्रहीत करें। इसे केवल *7* साल के बाद ही हटाया जाना आवश्यक है जब तक कि अदालत द्वारा बरकरार नहीं रखा जाता है। डेटा को मिटाने या भूल जाने का नागरिक का अधिकार इस तरह के विनियमन से गंभीर रूप से प्रभावित

होता है। किसी भी स्थिति में बायोमेट्रिक जानकारी को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। पंजीकृत किया।

हमें पाँच साल की अवधि के लिए प्रमाणीकरण लेनदेन डेटा को संग्रहीत करने का कोई कारण नहीं मिलता है। ए के लिए इस डेटा का प्रतिधारण

77 पैराग्राफ *320* से *322* तक जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. देखें। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

छह महीने की अवधि पर्याप्त से अधिक है जिसके बाद इसे हटाने की आवश्यकता होती है, सिवाय तब जब इस तरह के प्रमाणीकरण लेनदेन डेटा को अदालत द्वारा या किसी लंबित विवाद के संबंध में बनाए रखने की आवश्यकता होती है।

अतः विनियम *26* और *27* में तदनुसार संशोधन किया जाएगा।

डेटा संरक्षण और सुरक्षाः

206. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अधिनियम में डेटा सुरक्षा और सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं हैं। अधिनियम की धारा *28* जो

डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए किए जाने वाले उपाय। धारा *54* यू. आई. डी. ए. आई. को विभिन्न आंकड़ों से संबंधित विनियम बनाने का अधिकार देती है। प्रबंधन प्रक्रियाएँ, सुरक्षा प्रोटोकॉल और अन्य प्रौद्योगिकी सुरक्षा उपाय। यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा धारा *54* के तहत पारित आधार *(*डेटा सुरक्षा*)* विनियम, *2016*, प्राधिकरण को *"*एक सूचना सुरक्षा नीति*" (*विनियमन *3)* निर्दिष्ट करने का विवेकाधिकार देता है। यह अत्यधिक प्रतिनिधिमण्डल की ओर ले जाता है। वैकल्पिक रूप से, यह संसदीय निरीक्षण के अधीन नहीं रहा है जिसकी धारा *54* के तहत विनियमों को आवश्यकता होती है। इसके अलावा, ए. एस. ए. और आर. ई. *(*प्रमाणीकरण विनियमन *22 (1)* के तहत*)* के विपरीत सी. आई. डी. आर. केंद्रीय डेटाबेस को डेटा केंद्रों में स्थित होने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिगत डेटा निजी संस्थाओं जैसे ए. यू. ए. एस. और के. यू. ए. और अन्य द्वारा सुलभ है।

निजी संस्थाएं जैसे कि बैंक, बीमा कंपनियां और दूरसंचार सेवा प्रदाता। आधार प्रणाली में कई डेटा उल्लंघन हुए हैं। ये इसकी भेद्यता को स्थापित करते हैं। डेटा हैक और डेटा लीक से पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं हैं। डेटा का उपयोग निजी पक्षों द्वारा किया जा रहा है। व्यक्तियों की जानकारी और प्रोफाइल वाले व्यापक डेटाबेस का निर्माण करना। इस प्रकार परियोजना में डेटा और इसकी पारदर्शिता का भी अभाव है।

उपयोग करें।

207. उत्तरदाताओं का तर्क है कि डेटा संग्रह, हस्तांतरण, भंडारण और उपयोग के सभी चरणों में डेटा सुरक्षा और सुरक्षा के लिए मजबूत उपाय किए गए हैं।

संबंधित विवादों पर विचार-विमर्श करने के बाद, हमारी राय है कि विभिन्न पहलुओं पर उत्तरदाताओं द्वारा दी गई निम्नलिखित व्याख्या डेटा सुरक्षा और सुरक्षा को काफी हद तक सुनिश्चित करती है। सीमाः

*(*क*)* सी. आई. डी. आर.

208. आधार *(*डेटा सुरक्षा*)* विनियमन *2016* का विनियमन *3 (*आई*)* और *(*जे*)* सी. आई. डी. आर. नेटवर्क को जोखिम और सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट के आधार पर क्षेत्रों में विभाजित करने में सक्षम बनाता है।

विश्वास और अन्य सुरक्षा उपाय। सी. आई. डी. आर. एक कंप्यूटर संसाधन होने के नाते केंद्र सरकार द्वारा *11.12.2015* पर आई. टी. अधिनियम, *2000* की धारा *70* के तहत "संरक्षित प्रणाली" के रूप में अधिसूचित किया जाता है। कोई भी कोशिश कर रहा है इस प्रणाली में गैरकानूनी रूप से प्रवेश पाने पर *10* साल के कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है। भंडारण में अंत से अंत तक कूटलेखन, तार्किक विभाजन, फायरवॉलिंग और डिक्रिप्ट किए गए बायोमेट्रिक डेटा का अनामकरण शामिल है। जुर्माने के उल्लंघन को अधिनियम के अध्याय *VII* द्वारा दंडात्मक बनाया गया है। बायोमेट्रिक जानकारी को आईटी अधिनियम, *2000* के तहत एक "इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड" और "संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी" माना जाता है। आधार *(*डेटा सुरक्षा*)* विनियमन, *2016* के तहत और भी सुरक्षा उपाय हैं।

*(*ख*)* अनुरोध करने वाली संस्थाएं *(*ए. यू. ए. और के. यू. ए.*)*

209. अन्य पहचान जानकारी केवल प्रमाणीकरण के सीमित उद्देश्य के लिए अनुरोध करने वाली संस्था *(*ए. यू. ए. और के. यू. ए.*)* के साथ साझा की जाती है। डेटा को आरई से एएसए *(*प्रमाणीकरण सेवा एजेंसी*)* को सुरक्षित प्रोटोकॉल *(*प्रमाणीकरण का विनियमन *9)* का उपयोग करके लीज्ड लाइन सर्किटरी के माध्यम से एन्क्रिप्टेड तरीके से सी. आई. डी. आर. में स्थानांतरित किया जाता है।

बिना किसी सार्वजनिक इंटरनेट इनलेट/आउटलेट के, और मूल एन्क्रिप्टेड डेटा *(*पी. आई. डी. ब्लॉक*)* का ऑफ़लाइन भंडारण। सुरक्षा और सुरक्षा प्रावधान हैं जैसे कि सूचना प्रणाली लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा। आरई की नियुक्ति समझौते के माध्यम से की जाती है। आर. ई. यू. आई. डी. ए. आई. की अनुमति से उप-ए. यू. ए. या उप-के. यू. ए. के साथ समझौता कर सकते हैं। जो भी पहचान की जानकारी हो

अनुरोध करने वाली संस्था द्वारा प्राप्त आधार संख्या धारक की एक विशिष्ट सहमति पर आधारित है। आरई के साथ साझा किया गया ई-केवाईसी डेटा आधार धारक की पूर्व सहमति के बाद ही हो सकता है। इस तरह के डेटा को साझा नहीं किया जा सकता है और इसे एन्क्रिप्टेड रूप में संग्रहीत किया जाना चाहिए। उपयोग की जाने वाली बायोमेट्रिक जानकारी को संग्रहीत करने की अनुमति नहीं है, केवल प्रमाणीकरण लेनदेन के लॉग को थोड़े समय के लिए बनाए रखा जाता है। पूर्ण पहचान जानकारी कभी भी आरई को वापस नहीं भेजी जाती है। बायोमेट्रिक साझा करने पर एक वैधानिक प्रतिबंध है

जानकारी *[*धारा *29 (1) (*ए*)/*धारा *29 (4)]*। ए. एस. ए., आर. ई. एस. और सी. आई. डी. आर. के डेटा केंद्र भारत के क्षेत्र के भीतर होने चाहिए।

*(*ग*)* नामांकन एजेंसियां और पंजीयक

210. नामांकन और प्रमाणीकरण प्रक्रियाएँ प्रबल हैं।

विनियमित ताकि डेटा सुरक्षित रहे। नामांकन एजेंसी, जो नामांकन के दौरान व्यक्तियों के बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय को एकत्र करती है, या तो यू. आई. डी. ए. आई. या एक पंजीयक *[*धारा *2 (*ओं*)]* द्वारा नियुक्त की जाती है। पंजीयक की नियुक्ति नामांकन के लिए समझौता ज्ञापनों या समझौतों के माध्यम से की जाती है और उन्हें न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

प्राधिकरण द्वारा जारी आचार संहिता और प्रक्रियाओं, नीतियों और दिशानिर्देशों का पालन करें। वे नामांकन की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं। नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों की श्रेणियां सीमित हैं

नियम। एजेंसी नामांकन और अद्यतन विनियमों के तहत एक प्रमाणित पर्यवेक्षक, एक प्रचालक और एक सत्यापनकर्ता को नियुक्त करती है। पंजीयक,

नामांकन करने वाली एजेंसियां नामांकन के उद्देश्य से यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा प्रदान किए गए या अधिकृत सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए बाध्य हैं। मानक सॉफ्टवेयर में प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा सुविधाएँ हैं। उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरण प्राधिकरण द्वारा जारी विनिर्देश के अनुसार हैं। पंजीयकों को एकत्र की गई जानकारी का उपयोग सी. आई. डी. आर. को जानकारी अपलोड करने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करने से मना किया गया है। नामांकन कार्य के उप-अनुबंध की अनुमति नहीं है। आचार संहिता में गोपनीयता, गोपनीयता और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने और नामांकन की आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट निर्देश हैं। न केवल हेरफेर और धोखाधड़ी प्रथाओं को प्रतिबंधित करने वाले निर्देश हैं, बल्कि अधिनियम में विनियमों के अध्याय *VII* में ऐसे उल्लंघनों के लिए दंडात्मक प्रावधान हैं। नामांकन एजेंसियों को प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध किया जाता है। उन्हें एक नामांकन एजेंसी कोड दिया जाता है जिसका उपयोग करके पंजीयक ऐसी एजेंसी को सी. आई. डी. आर. में भेज सकता है। नामांकन डेटा को केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी *(*सी. आई. डी. आर.*)* प्रमाणित उपकरण और सॉफ्टवेयर पर पंजीयक/नामांकन एजेंसी के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपलोड किया जाता है। डेटा एन्क्रिप्टेड है

पकड़ने के तुरंत बाद। डिक्रिप्शन कुंजी केवल यू. आई. डी. ए. आई. के पास है।

आई. टी. अधिनियम की धारा *2 (*ज़े*),* जो 'सुरक्षित प्रणालियों' को परिभाषित करती है और अधिनियम की धारा *2 (*डब्ल्यू*),* जो 'मध्यस्थों' को परिभाषित करती है, प्रक्रिया पर लागू होती है।

(घ*)* प्रमाणीकरण सेवा एजेंसी

211. प्रमाणीकरण केवल प्रमाणीकरण सेवा एजेंसी *(*ए. एस. ए.*)* के माध्यम से उपलब्ध होता है। उनके द्वारा विनियमित किया जाता है आधार *(*प्रमाणीकरण*)* विनियम, *2016*। उनकी भूमिका और

जिम्मेदारियाँ प्रमाणीकरण विनियमन *19* द्वारा प्रदान की जाती हैं। उन्हें प्रमाणित उपकरणों, उपकरणों या सॉफ्टवेयर का उपयोग करना है जो प्राधिकरण/एजेंसी के साथ विधिवत पंजीकृत या अनुमोदित या प्रमाणित हैं। प्रणालियों और संचालन का लेखा-परीक्षण सूचना प्रणाली लेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। आरईएस ए. एस. ए. के माध्यम से एन्क्रिप्टेड डेटा को सी. आई. डी. आर. को भेजते हैं और प्रतिक्रिया *(*हां/नहीं प्रमाणीकरण या ई-के. वाई. सी. जानकारी*)* भी उसी रास्ते से वापस ले जाती है। ए. एस. ए. के सर्वर को सी. आई. डी. आर. को अग्रेषित करने से पहले प्रमाणीकरण डेटा पैकेट पर बुनियादी अनुपालन और पूर्णता जांच करनी होती है।

(ई) हैकिंग

212. जहाँ तक हैकिंग का संबंध है, उत्तरदाताओं का कहना है कि प्राधिकरण ने पर्याप्त फायरवॉलिंग और अन्य सुरक्षा सुविधाओं को शामिल किया है।

सी. आई. डी. आर. में संग्रहीत बायोमेट्रिक डेटा ऑफ़लाइन संग्रहीत किया जाता है। केवल टेम्पलेट

ऑनलाइन हैं। अभी तक हैकिंग की कोई घटना नहीं हुई है। हालांकि, प्राधिकरण हैकर्स के बारे में सचेत है और डेटा की सुरक्षा के लिए लगातार खुद को अपडेट करता है। हालाँकि, यह उल्लेख किया जा सकता है कि हाल ही में समाचार पत्रों में कुछ रिपोर्टें इस प्रभाव से सामने आई हैं कि कुछ लोग हैक कर सकते हैं

सी. आई. डी. आर. की वेबसाइट, हालांकि यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा इसका जोरदार खंडन किया गया है। चूँकि इस संबंध में केवल समाचार पत्रों की रिपोर्टें हैं जो इन मामलों में सुनवाई के समापन के बाद प्रकाशित हुईं और इसलिए, इस पहलू पर पक्षों को नहीं सुना जा सका, हम मामले के इस पहलू को इस उम्मीद के साथ छोड़ते हैं कि सी. आई. डी. आर. ऐसी किसी भी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के तरीकों और साधनों का पता लगाएगा।

(च) बायोमेट्रिक समाधान प्रदाता

213. सॉफ्टवेयर रखने वाली विदेशी कंपनियों के संबंध में, उत्तरदाताओं का कहना है कि यू. आई. डी. ए. आई. ने सॉफ्टवेयर के लिए विदेशी बायोमेट्रिक समाधान प्रदाताओं *(*बी. एस. पी.*)* के साथ लाइसेंस समझौते किए हैं। यहां तक कि यह सोचा गया कि सॉफ्टवेयर का स्रोत कोड बी. एस. पी. द्वारा बनाए रखा जाता है क्योंकि यह उनकी बौद्धिक संपदा का गठन करता है, सर्वर कक्षों में डेटा है

सुरक्षित क्योंकि सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से काम करता है और बायोमेट्रिक डेटा ऑफ़लाइन संग्रहीत किया जाता है। बी. एस. पी. के पास डेटा निकालने का कोई अवसर उपलब्ध नहीं है क्योंकि उनकी इस तक पहुंच नहीं है।

महत्वपूर्ण, प्रक्रियात्मक या न्यायिक सुरक्षा उपायः

व्यक्तिगत डेटा। धारा *23 (2) (*के*)* जो आधार धारकों की जानकारी को इस तरह से साझा करने की अनुमति देती है, जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति की पहचान की जानकारी सरकार के साथ साझा की जा सकती है। इसमें जनसांख्यिकीय और मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी शामिल हो सकती है, जिसमें डीएनए प्रोफाइल, लिखावट, वॉयस प्रिंट आदि *(*भविष्य में*)* जैसे पहलू शामिल हो सकते हैं। विभिन्न राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं के साथ बाद में जुड़ाव जो ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं, यू. आई. डी. ए. आई. को सक्षम कर सकता है अधिक जानकारी साझा करें। पुलिस आसानी से सभी बायोमेट्रिक जानकारी, व्यक्ति के बैंक खाते, सभी मोबाइल फोन, जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम तक पहुंच प्राप्त कर सकती है।

और किसी भी संबद्ध संबंध से संबंधित मेटा डेटा, सभी म्यूचुअल फंडों, नीतियों आदि से संबंधित जानकारी, ऐसे व्यक्ति द्वारा हवाई या रेल द्वारा यात्रा से संबंधित जानकारी आदि। *215.* अन्य कानूनों के तहत इस तरह की जानकारी के संग्रह के अन्य मामलों में, विस्तृत कानूनी प्रक्रियाएं हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, *1872* की धारा *73* जो साक्ष्य लेने की अनुमति देती है।

"किसी भी *(*विशिष्ट*)* जांच के उद्देश्यों के लिए" या किसी विशेष मामले के तथ्यों के संबंध में दिखाई देने वाले लेखन या हस्ताक्षर की तुलना करने के लिए केवल हस्ताक्षर के नमूने आवश्यक होने पर ही लिए जाते हैं। सी. आर. पी. सी. की धारा *53* अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की चिकित्सीय जांच की अनुमति देती है यदि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार मौजूद हैं कि उसके व्यक्ति की जांच से अपराध करने के बारे में सबूत मिलेगा। इसी तरह विभिन्न अन्य कानूनों में प्रावधान जैसे कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, *1973 (*धारा *34-48);*

धन शोधन अधिनियम, *2002 (*धारा *17-19);* स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, *1985 (*धारा *41-42)* और सीमा शुल्क अधिनियम, *1962 (*अध्याय *13)* जो तलाशी, जब्ती या गिरफ्तारी की अनुमति देता है, और इस तरह व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है, वह भी जांच के तहत किसी विशेष अपराध के साथ संबंध रखता है।

216. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, जांच एजेंसी वर्तमान में कर सकती है

उंगलियों के निशान तक पहुँच, केवल उन नागरिकों के मामलों तक सीमित है जिन्हें अपराध करने के उचित आधार पर गिरफ्तार किया गया था, या कैदियों की पहचान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। ऐसी सभी परिस्थितियों में, न केवल पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं-जैसे कि मजिस्ट्रेट से अनुमति कि जांच के उद्देश्य से संग्रह आवश्यक है, बल्कि वर्तमान में किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति अनुच्छेद *20 (3)* के तहत सुरक्षा का दावा कर सकते हैं, जिससे जांच एजेंसी पर कानून के अनुसार ऐसी जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है। इसके अलावा, आधार अधिनियम के विपरीत, वर्तमान आपराधिक कानूनों में प्राप्त कुछ प्रकार के मुख्य बायोमेट्रिक डेटा *(*कैदियों की पहचान अधिनियम, *1920* की धारा *7)* को नष्ट करने के प्रावधान हैं। आधार अधिनियम के तहत इस तरह के कोई सुरक्षा उपाय मौजूद नहीं हैं।

217. यह भी तर्क दिया जाता है कि धारा *33 (2),* जो एक के निर्देश के तहत पहचान की जानकारी और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड के प्रकटीकरण की अनुमति देती है

जे. टी. के पद से नीचे का अधिकारी नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में केंद्र सरकार के सचिव के पास न्यायिक समीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। निरीक्षण समिति में कोई न्यायिक सदस्य नहीं होता है।

218. उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया कि आधार अधिनियम की धारा *29* मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी के प्रकटीकरण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। बायोमेट्रिक जानकारी किसी के साथ किसी भी कारण से साझा नहीं की जा सकती है।

इस अधिनियम के तहत आधार संख्या बनाने और प्रमाणीकरण के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। धारा *8* यह सुनिश्चित करती है कि प्रमाणीकरण के दौरान, किसी व्यक्ति की बायोमेट्रिक जानकारी का उपयोग केवल केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में जमा करने के लिए किया जाता है।

219. हमारा विचार है कि याचिकाकर्ताओं की अधिकांश आशंकाएं हमारे द्वारा दिए गए उपचार से शांत हो जाती हैं।

कुछ प्रावधान। इनमें से कुछ पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है और कुछ प्रावधानों पर अगले अंक में चर्चा की गई है। हालाँकि, इसका सारांश नीचे दिया जा सकता हैः

(क) प्रमाणीकरण अभिलेखों को छह महीने की अवधि से अधिक नहीं रखा जाना चाहिए, जैसा कि प्रमाणीकरण विनियमों के विनियम *27 (1)* में निर्धारित किया गया है। यह प्रावधान जो पाँच साल की अवधि के लिए अभिलेखों को संग्रहीत करने की अनुमति देता है, माना जाता है

कानून में बुरा।

(ख) लेन-देन से संबंधित मेटाबेज़, जैसा कि वर्तमान रूप में उपरोक्त विनियमों के विनियम *26* में प्रदान किया गया है,

अनुज्ञेय नहीं है, जिसके लिए उपयुक्त संशोधन की आवश्यकता है।

(ग) आधार अधिनियम की धारा *33* को यह स्पष्ट करते हुए पढ़ा जाता है कि एक व्यक्ति, जिसकी जानकारी जारी करने की मांग की जाती है,

सुनवाई का अवसर दिया जाए।

(घ) जहाँ तक वर्तमान रूप में अधिनियम की धारा *33 (2)* है -

चिंतित, वही नीचे मारा जाता है।

(ङ) आधार अधिनियम की धारा *57* का वह भाग जो निगमित निकाय और व्यक्ति को प्रमाणीकरण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, माना जाता है -

असंवैधानिक होना।

(च) हमने उत्तरदाताओं पर भी प्रभाव डाला है, जैसा कि इसके बाद की चर्चा से पता चलता है कि वे न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्णा *(*सेवानिवृत्त*)* के आधार पर एक अधिनियम के रूप में एक मजबूत डेटा संरक्षण व्यवस्था लाएँ। आवश्यक संशोधनों के साथ समिति की रिपोर्ट जो उचित समझी जाए।

220. कानून और नियमों से उपरोक्त प्रावधानों को हटाने के साथ, हलफनामे पर प्राधिकरण के बयान के साथ

कि व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी भी लेन-देन का कोई रिकॉर्ड नहीं है जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत संघ *[ए. के. सिकरी, जे.]*

जो ज्ञात भी है *(*और इसलिए, प्राधिकरण द्वारा इसे बनाए रखने का कोई सवाल ही नहीं है*)*, याचिकाकर्ताओं की अधिकांश आशंकाओं का ध्यान रखा जाता है। साथ ही, हम खुद को जी. सुंदरराजन बनाम के फैसले की याद दिला सकते हैं। भारत संघ *& Ors.78.* उस मामले में, अदालत ने फुकुशिमा आपदा और भोपाल की पृष्ठभूमि में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना में सुरक्षा और जोखिम पर ध्यान दिया

गैस त्रासदी। फिर भी, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के महत्व को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने कहा कि दोनों के बीच संतुलन बनाया जाना चाहिए।

उपाय किए गए हैं। इसने करोड़ों में चल रहे धन के भारी खर्च का उल्लेख किया और कहा कि 'आशंका चाहे कितनी भी वैध हो, परियोजना के औचित्य पर हावी नहीं हो सकती है। इस पृथ्वी पर कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि भविष्य में क्या होगा और काफी हद तक हमें इसे नियति पर छोड़ना होगा। लेकिन एक बार जब औचित्य परीक्षण संतुष्ट हो जाता है, तो आशंका परीक्षण विफल होना तय है। आशंका एक ऐसी चीज है जो हम चिंता या भय, एक भयभीत प्रत्याशा, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकती है, के साथ पूर्वानुमान करें। न्यायालय ने यह भी कहा कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना जीवन के अधिकार को नकारने के लिए नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद *21* के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार की रक्षा के लिए की जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय ने यह विचार रखा कि लोगों के इस हित का उनकी मानवीय गरिमा के लिए सम्मान करने की आवश्यकता है जो कि देवत्व है। हालांकि, इस बात पर भी जोर दिया गया कि परमाणु ऊर्जा का उत्पादन एक परमाणु आवश्यकता थी और यह परियोजना बड़े सार्वजनिक लाभ के लिए थी और इसके परिणामस्वरूप, व्यक्तिगत हित या छोटे सार्वजनिक हित को प्राप्त होना चाहिए। ऐसी स्थिति में, आवश्यकता

'हर स्तर पर पर्याप्त देखभाल, सावधानी और निगरानी और 'निरंतर सतर्कता' पर जोर दिया गया। सुरक्षा और सुरक्षा को अनुच्छेद *21* में पढ़ा गया था।

यह स्वीकार करते हुए कि जोखिम की आनुपातिकता 'शून्य' नहीं हो सकती है, प्रकृति की अप्रत्याशितता को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आपदा से बचने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। निरंतर सतर्कता। न्यायालय के निर्देशों में, यह देखा गया कि 'सुरक्षा बनाए रखना न केवल डिजाइन स्तर पर बल्कि संचालन के दौरान भी एक निरंतर प्रक्रिया है'। वर्तमान मामले में भी हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आधार अधिनियम एक लाभकारी कानून है जिसका उद्देश्य इस देश के लाखों लोगों को सशक्त बनाना है। इस परियोजना के औचित्य पर विस्तार से ध्यान दिया गया है, जिस पर बाद में चर्चा की गई

भी प्रदर्शित करेंगे। ऐसे परिदृश्य में केवल आशंका पर,

परियोजना को स्थगित नहीं किया जा सकता है। साथ ही, डेटा सुरक्षा और डेटा सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि डेटा प्रोफाइलिंग या डेटा लीकेज की दूरस्थ संभावना से भी बचा जा सके।

221. ऊपर चर्चा किए गए वैधानिक प्रावधान के बावजूद, हम

उनका विचार है कि डेटा संरक्षण के लिए एक उचित विधायी तंत्र की आवश्यकता है। सरकार इस आवश्यक आवश्यकता से बेखबर नहीं है। बहस के दौरान महान्यायवादी श्री के. के. वेणुगोपाल ने कहा कि न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्णा *(*सेवानिवृत्त*)* की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था जो मामले को देख रही थी। उक्त समिति ने तब से अपनी रिपोर्ट दे दी है।

222. इस संबंध में, यह उल्लेख करना उपयुक्त हो सकता है कि

डेटा संरक्षण और सूचनात्मक गोपनीयता पर पहली व्यापक रिपोर्ट सेवानिवृत्त निदेशक की अध्यक्षता में भारतीय योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञों के समूह द्वारा तैयार की गई थी। न्यायमूर्ति ए. पी. शाह ने *16* अक्टूबर, *2012* को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट की पांच मुख्य विशेषताओं से गोपनीयता की रक्षा करने वाले कानून के लिए एक वैचारिक आधार के रूप में काम करने की उम्मीद थी। विशेषज्ञ समूह द्वारा सुझाई गई रूपरेखा पाँच मुख्य विशेषताओं पर आधारित थीः *(i)* अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ तकनीकी तटस्थता और अंतःक्रियाशीलता*; (ii)* बहुआयामी गोपनीयता*; (iii)* राज्य और गैर-राज्य संस्थाओं के लिए क्षैतिज प्रयोज्यता*; (iv)* गोपनीयता सिद्धांतों के अनुरूपता*;* और *(v)* एक सह-नियामक प्रवर्तन व्यवस्था।

223 केंद्र सरकार ने *31* जुलाई *2017* को एक

सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में समिति। न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्णा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, देश में डेटा संरक्षण मानदंडों की समीक्षा करने और सिफारिशें करने के लिए। समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट और व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, *2018* का पहला मसौदा जारी किया है जो व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को व्यापक रूप से संबोधित करता है जहां इस तरह के डेटा को एकत्र किया गया है, खुलासा किया गया है, साझा किया गया है या अन्यथा किया गया है

संसाधित

भारत के क्षेत्र के भीतर। विधेयक में यूरोप के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन *(*ई. यू. जी. डी. पी. आर.*)* के प्रावधानों और सिद्धांतों को शामिल किया गया है।

224. मसौदा विधेयक डेटा की पारंपरिक अवधारणाओं की जगह लेगा।

नियंत्रक अर्थात वह इकाई जो डेटा और डेटा विषय को संसाधित करती है अर्थात *79* " गोपनीयता पर विशेषज्ञों के समूह की रिपोर्ट *"(16* अक्टूबर*, 2012),* भारत सरकार, एच. टी. पी. पर उपलब्ध हैः //नियोजन आयोग। ठीक है। इन/रिपोर्ट्स/जेनरेप/रेप _ प्राइवेसी।

पी. डी. एफ. जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

प्राकृतिक व्यक्ति जिसका डेटा एकत्र किया जा रहा है, डेटा 'प्रत्ययी' और डेटा 'प्रमुख' के साथ। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच विश्वास आधारित संबंध बनाना है।

दो। *225.* विधेयक में बड़े पैमाने पर ई. यू. जी. डी. पी. आर. और ई. यू. डेटा संरक्षण न्यायशास्त्र से डेटा संरक्षण सिद्धांतों को शामिल किया गया है, जिसमें निष्पक्ष और

डेटा का उचित प्रसंस्करण, उद्देश्य सीमा, संग्रह सीमा, वैध प्रसंस्करण, भंडारण सीमा, डेटा की गुणवत्ता और जवाबदेही। मसौदा विधेयक और रिपोर्ट में क्रमशः डेटा न्यासी और डेटा नियंत्रक के अधिकारों और दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इन अधिकारों में पहुंच और सुधार का अधिकार, डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार और भूल जाने का अधिकार-एक न्यासी द्वारा व्यक्तिगत डेटा के प्रकटीकरण को रोकने या प्रतिबंधित करने का अधिकार शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डेटा संरक्षण कानून के मसौदे में सहमति को एक महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। इस प्रकार, व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए एक प्राथमिक आधार व्यक्तिगत सहमति होनी चाहिए। इस सहमति को स्वतंत्र, सूचित, विशिष्ट, स्पष्ट और एक महत्वपूर्ण जोड़ में, वापस लेने में सक्षम होना आवश्यक है। विधेयक के तहत प्राधिकरण डेटा के दुरुपयोग और समझौते से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाध्य और सशक्त है। *226.* डेटा न्यासी द्वारा 'संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा' *(*एसपीडी*)* के रूप में वर्गीकृत बायोमेट्रिक डेटा का प्रसंस्करण अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को अनिवार्य करता है।

(विधेयक के अध्याय *IV* के तहत उल्लिखित*)*। उदाहरण के लिए, डेटा न्यासी को विधेयक के प्रावधानों के तहत डेटा संरक्षण प्रभाव मूल्यांकन करना आवश्यक है। मसौदा विधेयक डेटा प्रिंसिपल को किसी भी सेवा या लाभ के प्रावधान के लिए कानून द्वारा अधिकृत राज्य के किसी भी कार्य के लिए बायोमेट्रिक डेटा के प्रसंस्करण की अनुमति देता है। बच्चों के संवेदनशील और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, डेटा न्यासियों को बच्चों की प्रोफाइलिंग, ट्रैकिंग, या व्यवहार निगरानी, या लक्षित विज्ञापन, और व्यक्तिगत डेटा का कोई अन्य प्रसंस्करण करने से रोक दिया जाएगा जो बच्चे को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकता है।

पहचान और एन्क्रिप्शन और सुरक्षा के लिए आवश्यक अन्य कदम व्यक्तिगत डेटा की अखंडता और दुरुपयोग, अनधिकृत पहुंच, संशोधन, प्रकटीकरण या व्यक्तिगत डेटा के विनाश को रोकने के लिए। डेटा न्यासी को डेटा न्यासी द्वारा संसाधित किसी भी व्यक्तिगत डेटा से संबंधित किसी भी व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन के बारे में प्राधिकरण को तुरंत सूचित करना आवश्यक है, जहां इस तरह के उल्लंघन से किसी भी डेटा प्रमुख को नुकसान होने की संभावना है। इसमें शिकायत निवारण का प्रावधान भी शामिल है।

228. मसौदा विधेयक राज्य द्वारा डेटा को संसाधित करने के लिए कई अपवाद और छूट देता है। ये ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ डेटा प्रमुखों और डेटा न्यासियों के अधिकार और दायित्व समग्र रूप से लागू नहीं हो सकते हैं। ऐसी स्थितियों में राष्ट्रीय सुरक्षा, अपराध की रोकथाम, मानव विकास के लिए संसाधनों का आवंटन, राजस्व की सुरक्षा आदि शामिल हैं। समिति का कहना है कि पुट्टास्वामी निर्णय में ऐसे अपवादों की परिकल्पना राज्य के वैध हितों और आनुपातिकता परीक्षण को संतुष्ट करने के रूप में की गई है। *229.* श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट और डेटा संरक्षण विधेयक का मसौदा हमारे देश में डेटा संरक्षण कानून की पहली अभिव्यक्ति है। उन्होंने ई. यू. जी. डी. पी. आर. से प्रेरित कई प्रगतिशील डेटा संरक्षण सिद्धांतों को शामिल किया है। वास्तव में एक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से इस कानून को और बेहतर बनाने की गुंजाइश हो सकती है, हालांकि, हम एक व्यापक डेटा संरक्षण व्यवस्था से बहुत दूर नहीं हैं जो हमारे कानूनों और कानूनी प्रणाली के भीतर सूचनात्मक और डेटा गोपनीयता को बढ़ाती है। हम आशा करते हैं कि निकट भविष्य में एक मजबूत वैधानिक व्यवस्था होगी।

230. उपरोक्त चर्चा हमें यह मानने के लिए प्रेरित करती है कि सुरक्षा आधार द्वारा बनाई गई एक निगरानी राज्य होने जा रही है परियोजना अच्छी तरह से स्थापित नहीं है, और किसी भी मामले में, कुछ उल्लंघनकारी प्रावधानों को हटाने के साथ किए गए अंतर अभ्यास द्वारा ध्यान रखा जाता है।

अपने वर्तमान रूप में।

निजताः

क्या आधार अधिनियम निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है और है
इस आधार पर असंवैधानिक*?*

(इस मुद्दे पर अधिनियम की धारा *7* और धारा *8* के संदर्भ में विचार किया जाता है।*)*

231. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि गोपनीयता और गरिमा का अधिकार और व्यक्तिगत स्वायत्तता विभिन्न मामलों द्वारा स्थापित की गई है। गोबिंद वी. एम. पी. *880* के राज्य में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

"मनुष्य की आध्यात्मिक प्रकृति, उसकी भावनाओं और उसकी बुद्धि का महत्व और जीवन के दर्द, सुख, संतुष्टि का केवल एक हिस्सा भौतिक चीजों में पाया जा सकता है और इसलिए उन्हें व्यक्ति को प्रदान किया गया माना जाना चाहिए।
सरकार, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ उसे अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए।

80 (1975) 2 एस. सी. सी. *148* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

XX

XX

XX

24. निजता के किसी भी अधिकार को व्यक्तिगत रूप से शामिल और संरक्षित करना चाहिए।
घर, परिवार, विवाह, मातृत्व की अंतरंगताएँ,

प्रजनन और बाल पालन। के लिए यह सूची दृष्टिकोण
प्रश्न स्पष्ट रूप से उतना शिक्षाप्रद नहीं है जितना कि यह विश्लेषणात्मक नहीं देता है।

शायद, एकमात्र सुझाव जिसे एकजुट करने के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है
अवधारणा में अंतर्निहित सिद्धांत यह दावा किया गया है कि ए

दावा किया गया अधिकार अवधारणा में निहित एक मौलिक अधिकार होना चाहिए।
आदेशित स्वतंत्रता।

25. संविधान में नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रताएँ निर्धारित की गई हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व और वे

उनके व्यक्तित्व पर मुहर लगी चीजें आधिकारिक से मुक्त होंगी।

हस्तक्षेप सिवाय वहाँ जहाँ घुसपैठ के लिए एक उचित आधार मौजूद हो।
"सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता "प्रोफेसर द्वारा गढ़ा गया एक वाक्यांश

कॉर्विन इस विचार को जोरदार तरीके से व्यक्त करते हैं। इस मायने में, कई
नागरिकों के मौलिक अधिकारों को योगदान के रूप में वर्णित किया जा सकता है

निजता का अधिकार।

26. जैसा कि एली कहते हैं:

इसका मतलब है बिना सरकार के जीवन जीने की स्वतंत्रता।
हस्तक्षेप। लेकिन न्यायालय स्पष्ट रूप से इस शब्द का उपयोग नहीं करता है।

न ही ऐसा हो सकता है, क्योंकि हर मामले में ऐसा अधिकार दांव पर है।

232. संक्षेप में दोहराने के लिए, के. एस. पुट्टास्वामी का निर्णय

निम्नलिखित की पुष्टि की है

((i) निजता हमेशा एक प्राकृतिक अधिकार और सही स्थिति रही है।

गोबिंद से शुरू होने वाले कई निर्णयों द्वारा स्थापित किया गया है। निजता व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व पर नियंत्रण रखने के अधिकार का एक सहवर्ती है। समान रूप से, गोपनीयता भाग *III* में किसी भी गारंटी के आनंद के लिए आवश्यक शर्त है। निजता के मौलिक अधिकार में कम से कम तीन पहलू शामिल होंगे-*(i)* किसी व्यक्ति के भौतिक शरीर में घुसपैठ, *(ii)* सूचनात्मक गोपनीयता और *(iii)* पसंद की गोपनीयता। इसके अलावा, गोपनीयता का एक पहलू व्यक्तिगत जानकारी के प्रसार को नियंत्रित करने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और छवि पर नियंत्रण रखने में सक्षम होने का अधिकार होना चाहिए जैसा कि दुनिया में चित्रित किया गया है और अपने व्यावसायिक उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार होना चाहिए।

पहचान।

((ii) निजता की पवित्रता गरिमा के साथ इसके कार्यात्मक संबंध में निहित है। निजता यह सुनिश्चित करती है कि एक व्यक्ति मानव व्यक्तित्व के आंतरिक भागों को अवांछित घुसपैठ से सुरक्षित करके गरिमापूर्ण जीवन जी सके। जबकि गोपनीयता की वैध अपेक्षा अलग-अलग हो सकती है निजी क्षेत्र से अंतरंग क्षेत्र और निजी से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र तक, यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि गोपनीयता केवल इसलिए नहीं खोती है या आत्मसमर्पण नहीं किया जाता है क्योंकि व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर है। निजता गरिमा का एक अभिधारणा है

स्वयं। निजता की चिंता तब उत्पन्न होती है जब राज्य नागरिक के शरीर और दिमाग में घुसपैठ करना चाहता है।

((ग) निजता स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और गरिमा के लिए अंतर्निहित है। निजता का अधिकार संविधान के भाग-*3* द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं में निहित है।

संविधान और निजता मानव गरिमा का एक तत्व है। निजता का मौलिक अधिकार संविधान के भाग-*III* से प्राप्त होता है और इस अधिकार की मान्यता के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। निजता केवल एक व्युत्पन्न संवैधानिक अधिकार से अधिक है। यह संविधान के पाठ में गारंटीकृत अधिकारों का आवश्यक आधार है।

((iv) निजता में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विषय होते हैं। नकारात्मक सामग्री राज्य को जीवन में घुसपैठ करने से रोकती है।

और एक नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसकी सकारात्मक सामग्री राज्य पर व्यक्ति की गोपनीयता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का दायित्व लगाती है।

(v) सूचनात्मक गोपनीयता निजता के अधिकार का एक पहलू है। पुरानी कहावत है कि 'ज्ञान ही शक्ति है' का पद के लिए स्पष्ट प्रभाव पड़ता है।

व्यक्ति की जहाँ डेटा सर्वव्यापी है, एक सर्वव्यापी उपस्थिति। एक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता का प्रत्येक लेन-देन उसकी जानकारी के बिना इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक छोड़ देता है। व्यक्तिगत रूप से ये सूचना सिलोस प्रतीत हो सकते हैं

अप्रासंगिक। एकत्रीकरण में, जानकारी प्राणियों की एक तस्वीर प्रदान करती है। बिग डेटा गोपनीयता के लिए जो चुनौती पेश करता है, वह राज्य और गैर-राज्य दोनों संस्थाओं से उत्पन्न होती है।

(vi) निजता के अधिकार को न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और निष्पक्षता के बिना बाधित नहीं किया जा सकता है।

उचित कानून। इसे आनुपातिकता की कसौटी को पूरा करना होता है अर्थात *(i)* किसी कानून का अस्तित्व *(ii)* राज्य के वैध उद्देश्य को पूरा करना चाहिए और *(iii)* आनुपातिकता।

233. हमने उपरोक्त पैराग्राफ *85* में वर्गीकरण पर भी टिप्पणी की है।

गोपनीयता, अर्थात्, 'हानि', 'हित' और 'अधिकारों के एकत्रीकरण' के आधार पर। हमने जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम के साथ निजता के अधिकार के दायरे पर भी चर्चा की है।

हाथ में मामलों और उन परिस्थितियों का संदर्भ जिसमें ऐसा अधिकार सीमित हो सकता है। इस प्रक्रिया में, हमने नरीमन, जे. द्वारा के. एस. पुट्टास्वामी में दिए गए फैसले के अंश पर भी ध्यान दिया है, जिसमें कहा गया है कि जिस तरह से कानून को इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि यह निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, उसका परीक्षण किया जाना चाहिए। इन सभी विचारों और मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, हम गोपनीयता के अधिकार पर तर्क से निपटने के लिए आगे बढ़ते हैं। *234.* यह तर्क दिया जाता है कि

आधार परियोजना ने पूर्व-अधिनियम अवधि *(2009/10*-जुलाई, *2016)* के दौरान व्यक्तिगत जनसांख्यिकीय के साथ-साथ एकत्र, संग्रहीत और साझा की गई बायोमेट्रिक जानकारी के संबंध में गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन किया क्योंकि इन कार्यों को अधिकृत करने वाला कोई कानून नहीं था। डिजिटल समाज में एक व्यक्ति को इस तरह की व्यक्तिगत जानकारी के प्रसार को नियंत्रित करके अपनी रक्षा करने का अधिकार है। किसी व्यक्ति को सेवा के कई स्थानों पर अपना बायोमेट्रिक लगाकर अपनी पहचान स्थापित करने के लिए मजबूर करना उस व्यक्ति की निजता का उल्लंघन है। अलग-अलग डेटा आधारों में आधार की सीडिंग एक व्यक्ति के बारे में जानकारी की सामग्री को एकत्रित करने में सक्षम बनाती है जिसे विभिन्न साइलो में संग्रहीत किया जाता है। यह राज्य को डेटा के अभिसरण के माध्यम से गोपनीयता का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की पूरी प्रोफ़ाइल बनाने में सक्षम बनाता है।

पहचान*)* सूचनात्मक गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करता है। किसी व्यक्ति के अधिकारों और अधिकारों को उसकी शारीरिक अखंडता और उसकी निजी जानकारी के आक्रमण पर निर्भर नहीं किया जा सकता है जिसे व्यक्ति राज्य के साथ साझा करने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। धारा *7* में अंतर्निहित सौदा एक असहनीय, असंवैधानिक सौदा है। धारा *7* भारत के संविधान के भाग *III* के साथ-साथ भाग *IV* दोनों में निहित संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ है। *236.* इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि आज सबसे तेजी से बढ़ते व्यवसाय नेटवर्क ऑर्केस्ट्रेटर हैं, फेसबुक और उबर की पसंद, जो साथियों के एक नेटवर्क को फिर से बनाते हैं जिसमें प्रतिभागी बातचीत करते हैं और निर्माण में मूल्य साझा करते हैं। इन नेटवर्क ऑर्केस्ट्रेटरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति जानकारी है। हालाँकि, व्यक्ति इन संस्थाओं के साथ जानकारी साझा करते हैं, लेकिन ऐसी जानकारी बिखरी हुई है, किसी एक *[2018] 8* एस. सी. आर. में केंद्रित नहीं है।

प्राधिकरण या एकत्रित। यदि जानकारी, विभिन्न साइलो में एकत्र की जाती है

समग्र और केंद्रीकृत, यह किसी व्यक्ति की पूरी प्रोफ़ाइल तक आसान पहुँच प्रदान कर सकता है, जिसमें उसके सामाजिक समूह, प्रवृत्ति, आदतें, झुकाव, स्वाद आदि शामिल हैं। ऐसी जानकारी की कुंजी रखने वाली इकाई तब एक अत्यंत शक्तिशाली स्थिति में होगी, विशेष रूप से यदि ऐसी इकाई राज्य है। चूँकि सूचनात्मक गोपनीयता गोपनीयता के अधिकार का एक हिस्सा है, इसलिए इसे सहेजना पड़ा। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि के. एस. पुट्टास्वामी में माननीय न्यायालय द्वारा एकत्रित की जा रही जानकारी के महत्व को इस प्रकार नोट किया गया था:

"300 ..... फिर भी एक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता और प्रत्येक साइट का प्रत्येक लेनदेन

कि वह जाती है, आम तौर पर उसके बिना इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक छोड़ देती है ज्ञान। इन इलेक्ट्रॉनिक पटरियों में शक्तिशाली साधन होते हैं -

ऐसी जानकारी जो उस व्यक्ति के प्रकार का ज्ञान प्रदान करती है जो

उपयोगकर्ता है और उसकी रुचियाँ हैं। व्यक्तिगत रूप से, ये सूचना सिलोस

व्यक्तित्व के बारे में: भोजन की आदतें, भाषा, स्वास्थ्य, शौक, यौन संबंध वरीयताएँ, दोस्ती, पहनावा और राजनीतिक संबद्धता के तरीके। में।

एकत्रीकरण, जानकारी अस्तित्व की एक तस्वीर प्रदान करती हैः चीज़ों की

कौन सी बात मायने रखती है और कौन सी नहीं, खुलासा की जाने वाली चीजें और

सबसे अच्छा छिपा हुआ।

XX

XX

XX

305. डेनियल जे सोलोव "एकत्रीकरण" की समस्या से संबंधित हैं।
व्यवसाय और सरकारें अक्सर विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को एकत्रित करती हैं।

सूचना के टुकड़े, जिसमें जानकारी के टुकड़े शामिल हैं जो हो सकते हैं
एक विस्तृत चित्र बनाने के लिए अलगाव में निजी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए

व्यक्तियों के व्यक्तित्व और व्यवहार। फिर भी, यह अब सार्वभौमिक है

इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि सूचना और डेटा का प्रवाह तेजी से बढ़ रहा है

सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के लिए केंद्रीय "। व्यक्तियों की पहचान की जाती है
कर अभिलेख, मतदान की पात्रता और सरकार के संदर्भ में

अधिकार प्रदान किए गए। अब जिसे "वीलैंट" के रूप में वर्णित किया गया है
पैनोप्टिक संयोजन ', जहाँ सामान्य के माध्यम से डेटा एकत्र किया जाता है

नागरिकों की निगरानी प्रथाएं राज्य की निगरानी के लिए अपना रास्ता खोजती हैं

मैकेनिक एनएस, उन निगमों के माध्यम से जो उस डेटा को रखते हैं।
237. यह आगे तर्क दिया गया कि आनुपातिकता का परीक्षण नहीं था

यह संतुष्ट करता है क्योंकि एकत्र की गई जानकारी की सीमा 'राज्य के सम्मोहक हित' के अनुपात में नहीं है। विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया गया जहां इस न्यायालय द्वारा आनुपातिकता का सिद्धांत स्थापित किया गया है।

न्याय में के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

अध्यक्ष, अखिल भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड बनाम। के श्याम कुमार और अन्य, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दियाः

"37. ..... आनुपातिकता के लिए अदालत को यह निर्णय करने की आवश्यकता होती है कि क्या की गई कार्रवाई की वास्तव में आवश्यकता थी और साथ ही यह भी कि क्या यह कार्रवाई के पाठ्यक्रमों की सीमा के भीतर थी जिसका उचित रूप से पालन किया जा सकता था। आनुपातिकता लक्ष्यों और इरादे से अधिक संबंधित है

निर्णय लेने वाला और क्या निर्णय लेने वाले ने कमोबेश सही संतुलन या संतुलन हासिल किया है। न्यायिक समीक्षा का कार्य सौंपे गए न्यायालय ने जांच की है कि क्या निर्णय लिया गया है।

प्राधिकरण द्वारा लिया गया आनुपातिक है अर्थात अच्छी तरह से संतुलित और सामंजस्यपूर्ण, इस हद तक अदालत योग्यता समीक्षा में लिप्त हो सकती है और यदि अदालत को लगता है कि निर्णय आनुपातिक है, तो वह शायद ही कभी लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप करती है और यदि उसे लगता है कि निर्णय असमान है, यानी यदि अदालत को लगता है कि यह अच्छी तरह से संतुलित या सामंजस्यपूर्ण नहीं है और यह हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं है।

238. मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के फैसले की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया, जिसमें इस न्यायालय ने चारों की स्थापना की।

आनुपातिकता का अंग परीक्षण। यह तर्क दिया गया कि आधार उसमें निर्धारित परीक्षण को पूरा करने में विफल रहा।

239. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने के स्थान और समय का विवरण जानने के लिए राज्य के लिए कोई बाध्यकारी हित नहीं है। इसी तरह, पहचान के लिए कई अन्य तरीके उपलब्ध हैं। प्रस्तुतिकरण यह था कि आधार परियोजना का एक उद्देश्य भारत में सरकारी सब्सिडी लाभों और सेवाओं के वितरण में लक्षित वितरण सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य के लिए पहचान भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न अन्य पहचान दस्तावेजों द्वारा की जा सकती है, जैसे कि पासपोर्ट, मतदान कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य सरकार के एक अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एनआरईजीए द्वारा जारी नौकरी कार्ड, एक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा रोजगार प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड/भारतीय मूल कार्ड का पी. आई. ओ./ओ. सी. आई.। लागू करने का कोई औचित्य नहीं है

धारा *7* के तहत पहचान के अनन्य साधन के रूप में आधार, जिसके बिना कोई व्यक्ति अपने अधिकारों को सुरक्षित करने में असमर्थ होगा। इस तरह का जनादेश न केवल किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करेगा और

किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, लेकिन अनुचित रूप से वंचित भी करता है

एक ऐसे आधार पर उसके अधिकारों का व्यक्ति जिसका ऐसे अधिकारों को प्राप्त करने के उसके अधिकार से बहुत कम संबंध है।

240. जॉर्डन और ओआरएस बनाम के मामले में निर्णय। स्टेट *82* को भी उद्धृत किया गया था जिसमें सैक्स एंड ओ 'रेगन जे. जे. थे। सहमति से माना कि निरंतरता

गोपनीयता अधिकारों की शुरुआत अलंघनीय आंतरिक स्व से होती है, घर में चले जाते हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ समाप्त होती है; और वह प्रतिबद्धता

गरिमा शरीर की अलंघनीयता और मूल्य में बहुत अधिक मूल्य का निवेश करती है। निर्णयात्मक गोपनीयता व्यक्तियों को अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने की अनुमति देती है, और यह आत्मनिर्णय के अधिकार का एक पहलू है। यह है। व्यक्तिगत स्वायत्तता द्वारा रेखांकित, जो राज्य को नागरिकों को कठपुतली के रूप में उपयोग करने और उनके शरीर और निर्णयों को नियंत्रित करने से रोकती है। सूचनात्मक गोपनीयता एक व्यक्ति के दिमाग से संबंधित है और इसमें *(i)* गुमनामी, *(ii)* गोपनीयता और *(iii)* स्वतंत्रता शामिल है। इस पर आधारित है

यह धारणा कि किसी व्यक्ति के बारे में सभी जानकारी मौलिक रूप से उसकी अपनी है, उसके लिए संवाद करना या अपने लिए बनाए रखना जैसा वह उचित समझती है।

241. यह प्रस्तुत किया गया था कि राज्य और गैर-राज्य दोनों अभिनेताओं के खिलाफ गोपनीयता अधिकार। निजता के अधिकार के बीच राज्य के खिलाफ और गैर-राज्य अभिनेताओं के खिलाफ एक गुणात्मक अंतर है। सुब्बा राव। खरक सिंह में जे की असहमति पर भरोसा किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि केंद्रित और केंद्रीकृत राज्य शक्ति का अस्तित्व, इसके वास्तविक या संभावित उपयोग के बजाय, जो डरावना प्रभाव पैदा करता है और नागरिकों की स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता पर मनोवैज्ञानिक संयम की ओर ले जाता है। इसलिए, व्यक्तियों को राज्य से निजता की अधिक अपेक्षा होती है। इसके विपरीत, यह भी प्रस्तुत किया गया कि राज्य असमान और अनुचित राज्य मजबूरी लागू कर रहा था। राज्यों के पास अपने नागरिकों को विशेष कार्य करने के लिए मजबूर करने की शक्ति नहीं है, सिवाय एक संकीर्ण स्थिति के।

डिटेक्टर परीक्षण या जबरन नसबंदी से गुजर रहे हैं। बल का उपयोग सीमित परिस्थितियों में किया जा सकता है जैसे कि कानून तोड़ने के लिए सजा, कानून प्रवर्तन की सहायता में मजबूरी, और कानून का पालन करने के लिए मजबूर होना। संभावित कानून-उल्लंघन को रोकें। इनमें जुर्माना, कारावास शामिल हैं।

अपराधियों और कैदियों के लिए फिंगरप्रिंट संग्रह। यहां तक कि चिकित्सा न्यायशास्त्र में भी, सामान्य कारण का मामला *v.* भारत संघ *83* ने विस्तार से बताया

82 (2002) जेडएसीसी *22* *83 2005* की रिट याचिका *(*सिविल*)* सं. *215* न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.*

भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

गरिमा, शारीरिक अखंडता और निर्णयात्मक स्वायत्तता की अवधारणाओं पर। डी. एन. ए. परीक्षणों और रक्त परीक्षणों के लिए उच्च मानक साक्ष्य की आवश्यकता होती है। इसी तरह 'उपचार से इनकार' संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संवैधानिक रूप से संरक्षित स्वतंत्रता हित है जैसा कि क्रूज़न बनाम के मामले में कहा गया है। निदेशक, मिसौरी विभाग। स्वास्थ्य *84.*

242. याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा कि हालांकि आधार अधिनियम को स्पष्ट रूप से किसी की पहचान स्थापित करने के लिए एक स्वैच्छिक पात्रता के रूप में तैयार किया गया है।

आधार अधिनियम की धारा *4 (3)* के साथ पठित धारा *3* के तहत पहचान, धारा *7* और *57* के तहत कार्यकारी और निजी संस्थाओं की कार्रवाइयों ने आधार को वास्तविक रूप से अनिवार्य बना दिया है। इस प्रकार

निवासियों को वैधानिक अधिकारों और सेवाओं तक निरंतर पहुंच के लिए आधार संख्या प्राप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। *252* केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा धारा *7 (30.11.2017* के अनुसार*)* के तहत सरकारी योजनाओं को अधिसूचित किया गया है।

विकलांग व्यक्तियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए और हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास सहित सेवाओं, सब्सिडी और लाभों का लाभ उठाने के लिए आधार एक पूर्ववर्ती शर्त है। इसे भी अनिवार्य कर दिया गया है। मोबाइल सेवाओं, बैंकिंग और कर भुगतान, सी. बी. एस. ई. के छात्रों के पंजीकरण आदि के लिए। इस प्रकार यह व्यक्ति के जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। साथ ही, आधार अधिनियम में कोई ऑप्ट आउट विकल्प नहीं है, जो सहमति को अपरिवर्तनीय बनाता है और व्यक्तियों को अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने की क्षमता से वंचित करता है।

243. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, धारा *7* की इस तरह की अनिवार्य प्रकृति अनुच्छेद *14* का उल्लंघन करती है। वे प्रस्तुत करते हैं कि अनिवार्य प्रमाणीकरण है

समाज के सबसे हाशिए पर पड़े वर्गों के बहिष्कार का कारण बना और बना रहा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए नामांकन संख्या रखने या आधार प्रमाणीकरण से गुजरने का प्रमाण अनिवार्य है। यह नागरिकों पर "अनुचित बोझ" पैदा करता है जो असंवैधानिक है। सफल मासिक प्रमाणीकरण सभी परिचर आधार प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों के सामंजस्यपूर्ण काम करने पर निर्भर है - अर्थात। आधार को सही करें-सीडिंग, सफल फिंगरप्रिंट पहचान, मोबाइल और वायरलेस कनेक्टिविटी, बिजली, कार्यात्मक पी. ओ. एस. मशीन और सर्वर

हर बार क्षमता। यह उम्र, अक्षमता *(e.g.leprosy),* काम के वर्ग *(*जैसे शारीरिक श्रम*)* और स्वाभाविक रूप से संभावित क्षमता पर भी निर्भर करता है। बायोमेट्रिक की प्रकृति। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण *2016* की रिपोर्ट है कि झारखंड और झारखंड में प्रमाणीकरण विफलताएं *49* प्रतिशत तक रही हैं।

84 497 यूएस *361 (1990)*

37 % राजस्थान में, यह मानते हुए कि "वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करने में विफलता के परिणामस्वरूप बहिष्करण त्रुटि होती है"।

244. बहिष्करण केवल गरीबों का सवाल नहीं है

कार्यान्वयन जिसे प्रशासनिक रूप से हल किया जा सकता है, लेकिन अधिनियम की रचना से ही उत्पन्न होता है, यानी पहचान की प्राथमिक विधि के रूप में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग। कानूनी अधिकारों का निर्धारण यू. आई. डी. ए. आई. से सकारात्मक प्रमाणीकरण प्रतिक्रिया पर निर्भर है। बायोमेट्रिक तकनीक *100%* सटीकता की गारंटी नहीं देती है और अपरिहार्य गलत सकारात्मक और गलत के साथ दोषपूर्ण है।

नकारात्मक जो इस तरह की संभावित प्रणाली की डिजाइन खामियां हैं, विशेष रूप से क्योंकि समय के साथ बायोमेट्रिक्स भी बदलते हैं। *245.* अधिनियम के कारण होने वाले वर्गीकरण में तर्कसंगत संबंध का अभाव है। किसी व्यक्ति की पात्रता स्थिति पर निर्भर करती है, न कि प्रमाण पर।

आधार; और जो सफलतापूर्वक प्रमाणित करते हैं, और जो नहीं करते हैं। यह देखते हुए कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों के बीच शारीरिक श्रम में संलग्न वृद्ध, विकलांग और व्यक्तियों के लिए बायोमेट्रिक बेमेल होने की संभावना सबसे अधिक है-आवधिक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करने के निर्णय का इस वर्ग के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का प्रत्यक्ष और असमान प्रभाव पड़ता है। यह विभाजन प्राप्त करने के लिए स्थिति के सवाल के साथ कोई तर्कसंगत संबंध नहीं रखता है। लाभ होता है। यह कम समावेशन की ओर ले जाता है, और इस प्रकार मनमाना है, जिसके कारण

अनुच्छेद *14* का उल्लंघन।

संस्थागत संरचना जिसके माध्यम से निवासियों को अधिकार प्राप्त हो रहे थे। आधार को अनिवार्य रूप से लागू करना यह चुनने के उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है कि सरकार के समक्ष खुद को कैसे पहचानना है। उचित और गैर-घुसपैठ फैशन। आधार को अनिवार्य बनाने पर,

नागरिक के भोजन के अधिकार और ऐसे अधिकारों की उचित पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करने के लिए राज्य पर एक सहसंबंधी कर्तव्य के बजाय, राज्य अपने नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को देनदारियों में बदलने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है।

247. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, अनुच्छेद *21* के उल्लंघन को स्थापित करने के बाद, आक्रमण के सिद्धांत के तहत उचित नहीं है

आनुपातिकता। कल्याणकारी न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* को समाप्त करने का राज्य का प्राथमिक औचित्य।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

लीकेज और "बेहतर लक्ष्यीकरण" सुनिश्चित करना न्यायिक जांच के दायरे में नहीं आता है। सबसे पहले, यह यह दिखाने के अपने बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा है कि कथित रिसाव विशेष रूप से पहचान धोखाधड़ी के कारण हुआ था।

और यह कि अगर आधार लागू किया जाता है तो वे रिसाव मौजूद नहीं होंगे।

राज्य ने कोई अनुभवजन्य आंकड़ा नहीं दिया है। पात्रता धोखाधड़ी, मात्रा धोखाधड़ी और पहचान धोखाधड़ी के कारण रिसाव मौजूद हैं। याचिकाकर्ता के हलफनामों में दायर अध्ययनों से पता चलता है कि पात्रता और मात्रा धोखाधड़ी रिसाव का महत्वपूर्ण कारण है। यह मानते हुए कि आधार अधिनियम रिसाव को रोकता है, बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली, सबसे अच्छा, केवल पहचान धोखाधड़ी से संबंधित रिसाव को ठीक कर सकती है। सरकार का बचत का दावा अन्य बातों के साथ-साथ रु। *14,000* पी. डी. एस. प्रणाली में *2.33* करोड़ राशन कार्डों को हटाने के कारण करोड़ों रुपये गलत, बढ़ा-चढ़ाकर और गलत धारणाओं पर आधारित हैं।

निम्नलिखित कारणों से:

(क) यह माना जाता है कि पीडीएस में रिसाव का कोई अनुमान नहीं है, और न ही यह देखने के लिए कोई अध्ययन किया गया है कि क्या पी. ओ. एस. मशीनें हैं।
पीडीएस अनियमितताओं को दूर करने में प्रभावी;

(बी) यह "फर्जी/अयोग्य राशन कार्ड" *(*पात्रता धोखाधड़ी*)* के मुद्दे को पहचान धोखाधड़ी के साथ जोड़ता है;

(ग) 2,33 करोड़ के आंकड़े में पश्चिम बंगाल शामिल है, जहां प्रत्येक व्यक्ति को राशन कार्ड जारी किए जाते हैं।

गृहस्थी;

(घ) आधार-एकीकरण और सीडिंग लागू होने से पहले ही इन *2.33* करोड़ कार्डों में से बड़ी संख्या को हटा दिया गया था।

(ई) बचत के आंकड़े में वे पात्र लाभार्थी भी शामिल हैं जिन्हें लिंक करने में विफलता के कारण सूची से हटा दिया गया है।

आधार ठीक से; और

(च) यह गोपनीयता के नुकसान की लागत को महत्व नहीं देता है। सबसे अधिक
महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के बचत के आंकड़े तक पहुंचने का आधार नहीं है

का खुलासा किया गया।

इसी तरह, आधार-सक्षम प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का उपयोग करते हुए एलपीजी बचत के संदर्भ में गलत कथन किए गए हैं *(*'डी. बी. टी.*)* योजना जिसे पहल के नाम से जाना जाता है।

दूसरा, यह दिखाने में विफल रहा है कि कैसे

आधार उपरोक्त किसी भी आधार पर नुकसान के कारणों को रोकेगा। आधार विक्रेता द्वारा शरारत के अपने अनूठे रूपों के लिए अतिसंवेदनशील है।

तीसरा, राज्य यह प्रदर्शित करने में विफल रहा है कि अन्य, कम आक्रामक तरीके समस्या का समाधान करने में काफी खराब होंगे, विशेष रूप से हाल के अध्ययनों को देखते हुए जिसमें पीडीएस प्रणाली के भीतर काम करने के लिए तैयार किए गए नवाचारों के कारण पीडीएस रिसाव में उल्लेखनीय कमी पाई गई है; खाद्य कूपन, रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, डोरस्टेप डिलीवरी, एस. एम. एस. अलर्ट, सामाजिक ऑडिट और टोल-फ्री हेल्प लाइन जैसे विकल्पों पर ध्यान नहीं दिया गया है। चौथा, आनुपातिकता की अनुपस्थिति आगे व्यवस्थित बहिष्करण के तथ्य से स्थापित होती है।

248. उत्तरदाताओं ने उपरोक्त सभी प्रस्तुतियों का निम्नलिखित तरीके से सबसे मजबूत तरीके से खंडन किया:

(i) निजता की कोई उचित अपेक्षा नहीं

शुरुआत में यह तर्क दिया गया था कि गोपनीयता का अधिकार तब मौजूद होता है जब गोपनीयता की उचित अपेक्षा होती है। के. एस. पुट्टास्वामी निर्णय, अमेरिकी मामला कानून, यू. के. मामला कानून और ई. सी. एच. आर. के अनुच्छेद *8* पर यूरोपीय मामलों को उचित की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए संदर्भित किया गया था। गोपनीयता की अपेक्षा। प्रस्तुतिकरण यह था कि अधिनियम सार्वजनिक और संबंधपरक क्षेत्र में काम करता है न कि मूल, निजी या व्यक्तिगत क्षेत्र में।

निवासियों से। इसमें प्रभावी प्रमाणीकरण के लिए न्यूनतम पहचान जानकारी शामिल है। उद्देश्य पहचान के लिए प्रमाणीकरण तक सीमित है। आधार अधिनियम, *2016* की धारा *29* संबंधित ए. एन. एच. की पूर्व सहमति के बिना पहचान की जानकारी के प्रकटीकरण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। साझा करना केवल प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आधार अधिनियम के तहत एकत्र की गई पहचान की जानकारी के संबंध में गोपनीयता की कोई उचित अपेक्षा नहीं है।

प्रमाणीकरण और इसलिए अनुच्छेद *21* आकर्षित नहीं है।

249. उत्तरदाता बताते हैं कि आधार *(i)* प्रदान करने के लिए चार प्रकार की जानकारी एकत्र की जाती है। नाम, जन्म तिथि, पता और लिंग सहित अनिवार्य जनसांख्यिकीय जानकारी *(*आधार *(*नामांकन और अद्यतन*)* विनियम, *2016* के विनियम *4 (1)* के साथ पठित धारा *2 (*के*));* वैकल्पिक जनसांख्यिकीय जानकारी *(*आधार *(*नामांकन और अद्यतन*)* विनियम, *2016* के विनियम *4 (2)* के साथ पठित धारा *2 (*के*))*। *(iii)* गैर-मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी जिसमें फोटोग्राफ शामिल है। *(iv)* फिंगर प्रिंट और आईरिस स्कैन सहित मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी।

250. जनसांख्यिकीय जानकारी, अनिवार्य और वैकल्पिक दोनों, और तस्वीरें न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम के तहत गोपनीयता की उचित अपेक्षा नहीं बढ़ाती हैं।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

अनुच्छेद *21* जब तक कि कानून के टकराव में किशोर या बलात्कार पीड़ित की पहचान जैसी विशेष परिस्थितियों में न हो। आज सभी वैश्विक पहचान पत्रों में पता, जन्म तिथि, लिंग आदि के साथ पहचान के लिए तस्वीरें होती हैं। जनसांख्यिकीय जानकारी विश्व स्तर पर व्यक्तियों द्वारा दूसरों के साथ संबंध बनाते समय पहचान का खुलासा करने के लिए और सरकारी या निजी संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए लाभों की मांग करते समय आसानी से प्रदान की जाती है, चाहे वह नागरिकता, चुनाव, पासपोर्ट, विवाह या शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए पंजीकरण हो। ईमेल आईडी और फोन नंबर भी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं, उदाहरण के लिए टेलीफोन निर्देशिकाओं में। आधार अधिनियम केवल जनसांख्यिकीय जानकारी का उपयोग करता है जो संवेदनशील नहीं है और जहां

गोपनीयता की कोई उचित अपेक्षा मौजूद नहीं है-नाम, जन्म तिथि, पता, लिंग, मोबाइल नंबर और ई-मेल पता। धारा *2 (*के*)* विशेष रूप से प्रदान करती है कि विनियमों में नस्ल, धर्म, जाति, जनजाति, जातीयता, भाषा, पात्रता के रिकॉर्ड, आय या चिकित्सा इतिहास शामिल नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार, संवेदनशील जानकारी विशेष रूप से बहिष्कृत है।

251. पहचान के उद्देश्य से चेहरे की तस्वीरें गोपनीयता की उचित अपेक्षा द्वारा कवर नहीं की जाती हैं। अप्रकाशित को छोड़कर

गोपनीय स्थितियों से संबंधित अंतरंग तस्वीरें और तस्वीरें पहचान के लिए चेहरे की सामान्य तस्वीरों के संबंध में गोपनीयता का कोई क्षेत्र नहीं होगा। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, स्कूल में प्रवेश, परीक्षा प्रवेश पत्र के लिए लोगों द्वारा चेहरे की तस्वीरें दी जाती हैं। रोजगार कार्ड, व्यवसायों में नामांकन और यहां तक कि अदालतों में प्रवेश के लिए भी। अपने दैनिक जीवन में हम एक-दूसरे को चेहरे से पहचानते हैं जो हर समय सभी के संपर्क में रहता है। चेहरे की तस्वीर अपने आप में कोई जानकारी नहीं बताती है।

252. सम्मान के साथ गोपनीयता की कोई उचित अपेक्षा नहीं है।

फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन के लिए क्योंकि वे व्यक्ति के अंतरंग या निजी क्षेत्र से संबंधित नहीं हैं, बल्कि केवल प्रमाणीकरण के लिए उपयोग किए जाते हैं।

आइरिस स्कैन और कुछ नहीं बल्कि आँख की एक तस्वीर है, जो चेहरे की तस्वीर के समान तरीके से ली गई है। उंगलियों के निशान और आईरिस स्कैन सक्षम नहीं हैं

उद्देश्य की पूर्ति के अलावा व्यक्ति के बारे में किसी भी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करना

पहचान की। फिंगरप्रिंट का उपयोग बड़े पैमाने पर बायोमेट्रिक उपस्थिति, लैपटॉप और मोबाइल में किया जाता है। यहां तक कि जब एक पर गोपनीयता का अधिकार मौजूद है

फिंगरप्रिंट, यह कमजोर होगा। फिंगर प्रिंट और आईरिस स्कैन को किसी व्यक्ति की पहचान करने का सबसे सटीक और गैर-आक्रामक तरीका माना गया है। इन्हें राज्य द्वारा पासपोर्ट, वीजा और पंजीकरण के लिए लिया जाता है और निजी उपयोग के लिए मोबाइल फोन, लैपटॉप, लॉकर आदि में भी उपयोग किया जाता है। *120* देशों द्वारा ई-पासपोर्ट में विशिष्ट पहचान के लिए बायोमेट्रिक्स का उपयोग किया जा रहा है।

(ii) आनुपातिकता परीक्षण में कम से कम घुसपैठ और सख्त जांच परीक्षण लागू नहीं होते हैं।

विद्वान महान्यायवादी ने आनुपातिकता के परीक्षण पर जोर देते हुए तर्क दिया कि "कम से कम घुसपैठ परीक्षण" लागू नहीं होता है। उन्होंने भरोसा किया

विभिन्न यू. एस. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जिन्होंने स्पष्ट रूप से परीक्षण को खारिज कर दिया और मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर का मामला जो आनुपातिकता परीक्षण करते समय कम से कम घुसपैठ माप परीक्षण का उपयोग नहीं करता है।

Mr.Dwivedi का तर्क है कि आनुपातिकता परीक्षण करते समय राज्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के सबसे कम घुसपैठ करने वाले साधन को भारतीय अदालतों द्वारा निर्णयों के एक समूह में खारिज कर दिया गया है क्योंकि इसमें एक मूल्य निर्णय या विधान का दूसरा अनुमान शामिल है। इस तरह का परीक्षण विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन का उल्लंघन करता है। यह मानते हुए भी कि 'कम से कम घुसपैठ

विधि' परीक्षण लागू होता है, पहचान की कम से कम घुसपैठ विधि निर्धारित करने का अभ्यास एक तकनीकी अभ्यास है और इसे अदालत में नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं, जिन्होंने एक विकल्प के रूप में स्मार्टकार्ड प्रस्तुत किए हैं, ने यह स्थापित नहीं किया है कि स्मार्टकार्ड आधार कार्ड प्रमाणीकरण प्रक्रिया की तुलना में कम घुसपैठ करते हैं।

परीक्षण के लिए 'सख्त जांच परीक्षण' को लागू करने का तर्क

याचिकाकर्ताओं द्वारा आधार अधिनियम की संवैधानिकता त्रुटिपूर्ण थी। सख्त जांच परीक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका में परिकल्पित एक परीक्षण है, जो केवल 'अति संदिग्ध कानूनों' पर लागू होता है। यह मजबूरी इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि उचित प्रतिबंधों का दायरा विशेष रूप से अमेरिकी संविधान में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। यह कानूनों की जांच को छोड़ देता है अमेरिकी संविधान में उचित प्रक्रिया खंड के आधार पर अदालतें। इस तरह का परीक्षण भारत में लागू नहीं होता है। अशोक कुमार ठाकुर *(2008) 6* एस. सी. सी. *1* में, अदालत ने सख्त जांच, संकीर्ण सिलाई के परीक्षण का उल्लेख किया।

और सम्मोहक रुचि और यह देखा कि इन सिद्धांतों को नहीं माना जा सकता है यह सीधे भारत में लागू होता है क्योंकि सकारात्मक कार्रवाई संवैधानिक रूप से समर्थित है।

((iii) अधिनियम आनुपातिकता परीक्षण को संतुष्ट करता है।

एल. डी. महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि आधार अधिनियम जिस वैध राज्य हित को पूरा करता है, वह है आधार के रिसाव और अपव्यय को रोकना।

सब्सिडी और सामाजिक कल्याण लाभ जो आधार अधिनियम की धारा *7* के तहत आते हैं। वह यह भी प्रस्तुत करता है कि व्यापक सार्वजनिक/राज्य हित

यह राज्य द्वारा तय किया जाना है और न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* द्वारा इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

न्यायपालिका। राज्य ने उचित विचार-विमर्श के बाद 'स्मार्ट कार्ड' और अन्य वैकल्पिक मॉडलों के विचार को अस्वीकार कर दिया था।

विद्वान महान्यायवादी ने सार्वजनिक वितरण में रिसाव, बर्बादी, उच्च लागत और अक्षमताओं को उजागर करने वाली विभिन्न रिपोर्टों का हवाला दिया

प्रणाली, मनरेगा योजना और ईंधन सब्सिडी। उन्होंने तेरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट *2010-2015* का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि देश के सभी निवासियों के लिए एक बायोमेट्रिक-आधारित अद्वितीय पहचान के निर्माण में सरकार की आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल पात्र व्यक्तियों को ही सब्सिडी प्रदान की जाए और सभी पात्र व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जाए। उन्होंने *2014-15* और *2015-16* के आर्थिक सर्वेक्षणों का भी हवाला दिया, जिनमें से दोनों ने आधार के लाभों पर

विस्तार किया। *2015-16* सर्वेक्षण में कहा गया है कि आधार के उपयोग ने एलपीजी और मनरेगा में लीकेज को काफी कम कर दिया है, जिसमें गरीबों को सीमित रूप से बाहर रखा गया है

आधार संख्या वाले परिवारों के एलपीजी ग्राहक संख्या 'भूत' को हटा दें और परिवारों को लाभार्थी सूची से डुप्लिकेट करें। संयुक्त राष्ट्र ने 'किसी को पीछे नहीं छोड़ना' शीर्षक से अपनी रिपोर्ट में कहाः समावेशी विकास की अनिवार्यता ', भारत के निर्णय की प्रशंसा की

श्री द्विवेदी ने तर्क दिया है कि सकल घरेलू उत्पाद का *3* प्रतिशत जो खरबों रुपये की राशि है, सरकारों द्वारा सब्सिडी, छात्रवृत्ति के लिए आवंटित किया जाता है। पेंशन, शिक्षा, खाद्य और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम। लेकिन इसका लगभग आधा हिस्सा इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुंचता है। इस समस्या को ठीक करने के लिए आधार आवश्यक है क्योंकि कोई अन्य पहचान नहीं है।

दस्तावेज़ जो व्यापक रूप से और आम तौर पर देश के निवासियों के पास है और अधिकांश पहचान दस्तावेज़ पोर्टेबिलिटी की गुणवत्ता का आनंद नहीं लेते हैं। इसके अलावा, आधार इस पर आश्वासन और सटीकता प्रदान करता है।

नकली, नकली और भूत कार्डों के अस्तित्व का विवरण, की प्रक्रिया के माध्यम से

डी-डुप्लिकेशन और प्रमाणीकरण। डी-डुप्लिकेशन तीन उप प्रणालियों द्वारा सुनिश्चित किया जाता हैः - *(i)* जनसांख्यिकीय डी-डुप्लिकेशन *(ii)* मल्टी-ए. बी. आई. एस. मल्टी मोडल बायोमेट्रिक डी-डुप्लिकेशन *(iii)* मैनुअल निर्णय। बायोमेट्रिक प्रणाली *99.86%* से अधिक की उच्च सटीकता प्रदान करती है। मिश्रित बायोमेट्रिक है केवल सटीकता बढ़ाने और उन त्रुटियों को कम करने के लिए अपनाया गया है जो कुछ निवासियों के पास या तो बायोमेट्रिक्स नहीं होने या कुछ विशेष बायोमेट्रिक नहीं होने के कारण उत्पन्न हो सकती हैं।

(iv) अधिनियम अनुच्छेद *21* के तहत जीवन के अधिकार के विभिन्न पहलुओं को सशक्त बनाता है।

पशु अस्तित्व लेकिन मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार जिसमें भोजन का अधिकार, आश्रय का अधिकार, रोजगार का अधिकार, चिकित्सा देखभाल का अधिकार आदि शामिल हैं। इन अधिकारों को पूरा करना न्यूनतम आक्रमण को उचित ठहराएगा नागरिकों की निजता का अधिकार।

प्रत्यर्थी के वकील ने जी. सुंदरराजन बनाम के मामले का भी उल्लेख किया। भारत संघ *'7* जिसमें याचिकाकर्ता

कुडनाकुलम परमाणु संयंत्र द्वारा उत्पन्न जोखिम के कारण उनके जीवन के अधिकार के उल्लंघन को चुनौती दी। न्यायालय ने परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के बीच संतुलन स्थापित किया, जो आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और परमाणु आपदा के खतरे से उत्पन्न अनुच्छेद *21* के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार के उल्लंघन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था। अदालत ने कहा कि डिजाइन और संचालन दोनों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए थे, इसलिए जीवन के अधिकार का उल्लंघन उचित था।

253. 'भ्रामक सहमति' के तर्क का खंडन किया गया था

यह प्रस्तुत करना कि अधिनियम की धारा *7* जिसमें भारत की संचित निधि से जुड़े लाभ, सेवा या सब्सिडी की प्राप्ति के लिए अनिवार्य रूप से आधार की आवश्यकता होती है, किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है। इसमें दो मौलिक अधिकारों का संतुलन शामिल हैः निजता का अधिकार और संविधान के अनुच्छेद *21* के तहत भोजन, आश्रय और रोजगार का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य का सकारात्मक दायित्व। आधार लीकेज को समाप्त करके और यह सुनिश्चित करके अनुच्छेद *21* को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है कि किसी भी योग्य व्यक्ति को उसके अधिकार से वंचित न किया जाए। अधिनियम का उद्देश्य अर्थात वास्तविक लाभार्थियों को सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का कुशल, पारदर्शी और लक्षित वितरण, भारत के गरीब लोगों के अनुच्छेद *21* के विभिन्न पहलुओं को आगे बढ़ाना और अन्य बातों के साथ-साथ अनुच्छेद *38,39,41,43,47* और *48* के साथ राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को आगे बढ़ाना है। *87 (2013) 6* एस. सी. सी. *670* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम।

भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

254. यह आगे तर्क दिया गया कि धारा *7* बिल्कुल भी प्रतिबंध नहीं है और इसके लिए मौलिक अधिकारों के समर्पण की आवश्यकता नहीं है। यह केवल सब्सिडी, लाभ या सेवा की प्राप्ति के लिए एक नियामक प्रक्रिया है। धारा *7* का उद्देश्य अनुच्छेद *21* और अनुच्छेद *14* के तहत मौलिक अधिकार को बढ़ाना है। गरीबों और वंचितों के मौलिक अधिकारों को पुनर्जीवित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने और लाभ, सेवा या सब्सिडी की हेराफेरी को रोकने के लिए, प्रमाणीकरण से गुजरने की शर्त के अनुपालन की आवश्यकता होती है।

255. आधार अधिनियम की धारा *7* संविधान के अनुच्छेद *21* द्वारा मान्यता प्राप्त मानव गरिमा के अधिकार की रक्षा करती है। आधार का उपयोग साधन के रूप में किया जाता है।

सेवाओं, लाभों और सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए प्रमाणीकरण। भारत के समेकित कोष से वित्त पोषित कल्याणकारी योजनाएं जैसे कि पीडीएस, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन, एलपीजी सब्सिडी, मुफ्त शिक्षा यह सुनिश्चित करती हैं कि नागरिकों के जीवन और गरिमा के अधिकार को लागू किया जा रहा है, जिसमें न्याय *(*सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक*)* शामिल है। यह गरीबों, दलितों और समाज के अन्य दलित वर्गों और वर्गों को सुधारने की दृष्टि से असमानता को भी समाप्त करता है।

वे व्यक्ति या संस्था जिनके साथ वह संबंध बनाना चाहते हैं। यह अधिक तब होता है जब व्यक्ति रोजगार, सेवा, सब्सिडी या लाभ चाहता है। इसके अलावा, आधार सार्वभौमिक प्रकृति का है, किसी भी अन्य पहचान पत्र के विपरीत जो पोर्टेबल नहीं हैं। उनका आम तौर पर एक स्थानीय मूल्य और सीमित उद्देश्य होता है।
257. याचिकाकर्ताओं की इस दलील के जवाब में कि आधार व्यक्तियों की संख्या को कम कर देता है, यह प्रस्तुत किया गया था कि आधार संख्या प्रमाणीकरण के लिए बिल्कुल आवश्यक है और इसका उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता ने पहचान और पहचान की अवधारणाओं को मिला दिया है। प्रमाणीकरण केवल एक पहचान प्रक्रिया है और किसी व्यक्ति की पहचान को नहीं बदलता है। इसके अलावा आधार संख्या एक यादृच्छिक रूप से उत्पन्न संख्या है और इसका सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट से कोई संबंध नहीं है

व्यक्तियों की विशेषताएँ। यह प्रशासनिक सुविधा के लिए परीक्षकों को कोड आवंटित करने वाले परीक्षक के समान है।

इस उद्देश्य से वे लाभार्थियों की निजता के अधिकार का अतिक्रमण कर सकते हैं। राज्य को निजता के अधिकार और लाभार्थियों के जीवन के अधिकार के बीच एक उचित संतुलन बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए वकील द्वारा प्रस्तुत एक उदाहरण मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, *2013* है, जो एक स्कैवेंजर्स के अधिकार को प्रतिबंधित करता है।

अनुच्छेद *19 (*जी*)* के तहत किसी भी पेशे, व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय का अभ्यास करना अनुच्छेद *21* और *17* को पुनर्जीवित करने का आदेश है। वकील ने बौनेपन की प्रथा का भी उदाहरण दिया, जिसे फ्रांस में प्रतिबंधित कर दिया गया था। कानून को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह इसका अभ्यास करने वाले के आर्थिक अधिकार में हस्तक्षेप करता है। चुनौती को इस आधार पर नकार दिया गया था कि स्वैच्छिक होने के बावजूद इस तरह की प्रथा की अनुमति देना मानवाधिकार समिति द्वारा मानव गरिमा का अपमान होगा। कुछ विकल्प संविधान द्वारा ही प्रतिबंधित/निषिद्ध हैं *(*अनुच्छेद *17,18,23* और *24)*। अनुच्छेद *23* जबरन श्रम को समाप्त करता है इसलिए यह उन लोगों को भी प्रतिबंधित करता है जो इसमें शामिल होने का विकल्प चुनते हैं।

ऐसा करने से जबरन श्रम में। वास्तव में उपरोक्त परिणाम

मौलिक अधिकार को बढ़ाना। व्यक्ति एक ऐसी सामाजिक स्थिति से मुक्त होता है जो मानव गरिमा से कम है। इसी तरह अधिनियम की धारा *7* में मानव को बढ़ाने के उद्देश्य से एक पहचान शामिल है।

गरिमा।

259. आधार के कारण बहिष्कार के तर्क के जवाब में, विद्वान अटॉर्नी जनरल ने यह कहते हुए जवाब दिया कि यदि प्रमाणीकरण

एक से अधिक प्रयासों के बावजूद, आधार संख्या के कब्जे को अन्यथा साबित किया जा सकता है, यानी आधार कार्ड दिखाकर। और जिनके पास आधार संख्या नहीं है, वे नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं और नामांकन आईडी संख्या प्रस्तुत कर सकते हैं)। *260.* इससे पहले कि हम संबंधित प्रस्तुतियों का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ें, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति से संबंधित सभी मामले गोपनीयता के अधिकार के अंतर्निहित हिस्से के रूप में योग्य नहीं हैं। केवल वे मामले जिन पर गोपनीयता की उचित अपेक्षा होगी, अनुच्छेद *21* द्वारा संरक्षित हैं। इसे निर्णय के अनुच्छेद *297* से *307* के पठन से समझा जा सकता है, जिनके प्रासंगिक भाग पहले ही ऊपर उद्धृत किए जा चुके हैं।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

261. हम यह भी स्पष्ट कर सकते हैं कि गोपनीयता के तर्कों की जांच आधार अधिनियम की धारा *7* और *8* और उससे संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में की जाती है। आधार अधिनियम के अन्य प्रावधानों की वैधता, जिन

पर इन कार्यवाहियों में सवाल उठाया जाता है, पर अलग से विचार किया जाता है। आधार अधिनियम की धारा *7* के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी भी सब्सिडी लाभ या सेवाओं का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे आधार संख्या प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है और इसलिए, ऐसे व्यक्ति के लिए यह लगभग अनिवार्य हो जाता है। उस हद तक याचिकाकर्ताओं का यह कहना सही हो सकता है कि भले ही आधार में नामांकन स्वैच्छिक हो, लेकिन यह उन लोगों के लिए अनिवार्य नामांकन की प्रकृति मानता है जो धारा *7* के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। इसी तरह, धारा *8* में उल्लिखित प्रमाणीकरण भी अनिवार्य हो जाता है। इसलिए, प्रासंगिक प्रश्न यह है कि क्या इस गोपनीयता में आक्रमण तीन आवश्यकताओं या गोपनीयता के अधिकार को पूरा करता है। *((i)* कानून की आवश्यकताः संसद ने अब आधार अधिनियम, *2016* पारित कर दिया है। इसलिए, एक क़ानून के रूप में विषय पर कानून बहुत

बहुत कुछ क्षेत्र को नियंत्रित करता है और इस प्रकार, पहली आवश्यकता पूरी हो जाती है। हम इस स्तर पर इंगित कर सकते हैं कि *2009* से अवधि के रूप में *(*जब

प्राधिकरण के निर्माण के साथ आधार योजना की शुरुआत अधिसूचना सं। ए-*43011/02/2009*-प्रशासन। मैंने दिनांक *28* जनवरी, *2009* को आधार अधिनियम के लागू होने की तारीख यानी *26* मार्च, *2016* तक, यह है

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जहां तक इस अवधि का संबंध है, यह किसी भी कानून द्वारा समर्थित नहीं है और इसलिए, *28* जनवरी की अधिसूचना, *2009* इस आधार पर ही इसे निरस्त किया जाना चाहिए और *2009* से *2016* तक आधार योजना के तहत नामांकन सहित किए गए सभी कार्यों को लागू किया जाना चाहिए।

अमान्य किया गया। इस पहलू पर हम बाद में चर्चा करने का प्रस्ताव करते हैं। इस समय हम आधार अधिनियम की शक्तियों पर गौर कर रहे हैं। उस संदर्भ में, पहली आवश्यकता पूरी हो गई है।

((ii) क्या आधार अधिनियम राज्य के वैध उद्देश्य को पूरा करता है*?*

'उक्त अधिनियम का परिचय उस अधिनियम को पारित करने के कारण देता है और 'उद्देश्यों और कारणों का विवरण' आधार अधिनियम के अधिनियमन के साथ प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का उल्लेख करता है।

'परिचय 'निम्नानुसार हैः

"भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना *2009* में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से नीतियों को निर्धारित करना और विशिष्ट पहचान योजना को लागू करना था, जिसके द्वारा भारत के निवासियों को
विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की। यह संख्या प्रमाण *[2018] 8* एस. सी. आर. के रूप में काम करेगी।

पहचान और लाभ, सब्सिडी, सेवाओं और अन्य उद्देश्यों के हस्तांतरण के लिए लाभार्थियों की पहचान के लिए उपयोग किया जा सकता है।

बाद में, यह महसूस किया गया कि नामांकन, प्रमाणीकरण, सुरक्षा, गोपनीयता और आधार से संबंधित जानकारी के उपयोग की प्रक्रिया

विभिन्न लाभों, सब्सिडी और सेवाओं के वितरण के लिए आधार संख्या के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए वैधानिक बनाया जाए, जिनके खर्च या उनसे प्राप्तियां थीं।

यह भारत के समेकित कोष का हिस्सा था।

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* विधेयक, *2016* अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान करता हैः

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना, व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करना, केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में जानकारी का रखरखाव और अद्यतन करना, सुरक्षा, गोपनीयता और सूचना की गोपनीयता से संबंधित मुद्दों के साथ-साथ प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अपराध और दंड।

उद्देश्यों और कारणों के विवरण में, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उल्लेख किया गया है कि यद्यपि कई सामाजिक लाभ योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार, किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने में विफलता उन लोगों के सफल कार्यान्वयन में एक बड़ी बाधा साबित हुई है।

कार्यक्रम क्योंकि यह सुनिश्चित करना मुश्किल होता जा रहा था कि सब्सिडी, लाभ

लाभार्थियों की पहचान को प्रमाणित करने के लिए एक विश्वसनीय प्रणाली के अभाव में अनपेक्षित लाभार्थियों तक सेवाएं पहुंचती हैं। उद्देश्यों और कारणों के विवरण से यह भी पता चलता है कि समय के साथ आधार संख्या का उपयोग कई गुना बढ़ गया है और इसलिए लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित उपाय करना भी आवश्यक है।

आधार कार्ड के लिए नामांकन करते समय व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी। इन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, उद्देश्यों और कारणों के विवरण के पैरा *5* में उन उद्देश्यों की गणना की गई है जिन्हें आधार अधिनियम प्राप्त करना चाहता है। यह नीचे लिखा हैः

"5. आधार *(*वित्तीय और अन्य वस्तुओं की लक्षित डिलीवरी*)*
अनुदान, लाभ और सेवा*)* विधेयक, *2016* अन्य बातों के साथ-साथ

के लिए प्रदान करें

(क*)* विशिष्ट पहचान को अपनी जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करने पर व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करना।

भारतीय प्राधिकरण; एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

*(*ख*)* लाभ, सब्सिडी और सेवाओं के वितरण के लिए किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए आधार संख्या की आवश्यकता होती है।

से उपगत या उससे प्राप्त रसीद का हिस्सा भारत की समेकित निधि;

*(*ग*)* जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी के संबंध में आधार संख्या धारक की आधार संख्या का प्रमाणीकरण; *(*घ*)* भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना जिसमें एक अध्यक्ष, दो सदस्य और एक सदस्य शामिल हैं।

*(*ई*)* केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी में व्यक्तियों की जानकारी को इस तरह से बनाए रखना और अद्यतन करना जो हो सके विनियमों द्वारा निर्दिष्ट;

*(*च*)* केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में संग्रहीत जानकारी सहित प्राधिकरण के कब्जे या नियंत्रण में जानकारी की सुरक्षा, गोपनीयता और गोपनीयता से संबंधित उपाय; और *(*छ*)* प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अपराध और दंड।

262. उद्देश्यों और अन्य के कथन पर विचार करने के बाद, बिनॉय विश्वम बनाम मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ। यूनियन ऑफ एंड ओआरएस। *88*, आधार के उद्देश्यों को निम्नलिखित में दोहराया गया है:

एर:

किसी भी व्यक्ति को कई पहचान या काल्पनिक पहचान दिखाने की संदिग्ध प्रथाओं का सहारा लेना। इसलिए दिया जाता है नामकरण "अद्वितीय पहचान"। इसका उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर लाभ प्राप्त करना है, जिनमें से कुछ का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

125.1. सबसे पहले, एक कल्याणकारी और लोकतांत्रिक राज्य के रूप में, किसी भी जिम्मेदार सरकार का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह समाज के गरीबी से पीड़ित और हाशिए पर पड़े वर्गों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाए। यह भारतीय संविधान का भी लोकाचार है जो राज्य को "राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों" के रूप में पर्याप्त और प्रभावी बनाने का कर्तव्य देता है।

ऐसे वंचित वर्गों की बेहतरी के लिए कदम। राज्य इन वंचित और वंचित वर्गों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार और यहां तक कि सांस्कृतिक अवसर और सामाजिक स्थिति प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपाय करने के लिए बाध्य है। ऐसा नहीं है कि

सरकार ने समय-समय पर इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है।

समय। लेकिन इसके साथ ही कठोर वास्तविकता यह है कि इन योजनाओं का लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंचा है जिनके लिए

वास्तव में मतलब है।

125.1. 1 . आजादी के बाद से भारत ने महत्वपूर्ण आर्थिक विकास हासिल किया है। विशेष रूप से, देश द्वारा नीति को अपनाने के बाद पिछले *25* वर्षों में तेजी से आर्थिक विकास हासिल किया गया है
उदारीकरण के युग में प्रवेश किया, जिसे वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। पिछले दशक में आर्थिक विकास अभूतपूर्व रहा है और कई वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

दुनिया में सबसे अधिक दर। साथ ही, यह भी एक तथ्य है कि महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक सफलता के बावजूद, जो मजबूत और टिकाऊ साबित हुई है, इसके लाभ नहीं मिले हैं।

गरीबों और सबसे गरीब लोगों तक पहुँच गया। वास्तव में, इस तरह के लाभ मुख्य रूप से अमीर और उच्च मध्यम वर्ग द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ जाती है।

125.1. 2 . जीन ड्रेज़ और अमर्त्य सेन *[*एक अनिश्चित गौरवः भारत और उसके विरोधाभास*]:*

"चूंकि भारत के तेजी से आर्थिक विकास के हाल के रिकॉर्ड को अक्सर अच्छे कारण के साथ मनाया जाता है, इसलिए इस तथ्य की ओर इशारा करना बेहद महत्वपूर्ण है कि भारत में आर्थिक प्रगति की सामाजिक पहुंच है।

भारत उल्लेखनीय रूप से सीमित रहा है। ऐसा ही नहीं है कि हाल के वर्षों में आय वितरण अधिक असमान होता जा रहा है।

यह विशेषता है कि भारत चीन के साथ साझा करता है*)*, लेकिन यह भी कि चीन में वास्तविक मजदूरी में तेजी से वृद्धि जिससे मजदूर वर्गों को बहुत लाभ हुआ है, भारत के अपेक्षाकृत स्थिर वास्तविक मजदूरी से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। इससे भी कम महत्वपूर्ण बात यह है कि तेजी से आर्थिक विकास से उत्पन्न सार्वजनिक राजस्व का उपयोग सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे का एक निर्धारित और सुनियोजित तरीके से विस्तार करने के लिए नहीं किया गया है *(*इसमें भारत चीन द्वारा बहुत पीछे छोड़ दिया गया है*)*। आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए आवश्यक सामाजिक सेवाओं *(*स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल से लेकर सुरक्षित पानी और जल निकासी के प्रावधान तक*)* की निरंतर कमी है। जैसा कि हम वर्तमान में चर्चा करेंगे, जबकि भारत एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* में अन्य देशों को पीछे छोड़ रहा है।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

इसकी वास्तविक आय की प्रगति, के मामले में यह आगे निकल गई है

इनमें से कई देशों द्वारा सामाजिक संकेतक, यहां तक कि दक्षिण एशिया के क्षेत्र के भीतर भी *(*हम इस प्रश्न में अधिक पूरी तरह से जाते हैं*)*

दीर्घायु, साक्षरता, बाल अल्पपोषण और मातृ मृत्यु दर।
दक्षिण एशिया में ही बांग्लादेश की बहुत गरीब अर्थव्यवस्था ने भारत को पीछे छोड़ दिया है

कई सामाजिक संकेतकों *(*जीवन प्रत्याशा सहित, बच्चों का टीकाकरण, शिशु मृत्यु दर, बच्चे

अल्पपोषण और लड़कियों की स्कूली शिक्षा)। यहां तक कि नेपाल भी इस हद तक आगे बढ़ रहा है कि अब उसके पास भारत के समान कई सामाजिक संकेतक हैं, इसके बावजूद कि इसका प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद लगभग एक तिहाई है। जबकि बीस साल पहले भारत के छह दक्षिण एशियाई देशों (भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान) में आम तौर पर दूसरा सबसे अच्छा सामाजिक संकेतक था, अब यह दूसरा सबसे खराब (केवल समस्याग्रस्त पाकिस्तान से आगे) दिखता है। भारत सामाजिक संकेतकों की ढलान से नीचे गिरते हुए प्रति व्यक्ति आय की सीढ़ी चढ़ रहा है।

125.1. 3 . यह इस संदर्भ में है कि न केवल सतत विकास की आवश्यकता है जो विकास और विकास को एकीकृत करने का ध्यान रखता है, इस प्रकार यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक विकास का लाभ इस देश के प्रत्येक नागरिक को मिले, यह देश का कर्तव्य भी बन जाता है।

कल्याणकारी राज्य में सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के साथ आएगी जो न केवल लोगों की तत्काल जरूरतों का ध्यान रखेगी

वंचित वर्ग लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि ऐसे व्यक्तियों को पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं ताकि वे अपने जीवन को आर्थिक और सामाजिक रूप से बेहतर बना सकें। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं वास्तव में सरकार द्वारा समय-समय पर तैयार की जाती हैं और जारी की जाती हैं, जिसमें पर्याप्त राशि को अलग रखा जाता है।

सामाजिक और आर्थिक रूप से खर्च करने के लिए निर्धारित धन

पिछड़े वर्ग। हालाँकि, विभिन्न कारणों से भ्रष्टाचार, वास्तविक लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंचता है जिन्हें इस तरह के लाभ मिलने चाहिए। मुख्य कारणों में से एक इन व्यक्तियों की पहचान करने में विफलता है क्योंकि ऐसे साधनों की कमी है जिनके द्वारा ऐसे वास्तविक जरूरतमंद वर्ग की पहचान स्थापित की जा सकती है। नतीजतन, बहुत सारी सर्वोच्च अदालत की रिपोर्टें

भूत और नकली लाभार्थी अनुचित और अस्वीकार्य लाभ लेने में सक्षम होते हैं। इस देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री (स्वर्गीय श्री राजीव गांधी) ने रिकॉर्ड में कहा है कि सरकार द्वारा दलितों के कल्याण के लिए खर्च किए गए एक रुपये में से केवल *15* पैसे वास्तव में उन लोगों तक पहुंचते हैं जिनके लिए यह खर्च किया जाता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यू. आई. डी./आधार से इस क्षेत्र की अधिकांश अस्वस्थता को दूर किया जा सकता है।

कम से कम "अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित करने" के लिए समान रूप से तैयार, विशेष रूप से, दलितों, गरीबों और शोषितों के लिए, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा का आश्वासन देने वाले भाईचारे को "बढ़ावा देने" के लिए। दिलचस्प बात यह है कि राज्य आगे आया है समाज के वंचित वर्ग के ऐसे लाभ प्राप्त करने के अधिकारों को इस आधार पर मान्यता देना कि ऐसे लाभों का दावा करना उनका मौलिक अधिकार है। उत्तरदाताओं द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि न्याय के. एस. पुट्टास्वामी (आर. ई. टी. डी.) बनाम एक प्रतिमान है।

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

सुरक्षा की समस्या का समाधान करने और अत्यधिक गरीबी उन्मूलन में बदलाव

और भूख। कल्याण दृष्टिकोण से सही आधारित दृष्टिकोण की ओर बदलाव आया है। परिणामस्वरूप, पर्याप्त भोजन का प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों *(*अनुच्छेद *47)* पर आधारित नहीं रहता है, हालांकि उक्त सिद्धांत प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। यह अधिकार एक संवैधानिक मौलिक अधिकार में बदल गया है। इस संवैधानिक दायित्व को अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत दायित्वों द्वारा प्रबलित किया जाता है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा *(*प्रस्तावना, अनुच्छेद *22* और *23)* और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं, सभी राज्य पक्षों पर पर्याप्त भोजन के लिए सभी के अधिकार को मान्यता देने की जिम्मेदारी भी डालती है। अत्यधिक गरीबी और भूख को समाप्त करना संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के तहत लक्ष्यों में से एक है। संसद ने राष्ट्रीय

घरेलू स्तर पर खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करने के लिए सुरक्षा खाद्य अधिनियम, *2013*। अधिनियम की योजना एक लक्षित जनता को तैयार करती है बी. पी. एल. से नीचे के लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए वितरण प्रणाली। इसका उद्देश्य लोगों को किफायती कीमतों पर पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करना है ताकि लोग सम्मान के साथ जीवन जी सकें। अधिनियम की धारा *12* के तहत जिन सुधारों पर विचार किया गया है, उनमें सूचना का अनुप्रयोग और

पारदर्शिता सुनिश्चित करने और परिवर्तन को रोकने के लिए और पात्र लाभार्थियों की अद्वितीय बायोमेट्रिक पहचान के लिए आधार का लाभ उठाने के लिए अंत से अंत तक कम्प्यूटरीकरण के साथ संचार प्रौद्योगिकी उपकरण। अधिनियम लागू करता है अध्याय *VIII, IX* और *X* के अनुसार केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों पर दायित्व। धारा *32* अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर विचार करती है। यह अनुसूची *II* में पोषण मानकों का प्रावधान करता है।

और अनुसूची *III* में निर्दिष्ट उद्देश्यों को उत्तरोत्तर प्राप्त करने के लिए आगे के कदम उठाने के लिए।

264. इस मोड़ पर हम इस न्यायालय के उस ऐतिहासिक फैसले का उल्लेख परम पूज्य केशवानंद भारती में भी करना चाहेंगे।

श्रीपदगलवरु बनाम। केरल राज्य ने सामाजिक-आर्थिक अधिकारों की प्राप्ति और मौलिक अधिकारों के साथ इसकी परस्पर क्रिया पर जोर दिया। खन्ना द्वारा दी गई राय के निम्नलिखित अंश, जे।

एक विशिष्ट उल्लेख की आवश्यकता है:

"1477. मैं पी पर एक अन्य मार्ग का भी उल्लेख कर सकता हूं। *99* हेरोल्ड लास्की द्वारा राजनीति का व्याकरण:

"इसलिए, जो राज्य जीवित रहना चाहता है, उसे लगातार खुद को उन लोगों की मांगों में बदलना चाहिए जिनके पास समान अधिकार हैं।

89 (1973) 4 एस. सी. सी *225 [2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उस सामान्य कल्याण का दावा करना जो इसका आदर्श उद्देश्य है
बढ़ावा दें।

हम यहाँ चिंता कर रहे हैं, अराजकता की रक्षा के साथ नहीं, लेकिन

इससे बचने की शर्तों के साथ। पुरुषों को सीखना चाहिए

अपने स्वार्थ को आम कल्याण के अधीन करें। कुछ लोगों के विशेषाधिकारों को सभी के अधिकारों से पहले रास्ता देना चाहिए। वास्तव में, यह आग्रह किया जा सकता है कि कुछ लोगों का हित वास्तव में

उन अधिकारों की प्राप्ति, क्योंकि किसी अन्य वातावरण में नहीं है

स्थिरता सुनिश्चित की जाए "।

1478. एक आधुनिक राज्य को बड़ी योजनाओं की शुरुआत करनी होगी और उनसे निपटना होगा

सामाजिक और आर्थिक सामग्री होना। यह करना पड़ता है

जिसे सोशल इंजीनियरिंग कहा गया है, उसका चुनौतीपूर्ण कार्य, जिसका आवश्यक उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन, गरीबी का उत्थान है।

दलित, विशाल जनसमूह के मानकों का उत्थान और अमीर और गरीब के बीच की खाई का संकुचित होना। जैसे-जैसे अवसर अक्सर आते हैं जब व्यक्तिगत अधिकार समाज के व्यापक हितों से टकराते हैं, राज्य सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम के रूप में समाज के व्यापक हितों के लिए व्यक्तिगत अधिकारों को अधीनस्थ करने की शक्ति प्राप्त करता है। जैसा कि पी पर रोस्को पाउंड द्वारा देखा गया है। *434* न्यायशास्त्र के प्रथम खंड का शीर्षक

"संपत्ति के उपयोग पर सीमाएँ *":*

"आज कानून सामाजिक सीमाओं को लागू कर रहा है-सामाजिक जीवन में शामिल सीमाओं को माना जाता है। यह सामाजिक हितों के संबंध में व्यक्तिगत हित को बेहतर तरीके से सीमित करने और कानूनी अधिकार या स्वतंत्रता या विशेषाधिकार को सीमित करने का प्रयास कर रहा है।

इस तरह से परिसीमित ब्याज का "।

कानूनी सिद्धांत में फ्रीडमैन के शब्दों को उद्धृत करने के लिए:

"लेकिन आधुनिक लोकतंत्र संपत्ति के अधिकार को इस रूप में देखता है

समाज की जरूरतों द्वारा सामाजिक जिम्मेदारी, 'हितों के संतुलन' द्वारा सशर्त, जो आधुनिक न्यायशास्त्र में इतना बड़ा है, न कि पूर्व-निर्धारित और अछूत निजी रूप से

सही "। *(* पाँचवाँ संस्करण, पृ. *406)* "।

265. जे. द्विवेदी जे. जे. जे.

दाहिनी ओर। यह भी देखा जाना चाहिए कि इस तरह का लक्ष्य स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार पर हावी होने को उचित ठहराते हुए पर्याप्त महत्व का है। इसके अलावा, यह स्वतंत्रता को जितना संभव हो उतना कम बाधित करता है।

269. हमारी पिछली चर्चा में, हम पहले ही ऊपर इंगित कर चुके हैं कि आधार अधिनियम राज्य के वैध उद्देश्य को पूरा करता है। वास्तव में, यह इस घटक को भी उत्तर प्रदान करता है। उक्त चर्चा में कुछ परिवर्धन इस प्रकार हैं:

यह सामान्य ज्ञान की बात है कि विभिन्न कल्याण

राशन की दुकानों के माध्यम से उचित कीमत पर राशन देना *(*भोजन के अधिकार को ध्यान में रखते हुए*)*, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को कुछ लाभों के अनुसार बी. पी. एल. कार्ड, एल. पी. जी. कनेक्शन और न्यूनतम लागत पर एल. पी. जी. सिलेंडर जारी करना, पात्र व्यक्तियों को वृद्धावस्था और अन्य प्रकार की पेंशन, छात्रवृत्ति, महात्मा गांधी के तहत बेरोजगारों को रोजगार देना शामिल है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, *2005 (*मनरेगा*)* योजना। न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर के कई अन्य देशों में सामाजिक-आर्थिक अधिकारों का उदय हो रहा है। इस प्रकार, एक ओर नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को मान्यता दी जाती है और दूसरी ओर सामाजिक-आर्थिक अधिकारों का उदय होता है। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की समीक्षा के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक अधिकारों की समीक्षा के बीच की सीमाएँ तेजी से टूट रही हैं। भारत में बनाया गया यह अधिकार न्यायशास्त्र एक उल्लेखनीय उदाहरण है।

270. इस न्यायालय ने दोनों के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठा विकसित की है

मानवाधिकार और आर्थिक और सामाजिक सुधारों का एक इंजन। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज *(*पी. यू. सी. एल.*) v.* भारत संघ ", न्यायालय द्वारा भोजन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में माने जाने को भारत की गरीब आबादी की जीत के रूप में देखा गया है। अदालत ने सरकार को प्रभावी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए आदेश पारित किए थे

अकाल संहिता द्वारा बनाई गई खाद्य वितरण योजनाओं का कार्यान्वयन। सूखा प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत देने के उद्देश्य से कई अंतरिम आदेश पारित किए गए। उक्त मामले में *28* नवंबर, *2001* को पारित आदेशों द्वारा योजनाओं के लाभों को कानूनी हक में परिवर्तित कर दिया गया था। अन्य बातों के अलावा, अदालत ने सरकार को खाद्य वितरण के लिए लक्षित समूहों में आने वाले लोगों की पहचान पूरी करने, इन लोगों को अनुमति देने के लिए कार्ड जारी करने का आदेश दिया। अनाज एकत्र करें और संबंधित केंद्रों में अनाज वितरित करें। आदेश में उचित गुणवत्ता वाले अनाज को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी निरीक्षण का भी प्रावधान किया गया था। इस और बाद के आदेशों में, अदालत ने रिपोर्टिंग, जवाबदेही, निगरानी, पारदर्शिता और प्रसार पर आवश्यकताएं निर्धारित कीं।

अदालती आदेशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उनके आदेशों का पालन किया जाए।

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

271. इन आदेशों के पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि

योजना के योग्य लाभार्थियों की सही पहचान की गई है और वे उक्त योजना के तहत लाभ प्राप्त करने में सक्षम हैं, जो उनकी है हकदारी। इन आदेशों का उद्देश्य 'सुशासन' सुनिश्चित करना भी था।

पवित्र उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वितरण प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता लाना, अर्थात् लाभ वास्तव में उन लोगों तक पहुंचे जो ग्रामीण, गरीब और भूखे हैं।

272. एक बार फिर, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज *(*पी. यू. सी. एल.*)* मामले में, *20* जनवरी, *2010* के आदेश डिवीजन बेंच द्वारा पारित किए गए थे।

इस न्यायालय ने दिल्ली सरकार को 'अधिक आश्रय स्थल स्थापित करके और बेघर लोगों को ठंड से बचाकर' चरम मौसम की स्थिति का जवाब देने का निर्देश दिया। सरकार की ओर से तत्कालीन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से आश्वासन लिया गया था कि प्रभावित लोगों को प्राथमिकता के आधार पर आश्रय प्रदान किया जाएगा और इसके लिए एक दिन के भीतर व्यवस्था की जानी चाहिए।

273. शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में, बिहार और अन्य राज्यों में यह न्यायालय। वी. प्रोजेक्ट उच्च विद्या, शिक्षक संघ और *Ors.*[9]*1*

3 जनवरी, *2006* को आदेश पारित किए गए जिससे बिहार राज्य की नीति से प्रस्थान की जांच के लिए एक समिति नियुक्त करने का निर्देश दिया गया।

इसके खराब शिक्षा रिकॉर्ड में सुधार के उद्देश्य से 'प्रोजेक्ट स्कूलों' की स्थापना के बारे में। अदालत ने मामले की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की। न्यायालय के आदेश में समिति की संरचना और कार्यों के बारे में विवरण, नीति के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के बारे में दिशा-निर्देश और यह उम्मीद शामिल थी कि यदि समिति को कोई अनियमितता मिली तो बिहार राज्य उपचारात्मक कार्रवाई करेगा। शिक्षा में सकारात्मक कार्रवाई के लिए न्यायालय का दृष्टिकोण

यह शिक्षाप्रद भी है।

274. अशोक ठाकुर बनाम। भारत संघ ", न्यायालय ने बरकरार रखा

संविधान का नब्बेवां संशोधन, जो कुछ शैक्षणिक संस्थानों को भारत के 'सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों' को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रवेश नियम बनाने की अनुमति देता है। *93* अदालत ने कहा कि जो लोग धनी और बेहतर शिक्षित *('*क्रीमी लेयर*')* हैं, उन्हें 'अन्य पिछड़े' के लिए *27* प्रतिशत कोटे से बाहर रखा जाना चाहिए।

9 1 2001 की सिविल अपील सं. *6626-6675 2006* की रिट याचिका *(*सिविल*)* सं. *265,10* अप्रैल, *2008* को दिया गया निर्णय। *93* मामले में दी गई चुनौती 'अन्य पिछड़े वर्गों' से संबंधित है न कि

अनुसूचित जाति या जनजाति।

वर्ग *(*ओ. बी. सी.*)*। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया था कि गरीबी में जी रहे लोगों तक लाभ पहुंचे। इसके अलावा, ओ. बी. सी. श्रेणी में विशेष समूहों को शामिल करने की हर पांच बार समीक्षा की जानी थी।

वर्षों से।

275. पश्चिम बंगा में केट मजदूर समिति बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य *94,* न्यायालय ने पाया कि अनुच्छेद *21* में अधिकार शामिल है -

पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं या स्वास्थ्य देखभाल। इसने निर्देशक सिद्धांतों के आलोक में अन्य मौलिक अधिकारों की भी व्याख्या की। इसी तरह, मोहिनी जैन बनाम। केरल राज्य और अन्य "। , न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद *14* में कानून के समक्ष समानता के अधिकार में शिक्षा का अधिकार शामिल है। बाद के मामले में, उन्नीकृष्णन बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य ", अदालत ने स्पष्ट किया

मोहिनी जैन में इसके निष्कर्षों में कहा गया है कि अनुच्छेद *14* ने प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को जन्म दिया। शिक्षा पर मामलों के बाद, *1997* में भारत सरकार ने शिक्षा को मान्यता देते हुए एक संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव रखा

14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार के रूप में। यह संशोधन *2002* में अनुच्छेद *21* ए के रूप में पारित किया गया था। संवैधानिक व्याख्या में निर्देशक सिद्धांतों की भूमिका से निपटने वाले न्यायालय के शुरुआती मामलों में से एक यकीनन इसका सबसे प्रसिद्ध निर्णय भी है। कुछ टिप्पणीकार ओल्गा टेलिस एंड ओर्स में निर्णय को देखते हैं। वी. बॉम्बे नगर निगम

& Ors.[9]*7* आश्रय के प्रवर्तनीय अधिकार की मान्यता के रूप में।

276. उपरोक्त निर्णयों का हवाला देने का उद्देश्य इस बात को उजागर करना है कि इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद *14* और *21* के दायरे का विस्तार किया है

समाज के गरीब और हाशिए पर पड़े वर्ग के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को मान्यता देकर और इस प्रक्रिया में, राज्य पर अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक दायित्व डालकर संवैधानिक न्यायशास्त्र में बदलाव लाना।

संविधान के भाग *IV* में निहित राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के चार्टर के अनुसार कर्तव्य। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह स्वीकार करते हुए कि आर्थिक विचार जीवन के अधिकार की पूरी सामग्री को निर्धारित करने में एक भूमिका निभाएंगे, न्यायालय ने यह भी माना कि अधिकार में मानव गरिमा और उससे जुड़ी सभी चीजों की सुरक्षा शामिल है, अर्थात् जीवन की आवश्यकताओं जैसे पर्याप्त पोषण, कपड़े और आश्रय और पढ़ने, लिखने और खुद को व्यक्त करने की सुविधाएं।

विविध रूप *'(*फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम देखें। प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और *Ors.98)*। इस प्रकार यह *94 (1996) 4* एस. सी. सी. *37* के लिए कुछ महत्व का है।

9 5 (1992) 3 एस. सी. सी. *666* *96 9 6 (1993) 1* एस. सी. सी. *645*

97 1985 एससीआर एस. पी. एल. *(2) 51*

98 (1981) 2 एस. सी. आर. *516* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

यह टिप्पणी करते हुए कि यह वह न्यायालय है जो बार-बार इस बात पर जोर देता रहा है कि लाभ सबसे योग्य लोगों तक पहुँचें और बीच में ही नष्ट न हो जाएं। हमारी राय है कि आधार अधिनियम का उद्देश्य, जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण में दर्ज किया गया है और जिसे आधार अधिनियम की धारा *7* द्वारा लागू करने की मांग की गई है, उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना है। यह न्यायालय अपनी अंतरात्मा से आश्वस्त है कि अधिनियम का उद्देश्य एक उचित उद्देश्य है, जिसका पर्याप्त महत्व है।

(ख*)* उपयुक्तता या तर्कसंगत संबंध चरणः

277. हमारी यह भी राय है कि आधार अधिनियम की धारा *5* के साथ पठित धारा *7* के प्रावधानों के अनुसार जो उपाय गिने गए हैं और किए गए हैं, वे आधार अधिनियम में निहित उद्देश्यों की पूर्ति के साथ तर्कसंगत रूप से जुड़े हुए हैं। यह उल्लेख किया जा सकता है कि आधार अधिनियम के तहत नामांकन करने और आधार संख्या प्राप्त करने की योजना वैकल्पिक और स्वैच्छिक है। इसे अद्वितीय पहचान का नामकरण दिया गया है। आधार संख्या वाले व्यक्ति को एक पहचान मिलती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कई अन्य तरीके हैं जिनके द्वारा एक व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। हालांकि, कुछ श्रेणियों के व्यक्ति, विशेष रूप से जो घोर गरीबी में रह रहे हैं और जो अनपढ़ हैं, वे पहचान के अन्य साधन जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होंगे। वह अद्वितीय देने के अलावा देश के प्रत्येक निवासी की पहचान इस योजना की एक विशेष विशेषता है, विशेष रूप से, जब ऊपर बताई गई सुविधा के साथ बात आती है, तो किसी भी व्यक्ति के पास एक से अधिक आधार संख्या नहीं हो सकती है; किसी विशेष व्यक्ति को दी गई आधार संख्या को किसी भी व्यक्ति को फिर से नहीं सौंपा जा सकता है, भले ही

उन व्यक्तियों को पहचान देता है जिनकी अन्यथा ऐसी कोई पहचान नहीं हो सकती है। इस तरह, यह उन्हें इस राष्ट्र के निवासियों के रूप में मान्यता देता है और उस रूप में उन्हें उनकी 'गरिमा' देता है। *279.* धारा *7*, जो कुछ सब्सिडी, लाभ और सेवाओं की प्राप्ति के लिए प्रमाणीकरण की आवश्यकता का प्रावधान करती है, का एक निश्चित उद्देश्य है-सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

और यह प्रमाणीकरण उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है जिनके लिए आधार अधिनियम लागू किया गया है, अर्थात्, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी सब्सिडी, लाभ और सेवाएं केवल इच्छित लाभार्थियों तक ही पहुँचें। हमने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार देखा है

विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के लिए परोपकारी और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में विभिन्न स्तरों पर। इसके परिणामस्वरूप वास्तविक लाभार्थी उन सब्सिडी, लाभों और सेवाओं को प्राप्त करने से वंचित हो गए हैं जो बेकार हो जाते हैं, हालांकि कागजों पर यह दिखाया गया है कि वे उन व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जिनके लिए वे अभिप्रेत हैं। ऐसे मामले हैं

उपरोक्त कदाचारों पर अंकुश लगाने में योजना काफी हद तक सफल रही है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए लाभ प्रदान करके जिनके पास आधार संख्या है और आधार अधिनियम की धारा *8* में दिए गए प्रमाणीकरण से गुजरने के बाद, उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल सही व्यक्तियों को ही ये लाभ प्राप्त हों। गैर-कार्रवाई महंगी नहीं है। यह सकारात्मक कार्रवाई है जिसकी कीमत सरकार को चुकानी पड़ती है। और वह पैसा सरकारी खजाने से आता है। इसलिए, यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य बन जाता है कि यह योग्य व्यक्तियों को मिले। इसलिए, दूसरा घटक भी पूरा हो जाता है।

*(*ग*)* आवश्यकता चरणः

280. जहाँ तक तीसरे घटक का संबंध है, उसमें से अधिकांश का उत्तर घटक के संबंध में हुई चर्चा में दिया गया है।

नंबर *1* और *2*। अतीत में जिस तरह से कदाचार किए गए हैं, उससे हमें यह मानना पड़ता है कि आधार में विशिष्ट पहचान की प्रणाली और वास्तविक लाभार्थियों के प्रमाणीकरण के अलावा कोई अन्य व्यवस्था नहीं है।

कम सीमा के साथ वैकल्पिक उपाय जो एक ही उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। वास्तव में, इस न्यायालय द्वारा बार-बार पूछे जाने पर, याचिकाकर्ता भी ऐसी कोई विधि का सुझाव नहीं दे सके।

*(*घ*)* संतुलन अवस्थाः

281. इसके साथ, अब हम आनुपातिकता के सबसे महत्वपूर्ण घटक यानी प्राप्त करने के महत्व के बीच संतुलन का विज्ञापन करते हैं

संवैधानिक अधिकार पर सीमा को रोकने का उचित उद्देश्य और सामाजिक महत्व।

282. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि आधार परियोजना निगरानी राज्य और समाज का निर्माण करती है, जो लोकतंत्र के सिद्धांतों के विपरीत है। यह आधार पर आधारित है कि आधार

परियोजना राज्य को नागरिकों की रूपरेखा तैयार करने, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने, न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम का आकलन करने में सक्षम बनाती है।

उनकी आदतें और चुपचाप उनके पूरे जीवन में उनके व्यवहार को प्रभावित करती हैं। यह असहमति को दबा सकता है और राजनीतिक निर्णय लेने को प्रभावित कर सकता है। यह भी तर्क दिया जाता है कि इस तरह की संग्रहीत जानकारी का एकत्रीकरण, भंडारण और उपयोग

प्रमाणीकरण की पद्धति, 'राज्य के सम्मोहक हित' के अनुपात में नहीं है और पहचान के लिए कई अन्य तरीके उपलब्ध हैं। इस प्रकार यह राज्य की अनुचित और अनुचित मजबूरी है। *283.* दूसरी ओर, उत्तरदाताओं ने तर्क दिया है कि आधार के रूप में गोपनीयता की कोई उचित अपेक्षा नहीं की जा सकती है।

अधिनियम सार्वजनिक और संबंधात्मक रूप से संचालित होता है न कि निवासियों के मूल, निजी या व्यक्तिगत क्षेत्र में। इसके अलावा, इसमें न्यूनतम शामिल है

प्रभावी प्रमाणीकरण के लिए पहचान की जानकारी जो तर्कसंगतता की कसौटी पर खरी उतरती है। इस प्रकार, यह अधिनियम कम से कम घुसपैठ करने वाला है और आनुपातिकता परीक्षण में सख्त जांच परीक्षण लागू नहीं होता है। उत्तरदाताओं का यह भी मामला है कि आधार अधिनियम एकत्रीकरण की बिल्कुल भी अनुमति नहीं देता है और इसलिए, सभी आशंकाएं निराधार हैं और इनका कोई आधार नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि आधार अधिनियम, वास्तव में, सुविधा प्रदाता है

अनुच्छेद *21* के तहत जीवन के अधिकार के विभिन्न पहलुओं को सशक्त बनाना और इस तरह यह सुनिश्चित करना कि वंचित वर्ग भी मानवीय गरिमा के साथ जीने में सक्षम हो।

284. संतुलन के इस अभ्यास को करने से पहले, हम यह बताना चाहेंगे कि हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं

उत्तरदाताओं ने कहा कि गोपनीयता की कोई उचित अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यू. आई. डी. ए. आई. *(*चाहे बायोमेट्रिक हो या जनसांख्यिकीय*)* द्वारा एकत्र की गई जानकारी को व्यक्तियों द्वारा अन्य एजेंसियों/निकाय निगमों आदि को कई अन्य प्रकार के लेनदेन में विभाजित किया जाता है।

ठीक है, जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा बताया गया है। हालाँकि, इस मामले को इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि यह जानकारी राज्य या राज्य के साधनों द्वारा एकत्र और संग्रहीत की जाती है। इसलिए, यह पता लगाना महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या यह आनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरता है, और इस शर्त को पूरा करता है कि उपाय का आनुपातिकता पर असमान प्रभाव नहीं होना चाहिए। सही धारक *(*संतुलन चरण*)*। हालाँकि, साथ ही, यह तथ्य कि व्यक्तियों के बारे में ऐसी जानकारी सार्वजनिक क्षेत्र में है, संतुलन के अभ्यास को शुरू करने में एक प्रासंगिक कारक बन सकता है।

285. हम पहले ही उन उद्देश्यों का पता लगा चुके हैं जिनके साथ आधार अधिनियम लागू किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि निजता का अधिकार है, जो अब मौलिक अधिकारों में निहित है। दूसरी ओर, हम उन व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में भी चिंतित हैं जिनकी गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक सुविधाएं दी जाती हैं। इसलिए, संतुलन दो स्तरों पर किया जाना चाहिए:

(i) क्या 'वैध राज्य हित' 'उचित सिलाई' सुनिश्चित करता है? निजता में न्यूनतम घुसपैठ होती है और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कानून को संकीर्ण रूप से तैयार किया जाता है। यहां अधिनियम का परीक्षण इस

आधार पर किया जाना है कि क्या यह एक संतुलन परीक्षण पर पाया जाता है कि सामाजिक या सार्वजनिक हित और प्रतिबंधों की तर्कसंगतता गोपनीयता के विशेष पहलू से अधिक है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किया गया है। यह वह परीक्षण है जिसे हमने तत्काल लागू किया है

मामला।

((ii) दो प्रतिस्पर्धी मौलिक अधिकारों, एक ओर निजता का अधिकार और दूसरी ओर भोजन, आश्रय और रोजगार का अधिकार, के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। स्वयंसिद्ध रूप से दोनों अधिकार मानव गरिमा पर आधारित हैं। साथ ही, दिए गए संदर्भ में, दो पहलू एक दूसरे के साथ संघर्ष में हैं। यहाँ सवाल यह होगा कि जब कोई व्यक्ति कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना चाहता है, जिसके लिए वह गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार के हिस्से के रूप में हकदार है, तो क्या निजता के अधिकार के लिए उसका बलिदान ऐसा है*?* आक्रामक है कि यह असंतुलन पैदा करता है*?*

286. एक तरह से, उपरोक्त दोनों प्रश्नों में कुछ अतिव्यापी हैं क्योंकि दूसरे प्रश्न का उत्तर ढूंढते समय भी, यह होगा

यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या किसी व्यक्ति की निजता में कम से कम घुसपैठ हुई है और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसे लाभ मिले।

कल्याणकारी योजनाओं के तहत।

287. उत्तरदाता सही प्रतीत होते हैं जब वे तर्क देते हैं कि किसी व्यक्ति से संबंधित सभी मामले अंतर्निहित होने के योग्य नहीं हैं।

अनुच्छेद *21.* इस संबंध में, हम पुट्टास्वामी के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं: गोपनीयता एक निजी स्थान के आरक्षण को स्वीकार करती है, जिसे अकेले रहने के अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। शरीर की अखंडता और मन की पवित्रता व्यक्ति के न्याय के संरक्षण के अधिकार की नींव पर मौजूद हो सकती है।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

एक निजी स्थान जिसमें मानव व्यक्तित्व विकसित हो सकता है और इसमें विकल्प चुनने की क्षमता शामिल है। इस मायने में निजता अपने आप में मानवीय गरिमा का एक अभिधारणा है। मानव व्यक्तित्व की अलंघनीय प्रकृति मानव जीवन के अंतरंग मामलों पर निर्णय लेने की क्षमता में प्रकट होती है। व्यक्ति की स्वायत्तता उन मामलों से जुड़ी होती है जिन्हें निजी रखा जा सकता है। ये ऐसी चिंताएं हैं जिन पर गोपनीयता की वैध अपेक्षा है। विचार और व्यवहार संबंधी पैटर्न जो किसी व्यक्ति के लिए अंतरंग होते हैं, वे गोपनीयता के क्षेत्र के हकदार होते हैं जहां कोई व्यक्ति सामाजिक अपेक्षाओं से मुक्त होता है। निजता के उस क्षेत्र में किसी व्यक्ति को दूसरों द्वारा नहीं आंका जाता है। निर्णय विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट को संदर्भित करता है और सूचना, पसंद और सहमति, संग्रह सीमा, उद्देश्य सीमा, पहुंच और सुधार, जानकारी का खुलासा न करना, डेटा की सुरक्षा, पैमाने के रूप में खुलेपन या आनुपातिकता, दायरे और संवेदनशीलता से संबंधित नौ गोपनीयता सिद्धांतों की पहचान

करता है। साथ ही, गोपनीयता स्वतंत्रता का एक उपसमुच्चय है। सभी स्वतंत्रताओं का उपयोग गोपनीयता में नहीं किया जा सकता है। यह स्पेक्ट्रम के पार स्थित है

स्तर का अर्थ है 'एक व्यक्ति अकेला रहना चाहता है'। एक वस्तुनिष्ठ सादा गोपनीयता को उन संवैधानिक मूल्यों द्वारा परिभाषित किया जाता है जो संरक्षित क्षेत्र की सामग्री को आकार देते हैं जहां व्यक्ति को 'अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए'। इसके अलावा, गोपनीयता की उचित अपेक्षा की धारणा यह सुनिश्चित करती है कि जबकि एक ओर, व्यक्ति के पास गोपनीयता का एक संरक्षित क्षेत्र है, फिर भी दूसरी ओर 'व्यक्तिगत विकल्पों का अभ्यास दूसरों के व्यवस्थित जीवन जीने के अधिकार के अधीन है'। इसलिए गोपनीयता क्षेत्र का विस्तार व्यक्तिपरक अपेक्षा और वस्तुनिष्ठ सिद्धांत दोनों पर निर्भर करेगा जो एक उचित अपेक्षा को परिभाषित करता है।

यह इंगित करना उचित है कि सूचनात्मक से निपटने के दौरान

निजता, निर्णय में कहा गया है कि सूचना के युग में निजता की चिंता गंभीर रूप से एक मुद्दा है। यह डेटा माइनिंग प्रक्रियाओं को भी एक साथ नोट करता है। ज्ञान की खोज, और बड़े डेटा की उम्र के साथ। अदालत ने पाया कि डेटा विनियमन और व्यक्तिगत गोपनीयता जटिल मुद्दों को उठाती है जिनके लिए न्यायसंगत चिंताओं के बीच नाजुक संतुलन की आवश्यकता होती है।

निजता की सुरक्षा में राज्य और व्यक्तिगत हित, और इस क्षेत्र में, डेटा सुरक्षा महत्वपूर्ण है। डेटा जैसे कि चिकित्सा जानकारी

यह एक ऐसी श्रेणी होगी जिससे गोपनीयता की उचित अपेक्षा जुड़ी होती है। अन्य डेटा हो सकते हैं जो उचित अपेक्षा प्रतिमान से बाहर हैं। डेटा सुरक्षा व्यवस्थाएँ *[2018] 8* एस. सी. आर. की रक्षा करना चाहती हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

व्यक्ति की स्वायत्तता। यह एक जटिल अभ्यास है जिसमें सावधानीपूर्वक संतुलन शामिल है। इस संतुलन प्रक्रिया में निम्नलिखित मापदंडों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:

(i) निर्णय में यह भी कहा गया है कि गोपनीयता की वैध अपेक्षा अंतरंग क्षेत्र से लेकर निजी क्षेत्र और निजी से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र तक भिन्न हो सकती है। हालाँकि, 'गोपनीयता केवल इसलिए नहीं खोती है या आत्मसमर्पण नहीं करती है क्योंकि व्यक्ति सार्वजनिक रूप से है।

स्पेस '।

जब यह राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए वेब की निगरानी करता है।
(iii) राष्ट्रीय सुरक्षा के अलावा, राज्य के पास आंकड़ों के संग्रह और भंडारण के लिए उचित कारण हो सकते हैं क्योंकि वह समाज के गरीब और हाशिए पर पड़े वर्गों को लाभ प्रदान करने के लिए कार्यक्रम शुरू करता है और यह सुनिश्चित करता है कि दुर्लभ सार्वजनिक संसाधन नष्ट न हों और उन्हें गैर-पात्र प्राप्तकर्ताओं को न दिया जाए। समाज कल्याण राज्य में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म एक महत्वपूर्ण साधन हैं और प्रौद्योगिकी एक शक्तिशाली प्रवर्तक है।

288. सबसे पहले, इसलिए, यह देखा जाना चाहिए कि क्या याचिकाकर्ता प्रमाणीकरण के दौरान प्रदान की गई जानकारी पर दावा करते हैं संरक्षित होना उचित अपेक्षा पर आधारित है।

289. ' 'उचित अपेक्षा' में दो पहलू शामिल हैं। सबसे पहले, गोपनीयता के अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को यह स्थापित करना चाहिए कि

उनके दावे में कथित कृत्य के कारण उन्हें होने वाले कुछ नुकसान के बारे में चिंता शामिल है। यह चिंता वास्तविक होनी चाहिए न कि काल्पनिक या अटकलबाजी। दूसरा, 'चिंता कमजोर या तुच्छ नहीं होनी चाहिए'। यह एक उचित चिंता होनी चाहिए। यह ध्यान में रखना होगा कि 'उचित अपेक्षा' की अवधारणा की उत्पत्ति अमेरिकी मामले के कानूनों में हुई है। ब्रिटेन के निर्णयों ने उचित के परीक्षण को अपनाया

अमेरिकी न्यायशास्त्र से अपेक्षा। ई. सी. एच. आर. और ई. सी. जे. के निर्णय निजता के अधिकार के संबंध में थोड़ा अंतर प्रकट करते हैं। ई. सी. एच. आर. सामान्य रूप से इस दृष्टिकोण को अपनाता है कि न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम के रूप में एक व्यक्ति की उचित अपेक्षा।

गोपनीयता महत्वपूर्ण हो सकती है, हालांकि, आवश्यक रूप से निर्णायक कारक नहीं है। यह शायद उंगलियों के निशान के संबंध में स्पष्ट संघर्ष की व्याख्या करता है।

290. प्रमुख मामले में काट्ज़ बनाम। यूएस *9 9* उचित अपेक्षा में दो अलग-अलग प्रश्न शामिल किए गए थे। पहला यह था कि क्या

व्यक्ति ने अपने आचरण से एक वास्तविक *(*गोपनीयता की व्यक्तिपरक अपेक्षा*)* का प्रदर्शन किया है, और दूसरा, क्या व्यक्तिपरक अपेक्षा वह है जिसे समाज उचित मानने के लिए तैयार है। स्मिथ बनाम में भी इसका अनुसरण किया गया था। मार्लैंड *100*

291. आर. वुड बनाम में अपील न्यायालय के निर्णय में।

आयुक्त *01,* अपीलार्थी ने पुलिस बल द्वारा एक बैठक के संदर्भ में मध्य लंदन में अपनी तस्वीर लेने और बनाए रखने के खिलाफ शिकायत की ताकि अव्यवस्था के विस्फोट और अपराध होने की स्थिति में बाद में पहचान की जा सके। उचित की अवधारणा ई. सी. एच. आर. के अनुच्छेद *8* के उल्लंघन पर विचार करने वाले निर्णयों की एक श्रृंखला का सर्वेक्षण करने के बाद अपेक्षा की जांच की गई थी। निम्नलिखित प्रासंगिक पहलू सामने आते हैं:

((iii) निजी जीवन एक व्यापक शब्द था जिसमें शारीरिक और
एक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक अखंडता।

((iv) किसी व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित आंकड़ों का भंडारण अनुच्छेद *8* में हस्तक्षेप करता है। हालाँकि, यह निर्धारित करने में कि क्या जानकारी

किसी भी निजी जीवन के पहलू को बनाए रखना होगा

विशिष्ट संदर्भ को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है।

(v) अनुच्छेद *8*, चाहे कितना भी मौलिक क्यों न हो, का व्यापक रूप से इतना व्यापक अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इसके दावे अवास्तविक और अनुचित हो जाएं। सबसे पहले, व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वायत्तता के लिए खतरे को एक निश्चित स्तर की गंभीरता प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा, दावेदार को तथ्यों पर गोपनीयता की उचित अपेक्षा का आनंद लेना चाहिए। तीसरा, अनुच्छेद *8 (1)* की चौड़ाई को कई मामलों में इसके दायरे से बहुत कम किया जा सकता है -

राज्य के लिए उपलब्ध औचित्य।

(vi) निजता की उचित अपेक्षा एक व्यापक अवधारणा है जो मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखती है। इनमें *99,389* यू. एस. *347* शामिल हैं।

100 442 यूएस *735*

101 (2010) 1 डब्ल्यूएलआर *123 [2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दावेदार की विशेषताएँ, उस गतिविधि की प्रकृति जिसमें दावेदार लगा हुआ था, जिस स्थान पर यह हो रहा था, घुसपैठ की प्रकृति और उद्देश्य, सहमति की अनुपस्थिति *(*या उपस्थिति*)*, दावेदार पर प्रभाव और उद्देश्य जिसके लिए

जानकारी ली जाती है।

292. इसलिए, जब निजता का दावा भारत के संविधान के अनुच्छेद *21* में शामिल करने की मांग करता है, तो न्यायालय को उचित शर्तों को लागू करने की आवश्यकता होती है।

गोपनीयता परीक्षण की अपेक्षा। इसे, अन्य बातों के साथ, देखना चाहिए:

((i) गोपनीयता का दावा किस संदर्भ में किया जाता है*?*

((ii) क्या दावा निजी या पारिवारिक जीवन से संबंधित है, या गोपनीय है*?*

संबंध*?*

*((*ग*)* क्या दावा गंभीर है या यह तुच्छ है*?*

((iv) क्या इस प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप कोई गंभीर या महत्वपूर्ण परिणाम होने की संभावना है*?*

चोट और प्रकटीकरण की प्रकृति और सीमा*?*

(v) क्या प्रकटीकरण व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी से संबंधित है

एक पहचाना हुआ व्यक्ति*?*

(vi) क्या प्रकटीकरण पहले से ही प्रकट की गई जानकारी से संबंधित है*?*

सार्वजनिक रूप से? यदि हां, तो इसका निहितार्थ क्या है?

293. आधार अधिनियम संरचना के तहत, नामांकन के समय चार प्रकार की जानकारी दी जानी है:

(i) नाम, जन्म तिथि, पता और लिंग सहित अनिवार्य जनसांख्यिकीय जानकारी *(*आधार *(*नामांकन और अद्यतन*)* विनियम, *2016* के विनियम *4 (1)* के साथ पठित धारा *2 (*के*))*।
(ii) वैकल्पिक जनसांख्यिकीय जानकारी *(*धारा *2 (*के*)* के साथ पढ़ें

आधार *(*नामांकन और अद्यतन*)* विनियम, *2016* का विनियम *4 (2)*।

(iii) गैर-मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी जिसमें फोटोग्राफ शामिल है।
(iv) फिंगर प्रिंट और आईरिस वाली मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी।

स्कैन करें।

294. जहाँ तक जनसांख्यिकीय जानकारी का संबंध है, यह कई अन्य अधिनियमों के साथ-साथ कंपनी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा आवश्यक है।

विशेष विवाह अधिनियम, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, चुनावी नियमों का पंजीकरण, नागरिकता नियम, पासपोर्ट अधिनियम और यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय के नियम भी।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

295. जहां तक आधार योजना में नामांकन के उद्देश्य से फिंगर प्रिंट, आईरिस स्कैन सहित मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी का संबंध है, हम

296. यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ, फिंगर प्रिंट और आईरिस स्कैन को माना गया है किसी व्यक्ति की पहचान करने का सबसे सटीक और गैर-आक्रामक तरीका। यही कारण है कि इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट के लिए भी लिया जाता है।

लोकतांत्रिक शासन ने बायोमेट्रिक आधारित पहचान पत्र भी पेश किए हैं। इसलिए, ऊपर उल्लिखित चार अलग-अलग श्रेणियों में जानकारी का संग्रह अनुचित नहीं हो सकता है। हालाँकि, जैसा कि पहले भी कहा गया है, मुद्दा उपरोक्त जानकारी को इस उद्देश्य के लिए लेने का नहीं है आधार में नामांकन और प्रमाणीकरण के लिए। यह भंडारण और

जब भी प्रमाणीकरण होता है, इस डेटा को बनाए रखना, जिसके बारे में याचिकाकर्ताओं द्वारा चिंता जताई जाती है। याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यक्त आशंका यह है कि इस तरह के डेटा के भंडारण और प्रतिधारण के साथ, व्यक्तियों की प्रोफ़ाइल बनाई जा सकती है जो दुरुपयोग के लिए अतिसंवेदनशील है।

297. इस पहलू पर पहले ही विचार किया जा चुका है और

याचिकाकर्ताओं की आशंका का ध्यान रखा जाता है। पुनर्कथन के लिए, नामांकन के समय, एकत्र किया गया डेटा न्यूनतम है और धर्म, जाति, जनजाति, पात्रता आय के रिकॉर्ड की भाषा या आवेदक के चिकित्सा इतिहास

के संबंध में कोई डेटा संग्रह नहीं है। आधार नामांकन। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि नामांकन के समय एकत्र किया गया न्यूनतम डेटा भी नामांकन एजेंसी के पास न रहे और तुरंत सी. आई. डी. आर. को प्रेषित हो जाए। प्रमाणीकरण के समय भी, प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली एकमात्र कवायद यह देखना है कि संबंधित व्यक्ति के फिंगर प्रिंट और/या आईरिस स्कैन के लिए भेजा गया है या नहीं।

प्रमाणीकरण उसी के साथ मेल खाता है जो प्राधिकरण की प्रणाली में है।

298. आइए हम संतुलन के दूसरे पहलू, अर्थात् दो मौलिक अधिकारों के संतुलन का प्रचार करें। जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है, आधार अधिनियम वास्तव में गरीबों और वंचित व्यक्तियों को अपना जीवन जीने और अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने का अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। डिजिटल पहचान के माध्यम से लक्षित वितरण सुनिश्चित करके, यह न केवल उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट प्रदान करता है

मान्यता प्राप्त पहचान लेकिन भारत के सार्वजनिक खजाने/समेकित निधि की सहायता से लाभ, सेवा और सब्सिडी के वितरण को सुनिश्चित करने का भी प्रयास करता है। संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम, *2013* घरेलू स्तर पर भोजन, सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करने का प्रयास करता है। उस अधिनियम की योजना का उद्देश्य बी. पी. एल. श्रेणियों से संबंधित लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। जैसे मनरेगा अधिनियम, *2005* ध्यान रखता है

रोजगार। मनरेगा अधिनियम देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की वृद्धि, आजीविका, सुरक्षा के लिए लागू किया गया है। यह सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम बनाने वाली परिसंपत्तियों पर ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सक्षम सदस्य को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम *100* दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देता है। मनरेगा अधिनियम की धारा *3* और *4* में यह गारंटी है। प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सुविधाएं अनुसूची *II* के साथ पठित धारा *5* द्वारा निर्धारित की गई हैं। धारा *22* में वित्त पोषण का प्रावधान है और धारा *23* में पारदर्शिता का प्रावधान है।

और उत्तरदायित्व। यह अधिनियम अधिकार आधारित अधिनियम का एक और उदाहरण है।

दृष्टिकोण और यह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को बढ़ावा देता है।

299. हम यहाँ उल्लेख कर सकते हैं कि श्री द्विवेदी ने न केवल भारत बल्कि पश्चिमी देशों सहित कई अन्य देशों की ओर भी इशारा किया था।

सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को मानव गरिमा और जीवन के अधिकार में पढ़ा है। हंगरी और दक्षिण अफ्रीका ने अपने संविधानों में स्पष्ट प्रावधान करने की हद तक प्रयास किया है।

जर्मनी के संघीय संविधान न्यायालय ने *9* फरवरी, *2010* को एक निर्णय में इस सवाल का फैसला करते हुए कि क्या मानक लाभ सहायता की राशि बुनियादी कानून के अनुरूप है, यह अभिनिर्धारित किया किः

"न्यूनतम निर्वाह की गारंटी का मौलिक अधिकार मानव गरिमा के अनुरूप है जो मूल कानून के अनुच्छेद *1* से मूल कानून के अनुच्छेद *20* के संयोजन में उभरता है। बुनियादी कानून के अनुच्छेद *1.1* ने इस दावे को स्थापित किया। बुनियादी कानून के अनुच्छेद *20.1* में निहित समाज कल्याण राज्य का सिद्धांत, बदले में विधायिका को मानव गरिमा के अनुरूप सभी के लिए न्यूनतम निर्वाह सुनिश्चित करने का जनादेश प्रदान करता है।

आगे यह अभिनिर्धारित किया जाता है किः
"यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसे अस्तित्व की गारंटी देने के लिए भौतिक साधन नहीं हैं जो मानव गरिमा के अनुरूप है क्योंकि वह इसे अपने लाभकारी रोजगार से प्राप्त करने में असमर्थ है, या जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

अपनी संपत्ति से या तीसरे पक्ष से लाभ द्वारा, राज्य है

मानव गरिमा की रक्षा करने और अपने सामाजिक कल्याण राज्य जनादेश के कार्यान्वयन में यह सुनिश्चित करने के लिए अपने अधिदेश के भीतर बाध्य है कि इसके लिए भौतिक पूर्वापेक्षाएँ व्यक्ति के निपटान में हैं। सहायता की आवश्यकता है।

इसी तरह, *18* जुलाई, *2012* के एक बाद के फैसले में यह तय करते हुए कि क्या शरण चाहने वाले लाभ अधिनियम में प्रदान की गई नकद लाभ की राशि संवैधानिक थी, उसने दोहराया किः

"एक की गारंटी के लिए प्रत्यक्ष संवैधानिक लाभ का दावा

गरिमापूर्ण न्यूनतम अस्तित्व केवल उन साधनों को शामिल करता है जो गरिमापूर्ण जीवन बनाए रखने के लिए बिल्कुल आवश्यक हैं। यह एक व्यापक मौलिक के रूप में संपूर्ण न्यूनतम अस्तित्व की गारंटी देता है।

अधिकारों की गारंटी, जिसमें दोनों मनुष्यों के शारीरिक अधिकार शामिल हैं

अस्तित्व, यानी भोजन, कपड़े, घरेलू सामान, आवास, ताप, स्वच्छता और स्वास्थ्य, और बनाए रखने की संभावना की गारंटी देता है।

पारस्परिक संबंध और सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में न्यूनतम भागीदारी, एक व्यक्ति के रूप में एक इंसान के रूप में

अनिवार्य रूप से एक सामाजिक संदर्भ में मौजूद है।

300. दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार में दक्षिण अफ्रीका का संवैधानिक न्यायालय और अन्य। वी. ग्रूटबूम *1 02* ने माना किः

"..... इन अधिकारों पर संविधान में निहित सामाजिक-आर्थिक अधिकारों के संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता है। वे भूमि तक पहुँच, पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार प्रदान करते हैं।

भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा।

301. 1995 में, हंगरी के संवैधानिक न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संविधान के अनुच्छेद *70/ई* में निहित सामाजिक सुरक्षा का अधिकार राज्य को मानव गरिमा के अधिकार की प्राप्ति के लिए आवश्यक सभी कल्याणकारी लाभों के माध्यम से न्यूनतम आजीविका प्राप्त करने के लिए बाध्य करता है।

303. बुदीना वी। रूस *1 03,* यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने सैद्धांतिक रूप से मान्यता दी है कि अपर्याप्त लाभ इसके अंतर्गत आ सकते हैं। अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार से मुक्त होने के अधिकार पर मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन *(ईसीएचआर)* का अनुच्छेद *3*।

102 (2000) जेडएसीसी *19* *103* ऐप. नहीं. *45603/05* ने *18.06.2009 [2018] 8* एस. सी. आर. पर निर्णय लिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

304. 1996 में, स्विस फेडरल कोर्ट ने फैसला सुनाया कि स्विट्जरलैंड में अवैध रूप से रहने वाले तीन चेक सामाजिक लाभ के हकदार हैं ताकि गरिमापूर्ण जीवन के लिए न्यूनतम स्तर का निर्वाह किया जा सके।

ऐसी स्थिति जहाँ लोग भिखारियों तक सीमित हो जाते हैं, एक ऐसी स्थिति जो मानव कहलाने के योग्य नहीं है। इसमें कहा गयाः

"..... संघीय संविधान *(*हालांकि *1995* का नया संविधान का मसौदा अब अलग है*)* स्पष्ट रूप से निर्वाह गारंटी के मौलिक अधिकार का प्रावधान नहीं करता है। हालाँकि इससे अलिखित संवैधानिक अधिकार भी प्राप्त किया जा सकता है। अलिखित संवैधानिक कानून द्वारा संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रताओं की गारंटी अन्य स्वतंत्रताओं *(*संविधान में उल्लिखित*)* के प्रयोग, या अन्यथा स्पष्ट रूप से संघ की लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था के अपरिहार्य घटकों द्वारा ग्रहण की गई थी।
"..... भोजन, कपड़े और आश्रय जैसी प्राथमिक मानव आवश्यकताओं की गारंटी मानव अस्तित्व और विकास की शर्त है। यह एक ही समय में एक अनिवार्य घटक है

संवैधानिक, लोकतांत्रिक राजनीति "।

305. 2005 में लंदन के ट्राफलगर स्क्वायर में अपने भाषण में नेल्सन मंडेला ने कहाः

"..... भारी गरीबी और अश्लील असमानता हमारे समय की ऐसी भयानक मार हैं-जिस समय में दुनिया गर्व करती है।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उद्योग और धन संचय में लुभावनी प्रगति जो उन्हें गुलामी के साथ-साथ रैंक करनी है और

मौलिक मानव अधिकार, गरिमा और सभ्य जीवन का अधिकार। जबकि गरीबी बनी रहती है, कोई वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है।
306. जेम्स ग्रिफिन द्वारा *"*ह्यूमन*"* पर अपनी पुस्तक में दिए गए अंश

"अधिकार" ध्यान देने योग्य हैं:

" *10.1* अधिकारों का ऐतिहासिक विकासः

व्यापक धारणा के विपरीत, कल्याणकारी अधिकार बीसवें नहीं हैं।

शताब्दी नवाचार, लेकिन दावा किए जाने वाले पहले मानवाधिकारों में से हैं। जब बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी में अधिकार की हमारी आधुनिक अवधारणा पहली बार सामने आई, तो सबसे शुरुआती उदाहरणों में से एक उन लोगों का अधिकार था जिन्हें अधिशेष में उन लोगों से सहायता प्राप्त करने की सख्त आवश्यकता थी। इस अधिकार का उपयोग एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* को स्पष्ट करने के लिए किया गया था।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

मध्ययुगीन चर्च में प्रचलित संपत्ति का आकर्षक दृश्य। भगवान ने हमें सभी चीजें समान रूप से दी हैं, लेकिन क्योंकि वस्तुओं की देखभाल और उपयोगी रूप से विकास नहीं किया जाएगा जब तक कि विशेष रूप से निर्दिष्ट न किया जाए।

व्यक्तिगत रूप से, हम प्राणियों ने संपत्ति की प्रणालियाँ स्थापित की हैं। हालाँकि, इन प्रणालियों में, एक मालिक एक संरक्षक से ज्यादा कुछ नहीं है। इस प्रकार हम सभी को एक अधिकार है, यदि हमें बहुत अधिक आवश्यकता है, तो आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए या ऐसा न करने पर, उन्हें अधिशेष में उन लोगों से लेने के लिए।

उदाहरण के लिए, जॉन लॉक, टॉम पेन और विलियम कॉबेट द्वारा प्रबोधन में जो कल्याण के मानवाधिकारों पर जोर दिया गया है, वह हर समय पाया जाता है। प्रबोधन के बाद,

कल्याण का अधिकार अक्सर राष्ट्रीय संविधानों में दिखाई देता है; उदाहरण के लिए, *1790* के दशक के फ्रांसीसी संविधान, प्रशिया सिविल कोड *(1794)*, स्वीडन के संविधान *(1809)*, नॉर्वे *(1814)*, नीदरलैंड *(1814)*, डेनमार्क *(1849)*, और बीसवीं शताब्दी को छोड़ते हुए, सोवियत संघ *(1936)*-हालांकि यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता है कि इन विभिन्न दस्तावेजों के मसौदों ने इन मौलिक नागरिक अधिकारों के साथ-साथ मानवाधिकारों के बारे में भी सोचा था। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक, राजनीतिक सिद्धांतकारों ने एक मामला बनाना शुरू कर दिया था कि कल्याण अधिकार बहुत हद तक नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अर्थ में बुनियादी हैं। लेकिन यह फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे जिन्होंने किया था।

अधिकांश सार्वजनिक जीवन में कल्याणकारी अधिकारों को लाने के लिए। रूज़वेल्ट और चर्चिल द्वारा हस्ताक्षरित अटलांटिक चार्टर *(1941)*, लेकिन इस संबंध में मुख्य रूप से रूज़वेल्ट की पहल ने घोषणा की कि यहाँ शास्त्रीय नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताओं के अलावा अभाव और भय से भी स्वतंत्रता है। *1944* के अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संदेश में,

रूज़वेल्ट ने कहाः

हम इस तथ्य के स्पष्ट अहसास पर आ गए हैं कि वास्तविक व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्थिक सुरक्षा और स्वतंत्रता के बिना मौजूद नहीं हो सकती है।

'आवश्यक पुरुष स्वतंत्र पुरुष नहीं होते हैं।

हमारे समय में इन आर्थिक सत्यों को आत्म-स्पष्ट के रूप में स्वीकार किया गया है। कहने के लिए, हमने अधिकारों के दूसरे विधेयक को स्वीकार कर लिया है।

इनमें शामिल हैं: एक उपयोगी और लाभकारी नौकरी का अधिकार। पर्याप्त भोजन और कपड़े और मनोरंजन प्रदान करने के लिए पर्याप्त कमाई का अधिकार।

एलेनोर की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र समिति ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा *(1948)* का मसौदा तैयार किया। रूज़वेल्ट ने अब के अधिकांश मानक कल्याणकारी अधिकारों को शामिल किया; अधिकार *[2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सामाजिक सुरक्षा के लिए, काम करने के लिए, आराम करने और आराम करने के लिए, चिकित्सा देखभाल के लिए, शिक्षा के लिए, और कला का आनंद लेने और विज्ञान में भाग लेने के लिए। प्रगति और उसके लाभ '। सार्वभौमिक घोषणा इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि प्रस्तावित कल्याणकारी अधिकार कितने व्यापक हो गए हैं।

..... यदि मानवाधिकार जीवन के एक रूप की सुरक्षा है जो है स्वायत्त और स्वतंत्र, उन्हें जीवन के साथ-साथ उसके उस रूप की भी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन अगर वे जीवन की रक्षा करते हैं, तो क्या उन्हें यह भी सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि

शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए-यानी कुछ न्यूनतम भौतिक प्रावधान? और केवल निर्वाह के रूप में-यानी शरीर और आत्मा को एक साथ रखना-मानक एजेंसी सुनिश्चित करने के लिए बहुत कम है, क्या मानवाधिकारों को किसी भी अवकाश और शिक्षा और दूसरों के विचारों तक पहुंच की गारंटी नहीं देनी चाहिए जो एक मानक एजेंट होने के लिए भी आवश्यक हैं?

यही मामले का मूल है। यह मानव अभिकरण की हमारी तस्वीर को आकर्षित करता है और तर्क देता है कि जीवन और कुछ सहायक वस्तुएँ दोनों इसके अभिन्न अंग हैं। जीवन और कुछ सहायक वस्तुएँ स्वायत्त और स्वतंत्र होने के लिए आवश्यक शर्तें हैं। कई दार्शनिक

मनुष्य को स्थापित करने के लिए इस आवश्यक-स्थिति तर्क का उपयोग करें।

कल्याण का अधिकार-या, कम से कम, किसी भी अन्य अधिकार की तरह अधिकार के बुनियादी होने को स्थापित करने का अधिकार।

मैं भी आवश्यक शर्तों के तर्कों का आह्वान करना चाहता हूं; मुझे केवल इसे मजबूत करना चाहिए। अब यह कहना आम बात हो गई है कि स्वतंत्रता के अधिकार और कल्याणकारी अधिकार 'अविभाज्य' हैं। लेकिन वह भी बहुत कमजोर है। यह इस बात पर जोर देता है कि कोई भी कल्याणकारी अधिकारों के लाभों का आनंद

लिए बिना स्वतंत्रता अधिकारों के लाभों का आनंद नहीं ले सकता है, और इसके विपरीत। लेकिन कुछ और मजबूत अभी भी कहा जा सकता है। कल्याण के ऐसे रूप हैं जो किसी व्यक्ति के स्वायत्त और स्वतंत्र होने की अनुभवजन्य रूप से आवश्यक शर्तें हैं, लेकिन ऐसे रूप भी हैं जो हैं - तार्किक रूप से आवश्यक-यह कहने में हमारा क्या मतलब है कि एक व्यक्ति के पास ये अधिकार हैं। जिस मूल्य में मानवाधिकार आधारित हैं, वह मानक एजेंसी से जुड़ा मूल्य है। उत्पन्न होने वाला मानक

इस मूल्य से, निश्चित रूप से, व्यक्तियों को हमला करने से रोकता है दूसरे की स्वायत्तता और स्वतंत्रता। लेकिन यह अधिक प्रतिबंधित करता है। इसका मूल्य

एक मानक प्रतिनिधि होना, एक स्व-निर्माता होना, जो भगवान की छवि में बनाया गया है। मूल्य केवल किसी के होने में नहीं रहता है स्वायत्तता और स्वतंत्रता के लिए अविकसित, अप्रयुक्त क्षमताएँ, लेकिन उनका प्रयोग करने में भी-न केवल स्वायत्त होने में सक्षम होने में, बल्कि *STICE K. S.* पुट्टास्वामी *(RETD.) v.*

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

वास्तव में भी ऐसा ही है। इस अधिक जटिल मूल्य से जुड़ा मानक एक एजेंट होने में विफल होने के अन्य तरीकों को संबोधित करेगा। इसके लिए किसी अन्य व्यक्ति को एजेंसी खोने से बचाने की आवश्यकता होगी, कम से कम अगर कोई अपने लिए बड़ी कीमत चुकाए बिना ऐसा कर सकता है; इसके लिए दूसरे की एजेंसी को बहाल करने में मदद करने की आवश्यकता होगी यदि यह पहले से ही खो चुकी है, जैसे कि विकलांगों को गतिशीलता या नेत्रहीनों को मार्गदर्शन देने के माध्यम से, फिर से उसी प्रावधान के साथ। यह सब केवल स्वायत्तता या स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। कल्याणकारी दावे पहले से ही इन अधिकारों की सामग्री का हिस्सा हैं। फिर, हमें बुनियादी अधिकारों के 'शास्त्रीय' स्वतंत्रता अधिकारों और कल्याणकारी अधिकारों में सामान्य विभाजन के बारे में क्या सोचना चाहिए? स्वायत्तता या स्वतंत्रता का अधिकार इन दोनों में से किस वर्ग में जाता है? दोनों में से किस वर्ग में कठिन, जाहिरा तौर पर सीमावर्ती मामले जाते हैं, जैसे कि जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, खुशी की खोज, व्यक्ति की सुरक्षा और गोपनीयता? समझदारी भरी प्रतिक्रिया यह होगी कि अंतर को छोड़ दिया जाए। इसके अलावा, कल्याण का अधिकार एक मानव अधिकार है।

36. अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक 'डेवलपमेंट एज फ्रीडम' में कहा हैः

विकास के लिए अस्वतंत्रता के प्रमुख स्रोतों को हटाने की आवश्यकता हैः गरीबी के साथ-साथ अत्याचार, खराब आर्थिक अवसरों के साथ-साथ व्यवस्थित सामाजिक अभाव, सार्वजनिक सुविधाओं की उपेक्षा के साथ-साथ असहिष्णुता या दमनकारी राज्यों की अति सक्रियता। इसके बावजूद समग्र समृद्धि में अभूतपूर्व वृद्धि, समकालीन दुनिया बड़ी संख्या में लोगों को-शायद अधिकांश लोगों को भी-प्राथमिक स्वतंत्रता से वंचित करती है। कभी-कभी मौलिक स्वतंत्रताओं की कमी

पर्याप्त रूप से कपड़े पहने या आश्रय, या स्वच्छ पानी या स्वच्छता सुविधाओं का आनंद लेने के लिए। अन्य मामलों में, स्वतंत्रता की कमी सार्वजनिक सुविधाओं और सामाजिक देखभाल की कमी से निकटता से जुड़ी हुई है, जैसे कि महामारी विज्ञान कार्यक्रम, या स्वास्थ्य देखभाल या शैक्षिक सुविधाओं के लिए संगठित व्यवस्था, या स्थानीय शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी संस्थान। अभी भी अन्य मामलों में, स्वतंत्रता का उल्लंघन सीधे तौर पर सत्तावादी शासनों द्वारा राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता से इनकार

करने और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मामलों में भाग लेने की स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप होता है।

समुदाय का जीवन "। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

307. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय को यह पता लगाने के लिए कहा जाता है कि

पता लगाएँ कि क्या आधार अधिनियम दोनों अधिकारों के बीच उचित संतुलन बनाता है। इस संदर्भ में, हमें उचित उद्देश्य को प्राप्त करने के महत्व और संवैधानिक अधिकारों पर सीमा को रोकने के सामाजिक महत्व की जांच करनी होगी। जहाँ तक उचित को प्राप्त करने का महत्व है उद्देश्य का संबंध है, जिस पर पहले ही प्रकाश डाला जा चुका है। कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को दोहराने के लिए, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि राज्य समाज के योग्य वर्ग को भोजन का अधिकार, आजीविका का अधिकार, पेंशन प्राप्त करने का अधिकार और छात्रवृत्ति जैसे अन्य सामाजिक सहायता लाभ प्रदान करने के लिए आधार का उपयोग कर रहा है।

फलीभूत होने के लिए जीवन का अधिकार। आधार की यह आवश्यकता उत्पन्न हुई है

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे लाभ केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही दिए जाएं। इस अधिनियम का उद्देश्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का कुशल, पारदर्शी और लक्षित वितरण करना है। इस प्रक्रिया में, यह वितरण प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्ट प्रथाओं को रोकने के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है जो वास्तविक व्यक्तियों को इन लाभों को प्राप्त करने से वंचित करते हैं। पीडीएस के साथ-साथ ईंधन सब्सिडी में रिसाव से संबंधित खबरें आई हैं और मनरेगा योजना के काम में भी। विद्वान महान्यायवादी श्री वेणुगोपाल ने इन रिपोर्टों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिए हैं:

(1) पीडीएस में रिसाव से संबंधित रिपोर्ट

सरकार के साथ-साथ विश्व बैंक और योजना आयोग द्वारा शुरू किए गए कई अध्ययनों से पता चला है कि खाद्यान्न इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुंचा और पहचान स्थापित करने में विफलता के कारण बड़े पैमाने पर रिसाव हुआः

खुले बाजार में उनके डायवर्जन के कारण लाभार्थी।

(ख) "बजट संक्षिप्त विवरण" शीर्षक से एक रिपोर्टः अवनि कपूर और अनिर्वन चौधरी द्वारा तैयार और जवाबदेही पहल द्वारा प्रकाशित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली *(*टी. पी. डी. एस.*)*, जी. ओ. आई. *2011-2012* ने पाया कि बड़ी संख्या में नकली राशन कार्ड थे जो लक्ष्यीकरण में अक्षमता पैदा कर रहे थे। जुलाई *2006* और जुलाई *2010* के बीच, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में परिवारों के लिए कुल *37* लाख अपात्र/नकली राशन कार्ड हैं।

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

हटा दिया गया। इसके अलावा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में

प्रदेश में *29* लाख और *25* लाख अपात्र राशन कार्ड पाए गए और उन्हें रद्द कर दिया गया। *(* ग*)* विश्व बैंक ने "भारत का" शीर्षक से एक चर्चा पत्र संख्या *380* प्रकाशित किया।

सार्वजनिक वितरण प्रणालीः राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव "दिनांक नवंबर, *1997* आर द्वारा सह-लिखित।

राधाकृष्ण और के. सुब्बाराव, जिसमें यह पाया गया कि वर्ष में *1986-87* में प्रत्येक एक रुपये के लिए *(*रु। *1)* पीडीएस के तहत हस्तांतरित, केंद्र सरकार द्वारा किया गया खर्च था

रु. *4.27 .*

*((*घ*)* भारत का योजना आयोग अपने प्रदर्शन में "प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट" शीर्षक वाली मूल्यांकन रिपोर्ट

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली *(*टी. पी. डी. एस.*)* दिनांक मार्च, *2005*

निम्नलिखित रूप में पाया गयाः

(i) विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त राशन कार्डों का राज्यवार आंकड़ा और जारी किए गए डेढ़ करोड़ से अधिक अतिरिक्त राशन कार्डों का अस्तित्व।

((ii) काल्पनिक परिवारों का अस्तित्व और पहचान की त्रुटियों के कारण वास्तविक लाभार्थियों को बाहर कर दिया जाता है।

(iii) अध्ययन के तहत लगभग सभी राज्यों में नकली बी. पी. एल. राशन कार्डों के माध्यम से रिसाव प्रचलित पाया गया।

(iv) भूत कार्ड के माध्यम से खाद्यान्न के रिसाव को सारणीबद्ध किया गया है और अखिल भारतीय आधार पर इस तरह के रिसाव का प्रतिशत *16.67%* अनुमानित किया गया है। *(v)* यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि सब्सिडी वाले खाद्य पदार्थों का एक बड़ा हिस्सा-अनाज

लक्ष्य समूह तक नहीं पहुँच रहे थे। *(II)* ईंधन सब्सिडी से संबंधित रिपोर्ट

13. केरोसिन सब्सिडी के संबंध में:

(क*)* राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान द्वारा मार्च में तैयार की गई "भारत में बजटीय सब्सिडी-सामाजिक और आर्थिक सेवाओं को सब्सिडी देना" शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में पाया गया कि सब्सिडी की मात्रा को कम करने की कुंजी बेहतर लक्ष्य था, जिसके बिना, अनपेक्षित लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रिसाव था, जिसमें केवल *70* प्रतिशत मिट्टी का तेल समाज के गरीब वर्ग तक पहुंच रहा था।

(ख*)* आर्थिक सर्वेक्षण अध्याय *3* में "हर आंख से हर आँसू पोंछनाः जे. ए. एम. संख्या ट्रिनिटी समाधान *"[2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिनांक फरवरी, *2015* में उल्लेख किया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवंटित सब्सिडी वाले मिट्टी के तेल का केवल *59* प्रतिशत वास्तव में उपयोग किया जाता है

घरों, शेष के साथ रिसाव के लिए खो दिया और केवल *46* प्रतिशत

कुल खपत गरीब परिवारों द्वारा की जाती है।

(क) वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट और ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए दरों की अनुसूची के अध्ययन" के रूप में प्रायोजित

योजना "ने पाया कि नकली नौकरी करने में बड़ी धोखाधड़ी हुई थी

(ख) राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान की रिपोर्ट "आधार का एक लागत-लाभ विश्लेषण" दिनांक *09.11.2012* के शीर्षक से अनुमान लगाया गया है कि नकली श्रमिकों के कारण सरकार को लगभग *12* प्रतिशत का रिसाव हो रहा है और

मस्टर रोल में हेरफेर किया गया और यह माना गया कि *5* प्रतिशत लीकेज को आधार-सक्षम बैंक खातों का उपयोग करके वेतन वितरण के माध्यम से और *7* प्रतिशत मस्टर रोल के स्वचालन के माध्यम से रोका जा सकता है।

(III) यह भी बताया गया कि दिसंबर, *2009* की तेरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट "अध्याय *12*-सहायता अनुदान" में पृष्ठ *218* पर कहा गया है कि देश के सभी निवासियों के लिए एक बायोमेट्रिक आधारित अद्वितीय पहचान के निर्माण में सरकार की आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल पात्र व्यक्तियों को सब्सिडी और लाभ प्रदान किए जाते हैं और सभी पात्र व्यक्तियों को शामिल किया जाता है।

उपरोक्त रिपोर्ट के प्रासंगिक निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

(i) सब्सिडी पर भारत सरकार का खर्च लगभग *1* करोड़ रुपये या गैर-योजना राजस्व व्यय का लगभग *18* प्रतिशत होने की उम्मीद है। *(ii)* वर्तमान में बनाए गए पात्र व्यक्तियों के डेटा बेस में टाइप *I (*बहिष्करण*)* और टाइप *II (*समावेश*)* दोनों त्रुटियां हैं।

प्रथम न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

सरकारी सब्सिडी और सामाजिक सुरक्षा जाल कार्यक्रमों के लिए पात्र होने के लिए अपनी पहचान स्थापित करने में गरीबों के सामने आने वाली कठिनाई से त्रुटि उत्पन्न होती है। दूसरी त्रुटि उत्पन्न होती है क्योंकि

डुप्लिकेट और नकली प्रविष्टियों को समाप्त करने के लिए जिला स्तर और राज्य स्तर के डेटा बेसों में योग्य व्यक्तियों की सूचियों को पार-सत्यापित करने में असमर्थता। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि केवल पात्र व्यक्तियों को सब्सिडी और लाभ प्रदान किए जाएं और सभी पात्र व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जाए।

(iii) देश के सभी निवासियों के लिए एक बायोमेट्रिक आधारित अद्वितीय पहचान के निर्माण में इन दोनों आयामों को संबोधित करने की क्षमता है।

एक साथ। यह लक्षित समूहों को सब्सिडी पर ध्यान केंद्रित करने का आधार प्रदान करेगा। इस तरह की पहचान के होने से गरीब और वंचित लोग भी बैंक जैसे अन्य संसाधनों का लाभ उठा सकेंगे
खाते, सेल फोन, जो उन्हें सशक्त बना सकते हैं और उनकी आय वृद्धि को उत्प्रेरित कर सकते हैं। स्वीकार्य पहचान प्रदान करने में असमर्थता के कारण वे वर्तमान में इन लाभों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अद्वितीय आईडी प्रदान करने की पहल में सार्वजनिक सेवाओं के शासन और वितरण ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार करने की क्षमता है

लेन-देन की लागत, रिसाव और धोखाधड़ी को काफी कम करते हुए।

308. उपरोक्त व्यापक सार्वजनिक हित के विपरीत, इन लाभार्थियों के गोपनीयता अधिकारों में आक्रमण न्यूनतम है। यह किसी भी तरह से संभव नहीं है।

यह कहा जा सकता है कि इसका अधिकार धारक पर असमान प्रभाव पड़ता है।

309. समीक्षा की तीव्रता किसी दिए गए मामले में प्रश्न के विशेष संदर्भ पर निर्भर करती है। इन मामलों में एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जिस पर इस स्तर पर जोर दिया जाना चाहिए। एक ही व्यक्ति के बेहतर जीवन स्तर को सुनिश्चित करने के रूप में स्वायत्तता *(*सूचनात्मक गोपनीयता*)* और गरिमा के रूप में गरिमा। तत्काल मामले में, ऊपर की विस्तृत चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मामले का एक समग्र दृष्टिकोण, यह दर्शाता है कि आधार में नामांकन

समाज के वंचित और हाशिए पर पड़े वर्ग को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाना वास्तव में इन व्यक्तियों को सशक्त बनाने के बराबर है। एक ओर, यह ऐसे व्यक्तियों को उनकी अनूठी पहचान देता है और दूसरी ओर, यह ऐसे व्यक्तियों को सक्षम भी बनाता है सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाना जो ऐसे वर्गों के उत्थान के लिए सामाजिक-आर्थिक कल्याण उपायों के रूप में शुरू की गई हैं। इस मायने में, यह योजना ऐसे व्यक्तियों की गरिमा सुनिश्चित करती है। इसका यह पहलू

गरिमा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और इसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। हम किसी भी तरह से यह स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि जब आर्थिक रूप से गरिमा

कल्याण दिया जाता है, राज्य को उस व्यक्ति से उसकी स्वतंत्रता छीनने का अधिकार है।

इसकी कभी अनुमति नहीं दी जा सकती। हम गरिमा के दो पहलुओं के संतुलन के बारे में चिंतित हैं। यहाँ हम पाते हैं कि गोपनीयता अधिकारों में प्रवेश जहां इन व्यक्तियों को उनकी बायोमेट्रिक जानकारी के साथ भाग

लेने के लिए बनाया जाता है, न्यूनतम है। यह इस तथ्य के साथ जोड़ा गया है कि ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर कोई डेटा संग्रह नहीं है, जब वे अधिनियम की धारा *7* के तहत लाभ उठाते हैं, जिससे कानून बनाने की संभावना को खारिज कर दिया जाता है।

उनकी प्रोफाइल। वास्तव में, यह प्रौद्योगिकी एक सामाजिक कल्याण राज्य में सुशासन सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाती है। इसलिए, हम हैं

राय है कि आधार अधिनियम संतुलन की कसौटी पर भी खरा उतरता है।

310. हम लाभप्रद रूप से इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज *(*पी. यू. सी. एल.*)* और ए. एन. आर. वी. भारत संघ और ए. एन. आर. *04* जो निजता के अधिकार बनाम लोक हित के मुद्दे से संबंधित था और लोक हित के पक्ष में था जिसे यहाँ से देखा जा सकता है।

निम्नलिखित चर्चाः

"121. यह बहुत बल के साथ तर्क दिया गया है कि अधिकार

न्यायपालिका द्वारा मतदाताओं/नागरिकों को उपलब्ध कराई गई जानकारी
व्याख्या को निजता के अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिए

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार का जीवनसाथी और उस पर कोई भी आग्रह

जीवनसाथी की परिसंपत्तियों और देनदारियों का खुलासा उस पर आक्रमण करता है।

निजता का अधिकार जो अनुच्छेद *21* में निहित है। चिंता करने के बाद

इस तर्क पर विचार करते हुए, मैं इसे बनाए रखने में असमर्थ हूं। में।

इस संदर्भ में, मैं मैथ्यू, जे. के उपयुक्त शब्दों को याद करना चाहूंगा।

गोबिंद वी. एम. पी. की स्थिति *[1969* यू. जे. *(*एससी*) 616]* का विश्लेषण करते हुए

अनुच्छेद *21* के एक घटक के रूप में निजता का अधिकार, यह देखा गयाः

(एस. सी. सी पी. *155,* पैरा *22)*

"22. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि गोपनीयता-गरिमा के दावे उचित हैं।
सावधानी से जाँच की जानी चाहिए और केवल तभी अस्वीकार किया जाना चाहिए जब

महत्वपूर्ण प्रतिवर्ती ब्याज बेहतर दिखाया गया है।

(जोर दिया गया*)*

फिर संक्षेप में कहा गयाः *(* एससीसी पीपी। *155-56* , पैरा *22)*
"यदि अदालत यह पाती है कि दावा किया गया अधिकार संरक्षण का हकदार है

निजता के मौलिक अधिकार के रूप में, इसका उल्लंघन करने वाले कानून को संतुष्ट करना चाहिए।

सम्मोहक राज्य-ब्याज परीक्षा। तब सवाल यह होगा कि

क्या किसी राज्य का हित इतना सर्वोपरि है कि
यह अधिकार के उल्लंघन को उचित ठहराएगा। "

104 (2003) 4 एस. सी. सी. *399* सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

इसे आगे समझाया गया थाः *(* एस. सी. सी पी. *156,* पैरा *23)*

" [पी*]* गोपनीयता मुख्य रूप से व्यक्ति से संबंधित है। इसलिए यह संबंधित है

और स्वतंत्रता की अवधारणा के साथ ओवरलैप करता है। सबसे गंभीर

गोपनीयता के अधिवक्ता को यह स्वीकार करना चाहिए कि गंभीर हैं

अधिकार के सार और दायरे को परिभाषित करने की समस्याएं। स्वायत्तता में गोपनीयता के हित को अन्य के संदर्भ में भी रखा जाना चाहिए। अधिकार और मूल्य "।

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अपने जीवनसाथी की संपत्ति और देनदारियों का खुलासा करने के लिए बुलाकर,

इस प्रकार मतदाता/नागरिक की जानकारी को बढ़ावा दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार और नागरिकों के सूचना के अधिकार के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, तो पहले के अधिकार को बाद के अधिकार के अधीन करना पड़ता है क्योंकि यह व्यापक सार्वजनिक हित की सेवा करता है। उम्मीदवार के बारे में जानने का अधिकार जो

एक सार्वजनिक व्यक्ति और एक प्रतिनिधि बनने का इरादा रखता है

लोग प्रभावी और वास्तविक नहीं होंगे यदि केवल काट दिया जाए

परिसंपत्तियों और देनदारियों की जानकारी दी गई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे देश में पारिवारिक संबंध और सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि पति-पत्नी संपत्तियों को देखते हैं

सभी व्यावहारिक लोगों के लिए परिवार से संबंधित होने के रूप में उनके द्वारा आयोजित प्रयोजनों के लिए, हालांकि कानून की नजर में संपत्ति स्पष्ट रूप से उनमें से प्रत्येक की हो सकती है। कुल मिलाकर, पति-पत्नी द्वारा धारण की गई संपत्तियों में एक प्रकार की एकता होती है। जीवनसाथी के बेनामी के नाम पर रखी जा रही संपत्ति हमारे देश में अज्ञात नहीं है। इस स्थिति में यह कहा जा सकता है कि

काउंटरवेलिंग या सर्वोपरि हित एक ऐसे उम्मीदवार की आवश्यकता में शामिल है जो खुद को सार्वजनिक दृष्टि के अधीन करने का विकल्प चुनता है और पति या पत्नी की परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए भी जांच। यह समस्या को देखने का एक तरीका है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद ने खुद सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया कि न केवल निर्वाचित उम्मीदवारों की संपत्ति बल्कि उनके

जीवनसाथी और आश्रित बच्चों को भी संवैधानिक प्राधिकरण के सामने प्रकट किया जाना चाहिए और निजता का अधिकार इस तरह के प्रकटीकरण के रास्ते में नहीं आना चाहिए।

1. वर्नोनिया स्कूल डिस्ट्रिक्ट में *47* जे बनाम। एक्टन एट यूएक्स। , एक्टन *1 05* के लिए अभिभावक एन, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय, जबकि चौथे संशोधन को चुनौती देते हुए जिसमें याचिकाकर्ता ने

646 (1995)

[2018] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक दवा नीति जो यादृच्छिक मूत्र विश्लेषण दवा परीक्षण को अधिकृत करती है

एथलेटिक्स कार्यक्रमों में भाग लेने वाले एथलीटों ने नीचे टिप्पणी की:

"उन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए जिन पर हमने ऊपर विचार किया है

गोपनीयता की कम अपेक्षा, सापेक्ष विनीतता

खोज की, और खोज द्वारा पूरी की गई आवश्यकता की गंभीरता-हम

निष्कर्ष निकालें कि वर्नोनिया की नीति उचित है और इसलिए संवैधानिक है।

312. यह दो मौलिक अधिकारों के संतुलन का अभ्यास है।

सुब्रमण्यम स्वामी बनाम में भी किया गया। भारत संघ, मंत्रालय

डब्ल्यू एंड ओआरएस। *106* जहाँ न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों पर विचार किया:

एर:

"*122.* मद्रास राज्य बनाम। वी. जी. रो *[*मद्रास राज्य बनाम। वीजी.

पंक्ति, ए. आई. आर *1952* एस. सी *196: 1952* क्रि एल. जे. *966],* अदालत ने फैसला सुनाया है

कि तर्कसंगतता का परीक्षण, जहाँ भी निर्धारित किया जाए, होना चाहिए

प्रत्येक व्यक्तिगत क़ानून पर लागू किया जाता है और कोई सार नहीं

तर्कसंगतता का मानक या सामान्य स्वरूप निर्धारित किया जा सकता है।

जैसा कि सभी मामलों में लागू होता है। कथित अधिकार की प्रकृति

उल्लंघन किया गया है, लगाए गए प्रतिबंधों का अंतर्निहित उद्देश्य, बुराई की सीमा और तात्कालिकता को सुधारने की कोशिश की गई,

अधिरोपण का अनुपात, प्रचलित स्थितियाँ

समय, सभी को न्यायिक निर्णय में प्रवेश करना चाहिए।

XX

XX

XX

130. उचित प्रतिबंध के संबंध में सिद्धांत जो किए गए हैं इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर कहा गया है कि प्रतिबंध होना चाहिए

अत्यधिक और जनहित में नहीं होना चाहिए। कानून नहीं होना चाहिए

अधिकारों पर आक्रमण करें और मनमानेपन की गंध नहीं आनी चाहिए। यह परीक्षा

तर्कसंगतता का निर्धारण किसी को निर्धारित करके नहीं किया जा सकता है

अधिकार की प्रकृति जिसका उल्लंघन किया गया है या जिसकी मांग की गई है उल्लंघन किया गया। अंतिम "प्रभाव", अर्थात, अधिकार पर प्रभाव पड़ता है

तय करें। "प्रभाव सिद्धांत" या "अपरिहार्य" का सिद्धांत

प्रभाव "या" अपरिहार्य परिणाम "विरोधाभासी है किसी विधान या वैधानिक प्रावधान का दुरुपयोग या दुरुपयोग

एक की संवैधानिकता का निर्णय करते समय न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा गया अधिकार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रावधान। प्रकृति.

16) 7 एस. सी. सी. *221* एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

सामाजिक नियंत्रण की भूमिका जिसमें लोक हित शामिल है। द. सामाजिक हित की अवधारणा को ध्यान में रखना होगा जबकि

किसी अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंध की तर्कसंगतता पर विचार करना।

सामाजिक हित के सिद्धांत में समाज की महसूस की गई ज़रूरतें शामिल होंगी। समाज।

XX

XX

XX

मौलिक अधिकारों का संतुलन

136. ऊपर हमने जो प्रस्तुत किया है उसकी सराहना करने के लिए, यह है

मौलिक अधिकारों को संतुलित करने पर ध्यान देना आवश्यक है। इसमें है।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया कि

अनुच्छेद *19 (1) (ए)* के तहत प्रदत्त अधिकार को अलग रखा जाना चाहिए।

व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की तुलना में आधार जिसे मान्यता दी गई है

संविधान के अनुच्छेद *21* के एक पहलू के रूप में। वास्तव में प्रस्तुतिकरण

प्रेस की स्वतंत्रता को उच्च दर्जा दिया जाना चाहिए और व्यक्ति की उसकी प्रतिष्ठा प्राप्त करने का अधिकार उक्त अधिकार के अनुरूप होना चाहिए। में।

इस संबंध में सकल पेपर्स *(*पी*)* लिमिटेड का एक अंश। *[*सकल पेपर्स

(पी*)* लिमिटेड बनाम। भारत संघ *(1962) 3* एस. सी. आर. *842:* ए. आई. आर. *1962* एससी *305]* हमारी प्रशंसा की गई है। इसमें कहा गया है: *(* एयर पीपी। *313-14 ,* पैरा

36)

" 36. ..... बोलने की स्वतंत्रता को केवल सीमित किया जा सकता है

राज्य की सुरक्षा के हित, उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विदेशी राज्य, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या इसके संबंध में

अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाना। यह.

व्यापार करने की स्वतंत्रता की तरह, इसमें कटौती नहीं की जा सकती है।

आम जनता का हित। यदि कोई कानून सीधे इसे प्रभावित करता है

चुनौती दी जाती है, यह कोई जवाब नहीं है कि इसके द्वारा लागू किए गए प्रतिबंध खंड *(3)* से *(6)* के तहत न्यायोचित हैं। के लिए, अनुच्छेद की योजना

19 अलग-अलग स्वतंत्रताओं की गणना करना है और फिर

उन प्रतिबंधों की सीमा निर्दिष्ट करें जिनके अधीन वे हो सकते हैं

और वे उद्देश्य जिन्हें सुरक्षित करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। एक नागरिक

प्रत्येक स्वतंत्रता का आनंद लेने का हकदार है

एक साथ और खंड *(1)* एक स्वतंत्रता को पसंद नहीं करता है

एक और। यही इस खंड का स्पष्ट अर्थ है। यह इस प्रकार है -

इससे कि राज्य ऐसा कानून नहीं बना सकता जो प्रत्यक्ष रूप से

बेहतर आनंद प्राप्त करने के लिए भी एक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है

एक और स्वतंत्रता।

(जोर दिया गया*)*

137. उक्त पर अपना चिंतित ध्यान देने के बाद

मार्ग, हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि उपरोक्त मार्ग नहीं है

याचिकाकर्ताओं को सहायता, यहाँ के मुद्दे के लिए निर्वाह है

और अनुच्छेद *19 (1) (*ए*)* के तहत अलग-अलग अधिकारों का संतुलन

और दूसरा, अनुच्छेद *21* के तहत। इसलिए, समरूपता की अवधारणा और एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का विरोध करना।

यह केवल एक और स्वतंत्रता के बेहतर आनंद का मामला नहीं है। में।

आचार्य महाराजश्री नरेंद्र प्रसादजी आनंदप्रसादजी महाराज वी. गुजरात राज्य *[*आचार्य महाराजश्री नरेंद्र

प्रसादजी आनंदप्रसादजी महाराज बनाम। गुजरात राज्य*, (1975)*

1 एस. सी. सी. *11],* यह देखा गया है कि एक विशेष मौलिक

दूसरों द्वारा एक अन्य मौलिक अधिकार के प्रयोग के साथ और राज्य द्वारा शक्ति के उचित और वैध प्रयोग के साथ

समाज कल्याण के हित में निर्देशक सिद्धांतों का प्रकाश

एक पूरा। न्यायालय का कर्तव्य प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन बनाना है। विभिन्न हितों के दावे।

XX

XX

XX

194. इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि जब कोई कानून किसी संविधान को सीमित करता है।

सही जो कई कानून करते हैं, ऐसी सीमा संवैधानिक है यदि

आनुपातिक। प्रतिबंध लगाने वाला कानून आनुपातिक है यदि यह है

एक उचित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, और यदि किए गए उपाय

इस तरह के उद्देश्य को प्राप्त करना तर्कसंगत रूप से उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, और इस तरह के उपाय आवश्यक हैं। ऐसी सीमाएँ नहीं होनी चाहिए

मनमाना या आवश्यकता से परे अत्यधिक प्रकृति का

जनता का हित। तर्कसंगतता को संदर्भ के साथ आंका जाता है

उद्देश्य जिसे कानून प्राप्त करना चाहता है, और नहीं होना चाहिए

उस उद्देश्य से अधिक होना *(*पी. पी. एंटरप्राइजेज बनाम देखें। संघ का भारत *[*पी. पी. उद्यम बनाम. भारत संघ, *(1982) 2* एस. सी. सी. *33:*

1982 एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई.*) 341)*। इसके अलावा, तर्कसंगतता की जांच की जाती है

हित के दृष्टिकोण से एक वस्तुनिष्ठ तरीका

आम जनता और व्यक्ति के दृष्टिकोण से नहीं

जिन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं या अमूर्त विचार *(*देखें*)*

कुरेशी वी। बिहार राज्य, ए. आई. आर. *1958* एस. सी. *731])*। *313.* इस प्रकार, तब भी जब मौलिक अधिकारों के दो पहलू

मुझे व्यक्तिगत रूप से, जो एक दूसरे के साथ संघर्ष में प्रतीत होता है, वह है जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

ऐसा करने पर, हम पाते हैं कि आधार अधिनियम ने लाभार्थी के रूप में उसी व्यक्ति के जीवन के अधिकार के साथ व्यक्ति की निजता के अधिकार के बीच एक उचित संतुलन बनाया है।

अधिनियम के इन प्रावधानों में निहित संवैधानिक अनिवार्यता के रूप में, समाज के वंचित और हाशिए पर पड़े वर्ग को दिए जाने वाले सामाजिक आर्थिक अधिकारों के लिए सभी व्यापक अनुदेशों के बावजूद, यह न्यायिक अभेद्यता प्राप्त करने का हकदार है।

रीः बहिष्करण पर तर्कः

314. हालांकि, कुछ आनुषंगिक पहलुओं पर चर्चा की जानी बाकी है। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया कि पूरी प्रमाणीकरण प्रक्रिया है

गारंटी *100%* सटीकता। यह विभिन्न कारणों से हो सकता है, जैसे कि अग्रिम आयु, दुर्घटना के कारण उंगलियों के निशान को नुकसान, आदि। बच्चों के मामले में भी बड़े होने पर उंगलियों के निशान बदल सकते हैं। जोर इस

बात पर था कि विभिन्न कारणों से प्रमाणीकरण में विफलता की संभावना थी और जब ऐसा होता है तो इसके परिणामस्वरूप समावेश के बजाय बहिष्करण होता है। ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को न केवल कल्याणकारी योजनाओं के लाभों से वंचित किया जाएगा, बल्कि यह उसकी पहचान और अस्तित्व को भी खतरे में डाल सकता है और यह संविधान के अनुच्छेद *14* और *21* का उल्लंघन होगा। प्राधिकरण ने दावा किया है कि बायोमेट्रिक सटीकता *99.76%* है। हालाँकि, यह प्रस्तुत किया गया था कि जहाँ *110* करोड़ से अधिक व्यक्तियों ने अपना नामांकन कराया है, वहाँ *0.232%* विफलता भी एक अभूतपूर्व आंकड़ा होगा। जो *27.60* लाख लोगों के लिए आता है। इसलिए, बहिष्करण की दर खतरनाक है और इसके परिणामस्वरूप जरूरतमंद व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का आनंद लेने से वंचित हो जाएंगे, जो कि उत्तरदाताओं द्वारा घोषित तथाकथित प्रशंसनीय उद्देश्य है।

315. उपरोक्त आशंकाओं को शांत करने की कोशिश की जाती है

प्रत्यर्थियों ने यह प्रस्तुत करते हुए कि अधिनियम की धारा *7* में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि यदि प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, तो संबंधित व्यक्ति इससे वंचित हो जाएगा। सब्सिडी, लाभ या सेवाएँ। यह केवल एक सक्षम प्रावधान है। इसमें यह भी प्रावधान है कि इस तरह की विफलता के मामले में, ऐसे व्यक्ति को किसी अन्य माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी ताकि वास्तविक व्यक्ति

विद्वान महान्यायवादी ने अक्टूबर के परिपत्र का भी उल्लेख किया *24 , 2017* इस संबंध में जो प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। इसके अनुसार

हमारे लिए, समस्या का ध्यान रखता है।

इसकी शुरुआत की तारीख से। यह विद्वान वकील द्वारा कहा गया था बार में जनरल के साथ-साथ श्री राकेश द्विवेदी ने कहा कि जब भी कार्यान्वयन में कठिनाइयों को उत्तरदाताओं के ध्यान में लाया जाता है, तो शीघ्रता के साथ उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं। इनकार करने के मामले

सेवाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है जिनकी एक कल्याणकारी राज्य में बहुत आवश्यकता होती है और एक वास्तविक आशा हो सकती है कि प्रौद्योगिकी के ठीक संयोजन के साथ, यानी तेजी से प्रगति के तरीके से, ऐसी समस्याओं और चिंताओं का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा।

317. याचिकाकर्ताओं के लिए निष्पक्षता में, यह उल्लेखनीय है कि उन्होंने कुछ व्यक्तियों द्वारा किए गए शोध का उल्लेख किया है और यहां तक कि

गैर सरकारी संगठन जिन पर यह प्रदर्शित करने के लिए भरोसा किया गया है कि बहिष्कार के लिए कई उदाहरण हैं यानी प्रमाणीकरण की विफलता के आधार पर लाभों को कथित रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है। उत्तरदाताओं ने इस तरह के अध्ययनों का खंडन किया है। ये तथ्यों के विवादित प्रश्न बन जाते हैं। ऐसी सामग्री के आधार पर संसदीय विधानों के प्रावधानों को अमान्य करना मुश्किल होगा, विशेष रूप से, जब उनकी विश्वसनीयता का परीक्षण नहीं किया गया है।

318. इसके अलावा, एक और महत्वपूर्ण और अधिक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है। इस अधिनियम का उद्देश्य लीकेज को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लक्षित आबादी तक पहुंचे, जिनके लिए ऐसी योजनाएं वास्तव में हैं। यह बड़ा उद्देश्य है, और बहुत महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्देश्य है, जो अधिनियम है

कम करना चाहिए। हम पहले ही मान चुके हैं कि यह वैध उद्देश्य को पूरा करता है और अधिनियम के प्रावधानों और उन लक्ष्यों के बीच एक तर्कसंगत संबंध है जिन्हें वह प्राप्त करना चाहता है। अधिनियम पारित करता है कि

आवश्यकता तब भी होती है जब हमें कोई कम प्रतिबंधात्मक उपाय नहीं मिलता है जो लक्ष्य को प्राप्त करने में समान रूप से प्रभावी हो सकता है। ऐसी स्थिति में जहां अधिनियम का उद्देश्य उपरोक्त सार्वजनिक उद्देश्य को प्राप्त करना है, लाखों योग्य लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास करते हुए, क्या इसे केवल इस आधार पर अमान्य किया जा सकता है कि इन कल्याणकारी योजनाओं के कुछ साधकों के बहिष्कृत होने की संभावना है*?* जवाब नकारात्मक होना चाहिए। हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि हम किसी भी तरह से यह स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि यदि ऐसा बहिष्कार होता है, तो यह उचित है। हम केवल इस तथ्य पर प्रकाश डाल रहे हैं कि सरकार यह सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों में ईमानदार प्रतीत होती है कि ऐसा कोई बहिष्कार न हो और उन मामलों में जहां कोई व्यक्ति जो योजना के तहत लाभों का हकदार है, केवल प्रमाणीकरण की विफलता के कारण इस तरह के लाभ से वंचित नहीं किया जाता है।

इस परिदृश्य में, न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

319. हम उस स्थिति से भी अवगत हैं जहां विभिन्न कारणों से उंगलियों के निशान में बदलाव हो सकता है। ऐसा हो सकता है। बच्चे के मामले में उसके बड़े होने के बाद; यह उस व्यक्ति के मामले में हो सकता है जो बूढ़ा हो जाता है; यह दुर्घटना या किसी बीमारी आदि के परिणामस्वरूप उंगलियों को नुकसान के कारण भी हो सकता है। या इसकी वजह से

किसी भी कारण से किसी प्रकार की अक्षमता से पीड़ित होना। आइरिस परीक्षण भी किसी व्यक्ति के अंधेपन सहित कुछ कारणों से विफल हो सकता है। हम फिर से इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी व्यक्ति को लाभों के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा ऐसे आधारों पर भी। यह उचित होगा यदि संबंधित विनियमों में एक पहचान स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त प्रावधान किया जाए

वैकल्पिक साधन, ऐसी स्थितियों में। इसके अलावा, यदि प्रमाणीकरण में *0.232%* विफलता है, तो यह भी नहीं कहा जा सकता है कि ये सभी विफलताएं केवल उन मामलों में थीं जहां प्रमाणीकरण उपयोग करने के उद्देश्य से था। कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए, अर्थात धारा *7* के संदर्भ में

अधिनियम से। ऐसा अन्य मामलों में भी हो सकता था। चाहे जो भी हो, एक और पहलू है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हम पहले ही ऊपर इस बात पर प्रकाश डाल चुके हैं कि कैसे आधार परियोजना का उद्देश्य एक बहुत बड़े सार्वजनिक हित की सेवा करना है। प्राधिकरण ने दावा किया है कि बायोमेट्रिक सटीकता *99.76%* है और याचिकाकर्ताओं ने भी उसी आधार पर आगे बढ़ना शुरू किया है। इस परिदृश्य में, यदि आधार परियोजना को बंद कर दिया जाता है, तो *99.76%* लाभार्थियों को नुकसान होने वाला है। क्या इससे उनका बहिष्कार नहीं होगा*?* यह बच्चे को पानी के साथ गर्म पानी से बाहर

फेंकने के बराबर होगा। समाज के हाशिए पर पड़े वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में लीकेज, चोरी और भ्रष्टाचार की प्रणाली के साथ *0.232%* विफलता *(*जिसे किसी भी मामले में ठीक किया जा सकता है*)* के नाम पर, इसका पूरा फल ऐसे लोगों तक नहीं पहुंच रहा था*?* आधार कार्यक्रम

लॉन्च किया गया। यह शुरुआत में कहा गया है। इस कार्यक्रम को शुरू करने के पीछे का पूरा उद्देश्य उन योग्य व्यक्तियों का 'समावेश' है जिन्हें इस तरह के लाभ प्राप्त करने की आवश्यकता है। जब यह बहुत बड़े उद्देश्य की पूर्ति कर रहा हो लाखों योग्य व्यक्तियों तक पहुँचकर, इसे कुछ के बहिष्कार के अप्रमाणित अनुरोध पर सूली पर नहीं चढ़ाया जा सकता है। हम फिर से दोहराते हैं कि न्यायालय बहिष्करण की समस्या को तुच्छ नहीं बना रहा है। हालांकि, हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इसका उपाय खामियों को दूर करना है-सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समाज के बड़े वर्ग के कल्याण के उद्देश्य से एक परियोजना को समाप्त करने के बजाय। जाहिर है, प्रमाणीकरण की विफलताओं को दूर करने के लिए, उपचार ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को अपनाना है, उनके मामलों में विफलता के कारणों का पता लगाने के बाद। हमने इस मार्ग को चुना है जो बेहतर संतुलन की ओर ले जाता है और इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए हैं। *320.* एक अन्य पहलू जिसकी इस स्तर पर जांच की आवश्यकता है, वह अर्थ है जो 'सब्सिडी' और 'सेवाओं' के साथ आधार अधिनियम की धारा *7* में होने वाली 'लाभ' अभिव्यक्ति को सौंपा जाना है। यह तर्क दिया गया था कि 'लाभ' अभिव्यक्ति बहुत कमजोर और व्यापक है और उत्तरदाता समुदायों के कल्याण के नाम पर किसी भी और हर तरह की सरकारी गतिविधि को अपने दायरे में लाने का प्रयास कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आधार की आवश्यकता लगभग अनिवार्य हो जाएगी। यह बताया गया कि सरकार ने विभिन्न परिपत्र जारी किए हैं

पहले से ही धारा *7* के दायरे में लाई गई, लगभग *139* ऐसी सब्सिडी,

सेवाएँ और लाभ।

321. इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार सब्सिडी, सेवाओं और सेवाओं के दायरे को बढ़ाने के लिए उपरोक्त प्रावधान के तहत आपत्ति नहीं उठा सकती है।

लाभ '। लाभ ऐसे होने चाहिए जो कल्याणकारी योजनाओं की प्रकृति के हों, जिनके लिए भारत की संचित निधि से संसाधन लिए जाने चाहिए।

यह दर्शाता है कि व्यय भारत की संचित निधि से किया जाता है। इसके अलावा, 'लाभ' अभिव्यक्ति को पूर्ववर्ती शब्द 'सब्सिडी' के साथ पढ़ा जाना चाहिए। *322.* हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा अर्जित लाभ *(*जैसे कि एक सरकारी कर्मचारी द्वारा पेंशन*)* अधिनियम की धारा *7* के तहत कवर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा लाभ प्राप्त करना व्यक्ति का अधिकार है।

साथ ही, हमने उन अधिसूचनाओं की सूची देखी है जो आधार अधिनियम की धारा *7* के तहत जारी की जाती हैं। हम पाते हैं कि इनमें से अधिकांश अधिसूचनाएं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित हैं जिनके तहत इच्छुक प्राप्तकर्ताओं को लाभ, सब्सिडी या सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, लाभ प्राप्त करने के लिए,

कुछ सेवाओं को छोड़कर जहां वार्षिक सत्यापन की आवश्यकता होती है, केवल एक बार सत्यापन की आवश्यकता होती है।

यह न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

(क*)* धारा *7* में उल्लिखित 'लाभ' और 'सेवाएँ' वे होनी चाहिए जो किसी प्रकार की सब्सिडी आदि के रंग की हों, अर्थात् - सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जिनके द्वारा सरकार ऐसे लाभ प्रदान कर रही है जो एक विशेष वंचित वर्ग के लिए लक्षित हैं।

(ख*)* इसका व्यय संचित निधि से लिया जाना चाहिए।

भारत का कोष।

(ग*)* उस आधार पर, सी. बी. एस. ई., एन. ई. ई. टी., जे. ई. ई., यू. जी. सी. आदि आधार की आवश्यकता को अनिवार्य नहीं बना सकते क्योंकि वे आधार के दायरे से बाहर हैं।

धारा *7* और किसी भी कानून द्वारा समर्थित नहीं हैं।

बच्चे:

323. हालांकि, हमने आधार अधिनियम की धारा *7* की वैधता को सामान्य रूप से बरकरार रखा है, लेकिन इसके एक विशिष्ट पहलू पर अभी विचार किया जाना बाकी है।

पंजीकृत किया। हमने माना है कि आधार एक स्वैच्छिक योजना है और इसलिए, आधार संख्या किसी व्यक्ति को उसकी 'सहमति' पर आवंटित की जानी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा *7* के तहत किसी भी लाभ का उपयोग करने के उद्देश्यों के लिए आधार अधिनियम, आधार संख्या होना आवश्यक हो जाता है।

लेकिन सवाल यह है कि क्या इसे बच्चों तक बढ़ाया जा सकता है*?* यह तब अधिक होता है जब वे कानून के तहत कोई 'सहमति' प्रदान करने की कानूनी क्षमता के तहत नहीं होते हैं।

324. संविधान का अनुच्छेद *21* ए शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है।

और इसे *6* वर्ष से *14* वर्ष की आयु के बच्चों का मौलिक अधिकार बनाता है। बच्चों पर आधार कार्ड रखने की आवश्यकता लागू करके इस तरह के अधिकार को नहीं खोया जा सकता है।

325. इसे ध्यान में रखते हुए, किसी बच्चे का उसके स्कूल में प्रवेश आधार अधिनियम की धारा *7* के तहत नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह न तो सब्सिडी है और न ही

सेवा करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा *7* में आने वाली अभिव्यक्ति 'लाभ' बहुत व्यापक है। साथ ही, इसे प्रतिबंधात्मक अर्थ दिया जाना चाहिए और स्कूलों में बच्चों का प्रवेश, जब उन्हें शिक्षा का मौलिक अधिकार है, हमारे सुविचारित विचार में धारा *7* के अंतर्गत नहीं आएगा। उत्तरदाताओं ने यह तर्क देते हुए आधार को बच्चों की जानकारी और अभिलेखों के साथ जोड़ने का प्रयास किया कि परीक्षाओं में प्रतिरूपण या फर्जी प्रवेश के कई उदाहरण हैं जो विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं को लूटने की क्षमता रखते हैं जो सरकार समय-समय पर कमजोर वर्गों के लिए प्रदान करती है। यदि यही उद्देश्य है, तो प्रवेश के समय आधार की आवश्यकता पर जोर नहीं दिया जा सकता है, लेकिन केवल सरकारी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन के स्तर पर। जहाँ तक परीक्षा में प्रतिरूपण का संबंध है,

जिसे प्रभावी नियंत्रण और संतुलन के साथ अन्य माध्यमों से आसानी से रोका और नियंत्रित किया जा सकता है। जब वैकल्पिक साधन होते हैं, तो आधार पर आग्रह परीक्षण या आनुपातिकता को संतुष्ट नहीं करेगा। यह बच्चों के निजता के अधिकार का उल्लंघन करेगा जिसे के. एस. पुट्टास्वामी में संविधान पीठ द्वारा निम्नलिखित शब्दों में महत्व दिया गया है:

"633. दुनिया भर के बच्चे निरंतर डिजिटल पदचिह्न बनाते हैं

सोशल नेटवर्क वेबसाइटों पर *24/7* के आधार पर जब वे अपने 'एबीसी' सीखते हैं: एप्पल, ब्ल्यूटूथ और चैट के बाद डाउनलोड, ई-मेल, फेसबुक, गूगल, हॉटमेल और इंस्टाग्राम आते हैं। उन्हें अपने पूरे जीवन में अपनी बचकानी गलतियों और नादानी के परिणामों के अधीन नहीं होना चाहिए। बच्चों की निजता को न केवल आभासी दुनिया के संदर्भ में विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होगी, बल्कि

वास्तविक दुनिया "।

326. यहां यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किशोर न्याय अधिनियम, *2015* देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को संबोधित करते हुए और

कानून के साथ टकराव में बच्चे बताते हैं कि बच्चों के रिकॉर्ड

गोपनीय हैं और जब तक बाल न्यायालय द्वारा अनुरोध नहीं किया जाता है तब तक अलग नहीं किया जाएगा। इसके विपरीत, परीक्षाओं में कदाचार और बिना किसी सुरक्षा के संभावित फर्जी प्रवेश पर छात्र रिकॉर्ड के साथ आधार को जोड़ने को उचित ठहराते हुए संघ की प्रस्तुति। *327.* यह ध्यान रखना होगा कि जब बच्चे सहमति देने में असमर्थ होते हैं, तो उन पर आधार कार्ड रखने की मजबूरी थोपी जाती है

यह पूरी तरह से असमान होगा और आनुपातिकता परीक्षण को पूरा करने में विफल रहेगा। जैसा कि आज कानून मौजूद है, एक बच्चा संपत्ति रख सकता है, बैंक खाता चला सकता है, बीमा पॉलिसी या बैंक खाते में नामांकित होने के लिए पात्र हो सकता है या केवल एक कानूनी अभिभावक के माध्यम से कोई वित्तीय लेनदेन कर सकता है जिसे स्वस्थ दिमाग का होना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां एक बच्चा कानून के साथ टकराव में है, बच्चे को किशोर न्याय *(*बच्चों की देखभाल और संरक्षण*)* अधिनियम, *2015* के तहत एक विशेष आपराधिक मुकदमा दिया जाता है और रिकॉर्ड को गोपनीय रखने और नष्ट करने की अनिवार्य आवश्यकता होती है ताकि बच्चे का आपराधिक रिकॉर्ड बनाए न रखा जाए। यह भारतीय अनुबंध अधिनियम, *1872* की धारा *11*, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, *1949* की धारा *45* जेडए, बीमा अधिनियम, *1938* की धारा *39*, भारतीय दंड संहिता

की धारा *90 (*जिसमें यह प्रावधान है कि *12* वर्ष से कम आयु के बच्चे की सहमति को सहमति नहीं माना जाएगा*)* आदि में निहित कानून की स्थिति है। इस प्रकार, जब कोई बच्चा अनुबंध करने के लिए सक्षम नहीं है*;* सहमति की स्थिति में नहीं है*;* संपत्ति हस्तांतरण से वर्जित है*;* रोजगार लेने से वर्जित है*;* और बैंक खाते खोलने/संचालित करने की अनुमति नहीं है और इसके परिणामस्वरूप, अपने अधिकारों पर बातचीत करने की स्थिति में नहीं है, तो आधार रखने की अनिवार्य आवश्यकता पर प्यास लगी होगी।

अनुच्छेद *21* के तहत उनके मौलिक अधिकारों में एक अभेद्य प्रवेश हो। आधार के रूप में इस तरह के अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंध को संवैधानिक रूप से उचित नहीं माना जा सकता है। हम यहां यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि राज्य को बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखना चाहिए जिसे हमारे संविधान में प्राथमिक विचार माना जाता है *(*आर. डी. उपाध्याय बनाम देखें। आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। *107) .* बाल अधिकारों पर सम्मेलन *08* दोहराता है कि बच्चे का सर्वोत्तम हित बच्चे के माता-पिता या कानूनी अभिभावकों की मूल चिंता होगी। संविधान बच्चों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने की पुष्टि करता है और राज्य को न केवल बच्चों के सर्वोत्तम हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी देता है, बल्कि इसे आगे बढ़ाने के लिए भी कार्य करता है। इसलिए, हमारी राय है कि राज्य संवैधानिक रूप से सुविधा प्रदान करने और सक्षम बनाने के लिए बाध्य है

107 (2007) 15 एससीसी *49*

108 भारत ने बच्चों के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराने के लिए दिसंबर *1992* में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को स्वीकार किया।

बच्चों के माता-पिता और अभिभावक अपने अधिकारों का दावा करें और अपने सर्वोत्तम हित में कार्य करें और यह बिना किसी अनिवार्य निर्देश के किया जाना चाहिए। जिन अधिकारों और उन्मुक्तिओं के बच्चे हकदार हैं, उनकी देखरेख और कानूनी रूप से सुरक्षा करने की जिम्मेदारी राज्य और उसके अधीन अधिकारियों पर निर्भर करती है। बच्चों को उचित शिक्षा देना और

यह सुनिश्चित करना कि वे इस राष्ट्र के मूल्यवान नागरिक बनें, जनहित में है। यह बाल अधिकारों पर कन्वेंशन *(*सी. आर. सी.*)* का भी अधिदेश है। हम सी. आर. सी. के अनुच्छेद *27* को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं:

"राज्य पक्ष प्रत्येक बच्चे के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक विकास के लिए पर्याप्त जीवन स्तर के अधिकार को मान्यता देते हैं।

2. माता-पिता या बच्चे के लिए जिम्मेदार अन्य लोगों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे अपनी क्षमताओं और वित्तीय स्थिति को सुरक्षित रखें।

क्षमताएँ, बच्चे के लिए आवश्यक जीवन की स्थितियाँ

विकास।

3. राज्य पक्ष, राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार और अपने साधनों के भीतर, इस अधिकार को लागू करने के लिए माता-पिता और बच्चे के लिए जिम्मेदार अन्य लोगों की सहायता के लिए उचित उपाय करेंगे और

आवश्यकता पड़ने पर सामग्री सहायता और समर्थन कार्यक्रम प्रदान करेंगे।
विशेष रूप से पोषण, कपड़े और आवास के संबंध में।

328. सी. आर. सी. के अनुच्छेद *8* में प्रावधान है कि:

"*(2)* वर्तमान समझौते में निर्धारित अधिकारों की गारंटी देने और उन्हें बढ़ावा देने के उद्देश्य से, राज्य पक्ष प्रदान करेंगे माता-पिता और कानूनी अभिभावकों को उनके बच्चे के पालन-पोषण की जिम्मेदारियों के निष्पादन में उचित सहायता और बच्चों की देखभाल के लिए संस्थानों, सुविधाओं और सेवाओं का विकास सुनिश्चित करेगा।

(3) राज्य पक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित उपाय करेंगे कि

कि कामकाजी माता-पिता के बच्चों को बाल देखभाल सेवाओं और सुविधाओं से लाभान्वित होने का अधिकार है जिनके लिए वे पात्र हैं।

329. इसके अलावा, बाल अधिकारों पर सम्मेलन, *1989* का अनुच्छेद *16* बच्चों को मनमाने या गैरकानूनी हस्तक्षेप के अधीन होने से रोकता है।

उनकी गोपनीयता, परिवार, घर या पत्राचार में। किशोर न्याय अधिनियम, *2015* का समर्थन करने वाले सिद्धांतों में से एक गोपनीयता का सिद्धांत है। कानून के साथ संघर्ष में बच्चों से निपटने के लिए अधिनियम की धारा *24* आगे इस बात पर जोर देती है:

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

"*(2)* बोर्ड पुलिस या बाल न्यायालय द्वारा अपनी रजिस्ट्री को निर्देश देते हुए एक आदेश देगा कि इस तरह की सजा के प्रासंगिक रिकॉर्ड अपील की अवधि समाप्त होने के बाद या, जैसा भी मामला हो, एक उचित अवधि के बाद नष्ट कर दिए जाएंगे।

निर्धारित "।

निजता और गोपनीयता के अधिकार के सिद्धांत में इस बात पर जोर दिया गया है, "प्रत्येक बच्चे को हर तरह से और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अपनी गोपनीयता और गोपनीयता की सुरक्षा का अधिकार होगा।"
331. हम मुर्रे बनाम में अंग्रेजी उद्धरण की निम्नलिखित टिप्पणियों को पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे। बिग पिक्चर्स *(*यू. के.*) Ltd.1[1]09* जहाँ बच्चों के मामले में गोपनीयता के अधिकार को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। यह एक ऐसा मामला था जहां फोटोग्राफर ने एक लेखक के शिशु बेटे की तस्वीरों की एक श्रृंखला ली थी, जो बाद में एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। द.

मुद्दा यह था कि क्या फोटो खींचकर निजी जानकारी का दुरुपयोग किया गया था। यह माना गया था कि:

"यह सवाल कि क्या गोपनीयता की उचित अपेक्षा है, एक व्यापक सवाल है, जो मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखता है। इनमें दावेदार की विशेषताएँ, उस गतिविधि की प्रकृति जिसमें दावेदार संलग्न था, वह स्थान जहाँ यह हो रहा था, घुसपैठ की प्रकृति और उद्देश्य, सहमति का अभाव और क्या यह ज्ञात था या अनुमान लगाया जा सकता था, दावेदार पर प्रभाव और वे परिस्थितियाँ और उद्देश्य शामिल हैं जिनके

लिए सूचना प्रकाशक के हाथों में आई थी। कम से कम यह तर्क योग्य है कि डेविड को निजता की उचित अपेक्षा थी। यह तथ्य कि वह एक बच्चा है, हमारे विचार में न्यायाधीश के विचार से अधिक महत्वपूर्ण है।

हम इस स्तर पर यह भी दर्ज कर सकते हैं कि आधार अधिनियम की धारा *7* के तहत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा विभिन्न परिपत्र, आदेश और अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं जो बच्चों से संबंधित हैं। इनमें से कुछ

ये हैं:

(1) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना *(*एनसीएलपी*)*।
(2) स्कूली छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजनाएं, जैसे राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना; माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन देने की राष्ट्रीय योजना; लाभ

सर्व शिक्षा अभियान के तहत *6* से *14* वर्ष के बच्चों को; माध्यमिक राज्य में विकलांगों की समावेशी शिक्षा; और

बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन।

(3) विकलांग व्यक्तियों को अधिकारिता विभाग द्वारा दी जाने वाली सहायता/छात्रवृत्ति, जिसमें शामिल हैं -

विकलांग छात्रों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं।

(4) महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से कुछ बच्चों से संबंधित हैं:

(क*)* आई. सी. डी. एस. योजना के तहत पूरक पोषण कार्यक्रम।
(ख*)* आईसीडीएस के तहत एडब्ल्यूडब्ल्यूएस और एडब्ल्यूएच को मानदेय का भुगतान

योजना।

(ग*)* क्रेच में बच्चों के लिए पूरक पोषण प्रदान किया जाता है।

केंद्र।

(घ*)* क्रेच श्रमिकों और क्रेच को दिया जाने वाला मानदेय

सहायक।

(च*)* किशोर लड़कियों के लिए योजना। *(* छ*)* महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन।

(ज*)* आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(i) उज्ज्वला योजना।

(के*)* एकीकृत बाल संरक्षण योजना। *(1)* कदम कार्यक्रम।

(एम*)* राष्ट्रीय महिला कोष। *(* एन*)* प्रधानमंत्री मातृ वन योजना।

(5) आई. ई. सी. के तहत स्कूली बच्चों के लिए चित्रकला और निबंध प्रतियोगिताएं

मानव संसाधन विकास और क्षमता का घटक

इमारतें।

332. मामले पर गहराई से विचार करने और उपरोक्त चोट को ध्यान में रखने के बाद, हम निम्नलिखित मानते हैं:

(क*)* आधार अधिनियम के तहत बच्चों के नामांकन के लिए उनके माता-पिता/अभिभावक की सहमति होना आवश्यक होगा। *(* ख*)* वयस्क होने पर ऐसे बच्चे जो अपने माता-पिता की सहमति से आधार के तहत नामांकित हैं, उन्हें दिया जाएगा।

यदि वे चाहें तो आधार से बाहर निकलने का अधिकार।

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

(ग*)* जहाँ तक बच्चों के विद्यालय में प्रवेश का संबंध है, आधार की आवश्यकता अनिवार्य नहीं होगी क्योंकि न तो

न सेवा और न ही अनुदान। इसके अलावा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ए

6 से *14* वर्ष की आयु के बीच के बच्चे को मौलिक अधिकार है

संविधान के अनुच्छेद *21* ए के तहत शिक्षा के लिए, विद्यालय में प्रवेश

इसे 'लाभ' भी नहीं माना जा सकता है।

(घ*)* सर्व के तहत *6* से *14* वर्ष के बच्चों को लाभ इसी तरह शिक्षा अभियान के लिए भी अनिवार्य आधार की आवश्यकता नहीं होगी

नामांकन।

(ङ*)* अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जो हैं - आधार अधिनियम की धारा *7* के अंतर्गत आता है, हालांकि नामांकन

संख्या पर जोर दिया जा सकता है, यह सहमति के अधीन होगा

माता-पिता, जैसा कि ऊपर *(ए)* में उल्लिखित है।

(च) हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि किसी भी बच्चे को किसी भी लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।

ये योजनाएं यदि, कुछ कारणों से, वह उत्पादन करने में सक्षम नहीं है

आधार संख्या और लाभ का सत्यापन करके दिया जाएगा

किसी भी अन्य दस्तावेज के आधार पर पहचान। हम यह दर्ज कर सकते हैं कि

श्री के. के. वेणुगोपाल ने भी इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

बार में भारत के लिए विद्वान महान्यायवादी।

आधार अधिनियम के अन्य प्रावधानों के लिए चुनौतीः

333. याचिकाकर्ताओं ने कुछ की संवैधानिकता को चुनौती दी है

आधार अधिनियम के प्रावधान भी। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि

जिनके आधार पर वे घोषणा की मांग कर रहे हैं

ये प्रावधान असंवैधानिक हैं। हम प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करते हैं

धार अधिनियम के साथ-साथ याचिकाकर्ताओं द्वारा सारणी में दिए गए कारण

, निम्नानुसारः

असंवैधानिक होने का कारण

नहीं। के प्रावधान

आधार अधिनियम

1 . धारा *2 (*ग*)* और *2 (*घ*)* 'प्रमाणीकरण अभिलेख' में निम्नलिखित समय शामिल हैं -

प्रमाणीकरण और प्रमाणीकरण और अनुरोध करने वाले की पहचान

प्रमाणीकरण अभिलेख,

इकाई। यूआईडीएआई और प्रमाणीकरण

धारा *32* सेवा एजेंसी *(*ए. एस. ए.*)* के साथ इसे संग्रहीत करने की अनुमति है।

2 + 5 वर्षों के लिए प्रमाणीकरण रिकॉर्ड *(*प्रमाणीकरण के विनियम *20* और *26/27* के अनुसार*)*

नियम*)*।

परिभाषा के अनुसार यह वास्तविक समय की निगरानी और प्रोफाइलिंग प्रदान करता है। अभिलेख अनुरोधकर्ता के समय और पहचान दोनों को संग्रहीत करता है।

इकाई।

धारा के साथ पठित धारा *2 (*एच*)* सी. आई. डी. आर. की धारणा अपने आप में एक असंवैधानिक है।

2 .

10 सीआइडीआर का

डाटाबेस। कानून सी. आई. डी. आर. के बिना काम नहीं कर सकता है। एक सी. आई. डी. आर. की धारणा जहाँ प्रत्येक व्यक्ति

बायोमेट्रिक के साथ-साथ जनसांख्यिकीय जानकारी को केंद्रीय रूप से संग्रहीत किया जाता है जो एक सत्तावादी या पुलिस राज्य निर्माण है और लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। एक सी. आई. डी. आर. जहाँ से डेटा का समर्थन किया जा सकता है, और जो उत्तरदाताओं द्वारा नहीं बल्कि विदेशी संस्थाओं द्वारा संचालित किया जाता है, वैचारिक और संवैधानिक रूप से एक अस्वीकार्य समझौता है।

राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा।

विशेष रूप से, धारा *10* यू. आई. डी. ए. आई. को सी. आई. डी. आर. की स्थापना और रखरखाव के लिए एक या अधिक इकाई नियुक्त करने का अधिकार देती है।

3 .

धारा *2 (1)* के साथ पढ़ा गया

अनुभाग में परिभाषित एक नामांकन एजेंसी की धारणा

आधार का विनियम *23*

201) एजेंसी के रूप में भी असंवैधानिक है

(नामांकन और अद्यतन*)*

परिभाषित, एक सरकारी इकाई होने की आवश्यकता नहीं है लेकिन हो सकता है

विनियमन नामांकन

एक निजी संस्था। संवेदनशील व्यक्तिगत बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा और जानकारी का संग्रह

एजेंसी '

भंडारण के उद्देश्यों का संचालन केवल एक सरकारी एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए क्योंकि यह दुरुपयोग के खिलाफ एक न्यूनतम प्रक्रियात्मक सुरक्षा है और

निजी व्यक्तिगत जानकारी का व्यावसायिक दोहन। राज्य, एक न्यासी और न्यासी के रूप में कार्य करते हुए, इस गैर-प्रत्यायोजित कार्य को करने के लिए निजी नामांकन एजेंसियों को प्रत्यायोजित या आवश्यक नहीं कर सकता है। इसके अलावा, एक नामांकन एजेंसी जो निजी तौर पर संचालित होती है, उसे आधार नामांकन की स्वैच्छिक प्रकृति को समझाने के महत्वपूर्ण कार्य नहीं सौंपे जा सकते हैं।

और सूचित सहमति प्राप्त करना।

4. धारा *2 (v)*-'निवासी'

धारा *2 (v)* में परिभाषित 'निवासी' अभिव्यक्ति मनमाना और असंवैधानिक है क्योंकि अधिनियम

इस दावे का मूल्यांकन करने के लिए कोई विश्वसनीय तंत्र नहीं है कि कोई व्यक्ति नामांकन के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले के *12* महीनों में *182* दिनों या उससे अधिक की अवधि से भारत में रह रहा है। कानून के अधिनियमन तक उत्तरदाताओं द्वारा उपयोग किए जा रहे पहचान के प्रमाण और पते की आवश्यकता के प्रमाण के रूप में उत्तरदाताओं द्वारा उपयोग किए जा रहे प्रपत्रों को कहीं भी *182* दिनों के लिए निवास से संबंधित किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। विवादित अधिनियम का उद्देश्य इन सभी नामांकनों को मान्य करना है। उत्तरदाताओं द्वारा उपयोग किए जा रहे प्रपत्रों में *182* दिनों के लिए निवासी होने के बारे में घोषणा भी नहीं है। इसके अलावा, 'निवासी' की परिभाषा में कोई आवश्यकता नहीं है कि व्यक्ति को कानूनी रूप से निवासी होना चाहिए और अभिव्यक्ति गलत तरीके से अवैध प्रवासियों को भी लेगी।

आईसीई के. एस. पुट्टास्वामी *(*आरईटीडी*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

खंड *3.* आधार यह एक 'पात्रता' है। इसे अनिवार्य नहीं समझा जा सकता है। धारा के तहत दी गई जानकारी

संख्या

3 (2) यदि आधार प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है तो इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। डिजाइन के अनुसार, आधार का मतलब कभी नहीं था

अनिवार्य है।

विशेष।

आधार अधिनियम की धारा *5*, जहाँ तक इसका विस्तार है

खंड *5*

बच्चों का इलाज

बच्चों और विकलांग व्यक्तियों का तात्पर्य है कि राज्य सहमति की उम्र से पहले ही बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा हासिल कर रहा है।

गर्भ धारण किया। अधिनियम अपनी बलपूर्वक पहुंच में और

सहमति की आयु प्राप्त नहीं करने वाले बच्चों के लिए आवेदन अपने आप में असंवैधानिक है और बच्चों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

अधिनियम की धारा *6* का अद्यतन असंवैधानिक है क्योंकि यह

धारा *6*

जानकारी

उत्तरदाताओं को लगातार निवासियों को समय-समय पर जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक को धूमिल करने के लिए मजबूर करने में सक्षम बनाता है
जानकारी दी। यह प्रावधान संचालन और प्रभाव में जबरदस्त है और न केवल कार्यक्रम की तथाकथित 'स्वैच्छिक' प्रकृति *(*जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा झूठा दावा किया गया है*)* को कमजोर करता है, बल्कि 'बायोमेट्रिक्स की विश्वसनीयता' के संबंध में झूठे दावे को भी कमजोर करता है।

धारा *8* असंवैधानिक है क्योंकि यह सक्षम करती है

धारा *8*

प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्तियों की ट्रैकिंग, टैगिंग और प्रोफाइलिंग। यह एक चार्टर है

वास्तविक समय में और एक डिग्री के साथ निगरानी

किसी भी स्वामित्व प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्तरदाताओं और विदेशी कंपनियों के स्वामित्व और नियंत्रण के तहत विदेशी संस्थाओं या संस्थाओं को आउटसोर्स किया जाता है और
निगमों। धारा *8* के संदर्भ में प्रमाणीकरण प्रक्रिया का पूरा ढांचा और कार्य राष्ट्रीय संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अस्वीकार्य, स्थायी और अपरिवर्तनीय समझौता है।

धारा *9*

आधार अधिनियम की धारा *9* भी असंवैधानिक है क्योंकि आधार संख्या वास्तव में नागरिकता और अधिवास के प्रमाण के रूप में कार्य कर रही है। यह विभिन्न मीडिया रिपोर्टों से देखा जाता है जहां किसी भी कठोर सत्यापन प्रक्रिया के अभाव में भी आधार संख्याएँ हैं।

जारी किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आधार कार्ड के आधार पर पासपोर्ट जारी करने की प्रथा राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय अखंडता के लिए समान रूप से हानिकारक है। दूसरे

शब्दों में, जो व्यक्ति पासपोर्ट के हकदार नहीं हैं, उनके पास आधार संख्या है
जारी किया गया और उसके बाद उल्लंघन में पासपोर्ट सुरक्षित किया गया

नागरिकता के प्रावधान।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अध्याय *IV*-धारा *11* याचिकाकर्ताओं का कहना है कि धारा *4* का पूरा अध्याय

10 .

23 तक

केंद्रीय डेटा बैंक का नागरिक/निवासी और उस व्यक्ति के आजीवन रिकॉर्ड और लॉग बनाए रखें। द.
भारत का संविधान जब समग्र रूप से पढ़ा जाता है तो यह स्वतंत्र व्यक्तियों के एक ऐसे राष्ट्र के लिए बनाया गया है जो अधिकारों की पूरी श्रृंखला का आनंद लेते हैं और जो संविधान के तहत राज्य या उसके किसी भी अंग द्वारा किसी भी निगरानी या जांच या निरंतर निरीक्षण के बिना अपना जीवन जीने के हकदार हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उच्च मूल्य भारतीय संविधान और किसी भी प्राधिकरण के ताने-बाने में है

'पालने से लेकर गंभीर' जांच के उद्देश्य से बनाया गया भारतीय संविधान में निर्मित व्यक्तिगत स्वतंत्रता चार्टर का सीधा उल्लंघन है। भारत का संविधान एक 'आया राज्य' का विचार नहीं करता है जहां राज्य प्रत्येक व्यक्ति के आचरण की देखरेख करता है और व्यक्तिगत बातचीत का रिकॉर्ड रखता है। यू. आई. डी. ए. आई. को डिजाइन और कार्य द्वारा पूरी तरह से तैयार किया गया है।

निजता पर आक्रमण करने, इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यक्तियों की देखरेख करने और उन्हें एक केंद्रीय डेटा भंडार में रखने का असंवैधानिक उद्देश्य जो आजीवन रिकॉर्ड बनाए रखेगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की धारणा में अकेले रहने का अधिकार होना चाहिए; किसी व्यक्ति का किसी भी निगरानी से मुक्त होने का अधिकार, जब तक कि वह व्यक्ति किसी आपराधिक कानून का उल्लंघन या उल्लंघन नहीं करता है। यहाँ, दूसरे प्रतिवादी की स्थापना एक असंवैधानिक उद्देश्य के लिए है

व्यक्तिगत आचरण की देखरेख और निगरानी करना, यहां तक कि जहां व्यक्ति किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करता है। दूसरा प्रतिवादी एक राज्य अंग है जिसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आक्रमण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और जिसका उद्देश्य है

व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करें।

11 .

धारा *23* और *54*

धारा *23*, जिसे आधार अधिनियम की धारा *54* के साथ पढ़ा जाता है, अत्यधिक प्रत्यर्पण के आधार पर असंवैधानिक है।

अत्यधिक प्रतिनिधिमण्डल

धारा *23 (2)* और धारा *54 (2)* में उपखंडों के अवलोकन से संकेत मिलता है कि बायोमेट्रिक डेटा, जनसांख्यिकीय जानकारी, सी. आई. डी. आर. के संचालन और कार्य, आधार संख्या उत्पन्न करने और निर्दिष्ट करने, आधार संख्या का प्रमाणीकरण, आधार संख्या को हटाने और निष्क्रिय करने, सरकार द्वारा एकत्र की गई जानकारी का वाणिज्यिक दोहन आदि से संबंधित हर महत्वपूर्ण पहलू को पूरी तरह से यू. आई. डी. ए. आई. पर छोड़ दिया गया है, बिना किसी पर्याप्त परिभाषित विधायी नीति के जिसके भीतर यू. आई. डी. ए. आई. की सीमाएं दर्शाई गई हैं।

वैध रूप से काम करें।

[आईसीई के. एस. पुट्टास्वामी *(*आरईटीडी*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

आधार कार्यक्रम की आक्रामक प्रकृति, नागरिक स्वतंत्रताओं पर इसके गहरे और व्यापक प्रभाव और जिस न्यासी/न्यासी सिद्धांत के आधार पर डेटा और जानकारी एकत्र की जा रही है, उसे ध्यान में रखते हुए, यू. आई. डी. ए. आई. को दिए गए विवेकाधिकार को प्रतिबंधित करने के लिए विस्तृत और पर्याप्त सीमाएं निर्धारित करना विधायिका का दायित्व था। विवादित प्रावधान वस्तुतः यू. आई. डी. ए. आई. को अपनी इच्छानुसार नियम बनाकर मौलिक अधिकारों पर लगाम लगाने के लिए एक असीमित चार्टर प्रदान करते हैं। इसके साथ पठित धारा *23 (2) (*जी*)* अकेले यू. आई. डी. ए. आई. को अध्याय *VI* और *VII* को हटाने और निष्क्रिय करने का अधिकार देती है।

एक आधार संख्या जिसका व्यक्तिगत आधार संख्या धारक को लगभग कोई निवारण नहीं है। विनियम *27 (2)*

के विनियम *27* से *32*

आधार *(*नामांकन और

यह प्रावधान है कि आधार संख्या को रद्द करने पर,

अद्यतन*)* विनियम, *2016*

प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं को स्थायी रूप से अक्षम कर दिया जाएगा। विनियमन *28 (2)* में प्रावधान है कि आधार संख्या को निष्क्रिय करने पर, सभी नंबरों को अस्थायी रूप से तब तक निलंबित कर दिया जाएगा जब तक कि आधार संख्या धारक कथित आधार संख्या को अपडेट या सुधार नहीं करता है।

त्रुटि।

विशेष रूप से, विनियमन *30* के अनुसार, आधार संख्या को हटाने या निष्क्रिय करने के बारे में आधार संख्या धारक को बाद में सूचित किया जाएगा। आधार अधिनियम के तहत प्रदान किया गया एकमात्र निवारण तंत्र विनियमन *32* के तहत है जिसमें यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा एक शिकायत निवारण

कॉल सेंटर प्रदान किया जाएगा। यह प्रावधान यू. आई. डी. ए. आई. को किसी व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए बेलगाम शक्ति प्रदान करता है। बिल्कुल कोई निवारण नहीं है

व्यक्ति के लिए तंत्र। उसे निष्क्रिय करने से पहले सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया जाता है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

इस धारा को निरस्त किया जा सकता है क्योंकि यह

धारा *29*

पहचान की जानकारी साझा करने से संबंधित है। इन प्रावधानों में वाणिज्यिक लाभ के लिए या अन्यथा संस्थाओं और व्यक्तियों के नेटवर्क के माध्यम से संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के प्रसार और प्रसार की अनुमति देने की बुराई है और लक्षित वितरण के स्पष्ट उद्देश्य से परे जानकारी साझा करने की अनुमति है।
बायोमेट्रिक के साथ-साथ जनसांख्यिकीय जानकारी दोनों ही उच्चतम स्तर की सुरक्षा और विवादित प्रावधान के हकदार हैं, क्योंकि यह मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी और अन्य जानकारी के बीच अंतर करता है, सूचना के दो वर्गों में एक कृत्रिम अंतर पैदा करता है जो कानून में दोनों साझा करने या साझा करने के खिलाफ समान सुरक्षा के हकदार हैं।

प्रसार।

उप-धारा *(4)* यू. आई. डी. ए. आई. को विनियमन द्वारा 'मूल बायोमेट्रिक जानकारी' को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने की अनुमति देती है।

धारा *33* असंवैधानिक है क्योंकि यह प्रदान करती है

धारा *33*

14 .

व्यक्ति जिसकी जानकारी अदालत के आदेश के अनुसार यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा जारी करने की मांग की जाती है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।
धारा *33 (2)* एक सक्षम अधिकारी के निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में जानकारी के प्रकटीकरण का प्रावधान करती है। उक्त प्रावधान संविधान के अनुच्छेद *20 (3)* के तहत निहित आत्म-दोषारोपण से सुरक्षा के सिद्धांतों से भी प्रभावित है। इसके अलावा, विवादित अधिनियम 'राष्ट्रीय सुरक्षा के हित' को परिभाषित नहीं करता है या अन्यथा परिस्थितियों को सीमित नहीं करता है। जहाँ उक्त प्रावधान को लागू किया जा सकता है। यह विवादित प्रावधान को असंवैधानिक बनाता है क्योंकि यह अस्पष्टता और मनमानेपन से ग्रस्त है।

15. धारा *47*

विवादित अधिनियम की धारा *47* असंवैधानिक है क्योंकि यह एक व्यक्तिगत नागरिक को आपराधिक प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति नहीं देता है जो पाता है कि विवादित अधिनियम का उल्लंघन हुआ है। ऐसी कई परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ यू. आई. डी. ए. आई. स्वयं या कोई तीसरा पक्ष अधिनियम के तहत अपराध करने का दोषी हो। आपराधिक प्रक्रिया की शुरुआत को सीमित करके, आधार अधिनियम दंडात्मक तंत्र को अप्रभावी और निर्जल बना देता है। उक्त धारा अभियुक्त के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान लेने के लिए अदालत पर रोक लगाती है।
अधिनियम, यू. आई. डी. ए. आई. या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा की गई शिकायत को छोड़कर। वास्तव में किसी व्यक्ति द्वारा अपनी बायोमेट्रिक या जनसांख्यिकीय जानकारी के उल्लंघन के लिए की गई शिकायत का संज्ञान लेने पर रोक है जो प्रतिवादी द्वारा एकत्र की गई है। इस तरह का प्रतिबंध असंवैधानिक है क्योंकि यह कानूनी उपचार को बंद कर देता है

प्रभावित व्यक्ति।

धारा *48* की शक्ति

यह धारा अस्पष्ट और मनमाना है क्योंकि यह

16 .

केंद्रीय सरकार को

केंद्रीय सरकार को यू. आई. डी. ए. आई. का अधिग्रहण करने की अनुमति देता है। यह अधिनियम 'सार्वजनिक आपातकाल' को परिभाषित नहीं करता है।

यूआईडीएआई को हटा दें

यह खंड केंद्रीय सरकार को 'आपातकालीन' स्थिति में यू. आई. डी. ए. आई. में नामांकित प्रत्येक नागरिक के जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित करने की स्थिति में होने का अधिकार देता है।

टाइस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

धारा *57*

यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा *57* किसी व्यक्ति के बायोमेट्रिक्स के व्यावसायिक दोहन को भी सक्षम बनाती है और
उत्तरदाताओं के साथ-साथ निजी संस्थाओं द्वारा जनसांख्यिकीय जानकारी। यह सुनिश्चित करता है कि एक

निगरानी समिति, जहाँ प्रत्येक संस्था आधार धारक की जासूसी करने में राज्य की सहायता करती है।

धारा *59*

विवादित अधिनियम की धारा *59* असंवैधानिक है क्योंकि यह *28* जनवरी, *2009* की अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों को मान्य करने का प्रयास करती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोई सहमति नहीं थी, उक्त के तहत नामांकन के समय व्यक्तियों से प्राप्त सूचित सहमति की तो बात ही छोड़िए।

इस तरह का नामांकन जो पर्याप्त सहमति प्राप्त किए बिना किया गया है, असंवैधानिक है क्योंकि यह किसी व्यक्ति की सबसे अंतरंग व्यक्तिगत जानकारी से गलत तरीके से वंचित करने के बराबर है। वास्तव में, बिना किसी व्यक्ति की बायोमेट्रिक जानकारी लेना
सूचित सहमति उसकी शारीरिक अखंडता पर एक शारीरिक आक्रमण है। जनसांख्यिकीय संग्रह

निजी संस्थाओं के माध्यम से और उचित परामर्श या लिखित सूचित सहमति के बिना जानकारी अवैध है और पूर्वव्यापी रूप से पुष्टि करने में असमर्थ है। ये सभी अभिलेख जो अवैध रूप से आवश्यक सहमति के बिना प्राप्त और बनाए गए हैं, उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा और विवादित प्रावधान द्वारा मान्य नहीं कहा जा सकता है। संसद 'सहमति' की एक कानूनी कल्पना नहीं बना सकती है जहां कोई सहमति नहीं थी।

भारत के संविधान के तहत कार्यपालिका किसी के निजता के मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकती है और फिर उस कानून के प्रस्ताव पर अपनी कार्रवाई का समर्थन नहीं कर सकती है जो 'पूर्वव्यापी रूप से' मानता है कि सहमति दी गई होगी।

उक्त प्रावधान अकेले केंद्र सरकार द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई को मान्य करने का प्रयास करता है। निजी नामांकनकर्ताओं की कार्रवाई को संरक्षित करने की भी कोशिश नहीं की जाती है। इसलिए, उक्त अधिसूचना के तहत निजी संस्थाओं द्वारा किए गए सभी संग्रह भी अमान्य होने चाहिए और निजी संस्थाओं द्वारा एकत्र किए गए सभी आंकड़ों को तुरंत नष्ट कर दिया जाना चाहिए।

334. हम पहले ही कुछ प्रावधानों की वैधता के मुद्दे पर विचार कर चुके हैं। अब हम शेष प्रावधानों का विज्ञापन करेंगे, जिनकी वैधता पर सवाल उठाया जाता है।

पिछली चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इनमें से अधिकांश प्रावधानों को चुनौती देना विफल हो जाएगा। जहां तक आधार *(*नामांकन और अद्यतन*)* विनियमों के विनियमन *23* के साथ पठित धारा *2 (1)* का संबंध है, जो 'नामांकन एजेंसी' से संबंधित है, मुख्य चुनौती इस आधार पर है कि नामांकन का काम किसी निजी संस्था को नहीं दिया जा सकता था क्योंकि निजी संस्था को महत्वपूर्ण कार्य नहीं सौंपा जा सकता था।

आधार नामांकन की प्रकृति की व्याख्या करना और जानकारी प्राप्त करना

सहमति दें। इसके अलावा, भंडारण के उद्देश्य से संवेदनशील व्यक्तिगत बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा और जानकारी के संग्रह का कार्य निजी हाथों को नहीं दिया जा सकता है। हालाँकि, प्राधिकरण द्वारा समझाई गई प्रक्रिया की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जो यह सुनिश्चित करता है कि नामांकन के तुरंत बाद, निजी संस्था द्वारा एकत्र किया गया संबंधित डेटा उसके नियंत्रण से बाहर है; यह एन्क्रिप्टेड हो जाता है; और सी.

आई. डी. आर. को प्रेषित किया जाता है, हमें याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यक्त की गई आशंका का कोई आधार नहीं मिलता है।

यह है कि आधार अधिनियम का लाभ उठाने के लिए कोई विश्वसनीय तंत्र नहीं है। दावा करें कि कोई व्यक्ति *182* दिनों या उससे अधिक समय से भारत में रह रहा है। आशंका व्यक्त की जाती है कि यह अभिव्यक्ति भी सुविधा प्रदान कर सकती है

अवैध प्रवासियों का प्रवेश। इन पहलुओं का उचित तंत्र प्रदान करके उत्तरदाताओं द्वारा ध्यान रखा जा सकता है। हम निर्देश देते हैं कि

336. धारा *3,* उसकी भाषा के अनुसार, उल्लेख करता है कि यह एक सक्षम प्रावधान है जो प्रत्येक निवासी को आधार प्राप्त करने का 'अधिकार' देता है। संख्या। इसलिए, यह स्वैच्छिक प्रकृति का है। बिनॉय विश्वम मामले में इस न्यायालय की खंड पीठ ने निम्नलिखित शब्दों में यह निर्णय दिया हैः

" 93. इस तर्क पर चर्चा करने से पहले, एक पहलू

इस मामले में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। इस बात पर बहस चल रही थी कि क्या आधार अधिनियम स्वैच्छिक है या उस अधिनियम में भी नामांकन होता है

आधार अनिवार्य है।
94. पहली बात जो ध्यान में रखी जानी चाहिए वह यह है कि आधार अधिनियम सरकार को एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम के लिए व्यक्तियों की पहचान करने में सक्षम बनाने के लिए बनाया गया है।

भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ, सब्सिडी और सेवाओं का वितरण। आधार अधिनियम की धारा *7* में इसका उल्लेख किया गया है जिसमें कहा गया है कि रसीद के लिए आधार संख्या का प्रमाण आवश्यक है। ऐसी सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के लिए। साथ ही, इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि एक बार जब कोई व्यक्ति अपना नामांकन करवाता है और आधार प्राप्त करता है

आधार अधिनियम की धारा *3* में उल्लिखित संख्या, ऐसी आधार संख्या का उपयोग कई अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। वास्तव में,

यह आधार संख्या उसकी विशिष्ट पहचान *(*यू. आई. डी.*)* बन जाती है। व्यक्ति। यह कहने के बाद, यह स्पष्ट है कि आधार अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो नामांकन को अनिवार्य बनाता है। के लिए हो सकता है

लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से, अधिनियम की धारा *7* के अनुसार आधार कार्ड का प्रमाण आवश्यक है। धारा *7* का परंतुक

यह निर्धारित करता है कि यदि किसी व्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए आधार संख्या नहीं दी जाती है, तो उसे सब्सिडी, लाभ या सेवा प्रदान करने के लिए पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों की पेशकश की जाएगी। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह परंतुक, जो पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों को स्वीकार

करता है, और इसलिए आधार को वैकल्पिक और स्वैच्छिक बनाता है और सब्सिडी, लाभ और सेवाओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से भी नामांकन आवश्यक नहीं है सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत। उत्तरदाताओं,

हालांकि, प्रावधान की अलग व्याख्या करें और उनका तर्क है कि "यदि किसी व्यक्ति को आधार संख्या नहीं दी गई है" शब्द केवल उस स्थिति से संबंधित हैं जहां आधार के लिए आवेदन किया गया है, लेकिन कुछ कारणों से आधार संख्या नहीं दी गई है क्योंकि आधार कार्ड देने में कुछ समय लग सकता है। इसलिए, यह परंतुक केवल आधार तक एक अंतरिम उपाय के रूप में है।

संख्या निर्धारित की गई है, जो अन्यथा आधार अधिनियम की धारा *7* में बताए गए कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। तथ्य यह है कि सरकार और स्वयं यू. आई. डी. ए. आई. के अनुसार, आधार संख्या प्राप्त करने की आवश्यकता स्वैच्छिक है। यू. आई. डी. ए. आई. ने अपनी वेबसाइट पर ऐसा दावा किया है और यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा इस संबंध में स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है। *95.* इस प्रकार, आधार के तहत नामांकन स्वैच्छिक है। हालांकि, यह एक विवादास्पद सवाल है कि क्या निर्धारित लाभ प्राप्त करने के लिए

आधार अधिनियम की धारा *7* के तहत, आधार संख्या देना अनिवार्य है या नहीं, यह एक विवादास्पद मुद्दा है जिस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि यह मुद्दा पूरी तरह से उठाया गया है जो इस अदालत में दायर और लंबित अन्य रिट याचिकाओं का विषय है। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसलिए, याचिकाकर्ताओं की आशंका कि धारा *3* अनिवार्य है, शांत हो जाती है।

337. धारा *5* कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के लिए एक विशेष उपाय है जो कुछ बातों का ध्यान रखने का प्रयास करता है। अक्षमताएँ जिनसे कुछ व्यक्ति पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए,

यह प्रावधान धारा *5* में उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणियों के लाभ के लिए है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें बच्चों और विकलांग व्यक्तियों का भी उल्लेख है, यह एक ऐसा पहलू है जिस पर पहले से ही अलग से विचार किया गया है।

338. धारा *6* केवल जनसांख्यिकीय के अद्यतन से संबंधित है और

बायोमेट्रिक जानकारी। यह कुछ परिस्थितियों में आवश्यक हो सकता है। यह अपने आप में कार्यक्रम की स्वैच्छिक प्रकृति को दूर नहीं करता है।

339. जहाँ तक धारा *9* का संबंध है, इसकी वैधता को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि यह नागरिकता और अधिवास के प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है और उस आधार पर कुछ आशंकाएँ व्यक्त की जाती हैं। इस तरह इस मुद्दे पर चर्चा करते समय आशंकाओं पर पहले ही ध्यान दिया जा चुका है। *1* निगरानी से संबंधित।

340. हम प्राधिकरण के गठन के उद्देश्य पर पहले ही विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। वास्तव में, अधिनियम इस तरह के प्राधिकरण के बिना काम नहीं कर सकता है

और इसलिए इसका संविधान अनिवार्य है। उक्त पहलू पर हमारी विस्तृत चर्चा को ध्यान में रखते हुए, धारा *11* से *23* की वैधता के लिए चुनौती निगरानी आदि के तर्कों पर आधारित है।

341. धारा *54* के साथ पठित धारा *23* प्राधिकरण को शक्ति प्रदान करती है

342. धारा *29* के तहत व्यक्त की गई आशंकाएं भी उतनी ही निराधार हैं। बल्कि यह धारा साझा करने पर प्रतिबंध लगाती है। जानकारी दी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उप-धारा *(2)* में कहा गया है कि पहचान की जानकारी *(*और विशेष रूप से मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी को छोड़कर*)* साझा की जा सकती है।

केवल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और ऐसे तरीके से जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। वह प्रावधान नहीं करेगा

जब यह व्यक्ति की सहमति से हो तो यह असंवैधानिक है। यदि कोई ऐसा विनियमन बनाया जाता है जो ऐसी जानकारी साझा करने की अनुमति देता है जिसमें जानकारी साझा करने के लिए अवांछनीय परिस्थिति/कारण हो सकते हैं, तो ऐसे विनियमन को हमेशा रद्द किया जा सकता है।

जहाँ तक उप-धारा *(4)* का संबंध है, न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

संबंधित, यह आम तौर पर निवासियों/व्यक्तियों के पक्ष में है क्योंकि इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत एकत्र की गई या बनाई गई जानकारी को प्रकाशित, प्रदर्शित या सार्वजनिक रूप से पोस्ट नहीं किया जाएगा। हालाँकि, शिकायत यह है कि यह प्रावधान प्राधिकरण को उन उद्देश्यों के लिए ऐसी जानकारी प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने आदि में सक्षम बनाता है जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। आशंका यह है कि इस प्रावधान के तहत सरकार हमेशा कुछ नियमों के तहत ऐसी जानकारी के प्रकाशन की अनुमति देने वाले नियम बना सकती है।

परिस्थितियाँ। वर्तमान में, जो नियम लागू हैं, वे हैं आधार *(*सूचना साझा करना*)* नियम, *2016*। इसके दूसरे अध्याय का शीर्षक 'पहचान की जानकारी साझा करने पर प्रतिबंध' है। विनियमन *3 (1),* जो इस अध्याय के अंतर्गत आता है, अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा एकत्र की गई मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी को साझा करने पर एक स्पष्ट प्रतिबंध लगाता है, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि वह किसी भी कारण से किसी के साथ साझा नहीं करेगा। उप. विनियमन *3* का विनियम *(2)* अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा एकत्र की गई जनसांख्यिकीय जानकारी और किसी व्यक्ति की तस्वीर को केवल आधार संख्या धारक की सहमति से साझा करने की अनुमति देता है, वह भी

प्रमाणीकरण विनियमों के अनुसार प्रमाणीकरण प्रक्रिया। जैसा कि हम पहले ही मान चुके हैं, जहां तक सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के उपयोग का संबंध है, ऐसी सेवाओं के प्रदाता द्वारा प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी जो अनुरोध करने वाली संस्था होगी और इस प्रावधान को पहले ही बरकरार रखा जा चुका है। उप-विनियम *(3)* आधार संख्या धारक के प्रमाणीकरण रिकॉर्ड को उसके साथ साझा करने की अनुमति देता है।

स्वयं आधार संख्या धारक। इस प्रकार, हमारी राय है कि धारा *29* और साझा करने के नियम आधार कार्ड धारकों के हितों की रक्षा के लिए अधिनियमित प्रावधान हैं क्योंकि वे जानकारी साझा करने पर प्रतिबंध लगाते हैं, जिसे डेटा संरक्षण और वैध राज्य के उद्देश्य/हित के सर्वेक्षण से संबंधित प्रावधानों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा *29* प्रतिनिधि को विनियम बनाने की शक्ति देती है। हालाँकि, जैसा कि पहले ही ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है, जब भी कोई विनियमन बनाया जाता है, जो आधार कार्ड धारकों के निजता के अधिकार को बाधित करता है, तो ऐसा किया जा सकता है। हमेशा चुनौती देते रहें। अभी तक, साझा करने के नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

343. धारा *33* में कुछ मामलों में सूचना के प्रकटीकरण का प्रावधान है। इस प्रावधान को चुनौती इस आधार पर दी गई है कि यह पुलिस सत्यापन के लिए आधार डेटाबेस के उपयोग का प्रावधान करता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद *20 (3)* के लोकाचार के खिलाफ है, जो *[2018] 8* एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आत्म-दोषारोपण के खिलाफ एक नियम। इस तर्क की सराहना करने के लिए,

हम धारा *33* को पूरी तरह से पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगेः

"33. (1) धारा *28* की उप-धारा *(2)* या उप-धारा *(5)* या धारा *29* की उप-धारा *(2)* में निहित कुछ भी इस संबंध में लागू नहीं होगा।
किसी अदालत के आदेश के अनुसार की गई पहचान की जानकारी या प्रमाणीकरण रिकॉर्ड सहित जानकारी के किसी भी प्रकटीकरण का

जिला न्यायाधीश से कमतरः

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत अदालत द्वारा कोई भी आदेश प्राधिकरण को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

(2) धारा *28* की उप-धारा *(2)* या उप-धारा *(5)* और धारा *29* की उप-धारा *(1),* उप-धारा *(2)* या उप-धारा *(3)* के खंड *(*बी*)* में निहित कुछ भी किसी भी प्रकटीकरण के संबंध में लागू नहीं होगा।

पहचान की जानकारी या प्रमाणीकरण सहित जानकारी

संयुक्त सचिव के पद से कम के अधिकारी के निर्देश के अनुसरण में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में बनाए गए अभिलेख

भारत सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से प्राधिकृत

केंद्र सरकार का आदेशः
बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत जारी किए गए प्रत्येक निर्देश की समीक्षा मंत्रिमंडल से बनी एक निगरानी समिति द्वारा की जाएगी।

भारत सरकार के सचिव और सचिव

कानूनी कार्य विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग

और सूचना प्रौद्योगिकी, इसके प्रभावी होने से पहलेः

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत जारी किया गया कोई भी निर्देश इसकी तिथि से तीन महीने की अवधि के लिए वैध होगा।

मुद्दा, जिसे निगरानी समिति द्वारा समीक्षा के बाद तीन महीने की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। *344.* धारा *33* की उप-धारा *(1)* पर बारीकी से नज़र डालने से

यह प्रदर्शित करें कि उप-धारा *(1)* अधिनियम की धारा *28 (2),* धारा *28 (5)* और धारा *29 (2)* का अपवाद है। वे प्रावधान किसी जानकारी के प्रकटीकरण पर रोक लगाते हैं जिससे जानकारी की रक्षा होती है।

किसी भी व्यक्ति के संबंध में यू. आई. डी. ए. आई. के पास उपलब्ध है। हालांकि, इसके अनुसार उप-धारा *(1),* ऐसी जानकारी का खुलासा किया जा सकता है यदि किसी न्यायालय का कोई आदेश है जो जिला न्यायाधीश के आदेश से कम नहीं है। यह

इसलिए, प्रावधान में केवल यह कहा गया है कि उपयुक्त मामलों में, यदि अदालत किसी प्राधिकरण को ऐसी जानकारी का खुलासा करने का निर्देश देते हुए आदेश पारित करती है, तो प्राधिकरण ऐसा करने के लिए बाध्य होगा।

इस प्रकार, न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* में निहित एक प्रतिबंध। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

धारा *28* और *29* को आंशिक रूप से केवल एक पारित होने पर ही हटा दिया जाता है।

धारा *33* की उप-धारा *(1)* के इन प्रावधानों को पढ़कर कि एक व्यक्ति जिसकी जानकारी जारी करने की मांग की जाती है, उसे सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। एक उचित धारणा है कि उक्त न्यायालय इस तरह का आदेश पारित करने से पहले संविधान के अनुच्छेद *20 (3)* के साथ-साथ उस व्यक्ति के गोपनीयता अधिकारों या अन्य अधिकारों सहित प्रासंगिक कानून पर विचार करेगा। इसके अलावा, जिस व्यक्ति के संबंध में आदेश पारित किया जाता है, उसकी भी सुनवाई की जाएगी और उसे उच्च मंच पर आदेश को चुनौती देने का अधिकार होगा। इतना ही नहीं, धारा *33 (1)* का प्रावधान यह प्रावधान करके एक अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है कि यू. आई. डी. ए. आई. की भी सुनवाई की जाएगी। इससे पहले कि न्यायालय द्वारा इस आशय का आदेश पारित किया जाए। इस अर्थ में, प्राधिकरण को न्यासी के रूप में कार्य करना है और वह अदालत द्वारा आदेश पारित करने पर आपत्ति कर सकता है। इस तरह की घटना वास्तव में हुई है। हम पहले ही देख चुके हैं कि कुछ आपराधिक कार्यवाही में बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ, प्राधिकरण को एक व्यक्ति की बायोमेट्रिक जानकारी देने का निर्देश देते हुए आदेश पारित किया गया था, प्राधिकरण ने *2014* की विशेष अनुमति याचिका *(*आपराधिक*)* संख्या *2524* दायर की थी, जिसमें उक्त आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि ऐसी बायोमेट्रिक जानकारी देना आधार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था क्योंकि जानकारी गोपनीय थी। यह न्यायालय उक्त आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगाता है जो दर्शाता है कि धारा *33* की उप-धारा *(1)* में ही पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं।

345. धारा *33* की उप-धारा *(2)* को ध्यान में रखते हुए यह देखा जा सकता है कि यह प्रावधान पहचान सहित जानकारी के प्रकटीकरण को सक्षम बनाता है।

आगे कहा गया है कि प्राधिकरण संयुक्त पद से नीचे के अधिकारी के निर्देश के अनुसरण में ऐसी जानकारी का खुलासा करने के लिए बाध्य है। केंद्र सरकार के एक आदेश द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत भारत सरकार के सचिव। उप-धारा *(2)* के प्रावधान में यह निर्धारित करते हुए एक अतिरिक्त सुरक्षा दी गई है कि इस उप-धारा के तहत जारी किए गए प्रत्येक निर्देश की समीक्षा एक निगरानी समिति द्वारा की जाएगी जिसमें कैबिनेट सचिव और भारत सरकार के कानूनी मामलों के विभाग और *[2018] 8* एस. सी. आर. विभाग के सचिव शामिल होंगे।

प्रभाव में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी। इसके अलावा, ऐसा निर्देश इसके जारी होने की तारीख से केवल तीन महीने की अवधि के लिए मान्य है जिसे और तीन महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।

346. प्रावधानों को चुनौती देने में याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क

धारा *33* की उप-धारा *(2)* में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की कोई परिभाषा प्रदान नहीं की गई है और इसलिए, यह दुरुपयोग के लिए अतिसंवेदनशील एक ढीला प्रावधान है। यह भी तर्क दिया जाता है कि सुरक्षा के आधार पर इस तरह के आंकड़ों का कोई स्वतंत्र निरीक्षण प्रकटीकरण नहीं है और यह भी कि प्रावधान अनुचित और असमान है और इसलिए, असंवैधानिक है।

347. हम यह इंगित कर सकते हैं कि इस न्यायालय ने एक्स-आर्मीमेन प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम में निर्णय दिया है। भारत संघ *& Ors.110* कि

राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में क्या है, यह कानून का सवाल नहीं है, बल्कि यह नीति का मामला है। हम निम्नलिखित चर्चा को पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे।

वहाँ सेः

" 16. राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में क्या है, यह कानून का सवाल नहीं है। यह नीति की बात है। यह तय करना अदालत का काम नहीं है कि कुछ राज्य के हित में है या नहीं। इसे छोड़ देना चाहिए।

कार्यकारी। सेकी में लॉर्ड हॉफमैन को उद्धृत करने के लिए। गृह विभाग के लिए राज्य। वी. रहमान *[(2003) 1* एसी *153: (2001) 3* डब्ल्यूएलआर *877: (2002)*

1 सभी ईआर *122 (*एचएल*)]: (* एसी पी। *192* सी*)*

" ... [राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में*]* कानून का सवाल नहीं है। यह निर्णय और नीति का विषय है। संविधान के तहत यूनाइटेड किंगडम और अधिकांश अन्य देशों में, यह निर्णय कि कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है या नहीं, न्यायिक निर्णय का विषय नहीं है। उन्हें कार्यपालिका को सौंपा जाता है।

17. इस प्रकार, राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति में, एक पक्ष प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के सख्त पालन के लिए जोर नहीं दे सकता है। ऐसे मामलों में, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियमों में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किए गए हैं, तो वैधानिक बहिष्करण को पढ़े और प्रदान करे। विशेष मामले के तथ्यों के आधार पर, यह अदालत के लिए खुला होगा कि वह खुद को संतुष्ट करे कि क्या कोई उचित तथ्य थे, और उस संबंध में, अदालत को फाइलों को बुलाने और यह देखने का अधिकार है कि क्या यह एक ऐसा मामला है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का हित शामिल है। एक बार जब राज्य का यह रुख हो जाता है कि इस मुद्दे में राष्ट्रीय सुरक्षा शामिल है, तो अदालत कारणों का खुलासा नहीं करेगी।

प्रभावित पक्ष को "।

10 (2014) 5 एस. सी. सी. *409* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

348. के. एस. पुट्टास्वामी के मामले में भी, इस न्यायालय ने सरकार द्वारा डेटा प्रतिधारण को मान्यता दी है जो जनता के लिए आवश्यक हो सकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में। हम भी उपयोगी हो सकते हैं

उसमें उल्लिखित परिस्थितियों में संदेशों की संख्या, अर्थात 'किसी सार्वजनिक आपातकाल की घटना' या 'सार्वजनिक सुरक्षा के हित में'। अदालत ने इन अभिव्यक्तियों को निम्नलिखित तरीके से समझायाः

" 28. अधिनियम की धारा *5 (2)* संदेशों के अवरोधन की अनुमति देती है।

उक्त धारा के प्रावधानों के अनुसार "। अधिनियम की धारा *5 (2)* के प्रावधानों को लागू करने के लिए "या" सार्वजनिक सुरक्षा के हित में "किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की घटना अनिवार्य है। जब तक कोई सार्वजनिक आपातकाल नहीं हुआ है या सार्वजनिक सुरक्षा मांगों के हित में, अधिकारियों के पास उक्त धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। सार्वजनिक आपातकाल

इसका अर्थ तत्काल कार्रवाई के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करने वाली अचानक स्थिति या स्थिति का होना है। द.

अभिव्यक्ति "सार्वजनिक सुरक्षा" का अर्थ है राज्य या स्वतंत्रता की स्थिति।

बड़े पैमाने पर लोगों के लिए खतरे या जोखिम से। जब इन दोनों शर्तों में से कोई भी अस्तित्व में नहीं है, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या अधिकृत अधिकारी इसका सहारा नहीं ले सकते हैं।

टेलीफोन-टैपिंग भले ही संतोष है कि यह है

संप्रभुता के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है।

और भारत की अखंडता आदि। दूसरे शब्दों में, भले ही केंद्र सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है

भारत की संप्रभुता और अखंडता या राज्य की सुरक्षा या संप्रभु राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या किसी अपराध के लिए उकसाने को रोकने के लिए, यह संदेशों को रोक नहीं सकता है या टेलीफोन-टैपिंग का सहारा नहीं ले सकता है जब तक कि कोई सार्वजनिक आपातकाल न हो या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में या सार्वजनिक सुरक्षा के हित के अस्तित्व की आवश्यकता न हो। न तो सार्वजनिक आपातकाल की घटना और न ही सार्वजनिक सुरक्षा का हित गुप्त स्थितियाँ या स्थितियाँ हैं। इनमें से कोई भी

परिस्थितियाँ एक समझदार व्यक्ति के लिए स्पष्ट होंगी।

349. उपरोक्त कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में जानकारी के प्रकटीकरण को गलत नहीं माना जा सकता है।

हालाँकि, हमारी राय है कि इस तरह की महत्वपूर्ण शक्ति देने में

संयुक्त सचिव के हाथ उचित नहीं हो सकते हैं। अधिमानतः न्यायिक अधिकारी के साथ एक उच्च पदस्थ अधिकारी होना चाहिए। इसलिए अधिनियम की धारा *33 (2)* में निहित प्रावधानों को संयुक्त सचिव को दी गई शक्ति को निरस्त कर दिया गया है, जिससे उत्तरदाताओं को उपरोक्त तर्ज पर एक प्रावधान को उपयुक्त रूप से लागू करने की स्वतंत्रता दी गई है, जो व्यक्तियों के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा करेगा।

350. अब हम आधार अधिनियम की धारा *47* को दी गई चुनौती का विज्ञापन करते हैं, जिसे 'अपराधों का संज्ञान' के रूप में शीर्षक दिया गया है, यह निम्नानुसार है:

" 47. (1) कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, सिवाय प्राधिकरण या किसी अन्य द्वारा की गई शिकायत के।

इसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या व्यक्ति।

(2) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से कम कोई भी अदालत इसके तहत दंडनीय किसी भी अपराध की सुनवाई नहीं करेगी।

यह अधिनियम "।

351. अध्याय *VII* में कुछ कार्यों को अपराध के रूप में माना जाता है और धारा *34* से धारा *43* तक दंड का भी प्रावधान किया गया है।

352. धारा *44* स्पष्ट करती है कि यह अधिनियम भारत के बाहर भी किए गए अपराध या उल्लंघन के लिए लागू होगा। जहाँ तक जाँच की बात है

इन अपराधों का संबंध है, धारा *45* में प्रावधान है कि पुलिस निरीक्षक के पद से कम का पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की जांच करेगा। इसके बाद, धारा *46* स्पष्ट करती है कि इस अधिनियम

के तहत लगाए गए दंड उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत किसी अन्य दंड या सजा के अधिरोपण को नहीं रोकेंगे। अध्याय *VII* की यह योजना अधिनियम के प्रवर्तन के संबंध में बहुत सख्त प्रावधान करती है जिसमें डेटा सुरक्षा भी शामिल है। अध्याय *VII* में अंतिम प्रावधान धारा *47* है जिसमें यह प्रावधान है कि प्राधिकरण या उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर ही संज्ञान लिया जाएगा। याचिकाकर्ता इस प्रावधान से व्यथित महसूस करते हैं क्योंकि यह एक व्यक्तिगत नागरिक को आपराधिक प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति नहीं देता है जिसके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। आशंका व्यक्त की जाती है कि ऐसी संभावना हो सकती है कि प्राधिकरण स्वयं या कोई सरकारी प्राधिकरण अधिनियम के तहत अपराध करने का दोषी हो और ऐसी स्थिति में, प्राधिकरण या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी या व्यक्ति कोई शिकायत दर्ज नहीं करने का विकल्प चुन सकता है।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

353. उत्तरदाताओं के अनुसार, धारा के पीछे का तर्क

47 यह सी. आई. डी. आर. की शुद्धता और अखंडता को बनाए रखने के लिए है और सी. आई. डी. आर. में पूरे नामांकन भंडारण और प्रमाणीकरण अभ्यास को केवल प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इस कारण से, यह प्राधिकरण है जो शिकायत दर्ज करने का अधिकार रखता है। यह भी बताया गया है कि आधार अधिनियम की धारा *47* के समान प्रावधान कई अन्य कानूनों में निहित हैं।

खान और खनिज *(*विकास*)* की धारा *22* का संदर्भ दिया गया है।

और विनियमन*)* अधिनियम, *1957*, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, *1986* की धारा *34*, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, *1997* की धारा *34*, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, *1949* की धारा *47*, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, *1992* की धारा *26 (1)*, पर्यावरण *(*संरक्षण*)* अधिनियम, *1986* की धारा *19*, वायु *(*प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण*)* अधिनियम, *1981* की धारा *43* और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, *2006* की धारा *57 (1)*। उत्तरदाताओं के पास है

यह भी प्रस्तुत किया कि ऐसे प्रावधानों की वैधता का परीक्षण किया गया है और

इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई। राज कुमार गुप्ता बनाम में निर्णय का संदर्भ दिया गया है। उपराज्यपाल, दिल्ली और *Ors.*[11]*2 112*। प्रत्यर्थियों ने राज्य *(*एन. सी. टी. दिल्ली*)* बनाम में इस न्यायालय के निर्णय का भी समर्थन किया है। संजय *1 13* जिसमें खान और खनिज *(*विकास और विनियमन*)* अधिनियम, *1957* की धारा *22* का परीक्षण किया गया था। जहां तक याचिकाकर्ताओं की शिकायत और आशंका का संबंध है, यह अभिनिर्धारित करके प्रावधानों की व्याख्या करने पर ध्यान दिया जा सकता है कि प्राधिकरण अपने स्वयं के प्रस्ताव की शिकायत दर्ज कर सकता है या उस व्यक्ति के अनुरोध पर जिसके

इससे अधिकार प्रभावित होते हैं।

उपरोक्त के बावजूद, हमारी राय है कि यह चीजों की योग्यता में होगा यदि धारा *47* को किसी व्यक्ति को अनुमति देकर संशोधित किया जाता है।

पीड़ित जिसके अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, शिकायत दर्ज करने और कार्यवाही शुरू करने के लिए। हम आशा करते हैं कि इस पहलू पर ध्यान दिया जाएगा उचित स्तर पर और यदि उचित माना जाता है, तो धारा *47* में उपयुक्त संशोधन किया जाएगा।

354. धारा *48* को अस्पष्ट या मनमाना नहीं माना जा सकता है। सार्वजनिक

'आपातकाल' वह अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग कई अन्य अधिनियमों में किया गया है और इसे संवैधानिक माना गया है। यह हमेशा न्यायालयों की जांच के अधीन हो सकता है। *355.* इसके साथ, अब हम एक ऐसे प्रावधान पर आते हैं जिस पर अत्यधिक बहस हुई थी। दलीलों के समय, याचिकाकर्ताओं ने कड़ा रुख अपनाया था

112 (1997) 1 एस. सी. सी. *556*

113 (2014) 9 एस. सी. सी. *772* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2018] 8 एस सी आर।

इसके कुछ पहलुओं के लिए अपवाद। हम सबसे पहले इस प्रावधान की सटीक भाषा पर ध्यान दे सकते हैं:

" 57. इस अधिनियम में निहित कुछ भी किसी भी उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या के उपयोग को नहीं रोकेगा, चाहे वह राज्य या किसी भी निगम निकाय या व्यक्ति द्वारा किया गया हो। तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या इस आशय के किसी अनुबंध के लिए - बशर्ते कि इस धारा के तहत आधार संख्या का उपयोग धारा *8* के तहत प्रक्रिया और दायित्वों के अधीन होगा।

और अध्याय *VI*। "

356. पहली बार में, प्रावधान हानिरहित प्रतीत होता है। यह आधार धारक को किसी भी उद्देश्य के लिए अपनी पहचान स्थापित करने में सक्षम बनाता है। उस में मतलब, यह आधार संख्या धारक को सशक्त बनाने के बराबर हो सकता है, जब वह अद्वितीय पहचान ले रही हो। यह उसका पहचान पत्र है जिसका उपयोग वह न केवल आधार अधिनियम में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी कर सकती है।

याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित प्रावधान यह है कि यह राज्य के अलावा निजी पक्षों को भी आधार नेटवर्क के दायरे में लाता है, जिससे उन्हें ऐसे उपयोगकर्ता की गोपनीयता पर आक्रमण करने का निर्बाध अवसर मिलता है। उनके अनुसार, प्रावधान का अपमानजनक हिस्सा यह है: *(* क*)* यह 'किसी भी निगमित निकाय या व्यक्ति' *(*जिससे निजी निकायों/व्यक्तियों को भी शामिल किया जाता है*)* को प्रमाणीकरण प्रक्रिया का उपयोग करने की अनुमति देता है।

एक बार कोई व्यक्ति अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या प्रदान करता है।

(ख*)* किसी भी उद्देश्य के लिए अभिव्यक्ति काफी व्यापक है, जो दुरुपयोग के लिए अतिसंवेदनशील हो सकती है।

(ग) इसकी अनुमति न केवल कुछ समय के लिए लागू किसी कानून के अनुसार दी गई है, बल्कि 'इस आशय के किसी भी अनुबंध' के अनुसार भी दी गई है जो

इसका अर्थ यह है कि व्यक्तियों को किसी ऐसे उद्देश्य के लिए अनुबंध के रूप में अपनी सहमति देने के लिए मजबूर किया जा सकता है जो उचित हो या न हो जिससे निजी पक्षों को उक्त व्यक्ति के बारे में बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने की अनुमति मिल सके। *358.* यह तर्क दिया जाता है कि निजी संस्थाओं के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नहीं हैं। समान रूप से मामले में कोई उपाय प्रदान नहीं किया जाता है।

ऐसा निकाय निगमित या व्यक्ति सेवाओं में विफल रहता है या इनकार करता है। इस रंग में, यह है यह भी तर्क दिया कि यह न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम को लेने के रूप में कानून का एक अत्यधिक टुकड़ा है।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

'किसी भी कानून', विनियमों आदि की बाधा को इसके दायरे में धारा *7* द्वारा प्रदान की गई तुलना में बहुत अधिक शामिल करके तैयार किया जा सकता है।

आधार अधिनियम। इसलिए याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह आनुपातिकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। श्री दीवान प्रस्तुत करते हैं कि धारा *57* भी है

स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है क्योंकि यह उन उपयोगकर्ताओं के लिए आधार मंच के अप्रतिबंधित विस्तार की अनुमति देता है जो सरकारी एजेंसियां या हो सकते हैं

निजी क्षेत्र के प्रचालक। इसके अलावा, यह प्रावधान सेवा प्रदाताओं और अन्य गेटवे में आधार संख्या को जोड़ने में सक्षम बनाता है और इस प्रकार एक निगरानी राज्य की स्थापना की जा सकती है। विवादित प्रावधान आवेदनों और आधार पर निर्भर वितरण प्रणालियों के प्रसार को सक्षम बनाता है जो भारत के संचित कोष संसाधनों से नहीं बल्कि किसी अन्य माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। वह यह भी प्रस्तुत करता है कि धारा *57*

359. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उत्तरदाताओं का तर्क है कि यह केवल एक सक्षम प्रावधान है जो आधार कार्ड धारक को उसकी पसंद के अनुसार और अधिक सुविधाएं देता है और इस प्रकार, ऐसे व्यक्तियों के लाभ के लिए अधिनियमित किया गया है। *360.* हम पहले ही विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि किस सिद्धांत पर आनुपातिकता का सिद्धांत बनाया गया है और किस परीक्षण की आवश्यकता है।

संतुष्ट। संक्षेप में, आनुपातिकता सिद्धांत नागरिकों को अत्यधिक सरकारी उपायों से बचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे मामलों में जांच यह है कि एक विशेष उपाय दो विशिष्ट उपयोगितावादी इंद्रियों में असमान नहीं होना चाहिए: *(i)* उपाय की लागत या बोझ स्पष्ट रूप से संभावित लाभों से अधिक नहीं होना चाहिए, जिन्हें 'अंत' या 'अंत-लाभ' आनुपातिकता के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

(ii) उपाय स्पष्ट रूप से समान रूप से वैकल्पिक उपायों की तुलना में अधिक महंगा या अधिक बोझिल नहीं होना चाहिए, जिसे कुछ न्यायविदों द्वारा आवश्यकता और संकीर्ण सिलाई की अवधारणा के रूप में भी वर्णित

किया गया है और इसे 'साधन' या 'वैकल्पिक-साधन' आनुपातिकता के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। *361.* हमने कुछ विदेशी कानूनी शासनों, विशेष रूप से जर्मनी में विकसित आनुपातिकता के सिद्धांत पर भी विस्तार से चर्चा की है।

और कनाडा। आर. वी. में कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय। ओक्स *1 1 4 114* ने एक दो-स्तरीय संवैधानिक नियंत्रण परीक्षण विकसित किया। एक बार जब दावेदार चार्टर में गारंटीकृत अधिकार का उल्लंघन साबित कर देता है, तो सरकार को संतुष्ट करना चाहिए।

114 (1986) 1 एस. सी. आर. *103* सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 8 एस सी आर।

यह स्थापित करने के लिए दो मानदंड हैं कि व्यक्तिगत अधिकारों की सीमा को "एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज में स्पष्ट रूप से उचित ठहराया जा सकता है।" *362.* सबसे पहले, संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार को सीमित करने वाले उपायों से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा होना चाहिए जो "उन चिंताओं से संबंधित है जो एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज में महत्वपूर्ण हैं।" क्यूबेक में अंग्रेजी बोलने वाले माता-पिता के अपने बच्चों को अंग्रेजी बोलने वाले स्कूलों में शिक्षित करने के अधिकारों को सीमित करने वाले कानून में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक अधिकार की कमी पाई गई है।

उद्देश्य। इसी तरह, कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय कोई भी वैध सार्वजनिक उद्देश्य खोजने में असमर्थ था जो फ्रेंड वी में अल्बर्टा के मानवाधिकार कानून के तहत समलैंगिकों और समलैंगिकों को सुरक्षा से इनकार करने को उचित ठहराता है। अल्बर्टा *1 16.* आर. वी. में इसके अलावा, यह एक कानून के घुसपैठ के उपयोग को भी प्रतिबंधित करता है जो संसद द्वारा मूल रूप से विचार किए गए उद्देश्यों से असंबंधित था जब उस कानून को लागू किया गया था।

363. दूसरा, एक बार जब कोई महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्देश्य या लक्ष्य स्थापित हो जाता है, तो इसे प्राप्त करने के लिए चयनित साधन "उचित और उचित" होना चाहिए।

स्पष्ट रूप से उचित "। अदालत ने आर. वी. में कहा। बिग एम ड्रग मार्ट लिमिटेड *118* ने कहा कि इस निर्धारण में "आनुपातिकता परीक्षण का एक रूप" शामिल है।

हालाँकि, यह मामले के तथ्यों के आधार पर भिन्न होता है, परीक्षण में तीन सिद्धांतों के आधार पर सार्वजनिक और व्यक्तिगत हितों का संतुलन शामिल है, जो इस प्रकार हैं: *((i)* साधन उद्देश्य से तर्कसंगत रूप से संबंधित होने चाहिए। अदालत ने कभी-कभी किसी भी तर्कसंगतता के अभाव में कानून को रद्द कर दिया है।

पीछा किए गए उद्देश्य से संबंध। यह वांछित उद्देश्य के लिए एक प्रावधान के तर्कसंगत संबंध को निर्धारित करने के लिए एक बल्कि अव्यावहारिक और प्रासंगिक दृष्टिकोण का उपयोग करता है।

((ii) साधनों को 'विचाराधीन अधिकार या स्वतंत्रता' को यथासंभव कम से कम 'बाधित' करना चाहिए। यह निर्णायक तत्व माना जाता है

आनुपातिकता समीक्षा। इसके लिए आवश्यक है कि विधायिका वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम कम से कम घुसपैठ करने वाले उपाय को अपनाए।

(iii) इसकी प्राप्ति के लिए अपनाए गए साधनों का सार्वजनिक उद्देश्य और वास्तविक प्रभाव एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्देश्य के अनुपात में होना चाहिए या

उद्देश्य। अदालत ने कहा कि भले ही साधन पहले दो मानदंडों को पूरा करते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति पर इसके असमान हानिकारक प्रभावों को देखते हुए इसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है।

115 क्यूबेक एसोसिएशन ऑफ प्रोटेस्टेंट श। बीडीएस। वी. क्यूबेक *(ए. जी.) (1984) 2* एस. सी. आर. *66 116 (1998) 1* एस. सी. आर. *493*

117 (1992) 2 एससीआर *731*

118 (1985) 1 एस. सी. आर. *295* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

364. जहाँ तक जर्मनी में कानून के विकास का संबंध है,

पहले से ही विस्तार से चर्चा की गई है, आनुपातिकता को "राज्य के प्रति नागरिक के सामान्य अधिकार की अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है कि उसकी स्वतंत्रता को सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा केवल उस सीमा तक सीमित किया जाना चाहिए जो सार्वजनिक हित की सुरक्षा के लिए अपरिहार्य है।" *1 1 9* जर्मन कानून में आनुपातिकता के सिद्धांत में तीन महत्वपूर्ण उप-सिद्धांत शामिल हैंः संकीर्ण अर्थों में उपयुक्तता, आवश्यकता और आनुपातिकता। जर्मनी के उच्च न्यायालय के अनुसार, बुनियादी अधिकारों में कोई भी सरकारी हस्तक्षेप मांगे गए उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए उपयुक्त और आवश्यक होना चाहिए। इसका व्यक्तियों के लिए नुकसान "आम तौर पर केवल तभी अनुमत होते हैं जब आनुपातिकता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए दूसरों की सुरक्षा या सार्वजनिक हित की आवश्यकता होती है।"

365. यूरोपीय संघ ने मोटे तौर पर जर्मन प्रणाली को अपनाया है। हमने सिद्धांत के विकास पर भी ध्यान दिया है

विभिन्न निर्णयों के माध्यम से भारत में आनुपातिकता *1 20.*

366. हम यहाँ उल्लेख कर सकते हैं कि जहाँ तक यू. एस. सुप्रीम कोर्ट है

संबंधित, इसने कम से कम घुसपैठ करने वाले परीक्षण को लागू करने से इनकार कर दिया है *1 2 1* हालांकि बार में इस बात पर बहस हुई थी कि क्या इस न्यायालय को कम से कम घुसपैठ करने वाले परीक्षण को लागू करने के लिए यूरोपीय दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए या अमेरिकी दृष्टिकोण से जाना चाहिए जिसने बार-बार इस परीक्षण को लागू करने से इनकार कर दिया। इस बहस में गए बिना, तब भी जब हम इस न्यायालय द्वारा निर्धारित स्वीकृत मानदंडों को लागू करते हैं

मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर और के. एस. पुट्टास्वामी मामलों में, हमारा विचार है कि धारा *57* का एक हिस्सा आनुपातिकता सिद्धांत को पारित नहीं करता है।

367. उत्तरदाता अपने स्पष्टीकरण में सही हो सकते हैं कि यह है

केवल एक सक्षम प्रावधान जो आधार संख्या धारक को लेने का अधिकार देता है

उसकी पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से आधार की सहायता। यदि ऐसा व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से अपनी पहचान के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड देना चाहता है, तो कोई समस्या नहीं हो सकती है।

119 निकोलस एमिलिउ, यूरोपीय कानून में आनुपातिकता का सिद्धांत देखें। ए.

तुलनात्मक अध्ययन *5 (*क्लूवर लॉ इंटरनेशनल। *1996) .*

120 ओम कुमार और अन्य। वी. भारत संघ, *(2001) 2* एस. सी. सी. *386* जहाँ आर. वी. ओक्स को संदर्भित किया गया था और उस पर भरोसा किया गया था; टेरी ओट एस्टेट्स *(*पी*)* लिमिटेड *v.* यू. टी., चंडीगढ़ और अन्य , *(2004) 2* एस. सी. सी. *130* जहाँ न्यायालय प्रतिकूल प्रभाव के बीच एक उचित संतुलन बनाए रखने पर जोर देता है जो कानून या प्रशासनिक आदेश का व्यक्तियों के अधिकारों, स्वतंत्रताओं या हितों पर हो सकता है, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिसे वे पूरा करना चाहते थे; मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर और के. एस. पुट्टास्वामी आदि।

121 वर्नोनिया स्कूल जिला बनाम। वेन एक्टन, *515* यूएस *646,132* एल. एड. *2* डी *564,* स्वतंत्र विद्यालय जिला शिक्षा बोर्ड बनाम। लिंडसे अर्ल्स, *536* यू. एस. *822 = 153 L.Ed.2d*।

735 .

368. धारा *59,* जो अधिनियम में अंतिम प्रावधान है, का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों को मान्य करना है - अधिनियम के पारित होने तक *28* जनवरी, *2009* की अधिसूचना। यह नीचे लिखा है:

" 59. केंद्र सरकार द्वारा कुछ भी किया गया या कोई कार्रवाई की गई

भारत सरकार के संकल्प के तहत, योजना
अधिसूचना संख्या ए वाला आयोग-*43011/02/2009*-प्रशासन। *I,* दिनांक *28* जनवरी, *2009* या इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा

और कैबिनेट सचिवालय के तहत सूचना प्रौद्योगिकी

अधिसूचना संख्या एस. ओ. *2492 (*ई*),* दिनांक *12* सितंबर, *2015,* जैसा भी मामला हो, वाली अधिसूचना को निम्नलिखित माना जाएगा:
इस अधिनियम के तहत वैध रूप से किया गया है या लिया गया है।

369. इस प्रावधान के लिए चुनौती इस आधार पर है कि शासन में जो अधिनियम और नामांकन के पारित होने से पहले प्रचलित था

आधार योजना में किया गया था, जो नामांकन की मांग करने वाले व्यक्तियों की सहमति के बिना हुआ था और इसलिए, वे नामांकन

इस तरह का प्रावधान करके इसे मान्य नहीं किया जा सकता है। यह तर्क दिया गया था कि अधिनियम भी सूचित सहमति के लिए प्रावधान करता है जिसे होना है नामांकन के समय व्यक्तियों से प्राप्त और ऐसी सहमति की अनुपस्थिति नामांकन को अस्वीकार्य बनाती है जिससे गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन होता है और ऐसे कार्यों को मान्य नहीं किया जा सकता है।

370. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं का तर्क है कि प्रावधान की प्रकृति से, इसका उद्देश्य संभावित होना है एक स्पष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, अर्थात् *21* अगस्त, *2009* की अधिसूचना को मान्य करने के लिए प्राधिकरण बनाया गया था और आधार योजना प्रशासनिक आदेश द्वारा शुरू की गई थी। उद्देश्य यह है कि

इसे वैधानिक समर्थन दें।

371. हम पाते हैं कि धारा *59* 'कुछ भी किया गया' अभिव्यक्ति का उपयोग करती है।

या संकल्प के तहत कोई कार्रवाई '। हमारे अनुसार, विधायिका द्वारा प्रावधान में उपयोग की जाने वाली यह शब्दावली स्पष्ट रूप से आधार योजना में व्यक्तियों के नामांकन सहित प्राधिकरण के सभी कार्यों को शामिल करने के लिए है। धारा के अंत में 'इस अधिनियम के तहत वैध रूप से किए गए या लिए गए शब्द' चीजों को किसी भी सीमा से परे रखते हैं।

सन्देह हो रहा है। विधायी इरादा स्पष्ट है, अर्थात्, प्रावधान को पूर्वव्यापी बनाना ताकि प्राधिकरण के कार्यों को शामिल किया जा सके इसकी स्थापना। याचिकाकर्ताओं द्वारा सुझाए गए तरीके से प्रावधान को पढ़ने से धारा *59* को रद्द करने का प्रभाव पड़ेगा।

ऐसा न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

व्याख्या को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हमारी राय है कि मामला वेस्ट रामनाड इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बनाम वेस्ट रामनाड इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बनाम वेस्ट रामनाड इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बनाम वेस्ट रामनाड इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बनाम वेस्ट रामनाड इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बनाम वेस्ट रामनाड इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बनाम वेस्ट रामनाड इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बनाम वेस्ट रामनाड इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बनाम वेस्ट रामनाड इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बनाम वेस्ट रामनाड इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बनाम वेस्ट रामनाड इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बनाम वेस्ट रामनाड इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बनाम वेस्ट रामनाड इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बनाम वेस्ट रामनाड इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बनाम वेस्ट रामनाड इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बनाम वेस्ट रामनाड इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बनाम वेस्ट रामनाड इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मद्रास और अन्न राज्य। *122* साथ ही विशंभर नाथ कोहली और अन्य। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। *123* .

372. हम यह भी इंगित करना चाहते हैं कि याचिकाकर्ताओं का यह निवेदन कि अनुच्छेद *14* द्वारा प्रभावित किसी विशेष कार्रवाई या प्रावधान या क़ानून को मान्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, इस न्यायालय द्वारा मैसूर और अन्न राज्य में खारिज कर दिया गया है। वी. डी. अचिया चेट्टी, आदि। *124.*

इस प्रकार, विधायिका को एक क़ानून में डीमिंग प्रावधानों को शामिल करने का अधिकार है। इस प्रस्ताव की इस न्यायालय द्वारा भी बार-बार पुष्टि की गई है। हम इस संबंध में राज्य में निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं

कर्नाटक बनाम. तमिलनाडु राज्य और अन्य। *1 25* प्रासंगिक होगा जिसमें न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 72. रखरखाव के संबंध में श्री रोहतगी के समर्पण का दूसरा अंग धारा के तहत नियोजित भाषा से संबंधित है।

6 (2) 1956 के अधिनियम का, जो इस प्रकार हैः

" 6. (2) उप-धारा *(1)* के तहत केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन के बाद न्यायाधिकरण के निर्णय का वही बल होगा जो उच्चतम न्यायालय के आदेश या डिक्री का होगा।

73. धारा *6 (2)* के आधार पर, जिसे संशोधन अधिनियम, *2002 (2002* का अधिनियम *14)* के माध्यम से पेश किया गया था, जो *6-8-2002* से लागू हुआ था, श्री रोहतगी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को हटा दिया गया है क्योंकि यह अपने दम पर अपील में नहीं बैठ सकता है। डिक्री। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नरीमन और श्री नाफडे ने उक्त निवेदन का गंभीरता से विरोध करते हुए तर्क दिया कि यदि उक्त प्रावधान की व्याख्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने के लिए की जानी है, तो इसे अनुच्छेद *136 (2)* के अंत में "या अनुच्छेद *262 (2)* के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत गठित किसी भी न्यायाधिकरण के किसी भी निर्धारण" को जोड़ते हुए एक संवैधानिक संशोधन द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए और ऐसी स्थिति में, सभी संभावनाओं में संविधान में ऐसा संशोधन असंवैधानिक हो सकता है।

123 (1966) 2 एससीआर *158* *124 (1969) 1* एस. सी. सी. *248*

125 (2017) 3 एससीसी *362 [2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायिक समीक्षा की शक्ति को प्रभावित करने वाले अधिकार जो संविधान की मूल विशेषता का एक हिस्सा हैं। प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने मूल संविधान द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के प्रदान और बहिष्करण और संवैधानिक संशोधन द्वारा किसी भी बहिष्करण के बीच अंतर किया है। जो भी हो, उक्त पहलू को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें केवल धारा *6 (2)* की व्याख्या करने की आवश्यकता है क्योंकि यह मौजूद है।

आज क़ानून की किताब पर। उक्त प्रावधान को न्यायाधिकरण के निर्णय के प्रकाशन के बाद उसे मजबूती प्रदान करने के लिए जोड़ा गया है।

केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र और यह केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की रिपोर्ट *(1980)* को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

"17.4.19 . 1980 में अधिनियम में संशोधन किया गया और धारा *6*-ए को जोड़ा गया। यह धारा न्यायाधिकरण के निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए एक योजना तैयार करने का प्रावधान करती है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ प्राधिकरण की स्थापना, उसके कार्यकाल और सेवा की अन्य शर्तों आदि का प्रावधान है। लेकिन केवल ऐसी एजेंसी का निर्माण एक न्यायाधिकरण के निर्णय के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं होगा। धारा *6*-ए के तहत स्थापित कोई भी एजेंसी वास्तव में संबंधित राज्यों के सहयोग के बिना काम नहीं कर सकती है। इसके अलावा, न्यायाधिकरण के निर्णय को बाध्यकारी और प्रभावी बनाना।

प्रवर्तनीय, इसके पीछे वही बल और मंजूरी होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश या डिक्री के रूप में होनी चाहिए। हम अनुशंसा करते हैं कि इस उद्देश्य के लिए अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए।

***

17.6.05 . अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, *1956* में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि एक न्यायाधिकरण के निर्णय के पीछे वही बल और मंजूरी हो जो एक न्यायाधिकरण के निर्णय को वास्तव में बाध्यकारी बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश या डिक्री के रूप में है।

74. आयोग की रिपोर्ट, जैसा कि भाषा से पता चलता है, दोनों राज्यों के लिए बाध्यकारी न्यायाधिकरण का अंतिम निर्णय लेना था और एक बार जब इसे इस न्यायालय की डिक्री के रूप में माना जाता है, तो इसका बाध्यकारी प्रभाव पड़ता है। पुरस्कार को प्रभावी ढंग से लागू करने योग्य बनाने का सुझाव दिया गया था। धारा *6 (2)* में प्रयुक्त भाषा से पता चलता है कि न्यायाधिकरण के निर्णय का बल इस न्यायालय के आदेश या डिक्री के समान होगा। एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम के बीच अंतर है।

भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

इस न्यायालय के आदेश या डिक्री के समान बल और उचित निर्णय के बाद इस न्यायालय द्वारा डिक्री पारित करना। संसद ने जानबूझकर उन शब्दों का उपयोग किया है जिनसे यह समझा जा सकता है कि एक कानूनी कल्पना उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए है जिसके लिए कल्पना बनाई गई है और इससे आगे जाने का इरादा नहीं है। मकसद. न्यायाधिकरण के निर्णय का बाध्यकारी प्रभाव और प्रवर्तनीयता की प्रभावशीलता होनी चाहिए। इस प्रकार, इसे उस उद्देश्य के संबंध में संकीर्ण रूप से समझा जाना चाहिए जो इसे पूरा करने के लिए है।

75. इस संदर्भ में, हम उपयोगी रूप से सांविधिक व्याख्या के सिद्धांतों, *14* वीं संस्करण का उल्लेख कर सकते हैं। जी. पी. सिंह द्वारा विद्वान लेखक ने इस प्रकार व्यक्त किया हैः

"एक कानूनी कल्पना बनाने वाले प्रावधान की व्याख्या करते हुए, अदालत को यह पता लगाना है कि कल्पना किस उद्देश्य के लिए बनाई गई है *[*त्रावणकोर राज्य-कोचीन बनाम। षण्मुघा विलास काजू

फैक्टरी, ए. आई. आर. *1953* एस. सी. *333;* बॉम्बे राज्य बनाम। पांडुरंग विनायक, आकाशवाणी *1953* एस. सी. *244: 1953* सी. आर. आई. एल. जे. *1094],* और यह सुनिश्चित करने के बाद, न्यायालय को उन सभी तथ्यों और परिणामों को ग्रहण करना है जो आनुषंगिक या अपरिहार्य परिणाम हैं

कल्पना को प्रभाव देना। *[* ईस्ट एंड ड्वेलिंग्स कं. लिमिटेड बनाम फिन्सबरी बरो काउंसिल, *1952* एसी *109 (1951) 2* सभी ईआर

587 (एच. एल.*);* सी. आई. टी. बनाम एस. तेजा सिंह, ए. आई. आर. *1959* एस. सी. *352]* लेकिन इस तरह से कल्पना की व्याख्या करते हुए इसे उस उद्देश्य से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए जिसके लिए इसे बनाया गया है *[*बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड *v.* बिहार राज्य, ए. आई. आर. *1955* एस. सी. *661;* सी. आई. टी. बनाम। अमरचंद एन. श्रॉफ, ए. आई. आर. *1963* एस. सी. *1448]*, या उस खंड की भाषा से परे जिसके द्वारा इसे बनाया गया है। *[* सी. आई. टी वी. शकुंतला, ए. आई. आर. *1966* एस. सी. *719;* मंचेरी पुथुसेरी अहमद बनाम। कुथिरावट्टम एस्टेट रिसीवर, *(1996) 6* एससीसी *185:* ए. आई. आर. *1997* एस. सी. *208]* इसे एक और कथा आयात करके भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। *[* सी. आई. टी वी. मून मिल्स लिमिटेड, ए. आई. आर. *1966*

एस. सी. *870]* ऊपर बताए गए सिद्धांत 'अच्छी तरह से स्थापित' हैं। *[* राज्य डब्ल्यू. बी. वी. सदन के. बोरमल, *(2004) 6* एससीसी *59: 2004* एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई*) 1739:* ए. आई. आर. *2004* एस. सी. *3666]* एक कानूनी कथा भी हो सकती है

क़ानून को व्यवहार्य बनाने के लिए संक्षिप्त रूप से व्याख्या की गई।
[नंदकिशोर गणेश जोशी बनाम। कॉम. , नगर निगम। कल्याण और डोम्बिवली, *(2004) 11* एस. सी. सी. *417:* ए. आई. आर. *2005* एससी

34] "

76. अनीता हाडा बनाम। गॉडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स *[*अनीता हाडा बनाम। गॉडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स, *(2012) 5* एससीसी *661: (2012)*

3 एससीसी *(*सी. आई. वी*.) 350: (2012) 3* एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई*.) 241]*, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार फैसला सुनाया हैः *(* एस. सी. सी पी. *681* , पैरा *37-38)*

" 37. राज्य में टी. एन. वी. अरूरन शुगर लिमिटेड *[*राज्य टी. एन. बनाम.

अरूरन शुगर लिमिटेड, *(1997) 1* एस. सी. सी. *326]* संविधान पीठ ने एक क़ानून में डीमिंग प्रावधान पर विचार करते हुए फैसला सुनाया कि कानूनी कल्पना पैदा करने वाले क़ानून में एक प्रावधान की भूमिका अच्छी तरह से तय की गई है। मुख्य निरीक्षक को निर्देश दिया गया था

खानों का वी। करम चंद थापर *[*खानों के मुख्य निरीक्षक बनाम। करम चंद थापर, एआईआर *1961* एससी *838: (1961) 2* क्रि एल. जे. *1],* जे. के. कॉटन एस. पी. जी. और डब्ल्यूवीजी। मिल्स लिमिटेड बनाम। संघ का भारत *[*जे. के. कॉटन एसपीजी। और डब्ल्यूवीजी। मिल्स लिमिटेड बनाम। भारत संघ, *1987* पूरक एस. सी. सी. *350: 1988* एस. सी. सी. *(*कर*) 26]*, एम. वेणुगोपाल बनाम एल. आई. सी. *[*एम. वेणुगोपाल बनाम। एल. आई. सी., *(1994) 2* एस. सी. सी. *323: 1994* एस. सी. सी. *(*एल. एंड एस*.) 664]* और हरीश टंडन बनाम। एडीएम,

इलाहाबाद *[*हरीश टंडन बनाम। ए. डी. एम., इलाहाबाद, *(1995) 1* एस. सी. सी. *537]* और अंततः, यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब कोई कानून यह कहते हुए एक कानूनी कल्पना का निर्माण करता है कि कुछ ऐसा किया गया माना जाएगा जो वास्तव में और सच्चाई में नहीं किया गया है, तो न्यायालय को जांच करनी होगी और यह पता लगाना होगा कि किस उद्देश्य के लिए और किन व्यक्तियों के बीच इस तरह की वैधानिक कल्पना का सहारा लिया जाना है और उसके बाद, अदालतों को ऐसी वैधानिक कल्पना को पूरा प्रभाव देना होगा।

कल्पना और इसे अपने तार्किक निष्कर्ष पर ले जाना होगा।

38. उपरोक्त घोषणाओं से, जो सिद्धांत निकाला जा सकता है, वह यह है कि यह पता लगाना अदालत का बाध्यकारी कर्तव्य है कि कानूनी कल्पना किस उद्देश्य के लिए बनाई गई है। अदालत का यह भी कर्तव्य है कि वह सभी वास्तविक परिणामों और उदाहरणों के साथ कल्पना की कल्पना करे जब तक कि ऐसा करने से मना न किया जाए।

इसके अलावा, "मानित" शब्द के उपयोग को इसके संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए और इसके अलावा, पूर्ण तार्किक उद्देश्य और महत्व हैं - समझने के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि आधुनिक कानून में "मानित" शब्द का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया गया है। का उद्देश्य

विधायिका को ध्यान में रखना होगा।

77. हरि राम में *[*उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। हरि राम *(2013) 4* एस. सी. सी. *280: (2013) 2* एस. सी. सी. *(*सी. आई. वी.*) 583],* न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि *(*एस. सी. सी. पी. *293,* पैरा *18)* कानूनी कल्पना बनाने वाले प्रावधान की व्याख्या करते हुए, अदालत को यह पता लगाना है कि कल्पना किस उद्देश्य के लिए बनाई गई है और इसका पता लगाने के बाद, अदालत को उन सभी तथ्यों और परिणामों को मान लेना है जो आकस्मिक या अपरिहार्य हैं।

कल्पना को प्रभाव देने के लिए उपसंहार "। जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

373. एक और दृष्टिकोण है जिससे इस मामले को देखा जा सकता है। किसी भी मामले में, जब अधिनियम के तहत आधार योजना/परियोजना को इसकी संवैधानिकता की चुनौती से बचाया गया है, तो हम नहीं देखते हैं इस अधिनियम के पारित होने से पहले किए गए नामांकनों को अमान्य करने का कारण क्योंकि इससे अनावश्यक बोझ बढ़ेगा और इन व्यक्तियों को फिर से नामांकित किया जाएगा। इसके बजाय उन सभी व्यक्तियों की 'सहमति' प्राप्त करके समस्या का समाधान किया जा सकता है जिन्हें अधिनियम के पारित होने से पहले नामांकित किया गया था। चूंकि, हमने माना है कि नामांकन स्वैच्छिक प्रकृति का है, जो लोग विशेष रूप से सहमति देने से इनकार करते हैं, उन्हें आधार योजना से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। आखिरकार, आधार कार्ड प्राप्त करने से, इस तरह से नामांकित व्यक्ति को पहचान पत्र का एक रूप प्राप्त हो रहा है। ऐसा व्यक्ति अभी भी उक्त आधार संख्या का उपयोग कर सकता है या नहीं। जिन व्यक्तियों को किसी भी सब्सिडी, लाभ या सेवा का लाभ उठाने की आवश्यकता है, उन्हें किसी भी मामले में आधार की आवश्यकता होगी। उनके आधार कार्ड को रद्द करना उचित नहीं होगा। यदि उन सभी नामांकनों को अमान्य करने का निर्देश दिया

जाता है जो *2016* से पहले किए गए थे, तो ऐसे व्यक्तियों को फिर से नामांकन कराने की कठिनाइयों से गुजरना होगा। दूसरी ओर, जिन्हें अधिनियम की धारा *7* के तहत निर्धारित प्रकृति का कोई लाभ नहीं मिलता है, उनके लिए आधार कार्ड का उपयोग नहीं करना या सीमित अर्थों में इस कार्ड का उपयोग करना हमेशा खुला रहेगा, अर्थात् इसे बिना किसी प्रमाणीकरण प्रक्रिया से गुजरे अपनी पहचान के प्रमाण के रूप में दिखाना। इसलिए, काफी हद तक, यह इस बाद की श्रेणी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है।

हम, इस प्रकार, धारा *59* की वैधता को बरकरार रखते हैं। परिणामस्वरूप, *2009* से *2016* तक की अवधि के लिए आधार भी मान्य है।

संवैधानिक विश्वास और संवैधानिकता *374.* विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान और श्री गोपाल सुब्रमण्यम का कहना है कि संविधान की एक मौलिक विशेषता है -

सीमित सरकारी अधिकार वाले लोगों की संप्रभुता। संविधान सरकारी प्राधिकार को विभिन्न तरीकों से सीमित करता है, जिनमें मौलिक अधिकार, राज्य के अंगों के बीच शक्तियों का वितरण शामिल है।

न्यायिक समीक्षा के माध्यम से राज्य और अंतिम जाँच। भारत के संविधान का अनुच्छेद *245* विधायिका के लिए सीमित सरकार के सिद्धांत का एक स्पष्ट अवतार है क्योंकि यह कानूनों को संविधान के अधीन करता है:

" (1) इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, संसद भारत के पूरे या किसी भी भाग के लिए कानून बना सकती है, और किसी राज्य का विधानमंडल पूरे या किसी भी राज्य के लिए कानून बना सकता है।

राज्य का हिस्सा "।

375. सीमित सरकार की अवधारणा 'संविधान' और 'संविधानवाद' में अंतर्निहित अंतर है। श्री श्याम दीवान ने अपनी पुस्तक भारतीय संवैधानिक कानून के परिचयात्मक अध्याय का उल्लेख किया है।जैन लिखते हैं:

"आधुनिक राजनीतिक विचार के बीच एक अंतर है

'संविधानवाद 'और' संविधान '। एक देश हो सकता है

इन दोनों अवधारणाओं के बीच अंतर्निहित अंतर यह है कि एक संविधान को केवल विभिन्न अवधारणाओं को शक्तियां प्रदान नहीं करनी चाहिए। सरकार के अंग, लेकिन उन शक्तियों को रोकने की भी कोशिश करते हैं। संविधानवाद सरकार की आवश्यकता को पहचानता है लेकिन जोर देता है

सरकारी शक्तियों पर सीमाएं लगाई जा रही हैं।

संविधानवाद नियंत्रण और संतुलन की परिकल्पना करता है और विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को कुछ प्रतिबंधों के तहत रखता है।

और उन्हें अनियंत्रित और मनमाना नहीं बनाना। असीमित शक्तियाँ लोगों की स्वतंत्रता को खतरे में डालती हैं। यदि संविधान विधायिका या कार्यपालिका में से किसी एक को अनियंत्रित शक्ति प्रदान करता है, तो यह एक सत्तावादी, दमनकारी सरकार को संरक्षित करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

व्यक्ति की बुनियादी स्वतंत्रताएँ, और उसकी गरिमा को बनाए रखना

और व्यक्तित्व, संविधान के साथ व्याप्त होना चाहिए

'संविधानवाद ': इस पर कुछ अंतर्निहित प्रतिबंध होने चाहिए

सरकारी अंगों को इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ। 'संविधानवाद 'सार में सीमित सरकार या सरकार पर एक सीमा को दर्शाता है। संविधानवाद इसके विपरीत है

मनमानी शक्तियाँ।

..... जैसा कि प्रोफेसर विले ने टिप्पणी की है: " पश्चिमी संस्थागत सिद्धांतकारों ने खुद को सुनिश्चित करने की समस्याओं से चिंतित किया है

कि सरकारी शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित किया जाना चाहिए ताकि यह स्वयं उन मूल्यों के लिए विनाशकारी न हो जो वह थे

बढ़ावा देने का इरादा। "

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

376. श्री दीवान ने तब एम. पी. बनाम राज्य के मामलों से विभिन्न अनुच्छेदों का हवाला दिया। ठाकुर भरत सिंह *1 26, (1967) 2* एससीआर *454,* गोबिंद बनाम। स्टेट ऑफ *M.P.*[1]*27,* एस. पी. संपत कुमार बनाम। भारत संघ *1 28,* न्यायिक जवाबदेही पर उप समिति *v.* भारत संघ *1 2 9 29,* आई. आर.

कोएल्हो वी। *T.N.130* की स्थिति, नंदिनी सुंदर बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य *131,*

जिन्होंने हमारी संवैधानिक योजना के मौलिक सिद्धांत के रूप में सीमित सरकारों और संविधानवाद के सिद्धांत को दोहराया और बरकरार रखा है।

377. उन्होंने प्रस्तुत किया कि सीमित सरकार भी हमारी प्रस्तावना के भीतर निहित है, जो भारत के संविधान का सार है, और

प्रत्येक व्यक्तिगत नागरिक और नागरिक को सामूहिक रूप से राज्य की निरंतर नजरों में आए बिना अपने विविध जीवन जीने, काम करने और आनंद लेने का अधिकार देता है। उन्होंने के. एस. पुट्टास्वामी में जे. चेलमेश्वर का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा:

"किसी भी देश का संविधान उस देश के लोगों की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को दर्शाता है *(.)* संविधान को एक कानूनी शासन को दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए स्याही में लिखे गए दस्तावेज के रूप में नहीं

देखा जा सकता है। यह प्रस्तावना में बताए गए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बनाया गया एक वसीयतनामा है। संविधान के भाग-*III* को शामिल किया गया है -

प्रस्तावना में निहित उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें। हम इस देश के लोग संविधान के इच्छित लाभार्थी हैं। मनुष्य राज्य का प्राणी नहीं है। संविधान द्वारा जीवन और स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है। संविधान केवल हमारे जीवन और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने की राज्य की शक्ति पर सीमाएं निर्धारित करता है। स्वतंत्रता के फल का आनंद लेने के लिए कानून आवश्यक है; यह स्वतंत्रता का स्रोत नहीं है और स्पष्ट रूप से अनन्य स्रोत नहीं है।

378. राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में एक सीमित सरकार की भी परिकल्पना की गई है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को उचित नहीं ठहराया जा सकता है

राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य। निर्देश के तहत विचार किए गए लोक कल्याण के लिए मौलिक अधिकारों का संरक्षण आवश्यक है

126 (1967) 2 एससीआर *454 127 (1975) 2* एससीसी *148 128 (1987) 1* एससीसी *124 129 (1991) 4* एससीसी *699 130 (2007) 2* एससीसी *1 131 (2011) 7* एससीसी *547 [2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य नीति के सिद्धांत। इसे विभिन्न मामलों में बरकरार रखा गया है जैसे कि

नर्व मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ *1 3 2 132*, जहाँ वाई. वी. चंद्रचूड़,

जे ने देखाः

" 57. (.....) जिस प्रकार भाग *III* द्वारा प्रदत्त अधिकार बिना किसी अधिकार के होंगे।

एक रडार और एक कम्पास यदि वे एक आदर्श के लिए तैयार नहीं थे, में

उसी तरह भाग *IV* में निर्धारित आदर्शों की प्राप्ति होगी

यदि इसे प्राप्त करने के लिए कीमत चुकानी पड़े तो यह अत्याचार का ढोंग बन जाता है

यही आदर्श मानव स्वतंत्रता है।

379. इसी तरह, केशवानंद भारती बनाम। केरल राज्य *1 33*,

एम. सीकरी, सी. जे., ने अन्य बातों के साथ कहाः

" 209. ..... मेरे विचार में यह अर्थ उचित होगा जो

देश को सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।

लोकतांत्रिक संरचना को नष्ट किए बिना क्रांति

संविधान और भाग *III* में गारंटीकृत बुनियादी अविभाज्य अधिकार
और प्रस्तावना में चित्रित रूपरेखाओं से बाहर गए बिना।

XX

XX

XX

पहले से ही उल्लेख किया गया है और उस घोषणा में कुछ का वर्णन किया गया है
मौलिक अधिकार अपरिहार्य हैं। इस न्यायालय के विभिन्न निर्णय

मौलिक अधिकारों को 'प्राकृतिक अधिकार' या 'मानवाधिकार' के रूप में वर्णित करें।
380. श्री दीवान ने अपनी पुस्तक संवैधानिक कानून में सीरवई का उद्धरण दिया है।

दिन *1 34:* एक आलोचनात्मक टिप्पणी जहाँ वे लिखते हैं:

" 17.14 ..... भारत में "लोक कल्याण" और "कल्याणकारी राज्य" बन गया।
चाल्डियन ओरेकल की भाषा में, "ईश्वर द्वारा दिए गए नाम

अस्पष्टीकृत शक्ति ", जिसने न्यायाधीशों को एक आलोचनात्मक मामले से मुक्त कर दिया
मौलिक अधिकारों की प्रकृति की जांच, और वे क्यों हैं

कानूनी रूप से लागू करने योग्य बनाया गया था और निर्देश की प्रकृति

सिद्धांत और उन्हें कानूनी रूप से अप्रवर्तनीय क्यों बनाया गया था

XX

XX

XX

(1980) 3 एस. सी. सी. *625(1973) 4* एससीसी *225*

एच. एम. सीरवई, भारत का संवैधानिक कानूनः एक आलोचनात्मक टिप्पणी *(*एन. एम. त्रिपाठी*)*

वेट लिमिटेड, बॉम्बे, चौथा संस्करण। , खण्ड. *2 , 1993)* पृष्ठों पर *1928-1937*।

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

17.20 ..... यह बस सच नहीं है कि व्यक्तियों को कर्तव्य सौंपा गया है

निर्देशों को लागू करने के लिए सद्भावना से प्रयास किया जाएगा

समुदाय की अपेक्षाओं के अनुसार।

XX

XX

XX

तब सवाल उठता हैः इसे लाने वाली एजेंसी क्या है*?* सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन जो एक कल्याणकारी राज्य को सक्षम बनाते हैं

बनाने के लिए*?* इसका उत्तर है, विधायी और कार्यकारी शक्ति।

मौलिक सहित संवैधानिक सीमाओं द्वारा नियंत्रित

अधिकार।

XX

XX

XX

17.30 ..... कानूनी रूप से लागू करने योग्य मौलिक अधिकारों का प्रदान करना

जो उन उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त करने में सक्षम बनाता है व्यावहारिक रूप से, मोटे तौर पर, जनता के अधीन होना चाहिए

कल्याण। तथापि, प्रस्तावना, और काफी हद तक, मौलिक अधिकार, हमें यह कहने में सक्षम बनाते हैं कि हमारे संविधान ने

एक उदारवादी के पक्ष में सरकार के एक अधिनायकवादी रूप को अस्वीकार कर दिया

लोकतंत्र। प्रस्तावना का जोर सुरक्षित करने पर है व्यक्ति की गरिमा।

XX

XX

XX

17.34 लेकिन क्या मौलिक अधिकार विधायी पर सीमाओं के रूप में कार्य कर सकते हैं*?*

और कार्यकारी शक्ति हमारे निर्माताओं के रूप में लोक कल्याण को सुरक्षित करती है संविधान का उद्देश्य*?* इसका जवाब "हां" है। के लिए, जब दौरान

1975-77 का आपातकाल, विधायी शक्ति पर लगभग सभी बंधन

अप्रवर्तनीय हो गया, लोक कल्याण को गंभीर रूप से नुकसान हुआ और

एक तानाशाही या एक पुलिस राज्य के करीब आया। *381.* संवैधानिक विश्वास, संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत

सुशासन भी संख्या सरकार के सिद्धांत के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। मनोज नरूला बनाम। भारत संघ *1 35*, टी, अन्य बातों के साथ, अभिनिर्धारित करता है:

" 1. ..... लोकतंत्र, जिसे सरकार के रूप में सबसे अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए, व्यापकता की अपेक्षा करता है

संवैधानिक नैतिकता की निरंतर पुष्टि द्वारा वास्तविक व्यवस्था, सकारात्मक औचित्य, समर्पित अनुशासन और आशावादी पवित्रता जो सुशासन का स्तंभ है।

XX

XX

XX

75. संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत का मूल रूप से अर्थ है संविधान के मानदंडों के आगे झुकना और इस तरह से कार्य नहीं करना जो कानून के शासन का उल्लंघन करता हो या मनमाने तरीके से कार्रवाई को प्रतिबिंबित करता हो। यह वास्तव में आधार पर काम करता है और संस्थान भवन में लेजर बीम के रूप में मार्गदर्शन करता है। ऐसी नैतिकता के मूल्य को बनाए रखने के लिए परंपराओं और परंपराओं को विकसित करना होगा। लोकतांत्रिक मूल्य जीवित रहते हैं और सफल हो जाते हैं जहां बड़े पैमाने पर लोग और संस्थान के प्रभारी व्यक्ति विचलन का मार्ग प्रशस्त किए बिना और संस्थागत अखंडता और आवश्यक संवैधानिक प्रतिबंधों को बनाए रखने के लिए प्राथमिक चिंता को कार्रवाई में प्रतिबिंबित किए बिना संवैधानिक मापदंडों द्वारा सख्ती से निर्देशित होते हैं। संविधान के प्रति प्रतिबद्धता संवैधानिक नैतिकता का एक पहलू है।

XX

XX

XX

अधिकार, किसी भी सरकारी कार्रवाई में मौलिक अधिकारों और वैधानिक अधिकारों का सम्मान, अलिखित संवैधानिक मूल्यों का सम्मान, संस्थागत अखंडता का सम्मान और जवाबदेही का समावेश। बड़े पैमाने पर सामूहिक रूप से। यह यह भी बताता है कि निर्णय लेने वाले प्राधिकारी द्वारा गंभीर ईमानदारी के साथ निर्णय लिए जाते हैं और नीतियों को लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है, और सभी को एक समान खंड में शामिल किया जाता है। सुशासन की अवधारणा कोई काल्पनिक अवधारणा या अमूर्तता नहीं है। लोकतंत्र जहां भी हो, यह राजनीति की मांग रही है

पोषित। लोकतंत्र का विकास अच्छाई पर निर्भर है।

शासन वास्तव में और लोगों की आकांक्षा मूल रूप से यह है कि प्रशासन जिम्मेदार लोगों द्वारा किया जाता है

सेवा अभिविन्यास के साथ।

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

83. ..... संवैधानिक न्यास का मुद्दा संविधान सभा में हुई बहस के संदर्भ में उत्पन्न होता है।

परिषद में एक मंत्री की नियुक्ति के लिए सिफारिश

प्रो. के. टी. शाह ने एक दोषी व्यक्ति के मंत्री बनने की अयोग्यता की शुरुआत के संबंध में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने जवाब दिया थाः *(* सी. ए. डी. वॉल्यूम. *VII,* पी। *1160)*

"उनका अंतिम प्रस्ताव यह है कि दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को राज्य मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता है। खैर, जहां तक उनकी मंशा का सवाल है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बहुत प्रशंसनीय है और मुझे नहीं लगता कि इस सदन का कोई भी सदस्य इस पर उनसे भिन्न होना चाहेगा।
प्रस्ताव। लेकिन पूरा सवाल यह हैः क्या हमें इन सभी योग्यताओं और अयोग्यताओं को संविधान में ही शामिल करना चाहिए। क्या यह वांछनीय नहीं है, क्या यह पर्याप्त नहीं है कि हमें प्रधान मंत्री, विधायिका और बड़े पैमाने पर मंत्रियों के कार्यों और कार्यों को देखने वाली जनता पर भरोसा करना चाहिए।

प्रधान मंत्री की अच्छी समझ और आम जनता के साथ विधायिका की अच्छी समझ के लिए छोड़ दिया गया उन पर संक्षिप्त नज़र रखना। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये

संशोधन अनावश्यक हैं।

382. श्री दीवान द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि आधार परियोजना है

सीमित सरकार, संवैधानिकता और संवैधानिकता

संविधान राज्य की शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि राज्य की शक्ति के बारे में है। आधार के बाद, राज्य नागरिक को पूरी तरह से अलग कर देगा और नागरिक और राज्य के बीच संबंधों को बदल देगा। अधिनायकवादी राज्य की विशेषताओं को निम्न से देखा जा सकता हैः

(क*)* एक व्यक्ति नियमित गतिविधियों का संचालन नहीं कर सकता है जैसे कि बैंक खाता चलाना, म्यूचुअल फंड में निवेश करना, सरकारी पेंशन प्राप्त करना, छात्रवृत्ति प्राप्त करना, खाद्य राशन प्राप्त करना,

इन गतिविधियों के बारे में राज्य को बताए बिना मोबाइल फोन का संचालन करना। *(* आधार अधिनियम की धारा *7,32* और *57)*।

(ख*)* राज्य प्रमाणीकरण के मार्ग के आधार पर व्यक्ति का एक प्रोफाइल बना सकता है जिससे नागरिक की गतिविधि की प्रकृति का पता चलता है।

निर्धारित किया जा सकता है। *(* आधार अधिनियम की धारा *2 (*डी*)* और *32* और

आधार के विनियम *20,26* और *27 (*प्रमाणीकरण*)* विनियमन, *2016*।

(ग*)* आधार को निष्क्रिय करके राज्य व्यक्ति की नागरिक मृत्यु का कारण बन सकता है। *(* आधार अधिनियम की धारा *23 (2) (*जी*)* और आधार *(*नामांकन और अद्यतन*)* अधिनियम, *2016* के विनियमन *27* और *28)*।

(घ*)* हवाई यात्रा, रेल यात्रा, कंपनियों में निदेशक, सेवाओं जैसी अन्य गतिविधियों के लिए आधार को अनिवार्य बनाना और

राज्य सरकारों और नगर पालिकाओं द्वारा दिए गए लाभ
निगमों आदि में वस्तुतः कोई गतिविधि क्षेत्र नहीं बचेगा जहां नागरिक राज्य की नजरों में न हो। यह होगा

नागरिक पर एक डरावना प्रभाव।

(ङ*)* ऐसे समाज में व्यक्तिगत स्वायत्तता बहुत कम या कोई नहीं है। द.

राज्य व्यापक है और व्यक्ति की गरिमा समाप्त हो जाती है।

(च*)* यह सूचना के अधिकार के युग में जवाबदेही का व्युत्क्रम है: राज्य के पारदर्शी होने के बजाय

नागरिक, यह नागरिक है जो राज्य के लिए पारदर्शी है।

383. श्री सिब्बल ने यह भी कहा कि सरकारों की जवाबदेही और

राज्य एक ऐसी घटना है जिसे दुनिया भर में स्वीकार किया जाता है। पारदर्शिता और राज्य की जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम, *2005* पारित किया गया था। दूसरी ओर, आधार के माध्यम से, राज्य अपने दैनिक जीवन के दौरान किसी व्यक्ति की विविध गतिविधियों की पारदर्शिता और जवाबदेही चाहता है। यह मूल रूप से नागरिक और राज्य के बीच संबंधों को बदल देता है

और राज्य के पक्ष में शक्ति के संतुलन को बाधित करता है, जो संविधान के लिए अभिशाप है।

384. सीमित सरकार और सुशासन आदि के सिद्धांतों की व्याख्या के बारे में कोई विवाद नहीं है, जैसा कि द्वारा उजागर किया गया है

हम यह जोड़ सकते हैं कि हम गणराज्य हैं और इसे बनाए रखना न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है। यह हितधारकों से पूछकर प्राप्त किया जा सकता है। संविधान का पालन करने के लिए, जो हमारे पास है। छह प्रमुख संवैधानिक धारणाएँ हैं, जिनका एक शानदार विवरण मनोज नरूला बनाम के मामले में दिया गया है। भारत संघ *1 3 6.* संवैधानिक पुनर्जागरण का विचार सबसे पहले उक्त निर्णय में सामने आया था। इसका विस्तार एन. सी. टी. दिल्ली सरकार बनाम के मामले में किया गया है। भारत संघ *1 3 7* हम में से एक द्वारा लिखी गई राय *1 38*। यह अब अलग-अलग रूप में वर्णित है "ए

136 (2014) 9 एससीसी *1*

137 (2018) एससीसी ऑनलाइन एससी *661*

138 दीपक मिश्रा, सी. जे. आई. जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

पाठ, संदर्भ, परिप्रेक्ष्य, उद्देश्य और कानून के शासन के संबंध में निरंतर जागृति, एक ऐसी जागृति जो "पुनरुत्थानकारी संविधानवाद" के लिए जगह बनाती है और "निरंकुशता के लिए कोई जगह नहीं देती है" और न ही किसी "स्थान" के लिए।

अराजकता के लिए "। यह माना जाता है कि इसमें "तर्कसंगत अराजकतावाद" शब्द का "संवैधानिक शासन या कानून के शासन के क्षेत्र में कोई प्रवेश नहीं है" और उसी सांकेतिक रूप से संवैधानिक पाठ और संदर्भ निरंकुशता के वंशावली या तानाशाही के यात्रा कार्यक्रमों को दृढ़ता से अस्वीकार करते हैं। तब कोई कह सकता है कि "संविधानवाद" "निरंकुशता" और "अराजकता" के बीच का स्थान है और इसकी निरंतर मरम्मत और नवीनीकरण निर्णय का प्रमुख कार्य है।

385. 'ए कांस्टीट्यूशनल' शीर्षक से एक प्रकाशित लेख में

प्रो. द्वारा लिखित उपरोक्त निर्णय पर 'पुनर्जागरण'। विद्वान प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी *1 39* ने निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां की हैं:

"जागृति एक निरंतर प्रक्रिया है; पुनर्जागरण की शुरुआत होती है लेकिन कोई अंत नहीं है क्योंकि संविधान की दृष्टि, भावना और अक्षर के प्रति दैनिक निष्ठा सभी का सर्वोच्च दायित्व है।

संवैधानिक प्राणी। दैनिक निर्णयों में "संवैधानिक दायित्वों की स्वीकृति" को न केवल संविधान के पाठ के भीतर बल्कि इसके "मौन" के रूप में भी देखा जाना चाहिए। इस प्रकार फिर से जागने का अर्थ है "संवैधानिक विवेक के प्रति आज्ञाकारी होना।

संवैधानिक दृष्टि "। दूसरा, अदालतों को व्याख्या के लिए उस दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए जो "जनता की लोकतांत्रिक भावना का महिमामंडन करता है।

संविधान "। संविधान के प्रति सम्मान *(*या

संविधानवाद*)* संवैधानिक पुनर्जागरण की दिशा में आवश्यक पहला कदम है। तीसरा, लोग सच्चे संप्रभु हैं, जिन्हें कभी भी एक विषय होने के गुलाम दर्जे तक कम नहीं किया जाना चाहिए; बल्कि अधिकारों वाले प्राणियों के रूप में, वे शासन में विश्वास और वैधता के स्रोत हैं। अपेक्षाकृत स्वायत्त विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियाँ केवल तभी वैध होती हैं जब उन्हें संवैधानिक उद्देश्यों की सेवा में रखा जाता है। सभी प्रकार की सार्वजनिक शक्तियाँ विश्वास में रखी जाती हैं। और राजनीतिक शक्ति एक अंत नहीं है, बल्कि एक

इसका अर्थ है संवैधानिक शासन "।

386. चूंकि श्री श्याम दीवान द्वारा सीमित सरकार पर दी गई दलीलें वही थीं जो बिनॉय विश्वम की सुनवाई के दौरान उनके द्वारा दी गई थीं, इसलिए उक्त निर्णय से निम्नलिखित चर्चा को पुनः प्रस्तुत करके हमारा उद्देश्य पूरा होगाः

139 द इंडियन एक्सप्रेस में *16* जुलाई, *2018 [2018] 8* एस. सी. आर. में प्रकाशित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"85. जिस तरह से श्री श्याम दीवान ने अपनी दलीलों में "सीमित सरकार" की अवधारणा को समझाया, उस पर कोई विवाद नहीं हो सकता है। निस्संदेह, भारत का संविधान, राज्य के शासन के एक साधन के रूप में, राज्य के प्रत्येक विंग, अर्थात् विधानमंडल, न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यों और शक्तियों को चित्रित करता है। यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को भी स्थापित करता है जो यह आदेश देता है कि राज्य की प्रत्येक शाखा

राज्य को अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करना होता है और राज्य का कोई भी अंग राज्य के दूसरे हिस्से को सौंपे गए कार्य को कुचलने का हकदार नहीं है। शासन के इस मौलिक दस्तावेज में संघवाद का सिद्धांत भी शामिल है जिसमें संघ को कुछ निश्चित कार्य सौंपे गए हैं।

राज्य की शक्तियाँ और इसी तरह की शक्तियाँ भी निर्धारित की गई हैं। इस संदर्भ में, संघ विधानमंडल यानी संसद के साथ-साथ राज्य विधानमंडलों को विशिष्ट क्षेत्र दिए गए हैं जिनके संबंध में उन्हें कानून बनाने की शक्ति है। यह संविधान की अनुसूची *VII* में इस प्रकार निर्धारित किया गया है जिसमें सूची *I* में इन विषयों की गणना की गई है - सूची *II* उन क्षेत्रों को बताती है जहाँ राज्य विधानमंडलों को कानून बनाने की शक्ति है जबकि सूची *III* समवर्ती सूची है जो केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों दोनों के लिए सुलभ है। संसद के साथ-साथ राज्य की विधानसभाओं द्वारा कानून बनाने से संबंधित योजना मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद *245* से *254* में निहित है। इसलिए, इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि राज्य की प्रत्येक शाखा को संविधान के तहत उसके लिए निर्धारित क्षेत्र के भीतर कार्य करना होगा। यह सही है कि इन सीमाओं को पार करने से राज्य की कार्रवाई संविधान के अधिकार से बाहर हो जाएगी। सत्ता में आने पर

निस्संदेह, कराधान की शक्ति को किसी भी राज्य की संप्रभु शक्ति के रूप में माना जाता है। हालाँकि, ऊपर संक्षेप में वर्णित संवैधानिक सीमाएँ हैं।

86. जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड और ए. एन. आर. में इस न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में। वी. हरियाणा राज्य और अन्य। इन संवैधानिक सीमाओं पर चर्चा इस प्रकार हैः

"20. हालाँकि, संप्रभु शक्ति का प्रयोग संवैधानिक सीमाओं के अधीन है, विशेष रूप से हमारे जैसी संघीय प्रणाली में जहां राज्य भी अनुमत सीमा तक शक्ति का प्रयोग करते हैं। कर, शुल्क और शुल्क लगाने वाले कानूनों सहित कानून बनाना। यह कि कर लगाने की शक्ति संवैधानिक सीमाओं के अधीन है, अब एकीकृत नहीं है। इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम.

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड *v.* उत्तर प्रदेश राज्य *(1990) 1* एस. सी. सी. *109* ने मान्यता दी कि भारत में केंद्र और राज्य दोनों

संप्रभु शक्ति के प्रयोग का आनंद लें, जिस हद तक

संविधान उन्हें यह शक्ति प्रदान करता है। इस न्यायालय ने घोषणा कीः

"56 ..... हालाँकि, हम पुलिस शक्ति के किसी भी सिद्धांत को अपनाना नहीं चाहेंगे क्योंकि भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है। पुलिस की शक्ति को मान्यता दें। लेकिन हमें संप्रभु शक्ति के प्रयोग को स्वीकार करना चाहिए जो राज्य को सीमाओं के अधीन किसी भी कानून को लागू करने के लिए पर्याप्त अधिकार देता है।

अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए संविधान। इसलिए, एक संप्रभु राज्य के रूप में भारतीय संविधान के पास केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की सीमा को छोड़कर और संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के अधीन सभी शाखाओं पर कानून बनाने की शक्ति है। केंद्र और राज्यों के बीच भारतीय राज्यों के पास संप्रभु शक्ति है। लोगों के स्वास्थ्य, शांति, नैतिकता, शिक्षा और अच्छी व्यवस्था को बढ़ावा देने वाले सभी कार्यों को करने के लिए संप्रभु शक्ति पूर्ण और प्रत्येक संप्रभु राज्य में निहित है। संप्रभुता को परिभाषित करना मुश्किल है। हालाँकि, संप्रभुता की यह शक्ति संवैधानिक सीमाओं के अधीन है। इस शक्ति के अनुसार

कुछ संवैधानिक प्राधिकरण, जनता के लिए वही हैं जो व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं। कर या शुल्क लगाने का अधिकार होना चाहिए संविधान के प्रावधानों के अनुसार "।

21. फिर राज्य विधानसभाओं की कर लगाने की शक्ति पर या उस मामले के लिए अधिनियमित करने की संवैधानिक सीमाएँ क्या हैं*?* संबंधित प्रविष्टियों के तहत उनके लिए आरक्षित क्षेत्र में कानून

सातवीं अनुसूची की सूची *II* और *III*। पहला और पहला

इन सीमाओं में से सबसे प्रमुख अनुच्छेद *13* में दिखाई देता है भारत का संविधान जो यह घोषणा करता है कि संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के क्षेत्र में लागू सभी कानून इस हद तक अमान्य हैं कि वे संविधान के साथ असंगत हैं।

मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग *III* के प्रावधान

नागरिकों को गारंटी। यह राज्यों को ऐसा कोई भी कानून बनाने से मना करता है जो भाग *III* के किसी भी प्रावधान को हटा देता है या कम कर देता है। उक्त अधिकारों का उल्लंघन करते हुए बनाया गया कोई भी कानून उल्लंघन की सीमा तक अमान्य होगा। यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि

संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।

उपरोक्त संवैधानिक सीमा के अधीन। तो भी *[2018] 8* एस. सी. आर. के संदर्भ में।

अनुच्छेद *248*, समवर्ती सूची या राज्य सूची में अन्यथा उल्लिखित कर लागू करने की अवशिष्ट शक्ति राज्य विधानसभाओं को बाहर करने के लिए संसद में निहित की गई है, और

कर लगाने की राज्यों की शक्ति विशेष रूप से सीमित है

उनके पक्ष में आरक्षित और अधिक नहीं। *22.* इसी तरह अनुच्छेद *249* संसद को राष्ट्रीय हित के लिए राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है बशर्ते कि राज्य परिषद ने उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव द्वारा घोषणा की हो कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन है। यह शक्ति तब तक उपलब्ध है जब तक कि अनुच्छेद *249 (2)* और उसके तहत प्रावधान के संदर्भ में कोई भी प्रस्ताव लागू नहीं रहता है।

23. अनुच्छेद *250* एक और प्रावधान है जो अधिकार देता है आपातकाल की घोषणा होने पर राज्य सूची में किसी भी मामले के संबंध में संसद कानून बनाएगी। की स्थिति में

संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच एक विसंगति अनुच्छेद *249* और *250* और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून,

संसद द्वारा बनाई गई विधि की सीमा तक -

असंगति, के संदर्भ में राज्य द्वारा बनाए गए कानून पर प्रबल

अनुच्छेद *251*।

24. दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सहमति से कानून बनाने की संसद की शक्ति, उन मामलों के संबंध में जो अन्यथा संसद की शक्ति के भीतर नहीं हैं, अनुच्छेद *252* द्वारा विनियमित होती है, जबकि अनुच्छेद *253* एक गैर-अबाधित खंड से शुरू होकर संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ किसी भी संधि, समझौते या सम्मेलन को लागू करने या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संघ या अन्य निकाय में किए गए किसी भी निर्णय के लिए पूरे देश या भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए कोई भी कानून बनाने का अधिकार देता है।

87. हालाँकि, श्री दीवान ने एक पूरी तरह से अलग झुकाव देकर 'सीमित सरकार' की इस अवधारणा को और व्यापक बनाने का गंभीर प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो राज्य नहीं कर सकते हैं क्योंकि कार्रवाई मूल रूप से नागरिकों और राज्य के बीच संबंधों को बदल देती है। इस संदर्भ में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि राज्य के लिए उंगलियों के निशान और केंद्रीय भंडार में भंडारण सहित जैव-मीट्रिक डेटा के संग्रह का अभ्यास करना अस्वीकार्य है क्योंकि यह न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* के संबंध में राज्य को एक अत्यंत प्रमुख स्थिति में रखता है।

व्यक्तिगत नागरिक। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि यह राज्य को किसी व्यक्ति को लक्षित करने और निगरानी में संलग्न करने की स्थिति में लाएगा जिससे उसके अधिकारों का लाभ वंचित या बाधित हो जाएगा और अधिकार, जो उस देश में

पूरी तरह से अस्वीकार्य है जहां राज्य का शासन 'सीमित सरकार' की अवधारणा पर आधारित है। फिर से, सीमित सरकार की यह अवधारणा संविधान के अनुच्छेद *21* के इर्द-गिर्द बुनी गई है।

88. निस्संदेह, हम उदारीकृत लोकतंत्र के युग में हैं। संविधान द्वारा शासित एक लोकतांत्रिक समाज में, लोकतांत्रिक राजनीति के संवैधानिककरण की दिशा में एक मजबूत प्रवृत्ति है, जहां लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है।
संविधान का प्रकाश। इस संदर्भ में, न्यायपालिका संविधान और लोकतंत्र के रक्षक की भूमिका निभाती है, जो संविधान की व्याख्या से जुड़े सभी मामलों में अंतिम मध्यस्थ है।

387. हम देख सकते हैं कि इस मामले की जांच संविधानवाद के मौलिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए की जाती है, और अधिक

विशेष रूप से यह सिद्धांत कि 'सीमित सरकार' की अवधारणा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लागू होती है कि राज्य के तीन अंग हैं -

एक लिखित संविधान के ढांचे के भीतर कार्य करना जो राज्य के प्रत्येक विंग को विशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है और यह अनुमान लगाता है कि संसद की संप्रभु शक्ति निम्नलिखित द्वारा सीमित है - संविधान और विधायिका के प्रावधानों को संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्य करना चाहिए। संविधानवाद, जो कानून के शासन का आधार है, का संसद द्वारा अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए। इसके अलावा, अदालतों को दी गई न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग किसी भी कानून या कार्यकारी कार्रवाई को असंवैधानिक होने पर रद्द करने के लिए किया जा सकता है।

388. जब हम पहले से निपटाए गए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के संदर्भ में इस मुद्दे की जांच करते हैं, तो व्यापक मुद्दों से सहमत होना मुश्किल होता है।

याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव कि आधार परियोजना सीमित सरकार और संवैधानिक विश्वास के लिए विनाशकारी है। ये प्रस्तुतियाँ आधार की संरचना पर आधारित हैं जो संवैधानिक रूप से घुसपैठ है जो व्यक्तियों की स्वायत्तता के लिए खतरा है और एक निगरानी राज्य बनाने की प्रवृत्ति है। इसके समर्थन में याचिकाकर्ताओं ने आधार अधिनियम के कुछ प्रावधानों का उल्लेख किया है। कुछ प्रावधान जिन्हें हम अपमानजनक पाते हैं, उन्हें निरस्त कर दिया जाता है, कुछ अन्य को पढ़ लिया जाता है और कुछ में बदलाव किया जाता है।

वैधानिक शासन जो अब नागरिकों को नियंत्रित करेगा, इस तरह के खतरे, यदि कोई हो, से बचाता है।

पैसे का बिल क्या आधार अधिनियम एक वैध रूप से अधिनियमित कानून है जिसे पारित किया जा चुका है

धन विधेयक के रूप में*?*

389. श्री चिदंबरम और श्री दातार ने इस अधिनियम पर इस आधार पर हमला किया था कि इस विधेयक को संसद द्वारा धन विधेयक के रूप में पेश और पारित नहीं किया जा सकता था। यह तर्क दिया गया था कि आधार

(वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* विधेयक, *2016 (*संक्षेप में 'विधेयक'*)* को लोकसभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद *110* के तहत धन विधेयक के रूप में गलत तरीके से प्रमाणित किया गया था, जिससे राज्यसभा को विधायी प्रक्रिया से वस्तुतः बाहर कर दिया गया और माननीय राष्ट्रपति को उनकी वापसी की शक्ति से वंचित कर दिया गया। उनके अनुसार, यह अवैध है और संवैधानिक प्रावधानों का घोर उल्लंघन करता है।

390. यह प्रस्तुत किया गया था कि विधेयक तीन प्रकार के होते हैं:
(i) साधारण विधेयक *(*अनुच्छेद *107);*

((ii) वित्तीय बिल। साधारण विधेयकों का उपसमुच्चय *(*अनुच्छेद *117);*

391. अनुच्छेद *110* इस प्रकार है:
"अनुच्छेद *110-*"धन विधेयक" की परिभाषा।

(1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, एक विधेयक माना जाएगा -

एक धन विधेयक यदि इसमें केवल सभी या किसी एफ से संबंधित प्रावधान हैं।

निम्नलिखित मामले, अर्थात्:

(क) अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन

कोई भी कर; *((ख)* भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई गारंटी देने का विनियमन, या

ऐसी किसी भी निधि से; *((घ)* संचित निधि में से धन का विनियोग

भारत; जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

(ङ) किसी भी व्यय को भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय घोषित करना या

ऐसा कोई भी व्यय;

भारत या भारत का सार्वजनिक खाता या ऐसे धन की अभिरक्षा या निर्गम या संघ या किसी राज्य के खातों का लेखापरीक्षा; या *(*
छ) उपखंड में निर्दिष्ट किसी भी मामले के लिए कोई आनुषंगिक मामला।

खंड *(ए)* से *(एफ)*।

दंड, या प्रदान की गई सेवाओं के लिए लाइसेंस या शुल्क के लिए शुल्क की मांग या भुगतान के लिए, या इस कारण से कि यह स्थानीय उद्देश्यों के लिए किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या निकाय द्वारा किसी भी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन का प्रावधान करता है।
(3) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोक सभा अध्यक्ष का निर्णय होगा -

अंतिम हो। *(4)*
प्रत्येक धन विधेयक का समर्थन तब किया जाएगा जब इसे अनुच्छेद *109* के तहत राज्य परिषद को भेजा जाएगा और जब इसे पारित किया जाएगा।

अनुच्छेद *111* के तहत राष्ट्रपति को सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया, जिसके द्वारा हस्ताक्षरित लोक सभा के अध्यक्ष का प्रमाण पत्र
उसे कि यह एक धन विधेयक है "।

392. यह प्रस्तुत किया गया था कि धन विधेयक अनुच्छेद *110* के खंड *(ए)* से *(एफ)* में उल्लिखित मामलों के लिए प्रावधान कर सकता है। खंड *(छ)* जोड़ा गया है क्योंकि *(क)* से *(च)* में निर्दिष्ट किसी भी मामले के लिए केवल "आकस्मिक" प्रावधानों को शामिल करना आवश्यक हो सकता है। विद्वान वकील ने बताया कि धन विधेयक की विशिष्ट विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

(i) इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जाएगा *(*अनुच्छेद *117 (1))*।

(ii) इसे केवल लोक सभा में पेश किया जाएगा *(*अनुच्छेद *117 (1), 109 (1))*।

((iii) एक धन विधेयक लोकसभा द्वारा राज्यसभा को प्रेषित किया जाता है। इसके बाद राज्यसभा केवल सिफारिशें कर सकती है और

विधेयक को वापस करें और संशोधन न करें। सिफारिशें लोकसभा द्वारा स्वीकार की जा सकती हैं या नहीं भी की जा सकती हैं। यदि धन विधेयक नहीं है *14* दिनों के भीतर लौटाया जाता है, यह दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया माना जाता है। *(* अनुच्छेद *109 (2)* से अनुच्छेद *109 (5))*।

(iv) राष्ट्रपति को उनकी सहमति के लिए धन विधेयक प्रस्तुत करने पर, राष्ट्रपति धन विधेयक को संदेश के साथ वापस नहीं कर सकते हैं।

यह अनुरोध करते हुए कि सदन विधेयक *(*अनुच्छेद *111* का परंतुक*)* पर पुनर्विचार करेंगे।

अतः, यह स्पष्ट है कि एक धन विधेयक एक विशेष प्रकार का विधेयक है जो धन विधेयक की शक्ति को नकारने का प्रभाव रखता है।

राज्यसभा को विधेयक में संशोधन करने और राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस करने की अपनी शक्ति से वंचित करने की शक्ति है। उस आधार पर, यह तर्क दिया गया था कि धन विधेयक के प्रावधानों को बहुत सख्ती से और संकीर्ण रूप से समझा जाना चाहिए और केवल तभी जब कोई विधेयक धन विधेयक *(*अनुच्छेद *110)* की परिभाषा के तहत सख्ती से आता है, तो इसे धन विधेयक के रूप में पारित किया जा सकता है। यदि विधेयक के प्रावधान धन विधेयक की सख्त परिभाषा से बाहर हैं, तो उक्त विधेयक को धन विधेयक के रूप में पारित नहीं किया जा सकता है।

393. अनुच्छेद *110* में दिखाई देने वाले 'केवल' शब्द पर बहुत जोर दिया गया था जो दर्शाता है कि धन विधेयक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, इसे

यह सख्ती से अनुच्छेद *110* के एक या अधिक खंडों के अंतर्गत आता है। इसके लिए

'केवल' शब्द की व्याख्या, हरि राम और अन्य के मामले में निर्णय का संदर्भ दिया गया था। वी. बाबू गोकुल प्रसाद *140*।

"3. एम. पी. भूमि राजस्व संहिता, *1954* की धारा *166* निम्नानुसार हैः

"166. कोई भी व्यक्ति जो कार्यकाल धारक से कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि रखता है और जो धारा *169* के तहत अधिभोग किरायेदार नहीं है या कृषि पट्टे अधिनियम, *1951* के बरार विनियमन के तहत संरक्षित पट्टेदार नहीं है, वह सामान्य किरायेदार होगा।

ऐसी भूमि।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए

((i) कोई भी व्यक्ति जो फसल के हिस्से के रूप में किसी भी भूमि के संबंध में पट्टे की राशि का भुगतान करता है, उसे ऐसी भूमि धारण करने वाला माना जाएगा।

((ii) कोई भी व्यक्ति जो कार्यकाल के साथ साझेदारी में भूमि पर खेती करता है।

धारक को ऐसी भूमि रखने वाला नहीं माना जाएगा;
*((*ग*)* कोई भी व्यक्ति जिसे किसी भी भूमि में केवल घास काटने या मवेशी चराने या सिंघारा *(*ट्रापा बिस्पिनोसा*)* उगाने या प्रचार करने या लाख एकत्र करने का अधिकार दिया जाता है, उसे धारण करने वाला नहीं माना जाएगा।

कृषि उद्देश्यों के लिए ऐसी भूमि।

धारा के एक नंगे अवलोकन से संकेत मिलता है कि अधिभोग किरायेदार के अलावा कोई भी किरायेदार यदि कृषि उद्देश्यों के लिए किसी कार्यकाल धारक से भूमि रखता है, तो वह संचालन द्वारा सामान्य किरायेदार बन जाता है।

140 (1991) सप.

2 एस. सी. सी. *608* एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.]

यह पाया गया कि भूमि अपीलार्थी को न केवल अधिकार के लिए दी गई थी घास काटकर, उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं रखा जा सकता था जो पकड़ नहीं रहा था

गणना किए गए उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। अगर जमीन का कुछ हिस्सा इस्तेमाल किया गया था खेती के लिए, तब भूमि को नहीं माना जा सकता था

केवल घास काटने के लिए दिया जाता है। यह पाया गया है कि *5* में से और विषम एकड़ भूमि, खेती के तहत भूमि *2* एकड़ थी। इसलिए,

स्पष्टीकरण *(iii)* में नकारात्मक खंड लागू नहीं हुआ और

अपीलार्थी धारा *166* के तहत साधारण किरायेदार बन गया। *1959* में एम. पी.

भूमि राजस्व संहिता अधिनियमित की गई और धारा *185* के लिए प्रावधान किया गया

ऐसे व्यक्ति जिन्हें अधिभोग किरायेदार माना जा सकता है। इसका

प्रासंगिक भाग नीचे निकाला गया हैः

" 185. अधिभोग किरायेदार। *(1)* हर वह व्यक्ति जो

इस संहिता के लागू होने पर *((i)* महाकोशल क्षेत्र में

*(ए) * * * (बी) * * *

(ग) मध्य में परिभाषित सामान्य किरायेदार के रूप में कोई भी भूमि।

प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, *1954 (1955* का *2);*

394. विद्वान वकील ने एम/एस का भी उल्लेख किया। सारू स्मेल्टिंग

टी. डी. वी. बिक्री कर आयुक्त, लखनऊ *1 41.*

" 3. प्रत्यर्थी का तर्क है कि फॉस्फोरस कांस्य

एक मिश्र धातु है जिसमें न केवल उपरोक्त धातुओं का उल्लेख है

प्रविष्टि लेकिन फॉस्फोरस भी और इस तरह यह इसके अंतर्गत नहीं आता है

उपरोक्त प्रविष्टि। शब्द "अन्य मिश्र धातु जिसमें इनमें से कोई भी हो"

केवल धातुओं का अर्थ है कि इन धातुओं से बना मिश्र धातु अर्थात तांबा,

केवल टिन, निकल या जस्ता और केवल वही उक्त के अंतर्गत आता है।

प्रवेश। यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि कोई अन्य धातु या पदार्थ है इस तरह के एक मिश्र धातु में शामिल, उसी के तहत कवर नहीं किया जाएगा

उपरोक्त प्रविष्टि।

XX

XX

XX

93) सप.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. हमें 'फॉस्फोरस ब्रोंज' शब्दों के विभिन्न शब्दकोश अर्थों के लिए संदर्भित किया गया था जो विद्वानों द्वारा देखे गए हैं। उच्च न्यायालय में मामले से निपटने वाले न्यायाधीश। हम वास्तव में प्रविष्टि की व्याख्या से चिंतित हैं। में जोर दिया गया है

प्रविष्टि यह है-या तो यह शुद्ध तांबा, टिन, निकल या जस्ता होना चाहिए और यदि यह दो या दो से अधिक धातुओं वाला मिश्र धातु है, तो यह केवल इन धातुओं वाला मिश्र धातु होना चाहिए। प्रविष्टि के अर्थ को समझने के लिए "केवल" अभिव्यक्ति बहुत भौतिक है। चूंकि विवादित मिश्र धातु में फॉस्फोरस होता है, इसलिए यह बहुत कम मात्रा में हो सकता है, इसलिए यह उपरोक्त की प्रविष्टि *2 (ए)* के अंतर्गत नहीं आ सकता है।

अधिसूचना। परिणामस्वरूप अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है

लागत "।

395. यह प्रदर्शित करने के लिए कि धन विधेयक की प्रकृति और प्रकृति क्या होगी, निम्नलिखित साहित्य का संदर्भ दिया गया थाः

"मेमे एर्स्किनसँ प्राप्त राजस्व

"संसदीय अभ्यास "

धन विधेयक की परिभाषा - अधिनियम की धारा *1 (2)* 'धन विधेयक' को एक सार्वजनिक विधेयक के रूप में परिभाषित करती है जिसमें हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की राय में केवल निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, अर्थात्, अधिरोपण, निरसन, छूट, परिवर्तन या कराधान का विनियमन; संचित निधि या राष्ट्रीय ऋण निधि पर ऋण या शुल्क के अन्य वित्तीय उद्देश्यों के भुगतान के लिए अधिरोपण, या संसद द्वारा प्रदान किए गए धन पर या

ऐसे किसी भी शुल्क का परिवर्तन या निरसन; सार्वजनिक धन के खातों का विनियोग, प्राप्ति, अभिरक्षा, जारी करना या लेखापरीक्षा करना; किसी भी ऋण की उगाही या गारंटी या उसका पुनर्भुगतान; या उन विषयों या किसी अन्य विषय से संबंधित अधीनस्थ मामले।

उनमें से। इस परिभाषा के उद्देश्यों के लिए अभिव्यक्तियाँ

'क्रमशः 'कराधान', 'सार्वजनिक धन' और 'ऋण' में कोई भी कराधान, धन या स्थानीय प्राधिकरणों या निकायों द्वारा स्थानीय उद्देश्यों के लिए उठाए गए ऋण शामिल नहीं हैं, दूसरी ओर, जो मामले शामिल हैं। कॉमन्स वित्तीय विशेषाधिकार के दायरे में।

धन बिल जमा करने की प्रक्रिया

एक 'धन विधेयक' जो हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित किया गया हो और एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* से कम से कम एक महीने पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स को भेजा गया हो।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

इसके लिए सहमति देना इंगित करता है। एक 'मनी बिल', जब इसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स को भेजा जाता है और जब इसे महामहिम को प्रस्तुत किया जाता है, तो अध्यक्ष के प्रमाण पत्र के साथ इसका समर्थन किया जाना चाहिए कि यह एक ऐसा विधेयक है। यह प्रमाण पत्र देने से पहले अध्यक्ष को निर्देश दिया जाता है कि यदि व्यवहार्य हो, तो चयन समिति द्वारा प्रत्येक सत्र की शुरुआत में इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किए गए अध्यक्षों के पैनल के उन दो सदस्यों से परामर्श करें। जब अध्यक्ष किसी विधेयक को 'धन विधेयक' के रूप में प्रमाणित करता है तो यह पत्रिका में दर्ज किया जाता है और संसद अधिनियम *1911* की धारा *3* में कहा गया है कि ऐसा प्रमाण पत्र सभी उद्देश्यों के लिए निर्णायक है और

कानून की अदालत में पूछताछ नहीं की जा सकती है।

कोई विशेष विधेयक 'धन विधेयक' है या नहीं, यह तय करने में आम तौर पर कोई गंभीर व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है और इस पर रोक लगाने या देने में अध्यक्ष की कार्रवाई की शायद ही कभी आलोचना की गई हो।

प्रमाण पत्र। एक विधेयक जिसमें कोई भी गणना किए गए मामले शामिल हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, निर्विवाद रूप से एक 'धन विधेयक' है। यदि इसमें कोई अन्य मामले शामिल हैं, तो जब तक कि ये विधेयक में इस तरह से निहित किसी भी गणना किए गए मामले के लिए 'गौण मामले' नहीं हैं, तब तक विधेयक 'धन विधेयक' नहीं है। इसके अलावा, भले ही किसी विधेयक का मुख्य उद्देश्य संचित निधि या संसद द्वारा प्रदान किए गए धन पर एक नया शुल्क लगाना हो, विधेयक प्रमाणित नहीं होगा यदि

यह स्पष्ट है कि नए प्रभार का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है

विशुद्ध रूप से वित्तीय "।

संसद अधिनियम, *1911* का अध्याय *13* जिसमें धन विधेयक को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:
" *(1)* .....

(2) धन विधेयक का अर्थ है एक सार्वजनिक विधेयक जिसमें हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की राय में केवल निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय से संबंधित प्रावधान हैं, अर्थात्, लागू करना, निरसन, छूट, परिवर्तन या कराधान का विनियमन; ऋण के भुगतान के लिए अधिरोपण या *[2018] 8* एस. सी. आर. पर शुल्क के अन्य वित्तीय उद्देश्य।

संचित निधि, या संसद द्वारा प्रदत्त धन पर, या ऐसे किसी शुल्क में परिवर्तन या निरसन; सार्वजनिक धन के खातों का विनियोग, प्राप्ति, अभिरक्षा, जारी करना या लेखापरीक्षा; किसी भी ऋण की गारंटी या पुनर्भुगतान; या उन विषयों या उनमें से किसी के लिए आनुषंगिक अधीनस्थ मामले। इस उप-धारा में "कराधान", "सार्वजनिक" शब्द हैं।

"धन" और "ऋण" में स्थानीय उद्देश्यों के लिए स्थानीय अधिकारियों या निकायों द्वारा उठाया गया कोई कर, धन या ऋण शामिल नहीं है।

(3) प्रत्येक धन विधेयक का समर्थन तब किया जाएगा जब इसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स को भेजा जाता है और जब इसे सहमति के लिए महामहिम को प्रस्तुत किया जाता है तो उनके द्वारा हस्ताक्षरित हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष का प्रमाण पत्र कि यह एक धन विधेयक है। अपना प्रमाण पत्र देने से पहले, अध्यक्ष, यदि व्यवहार्य हो, चयन समिति द्वारा प्रत्येक सत्र की शुरुआत में अध्यक्ष पैनल से नियुक्त किए जाने वाले दो सदस्यों से परामर्श करेगा।

आयरलैंड के संविधान से संबंधित निर्यातक *(1)* धन विधेयक का अर्थ है एक ऐसा विधेयक जिसमें केवल निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले से संबंधित प्रावधान हैं, अर्थात् -

कराधान का अधिरोपण, निरसन, माफी, परिवर्तन या विनियमन; सार्वजनिक धन पर ऋण या शुल्क के अन्य वित्तीय उद्देश्यों के भुगतान के लिए अधिरोपण या ऐसे किसी शुल्क का परिवर्तन या निरसन; सार्वजनिक धन के खातों की आपूर्ति, विनियोग, प्राप्ति, अभिरक्षा, जारी करना या लेखा परीक्षा; किसी भी ऋण की गारंटी या पुनर्भुगतान; अधीनस्थ और आकस्मिक मामले।

(2) इस परिभाषा में क्रमशः "कराधान", "सार्वजनिक धन" और "ऋण" शब्दों में स्थानीय प्राधिकरणों या निकायों द्वारा स्थानीय उद्देश्यों के लिए उठाए गए किसी भी कराधान, धन या ऋण को शामिल नहीं किया गया है। कौल और शकदर की "संसद की प्रक्रिया और प्रक्रिया" से संबंधित प्रतिनिधि, भारत में सभा सचिव की तरह

अध्यक्ष मावलंकर ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"प्रथम दृष्टया, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अनुच्छेद *110* के शब्द

(किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन, विनियमन*)* समेकित विधेयक को धन विधेयक बनाने के लिए पर्याप्त रूप से व्यापक हैं।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

एक सवाल उठ सकता है कि 'केवल' शब्द का सटीक महत्व या दायरा क्या है और क्या और वह शब्द व्यापक और सामान्य शब्दों 'अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, आदि' को संशोधित या नियंत्रित करने के लिए कितनी दूर जाता है।

मुझे लगता है, प्रथम दृष्टया, कि 'केवल' शब्द सामान्य शब्दों के दायरे के लिए प्रतिबंधात्मक नहीं है। यदि कोई विधेयक महत्वपूर्ण रूप से संबंधित है
कर का अधिरोपण, उन्मूलन, आदि, फिर केवल समावेश का तथ्य

अन्य प्रावधानों के विधेयक में जो इसके लिए आवश्यक हो सकते हैं -

उस कर का प्रशासन या, मैं कह सकता हूँ, के लिए आवश्यक
विशेष विधेयक के उद्देश्य की प्राप्ति, विधेयक को धन विधेयकों की श्रेणी से हटा नहीं सकती है। देखना पड़ता है

विधेयक के उद्देश्य के लिए। इसलिए, यदि विधेयक के महत्वपूर्ण प्रावधानों का उद्देश्य किसी भी कर को लागू करना, समाप्त करना आदि है, तो अन्य प्रावधान आकस्मिक होंगे और उनके समावेश को इसे धन विधेयक की श्रेणी से दूर करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। जब तक कोई 'केवल' शब्द का इस तरह से अर्थ नहीं लगाता है, तब तक यह अनुच्छेद *110* को शून्य बना सकता है। बिना कर लगाए कोई कर नहीं लगाया जा सकता है। इसके निर्धारण,
संग्रह, प्रशासन, न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के संदर्भ आदि के लिए प्रावधान, कोई भी मुख्य कर लगाने वाले विधेयक में केवल एक धारा की कल्पना कर सकता है और पचास अन्य धाराएं हो सकती हैं जो उस अधिरोपण के दायरे, विधि, तरीके आदि से संबंधित हो सकती हैं।

इसके अलावा, हमें अनुच्छेद *110* के उपखंड *(2)* के प्रावधानों पर भी विचार करना होगा और ये प्रावधान स्पष्ट करने में सहायक हो सकते हैं।

'केवल' शब्द का दायरा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से।

396. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि हालांकि अनुच्छेद *110* का खंड *(3)* अध्यक्ष के उस निर्णय को निर्धारित करता है कि क्या कोई विधेयक धन विधेयक है।

कुछ अन्य प्रावधान, अर्थात् विधेयक के खंड *23 (2) (*एच*), 54 (2) (*एम*)* और *57 (*जो आधार अधिनियम की धारा *23 (2) (*एच*), 54 (2) (*एम*)* और *57* से मेल खाते हैं*)* संविधान के अनुच्छेद *110* के किसी भी खंड के अंतर्गत नहीं आते हैं। संविधान। इसलिए, कुछ प्रावधान जो धन विधेयक के अंतर्गत आने वाले प्रावधानों के अलावा अन्य थे और इसलिए, विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट के रूप में पेश किया गया।

परिदृश्य में, पूरा अधिनियम विफल होने के लिए बाध्य था क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई संविधान की धारा *55* के विपरीत भारतीय संविधान में खंडों को अलग करने का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान। जहाँ तक अध्यक्ष के निर्णय की न्यायसंगतता का संबंध है, निम्नलिखित निर्णयों को संदर्भित किया गया था:

(i) न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति *v.* भारत संघ

& Ors.142

((ii) एस. आर. बोम्मई और अन्य। वी. भारत संघ *& Ors.143*

((iii) राजा राम पाल बनाम। माननीय अध्यक्ष, लोकसभा और *Ors.*[1] *144*
((iv) रामदास अठावले बनाम। भारत संघ और अन्य। *145 1 4:*

(v) किहोतो होल्लोहन बनाम। ज़चिल्लू और ओआरएस। *146*

संवैधानिक संघवाद। यह संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है जैसा कि कुलदिप नायर और अन्य में माना गया है। वी. भारत संघ और अन्य। *147 .* इसलिए, विचाराधीन कानून को पारित करते समय राज्यसभा को पारित नहीं किया जा सकता था और इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया था और राष्ट्रपति के विधेयक को वापस करने के अधिकार ने भी क़ानून को असंवैधानिक बना दिया है।

398. विद्वान महान्यायवादी के साथ-साथ श्री द्विवेदी और उत्तरदाताओं की ओर से पेश कुछ अन्य वकीलों ने उपरोक्त का खंडन किया

सबसे मजबूत तरीके से प्रस्तुतियाँ। यह तर्क दिया गया कि विधेयक को धन विधेयक के रूप में वर्णित किया गया था और संविधान के अनुच्छेद *110* के तहत पेश किया गया था। उनके अनुसार, आधार अधिनियम का मूल धारा *7* है। यह आधार संख्या का निर्माण नहीं है जो यह अधिनियम का मूल है, बल्कि, यह केवल सही लाभार्थी की पहचान करने और "सब्सिडी, लाभों का लक्षित वितरण" सुनिश्चित करने का एक साधन है।

सेवाएँ ", वह व्यय जिसके लिए भारत की संचित निधि से व्यय किया जाता है। धारा *7* के साथ अधिनियम की प्रस्तावना का एक संयुक्त पठन स्पष्ट रूप से विधायी इरादे और अधिनियम के उद्देश्य को प्रकट करता है, जो यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी, लाभ या सेवा जिसके लिए खर्च किया जाता है *(1991) 4* एससीसी *699*

143 (1994) 3 एससीसी *1* *144 (2007) 3* एससीसी *184*

145 (2010) 4 एससीसी *1*

146 (1992) सप.

2 एस. सी. सी. *651 147 (2006) 7* एस. सी. सी. *1* न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

भारत की संचित निधि से किया गया व्यय या उसके भाग के रूप में प्राप्त रसीद, इच्छित लाभार्थी तक पहुंचने के लिए लक्षित होनी चाहिए। उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह तर्क दिया गया कि राष्ट्रपति को भेजे गए प्रमाण पत्र में शामिल अध्यक्ष का निर्णय अंतिम है और न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं हो सकता है। उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए, मोहम्मद के मामले में फैसले का संदर्भ दिया गया था। सईद सिद्दीकी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्र. *148* जिसमें न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 7. विशेष अनुमति याचिका में अनुमति दी गई है। यह अपील है

प्रभाग द्वारा पारित दिनांक *27-8-2012* आदेश के विरुद्ध निर्देशित
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायपीठ ने मुकूल में

उपाध्याय बनाम. एन. के. मेहरोत्रा *[*सिविल विविध। लेखन याचिका संख्या *24905*

2012 का आदेश *(2012* का लिखित-सी *24905),* दिनांक *27-8-2012 (*ए *1* आई*)]*
जिसके द्वारा उच्च न्यायालय, संशोधन आवेदन को अनुमति देते हुए

रिट याचिका और रिट याचिका को बनाए रखने योग्य ठहराना,

रिट याचिका में दो आधार जोड़ना। संशोधन अधिनियम है
भारत के संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन और

स्पष्ट उपेक्षा में इसे गलत तरीके से धन विधेयक के रूप में पेश किया गया था

भारत के संविधान के अनुच्छेद *199* के प्रावधानों पर।
तदनुसार, यह प्रार्थना की गई थी कि एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए

संशोधन अधिनियम को अधिकार से बाहर घोषित करने की प्रकृति

भारत के संविधान के प्रावधान।

XX

XX

XX

12. श्री वेणुगोपाल ने आगे कहा कि संशोधन अधिनियम को भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित भी नहीं किया गया था और इस प्रकार, यह कानून की नजर में केवल एक कागज का टुकड़ा है। विचाराधीन विधेयक था
एक धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया, जब इसके बावजूद, इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद *199 (1)* और *199 (2)* में परिभाषित धन विधेयक के रूप में कभी नहीं कहा जा सकता था। चूंकि एक साधारण के लिए प्रक्रिया

विधेयक का पालन नहीं किया गया और एक असंबद्ध और अपूर्ण विधेयक के लिए राज्यपाल की सहमति प्राप्त की गई, जो भारत के संविधान के तहत अनिवार्य आवश्यकताओं से भी नहीं गुजरा था।

पूरी कार्रवाई असंवैधानिक थी और भारत के संविधान के अनुच्छेद *200* का उल्लंघन करती थी।

XX

XX

XX

31. याचिकाकर्ता की मुख्य आशंका यह है कि जिस विधेयक के कारण संशोधन अधिनियम लागू हुआ, उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद *197* और *198* का उल्लंघन करते हुए धन विधेयक के रूप में पारित किया गया था, जिसे दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए था। उत्तर प्रदेश विधान सभा और उत्तर प्रदेश विधान परिषद और केवल उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा गलत तरीके से पारित किया गया था। सुनवाई के दौरान, उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री देसाई ने विधानसभा की कार्यवाही, अध्यक्ष के साथ-साथ राज्यपाल के निर्णय से संबंधित मूल अभिलेख रखे, जिन पर हम अपने निर्णय के अंतिम भाग में चर्चा करने जा रहे हैं।

XX

XX

XX

34. उपरोक्त प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि अध्यक्ष के निर्णय और राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की अंतिमता राज्य विधानमंडल का महत्वपूर्ण विशेषाधिकार है। स्वतंत्रता अदालतों द्वारा भाषण, बहस और कार्यवाही की जांच नहीं की जानी चाहिए। "विधायिका की कार्यवाही" में वह सब कुछ शामिल है जो कहा गया है या

संसद के लेन-देन में किसी भी सदन में किया गया

व्यवसाय, जो वर्तमान मामले में संशोधन अधिनियम का अधिनियमन है। इसके अलावा, अनुच्छेद *212* अदालतों को विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया का पालन न करने या अन्यथा सदन द्वारा पारित विधेयकों पर सवाल उठाने के आधार पर राज्यपाल को सहमति के लिए एक विधेयक पेश करने में हस्तक्षेप करने से रोकता है। यह स्पष्ट करने के लिए, विधायिका के भीतर की कार्यवाही पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है कि उन्हें कार्य नियमों के अनुसार नहीं चलाया गया है। यह अनुच्छेद *194* से भी स्पष्ट है जो राज्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों के बारे में बात करता है।

विधान-मंडल के सदन और उसके सदस्य और समितियाँ।

35. हम पहले ही अनुच्छेद *199* का हवाला दे चुके हैं। अनुच्छेद *199 (3)* के संदर्भ में, विधान सभा के अध्यक्ष का निर्णय कि

विचाराधीन विधेयक एक धन विधेयक था जो अंतिम है और उक्त निर्णय न तो राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया पर विवाद किया जा सकता है और न ही न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(आर. ई. टी. डी.) v.*

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.]

अनुच्छेद *212* के आधार पर पूछताछ की जाए। हम जागरूक हैं कि

तथ्य यह है कि राजा राम पाल बनाम में इस न्यायालय के निर्णय में। लोक

या असंवैधानिकता न्यायिक जांच से सुरक्षित नहीं है।
36. भले ही यह स्थापित हो कि इसमें कुछ कमजोरी थी

संशोधन अधिनियम के अधिनियमन में प्रक्रिया,

संविधान के अनुच्छेद *255* में प्रक्रिया के मामले नहीं हैं।

एक अधिनियम को अमान्य कर देना जिसके लिए सहमति दी गई है
राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो।

XX

XX

XX

43. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, के अध्यक्ष का निर्णय
विधान सभा ने कहा कि विचाराधीन विधेयक एक धन विधेयक था

अंतिम और उक्त निर्णय को विवादित नहीं किया जा सकता है और न ही प्रक्रिया को

संविधान प्रक्रिया के मामले किसी अधिनियम को अमान्य नहीं बनाते हैं।
जिसे राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा स्वीकृति दी गई हो,

विधेयक, पारित होने के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा विपरीत तर्क
केवल विधान सभा द्वारा उक्त विधेयक अस्वीकार्य है।

399. यह प्रस्तुत किया गया था कि समान आधारों पर चुनौती थी,

इस प्रकार, उपरोक्त मामले में खारिज कर दिया गया, जिसमें विचाराधीन राज्य के विधायी अधिनियम की वैधता, उसी आधार पर, अर्थात्, इसे संविधान के अनुच्छेद *199* में परिभाषित धन विधेयक नहीं कहा जा सकता था, जो संविधान के अनुच्छेद *110* के साथ समान सामग्री थी। योगेंद्र कुमार जयस्वाल और अन्य के मामले में निर्णय। वी. बिहार राज्य और अन्य। *149* इसका भी उल्लेख किया गया था जिसमें न्यायालय उड़ीसा विशेष न्यायालय अधिनियम, *2006* से संबंधित था जिसे धन विधेयक के रूप में भी पारित किया गया था और जिसे संविधान के अनुच्छेद *199* के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी गई थी। यह तर्क दिया गया कि अदालत ने इस मामले में निर्णय दिया कि अध्यक्ष का निर्णय कि विचाराधीन विधेयक एक धन विधेयक है, अंतिम है और ऐसा निर्णय

संविधान के अनुच्छेद *212* के आधार पर विवादित नहीं किया जा सकता है और न ही राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा सकता है। विद्वान महान्यायवादी ने विशेष रूप से उक्त निर्णय के निम्नलिखित भाग को पढ़ा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"42. इस संबंध में, हम लाभप्रद रूप से प्राधिकरण का उल्लेख कर सकते हैं

मोहम्मद. सईद सिद्दीकी बनाम। यू. पी. राज्य *[*मोहम्मद। सईद सिद्दीकी वी. उत्तर प्रदेश राज्य, *(2014) 11* एस. सी. सी. *415],* जिसमें तीन-न्यायाधीशों की पीठ

इस तरह की चुनौती से निपटने के दौरान, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद *212* निषेध करता है अदालतों को सहमति के लिए एक विधेयक की प्रस्तुति में हस्तक्षेप करने से

का पालन न करने के आधार पर राज्यपाल को

विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया, या अन्यथा प्रश्न पूछने से

सदन द्वारा पारित विधेयक, विधायिका के भीतर कार्यवाही के लिए इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है कि उनके पास नहीं है

व्यवसाय के नियमों के अनुसार किया गया।

इसके बाद, न्यायालय ने अनुच्छेद *199 (3)* का उल्लेख करते हुए फैसला सुनाया कि विधान सभा के अध्यक्ष का निर्णय कि विधेयक

प्रश्न में क्या एक धन विधेयक अंतिम है और उक्त निर्णय नहीं हो सकता है

अनुच्छेद *212* के आधार पर प्रश्न किया गया। न्यायालय ने ध्यान दिया कि राजा राम पाल *[*राजा राम पाल बनाम। लोकसभा, *(2007)*

मूल या सकल अनियमितता के कारण दूषित हो सकता है या असंवैधानिकता न्यायिक जांच से सुरक्षित नहीं है।

आखिरकार, अदालत ने चुनौती को खारिज कर दिया।

43. हमारी सुविचारित राय में, विद्वानों द्वारा उद्धृत अधिकारियों ने

अपीलार्थियों के लिए वकील बहुत अधिक सहायता प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि

एक विधेयक का परिचय, जैसा कि मोहम्मद में आयोजित किया गया है। सईद सिद्दीकी

[मोहम्मद. सईद सिद्दीकी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य *(2014) 11* एस. सी. सी. *415],*

*"*अनियमितता*"* की अवधारणा के भीतर आता है और यह इसके भीतर आता है।

सारवानता का क्षेत्र। विशेष में क्या आयोजित किया गया है

1964 का संदर्भ संख्या *1 [*शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तिएँ*]* राज्य विधानमंडलों के, *1964* की विशेष संदर्भ संख्या *1* में,

ए. आई. आर. *1965* एस. सी. *745]* को स्पष्ट रूप से समझना होगा। तथ्यात्मक मैट्रिक्स इसमें हाथ में मामले की तुलना में पूरी तरह से अलग था क्योंकि हम

सिद्दीकी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य *(2014) 11* एस. सी. सी. *415]* और इसलिए, हम बिना किसी हिचकिचाहट के मान लें कि प्रस्तुत करने में कोई योग्यता नहीं है

अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा दृढ़ता से आग्रह किया गया।

400. रिलायंस को संविधान के तीन फैसलों पर भी रखा गया था।

इस न्यायालय का एच *1 5 0*। विद्वान महान्यायवादी ने भी प्रस्तुत कियानगालोरे गणेश बिडी वर्क्स बनाम। मैसूर और अन्न राज्य। , *1963* पूरक *(1)* एस. सी. आर. *275;* एम. डी. ए. एस. अठावले बनाम। भारत संघ और अन्य। , *(2010) 4* एससीसी *1,* और*;* एम एस एम शर्मा बनाम

श्री कृष्ण सिन्हा और अन्य।

, ए. आई. आर. *1960* एस. सी. *1186* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

कि भले ही यह माना जाता है कि संसद में कार्य संचालन में प्रक्रिया की अवैधता है, ऐसी संसदीय कार्यवाही

वे चुनौती से सुरक्षित थे। न्यायालय का ध्यान अनुच्छेद *122* की ओर भी आकर्षित किया गया, जो "प्रक्रिया की किसी भी कथित अनियमितता" के आधार पर संसद की किसी भी कार्यवाही पर सवाल उठाने से रोकता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि अध्यक्ष का निर्णय और प्रमाणीकरण प्रक्रिया का विषय होने के कारण अध्याय में "विधायी प्रक्रिया" अनुच्छेद *107* से *111,* "वित्तीय मामलों में प्रक्रिया" अनुच्छेद *112* से *117* और "प्रक्रिया आम तौर पर" अनुच्छेद *118* से *122* के तहत शामिल किया गया है। इन प्रावधानों में प्रक्रिया के मामलों में न्यायिक समीक्षा को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। प्रस्तुतिकरण यह था कि यदि यह स्पष्ट रूप से एक धन विधेयक है, जिसे न्यायालय में चुनौती से परे रखा जा रहा है, तो इसे याचिकाकर्ताओं द्वारा तर्कित वित्तीय विधेयक के रूप में कहना पूरी तरह से अनुचित होगा। उपरोक्त प्रस्ताव को विस्तार देते हुए, यह बताया गया कि प्रारूप समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान के मसौदे में, अनुच्छेद *101* में 'प्रक्रिया की कथित अनियमितता' पर न्यायिक हस्तक्षेप से संसदीय कार्यवाही को छूट प्रदान की गई है। इस अनुच्छेद को अंततः भारत के संविधान में अनुच्छेद *122* के रूप में पुनर्नामित किया गया। संविधान सभा की बहस के दौरान, श्री एच. वी. कामत ने अनुच्छेद *101* का मसौदा तैयार करने के लिए एक संशोधन का सुझाव दिया ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि किसी भी संसदीय कार्यवाही की वैधता पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जाएगा। तदनुसार, उन्होंने सुझाव दिया कि 'प्रश्न में बुलाए गए' शब्दों को 'किसी भी अदालत में प्रश्न में बुलाए गए' से बदल दिया जाए। इस सुझाए गए संशोधन का खंडन करते हुए डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से कहाः

"महोदय, श्री कामत के संशोधन के संबंध में, मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक है, क्योंकि संसद की कार्यवाही पर अदालत के अलावा कानूनी तरीके से सवाल उठाया जा सकता है*?* इसलिए यह

न्यायालय एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ संसद की कार्यवाही पर आकस्मिक तरीके से सवाल उठाया जा सकता है और कानूनी मंजूरी प्राप्त की जा सकती है। इसलिए श्री कामत अपने संशोधन में जो शब्द चाहते हैं, उनका उल्लेख करना अनावश्यक है। जिस कारण से मैंने समझाया है, वहाँ कार्यवाही पर सवाल उठाया जा सकता है

के विरुद्ध कानूनी तरीके से और कानूनी राहत प्राप्त की गई
राष्ट्रपति या अध्यक्ष या कोई अधिकारी या सदस्य, न्यायालय होने के नाते, मंच को निर्दिष्ट करना अनावश्यक है। श्री कामत करेंगे।

देखें कि सीमांत नोट इसे स्पष्ट करता है "।

401. पटना जिला ट्रक मालिक संघ और अन्य में पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का समर्थन। वी.

Ors.151 भी लिया गया था, जिसे पंजाब राज्य बनाम में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले द्वारा अनुमोदित किया गया है। सत पाल डांग और ओआरएस। *152.* यह भी तर्क दिया गया कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे अन्य संसदीय लोकतंत्रों में कानूनी स्थिति समान थी।

402. किसी भी मामले में, विद्वान महान्यायवादी और श्री.

द्विवेदी ने कहा कि इस विधेयक को धन विधेयक के रूप में पेश करना सही था क्योंकि यह कानून में भी इस तरह के विवरण के योग्य था। इस समर्पण को मजबूत करने के लिए, पीठ और पदार्थ के सिद्धांत को एक मार्गदर्शक परीक्षण के रूप में लागू किया गया था। यह तर्क दिया गया था कि धारा *7* जो आधार अधिनियम का हृदय और आत्मा थी, ने इसे पूरा किया

सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के रूप में आवश्यकता, जिसका व्यय भारत की संचित निधि से किया जाता है। इसलिए, अनुच्छेद *110* में निर्धारित शर्तों को पूरी तरह से पूरा किया गया। पीठ और पदार्थ के सिद्धांत की व्याख्या करने वाले निम्नलिखित निर्णय *53* को सार में दबाया गया। यह प्रस्तुत किया गया था कि निस्संदेह सार और सार में, आधार अधिनियम का उद्देश्य सही लाभार्थियों की पहचान करना और "सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण" सुनिश्चित करना है, जिसके लिए भारत की समेकित निधि से खर्च किया जाता है।

आधार संख्या का निर्माण और प्रमाणीकरण सुविधा आधार अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए है, जो अनुच्छेद *110 (*जी*)* के तहत अनुमेय है। यह भी तर्क दिया गया कि धारा *57*, जो अनुच्छेद *110* के *(*ए*)* से *(*एफ*)* के किसी भी उपखंड के लिए अप्राप्य होने के रूप में हमले को अलग से नहीं देखा जा सकता है। यह विधेयक अपने शीर्ष में और

पदार्थ को एक धन विधेयक होने की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए न कि अलग-अलग प्रावधान। इसके विपरीत, अधिनियम की धारा *57* भी प्रासंगिक है -

धारा *8* की प्रक्रिया और दायित्व, जिसके लिए अन्य बातों के साथ-साथ आधार संख्या धारक की सूचित सहमति, उद्देश्य सीमा की आवश्यकता होती है, अर्थात पहचान की जानकारी का उपयोग केवल प्रमाणीकरण के

लिए सी. आई. डी. आर. को प्रस्तुत करने के लिए किया जाएगा और निजी संस्था को ऐसा प्रस्तुत करने के लिए विकल्प प्रदान करना होगा। पहचान की जानकारी, जिसका, दूसरे शब्दों में, अर्थ है कि निजी पक्ष आधार पर जोर नहीं दे सकते हैं और आधार को अनिवार्य नहीं बना सकते हैं, जब तक कि कानून द्वारा आवश्यक न हो। इसलिए धारा *57* आधार के तहत लगाई गई एक सीमा है।

151 ए. आई. आर. *1963* पैट *16*

152 (1969) 1 एससीआर *478 153* ए. एस. कृष्णा बनाम मद्रास राज्य, *(1957)* एससीआर *399;* भारत संघ और अन्य। वी. शाह गोवर्धन एल. काबरा टीचर्स कॉलेज, *(2002) 8* एससीसी *228,* और*;* पी. एन. कृष्ण लाल और

ओआरएस। वी. केरल सरकार और अन्र.

, 1995 सपं. *(2)* एस. सी. सी. *187* एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

निजी पक्षों द्वारा आधार संख्या के उपयोग पर जो विशुद्ध रूप से अधिनियम के उद्देश्य के लिए आवश्यक है और पूरी तरह से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है।

*(*छ*)* संविधान का।

403. सबसे पहले, हम संसद की द्विसदनीय प्रणाली में एक सभा *(*उच्च सदन*)* के महत्व को पहचानना चाहेंगे। इस न्यायालय ने कुलदिप नायर के मामले में उच्च सदन की महत्वहीनता और प्रासंगिकता को निम्नलिखित शब्दों में संक्षिप्त रूप से स्पष्ट किया है:

" 74. सरकार के संसदीय रूपों में "द्विसदनीयता" का विकास कार्यात्मक रूप से प्रभावी संघीय संरचनाओं की आवश्यकता से जुड़ा हुआ है। "द्वितीय सदन" या संसद के उच्च सदनों की भूमिका और केंद्र सरकार और घटक इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय के बीच यह संबंध शायद पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के साथ निश्चित रूप से निर्धारित किया गया था, जिसे वर्ष *1787* में संघ के तेरह मूल राज्यों द्वारा अनुमोदित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस के ऊपरी सदन, जिसे सीनेट के रूप में जाना जाता है, को सैद्धांतिक रूप से हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मॉडल पर बनाया गया था। ब्रिटिश संसद, लेकिन बाद वाले से पूरी तरह से अलग थी

इसकी संरचना और शक्तियों का सम्मान करें।

75. तब से, कई देशों ने केंद्रीय विधानमंडल के द्विसदनीय रूप को अपनाया है, भले ही उनमें से कुछ संघ नहीं हैं।

ब्रिटिश उत्तर में संसदीय शासन भी सन्निहित था। अमेरिका अधिनियम, *1867* जिसके द्वारा कनाडा का अधिराज्य अस्तित्व में आया और भारत का संविधान, *1950*। कनाडा में, संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स और सीनेट *(*ऊपरी सदन*)* शामिल हैं। इसी तरह, भारत संघ की संसद में लोकसभा *(*लोक सभा*)* और

राज्यसभा *(*राज्यों की परिषद, जो कि ऊपरी सदन है*)*। प्रतिनिधि लोकतंत्रों की एजेंसियों के रूप में अपने कार्यों के संदर्भ में, भारत, अमेरिका और कनाडा की विधानसभाओं में निचले सदन, अर्थात्, लोकसभा, प्रतिनिधि सभा और

रचना. अभी तक निचले सदनों के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क के माध्यम से पूर्व-निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। मताधिकार। इन निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन जनसंख्या के वितरण के अनुसार है, ताकि देश के पूरे क्षेत्र में प्रत्येक वोट के मूल्य में समानता हो सके।

हालाँकि, *[2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विभिन्न क्षेत्रों और आबादी के घटक राज्यों के अस्तित्व के साथ, इन राज्यों को दिए गए प्रतिनिधित्व में निचला सदन अत्यधिक असमान हो जाता है। इसलिए, ऊपरी सदन की संरचना संघवाद का एक संकेतक बन गई है, ताकि घटक राज्यों के हितों को अधिक पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित किया जा सके

और केंद्रीय प्राधिकरणों द्वारा शक्ति के प्रयोग के खिलाफ नियंत्रण और संतुलन का एक तंत्र सुनिश्चित करना जो घटक राज्यों के हितों को प्रभावित कर सकता है।

XX

XX

XX

79. दूसरी ओर भारतीय राज्यसभा की उत्पत्ति को कई देशों के संवैधानिक इतिहास से लाभ हुआ, जिसने संविधान सभा को ऊपरी सदन के संघीय कार्यों की जांच करने की अनुमति दी। हालाँकि, "द्विसदनीयता" थी *1921* में ब्रिटिश शासन के तहत प्रांतीय विधानसभाओं में पेश किया गया। भारत सरकार अधिनियम, *1935* ने संघीय विधानमंडल में एक उच्च सदन का भी निर्माण किया, जिसके सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुना जाना था और रियासतों के मामले में ऐसे क्षेत्रों के शासकों द्वारा नामित किया जाना था। हालांकि, युवा भारतीय संघ द्वारा सामना की जाने वाली वास्तविकताओं के कारण, केंद्रीय संसद में एक राज्य परिषद *(*राज्यसभा*)* को एक संघीय आदेश के लिए एक आवश्यक आवश्यकता के रूप में देखा गया था। पूर्व ब्रिटिश प्रांतों के अलावा, रियासतों के विशाल क्षेत्र थे जिन्हें संघ के तहत प्रशासित किया जाना था। इसके अलावा, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों में विविधता

क्षेत्रों के बीच भी नव-स्वतंत्र देश के लिए एक चुनौती पेश की। इसलिए, उच्च सदन की स्थापना की गई थी

संविधान-निर्माता जिनमें काफी हद तक राज्य विधानमंडलों द्वारा चुने गए सदस्य शामिल होंगे और जिनमें गैर-राजनीतिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले नामित सदस्यों की एक निश्चित संख्या होगी। हालाँकि, राज्य सभा में राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व का वितरण न तो समान है और न ही पूरी तरह से जनसंख्या वितरण पर आधारित है। एक बुनियादी सूत्र का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक भार निर्धारित करने के लिए किया जाता है

छोटे लेकिन बड़े राज्यों को अतिरिक्त आबादी के लिए प्रतिगामी महत्व दिया जाता है। इसलिए राज्य सभा राज्यों के लिए असमान प्रतिनिधित्व को शामिल करती है लेकिन आनुपातिक रूप से छोटे राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाता है। द.

सीटों के इस तरह के आवंटन के पीछे का सिद्धांत छोटे राज्यों के हितों की रक्षा करना है, लेकिन साथ ही पर्याप्त न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

बड़े राज्यों को प्रतिनिधित्व ताकि इच्छा

अल्पमत निर्वाचक मंडल के प्रतिनिधि प्रबल नहीं होते हैं

बहुमत से अधिक।

80. भारत में, भारत के संविधान का अनुच्छेद *80* निर्धारित करता है -

राज्य सभा की संरचना। की अधिकतम शक्ति
सदन में *250* सदस्य हैं, जिनमें से *238* सदस्य हैं -

[अनुच्छेद *80 (1) (*बी*)]*, और *12* सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान जैसे गैर-राजनीतिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के रूप में नामित किया जाता है।
कला और सामाजिक सेवाएँ *[*अनुच्छेद *80 (1) (*ए*)* और *80 (3)]*। सदस्यों ने

राज्यों से निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं
प्रणाली के अनुसार संबंधित राज्य विधानसभाएँ

एकल हस्तांतरणीय के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व

वोट *[*अनुच्छेद *80 (4)]*। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का तरीका निर्धारित करने पर छोड़ दिया गया है

संसद *[*अनुच्छेद *80 (5)]*। भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन इस प्रकार है -

संविधान की चौथी अनुसूची, जिसे अनुच्छेद *4 (1)* और *80 (2)* के साथ पढ़ा जाता है। यह आवंटन स्पष्ट रूप से इसके साथ भिन्न है

राज्यों का प्रवेश और पुनर्गठन।

404. इसलिए, राज्यसभा एक महत्वपूर्ण संस्था बन जाती है जो संवैधानिक आधारवाद को दर्शाती है। ठीक यही कारण है कि

किसी भी कानून को लागू करने के लिए, विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना है। यह संवैधानिक जनादेश है। उपरोक्त संसदीय मानदंड का एकमात्र अपवाद भारत के संविधान का अनुच्छेद *110* है। इस समग्र योजना को ध्यान में रखते हुए

हमारे संविधान में निहित द्विसदनीयता, अनुच्छेद *110* की सख्त व्याख्या की जानी चाहिए। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हमने दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है।

405. हम इस स्तर पर यह भी देखना चाहेंगे कि जहाँ तक

लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय की न्यायसंगतता के बारे में उत्तरदाताओं के निवेदन का संबंध है, हम इस तरह के विवाद को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए कुछ परिस्थितियों में न्यायिक समीक्षा स्वीकार्य होगी, जिसका उल्लेख याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी. चिदम्बरन ने किया है और पैराग्राफ *396* में ध्यान दिया गया है।

110 संविधान और इसलिए, विधेयक केवल अनुच्छेद *110* में उल्लिखित विषयों तक ही सीमित नहीं था। जहां तक धारा *7* का संबंध है, यह आधार के तहत प्रमाणीकरण की प्रक्रिया द्वारा पहचान स्थापित करने या आधार का प्रमाण प्रस्तुत करने के अधीन सब्सिडी, लाभ या सेवा की प्राप्ति करता है। आधार आदि। इस प्रावधान में यह भी बहुत स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि ऐसी सब्सिडी, लाभ या सेवा के संबंध में किया गया खर्च

यह भारत की संचित निधि से होगा। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह भी स्वीकार किया जाता है कि धारा *7* अधिनियम का मुख्य प्रावधान है। वास्तव में, अधिनियम की शुरूआत के साथ-साथ उद्देश्यों और कारणों का विवरण बहुत स्पष्ट रूप से दर्ज करता है कि आधार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी सब्सिडी, लाभ और सेवाएं उन श्रेणियों के व्यक्तियों तक पहुंचे, जिनके लिए वे वास्तव में हैं। आधार अधिनियम की धारा *2 (एफ), (डब्ल्यू)* और *(एक्स)* क्रमशः लाभ, सेवा और सब्सिडी को परिभाषित करती है।

ये प्रावधान इस प्रकार हैं:

"2 (च) "लाभ" से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को नकद या किसी प्रकार से प्रदान किया गया कोई भी लाभ, उपहार, पुरस्कार, राहत या भुगतान अभिप्रेत है और इसमें ऐसे अन्य लाभ शामिल हैं जिन्हें निम्नलिखित द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है -

केंद्र सरकार;

2 ((ड) "सेवा" का अर्थ है कोई प्रावधान, सुविधा, उपयोगिता या कोई अन्य

किसी व्यक्ति या समूह को किसी भी रूप में प्रदान की जाने वाली सहायता

व्यक्ति और इसमें ऐसी अन्य सेवाएं शामिल हैं जिन्हें इसके द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है

केंद्र सरकार;

2 (x) "सब्सिडी" का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह को नकद या किसी प्रकार की सहायता, सहायता, अनुदान, अनुदान या विनियोग का कोई भी रूप।

व्यक्ति और इसमें ऐसी अन्य सब्सिडी शामिल हैं जिन्हें अधिसूचित किया जा सकता है

केंद्र सरकार द्वारा "।

407. चूंकि इन तीनों प्रकार के कल्याणकारी उपायों की मांग की जाती है

समाज के हाशिए पर पड़े वर्ग तक इसका विस्तार किया जाए, इसके सामूहिक अध्ययन से पता चलेगा कि इसका उद्देश्य सभी के दायरे का विस्तार करना है सहायता, सहायता, अनुदान, लाभ, राहत प्रावधान, सुविधा, उपयोगिता या सहायता के प्रकार जो समेकित न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* के समर्थन से दी जा सकती है।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

लक्षित वितरण के उद्देश्य से भारत का कोष। यह भी स्पष्ट है कि विभिन्न योजनाएं जिन पर उपरोक्त प्रावधानों द्वारा विचार किया जा सकता है, वे समाज के कमजोर और कमजोर वर्ग से संबंधित हैं। सामाजिक न्याय योजना में सब्सिडी या लाभ या सेवा शामिल होगी या नहीं, यह केवल सहायता की प्रकृति और सीमा का मामला है और यह राज्य की आर्थिक क्षमता पर निर्भर करेगा। यहां तक कि जहां राज्य आंशिक रूप से सब्सिडी देता है, चाहे वह नकद में हो या किसी अन्य रूप में, वहां भी राज्य की मुक्ति का उद्देश्य है। गरीब लक्ष्य बना रहता है।

408. उत्तरदाताओं का कहना सही है कि

सब्सिडी, लाभ या सेवा को समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को लक्षित वितरण के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। इसका

अर्थ को सार में निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि एक अमूर्त के रूप में कोई भी संसद द्वारा राजा को दी जाने वाली सब्सिडी की कल्पना कर सकता है; सरकार द्वारा निगमों या बैंकों को; आदि। सब्सिडी या लाभ की प्रकृति वैसी नहीं होगी जब गरीबों और दलितों को ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करने के लिए दी जाए जिनके बिना वे गरिमा के साथ जीवन नहीं जी सकते। आधार अधिनियम के पीछे यही मुख्य कार्य है और इस उद्देश्य के लिए, आधार संख्या के लिए नामांकन अध्याय *II* में निर्धारित किया गया है जिसमें धारा *3* से *6* शामिल हैं। इस प्रकार, निवासियों को आधार संख्या प्राप्त करने का अधिकार है। हम यहां दर्ज कर सकते हैं कि इस तरह का नामांकन स्वैच्छिक प्रकृति का है। लेकिन यह बन जाता है

उन लोगों के लिए अनिवार्य है जो सरकारी व्यय की कल्याणकारी योजना के तहत कोई सब्सिडी, लाभ या सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे भारत की संचित निधि से पूरा किया जाना है। यह इस प्रकार है कि धारा *7* के तहत प्रमाणीकरण की आवश्यकता सब्सिडी, लाभ या सेवा की प्राप्ति के लिए एक शर्त के रूप में तभी होगी जब ऐसी सब्सिडी, लाभ या सेवा का ध्यान भारत की समेकित निधि द्वारा रखा जाता है। इसलिए, धारा *7* आधार अधिनियम का मुख्य प्रावधान है और यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद *110* की शर्तों को पूरा करता है। इस चरण तक, पक्षों के बीच कोई झगड़ा नहीं होता है।

409. इस संदर्भ में, आइए हम आधार अधिनियम की धारा *23 (2) (*एच*), 54 (2) (*एम*)* और *57* के प्रावधानों की जांच करें। जहाँ तक धारा *23* का संबंध है,

यह प्राधिकरण की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है। इसकी उप-धारा *(1)* में कहा गया है कि प्राधिकरण व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करेगा और इस अधिनियम के तहत उसका प्रमाणीकरण करेगा। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आधार अधिनियम की धारा *3* के तहत आधार संख्या जारी की जानी है और आधार अधिनियम की धारा *8* के तहत प्रमाणीकरण किया जाता है। उप-धारा *(2)* उच्च न्यायालय रिपोर्ट निर्धारित करती है।

कुछ विनिर्दिष्ट शक्तियाँ और कार्य जो प्राधिकरण कर सकता है और उनकी उप-धारा *(*ज*)* निम्नानुसार हैः

" 23 (2) (ज*)* विभिन्न सब्सिडी, लाभ प्रदान करने या प्राप्त करने के उद्देश्यों के लिए आधार संख्या के उपयोग के तरीके को निर्दिष्ट करना,

सेवाएँ और अन्य उद्देश्य जिनके लिए आधार संख्याएँ हो सकती हैं

इस्तेमाल किया गया "।

भारत की संचित निधि से प्रभार्य होने पर कोई भी अनुदान, राहत आदि देने के लिए लक्षित वितरण की योजना। इसलिए, हमारे अनुसार, इस प्रावधान को मुख्य प्रावधान के आनुषंगिक के रूप में पढ़ा जा सकता है और यह संविधान के अनुच्छेद *110 (*जी*)* के अंतर्गत आएगा। धारा *54* प्राधिकरण को इसके अनुरूप विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है - अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम। धारा *54* की उप-धारा *(2)* का खंड *(*एम*)* धारा *23 (2) (*एच*)* से संबंधित है जैसा कि इसकी भाषा से देखा जा सकता है।

" 54 (2) (एम*)* विभिन्न सब्सिडी, लाभ, सेवाएं प्रदान करने या उनका लाभ उठाने के उद्देश्यों के लिए आधार संख्या के उपयोग का तरीका।

और अन्य उद्देश्य जिनके लिए आधार संख्या का उपयोग किया जा सकता है

धारा *23* की उप-धारा *(2)* का खंड *(*ज*)*।

411. हमने धारा *23 (2) (*एच*)* को जो व्याख्या दी है, वह यहां भी लागू होगी और इसलिए, हमें कोई समस्या नहीं मिलती है।

इस प्रावधान के साथ भी। आधार अधिनियम की धारा *57* में उल्लेख किया गया है कि आधार अधिनियम कानून के तहत अन्य उद्देश्यों के लिए आधार संख्या के उपयोग को नहीं रोकेगा। यह केवल एक सक्षम प्रावधान है क्योंकि यह अन्य उद्देश्यों के लिए भी आधार संख्या के उपयोग की अनुमति देता है। इस प्रावधान को इस पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए कि धारा *7* मुख्य प्रावधान है। हम पहले ही मान चुके हैं कि इसका भारत की संचित निधि से धन के विनियोग के साथ पर्याप्त संबंध है और यह सीधे संविधान के अनुच्छेद *110* से जुड़ा हुआ

है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, यू. आई. डी. ए. आई. को अधिनियम के तहत प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया है जो विभिन्न कार्य करता है।

कर्मचारियों के वेतन के लिए धन की आवश्यकता वाले नियामक और न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v* सहित कार्य।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

यह अपना खर्च है। उत्तरदाताओं के पास यह टिप्पणी करने के अधिकार हैं कि प्राधिकरण मुख्य कलाकार है, जो प्रमुख नाटकीय व्यक्तित्व है। यह पंजीयकों, नामांकनकर्ताओं, आरई और एएसए की नियुक्ति करता है; यह उपकरण और सॉफ्टवेयर विनिर्देशों को निर्धारित करता है, और सॉफ्टवेयर भी विकसित करता है; यह नामांकन करता है; यह डुप्लिकेट करता है; यह सी. आई. डी. आर. स्थापित करता है और इसका प्रबंधन करता है; यह प्रमाणित करता है; यह निरीक्षण करता है; यह

मुकदमा चलाता है; यह हतोत्साहित करता है; आदि। और यह सब यह भारत की समेकित निधि से विनियोग द्वारा प्राप्त धन पर आधारित है।

412. जब हम उपरोक्त पृष्ठभूमि में धारा *57* के प्रावधान की जांच करते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है, तो यह केवल आधार संख्या धारक को सक्षम बनाता है - उक्त संख्या का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए भी करें। यह नहीं ले जाएगा

खंड *7 (*अब धारा *7)* की चमक को दूर या कमजोर करें, जिसके लिए विधेयक को धन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। किसी भी मामले में, धारा *57* के एक हिस्से ने पहले ही असंवैधानिक घोषित कर दिया है जिसके तहत निजी क्षेत्र में एक निगम निकाय या व्यक्ति भी किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए प्राधिकरण से प्रमाणीकरण की मांग कर सकता है। उपरोक्त सभी कारणों से, हमारी राय है कि विधेयक को धन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। तदनुसार, यह हमारे लिए आवश्यक नहीं है

याचिकाकर्ताओं की अन्य दलीलों से निपटने के लिए, अर्थात्, क्या विधेयक के धन विधेयक होने के बारे में अध्यक्ष द्वारा प्रमाणन न्यायिक समीक्षा के अधीन है या नहीं, क्या कोई प्रावधान जो धन विधेयक से संबंधित नहीं है, अलग करने योग्य है या नहीं। हम दोहराते हैं कि मुख्य प्रावधान इसका एक हिस्सा है

धन विधेयक और अन्य केवल आकस्मिक हैं और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद *110* के खंड *(*जी*)* के अंतर्गत आते हैं।

आयकर अधिनियम, *1961* की धारा *139* एए:

भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* और *19* पर आधारित विवाद को दूर करना। निस्संदेह, उक्त निर्णय में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहां तक विधायी अधिनियम की न्यायिक समीक्षा के दायरे का संबंध है, यह दो आधारों पर उपलब्ध है, अर्थात्: *(i)* यह अधिनियम उस विधानमंडल की क्षमता के भीतर नहीं है जिसने कानून पारित किया था, और/या

((ii) यह संविधान के भाग *III* में निर्धारित किसी भी मौलिक अधिकार या संविधान के किसी अन्य अधिकार/प्रावधानों का उल्लंघन है।

संविधान।

414. जैसा कि शायरा बानो मामले में बताया गया है, हम पहले ही तीसरे आधार के अस्तित्व को स्वीकार कर चुके हैं, अर्थात् 'स्पष्ट मनमानेपन'। एक अधिनियम जो स्पष्ट रूप से मनमाना है, अनुचित और कानून के शासन के विपरीत होगा और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद *14* का उल्लंघन होगा। यहां तक कि जब हम आय की धारा *139* एए के प्रावधानों पर विचार करते हैं

इस दृष्टिकोण से कर अधिनियम, *1961* में यह नहीं कहा जा सकता है कि यह प्रावधान स्पष्ट मनमानेपन से ग्रस्त है। इसके विपरीत, बिनॉय विश्वम में ही, इस तरह के प्रावधान को शामिल करने का हितकारी उद्देश्य

प्रामाणिक कदम को उजागर किया गया है। इसलिए, प्रावधान को इस परीक्षण की भी आवश्यकता है। इस संबंध में न्यायालय ने कहाः

" 101. विभिन्न वर्गों या लोगों के वर्गों की अलग-अलग जरूरतों के लिए अलग-अलग और अलग उपचार की आवश्यकता होती है। मानव संबंधों की अनंत विविधता से उत्पन्न होने वाली विविध समस्याओं से निपटने के लिए विधायिका की आवश्यकता होती है। इसलिए, अनिवार्य रूप से इसके पास विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कानून बनाने और उस उद्देश्य के लिए व्यक्तियों को अलग करने, चुनने और वर्गीकृत करने की शक्ति होनी चाहिए।

जिन चीज़ों पर इसके कानून काम करते हैं। इस प्रकार, कानून की समानता के सिद्धांत का अर्थ यह नहीं है कि एक ही कानून सभी पर लागू होना चाहिए, बल्कि यह है कि एक कानून को एक वर्ग में सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए; कि समान परिस्थितियों में व्यवहार की समानता होनी चाहिए। इसका मतलब है कि बराबर लोगों के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जैसा पसंद नहीं किया जाना चाहिए।

समान व्यवहार न किया जाए। पसंद करने वालों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

415. चूंकि निजता का अधिकार मौलिक अधिकारों का एक पहलू है या नहीं, यह मुद्दा संविधान पीठ के समक्ष लंबित था।

धारा *139* एए की चुनौती की जांच इस संदर्भ में नहीं की गई थी कि निजता के अधिकार, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद *21*, हालांकि इस पहलू पर तर्क दिया गया था। डिवीजन बेंच ने इस संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 136. उपरोक्त के अधीन, इन रिट याचिकाओं का निपटारा किया जाता है

निम्नलिखित तरीके सेः

136.1 . हमारा मानना है कि संसद अधिनियम बनाने के लिए पूरी तरह से सक्षम थी

अधिनियम की धारा *139*-एए और इस कानून को बनाने का अधिकार था

इस न्यायालय के आदेशों से कमजोर नहीं हुआ।
136.2 . हम आधार अधिनियम और आयकर अधिनियम की धारा *139*-एए के प्रावधानों के बीच कोई टकराव नहीं पाते हैं क्योंकि जब सामंजस्यपूर्ण तरीके से व्याख्या की जाती है, तो वे अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

136.3 . अधिनियम की धारा *139*-एए भेदभावपूर्ण नहीं है और न ही यह संविधान के अनुच्छेद *14* में निहित समानता खंड का उल्लंघन करती है।

136.4 . धारा *139*-एए संविधान के अनुच्छेद *19 (1) (*जी*)* का भी उल्लंघन नहीं करता है क्योंकि यह पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आधार नामांकन संख्या, आयकर रिटर्न में या निर्दिष्ट अधिकारियों को अधिसूचित आधार नामांकन संख्या देना अनिवार्य करता है। इसके अलावा, इसकी उप-धारा *(2)* के परंतुक को पढ़ा जाना चाहिए।

इसका मतलब है कि यह केवल संभावित रूप से काम करेगा।
136.5 . उपरोक्त तरीके से बरकरार रखे गए प्रावधान की वैधता संविधान के अनुच्छेद *21* को पारित करने के अधीन है।

जो *2012* की रिट याचिका *(*सिविल*)* संख्या *494* और अन्य संबंधित मामलों में संविधान पीठ के समक्ष मुद्दा है। तब तक, अधिनियम की धारा *139*-एए की उप-धारा *(2)* के परंतुक के संचालन पर आंशिक रोक रहेगी, जैसा कि ऊपर वर्णित है। कोई लागत नहीं। "

416. नौ न्यायाधीशों की पीठ ने तब से पहले ही इस संदर्भ का जवाब देते हुए कहा है कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। होने के नाते इस संबंध में, अधिनियम की धारा *139* एए की वैधता का इस आधार पर परीक्षण करने की आवश्यकता है।

417. जैसा कि पहले ही ऊपर बताया जा चुका है, संविधान पीठ ने फैसला सुनाया है

यद्यपि के. एस. पुट्टास्वामी में निजता एक मौलिक अधिकार है जो अन्य बातों के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद *21* में निहित स्वतंत्रता के अधिकार के लिए पता लगाया जा सकता है, यह एक पूर्ण अधिकार नहीं है, बल्कि सीमाओं के अधीन है। न्यायालय ने ट्रिपल टेस्ट को भी निर्धारित किया जिसे किसी भी कानून की वैधता का परीक्षण करते समय गोपनीयता के आक्रमण के लिए अनुमेय सीमाओं को निर्धारित करने के लिए संतुष्ट करने की आवश्यकता है। ये हैं:

*((*क*)* कानून का अस्तित्व।
(ख) एक "वैध राज्य हित"; और

(ग) इस तरह के कानून को "आनुपातिकता की परीक्षा" में उत्तीर्ण होना चाहिए।

418. वर्तमान मामले में, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि पहली आवश्यकता पूरी हो जाती है क्योंकि धारा *139* एए एक वैधानिक प्रावधान है और इसलिए,

कानून का समर्थन है। विद्वान ए. एस. जी. श्री तुषार मेहता ने तर्क दिया था कि न केवल अन्य दो आवश्यकताओं को भी पूरा किया गया है, बल्कि बिनॉय विश्वम में डिवीजन बेंच द्वारा विशेष रूप से इन पर विचार किया गया है।

चूंकि इन पहलुओं पर विचार नहीं किया गया था, इसलिए विचार किया गया, जांच की गई और न्यायालय ने इन पहलुओं पर अपने निष्कर्ष दर्ज किए। हम इस सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में ताकत पाते हैं

[2018] 8 एस सी आर।

श्री मेहता का प्रस्तुतिकरण। जहां तक 'वैध राज्य हित' की आवश्यकता का संबंध है, उन्होंने बताया कि हालांकि नरीमन, जे. ने 'वैध राज्य हित' के खिलाफ 'व्यापक सार्वजनिक हित' नामक एक उदार परीक्षण का प्रावधान किया है, लेकिन यह प्रावधान दोनों परीक्षणों को संतुष्ट करता है। हम उनके निवेदन से सहमत हैं, क्योंकि आयकर अधिनियम, *1961* की धारा *139* एए निम्नलिखित ब्याज की रक्षा करना चाहती हैः

"आयकर अधिनियम में संशोधन के माध्यम से आधार संख्या को पैन से जोड़ने की आवश्यकता के माध्यम से आयकर चोरी को रोकने के लिए। "

419. पैन संख्या उद्धृत करने/प्रस्तुत करने की अनिवार्य आवश्यकता नियम *114* और प्रपत्र *49* ए में दी गई है। यह अनिवार्य करते हुए कि "प्रत्येक व्यक्ति", *(*अधिनियम की धारा *2 (31)* के तहत परिभाषित "व्यक्ति" शब्द*)*, पैन के लिए आवेदन करेगा और प्राप्त करेगा, विधायिका ने इस आवश्यकता के लिए भी प्रावधान किया कि आयकर नियमों के नियम *114* में प्रत्येक "व्यक्ति" को ऐसी संख्या कैसे दी जाएगी, जिसका प्रासंगिक भाग नियम *114 (1)* है। अनिवार्य आवश्यकता *(*जो *1989* से अस्तित्व में है*)* और सभी "व्यक्तियों" के लिए, कई तथ्यों का पालन करते हुए

खुलासा किए जाने की आवश्यकता थी और इस तरह का खुलासा जनसांख्यिकीय विवरण और बायोमेट्रिक्स यानी बाएं अंगूठे की छाप/हस्ताक्षर सहित सार्वजनिक हित में था/है।

420. संसद ने "वैध राज्य हित" के साथ-साथ "व्यापक सार्वजनिक हित" को ध्यान में रखते हुए अब धारा *139* एए पेश की है जो केवल धारा *139* ए का विस्तार है जिसके लिए धारा *139* ए को जोड़ने की आवश्यकता है।

आधार संख्या के साथ पैन संख्या जो एक मजबूत प्रौद्योगिकी समाधान की मदद से प्रणाली से डुप्लिकेट पैन को समाप्त करने के उद्देश्य से अधिनियम के तहत जारी की जाती है। इसलिए, जिनके पास पैन संख्या है और जिन्होंने पहले ही पैन संख्या प्राप्त करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान कर दी है, वे "गोपनीयता" के आधार पर आधार के लिए आवश्यक किसी भी डेटा को रोकने की कोई वैध अपेक्षा रखने का दावा नहीं कर सकते हैं।

421. उत्तरदाताओं ने प्रतिवादी संख्या के सामान्य अतिरिक्त हलफनामे में अनुभवजन्य डेटा के साथ प्रदर्शन किया है। *1* और *3* "वैध राज्य हित" और "व्यापक सार्वजनिक हित" का अस्तित्व। एक अद्वितीय पहचानकर्ता

होने के नाते, फर्जी या डुप्लिकेट पैन की समस्या से अधिक व्यवस्थित और पूर्ण-प्रमाण तरीके से निपटा जा सकता है *(*हालांकि, संविधान के अनुच्छेद *14* और *19* के संदर्भ में, लेकिन साथ ही, वैध राज्य हित के दृष्टिकोण से भी प्रासंगिक*)*। बिनॉय विश्वम में इस पहलू पर चर्चा इस प्रकार हैः

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

" 60.2 . पैन करदाता से संबंधित सभी कम्प्यूटरीकृत अभिलेखों की कुंजी या पहचानकर्ता है। पैन प्राप्त करने की आवश्यकता है -

अधिनियम की धारा *139*-ए के माध्यम से अनिवार्य। पैन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया नियमों के नियम *114* में निर्धारित की गई है। पैन आवेदन के लिए निर्धारित प्रपत्र भारतीय और विदेशी नागरिकों/संस्थाओं के लिए प्रपत्र *49*-ए और प्रपत्र *49* एए हैं। निर्दिष्ट सीमा से ऊपर के कुछ लेनदेन के लिए पैन का उद्धरण अनिवार्य किया गया है।

नियमों के नियम *114*-बी में मूल्य।

60.3 . एक निर्धारिती के लिए एक पैन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, यह

पैन की विशिष्टता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पैन की विशिष्टता नए आवेदक द्वारा प्रस्तुत डेटा के खिलाफ पहले से ही आवंटित सभी पैन पर एक डी-डुप्लिकेशन जांच करके प्राप्त की जाती है। पैन की मौजूदा प्रणाली के तहत केवल जनसांख्यिकीय डेटा लिया जाता है। डी-डुप्लिकेशन प्रक्रिया एक ध्वन्यात्मक एल्गोरिदम का उपयोग करके की जाती है जिसके द्वारा आवेदक के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग और स्थिति के डेटा का उपयोग करके प्रत्येक आवेदक के संबंध में एक ध्वन्यात्मक पैन *(*पी. पी. ए. एन.*)* बनाया जाता है। सभी के पी. पी. ए. एन. के मौजूदा सेट के साथ नए उत्पन्न पी. पी. ए. एन. की तुलना करके

निर्धारिती की डुप्लिकेट जांच की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि एक ही व्यक्ति को कई पैन प्राप्त न हों या एक पैन प्राप्त न हो।

उपर्युक्त डी-डुप्लिकेशन प्रक्रिया। जबकि एक व्यक्ति को कई पैन के आवंटन में व्यक्ति की आय को कई पैन में बदलने का जोखिम होता है, जिसके परिणामस्वरूप कर की चोरी होती है, एक ही पैन के कई व्यक्तियों को आवंटन के परिणामस्वरूप एक कर योग्य इकाई के रूप में कई व्यक्तियों की आय का गलत एकत्रीकरण और मूल्यांकन होता है। एकल पैन द्वारा दर्शाया गया।

60.4 . वर्तमान में मूल दस्तावेजों का सत्यापन केवल *0.20* प्रतिशत में किया जाता है।

मामले *(1,00,000* पैन आवेदनों में से *200)* यादृच्छिक आधार पर किए जाते हैं जो काफी कम है। आधार के मामले में, ऑनलाइन आधार प्रमाणीकरण की उपलब्धता के कारण *100%* सत्यापन संभव है।

यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा प्रदान की गई सेवा। पैन डेटाबेस में आधार को जोड़ने से पैन आवंटन प्रक्रिया और अधिक मजबूत होगी।

60.5 . पैन डेटाबेस में आधार संख्या को जोड़ने से डी-डुप्लिकेशन का एक मजबूत तरीका मिलेगा क्योंकि आधार संख्या को फिंगरप्रिंट और आईरिस छवियों के बायोमेट्रिक विशेषताओं का उपयोग करके डी-डुप्लिकेट किया जाता है। द. डुप्लिकेट आधार का उदाहरण लगभग अस्तित्व में नहीं है। आधार को आगे जोड़ने से आयकर विभाग को किसी भी अज्ञात डुप्लिकेट पैन को हटाने में मदद मिलेगी। यह कई व्यक्तियों को आवंटित एक पैन के मामलों के समाधान की सुविधा भी प्रदान करेगा।

XX

XX

XX

104. जहाँ तक विवादित प्रावधान का संबंध है, श्री दातार ने स्वीकार किया था कि उचित वर्गीकरण की पहली कसौटी पूरी हो गई थी क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया था कि व्यक्तिगत निर्धारिती एक अलग वर्ग बनाते हैं और विवादित प्रावधान जो केवल व्यक्तिगत निर्धारिती को लक्षित करता है, इस आधार पर भेदभावपूर्ण नहीं होगा। उनका पूरा जोर इस बात पर था कि अधिनियम की धारा *139*-एए वर्गीकरण के दोहरे परीक्षणों के दूसरे अंग को संतुष्ट नहीं करती थी, क्योंकि उनके अनुसार, इस प्रावधान का उस उद्देश्य के साथ कोई तर्कसंगत संबंध नहीं था जिसे प्राप्त किया जाना था। इस संबंध में, उनका निवेदन था कि यदि प्रावधान का उद्देश्य काले धन के संचलन पर अंकुश लगाना है, तो पैन को आधार के साथ जोड़ने से ऐसा उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि आधार केवल व्यक्तियों के लिए है। उनका कहना था कि केवल वही व्यक्ति हैं जो काला धन पैदा करने या धन शोधन के लिए जिम्मेदार हैं। श्री दातार के प्रस्तुत करने का यही आधार था। हमें इस तरह के निवेदन को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल लगता है।

105. काले धन का पता लगाना या मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाना हर संभव प्रयास होना चाहिए। विभिन्न उपाय किए जा सकते हैं

इस ओर से लिया जाए। यदि उपायों में से एक कर व्यवस्था में आधार की शुरुआत है, तो इसकी निंदा केवल इस कारण से नहीं की जा सकती है कि उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं होगा। इस तरह के खतरे, जिसकी जड़ें गहरी हैं, से निपटने के लिए कई कदम उठाने की आवश्यकता है और उन कार्यों को एक ही समय में शुरू किया जा सकता है। यह इन कार्यों का संयुक्त प्रभाव है जो परिणाम दे सकता है और पृथक रूप से माना जाने वाला प्रत्येक व्यक्तिगत कार्य पर्याप्त नहीं हो सकता है। इसलिए, किसी विशेष उपाय की तर्कसंगतता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि इसका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं है। बेशक, एक निश्चित उद्देश्य है। अकेले इस उद्देश्य के लिए, व्यक्तिगत उपाय का उपहास नहीं किया जा सकता है।

हम पहले ही एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम पर एस. आई. टी. की सिफारिशों पर ध्यान दे चुके हैं।

न्यायमूर्ति एम. बी. शाह के नेतृत्व में काला धन। हमारे पास भी

द्वारा अध्यक्षता समिति द्वारा सुझाए गए उपायों को पुनः प्रस्तुत किया गया सी. बी. डी. टी. के अध्यक्ष ने "भारत में काले धन से निपटने के उपायों" पर चर्चा की

वित्त में प्रवेश करने के लिए किसी व्यक्ति की पहचान का एक एकल प्रमाण व्यावसायिक लेन-देन आदि इस गड़बड़ी को रोकने में एक लंबा रास्ता तय कर सकते हैं।

अभ्यास करें। इसके अलावा, भले ही एकल उद्देश्य के डी-डुप्लिकेशन पैन कार्ड को ध्यान में रखा जाता है, जो पर्याप्त हो सकता है

अनुच्छेद *14* के दूसरे परीक्षण को पूरा करें। यह रिकॉर्ड में आया है कि

11.35 डुप्लिकेट पैन या धोखाधड़ी वाले पैन कार्ड के लाखों मामले हैं।

पहले से ही पता लगाया जा चुका है और इनमें से *10.52* लाख मामले संबंधित हैं

अपनी पहचान दिखाने के लिए दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा। इसकी तलाश की गई। यह तर्क दिया जाए कि डुप्लिकेट/फर्जी पैन कार्ड वाले व्यक्ति पाए गए हैं

मुश्किल से *0.40%* हैं और इसलिए, इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं थी।

प्रावधान। हम प्रतिशत के आंकड़ों से नहीं जा सकते। निरपेक्ष

अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाने और बनाने के लिए इसे छोटा कहा जा सकता है राष्ट्र पर प्रतिकूल प्रभाव। उत्तरदाताओं ने तर्क दिया है कि

आधार यह सुनिश्चित करेगा कि पहचान का दोहराव न हो

बायोमेट्रिक्स इसकी अनुमति नहीं देगा और इसलिए, यह जांच कर सकता है

शेल कंपनियों का भी विकास।

XX

XX

XX

127. निम्नलिखित चर्चा को उद्धृत करना उचित होगा -

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने वर्ष *2011* के लिए अपनी रिपोर्ट में कहाः

लाख करदाता *2005-06* से *340.9* लाख करदाता *2009-10* में
14. 4 प्रतिशत की दर से।

विभाग के पास इसे बढ़ाने के लिए विभिन्न तंत्र उपलब्ध हैं।

निर्धारिती आधार जिसमें निरीक्षण और सर्वेक्षण शामिल हैं,

अन्य कर विभागों और तीसरे पक्ष के साथ जानकारी साझा करना

वार्षिक सूचना विवरणी में उपलब्ध जानकारी। स्वचालन

अधिक क्रॉस-लिंकिंग की सुविधा भी देता है। इनमें से अधिकांश तंत्र *[2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मूल्यांकन अधिकारियों के स्तर पर उपलब्ध हैं। विभाग ने

वृहत स्तर पर इन तंत्रों का समग्र रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है

निर्धारिती आधार में अंतराल का विश्लेषण करना। स्थायी खाता

मार्च *2009* और मार्च *2010* तक जारी की गई संख्या *(*पैन*)*

क्रमशः *807.9* लाख और *958* लाख थे। भरा हुआ रिटर्न

2008-09 और *2009-10* में *326.5* लाख और *340.9* लाख थे

क्रमशः। पैन और रिटर्न की संख्या के बीच का अंतर

2009-10 में *617.1* लाख दर्ज किए गए थे। बोर्ड को पहचान करने की आवश्यकता है

अंतराल के कारण और इस जानकारी का उपयोग उचित रूप से करें

निर्धारिती आधार को बढ़ाना। अंतर जारी करने के कारण हो सकता है

डुप्लिकेट पैन कार्ड और कुछ पैन कार्ड की मृत्यु

धारकों। विभाग को उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है

डुप्लिकेट पैन को हटाने और अद्यतन करने के लिए नियंत्रण मृत निर्धारिती के संबंध में स्थिति। यह महत्वपूर्ण है।

ध्यान दें कि पैन कार्ड धारकों की संख्या में वृद्धि हुई है

117.7 प्रतिशत द्वारा *2005-06* से *2009-10* के बीच जबकि

इसी अवधि में दाखिल किए गए विवरणों की संख्या में वृद्धि हुई है। केवल *14.4* प्रतिशत।

कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह में *128.8* प्रतिशत की वृद्धि हुई है

2005-06 से *2009-10* की अवधि के दौरान। करों में वृद्धि वृद्धि की तुलना में संग्रह लगभग नौ गुना था।

निर्धारिती आधार। यह निरंतर प्रयास होना चाहिए

विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि संपूर्ण निर्धारिती आधार, एक बार सही ढंग से पहचाना गया संपूर्ण कर देयता को विधिवत पूरा कर रहा है।

हालांकि, कोई आश्वासन प्राप्त नहीं किया जा सका कि कर देयता

निर्धारिती का मूल्यांकन किया जा रहा है और ठीक से एकत्र किया जा रहा है। यह

टिप्पणी की पुष्टि पैरा *2.4* में की गई है। *1* इसके अध्याय *2* का

रिपोर्ट करें जहाँ हमने अपनी पहचान के बारे में उल्लेख किया है *19, 230* में *12,842.7* करोड़ रुपये की कर राशि का प्रभार

2008-09 के दौरान ऑडिट किए गए मामले। लेकिन इस तथ्य को देखते हुए कि

हमारा परीक्षण लेखा परीक्षा है, विभाग को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है मौजूदा नियंत्रणों को मजबूत करने की दिशा में

कर संग्रह पर आश्वासन प्राप्त करने की दिशा में कानून।

(जोर दिया गया*)*

28. इसी तरह, वित्त मंत्री ने फरवरी *2013* में अपने बजट भाषण में कर चोरी और एस. ई. आर. आयकर की पेशकश की सीमा का वर्णन किया जो वास्तव में देय है जिससे भारत को लेबल किया गया है।

निम्नलिखित आंकड़ों के साथ गैर-अनुपालन करः

सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

"भारत का कर और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात बहुत कम है और सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर का अनुपात वैकल्पिक नहीं है। हम आपके सामने कुछ आंकड़े यह इंगित करने के लिए रखते हैं कि हमारा प्रत्यक्ष कर संग्रह आय के अनुरूप नहीं है।

और भारतीय अर्थव्यवस्था का उपभोग स्वरूप। इसके विपरीत संगठित क्षेत्र में अनुमानित *4.2* करोड़ लोग कार्यरत हैं।

रोजगार, वेतन आय के लिए विवरणी दाखिल करने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल *1.74* करोड़ है। भारत में अनौपचारिक क्षेत्र के *5.6* करोड़ व्यक्तिगत उद्यमों और छोटे व्यवसाय करने वाली फर्मों की तुलना में, इस श्रेणी द्वारा दाखिल किए गए रिटर्न की संख्या केवल *1.81* करोड़ है। भारत में पंजीकृत *13.94* लाख कंपनियों में से *31-3-2014* तक, *5.97* लाख कंपनियों ने अपना आवेदन दाखिल किया है।

मूल्यांकन वर्ष *2016-17* के लिए विवरणी। *97* लाख में से

जिन कंपनियों ने अब तक मूल्यांकन वर्ष *2016-17* के लिए अपना रिटर्न दाखिल किया है, उनमें से *2.76* लाख कंपनियों ने नुकसान या शून्य आय दिखाई है। *2.85* लाखों कंपनियों ने कर से पहले *1* करोड़ रुपये से कम का लाभ दिखाया है। *28,667* कंपनियों ने

1 करोड़ रुपये से *10* करोड़ रुपये के बीच लाभ दिखाया गया है और केवल *7781* कंपनियों को कर से पहले *10* करोड़ रुपये से अधिक का लाभ हुआ है। कर विवरणी दाखिल करने वाले *3.70* करोड़ व्यक्तियों में से

2015-16 में, *99* लाख रुपये प्रति वर्ष *2.50* लाख रुपये की छूट सीमा से कम आय दर्शाते हैं। एक करोड़ *95* लाख लोगों की आय ढाई से पांच लाख रुपये के बीच है, *52* लाख लोगों की आय पांच से दस लाख रुपये के बीच है और केवल *24* लाख लोगों की आय दस लाख रुपये से अधिक है। *5* लाख रुपये से अधिक की आय घोषित करने वाले *76* लाख व्यक्तिगत करदाताओं में से *56* लाख वेतनभोगी वर्ग में हैं। पूरे देश में *50* लाख से अधिक आय दिखाने वाले लोगों की संख्या है -

केवल *1* लाख *72* हजार। हम इसकी तुलना इस तथ्य से कर सकते हैं कि पिछले पांच वर्षों में सवा करोड़ से अधिक कारें बेची गई हैं, और

वर्ष *2015* में व्यापार या पर्यटन के लिए विदेश जाने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या *2* करोड़ थी। इन सभी आंकड़ों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम काफी हद तक एक कर गैर-अनुपालन समाज हैं। अर्थव्यवस्था में नकदी की प्रधानता लोगों के लिए अपने करों से बचना संभव बनाती है। जब बहुत से लोग करों से बचते हैं, तो उनके हिस्से का बोझ उन लोगों पर पड़ता है जो ईमानदार और अनुपालन करते हैं।

29. उत्तरदाताओं ने यह भी दावा किया है कि आधार को पैन से जोड़ना भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और *[2018] 8* एस. सी. आर. के अनुरूप है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लक्ष्य। इस संबंध में यह बताया गया है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कर अनुपालन में सुधार और इसे लागू करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतर-सरकारी समझौते *(*आई. जी. ए.*)* पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम *(*एफ. ए. टी. सी. ए.*)*। भारत ने कन्वेंशन के अनुच्छेद *6* के आधार पर स्वचालित रूप से जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए *3-6-2015* पर एक बहुपक्षीय समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

कर मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता

सामान्य सूचना योजना *(*सी. आर. एस.*)*, औपचारिक रूप से वित्तीय खाते के स्वचालित आदान-प्रदान के लिए मानक के रूप में संदर्भित

सूचना *(*ए. ई. ओ. आई*)*। एफ. ए. टी. सी. ए. और सी. आर. एस. के तहत भारत की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, वित्तीय क्षेत्र की संस्थाएं पैन का उपयोग करके ग्राहकों के बारे में विवरण प्राप्त करती हैं। यदि पैन या जमा किया गया विवरण गलत या काल्पनिक पाया जाता है, तो यह देश के लिए बड़ी शर्मिंदगी पैदा करेगा। गैर-फाइलर निगरानी के अंतर्गत

और आयकर विवरणी जमा करने का विवरण जानना चाहते हैं। बड़ी संख्या में मामलों में *(*हर साल *10* लाख से अधिक पैन*)* यह देखा गया है कि पैन धारक न तो जवाब जमा करता है और कई मामलों में पत्र बिना सेवा के वापस कर दिए जाते हैं। फील्ड फॉर्मेशन द्वारा फील्ड वेरिफिकेशन में पाया गया है कि बड़ी संख्या में पैन धारक का पता नहीं चल पाता है। कई मामलों में पैन धारक उल्लेख है कि लेन-देन उनसे संबंधित नहीं है। पैन को आधार/बायोमेट्रिक से जोड़कर उसे मजबूत करने की आवश्यकता है

उच्च मूल्य के लिए गलत पैन के उपयोग को रोकने के लिए जानकारी

लेनदेन "।

422. आनुपातिकता के पहलू को ध्यान में रखते हुए, यहाँ फिर से संविधान के अनुच्छेद *19* के संदर्भ में बिनॉय विश्वम में विशिष्ट चर्चा की गई है। न्यायालय ने आनुपातिकता के सिद्धांत को लागू करने के बाद विशेष रूप से यह अभिनिर्धारित किया कि

क्षेत्रीयता परीक्षण लागू किया गया था। उक्त में चर्चा के बाद

नेन्ट इस प्रस्ताव को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करेगाः

" 65. बेघरों के लिए रात्रि आश्रय और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भोजन के अधिकार से संबंधित जनहित याचिकाओं की निगरानी करते हुए, इस न्यायालय ने एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम के प्रयासों की सराहना और सराहना की है।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

राज्य सरकारें अन्य बातों के साथ-साथ बायोमीट्रिक बनाने के लिए समाप्त करने के लिए प्रत्येक घर के परिवार के मुखिया की पहचान

काल्पनिक, फर्जी और अयोग्य बी. पी. एल./ए. ए. वाई. घरेलू कार्ड।

XX

XX

XX

125.2 . भ्रष्टाचार और काले धन का खतरा बढ़ गया है।

इस देश में खतरनाक अनुपात। यह अर्थव्यवस्था को खा रहा है

व्यावसायिक लेन-देन। इस वजह से देने के कई तरीके हैं पहचान के प्रमाण, वर्तमान में कोई तंत्र/प्रणाली नहीं है

प्रत्येक स्वतंत्र प्रमाण के साथ उपलब्ध डेटा एकत्र करें

आई. डी. इस कारण से एस. आई. टी. ने भी सुझाव दिया कि ये डेटाबेस

आपस में जुड़े हुए। उसी प्रभाव के लिए सिफारिश की जाती है इससे निपटने के उपायों पर सीबीडीटी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति

भारत और विदेशों में काला धन जो इस समस्या पर भी चर्चा करता है

करों से बचने के लिए धनशोधन किया जा रहा है कई फर्जी पैन रखने वाले व्यक्तियों द्वारा नकली कंपनियाँ

अलग-अलग नामों या उनके नामों की विविधताओं के तहत संख्याएँ। कि

यह संभव हो सकता है यदि पहचान का एक समान प्रमाण, अर्थात् यू. आई. डी. अपनाया गया। यह जांच करने और उक्त को कम करने के लिए एक लंबा रास्ता तय कर सकता है।

अस्वस्थता।

125.3 . तीसरा, आधार या यू. आई. डी., जिसे आधार के नाम से जाना जाता है।

सबसे उन्नत और परिष्कृत बुनियादी ढांचा, सुविधा प्रदान कर सकता है

कानून-प्रवर्तन एजेंसियां आतंकवाद की समस्या का समाधान करेंगी कुछ हद तक और अपराध की जाँच में भी सहायक हो सकता है और

अपराधों पर नकेल कसने में जांच एजेंसियों की भी मदद करें। कोई शक नहीं, उपरोक्त के अनुसार जा रहा है, और कुछ अन्य समान रूप से मान्य हो सकता है

विचार करते हुए, यह सरकार का इरादा है कि इसे बढ़ावा दिया जाए आधार आंदोलन और इस देश के लोगों को प्रोत्साहित करना

आधार योजना के तहत अपना नामांकन करें।

126. क्या ऐसी योजना स्वैच्छिक बनी रहनी चाहिए या यह हो सकती है

लोगों पर *[2018] 8* एस. सी. आर. होना अनिवार्य बनाया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आधार द्वारा कवर किया गया एक अलग प्रश्न है जिसे उचित स्तर पर संबोधित किया जाएगा। इस मोड़ पर, इस बात पर जोर दिया जाता है कि दुर्भावना को इस योजना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। किसी भी मामले में, हम आयकर अधिनियम, *1961* की धारा *139*-एए के अधिकारों से चिंतित हैं जो एक वैधानिक प्रावधान है। यह
इस प्रकार, न्यायालय विधान की न्यायिक समीक्षा के पहलू से निपटता है। जहां तक इस प्रावधान का संबंध है, काउंटर-एफिडेविट में उत्तरदाताओं का स्पष्टीकरण, जो पहले ही ऊपर पुनः प्रस्तुत किया जा चुका है, यह है कि

इस प्रावधान को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य काल्पनिक नामों में प्राप्त कई पैन कार्डों की समस्या का समाधान करना था। नकली नामों में ऐसे कई कार्ड धन शोधन में लिप्त होने के उद्देश्य से प्राप्त किए जाते हैं।

पैन के आवंटन के लिए आधार को अपना कर सुनिश्चित किया जाए
व्यक्तियों। आज तक, यह एकमात्र उपलब्ध तरीका है यानी मौजूदा पैन को आधार के साथ जोड़कर। इसे पैन डेटाबेस के डी-डुप्लिकेशन का सबसे अच्छा तरीका और एकमात्र मजबूत तरीका माना जाता है। उत्तरदाताओं द्वारा यह दावा किया जाता है कि डुप्लिकेट आधार का उदाहरण लगभग अस्तित्व में नहीं है। यह भी दावा किया जाता है कि पैन को आधार के साथ जोड़ने से कर चोरी को रोकने और कर में उन व्यक्तियों को शामिल करके कर मामले को व्यापक बनाने में योगदान मिल सकता है जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं लेकिन जानबूझकर ऐसा करने से बचते हैं।

99

बड़ी संख्या में पैन धारक लेन-देन को पैन से जोड़ने से रोकने के लिए निर्धारित लेनदेन में अपने पैन का उल्लेख नहीं करते हैं। द. आधार संख्या और फॉर्म *61* में बताए गए व्यक्ति के नाम का मिलान करके विश्लेषण किया गया था *(*जो केवल आधार संख्या को जोड़ने के कारण संभव था*)*।

आधार के साथ वित्तीय लेनदेन*/*खाते*)* और आईटीडी पैन डेटाबेस में उपलब्ध इकाई का नाम *(*पैन को आधार के साथ जोड़ने के कारण संभव*)*। इस विश्लेषण ने फॉर्म *61 (*वित्त वर्ष *2016-17* और वित्त वर्ष *2017-18* से संबंधित*)* के माध्यम से रिपोर्ट किए गए *1.65* करोड़ गैर-पैन लेनदेन की पहचान की, जहां लेन-देन करने वाले पक्ष का पैन पैन डेटाबेस में मौजूद था और जानबूझकर गलत फॉर्म दाखिल करने का उल्लेख नहीं किया गया था।

ये न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

लेन-देन लगभग रु। *33,000* करोड़ *(*सूचित लेनदेन राशि के आधार पर*)*। यह अघोषित उच्च मूल्य के लेन-देन की राशि है जिसका पता नहीं चला होता अगर इसे आधार से नहीं जोड़ा जाता। इसी तरह के मिलान ने वित्तीय लेनदेन विवरण *(*एस. एफ. टी.*)* के तहत रिपोर्ट किए गए *1* लाख *12* हजार गैर-पैन लेनदेन में भी पैन को आबाद करने में मदद की है। रिपोर्ट किए गए अधिकांश गैर-पैन लेनदेन नकद में जमा, समय जमा में निवेश, अचल संपत्ति की बिक्री, अचल संपत्ति की खरीद और खाता खोलना *(*बचत और समय जमा के अलावा*)* के आसपास हैं। इस प्रकार पैन को आधार से जोड़ा जाएगा।

देश के राजस्व के वैध संग्रह को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना।

424. उपरोक्त विचार के साथ-साथ ऊपर उल्लिखित अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, हम महसूस करते हैं कि जहां तक आयकर अधिनियम की धारा *139* एए का संबंध है, आधार के रूप में डेटा के संग्रह और भंडारण और इसे पैन से जोड़ने के लिए राज्य के पास एक उचित कारण है। हम के. एस. पुट्टास्वामी निर्णय के पैरा *311* को पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे, जो इस प्रकार हैः

"311. राष्ट्रीय सुरक्षा के अलावा, राज्य के पास डेटा के संग्रह और भंडारण के लिए उचित कारण हो सकते हैं। समाज कल्याण राज्य में, सरकार ऐसे कार्यक्रम शुरू करती है जो

समाज के गरीब और हाशिए पर पड़े वर्गों को लाभ। दुर्लभ सार्वजनिक संसाधनों को सुनिश्चित करने में राज्य का महत्वपूर्ण हित है

उन व्यक्तियों को संसाधनों के हस्तांतरण से नष्ट नहीं होते हैं जो प्राप्तकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं। मानव के लिए संसाधनों का आवंटन

विकास एक वैध चिंता के साथ जुड़ा हुआ है कि संसाधनों का उपयोग बाहरी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। वैध लाभार्थियों के लिए संसाधनों को ठीक से तैनात करना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डेटा माइनिंग राज्य के लिए प्रामाणिक डेटा के संग्रह पर जोर देने का एक वैध आधार है। लेकिन, राज्य ने जो डेटा एकत्र किया है, उसका उपयोग वैध उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए

राज्य का और बाहरी उद्देश्यों के लिए अनधिकृत रूप से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य की वैध चिंताओं की विधिवत रक्षा की जाए और साथ ही, गोपनीयता संबंधी चिंताओं की रक्षा की जाए। अपराध की रोकथाम और जांच और राजस्व की सुरक्षा राज्य के वैध उद्देश्यों में से हैं। समाज कल्याण राज्य में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म एक महत्वपूर्ण साधन हैं। वैध रूप से तैनात सूचना प्रौद्योगिकी प्रसार में एक शक्तिशाली प्रवर्तक है

नवाचार और ज्ञान। *"[2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

425. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम के निम्नलिखित अंश। संघ का

, विधि और अन्य मंत्रालय। *154* इस संबंध में भी प्रासंगिक हो सकता है

इन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" 122. मद्रास राज्य बनाम। वी. जी. रो, न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि

तर्कसंगतता का परीक्षण, जहाँ भी निर्धारित किया जाए, लागू किया जाना चाहिए प्रत्येक व्यक्तिगत क़ानून के लिए जो आक्षेपित है और कोई अमूर्त मानक नहीं है, या

तर्कसंगतता के सामान्य स्वरूप को लागू होने पर निर्धारित किया जा सकता है।

सभी मामलों में। कथित रूप से उल्लंघन किए गए अधिकार की प्रकृति, लगाए गए प्रतिबंधों का अंतर्निहित उद्देश्य, सीमा और

अधिरोपण, उस समय की प्रचलित शर्तें, सभी होनी चाहिए न्यायिक निर्णय में प्रवेश करें।

XX

XX

XX

130. उचित प्रतिबंध के संबंध में सिद्धांत जो किए गए हैं

इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर कहा गया है कि प्रतिबंध होना चाहिए

अत्यधिक और जनहित में नहीं होना चाहिए। कानून नहीं होना चाहिए

अमूर्त मानक या सामान्य पैटर्न। इस पर निर्भर करता है कि अधिकार की प्रकृति जिसका उल्लंघन किया गया है या जिसकी मांग की गई है

उल्लंघन किया गया। अंतिम "प्रभाव", अर्थात, अधिकार पर प्रभाव पड़ता है

तय करें। "प्रभाव सिद्धांत" या "अपरिहार्य" का सिद्धांत

प्रभाव "या" अपरिहार्य परिणाम "विरोधाभासी है

किसी विधान या वैधानिक प्रावधान का दुरुपयोग या दुरुपयोग

मामले की परिस्थितियों पर। की प्रचलित स्थितियाँ

समय और संयम की आनुपातिकता के सिद्धांत होने चाहिए

एक की संवैधानिकता का निर्णय करते समय न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा गया

अधिकार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रावधान। प्रकृति.

किसी अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंध की तर्कसंगतता पर विचार करना। सामाजिक हित के सिद्धांत में समाज की महसूस की गई ज़रूरतें शामिल होंगी।

समाज।

XX

XX

XX

194. इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि जब कोई कानून किसी संविधान को सीमित करता है।

सही जो कई कानून करते हैं, ऐसी सीमा संवैधानिक है यदि

आनुपातिक। प्रतिबंध लगाने वाला कानून आनुपातिक है यदि यह है

मनमाना या आवश्यकता से परे अत्यधिक प्रकृति का जनता का हित। तर्कसंगतता को संदर्भ के साथ आंका जाता है

उद्देश्य जिसे कानून प्राप्त करना चाहता है, और नहीं होना चाहिए

उस उद्देश्य से अधिक होना *(*पी. पी. एंटरप्राइजेज वी. देखें। संघ का भारत*)*। इसके अलावा, तर्कसंगतता की जांच एक उद्देश्य में की जाती है।

आम जनता के हित के दृष्टिकोण से

और उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से नहीं जिस पर

प्रतिबंध लगाए जाते हैं या अमूर्त विचार किए जाते हैं *(*मोहम्मद देखें। हनीफ कुरेशी बनाम। बिहार राज्य*)*

मामले की स्वतंत्र जांच पर, उपरोक्त अभ्यास

बिनॉय विश्वम में लिए गए शब्द की पुष्टि इस प्रकार की जाती है जैसे हम कर रहे हैंइसके साथ। इस प्रकार हम मानते हैं कि धारा *139* एए के प्रावधान

आयकर अधिनियम, *1961* निजता के अधिकार की तिहरी कसौटी पर खरा उतरता है।

के. एस. पुट्टास्वामी।

धन शोधन रोकथाम नियमः

426. याचिकाकर्ताओं ने नियम *9* में संशोधन को चुनौती दी है

धन शोधन *(*अभिलेखों का रखरखाव*)* नियम, *2005,*

एस, *2005)* जिसे धन शोधन की रोकथाम द्वारा संशोधित किया गया था

अभिलेखों का रखरखाव*)* सातवां संशोधन नियम, *2017*। पूर्वनिर्धारित नियमों के नियम *9* को द्वितीय संशोधन नियम, *2017* द्वारा संशोधित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित परिवर्धन किए गए हैं। संशोधन इस प्रकार हैः

"(ख) नियम *9* में, उप-नियम *(4)* से उप-नियम *(9)* के लिए, निम्नलिखित उप-नियम

नियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः

(4) जहां ग्राहक एक व्यक्ति है, जो आधार संख्या के लिए नामांकित होने का पात्र है, वह उप-नियम *(1)* के उद्देश्य के लिए होगा।

रिपोर्टिंग इकाई को प्रस्तुत करें,

(क) विशिष्ट पहचान द्वारा जारी आधार संख्या

भारतीय प्राधिकरण; और *(ख)* स्थायी खाता संख्या या प्रपत्र संख्या *60* जैसा कि परिभाषित किया गया है।

आयकर नियम, *1962* में, और ऐसे अन्य दस्तावेजों की प्रकृति के संबंध में

बशर्ते कि जहां आधार संख्या निर्धारित नहीं की गई हो

ग्राहक को आधार के लिए नामांकन के आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा और यदि स्थायी खाता संख्या प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो 'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज' की एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाएगी।

बशर्ते कि उप-नियम *(1)* के खंड *(*बी*)* के तहत आने वाले ग्राहक द्वारा फोटो जमा करने की आवश्यकता न हो।

(4 ए*)* जहां ग्राहक एक व्यक्ति है, जो आधार संख्या के लिए नामांकित होने के योग्य नहीं है, वह निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए होगाः

नियम *(1),* आयकर नियम, *1962* में परिभाषित स्थायी खाता संख्या या प्रपत्र संख्या *60* रिपोर्ट करने वाली संस्था को प्रस्तुत करें: बशर्ते कि यदि ग्राहक स्थायी खाता संख्या जमा नहीं करता है, तो वह एक 'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज' की एक प्रमाणित प्रति जमा करेगा, जिसमें उसकी पहचान और पते का विवरण होगा, एक हालिया तस्वीर और ऐसे अन्य दस्तावेज जिनमें ग्राहक की प्रकृति या व्यवसाय और वित्तीय स्थिति के संबंध में विवरण देने वाली संस्था द्वारा आवश्यक हो।

कंपनी को खाता खोलने के लिए फॉर्म पर स्वप्रमाणित फोटो और हस्ताक्षर या अंगूठे का प्रिंट लगाने पर ऐसा खाता खोलने की अनुमति दी जा सकती है। बशर्ते कि

(i) बैंकिंग कंपनी का नामित अधिकारी, छोटा खाता खोलते समय, अपने हस्ताक्षर के तहत प्रमाणित करता है कि वह व्यक्ति खाता खोलने पर, जैसा भी मामला हो, अपनी उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगा दिया है*;*

((ii) छोटा खाता केवल कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से जुड़ी बैंकिंग कंपनी की शाखाओं में या उस शाखा में खोला जाएगा जहां वह है।

हाथ से निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना संभव है कि विदेशी प्रेषण को एक छोटे से खाते में जमा नहीं किया जाता है और लेनदेन की अनुमति देने से पहले ऐसे खातों में लेनदेन और शेष राशि के मासिक और वार्षिक कुल पर निर्धारित सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाता है*;* एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

चौबीस महीने के बाद उक्त खाते का सम्मान; *((iv)* छोटे खाते की निगरानी की जाएगी और जब धन शोधन या आतंकवाद या अन्य के वित्तपोषण का संदेह होगा।

उच्च जोखिम वाले परिदृश्यों में, ग्राहक की पहचान आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों के उत्पादन के माध्यम से स्थापित की जाएगी, जैसा कि उप नियम *(4)* में संदर्भित है और ग्राहक की आधार संख्या या जहां ग्राहक को आधार संख्या नहीं दी गई है, आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज के साथ आधार के लिए नामांकन के लिए आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत करके;

बशर्ते कि यदि ग्राहक आधार संख्या के लिए नामांकित होने का पात्र नहीं है, तो ग्राहक की पहचान आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज पेश करने के माध्यम से स्थापित की जाएगी।

(v) विदेशी प्रेषण को छोटे खाते में तब तक जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि ग्राहक की पहचान पूरी तरह से आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों के उत्पादन के माध्यम से स्थापित नहीं हो जाती है, जैसा कि उप-नियम *(4)* में संदर्भित है और ग्राहक की आधार संख्या या जहां ग्राहक को आधार संख्या नहीं दी गई है।

नामांकन के लिए आवेदन के प्रमाण का उत्पादन

आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज के साथ आधारः बशर्ते कि यदि ग्राहक आधार संख्या के लिए नामांकित होने के योग्य नहीं है, तो ग्राहक की पहचान इसके माध्यम से स्थापित की जाएगी।

आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ का उत्पादन। *(6)* जहां ग्राहक एक कंपनी है, वह उप नियम *(1)* के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां रिपोर्टिंग इकाई को प्रस्तुत करेगीः

((i) निगमन का प्रमाण पत्र; *((ii)* ज्ञापन और संघ के लेख;

(iii) निदेशक मंडल और पावर ऑफ अटॉर्नी का एक प्रस्ताव।

इसके प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को इस पर लेन-देन करने के लिए दिया गया

((क) आधार संख्या; और *(ख)* आयकर नियम, *1962* में परिभाषित स्थायी खाता संख्या या प्रपत्र *60,*

कंपनी की ओर से लेन-देन करने के लिए एक वकील रखने वाले प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को जारी किया गया या जहां आधार संख्या नहीं दी गई है, आधार के लिए नामांकन के लिए आवेदन का प्रमाण और यदि स्थायी खाता संख्या जमा नहीं की गई है तो आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगाः बशर्ते कि इस खंड के प्रयोजन के लिए यदि प्रबंधक,

लेन-देन करने के लिए एक वकील रखने वाले अधिकारी या कर्मचारी कंपनी की ओर से आधार संख्या के लिए नामांकित होने के लिए पात्र नहीं हैं और स्थायी खाता संख्या जमा नहीं करते हैं, आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाएगी।

(7) जहां ग्राहक एक साझेदारी फर्म है, वह उप-नियम *(1)* के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां रिपोर्टिंग इकाई को प्रस्तुत करेगीः

((i) पंजीकरण प्रमाणपत्र*;*

*((*ख*)* साझेदारी विलेख और

*((*क*)* आधार संख्या*;* और *(बी)* स्थायी खाता संख्या या फॉर्म *60* जैसा कि आयकर नियम*, 1962* में परिभाषित किया गया है*,*

अपनी ओर से लेन-देन करने के लिए वकील रखने वाले व्यक्ति को जारी किया गया या जहां आधार संख्या नहीं दी गई है, आधार के लिए नामांकन के लिए आवेदन का प्रमाण और यदि स्थायी खाता संख्या जमा नहीं की गई है तो आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगाः

बशर्ते कि इस खंड के प्रयोजन के लिए, यदि धारण करने वाला व्यक्ति

कंपनी की ओर से लेन-देन करने वाला वकील आधार संख्या के लिए नामांकित होने का पात्र नहीं है और स्थायी खाता संख्या जमा नहीं करता है, आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाएगी।

(8) जहां ग्राहक एक न्यास है, वह उप-नियम *(1)* के प्रयोजनों के लिए प्रतिवेदन देने वाली संस्था को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करेगाः

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

((i) पंजीकरण प्रमाणपत्र*;*

(बी) स्थायी खाता संख्या या फॉर्म *60* जैसा कि में परिभाषित किया गया है आय कर नियम*, 1962,*

उसकी ओर से लेन-देन करने के लिए एक वकील रखने वाले व्यक्ति को जारी किया गया

या जहाँ आधार संख्या नहीं दी गई है, उसका प्रमाण आधार के लिए नामांकन के लिए आवेदन और स्थायी मामले में

खाता संख्या आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है।

प्रस्तुत किया जाएगाः

बशर्ते कि इस खंड के प्रयोजन के लिए यदि व्यक्ति

कंपनी की ओर से लेन-देन करने के लिए एक वकील रखना नहीं है आधार संख्या के लिए नामांकित होने के लिए पात्र है और जमा नहीं करता है

स्थायी खाता संख्या, आधिकारिक रूप से एक प्रमाणित प्रति वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत किया जाएगा।

निम्नलिखित दस्तावेजों में से: *((i)* ऐसे संघ या व्यक्तियों के निकाय के प्रबंध निकाय का संकल्प;

((ii) उसकी ओर से लेन-देन करने के लिए उसे दी गई वकील की शक्ति;

*((*क*)* आधार संख्या; और *(* बी*)* स्थायी खाता संख्या या फॉर्म *60* जैसा कि में परिभाषित किया गया है

आय कर नियम, *1962*,

उसकी ओर से लेन-देन करने के लिए एक वकील रखने वाले व्यक्ति को जारी किया गया या जहां आधार संख्या नहीं दी गई है,

आधार के लिए नामांकन के लिए आवेदन और मामले में

स्थायी खाता संख्या आधिकारिक रूप से मान्य जमा नहीं की गई है दस्तावेज़ प्रस्तुत किया जाएगा; और

((iv) ऐसी जानकारी जो रिपोर्टिंग इकाई द्वारा सामूहिक रूप से ऐसे संघ के कानूनी अस्तित्व को स्थापित करने के लिए आवश्यक हो सकती है या व्यक्तियों का निकाय:

बशर्ते कि इस खंड के प्रयोजन के लिए यदि व्यक्ति *[2018] 8* एस. सी. आर. धारण करता है।

कंपनी की ओर से लेन-देन करने वाला वकील आधार संख्या के लिए नामांकित होने का पात्र नहीं है और स्थायी खाता संख्या जमा नहीं करता है, आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाएगी। *(* ग*)* उप-नियम *(14)* के बाद, निम्नलिखित उप-नियम जोड़े जाएंगे:

अर्थात्,

इस नियम के प्रावधानों के तहत संख्या, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा या हां/नहीं प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करके प्रमाणीकरण करेगी।
(16) यदि नियम *9* के उप-नियम *(4)* से *(9)* में निर्दिष्ट ग्राहक निवासी नहीं है या जम्मू और कश्मीर, असम या मेघालय राज्यों का निवासी है और स्थायी खाता संख्या जमा नहीं करता है, तो ग्राहक अपनी पहचान और पते का विवरण, एक हालिया तस्वीर और ऐसे अन्य दस्तावेज़ वाली आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ की एक प्रमाणित प्रति रिपोर्टिंग इकाई को प्रस्तुत करेगा।

व्यवसाय की प्रकृति और वित्तीय स्थिति के संबंध में।

क्लाइंट की जो रिपोर्टिंग इकाई द्वारा आवश्यक हो सकती है।

(17) (क*)* यदि ग्राहक, आधार के लिए नामांकित होने और नियम *9* के उप-नियम *(4)* से *(9)* में निर्दिष्ट स्थायी खाता संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, तो वह आधार संख्या या आधार संख्या जमा नहीं करता है।

स्थायी खाता संख्या एक रिपोर्टिंग इकाई के साथ खाता आधारित संबंध शुरू होने के समय, ग्राहक खाता आधारित संबंध शुरू होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर इसे जमा करेगाः

बशर्ते कि ग्राहक, जो आधार के लिए नामांकित होने और स्थायी खाता संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, जिनके पास पहले से ही इस अधिसूचना की तारीख से पहले रिपोर्टिंग संस्थाओं के साथ खाता आधारित संबंध हैं, वे *31* दिसंबर, *2017* तक आधार संख्या और स्थायी खाता संख्या जमा करेंगे। *(* ख*)* आधार *(*नामांकन और अद्यतन*)* विनियम, *2016* के विनियम *12* के अनुसार, राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों में स्थानीय अधिकारी आधार नामांकन के लिए यू. आई. डी. ए. आई. के पंजीयक बन गए हैं या बनने की प्रक्रिया में हैं।

और यू. आई. डी. ए. आई. और खाता शुरू करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के परामर्श से नामांकन सुविधाएं प्रदान करने के लिए सुविधाजनक स्थानों पर विशेष आधार नामांकन शिविर आयोजित कर रहे हैं।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

इस नियम में दिए गए संबंध के आधार पर, जिनके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने अभी तक आधार के लिए पंजीकरण नहीं कराया है,

आधार के लिए ऐसे विशेष आधार नामांकन शिविरों में भी जाएँ
नामांकन या आसपास के किसी भी आधार नामांकन केंद्र में

यू. आई. डी. ए. आई. के मौजूदा पंजीयकों के साथ।

(ग*)* यदि ग्राहक आधार संख्या जमा करने में विफल रहता है और

उपरोक्त छह महीने के भीतर स्थायी खाता संख्या
इस अवधि में, ग्राहक द्वारा आधार संख्या और स्थायी खाता संख्या जमा किए जाने तक उक्त खाता चालू नहीं रहेगाः

बशर्ते कि यदि ग्राहक के पास पहले से ही खाता हो

इस तारीख से पहले रिपोर्टिंग संस्थाओं के साथ आधारित संबंध

अधिसूचना *31* दिसंबर, *2017* तक आधार संख्या और स्थायी खाता संख्या जमा करने में विफल रहती है, उक्त खाता

स्थायी खाता संख्या ग्राहक द्वारा प्रस्तुत की जाती है।
(18) यदि आधार संख्या से संबंधित पहचान की जानकारी है

या नियम *9* के उप-नियम *(4)* से *(9)* में निर्दिष्ट ग्राहक द्वारा प्रस्तुत स्थायी खाता संख्या में ग्राहक का वर्तमान पता नहीं है, ग्राहक को आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे
रिपोर्टिंग इकाई "।

जैसा कि ऊपर से देखा जा सकता है, आधार को बैंक खाते से जोड़ना अब अनिवार्य हो गया है। यह केवल उन बैंक खातों पर ही लागू नहीं होता है

जो संशोधन को लागू करने के बाद खोला जाएगा, लेकिन यहां तक कि मौजूदा खाते भी।

427. बैंकिंग खाते को आधार से जोड़ने को संविधान के अनुच्छेद *14,19 (1) (*जी*)* और *21* और धन शोधन निवारण अधिनियम, *2002* के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी गई है। विस्तृत प्रस्तुतियाँ थीं

श्री अरविंद दातार द्वारा उपरोक्त पहलुओं पर किया गया। यह तर्क दिया गया था कि

वे व्यक्ति जो आधार संख्या के लिए नामांकन करने का विकल्प नहीं चुनते हैं, वे बैंक खाता खोलने या मौजूदा बैंक खाते को संचालित करने की स्थिति में नहीं होंगे और इस बारे में कोई वैध स्पष्टीकरण नहीं है कि सभी बैंक खातों को प्रमाणित क्यों करना पड़ा। यह भी तर्क दिया गया कि नियम के प्रावधान कंपनियों, फर्मों, ट्रस्ट आदि को भी संदर्भित करते हैं, हालांकि आधार अधिनियम केवल व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने के लिए है। यह आगे था

प्रस्तुत किया कि यदि कोई व्यक्ति आधार को बैंक खाते से जोड़ने में विफल रहता है, तो ऐसा व्यक्ति बैंक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट को संचालित करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

खाता, जो उस खाते में पड़े उसके पैसे को जब्त करने के बराबर होगा जो उसका है। यह व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करने के बराबर है और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद *300* ए का उल्लंघन है।

क्योंकि इस तरह का अभाव केवल प्राथमिक विधान द्वारा ही हो सकता है न कि नियमों के रूप में अधीनस्थ विधान द्वारा। इस तर्क पर भी बहुत जोर दिया गया कि संशोधित नियम आनुपातिकता परीक्षण में उत्तीर्ण नहीं होता है। *428.* अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उपरोक्त दलीलों का खंडन किया। उन्होंने उस उद्देश्य की ओर इशारा किया जिसके साथ धन शोधन निवारण अधिनियम लागू किया गया था, अर्थात्:

धन शोधन और काले धन पर अंकुश लगाने के लिए, जो एक खतरा बनता जा रहा है। इसलिए, नियमों में संशोधन एक वैध राज्य उद्देश्य को पूरा करता है। उन्होंने तर्क दिया कि नियम मनमाने नहीं हैं और आनुपातिकता को संतुष्ट करते हैं। परीक्षण भी, उस प्रशंसनीय उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिसे वह पूरा करना चाहता है।

429. विभिन्न पहलुओं पर विचारपूर्वक विचार करने के बाद, हम महसूस करते हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए प्रत्येक विवाद से निपटना भी आवश्यक नहीं है। हमारी सुविचारित राय यह है कि यह आनुपातिकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है और किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार का भी उल्लंघन

करता है जो बैंकिंग विवरण तक फैला हुआ है। *430.* इस अदालत ने राम जेठमलानी और अन्य मामलों में फैसला सुनाया है। वी. भारत संघ और अन्य। *155* बिना प्रथम दृष्टया बैंक विवरण का खुलासा

असमान और मनमाना। *431.* कोई भी काला धन बैंक खाते में नहीं रखेगा। हम एक कल्पित नाम से खाता खोलने की संभावना को स्वीकार करते हैं और

उसमें काला धन रखना, जिसका धनशोधन भी किया जा सकता है। हालाँकि, इस तरह के अधिनियम को करने वाले व्यक्ति, यदि बिल्कुल भी हों, तो बहुत कम होंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनके पास मामूली शेष राशि और नियमित रूप से बैंक खाते हैं लेन-देन को सुरक्षित रूप से खारिज किया जा सकता है। इसलिए, वर्तमान रूप में प्रावधान आनुपातिकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। इसलिए, इस संभावित द्वेष को रोकने के लिए, प्रत्येक बैंक खाते को जोड़ने का अनिवार्य प्रावधान नहीं हो सकता है।

155 (2011) 8 एस. सी. सी. *1* न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

432. लाल बाबू हुसैन बनाम। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी

और अन्य *56*, इस न्यायालय ने निर्वाचन अधिकारी के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के निवासियों को सामूहिक रूप से अपनी पहचान साबित करने के लिए कहा गया था।

असंवैधानिक के रूप में। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निर्वाचन अधिकारी एक विशेष क्षेत्र के निवासियों से सामूहिक रूप से उनकी पहचान साबित करने के लिए कहता है असंवैधानिक है। इस मामले में, ई. ओ. इस धारणा पर चला गया कि किसी विशेष क्षेत्र के सभी निवासी विदेशी थे, भले ही उनका नाम पहले की मतदाता सूची में दिखाई दे रहा हो। अदालत ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

(क*)* पहचान के केवल *4* प्रमाणों पर जोर देकर मतदान के अधिकार को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है-मतदाता पहचान के किसी अन्य प्रमाण पर भरोसा कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं।

मतदान का अधिकार।
(ख*)* नोटिसों को रद्द कर दिया गया क्योंकि वे मौजूदा मतदाताओं, जिन्होंने कई बार मतदान किया था और नए मतदाताओं के बीच अंतर करने में विफल रहे।

मतदाता। *(* ग*)*
अवैधता की बड़े पैमाने पर धारणा अस्वीकार्य है।

आनुपातिक होने के लिए: *((i)* यह एक उचित उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट किया गया है; *((ii)* सीमा को प्रभावी बनाने के लिए किए गए उपाय उद्देश्य की पूर्ति से तर्कसंगत रूप से जुड़े हुए हैं; *(iii)* कोई वैकल्पिक कम आक्रामक उपाय नहीं हैं; और *(iv)* उद्देश्य को प्राप्त करने के महत्व और अधिकार को सीमित करने के महत्व के बीच एक उचित संबंध है।

(क) "मनी लॉन्ड्रिंग", "काला धन" का मात्र एक अनुष्ठानिक मंत्र पहली परीक्षा को संतुष्ट नहीं करता है; *(ख)* इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि कैसे प्रत्येक बैंक खाते को अनिवार्य रूप से जोड़ने से बैंक खातों की समस्याओं का उन्मूलन/कमी होगी।

" धन शोधन "और" काला धन ";

(ग) के. वाई. सी. के वैकल्पिक तरीके हैं जो बैंक पहले से ही अपना रहे हैं, राज्य ने अपना बोझ नहीं उठाया है कि आधार को जोड़ना क्यों अनिवार्य है। हम यह इंगित कर सकते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक का अपना मुख्य निर्देश *(*के. वाई. सी. निर्देश, *2016)* नं. *DBR.AML.BC.* संख्या *81/14.01.001/2015-16* बैंक खाते खोलने के लिए आधार के विकल्पों का उपयोग करने की अनुमति देता है।

435. इस तरह के कदम के लिए राज्य का वैध उद्देश्य हो सकता है क्योंकि इसका उद्देश्य धन शोधन और काले धन की रोकथाम करना है। हालांकि,

प्रत्येक बैंक खाते के लिए इस तरह के प्रावधान को लागू करते समय गंभीरता से विचार नहीं किया गया है। आज की दुनिया में वापस खाते को बनाए रखना लगभग एक आवश्यकता बन गई है। सरकार ने स्वयं इसके लाभों का प्रचार किया है और लोगों को प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत शून्य शेष राशि के साथ भी बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए गए। इन योजनाओं के तहत लाखों लोग, जो अन्यथा गरीब हैं, अपने बैंक खाते खोल रहे हैं। वे अपने बैंकों के माध्यम से लेनदेन करने और यहां तक कि बैंक खातों के संचालन के लिए डिजिटल मोड का उपयोग करने की अच्छी प्रथा के भी आदी हो रहे हैं। धनशोधन या काले धन पर रोक लगाने के नाम पर ऐसे सभी और अन्य व्यक्तियों के लिए आधार की आवश्यकता को अनिवार्य बनाना सरासर अनुचित है। धन शोधन में लिप्त व्यक्तियों द्वारा अपनाए गए तरीकों, ऐसे व्यक्तियों द्वारा बनाए गए बैंक खातों के प्रकार और इस उद्देश्य के लिए उन बैंक खातों को लक्षित करने के बारे में उचित अध्ययन किया जाना चाहिए था।

आधार से। यह नहीं किया गया है। *436.* हम, इस प्रकार, सातवें संशोधन नियम, *2017* द्वारा नियम *9* में संशोधन को, वर्तमान रूप में, असंवैधानिक मानते हैं।

मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ना

437. 23 मार्च, *2017* के एक परिपत्र द्वारा दूरसंचार विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी लाइसेंसधारियों को

आधार आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से मौजूदा मोबाइल ग्राहक *(*पूर्व-भुगतान और पोस्ट-भुगतान*)*। ठीक है, यह आधार के साथ मोबाइल कनेक्शन को अनिवार्य रूप से जोड़ने के बराबर है, जो आवश्यकता न केवल उन व्यक्तियों के संबंध में है जो मोबाइल ग्राहक बनने वाले हैं, बल्कि मौजूदा ग्राहकों पर भी लागू होती है।

438. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सिम कार्ड को आधार संख्या से जोड़ना उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन है।

यह न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम है। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

तर्क दिया कि चूंकि यह एक मौलिक अधिकार है, इसलिए उक्त संबंध के रूप में प्रतिबंध/प्रतिबंध के. एस. पुट्टास्वामी में निर्धारित परीक्षणों को संतुष्ट नहीं करते हैं क्योंकि यह न तो किसी कानून द्वारा समर्थित है और न ही यह किसी वैध राज्य उद्देश्य को पूरा करता है और न ही यह आनुपातिकता की आवश्यकता को पूरा करता है। परीक्षण।

439. शुरुआत में, यह उल्लेख किया जा सकता है कि उत्तरदाता कोई भी वैधानिक प्रावधान नहीं दिखा पाए हैं जो अनुमति देता है

उत्तरदाता इस तरह का परिपत्र जारी करें। यह प्रकृति में प्रशासनिक है। हालाँकि, उत्तरदाताओं ने इस आधार पर इसे सही ठहराने की कोशिश की है कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ सिम कार्ड का सत्यापन न होने से गंभीर सुरक्षा खतरे पैदा हुए हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने लोकनीति फाउंडेशन बनाम में निर्देश दिया था। भारत संघ और ए. एन. आर. *157* सिम कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए और उन निर्देशों का पालन करते हुए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण *(*ट्राई*)*

इस कदम की सिफारिश की। इसलिए, उत्तरदाताओं के अनुसार, *23* मार्च, *2017* का परिपत्र उपरोक्त निर्देशों और सिफारिशों का परिणाम है, जिन्हें कानून का समर्थन माना जाना चाहिए। उनके अनुसार इस न्यायालय का निर्देश संविधान के अनुच्छेद *141* के तहत एक कानून है।

संविधान। इसके अलावा, यह भी तर्क दिया जाता है कि चूंकि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, *1885* की धारा *4* केंद्र सरकार को टेलीग्राफ की स्थापना, रखरखाव और काम करने के लिए लाइसेंस जारी करने का अधिकार देती है, इसलिए शर्त के साथ ऐसे लाइसेंस देना केंद्र सरकार की शक्ति के भीतर है और इसलिए, *23* मार्च, *2017* के परिपत्र को लाइसेंस देने की शर्त के रूप में पढ़ा जा सकता है। इस आधार पर, यह दिखाने का प्रयास किया जाता है कि परिपत्र भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, *1885* की धारा *4* में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है जो कानून का बल है।

440. उत्तरदाताओं की दलीलों की सराहना करने के लिए, हम *23* मार्च, *2017* के परिपत्र के प्रासंगिक हिस्से को पुनः प्रस्तुत करते हैं, जो इस प्रकार हैः

"माननीय उच्चतम न्यायालय ने लोकनीति फाउंडेशन बनाम भारत संघ द्वारा दायर रिट याचिका *(*सी*)* संख्या *607/2016* में पारित अपने आदेश में, विभाग द्वारा जारी "नया टेलीफोन कनेक्शन जारी करने के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया" का संज्ञान लेते हुए कहा है कि "पहचान सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी प्रक्रिया विकसित की गई है, साथ ही नए ग्राहकों के लिए सभी मोबाइल फोन ग्राहकों के पते भी। निकट भविष्य में, और विशेष रूप से, एक वर्ष के भीतर

आज, मौजूदा ग्राहकों के मामले में इसी तरह का सत्यापन पूरा किया जाएगा। यह एक दिशा के बराबर है जिसे पूरा किया जाना है।
एक वर्ष की समय सीमा के भीतर।

2. दूरसंचार उद्योग के साथ विभाग में आई. डी. *1* पर एक बैठक आयोजित की गई जिसमें यू. आई. डी. ए. आई., टी. आर. ए. आई. और पी. एम. ओ. के प्रतिनिधियों ने भी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को लागू करने के लिए आगे की राह पर चर्चा करने के लिए भाग लिया। बैठक में विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श किया गया। उद्योग से प्राप्त सुझावों की विभाग में जांच की गई है।

3. तदनुसार, चर्चाओं पर विचार करने के बाद

बैठक में आयोजित और दूरसंचार उद्योग से प्राप्त सुझावों पर हस्ताक्षर करने वाले को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी देने का निर्देश दिया जाता है कि सभी लाइसेंसधारी सभी मौजूदा मोबाइल का पुनः सत्यापन करेंगे।

आधार आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से अभिदाता *(*प्रीपेड और पोस्टपेड*)* जैसा कि इस कार्यालय पत्र संख्या *800-29/2010-*वीएएस दिनांक *16.08.2016* में उल्लिखित है। बाद में उल्लिखित निर्देश

पैराग्राफ को पूरा करते समय सख्ती से पालन किया जाएगा

पुनः सत्यापन अभ्यास "।

441. पहली बार में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि लोकनीति फाउंडेशन में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया गया है जिसने प्रेरित किया है

संचार मंत्रालय इस परिपत्र को जारी करेगा। परिपत्र के पैराग्राफ *1* में ही कहा गया है कि लोकनीति फाउंडेशन में न्यायालय की टिप्पणियाँ एक निर्देश के बराबर हैं। इस प्रकार, परिपत्र भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, *1885* की धारा *4* के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी नहीं किया गया है *(*हालांकि यह स्वयं इस बात पर बहस योग्य होगा कि क्या धारा *4* ऐसी शक्ति बिल्कुल भी देती है*)*। जहां तक उस मामले में इस अदालत की टिप्पणियों का संबंध है, यह स्पष्ट है कि उक्त संक्षिप्त आदेश में, इस अदालत ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया कि क्या सिम कार्ड को आधार से जोड़ना नागरिकों के गोपनीयता अधिकारों का उल्लंघन होगा। जनहित याचिका के रूप में दायर उस याचिका में इस आशय का अनुरोध किया गया था कि प्रत्येक अभिदाता की पहचान और संख्या का भी सत्यापन किया जाए ताकि अज्ञात और असत्यापित अभिदाताओं को मोबाइल संख्या का दुरुपयोग करने की अनुमति न दी जाए। जवाब में, भारत संघ ने अदालत के ध्यान में लाते हुए जवाबी हलफनामा दायर किया था कि विभाग ने मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी शुरू किया था। एहि कथनक आधार पर एहि न्यायालय द्वारा आदेश पारित कयल गेल छल। लिस, जो तत्काल याचिकाओं का विषय है, उक्त मामले में नहीं उठाया गया था। जाहिर है, न्यायालय ने न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम के आलोक में इस तरह के प्रावधान की आवश्यकता के पहलुओं पर विचार-विमर्श नहीं किया।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

निजता का अधिकार। यह एक ऐसा मामला था जिसमें दोनों पक्ष आमने-सामने थे। इस तरह के किसी भी मुद्दे या चर्चा के अभाव में, इस तरह के मामले को पूर्ववर्ती के रूप में नहीं माना जा सकता है और एक परिणाम के रूप में इसे संविधान के अनुच्छेद *13* या अनुच्छेद *141* के अर्थ के भीतर 'कानून' नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा, हम लोकनीति फाउंडेशन के आदेश को अदालत के निर्देश के रूप में पढ़ने में असमर्थ हैं। इसने भारत संघ की प्रस्तुति को इस प्रभाव से दर्ज करने के बाद याचिका का निपटारा कर दिया कि उसमें याचिकाकर्ता की शिकायत को जोड़ने की प्रक्रिया विकसित करके उसका निवारण किया गया। उस पर न्यायालय ने केवल यह मत व्यक्त किया कि इस न्यायालय को दिए गए वचन को गंभीरता से लिया जाएगा और उसे लागू किया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्रीय

सरकार, एक लाइसेंसधारक के रूप में, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, *1885* की धारा *4* के तहत लाइसेंस देते समय शर्तें लगा सकती है। हालांकि, ऐसे निर्देश/शर्तें कानूनी रूप से मान्य होनी चाहिए। जब यह तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करता है *(*जैसे याचिकाकर्ता जो दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को सरकार द्वारा दिए गए लाइसेंस के पक्षकार नहीं हैं*)* तो उन्हें ऐसे निर्देशों को चुनौती देने का अधिकार है। यहाँ, याचिकाकर्ताओं द्वारा बनाया गया मामला यह है कि यह उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

442. हमारी राय है कि इस तरह के परिपत्र में न केवल कानून का समर्थन नहीं है, बल्कि यह आनुपातिकता की आवश्यकता को भी पूरा करने में विफल रहता है। यह प्रतिवादी के दिमाग में प्राथमिक खतरे की जांच करने के लिए 'आवश्यकता चरण' और 'संतुलन चरण' परीक्षणों को पूरा नहीं करता है।

अधिकारीगण। अन्य उपयुक्त कानून हो सकते हैं और कम घुसपैठ हो सकती है।

विकल्प। मुट्ठी भर व्यक्तियों द्वारा ऐसे सिम कार्डों के दुरुपयोग के लिए, पूरी आबादी को उनके निजी जीवन में घुसपैठ के अधीन नहीं किया जा सकता है। यह आधार योजना की स्वैच्छिक प्रकृति पर भी प्रभाव डालता है। हम इसे राज्य की अनुचित और अनुचित मजबूरी पाते हैं। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सिम कार्ड की सदस्यता लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति/निवासी को अधिनियम की धारा *7* में उल्लिखित सब्सिडी लाभ या सेवाओं का लाभ नहीं मिलता है।

इसलिए, हमें *23* मार्च, *2017* के परिपत्र को असंवैधानिक घोषित करने में कोई संकोच नहीं है।

इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघनः

क्या उत्तरदाताओं की कुछ क्रियाएँ हैं

न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों का उल्लंघन, यदि हां, तो इसका प्रभाव क्या होगा*?*

443. यह जोरदार तर्क दिया गया कि इस न्यायालय ने कई अंतरिम आदेश पारित किए थे *(*जिन पर पहले ही सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में ध्यान दिया जा चुका है*)*।

इस फैसले में*)* स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आधार नामांकन स्वैच्छिक है; कि किसी भी व्यक्ति को योजना के तहत नामांकन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा;

444. यह विवाद में नहीं है कि उपरोक्त आदेश तब पारित किए गए थे जब आधार अधिनियम लागू नहीं हुआ था। अधिनियमन के बाद, धारा *7* ने स्थिति को वैधानिक रूप से बदल दिया था। अधिसूचना और परिपत्र आदि इस प्रावधान के तहत जारी किए जाते हैं। इसलिए, तकनीकी रूप से, यह नहीं माना जा सकता है कि ये परिपत्र इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के उल्लंघन में जारी किए गए हैं। *445.* हमें लगता है कि बेहतर होता कि धारा *7* के तहत इस तरह के परिपत्र और आदेश जारी करने से पहले आधार अधिनियम के पारित होने के बाद अदालत से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाता। जब मामला न्यायालय में विचाराधीन होता है और कुछ आदेश संचालित होते हैं, तो उत्तरदाता

उस मार्ग को अपनाकर कुछ निष्पक्षता दिखानी चाहिए थी, जो अपेक्षा अधिक होगी जहां प्रतिवादी राज्य है। हालाँकि, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अवमानना में प्रतिवादियों को पकड़ना मुश्किल होगा। हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि बिनॉय विश्वम में भी इसी तरह का तर्क दिया गया था, अर्थात् आयकर अधिनियम में धारा *139* एए को शामिल करना इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों का उल्लंघन था। इस तर्क को निम्नलिखित तरीके से खारिज किया गया थाः

"99. हालाँकि, मुख्य जोर इस दलील पर है कि संसद या कोई भी राज्य विधानमंडल एक ऐसा कानून पारित नहीं कर सकता है जो किसी निर्णय को रद्द कर देता है जिससे उक्त निर्णय को रद्द कर दिया जाता है, वह भी निर्णय के आधार को हटाए बिना। यह तर्क आकर्षक प्रतीत होता है क्योंकि इस न्यायालय द्वारा लंबित रिट याचिकाओं में कुछ आदेश पारित किए जाते हैं जिनके प्रभाव से आधार का नामांकन स्वैच्छिक होगा। हालाँकि, यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि उन याचिकाओं में आदेश पारित किए गए हैं जहाँ एक कार्यकारी/प्रशासनिक उपाय के रूप में आधार योजना को चुनौती दी गई है। उन मामलों में, उक्त आदेश ऐसे मामले में पारित नहीं किए जाते हैं जहां न्यायालय न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम द्वारा पारित क़ानून पर विचार कर रहा था।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

संसद। इसके अलावा, ये अंतरिम आदेश हैं क्योंकि अदालत की राय थी कि जब तक निजता के अधिकार के मुद्दे के संदर्भ में मामले का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक उक्त आधार को लागू किया जाएगा।

योजना स्वैच्छिक रहेगी। वास्तव में, यह मुख्य मुद्दा है कि क्या आधार कार्ड योजना जिसके तहत किसी व्यक्ति का बायोमेट्रिक डेटा एकत्र किया जाता है, गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करता है और इसलिए, यह है - संविधान के अनुच्छेद *21* का उल्लंघन है या नहीं, इस पर अभी फैसला लिया जाना बाकी है। इस प्रक्रिया में, संविधान पीठ को यह तय करने के लिए भी कहा जाता है कि क्या निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद *21* का हिस्सा है।

बिल्कुल भी संविधान। इसलिए कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस तरह की स्थिति में, यह नहीं कहा जा सकता है कि संसद इस तरह के कानून को पारित करने से वंचित है या वह अक्षम है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं का तर्क यह है कि जिस आधार पर

उपरोक्त आदेश पारित किए जाते हैं जिन्हें हटाना पड़ता है, जो नहीं किया जाता है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह केवल आधार अधिनियम को अनिवार्य बनाकर ही किया जा सकता है। दो कारणों से इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल हैः सबसे पहले, जब इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश, जिन पर याचिकाकर्ताओं द्वारा भरोसा किया जाता है, तब पारित किए गए थे जब आधार अधिनियम भी लागू नहीं किया गया था। दूसरा, जैसा कि ऊपर विस्तार से चर्चा की गई है, आधार अधिनियम और आयकर अधिनियम की धारा *139*-एए में निहित कानून दो अलग-अलग स्थितियों से निपटते हैं और

विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करें। विधायी का यह तर्क

इसलिए अक्षमता भी विफल हो जाती है।

सारांश और निष्कर्षः

446. (क*)* आधार अधिनियम की संरचना और संरचना से पता चलता है कि यू. आई. डी. ए. आई. को एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है जिसे कार्य दिया गया है। व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करना और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसका प्रमाणीकरण करना। नामांकन और आधार संख्या निर्धारित करने के उद्देश्य से, प्राधिकरण द्वारा नामांकन एजेंसियों की भर्ती की जाती है। भारत के सभी निवासी आधार संख्या प्राप्त करने के पात्र हैं। एक निवासी को आधार संख्या प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, उसे जनसांख्यिकीय के साथ-साथ बायोमेट्रिक जानकारी जमा करनी होती है, यानी नाम, जन्म तिथि और पते से संबंधित जानकारी देने के अलावा, फोटो, फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन के रूप में बायोमेट्रिक जानकारी भी प्रदान करनी होती है। किसी विशेष व्यक्ति को दी गई आधार संख्या को विशिष्ट संख्या माना जाता है क्योंकि इसे किसी अन्य व्यक्ति को फिर से नहीं सौंपा जा सकता है।

(ख*)* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी, लाभ या सेवाओं के बारे में

केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो,

संबंधित, ये सरकारें यह आदेश दे सकती हैं कि इन सब्सिडी, लाभों और सेवाओं की प्राप्ति केवल प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी आधार संख्या होना *(*या नामांकन के लिए आवेदन करने का प्रमाण, जहां आधार संख्या निर्दिष्ट नहीं है*)*। एक जोड़ा गया

आवश्यकता यह है कि ऐसे व्यक्ति को ऐसे लाभ आदि प्राप्त करने के समय प्रमाणीकरण से गुजरना होगा। एक विशेष संस्थान/निकाय जिससे ऐसे व्यक्ति द्वारा उपरोक्त सब्सिडी, लाभ या सेवा का दावा किया जाना है, इच्छित प्राप्तकर्ता अपनी आधार संख्या जमा करेगा और उसे उस एजेंसी को अपनी बायोमेट्रिक जानकारी भी देनी होगी। यह जानकारी प्राप्त होने पर और इसके प्रमाणीकरण के उद्देश्य से, उक्त एजेंसी, जिसे अनुरोध करने वाली संस्था *(*आरई*)* के रूप में जाना जाता है, प्राधिकरण को अनुरोध भेजेगी जो आधार संख्या के प्रमाणीकरण

का काम करेगी। किसी व्यक्ति की पहचान की पुष्टि होने पर, व्यक्ति सब्सिडी, लाभ या सेवा प्राप्त करने का हकदार होता है। आधार संख्या को धारक द्वारा अन्य उद्देश्यों के लिए भी उपयोग करने की अनुमति है।

(ग) इस पूरी प्रक्रिया में, आधार संख्या प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी निवासी को, पहली बार में, अपनी जनसांख्यिकीय जानकारी जमा करनी होती है।

नामांकन के समय जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी। इस प्रकार, वह अपनी तस्वीर, फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन के साथ उस स्तर पर नामांकन एजेंसी को देती है, जो एक निजी निकाय/व्यक्ति हो सकता है। इसी तरह, हर बार जब ऐसा आधार धारक सब्सिडी, लाभ या सेवा प्राप्त करने का इरादा रखता है और उस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट/नामित एजेंसी या व्यक्ति के पास जाता है, तो वह अपना बायोमेट्रिक देगी।

उस आरई को जानकारी, जो बदले में, सब्सिडी, लाभ या सेवा प्रदान करने से पहले प्राधिकरण से प्रमाणित हो जाएगी।

(घ) आधार कार्यक्रम पर याचिकाकर्ताओं का हमला और

आधार अधिनियम के तहत गठन/संरचना इस तर्क पर आधारित है कि यह इस देश के नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए एक गंभीर खतरा है जो भारत के संविधान द्वारा सुरक्षित हैं। यह विद्रोह करता है

संवैधानिक पालन मूल्यों और इसकी मूलभूत नैतिकता के खिलाफ और प्रत्येक के संबंध में एकत्र की गई जानकारी के आधार पर एक घुसपैठ करने वाले राज्य को एक निगरानी राज्य बनने में सक्षम बनाने की क्षमता रखता है।

एक संयुक्त इलेक्ट्रॉनिक जाल के निर्माण द्वारा व्यक्ति। इस तरह, अधिनियम प्रत्येक व्यक्ति की निजता पर हमला करता है जिससे निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है जिसे के. एस. पुट्टास्वामी में इस न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद *14,19* और *21* में इसका पता लगाकर मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

(ङ) दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों ने याचिकाकर्ताओं के मामले की उपरोक्त संरचना की नींव को हिलाने का प्रयास किया है।

उनका तर्क है कि पहली बार में, न्यूनतम बायोमेट्रिक जानकारी

आवेदक, जो आधार संख्या रखना चाहता है, उसे प्राप्त किया जाता है जिसे प्रमाणीकरण के उद्देश्य से सी. आई. डी. आर. में भी संग्रहीत किया जाता है। दूसरा, कोई अन्य जानकारी संग्रहीत नहीं की जाती है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि धर्म, जाति, जनजाति, अधिकार के भाषा रिकॉर्ड, आय के संबंध में कोई डेटा संग्रह नहीं है

या आधार नामांकन के समय आवेदक का चिकित्सा इतिहास। तीसरा, प्राधिकरण ने यह भी दावा किया कि बायोमेट्रिक्स के कुछ ही सेकंडों के भीतर पूरी आधार नामांकन पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से सुरक्षित है

नामांकन एजेंसी द्वारा एकत्र किए जाने के बाद, उक्त जानकारी अधिकारियों/सी. आई. डी. आर. को प्रेषित की जाती है, वह भी एक कूटबद्ध रूप में, और

नामांकन एजेंसी की पहुंच से बाहर हो जाता है। प्रमाणीकरण के समय भी यही स्थिति है क्योंकि बायोमेट्रिक जानकारी अनुरोध करने वाली एजेंसी के पास नहीं रहती है। चौथा, प्रमाणीकरण प्रक्रिया शुरू करते समय, प्राधिकरण केवल बायोमेट्रिक्स से मेल खाता है और उद्देश्य, स्थान या प्रकृति के संबंध में कोई अन्य जानकारी प्राप्त या संग्रहीत नहीं की जाती है।

या लेनदेन आदि। इसलिए, प्रोफाइलिंग का सवाल ही नहीं उठता है।

(च) उपरोक्त परिदृश्य में, पहली बार में, बायोमेट्रिक के साथ-साथ मुख्य जानकारी की सीमा का पता लगाना आवश्यक है।

जनसांख्यिकीय, जिसे प्राधिकरण द्वारा नामांकन के समय और साथ ही प्रमाणीकरण के समय एकत्र और संग्रहीत किया जाता है। आधार धारकों की प्रोफाइलिंग के बारे में याचिकाकर्ताओं के तर्क पर विचार करने के लिए यह अभ्यास आवश्यक हो जाता है। इस पहलू को देखने पर, यू. आई. डी. ए. आई. के सी. ई. ओ. डॉ. अजय भूषण पांडे द्वारा दी गई पावरप्वाइंट प्रस्तुति और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर, जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा डॉ. पांडे और अन्य लोगों से पूछे गए प्रश्न भी शामिल हैं। इसके जवाब में, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आधार धारकों से न्यूनतम संभव डेटा, जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक प्राप्त किया जाता है।

(छ) न्यायालय ने यह भी देखा कि आधार का पूरा ढांचा इस देश के नागरिकों को विशिष्ट पहचान देने के लिए तैयार किया गया है। नहीं। सन्देह है, एक व्यक्ति के पास विभिन्न दस्तावेज हो सकते हैं जिनके आधार पर

व्यक्ति अपनी पहचान स्थापित कर सकता है। यह पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड आदि के रूप में हो सकता है। नामांकन के उद्देश्य से ही कई दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं जिन्हें एक व्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है जिसके आधार पर आधार कार्ड जारी किया जा सकता है। इस प्रकार, ऐसे दस्तावेज, *[2018] 8* एस. सी. आर.

एक तरह से पहचान का प्रमाण भी हैं। लेकिन एक बुनियादी बात है

यह प्रक्रिया दोहराव की किसी भी संभावना को समाप्त करती है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि एक व्यक्ति एक से अधिक या समान संख्या में पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि रख कर प्रणाली में हेरफेर कर सकता है। जब आधार कार्ड प्राप्त करने की बात आती है, तो डुप्लिकेट कार्ड प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है। एक बार जब बायोमेट्रिक जानकारी संग्रहीत हो जाती है और उस आधार पर आधार कार्ड जारी किया जाता है, तो यह प्राधिकरण के पास प्रणाली में रहता है। जहां भी आधार के लिए नामांकन का दूसरा प्रयास होगा और इस उद्देश्य के लिए वही व्यक्ति अपनी बायोमेट्रिक जानकारी देगा, वह होगा - तुरंत उसी बायोमेट्रिक जानकारी के साथ मिलान करें जो पहले से ही प्रणाली में है और दूसरा अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाएगा। यही कारण है कि आधार कार्ड को विशिष्ट पहचान *(यू. आई. डी.)* के रूप में जाना जाता है। ऐसी पहचान अद्वितीय है।

(ज) तब, आधार कार्ड के रूप में विशिष्ट पहचान पत्र जारी करने की ऐसी प्रणाली का एक और उद्देश्य है। एक झलक

इसका उल्लेख ऊपर 'परिचय' शीर्षक के तहत किया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि पूरी परियोजना कैसे और किन परिस्थितियों में थी परिकल्पित। संक्षेप में कहें तो, किसी भी निवासी को इस तरह के अद्वितीय पहचान प्रमाण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के अलावा, यह हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए भी है

समाज का वर्ग, विशेष रूप से वे जो अनपढ़ हैं और घोर गरीबी में या बिना किसी आश्रय आदि के रह रहे हैं। यह ऐसे व्यक्तियों को भी पहचान देता है। इसके अलावा, आधार कार्ड की सहायता से, वे विभिन्न विशेषाधिकारों और लाभों आदि का दावा कर सकते हैं जो वास्तव में इन लोगों के लिए हैं।

((i) प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसकी पहचान का महत्व है। सभ्य समाज में प्रत्येक व्यक्ति को जन्म लेने पर एक नाम दिया। उसका जन्म स्थान और माता-पिता भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि वह समाज में जानी जाती हैं और ये जनसांख्यिकीय विवरण भी।

उसके व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण विशेषता बन जाती है। अपने पूरे जीवन में, व्यक्तियों को ऐसी जानकारी प्रदान करनी चाहिए: चाहे वह किसी स्कूल या कॉलेज में प्रवेश हो या नौकरी लेने के समय या किसी पेशे या व्यावसायिक गतिविधि आदि में संलग्न होना हो। जब यह सारी जानकारी आधार कार्ड के रूप में एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी, तो यह न केवल अद्वितीय होगी, बल्कि सशक्तिकरण के दस्तावेज के रूप में भी योग्य होगी। इस विशेषता के साथ, जब कोई व्यक्ति जानता है कि कोई अन्य व्यक्ति उसका प्रतिरूपण नहीं कर सकता है, तो यह अधिक महत्व रखता है।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

(जे) इस प्रकार, इस योजना को अपने आप में प्रशंसनीय माना जा सकता है जब किसी व्यक्ति को आधार संख्या प्राप्त करने में सक्षम बनाने की बात आती है, विशेष रूप से जब

(के) न्यायालय ने अधिनियम, योजना और कुछ नियमों आदि की चुनौती के प्रमुखों पर ध्यान दिया है और स्पष्ट किया है कि मामला है संवैधानिक लोकतंत्र के लोकाचार, कानून के शासन, मानवाधिकारों और संविधान की अन्य बुनियादी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक प्रावधानों की कसौटी पर मुद्दों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा के साथ जांच की गई।

संविधान।

न्यायिक समीक्षा के दायरे पर चर्चा करते हुए, न्यायालय ने स्वीकार किया है कि बिनॉय विश्वम में देखे गए दो आधारों के अलावा, जिन पर विधायी अधिनियम को अमान्य किया जा सकता है *[(ए)* विधानमंडल के पास सक्षम नहीं है

विधि बनाना; और ख*)* बनाई गई विधि मौलिक अधिकारों या किसी अन्य संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करती है*]*, एक अन्य आधार, अर्थात् स्पष्ट मनमानेपन, भी वह आधार हो सकता है जिसके आधार पर किसी

अधिनियम को अमान्य किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा के उपरोक्त दायरे को ध्यान में रखते हुए मुद्दों की जांच की जाती है।

(1) याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई दलीलों और चुनौती के आधारों से यह स्पष्ट हो जाता है कि चुनौती का मुख्य मुद्दा यह है कि

आधार परियोजना और आधार अधिनियम निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। निजता के इस अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार अंतर्निहित है, जो निजता के अधिकार का एक अभिधारणा है। इस प्रक्रिया में, चर्चा इस मुद्दे की ओर ले जाती है आनुपातिकता, अर्थात। क्या आधार अधिनियम के तहत कदम उठाए गए हैं

आनुपातिकता के सिद्धांत को संतुष्ट करें। *(एम)* उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने गोपनीयता के अधिकार की रूपरेखा पर चर्चा की, जैसा कि के. एस. पुट्टास्वामी, मानव अधिकार के सिद्धांत में निर्धारित किया गया है।

गरिमा और आनुपातिकता का सिद्धांत। छह माननीय न्यायाधीशों की विभिन्न रायों में निहित चर्चा पर ध्यान देने के बाद, यह बिना किसी संदेह के स्थापित हो गया है कि गोपनीयता को अब मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि गोपनीयता हमेशा एक प्राकृतिक अधिकार रहा है जिसने किसी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व पर नियंत्रण रखने की स्वतंत्रता दी है। फैसला गोपनीयता के मौलिक अधिकार के तीन पहलुओं की पुष्टि करता है, अर्थात्:

(i) किसी व्यक्ति के भौतिक शरीर में घुसपैठ, *[2018] 8* एस. सी. आर.

((ii) सूचना की गोपनीयता और

((iii) अपनी पसंद की गोपनीयता।

(एन) जैसा कि नरीमन, जे. द्वारा संक्षेप में कहा गया है, पहले पहलू में व्यक्ति स्वयं शामिल होता है और किसी व्यक्ति के भौतिक शरीर से संबंधित अधिकारों की रक्षा करता है जिससे राज्य द्वारा अनावश्यक आक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है। जहाँ तक

दूसरा पहलू, अर्थात्, सूचनात्मक गोपनीयता का संबंध है, यह किसी व्यक्ति के शरीर से संबंधित नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति के मन से संबंधित है। इस तरह, यह किसी व्यक्ति को सामग्री के प्रसार पर नियंत्रण देकर उसकी रक्षा करता है।

यह उसके लिए व्यक्तिगत है और राज्य द्वारा ऐसी जानकारी के अनधिकृत उपयोग की अनुमति नहीं है। निजता का तीसरा पहलू व्यक्ति की मौलिक व्यक्तिगत पसंद की रक्षा करके उसकी स्वायत्तता से संबंधित है। इन पहलुओं का कार्यात्मक संबंध और गरिमा के साथ संबंध है। इस मायने में, निजता अपने आप में मानवीय गरिमा का एक अभिधारणा है। मानव गरिमा एक है

संवैधानिक मूल्य और इसके महत्व को प्रस्तावना द्वारा स्वीकार किया गया है। इसके अलावा, निर्णयों के आधार पर, मानव गरिमा को मौलिक माना जाता है न केवल अनुच्छेद *21* के एक पहलू के रूप में, बल्कि समानता के अधिकार *(*अनुच्छेद *14)* और अनुच्छेद *19* में निर्धारित स्वतंत्रताओं के गुलदस्ते के हिस्से के रूप में भी अधिकार।

*(*ओ*)* उपरोक्त अवधारणाओं को विकसित करने में, न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सिद्धांतों के प्रति ग्रहणशील रहा है। उपकरण। यह इस तथ्य की मान्यता है कि कुछ मानवाधिकारों को किसी राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति की सीमा के भीतर सीमित नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनका सार्वभौमिक अनुप्रयोग होता है। इस प्रक्रिया में, न्यायालय मानवाधिकारों के सार्वभौमिकरण की अवधारणा को स्वीकार करता है, जिसमें निजता का अधिकार भी शामिल है।

मानव अधिकार और अन्य देशों में ऐसे अधिकारों को विकसित करने और समझने में अच्छी प्रथाओं का स्वागत किया गया है। इस रंग में, यह भी कहा जा सकता है कि तुलनात्मक कानून ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारतीय संदर्भ में गोपनीयता पर उपरोक्त निर्णय को आकार देने में भूमिका, इस तथ्य के बावजूद कि इस तरह के तुलनात्मक कानून का केवल प्रेरक मूल्य है। इस प्रकार, माननीय न्यायाधीशों की विभिन्न रायों में निहित तर्क की पूरी प्रक्रिया यह दर्शाती है कि इस तर्क को कि गोपनीयता के सामान्य विभाजक को सटीक रूप से परिभाषित करना मुश्किल है, खारिज कर दिया गया था।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

ऐसा करते समय, न्यायालय ने गोपनीयता तैयार करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का उल्लेख किया

*(*पी*)* हमने ऊपर गोपनीयता के वर्गीकरण, अर्थात् 'नुकसान', 'ब्याज' और 'अधिकारों के एकत्रीकरण' के आधार पर भी टिप्पणी की है। हमने गोपनीयता के अधिकार के दायरे पर भी चर्चा की है

हाथ में मामले और परिस्थितियाँ जिनमें ऐसा अधिकार सीमित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में, हमने नरीमन, जे. द्वारा के. एस. पुट्टास्वामी में दिए गए फैसले के अंश पर भी ध्यान दिया है, जिसमें कहा गया है कि जिस तरह से कानून को इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि यह निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, उसका परीक्षण किया जाना चाहिए।

*(*प्र*)* एक महत्वपूर्ण टिप्पणी जो इस स्तर पर की जानी चाहिए, न्यायिक समीक्षा की वैधता की जांच करते समय न्यायिक समीक्षा के मानक से संबंधित है।

एक विशेष कानून जो कथित रूप से गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करता है। सवाल यह है कि क्या न्यायालय को 'सख्त जांच' मानक लागू करना है या 'न्यायसंगत, निष्पक्ष और तर्कसंगतता' मानक लागू करना है। निजता संबंधी निर्णय में, अलग-अलग माननीय न्यायाधीशों द्वारा अलग-अलग टिप्पणियां की जाती हैं और उपरोक्त पहलू आधिकारिक रूप से निर्धारित नहीं किया जाता है, इसका कारण यह हो सकता है कि पीठ इस मुद्दे पर संदर्भ का निर्णय ले रही थी कि क्या निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है या नहीं और इस प्रक्रिया में, इसे निर्दिष्ट विशिष्ट प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए कहा गया था। इस न्यायालय ने एक 'न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और तर्कसंगतता' मानक को अपनाना पसंद किया जो अधिकांश न्यायाधीशों द्वारा उनकी राय में व्यक्त

किए गए विचार के अनुरूप है। अन्यथा भी, यह इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए न्यायिक दृष्टिकोण के अनुरूप है, जबकि 'उचित प्रतिबंधों' का अर्थ लगाया जाता है जो राज्य संविधान के अनुच्छेद *19* में दिए गए सार्वजनिक हित में लगा सकता है। जहाँ तक

मानव गरिमा के सिद्धांतों का संबंध है, न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों पर ध्यान देने के बाद, जहां इस सिद्धांत को अपनाया गया है और विस्तृत किया गया है, यह देखते हुए गरिमा न्यायशास्त्र के आवश्यक तत्वों को संक्षेप में प्रस्तुत किया कि व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता का मूल सिद्धांत प्राकृतिक कानून की एक विशेषता है जो संवैधानिक लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों का अधिकार बन जाता है। गरिमा की केंद्रीय मानक भूमिका के साथ-साथ संवैधानिक मूल्य भी है। यह मानक भूमिका तीन तरीकों से की जाती हैः

सबसे पहले, यह संवैधानिक अधिकारों का आधार बन जाता है।

दूसरा, यह संवैधानिक अधिकारों के दायरे को निर्धारित करने के लिए एक व्याख्यात्मक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है; और,

तीसरा, यह एक क़ानून की आनुपातिकता निर्धारित करता है जो एक को सीमित करता है

संवैधानिक अधिकार। इस प्रकार, यदि कोई अधिनियम संवैधानिक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट पर सीमा लगाता है

सम्मान जो व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा, अपने लिए सोचने और अपने जीवन को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा सिद्धांत 'व्यक्तिगत जिम्मेदारी' का है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास है अपने जीवन में सफलता के लिए जिम्मेदारी और इसलिए, उसे अपने दृष्टिकोण से सफल होने वाले जीवन के तरीके के बारे में अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए।

((ङ) इस प्रदर्शनी के कुल योग को यह समझाकर परिभाषित किया जा सकता है कि उपरोक्त दृष्टिकोण के अनुसार गरिमा को 'सशक्तिकरण' के रूप में माना जाना चाहिए। जो मानव गरिमा के लिए 'सम्मान' के नाम पर तीन गुना मांग करता है, अर्थात्ः

(i) स्वयं को स्वतंत्र बनाने के लिए एक एजेंट के रूप में अपनी क्षमता का सम्मान करना।

विकल्प;

((ख) इस प्रकार किए गए विकल्पों का सम्मान करना; और

(iii) किसी की आवश्यकता का सम्मान करने के लिए एक संदर्भ और परिस्थितियाँ होनी चाहिए जिसमें कोई व्यक्ति स्वतंत्र और सूचित विकल्प के स्रोत के रूप में काम कर सके।

(टी) गरिमा के अधिकार के पूरे निर्माण में, एक के लिए 'सम्मान'

व्यक्ति आधार है, जो स्वतंत्रता और विकल्प चुनने की क्षमता के सिद्धांत पर आधारित है और एक अच्छी या न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था वह है जो 'संदर्भों' और 'स्थितियों' को 'स्वतंत्र और सूचित विकल्प के स्रोत' के रूप में आश्वस्त करके गरिमा का सम्मान करती है। अवधारणा पर उपरोक्त प्रवचन

'सार्वजनिक भलाई '। इस प्रकार, यहां हमारा प्रयास मानव गरिमा की अवधारणा को समृद्ध और अधिक सूक्ष्म समझ देना है। *(यू)* इसलिए, हमें मानव गरिमा की मानवतावादी अवधारणा को ध्यान में रखना होगा जो मानव जाति के एक विशेष वर्ग को दी जानी है।

समाज और, वास्तव में, एक बड़ा वर्ग।

उनकी मानवीय गरिमा न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम पर आधारित है। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

सामाजिक-आर्थिक अधिकार जिन्हें मौलिक अधिकारों में पढ़ा जाता है, जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

जब हम सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को मानव गरिमा में पढ़ते हैं, तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण के साथ-साथ सामुदायिक दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण हो जाता है

मानव गरिमा के प्रति दृष्टिकोण। अब यह अच्छी तरह से माना गया है कि मानव गरिमा के मूल में तीन तत्व हैं, अर्थात् आंतरिक मूल्य, स्वायत्तता और सामुदायिक मूल्य। इन्हें मानव गरिमा के मूल मूल्यों के रूप में जाना जाता है। ये तीन तत्व कानूनी तर्क की संरचना करने और 'कठिन मामलों' में न्यायिक विकल्पों को उचित ठहराने में सहायता कर सकते हैं।

(v) जब सामुदायिक मूल्य के रूप में गरिमा की बात आती है, तो यह इस पर जोर देता है

लोकतंत्र*?* यह उदार संकट कि एक बहुलवादी समाज में अच्छाई की विभिन्न अवधारणाओं के संबंध में राज्य को तटस्थ होना चाहिए, असंगत नहीं है, निश्चित रूप से, विभिन्न विचारों और संभावित रूप से परस्पर विरोधी अधिकारों के आवश्यक सह-अस्तित्व के परिणामस्वरूप सीमा के साथ। हालाँकि, इस तरह के हस्तक्षेप को न्याय के एक वैध विचार के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए, एक "अतिव्यापी सर्वसम्मति" *158* जिसे अधिकांश व्यक्तियों और समूहों द्वारा साझा किया जा सकता है। जब भी ऐसा तनाव उत्पन्न होता है, तो न्यायालयों को संतुलन बनाने का कार्य पूरा करना होता है। हम एक और महत्वपूर्ण विशेषता पर प्रकाश डालना चाहते हैं जो वर्तमान मामले में शामिल मुद्दे लाते हैं। यह एक ही व्यक्ति की गरिमा के दो पहलुओं का संतुलन है। जहां एक तरफ व्यक्तिगत स्वायत्तता का अधिकार गरिमा *(*और निजता का अधिकार*)* का हिस्सा है, वहीं उसी व्यक्ति की गरिमा का दूसरा हिस्सा गरिमापूर्ण जीवन जीना भी है *(*जो फिर से संविधान के अनुच्छेद *21* का एक पहलू है*)*। इसलिए, ऐसे परिदृश्य में जब राज्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है, जो मानव गरिमा के साथ सद्भाव में सम्मानजनक जीवन देने का प्रयास करती हैं और इस प्रक्रिया में स्वायत्तता के कुछ पहलू का त्याग किया जाता है, तो दोनों का संतुलन एक महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है जिसे अदालतों द्वारा प्राप्त किया जाना है। क्योंकि, के बहाने स्वायत्तता में अनुचित घुसपैठ नहीं हो सकती है

आर्थिक लाभ प्रदान करना। *158* "सर्वसम्मति "जॉन रॉल्स द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जो न्याय के बुनियादी विचारों की पहचान करता है जिन्हें विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक और नैतिक व्यापक सिद्धांतों के समर्थकों द्वारा साझा किया जा सकता है।

संबंधित, जर्मन सर्वोच्च न्यायालय और कनाडाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोणों पर चर्चा करने के बाद, जो एक-दूसरे से कुछ अलग हैं, इस न्यायालय ने आधुनिक दंत चिकित्सा महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र में निर्धारित परीक्षणों को लागू किया है, जिन्हें के. एस. पुट्टास्वामी में भी अनुमोदित किया गया है। हालांकि, एक ही समय में, बिलचिट्ज़ के निर्धारित मापदंडों पर ध्यान केंद्रित करके एक संशोधन किया जाता है जिसका उद्देश्य अधिक आदर्श दृष्टिकोण प्राप्त करना है। *447.* उपरोक्त तरीके से उत्पन्न होने वाले विभिन्न मुद्दों को निर्दिष्ट करने और उन पर चर्चा करने के बाद, इन प्रश्नों और निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है:

(1) चाहे आधार परियोजना बनाने की प्रवृत्ति रखती है या नहीं

निगरानी राज्य बनाएँ और इस प्रकार, इस आधार पर असंवैधानिक है?

आकस्मिक मुद्दे: *(*
क*)* संरक्षण का परिमाण क्या है जिसे प्रदान करने की आवश्यकता है?

बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह, भंडारण और उपयोग के लिए?

*(*ख*)* क्या आधार अधिनियम और नियम ऐसी सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिसमें डेटा न्यूनतमकरण, उद्देश्य सीमा, डेटा प्रतिधारण के लिए समय अवधि और डेटा सुरक्षा और सुरक्षा शामिल हैं?
जवाब:

जिस तरह से आधार परियोजना संचालित होती है। *(*ख*)* हमने प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अजय भूषण पांडे द्वारा दी गई पावरप्वाइंट प्रस्तुति को विस्तार से दर्ज किया है।

यह निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं को सामने लाता है:

(i) नामांकन प्रक्रिया के दौरान, न्यूनतम बायोमेट्रिक डेटा

आँख की पुतली और उंगलियों के निशान एकत्र किए जाते हैं। प्राधिकरण लेन-देन के उद्देश्य, स्थान या विवरण एकत्र नहीं करता है। इस प्रकार, यह उद्देश्यहीन है। एकत्र की गई जानकारी, जैसा कि ऊपर कहा गया है, सिलोस में रहती है। साइलो का विलय निषिद्ध है। अनुरोध करने वाली एजेंसी को संबंधित व्यक्ति के प्रमाणीकरण के बारे में केवल 'हां' या 'नहीं' में जवाब दिया जाता है। प्रमाणीकरण प्रक्रिया इंटरनेट दुनिया के संपर्क में नहीं है।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* के अनुसार सुरक्षा उपाय। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

धारा *38 (*जी*)* के साथ पठित धारा *29 (3)* के प्रावधानों के साथ-साथ प्रमाणीकरण विनियमों के विनियम *17 (1) (*डी*)* का सख्ती से पालन किया जाता है।

(ii) पर्याप्त प्रमाणीकरण सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं, जैसा कि प्रस्तुति की स्लाइड *14,28* और *29* में दिखाया गया है।

(iii) प्राधिकरण के पास पर्याप्त रक्षा तंत्र है, जैसा कि स्लाइड *30* में बताया गया है। इसने उचित सुरक्षा उपाय भी किए हैं

स्लाइड *31* में प्रदर्शित किया गया। *((iv)* प्रौद्योगिकी और वास्तुकला समीक्षा बोर्ड *(*टी. ए. आर. बी.*)* और सुरक्षा समीक्षा समिति द्वारा निरीक्षण किया जाता है।

(v) प्रमाणीकरण के दौरान लेन-देन आदि की प्रकृति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। *(vi)* प्राधिकरण ने सभी प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए पंजीकृत उपकरणों *(*आर. डी.*)* का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। इनके साथ, बायोमेट्रिक डेटा को हस्ताक्षरित किया जाता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह वास्तव में लाइव कैप्चर किया गया है, प्रदाता कुंजी का उपयोग करके उपकरण/आर. डी. सेवा। उपकरण प्रदाता आर. डी. सेवा मेजबान अनुप्रयोग पर लौटने से पहले पी. आई. डी. खंड को कूटबद्ध करती है। यह आर. डी. सेवा बायोमेट्रिक कैप्चर, हस्ताक्षर और बायोमेट्रिक्स के एन्क्रिप्शन को अपने भीतर समाहित करती है। इसलिए, आधार प्रमाणीकरण प्रणाली में आर. डी. की शुरुआत ने संग्रहीत बायोमेट्रिक के उपयोग और बायोमेट्रिक्स के पुनः प्रदर्शन की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया है। दूसरे स्रोत से लिया गया। अनुरोध करने वाली संस्थाओं को प्रमाणीकरण विनियमों के विनियमन *17 (1) (*ए*)* के तहत आधार प्रमाणीकरण के लिए ली गई बायोमेट्रिक्स को संग्रहीत करने की कानूनी रूप से अनुमति नहीं है।

आई. पी. पते या जी. पी. एस. स्थान से संबंधित कोई भी जानकारी जहाँ से प्रमाणीकरण किया जाता है क्योंकि ये मापदंड इसका हिस्सा नहीं हैं। प्रमाणीकरण *(v2.0)* और ई-केवाईसी *(v2.1)* एपीआई। प्राधिकरण को केवल यह पता होगा कि प्रमाणीकरण किस उपकरण से हुआ है, जिसके माध्यम से

ए. यू. ए./ए. एस. ए. आदि इसे प्रमाणीकरण उपकरण को किस स्थान पर तैनात किया गया है, इसके आईपी पते और इसके प्रचालक और प्रमाणीकरण के उद्देश्य के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसके अलावा, प्राधिकरण या उसके नियंत्रण वाली किसी भी संस्था को आधार अधिनियम की धारा *32 (3)* के तहत प्रमाणीकरण के उद्देश्य के बारे में कोई भी जानकारी एकत्र करने, रखने या बनाए रखने से वैधानिक रूप से प्रतिबंधित किया गया है।

श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा मानकों और प्रथाओं को अपनाना; और *(*सी*)* मजबूत लेखा परीक्षा और पता लगाने के साथ-साथ धोखाधड़ी का पता लगाना। इन सबसे ऊपर, प्रौद्योगिकी और वास्तुकला समीक्षा बोर्ड *(*टी. ए. आर.

बी.) और सुरक्षा समीक्षा समिति की निगरानी होती है। इस बोर्ड और समिति में बहुत उच्च पदस्थ अधिकारी होते हैं। इसलिए, अधिनियम ने सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया है। *(घ)* जहां तक आंकड़ों के उपयोग और सुरक्षा का संबंध है, विभिन्न मामलों में भारतीय और विदेशी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए,

डेटा न्यूनतमकरण, उद्देश्य के दृष्टिकोण से मामले की जांच की जाती है। सीमा, डेटा प्रतिधारण के लिए समय अवधि, डेटा संरक्षण और सुरक्षा *(*सी. आई. डी. आर., आवश्यक संस्थाएं, नामांकन एजेंसियां और पंजीयक, प्रमाणीकरण सेवा एजेंसी, हैकिंग, बायोमेट्रिक समाधान प्रदाता, मूल प्रक्रियात्मक या न्यायिक सुरक्षा उपाय*)*। आधार अधिनियम के कुछ प्रावधानों के संदर्भ में उपरोक्त पहलू पर चर्चा करने के बाद, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ताओं की आशंकाएं कुछ प्रावधानों को निरस्त करने या पढ़ने या स्पष्टीकरण देने से शांत हो जाती हैं, अर्थात्:

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

(i) प्रमाणीकरण अभिलेखों को छह महीने की अवधि से अधिक नहीं रखा जाना चाहिए, जैसा कि प्रमाणीकरण विनियमों के विनियमन *27 (1)* में निर्धारित किया गया है। यह प्रावधान जो अनुमति देता है

पाँच साल की अवधि के लिए संग्रहीत किए जाने वाले अभिलेखों को कानूनी रूप से गलत माना जाता है।

(ii) लेन-देन से संबंधित मेटाबेज़, जैसा कि वर्तमान रूप में उपरोक्त विनियमों के विनियमन *26* में प्रदान किया गया है, को अस्वीकार्य माना जाता है, जिसमें उपयुक्त संशोधन की आवश्यकता होती है।

(iii) आधार अधिनियम की धारा *33 (1)* को यह स्पष्ट करते हुए पढ़ा जाता है कि एक व्यक्ति, जिसकी जानकारी जारी करने की मांग की जाती है, उसे सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

((iv) जहां तक वर्तमान रूप में अधिनियम की धारा *33 (2)* है -

चिंतित, वही नीचे मारा जाता है।

(v) आधार अधिनियम की धारा *57* का वह भाग जो निगमित निकाय और व्यक्ति को प्रमाणीकरण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है

असंवैधानिक होना।

(vi) हमने प्रतिवादियों को न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्णा *(*सेवानिवृत्त*)* के आधार पर एक अधिनियम के रूप में एक मजबूत डेटा संरक्षण व्यवस्था लाने के लिए भी प्रभावित किया है। आवश्यक संशोधनों के साथ समिति की रिपोर्ट जो समझी जा सकती है

उचित है।

(2) क्या आधार अधिनियम निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है और इस आधार पर असंवैधानिक है*?*

जवाबः

(क) विस्तृत चर्चा के बाद, यह माना जाता है कि किसी व्यक्ति से संबंधित सभी मामले निजता के अधिकार के अंतर्निहित हिस्से के रूप में योग्य नहीं हैं।

(ख) न्यायालय की यह भी राय है कि गोपनीयता पर आक्रमण की तर्कसंगतता का निर्णय करने के लिए निर्धारित ट्रिपल टेस्ट किया गया है बनाया गया। आधार योजना क़ानून, यानी आधार अधिनियम द्वारा समर्थित है। यह राज्य के वैध उद्देश्य को भी पूरा करता है, जिसे अधिनियम के परिचय के साथ-साथ उद्देश्यों और कारणों के विवरण से समझा जा सकता है जो दर्शाता है कि अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सामाजिक लाभ योजनाएं योग्य समुदाय तक पहुँचती हैं। न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने में विफलता उन कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन में एक बड़ी बाधा साबित हुई है।

लाभार्थियों की पहचान को प्रमाणित करने के लिए एक विश्वसनीय प्रणाली के अभाव में यह सुनिश्चित करना मुश्किल होता जा रहा था कि सब्सिडी, लाभ और सेवाएं अनपेक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। उद्देश्यों और कारणों के विवरण से यह भी पता चलता है कि समय के साथ आधार संख्या का उपयोग कई गुना बढ़ गया है और इसलिए यह भी आवश्यक है

आधार कार्ड के लिए नामांकन करते समय व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित उपाय करना।

(ग) यह रेखांकित किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता निजता के अधिकार के एक पहलू के रूप में गरिमा के आधार पर अपना दावा कर रहे हैं। दूसरी ओर,

आधार अधिनियम की धारा *7* का उद्देश्य समाज के हाशिए पर पड़े वर्ग को सब्सिडी, लाभ या सेवाएं प्रदान करना है, जिनके लिए समय-समय पर ऐसी कल्याणकारी योजनाएं तैयार की गई हैं। यह भी सामाजिक न्याय का एक पहलू बन जाता है, जो संविधान के पैरा *IV* में निर्धारित राज्य का दायित्व है। धारा *7* के पीछे का तर्क भारत की संचित निधि से वित्त पोषित सेवाओं, लाभों और सब्सिडी के लक्षित वितरण को सुनिश्चित करने में निहित है। न्याय, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुनिश्चित करने के लिए जीवन के मौलिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता *(*अनुच्छेद *21)* को पुनर्जीवित करने और गरीबों और दलितों की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से असमानता *(*अनुच्छेद *14)* को समाप्त करने के अपने गंभीर संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए, केंद्र सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। ऐसी कुछ योजनाएं हैं पीडीएस, छात्रवृत्ति,

मध्यान्ह भोजन, एलपीजी सब्सिडी आदि। इन योजनाओं में सकल घरेलू उत्पाद का *3* प्रतिशत शामिल होता है और इसमें भारी मात्रा में सार्वजनिक धन शामिल होता है। इन लाभों को प्राप्त करने का अधिकार, उन लोगों के दृष्टिकोण से जो

अब मानव गरिमा की उसी अवधारणा के आधार पर मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त कर लिया है, जिस पर याचिकाकर्ता भरोसा करना चाहते हैं। संविधान भारत के कुछ या अल्पसंख्यक लोगों के लिए मौजूद नहीं है, बल्कि "हम लोग" है। संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित लक्ष्य सांख्यिकी पर विचार नहीं करते हैं और उन लोगों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को बनाए रखने का प्रयास नहीं करते हैं जिनके पास

अपने लिए अपरिहार्य अधिकारों का प्रयोग सुनिश्चित करने के साधन और अवसर हैं। ये लक्ष्य मुख्य रूप से या कम से कम समान रूप से "सुरक्षित" करने के लिए तैयार हैं।

इसके सभी नागरिक, विशेष रूप से, दलितों, गरीबों और शोषितों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा सुनिश्चित करने वाले भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए। दिलचस्प बात यह है कि राज्य वंचित वर्ग जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम के अधिकारों को मान्यता देने के लिए आगे आया है।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

समाज का इस आधार पर ऐसे लाभ प्राप्त करना कि ऐसे लाभों का दावा करना उनका मौलिक अधिकार है। उत्तरदाताओं द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि सुरक्षा की समस्या को संबोधित करने और अत्यधिक गरीबी और भूख को समाप्त करने में एक आदर्श बदलाव आया है। कल्याणकारी दृष्टिकोण से सही आधारित दृष्टिकोण की ओर बदलाव आया है। परिणामस्वरूप, पर्याप्त भोजन का प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों *(*अनुच्छेद *47)* पर आधारित नहीं रहता है, हालांकि उक्त सिद्धांत प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। यह हक संवैधानिक हो गया है।

मौलिक अधिकार। इस संवैधानिक दायित्व को अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत दायित्वों द्वारा प्रबलित किया जाता है। *(*घ*)* यहां तक कि याचिकाकर्ताओं ने भी कानून बनाने वाले विधानमंडल के उद्देश्य और ईमानदारी पर गंभीरता से सवाल नहीं उठाया।

*(*ई*)* न्यायालय ने यह भी पाया कि आधार अधिनियम आनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरता है क्योंकि आनुपातिकता के निम्नलिखित घटक हैं।

संतुष्टः

(i) किसी अधिकार को सीमित करने वाले उपाय का एक वैध लक्ष्य होना चाहिए।

*(*वैध लक्ष्य चरण*)*।

((ii) यह इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने का एक उपयुक्त साधन होना चाहिए।

या तर्कसंगत संबंध चरण*)*।

((iii) कोई कम प्रतिबंधात्मक लेकिन समान रूप से प्रभावी नहीं होना चाहिए।

वैकल्पिक *(*आवश्यकता चरण*)*।

((iv) इस उपाय का इस पर असमान प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए -

सही धारक *(*संतुलन चरण*)*।

*(*च*)* इस प्रक्रिया में, न्यायालय ने भोजन के अधिकार, बी. पी. एल. जारी करने से संबंधित इस न्यायालय द्वारा सुनाए गए विभिन्न निर्णयों पर ध्यान दिया है।

(छ) इन आदेशों के पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि योजना के योग्य लाभार्थियों की सही पहचान की जाए और वे उक्त योजना के तहत लाभ प्राप्त करने में सक्षम, जो उनकी पात्रता है। इन आदेशों का उद्देश्य 'सुशासन' सुनिश्चित करना भी था।

पवित्र उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वितरण प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता लाना, अर्थात् लाभ वास्तव में उन लोगों तक पहुंचे जो ग्रामीण, गरीब और भूखे हैं।

(ज) यह सब आवश्यकता चरण परीक्षण को संतुष्ट करता है, विशेष रूप से किसी भी कम प्रतिबंधात्मक लेकिन समान रूप से प्रभावी विकल्प के अभाव में।

(i) जहां तक संतुलन का संबंध है, मामले की जांच की जाती है -

दो स्तरः

(i) क्या 'वैध राज्य हित' 'उचित सिलाई' सुनिश्चित करता है? निजता में न्यूनतम घुसपैठ होती है और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कानून को संकीर्ण रूप से तैयार किया जाता है। यहां अधिनियम का परीक्षण इस आधार पर किया जाना है कि क्या यह एक संतुलन परीक्षण पर पाया जाता है कि सामाजिक या सार्वजनिक हित और प्रतिबंधों की तर्कसंगतता गोपनीयता के विशेष पहलू से अधिक है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किया गया है। यह वह परीक्षण है जिसे हमने तत्काल लागू किया है

मामला।

((ii) दो प्रतिस्पर्धी मौलिक अधिकारों, एक ओर निजता का अधिकार और दूसरी ओर भोजन, आश्रय और रोजगार का अधिकार, के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। स्वयंसिद्ध रूप से दोनों अधिकार मानव गरिमा पर आधारित हैं। साथ ही, दिए गए संदर्भ में, दो पहलू एक दूसरे के साथ संघर्ष में हैं। यहाँ सवाल यह होगा कि जब कोई व्यक्ति कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना चाहता है, जिसके लिए वह गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार के हिस्से के रूप में हकदार है, तो क्या निजता के अधिकार के लिए उसका बलिदान ऐसा है? आक्रामक है कि यह असंतुलन पैदा करता है?

(जे) इस प्रक्रिया में, अपने कार्यात्मक संबंध में गोपनीयता की पवित्रता

गरिमा को ध्यान में रखा जाता है जहां यह कहा जाता है कि गोपनीयता की वैध अपेक्षा अंतरंग क्षेत्र से निजी क्षेत्र और निजी से सार्वजनिक क्षेत्र में भिन्न हो सकती है। निजता की उचित अपेक्षा को भी ध्यान में रखा जाता है। न्यायालय ने पाया कि चूंकि नामांकन के साथ-साथ प्रमाणीकरण के समय एकत्र की गई जानकारी न्यूनतम है, इसलिए पहले स्तर पर संतुलन पूरा किया जाता है। जहाँ तक दूसरे स्तर का संबंध है, दो प्रतिस्पर्धी मौलिक अधिकारों का संतुलन, अर्थात् स्वायत्तता *(*सूचनात्मक गोपनीयता*)* के रूप में गरिमा और एक ही व्यक्ति के बेहतर जीवन स्तर को सुनिश्चित करने के रूप में गरिमा, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि दूसरे स्तर पर संतुलन भी पूरा किया जाता है। इस संबंध में विस्तृत चर्चा यह दर्शाती है कि सरकार की कल्याणकारी

योजनाओं का लाभ उठाने के लिए समाज के वंचित और हाशिए पर पड़े वर्गों के आधार में नामांकन वास्तव में इन व्यक्तियों को सशक्त बनाने के बराबर है। एक तरफ, यह ऐसे व्यक्तियों को देता है

उनकी अनूठी पहचान और दूसरी ओर, यह ऐसे व्यक्तियों को न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम को भी सक्षम बनाता है।

भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

उनकी प्रोफाइल। वास्तव में, यह प्रौद्योगिकी एक सामाजिक कल्याण राज्य में सुशासन सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाती है। इसलिए, हमारी राय है कि आधार अधिनियम संतुलन की कसौटी पर भी खरा उतरता है। *(*के*)* जहां तक आधार की संभावित प्रणाली पर आधारित तर्क का संबंध है, जिससे 'बहिष्करण' होता है, प्राधिकरण ने दावा किया है कि बायोमेट्रिक सटीकता *99.76%* है और याचिकाकर्ताओं ने भी उसी आधार पर आगे बढ़ना शुरू किया है। इस परिदृश्य में, यदि आधार परियोजना को बंद कर दिया जाता है, तो *99.76%* लाभार्थियों को नुकसान होने वाला है। क्या इससे उनका बहिष्कार नहीं होगा*?* यह बच्चे को पानी के साथ गर्म पानी से बाहर फेंकने के बराबर होगा। समाज के हाशिए पर पड़े वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में लीकेज, चोरी और भ्रष्टाचार की प्रणाली के साथ *0.232%* विफलता *(*जिसे किसी भी मामले में ठीक किया जा सकता है*)* को आधार से पहले के चरण में वापस लाया जाना चाहिए, इसका पूरा फल ऐसे लोगों तक नहीं पहुंच रहा था*?*

(1) इस कार्यक्रम को शुरू करने के पीछे का पूरा उद्देश्य उन योग्य व्यक्तियों का 'समावेश' है जिन्हें इस तरह के लाभ प्राप्त करने की आवश्यकता है। ऐसा कब होता है।

लाखों योग्य व्यक्तियों तक पहुँचकर बहुत बड़े उद्देश्य की पूर्ति करते हुए, इसे कुछ के बहिष्कार के अप्रमाणित अनुरोध पर सूली पर नहीं चढ़ाया जा सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि बहिष्करण की समस्या है तो न्यायालय इसे तुच्छ नहीं बना रहा है। लेकिन हम जिस बात पर जोर दे रहे हैं वह यह है कि उपाय

प्रमाणीकरण का उपाय यह है कि ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने के लिए उनके मामलों में विफलता के कारणों का पता लगाने के बाद वैकल्पिक तरीकों को अपनाया जाए। हमने यह रास्ता चुना है जो बेहतर संतुलन की ओर ले जाता है और दिया है इस संबंध में भी आवश्यक निर्देश, अर्थात्:

(i) हमने विद्वान महान्यायवादी का बयान दर्ज किया है कि प्रमाणीकरण की विफलता पर किसी भी योग्य व्यक्ति को योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।

((ii) हम उस स्थिति से भी अवगत हैं जहां विभिन्न कारणों से उंगलियों के निशान बनने में बदलाव हो सकता है। यह एक बच्चे के मामले में उसके बड़े होने के बाद हो सकता है*;* यह एक व्यक्ति के मामले में हो सकता है जो बूढ़ा हो जाता है*;* यह दुर्घटना या किसी बीमारी आदि के परिणामस्वरूप उंगलियों को नुकसान के कारण भी हो सकता है। या किसी भी कारण से किसी प्रकार की अक्षमता से पीड़ित होने के कारण। आइरिस परीक्षण

भी किसी व्यक्ति के अंधेपन सहित कुछ कारणों से विफल हो सकता है। हम फिर से जोर देते हैं कि कोई व्यक्ति नहीं

लाभों के अधिकार से ऐसे आधारों पर इनकार किया जाएगा। वैकल्पिक रूप से पहचान स्थापित करने के लिए संबंधित विनियमों में एक उपयुक्त प्रावधान किया जाना उचित होगा। अर्थात्, ऐसी स्थितियों में।

(एम*)* जहां तक सब्सिडी, सेवाओं और लाभों का संबंध है, उनके ई को अनावश्यक रूप से विस्तारित नहीं किया जाना चाहिए जिससे आधार का जाल व्यापक हो, अन्यथा इसकी अनुमति नहीं है। इस संबंध में, यह निम्नानुसार माना जाता है:

(i) धारा *7* में उल्लिखित 'लाभ' और 'सेवाएँ' वे होनी चाहिए जो किसी प्रकार की सब्सिडी आदि के रंग की हों, अर्थात् -

सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जिनके द्वारा सरकार

ऐसे लाभ प्रदान करना जो किसी विशेष वंचित व्यक्ति को लक्षित हों

वर्ग। *((ii)* इसमें केवल वे 'लाभ' आदि शामिल होंगे।

इसे भारत की संचित निधि से निकाला जाना चाहिए। *(iii)* उस आधार पर, सी. बी. एस. ई., एन. ई. ई. टी., जे. ई. ई., यू. जी. सी. आदि आधार की आवश्यकता को अनिवार्य नहीं बना सकते क्योंकि वे इसके दायरे से बाहर हैं।

धारा *7* और किसी भी कानून द्वारा समर्थित नहीं हैं।

(3) क्या बच्चों को इस दायरे में लाया जा सकता है

आधार अधिनियम की धारा *7* और *8* पर*?*

जवाबः

(क*)* आधार अधिनियम के तहत बच्चों के नामांकन के लिए, यह होगा

अपने माता-पिता/अभिभावक की सहमति प्राप्त करने के लिए संवेदनशील। *(* ख*)* वयस्कता की आयु प्राप्त करने पर, ऐसे बच्चे जो अपने माता-पिता की सहमति से आधार में नामांकित हैं, उन्हें जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* का विकल्प दिया जाएगा।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

(ग*)* जहां तक बच्चों के स्कूल में प्रवेश का संबंध है, आधार की आवश्यकता अनिवार्य नहीं होगी क्योंकि यह न तो सेवा है और न ही सब्सिडी। इसके अलावा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि *6* से *14* वर्ष की आयु के बीच के बच्चे को संविधान के अनुच्छेद *21* ए के तहत शिक्षा का मौलिक अधिकार है, स्कूल में प्रवेश को 'लाभ' के

रूप में भी नहीं माना जा सकता है। *(घ)* सर्व शिक्षा अभियान के तहत *6* से *14* वर्ष के बीच के बच्चों को मिलने वाले लाभों के लिए भी अनिवार्य आधार नामांकन की आवश्यकता नहीं होगी।

(ई) आधार अधिनियम की धारा *7* के अंतर्गत आने वाली अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, हालांकि नामांकन संख्या कर सकती है

इस पर जोर दिया जाए तो यह माता-पिता की सहमति के अधीन होगा, जैसा कि ऊपर *(ए)* में उल्लेख किया गया है।

(च) हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि किसी भी बच्चे को इनमें से किसी भी योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा, यदि वह कुछ कारणों से आधार संख्या प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है और आधार संख्या पर पहचान सत्यापित करके लाभ दिया जाएगा।

किसी भी अन्य दस्तावेज़ का आधार। यह हम उस बयान के संबंध में कहते हैं जो भारत के विद्वान अटॉर्नी जनरल श्री के. के. वेणुगोपाल द्वारा बार में दिया गया था। *(4)* क्या आधार अधिनियम और विनियमों के निम्नलिखित प्रावधान असंवैधानिकता के दुष्प्रभाव से ग्रस्त हैं:

(iii) विनियमन *23* के साथ पठित धारा *2 (1)*
((iv) धारा *2 (v)*

(v) धारा *3* *(vi)* धारा *5*

(vii) धारा *6*

(viii) धारा *8*

(ix) धारा *9* *(x)* धारा *11* से *23 [2018] 8* एस. सी. आर.

(xi) धारा *23* और *54* *(xii)* अध्याय *VI* और *VII* के साथ पठित धारा *23 (2) (छ)*-विनियम

27 32 तक

(xvii) धारा *57* *(xviii)* धारा *59*

जवाब:

(क) धारा *2 (घ)* जो प्रमाणीकरण अभिलेखों से संबंधित है, ऐसे अभिलेखों में अधिनियम के विनियम *26 (ग)* में उल्लिखित मेटाडेटा शामिल नहीं होगा।

आधार *(*प्रमाणीकरण*)* विनियम, *2016*। इसलिए, वर्तमान रूप में इस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया है। हालाँकि, न्यायालय द्वारा बताए गए मापदंडों को ध्यान में रखते हुए विनियमन को फिर से तैयार करने की स्वतंत्रता दी गई है। *(* ख*)* जहां तक धारा *2 (*ख*)* का संबंध है, जो 'निवासी' को परिभाषित करती है, याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यक्त की गई आशंका यह थी कि इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए।

अवैध प्रवासियों को आधार कार्ड देना। हम प्रत्यर्थी को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करने का निर्देश देते हैं कि अवैध अप्रवासी इस तरह के लाभ लेने में सक्षम न हों।

(ग*)* छह महीने की अवधि के बाद डेटा का प्रतिधारण है

अस्वीकार्य। इसलिए, आधार *(*प्रमाणीकरण*)* विनियम, *2016* का विनियम *27*, जो पांच साल की अवधि के लिए डेटा संग्रहित करने का प्रावधान करता है, रद्द कर दिया गया है।

(घ*)* धारा *29* वास्तव में जानकारी साझा करने पर प्रतिबंध लगाती है और इसलिए, वैध है क्योंकि यह आधार संख्या के हितों की रक्षा करती है।

धारकों। तथापि, याचिकाकर्ताओं की आशंका यह है कि यह प्रावधान सरकार को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए जानकारी साझा करने का अधिकार देता है - विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। आधार *(*सूचना साझा करना*)* विनियम, *2016* में अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यदि नियमों में कोई प्रावधान किया गया है जो आधार कार्ड धारकों के गोपनीयता अधिकारों को बाधित करता है जिसे हमेशा चुनौती दी जा सकती है।

(ई*)* अधिनियम की धारा *33 (1)* पहचान की जानकारी या प्रमाणीकरण रिकॉर्ड सहित जानकारी के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करती है, सिवाय इसके कि जब यह जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.*

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

यह एक अदालत के आदेश द्वारा है जो एक जिला न्यायाधीश से कम नहीं है। हमने अभिनिर्धारित किया है कि इस प्रावधान को इस स्पष्टीकरण के साथ पढ़ा जाना चाहिए कि एक व्यक्ति, जिसकी जानकारी जारी करने की मांग की जाती है, उसे सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। यदि ऐसा आदेश पारित किया जाता है, तो उस स्थिति में, उसे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर पारित किए गए ऐसे आदेश को चुनौती देने का भी अधिकार होगा। संबंधित अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान, उक्त व्यक्ति हमेशा संविधान के अनुच्छेद *20 (3)* या गोपनीयता अधिकारों आदि सहित कानून में स्वीकृत आधारों पर जानकारी के प्रकटीकरण पर आपत्ति कर सकता है।

(च*)* जहाँ तक धारा *33 (2)* का संबंध है, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सूचना के प्रकटीकरण को गलत नहीं माना जा सकता है।

हालाँकि, ऐसी संभावना के निर्धारण के लिए, संयुक्त सचिव के पद से उच्च अधिकारी को ऐसी शक्ति दी जानी चाहिए। इसके अलावा, किसी भी संभावित दुरुपयोग से बचने के लिए, एक न्यायिक अधिकारी *(*अधिमानतः एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश*)* को भी संबद्ध किया जाना चाहिए। हम यह इंगित कर सकते हैं

कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि सूचना का प्रकटीकरण राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है, न्यायिक दिमाग के अनुप्रयोग के ऐसे प्रावधान कुछ क्षेत्राधिकारों में प्रचलित हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, धारा

33 (2) अधिनियम के वर्तमान रूप को ऊपर सुझाए गए तर्ज पर एक उपयुक्त प्रावधान लागू करने की स्वतंत्रता के साथ निरस्त कर दिया गया है।

(छ) जहां तक अधिनियम की धारा *47* का संबंध है, जो केवल प्राधिकरण या उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर अपराध का संज्ञान लेने का प्रावधान करती है, उसे एक उपयुक्त व्यक्ति की आवश्यकता है। एक द्वारा ऐसी शिकायत दर्ज करने के प्रावधान को शामिल करने के लिए संशोधन

व्यक्ति/पीड़ित के साथ-साथ जिनके अधिकार का उल्लंघन किया जाता है।

(ज) जहाँ तक वर्तमान रूप में धारा *57* का संबंध है, इसका दुरुपयोग होने की संभावना निम्नानुसार हैः *(क)* इसका उपयोग किसी व्यक्ति की पहचान 'किसी भी उद्देश्य के लिए' स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। हम इस प्रावधान को इस अर्थ में पढ़ते हैं कि इस तरह के उद्देश्य को कानून द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, जब भी ऐसा कोई "कानून" बनाया जाएगा, वह न्यायिक जांच के अधीन होगा। *(ख)* ऐसा उद्देश्य केवल किसी कानून के अनुसार सीमित नहीं है, बल्कि 'इस आशय के किसी भी अनुबंध' के अनुसार भी किया जा सकता है। यह स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है क्योंकि एक संविदात्मक प्रावधान एक कानून द्वारा समर्थित नहीं है और इसलिए, आनुपातिकता परीक्षण की पहली आवश्यकता पूरी नहीं होती है। *(ग)* राज्य को अधिकृत करने के अलावा, 'कोई भी निकाय निगमित या व्यक्ति' भी प्रमाणीकरण सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अधिकृत है जो किसी व्यक्ति और ऐसे निकाय निगमित या व्यक्ति के बीच कथित समझौते के आधार पर हो सकता है। भले ही हम यह मान लें कि विधायिका का ऐसा इरादा नहीं था, उपरोक्त *[2018] 8* एस. सी. आर. का प्रभाव।

विशेषताएँ निजी संस्थाओं द्वारा व्यक्तिगत बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय जानकारी के व्यावसायिक दोहन को सक्षम करना होगा। इस प्रकार, प्रावधान का यह हिस्सा जो निकाय कॉर्पोरेट और व्यक्तियों को भी प्रमाणीकरण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, वह भी व्यक्ति और ऐसे निकाय कॉर्पोरेट या व्यक्ति के बीच अनुबंध के आधार पर, इस पर प्रभाव डालेगा

ऐसे व्यक्तियों की निजता का अधिकार। इस प्रकार, धारा के इस भाग को असंवैधानिक घोषित किया गया है। *(i)* आधार अधिनियम के अन्य प्रावधानों को वैध माना जाता है, जिसमें अधिनियम की धारा *59* भी शामिल है, जो हमारे अनुसार, पूर्व-अधिनियम को बचाती है।

आधार परियोजना की अवधि, अर्थात *2009-2016* से।

(5) क्या आधार अधिनियम सीमित की अवधारणा का उल्लंघन करता है

सरकार, सुशासन और संवैधानिक न्यास*?*

जवाबः

आधार अधिनियम सीमित सरकार, सुशासन और संवैधानिक न्यास की अवधारणा को पूरा करता है। *(6)* क्या आधार अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद *110* के अर्थ में 'धन विधेयक' के रूप में पारित किया जा सकता है*?*

जवाबः

(क) हम संसद की द्विसदनीय प्रणाली में राज्यसभा *(*उच्च सदन*)* के महत्व को स्वीकार करते हैं। महत्व और प्रासंगिकता

कुलदिप नायर का मामला। इसलिए, राज्यसभा एक महत्वपूर्ण संस्था बन जाती है जो संवैधानिक आधारवाद को दर्शाती है। यही कारण है कि किसी भी कानून को लागू करने के लिए, विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। यह संवैधानिक जनादेश है। उपरोक्त संसदीय मानदंड का एकमात्र अपवाद है - भारत के संविधान का अनुच्छेद *110*। हमारे संविधान में निहित द्विसदनीयता की इस समग्र योजना को ध्यान में रखते हुए, अनुच्छेद *110* की सख्त व्याख्या की जानी चाहिए। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हमने दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है।

(ख) याचिकाकर्ता स्वीकार करते हैं कि आधार अधिनियम की धारा *7*

'धन विधेयक' के तत्व। हमला इस आधार पर है कि कुछ अन्य प्रावधान, अर्थात् विधेयक के खंड *23 (2) (*एच*), 54 (2) (*एम*)* और *57 (*जो आधार अधिनियम की धारा *23 (2) (*एच*), 54 (2) (*एम*)* और *57* से मेल खाते हैं*)* संविधान के अनुच्छेद *110* के किसी भी खंड के अंतर्गत नहीं आते हैं।

और इसलिए, विधेयक केवल न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* में उल्लिखित विषयों तक ही सीमित नहीं था।

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

आधार के तहत प्रमाणीकरण या आधार आदि का प्रमाण प्रस्तुत करना। इस प्रावधान में यह भी बहुत स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि इस तरह की सब्सिडी, लाभ या सेवा के संबंध में होने वाला खर्च भारत की समेकित निधि। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह भी स्वीकार किया जाता है कि धारा *7* अधिनियम का मुख्य प्रावधान है। वास्तव में, अधिनियम की शुरूआत के साथ-साथ उद्देश्यों और कारणों का विवरण बहुत स्पष्ट रूप से

अभिलिखित कीजिए कि आधार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी सब्सिडी, लाभ और सेवाएँ उन श्रेणियों के व्यक्तियों तक पहुँचें, जिनके लिए वे वास्तव में हैं।

(ग) चूंकि इन तीनों प्रकार के कल्याणकारी उपायों को समाज के हाशिए पर पड़े वर्ग तक विस्तारित करने की मांग की जाती है, इसलिए इसके सामूहिक अध्ययन से पता चलेगा कि इसका उद्देश्य सभी प्रकार की सहायता, समर्थन, अनुदान, लाभ, राहत प्रावधान, सुविधा, उपयोगिता या सहायता का विस्तार करना है, जिसे समाज की संचित निधि के समर्थन से बढ़ाया जा सकता है।

लक्षित वितरण के उद्देश्य के साथ भारत। यह भी स्पष्ट है कि विभिन्न योजनाएं जिन पर उपरोक्त प्रावधानों द्वारा विचार किया जा सकता है, वे समाज के कमजोर और कमजोर वर्ग से संबंधित हैं। सामाजिक न्याय योजना में सब्सिडी या लाभ या सेवा शामिल होगी या नहीं, यह केवल सहायता की प्रकृति और सीमा का मामला है और यह राज्य की आर्थिक क्षमता पर निर्भर करेगा। यहां तक कि जहां राज्य आंशिक रूप से सब्सिडी देता है, चाहे वह नकद में हो या किसी अन्य रूप में, गरीबों की मुक्ति का उद्देश्य लक्ष्य बना रहता है।

(घ) उत्तरदाताओं का कहना सही है कि सब्सिडी, लाभ या सेवा को लक्षित के संदर्भ में समझा जाना चाहिए।

समाज के गरीब और कमजोर वर्गों तक पहुँचाना। इसका अर्थ सार में निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि एक अमूर्त के रूप में कोई भी संसद द्वारा राजा को दी जाने वाली सब्सिडी की कल्पना कर सकता है; सरकार द्वारा निगमों या बैंकों को; आदि। सब्सिडी या लाभ की प्रकृति वैसी नहीं होगी जब गरीबों और दलितों को उन स्थितियों का उत्पादन करने के लिए दिया जाए जिनके बिना वे ऐसा नहीं कर सकते।

सम्मान के साथ जीवन जिएं। आधार अधिनियम के पीछे यही मुख्य कार्य है और इस उद्देश्य के लिए, आधार संख्या के लिए नामांकन अध्याय *II* में निर्धारित किया गया है जिसमें धारा *3* से *6* शामिल हैं। इस प्रकार, निवासियों को आधार संख्या प्राप्त करने का अधिकार है। हम यहां दर्ज कर सकते हैं कि इस तरह का नामांकन स्वैच्छिक प्रकृति का है। हालाँकि, यह उन लोगों के लिए अनिवार्य हो जाता है जो सरकारी व्यय की कल्याणकारी योजना के तहत कोई सब्सिडी, लाभ या सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट से पूरा किया जाना है।

[2018] 8 एस सी आर।

(ङ) याचिकाकर्ताओं द्वारा इसे धन विधेयक के दायरे से बाहर निकालने के प्रयास में बताए गए अन्य प्रावधानों की जांच करने पर, हमारा विचार है कि वे प्रावधान आकस्मिक प्रकृति के हैं जो अधिनियम के उचित संचालन में बनाए गए हैं। किसी भी मामले में, एक हिस्सा धारा *57* को पहले ही असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है। इस प्रकार, हम मानते हैं कि आधार अधिनियम वैध रूप से 'धन विधेयक' के रूप में पारित किया गया है।

(7) क्या आयकर अधिनियम, *1961* की धारा *139* एए निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है और इसलिए असंवैधानिक है*?*

जवाबः

बिनॉय विश्वम के मामले में इस प्रावधान की वैधता को अनुच्छेद *14* और *19* के आधार पर तर्कों को दरकिनार करके बरकरार रखा गया था। संविधान। निजता का सवाल, जो उस समय अनुच्छेद *21* से जुड़ा था, खुला छोड़ दिया गया था। के. एस. पुट्टास्वामी में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर इस मामले की फिर से जांच की जाती है। इस मामले की जांच इस बात को ध्यान में रखते हुए की गई है कि स्पष्ट मनमानेपन भी विधायी अधिनियम के लिए चुनौती का आधार है। निजता पर आक्रमण के लिए अनुमेय सीमाओं के संदर्भ में मामले का निर्णय लेने के बाद भी, अर्थात्ः *(i)* एक कानून का अस्तित्व; *(ii)* एक 'वैध राज्य हित'; और *(iii)* ऐसी कानून को 'आनुपातिकता की परीक्षा' में उत्तीर्ण होना चाहिए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये सभी परीक्षण संतुष्ट हैं। वास्तव में, बिनॉय विश्वम के मामले में भी इन पहलुओं पर विशिष्ट चर्चा है।

(8) क्या धन शोधन निवारण *(*अभिलेखों का रखरखाव*)* नियम, *2005* का नियम *9* और उसके तहत जारी अधिसूचनाएं जो आधार को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य करती हैं, असंवैधानिक हैं*?*

जवाबः

(क*)* हम मानते हैं कि वर्तमान रूप में प्रावधान आनुपातिकता के परीक्षण को पूरा नहीं करता है और इसलिए, गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करता है

एक व्यक्ति जो बैंकिंग विवरण तक फैला हुआ है।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

(ख*)* इस लिंकिंग को न केवल एक नया बैंक खाता खोलने के लिए बल्कि मौजूदा बैंक खातों के लिए भी इस शर्त के साथ अनिवार्य कर दिया गया है कि

आनुपातिकता के लिए आवश्यक है कि मौलिक अधिकारों की एक सीमा को आनुपातिक होने के लिए निम्नलिखित को संतुष्ट करना चाहिएः *(i)* इसे एक उचित उद्देश्य के लिए नामित किया गया है*; (ii)* सीमा को प्रभावी बनाने के लिए उपाय किए गए हैं - उद्देश्य की पूर्ति से तर्कसंगत रूप से जुड़ा हुआ*; (iii)* कोई वैकल्पिक कम आक्रामक उपाय नहीं हैं*;* और *(iv)* उद्देश्य को प्राप्त करने के महत्व और अधिकार को सीमित करने के महत्व के बीच एक उचित संबंध है।

(ग*)* इस निर्णय के मुख्य भाग में बताए गए कारणों के लिए नियमों को असमान माना जाता है।

(9) क्या दूरसंचार विभाग द्वारा मोबाइल को अनिवार्य रूप से जोड़ने के लिए *23* मार्च, *2017* का परिपत्र जारी किया गया है

आधार के साथ संख्या अवैध और असंवैधानिक है*?*

जवाबः

मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ना अनिवार्य करने वाले *23* मार्च, *2017* के परिपत्र को अवैध और असंवैधानिक माना जाता है क्योंकि यह समर्थित नहीं है

किसी भी कानून द्वारा और इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।

(10) क्या उत्तरदाताओं की कुछ क्रियाएँ हैं

न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों का उल्लंघन, यदि हां, तो उसका प्रभाव क्या होगा*?*

जवाबः

इस सवाल का जवाब नकारात्मक है।

448. उपरोक्त चर्चा और टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिकाओं, स्थानांतरित मामलों, विशेष अनुमति याचिकाओं, अवमानना याचिकाओं और सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया जाता है।

1. मामलों के इस समूह में चुनौती को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, पहला, कार्यपालिका की योजना दिनांक *28.01.2009* को चुनौती। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित, जिसके द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण *(*इसके बाद *"*यू. आई. डी. ए. आई*".* के रूप में संदर्भित*)* का गठन यू. आई. डी. ए. आई. योजना को लागू करने के लिए किया गया था, और दूसरा आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016 (*इसके बाद *"*अधिनियम, *2016"* के रूप में संदर्भित*)* को चुनौती देना।

2. मामलों के समूह को चार व्यापक शीर्षों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले

शीर्ष में इस न्यायालय में भारत के संविधान के अनुच्छेद *32* के तहत दायर सोलह रिट याचिकाएं शामिल हैं जो दिनांकित *28.01.2009* और/या अधिनियम, *2016* की अधिसूचना को चुनौती देती हैं।

दूसरे समूह में अनुच्छेद *32* के तहत दायर रिट याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए सात स्थानांतरण मामले/स्थानांतरण याचिकाएं शामिल हैं।

समूह तीन में यू. आई. डी. ए. आई. और ए. एन. आर. द्वारा दायर *2014* की केवल एक विशेष अनुमति याचिका *(*आपराधिक*)* संख्या *2524* शामिल है। चौथे समूह में शामिल हैं -

सात अवमानना याचिकाएँ, जो इस न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं और एसएलपी *(*आपराधिक*)* में पारित अंतरिम आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दायर की गई हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

3. इससे पहले कि हम रिट याचिकाओं में की गई विभिन्न प्रार्थनाओं पर आते हैं जिसमें कार्यकारी योजना दिनांकित *28.01.2009* के साथ-साथ अधिनियम भी शामिल है। *2016* यदि चुनौती दी गई है, तो कुछ पृष्ठभूमि तथ्यों पर ध्यान देना उपयोगी है, जो दिनांक *28.01.2009* के साथ-साथ अधिनियम, *2016* की अधिसूचना जारी करने का कारण बनते हैं।

4. भारत एक ऐसा देश है, जो आबादी के सागर को पूरा करता है। *1947* में जब अंग्रेजों ने हमारा देश छोड़ा तो देश की कुल आबादी केवल

330 मिलियन, जो आज की तारीख में तेजी से बढ़कर *130* करोड़ का विशाल आंकड़ा हो गया है। नागरिकता अधिनियम, *1955* को संसद द्वारा भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और निर्धारण के लिए अधिनियमित किया गया था। हमारे संवैधानिक निर्माताओं ने हर किसी को वयस्क मताधिकार प्रदान किया है

वयस्क नागरिक। भारत के चुनाव आयोग ने प्रत्येक व्यक्ति को एक पहचान पत्र प्रदान करने के लिए कदम उठाए थे ताकि वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। नागरिकता अधिनियम, *1955* को *2004* के अधिनियम *6* द्वारा संशोधित किया गया था, जबकि धारा *14* ए को इस प्रावधान के साथ जोड़ा गया था कि केंद्र सरकार अनिवार्य रूप से भारत के प्रत्येक नागरिक को पंजीकृत कर सकती है और राष्ट्रीय पहचान जारी

कर सकती है उसे कार्ड। भारत सरकार के योजना आयोग ने एक विशिष्ट पहचान न्याय *(*आर. ई. टी. डी.*)* प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट पहचान परियोजना की कल्पना की।

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

देश भर के प्रत्येक निवासी के लिए संख्या, जो शुरू में थी

इसकी परिकल्पना मुख्य रूप से कल्याणकारी सेवाओं के कुशल वितरण के आधार के रूप में की गई है।

इसका गठन किया गया था, जिसने विशिष्ट पहचान परियोजना पर एक रणनीतिक दृष्टि तैयार की थी। प्रक्रिया समिति ने उपरोक्त संबंध में योजना आयोग को एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने दो क्षेत्रों, नागरिकता अधिनियम, *1955* के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की विशिष्ट पहचान संख्या परियोजना को जोड़ने के लिए मंत्रियों के एक अधिकार प्राप्त समूह के गठन को मंजूरी दी। मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने पहचान से संबंधित निवासी डेटाबेस बनाने और एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया, जो डेटाबेस का मालिक होगा और निरंतर आधार पर इसके रखरखाव और अद्यतन के लिए जिम्मेदार होगा। मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने विभिन्न बैठकें कीं जिनमें सचिवों की समिति सहित विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्रदान की गई। अधिकारप्राप्त समूह की सिफारिशें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण *(*इसके बाद "यू. आई. डी. ए. आई". के रूप में संदर्भित*)* के गठन के लिए मंत्रियों की संख्या को यू. आई. डी. ए. आई. की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निर्धारित करने वाले कई दिशानिर्देशों के साथ स्वीकार किया गया था। यू. आई. डी. ए. आई. का गठन भारतीय योजना आयोग के तत्वावधान में किया गया था। यू. आई. डी. ए. आई. का गठन करते हुए दिनांकित *28.01.2009* अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें इसकी संरचना, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का प्रावधान किया गया था।

6. वर्ष *2010* में, राष्ट्रीय पहचान नाम का एक विधेयक

भारतीय प्राधिकरण विधेयक, *2010* भारत में रहने वाले व्यक्तियों और कुछ अन्य वर्गों के व्यक्तियों को पहचान संख्या जारी करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण की स्थापना के लिए प्रावधान करता है।

उन लाभों और सेवाओं तक पहुंच, जिनके वे हकदार हैं और उनसे जुड़े या प्रासंगिक मामलों की शुरुआत की गई थी। यह विधेयक संसद में तब लंबित था जब पहली रिट याचिका अर्थात *2012* की रिट याचिका *(*सी*)* संख्या *494*-न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी *(*सेवानिवृत्त*)* और अन्य। बनाम भारत संघ और अन्य। दाखिल किया गया। अनुच्छेद *32* के तहत रिट याचिका इस आधार पर दायर की गई थी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद *21* के तहत आने वाले असंख्य नागरिकों के मौलिक अधिकार, अर्थात् निजता का अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के एक कार्यकारी आदेश को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की कार्यकारी कार्रवाई से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं

28.01.2009 और इस तरह दोनों नागरिकों के साथ-साथ वर्तमान में देश में अवैध रूप से रह रहे अवैध प्रवासियों को भी आधार संख्या जारी करना। जबकि "भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक, 2010" नामक विधेयक, जिसे पहले ही राज्यसभा में 03.12.2010 पर पेश किया जा चुका था और जिसे स्थायी समिति को भेजा जा चुका था, को खारिज कर दिया गया था। रिट याचिका में निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना की गई:

(ए) उत्तरदाताओं को रोकने के लिए अनिवार्य की प्रकृति में एक रिट जारी करें। 1 3 को अपने कार्यकारी आदेश दिनांक 28.01.2009 को लागू करने के माध्यम से आधार संख्या जारी करने से

(अनुलग्नक "पी-1") जो भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण के प्रावधानों को लागू करने के लिए उपयुक्त है।

विधेयक, 2010 संसद के समक्ष तब तक लंबित है जब तक कि उक्त विधेयक पर संसद द्वारा विचार और पारित नहीं किया जाता है।

और संसद का एक अधिनियम बन जाता है।

(ख) ऐसा अन्य आदेश/आदेश पारित करें जो यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझे।

7. 2013 की रिट याचिका (सी) संख्या 829-श्री एस. जी. वोम्बटकेरे और अन्र। बनाम भारत संघ और अन्य। , श्री एस. जी. वोम्बटकेरे और बेजवाड़ा विल्सन द्वारा यू. आई. डी. परियोजना और आधार योजना पर सवाल उठाते हुए दायर किया गया था। यू. आई. डी. परियोजना और आधार योजना को अवैध और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया गया था। यह भी तर्क दिया गया कि इस योजना को कोई विधायी मंजूरी नहीं है। रिट याचिका में योजना पर हमला करने के लिए कई अन्य आधार बताए गए थे। 2013 की रिट याचिका (सी) संख्या 833-सुश्री अरुणा रॉय और अन्र। बनाम भारत संघ और अन्य। , भी दाखिल किया गया था

यू. आई. डी. योजना को चुनौती देना। अन्य रिट याचिकाएँ रिट याचिकाएँ हैं (ग) 2013 का सं. 932 और 2015 का सं. 37 यू. आई. डी. योजना को चुनौती देते हुए दायर किया गया।

8. एस. जी. वोम्बटकेरे और बेजवाड़ा विल्सन ने एक और रिट दायर की

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने की कवायद को चुनौती देने वाली 2015 की याचिका (सी) संख्या 220। नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 14 ए को भी अमान्य और अधिकार से परे बताते हुए चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने 2013 की पिछली रिट याचिका (सी) संख्या 829 का उल्लेख किया है और पिछली रिट याचिका में पहले से उठाए गए आधारों को अपनाया है। रिट याचिकाकर्ता ने गोपनीय बायोमेट्रिक जानकारी के संग्रह को भी चुनौती दी थी, जो किसी भी अधिनियम या नियमों के तहत न तो स्वीकृत है और न ही अधिकृत है।

9. संसद ने अधिनियम, 2016 अधिनियमित किया, जिसमें शामिल हैं:

निम्नलिखित प्रस्तावना:

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

"सुशासन के रूप में कुशलता प्रदान करने के लिए एक अधिनियम

ऐसे व्यक्तियों को विशिष्ट पहचान संख्या निर्धारित करना और
उससे संबंधित या प्रासंगिक मामले।

10. 2016 की रिट याचिका *(*सी*)* संख्या *331-*श्री जयराम रमेश

बनाम भारत संघ और अन्य। , श्री जयराम रमेश द्वारा दायर याचिका में अधिनियम, *2016* को असंवैधानिक, अमान्य और अधिकार से बाहर घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। *2016* की रिट याचिका *(*सी*)* संख्या *797-*एस. जी. वोम्बटकेरे और अन्य। बनाम भारत संघ और अन्य। , एस. जी. वोम्बटकेरे और बेजवाड़ा विल्सन द्वारा भी अधिनियम, *2016* को चुनौती देते हुए दायर किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने *2013* की पिछली रिट याचिका *(*सी*)* संख्या *829* और *2015* की रिट याचिका *(*सी*)* संख्या *220* का भी उल्लेख किया है। रिट याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम, *2016* को चुनौती देने के लिए विभिन्न आधारों का आरोप लगाया। अधिनियम, *2016* को असंवैधानिक और अमान्य घोषित करने के लिए निर्देश की मांग के अलावा, इसके लिए प्रार्थना की जाती है अधिनियम, *2016* की विभिन्न धाराओं को असंवैधानिक और अमान्य घोषित किया गया था। रिट याचिकाकर्ताओं ने ए से डब्ल्यू तक बहुत सारी राहतों का दावा किया, ए से डी तक राहतों को उद्धृत करना उपयोगी है, जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैं:

"क*)* प्रमाणपत्र की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें या

कोई अन्य उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश जो यह घोषणा करता है कि

आधार *(*वित्तीय और अन्य का लक्षित वितरण*)*

सब्सिडी, लाभ और सेवा*)* अधिनियम, *2016* अधिकार से बाहर है।

असंवैधानिक, अमान्य और विशेष रूप से उल्लंघन

भारत के संविधान के अनुच्छेद *14,19* और *21;*

ख*)* प्रमाणपत्र की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें या

कोई अन्य उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश जो यह घोषणा करता है कि
धारा *2 (*एच*), 2 (1), 2 (*एम*), 2 (*वी*), 3,5,6,7,8,9,10,* अध्याय *4,*

धारा *54,* धारा *29,* धारा *30* के साथ पठित धारा *23,*

संविधान की धारा *33,* धारा *47,* धारा *57* और धारा *59*
आधार *(*वित्तीय और अन्य का लक्षित वितरण*)*

सब्सिडी, लाभ और सेवा*)* अधिनियम, *2016* अधिकार से बाहर है।

असंवैधानिक, अमान्य और विशेष रूप से उल्लंघन
भारतीय संविधान के अनुच्छेद *14,19,20 (3)* और *21;*

ग) प्रमाणपत्र की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें या

कोई अन्य उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश जो यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसकी गारंटी इसके तहत दी गई है

भारत के संविधान का भाग III;

घ) प्रमाणपत्र की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें या

कोई अन्य उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश जो घोषित करता है कि नहीं

व्यक्ति किसी भी वित्तीय सब्सिडी से वंचित हो सकता है।

या राज्य से अन्य सब्सिडी या लाभ या सेवाएँ

आधार कि उसके पास आधार नहीं है

संख्या; "

11. 2017 की रिट याचिका (सी) संख्या 342-शांता सिन्हा और अन्न।

बनाम भारत संघ और एएनआर। अधिनियम, 2016 को चुनौती देते हुए दायर किया गया था। इसके अलावा

अधिनियम, 2016 की विभिन्न धाराओं को अमान्य घोषित करने के निर्देश की मांग करने से, रिट याचिकाकर्ताओं ने धाराओं को घोषित करने वाले निर्देश के लिए भी अनुरोध किया 2 (एच), 2 (1), 2 (एम), 2 (वी), 3,5,6,7,8,9,10, अध्याय 4, धारा 23 धारा 54, धारा 29, धारा 30, धारा 33, धारा 47, धारा 57 के साथ पढ़ा जाता है।

और अधिनियम, 2016 की धारा 59 को अधिकार से बाहर, असंवैधानिक और अमान्य बताया गया है। लिखित याचिका (सिविल) सं। 372 2017-शंकर प्रसाद डांगी बनाम भारत कुकिंग कोल लिमिटेड और एक अन्य, शंकर प्रसाद डांगी द्वारा दायर किया गया था, जो भारत कुकिंग कोल लिमिटेड के तहत कार्यरत होने का दावा करते हैं। याचिकाकर्ता ने रिट याचिका दायर कर प्रतिवादियों को निर्देश देने का अनुरोध किया कि वे याचिकाकर्ता को आधार कार्ड की प्रति जमा करने के लिए मजबूर न करें। याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के दिनांकित आदेश पर भरोसा रखा

14.09.2016 2016 की रिट याचिका (सी) संख्या 686 में। पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा 2017 की रिट याचिका (सी) संख्या 841 भी दायर की गई है।

अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत जारी की गई विभिन्न अधिसूचनाएँ। याचिकाकर्ता ने यह घोषणा करते हुए एक निर्देश की भी मांग की कि किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता है

राज्य से इस आधार पर कोई लाभ या सेवा प्राप्त करना कि उसके पास आधार संख्या या आधार नामांकन नहीं है। *2017* की रिट याचिका *(*सी*)* संख्या *1058*-मैथ्यू थॉमस बनाम। भारत संघ और अन्य। अधिनियम, *2016* को चुनौती देते हुए दायर किया गया है। रिट याचिकाकर्ता ने धन शोधन रोकथाम नियम *(*दूसरा संशोधन*) 2017* को संविधान के अनुच्छेद *14,19* और *21* का उल्लंघन करने वाला घोषित करने का भी अनुरोध किया। आयकर अधिनियम, *1961* की धारा *139* एए को भी संविधान के अनुच्छेद *14,19* और *21* का उल्लंघनकारी घोषित करने का अनुरोध किया गया था।

12. 2017 की रिट याचिका *(*सी*)* संख्या *966*-राघव तन्खा बनाम। संघ

अपने सचिव और अन्य के माध्यम से भारत सरकार द्वारा। निम्नलिखित के लिए दायर किया गया है

प्रार्थनाः

ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

भारत के संविधान के अनुच्छेद *32* के तहत एक रिट ऑफ मैंडमस या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें उत्तरदाताओं को यह घोषित करने का निर्देश दिया जाए कि आधार है

प्रमाणीकरण के उद्देश्य के लिए अनिवार्य नहीं है जबकि

मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करना; या पुनः सत्यापन अभिदाता, पूरी तरह से अवैध, मनमाना और दुर्भावनापूर्ण होने के कारण;

और/या

भारत के संविधान के अनुच्छेद *32* के तहत एक रिट ऑफ मैंडमस या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें उत्तरदाताओं संख्या *2* से *6* को निर्देश दिया जाए कि वे वर्तमान स्थिति में तत्काल कदम, यू. आई. डी. ए. आई. से निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को डेटा के हस्तांतरण को रोकने और प्रतिबंधित करने के लिए और आधार को एकमात्र विकल्प बनाया जा रहा है

प्रमाणीकरण; और/या "

/ 2017 की रिट याचिका *(*सी*)* संख्या *1014*-एम. जी. देवसहायम और भारत और अन्न का आयन। दाखिल किया गया है, जहाँ निम्नलिखित प्रार्थनाएँ की जाती हैंनादः

यह माननीय न्यायालय एक उपयुक्त आदेश जारी कर सकता है। धन शोधन निवारण *(*दूसरा संशोधन*)* नियम, *2017* द्वारा संशोधित धन शोधन निवारण नियम, *2017* के नियम *9* को अधिकार से बाहर, असंवैधानिक, अमान्य और विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद *14,19* और *21* का उल्लंघन करने वाला घोषित करने वाला रिट, आदेश या निर्देश;

यह माननीय न्यायालय एक उपयुक्त आदेश जारी कर सकता है।

यह घोषणा करने वाला रिट, आदेश या निर्देश कि बैंक खातों को इस आधार पर अस्वीकार या बंद नहीं किया जाएगा कि उसके पास आधार संख्या नहीं है;

यह माननीय न्यायालय एक उपयुक्त आदेश जारी कर सकता है।

उत्तरदाताओं के खिलाफ अनिवार्य प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जो उन्हें तुरंत इससे बचने का निर्देश देता है।

यह माननीय न्यायालय एक उपयुक्त आदेश जारी कर सकता है। *[2018] 8* एस. सी. आर. के विरुद्ध आदेश की प्रकृति में लिखित आदेश या निर्देश।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उत्तरदाताओं ने उन्हें उचित घोषणाएं, परिपत्र और/या निर्देश जारी करके तुरंत स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया कि

भारत के किसी भी नागरिक को आधार संख्या/आधार कार्ड प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है और यह कि आधार अधिनियम के तहत कार्यक्रम पूरी तरह से स्वैच्छिक है, यहां तक कि आधार संख्या खोलने या बनाए रखने के लिए भी।
बैंक खाते और वित्तीय लेनदेन;

यह माननीय न्यायालय संबंधित लागतों का निर्णय देने के लिए प्रसन्न हो सकता है।

ई*)*

याचिकाकर्ताओं को वर्तमान याचिका पर; और

यह माननीय न्यायालय कोई अन्य रिट जारी कर सकता है।

च*)*

इस रूप में परमादेश की प्रकृति में आदेश/दिशा
अदालत मामले की परिस्थितियों में उचित समझ सकती है।

14. 2017 की रिट याचिका *(*सी*)* संख्या *1002*-डॉ. कल्याणी मेनन सेन बनाम। भारत संघ और अन्य ने यह भी घोषणा करने की मांग की कि धन शोधन रोकथाम *(*अभिलेखों का रखरखाव*)* दूसरा संशोधन नियम, *2017* का नियम *2 (*बी*)* अधिकार से बाहर है। दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किए गए *23.03.2017* दिनांकित परिपत्र को भी अधिकार से बाहर, असंवैधानिक, अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी। यह घोषणा करते हुए एक और निर्देश की मांग की गई कि दिनांकित *23.03.2017* परिपत्र के अनुसार, मोबाइल अभिदाताओं के फोन नंबर चालू नहीं किए जाएंगे और भविष्य के आवेदकों को अपने आधार नंबर जमा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। रिट याचिका में कुछ अन्य राहतों का भी दावा किया गया है। *2017* की रिट याचिका *(*सी*)* संख्या *1056*-नचिकेत उदुपा और अन्र। बनाम भारत संघ और अन्य। अधिनियम, *2016* और अन्य प्रार्थनाओं को चुनौती देते हुए दायर किया गया है, जो इस प्रकार है:

ए. घोषणा पत्र और मैंडमस या कोई अन्य दस्तावेज जारी करना।

उपयुक्त लेखन, निर्देश, आदेश या ऐसा कोई अन्य आदेश

आधार घोषित करने के लिए उचित उपाय *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभों और सेवाओं का लक्षित वितरण*)*

सेवा*)* अधिनियम, *2016 [2016* का अधिनियम संख्या *18]* भारत के संविधान के अनुच्छेद *14,19 (1) (*ए*)* और *21* का अवैध और उल्लंघनकारी है*;*

बी.

प्रार्थना *(*ए*)* के विकल्प में, एक रिट जारी करें

'अप्ट-आउट' या प्रक्रिया प्रदान करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या *3* के खिलाफ लेखन, निर्देश, आदेश या ऐसा अन्य उपयुक्त उपाय।
आधार संख्या धारकों के विकल्प पर केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी से पहचान की जानकारी को हटाना; ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

आधार घोषित करने के लिए उचित उपाय *(*नामांकन*)* और अद्यतन*)* विनियम, *2016* अवैध है, और अधिकार से बाहर है

आधार अधिनियम और भारत के अनुच्छेद *14* और *21* का उल्लंघन

भारत का संविधान*;*

घोषणा पत्र और आदेश पत्र या कोई अन्य उपयुक्त आदेश, निर्देश, आदेश या ऐसा कोई अन्य आदेश जारी करें।
आधार घोषित करने के लिए उचित उपाय

(प्रमाणीकरण*)* विनियम, *2016* को अवैध और आधार अधिनियम के अधिकार से बाहर होने और अनुच्छेद *14* का उल्लंघन करने वाला बताया गया है।

और भारत के संविधान का *21;*

घोषणा पत्र और मैंडमस या कोई अन्य दस्तावेज जारी करें

उपयुक्त लेखन, निर्देश, आदेश या ऐसा कोई अन्य आदेश आधार घोषित करने के लिए उचित उपाय *(*डेटा*)*

प्रतिभूति*)* विनियम, *2016* को अवैध और आधार अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए और इसके अनुच्छेद *14* और *21* का उल्लंघन करने वाला बताया गया है।

भारत का संविधान; घोषणा पत्र और मैंडमस या कोई अन्य दस्तावेज जारी करें

उपयुक्त लेखन, निर्देश, आदेश या ऐसा कोई अन्य आदेश

आधार *(*सूचना साझा करना*)* विनियम, *2016* को अवैध घोषित करने के लिए उचित उपाय, और आधार अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और अनुच्छेद *14* का उल्लंघन करता है और

21 भारत के संविधान का;

घोषणा पत्र और मैंडमस या कोई अन्य दस्तावेज जारी करें

2016 - AS.II, अवैध होने के नाते, आधार अधिनियम के अधिकार से बाहर है और संविधान के अनुच्छेद *14,19 (1) (*ए*)* और *21* का उल्लंघन करता है; उपरोक्त प्रार्थना *(*जी*)* के विकल्प में, एक रिट जारी करें

घोषणा और आदेश या कोई अन्य उपयुक्त लेखन, निर्देश, आदेश या ऐसा कोई अन्य उपयुक्त उपाय।

प्रत्यर्थी संख्या *2* को सभी दूरसंचार सेवाओं को प्रतिबंधित करने के लिए

आधार संख्या, बायोमेट्रिक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट के भंडारण, बनाए रखने, प्रतियां बनाने या किसी भी तरह से काम करने वाले प्रदाता

मोबाइल नंबरों के प्रमाणीकरण और/या पहचान सत्यापन की प्रक्रिया में उत्तरदाता संख्या *3* से प्राप्त जानकारी या कोई जनसांख्यिकीय जानकारी;
इस माननीय न्यायालय के रूप में आगे और अन्य आदेश पारित करें

आई.

तत्काल तथ्यों में उपयुक्त और उचित समझ सकते हैं और
परिस्थितियाँ "।

15. अनुच्छेद *32* के तहत दायर रिट याचिकाओं के साथ सात स्थानांतरण मामलों/स्थानांतरण याचिकाओं पर सुनवाई की जानी है, जहां मुद्दे हैं।

यू. आई. डी. योजना और अन्य संबंधित मुद्दों को भी विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष उठाया गया था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा चार स्थानांतरण आवेदन दायर किए गए हैं जिनमें विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित विभिन्न रिट याचिकाओं को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है।

2012 की रिट याचिका *(*सी*)* संख्या *494*-न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी *(*सेवानिवृत्त*)* और

एन. आर. बनाम भारत संघ और अन्य। , जो समान मुद्दों पर विचार कर रहे थे। इस न्यायालय ने कुछ स्थानांतरण याचिकाओं में आदेश पारित किया था और कुछ निर्देश जारी किए थे, बाकी स्थानांतरण याचिकाओं की भी अनुमति है। *16. 2013* की रिट याचिका *(*सी*)* संख्या *2764*-श्री वी. विश्वनाथम

बनाम को स्थानांतरित करने के लिए भारत संघ द्वारा एक स्थानांतरण याचिका भी दायर की गई है। भारत संघ और अन्य। , हैदराबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन। लंबित विभिन्न रिट में विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है।

याचिकाएँ, जिन्हें उपरोक्त स्थानांतरण याचिकाओं/स्थानांतरण मामलों द्वारा स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मुद्दे कमोबेश एक जैसे थे, जो *2012* की प्रमुख रिट याचिका *(सी)* संख्या *494*-न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी *(*सेवानिवृत्त*)* और ए. एन. आर. में उठाए गए हैं। बनाम भारत संघ और अन्य। और अन्य रिट याचिकाएँ, जिन पर इस न्यायालय में विचार किया गया था और जो लंबित थीं। विशेष अवकाश याचिका *(*सी. आर. एल.*)* यू. आई. डी. ए. आई. और ए. एन. आर. द्वारा *2014* का सं. *2524* दायर किया गया है, जिसमें गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक रिट याचिका सं. *10* में पारित अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई है।

2014 - भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अपने निदेशक के माध्यम से जनरल *&* एन. आर. बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर एक आवेदन पर, एक मजिस्ट्रेट ने एक पारित किया

22.10.2013 पर आदेश यू. आई. डी. ए. आई. को सात साल की बच्ची के बलात्कार के मामले के संबंध में कुछ डेटा प्रदान करने का निर्देश देता है। गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कुछ अंतरिम निर्देश जारी करते हुए एक आदेश पारित किया, जिसे यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा उपरोक्त विशेष अनुमति याचिका में चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय ने गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाने के लिए *24.03.2014* पर एक अंतरिम आदेश पारित किया। इस न्यायालय ने अंतरिम आदेश द्वारा यू. आई. डी. ए. आई. को किसी भी बायोमेट्रिक जानकारी को स्थानांतरित करने से रोक दिया।

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

किसी भी व्यक्ति की आधार संख्या जिसे लिखित रूप में उसकी सहमति के बिना किसी अन्य एजेंसी को आवंटित किया गया है। इस विशेष अनुमति याचिका को *2012* की रिट याचिका *(सी)* संख्या *494* के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था। *17.* इस न्यायालय ने *2012* की रिट याचिका *(सी)* संख्या *494* में *23.09.2013,24.03.2014,16.03.2015,* दिनांकित विभिन्न अंतरिम आदेश जारी किए हैं।

11.08.2015 और *15.10.2015*।

18. सात अवमानना याचिकाएं दायर की गई हैं। सात में से पांच अवमानना याचिकाएं उपरोक्त के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दायर की गई हैं।

अंतरिम आदेश और प्रत्यर्थियों के खिलाफ कार्यवाही जारी करने के लिए प्रार्थना

जानबूझकर अंतरिम आदेशों की अवज्ञा करने के लिए अवमानना। डब्ल्यू. पी. में *2015* की एक अवमानना याचिका *(सी)* संख्या *674*। *(ग) 2013* का *No.829* प्रतिवादी अवमानक के खिलाफ जानबूझकर कार्यवाही जारी करने के लिए दायर किया गया है।

इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित *23.09.2013,24.03.2014* और *16.03.2015* आदेशों की अवज्ञा करना। डब्ल्यू. पी. में *2018* की दूसरी अवमानना याचिका *(सी)* संख्या *34*। *(ग) 2017* की सं. *1014* प्रत्यर्थी अवमानकों के खिलाफ इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त रिट याचिका में पारित दिनांक *1* के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए दायर की गई है। सभी अवमानना आवेदन

अवमानना याचिकाओं में नोटिस जारी करने के किसी भी आदेश के बिना लंबित हैं।

19. 2012 की लिखित याचिका *(सी) No.494:* न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी *(*सेवानिवृत्त*)* और एक अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य को एक प्रमुख याचिका के रूप में माना गया है जिसमें विभिन्न आदेश और कार्यवाही की गई हैं, ऐसे कुछ आदेशों और कार्यवाही पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। *2012* की रिट याचिका *(सी) No.494* में दिनांकित *23.09.2013* का एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" डब्ल्यू. पी. में नोटिस जारी करें। *(ग)* सं. *829/2013*। याचिकाकर्ता का नाम हटाने के लिए आवेदन सं। *1* टी. पी में *(ग)* संख्या। *47* में से

2013 अनुमति है।

टी. पी. *(सी)* संख्या। *47-48 2013* और टी. पी. *(ग) 2013* की सं. *476*

हस्ताक्षरित आदेश के संदर्भ में अनुमति दी जाती है।

सभी मामलों की सुनवाई अंततः होनी चाहिए। सभी मामलों की सूची बनाएँ

संविधान पीठ के समाप्त होने के बाद अंतिम सुनवाई के लिए।

इस बीच, किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलने के लिए पीड़ित नहीं होना चाहिए

आधार कार्ड इस तथ्य के बावजूद कि कुछ प्राधिकरण था

इसे अनिवार्य बनाने के लिए एक परिपत्र जारी किया और जब कोई व्यक्ति

स्वैच्छिक रूप से आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है, यह जांचा जा सकता है कि क्या वह व्यक्ति कानून के तहत इसके लिए हकदार है और यह होना चाहिए

किसी भी अवैध अप्रवासी को नहीं दिया जाएगा। *"[2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

20. दिनांक *26.11.2013* के आदेश द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी निर्देश देने के लिए उत्तरदाता के रूप में शामिल किया गया था। अंतरिम आदेश

पहले भी पारित किया गया था। *24.03.2014* पर एस. एल. पी. *(*सी. आर. एल.*)* में निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था। *2014* का *No.2524:*

"नोटिस जारी करें।

सामान्य सेवा के अलावा, दस्ती सेवा, है

अनुमति दी गई।

विवादित आदेश के संचालन पर रोक रहेगी।

इस बीच, वर्तमान याचिकाकर्ता को प्रतिबंधित किया गया है

किसी भी व्यक्ति की किसी भी बायोमेट्रिक जानकारी को स्थानांतरित करना जिसके पास है उनकी लिखित सहमति के बिना किसी अन्य एजेंसी को आधार संख्या आवंटित की गई थी।

इसके अलावा, किसी भी व्यक्ति को आधार संख्या के अभाव में किसी भी सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा, यदि वह अन्यथा पात्र/हकदार है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने प्रपत्रों/परिपत्रों/पसंदों में संशोधन करें ताकि अंतरिम आदेश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आधार संख्या की आवश्यकता न हो

इस न्यायालय द्वारा तुरंत पारित किया गया।

मुख्य विषय यानी डब्ल्यू. पी. *(सी) No.494/*के साथ मामले को टैग करें और सूचीबद्ध करें।

2012. "

21. इस अदालत ने *2012* की रिट याचिका *(सी) No.494* में *16.03.2015* पर भारत संघ और राज्यों और उनके सभी अधिकारियों दोनों को निर्देश दिया।

23.09.2013 दिनांकित आदेश का पालन करना चाहिए।

22. आई. डी. *1* पर तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एक आदेश पारित कर मामले को उचित संख्या वाली पीठ के पास भेज दिया। संदर्भ के बाद था याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई प्रार्थना पर पीठ द्वारा निम्नलिखित अंतरिम निर्देश भी पारित किए गए:

"इस मामले पर विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि जब तक मामला अंतिम रूप से समाप्त नहीं हो जाता, तब तक ब्याज संतुलन सबसे अच्छा रहेगा।

यदि भारत संघ या यू. आई. डी. ए. एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय लिया जाता है

निम्नलिखित तरीके से आगे बढ़ें:

1. भारत संघ रेडियो और टेलीविजन नेटवर्क सहित इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में व्यापक प्रचार करेगा कि यह है

आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए किसी नागरिक के लिए अनिवार्य नहीं है; एसटीआईसीई के. एस. पुट्टास्वामी *(आरईटीडी) v.*

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

2. आधार कार्ड दिखाने की कोई शर्त नहीं होगी -

किसी नागरिक को अन्यथा देय कोई भी लाभ प्राप्त करना;

3. विशिष्ट पहचान संख्या या आधार कार्ड का उपयोग उत्तरदाताओं द्वारा पीडीएस योजना के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए और विशेष रूप से खाद्यान्न आदि के वितरण और खाना पकाने के ईंधन जैसे मिट्टी के तेल के लिए नहीं किया जाएगा। आधार कार्ड का उपयोग एलपीजी वितरण के उद्देश्य से भी किया जा सकता है।

योजना;

4. आधार कार्ड जारी करते समय भारतीय विशिष्ट *15* पहचान प्राधिकरण द्वारा प्राप्त एक व्यक्ति के बारे में जानकारी

ऊपर के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जैसा कि किसी न्यायालय द्वारा आपराधिक उद्देश्य के लिए निर्देशित किया जा सकता है

जांच पड़ताल की। तदनुसार आदेश दिया गया। "

23. 15.10.2015 पर पाँच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने दिनांक *11.08.2015* के पिछले आदेश में स्पष्टीकरण/संशोधन की मांग के लिए भारत संघ द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई के बाद एक आदेश पारित किया।

वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक आदेश इस प्रकार हैः

"*3.* भारत के विद्वान महान्यायवादी और अन्य विद्वान वरिष्ठ वकीलों को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि दिनांक *1* के आदेश के पैराग्राफ *3* में, यदि हम अन्य दो योजनाओं, अर्थात् पी. डी. एस. योजना और एल. पी. जी. वितरण योजना के अलावा, द महात्मा जैसी योजनाओं को जोड़ते हैं।

गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना *12*

(एम. जी. एन. आर. ई. जी. ए.*)*, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम *(*वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन*)* प्रधानमंत्री का

जन धन योजना *(*पीएमजेडीवाई*)* और कर्मचारी भविष्य निधि

संगठन *(*ई. पी. एफ. ओ.*)* वर्तमान में, यह पहले कमजोर नहीं होगा। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश। इसलिए, अब हम अन्य दो योजनाओं के अलावा उपरोक्त योजनाओं को शामिल करते हैं कि -

अदालत ने अपने पहले के आदेश दिनांक *11.08.2015* में अनुमति दी है। *5.* हम यह भी स्पष्ट करेंगे कि आधार कार्ड योजना विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक है और इसे तब तक अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता जब तक कि इस मामले पर इस अदालत द्वारा किसी न किसी तरह से फैसला नहीं लिया जाता।

24. इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने *2015* के अपने संदर्भ आदेश में कहा कि ये मामले दूरगामी सवाल उठाते हैं, जिसमें संविधान की व्याख्या शामिल है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस न्यायालय के निर्णय, अर्थात, एम. पी. शर्मा और अन्य बनाम। सतीश चंद्र और अन्य, *1954* ए. आई. आर. एस. सी. *300*, आठ न्यायाधीशों द्वारा दिया गया और एक अन्य निर्णय छह न्यायाधीशों की पीठ द्वारा खरक सिंह बनाम मामले में दिया गया। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य, ए. आई. आर. *1963* एस. सी. *1295* पर ध्यान दिया गया और यह देखा गया कि उपरोक्त दो निर्णयों में की गई टिप्पणियों की स्थिति में -

शाब्दिक रूप से पढ़ने और इस देश के कानून के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए, भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों और विशेष रूप से अनुच्छेद *21* के तहत स्वतंत्रता के अधिकार को शक्ति और जीवन शक्ति से वंचित किया जाएगा। तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि मामलों के इस समूह में उठाए गए विवाद को हमेशा के लिए शांत करने के लिए, यह बेहतर है कि एम. पी. शर्मा *(*उपरोक्त*)* और खरक सिंह *(*उपर्युक्त*)* के अनुपात निर्णय की जांच की जाए और इस न्यायालय के बाद के फैसलों की न्यायशास्त्रीय शुद्धता की जांच की जाए, जहां निजता के अधिकार पर या तो जोर दिया जाता है या संदर्भित किया जाता है और इस पर एक पीठ द्वारा आधिकारिक रूप से निर्णय लिया जाए।

उचित शक्ति। *25.* दिनांक *1* के आदेश द्वारा, एक संविधान पीठ ने यह उचित माना कि इस मुद्दे को नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा हल किया जाए।

संविधान पीठ द्वारा *18.07.2017* पर निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

"आज की सुनवाई के दौरान, ऐसा लगता है कि

भारतीय संविधान के तहत निजता का मौलिक अधिकार। इस प्रश्न के निर्धारण में अनिवार्य रूप से यह निहित होगा कि क्या इस न्यायालय द्वारा एम. पी. शर्मा और अन्य मामलों में दर्ज किया गया निर्णय। बनाम सतीश चंद्र, जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली और अन्य। - *1950* आठ न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा एस. सी. आर. *1077*, और खड़क सिंह बनाम में भी। यू. पी. और अन्य का राज्य। - *1962 (1)* छह न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा एस. सी. आर. *332*, कि ऐसा कोई मौलिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक स्थिति की सही अभिव्यक्ति है।
इस मामले पर आगे विचार करने से पहले, हमारा विचार है कि यहाँ ऊपर देखे गए मुद्दे को रखा जाना चाहिए।

नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष। इन बातों को सूचीबद्ध करें।

19.07.2017 पर नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष।

प्रतिद्वंद्वी पक्षों की ओर से पेश विद्वान वकील को इस बीच अपनी लिखित जानकारी प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

26. नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई के लिए आगे बढ़ी और

भारत के संविधान में निहित निजता के अधिकार के सभी पहलुओं का निर्णय लेना।

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

27. डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ ने भी उनकी ओर से राय दी।

खेहर की ओर से सी. जे. , अग्रवाल, जे. और नजीर, जे. जास्ती

मेसवर, जे., बोबडे, जे., सप्रे, जे. और कौल, जे. ने भी काम किया।

अंगूठी, लेकिन अलग राय। उपरोक्त मामलों में सभी नौ न्यायाधीशों की राय थी कि निजता का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो कानूनी रूप से संरक्षित है और यह भारत के संविधान के *21* के तहत गारंटीकृत संरक्षण का एक हिस्सा है। डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. ने पैराग्राफ *297* और *298* में 'वाई' की आवश्यक प्रकृति की व्याख्या की है।

एनजीः

"297. फिर, गोपनीयता क्या मानती है*?* गोपनीयता व्यक्ति के लिए एक निजी स्थान के आरक्षण को स्वीकार करती है, जिसे अकेले रहने के अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। यह अवधारणा व्यक्ति की स्वायत्तता पर आधारित है। किसी व्यक्ति की चुनाव करने की क्षमता मानव व्यक्तित्व के मूल में निहित है। द.

निजता की धारणा व्यक्ति को मानव तत्व पर जोर देने और नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व से अविभाज्य है। मानव व्यक्तित्व की अलंघनीय प्रकृति है

मानव जीवन के अंतरंग मामलों पर निर्णय लेने की क्षमता में प्रकट। व्यक्ति की स्वायत्तता उन मामलों से जुड़ी होती है जिन्हें निजी रखा जा सकता है। ये ऐसी चिंताएं हैं जिन पर गोपनीयता की वैध अपेक्षा है। शरीर और मन मानव व्यक्तित्व के अविभाज्य तत्व हैं। शरीर की अखंडता और मन की पवित्रता इस आधार पर मौजूद हो सकती है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक अविभाज्य क्षमता और एक निजी स्थान को संरक्षित करने का अधिकार है जिसमें मानव व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। चुनाव करने की क्षमता के बिना, व्यक्तित्व की अनुल्लंघनीयता संदेह में होगी। निजता के एक क्षेत्र को पहचानना केवल एक स्वीकृति है कि प्रत्येक व्यक्ति को चार्ट बनाने और विकास के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने का अधिकार होना चाहिए।

व्यक्तित्व का। इसलिए निजता अपने आप में मानवीय गरिमा का एक अभिधारणा है। विचार और व्यवहार संबंधी पैटर्न जो किसी व्यक्ति के लिए अंतरंग होते हैं, वे गोपनीयता के क्षेत्र के हकदार होते हैं जहां कोई व्यक्ति सामाजिक अपेक्षाओं से मुक्त होता है। निजता के उस क्षेत्र में, किसी व्यक्ति को दूसरों द्वारा नहीं आंका जाता है। निजता प्रत्येक व्यक्ति को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाती है जो मानव व्यक्तित्व में अभिव्यक्ति पाते हैं। यह व्यक्तियों को अपनी मान्यताओं, विचारों को बनाए रखने में सक्षम बनाता है,

अभिव्यक्तियाँ, विचार, विचारधाराएँ, वरीयताएँ और उनके विरुद्ध विकल्प

एकरूपता की सामाजिक माँग। निजता एक आंतरिक बात है

विषमता की मान्यता, व्यक्ति के सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट होने के अधिकार की मान्यता

अलग और एकांत का क्षेत्र बनाने में अनुरूपता के ज्वार के खिलाफ खड़े होने के लिए। निजता व्यक्ति को उन मामलों में प्रचार की खोज से बचाती है जो उसके जीवन के लिए व्यक्तिगत हैं। निजता उस व्यक्ति से जुड़ी होती है न कि उस स्थान से जहां वह जुड़ी हुई है। निजता सभी स्वतंत्रता की नींव का गठन करती है क्योंकि यह गोपनीयता में है कि व्यक्ति यह तय कर सकता है कि स्वतंत्रता का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जाता है। व्यक्तिगत गरिमा और गोपनीयता अटूट हैं।

एक बहुवचन संस्कृति के ताने-बाने में विविधता के धागे से बुने गए एक पैटर्न में जुड़ा हुआ है।
298. व्यक्ति की निजता गरिमा का एक अनिवार्य पहलू है। गरिमा का एक आंतरिक और वाद्य मूल्य दोनों है। एक आंतरिक मूल्य के रूप में, मानव गरिमा एक अधिकार या एक

अपने आप में संवैधानिक रूप से संरक्षित हित। अपने वाद्य पहलू में,

जीवन और स्वतंत्रता का मूल्य। स्वतंत्रता का एक व्यापक अर्थ है जिसका गोपनीयता एक उपसमुच्चय है। सभी स्वतंत्रताओं का उपयोग गोपनीयता में नहीं किया जा सकता है। फिर भी अन्य को केवल एक निजी स्थान के भीतर पूरा किया जा सकता है। निजता व्यक्ति को शरीर और मन की स्वायत्तता बनाए रखने में सक्षम बनाता है। व्यक्ति की स्वायत्तता जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने की क्षमता है। निजता को एक स्वतंत्र मौलिक अधिकार के रूप में नहीं लिया गया है। लेकिन यह उसे दिए गए संवैधानिक संरक्षण से अलग नहीं है, एक बार गोपनीयता की वास्तविक प्रकृति और उन लोगों के साथ इसके संबंध

मौलिक अधिकारों को समझा जाता है जो स्पष्ट रूप से संरक्षित हैं। गोपनीयता संरक्षित स्वतंत्रताओं के दायरे में आती है। समानता की गारंटी राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ एक गारंटी है। यह राज्य को व्यक्तियों के बीच भेदभाव करने से रोकता है।

एक पवित्र व्यक्तिगत स्थान के राज्य द्वारा विनाश

चाहे शरीर का हो या मन का, मनमाना राज्य कार्रवाई के खिलाफ गारंटी का उल्लंघन है। शरीर की गोपनीयता व्यक्ति को व्यक्तित्व के भौतिक पहलुओं की अखंडता का अधिकार देती है। किसी की मानसिक अखंडता और गोपनीयता के बीच का प्रतिच्छेदन व्यक्ति को विचार की स्वतंत्रता, जो सही है उसमें विश्वास करने की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जब ये गारंटी लिंग के साथ प्रतिच्छेदन करती हैं, तो वे एक निजी स्थान बनाते हैं जो उन सभी तत्वों की रक्षा करता है जो लिंग पहचान के लिए महत्वपूर्ण हैं। परिवार, विवाह, प्रजनन और यौन संबंध के. एस. पुत्रस्वामी *(आर. ई. टी. डी.) v.*

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

अनुच्छेद *21* के संयोजन में पढ़ने पर, स्वतंत्रता व्यक्ति को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर वरीयताओं का चयन करने में सक्षम बनाती है, जिसमें कोई क्या और कैसे खाएगा, कोई कैसे कपड़े पहनेगा, कोई किस विश्वास का

पालन करेगा और असंख्य अन्य मामले शामिल हैं जिन पर स्वायत्तता और आत्मनिर्णय के लिए मन की गोपनीयता के भीतर एक विकल्प की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद *25* के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार में एक विश्वास चुनने की क्षमता और दुनिया के सामने उन विकल्पों को व्यक्त करने या न करने की स्वतंत्रता निहित है। ये कुछ उदाहरण हैं कि किस तरह से गोपनीयता स्वतंत्रता को सुविधाजनक बनाती है और इसके अभ्यास के लिए आंतरिक है स्वतंत्रता। संविधान में एक अलग अनुच्छेद नहीं है जो हमें बताता है कि निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। न ही हमने भाग *III* के प्रावधानों को एक अल्फा-प्रत्यय गोपनीयता के अधिकार के साथ टैग किया है: यह न्यायिक पुनर्लेखन का कार्य नहीं है। गोपनीयता के बिना गरिमा का अस्तित्व नहीं हो सकता है। दोनों जीवन, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के अपरिहार्य मूल्यों के भीतर रहते हैं जिन्हें संविधान ने मान्यता दी है। निजता व्यक्ति की पवित्रता की अंतिम अभिव्यक्ति है। यह एक संवैधानिक मूल्य है जो मौलिक अधिकारों के दायरे में फैला हुआ है और व्यक्ति की रक्षा करता है।

पसंद और आत्मनिर्णय का एक क्षेत्र।

28. निजता को अनुच्छेद *21* के तहत अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक आंतरिक तत्व माना गया है और इसका एक संवैधानिक अधिकार है।जो संविधान के भाग *1* में अंतर्निहित मौलिक स्वतंत्रताओं में सन्निहित है। यह भी माना गया कि जीवन और निजता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है। अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर काम करने वाली सीमाएँ निजता के अधिकार पर काम करेंगी। उस अधिकार का कोई भी अधिकार या अभाव एक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट के तहत होना चाहिए।

कानून का शासन। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए।

29. नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत निजता के अधिकार के संदर्भ पर भी ध्यान दिया। की सुरक्षा

यू. के. के निर्णय में विकसित गोपनीयता के अधिकार, यू. एस. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, दक्षिण अफ्रीका में गोपनीयता का संवैधानिक अधिकार, कनाडा में गोपनीयता का संवैधानिक अधिकार, मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन के तहत गोपनीयता और यूरोपीय संघ के मौलिक अधिकारों के चार्टर के तहत विदेशी अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय के संदर्भ में विचार किया गया था।

30. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रधुद ने अपने फैसले में इस अधिकार का पता लगाया

इस न्यायालय के निर्णयों से गोपनीयता जो इसके लिए प्रदान की गई थी पिछले पाँच दशक। इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लेख करते हुए न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रधुद, जे. ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं। *:*

" 103 ..... इस न्यायालय के विचार में, अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून के अभाव में घरेलू कानून के एक हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए।

इसके विपरीत और, शायद अधिक महत्वपूर्ण रूप से, संवैधानिक गारंटी के अर्थ को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की सामग्री से उजागर किया जाना चाहिए, जिसमें भारत एक पक्ष है। नतीजतन, जैसे-जैसे नए मामले

न्यायालय के समक्ष नए मुद्दे और समस्याएं लाए, गोपनीयता के अधिकार की सामग्री को इनमें विस्तार से पाया गया है।

विविध संदर्भ "।

31. निजता के अधिकार की सभी रूपरेखाओं को इसके सभी आयामों, सावधानियों और सुरक्षा उपायों के साथ देखा गया है जिन्हें सुरक्षा के लिए लागू किया जाना है।

भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के संबंध में, हमें यहां उठाए गए मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ते हुए इस न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ के आलोक में आगे बढ़ना होगा, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

32. हम स्पष्ट रूप से सक्षम और विस्तृत रूप से लाभान्वित हुए हैं।

33. अलग-अलग वकीलों द्वारा मामले के विभिन्न पहलुओं को उनके बीच समझ के अनुसार उठाया और आगे बढ़ाया गया है। न्यायालय को मामले के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी। याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं, श्री कपिल सिब्बल, श्री गोपाल सुब्रमण्यम, श्री पी.

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

चिदंबरम, श्री श्याम दीवान, श्री के. वी. विश्वनाथन, श्री नीरज किशन कौल, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, श्री सी. यू. सिंह, श्री आनंद ग्रोवर, श्री संजय आर. हेगड़े, श्री अरविंद पी. दातार, श्री साजन पूवय्या और श्री पी. वी. सुरेंद्र नाथ उपस्थित थे। श्री गोपाल शंकरनारायणन सहित बड़ी संख्या में अन्य वकीलों ने भी हमारी सहायता की। प्रत्यर्थियों की ओर से तर्कों का नेतृत्व विद्वान महान्यायवादी श्री के. के. वेणुगोपाल ने किया। हमने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राकेश द्विवेदी और श्री जोहेब हुसैन को भी सुना है। *34.* हमने यू. आई. डी. ए. आई. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अजय बी. पांडे को प्रणाली के वास्तविक कामकाज की व्याख्या करने के लिए एक शक्ति प्रस्तुति देने की भी अनुमति दी। डॉ. पांडे द्वारा पक्षों के विद्वान वकील की उपस्थिति में शक्ति प्रस्तुति प्रस्तुत किए जाने के बाद, विद्वान वकील ने भी शक्ति के संबंध में कुछ सवाल उठाए हैं।

प्रस्तुति, जिसे प्रस्तुतियों के दौरान उत्तरदाताओं ने समझाने की कोशिश की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विभिन्न विद्वान वकीलों द्वारा उठाए गए प्रस्तुतियों की विशालता को देखते हुए, हम प्रस्तुतियों के विभिन्न हिस्सों को एक साथ नोटिस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि रिट याचिकाएं दो चरणों में दायर की गई हैं, पहला, जब यू. आई. डी. ए. आई. योजना को दिनांकित *28.01.2009* के कार्यकारी आदेश द्वारा लागू किया जा रहा था। दूसरा, जब अधिनियम, *2016* लागू किया गया था तो चुनौती दी गई थी। दिनांकित *24.01.2009* योजना के लिए चुनौती में लगभग वही आधार शामिल थे जिन पर अधिनियम, *2016* पर हमला किया गया था। योजना को चुनौती देने के लिए अतिरिक्त आधार यह था कि योजना को कानून द्वारा समर्थित नहीं किया गया था, यह पूरी कवायद असंवैधानिक थी और भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती थी और इसे दरकिनार किया जाना चाहिए। अधिनियम, *2016* के अधिनियमित होने और अब वैधानिक योजना लागू होने के बाद, हम पहले

अधिनियम, *2016* पर हमला करने वाली प्रस्तुतियों को नोटिस करने के लिए आगे बढ़ेंगे, जिन्हें हमारे सामने पर्याप्त और विस्तृत रूप से चुनौती दी गई है।

याचिकाकर्ता की प्रस्तुतियाँ

35. याचिकाकर्ताओं के लिए अलग-अलग विद्वान वकीलों द्वारा व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने के बजाय प्रस्तुत की गई दलीलों को श्रृंखला में एक साथ नोट किया जा रहा है, जो इस प्रकार हैं:

36. कार्यकारी अधिसूचना दिनांक *28.01.2009* के साथ-साथ विवादित अधिनियम, *2016* द्वारा शुरू की गई आधार परियोजना अनुच्छेद *21* का उल्लंघन करती है। द.

संविधान के अनुच्छेद *19* और *21* के तहत संरक्षित व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है क्योंकि व्यक्ति संग्रह के समय अपनी जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी देने के लिए मजबूर होते हैं।

बायोमेट्रिक डेटा किसी के शरीर का हिस्सा है और किसी के शरीर पर नियंत्रण गोपनीयता के अधिकार के केंद्र में है। निर्णयात्मक गोपनीयता व्यक्ति को अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने की अनुमति देती है और यह आत्मनिर्णय के अधिकार का एक पहलू है। आधार अधिनियम सहित आधार परियोजना सूचनात्मक गोपनीयता का उल्लंघन करती है। नामांकन केंद्रों में डेटा संग्रह, केंद्रीय पहचान डेटा भंडार *(*सी. आई. डी. आर.*)* में डेटा प्रतिधारण, उपयोग

और डेटा साझा करना गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करता है। डेटा के संग्रह, प्रतिधारण और उपयोग के चरण में सुरक्षा उपायों का पूर्ण अभाव है। अधिनियम, *2016* और उसके तहत बनाए गए विनियमों में सुरक्षा उपायों का अभाव है।

किसी व्यक्ति का संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा।

37. अधिनियम, *2016* सहित आधार परियोजना एक

व्यापक निगरानी के लिए संरचना, जो फिर से गोपनीयता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। दिनांक *28.01.2009* की कार्यकारी योजना के तहत एकत्र किया गया व्यक्तिगत डेटा किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना था। हालांकि अधिनियम, *2016* में विचार किया गया है कि आधार के तहत नामांकन स्वैच्छिक है, लेकिन अधिनियम के वास्तविक कामकाज में, यह वास्तव में अनिवार्य हो जाता है। अधिनियम, *2016* गोपनीयता निर्णय-के. एस. पुट्टास्वामी बनाम में नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्धारित तीन गुना परीक्षण को पारित नहीं करता है। भारत संघ,

(2017) 10 एस. सी. सी. *1,* जिसे इसके बाद "पुट्टास्वामी मामला" के रूप में संदर्भित किया गया है। पुट्टास्वामी के मामले में निर्धारित तीन गुना परीक्षण इस प्रकार हैं:

(i) वैधता, जो कानून के अस्तित्व को स्वीकार करती है*;*

((ख) आवश्यकता, जिसे एक वैध राज्य उद्देश्य के संदर्भ में परिभाषित किया गया है*;* और

((iii) आनुपातिकता जो दोनों के बीच एक तर्कसंगत संबंध सुनिश्चित करती है।

उद्देश्य और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनाए गए साधन;

यह भी पूरा नहीं किया जाता है क्योंकि इसके तहत बनाए गए अधिनियम और विनियमों के प्रावधान आनुपातिकता परीक्षण को संतुष्ट नहीं करते हैं। विभिन्न प्रकार के अधिनियम, *2016* के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए विनियम असंवैधानिक हैं। अधिनियम, *2016* की धारा *6* असंवैधानिक है जिसमें न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

क्योंकि यह उत्तरदाताओं को समय-समय पर जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए निवासियों को लगातार मजबूर करने में सक्षम बनाता है। अधिनियम, *2016* की धारा *7* असंवैधानिक है क्योंकि यह लाभ, सब्सिडी और सहायता प्रदान करने के लिए राज्य के संवैधानिक और वैधानिक दायित्वों को प्रदान करने का प्रयास करती है।

सेवाएँ, जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने बायोमेट्रिक का आदान-प्रदान करने पर सशर्त होती हैं

और जनसांख्यिकीय जानकारी। धारा *8* असंवैधानिक है क्योंकि यह प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्तियों की ट्रैकिंग, टैगिंग और प्रोफाइलिंग को सक्षम बनाती है। धारा *8* निगरानी के एक शासन को चित्रित करती है, जो व्यक्तियों की शारीरिक गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम बनाती है। अधिनियम, *2016* की धारा *9* है -

यह भी असंवैधानिक है क्योंकि आधार संख्या वास्तव में नागरिकता और अधिवास के प्रमाण के रूप में कार्य कर रही है। अध्याय *IV*, अर्थात धारा *11* से *33* के प्रावधान अधिकार से बाहर और असंवैधानिक हैं। संविधान एक ऐसे प्राधिकरण की स्थापना की अनुमति नहीं देता है जो बदले में एक आक्रामक कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक भारतीय नागरिक/निवासी पर केंद्र सरकार का अधिकार होने का दावा कर सके।

डेटा बैंक और उस व्यक्ति के आजीवन रिकॉर्ड और लॉग बनाए रखें। अधिनियम, *2016* की धारा *23* और *54* भी अत्यधिक प्रत्यर्पण के आधार पर असंवैधानिक हैं। अधिनियम, *2016* की धारा *29* को भी निरस्त किया जा सकता है क्योंकि यह पहचान की जानकारी साझा करने की अनुमति देता है। धारा *33* असंवैधानिक है क्योंकि यह एक सक्षम अदालत के आदेश के अनुसार पुलिस जांच के लिए आधार डेटा बेस के उपयोग का प्रावधान करती है। धारा *33* भारत के संविधान के अनुच्छेद *20 (3)* के तहत निहित आत्म-दोषारोपण के खिलाफ संरक्षण का उल्लंघन करती है। इसके अलावा, धारा *33* संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करती है जिसकी जानकारी अदालत के आदेश के अनुसार यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा जारी करने की मांग की जाती है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। धारा *47* भी असंवैधानिक है क्योंकि यह एक व्यक्तिगत नागरिक को आपराधिक प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति नहीं देता है जो पाता है कि अधिनियम, *2016* का उल्लंघन हुआ है। धारा *48*, जो केंद्र सरकार को यू. आई. डी. ए. आई. का स्थान लेने का अधिकार देती है, अस्पष्ट और मनमाना है। *39.* धारा *7* के संबंध में विस्तार से प्रस्तुत करते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा *7* असंवैधानिक है और अनुच्छेद *14* का उल्लंघन करती है।

आधार अनिवार्य है, जिसका सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के साथ कोई संबंध नहीं है। किसी व्यक्ति को लाभ या सेवाओं का लाभ उठाने की शर्त के रूप में संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। धारा *7* भी अनुच्छेद *14* की अवहेलना करती है क्योंकि सबसे पहले यह अनिवार्य है।
प्रमाणीकरण समाज के सबसे हाशिए पर पड़े वर्गों के बहिष्कार का कारण बना है और बना हुआ है। और दूसरी बात यह है कि यह बहिष्करण केवल खराब कार्यान्वयन का सवाल नहीं है जिसे प्रशासनिक रूप से हल किया जा सकता है, बल्कि अधिनियम की रचना से ही उत्पन्न होता है, यानी बायोमेट्रिक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट का उपयोग।

पहचान की प्राथमिक विधि के रूप में प्रमाणीकरण। अधिकतर हाशिए पर पड़े समाज द्वारा पहचान प्रक्रिया द्वारा खुद को पहचानने में सक्षम नहीं होने के कारण बड़े पैमाने पर बहिष्कार किया जाता है। सामान्य अभाव को इंगित करने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री है, जो स्वयं अधिनियम की धारा *7* को निरस्त करने के लिए पर्याप्त है।

40. धारा *57* की असंवैधानिकता पर विस्तार से प्रस्तुत करते हुए, यह तर्क दिया जाता है कि धारा *57* धारा के अप्रतिबंधित विस्तार की अनुमति देती है।

निजी क्षेत्र के प्रचालक। धारा *57* किसी व्यक्ति के बायोमेट्रिक्स और जनसांख्यिकीय जानकारी के व्यावसायिक दोहन को सक्षम बनाती है। उत्तरदाताओं के साथ-साथ निजी संस्थाएं भी। यह प्रावधान एक निगरानी समिति का निर्माण भी सुनिश्चित करता है, जहां प्रत्येक संस्था आधार धारक की जासूसी करने में राज्य की सहायता करती है। निजी संस्थाओं द्वारा आधार अवसंरचना का उपयोग असंवैधानिक है।

41. धारा *59* पर प्रस्तुतियों को विस्तार से बताते हुए, यह तर्क दिया जाता है कि धारा *59* असंवैधानिक है क्योंकि यह दिनांक *1* की अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा की गई सभी कार्रवाई को मान्य करने का प्रयास करती है। दिनांकित *28.01.2009* अधिसूचना के अनुसरण में नामांकन एक सूचित सहमति के बिना किया गया है जो उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की अंतरंग व्यक्तिगत जानकारी से वंचित करने के बराबर है। निजता का मौलिक अधिकार। दिनांक *1* की अधिसूचना के तहत उठाए गए सभी कदम किसी भी कानून द्वारा समर्थित नहीं थे, इसलिए असंवैधानिक और स्पष्ट रूप से अनुच्छेद *21* का उल्लंघन करते हैं, जिसे इस तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है जैसा कि धारा *59* करने का नाटक करती है।

42. यह अधिनियम असंवैधानिक है क्योंकि यह माता-पिता के बिना पांच से अठारह वर्ष के बच्चों की पहचान की जानकारी एकत्र करता है।

सहमति दें। आधार संरचना विदेशी तकनीकों को अपनाती है, जिन पर यू. आई. डी. ए. आई. का कोई नियंत्रण नहीं है, जिससे लोगों के जीवन और राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले डेटा रिसाव का खुलासा होता है।

43. पीएमएलए नियम, *2017* द्वारा संशोधित नियम *9* असंवैधानिक है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद *14,19 (1) (*जी*), 21* और *300* ए का उल्लंघन करता है। नियम *9* अधिनियम, *2016* की धारा *3,7* और *51* का भी उल्लंघन करता है और पीएमएलए अधिनियम, *2002* के प्रावधानों से परे है।

44. आयकर अधिनियम, *1961* की धारा *139* ए. ए.

निजता निर्णय-पुट्टास्वामी *(ऊपर)* को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद *14,19 (1) (*जी*)* और *21* के उल्लंघन के रूप में निरस्त कर दिया गया।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

45. संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किया गया मोबाइल लिंकिंग सर्कुलर दिनांक *23.03.2017* अधिकार से बाहर है।

46. आधार अधिनियम, *2016* को गलत तरीके से धन विधेयक के रूप में पारित किया गया है। आधार अधिनियम, *2016* धन विधेयक नहीं है। लोक सभा अध्यक्ष सभा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद *110* के तहत विधेयक को गलत तरीके से धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया, वस्तुतः राज्यसभा को विधायी प्रक्रिया से बाहर कर दिया और माननीय राष्ट्रपति को उनकी वापसी की शक्ति से वंचित कर दिया। आधार के खंड *23 (2) (*जी*)*, धारा *54 (2) (*एम*)* और धारा *57 (*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभों और सुविधाओं का लक्षित वितरण*)*

सेवा*)* विधेयक, *2016* और अधिनियम, *2016* की संबंधित धाराएँ, जैसा कि स्पष्ट रूप से अधिसूचित किया गया है, संविधान के अनुच्छेद *110* के किसी भी खंड के अंतर्गत नहीं आती हैं। विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने वाला अध्यक्ष का अधिनियम स्पष्ट रूप से संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। अध्यक्ष द्वारा इसे धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की अनुमति है - अवैधता। आधार विधेयक एक धन विधेयक नहीं है और इसे संसद द्वारा धन विधेयक के रूप में पारित किया गया है, केवल यही आधार पूरे अधिनियम, *2016* को निरस्त करने के लिए पर्याप्त है।

47. याचिकाकर्ताओं के वकील की उपरोक्त दलीलों का जवाब देते हुए विद्वान अटॉर्नी जनरल प्रस्तुत करते हैं:

48. गोपनीयता निर्णय पी. एस. पुट्टास्वामी मामले *(*उपरोक्त*)* में सभी नौ न्यायाधीश समान रूप से सहमत थे कि गोपनीयता संविधान के अनुच्छेद *21* के तहत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए एक मौलिक अधिकार है और इसलिए

उक्त अनुच्छेद पर लागू होने वाली सीमाओं के अधीन। यह भी माना गया है कि निजता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है और यह सीमाओं के अधीन है। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने अपने प्रमुख फैसले में कहा कि संविधान के अनुच्छेद *21* के तहत निजता पर आक्रमण की अनुमेय सीमाओं का न्याय करने के लिए निम्नलिखित तीन परीक्षणों को पूरा करने की आवश्यकता है:

((a) एक कानून का अस्तित्व

*((*ख*)* राज्य का वैध हित; और

*((*ग*)* उक्त कानून को आनुपातिकता की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।

49. उपरोक्त परीक्षणों पर अन्य न्यायाधीशों द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है जिन्होंने अलग निर्णय दिया है। न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति ए. एन. सप्रे ने राज्य के हित की कसौटी का प्रयोग किया है।

न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन ने कहा कि यदि यह परीक्षण लागू किया जाता है, तो परिणाम यह है कि *[2018] 8* एस. सी. आर.

राज्य के वैध उद्देश्य के बदले में व्यापक सार्वजनिक हित का आह्वान करने का अधिकार होगा। राज्य का वैध उद्देश्य स्पष्ट रूप से जनहित की ओर ले जाएगा, इसलिए यदि राज्य के वैध उद्देश्य की कसौटी पूरी हो जाती है, तो जनहित की कसौटी पूरी हो जाती है। अधिनियम, *2016* के अधिनियमन के बाद, कानून के अस्तित्व के संबंध में पहली शर्त पूरी हो जाती है। अधिकांश अन्य जनसांख्यिकीय विवरणों को छोड़ते हुए, अधिनियम में केवल जनसांख्यिकीय विवरणों की आवश्यकता है। अधिनियम में आगे पर्याप्त प्रावधान हैं। सूचना की सुरक्षा और अपराधों और दंडों के एक समूह के माध्यम से दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय। अधिनियम के प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि कानून न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित है और काल्पनिक, दमनकारी या मनमाना नहीं है।

50. वैध राज्य हित या एक बड़ा सार्वजनिक हित

यह अधिनियम, *2016* के माध्यम से लागू होता है जो निम्नलिखित द्वारा स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है:

सब्सिडी और सामाजिक कल्याण के अपव्यय को रोकना

ए.

आधार अधिनियम की धारा *7* के अंतर्गत आने वाले लाभ;

B. काले धन और धन शोधन की रोकथाम

आधार को जोड़ने के लिए कानून द्वारा आवश्यकता लागू करना
बैंक खाते खोलना;

ग. आयकर अधिनियम में संशोधन के माध्यम से आधार की आवश्यकता के माध्यम से आयकर चोरी को रोकने के लिए

संख्या को पैन से जोड़ा जाना चाहिए; और

D. आतंकवाद को रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना

मोबाइल के लिए आधार को सिम कार्ड से जोड़ने की आवश्यकता

फ़ोन "।

51. आधार अधिनियम, *2016* को लंबे समय तक लागू किया गया था।

विचार-विमर्श और अध्ययन। याचिकाकर्ता किसी भी स्थापित करने में विफल रहे हैं

अधिनियम में मनमानी। अनुच्छेद *21* के तहत जीवन का अधिकार केवल पशु अस्तित्व का अधिकार नहीं है, बल्कि मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार है जिसमें भोजन का अधिकार, आश्रय का अधिकार, रोजगार का अधिकार शामिल होगा। चिकित्सा देखभाल, शिक्षा आदि का अधिकार। यदि इन अधिकारों को निजता के अधिकार के खिलाफ जोड़ा जाता है, तो पहला बाद वाले पर हावी होगा। जहाँ तक अधिनियम, *2016* के लागू होने से पहले आधार परियोजना के कार्यान्वयन की बात है, क्योंकि आधार संख्या या नामांकन संख्या प्राप्त करना स्वैच्छिक था, विशेष रूप से इसके द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के कारण।

न्यायालय, मौलिक अधिकार की तो बात ही छोड़िए, किसी भी अधिकार के उल्लंघन का कोई मुद्दा उत्पन्न नहीं हो सकता है। एम. पी. शर्मा और खरक में इस न्यायालय के निर्णय

सिंह *(ऊपर)* क्रमशः आठ न्यायाधीशों और छह न्यायाधीशों में से हैं, जस्टिस के. एस. पुटसवामी *(आर. ई. टी. डी.) v.*

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

यह मानते हुए कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, *2016* तक की अवधि के दौरान दिए गए छोटे पीठों के निर्णय असंगत होंगे, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को इस आधार पर आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि आधार संख्या या नामांकन संख्या प्राप्त करने के उद्देश्य से एक कानून की आवश्यकता थी। नतीजतन, इस उद्देश्य के लिए जारी किए गए कार्यकारी निर्देश वैध होने के साथ-साथ लाभार्थियों द्वारा लाभ और सब्सिडी की प्राप्ति भी मान्य होगी। मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, अधिनियम की धारा *59 2010* की अवधि के दौरान *2016* में आधार अधिनियम के पारित होने तक की गई सभी कार्रवाइयों की रक्षा करती है।

52. विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि आधार अधिनियम को सही रूप से धन विधेयक के रूप में वर्णित किया गया है जैसा कि अनुच्छेद के तहत समझा गया है *110* संविधान से। आधार अधिनियम का मूल धारा *7* है। यह अपने आप में आधार संख्या का निर्माण नहीं है जो अधिनियम का मूल है, बल्कि यह केवल सही लाभार्थी की पहचान करने और 'सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण' सुनिश्चित करने का एक साधन है, जिसके लिए भारत की समेकित निधि से खर्च किया जाता है। राष्ट्रपति को भेजे गए प्रमाण पत्र में शामिल अध्यक्ष का निर्णय है -

53. अध्यक्ष का निर्णय और प्रमाणन प्रक्रिया का विषय होने के कारण इस अध्याय में 'विधायी' शीर्षक के तहत शामिल किया गया है। प्रक्रिया 'जिसमें स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा शामिल नहीं थी। वर्तमान मुद्दा इस न्यायालय के फैसलों द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है।

54. धारा *57*, जिस पर अनुच्छेद *110* के *(ए)* से *(एफ)* के किसी भी उपखंड के लिए अप्राप्य होने के रूप में हमला किया गया है, को इसमें नहीं देखा जा सकता है।

अलगाव। विधेयक को अपने सार और सार में एक धन विधेयक होने की परीक्षा को पारित करना चाहिए न कि अलग-अलग प्रावधानों को।

55. भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने भी मामले के कुछ पहलुओं पर अग्रिम दलीलें दीं। आयकर अधिनियम, *1961* की धारा *139* एए पर यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता तभी सफल

हो सकते हैं जब वे यह प्रदर्शित करें कि धारा *139* एए निम्नलिखित परीक्षणों पर निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है जैसा कि पुट्टास्वामी मामले में नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित किया गया है:

((i) कानून का अभाव; *((ii)* राज्य के वैध हित का अभाव।

((ग) आनुपातिकता की कमी से प्रावधान प्रभावित हो रहे हैं।

((iv) प्रावधानों का स्पष्ट रूप से मनमाना होना।

56. यह प्रस्तुत किया जाता है कि दो-बिनॉय विश्वम बनाम भारत संघ और अन्य, *(2017) 7* एस. सी. सी. *59,* मामले में इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ का निर्णय।

गोपनीयता के मुद्दे के अधीन धारा *139* एए के अधिकारों को बरकरार रखा था जो उस समय विचाराधीन था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि स्थायी खाता संख्या *(*पैन*)* से संबंधित प्रावधान को आयकर अधिनियम की धारा *139* ए द्वारा *01.04.1989* से प्रभावी किया गया था, जो प्रत्येक व्यक्ति को धारा *139* ए में उल्लिखित विभिन्न उद्देश्यों के लिए पैन उद्धृत करने के लिए बाध्य करता है। याचिकाकर्ताओं या किसी और ने कभी भी धारा *139* ए के तहत पैन प्राप्त करने की आवश्यकता से व्यथित महसूस नहीं किया और संसद ने राज्य के वैध हित पर विचार करते हुए धारा *139* एए पेश की है जो केवल धारा *139* ए का विस्तार है जिसमें पैन को आधार संख्या से जोड़ने की आवश्यकता होती है। *57.* आय कर अधिनियम में संसद द्वारा राज्य के वैध हित में और व्यापक सार्वजनिक हित में धारा *139* एए जोड़कर संशोधन किया गया था। लिंक करने का उद्देश्य आधार से जोड़कर फर्जी पैन कार्ड को हटाना, नकली कंपनियों का पर्दाफाश करना और इस तरह काले धन, धन शोधन और कर चोरी के खतरे पर अंकुश लगाना था। एक ही व्यक्ति को कई पैन कार्ड और काल्पनिक व्यक्तियों के नाम पर पैन कार्ड की समस्या मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी, काले धन के निर्माण और चैनलिंग का आम माध्यम है।

58. आधार को पैन से जोड़ना भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और लक्ष्यों के अनुरूप है। भारत ने इंटर पर हस्ताक्षर किए हैं

अंतर्राष्ट्रीय कर अनुपालन में सुधार और विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम को लागू करने के लिए *9* जुलाई, *2015* को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सरकारी समझौता *(*आईजीए*)*। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पहले से ही *1* करोड़ *75* लाख करदाताओं ने स्वैच्छिक आधार पर अपने पैन को आधार से जोड़ा था। अंतरिम आदेशों के आधार पर दलीलों का जवाब देना

याचिकाओं के वर्तमान समूह में इस न्यायालय द्वारा पारित, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आधार अधिनियम, *2016* के अधिनियमन ने इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आधार को हटा दिया है और ठीक कर दिया है क्योंकि अंतरिम आदेश पारित करने में इस न्यायालय के समक्ष जो प्रस्तुतियाँ की गई थीं, उनमें से एक यह थी कि कोई कानून नहीं था, कि आधार परियोजना को किसी भी कानून के समर्थन के बिना लागू किया जा रहा था और उक्त अवधि के दौरान अंतरिम आदेश पारित किए गए थे। आधार अधिनियम इस न्यायालय की

चिंता को संबोधित करता है जैसा कि अधिनियम के अधिनियमन से पहले पारित अंतरिम आदेशों में परिलक्षित होता है।

59. श्री मेहता ने आगे तर्क दिया कि ऐसा अनुमान है कि

किसी कानून की संवैधानिकता और जब तक कानून पर हमला करने वाला कोई व्यक्ति न्यायालय को संतुष्ट नहीं करता है कि कानून असंवैधानिक है, तब तक यह धारणा जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v* होगी।

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

वहाँ वह क़ानून संवैधानिक है। श्री मेहता ने आगे कहा है कि आधार को जोड़ने की आवश्यकता पर आपराधिकता या अपराध की कोई धारणा नहीं है।

60. आनुपातिकता के सिद्धांत का विस्तार करते हुए, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल प्रस्तुत करते हैं कि धारा *139* ए उपरोक्त परीक्षण को पूरी तरह से संतुष्ट करती है -

आनुपातिकता।

61. रोकथाम के समर्थन में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल

धन शोधन *(*अभिलेखों का रखरखाव*)* दूसरा संशोधन नियम,

2017 प्रस्तुत करता है कि राज्य ने पीएमएलए के प्रावधानों को और अधिक मजबूत बनाने और यह सुनिश्चित करने की मांग की है कि अधिनियम का अंतिम उद्देश्य प्राप्त हो। संशोधन नियम, *2017* प्रत्येक ग्राहक की आधार संख्या के संबंध में विवरण प्राप्त करने के लिए रिपोर्टिंग इकाई की ओर से एक दायित्व रखता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त नियमों को इसके अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए

पी. एम. एल. ए. का उद्देश्य और मुखौटा कंपनियों आदि के निगमित आवरण के पीछे "लाभकारी मालिक" के सिद्धांत। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीएमएलए राज्य को आधार की विशिष्टता का उपयोग करने का अधिकार देता है ताकि

62. 2017 में संशोधित धारा *139* एए और पीएमएलए नियमों को उनके संचालन में समन्वित किया गया है। पी. एम. एल. ए. नियम अधिकार से बाहर नहीं हैं। श्री मेहता ने धन शोधन को एक बहुत ही गंभीर अपराध घोषित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का भी उल्लेख किया है। वह प्रस्तुत करता है कि रोकथाम धन शोधन अधिनियम, *2002* को धन शोधन के खतरे से निपटने के लिए ठोस अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के संदर्भ में अधिनियमित किया गया था। श्री मेहता ने आधार संख्या के साथ बैंक खातों के सत्यापन की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। वे प्रस्तुत करते हैं कि आधार के माध्यम से बैंक खाते का सत्यापन इस कारण से किया जाता है कि अक्सर बैंक खाते जाली पहचान दस्तावेजों के आधार पर या तो काल्पनिक नामों से या गलत व्यक्तियों के नाम पर खोले जाते हैं और वित्तीय अपराध किए जाते हैं। यह देखा गया है कि काले धन को सफेद में बदलने के लिए ज्यादातर फर्जी कंपनियों द्वारा बैंकिंग चैनलों के माध्यम से आवास प्रविष्टियां प्रदान की जाती हैं। बेनामी लेनदेन नियमित रूप से बैंकिंग चैनलों के माध्यम से होते हैं। उपरोक्त सभी को बैंक खातों के साथ

आधार को सत्यापित करके काफी हद तक जांचा जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खाता उस व्यक्ति का है।

जो खाताधारक होने का दावा करता है और वह एक वास्तविक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट है

व्यक्ति। आधार के साथ बैंक खाते का सत्यापन यह भी सुनिश्चित करता है कि सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण आधार सत्यापित बैंक खाते में पहुंचे और इसे किसी अन्य खाते में नहीं भेजा जाए। शेल कंपनियों का उपयोग अक्सर बैंक खाते खोलने के लिए किया जाता है ताकि नकली पहचान के तहत अन्य संस्थाओं का बेहिसाब धन रखा जा सके, जिस पर आधार सत्यापन शुरू होने के बाद भी अंकुश लगाया जाएगा।

63. श्री मेहता आगे तर्क देते हैं कि विवादित पीएमएलए नियम अनुच्छेद *300* ए का उल्लंघन नहीं करते हैं। संशोधन नियम, *2017* को भी मूल अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है और अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है। संशोधन नियमों को संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है जो एक उद्देश्य को पूरा करते हैं। विधानमंडल द्वारा जाँच। अधिनियम की धारा *159* के अनुसार धारा *29* के तहत कोई भी अधिसूचना संसद के समक्ष रखी जानी है और संसद उसे संशोधित या अस्वीकार कर सकती है। नियम, *2017* न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित हैं और अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए हैं और किसी भी मनमाने, अप्रचलित या बेलगाम शक्ति का प्रावधान नहीं करते हैं।

64. श्री राकेश द्विवेदी, विद्वान वरिष्ठ वकील,

यू. आई. डी. ए. आई. और गुजरात राज्य की ओर से याचिकाकर्ताओं की दलीलों का जवाब देते हुए विस्तृत दलीलें दी गई हैं। निजता का अधिकार अनुच्छेद *21* का हिस्सा है। व्यक्ति की स्वायत्तता उन मामलों से जुड़ी होती है जिन्हें निजी रखा जा सकता है। ये ऐसी चिंताएँ हैं जिन पर गोपनीयता की उचित अपेक्षा है। उचित अपेक्षा में शामिल हैं दो पहलू। सबसे पहले, निजता के अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को यह स्थापित करना चाहिए कि उनके दावे में कथित कार्य के कारण उन्हें होने वाले कुछ नुकसान के बारे में चिंता शामिल है। यह चिंता वास्तविक होनी चाहिए न कि काल्पनिक या अटकलबाजी। दूसरा, चिंता को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं देखना चाहिए।

65. अधिनियम, *2016* संबंधपरक क्षेत्र में काम करता है न कि निवासियों के मूल, निजी या व्यक्तिगत क्षेत्र में। इसमें न्यूनतम पहचान शामिल है। प्रभावी प्रमाणीकरण के लिए जानकारी। उद्देश्य पहचान के लिए प्रमाणीकरण तक सीमित है। यह अधिनियम सार्वजनिक क्षेत्र में काम करता है। आधार अधिनियम, *2016* की धारा *29* संबंधित आधार संख्या धारक की पूर्व सहमति के बिना पहचान की जानकारी के प्रकटीकरण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। साझा करना केवल प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए है।

66. यह प्रस्तुत किया जाता है कि उनकी प्रकृति से जनसांख्यिकीय

एकत्र की जाने वाली जानकारी और तस्वीर को ऐसी प्रकृति का नहीं कहा जा सकता है जो इसे एक उचित अपेक्षा प्रतिमान का हिस्सा बना दे। आज, विश्व स्तर पर सभी आई. डी. कार्डों और पासपोर्टों में जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम की तस्वीरें हैं।

उद्देश्य। *67.* ऐसे कई अधिनियम हैं जिनमें नाम, पता, ईमेल पता आदि सहित जनसांख्यिकीय जानकारी के प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, *1989*, कंपनी अधिनियम, *2013*, विशेष विवाह अधिनियम, निर्वाचन नियम पंजीकरण, *1960*, नागरिकता *(*नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना*)*।

नियम, *2009* और पासपोर्ट अधिनियम। हालांकि, कुछ विशेष संदर्भ हैं जिनमें जनसांख्यिकीय जानकारी के गैर-प्रकटीकरण को गोपनीयता की उचित अपेक्षा बढ़ाने के रूप में माना जा सकता है जैसे कि जहां कानून के साथ संघर्ष में किशोर शामिल हैं या जहां बलात्कार पीड़ित की पहचान या चिकित्सा जानकारी शामिल है। इस प्रकार, जब तक ऐसा कोई विशेष संदर्भ या उत्तेजक कारक स्थापित नहीं किया जाता है, तब तक जनसांख्यिकीय जानकारी के संबंध में गोपनीयता की कोई उचित अपेक्षा नहीं होगी।

68. जहां तक फिंगर प्रिंट और आईरिस स्कैन सहित मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी का संबंध है, यह ध्यान रखना उचित होगा कि आधार अधिनियम व्यक्ति के अंतरंग या निजी क्षेत्र से संबंधित नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र में और संबंधपरक संदर्भ में प्रमाणीकरण उपयोग के लिए निवासियों से मुख्य बायोमेट्रिक्स एकत्र किए जा रहे हैं, जिसमें उंगलियों के निशान और आईरिस स्कैन के संबंध में गोपनीयता की कोई उचित उम्मीद नहीं है। आइरिस स्कैन और कुछ नहीं बल्कि कैमरे से ली गई आँखों की तस्वीर है। उंगलियों के निशान और आईरिस स्कैन से इस संबंध में कुछ भी पता नहीं चलता है।

69. दस्तावेजों के पंजीकरण के संबंध में उंगलियों के निशान का उपयोग एक स्वीकृत घटना है। अनिवार्य आवश्यकता का उपयोग सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में बायोमेट्रिक उपस्थिति दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। इस प्रकार, उंगलियों के निशान और आईरिस स्कैन की आवश्यकता गोपनीयता के मौलिक अधिकार को आकर्षित नहीं करेगी। फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन को किसी व्यक्ति की पहचान करने का सबसे सटीक और गैर-आक्रामक तरीका माना गया है।

70. अधिनियम, *2016* के तहत एकत्र की गई जानकारी में आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए प्रसंस्करण शामिल नहीं है। इसके अलावा, आंकड़ों में

सेंटर डी-डुप्लिकेशन प्रक्रिया गुमनाम पर आधारित है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया के लिए सर्वर में जो संग्रहीत किया जाता है वह केवल टेम्पलेट होते हैं। और आधार संख्या और जनसांख्यिकी की कूटबद्ध जानकारी। एकत्र की गई पहचान की जानकारी ऑफ़लाइन संग्रहीत की जाती है। इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। इस प्रकार, अधिनियम के तहत एक उचित सुरक्षा संरक्षण से अधिक है।

71. धारा *7* का तर्क लक्षित वितरण सुनिश्चित करने में निहित है

सेवाएँ, लाभ और सब्सिडी जो भारत की संचित निधि से वित्त पोषित होती हैं। अपने गंभीर संवैधानिक दायित्व के निर्वहन में -

जीवन के मौलिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पुनर्जीवित करने और गरीबों और दलितों की स्थिति को सुधारने की दृष्टि से असमानता को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से कुछ

ऐसी योजनाओं में पीडीएस, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन, एलपीजी सब्सिडी, मुफ्त शिक्षा आदि शामिल हैं।

72. धारा *7* द्वारा आधार संख्या के आधार पर प्रमाणीकरण से गुजरने की आवश्यकता को अनिवार्य बना दिया गया है। यह आवश्यकता केवल "प्रमाणीकरण करने" के लिए है। हालांकि, यदि प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, तो एक से अधिक प्रयासों के बावजूद आधार संख्या का कब्जा अन्यथा साबित किया जा सकता है, यानी आधार कार्ड प्रस्तुत करके, और जिनके पास आधार संख्या नहीं है, वे नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं और नामांकन आईडी संख्या *(*ई. आई. डी.*)* प्रस्तुत कर सकते हैं। यह गैर-बहिष्करण का ध्यान रखता है।

73. आधार अधिनियम वास्तव में गरीबों और वंचितों को सुरक्षित करने का प्रयास करता है

व्यक्तियों को अपना जीवन जीने और अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने का अवसर मिलता है। डिजिटल पहचान के माध्यम से लक्षित वितरण सुनिश्चित करके, यह न केवल उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पहचान प्रदान करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास करता है कि

भारत के सार्वजनिक खजाने/समेकित निधि की सहायता से लाभ, सेवा और सब्सिडी का वितरण। और यह प्रभावित किए बिना ऐसा करता है

भारतीयों की निजता का मौलिक अधिकार या पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ इसे कम से कम प्रभावित करना।

74. व्यक्तिगत तर्क के संख्यात्मककरण या संख्यात्मककरण के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आधार संख्या को परिवर्तित नहीं करती है

एक संख्या में मानव होना। आधार संख्या का उद्देश्य प्रमाणीकरण को सक्षम करना है जो *1* पर किया जाता हैः *1* मिलान आधार, अर्थात, कहने के लिए

जब अनुरोध करने वाली संस्था कुछ पहचान जानकारी के साथ आधार संख्या प्रदान करती है तो सी. आई. डी. आर. स्वचालित रूप से उस आधार संख्या वाले टेम्पलेट को उठाता है और पहचान जानकारी का मिलान जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* से करता है।

टेम्पलेट में एन्क्रिप्टेड जानकारी। इसलिए यह आधार संख्या तकनीकी सफलता के लिए नितांत आवश्यक है।

प्रमाणीकरण। इसलिए, यह एक प्रौद्योगिकी आवश्यकता है और यह संख्यात्मककरण या संख्यात्मककरण के बराबर नहीं है। का विवाद याचिकाकर्ता पहचान और पहचान के बीच के अंतर को नजरअंदाज करते हैं। द.

12 यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा व्यक्ति की पहचान बदलने के लिए आधार संख्या नहीं दी जाती है। यह पंजीकृत व्यक्ति को प्रमाणीकरण के माध्यम से अपनी पहचान को सक्षम करने के लिए प्रदान किया जाता है। प्रमाणीकरण एक बहुआयामी पहचान प्रक्रिया है। आधार संख्या एक तत्व या एक पहचानकर्ता है।

प्रमाणीकरण के माध्यम से पहचान की प्रक्रिया में। यह प्रकृति में विशिष्ट है। आधार अधिनियम की धारा *2 (ए)* आधार संख्या को "एक पहचान संख्या" के रूप में परिभाषित करती है। धारा *2 (सी)* प्रमाणीकरण को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करती है।

सत्यापन के लिए सी. आई. डी. आर. को आधार संख्या जमा करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, धारा *4 (2)* में प्रावधान है कि आधार संख्या एक यादृच्छिक संख्या होगी और इसका आधार की विशेषताओं या पहचान से कोई संबंध नहीं होगा।

छूट का। जब कोई व्यक्ति स्थापित करने के लिए किसी भी प्रमाणीकरण से गुजरता है लाभ, सेवा या सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अपनी पहचान, वह अनुच्छेद *21* के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अपने मौलिक अधिकार को बढ़ाने के लिए ऐसा करता है।

76. धारा *57* के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि निवासियों की पहचान स्थापित करने के लिए एक बुनियादी ढांचा उपलब्ध है, इसलिए संसद अन्य उद्देश्यों के लिए आधार संख्या का उपयोग करने का इरादा रखती है, बशर्ते किसी भी कानून या अनुबंध के अनुसार प्रमाणीकरण की सेवा की आवश्यकता उत्पन्न हो। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि कई सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र क्षेत्रों में उदारीकरण और निजीकरण, निजी निगम निकाय सार्वजनिक क्षेत्र-बैंकिंग, बीमा, रक्षा, स्वास्थ्य आदि के साथ समानांतर और प्रतिस्पर्धा में काम कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण मुख्य क्षेत्र हैं जो राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन के लिए बिल्कुल आवश्यक हैं। कई क्षेत्रों में निजी निकाय सामान्य नियामकों जैसे ट्राई, हवाई अड्डा प्राधिकरण, आईआरडीए आदि के तहत काम करते हैं। फिर ई-कॉमर्स तेजी से बढ़ रहा है।

77. श्री कपिल सिब्बल के इस निवेदन के जवाब में कि अधिनियम का वास्तविक उद्देश्य गूगल, फेसबुक और अन्य निजी कंपनियों जैसे डिजिटल दिग्गजों को डेटा प्रदान करना था, यह तर्क दिया जाता है कि किसी भी रिट याचिका में इस प्रस्तुत करने का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। अधिनियम में एक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट है

धारा *29 (1)* के माध्यम से मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी साझा करने के संबंध में पूर्ण प्रतिबंध। गैर-मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी को केवल अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार और पूर्व सहमति के साथ और केवल प्रमाणीकरण के उद्देश्य से साझा किया जाना है।

78. याचिकाकर्ताओं के इस निवेदन पर कि यू. आई. डी. ए. आई. की विनियमन द्वारा पहचान की जानकारी जोड़ने की शक्ति दिशाहीन है और अनुच्छेद *14* का उल्लंघन करती है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा *2* के खंड *(जी)* और *(जे)* 'ऐसी अन्य जैविक विशेषता' अभिव्यक्ति का उपयोग करते हैं। इस सामान्य अभिव्यक्ति की आवश्यकता है

79. सकल घरेलू उत्पाद का लगभग *3* प्रतिशत जो खरबों रुपये की राशि है, सरकारों द्वारा सब्सिडी, छात्रवृत्ति, पेंशन, शिक्षा के लिए आवंटित किया जाता है। खाद्य और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम। लेकिन इसका

लगभग आधा हिस्सा इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुंचता है। एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि *100* में से केवल *15* रुपये ही लक्षित व्यक्ति तक पहुंचते हैं। योजना आयोग ने इसकी पुष्टि की है। *2000* की लेखा परीक्षा रिपोर्ट संख्या *3* में सीएजी ने "अवलोकन" में कहा कि कार्यक्रमों को गंभीर लक्ष्यीकरण समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसने नोट किया कि फर्जी राशन कार्डों का उपयोग डायवर्जन *(1.93* करोड़ फर्जी*)* के लिए किया जा रहा था।

नकली, नकली और भूत कार्ड। इसलिए, एक बायोमेट्रिक आधार संख्या की आवश्यकता थी जो डुप्लिकेशन और प्रमाणीकरण को सक्षम बनाती है। *81.* श्री द्विवेदी प्रस्तुत करते हैं कि सुरक्षा और डेटा गोपनीयता निम्नलिखित तरीके से सुनिश्चित की जाती हैः

(i) ए. बी. आई. एस. को भेजा गया डेटा पूरी तरह से गुमनाम है। ए. बी. आई. एस. प्रणालियों के पास निवासी की जनसांख्यिकीय जानकारी तक पहुंच नहीं है क्योंकि उन्हें केवल एक संदर्भ संख्या के साथ एक निवासी की बायोमेट्रिक जानकारी भेजी जाती है और उन्हें डुप्लिकेट करने के लिए कहा जाता है। संदर्भ संख्या के साथ डी-डुप्लिकेशन परिणाम जस्टिस के. एस. पुटास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v* है।

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

प्राधिकरण के अपने नामांकन सर्वर द्वारा सही नामांकन संख्या पर वापस मैप किया गया।

((ii) ए. बी. आई. एस. प्रदाता केवल अपना सॉफ्टवेयर और सेवाएं प्रदान करते हैं। डेटा यू. आई. डी. ए. आई. भंडारण में संग्रहीत किया जाता है और यह कभी नहीं छोड़ता है।

सुरक्षित परिसर।

(iii) ए. बी. आई. एस. प्रदाता बायोमेट्रिक छवियों *(*स्रोत*)* को संग्रहीत नहीं करते हैं। वे केवल डी डुप्लिकेशन *(*संदर्भ संख्या के साथ*)* के उद्देश्यों के लिए टेम्पलेट संग्रहीत करते हैं।

(iv) नामांकन ग्राहक द्वारा भेजा गया कूटबद्ध नामांकन पैकेट

सी. आई. डी. आर. के लिए सॉफ्टवेयर नामांकन सर्वर द्वारा डिक्रिप्ट किया जाता है।

लेकिन डिक्रिप्ट किए गए पैकेट को कभी भी संग्रहीत नहीं किया जाता है।

(v) उंगलियों के निशान, आईरिस और चेहरे की मूल बायोमेट्रिक छवियों को संग्रहीत और ऑफ़लाइन संग्रहीत किया जाता है। इसलिए, वे नहीं हो सकते हैं

एक ऑनलाइन नेटवर्क के माध्यम से पहुँचा।

(vi) बायोमेट्रिक प्रणाली *99.86%* से अधिक की उच्च सटीकता प्रदान करती है। मिश्रित बायोमेट्रिक को केवल सटीकता बढ़ाने और कुछ निवासियों के पास या तो बायोमेट्रिक्स नहीं होने या कुछ विशेष बायोमेट्रिक नहीं होने के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटियों को कम करने के लिए अपनाया गया है।

82. ई में विशिष्ट पहचान के लिए बायोमेट्रिक्स का उपयोग किया जा रहा है

120 देशों के पासपोर्ट। इनमें से कई देश उंगलियों के निशान और/या आईरिस स्कैन का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त *19* यूरोपीय देशों के पास बायोमेट्रिक जानकारी वाले स्मार्ट राष्ट्रीय पहचान पत्र हैं। कई अफ्रीकी और एशियाई देश भी पहचान के लिए बायोमेट्रिक्स का उपयोग कर रहे हैं। ईसीएचआर और ईसीजे ने बायोमेट्रिक्स के उपयोग की घोषणा नहीं की है या

उक्त उद्देश्य के लिए डेटा का संग्रह और भंडारण मानवाधिकारों का उल्लंघन है। ई. सी. जे. द्वारा वास्तव में पासपोर्ट के संदर्भ में इसे बरकरार रखा गया है।

एल्गोरिदम का कोड विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के पास है, इसलिए वे आसानी से एल्गोरिदम में हेरफेर करके सी. आई. डी. आर. में डेटा प्राप्त कर सकते हैं, श्री द्विवेदी ने प्रस्तुत किया कि विदेशी बायोमेट्रिक समाधान प्रदाता केवल प्रदान करते हैं सॉफ्टवेयर, सर्वर और हार्डवेयर यू. आई. डी. ए. आई. के हैं। अब तक सॉफ्टवेयर का संबंध यू. आई. डी. ए. आई. सॉफ्टवेयर का उपयोग लाइसेंसधारी के रूप में करता है। सर्वर कक्ष तक कोई मुफ्त पहुँच नहीं है जो पूरी तरह से सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट द्वारा सुरक्षित है।

पहरेदार। नामांकन डेटा पैकेट, डेटा सेंटर में प्राप्त होने के बाद, छोटी अवधि के लिए डिक्रिप्ट किया जाता है ताकि बारीकियों को निकाला जा सके और टेम्पलेट तैयार किए जा सकें। एक बार टेम्पलेट तैयार हो जाने के बाद पूरा बायोमेट्रिक डेटा यू. आई. डी. ए. आई. के अधिकारियों के पूर्ण नियंत्रण में ऑफ़लाइन संग्रहीत किया जाता है।

84. यह सही है कि प्रदान किए गए एल्गोरिदम के लिए स्रोत कोड

बी. एस. पी. द्वारा बनाए रखा जाता है जो बी. एस. पी. के बौद्धिक संपदा अधिकार का गठन करता है, हालांकि, यह सी. आई. डी. आर. में डेटा की कोई असुरक्षा पैदा नहीं करता है क्योंकि सॉफ्टवेयर सर्वर रूम में स्थित सर्वर में स्वचालित रूप से काम करते हैं और यह भी कि सॉफ्टवेयर केवल टेम्प्लेट के आधार पर काम करता है जबकि बायोमेट्रिक डेटा ऑफ़लाइन संग्रहीत किया जाता है। *85.* प्रस्तुतियों के दौरान, श्री द्विवेदी ने मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी साझा करने पर प्रतिबंध लगाने पर भी जोर दिया। आधार *(*सूचना साझा करना*)* विनियम, *2016* के विनियम *17 (1)* के साथ पठित धारा *29 (1)* के अनुसार। उपरोक्त विभिन्न विनियमों का उल्लेख करते हुए

नियम। श्री द्विवेदी ने प्रस्तुत किया कि आधार की संरचना

और इसकी कार्यप्रणाली सी. आई. डी. आर. को किसी भी लेन-देन के पक्षों या व्यक्ति के आधार संख्या की पहचान की मांग करने वाले स्थान के बारे में नोट करने की अनुमति नहीं देती है। अनुरोध करने वाली एजेंसी केवल जनसांख्यिकीय जानकारी और फोटो साझा करने और प्रमाणीकरण के लिए सख्ती से प्रतिबंधित है

केवल, और यह भी ए. एन. एच. की स्पष्ट और अलग पूर्व सहमति के साथ है। अनुरोध करने वाली संस्थाएं प्रमाणीकरण लॉग को ए. एन. एच. के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ या शिकायत निवारण और विवादों के समाधान के लिए या लेखा परीक्षा के लिए प्राधिकरण के साथ साझा नहीं कर सकती हैं और इसका उपयोग विनियमन *18 (5)* में बताए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

ऐसी एजेंसियों के साथ की गई व्यवस्था प्राधिकरण पर लगाए गए दायित्वों के बराबर दायित्वों को लागू करती है और ऐसी एजेंसियों को केवल प्राधिकरण के निर्देशों पर कार्य करने की आवश्यकता होती है।
87. आरई यह सुनिश्चित करेगा कि प्रमाणीकरण के दौरान उत्पन्न एएनएच या किसी अन्य जानकारी की पहचान की जानकारी रखी गई है।

अधिनियम और विनियमों के तहत अनुमति नहीं दी गई पहुँच, उपयोग और प्रकटीकरण के खिलाफ गोपनीय, सुरक्षित और संरक्षित। *[* विनियम *17 (1) (ई)]*। प्रमाणीकरण अनुरोध पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के लिए उपयोग की जाने वाली निजी कुंजी और न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

लाइसेंस कुंजी को सुरक्षित रखा जाता है और अभिगम नियंत्रित किया जाता है *[*विनियमन *17 (1) (*च*)* और *22 (3)]*। आधार आधारित पहचान जानकारी से संबंधित डेटा भंडारण और डेटा सुरक्षा के संबंध में सभी प्रासंगिक कानून और विनियम उनके सिस्टम, उनके एजेंटों और प्रमाणीकरण उपकरणों के साथ *[*विनियमन *17 (1) (*जी*)]* के साथ संकलित किए जाते हैं।

88. विनियम *22 (4)* में यह प्रावधान है कि आरई सभी विनियमों, सूचना सुरक्षा नीतियों, प्रक्रियाओं, मानकों, विनिर्देशों का पालन करेगा और समय-समय पर दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं।

89. आधार अधिनियम, *2016* की धारा *56* और *61* के आधार पर, आईटी अधिनियम, *2000* के प्रावधान लागू होते हैं, सिवाय इसके कि यह असंगत है।

आधार अधिनियम के साथ। आई. टी. अधिनियम के तहत सजा और जुर्माने के सभी प्रावधानों के साथ नियमित व्यवस्था आकर्षित होती है क्योंकि बायोमेट्रिक जानकारी एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और डेटा संवेदनशील व्यक्तिगत है।

अधिनायकवादी राज्य, यह प्रस्तुत किया जाता है कि विनियमन *26* के चार खंडों में से कोई भी प्राधिकरण को उस उद्देश्य के बारे में डेटा संग्रहीत करने का अधिकार नहीं देता है जिसके लिए प्रमाणीकरण किया जा रहा है। आधार अधिनियम की धारा *32 (3)* विशेष रूप से प्राधिकरण को प्रमाणीकरण के उद्देश्य के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी जानकारी एकत्र करने, संग्रहीत करने या बनाए रखने से रोकती है।

विनियम *26* का परंतुक भी इसी प्रभाव का है। यहाँ, "प्रमाणीकरण के उद्देश्य" का अर्थ है ए. एन. एच. द्वारा संचालित की जा रही गतिविधि की प्रकृति जिसके संबंध में प्रमाणीकरण की आवश्यकता है और किया जा रहा है।

91. यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिन उपकरणों का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाता है

प्रमाणीकरण ए. एन. एच. द्वारा की जा रही गतिविधि की प्रकृति को दर्ज करने के लिए तैयार या डिज़ाइन नहीं किए गए हैं, जिसके लिए प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। उपकरण केवल प्राधिकरण को प्रमाणीकरण के समय, आरई की पहचान, पी. आई. डी., प्रतिक्रिया का समय और प्रकृति, उपकरण का कोड और प्रमाणीकरण सर्वर साइड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता सकता है। इसलिए, प्रमाणीकरण रिकॉर्ड की सहायता से यू. आई. डी.

ए. आई. के लिए ए. एन. एच. द्वारा की जा रही गतिविधि की प्रकृति का पता लगाना संभव नहीं है। वास्तव में, अधिकांश मामलों में प्रमाणीकरण रिकॉर्ड अदालत की रिपोर्ट के ऊपर नहीं होगा।

प्राधिकरण को उस स्थान/स्थान को भी जानने में सक्षम बनाएँ जहाँ ए. एन. एच. द्वारा गतिविधि की जाती है। इसका कारण यह है कि लगभग *350* आरई हैं। आर. ई. अकेले सी. आई. डी. आर. की मदद से प्रमाणित कर सकते हैं और यह उनके द्वारा ए. एस. ए. के माध्यम से किया जाता है। बड़ी संख्या में मामलों में, प्रमाणीकरण की आवश्यकता वाले संगठन कुछ आरई के माध्यम से ऐसा कर रहे होंगे जिनके साथ उनके कुछ समझौते हैं। ठीक से समझाने के लिए। इन एक आरई है जो बड़ी संख्या में सरकारी संगठनों को प्रमाणीकरण सेवा प्रदान करता है जिनके साथ इसके समझौते हैं। प्रमाणीकरण रिकॉर्ड में केवल आरई के बारे में पहचान के बारे में जानकारी होगी। यह केवल आरई *(nic.in)* के बारे में जानकारी देगा न कि उस संगठन के बारे में जिसे आरई के माध्यम से प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। अधिकतर मामलों में

प्रमाणीकरण एक बार है।

92. यह प्रस्तुत किया जाता है कि बायोमेट्रिक्स का तेजी से सहारा लिया जा रहा है

कई देशों द्वारा पहचान उद्देश्यों के लिए। यूरोप के कम से कम *19* देश बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं जहां डेटा चिप में संग्रहीत किया जाता है। ये स्मार्ट कार्ड उन स्मार्ट कार्डों के समान हैं जिनका उपयोग यू. के. में *2006* के अधिनियम के तहत किया गया था। महत्वपूर्ण अंतर व्यक्ति के डेटा की सीमा में है जो स्मार्ट कार्ड में संग्रहीत है। यूरोपीय कार्ड, यू. के. के विपरीत, *50* श्रेणियों के डेटा को संग्रहीत नहीं करते हैं जो यू. के. कार्ड में संग्रहीत किए जा रहे थे जिसे *2010* में निरसन अधिनियम, *2010* द्वारा समाप्त कर दिया गया था। कुछ यूरोपीय देशों में स्मार्ट कार्ड जारी किए जाते हैं।

विकेंद्रीकृत तरीके से, जैसे जर्मनी में। लेकिन कुछ अन्य देशों में स्मार्ट कार्ड केंद्रीकृत तरीके से जारी किए जाते हैं। दोनों ही मामलों में, राज्य के पास स्मार्ट कार्ड की चिप में संग्रहीत सभी जानकारी होती है, हालांकि इसमें प्रमाणीकरण शामिल नहीं हो सकता है। इन स्मार्ट कार्डों को राज्य की संपत्ति माना जाता है और राज्य को किसी भी समय पहचान के लिए स्मार्ट कार्ड दिखाने की आवश्यकता हो सकती है। एस्टोनिया को बायोमेट्रिक्स के उपयोग के क्षेत्र में अग्रणी और अग्रणी माना जाता है और इसका एक केंद्रीकृत डेटा आधार है। *93.* यह प्रस्तुत किया जाता है कि आधार अधिनियम की संरचना से राज्य द्वारा वास्तविक समय में सामूहिक निगरानी की कोई वास्तविक संभावना, निकट या दूरस्थ संभावना नहीं है। यह राज्य द्वारा निगरानी को सशक्त बनाने के लिए एक अधिनियम नहीं है। यह केवल राज्य को राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों *(*संविधान का भाग *IV)* द्वारा अनिवार्य कल्याणकारी उपायों का उचित वितरण सुनिश्चित करने का अधिकार देता है जो वास्तव में मौलिक अधिकारों को जीवंत करते हैं।

संविधान के अनुच्छेद *14,19* और *21* के तहत देश के अधिकांश गरीबों और दलितों के लिए और इस तरह उनकी व्यापक मुक्ति के लिए। यह छोटे भारतीयों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना चाहता है।

[अशोक भूषण, जे।*]*

94. अधिनियम की धारा *47* पर याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई दलीलों का जवाब देते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा *47* में तर्क है। अध्याय *VII* के तहत अपराधों और दंडों का उद्देश्य सी. आई. डी. आर. की शुद्धता और अखंडता को बनाए रखना है जो ए. एन. एच. की स्थापना की गई है। दूसरा, पूरा नामांकन, सी. आई. डी. आर. में भंडारण और प्रमाणीकरण अभ्यास इतना व्यापक है कि किसी भी उल्लंघन को केवल यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा कुशलता और प्रभावी ढंग से संभाला जा सकता है। इसी तरह के अधिनियम हैं जिनमें समान प्रावधान हैं जिन्हें इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। कोई भी व्यक्ति सीधे यू. आई. डी. ए. आई. या शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के माध्यम से शिकायत कर सकता है। प्राधिकरण धारा *47* के अनुसार शिकायतों की जांच करने और अदालत में शिकायत दर्ज करने के लिए बाध्य होगा। इसके अतिरिक्त, व्यक्ति को आम तौर पर पहचान की चोरी, धोखाधड़ी या प्रकटीकरण की शिकायत होने की संभावना होती है। ऐसी स्थिति में वह हमेशा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, *2000* की धारा *66* सी, *66* डी और *72* ए के प्रावधानों को लागू कर सकते हैं। उक्त अपराधों के लिए समान दंड दिए जाते हैं।

95. अधिनियम की धारा *59* के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा गया है कि धारा *59* का उद्देश्य सरकार के संकल्प को वैधानिक आधार प्रदान करना है।

भारत सरकार, योजना आयोग दिनांक *28.01.2009* और केंद्र सरकार द्वारा की गई किसी भी चीज़ या की गई किसी भी कार्रवाई को मान्य करने के लिए

संकल्प ने कहा। आधार अधिनियम की धारा *59* जो किया गया था और जो कार्रवाई दिनांक *28.01.2009* के प्रस्ताव के तहत की गई थी, उसे जारी रखने का प्रयास करती है। धारा *59* स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी रूप से अपने संरक्षण का विस्तार कर रही है।

जिसे दिनांकित *28.01.2009* अधिसूचना के तहत किया गया था।

96. धारा *59* एक कल्पित कथा प्रदान करती है। इस कल्पित कल्पना के परिणामस्वरूप किसी को यह कल्पना करनी होगी कि उपरोक्त के तहत की गई सभी कार्रवाइयां

अधिसूचनाएं अधिनियम के तहत की गई थीं, न कि उपरोक्त अधिसूचनाओं के तहत।

97. याचिकाकर्ता के इस निवेदन का जवाब देते हुए कि समाज का बड़ा वर्ग लाभ प्राप्त करने से वंचित है और अधिनियम संविधान के अनुच्छेद *14* का उल्लंघन करता है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि दोहराव के कारण कोई बहिष्कार नहीं है। यह नहीं हो सकता।

इस बात से इनकार किया जा सकता है कि कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जहां गैर-पहचान के कारण किसी व्यक्ति को कुछ नुकसान हुआ हो, लेकिन प्रमाणीकरण की विफलता पर अधिकारियों को सब्सिडी और लाभ देने के लिए पहचान के अन्य साधनों को स्वीकार करने का स्पष्ट विवेकाधिकार है। मामले के किसी भी दृष्टिकोण में कुछ प्रशासनिक खामियों और कुछ गलतियों पर कार्यान्वयन से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि अधिनियम असंवैधानिक है *[2018] 8* एस. सी. आर.

और अधिनियम के गलत कार्यान्वयन से कानूनों की संवैधानिकता प्रभावित नहीं होती है।

98. पक्षों के विद्वान वकीलों ने अपने-अपने पक्ष के समर्थन में इस न्यायालय और विदेशी न्यायालयों के कई फैसलों पर भरोसा किया है।

इसके बाद प्रस्तुतियाँ। *99.* याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई विस्तृत दलीलों को सुनने के अलावा, हमारे पास यह भी है

हस्तक्षेप करने वाले के लिए कई विद्वानों की सलाह सुनी। हस्तक्षेपकर्ता द्वारा की गई प्रस्तुति को याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा पहले ही शामिल किया जा चुका है, इसलिए इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। *100.* हमने अपने सामने उठाई गई दलीलों पर विचार किया है। अभिलेख पर अभिवचनों और निम्नलिखित प्रस्तुतियों से

विचार के लिए उत्पन्न होने वाले मुख्य मुद्दे:

(2) क्या आधार संख्या के लिए एक निवासी से जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी की आवश्यकता वाले आधार अधिनियम के प्रावधान असंवैधानिक हैं और पुट्टास्वामी मामले में निर्धारित तीन गुना परीक्षण में उत्तीर्ण नहीं होते हैं*?* *(3)* क्या निवासियों के डेटा का संग्रह, इसका भंडारण, प्रतिधारण और उपयोग गोपनीयता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है*?*

(4) क्या आधार अधिनियम व्यापक रूप से एक संरचना बनाता है

निगरानी गोपनीयता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है*?*

(5) क्या आधार अधिनियम व्यक्ति से एकत्र और प्राप्त डेटा की सुरक्षा प्रदान करता है*?* *(6)* क्या आधार अधिनियम की धारा *7* असंवैधानिक है क्योंकि यह आवश्यक है कि सब्सिडी, लाभ या सेवा की प्राप्ति के लिए किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के उद्देश्यों के लिए ऐसे व्यक्ति को प्रमाणीकरण से गुजरना चाहिए या आधार संख्या के कब्जे का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए या संतुष्ट करना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

क्या आपने नामांकन के लिए आवेदन किया है*?* इसके अलावा

समाज के विभिन्न हाशिए पर पड़े और दलित वर्गों के सही दावों को बड़ी संख्या में अस्वीकार करने के कारण प्रावधान को निरस्त किया जाना चाहिए।

(7) क्या राज्य अनुच्छेद *21* के तहत परिकल्पित भोजन, आश्रय आदि के अधिकार को बढ़ाते हुए इन अधिकारों का अतिक्रमण कर सकता है -

लाभार्थियों की निजता*?*

(8) क्या आधार अधिनियम की धारा *29* को निरस्त किया जा सकता है क्योंकि यह पहचान की जानकारी साझा करने की अनुमति देता है*?(9)* क्या धारा *33* असंवैधानिक है क्योंकि यह

पुलिस के लिए आधार डेटा आधार के उपयोग का प्रावधान

जाँच, जो स्वयं के खिलाफ सुरक्षा का उल्लंघन करती है

के अनुच्छेद *20 (3)* के तहत निहित अपराध

भारत का संविधान*?*

(10) क्या आधार अधिनियम की धारा *47* असंवैधानिक है क्योंकि यह उस व्यक्ति को अनुमति नहीं देता है जो यह पाता है कि

एक अपराधी को शुरू करने के लिए आधार अधिनियम का उल्लंघन है

प्रक्रिया*?*

(11) क्या आधार अधिनियम की धारा *57* जो एक

आधार सूचना का अप्रतिबंधित विस्तार

किसी भी उद्देश्य के लिए व्यक्ति, चाहे वह राज्य या किसी निकाय द्वारा हो,

किसी कानून या संपर्क के अनुसार निगमित या व्यक्ति है

असंवैधानिक*?*

(12) क्या धारा *59* की गई सभी कार्रवाइयों को मान्य करने में सक्षम है

केंद्र सरकार द्वारा दिनांकित अधिसूचना के तहत

28.01.2009 या अधिसूचना दिनांक *12.09.2015* के तहत और ऐसी सभी कार्रवाइयों को आधार के तहत किया गया माना जा सकता है।

एक्ट*?*

(13) क्या आधार अधिनियम असंवैधानिक है क्योंकि यह माता-पिता की सहमति के बिना *5* से *18* वर्ष के बच्चों की पहचान की जानकारी एकत्र करता है*?(14)* क्या पी. एम. एल. ए. *(*दूसरा संशोधन*)* नियम, *2017* द्वारा संशोधित नियम *9* असंवैधानिक होने के कारण उल्लंघनकारी है

भारत के संविधान के अनुच्छेद *14,19 (1) (*जी*), 21* और *300* ए और आधार अधिनियम की धारा *3,7,51*। इसके अलावा, क्या नियम

9 यह पी. एम. एल. ए. अधिनियम, *2002* के अधिकार के बाहर है।

[2018] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(15) क्या परिपत्र दिनांक *23.02.2017* द्वारा जारी किया गया है

दूरसंचार विभाग, भारत सरकार
अल्ट्रा वायर्स है।

(16) क्या आधार अधिनियम को धन के रूप में पारित नहीं किया जा सकता था

आधार को प्रमाणित करना *(*वित्तीय और वित्तीय सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवा*)* विधेयक, *2016* धन के रूप में

क्या विधेयक न्यायिक समीक्षा के अधीन है*?*

(17) क्या आयकर अधिनियम, *1961* की धारा *139*-एए है

गोपनीयता निर्णय को देखते हुए असंवैधानिक
पुट्टास्वामी मामला*?*

(18) क्या आधार अधिनियम पारित अंतरिम आदेशों का उल्लंघन करता है

इस न्यायालय द्वारा *2012* की रिट याचिका *(*सी*)* संख्या *494* और अन्य में

संबंधित मामले*?*

मुद्दे संख्या। *1* और *2*

क्या आधार के तहत आवश्यकता है

किसी की जनसांख्यिकी देने के लिए अधिनियम और
बायोमेट्रिक जानकारी का उल्लंघन है

निजता का मौलिक अधिकार*?*

और क्या आधार के प्रावधान
जनसांख्यिकीय की आवश्यकता वाला अधिनियम और

एक निवासी से बायोमेट्रिक जानकारी

आधार संख्या के लिए

हैं।

असंवैधानिक और तीन पास न करें

जैसा कि पुट्टास्वामी में निर्धारित किया गया है, तह परीक्षण

मामला?

101. उपरोक्त मुद्दों का जवाब देने से पहले हमें इन पर गौर करने की आवश्यकता है -

उद्देश्य और उद्देश्य जिसके लिए आधार अधिनियम लागू किया गया था। बयान

ऐसे कथन के उद्देश्यों और कारणों का विशेष रूप से अनुच्छेद *5* उस उद्देश्य पर प्रकाश डालता है जिसके लिए विधान अस्तित्व में आया था। उद्देश्यों और कारणों के कथन का अनुच्छेद *5* इस प्रकार है:

" 5. आधार *(*वित्तीय और अन्य वस्तुओं की लक्षित डिलीवरी*)* अनुदान, लाभ और सेवा*)* विधेयक, *2016*, अन्य बातों के साथ-साथ,

के लिए प्रदान करें

(क*)* व्यक्ति को आधार संख्या प्रदान करने पर जारी करना।

अद्वितीय के लिए जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी
भारतीय पहचान प्राधिकरण; जस्टिस के. एस. पुटसवामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

(ख*)* लाभों, सब्सिडी और सेवाओं के वितरण के लिए किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए आधार संख्या की आवश्यकता होती है जिससे खर्च किया जाता है या उससे रसीद प्राप्त होती है।
भारत की समेकित निधि;

(ग*)* जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी के संबंध में आधार संख्या धारक की आधार संख्या का प्रमाणीकरण;

(घ*)* भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना जिसमें एक अध्यक्ष, दो सदस्य और एक सदस्य शामिल हैं।

उद्देश्यों के अनुसरण में कार्य करने के लिए सचिव

ऊपर;

(ई*)* केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी में व्यक्तियों की जानकारी का रखरखाव और अद्यतन इस तरह से करना जो हो सके।

विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जाना;

(च*)* केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में संग्रहीत जानकारी सहित प्राधिकरण के कब्जे या नियंत्रण में जानकारी की सुरक्षा, गोपनीयता और गोपनीयता से संबंधित उपाय; और

एफ.

(छ*)* संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए अपराध और दंड

वैधानिक प्रावधान "।

102. किसी भी अधिनियम की प्रस्तावना किसी अधिनियम को पढ़ने और उसे लागू करने की कुंजी होती है।

आधार अधिनियम की प्रस्तावना में लिखा है:

भारत की समेकित निधि, ऐसे व्यक्तियों को विशिष्ट पहचान संख्या सौंपने के माध्यम से भारत में रहने वाले व्यक्तियों के लिए और
उससे संबंधित या प्रासंगिक मामले।

103. अधिनियम की धारा *2* परिभाषा खंड है। धारा *2 (*ए*)* परिभाषित करती है

" आधार संख्या "निम्नलिखित तरीके से:

" 2 (क*)* "आधार संख्या" से धारा *3* की उप-धारा *(3)* के तहत किसी व्यक्ति को जारी की गई पहचान संख्या अभिप्रेत है;

104. धारा *2 (*जी*)* और *2 (*के*)* "बायोमेट्रिक जानकारी" को परिभाषित करती हैं और

" जनसांख्यिकीय जानकारी "जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए है:

" 2 (छ*)* "बायोमेट्रिक जानकारी" से किसी व्यक्ति की तस्वीर, फिंगर प्रिंट, आइरिस स्कैन या ऐसी अन्य जैविक विशेषताएँ अभिप्रेत हैं -

विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है; *[2018] 8* एस. सी. आर.

*(*के*)* "जनसांख्यिकीय जानकारी" में किसी व्यक्ति के नाम, जन्म तिथि, पता और अन्य प्रासंगिक जानकारी से संबंधित जानकारी शामिल है, जैसा कि आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसमें जाति शामिल नहीं होगी,

धर्म, जाति, जनजाति, जातीयता, भाषा, अधिकार के अभिलेख,

आय या चिकित्सा इतिहास;

105. अधिनियम की धारा *3* आधार नामांकन से संबंधित है। अनुभाग

एस निम्नलिखित हैः

"3. (1) प्रत्येक निवासी अपनी जनसांख्यिकीय जानकारी और बायोमेट्रिक जमा करके आधार संख्या प्राप्त करने का हकदार होगा।

नामांकन की प्रक्रिया से गुजरने वाली जानकारीः बशर्ते कि केंद्र सरकार, समय-समय पर, व्यक्तियों की ऐसी अन्य श्रेणी को अधिसूचित कर सकती है जो प्राप्त करने के हकदार हो सकते हैं

आधार संख्या। *(2)* नामांकन एजेंसी, नामांकन के समय, सूचित करेगी

निम्नलिखित विवरणों के नामांकन से गुजर रहा व्यक्ति

ऐसी रीति जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अर्थात्ः

*((*क*)* जिस तरीके से जानकारी का उपयोग किया जाएगा; *(* बी*)* प्राप्तकर्ताओं की प्रकृति जिनके साथ जानकारी है

प्रमाणीकरण के दौरान साझा करने का इरादा; और

(ग*)* सूचना तक पहुँच के अधिकार का अस्तित्व, ऐसी पहुँच के लिए अनुरोध करने की प्रक्रिया, और उस व्यक्ति या विभाग प्रभारी का विवरण जिसे ऐसे अनुरोध किए जा सकते हैं।

(3) जनसांख्यिकीय जानकारी और बायोमेट्रिक की प्राप्ति पर

उप-धारा *(1)* के तहत जानकारी, प्राधिकरण, जानकारी को सत्यापित करने के बाद, ऐसे तरीके से जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को आधार संख्या जारी करेगा।

106. मामलों के इस समूह में चुनौती अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को इस आधार पर चुनौती है कि अधिनियम और इसके प्रावधान गोपनीयता के अधिकार हैं जिसे अब मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। निजता के अधिकार, जिसे एक मौलिक अधिकार अनुच्छेद *21* के रूप में स्वीकार किया गया है, पर पुट्टास्वामी मामले *(*उपरोक्त*)* में इस न्यायालय की नौ संविधान पीठ द्वारा विस्तृत और आधिकारिक रूप से विचार किया गया है।

107. एलन एफ. वेस्टिन ने अपने काम "गोपनीयता और स्वतंत्रता" में परिभाषित किया है।

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. के तहत लोगों की स्वतंत्र रूप से चुनने की इच्छा के रूप में।

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

रुख और किस हद तक वे खुद को उजागर करेंगे, उनके

108. डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे., अपनी राय में *(*जो व्यक्त करता है*)*राय*)* निर्णय के पैराग्राफ *3* में विश्लेषण करते हुए

गोपनीयता का अधिकारः

"3. निजता, अपने सरलतम अर्थों में, प्रत्येक मनुष्य को एक ऐसे मूल में अकेला छोड़ने की अनुमति देती है जो अलंघनीय है। फिर भी व्यक्ति की स्वायत्तता शेष समाज के साथ उसके संबंधों पर निर्भर करती है। वे संबंध अक्सर स्वायत्तता और स्वतंत्र विकल्प के लिए सवाल खड़े कर सकते हैं और कर सकते हैं। राज्य और गैर-राज्य संस्थाओं की व्यापक उपस्थिति सामाजिक अस्तित्व के उन पहलुओं को नियंत्रित करती है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्भर करते हैं। का संरक्षण

संवैधानिक स्वतंत्रता, कहने के लिए, कार्य प्रगति पर है। कठिनाइयाँ

सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता किसी व्यक्ति को कहाँ रखती है, इसकी संवैधानिक समझ के संदर्भ में चुनौतियों से निपटा जाना चाहिए। नई चुनौतियों का उदय उदाहरण है इस मामले में, जहां गोपनीयता पर बहस का विश्लेषण वैश्विक सूचना आधारित समाज के संदर्भ में किया जा रहा है। एक ऐसे युग में जहां सूचना प्रौद्योगिकी हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को नियंत्रित करती है,

न्यायालय के समक्ष कार्य एक परस्पर जुड़े हुए विश्व में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संवैधानिक अर्थ प्रदान करना है। जबकि हम इस सवाल पर पुनर्विचार करते हैं कि क्या हमारा संविधान एक मौलिक सिद्धांत के रूप में गोपनीयता की रक्षा करता है, न्यायालय को डिजिटल दुनिया में स्वतंत्रता की जरूरतों और अवसरों और खतरों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।

109. डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. द्वारा अनुच्छेद *297 8* में गोपनीयता की आवश्यक प्रकृति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। *:*

"297. फिर, गोपनीयता क्या मानती है*?* गोपनीयता व्यक्ति के लिए एक निजी स्थान के आरक्षण को स्वीकार करती है, जिसे अकेले रहने के अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। यह अवधारणा व्यक्ति की स्वायत्तता पर आधारित है। किसी व्यक्ति की चुनाव करने की क्षमता मानव व्यक्तित्व के मूल में निहित है। निजता की धारणा व्यक्ति को मानव तत्व पर जोर देने और नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व से अविभाज्य है। अदम्य मानव व्यक्तित्व की प्रकृति मानव जीवन के अंतरंग मामलों पर निर्णय लेने की क्षमता में प्रकट होती है। व्यक्ति की स्वायत्तता उन मामलों से जुड़ी होती है जिन्हें रखा जा सकता है *[2018] 8* एस. सी. आर.

निजी। ये ऐसी चिंताएं हैं जिन पर गोपनीयता की वैध अपेक्षा है। शरीर और मन मानव व्यक्तित्व के अविभाज्य तत्व हैं। शरीर की अखंडता और मन की पवित्रता इस आधार पर मौजूद हो सकती है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक अपरिहार्य क्षमता और शरीर को बनाए रखने का अधिकार है।

निजी स्थान जिसमें मानव व्यक्तित्व विकसित हो सकता है। चुनाव करने की क्षमता के बिना, व्यक्तित्व की अनुल्लंघनीयता संदेह में होगी। निजता के एक क्षेत्र को पहचानना केवल एक स्वीकृति है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास के पाठ्यक्रम को चार्ट करने और आगे बढ़ाने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए निजता अपने आप में मानवीय गरिमा का एक अभिधारणा है।

298. व्यक्ति की निजता गरिमा का एक अनिवार्य पहलू है। गरिमा का एक आंतरिक और वाद्य मूल्य दोनों है। एक आंतरिक मूल्य के रूप में, मानव गरिमा एक अधिकार या संवैधानिक रूप से एक अधिकार है।

अपने आप में संरक्षित ब्याज। इसके वाद्य पहलू में, गरिमा और स्वतंत्रता अविभाज्य रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्रत्येक दूसरे को प्राप्त करने के लिए एक सुविधाजनक उपकरण है। निजता के क्षेत्र की रक्षा करने की व्यक्ति की क्षमता जीवन और स्वतंत्रता के पूर्ण मूल्य का एहसास करने में सक्षम बनाती है। स्वतंत्रता का एक व्यापक अर्थ है जिसका गोपनीयता एक उपसमुच्चय है। सभी स्वतंत्रताओं का उपयोग गोपनीयता में नहीं किया जा सकता है। फिर भी अन्य को केवल एक निजी स्थान के भीतर पूरा किया जा सकता है। निजता व्यक्ति को शरीर और मन की स्वायत्तता बनाए रखने में सक्षम बनाती है। व्यक्ति की स्वायत्तता जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने की क्षमता है। निजता को एक स्वतंत्र मौलिक अधिकार के रूप में नहीं लिया गया है। लेकिन यह उसे दिए गए संवैधानिक संरक्षण से विचलित नहीं करता है, एक बार गोपनीयता की वास्तविक प्रकृति और उन मौलिक अधिकारों के साथ इसका संबंध जो

स्पष्ट रूप से संरक्षित हैं समझा जाता है। गोपनीयता संरक्षित स्वतंत्रताओं के दायरे में आती है। समानता की गारंटी राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ एक गारंटी है। यह राज्य को रोकता है

व्यक्तियों के बीच भेदभाव करना। राज्य द्वारा एक पवित्र व्यक्तिगत स्थान का विनाश, चाहे वह शरीर का हो या मन का, मनमाना राज्य कार्रवाई के खिलाफ गारंटी का उल्लंघन है। शरीर की गोपनीयता एक व्यक्ति को व्यक्तित्व के भौतिक पहलुओं की अखंडता का अधिकार देती है। किसी की मानसिक अखंडता और गोपनीयता के बीच का प्रतिच्छेदन व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार देता है।

विचार, *499* में विश्वास करने की स्वतंत्रता जो सही है, और आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता। जब ये गारंटी लिंग के साथ प्रतिच्छेदन करती हैं, तो वे एक निजी स्थान बनाती हैं जो उन सभी एसटीआईसीई के एस पुटस्वामी *(*आरईटीडी*) v* की रक्षा करती है।

[अशोक भूषण, जे।*]*

ऐसे तत्व जो लिंग पहचान के लिए महत्वपूर्ण हैं। परिवार, विवाह, प्रजनन और यौन अभिविन्यास सभी गरिमा के अभिन्न अंग हैं।

व्यक्ति से। इन सबसे ऊपर, व्यक्ति की निजता यह निर्धारित करने के एक अलंघनीय अधिकार को मान्यता देती है कि स्वतंत्रता का प्रयोग कैसे किया जाएगा।

110. इस न्यायालय ने आगे कहा है कि जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की तरह,*y* निरपेक्ष नहीं है। उस अधिकार में कोई भी कटौती या वंचित करना कानून के शासन के तहत होना चाहिए। पैराग्राफ *313* में

आयोजित किया गया हैः

" 313. निजता को अनुच्छेद *21* के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक आंतरिक तत्व माना गया है।

संवैधानिक मूल्य जो मौलिक में सन्निहित है

संविधान के भाग *III* में निहित स्वतंत्रताएँ। जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की तरह, गोपनीयता निरपेक्ष नहीं है। सीमाएँ जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर काम करना निजता के अधिकार पर काम करेगा। उस अधिकार में कोई भी कटौती या वंचित करना कानून के शासन के तहत होना चाहिए। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। अधिकार में कटौती का प्रावधान करने वाला कानून भी संवैधानिक सुरक्षा उपायों के अधीन होना चाहिए।

111. गोपनीयता के मूल का और विस्तार में कहा गया है

पैराग्राफ *322,323* और *326* में शब्दों को कम करनाः

" 322. निजता मानव गरिमा का संवैधानिक मूल है। निजता में मानक और वर्णनात्मक दोनों कार्य होते हैं। एक मानक पर

स्तर गोपनीयता उन शाश्वत मूल्यों को कम करती है जिन पर

जीवन, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है। ए में

वर्णनात्मक स्तर, गोपनीयता अधिकारों के एक समूह को प्रस्तुत करती है और

हित जो व्यवस्थित स्वतंत्रता की नींव पर होते हैं।

323. निजता के मूल में व्यक्तिगत गोपनीयता का संरक्षण शामिल है।

अंतरंगता, पारिवारिक जीवन की पवित्रता, विवाह, प्रजनन, घर और यौन अभिविन्यास। निजता का अर्थ अकेले रहने का अधिकार भी है। गोपनीयता व्यक्तिगत स्वायत्तता की रक्षा करती है और अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को नियंत्रित करने की व्यक्ति की क्षमता को पहचानती है। जीवन शैली को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत विकल्प आंतरिक हैं -

गोपनीयता। गोपनीयता विषमता की रक्षा करती है और पहचानती है

हमारी संस्कृति की बहुलता और विविधता। जबकि वैध

गोपनीयता की अपेक्षा अंतरंग क्षेत्र से भिन्न हो सकती है निजी क्षेत्र और निजी से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र तक, यह *[2018] 8* एस. सी. आर. है।

एक नागरिक का जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसकी सकारात्मक सामग्री राज्य पर सभी आवश्यक उपाय करने का दायित्व लगाती है।
व्यक्ति की निजता की रक्षा करना। "

112. पहला मुद्दा जो विचाराधीन है वह यह है कि क्या आधार अधिनियम के तहत किसी की बायोमेट्रिक और बायोमेट्रिक जानकारी देने की आवश्यकता है।

जनसांख्यिकीय जानकारी निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी को धारा *2* में परिभाषित किया गया है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है। बायोमेट्रिक जानकारी और जनसांख्यिकीय जानकारी दो अलग-अलग अवधारणाएँ हैं जिन्हें अधिनियम में ही चित्रित किया गया है। हम सबसे पहले जनसांख्यिकीय जानकारी लेते हैं जिसमें किसी व्यक्ति के नाम, जन्म तिथि, पता और अन्य प्रासंगिक जानकारी से संबंधित जानकारी शामिल होती है, जैसा कि आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। धारा *2 (*के*)* में भी निषेधाज्ञा है कि जनसांख्यिकीय जानकारी में नस्ल, धर्म, जाति, जनजाति, जातीयता, भाषा, पात्रता के रिकॉर्ड, आय या चिकित्सा इतिहास शामिल नहीं होंगे। इस प्रकार, जनसांख्यिकीय

अधिनियम में दी जाने वाली जानकारी बहुत सीमित जानकारी है। ये विनियम आधार *(*नामांकन और अद्यतन*)* विनियम, *2016* नामक अधिनियम के तहत बनाए गए हैं। नियम *4*

जनसांख्यिकीय जानकारी की गणना करता है जिससे एकत्र किया जाएगा

नामांकन से गुजर रहे व्यक्ति। नियम *4* इस प्रकार हैः

"4. नामांकन के लिए आवश्यक जनसांख्यिकीय जानकारी। — *(1)* निम्नलिखित जनसांख्यिकीय जानकारी एकत्र की जाएगी।
नामांकन से गुजरने वाले सभी व्यक्तियों से *(*पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों को छोड़कर*):*

((i) नाम*;*

*((*ग*)* लिंग*;*
((iv) आवासीय पता।

(2) व्यक्ति के विकल्प पर नामांकन के दौरान निम्नलिखित जनसांख्यिकीय जानकारी भी अतिरिक्त रूप से एकत्र की जा सकती है।

नामांकन चल रहा हैः

[अशोक भूषण, जे।*]*

((i) मोबाइल नंबर*;*
((ii) ईमेल पता।

(3) परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी एकत्र की जाएगीः

((i) परिचयकर्ता का नाम*;*

((ii) परिचयकर्ता की आधार संख्या।

(4) परिवार प्रमुख आधारित नामांकन के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी एकत्र की जाएगीः

((i) परिवार के मुखिया का नाम*;*

((ख) संबंध।

((ग) परिवार के मुखिया की आधार संख्या*;*
(iv) प्रमुख की बायोमेट्रिक जानकारी का एक तरीका

परिवार।

(5) उपरोक्त जनसांख्यिकीय जानकारी के मानक इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किए जाएंगे।

(6) जनसांख्यिकीय जानकारी में निवासी की जाति, धर्म, जाति, जनजाति, जातीयता, भाषा, हकदारी का रिकॉर्ड, आय या चिकित्सा इतिहास शामिल नहीं होगा। ”

113. विनियम *4* के अवलोकन से संकेत मिलता है कि व्यक्ति से जो जानकारी एकत्र की जाएगी, वह उसका नाम, जन्म तिथि, लिंग और आवासीय पता है। अतिरिक्त जानकारी जो व्यक्ति के विकल्प पर एकत्र की जा सकती है वह है मोबाइल नंबर और ई-मेल पता। विनियमन की अनुसूची *I* में नामांकन प्रपत्र का प्रारूप शामिल है जिसमें शामिल हैं - विनियम *4* के तहत विचार की गई जानकारी के लिए कॉलम।

114. विनियम *4* के तहत विचार की गई जानकारी व्यक्ति की पहचान से संबंधित जानकारी के अलावा और कुछ नहीं है।

115. पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति माता-पिता के साथ एक समय पर एक स्थान पर जन्म लेता है। समाज में व्यक्ति की पहचान ऐसे व्यक्ति के बेटे या बेटी के रूप में होती है। जन्म लेने के समय से ही व्यक्ति की पहचान एक जानी-पहचानी पहचान है और आम तौर पर हर व्यक्ति की

स्वयं को ऐसे और ऐसे लोगों का पुत्र या पुत्री बताता है

व्यक्ति।

116. प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह स्कूल में एक बच्चा हो, अपने कार्यस्थल पर एक व्यक्ति, अपने माता-पिता, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के स्थान के साथ खुद को जोड़ता है।

अपनी जीवन यात्रा में स्वेच्छा से और स्वेच्छा से दूसरों के सामने अपनी पहचान प्रकट करते हैं। जनसांख्यिकीय जानकारी विश्व स्तर पर व्यक्तियों द्वारा दूसरों के साथ संबंध रखते हुए पहचान का खुलासा करने के लिए आसानी से प्रदान की जाती है; जबकि सरकारी या निजी संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए लाभों की तलाश की जाती है। जो लोग किसी पेशे में शामिल होने के लिए पंजीकृत होते हैं, जो स्कूलों/कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेते हैं, जो सरकारी या निजी संस्थाओं में रोजगार चाहते हैं, और जो विभिन्न व्यापार और वाणिज्य में संलग्न होते हैं, उन सभी को जनसांख्यिकीय जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि ऐसी जानकारी के संबंध में गोपनीयता की उचित अपेक्षा नहीं की जा सकती है। बड़ी संख्या में ऐसे कानून हैं जो व्यक्तियों द्वारा जनसांख्यिकीय जानकारी देने के लिए प्रदान करते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, *1950* के तहत बनाए गए निर्वाचन पंजीकरण नियम, *1960* के अनुसार निर्वाचन सूची में किसी व्यक्ति का नाम शामिल करने के लिए, एक व्यक्ति को समान जनसांख्यिकीय विवरण देना आवश्यक है। फॉर्म *II* में जानकारी, यानी नाम, जन्म तिथि, लिंग, वर्तमान पता और स्थायी पता, जिसमें ईमेल पते और मोबाइल नंबर का वैकल्पिक विवरण भी शामिल है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, *1989* के तहत ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को नाम, माता-पिता, स्थायी पता, अस्थायी पता, जन्म तिथि, जन्म स्थान, शैक्षणिक योग्यता आदि देना आवश्यक है।

117. विशेष विवाह अधिनियम के तहत, नाम, शर्त, व्यवसाय,

आयु, निवास स्थान, आयु आदि दी जानी चाहिए। इस प्रकार, अधिकांश कानूनों में ऐसी जनसांख्यिकीय जानकारी प्रदान करना स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वे जानकारी आसानी से प्रदान की जाती हैं और गोपनीयता की कोई उचित अपेक्षा कभी भी उपरोक्त संबंध में दावा या महसूस नहीं की गई है।

118. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि गोपनीयता के अधिकार के उल्लंघन का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब दावेदार विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर हो।

"निजता की उचित अपेक्षा" रखें। रेगिना *(वुड)* बनाम में अपील न्यायालय में। महानगर के पुलिस आयुक्त, *(2009)* ई. डब्ल्यू. सी. ए. सिविल *414: (2010) 1* डब्ल्यू. एल. आर. *123* निम्नलिखित आयोजित किया गया था:

"22. मूल्यों का यह समूह, जिसे व्यक्तिगत स्वायत्तता के रूप में संक्षेपित किया गया है

प्रत्येक व्यक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के खिलाफ एक धारणा के रूप में ठोस रूप लेना, एक स्वतंत्र समाज की एक परिभाषित विशेषता है। इसलिए हमें इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। छोटे मामलों में भी। साथ ही यह महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद *8* द्वारा संरक्षित इस मूल अधिकार को, चाहे वह कितना भी मौलिक क्यों न हो, इतना व्यापक रूप से नहीं पढ़ा जाना चाहिए कि इसके दावे अवास्तविक और अनुचित हो जाएं।

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. के लिए। भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

इस उद्देश्य के लिए मुझे लगता है कि तीन सुरक्षा उपाय या योग्यताएँ हैं। सबसे पहले, व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वायत्तता के लिए कथित धमकी या हमला *(*यदि अनुच्छेद *8* को शामिल किया जाना है*)* एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए।

गंभीरता का स्तर "। दोसर, अनुच्छेद *8 (1)* क आधारशिला।

अनुबंध यह है कि क्या दावेदार तथ्यों पर आनंद लेता है

"निजता की उचित अपेक्षा "*(*मामलों में स्वीकार की गई निजता के किसी भी अर्थ में*)*। इस तरह की अपेक्षा के बिना, व्यक्तिगत स्वायत्तता में कोई प्रासंगिक हस्तक्षेप नहीं है। तीसरी बात यह है कि अनुच्छेद *8 (1)* के विस्तार को कई मामलों में अनुच्छेद *8 (2)* के अनुसार राज्य के लिए उपलब्ध औचित्य के दायरे से बहुत कम किया जा सकता है। मैं अनुच्छेद *8* के अत्यधिक उपयोग के लिए इन तीन प्रतिकारों के बारे में थोड़ा कहूंगा।

24. जहाँ तक दूसरे का सवाल है-"निजता की उचित अपेक्षा" -

मैं पहले ही वॉन हनोवर के पैराग्राफ *51* का हवाला दे चुका हूं।

उसी वाक्यांश का संदर्भ, और एक "वैध" के लिए भी

सुरक्षा की अपेक्षा। लार्ड में एक परिच्छेद की तुलना की जा सकती है।

पैराग्राफ *21* में कैंपबेल में निकोल्स की रायः

"तदनुसार, यह तय करने में कि किसी व्यक्ति का दायरा क्या था

'निजी जीवन 'विशेष परिस्थितियों में अदालतों को एक कसौटी के रूप में उपयोग करने के खिलाफ सतर्क रहने की आवश्यकता है-एक ऐसी परीक्षा जो सामने आती है।

लेखा संबंधी विचार जो अधिक उचित रूप से होने चाहिए

आनुपातिकता के बाद के चरण में माना जाता है। मूल रूप से

निजी जीवन की कसौटी यह है कि क्या प्रकट किए गए तथ्यों के संबंध में विचाराधीन व्यक्ति को उचित अपेक्षा थी

गोपनीयता "।

इसी मामले में लॉर्ड होप ने पैराग्राफ *99* में कहाः

"सवाल यह है कि एक सामान्य व्यक्ति क्या है*?* अगर उसे उसी स्थिति में रखा जाता तो संवेदनाएँ महसूस होतीं

दावेदार के रूप में और उसी प्रचार का सामना करना पड़ा।

मर्रे बनाम बिग पिक्चर्स *(*यूके*)* लिमिटेड सर एंथनी क्लार्क एमआर इन दोनों परिच्छेदों का उल्लेख किया और कहाः

" 35 ..... [जहाँ तक कैम्पबेल से प्राप्त किए जाने वाले प्रासंगिक सिद्धांतों का संबंध है, हम सोच सकते हैं कि उन्हें संक्षेप में प्रस्तुत किया जाए।

इस तरह से। पहला सवाल यह है कि क्या गोपनीयता की उचित अपेक्षा है। यह निश्चित रूप से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। .....

36. जैसा कि हम इसे देखते हैं, यह सवाल कि क्या गोपनीयता की उचित अपेक्षा है, एक व्यापक सवाल है, जो *[2018] 8* एस. सी. आर. को ध्यान में रखता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामले की सभी परिस्थितियाँ। इनमें दावेदार की विशेषताएँ, उस गतिविधि की प्रकृति जिसमें दावेदार संलग्न था, जिस स्थान पर यह हो रहा था, घुसपैठ की प्रकृति और उद्देश्य, सहमति का अभाव और क्या यह ज्ञात था या अनुमान लगाया जा सकता था, दावेदार पर प्रभाव और वे परिस्थितियाँ और उद्देश्य शामिल हैं जिनमें और जिनके लिए दावेदार काम कर रहा था।

जानकारी प्रकाशक के हाथों में आ गई।

119. डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे. ने उल्लेख किया है कि गोपनीयता परीक्षण की उचित अपेक्षा भी गोपनीयता निर्णय में साबित हुई थी।काट्ज़ बनाम में यू. एस. सुप्रीम कोर्ट का प्रवेश। संयुक्त राज्य अमेरिका, *389* यू. एस. *347,* के. एस. पुट्टास्वामी में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी की गई है।

पैराग्राफ *185* में कहा गया हैः

"बहुमत ने "गोपनीयता की उचित अपेक्षा" परीक्षण को अपनाया जैसा कि काट्ज़ में हार्लन, जे. द्वारा तैयार किया गया था और निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 7. [जाँच, जैसा कि श्री न्यायमूर्ति हार्लन ने अपने काट्ज़*66* में उचित रूप से उल्लेख किया है। सहमति, आम तौर पर दो असतत प्रश्नों को शामिल करती है। पहला यह है कि क्या व्यक्ति ने अपने आचरण से "निजता की वास्तविक *(*व्यक्तिपरक*)* अपेक्षा का प्रदर्शन किया है". क्या. व्यक्ति ने दिखाया है कि "वह *[*कुछ*]* को संरक्षित करना चाहता है।

निजी के रूप में "। ..... दूसरा सवाल यह है कि क्या व्यक्ति की निजता की व्यक्तिपरक अपेक्षा "वह है जिसे समाज" उचित "के रूप में पहचानने के लिए तैयार है. क्या. व्यक्ति की अपेक्षा, जिसे वस्तुनिष्ठ रूप से देखा जाता है, के तहत" न्यायसंगत "है।

परिस्थितियाँ। .....

8 ..... चूंकि पेन रजिस्टर टेलीफोन कंपनी के केंद्रीय कार्यालयों में टेलीफोन कंपनी की संपत्ति पर स्थापित किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से यह दावा नहीं कर सकता कि उसकी "संपत्ति" पर हमला किया गया था या पुलिस ने "संवैधानिक रूप से संरक्षित क्षेत्र" में घुसपैठ की थी।

इस प्रकार न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता ने संभवतः अपने द्वारा डायल किए गए फोन नंबरों में गोपनीयता की कोई वास्तविक अपेक्षा नहीं रखी थी, और यह कि, भले ही उसने ऐसा किया हो, उसकी अपेक्षा "वैध" नहीं थी। हालाँकि, फैसले में काट्ज़ की सीमाओं पर भी ध्यान दिया गया

परीक्षणः

दो-आयामी जांच एक अपर्याप्त सूचकांक प्रदान करेगी। चौथा संशोधन संरक्षण। ..... ऐसी परिस्थितियों में, जहां किसी व्यक्ति की व्यक्तिपरक अपेक्षाएं न्याय के. एस. पुटसवामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* थीं।

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

"विदेशी प्रभावों से अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त चौथा

संशोधन स्वतंत्रताएँ, वे व्यक्तिपरक अपेक्षाएँ स्पष्ट रूप से

क्या गुंजाइश है यह पता लगाने में कोई सार्थक भूमिका नहीं निभा सकता है

चौथे संशोधन का संरक्षण था "। ' "

(जोर दिया गया*)*

120. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों पर ध्यान देने के बाद,

D.Y.Chandrachud, के. एस. पुट्टास्वामी *(*ऊपर*)* में जे. ने नोट किया है कि गोपनीयता के अधिकार को विकसित करते समय गोपनीयता परीक्षण की उचित अपेक्षा पर विभिन्न अन्य क्षेत्राधिकारों द्वारा भरोसा किया गया है। पैराग्राफ *195* में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया हैः

संयुक्त राज्य अमेरिका में गोपनीयता से पता चलता है कि भले ही
में "गोपनीयता" शब्द का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है

संविधान, देश की अदालतों ने न केवल मान्यता दी है

संविधान के विभिन्न संशोधनों के तहत निजता का अधिकार

लेकिन उत्तरोत्तर संरक्षण के दायरे को भी बढ़ाया

निजता का अधिकार। अपने शुरुआती वर्षों में, ध्यान संपत्ति पर था

और भौतिक स्थानों की सुरक्षा जिन्हें निजी माना जाएगा

अप्रासंगिक जब यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिकार के तहत क्या संरक्षित है
निजता का अर्थ है "लोग, स्थान नहीं"। "उचित अपेक्षा"

गोपनीयता परीक्षण पर बाद में कई अन्य लोगों द्वारा भरोसा किया गया है।

निजता के अधिकार का विकास करते हुए अधिकार क्षेत्र "।

121. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि कोई व्यक्ति समाज के साथ बातचीत करता है या

अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ बातचीत करते समय स्वाभाविक रूप से उसका नाम, उम्र, जन्म तिथि, आवासीय पता आदि जैसी कई जानकारी देता है और प्रकट करता है। हमारी राय है कि उन सूचनाओं को देने में गोपनीयता की कोई उचित अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि नामांकन की प्रक्रिया में दी जाने वाली आवश्यक जनसांख्यिकीय जानकारी गोपनीयता के किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है।

122. जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसके जन्म के बाद एक नाम मिलता है। वह कोशिश करता है।

अपने पूरे जीवन में खुद को समाज द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए स्थापित करना। साथी व्यक्ति और बड़े पैमाने पर समाज द्वारा मान्यता सभी का पोषित सपना है।

मनुष्य, उपरोक्त सपने को पूरा करने के लिए, वह खुद को समाज से नहीं छिपाता है, बल्कि अवसर आने पर बार-बार खुद को फिर से स्थापित करने में गर्व महसूस करता है। वह बार-बार अपनी पहचान की घोषणा करता है।

123. राज्य के साथ उसके संबंधों में पहचान का अधिकार एक अनिवार्य घटक है। पहचान केवल पेशेवर है

पहचान और हर किसी को सफलता के माध्यम से अपनी पहचान साबित करने का अधिकार है। आधार को एक अखिल भारतीय पहचान के रूप में माना जाता है, जो गिनती के हर नुक्कड़ पर पहचान का स्वीकार्य प्रमाण है।

124. भारत के प्रत्येक निवासी अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के लिए एक पहचान प्रदान करने पर जोर देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय घोषणा और समझौतों का संदर्भ दिया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है:

का नाम

प्रावधान

सम्मेलन

[तिथि

विलय*]*

सार्वभौमिक

अनुच्छेद *6:* हर किसी को अधिकार है कि

की घोषणा

इससे पहले हर जगह एक व्यक्ति के रूप में मान्यता

कानून।

मानव।

अधिकार, *1948*

[10.12.1948]

अंतर्राष्ट्रीय

अनुच्छेद *16:* हर किसी को होगा अधिकार

करार पर

इससे पहले हर जगह एक व्यक्ति के रूप में मान्यता

नागरिक और राजनीतिक

कानून।

अधिकार, *1976*

[10.04.1979]

संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

अनुच्छेद *8:* राज्य दल सम्मान करने का वचन देते हैं

के अधिकारों पर

बच्चे को अपनी रक्षा करने का अधिकार

द चाइल्ड, *1989*

राष्ट्रीयता, नाम और पहचान सहित

[11.12.1992]

कानून द्वारा मान्यता प्राप्त पारिवारिक संबंध

करने के लिए: ..... *(ग)* बच्चे के माता-पिता, उनकी अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान का विकास।

पहचान, भाषा और मूल्य, उस देश के राष्ट्रीय मूल्यों के लिए जिसमें बच्चा रह रहा है, जिस देश से वह उत्पन्न हो सकता है, और अपनी सभ्यताओं से अलग सभ्यताओं के लिए।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

125. हम स्वतंत्र नामक एक संगठन द्वारा दायर आवेदनों में से एक को भी देख सकते हैं, जो भारत में ट्रांसजेंडर और यौन अल्पसंख्यक समुदायों के हितों के लिए काम करता है और उनका प्रतिनिधित्व करता है। संगठन की ओर से यह निवेदन किया गया है कि आधार अधिनियम और विशिष्ट पहचान संख्या *(*यू. आई. डी.*)* या आधार संख्या को अनिवार्य बनाने वाले नियम और नामांकन के लिए उन्हें अपनी व्यक्तिगत जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता एक गंभीर बात है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की निजता और गरिमा के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ट्रांसजेंडर समुदाय ने कानूनी और सामाजिक रूप से स्वीकृत हिंसा और भेदभाव के इतिहास का अनुभव किया है

निजी व्यक्तियों और राज्य प्राधिकरणों से। इस संबंध में आपराधिक जनजाति अधिनियम, *1871* और कुछ राज्य विधानों का संदर्भ दिया गया है। आवेदक राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और भारत संघ और अन्य, *2014 (5)* एस. सी. सी. *438* में इस न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख करता है, जिसमें इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में पोशाक, कार्य व्यवहार आदि के माध्यम से स्वयं की पहचान की गई लिंग पहचान की अभिव्यक्ति का अधिकार शामिल है। यह निवेदन किया गया है कि आधार अधिनियम की धारा *2* और आधार *(*नामांकन और अद्यतन*)* विनियमों के विनियम *4* के तहत लिंग का खुलासा करना संविधान के अनुच्छेद *14* का उल्लंघन है।

126. इसके अलावा, आधार अधिनियम संविधान के अनुच्छेद *15* के तहत जमीनी स्तर पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव के बराबर है

लिंग से। इसके अलावा, यह तर्क दिया जाता है कि लिंग पहचान का खुलासा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अनुच्छेद *21* और अनुच्छेद *19 (1) (*ए*)* का उल्लंघन करता है।

127. हम अधिनियम के प्रावधानों पर विचार कर रहे हैं और

नामांकन और अद्यतन विनियम और यह पाए जाने पर कि जनसांख्यिकीय जानकारी का प्रकटीकरण गोपनीयता के किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है, उक्त निष्कर्ष ट्रांसजेंडर के संबंध में भी पूरी तरह से लागू होगा। एन. ए. एल. एस. ए. *(*ऊपर*)* में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अनुच्छेद *19 (1) (*ए*)* जो यह प्रावधान करता है कि सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा जिसमें अभिव्यक्ति का अधिकार और उसका स्व-चिन्हित लिंग शामिल है, यह एक व्यक्ति का अधिकार है कि वह अपने लिंग की पहचान करे। निर्णय के पैराग्राफ *69* और *72* में निम्नलिखित निर्धारित किया गया है:

"69. संविधान का अनुच्छेद *19 (1)* कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जो उन अधिकारों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की राज्य की शक्ति के अधीन है। अनुच्छेद *19* द्वारा प्रदत्त अधिकार किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं हैं जो भारत का नागरिक नहीं है। अनुच्छेद *19 (1)* उन महान बुनियादी अधिकारों की गारंटी देता है जो *[2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक स्वतंत्र देश के नागरिक की स्थिति में निहित प्राकृतिक अधिकारों के रूप में मान्यता प्राप्त और गारंटीकृत हैं। संविधान के अनुच्छेद *19 (1) (ए)* में कहा गया है कि सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार होगा।

भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, जिसमें अपने स्वयं के लिंग की अभिव्यक्ति का अधिकार शामिल है। स्व-चिन्हित लिंग हो सकता है

पोशाक, शब्द, क्रिया या व्यवहार या किसी अन्य रूप के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। व्यक्तिगत रूप पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।

या कपड़े पहनने का विकल्प, जिसमें निहित प्रतिबंधों के अधीन

संविधान का अनुच्छेद *19 (2)*।

72. लिंग पहचान, इसलिए, किसी की व्यक्तिगत पहचान, लिंग अभिव्यक्ति और प्रस्तुति के मूल में निहित है और इसलिए, यह
इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद *19 (1) (ए)* के तहत संरक्षित करना होगा। एक ट्रांसजेंडर के व्यक्तित्व को व्यक्त किया जा सकता है

ट्रांसजेंडर का व्यवहार और प्रस्तुति। राज्य ट्रांसजेंडर की इस तरह की अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित, प्रतिबंधित या हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

व्यक्तित्व, जो उस अंतर्निहित व्यक्तित्व को दर्शाता है। अक्सर राज्य और उसके अधिकारी या तो अज्ञानता के कारण या अन्यथा ऐसे व्यक्तियों के जन्मजात चरित्र और पहचान को पचाने में विफल रहते हैं। इसलिए हम गोपनीयता, आत्म-पहचान, स्वायत्तता के मूल्यों को मानते हैं और

व्यक्तिगत अखंडता संविधान के अनुच्छेद *19 (1) (ए)* के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के लिए गारंटीकृत मौलिक अधिकार हैं।

भारत का संविधान और राज्य रक्षा करने के लिए बाध्य है और

उन अधिकारों को पहचानें। "

128. जब यह न्यायालय पहले ही ट्रांसजेंडरों के अपनी पहचान के संवैधानिक अधिकार को मान्यता दे चुका है और यह आगे भी रहा है उनका मानना था कि आत्म-पहचान उनकी गरिमा से संबंधित है। गरिमा एक मानव अधिकार है जो प्रत्येक मनुष्य के पास है। अनुच्छेद *15* आया था

उक्त निर्णय में विचार जहां इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद *15* में 'नागरिक' और 'लिंग' अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है जो अभिव्यक्ति 'लिंग तटस्थ' हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षण समान रूप से लागू होता है -

ट्रांसजेंडर। अनुच्छेद *82* इस प्रकार है:

"82. अनुच्छेद *14* में *"*व्यक्ति*"* अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है और अनुच्छेद *15* में *"*नागरिक*"* और *"*लिंग*"* अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है तो अनुच्छेद *16* में भी। अनुच्छेद *19* में *"*नागरिक*"* शब्द का भी प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद *21* में *"*व्यक्ति*"* अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। ये सब

अभिव्यक्तियाँ, जो *"*लिंग तटस्थ*"* हैं, स्पष्ट रूप से मनुष्यों को संदर्भित करती हैं। इसलिए, वे अपने व्यापक हिजड़ों/ट्रांसजेंडरों को लेते हैं और पुरुष या महिला लिंग तक सीमित नहीं हैं।

लैंगिक न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

पहचान जैसा कि पहले से ही संकेत दिया गया है, किसी की व्यक्तिगत पहचान का मूल है, जो स्वयं की पहचान पर आधारित है, न कि शल्य चिकित्सा या चिकित्सा प्रक्रिया पर। हमारे विचार में लिंग पहचान लिंग का एक अभिन्न अंग है और किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है

पहचान, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जो तीसरे लिंग के रूप में पहचान करते हैं।

129. इस न्यायालय ने ट्रांसजेंडरों के अपनी पहचान के अधिकार को मान्यता दी है जिसमें ट्रांसजेंडर भी मनुष्य के रूप में गर्व महसूस करते हैं, केवल यह तथ्य कि नामांकन और अद्यतन विनियमों के तहत वे हैं लिंग के संबंध में जनसांख्यिकीय जानकारी प्रदान करने के लिए आवश्यक, किसी भी तरह से, उनके गोपनीयता के अधिकार को प्रभावित नहीं करता है। लिंग के संबंध में निजता के अधिकार की कोई अपेक्षा नहीं है। उपरोक्त अधिकार को इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है, जो स्वयं के उन अधिकारों की अभिव्यक्ति है

यह नहीं कहा जा सकता है कि पहचान किसी भी तरह से उनके निजता के अधिकार को प्रभावित करती है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ट्रांसजेंडरों के संबंध में भी कोई अधिकार नहीं है

जनसांख्यिकीय जानकारी देने में गोपनीयता का उल्लंघन किया जाता है। जहाँ तक ऊपर दी गई बायोमेट्रिक जानकारी है, पर्याप्त औचित्य पाया गया है जो पुट्टास्वामी मामले में निर्धारित तीन गुना परीक्षण को संतुष्ट करता है।

जो ट्रांसजेंडर पर भी समान रूप से लागू होता है।

130. अब, हम बायोमेट्रिक जानकारी पर आते हैं जैसा कि धारा *2 (*जी*)* में संदर्भित है और एक व्यक्ति द्वारा नामांकन की प्रक्रिया में दी जानी चाहिए। बायोमेट्रिक जानकारी का अर्थ है किसी व्यक्ति की तस्वीरें, उंगलियों के निशान, आईरिस स्कैन और ऐसी अन्य बायोमेट्रिक विशेषताएँ जो नियमों द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं। बायोमेट्रिक जानकारी किसी व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं की होती है। एक व्यक्ति के पास पूर्ण शारीरिक स्वायत्तता होती है और किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वायत्तता में किसी भी तरह की घुसपैठ को उसकी निजता के उल्लंघन के रूप में आसानी से स्वीकार किया जा सकता है। रेजिना *(*वुड*)* बनाम पुलिस आयुक्त

महानगर *(*ऊपर*)*, पैराग्राफ *21* में, निम्नलिखित द्वारा निर्धारित किया गया है प्रभु एल. जे.:

"*21.* प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वायत्तता की धारणा एक स्वतंत्र राजनीति में प्राप्त स्वतंत्रता की धारणा के साथ चलती हैः

एक धारणा जिसमें इस सिद्धांत में शामिल है कि प्रत्येक

व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के लिए वस्तुनिष्ठ औचित्य की आवश्यकता है। अनुच्छेद *8* न्यायशास्त्र में मान्यता प्राप्त असंख्य उदाहरणों पर लागू, इस धारणा का अर्थ है कि, उन योग्यताओं के अधीन जो मैं जल्द ही वर्णित करूंगा, एक व्यक्ति की

व्यक्तिगत स्वायत्तता उसे अपनी पहचान के बारे में उन सभी तथ्यों का स्वामी बनाती है, जैसे कि उसका नाम, स्वास्थ्य,

कामुकता, जातीयता, उसकी अपनी छवि, जिसके बारे में मामले बोलते हैं; *[2018] 8* एस. सी. आर.

और अपने और दूसरों के बीच "बातचीत के क्षेत्र" *(*वॉन हनोवर मामला *40* ई. एच. आर. आर. *I,* पैराग्राफ *50)* का भी। वह अपने स्वयं के इन पहलुओं का अनुमानित मालिक है; उन पर उसका नियंत्रण केवल तभी ढीला किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है, जब राज्य एक

ऐसा करने के लिए वस्तुनिष्ठ औचित्य "।

गोपनीयता अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में किसी व्यक्ति की आवाज़ का टेरिस्टिक। अंगुलियों के निशान तक, यह देखा गया कि अंगुली खुद ही छाप रही हैयह किसी व्यक्ति के निजी जीवन की जांच नहीं है। पैराग्राफ में

1 , 22 निम्नलिखित कहा गया थाः

"*[21,22]* काट्ज़ वी में। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऊपर, हमने कहा कि चौथा संशोधन उस चीज़ के लिए कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है जिसे कोई व्यक्ति जानबूझकर जनता के सामने उजागर करता है, यहां तक कि अपने घर या कार्यालय में भी। ..... "*389* यू. एस., *351,19* एल एड *2* डी *576* पर। किसी व्यक्ति की आवाज़ की शारीरिक विशेषताएँ, उसका स्वर और तरीका, एक विशिष्ट बातचीत की सामग्री के विपरीत, लगातार जनता के सामने उजागर होते हैं। एक आदमी के चेहरे की विशेषताओं या लिखावट की तरह, उसकी आवाज़ बार-बार दूसरों को सुनने के लिए बनाई जाती है। किसी भी व्यक्ति को यह उचित उम्मीद नहीं हो सकती है कि दूसरों को इसकी आवाज़ का पता नहीं होगा।

उसकी आवाज़, उससे कहीं अधिक जो वह उचित रूप से उम्मीद कर सकता है कि उसका चेहरा दुनिया के लिए एक रहस्य होगा। जैसा कि दूसरे सर्किट के लिए अपील न्यायालय ने कहाः

"दुर्लभ सन्यासी को छोड़कर जो अपना जीवन जीने का विकल्प चुनता है

पूर्ण एकांत, हमारे दैनिक जीवन में हम लगातार बोलते और लिखते हैं, और जबकि एक संचार की सामग्री चौथे संशोधन संरक्षण की हकदार है। . . अंतर्निहित पहचान सार्वजनिक और

निजी दोनों संचारों में स्थिर कारक सभी को देखने या सुनने के लिए खुले हैं। भव्य के खिलाफ गोपनीयता की दीवार बनाने का कोई आधार नहीं है

जूरी जो अजनबियों के साथ आकस्मिक संपर्क में मौजूद नहीं है। इसलिए किसी व्यक्ति की गोपनीयता में कोई घुसपैठ हस्ताक्षर या आवाज के उदाहरणों के जबरन निष्पादन के परिणामस्वरूप नहीं होती है; ग्रैंड जूरी के सामने कुछ भी उजागर नहीं किया जा रहा है जिसे पहले बड़े पैमाने पर जनता के सामने उजागर नहीं किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम। डो.

(श्वार्ट्ज), 457 F2d, 898-899 पर।

इस प्रकार किसी व्यक्ति की आवाज़ का आवश्यक प्रकटीकरण अथाह है।

चौथे संशोधन संरक्षण से न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* को हटा दिया गया।

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

श्मेर्बर में रक्त निष्कर्षण से शरीर में घुसपैठ हुई थी। मानव गरिमा और गोपनीयता के हित, जिनकी रक्षा चौथा संशोधन करता है, इस तरह के किसी भी घुसपैठ को केवल इस मौके पर मना करता है कि वांछित सबूत प्राप्त किए जा सकते हैं। श्मेर्बर वी। कैलिफोर्निया, *384* यू. एस., *769-770,16L Ed 2d 908* पर। इसी तरह, आवाज के उदाहरणों की जब्ती में शामिल नहीं है

"गंभीर, हालांकि संक्षिप्त, व्यक्तिगत सुरक्षा पर घुसपैठ, "निश्चित रूप से टेरी में" पट-डाउन "से प्रभावित"। . . एक कष्टप्रद, भयावह और शायद अपमानजनक अनुभव। टेरी वी। ओहायो, *392* यू. एस., *24-25,20 L Ed 2d 889* पर। बल्कि, यह डेविस में फिंगरप्रिंटिंग की तरह है, जहां, हालांकि प्रारंभिक ड्रैग्नेट हिरासत

संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य थे, हमने नोट किया कि

फिंगरप्रिंटिंग में कोई भी जांच शामिल नहीं है
व्यक्ति का निजी जीवन और विचार जो पूछताछ या खोज को चिह्नित करते हैं। डेविस बनाम। मिसिसिपी, *394* यू. एस., *727,22* एल एड *2* डी *676:* सी. एफ. थोम वी। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, *206* एफ सप *1002,1009* "।

132. याचिकाकर्ताओं ने एस. और मार्पर बनाम पर भरोसा किया है। द.

यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय के ग्रैंड चैंबर का एक निर्णय दिनांक *04.12.2008*। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने श्री एस और श्री मार्पर द्वारा प्रस्तुत एक आवेदन पर सम्मेलन के अनुच्छेद *8* के उल्लंघन के उनके दावे को स्वीकार कर लिया। आवेदकों ने शिकायत की थी कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही बरी होने या बंद होने के बाद अधिकारियों ने अपनी उंगलियों के निशान और सेलुलर नमूने और डीएनए प्रोफाइल को बनाए रखना जारी रखा था। उपरोक्त संदर्भ में, संधि के अनुच्छेद *8* के उल्लंघन के संदर्भ में उंगलियों के निशान और डी. एन. ए. नमूनों की प्रकृति की जांच की गई। डीएनए नमूनों और उंगलियों के निशान को बनाए रखना निजी जीवन के सम्मान के अधिकार में हस्तक्षेप माना गया था। अनुच्छेद *84* में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया थाः

" 84. न्यायालय का विचार है कि द्वारा लिया गया सामान्य दृष्टिकोण
फोटो और आवाज के संबंध में सम्मेलन के अंग

उंगलियों के निशान के संबंध में भी नमूनों का पालन किया जाना चाहिए। सरकार ने बाद वाले को यह तर्क देकर अलग किया कि वे

तटस्थ, वस्तुनिष्ठ और अकाट्य सामग्री का गठन किया गया था और, तस्वीरों के विपरीत, अशिक्षित आंख के लिए और एक तुलनित्र फिंगरप्रिंट के बिना समझ से बाहर थे। जबकि सच है, यह विचार नहीं कर सकता है

इस तथ्य को बदलें कि उंगलियों के निशान में वस्तुनिष्ठ रूप से अद्वितीय है
संबंधित व्यक्ति के बारे में जानकारी जो परिस्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला में सटीकता के साथ उसकी पहचान की अनुमति देती है।

इस प्रकार वे उसके निजी जीवन को प्रभावित करने में सक्षम हैं और संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना इस जानकारी को बनाए रखना तटस्थ या महत्वहीन नहीं माना जा सकता है।

133. एक महत्वपूर्ण अवलोकन, जिसमें किया गया है

उपरोक्त मामला यह था कि इस सवाल पर कि क्या अधिकारियों द्वारा रखी गई व्यक्तिगत जानकारी में निजी जीवन के किसी भी पहलू को शामिल किया गया है। उस विशिष्ट संदर्भ को ध्यान में रखा जाना चाहिए जिसमें जारी की गई जानकारी दर्ज की गई है। पैराग्राफ *67* में निम्नलिखित कहा गया थाः

" 67 ..... हालाँकि, यह निर्धारित करने में कि क्या अधिकारियों द्वारा रखी गई व्यक्तिगत जानकारी में ऊपर उल्लिखित निजी जीवन के किसी भी पहलू को शामिल किया गया है, न्यायालय को उस विशिष्ट संदर्भ को ध्यान में रखना होगा जिसमें जारी की गई जानकारी को दर्ज किया गया है और रखा गया है, अभिलेखों की प्रकृति, उसमें शामिल होने का तरीका।

जिनका इन अभिलेखों का उपयोग और संसाधित किया जाता है और जो परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं *(*देखें, उत्परिवर्तन उत्परिवर्तन, फ्रीडल, ऊपर उद्धृत, *§§ 49-51,* और पेक *v*। यूनाइटेड किंगडम, ऊपर उद्धृत,

§59) . "

134. इस प्रकार धारा *2 (*जी*)* में निर्दिष्ट बायोमेट्रिक डेटा में किसी व्यक्ति की जैविक विशेषताएँ हो सकती हैं जिनके संबंध में कोई व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से गोपनीयता की उचित अपेक्षा का दावा कर सकते हैं लेकिन क्या गोपनीयता अधिकारों का उल्लंघन किया गया है या नहीं, इस विषय के संदर्भ में जांच करने की आवश्यकता है जिसके तहत जानकारी प्राप्त की गई थी।

135. यह पता चलने पर कि किसी व्यक्ति की बायोमेट्रिक जानकारी हो सकती है

गोपनीयता की उचित अपेक्षा का दावा करते हुए, हमें इस बात का जवाब देना होगा कि क्या नामांकन के संदर्भ में बायोमेट्रिक जानकारी प्राप्त करना व्यक्ति की गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करता है या नहीं।

136. पुट्टास्वामी *(*ऊपर*)* में न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि गोपनीयता पर सभी प्रतिबंध हैं, अर्थात क्या किसी व्यक्ति को उचित अपेक्षा है। निजता के मामले में, प्रतिबंध को उचित ठहराने से पहले तीन आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। पैराग्राफ *319* में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:

"310. जबकि यह राज्य के वैध हितों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करता है, फिर भी राज्य को एक मजबूत शासन स्थापित करना चाहिए जो सुनिश्चित करता है कि

तीन गुना आवश्यकता की पूर्ति। ये तीन

आवश्यकताएँ गोपनीयता पर सभी प्रतिबंधों पर लागू होती हैं *(*न कि केवल सूचनात्मक गोपनीयता*)*। वे अनुच्छेद *21* के प्रक्रियात्मक और विषय-वस्तु आधारित अधिदेश से निकलते हैं। पहली आवश्यकता यह है कि न्याय के. एस. पुत्रस्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v* पर अतिक्रमण को उचित ठहराने के लिए एक कानून होना चाहिए।

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

निजता अनुच्छेद *21* की एक स्पष्ट आवश्यकता है। क्योंकि, किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। कानून का अस्तित्व एक अनिवार्य आवश्यकता है। दूसरा, एक वैध राज्य उद्देश्य के संदर्भ में आवश्यकता की आवश्यकता, यह सुनिश्चित करती है कि कानून की प्रकृति और सामग्री जो प्रतिबंध लगाती है, अनुच्छेद *14* द्वारा अनिवार्य तर्कसंगतता के क्षेत्र के भीतर आती है, जो एक गारंटी है।

मनमाना राज्य कार्रवाई के खिलाफ। एक वैध राज्य की खोज

उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि कानून प्रकट से पीड़ित न हो

मनमानी। वैधता, एक अभिधारणा के रूप में, एक मूल्य निर्णय शामिल है। न्यायिक समीक्षा विधायिका के मूल्य निर्णय की पुनः सराहना या दूसरा अनुमान नहीं लगाती है, बल्कि यह तय करने के लिए है कि जिस उद्देश्य को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है वह स्पष्ट या स्पष्ट मनमानेपन से ग्रस्त है या नहीं। तीसरी आवश्यकता यह सुनिश्चित करती है कि विधायिका द्वारा अपनाए गए साधन आनुपातिक हों -

कानून द्वारा उद्देश्य और आवश्यकताओं को पूरा करने की मांग की गई।
आनुपातिकता मनमाना राज्य कार्रवाई के खिलाफ गारंटी का एक अनिवार्य पहलू है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि अधिकार पर अतिक्रमण की प्रकृति और गुणवत्ता कानून के उद्देश्य के लिए असमान नहीं है। इसलिए, एक वैध कानून के लिए तीन गुना आवश्यकता एक ओर मनमानेपन के खिलाफ मौलिक गारंटी और दूसरी ओर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के बीच पारस्परिक अंतर-निर्भरता से उत्पन्न होती है। निजता का अधिकार, जो जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक आंतरिक हिस्सा है, और भाग *III* में सन्निहित स्वतंत्रताएँ उन्हीं प्रतिबंधों के अधीन हैं जो उन स्वतंत्रताओं पर लागू होती हैं।

137. इस प्रकार, हमें आधार अधिनियम के प्रावधानों का परीक्षण तीन गुना परीक्षण के आलोक में करना होगा जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है। पहली आवश्यकता,

कानून का अस्तित्व तब तक पर्याप्त नहीं हो सकता जब तक कि कानून निष्पक्ष और उचित न हो। आधार अधिनियम को लाभ, सब्सिडी और सेवाओं के वितरण के लिए किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए व्यक्तियों को आधार संख्या प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। अभिलेख पर कई सामग्री लाई गई हैं जो दर्शाती हैं कि शुरू किए गए कई अध्ययनों में सरकार के साथ-साथ विश्व बैंक और योजना आयोग द्वारा यह पता चला कि सरकार द्वारा लाभार्थियों के लिए जारी किया गया खाद्यान्न इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुंचा और पहचान स्थापित करने में विफलता के कारण बड़े पैमाने पर रिसाव हुआ। लेखा परीक्षा *[2018] 8* एस. सी. आर. का संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की *2000* की रिपोर्ट संख्या *3* बनाई गई है। भारत के योजना आयोग ने मार्च, *2005* की "लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली *(*टी. पी. डी. एस.*)* की प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट" शीर्षक से अपनी प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट में निम्नानुसार पाया है:

आई.

विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त राशन कार्डों का राज्यवार आंकड़ा
और डेढ़ करोड़ से अधिक अतिरिक्त राशन कार्डों का अस्तित्व

जारी किया गया।

काल्पनिक घरों का अस्तित्व और पहचान की त्रुटियाँ

II.

जिससे वास्तविक लाभार्थियों को बाहर किया जा सके।

III. नकली बी. पी. एल. राशन कार्डों के माध्यम से रिसाव पाया गया

अध्ययन के अधीन लगभग सभी राज्यों में प्रचलित है।

IV. भूत कार्ड के माध्यम से खाद्यान्न के रिसाव को सारणीबद्ध किया गया है और सभी पर इस तरह के रिसाव का प्रतिशत

भारत का आधार *16.67%* अनुमानित किया गया है।

वी.

यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सब्सिडी वाले भोजन का एक बड़ा हिस्सा

अनाज लक्ष्य समूह तक नहीं पहुंच रहा था।

138. कानून, अर्थात, आधार अधिनियम, जिसे सब्सिडी, लाभ या सेवाओं के वितरण के लिए विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए लाया गया है, गंभीर आवश्यकता, जो निर्णय कई रिपोर्टों और अध्ययनों के बाद लिया गया था। आधार अधिनियम, इस प्रकार, एक वैध राज्य उद्देश्य के लिए अधिनियमित किया गया था और एक कानून के निष्पक्ष और उचित होने के मानदंडों को पूरा करता है। विद्वान महान्यायवादी ने संयुक्त राष्ट्र की "किसी को पीछे नहीं छोड़ना" शीर्षक वाली रिपोर्ट पर भी भरोसा किया हैः समावेशी विकास की अनिवार्यता ", जिसमें निम्नलिखित कहा गया हैः

" *2010* में भारत का आधार कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय

उदाहरण के लिए, इसके सभी *12* करोड़ नागरिकों के बायोमेट्रिक पहचान डेटा को दर्ज करना, सरकारी लाभों और सेवाओं तक लोगों की उचित पहुंच को सक्षम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। आधार जैसे कार्यक्रमों में सबसे गरीब और सबसे हाशिए पर पड़े लोगों सहित सभी लोगों को एक आधिकारिक पहचान देकर समावेश को बढ़ावा देने की जबरदस्त क्षमता है। कानूनी पहचान और जन्म की निष्पक्ष और मजबूत प्रणालियाँ

पंजीकरण को नए *2030* एजेंडा में मान्यता दी गई है

एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में सतत विकास

समावेशी समाजों को बढ़ावा देना।

139. विद्वान महान्यायवादी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दिनांकित *25.09.2015* के संकल्प पर भी भरोसा किया है जिसका शीर्षक है जस्टिस के. एस. पुटास्वामी *(RETD) v.*

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

"हमारी दुनिया को बदलनाः सतत विकास के लिए *2030* का एजेंडा विकास "। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव द्वारा निम्नलिखित लक्ष्य को अपनाया गया था "

" *16.9 2030* तक, जन्म पंजीकरण सहित सभी के लिए कानूनी पहचान प्रदान करें "

140. इस संदर्भ में, ओटिस आर. बोवेन, स्वास्थ्य और मानव सेवा सचिव आदि में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। बनाम।

स्टीफन जे. रॉय और अन्य। , *476* यू. एस. *693 (1986)* को संदर्भित किया जाता है जहां एक आवेदक द्वारा सामाजिक सुरक्षा संख्या प्रदान करने की वैधानिक आवश्यकता होती है।

प्रश्नगत लाभों के लिए पात्रता की शर्त को उल्लंघनकारी नहीं माना गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आवश्यकता धार्मिक दृष्टि से प्रत्यक्ष रूप से तटस्थ है, इसमें शामिल लाभों के लिए सभी आवेदकों पर लागू होती है, और स्पष्ट रूप से एक वैध और महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित को बढ़ावा देती है। मुख्य न्यायाधीश बर्गर ने न्यायालय की राय लिखते हुए कहाः

"यहाँ शामिल सामान्य सरकारी हित इसे पुष्ट करते हैं।

परीक्षण विस्कॉन्सिन बनाम जैसे मामलों में लागू किया गया। योडर, *406* यू. एस. *205,92* एस. सी. टी *1526, 32 L.Ed.2d 15 (1972)*, इस सेटिंग में उपयुक्त नहीं है। लाखों लोगों तक पहुंचने वाले कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रशासन के लिए एक तटस्थ और समान रूप से लागू आवश्यकता को लागू करने में, सरकार व्यापक अक्षांश की हकदार है। सरकार को जिला न्यायालय द्वारा लागू किए गए सख्त परीक्षण के लिए नहीं रखा जाना चाहिए; उस मानक के लिए सरकार को सामाजिक सुरक्षा संख्या की आवश्यकता के उपयोग को कम से कम प्रतिबंधात्मक साधन के रूप में लागू करने को उचित ठहराने की आवश्यकता थी।
एक सम्मोहक राज्य हित को पूरा करना। विशेष धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ या सामान्य रूप से धर्म के खिलाफ भेदभाव करने के इरादे के सबूत के अभाव में, सरकार अपने बोझ को पूरा करती है जब वह *[2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह दर्शाता है कि सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण आवश्यकता
लाभ, इसके अनुप्रयोग में तटस्थ और समान, एक उचित है

एक वैध सार्वजनिक हित को बढ़ावा देने का साधन।

141. एक तर्क को खारिज करते हुए कि सामाजिक प्रदान करने की आवश्यकता

आश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सुरक्षा खाता संख्या गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करती है, जो डोरिस मैकलराथ बनाम जोसेफ ए. कैलिफानो में पैरा *11* में निम्नलिखित रूप में दी गई थीः

" [11] अपील पर अपीलार्थियों का मुख्य तर्क यह है कि

आश्रित बच्चों की आवश्यकता वाले संघीय और राज्य नियम
एक शर्त के रूप में सामाजिक सुरक्षा खाता संख्या प्राप्त करें और जमा करें

सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के साथ असंगत और अधिकृत नहीं। हम इस तर्क के समर्थन में दिए गए तर्कों को पाते हैं - बिना योग्यता के रहें और
मान लें कि चुनौती दिए गए नियम

यह सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के तहत कांग्रेस द्वारा अनिवार्य पात्रता की एक वैध शर्त है। एकॉर्ड, चैंबर्स बनाम। क्लेन, *419* एफ. सप. *569 (* डी. एन. जे. *1976)*। , *564* एफ. *2* डी *89 (3* डी सिर। *1977);* ग्रीन बनाम। फिलब्रुक, *576* एफ. *2* डी *440 (2* डी सिर। *1978);* आर्थर बनाम। सामाजिक और स्वास्थ्य सेवा विभाग, *19* डब्ल्यू. एन.

ऐप. *542 , 576* पी. *2* डी *921 (1978)*। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जिला अदालत ने अपीलकर्ताओं के वैधानिक अयोग्यता के आरोपों को उचित रूप से खारिज कर दिया क्योंकि वे एक ऐसे दावे को बताने में विफल रहे जिस पर राहत दी जा सकती थी।

142. अब, हम तीसरे परीक्षण पर आते हैं, अर्थात, आनुपातिकता का परीक्षण। जे. डी. वाई. चंद्रचूड़ ने पुट्टास्वामी *(ऊपर)* में कहा है कि "आनुपातिकता"

यह राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ गारंटी का एक अनिवार्य पहलू है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि अधिकार पर अतिक्रमण की प्रकृति और गुणवत्ता कानून के उद्देश्य से असमान नहीं है। आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र और अन्य बनाम राज्य

मध्य प्रदेश और अन्य, *(2016) 7* एस. सी. सी. *353,* डॉ. सीकरी, जे. पैराग्राफ *64* और *65* में निम्नलिखित आनुपातिकता की अवधारणा की व्याख्या करते हुए:

" 64. इसलिए जो अभ्यास किया जाना है, वह यह पता लगाने के लिए है कि क्या संवैधानिक अधिकारों की सीमा किसी उद्देश्य के लिए है।

जो एक लोकतांत्रिक समाज में उचित और आवश्यक है और

इस तरह के अभ्यास में प्रतिस्पर्धी मूल्यों का वजन बढ़ाना शामिल है,
और अंततः आनुपातिकता के आधार पर एक मूल्यांकन अर्थात

विभिन्न हितों का संतुलन।

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

65. हम बिना किसी हिचकिचाहट के टिप्पणी कर सकते हैं कि यह सिद्धांत

कुरेशी वी। बिहार राज्य *1959* एससीआर *629)*। एम. आर. एफ. लिमिटेड बनाम केरल राज्य *(1998) 8* एस. सी. सी. *227,* इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी वैधानिक प्रावधान की तर्कसंगतता की जांच करने में किसी को निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखें:

(1) राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। *(2)* प्रतिबंध मनमाना या अत्यधिक प्रकृति के नहीं होने चाहिए ताकि सामान्य हित की आवश्यकता से परे जा सकें।

सार्वजनिक।

(3) प्रतिबंधों की तर्कसंगतता का न्याय करने के लिए, कोई अमूर्त या सामान्य पैटर्न या एक निश्चित सिद्धांत निर्धारित नहीं किया जा सकता है ताकि सार्वभौमिक अनुप्रयोग हो और यह अलग-अलग होगा। प्रत्येक मामले के साथ-साथ बदलती स्थितियों, मानव जीवन के मूल्यों, संविधान के सामाजिक दर्शन, प्रचलित स्थितियों और आसपास की परिस्थितियों के संबंध में भी।

(4) अनुच्छेद *19 (6)* द्वारा परिकल्पित सामाजिक नियंत्रण और लगाए गए प्रतिबंधों के बीच एक उचित संतुलन बनाना होगा।

(5) प्रचलित सामाजिक मूल्यों के साथ-साथ सामाजिक आवश्यकताएँ जो हैं -

प्रतिबंधों से संतुष्ट होने का इरादा।

(6) लगाए गए प्रतिबंधों और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के बीच एक प्रत्यक्ष और निकट संबंध या उचित संबंध होना चाहिए। यदि प्रतिबंधों और अधिनियम के उद्देश्य के बीच कोई सीधा संबंध है, तो स्वाभाविक रूप से अधिनियम की संवैधानिकता के पक्ष में एक मजबूत धारणा उत्पन्न होगी।

143. याचिकाकर्ता की प्रस्तुतियों में से एक यह तर्क देने के लिए कि

आनुपातिकता परीक्षण वर्तमान मामले में पूरा नहीं हुआ है; राज्य ने एक वैकल्पिक और अधिक उपयुक्त और कम से कम घुसपैठ की विधि नहीं अपनाई है

पहचान, अर्थात, स्मार्ट कार्ड या अन्य समान उपकरण। किसी क़ानून की आनुपातिकता की जाँच करते समय, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क़ानून न तो मनमाना है और न ही अत्यधिक प्रकृति का है जो जनता के हित में आवश्यक है। वैधानिक योजना, जिसे लागू किया गया है, का उस उद्देश्य के साथ एक उचित संबंध है जिसे कानून प्राप्त करना चाहता है और कानून उद्देश्य से अधिक नहीं है। आधार अधिनियम का उद्देश्य जैसा कि ऊपर देखा गया है, पात्र लोगों को लाभ, सब्सिडी और सेवाओं के वितरण के उद्देश्यों के लिए विशिष्ट पहचान प्रदान करना था। लाभार्थियों और लाभों और सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने के लिए, पात्र लाभार्थियों को वंचित करने से बचाने के लिए। यूरोपीय न्यायालय ने यह विचार रखा है कि आनुपातिकता में केवल यह आकलन शामिल है कि किए गए उपाय आवश्यक से अधिक नहीं थे। डिजिटल राइट्स आयरलैंड लिमिटेड के फैसले का संदर्भ दिया गया है। बनाम संचार मंत्री *[2015]* क्यू. बी. ई. सी. जे., जिसमें यह आयोजित किया गया थाः

" 46 उस संबंध में, न्यायालय के तय किए गए मामले के कानून के अनुसार,

आनुपातिकता के सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि यूरोपीय संघ के कार्य

उद्देश्यः आफ्टन केमिकल लिमिटेड बनाम राज्य सचिव के लिए देखें
परिवहन *(*मामला सी-*343/09) [2010]* ईसीआर *I-7027,* पैरा *45;* वोल्कर मामला *[2010]* ईसीआर *I-11063,* पैरा *74;* नेल्सन बनाम डॉयचे लुफ्थांसा एजी *(*संयुक्त मामले सी-*581/10* और सी-*629/10) [2013] 1* सभी ईआर *(*कॉम*) 385,* पैरा *71;* स्काई ऑस्टेरिच जीएमबीएच वी

ओस्टररीचिशर रुंडफंक *(*मामला सी-*283/11) [2013]* सभी ईआर *(*ईसी*) 633,* पैरा *50;* और शैबल बनाम लैंड बेडेन-विर्टेंबर्ग *(*मामला सी-*101/12)* ईयूः सीः *2013 : 661 ; 17* अक्टूबर *2013,* पैरा *29 "*।

144. एबी बनाम में यूनाइटेड किंगडम सुप्रीम कोर्ट। महामहिम की

अधिवक्ता, *[2017]* यू. के. एस. सी. *25* ने अभिनिर्धारित किया कि वैकल्पिक उपायों की पहचान करना न्यायालय का काम नहीं है, जो कम से कम हस्तक्षेपकारी हो सकते हैं। पैरा *37* और *39* में निम्नलिखित आयोजन किए गए हैंः

"*37.* मैं आश्वस्त नहीं हूँ। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह सवाल कि क्या संसद कम घुसपैठ का इस्तेमाल कर सकती थी

उपाय में अदालत को वैकल्पिक उपाय की पहचान करने में शामिल नहीं किया जाता है जो कम से कम घुसपैठ है। न्यायालय विधायिका को विवेकाधिकार के अंतर की अनुमति देता है और पूछता है कि क्या अनुच्छेद *8* के अधिकार पर सीमा वह है जो संसद के लिए प्रस्तावित करना उचित थाः बैंक मेलाट बनाम एच. एम. ट्रेजरी *(*नंबर *2) [2013]* यूकेएससी

38 , [2014] ए. सी. *700,* पैरा *75* प्रति लॉर्ड रीड;

39. शेष राशि, जिसे इस न्यायालय को संबोधित करने का आदेश दिया गया है, अलग है। यह सार्वजनिक हित और व्यक्ति के व्यक्तिगत सम्मान के अधिकार के बीच एक उचित संतुलन का सवाल है।

अनुच्छेद *8* के तहत जीवन। अदालत के लिए सवाल, दूसरे शब्दों में, है,

क्या उस अधिकार के उल्लंघन का प्रभाव है

आनुपातिक, आक्षेपित के संभावित लाभ को ध्यान में रखते हुए

प्रावधान "।

145. आधार नामांकन के लिए जो बायोमेट्रिक जानकारी प्राप्त की जाती है, वे हैं तस्वीरें, उंगलियों के निशान और आईरिस स्कैन, जो किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वायत्तता में कम से कम घुसपैठ हैं। जॉन डेविस बनाम मिसिसिपी राज्य, *394* यू. एस. *721 (1969)* में यू. एस. सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि फिंगरप्रिंटिंग में किसी व्यक्ति के निजी जीवन और विचारों की जांच शामिल नहीं है जो पूछताछ या खोज को चिह्नित करता है। जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा उंगलियों के निशान लिए जाते हैं, उसके लिए वस्तु और उद्देश्य से परे जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए, यह गरिमा और गोपनीयता के उन सिद्धांतों को आसानी से आहत नहीं करता है, जो उचित प्रक्रिया के प्रत्येक कानून के लिए मौलिक हैं। आशंकाओं में से एक, जो था

याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यक्त किया गया कि बायोमेट्रिक की परिभाषा के अनुसार

धारा *2 (*जी*)* में निहित जानकारी, इसके अलावा, किसी व्यक्ति की जैविक विशेषताओं को विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, जो अधिक हस्तक्षेपकारी हो सकते हैं। धारा *2 (*जी*)* में "ऐसे जैविक गुण" शब्द का उपयोग किया गया है। इस प्रकार, एजुस्डेम जेनरिस के सिद्धांतों को लागू करते हुए, जैविक विशेषताओं को जोड़ा जा सकता है।

नियमों के अनुसार, धारा *2 (*जी*)* में उल्लिखित चित्रों, उंगलियों के निशान और आईरिस स्कैन के समान होना चाहिए। घटना में, ऐसे जैविक

विशेषताओं को नियमों द्वारा जोड़ा जाता है, यह हमेशा चुनौती के लिए खुला रहता है

उचित कार्यवाही लेकिन केवल यह तथ्य कि विनियमों द्वारा ऐसी कोई भी बायोमेट्रिक विशेषताएँ जोड़ी जा सकती हैं, को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं है यह तर्क कि जैविक विशेषताएँ, जिन्हें जोड़ा जा सकता है, अधिनियम के उद्देश्य के लिए असमान हो सकती हैं। इस प्रकार, बायोमेट्रिक जानकारी, जो नामांकन के लिए प्राप्त की जानी है, असमान नहीं है और न ही *[2018] 8* एस. सी. आर. है।

जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी की आवश्यकता वाले आधार अधिनियम के प्रावधानों को तीन गुना परीक्षण में उत्तीर्ण नहीं कहा जा सकता है जैसा कि पुट्टास्वामी *(*उपरोक्त*)* मामले में निर्धारित किया गया है। हम, इस प्रकार, अंक संख्या का उत्तर देते हैं। *1* और *2* निम्नलिखित तरीके से:

Ans.1 और *2: -(i)* आधार अधिनियम के तहत जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है।

निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।

(ii) आधार अधिनियम के प्रावधानों में आधार के लिए निवासी से जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी की आवश्यकता होती है।

जैसा कि पुट्टास्वामी *(*ऊपर*)* मामले में निर्धारित किया गया है, संख्या तीन गुना परीक्षण पास करती है, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है

असंवैधानिक है।

आईएसयूई एन. ओ. एस. *3* , *4*

संग्रह, भंडारण, समर्पण,

और *5*

उपयोग करें, साझा करें और सर्वेक्षण करें।

146. आधार अधिनियम पूर्ण संरचना प्रदान करता है

नामांकन के साथ। नामांकन का अर्थ है नामांकित एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया। नामांकन एजेंसियों को नामांकन केंद्र स्थापित करने होते हैं और उन्हें यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार काम करना होता है। धारा *8*

आधार संख्या के लिए प्रमाणीकरण पर विचार करता है जो प्राधिकरण द्वारा प्रमाणीकरण किया गया था। जब आधार संख्या धारक की बायोमेट्रिक या जनसांख्यिकीय जानकारी के संबंध में किसी भी अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा पहचान के लिए अनुरोध किया जाता है, तो प्राधिकरण एक या अधिक संस्थाओं को शामिल कर सकता है। केंद्रीय पहचान डेटा भंडार की स्थापना और रखरखाव करना। धारा *28* सूचना की सुरक्षा और गोपनीयता का प्रावधान करती है जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

व्यक्तियों की जानकारी और प्रमाणीकरण अभिलेख।
(2) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, प्राधिकरण पहचान की जानकारी और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड की गोपनीयता सुनिश्चित करेगा।

व्यक्तियों से।
(3) प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा कि प्राधिकरण के कब्जे या नियंत्रण में जानकारी,

भंडार, सुरक्षित है और उपयोग, या उपयोग के खिलाफ संरक्षित है
इस अधिनियम या बनाए गए विनियमों के तहत प्रकटीकरण की अनुमति नहीं है *STICE K S* पुट्टास्वामी *(RETD) v.*

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

इसके तहत, और आकस्मिक या जानबूझकर विनाश के खिलाफ, नुकसान

या नुकसान।

(4) उप-धारा *(1)* और *(2)* पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण

करेंगे।

(क*)* उपयुक्त तकनीकी और संगठनात्मक को अपनाना और लागू करना।

सुरक्षा उपाय*;*

(ख*)* यह सुनिश्चित करें कि इस अधिनियम के तहत प्राधिकरण के किसी भी कार्य को करने के लिए नियुक्त या नियुक्त एजेंसियों, सलाहकारों, सलाहकारों या अन्य व्यक्तियों के पास सूचना के लिए उचित तकनीकी और संगठनात्मक सुरक्षा उपाय हैं*;* और

(ग*)* यह सुनिश्चित करना कि ऐसी एजेंसियों, सलाहकारों, सलाहकारों या अन्य व्यक्तियों के साथ किए गए समझौते या व्यवस्थाएं, इस अधिनियम के तहत प्राधिकरण पर लगाए गए दायित्वों के बराबर दायित्वों को लागू करना, और ऐसी एजेंसियों, सलाहकारों, सलाहकारों और अन्य व्यक्तियों से केवल प्राधिकरण के निर्देशों पर कार्य करने की आवश्यकता होती है।

(5) तत्काल प्रभाव में किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, और इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा,

प्राधिकरण या उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी या कोई

केंद्रीय पहचान डेटा भंडार का रखरखाव करने वाली एजेंसी, चाहे वह अपनी सेवा के दौरान हो या उसके बाद, किसी भी जानकारी का खुलासा नहीं करेगी।

केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में संग्रहीत जानकारी या

किसी को भी प्रमाणीकरण रिकॉर्ड*:*

बशर्ते कि एक आधार संख्या धारक अनुरोध कर सकता है

उसकी मूल बायोमेट्रिक जानकारी को छोड़कर उसकी पहचान की जानकारी तक पहुंच प्रदान करने का अधिकार विनियमों द्वारा निर्दिष्ट।

147. अधिनियम में विशिष्ट प्रावधान है जो यह प्रदान करता है कि कोई मूल नहीं है

अधिनियम के तहत एकत्र की गई जानकारी किसी को भी साझा की जाती है

इस अधिनियम के तहत ए. आर. संख्या उत्पन्न करने या प्रमाणीकरण के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग करें। यह कानून पात्रता जमा करने के लिए उस समय व्यक्ति को निर्दिष्ट किए गए पहचान सूचना डेटा के अलावा किसी अन्य ई के लिए पहचान सूचना डेटा का उपयोग करने का अनुरोध करने वाली संस्था के लिए राष्ट्र बनाता है। धारा *29* जानकारी साझा नहीं करने का प्रावधान करती है।

इस अधिनियम के तहत सृजित या सृजित किया गया, जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

"29. (1) इसके तहत कोई मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र या बनाई नहीं गई है।

यह अधिनियम, *[2018] 8* एस. सी. आर. होगा।

(ख) आधार बनाने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है।
इस अधिनियम के तहत संख्या और प्रमाणीकरण।

(2) इस अधिनियम के तहत एकत्र की गई या बनाई गई मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी के अलावा पहचान की जानकारी को केवल यहां साझा किया जा सकता है -

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और इस तरह से

जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(3) अनुरोध करने वाली संस्था के पास कोई पहचान जानकारी उपलब्ध नहीं होगी।

बनो।

(क) प्रमाणीकरण के लिए किसी भी पहचान की जानकारी जमा करने के समय व्यक्ति को निर्दिष्ट किए गए उद्देश्य के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है; या जानकारी की सुरक्षा और गोपनीयता।
(बी) आगे खुलासा किया, की पूर्व सहमति के अलावा

वह व्यक्ति जिससे ऐसी जानकारी संबंधित हो।

(4) आधार संख्या धारक के संबंध में इस अधिनियम के तहत एकत्र या बनाई गई कोई भी आधार संख्या या मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी प्रकाशित, प्रदर्शित या सार्वजनिक रूप से पोस्ट नहीं की जाएगी, सिवाय उन उद्देश्यों के जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

148. धारा *30* स्वयं विचार करती है कि बायोमेट्रिक जानकारी संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी है। सख्त शर्तें हैं।

सूचना के प्रकटीकरण के लिए धारा *33* में परिकल्पित। सूचना के प्रकटीकरण पर केवल दो आकस्मिकताओं पर विचार किया जाता है। पहला, जब जिला न्यायाधीश से कम दर्जे के न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है और दूसरा जब संयुक्त पद से नीचे के अधिकारी के निर्देश के अनुसरण में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में खुलासा किया जाता है।

भारत सरकार के सचिव।

149. अधिनियम का अध्याय *VII* पहचान का खुलासा करने के लिए नामांकन दंड के समय प्रतिरूपण के लिए अपराधों और दंड से संबंधित है।

धारा *34* से *37* के तहत जानकारी प्रदान की जाती है। धारा *38* में दंड का प्रावधान है जो केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी तक पहुंच या पहुंच सुनिश्चित करता है। धारा *39* में दंड का प्रावधान है जो केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी में डेटा का उपयोग करता है या उसमें छेड़छाड़ करता है। धारा *40* में प्रावधान है

जुर्माने के लिए जो कोई भी, एक अनुरोध करने वाली संस्था होने के नाते, धारा *8* की उप-धारा *(3)* के उल्लंघन में किसी व्यक्ति की पहचान जानकारी का उपयोग करता है। धारा *41* एक नामांकन एजेंसी या अनुरोध करने वाली संस्था द्वारा अनुपालन न करने के लिए दंड से संबंधित है। धारा *42* सामान्य दंड से संबंधित है। धारा *42* इस प्रकार है:

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

"42. जो कोई भी इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या विनियमों के तहत कोई अपराध करता है जिसके लिए कोई विशिष्ट दंड नहीं है।

इस धारा के अलावा कहीं और उपबंधित, के साथ दंडनीय होगा

एक वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास या बीस-पाँच हजार रुपये तक के जुर्माने के साथ या किसी कंपनी के मामले में एक लाख रुपये तक के जुर्माने के साथ, या दोनों के साथ।

150. अधिनियम के तहत विनियम बनाए गए हैं, जिनके नाम हैं-*(1)* आधार *(*नामांकन और अद्यतन*)* विनियम, *2016, (2)* ए. आर. *(*प्रमाणीकरण*)* विनियम, *2016, (3)* आधार *(*डेटा आईटी*)* विनियम, *2016* और *(4)* आधार *(*दस्तावेजों को साझा करना*)* विनियम।

ए. टी. आई. एन*)* विनियम, *2016*।

151. हम यू. आई. डी. ए. आई. के लिए विद्वानों की विस्तृत प्रस्तुतियों पर पहले ही ध्यान दे चुके हैं। निम्नलिखित उपाय हैं जिनके द्वारा सुरक्षागोपनीयता सुनिश्चित की जाती है। सुरक्षा और डेटा गोपनीयता सुनिश्चित की जाती है।

निम्नलिखित विधि:

आई.

ए. बी. आई. एस. को भेजा गया डेटा पूरी तरह से गुमनाम है। ए. बी. आई. एस.

सिस्टम के पास निवासी की जनसांख्यिकीय तक पहुंच नहीं है

जानकारी क्योंकि उन्हें केवल एक संदर्भ संख्या के साथ एक निवासी की बायोमेट्रिक जानकारी भेजी जाती है और उन्हें डुप्लिकेट करने के लिए कहा जाता है। संदर्भ संख्या के साथ डी-डुप्लिकेशन परिणाम है

प्राधिकरण के अपने नामांकन सर्वर द्वारा सही नामांकन संख्या पर वापस मैप किया गया।

ii.

ए. बी. आई. एस. प्रदाता केवल अपना सॉफ्टवेयर और सेवाएं प्रदान करते हैं।
डेटा यू. आई. डी. ए. आई. भंडारण में संग्रहीत किया जाता है और यह कभी नहीं छोड़ता है।

सुरक्षित परिसर।

एबीआईएस प्रदाता बायोमेट्रिक छवियों को संग्रहीत नहीं करते हैं।

iii.

(स्रोत*)*। वे केवल डी के उद्देश्य के लिए टेम्पलेट संग्रहीत करते हैं

दोहराव *(*संदर्भ संख्या के साथ*)*

आपके द्वारा भेजा गया एनक्रिप्टेड नामांकन पैकेट

iv.

सी. आई. डी. आर. के क्लाइंट सॉफ्टवेयर को नामांकन सर्वर द्वारा डिक्रिप्ट किया जाता है लेकिन डिक्रिप्ट किए गए पैकेट को कभी भी संग्रहीत नहीं किया जाता है।
उंगलियों के निशान, आईरिस और चेहरे की मूल बायोमेट्रिक छवियाँ

वी.

संग्रहित और ऑफ़लाइन संग्रहीत किए जाते हैं। इसलिए, उन्हें ऑनलाइन नेटवर्क के माध्यम से एक्सेस नहीं किया जा सकता है।

vi. बायोमेट्रिक प्रणाली *99.86%* से अधिक की उच्च सटीकता प्रदान करती है। मिश्रित बायोमेट्रिक को केवल अपनाया गया है

सटीकता को बढ़ाने और उन त्रुटियों को कम करने के लिए जो कुछ निवासियों के न होने के कारण उत्पन्न हो सकती हैं

बायोमेट्रिक्स या कोई विशेष बायोमेट्रिक नहीं होना।

152. नामांकन और व्यक्ति को आधार संख्या आवंटित करने के बाद प्राधिकरण का मुख्य कार्य आधार संख्या धारक का प्रमाणीकरण है जब भी अनुरोध करने वाली एजेंसी द्वारा अनुरोध किया जाता है।
प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई प्रमाणीकरण सुविधा प्रमाणीकरण विनियम, *2016* की धारा *3* के तहत है जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

"3. प्रमाणीकरण के प्रकार।
द्वारा प्रदान की जाने वाली दो प्रकार की प्रमाणीकरण सुविधाएं होंगी

प्राधिकरण, अर्थात् -

(i) हां/नहीं प्रमाणीकरण सुविधा, जिसे विनियमन *4 (2)* में निर्दिष्ट किसी भी तरीके का उपयोग करके किया जा सकता है; और
((ii) ई-के. वाई. सी. प्रमाणीकरण सुविधा, जिसे विनियमन *4 (2)* में निर्दिष्ट केवल ओ. टी. पी. और/या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विधियों का उपयोग करके किया जा सकता है।

153. प्रमाणीकरण विनियम *2016* के विनियम *4* में प्रमाणीकरण के विभिन्न तरीके प्रदान किए गए हैं, जो हैंः जनसांख्यिकी

प्रमाणीकरण; एक बार पिन-आधारित प्रमाणीकरण; बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण और बहु-कारक प्रमाणीकरण। एक अनुरोध करने वाली संस्था कर सकती है विशेष कार्य या व्यावसायिक कार्य के लिए उसकी आवश्यकता के अनुसार प्रमाणीकरण का उपयुक्त तरीका चुनें।

154. विनियम *7* में अनुरोध करने वाली संस्था द्वारा बायोमेट्रिक जानकारी प्राप्त करने का प्रावधान है जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

"7. अनुरोध करने वाली इकाई द्वारा बायोमेट्रिक जानकारी प्राप्त करना।

(1) अनुरोध करने वाली संस्था बायोमेट्रिक जानकारी प्राप्त करेगी

प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं और विनिर्देशों के अनुसार प्रमाणित बायोमेट्रिक उपकरणों का उपयोग करने वाला आधार संख्या धारक।
(2) एक अनुरोध करने वाली संस्था अनिवार्य रूप से प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार बायोमेट्रिक डेटा को एन्क्रिप्ट और सुरक्षित करेगी।

(3) बायोमेट्रिक जानकारी लेने में इष्टतम परिणामों के लिए, एक अनुरोध करने वाली संस्था उन प्रक्रियाओं को अपनाएगी जो निर्दिष्ट की जा सकती हैं।
इस उद्देश्य के लिए समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा।

155. विनियम *9* प्रमाणीकरण क्वेस्ट भेजने की प्रक्रिया से संबंधित है। विनियम *9* का उप-विनियम *(1)* प्रमाणीकरण अनुरोधों के संचरण की सुरक्षित विधि का तर्क देता है।

156. आधार *(*डेटा सुरक्षा*)* विनियम, *2016* में डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत प्रावधान हैं। विनियम *3* उपायों से संबंधित है।

विनियम *3* का उप-विनियम *(1)* मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करता है। अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा एकत्र किए गए धन को किसी भी कारण से किसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा।

158. सूचना विनियम, *2016* को साझा करने में कई अन्य प्रतिबंध भी शामिल हैं। विनियम *6* में आधार संख्या को साझा करने, प्रसारित करने या प्रकाशित करने पर प्रतिबंध हैं जो निम्नलिखित प्रभाव से हैं:

" 6. साझा करने, प्रसारित करने या प्रकाशित करने पर प्रतिबंध

(2) कोई भी व्यक्ति, संस्था या एजेंसी, जिसके पास आधार संख्या धारकों की आधार संख्या *(*ओं*)* है, आधार संख्या और आधार संख्या वाले किसी भी रिकॉर्ड या डेटाबेस की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करेगी। *(3)* उप-विनियम *(1)* और *(2)* के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, कोई भी संस्था, जिसमें एक अनुरोध करने वाली संस्था भी शामिल है, जिसके पास आधार संख्या धारक की आधार संख्या है, सार्वजनिक नहीं करेगी।

व्यक्तियों के आधार संख्या वाले डेटाबेस या रिकॉर्ड, जब तक कि आधार संख्या को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों रूपों में उचित साधनों के माध्यम से संशोधित या ब्लैक आउट नहीं किया गया हो।

(4) अनुरोध करने वाली संस्था सहित किसी भी संस्था को किसी व्यक्ति को अपनी आधार संख्या इंटरनेट पर प्रसारित करने की आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि *[2018] 8* एस. सी. आर.

इस तरह का संचरण सुरक्षित है और आधार संख्या है
एन्क्रिप्टेड रूप में प्रेषित किया जाता है सिवाय इसके कि त्रुटियों के सुधार या शिकायतों के निवारण के लिए संचरण की आवश्यकता होती है।

(5) अनुरोध करने वाली संस्था सहित कोई भी संस्था आधार अपने पास नहीं रखेगी।

संख्या या आधार संख्या वाला कोई भी दस्तावेज या डेटाबेस निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए आवश्यक से अधिक समय तक
सहमति प्राप्त करते समय आधार संख्या धारक को।

159. आधार अधिनियम की योजना इंगित करती है कि आवंटन के लिए एक निवासी के नामांकन से शुरू होने वाली पूरी प्रक्रिया के सभी भाग। आधार संख्या वैधानिक रूप से विनियमित है।

160. प्रमाणीकरण विनियम, *2016* भी अनुरोध करने वाली संस्था द्वारा लॉग को बनाए रखने की अवधि को सीमित करता है। विनियमन *18 (1)* जो इस संदर्भ में प्रासंगिक है, निम्नानुसार है:

" 18. अनुरोध करने वाली इकाई द्वारा लॉग का रखरखाव।

(1) अनुरोध करने वाली संस्था प्रमाणीकरण के लॉग बनाए रखेगी।

इसके द्वारा संसाधित लेनदेन, जिसमें निम्नलिखित लेनदेन शामिल हैं

विवरण, अर्थात्: —

(क) आधार संख्या जिसके खिलाफ प्रमाणीकरण की मांग की जाती है;

(बी) प्रस्तुत प्रमाणीकरण अनुरोध के निर्दिष्ट मापदंड;

(ग) प्रमाणीकरण प्रतिक्रिया के रूप में प्राप्त निर्दिष्ट मापदंड;
(घ) आधार को सूचना के प्रकटीकरण का अभिलेख

प्रमाणीकरण के समय संख्या धारक; और

(ई) प्रमाणीकरण के लिए आधार संख्या धारक की सहमति का रिकॉर्ड, लेकिन किसी भी स्थिति में, पी. आई. डी. को अपने पास नहीं रखेगा।

जानकारी दी। "

161. सी. आई. डी. आर. में निवासियों की जानकारी को भी आधार *(*नामांकन और अद्यतन*)* के प्रावधानों के अनुसार अद्यतन करने की अनुमति है।

विनियम, *2016*। आधार अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों के तहत कार्यों की पूरी योजना का समग्र अवलोकन इंगित करता है कि निवासी के नामांकन के बाद, बायोमेट्रिक जानकारी सहित उसकी जानकारी सी. आई. डी. आर. में एन्क्रिप्टेड रूप में रखी जाती है। आधार अधिनियम के तहत प्राधिकरण का प्रमुख कार्य आधार संख्या धारक की पहचान का प्रमाणीकरण है जब भी अनुरोध करने वाली एजेंसी द्वारा अनुरोध किया जाता है।

अनुरोध करने वाली एजेंसियों के प्रमाणीकरण डेटा को सीमित अवधि के लिए बनाए रखा जाता है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं-जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.*

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

और तंत्र में डेटा गोपनीयता जो ऊपर उल्लिखित तिथि पर है।

162. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान ने उत्साहपूर्वक प्रस्तुत किया है कि प्रमाणीकरण की पूरी प्रक्रिया, जैसा कि आधार कार्यक्रम के वास्तविक कामकाज से स्पष्ट है, से पता चलता है कि आधार अधिनियम राज्य को देश की पूरी आबादी को एक इलेक्ट्रॉनिक पट्टा में रखने में सक्षम बनाता है और उन्हें *24* घंटे और *7* दिनों में ट्रैक किया जाता है। उन्होंने कहा कि पूरी आबादी को निगरानी में रखना राज्य को एक अधिनायकवादी राज्य में बदलने के अलावा और कुछ नहीं है। अपने प्रस्तुतिकरण का विस्तार

करते हुए, श्री दीवान प्रस्तुत करते हैं कि प्रमाणीकरण की प्रक्रिया *(1)* प्रमाणीकरण के समय, *(2)* अनुरोध करने वाली संस्था की पहचान के प्रमाणीकरण रिकॉर्ड बनाती है। अनुरोध करने वाली संस्था और यू. आई. डी. ए. आई. दोनों के पास प्रमाणीकरण है। लेन-देन डेटा जो लेन-देन के तकनीकी विवरण को रिकॉर्ड करता है। अनुरोध करने वाली संस्थाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में आई. पी. पता होता है जो आधार संख्या की भौगोलिक जानकारी के बारे में जानकारी देता है।

163. प्रमाणीकरण लेनदेन के संबंध में मेटा डेटा जो प्राधिकरण के साथ संग्रहीत किए जाते हैं, निवासी के प्रत्येक लेनदेन को नोट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होते हैं और उसकी गतिविधियों पर नज़र रखना और कुछ नहीं बल्कि निगरानी है। प्रमाणीकरण विनियम, *2016* का विनियम *26* भंडारण प्रदान करता है लेन-देन से संबंधित मेटा डेटा। विनियमन *26* जो प्रासंगिक है वह इस प्रकार है:

"26. प्रमाणीकरण का भंडारण और रखरखाव

लेन-देन डेटा। — *(1)* प्राधिकरण प्रमाणीकरण लेनदेन डेटा को संग्रहीत और बनाए रखेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

जानकारी:

(बी*)* भेजे गए प्रमाणीकरण प्रतिक्रिया डेटा;
(ग*)* लेन-देन से संबंधित मेटा डेटा;

(घ*)* आवश्यकतानुसार कोई प्रमाणीकरण सर्वर पक्ष विन्यास बशर्ते कि प्राधिकरण, किसी भी मामले में, भंडारण नहीं करेगा

प्रमाणीकरण का उद्देश्य "। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 8 एस सी आर।

164. हम पहले ध्यान दे सकते हैं कि मेटा डेटा क्या है जिसे संदर्भित किया जाता है।

ऊपर विनियमन *26* में। यू. आई. डी. ए. आई. को ए. एन. एच. के प्रमाणीकरण के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं। द्वारा प्राप्त प्रमाणीकरण के लिए अनुरोध

अनुरोध करने वाली एजेंसी में प्रमाणीकरण के उद्देश्य के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है न तो अनुरोध करने वाली एजेंसी और न ही यू. आई. डी. ए. आई. के पास उस उद्देश्य से संबंधित कोई रिकॉर्ड है जिसके लिए आधार संख्या धारक द्वारा प्रमाणीकरण की मांग की गई है। विनियमन *26 (*सी*)* में संदर्भित मेटा डेटा केवल है सीमित तकनीकी मेटा डेटा।

165. श्री कपिल सिब्बल ने कहा था कि सी. आई. डी. आर. के पास सी. आई. डी. आर. द्वारा रखा गया पूरा आधार डेटाबेस है। यह एक नरम लक्ष्य बन गया है आंतरिक/बाहरी/स्वदेशी/विदेशी हमले और विफलता का एकल बिंदु। श्री सिब्बल ने भारतीय रिज़र्व बैंक की एक रिपोर्ट का उल्लेख किया है जिसमें कहा गया है:

"आधार की बदौलत, भारत के इतिहास में पहली बार, अब साइबर अपराधियों के साथ-साथ भारत के बाहरी दुश्मनों के लिए भी एक ही लक्ष्य आसानी से उपलब्ध है। कुछ वर्षों में, हमला

यू. आई. डी. ए. आई. डेटा संभावित रूप से भारतीय व्यवसायों को पंगु बना सकता है और प्रशासन उन तरीकों से जो कुछ साल पहले अकल्पनीय थे।

इस तरह के हमले की स्थिति में अर्थव्यवस्था और नागरिकों को नुकसान होता है

अकल्पनीय होने के लिए बाध्य "।

166. उन्होंने आगे कहा है कि एक डिजिटल दुनिया भौतिक दुनिया की तुलना में हेरफेर के लिए कहीं अधिक संवेदनशील है। तकनीकी रूप से आश्वस्त और सुरक्षित वातावरण के अभाव में कोई भी कानून किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा को जोखिम में डालने की अनुमति नहीं दे सकता है या देना चाहिए। डिजिटल क्षेत्र में इस तरह का आश्वासन प्राप्त करना असंभव है। किसी व्यक्ति की बायोमेट्रिक, मूल बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय जानकारी, जो कभी डिजिटल दुनिया का हिस्सा थी, को पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता हैः बोतल से एक जिनी जिसे वापस नहीं रखा जा सकता है। डिजिटल दुनिया सूचना अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचाने का एक साधन है। एक सूचना अर्थव्यवस्था से एक सूचना राजनीति के लिए एक संरचना बनाने के लिए एक कदम के दूरगामी परिणाम हैं जो सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। निजता के अधिकार द्वारा संरक्षित व्यक्तिगत अधिकार। यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा अधिग्रहित तकनीक की ओपेक फॉरेन ने भी आलोचना की है।

प्रौद्योगिकी।

167. विद्वान महान्यायवादी और यू. आई. डी. ए. आई. की ओर से पेश विद्वान वकील ने उपरोक्त दलीलों का पुरजोर खंडन किया है। यह है।

उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया कि सामूहिक निगरानी के संबंध में उपरोक्त प्रस्तुतियाँ पूरी प्रक्रिया के वास्तविक संचालन के बारे में गलत धारणा पर की गई हैं।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

168. मेटा डेटा जो प्रमाणीकरण लेनदेन का एकत्रीकरण है, में उनके द्वारा किए गए वास्तविक लेनदेन का कोई विवरण नहीं होता है। एएनएच। *30* दिनों की अवधि में, *30* अनुरोध करने वाली एजेंसियां,

लेन-देन या किसी भी प्रकार की निगरानी रखने के लिए जैसा कि आरोप लगाया गया है। आधार अधिनियम की धारा *32* उप-धारा *(3)* विशेष रूप से प्राधिकरण को प्रमाणीकरण के उद्देश्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी जानकारी को एकत्र करने या बनाए रखने से रोकती है। *169.* विनियमन *26* का प्रावधान भी इसी प्रभाव से है, बशर्ते कि प्राधिकरण, किसी भी मामले में, प्रमाणीकरण के उद्देश्य को संग्रहीत नहीं करेगा।

170. सी. आई. डी. आर. के बारे में विस्तार से बताते हुए श्री द्विवेदी ने कहा कि सी. आई. डी. आर. एक

केंद्रीकृत डेटाबेस जिसमें जवाब देने वाली जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी के साथ जारी किए गए सभी आधार नंबर शामिल हैं। यह एक "संरक्षित" है

सिस्टम "सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, *2000* की धारा *70* के तहत अधिसूचित। भंडारण में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, लॉजिकल पार्टिशन, फायर वॉलिंग और डिक्रिप्ट किए गए बायोमेट्रिक डेटा का अनामिकरण शामिल है। कूटलेखन प्रणाली एक निजी कुंजी/सार्वजनिक मॉडल का अनुसरण करती है और निजी कुंजी केवल प्रसंस्करण स्थान पर यू. आई. डी. ए. आई. के पास उपलब्ध है। इसलिए अगर डेटा पैकेट खो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं तो भी उसी के बारे में बायोमेट्रिक जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है। सी. आई. डी. आर. में हैकिंग से सुरक्षा के लिए बहु-स्तरीय तकनीकी सुरक्षा है, और सी. आई. डी. आर. क्षेत्र में अनधिकृत भौतिक पहुंच को रोकने के लिए सशस्त्र बलों की तैनाती भी है। इसके अतिरिक्त प्रविष्टि इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित होती है। पहले से ही दो स्थानों पर सी. आई. डी. आर. हैं और कुछ अन्य स्थानों पर यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए जाने की संभावना है कि आपदा की दूरस्थ स्थिति में भी डेटा नष्ट न हो। सी. आई. डी. आर. केंद्रीय रूप से प्रबंधित है। फिंगर प्रिंट और आईरिस डेटा के टेम्पलेट आईएसओ प्रारूप में उत्पन्न होते हैं और जनसांख्यिकीय डेटा और फोटो के साथ प्रमाणीकरण सर्वर डेटाबेस में सुरक्षित रूप से संग्रहीत किए जाते हैं। इस डेटाबेस का उपयोग आधार *(*प्रमाणीकरण*)* विनियमन *2016* में दिए गए तरीके से प्रमाणीकरण के लिए किया जाता है।

171. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, श्री कपिल सिब्बल द्वारा जताई गई आशंका कि सी. आई. डी. आर. एक नरम लक्ष्य है, गलत है।

172. उनके निवेदन का समर्थन करने के लिए याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री श्याम दीवान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के फैसले पर भरोसा किया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय बनाम एंटोनी जोन्स, *132* एस. सी. टी. *945 (2012)*।
173. डेटा के संचय, डेटा के प्रतिधारण, निगरानी के विभिन्न पहलुओं को छूते हुए बड़ी संख्या में विदेशी निर्णयों का हवाला दिया गया है।

दोनों पक्षों द्वारा अपने-अपने रुख का समर्थन करने के लिए। दुनिया के अन्य देशों में विभिन्न न्यायालयों द्वारा व्यक्त की गई राय का समग्र दृष्टिकोण होना आवश्यक है। वर्तमान युग प्रौद्योगिकी का युग है और

विभिन्न संदर्भों में व्यक्तिगत डेटा के भंडारण और प्रतिधारण से संबंधित मुद्दे विभिन्न देशों के कई न्यायालयों के समक्ष सामने आए हैं जिन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

174. याचिकाकर्ताओं ने यूरोपीय न्यायालय, एस. में मानवाधिकार और मार्पर बनाम पर भरोसा किया है। यूनाइटेड किंगडम, *2008 (48)* ईएचआरआर *50*। आवेदकों, एस और मार्पर ने अनुच्छेद के तहत यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के खिलाफ दो आवेदन प्रस्तुत किए थे।

175. बैरोनेस हेल बहुमत से असहमत था क्योंकि फिंगरप्रिंट और डी. एन. ए. डेटा दोनों का प्रतिधारण एक किसी व्यक्ति के अपने निजी जीवन के सम्मान के अधिकार में राज्य द्वारा हस्तक्षेप और इस प्रकार कन्वेंशन के तहत औचित्य की आवश्यकता है। आवेदक का आवेदन यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय *(*स्ट्रासबर्ग कोर्ट*)* द्वारा लिया गया था। स्ट्रासबर्ग न्यायालय ने देखा कि यूरोप परिषद के अधिकांश सदस्य देश आपराधिक कार्यवाही के संदर्भ में उंगलियों के निशान और सेलुलर नमूने अनिवार्य रूप से लेने की अनुमति देते हैं। यूनाइटेड किंगडम

एकमात्र सदस्य राज्य है जिसने स्पष्ट रूप से व्यवस्थित न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* को अनुमति दी है।

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

और व्यक्तियों के डी. एन. ए. प्रोफाइल और तहखाने के नमूनों को अनिश्चित काल तक बनाए रखना।

जिन्हें बरी कर दिया गया है या जिनके संबंध में आपराधिक कार्यवाही बंद कर दी गई है।

176. स्ट्रासबर्ग न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित आंकड़ों का केवल संग्रह करना उसके भीतर एक हस्तक्षेप के बराबर है।

अनुच्छेद *8* का अर्थ। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि यह निर्धारित करने में कि क्या अधिकारियों द्वारा रखी गई व्यक्तिगत जानकारी में ऊपर उल्लिखित निजी जीवन के किसी भी पहलू को शामिल किया गया है, न्यायालय को उस विशिष्ट संदर्भ को ध्यान में रखना होगा जिसमें जारी की गई जानकारी को दर्ज और बनाए रखा गया है। पैराग्राफ *67* में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

"67 ..... हालाँकि, यह निर्धारित करने में कि क्या व्यक्तिगत

अधिकारियों द्वारा रखी गई जानकारी में ऊपर उल्लिखित निजी जीवन के किसी भी पहलू को शामिल किया गया है, न्यायालय को उस विशिष्ट संदर्भ को ध्यान में रखना होगा जिसमें जारी की गई जानकारी को दर्ज किया गया है और रखा गया है, अभिलेखों की प्रकृति, जिस तरह से इन अभिलेखों का उपयोग किया जाता है और संसाधित किया जाता है और जिन परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है *(*देखें, उत्परिवर्तन, फ्रीडल, ऊपर उद्धृत*)*।

49-51 , और पेक वी। यूनाइटेड किंगडम, ऊपर उद्धृत, *59)*। "

177. पैराग्राफ *73* और *77* में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

"73. सेलुलर नमूनों में निहित व्यक्तिगत जानकारी की प्रकृति और मात्रा को देखते हुए, उनका प्रतिधारण प्रति व्यक्ति होना चाहिए

संबंधित व्यक्तियों के निजी जीवन के सम्मान के अधिकार में हस्तक्षेप के रूप में माना जाता है। यह कि इस जानकारी का केवल एक सीमित हिस्सा वास्तव में डीएनए प्रोफाइलिंग के माध्यम से अधिकारियों द्वारा निकाला या उपयोग किया जाता है और किसी विशेष मामले में कोई तत्काल नुकसान नहीं होता है, इस निष्कर्ष को नहीं बदलता है *(*अमन उद्धृत देखें*)*।

ऊपर, *69)*।

77. पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि प्रतिधारण

कोशिकीय नमूने और डी. एन. ए. प्रोफाइल दोनों से पता चलता है कि

कन्वेंशन के अनुच्छेद *8 (1)* के अर्थ के भीतर, आवेदकों के अपने निजी जीवन के सम्मान के अधिकार में हस्तक्षेप।

178. न्यायालय ने प्रतिधारण के मुद्दे पर भी विचार किया

उंगलियों के निशान, और माना कि उंगलियों के निशान को बनाए रखना भी महत्वपूर्ण निजी जीवन की चिंताओं को जन्म दे सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि घरेलू

कानून को व्यक्तिगत डेटा के ऐसे किसी भी उपयोग को रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपाय करने चाहिए जो अनुच्छेद *8* की गारंटी के साथ असंगत हो सकते हैं। पैराग्राफ *103* में निम्नलिखित कहा गया थाः

प्रसंस्करण का संबंध है, कम से कम जब इस तरह के डेटा का उपयोग पुलिस उद्देश्यों के लिए किया जाता है। घरेलू कानून को विशेष रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह के डेटा प्रासंगिक हैं और उन उद्देश्यों के संबंध में अत्यधिक नहीं हैं जिनके लिए उन्हें संग्रहीत किया जाता है; और एक ऐसे रूप में संरक्षित किया जाता है जो डेटा विषयों की पहचान की अनुमति देता है जो आवश्यकता से अधिक नहीं है। जिस उद्देश्य के लिए उन आंकड़ों को संग्रहीत किया जाता है।

विचाराधीन घटनाएँ जो घटित हुईं, लेकिन उनका तर्क है कि पुलिस ने खोज योग्य डेटाबेस पर जानकारी को बनाए रखते हुए कन्वेंशन के अनुच्छेद *8* के तहत उनके अधिकारों में हस्तक्षेप किया। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय के न्यायशास्त्र पर ध्यान देने के बाद लॉर्ड समप्शन ने कहा पैराग्राफ *33* में निम्नलिखित हैः

" 33. यद्यपि यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय का न्यायशास्त्र व्यक्तिगत डेटा के व्यवस्थित भंडारण को आकर्षक अनुच्छेद *8* के रूप में मानने में कठोर है और औचित्य की आवश्यकता है, इसने लगातार मान्यता दी है कि *(*हमेशा आनुपातिकता के अधीन*)* सार्वजनिक सुरक्षा और अपराध की रोकथाम और पता लगाना इसे उचित ठहराएगा बशर्ते कि यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हों कि व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और अपराध को रोकने या पता लगाने के उद्देश्य से आवश्यक समय से अधिक समय तक नहीं रखा गया है, और तीसरे पक्ष को यह खुलासा उचित रूप से प्रतिबंधित हैः

17 दिसंबर *2009* को दिए गए बाउचाकॉर्ट बनाम फ्रांस, पैरा *68* को देखें।
69 , और ब्रुनेट वी। फ्रांस *(*आवेदन *No.21010/10) (*रिपोर्ट नहीं किया गया*)*

18 सितंबर *2014*, पैरा *36* दिया गया है। मेरी राय में, इस मामले में ये दोनों आवश्यकताएँ पूरी होती हैं। प्रशासनिक पर्यवेक्षण पर निर्भर किसी भी जटिल प्रणाली की तरह, वर्तमान प्रणाली गलतियों के खिलाफ सबूत नहीं है। कम से कम बाद में, यह एच. एम. आई. सी. की *2012* की रिपोर्ट और अगले दो वर्षों में

जिस पैमाने पर डेटाबेस को समाप्त किया गया था, उसमें निहित है कि पुलिस
अभ्यास संहिता और वास्तव में आवश्यक एमओपीआई दिशानिर्देशों की तुलना में अधिक रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। लेकिन न्यायिक और

इससे निपटने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाएं प्रभावी हैं, जैसे -

इस अपील पर प्रकट किए गए तथ्य बताते हैं।

180. डेटा के प्रतिधारण के विषय पर अधिकारियों की प्रमुखता यह है कि व्यक्तिगत डेटा का प्रतिधारण किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है।

व्यक्ति अपनी निजता के अधिकार में हस्तक्षेप कर सकता है और राज्य आनुपातिकता के अधीन अपने प्रतिधारण को उचित ठहरा सकता है और व्यक्तिगत जानकारी के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों को आवश्यकता से अधिक समय तक नहीं रखा जाता है।

181. आधार अधिनियम पर वापस आते हुए, यह स्पष्ट है कि अनुरोध करने वाली संस्था के साथ-साथ प्राधिकरण को प्रमाणीकरण डेटा को बनाए रखने की आवश्यकता है।

विशेष अवधि और उसके बाद इसे पांच साल के लिए संग्रहीत किया जाएगा और उसके बाद प्रमाणीकरण डेटा लेनदेन को हटा दिया जाएगा।

डेटा जो किसी भी लंबित विवाद के संबंध में न्यायालय द्वारा आवश्यक है। हम पहले ही देख चुके हैं कि जो डेटा इकाई और प्राधिकरण द्वारा कुछ अवधि के लिए रखा जाता है, वह पहचान प्रमाणीकरण से संबंधित न्यूनतम जानकारी है, केवल कोई अन्य व्यक्तिगत डेटा नहीं रखा जाता है। इस प्रकार, आधार अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधान पुट्टास्वामी मामले *(*उपरोक्त*)* में निर्धारित तीन गुना परीक्षण को पूरा करते हैं, इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि

डेटा का भंडारण और प्रतिधारण गोपनीयता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। *182.* अब हम निगरानी के मुद्दे पर आते हैं, जिसे याचिकाकर्ताओं द्वारा बहुत दृढ़ता से उठाया गया है। श्री श्याम दीवान, विद्वान वकील

याचिकाकर्ताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम एंटोनी जोन्स, *132* एस. सी. टी. में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। *945 (2012)*। एक नाइट क्लब के मालिक और संचालक एंटोनी जोन्स पर तस्करी का संदेह था।

मादक पदार्थ। जॉन की पत्नी के नाम पर पंजीकृत जीप पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग उपकरण लगाने के लिए एक वारंट जारी किया गया था। जब जीप को सार्वजनिक पार्किंग में खड़ा किया गया तो एजेंटों ने उसमें एक जी. पी. एस. ट्रैकिंग उपकरण लगाया। उपकरण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वापस किया गया, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपील पर उलट दिया गया था, डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया के लिए अपील। *183.* मामला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया था। चौथा संशोधन "लोगों को

अनुचित तलाशी के खिलाफ अपने व्यक्तियों, घरों, कागजातों और प्रभावों में सुरक्षित होने का अधिकार प्रदान करता है और

दौरों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा "। न्यायमूर्ति स्कैलिया ने न्यायालय की राय देते हुए अपील न्यायालय के फैसले की पुष्टि की। न्यायमूर्ति सोटोमेयर

सहमति व्यक्त करते हुए लिखाः

"मैं अदालत की राय से सहमत हूं क्योंकि मैं इस बात से सहमत हूं कि चौथे संशोधन के अर्थ के भीतर एक खोज होती है, कम से कम, "यहाँ, जैसा कि यहाँ, सरकार संवैधानिक रूप से संरक्षित क्षेत्र में भौतिक रूप से घुसपैठ करके जानकारी प्राप्त करती है।" एंटे, *950*, एन। *3.* इस मामले में, सरकार ने प्रतिवादी एंटोनी जोन्स की जीप पर वैध वारंट के बिना और जोन्स की सहमति के बिना एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम *(*जी. पी. एस.*)* ट्रैकिंग उपकरण स्थापित किया, फिर चार सप्ताह के दौरान जीप की गतिविधियों की निगरानी के लिए उस उपकरण का उपयोग किया। सरकार ने जोन्स की संपत्ति पर कब्जा कर लिया

उस पर निगरानी रखने के उद्देश्य से, जिससे गोपनीयता हितों पर हमला किया जा सके जो लंबे समय से दिए गए थे, और निस्संदेह चौथे संशोधन संरक्षण के हकदार थे। देखें, उदाहरण के लिए, सिल्वरमैन बनाम। संयुक्त राज्य अमेरिका, *365* यू. एस. *505,511-512* एस *1* एस. सी. टी. *679, 5 L.Ed.2d 734*

(1961) . " "

जोन्स के खिलाफ उपयोग किए जाने वाले डेटा को प्राप्त करना। वर्तमान में ऐसा कोई मामला नहीं है जहां यह कहा जा सके कि आधार का बुनियादी ढांचा इस तरह से तैयार किया गया है कि आधार संख्या धारक *(*ए. एन. एच.*)* पर निगरानी।

185. एक अन्य निर्णय जिस पर श्री श्याम दीवान ने भरोसा किया है, वह स्ट्रासबर्ग न्यायालय में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय का निर्णय है।

रोमन जाखारोव बनाम रूस ने *04.12.2015* पर फैसला किया। उपरोक्त में

मामले में, आवेदक ने आरोप लगाया कि रूस में मोबाइल टेलीफोन संचार के गुप्त अवरोधन की प्रणाली ने उनके निजी जीवन और पत्राचार के प्रति सम्मान के उनके अधिकार का उल्लंघन किया और इस संबंध में उनके पास कोई प्रभावी उपाय नहीं था। निर्णय के पैरा *148* में, आवेदक के मामले को निम्नलिखित शब्दों में नोट किया गया थाः

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

रूस में मोबाइल टेलीफोन संचार का अवरोधन किया गया कन्वेंशन के अनुच्छेद *8* की आवश्यकताओं का पालन नहीं करना, जो निम्नानुसार हैः

"*1.* प्रत्येक व्यक्ति को अपने निजी और पारिवारिक जीवन, अपने घर और अपने पत्राचार का सम्मान करने का अधिकार है।

2. इस अधिकार के प्रयोग में किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जो कानून के अनुसार हो और लोकतांत्रिक समाज में इसके हितों के लिए आवश्यक हो। राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा या देश का आर्थिक कल्याण, अव्यवस्था या अपराध की रोकथाम के लिए, स्वास्थ्य या नैतिकता की सुरक्षा के लिए, या अधिकारों की सुरक्षा के लिए।

और दूसरों की स्वतंत्रताएँ।

186. न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचाः

" 175. अदालत ने नोट किया कि विवादित कानून गुप्त निगरानी की एक प्रणाली स्थापित करता है जिसके तहत रूस प्रदाताओं की मोबाइल टेलीफोन सेवाओं का उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति निगरानी के बारे में सूचित किए बिना अपने मोबाइल टेलीफोन संचार को रोक सकता है। इस हद तक, विचाराधीन कानून इन मोबाइल टेलीफोन के सभी उपयोगकर्ताओं को सीधे प्रभावित करता है।

सेवाएँ "।

187. स्ट्रासबर्ग न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सम्मेलन के ई *8* का उल्लंघन किया गया था। उपरोक्त मामला भी आधार संरचना के संदर्भ में गरीबों की मदद नहीं करता है। उपरोक्त मामला स्पष्ट था

मोबाइल दूरसंचार के अवरोधन द्वारा निगरानी।

188. श्री श्याम दीवान द्वारा भरोसा किया गया एक और निर्णय डिजिटल है

आयरलैंड लिमिटेड। बनाम संचार, समुद्री मंत्रीएटुरल रिसोर्सेज ने *08.04.2014* पर निर्णय लिया। निर्णय का पैरा *1*

" प्रारंभिक निर्णय के लिए ये अनुरोध सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक संचार सेवाओं या सार्वजनिक संचार के प्रावधान के संबंध में उत्पन्न या संसाधित डेटा के प्रतिधारण पर यूरोपीय संसद और *15* मार्च *2006* की परिषद के निर्देश *2006/24/*ईसी की वैधता से संबंधित हैं।

नेटवर्क और निर्देश *2002/58/*ईसी में संशोधन *(*ओजे *2006* एल *105,* पी। *54)*। "

189. निर्देश *2006/24* ने प्रदाताओं पर दायित्व निर्धारित किया

सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक संचार सेवाओं या सार्वजनिक संचार नेटवर्क द्वारा उत्पन्न या संसाधित किए गए कुछ डेटा को बनाए रखने के लिए। निर्देशों के विभिन्न अनुच्छेदों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने पैराग्राफ *27* में उल्लेख कियाः

" 27. वे आँकड़े, समग्र रूप से लिए जाने पर, बहुत सटीक हो सकते हैं

उन व्यक्तियों के निजी जीवन के बारे में निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए जिनके डेटा को बनाए रखा गया है, जैसे कि रोजमर्रा की जिंदगी की आदतें, स्थायी या अस्थायी निवास स्थान, दैनिक या अन्य गतिविधियाँ, की गई गतिविधियाँ, सामाजिक

उन व्यक्तियों के संबंध और सामाजिक वातावरण

अक्सर उनके द्वारा "।

190. इन निर्देशों को आनुपातिकता के सिद्धांतों का उल्लंघन माना गया था। उपरोक्त मामला भी आंकड़ों को बनाए रखने का मामला था।

सेवा प्रदाताओं द्वारा संचार से संबंधित। संचार डेटा का प्रतिधारण गोपनीयता में घुसपैठ का एक स्पष्ट मामला है। उपरोक्त भी एक ऐसा मामला है जो आधार संरचना के विपरीत याचिकाकर्ताओं की किसी भी तरह से मदद नहीं करता है।

191. इस मोड़ पर, हम याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई एक दलील पर भी ध्यान दे सकते हैं कि आधार अधिनियम कम हस्तक्षेपकारी हो सकता था। माप/साधन। यह सुझाव दिया गया था कि पहचान के उद्देश्य से,

सरकार एक स्मार्ट कार्ड जारी करने की योजना बना सकती थी, जिसमें एक बायोमेट्रिक जानकारी हो सकती थी और इसे कार्ड में ही रखा जा सकता था, जिससे डेटा को साझा करने या स्थानांतरित करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें आधार अधिनियम की जांच करनी होगी क्योंकि यह मौजूद है। किसी भी वैकल्पिक तंत्र पर बहस करने के लिए इस मुद्दे में प्रवेश करना न्यायालय का क्षेत्र नहीं है, जो याचिकाकर्ताओं के अनुसार बेहतर होता। विधायी नीति तैयार करना और विधायी नीति को लागू करने के लिए एक तंत्र प्रदान करना विधायी क्षेत्र है जिसमें न्यायालय शायद ही कभी

खाई।

192. हम यू. के. सुप्रीम कोर्ट ए. बी. बनाम के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं। महामहिम के अधिवक्ता, *[2017]* यूकेएससी *25*, जहाँ यू. के. सुप्रीम

अदालत ने कम घुसपैठ के साधनों के आधार पर दलीलों को मंजूरी नहीं दी है। अदालत ने कहा कि क्या संसद ने कम घुसपैठ के साधनों का उपयोग किया होगा, यह अदालत को एक वैकल्पिक उपाय की पहचान करने में शामिल नहीं करता है, जो कि कम से कम घुसपैठ है। पैरा *37* में निम्नलिखित निर्धारित किया गया हैः

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

"37. मैं आश्वस्त नहीं हूँ। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह सवाल कि क्या संसद कम घुसपैठ का इस्तेमाल कर सकती थी

उपाय में अदालत को वैकल्पिक उपाय की पहचान करने में शामिल नहीं किया जाता है जो कम से कम घुसपैठ है। न्यायालय विधायिका को विवेकाधिकार के अंतर की अनुमति देता है और पूछता है कि क्या अनुच्छेद *8* के अधिकार पर सीमा वह है जो संसद के लिए प्रस्तावित करना उचित थाः बैंक मेलाट बनाम

एचएम ट्रेजरी *(*नंबर *2) [2013]* यूकेएससी *38, [2014]* एसी *700,* पैरा *75* प्रति लॉर्ड रीड; एनिमल डिफेंडर्स इंटरनेशनल बनाम यूनाइटेड किंगडम *(2013) 57* ईएचआरआर *21,* पैरा *110*। यदि *2009* के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया होता कि उचित विश्वास बचाव उपलब्ध नहीं होता यदि पहले के अवसर पर अभियुक्त पर एक ऐसे अपराध का आरोप लगाया गया था जिसमें बड़े बच्चों के साथ सहमति से यौन गतिविधि की अवैधता की वस्तुनिष्ठ रूप से चेतावनी दी गई थी, तो यह तथ्य कि उस बचाव की उपलब्धता को प्रतिबंधित करने के लिए अन्य विकल्प थे, जो कम घुसपैठ वाले थे, व्यक्ति के अनुच्छेद *8* के अधिकार का उल्लंघन नहीं करेंगे। द. इस अपील में लॉर्ड एडवोकेट्स के लिए समस्या यह है कि उन्हें कहाँ खोजना है

ऐसी चेतावनी।

193. हम मॉरीशस के सर्वोच्च न्यायालय-माधेवू बनाम राज्य के निर्णय से उत्पन्न प्रिवी काउंसिल के फैसले को लाभप्रद रूप से नोट कर सकते हैं। मॉरीशस से। मामला एक राष्ट्रीय पहचान पत्र से संबंधित है, जो था

राष्ट्रीय पहचान पत्र अधिनियम, *1985* नामक एक अधिनियम द्वारा प्रभावी किया गया, जो मॉरीशस के वयस्क नागरिकों को पहचान पत्र ले जाने का प्रावधान करता है। इस अधिनियम में *2013* में संशोधन किया गया था जिसके द्वारा सरकार ने एक नया स्मार्ट पहचान पत्र पेश किया, जो नागरिक की उंगलियों के निशान पर एक चिप पर शामिल होता है। और उसकी विशेषताओं से संबंधित अन्य बायोमेट्रिक जानकारी। मॉरीशस गणराज्य के एक नागरिक ने राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए आवेदन नहीं किया और उसने *2013* के अधिनियम की वैधता को चुनौती दी। मॉरीशस के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि *1985* के अधिनियम के प्रावधान, जो एक नागरिक की उंगलियों के निशान को अनिवार्य रूप से लेने और रिकॉर्ड करने को लागू करते हैं, एक

संविधान की धारा *9 (1)* के तहत गारंटीकृत अपीलार्थी के अधिकारों में हस्तक्षेप। धारा *9 (1)* में प्रावधान किया गया है कि "उनकी अपनी सहमति के अलावा,

किसी भी व्यक्ति की उसके व्यक्ति या उसके निजी या उसके परिसर में अन्य लोगों द्वारा प्रवेश की तलाशी नहीं ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने किया था खारिज

संविधान के अन्य प्रावधानों को चुनौती देना। मामला प्रिवी काउंसिल में ले जाया गया। प्रिवी काउंसिल के समक्ष दी गई चुनौती को फैसले के पैरा *7* में देखा गया था, जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

" *7.* इस अपील में अपीलार्थी *(*क*)* उंगलियों के निशान और अन्य बायोमेट्रिक *[2018] 8* एस. सी. आर. प्रदान करने की बाध्यता की संवैधानिकता को चुनौती देता है।

धारा *4* के तहत जानकारी, *(*बी*)* धारा *5* के तहत पहचान पत्र पर उस सामग्री का भंडारण, *(*सी*)* प्रतिक्रिया में धारा *7 (1* ए*)* के तहत एक पुलिसकर्मी को पहचान पत्र अनिवार्य रूप से पेश करना।

धारा *7 (1) (*बी*)* के तहत एक अनुरोध के लिए, और *(*डी*)* गैर-अनुपालन के लिए धारा *9 (3)* के तहत संभावित दंड की गंभीरता। उनका दावा है कि सबसे पहले, नए बायोमेट्रिक पहचान पत्र का कार्यान्वयन धारा *1,2,3,4,5,7,9,15,16* और *45* का उल्लंघन है।

सिविल कोड के अनुच्छेद *22* के साथ संविधान *(*जो

यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने निजी जीवन का सम्मान करने का अधिकार है

और सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों को रोकने के लिए सशक्त बनाता है या
गोपनीयता के उल्लंघन को समाप्त करना*)* और, दूसरा, कि संग्रह और

पहचान पत्र पर उंगलियों के निशान उन धाराओं का उल्लंघन करते हैं
संविधान और नागरिक संहिता का वह अनुच्छेद।

194. प्रिवी काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सहमति व्यक्त की

अदालत ने कहा कि उंगलियों के निशान को अनिवार्य रूप से लेना और बारीकियों को निकालना अपीलार्थी के धारा *9* के अधिकारों में हस्तक्षेप शामिल है, जिसे धारा *9 (2)* के तहत उचित ठहराया जाना आवश्यक है। प्रिवी काउंसिल के समक्ष उठाई गई चुनौती को पैरा *25* में देखा गया है, जिसे चुनौती से दूर कर दिया गया था। पैरा *25* और *26* इस प्रकार हैं:

"25. अपीलार्थी उच्चतम न्यायालय के मूल्यांकन को चुनौती देता है

क्योंकि, वह प्रस्तुत करता है, एक विश्वसनीय पहचान पत्र प्रणाली का निर्माण

अपने मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहराता है। वह.

प्रस्तुत करता है कि उसकी उंगलियों के निशान प्रदान करने का दायित्व हस्तक्षेप करता है

उसे निर्दोष माने जाने के अधिकार के साथ और यह भी कि धारा *4 (2) (*सी*)* का पालन करने में एक हानिरहित विफलता अधिनियम *(*ऊपर पैरा *6)* की धारा *9 (3)* के तहत कठोर दंड को जन्म दे सकती है। वह भी।

यह बताता है कि भारत में एक बायोमेट्रिक पहचान पत्र का प्रस्ताव है

असंवैधानिक माना गया था, और, यूनाइटेड किंगडम में,
उदारवादी राजनीतिक विरोध के परिणामस्वरूप कानून को निरस्त कर दिया गया

बायोमेट्रिक पहचान पत्र पेश करना। हस्तक्षेप, वह

प्रस्तुत करता है, असमान है।

26. बोर्ड के विचार में, इन चुनौतियों को कमजोर नहीं करते हैं

उच्चतम न्यायालय का मूल्यांकन। सबसे पहले, प्रदान करने की आवश्यकता

पहचान पत्र के लिए उंगलियों के निशान आपराधिकता के किसी भी अनुमान को जन्म नहीं देते हैं क्योंकि यह सभी वयस्क नागरिकों पर लगाई गई आवश्यकता है। यह सच है कि, यदि ऐसी परिस्थितियाँ

उत्पन्न हुईं जिनमें एक पुलिस अधिकारी
अपीलार्थी को अपनी पहचान प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया था

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

कार्ड और सरकार ने कार्ड रीडर जारी किए थे, अधिकारियों के पास उसके फिंगरप्रिंट मिनटिया तक पहुंच होगी जिसका उपयोग वे आपराधिक जांच में पहचान के उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। लेकिन यह निर्दोषता की धारणा को नहीं बदलता है। दूसरा,

धारा *9 (3)* में दंड धारा *9 (1)* सहित अपराधों के लिए अधिकतम हैं, जो पहचान पत्र के संबंध में जालसाजी और धोखाधड़ी व्यवहार जैसे गंभीर अपराधों को शामिल करते हैं। उप-धारा किसी भी व्यवहार के लिए अधिकतम सजा के अधिरोपण को अनिवार्य नहीं करती है। तीसरा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों और अन्य देशों के संविधानों पर न्यायिक निर्णय अक्सर अदालत को व्याख्या करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं
मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करने वाले प्रावधान

संविधान में, इस तरह की सहायता की मात्रा इस बात पर निर्भर करेगी कि दस्तावेज़ किस हद तक समान रूप से लिखे गए हैं। ”

195. जैसा कि ऊपर देखा गया है, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के पास डेटा और सी. आई. डी. आर. की सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दे हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए आरोप कोई आधार प्रदान नहीं करते हैं

अधिनियमन या विधायी नीति। जी में यह न्यायालय

राजन बनाम भारत संघ और अन्य। *(2013) 6* एससीसी *620,*

भारत की राष्ट्रीय नीति और चुनौती पर विचार करने का मामला

आर परियोजना, जिसे सरकार द्वारा सक्रिय नीति को बरकरार रखते हुए शुरू किया गया था, न्यायालय ने पैरा *15* और *15.1* में निम्नलिखित निर्धारित कियाः

" 15. भारत की राष्ट्रीय नीति को परमाणु ऊर्जा अधिनियम में विधायिका द्वारा स्पष्ट और स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। राष्ट्रीय और देश की अंतर्राष्ट्रीय नीति लोगों के कल्याण और अन्य शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के नियंत्रण और उपयोग को विकसित करना है। कुडनकुलम में एन. पी. पी. की स्थापना की गई है।

राष्ट्रीय नीति जो अधिनियम की प्रस्तावना और उसमें निहित प्रावधानों से स्पष्ट है। यह निर्धारित करना न्यायालयों का काम नहीं है कि कोई विशेष नीति या किसी नीति की पूर्ति में लिया गया कोई विशेष निर्णय उचित है या नहीं। कारण स्पष्ट है, यह अदालत का प्रांत नहीं है जो विवेक या तर्कसंगतता को स्कैन करे

क़ानून के पीछे की नीति।

15.1 . लॉर्ड मैकनॉटन इन वैचर एंड संस लिमिटेड *v.* लंदन

सोसाइटी ऑफ कम्पोजिटर्स *(1913)* एसी *107* एचएल ने कहा हैः

..... कुछ लोग इस अधिनियम की नीति को मूर्खतापूर्ण और समुदाय के लिए खतरनाक भी मान सकते हैं। लेकिन न्यायिक न्यायाधिकरण का किसी भी अधिनियम की नीति से कोई लेना-देना नहीं है जो कि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट हो सकती है।

[2018] 8 एस सी आर।

व्याख्या करने के लिए कहा। यह निजी निर्णय का मामला हो सकता है। न्यायालय का कर्तव्य, और इसका एकमात्र कर्तव्य, अधिनियम की भाषा को निर्धारित नियमों के अनुसार स्पष्ट करना है।

निर्माण "।

196. इस न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी परियोजना को केवल रोका नहीं जा सकता है

आशंका के आधार पर। वर्तमान मामले में भी, बहुत डेटा की असुरक्षा की संभावनाओं की आशंका जताई गई है। में।

भारत में, यूनाइटेड किंगडम में कानून जैसे कोई विशिष्ट डेटा संरक्षण कानून नहीं हैं। गोपनीयता निर्णय-पुट्टास्वामी *(ऊपर)* में, इस न्यायालय ने देखा है कि श्री कृष्ण आयोग पहले से ही डेटा संरक्षण के मुद्दे की जांच कर रहा है और जैसा कि हमारे सामने विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा कहा गया है, रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, सरकार डेटा संरक्षण पर एक विशिष्ट कानून लाने के लिए कदम उठाएगी। उपरोक्त विषय पर हमें और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। फैसला सुरक्षित रखने के बाद, श्रीकृष्णा आयोग ने जुलाई *2018* में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, *2018* के मसौदे वाली अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद, हम आशा करते हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यक्त की गई कई आशंकाओं का ध्यान रखते हुए व्यक्तिगत डेटा संरक्षण से संबंधित कानून बहुत जल्द लागू हो जाएगा।

197. आधार संरचना की जांच वैधानिक व्यवस्था के आलोक में की जानी है। हमने बनाए गए नियमों पर ध्यान दिया है

आधार अधिनियम के तहत, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि विनियम डेटा सुरक्षा, डेटा साझाकरण पर प्रतिबंध के लिए वैधानिक प्रावधान लाते हैं और

मामले के अन्य पहलू। डेटा उल्लंघन और अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन पर दंड के कई प्रावधान प्रदान किए गए हैं।

198. हमारे पास संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि परियोजना होगी

अधिनियम और विनियमों के अनुसार लागू किया गया और यह कल्पना करने का कोई कारण नहीं है कि वैधानिक उल्लंघन होंगे, जो डेटा सुरक्षा, डेटा सुरक्षा आदि को प्रभावित कर सकते हैं। पूर्वगामी को देखते हुए

चर्चा करते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि आधार अधिनियम और विनियमों द्वारा निरूपित सांविधिक व्यवस्था पुट्टास्वामी *(उपर्युक्त)* और कानून में निर्धारित तीन-गुना परीक्षण को पूरा करती है, अर्थात

आधार अधिनियम सरकार के वैध उद्देश्य के लिए पर्याप्त औचित्य देता है और कानून परिकल्पित उद्देश्य के समानुपाती है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलों के दौरान नामांकन और अद्यतन विनियमों, प्रमाणीकरण विनियमों, डेटा सुरक्षा विनियमों और सूचना विनियमों को साझा करने के विभिन्न प्रावधानों पर भी हमला किया है।

उपरोक्त सभी न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों पर अधिनियम की धारा *54* के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए विनियम बनाए गए हैं। हम मानते हैं कि डेटा के संग्रह, इसके प्रतिधारण, भंडारण, उपयोग और साझाकरण से कोई गोपनीयता नहीं है। अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, हमारा मानना है कि संबंधित नियम भी तीन गुना परीक्षणों को पास करते हैं जैसा कि *K.Puttaswamy* मामले में निर्धारित किया गया है। उपरोक्त संबंध में अधिनियम के प्रावधानों को तीन गुना परीक्षणों, संबंधित विनियमों को भी गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार, संग्रह, भंडारण, उपयोग, प्रतिधारण और साझाकरण से संबंधित नियमों को चुनौती देने में विफल रहता है और यह माना जाता है कि वे निजता के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं। परिणामस्वरूप, हम प्रश्न संख्या का उत्तर देते हैं। *3* , *4* और *5* निम्नलिखित तरीके से:

उत्तर। *3* , *4* , *5 :*

(i) डेटा का संग्रह, इसका भंडारण और उपयोग उल्लंघन नहीं करता है।

निजता का मौलिक अधिकार।

((ii) आधार अधिनियम व्यापक रूप से एक संरचना नहीं बनाता है।

निगरानी।

((iii) आधार अधिनियम और विनियम सुरक्षा प्रदान करते हैं।

व्यक्तियों से प्राप्त डेटा।

मुद्दा संख्या। *6* और *7* क्या आधार अधिनियम की धारा *7* है

असंवैधानिक*?*

चाहे भोजन, आश्रय आदि का अधिकार हो।

अनुच्छेद *21* के तहत परिकल्पित
लाभार्थियों की निजता के अधिकार पर प्राथमिकता*?*

199. श्री पंडित जवाहर लाल नेहरू पर बहस का समापन करते हुए

" भारत की संविधान सभा में *22.01.1947* पर लक्ष्य और उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया है:

" इस सभा का पहला कार्य भारत को मुक्त करना है।

नया संविधान भूखे लोगों को खिलाने और नग्न जनता को कपड़े पहनने और प्रत्येक भारतीय को विकास करने का पूरा अवसर देने के लिए
अपनी क्षमता के अनुसार। यह निश्चित रूप से एक बड़ा काम है। "

200. स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद देश उस सपने और दूरदर्शिता को साकार करने के लिए आगे बढ़ा जो हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के संस्थापक थे

कल्पना की गई। भारत के संविधान में जीवन के अधिकार सहित विभिन्न मौलिक अधिकारों की गणना के अलावा निर्देश *[2018] 8* एस. सी. आर. का प्रावधान किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान के अध्याय *IV* के तहत राज्य नीति के सिद्धांत जो देश के शासन में उद्देश्यों को खोजना था। अनुच्छेद *38* में प्रावधान किया गया है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावी ढंग से सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करेगा। इसने आगे प्रावधान किया कि राज्य, विशेष रूप से, आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, और न केवल व्यक्तियों के बीच, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के समूहों के बीच भी स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा।

व्यवसाय।

201. संविधान लागू होने के बाद लगभग सभी

202. आधार अधिनियम की धारा *7* आधार अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसके इर्द-गिर्द आधार अधिनियम की पूरी संरचना है बनाया गया है। धारा *7* निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" *7.* केंद्र सरकार या, जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार, सब्सिडी, लाभ या सेवा की प्राप्ति के लिए एक शर्त के रूप में किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से, जिसके लिए व्यय किया जाता है, या उससे प्राप्त रसीद भारत की संचित निधि का हिस्सा है, यह अपेक्षा कर सकती है कि ऐसा व्यक्ति प्रमाणीकरण से गुजरता है, या कब्जे का प्रमाण प्रस्तुत करता है।

आधार संख्या या किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे कोई आधार संख्या नहीं दी गई है, ऐसा व्यक्ति नामांकन के लिए आवेदन करता हैः बशर्ते कि यदि किसी व्यक्ति को आधार संख्या नहीं दी जाती है, तो व्यक्ति को दी जाएगी।

सब्सिडी, लाभ या सेवा के वितरण के लिए पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन।

203. अधिनियम के उद्देश्य और कारण, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, और साथ ही अधिनियम की प्रस्तावना, वित्तीय और वित्तीय संसाधनों के लक्षित वितरण पर केंद्रित है।

अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाएं जो धारा *7* में परिकल्पित हैं। याचिकाकर्ता धारा *7* की संवैधानिकता को चुनौती देते हैं। उनका कहना है कि धारा *7* लाभ, सब्सिडी और सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य के संवैधानिक और वैधानिक दायित्वों को प्रदान करने का प्रयास करती है।

एक व्यक्ति जो अपने बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय के साथ अलग हो रहा है जानकारी दी। किसी व्यक्ति के अधिकारों और अधिकारों को न्याय के. एस. पुत्रस्वामी *(आर. ई. टी. डी.) v* नहीं बनाया जा सकता है।

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

उसकी या उसकी शारीरिक अखंडता और उसके आक्रमण पर निर्भर निजी जानकारी जो व्यक्ति राज्य के साथ साझा करने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। धारा *7* में अंतर्निहित सौदा एक अनुचित है,

असंवैधानिक सौदा। एक व्यक्ति को लाभ, सब्सिडी और सेवाएं प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार है जो मौलिक अधिकार है और उस मौलिक अधिकार की पूर्ति के लिए प्रावधान करना राज्य का दायित्व है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि धारा *7* के अधिनियमन में कोई तर्क नहीं है न तो कोई वैध राज्य हित था और न ही प्रावधान आनुपातिक है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि लाभों/सेवाओं/अधिकारों का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रमाणीकरण से गुजरने की आवश्यकता का प्रावधान अनुच्छेद *14* के खिलाफ है। चूंकि, सबसे पहले इस तरह के अनिवार्य प्रमाणीकरण ने कारण बनाया है, और जारी है, समाज के सबसे हाशिए पर पड़े वर्ग का बहिष्कार; और दूसरी बात यह है कि यह बहिष्कार केवल खराब कार्यान्वयन का सवाल नहीं है जिसे प्रशासनिक रूप से हल किया जा सकता है, बल्कि अधिनियम की रचना से ही उत्पन्न होता है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने उनकी प्रस्तुतियों के समर्थन में कई सामग्रियों का उल्लेख किया है और उन पर भरोसा किया है कि धारा *7* के काम करने से बहिष्कार हुआ है। चूंकि बड़ी संख्या में लोग जो लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, सब्सिडी और सेवाएं वृद्धावस्था, बायोमेट्रिक परिवर्तन और अन्य कारणों से प्रमाणित करने में सक्षम नहीं होने के कारण इसे प्राप्त करने में असमर्थ हैं। याचिकाकर्ताओं ने कई व्यक्तियों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा दायर हलफनामों का उल्लेख किया है जो क्षेत्र सत्यापन के बाद इस अदालत के समक्ष सामग्री लाए हैं ताकि बड़े पैमाने के संबंध में अपनी प्रस्तुति का समर्थन किया जा सके।

पैमाने का बहिष्करण। यह आगे तर्क दिया जाता है कि राज्य का यह तर्क कि अधिसूचना दिनांक *1* ने जारी किए गए कार्यान्वयन को हल कर दिया है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आधार अधिनियम में प्रमाणीकरण प्रणाली संभावित है। "आधार प्रविष्टि में बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी की भूमिका" *(2012)* पर यू. आई. डी. ए. आई. की अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी सटीकता की गारंटी नहीं देती है और यह गलत है, जिसमें कहा गया है कि दर को दर्ज करने में बायोमेट्रिक विफलता के लिए लेखांकन के बाद बायोमेट्रिक सटीकता गलत है।

सकारात्मक पहचान दर, और गलत नकारात्मक पहचान दर, *99.768%* सटीकता थी। आधार में पंजीकृत *119.22* करोड़ से अधिक आबादी के लिए, यह इस तथ्य की एक चौंकाने वाली स्वीकारोक्ति है कि *27.65* लाख लोग हैं जो आधार से जुड़े लाभों से बाहर हैं। यह तर्क दिया जाता है कि किसी अधिनियम की वैधता को उसके उद्देश्य या रूप से नहीं, बल्कि मौलिक अधिकारों पर उसके प्रभाव से आंका जाना चाहिए। उपयोग के बिंदु पर अनिवार्य प्रमाणीकरण अनुच्छेद *21* का उल्लंघन करता है। यह तर्क दिया जाता है कि सरकार अनुच्छेद *21* के

तहत सबूत के अपने बोझ का निर्वहन करने में विफल रही है। राज्य आनुपातिकता की कसौटी को पूरा करने में भी विफल रहा है जो धारा *7* बनाता है।

असंवैधानिक है।

205. विद्वान महान्यायवादी ने राज्य के वैध उद्देश्य को सही ठहराने के लिए अभिलेख पर सामग्री का उल्लेख किया है जिसके कारण धारा *7* को लागू किया गया। विद्वान महान्यायवादी ने *2000* की रिपोर्ट संख्या *3* का उल्लेख किया भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उत्तरदाताओं की ओर से सामान्य अतिरिक्त हलफनामे के अनुबंध आर-*I* के रूप में दर्ज किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि *13* राज्यों में *1* करोड़ *93* लाख फर्जी राशन कार्ड प्रचलन में पाए गए थे। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सब्सिडी वाले खाद्य-अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खुले बाजार में स्थानांतरित होने के कारण लाभार्थियों तक नहीं पहुंचा। भारत के योजना आयोग की निष्पादन रिपोर्ट शीर्षक

"लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली *(*टी. पी. डी. एस.*)* की मार्च, *2005* की निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट जिसे इस प्रकार दर्ज किया गया है - उत्तरदाताओं की ओर से सामान्य अतिरिक्त शपथ पत्र के अनुलग्नक-आर-*6* में निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:

आई.

विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त राशन कार्डों का राज्यवार आंकड़ा और

1. 5 करोड़ से अधिक अतिरिक्त राशन कार्ड जारी किए गए

ii. काल्पनिक घरों का प्रयोग और पहचान की त्रुटियाँ

जिससे वास्तविक लाभार्थियों को बाहर किया जा सके।

iii. अध्ययन के तहत लगभग सभी राज्यों में भूतिया बी. पी. एल. राशन कार्डों के माध्यम से रिसाव प्रचलित पाया गया। *[* पेज। *369* सी ए ए*)*

भूत कार्ड के माध्यम से खाद्यान्न का रिसाव हुआ है

iv.

सारणीबद्ध और अखिल भारतीय आधार पर इस तरह के रिसाव का प्रतिशत *16.67% [Pg.370* का अनुमान लगाया गया है।

यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सब्सिडी वाले खाद्यान्न का एक बड़ा हिस्सा

वी.

लक्ष्य समूह तक नहीं पहुँच रहे थे।

206. कुछ सब्सिडी के बारे में इसी तरह की रिपोर्टें संदर्भित की गई हैं।

और भरोसा किया।

207. विद्वान महान्यायवादी ने वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा प्रस्तुत और ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित रिपोर्ट पर भी भरोसा किया है, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए दरों की अनुसूची का अध्ययन करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के विभिन्न पहलुओं की जांच की गई है। उत्तरदाताओं की ओर से सामान्य अतिरिक्त शपथ पत्र के पैराग्राफ *12.8 (*अननेसर आर*-4)* में निम्नलिखित कहा गया हैः

2. "नकली कार्ड बनाने में बड़ी धोखाधड़ी हुई, मस्टर रोल ठीक से बनाए नहीं रखे गए और कभी-कभी नौकरी चाहने वालों को काम नहीं दिया जाता था। कई मामलों में, यह पाया गया कि श्रमिकों ने एक दिन का काम किया, लेकिन उनकी उपस्थिति *33* दिनों के लिए रखी गई थी। श्रमिकों को एक दिन के लिए पैसे मिले जबकि *32* दिनों के वेतन का एनआरईजीएस के कामकाज से जुड़े लोगों द्वारा दुरुपयोग किया गया।

208. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की "ए कॉस्ट-बेनेफिट एनालिसिस ऑफ आधार" की दिनांकित एक अन्य रिपोर्ट

अनुमान है कि भूतिया श्रमिकों और हेरफेर किए गए मस्टर रोल के कारण सरकार को लगभग *12* प्रतिशत का रिसाव हो रहा है। अध्याय *12* में दिसंबर, *2000* की तेरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में कहा गया हैः

"देश के सभी निवासियों के लिए एक बायोमेट्रिक आधारित विशिष्ट पहचान के निर्माण में सरकार की आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल पात्र व्यक्तियों को सब्सिडी और लाभ प्रदान किए जाएं और सभी पात्र व्यक्तियों को शामिल किया जाए। *"[2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

209. विद्वान महान्यायवादी ने अपने मामले की पुष्टि करने के लिए कई अन्य रिपोर्टों को संदर्भित किया है और उन पर भरोसा किया है कि सब्सिडी का बड़ा रिसाव और चोरी हुई थी जो सरकार द्वारा आवंटित की गई थी। विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार।

210. इस न्यायालय के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर विचार करने का अवसर था

पी. यू. सी. एल बनाम। भारत संघ, *(2011) 14* एस. सी. सी. *331,* न्यायालय ने इस न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. पी. वाधवा की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समिति द्वारा सुझाए गए कार्यों में से एक को पैराग्राफ *2* और *12,* घटक *II* में देखा गया थाः

" 2. इस प्रणाली को पूरे देश में लागू करने के लिए,

समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यों का सुझाव दिया गया हैः

.....

घटक *II:* उचित मूल्य दुकान स्तर पर वितरण और भुगतान का इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक कार्ड धारक को उसका उचित हक मिल रहा है, कम्प्यूटरीकरण

सचमुच हर दरवाजे तक पहुंचना पड़ता है और इसमें लंबा समय लग सकता है। इसके अलावा, कई राज्यों ने पहले ही स्मार्ट कार्ड, खाद्य कूपन आदि को लागू करना शुरू कर दिया है जो पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं। इन विरासत प्रणालियों को फिर से तैयार करना और इसे भोजन-अनाज के समय ऑनलाइन आधार प्रमाणीकरण के साथ बदलना।

12. जहां तक संभव हो, राज्य सरकारों को घटक *2* के कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया को इसके साथ जोड़ने का निर्देश दिया जाना चाहिए।
आधार पंजीकरण। इससे प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।

बायोमेट्रिक संग्रह के साथ-साथ प्रमाणीकरण। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को यू. आई. डी. *(*आधार*)* नामांकन के हिस्से के रूप में देश भर के विभिन्न पंजीयकों द्वारा किए जा रहे डेटा संग्रह अभ्यास में पी. डी. से संबंधित के. वाई. आर. + क्षेत्र को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

211. इस न्यायालय ने फिर से उसी कार्यवाही में पी. यू. सी. एल. बनाम भारत संघ, *(2013) 14* एस. सी. सी. पर एक और निर्णय पारित किया।

368 जिसमें पैराग्राफ *2* और *4* में निम्नलिखित कहा गया थाः

" 2. एक आम सहमति प्रतीत होती है कि कम्प्यूटरीकरण से देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बड़े पैमाने पर मदद मिलने वाली है। हलफनामे में कहा गया है कि खाद्य न्याय विभाग के. एस. पुटसवामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

और सार्वजनिक वितरण विभाग राज्यों से नकली/डुप्लिकेट राशन कार्डों को खत्म करने के लिए विशेष अभियान चलाने का आग्रह कर रहा है और इसके परिणामस्वरूप *2006* से अब तक *1* लाख राशन कार्ड समाप्त कर दिए गए हैं और खाद्यान्न सब्सिडी की वार्षिक बचत लगभग *8200* करोड़ रुपये प्रति वर्ष हो गई है।

हलफनामे में आगे यह उल्लेख किया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंत से अंत तक कम्प्यूटरीकरण में डिजिटलीकरण का निर्माण और प्रबंधन शामिल है।

बायोमेट्रिक पहचान सहित लाभार्थी डेटाबेस
लाभार्थी, टी. पी. डी. एस. वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन

4. हलफनामे में आगे यह उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार ने यू. आई. डी. ए. आई. के अध्यक्ष श्री नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक कार्य बल का गठन किया है, जो इनमें से कुछ की सिफारिश करेगा। अन्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए एक आईटी रणनीति। हम श्री नंदन नीलेकणी से अनुरोध करते हैं कि वे हमें ऐसे तरीके और साधन सुझाएं जिनके द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। श्री नंदन नीलेकणी द्वारा आज से चार सप्ताह के भीतर एक संक्षिप्त रिपोर्ट/हलफनामा दायर किया जाए।

उपरोक्त संबंध में दावे। जिन कारणों से धारा *7* को लागू किया गया कि लाभ और सब्सिडी काफी हद तक डायवर्ट किए गए हैं और उन तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं, भले ही बचत पर्याप्त नहीं थी, लेकिन कम थी। *213.* सरकार द्वारा रिकॉर्ड में लाई गई रिपोर्ट और सामग्री राज्य के वैध उद्देश्य को पूरी तरह से प्रदर्शित करती है।

धारा *7* को अधिनियमित करना। फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम में यह न्यायालय। प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और अन्य, *1981 (1)* एस. सी. सी. *608* ने अनुच्छेद *21* के तहत जीवन के अधिकार के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि जीवन के अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार और उसके साथ जाने वाली सभी चीजें जैसे पर्याप्त पोषण, कपड़े और आश्रय जैसी जीवन की आवश्यकताएं शामिल हैं।

214. मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के तहत संयुक्त राष्ट्र यह भी स्वीकार करता है कि सभी को सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के अनुसार जीवन स्तर का अधिकार है

जिसमें भोजन, कपड़े, आवास और चिकित्सा देखभाल शामिल हैं। *1948* में की गई घोषणा का अनुच्छेद *25* इस प्रकार है:

" *25.1* प्रत्येक व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार है, जिसमें भोजन, कपड़े, आवास और चिकित्सा देखभाल शामिल हैं।

आवश्यक सामाजिक सेवाएँ और बेरोजगारी, बीमारी, अक्षमता, विधवा, वृद्धावस्था या अन्य स्थितियों में सुरक्षा का अधिकार।
उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों में आजीविका की कमी।

215. अंग्रेजी लेखक, जॉन बर्गर ने कहा:

"हमारी सदी की गरीबी किसी भी अन्य गरीबी से अलग है। यह, जैसा कि पहले गरीबी थी, प्राकृतिक कमी का परिणाम नहीं है, बल्कि अमीरों द्वारा शेष दुनिया पर थोपी गई प्राथमिकताओं का एक समूह है। नतीजतन, आधुनिक गरीबों पर दया नहीं की जाती है. बल्कि उन्हें इस रूप में लिखा जाता है

कचरा "।

216. गरीबों की पहचान, जैसा कि जॉन बर्जर ने उल्लेख किया था, मानवाधिकारों की संयुक्त राष्ट्र घोषणा के साथ-साथ भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को साकार करने की दिशा में पहला कदम है। आधार अधिनियम पहचान की एक ऐसी प्रक्रिया को अस्तित्व में लाता है जो अन्य पहचान प्रमाणों की तुलना में अधिक सटीक है। *217.* इस स्तर पर, हमें एक और निवेदन पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा उठाया गया था। इसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है

विद्वान महान्यायवादी ने कहा कि आधार अधिनियम की धारा *7* के तहत सब्सिडी और लाभ अनुच्छेद *21* से पता लगाने योग्य हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि धारा *7* के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले अधिकारों को निजता के अधिकार के खिलाफ जोड़ा जाता है, तो पहला बाद वाले पर हावी होगा। मुद्दा यह है कि क्या राज्य अनुच्छेद *21* के तहत परिकल्पित भोजन और आश्रय के अधिकार को जीवित करके निजता के अधिकार का अतिक्रमण करता है*?* वहाँ

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकारों के बीच अंतर-संघर्ष हो सकता है। न्यायालय को दोनों मौलिक अधिकारों के प्रयोग के लिए पर्याप्त जगह छोड़ने के लिए संतुलन बनाने का प्रयास करना होगा।

218. यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि मौलिक अधिकारों को संतुलित करते हुए एक अधिकार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हम देख सकते हैं कि गोपनीयता निर्णय यानी पुट्टास्वामी मामले ने पैराग्राफ *266* में विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा उठाए गए इस तर्क को निम्नलिखित शब्दों में नोटिस किया है और पहले ही खारिज कर दिया है:

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

"*266.* महान्यायवादी ने हमारे समक्ष तर्क दिया कि राज्य द्वारा प्रदान किए गए कल्याणकारी अधिकारों के हित में निजता के अधिकार को त्याग दिया जाना चाहिए। हमारे विचार में, यह निवेदन कि गोपनीयता का अधिकार एक अभिजात्य निर्माण है जो इससे अलग है

शेष समाज का गठन करने वाले बड़े बहुमत की ज़रूरतें और आकांक्षाएं टिकाऊ नहीं हैं। यह प्रस्तुतिकरण विश्वासघात करता है *a*

संवैधानिक स्थिति की गलतफहमी। हमारा संविधान व्यक्ति को अपने फोकस में सबसे आगे रखता है, भाग *III* में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की गारंटी देता है और भाग *IV* में सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को प्राप्त करने की आकांक्षा को मूर्त रूप देता है। यह कथन कि गरीबों को किसी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की आवश्यकता नहीं है और वे केवल आर्थिक कल्याण से संबंधित हैं, इतिहास के माध्यम से मानवाधिकारों के सबसे गंभीर उल्लंघन को रोकने के लिए उपयोग किया गया है।

219. आधार प्रमाणीकरण को लक्षित करने वाले याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई दलीलों में से एक यह है कि आधार संरचना के तहत बायोमेट्रिक प्रणाली संभावित है। बायोमेट्रिक तकनीक *100%* सटीकता की गारंटी नहीं देती है और यह अपरिहार्य गलत सकारात्मक और गलत नकारात्मक के साथ दोषपूर्ण है जो इस तरह की संभावित प्रणाली की डिजाइन खामियां हैं। हमने ऊपर यू. आई. डी. ए. आई. की वर्ष *2012* की रिपोर्ट पर निर्भरता का उल्लेख किया है जहाँ यू. आई. डी. ए. आई. ने स्वयं दावा किया है कि बायोमेट्रिक सटीकता *99.768%* थी। तब से याचिकाकर्ता अभी भी इसकी आलोचना कर रहा है। *232 %* ऐसी विफलताएँ हैं जो *27.65* लाख लोगों के लिए आती हैं जो आधार से जुड़े लाभों से बाहर हैं। याचिकाकर्ता का उपरोक्त निवेदन एक की अनदेखी करता है। मामले का पहलू जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा तर्क दिया गया है कि जहां किसी व्यक्ति का बायोमेट्रिक गलत मिलान है, यहां तक कि आधार संख्या भी सब्सिडी और लाभों के वितरण के लिए पर्याप्त मानी जाती है। इस प्रकार, आधार कार्ड का भौतिक रूप से होना ही बायोमेट्रिक गलत मिलान को कम कर सकता है। हालाँकि, पहचान के अन्य प्रमाण को स्वीकार करने के लिए गलत मिलान उपकरणों के मामले में, उत्तरदाताओं ने यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा जारी किए गए परिपत्र दिनांक *24.10.2017* का उल्लेख किया है। परिपत्र दिनांकित

24.10.2017 याचिकाकर्ताओं द्वारा यह कहते हुए आलोचना की गई है कि अधिकार के उल्लंघन को प्रशासन की अनियमितताओं पर नहीं छोड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता

उपरोक्त प्रस्तावों पर विवाद। यह सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो। धारा *7* है -

एक सक्षम प्रावधान जो राज्य सरकार को आवश्यकता के लिए सशक्त बनाता है

सरकार और राज्य सरकार को इस घटना में पढ़ा जा सकता है कि किसी व्यक्ति या लाभार्थी का प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, उसे सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट प्रदान नहीं की जानी चाहिए

अनुदान और लाभ या सेवाएँ। इस प्रावधान को एक सक्षम प्रावधान के रूप में जोड़ा गया है, लेकिन इसे प्रमाणीकरण की विफलता की स्थिति में सब्सिडी, लाभ या सेवाएं देने को नकारने के प्रावधान के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। हमारा विचार है कि *24.10.2017* दिनांकित परिपत्र जो एक अंतराल को भरता है और लाभों और सब्सिडी के वितरण को सुविधाजनक बनाने वाला एक निर्देश है, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है।

220. अब हम याचिकाकर्ताओं द्वारा उनके इस कथन के समर्थन में दिए गए बहिष्करण के तर्कों पर आते हैं कि बहिष्करण धारा बनाता है। *7* अनुच्छेद *14* और *21* का मनमाना और उल्लंघनकारी। पक्षों द्वारा अभिलेख पर लाई गई सामग्री से, हमारे पास संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि प्रमाणीकरण की विफलता के कारण कुछ व्यक्तियों को इनकार किया गया है। अभिलेख पर यह इंगित करने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि आधार योजना के प्रवर्तन से पहले कई कारणों से वास्तविक लाभार्थियों को लाभ और सब्सिडी से बड़ी संख्या में इनकार किया गया था जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। योग्य व्यक्तियों को लाभ और सब्सिडी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई योजना का संचालन देश के कोने-कोने में चलने वाली एक बड़े पैमाने की योजना है। जब सरकार की ऐसी योजना को लागू किया जाता है, तो यह असामान्य नहीं है कि इसमें

खामियां और कुछ इनकार हो सकते हैं। अभिलेख पर यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अधिनियम के प्रवर्तन से पहले योग्य लाभार्थियों की प्राप्ति न होने की तुलना में, अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद विफलता में वृद्धि हुई है। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा बताए गए बहिष्करण के कुछ मामले धारा *7* को ही मनमाना और अनुच्छेद *14* और *21* का उल्लंघन करते हैं। खामियों और कमियों को हर प्रणाली से दूर करना है और यह किया गया है

विद्वान महान्यायवादी के साथ-साथ यू. आई. डी. ए. आई. के विद्वान वकील द्वारा निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया गया कि जब भी कार्यान्वयन में कठिनाइयों और इनकार के मामलों को ध्यान में लाया जाता है, तो उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं। उत्तरदाता अभी भी इस तरह के उपचारात्मक उपाय करने के लिए तैयार हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योग्य व्यक्तियों को सब्सिडी से इनकार न किया जाए। हालाँकि, हमारा विचार है कि योग्य व्यक्तियों को लाभ और सब्सिडी देने से इनकार करना एक गंभीर चिंता का विषय है और संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन है। इससे हर स्तर पर निपटना होगा और प्रशासन को खुद को तैयार करना होगा और कार्यान्वयन प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने के लिए खुद को तैयार करना होगा कि सही लाभार्थियों को उन संवैधानिक लाभों से वंचित न किया जाए जिन्हें मान्यता दी गई है और जिन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं द्वारा लागू किया जा रहा है। सरकार और यू. आई. डी. ए. आई. दोनों को भारत सरकार की धारा *53* और *54* के तहत नियम और विनियम बनाने का पूरा अधिकार है।

केंद्र सरकार द्वारा धारा *53* के तहत शक्ति का प्रयोग करके क्रमशः आधार अधिनियम और बहिष्करण का ध्यान रखा जाना चाहिए और न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

ऐसी कमियों और इनकार को दूर करने के लिए यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा धारा *54* के तहत। हमें यकीन है कि केंद्र सरकार और यू. आई. डी. ए. आई. दोनों बहिष्करण कारकों को बढ़ावा देंगे।

221. हम ओटिस आर. बोवेन, स्वास्थ्य और मानव सेवा सचिव आदि में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी देख सकते हैं। बनाम।

स्टीफन जे. रॉय और अन्य। *, 476* यूएस *693 (1986)*। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कानूनी आवश्यकता है कि एक राज्य एजेंसी विचाराधीन कार्यक्रमों को प्रशासित करने में सामाजिक सुरक्षा संख्याओं का उपयोग करती है, यह मुक्त अभ्यास खंड का उल्लंघन नहीं करता है। अपीलार्थियों ने आश्रित बच्चों वाले परिवारों की सहायता कार्यक्रम और खाद्य टिकट कार्यक्रम के तहत आवेदन किया और लाभ प्राप्त किए। हालाँकि, उन्होंने इस आवश्यकता का पालन करने से इनकार कर दिया कि इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले अपनी राज्य कल्याण एजेंसियों को लाभ प्राप्त करने की शर्त के रूप में अपने घर के सदस्यों के सामाजिक सुरक्षा नंबर प्रदान करें। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया था कि उनकी *2* साल की बेटी के लिए सामाजिक सुरक्षा संख्या प्राप्त करना उनकी मूल अमेरिकी धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन होगा। सामाजिक संख्या देने से इनकार करने पर, अपीलार्थियों को देय लाभ समाप्त कर दिए गए। अपीलार्थियों के दावे को खारिज कर दिया गया। अपीलार्थियों द्वारा उठाई गई चुनौती को निम्नलिखित शब्दों में देखा गयाः

"अपीलार्थी यहाँ वैधानिक योजना की दो विशेषताओं को संवैधानिक चुनौती देते हैं। *4* वे कांग्रेस की इस आवश्यकता पर आपत्ति जताते हैं कि एक राज्य ए. एफ. डी. सी. योजना को "आवश्यक होना चाहिए. *(ए)*

यह प्रावधान करते हैं कि, योजना के तहत पात्रता की शर्त के रूप में, सहायता के लिए प्रत्येक आवेदक या प्राप्तकर्ता राज्य एजेंसी को अपना सामाजिक सुरक्षा खाता प्रस्तुत करेगा।

संख्या "। *42* यू. एस. सी. *§ 602 (ए) (25) (*जोर जोड़ा गया*)*। वे कांग्रेस की इस आवश्यकता पर भी आपत्ति जताते हैं कि ऐसी राज्य एजेंसी

ऐसे खाता संख्या का उपयोग करें। . . ऐसी योजना के प्रशासन में। " आइबीआइडी। *(* जोर दिया गया*)*। *5* हम इनमें से प्रत्येक का विश्लेषण करते हैं।

विवाद, पहले बाद के विवाद की ओर मुड़ें "।

222. अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदान करने की आवश्यकता को बरकरार रखा

सामाजिक सुरक्षा संख्या। निम्नलिखित देखा गया हैः

"यहाँ शामिल सामान्य सरकारी हित इसे पुष्ट करते हैं।

निष्कर्ष। आज सरकारें व्यापक स्तर पर लाभ प्रदान करती हैं।

अपरिहार्य रूप से एक ही समय में परिसर का प्रशासन

कार्यक्रमों के लिए कुछ शर्तों और प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। हालांकि कुछ स्थितियों में व्यक्तिगत विचार के लिए एक तंत्र बनाया जाएगा, एक सरकार द्वारा एक नीतिगत निर्णय कि वह सभी आवेदकों के साथ समान व्यवहार करना चाहती है और यह कि वह *[2018] 8* एस. सी. आर. नहीं बनना चाहती है।

ऐसी शर्त या प्रतिबंधों के प्रति प्रत्येक धार्मिक आपत्ति की वास्तविकता की मामले-दर-मामले जांच में शामिल होने का अधिकार है -

महत्वपूर्ण सम्मान। इसके अलावा, वैध हित हैं

पक्ष लेने की किसी भी उपस्थिति से बचने की आवश्यकता में शामिल

गैर-धार्मिक आवेदकों पर धार्मिक।

परीक्षण विस्कॉन्सिन बनाम जैसे मामलों में लागू किया गया। योडर, अमेरिका *205,92* एस. सी. टी. *1526, 32 L.Ed.2d 15 (1972),* इस सेटिंग में उपयुक्त नहीं है। एक चेहरे तटस्थ और समान रूप से लागू के प्रवर्तन में

लाखों लोगों तक पहुंचने वाले कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रशासन के लिए आवश्यकता, सरकार व्यापक रूप से हकदार है

अक्षांश। सरकार को लागू किए गए सख्त परीक्षण के लिए नहीं रखा जाना चाहिए

जिला न्यायालय द्वारा; उस मानक के लिए सरकार की आवश्यकता थी

सामाजिक सुरक्षा संख्या के उपयोग के प्रवर्तन को उचित ठहराएँ

एक को पूरा करने के सबसे कम प्रतिबंधात्मक साधन के रूप में आवश्यकता

बाध्यकारी राज्य हित। *17* इरादे का कोई सबूत नहीं

विशेष धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ या सामान्य रूप से धर्म के खिलाफ भेदभाव करते हुए, सरकार अपने बोझ को पूरा करती है जब यह प्रदर्शित करती है कि सरकारी लाभों के लिए एक चुनौतीपूर्ण आवश्यकता, इसके अनुप्रयोग में तटस्थ और समान, बढ़ावा देने का एक उचित साधन है।

एक वैध सार्वजनिक हित "।

223. न्यूयॉर्क राज्य के उच्चतम न्यायालय के अपीलीय प्रभाग का एक अन्य मामला जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है -

नान वी। विंग, *664* एन. वाई. *2* डी *865*। उपरोक्त मामले में याचिकाकर्ता

आश्रित बच्चों वाले परिवारों के लिए सहायता के परिणाम, के तथ्य

से को निम्नलिखित शब्दों में देखा गया हैः

"याचिकाकर्ता और उनके चार नाबालिग बच्चे विभागीय बच्चों वाले परिवारों को सहायता *(*इसके बाद ए. डी. सी.*) (*सामाजिक सेवा कानून *343* और एस. ई. क्यू.*)* और ब्रूम से खाद्य टिकटों के प्राप्तकर्ता हैं।
काउंटी सामाजिक सेवा विभाग *(*इसके बाद

विभाग*)*। फरवरी *1996* में, याचिकाकर्ताओं को नोटिस प्राप्त हुआ

विभाग कि उन्हें एक पहचान में भाग लेना था

धार्मिक विश्वास। उत्तरदाता आयुक्त इसके बाद विभाग ने अपने एडीसी और खाद्य टिकट को बंद कर दिया।

अनुपालन करने में विफलता के लिए अधिकार "। जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

224. याचिकाकर्ताओं ने स्वचालित उंगली इमेजिंग प्रणाली के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रिया द्वारा पहचान सत्यापन में भाग लेने से इनकार कर दिया।

लाभों के लिए पात्रता की शर्त। फिंगर इमेजिंग द्वारा सत्यापन की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित निर्धारित किया गया थाः

"हमने याचिकाकर्ताओं के संवैधानिक दावों की जांच की है और पाया है कि वे बिना योग्यता के हैं। हमारे विचार में, याचिकाकर्ताओं की विफलता एक व्यवहार्य दावे को स्पष्ट करने में है कि उन्हें भाग लेने की आवश्यकता है

एक आक्रामक प्रक्रिया में जो उनकी धार्मिक मान्यताओं द्वारा निषिद्ध है, उनके उल्लंघन का दावा करने वाले उनके तर्कों का निर्विकार है

संघीय और राज्य संविधानों के अनुसार अपने धर्म का प्रयोग करने की स्वतंत्रता *(*यू. एस. प्रथम संशोधन; एन. वाई. कॉन्स्ट, अनुच्छेद *I, 3)*। हम याचिकाकर्ताओं के इस तर्क से भी असंतुष्ट हैं कि विभाग ने एनवाई संविधान, अनुच्छेद *XVII, 1 (*जो प्रदान करता है कि जरूरतमंदों की सहायता और देखभाल सार्वजनिक चिंताएं हैं और राज्य द्वारा प्रदान की जाएगी*)* का उल्लंघन किया है।

संवैधानिक प्रावधान कहा गया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं के तर्कों के विपरीत, उनकी पूरी परिवार इकाई को सार्वजनिक सहायता बंद करना *(*देखें, *18* एनवाईसीआरआर *352.30) (245* एडी. *2* डी *637)* उनके बच्चों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है।
(जिनका नाम पूरे परिवार की पात्रता पर परिवार इकाई के भीतर बच्चों की पात्रता को पूर्ववत करने वाले वैध कानून के आलोक में याचिकाकर्ता नहीं है *(*देखें, जेसुप बनाम डी 'एलिया का मामला, *69* एन. वाई. *2* डी *1030)*।

225. एक अन्य निर्णय जिस पर उत्तरदाताओं द्वारा भरोसा किया गया है, वह है डोरिस मैकएलराथ बनाम। जोसेफ ए. कैलिफानो, जूनियर, स्वास्थ्य सचिव, शिक्षा और कल्याण, *615* एफ. *2* डी *434*। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, *1935* के तहत, संघीय और राज्य सहयोग का एक सार्वजनिक सहायता कार्यक्रम जो जरूरतमंद आश्रित बच्चों और माता-पिता या रिश्तेदारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिनके साथ वे रहते हैं, उन शर्तों में से एक जो जोड़ी गई थी ताकि योजना के तहत पात्रता की शर्त के रूप में, सहायता के लिए प्रत्येक आवेदक या प्राप्तकर्ता राज्य एजेंसी को अपनी सामाजिक सुरक्षा खाता संख्या प्रदान करेगा। अपीलार्थी के तर्क को पैराग्राफ *11* में देखा गया था जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

" [11] अपील पर अपीलार्थियों का प्रमुख तर्क यह है कि संघीय और राज्य विनियमों में आश्रित बच्चों को *[2018] 8* एस. सी. आर. की आवश्यकता होती है।

ए. एफ. डी. सी. लाभों के लिए पात्रता की शर्त के रूप में सामाजिक सुरक्षा खाता संख्या प्राप्त करना और जमा करना वैधानिक रूप से अमान्य है।

सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के साथ असंगत और अधिकृत नहीं। हम इस तर्क के समर्थन में दिए गए तर्कों को बिना योग्यता के पाते हैं और मानते हैं कि चुनौती दिए गए विनियम

द्वारा अनिवार्य पात्रता की एक वैध शर्त का गठन सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के तहत कांग्रेस। एकॉर्ड, चैंबर्स बनाम।

क्लेन, *419* एफ. सप. *569 (* डी. एन. जे. *1976)*। , *564* एफ. *2* डी *89 (3* डी सिर। *1977);* ग्रीन बनाम। फिलब्रुक, *576* एफ. *2* डी *440 (2* डी सिर। *1978);* आर्थर बनाम। सामाजिक और स्वास्थ्य सेवा विभाग, *19* डब्ल्यू. एन. ऐप. *542 , 576* पी. *2* डी *921 (1978)*। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जिला अदालत ने अपीलार्थियों की वैधानिक अयोग्यता को उचित रूप से खारिज कर दिया

एक दावा बताने में विफलता के लिए आरोप जिस पर राहत दी जा सकती है

दिया गया "।

226. अपीलार्थी ने यह भी तर्क दिया था कि सामाजिक प्रकटीकरण

y खाता संख्या गोपनीयता के उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।

तर्क को खारिज कर दिया गया। निम्नलिखित तर्क को अस्वीकार करते हुए

पैराग्राफ *20* में लिखा हैः

" [20] अंत में, अपीलकर्ताओं का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा

निजता और कानून के समान संरक्षण के लिए संवैधानिक अधिकार। हम असहमत हैं। निजता के अधिकार की संवैधानिक गारंटी

केवल उन व्यक्तिगत अधिकारों को शामिल करता है जिन्हें माना जा सकता है

"मौलिक "या" आदेशित स्वतंत्रता की अवधारणा में निहित "। रो वी. वेड,*: 410* अमेरिका *113,152,93* एस. सी. टी. *705, 726, 35 L.Ed.2d 147 (1973)*। यह समान रूप से सर्वसम्मत है कि "कल्याणकारी लाभ मौलिक अधिकार नहीं हैं। . . . " लैविन वी. मिल्ने, *424* यू. एस. *577*

584 , एन. *9* , *96* एस. सी. *1010, 1015, 47 L.Ed.2d 249 (1976)*।

तदनुसार, हम श्रीमती मैकलराथ के निर्णय को मानते हैं कि क्या

या उसके दोनों के लिए सामाजिक सुरक्षा खाता संख्या प्राप्त करने के लिए नहीं

न तो मौलिक अधिकार और न ही अवधारणा में निहित अधिकार स्वतंत्रता का आदेश दिया। चैंबर्स वी। क्लेन, *419* एफ. सप. *569 , 583 (* डी. एन. जे. *1976)*। *564* एफ. *2* डी *89 (3* डी सिर। *1977)*। यह मामला अपीलार्थियों की गोपनीयता को प्रभावित करने वाले निर्णय से संबंधित नहीं है।

आपराधिक प्रतिबंधों या पूर्ण निषेध के परिमाण पर

अपीलार्थियों के आचरण पर। देखिए, ई। जी। , ग्रिसवोल्ड वी. कनेक्टिकट,*: 381* अमेरिका *479,85* एस. सी. टी. *1678, 14 L.Ed.652d 510 (1965);* आइजेनस्टैड जस्टिस के एस पुटास्वामी *(RETD) v.*

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

वी. बेयर्ड,*: 405* अमेरिका *438,92* एस. सी. टी. *1029, 31 L.Ed.2d 349 (1972)*। बल्कि, यह ए. एफ. डी. सी. पात्रता की शर्त से संबंधित है और अनुपालन न करने के लिए एकमात्र दंड निश्चित रूप से त्याग करना है।

सरकारी लाभ। सीधे शब्दों में कहें तो अपीलकर्ताओं का अपनी सूचनात्मक शर्तों पर कल्याणकारी लाभ प्राप्त करने का दावा संवैधानिक गारंटी के स्तर तक नहीं बढ़ता है। इसके अलावा, यह तर्क कि किसी के सामाजिक सुरक्षा खाता संख्या का खुलासा गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करता है, अन्य संबंधित संदर्भों में लगातार खारिज किया गया है। देखें, उदाहरण के लिए, कैंटर बनाम। सर्वोच्च न्यायालय का

पेन्सिलवेनिया, *353* एफ. सप. *1307 , 1321-22 (E.D.Pa। 1973);* कॉनेंट

वी. हिल, *326* एफ. सप. *25 , 26 (E.D.Va। 1971)*। "

227. ऊपर उल्लिखित निर्णयों के रुझानों से संकेत मिलता है कि

पहचान या विशेष पहचान संख्या का खुलासा करने के लिए

राज्य से लाभ प्राप्त करना किसी भी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि धारा *7* निर्धारित किए गए तीन परीक्षणों को पूरा करती है।

डब्ल्यूएन पुट्टास्वामी मामले में।

228. श्री गोपाल सुब्रमण्यम संविधान के अनुच्छेद *243* जी और ग्यारहवीं अनुसूची पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत करते हैं कि आधार योजना और इसकीलाभों, सब्सिडी और सेवाओं के लिए प्रतिबंध संविधान के प्रावधान के खिलाफ हैं और इसलिए संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। अनुच्छेद *243* जी की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ

पंचायतें, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैं:

243 जी. की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ

पंचायतें: - इस संविधान के प्रावधानों के अधीन

किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो और ऐसी विधि में उपयुक्त स्तर पर पंचायतों को शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के लिए प्रावधान हो सकते हैं, बशर्ते कि

शर्तों के संबंध में जो उसमें निर्दिष्ट की जा सकती हैं -

(क) आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करना।

न्याय;

(ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए उन योजनाओं का कार्यान्वयन जो उन्हें सौंपी जा सकती हैं, जिनमें शामिल हैं - ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में।

229. अनुच्छेद *243* जी *(बी)* ग्यारहवीं अनुसूची को संदर्भित करता है

संस्थान। ग्यारहवीं अनुसूची में कई मामलों की सूची है।

सुब्रमण्यम वस्तु संख्या *11,12,16,17,23,25* और *28* पर निर्भर करते हैं, जो नीचे दिए गए हैं:

11. पीने का पानी।

12. ईंधन और चारा।

16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।

17. प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा।

23 . अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित स्वास्थ्य और स्वच्छता

और औषधालय।

25. महिला और बाल विकास।

28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली।

230. अनुच्छेद *243* जी एक सक्षम प्रावधान है, जो राज्य विधानमंडल को कानून द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां प्रदान करने में सक्षम बनाता है और प्राधिकरण जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। जिन मदों पर राज्य, कानून द्वारा, ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों को प्रदान कर सकता है, वे उसमें गिने गए विषयों से निपटने के लिए आइटम हैं। उदाहरण के लिए, मद संख्या *16* गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित है और मद संख्या *28* सार्वजनिक वितरण से संबंधित है।

सिस्टम। राज्य ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी मामलों को संभालने के लिए पंचायतों को अधिकृत करने के लिए कानून बनाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। द.

विचार करने योग्य प्रश्न यह है कि क्या आधार अधिनियम किसी भी तरह से अनुच्छेद *243* जी के संवैधानिक प्रावधानों के साथ लड़ता है आधार अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित एक अधिनियम है, जो सूची *I* की प्रविष्टि *97* के लिए संदर्भित है।

और सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण, जिसके लिए भारत की समेकित निधि से खर्च किया जाता है, ऐसे व्यक्तियों को विशिष्ट पहचान संख्या सौंपने के माध्यम से भारत में रहने वाले व्यक्तियों को और उससे जुड़े मामलों के लिए। इस प्रकार, यह अधिनियम भारत की संचित निधि से होने वाले व्यय को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। आधार अधिनियम और किसी भी कानून के बीच कोई टकराव नहीं देखा जाता है, जिसे सूची *II* के तहत राज्य द्वारा अधिनियमित किया जा सकता है। भले ही कोई संघर्ष माना जाता है, लेकिन दो विधानों की प्रकृति का पता लगाने के लिए पीठ और पदार्थ के सिद्धांत को लागू करना पड़ता है। पीठ और पदार्थ में, आधार अधिनियम को किसी भी कानून पर लागू करने वाला नहीं कहा जा सकता है, जो

राज्य द्वारा सूची *II* की मद संख्या *5* के तहत बनाया जाए। इस संदर्भ में, उत्तर प्रदेश राज्य में इस न्यायालय के निर्णय और एक अन्य बनाम जिला परिषद, गाजियाबाद और एक अन्य, *(2013) 11* जस्टिस के. एस. पुटसवामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम का संदर्भ दिया गया है।

[अशोक भूषण, जे।*]*

पंचायतें। इसके बाद, राज्य सरकार ने उस आदेश को वापस ले लिया और *03.07.1990* की पिछली नीति को मजबूत किया, जिसके तहत शक्ति जिला मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा नामित प्राधिकरण के पास निहित थी। उचित मूल्य की दुकानों के लिए लाइसेंस आवंटित करना या रद्द करना। केंद्र सरकार, आवश्यक की धारा *3* के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए

जिंस अधिनियम ने *31.8.2001* दिनांकित एक आदेश जारी किया, जिसमें इसकी शक्तियां राज्य सरकार को सौंप दी गईं। राज्य सरकार ने इसके अनुसरण में जिला स्तर के अधिकारियों को नामित करते हुए एक आदेश जारी किया। , ऐसी वस्तुओं की उचित आपूर्ति और वितरण सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल मजिस्ट्रेट, जिला आपूर्ति अधिकारी। जिला परिषद, गाजियाबाद ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जिसमें दिनांकित *13.01.2000* आदेश को चुनौती दी गई जिसके द्वारा ग्राम पंचायतों से शक्ति वापस ले ली गई थी। रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य ने अपील दायर की थी। रिट याचिकाकर्ता की ओर से इस न्यायालय के समक्ष यह निवेदन किया गया था कि पंचायतों की शक्तियों को अस्वीकार करना अनुच्छेद *243* जी के संवैधानिक प्रावधान के खिलाफ होगा। याचिकाकर्ता की ओर से इस तरह के तर्क को पैराग्राफ *14* में देखा गया है। इस न्यायालय ने अनुच्छेद *243* जी के प्रावधानों और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करने के बाद पैरा *23* और *24* में निर्धारित किया हैः

" 23. उच्च न्यायालय ने उपरोक्त संवैधानिक प्रावधान की प्रकृति पर विचार किया है और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः *(* जिला पंचायत केसेल, ए. डब्ल्यू. सी. पीपी. *3981-82* , पैरा *16)*

" 16. हमारी राय में, यह प्रावधान केवल एक सक्षम प्रावधान है। यह किसी राज्य के विधानमंडल को पंचायतों को कुछ शक्तियां प्रदान करने में सक्षम बनाता है। ..... इसलिए,

किसी राज्य का विधानमंडल पंचायतों को अनुच्छेद *243*-जी में निर्दिष्ट शक्तियां प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है, और ऐसा करना या न करना अपने विवेकाधिकार में है। किसी भी घटना में अनुच्छेद *243*-जी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कोई उल्लेख नहीं है।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय का विचार है कि अनुच्छेद *243*-जी का प्रावधान केवल एक सक्षम प्रावधान है, और यह कानून का स्रोत नहीं है। यह दृष्टिकोण यू. पी. में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप प्रतीत होता है।

जिसमें एक अवलोकन किया गया है कि अनुच्छेद *243*-जी एक सक्षम प्रावधान है क्योंकि यह पंचायतों को सक्षम बनाता है -

स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, इस न्यायालय ने नोट किया कि इस तरह के कानून में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में पंचायतों को शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के प्रावधान हो सकते हैं, जो कि ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में भी शामिल हैं। सक्षम करने वाले प्रावधान आगे उन शर्तों के अधीन हैं जो निर्दिष्ट की जा सकती हैं। इसलिए यह राज्य के लिए है।

विधायिका शर्तों पर विचार करेगी और कानून बनाएगी

तदनुसार। यह राज्य के लिए समाप्त करने या संशोधित करने के लिए भी खुला है

एक ही।

24. इसलिए, यह स्पष्ट है कि ग्यारहवीं अनुसूची के साथ पठित अनुच्छेद *243*-जी विधायी शक्ति का स्रोत नहीं है, और
यह केवल एक सक्षम प्रावधान है जो किसी राज्य को प्रासंगिक कानूनों को लागू करके स्थानीय निकायों को कार्य प्रदान करने और शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपने का अधिकार देता है। स्थानीय निकाय केवल राज्य द्वारा उन्हें सौंपी गई योजनाओं को लागू कर सकते हैं।

231. उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने दोहराया है कि ग्यारहवीं अनुसूची के साथ पठित अनुच्छेद *243* जी विधायी शक्ति का स्रोत नहीं है, और यह है केवल एक सक्षम प्रावधान जो किसी राज्य को प्रासंगिक कानूनों को लागू करके स्थानीय निकायों को कार्य प्रदान करने और शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपने का अधिकार देता है। इस प्रकार, हम श्री गोपाल सुब्रमण्यम के इस कथन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि आधार अधिनियम संविधान के अनुच्छेद *243* जी और ग्यारहवीं अनुसूची के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

232. याचिकाकर्ताओं की एक और प्रस्तुति जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह बायोमेट्रिक समाधान की संभावित प्रकृति के बारे में है। हम.

इस आधार पर आगे बढ़ें कि आधार संरचना संभावित है, याचिकाकर्ताओं ने स्वयं यू. आई. डी. ए. आई. रिपोर्ट का उल्लेख किया है जहां बायोमेट्रिक सटीकता है। *99.768%* कहा गया है। स्टीफन हॉकिन ने अपनी पुस्तक में कहाः ईश्वर ने पूर्णांकों का निर्माण किया "कहता हैः

[अशोक भूषण, जे।*]*

"सदियों से, इन गणितविदों के प्रयासों ने मानव जाति को प्रकृति के बारे में महान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद की है, जैसे कि यह एहसास कि पृथ्वी गोल है, कि वही बल जो यहाँ पृथ्वी पर एक सेब गिरने का कारण बनता है, उसके लिए भी जिम्मेदार है।

स्वर्गीय पिंडों की गतियाँ, कि अंतरिक्ष सीमित है और शाश्वत नहीं है, कि समय और स्थान आपस में जुड़े हुए हैं और पदार्थ द्वारा विकृत हैं और
ऊर्जा, और यह कि भविष्य केवल निर्धारित किया जा सकता है

संभावित रूप से। इस तरह की क्रांतियाँ जिस तरह से हम समझते हैं

दुनिया हमेशा क्रांतियों के साथ-साथ चलती रही है

गणितीय विचार। आइज़ैक न्यूटन कभी नहीं कर सकते थे
रेने की विश्लेषणात्मक ज्यामिति के बिना अपने नियमों को तैयार किया

डेसकार्टेस और न्यूटन का स्वयं का कलन का आविष्कार। जीन बैप्टिस्ट जोसेफ फूरियर या उनके तरीकों के बिना विद्युतगतिकी या क्वांटम सिद्धांत के विकास की कल्पना करना मुश्किल है।

कलन और जटिल कार्यों के सिद्धांत पर काम

कार्ल फ्रेडरिक गॉस और ऑगस्टिन लुई कॉची द्वारा अग्रणी

और यह माप के सिद्धांत पर हेनरी लेबस्ग्यू का काम था।

जिसने जॉन वॉन न्यूमैन को कठोर बनाने में सक्षम बनाया
क्वांटम सिद्धांत की समझ जो आज हमारे पास है। अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता के अपने सामान्य सिद्धांत को पूरा नहीं कर सके थे।

अगर यह बर्नहार्ड रीमैन के ज्यामितीय विचारों के लिए नहीं होता। और व्यावहारिक रूप से सभी आधुनिक विज्ञान पियरे-साइमन लाप्लास द्वारा प्रवर्तित संभाव्यता और सांख्यिकी की अवधारणाओं के बिना बहुत कम शक्तिशाली *(*यदि यह बिल्कुल भी मौजूद होता*)* होता।

233. विज्ञान और प्रौद्योगिकी की गति के साथ परिवर्तन होता रहता है

समय। एक वैज्ञानिक आविष्कार या मॉड्यूल जिसका आविष्कार या प्रक्षेपण किया जाता है, समय के साथ सुधार करता रहता है। तैयार उदाहरण मोबाइल फोन की गुणवत्ता और कार्यक्रमों में सुधार है जिसमें भारी वृद्धि देखी गई है। पिछले एक दशक में विकास। भले ही आधार योजना के तहत प्रमाणीकरण आज की तारीख में संभावित है, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि गलतियों को कम करने और आधार योजना में अधिक सटीकता प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

परिणाम। पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए हमारा विचार है कि राज्य ने धारा *7* की संवैधानिकता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त औचित्य दिया है। हम, इस प्रकार, प्रश्न *Nos.6* और *7* का उत्तर देते हैं
निम्नलिखित तरीके से:

Ans.6:

आधार की धारा *7* संवैधानिक है। दावा करने के अधिकार की विफलता के कारण कुछ मामलों में इनकार के कारण यह प्रावधान निरस्त होने के योग्य नहीं है।
प्रमाणीकरण।

Ans.7: अनुच्छेद *21* के तहत परिकल्पित भोजन, आश्रय के अधिकार आदि को जीवंत करते हुए राज्य लाभार्थियों की निजता के अधिकार का अतिक्रमण नहीं कर सकता है और न ही पहले वाले को बाद वाले पर प्राथमिकता दी जा सकती है।मुकदमा संख्या *8*

क्या आधार अधिनियम की धारा *29* को निरस्त किया जा सकता है*?*

234. धारा *29* को चुनौती देने का आधार यह है कि यह सूचना साझा करने की अनुमति देता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि गोपनीयता के अधिकार के तहत पहचान की जानकारी साझा करना। धारा *29* एक प्रावधान है, जिसमें जानकारी साझा करने के संबंध में प्रावधान हैं जैसा कि *1* के शीर्षक से स्पष्ट है। धारा *29* उप-धारा *(1)* में साझा करने पर प्रतिबंध हैइस अधिनियम के तहत एकत्र या बनाई गई बायोमेट्रिक जानकारी। अनुभाग

तैयार संदर्भ नीचे दिए गए अनुसार निकाला गया है:

29. जानकारी साझा करने पर प्रतिबंध। *(1)* कोई कोर बायोमेट्रिक नहीं

इस अधिनियम के तहत एकत्र या बनाई गई जानकारी

(क) किसी भी कारण से किसी के साथ साझा किया गया; या

(ख) आधार बनाने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है।

इस अधिनियम के तहत संख्या और प्रमाणीकरण।

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और ऐसी रीति से जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की जाए। *(3)* अनुरोध करने वाली संस्था के पास कोई पहचान जानकारी उपलब्ध नहीं होगी।

बनो।

प्रमाणीकरण; या *(ख)* आगे खुलासा किया गया, सिवाय उस व्यक्ति की पूर्व सहमति के जिसके साथ ऐसी जानकारी संबंधित है।

(4) आधार संख्या धारक के संबंध में इस अधिनियम के तहत एकत्र या बनाई गई कोई भी आधार संख्या या मूल बायोमेट्रिक जानकारी प्रकाशित, प्रदर्शित या सार्वजनिक रूप से पोस्ट नहीं की जाएगी, सिवाय इसके कि

विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले उद्देश्य।

235. उप-धारा *(2)* केवल प्रावधानों के अनुसार मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी के अलावा पहचान की जानकारी साझा करने की अनुमति देती है।

इस अधिनियम की और ऐसी रीति से जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की जाए। इसके अलावा उप-धारा *(3)* पहचान का उपयोग करने के लिए अनुरोध करने वाली संस्था को प्रतिबंधित करती है।

व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए जानकारी या व्यक्ति की सहमति के बिना किसी भी जानकारी का खुलासा करना। उप-धारा *(4)* में प्रावधान है कि किसी भी आधार संख्या या मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी को प्रकाशित, प्रदर्शित या सार्वजनिक रूप से पोस्ट नहीं किया जाएगा, सिवाय उन उद्देश्यों के जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। धारा *29* पर हमला जिसकी यह अनुमति देता है इस प्रकार जानकारी साझा करना पूरी तरह से गलत है। अधिनियम का उद्देश्य किसी व्यक्ति की जानकारी और गोपनीयता की रक्षा करना है और इसलिए यह धारा इस आधार पर निरस्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं है कि यह जानकारी साझा करने की अनुमति देता है। इसके अलावा उप-धारा *(3)* व्यक्ति की सहमति से संस्था से अनुरोध करके पहचान की जानकारी साझा करने का प्रावधान करती है। जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान की जानकारी साझा करने के बारे में सहमति देता है, तो वह गोपनीयता अधिकार के उल्लंघन की शिकायत नहीं कर सकता है। याचिकाकर्ता उप-धारा *(2)* के प्रावधान को अपवाद मानते हैं, जो मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी के अलावा अन्य पहचान जानकारी को साझा करने की अनुमति देता है।

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और इस तरह से जो हो सके

विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। जब कोई अधिनियम या विनियमन सूचना के साझाकरण को विनियमित और नियंत्रित करता है, तो प्रावधान विनियामक होता है और व्यक्ति के गोपनीयता अधिकार की रक्षा के लिए बनाया गया है। आधार *(*सूचना साझा करना*)* विनियम, *2016* में फिर से अध्याय *II*-पहचान की जानकारी साझा करने पर प्रतिबंध शामिल हैं। विनियम *3* प्राधिकरण पर प्रतिबंध है। विनियम *4* अनुरोध करने वाली संस्था पर प्रतिबंध है। विनियम *5* आधार संख्या के संबंध में अनुरोध करने वाली संस्था के अलावा किसी भी एजेंसी या संस्था की जिम्मेदारी तय करता है। विनियम *6* आधार संख्या को साझा करने, प्रसारित करने या प्रकाशित करने पर प्रतिबंध प्रदान करता है।

236. इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि धारा *29* और साझाकरण विनियमों के प्रावधान में एक प्रतिबंध है और यह किसी भी तरह से नहीं हो सकता है।

किसी व्यक्ति के किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए अभिनिर्धारित किया जाएगा। उद्देश्य

अधिनियम का उद्देश्य सूचना साझा करने पर प्रतिबंध लगाना है, जो राज्य का एक वैध उद्देश्य भी है। धारा *29* के तहत प्रावधान जो अधिनियम और विनियमों के अनुसार मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी को छोड़कर पहचान की जानकारी साझा करने की अनुमति देता है, उसे असमान या अनुचित नहीं कहा जा सकता है। विधायिका उन परिस्थितियों और शर्तों की बहुत अच्छी तरह से गणना कर सकती है जहां सूचना साझा करना आवश्यक हो जाता है। उन परिस्थितियों में से एक जहां सूचना साझा करना विशेष रूप से धारा *33* की उप-धारा *(2)* में निहित है, जो *[2018] 8* एस. सी. आर. प्रदान करती है।

कि धारा *29* की उप-धारा *(3)* में निहित कुछ भी सूचना के किसी भी प्रकटीकरण के संबंध में लागू नहीं होगा, जिसमें पहचान की जानकारी या प्रमाणीकरण रिकॉर्ड शामिल हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संयुक्त पद से नीचे के अधिकारी के निर्देश के अनुसरण में किए गए हैं।

भारत सरकार के सचिव। इस प्रकार, जानकारी साझा करने के लिए जिन परिस्थितियों पर विचार किया जा सकता है, वे उचित और आनुपातिक हैं। इस प्रकार, हम मानते हैं कि धारा *29* के प्रावधान संवैधानिक हैं और निरस्त किए जाने के योग्य नहीं हैं। अंक संख्या *8* का उत्तर निम्नलिखित में दिया गया है। तरीका -

Ans.8:

धारा *29* के प्रावधान संवैधानिक हैं और नहीं करते हैं

गिराए जाने के योग्य है।

क्या धारा *33* संवैधानिक है*?*

मुद्दा संख्या *9*

237. आधार अधिनियम, *2016* की धारा *33* इस प्रकार है:

" 33. कुछ मामलों में जानकारी का प्रकटीकरण। *- (1)* कुछ भी नहीं।

धारा *28* की उप-धारा *(2)* या उप-धारा *(5)* या धारा *29* की उप-धारा *(2)* में निहित किसी भी मामले में लागू होगा।

पहचान की जानकारी सहित जानकारी का प्रकटीकरण या

जिला न्यायाधीश से कम न होने वाले न्यायालय के आदेश के अनुसार किए गए प्रमाणीकरण अभिलेख:

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत अदालत द्वारा कोई भी आदेश प्राधिकरण को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

(2) धारा *28* की उप-धारा *(2)* या उप-धारा *(5)* और धारा *29* की उप-धारा *(1)*, उप-धारा *(2)* या उप-धारा *(3)* के खंड *(*बी*)* में निहित कुछ भी किसी भी मामले में लागू नहीं होगा।
संयुक्त सचिव के पद से कम के अधिकारी के निर्देश के अनुसरण में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में की गई पहचान सूचना रिकॉर्ड सहित जानकारी का प्रकटीकरण

भारत सरकार केंद्र सरकार के एक आदेश द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से प्राधिकृत है:

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत जारी किए गए प्रत्येक निर्देश की समीक्षा एक निगरानी समिति द्वारा की जाएगी जिसमें -

कैबिनेट सचिव और कानूनी मामलों के विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में भारत सरकार के सचिव, इसके प्रभावी होने से पहले:

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत जारी किया गया कोई भी निर्देश इसके जारी होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए वैध होगा, जिसे तीन महीने की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

निरीक्षण समिति द्वारा समीक्षा के महीनों बाद।

238. याचिकाकर्ता के तर्क का पहला अंग यह है कि धारा *33* असंवैधानिक है क्योंकि इसमें आधार डेटा आधार के उपयोग का प्रावधान है पुलिस सत्यापन के लिए जो स्वयं के खिलाफ सुरक्षा का उल्लंघन करता है

भारत के संविधान के अनुच्छेद *20 (3)* के तहत निहित अपराध।

239. धारा *33* की उप-धारा *(1)* में किसी भी प्रकटीकरण जानकारी के संबंध में पर्याप्त प्रतिबंध हैं जो केवल निम्नलिखित में किया जा सकता है - जिला न्यायाधीश के आदेश से कम न होने वाले न्यायालय के आदेश का पालन।

सूचना के प्रकटीकरण में प्रतिबंध उचित है और इसका वैध औचित्य है। जिस प्राधिकारी का कर्तव्य पूरे डेटा की सुरक्षा करना है, उसे अदालत द्वारा एक आदेश पारित करने से पहले सुना जाना चाहिए जो उस व्यक्ति के हितों की रक्षा करता है जिसके डेटा का खुलासा किया जाना है। सूचना के प्रकटीकरण के लिए जिला न्यायाधीश से कम नहीं होने वाले न्यायालय का आदेश स्वयं इसके लिए एक पर्याप्त सुरक्षा है, क्योंकि किसी भी अनुचित उद्देश्य के लिए डेटा का खुलासा नहीं किया जाएगा। धारा *33* की उप-धारा *(2)* पर हमला करते हुए, यह तर्क दिया जाता है कि हालांकि *(i)* राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सूचना के प्रकटीकरण की अनुमति दी गई है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की कोई परिभाषा नहीं है, *(ii)* सुरक्षा के आधार पर ऐसे डेटा का कोई स्वतंत्र निरीक्षण प्रकटीकरण नहीं है, *(iii)* प्रावधान न तो उचित है और न ही उचित है। धारा *33* की धारा *(2)* असमान और असंवैधानिक है।

240. धारा *33* की उप-धारा *(2)* में दो सुरक्षा उपाय हैं। सबसे पहले,

सूचना का प्रकटीकरण राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में और दूसरा, सरकार के संयुक्त सचिव के पद से कम के अधिकारी के निर्देश के अनुसरण में किया जाना है, जो केंद्र सरकार के आदेश द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत है। इस प्रकार, राष्ट्रीय सुरक्षा का निर्धारण एक उच्च अधिकारी द्वारा किया जाना है जो इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत है। पूर्व में यह न्यायालय। सैनिक सुरक्षा सेवा पी।

लि. बनाम भारत संघ *(*यू. ओ. आई.*)* और अन्य। *, 2014 (5)* एस. सी. सी. *409* ने माना है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है वह कानून का सवाल नहीं है, बल्कि यह एक नीति का मामला है। पैराग्राफ *16* और *17* में निम्नलिखित बात कही गई थीः

" 16. राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में क्या है, यह सवाल नहीं है।

कानून से। यह नीति की बात है। यह तय करना अदालत का काम नहीं है कि कुछ राज्य के हित में है या नहीं। यह कार्यपालिका पर छोड़ दिया जाना चाहिए। *[2018] 8* एस. सी. आर. के सचिव में लॉर्ड हॉफमैन को उद्धृत करने के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गृह विभाग के लिए राज्य *v.* रहमान *(2003) 1* एसी *153: .....* राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कानून का सवाल नहीं है। यह एक
निर्णय और नीति का विषय। संविधान के तहत

यूनाइटेड किंगडम और अधिकांश अन्य देशों में, यह निर्णय कि कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है या नहीं, न्यायिक निर्णय का विषय नहीं है। उन्हें कार्यपालिका को सौंपा जाता है।

17. इस प्रकार, राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति में, एक पार्टी जोर नहीं दे सकती है

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के सख्त पालन के लिए। में।

ऐसे मामलों को पढ़ना और वैधानिक बहिष्करण का प्रावधान करना न्यायालय का कर्तव्य है, यदि क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियमों में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है। विशेष मामले के तथ्यों के आधार पर, यह अदालत के लिए खुला होगा कि वह खुद को संतुष्ट करे कि क्या कोई उचित तथ्य थे, और उस संबंध में, अदालत को फाइलों को बुलाने और यह देखने का अधिकार है कि क्या यह एक ऐसा मामला है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का हित शामिल है। एक बार जब राज्य का यह रुख हो जाता है कि इस मुद्दे में राष्ट्रीय सुरक्षा शामिल है, तो अदालत कारणों का खुलासा नहीं करेगी।

प्रभावित पक्ष को "।

241. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों ने भी इस मुद्दे पर विचार किया है। एक मामले में, अर्थात्, जनगणना अधिनियम *(BverfGE 65,1),* संघीय संविधान का निर्णय जर्मनी की अदालत, दिनांक *11.10.2013* के फैसले में, अदालत के पास डेटा प्रोसेसिंग और व्यक्तिगत जानकारी को आत्म-दोषारोपण और उनके व्यक्तिगत डेटा के उपयोग से बचाने के संदर्भ में मामले पर विचार करने का अवसर था। सूचना के अधिकार और आत्मनिर्णय से निपटने के लिए न्यायालय ने कहा कि व्यक्तियों को अपने डेटा पर पूर्ण, अप्रतिबंधित नियंत्रण के अर्थ में कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्णय दिया गया थाः

"सूचनात्मक आत्मनिर्णय के इस अधिकार की गारंटी पूरी तरह से अप्रतिबंधित नहीं है। व्यक्तियों को अपने डेटा पर पूर्ण, अप्रतिबंधित नियंत्रण के अर्थ में कोई अधिकार नहीं है।
सामाजिक समुदाय के भीतर विकास करने वाले सभी व्यक्ति

और संचार पर निर्भर हैं। जानकारी, भले ही

व्यक्तिगत व्यक्तियों से संबंधित, सामाजिक वास्तविकता के प्रतिबिंब का प्रतिनिधित्व करता है जिसे केवल पक्षों को ही नहीं सौंपा जा सकता है
प्रभावित हुए। बुनियादी कानून, जैसा कि संघीय संवैधानिक न्यायालय के मामले के कानून में कई बार जोर दिया गया है, व्यक्ति और समुदाय के बीच तनाव पर बातचीत करने का प्रतीक है।

नागरिक भागीदारी और नागरिक भागीदारी के पक्ष में निर्णय

जिम्मेदारी *(*देखें *BverfGE 4,7 [15]; 8,274 [329]; 27,344 [351* और *352]; 33,303 [334]; 50,290 [353]; 56,37 [49])*।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

इसलिए व्यक्तियों को सैद्धांतिक रूप से सामान्य सार्वजनिक हित में सूचनात्मक आत्मनिर्णय के अपने अधिकार पर प्रतिबंध को स्वीकार करना चाहिए। *242.* स्वीडन के खिलाफ एम. एस. में यूरोपीय मानवाधिकार आयोग का एक और फैसला एक ऐसा मामला था जिसमें आवेदक ने शिकायत की थी कि

इलाज की जानकारी वाले उसके मेडिकल रिकॉर्ड की प्रतियां क्लीनिक द्वारा उसकी जानकारी के बिना बीमा कंपनी को भेज दी गई हैं। आवेदक का मामला पैराग्राफ *39* में देखा गया था जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

"*39.* आवेदक प्रस्तुत करता है कि महिला क्लिनिक द्वारा उसकी जानकारी या सहमति के बिना सामाजिक बीमा कार्यालय में उसके चिकित्सा रिकॉर्ड की प्रतियां जमा करना उसके निजी जीवन के सम्मान के अधिकार में हस्तक्षेप करता है। उनका कहना है कि इन अभिलेखों में निहित जानकारी अत्यधिक संवेदनशील और निजी प्रकृति की थी। कथित तौर पर, वह यह अनुमान नहीं लगा सकी, जब उसने कार्यालय से मुआवजे का दावा किया, कि कथित पीठ की चोट के कई वर्षों बाद किए गए गर्भपात की जानकारी कार्यालय को भेजी जाएगी। वह आगे इस तथ्य का उल्लेख करती है कि विचाराधीन जानकारी उसी स्तर से संरक्षित नहीं है

क्लिनिक की तरह कार्यालय में गोपनीयता "।

243. आयोग ने माना कि कानून के अनुसार बीमा कंपनी को जानकारी सही ढंग से प्रस्तुत की गई थी। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज *(*पी. यू. सी. एल.*)* बनाम में इस न्यायालय के फैसले को संदर्भित करना भी प्रासंगिक है। भारत संघ, *1997 (1)* एस. सी. सी. *301,* जहां अनुच्छेद *32* के तहत रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें किसी व्यक्ति की निजता पर गंभीर आक्रमण का आरोप लगाया गया था।

टेलीफोन का खाता-टैपिंग। न्यायालय ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, *1885* और उसके तहत बनाए गए नियमों को अपनाया। अदालत ने देखा है कि टेलीग्राफ अधिनियम की धारा *5 (2)* अवरोधन की अनुमति देती है

उक्त धारा के अनुसार संदेश, "किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की घटना" या "सार्वजनिक सुरक्षा के हित में"। पैरा *28* में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था:

"*28.* अधिनियम की धारा *5 (2)* संदेशों के अवरोधन की अनुमति देती है।

उक्त धारा के प्रावधानों के अनुसार।

"किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की घटना "या" सार्वजनिक सुरक्षा के हित में "अनिवार्य है। ए. पी. टी. की धारा *5 (2)* के प्रावधानों को लागू करने के लिए। जब तक कोई सार्वजनिक आपातकाल नहीं हुआ है या सार्वजनिक सुरक्षा मांगों का हित नहीं है,

अधिकारियों के पास उक्त धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। सार्वजनिक आपातकाल का अर्थ होगा एक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट का प्रचलन।

बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करने वाली अचानक स्थिति या स्थिति

तत्काल कार्रवाई की मांग "।

246. हम संतुष्ट हैं कि यह प्रावधान पुट्टास्वामी मामले में निर्धारित तीन गुना परीक्षण को पूरा करता है। धारा *33* को असंवैधानिक घोषित करने का कोई आधार नहीं है। *247.* हमें याचिकाकर्ता की प्रस्तुतियों में से एक को यह भी विज्ञापन देने की आवश्यकता है कि पुलिस जांच के लिए जानकारी के प्रकटीकरण की अनुमति देना अनुच्छेद *20* उपखंड *(3)* के तहत प्रदान किए गए आत्म-अपराध के खिलाफ संरक्षण का उल्लंघन करता है। यह सच है कि धारा *33* के तहत अदालत पुलिस जांच के लिए भी जानकारी के प्रकटीकरण का आदेश दे सकती है। लेकिन

इस तरह से प्राप्त जानकारी को किसी भी तरह से अनुच्छेद *20* उपखंड *(3)* के तहत दिए गए संरक्षण का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। यू. आई. डी. ए. आई. के पास जो बुनियादी जानकारी है, वह जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी है। इसमें

संदर्भ में, बॉम्बे राज्य बनाम काठी कालू ओघड़, ए. आई. आर. *1961* एस. सी. *1808* में इस न्यायालय के *11*-न्यायाधीश संविधान पीठ के फैसले का संदर्भ दिया गया है। संविधान पीठ के पास संविधान के अनुच्छेद *20* के उपखंड *(3)* पर विचार करने का अवसर था। उपरोक्त मामले में अभियुक्त से, जिस पर जाँच के दौरान आई. पी. सी. की धारा *302/34* के तहत आरोप लगाया गया था, अभियोजन पक्ष ने हस्त-लेखन के तीन नमूने प्राप्त किए हैं जिनकी तुलना उसके हस्त-लेखन से की गई थी जो सबूत का हिस्सा था। हस्तलेखन के नमूने की स्वीकार्यता के बारे में एक सवाल उठाया गया था, यह तर्क दिया गया था कि हस्तलेखन के नमूने का उपयोग अनुच्छेद *20 (3)* के तहत संरक्षण का उल्लंघन करता है। इस न्यायालय ने पैराग्राफ *16* में निम्नलिखित निर्धारित किया है:

(16) इन विचारों को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे हैं:

(1) यह नहीं कहा जा सकता है कि एक अभियुक्त व्यक्ति को केवल इसलिए अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि उसने पुलिस हिरासत में रहते हुए बयान दिया था।

दूसरे शब्दों में, उस समय पुलिस हिरासत में होने का मात्र तथ्य जब प्रश्नगत बयान दिया गया था, अपने आप में, कानून के एक प्रस्ताव के रूप में, इस निष्कर्ष को स्वीकार नहीं करेगा कि अभियुक्त को बयान देने के लिए मजबूर किया गया था, हालांकि

वास्तव में, में प्रकट अन्य परिस्थितियों के संयोजन में किसी विशेष मामले में साक्ष्य, जांच में एक प्रासंगिक विचार होगा कि क्या अभियुक्त व्यक्ति को विवादित बयान देने के लिए मजबूर किया गया था या नहीं।

(2) एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक अभियुक्त व्यक्ति से केवल पूछताछ, जिसके परिणामस्वरूप एक स्वैच्छिक बयान दिया जाता है, जो अंततः हो सकता है अपराध साबित होना 'मजबूरी' नहीं है।

(3) 'साक्षी होना अपने व्यापक महत्व में 'साक्ष्य प्रस्तुत करने' के बराबर नहीं है; कहने का अर्थ है, जिसमें न केवल मौखिक या लिखित दग्डुआ बनाना शामिल है, बल्कि

दस्तावेज़ या ऐसी सामग्री देना जो किसी परीक्षण में प्रासंगिक हो सकती है

अभियुक्त की निर्दोषता का निर्धारण करना। *(4)* पैर या हथेली या उंगलियों के अंगूठे के निशान या छाप देना या नमूना लेखन या पहचान के माध्यम से शरीर के कुछ हिस्सों को दिखाना अभिव्यक्ति में शामिल नहीं हैं।

(5) 'साक्षी' होने का अर्थ है ज्ञान प्रदान करना मौखिक कथन या लिखित कथन द्वारा प्रासंगिक तथ्य,

न्यायालय में या अन्यथा किया गया या दिया गया।

(6) 'अपने सामान्य व्याकरणिक अर्थ में 'गवाह' होने का अर्थ है न्यायालय में मौखिक गवाही देना। मामला कानून अभिव्यक्ति की इस सख्त शाब्दिक व्याख्या से परे चला गया है जो अब हो सकता है

एक व्यापक अर्थ रखता है, अर्थात्, मौखिक रूप से या किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति द्वारा न्यायालय में या न्यायालय के बाहर गवाही देना। लिखना।

(7) विचाराधीन बयान को अनुच्छेद *20 (3)* के निषेध के भीतर लाने के लिए, अभियुक्त व्यक्ति को इस मामले में खड़ा होना चाहिए।

एक अभियुक्त व्यक्ति का चरित्र जिस समय उसने बनाया था बयान। यह काफी नहीं है कि वह आरोपी बने,

बयान दिए जाने के बाद किसी भी समय।

8. उपरोक्त मामले में जो कहा गया है, उससे यह स्पष्ट है कि गवाह अपनी व्यापक *[2018] 8* एस. सी. आर. में 'साक्ष्य प्रस्तुत करने' के बराबर नहीं है।

महत्व। यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा धारा *33* के तहत अदालत के आदेश द्वारा दी गई जानकारी के उपयोग को अनुच्छेद *20 (3)* के तहत निहित सुरक्षा का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार, धारा *33* के तहत जानकारी के प्रकटीकरण से अनुच्छेद *20 (3)* का उल्लंघन नहीं होता है। इसे ध्यान में रखते हुए

पूर्ववर्ती चर्चा में हमारा मानना है कि धारा *33* संवैधानिक है।

249. श्री के. वी. विश्वनाथन ने संविधान के अनुच्छेद *20 (3)* के साथ-साथ अनुच्छेद *21* के उल्लंघन के संबंध में अपने निवेदन के समर्थन में जिन निर्णयों पर भरोसा किया है, उनमें से एक है सेल्वी और अन्य बनाम। कर्नाटक राज्य, *2010 (7)* एससीसी *263*। उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने विचार किया था कि क्या कुछ वैज्ञानिक तकनीकें, अर्थात् -

जांच प्रयासों में सुधार के उद्देश्य से प्रोफ़ाइल *(*बी. ई. ए. पी.*)* परीक्षण आपराधिक मामले अनुच्छेद *20* के उपखंड *(3)* के साथ-साथ अनुच्छेद *21* का भी उल्लंघन करते हैं। कानूनी मुद्दों और कानून के प्रश्नों को पैराग्राफ *2* और *11* में निम्नलिखित प्रभाव के लिए नोट किया गया है:

"2. आपराधिक अपीलों के इस समूह में कानूनी प्रश्न आपराधिक मामलों में जांच प्रयासों में सुधार के उद्देश्य से कुछ वैज्ञानिक तकनीकों, अर्थात् नार्कोएनालिसिस, पॉलीग्राफ परीक्षा और ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल *(*बी. ई. ए. पी.*)* परीक्षण के अनैच्छिक प्रशासन से संबंधित हैं। यह है मुद्दा

इसे काफी ध्यान दिया गया क्योंकि इसमें कुशल जांच की वांछनीयता और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के संरक्षण के बीच तनाव शामिल है। आम तौर पर न्यायिक कार्य एक ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रतिद्वंद्वी विवादों का मूल्यांकन करना है। हालाँकि, वर्तमान मामला निजी पक्षों के बीच एक सामान्य विवाद नहीं है। यह मौलिक अधिकारों के अर्थ और दायरे के बारे में प्रासंगिक सवाल उठाता है जो सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। इसलिए, हमें विभिन्न स्थितियों में विवादित तकनीकों के उपयोग की अनुमति देने के निहितार्थ की जांच करनी चाहिए।

11. इस स्तर पर, कानून के प्रश्नों को तैयार करना और प्रासंगिक उप-प्रश्नों की रूपरेखा निम्नलिखित तरीके से तैयार करना उपयोगी होगाः

I. क्या विवादित तकनीकों का अनैच्छिक प्रशासन संविधान के अनुच्छेद *20 (3)* में उल्लिखित 'आत्म-दोषारोपण के खिलाफ अधिकार' का उल्लंघन करता है*?*

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

आई-ए। क्या विवादित तकनीकों का खोजी उपयोग

विषय के लिए दोषारोपण की संभावना पैदा करता है*?*

आई-बी। क्या परिणाम आक्षेपित से प्राप्त हुए हैं

तकनीक 'प्रशंसात्मक मजबूरी' के बराबर है जिससे अनुच्छेद *20 (3)* के प्रतिबंध को आकर्षित किया जा सकता है।

II. क्या विवादित तकनीकों का अनैच्छिक प्रशासन 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' पर एक उचित प्रतिबंध है

संविधान के अनुच्छेद *21* के संदर्भ में समझा गया*?*

250. इस न्यायालय के बड़ी संख्या में मामलों को विदेशी न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के रूप में विचार करने के बाद, परीक्षणों में एक निष्कर्ष दर्ज किया गया था, क्योंकि वे व्यक्तिगत ज्ञान प्रासंगिक तथ्यों को प्रदान करने का एक साधन हैं, इसलिए वे साक्ष्य के दायरे में आते हैं जिससे अनुच्छेद *20 (3)* का सुरक्षात्मक कवच आकर्षित होता है। एफ *189* में निम्नलिखित आयोजित किया गया थाः

" 189. पिछली चर्चा के आलोक में, हमारा विचार है कि पॉलीग्राफ परीक्षा और बी. ई. ए. पी. परीक्षण जैसे परीक्षणों से प्राप्त परिणामों को भी 'व्यक्तिगत गवाही' के रूप में माना जाना चाहिए।

क्योंकि वे 'प्रासंगिक तथ्यों के बारे में व्यक्तिगत ज्ञान प्रदान करने' के लिए एक साधन हैं। इसलिए, हमारा निष्कर्ष यह है कि किसी भी विवादित परीक्षण *(*यानी नार्कोएनालिसिस तकनीक, पॉलीग्राफ परीक्षा*)* के अनैच्छिक प्रशासन के माध्यम से प्राप्त परिणाम।

और बी. ई. ए. पी. परीक्षण*)* 'प्रशंसापत्र' के दायरे में आता है।

मजबूरी ', जिससे अनुच्छेद की सुरक्षात्मक ढाल आकर्षित होती है

20 (3) . "

251. जहाँ तक अनुच्छेद *21* के उल्लंघन का सवाल है,

पैराग्राफ *225* और *226* में कहा गया हैः

" 225. अब तक हमारे देश में निजता की न्यायिक समझ ने ज्यादातर शरीर और शारीरिक सुरक्षा पर जोर दिया है राज्य द्वारा घुसपैठ की कार्रवाइयों से रिक्त स्थान। जबकि आपराधिक प्रक्रिया की योजना के साथ-साथ साक्ष्य कानून हस्तक्षेप को अनिवार्य करता है

वैधानिक प्रावधानों के माध्यम से भौतिक गोपनीयता के साथ जो सक्षम बनाता है

गिरफ्तारी, निरोध, तलाशी और जब्ती आदि, किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए मजबूर करने का आधार नहीं हो सकते हैं। एक प्रासंगिक तथ्य के बारे में ज्ञान '। अधिकारों के परस्पर संबंध का सिद्धांत यह कहता है कि आत्म-दोषारोपण के खिलाफ अधिकार होना चाहिए

'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' के एक घटक के रूप में भी पढ़ा जाए

अनुच्छेद *21.* इसलिए, गोपनीयता के अधिकार के बारे में हमारी समझ *[2018] 8* एस. सी. आर.

अनुच्छेद *20 (3)* के साथ इसके प्रतिच्छेदन के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। इसके अलावा, धाराओं में सन्निहित 'अनैच्छिक स्वीकारोक्ति के खिलाफ नियम'
24 , *25* , *26* और साक्ष्य अधिनियम, *1872* का *27* अभिरक्षा में दी गई गवाही की विश्वसनीयता के साथ-साथ स्वैच्छिकता के दोनों उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करता है। संविधान के अनुच्छेद *20 (3)* और *21* को साक्ष्य कानून के सिद्धांतों के साथ मिलकर पढ़ने से हमें एक स्पष्ट उत्तर मिलता है। हमें चुप रहने और बोलने के

बीच चयन जैसे पहलुओं में व्यक्तिगत स्वायत्तता के महत्व को पहचानना चाहिए। एक व्यक्ति का बयान देने का निर्णय एक निजी पसंद का उत्पाद है और किसी अन्य व्यक्ति के लिए ऐसी स्वायत्तता में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जहां व्यक्ति को आपराधिक आरोपों या दंड का सामना करना पड़ता है।

226. इसलिए, यह हमारी सुविचारित राय है कि किसी व्यक्ति को अनैच्छिक तरीके से विवादित तकनीकों के अधीन करना।

गोपनीयता की निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन करता है। अक्षम्य।

किसी व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप प्रदान नहीं किया जाता है।
क्योंकि किसी भी कानून के तहत और यह निश्चित रूप से आत्म-दोषारोपण के खिलाफ अधिकार के साथ संघर्ष में आता है। हालाँकि, यह निर्धारण उन परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार नहीं है जहाँ किसी व्यक्ति को किसी भी विवादित परीक्षण के अधीन किया जा सकता है, लेकिन आपराधिक आरोपों और दोषसिद्धि की संभावना के संपर्क में नहीं लाया जा सकता है। ऐसे मामलों में, उसे अभी भी हिरासत में दुर्व्यवहार, निगरानी, अनुचित उत्पीड़न और सामाजिक कलंक जैसे प्रतिकूल परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए अनुच्छेद *21* के कुछ अन्य आयामों की जांच करना महत्वपूर्ण है।

252. उपरोक्त मामले में विचाराधीन परीक्षणों की प्रकृति पर इस न्यायालय और परीक्षणों द्वारा विस्तार से ध्यान दिया गया था

किसी व्यक्ति के शरीर और दिमाग में पर्याप्त घुसपैठ की प्रकृति पाई गई, इसलिए, यह माना गया कि वे अनुच्छेद *20 (3)* के साथ-साथ अनुच्छेद *21* का उल्लंघन करते हैं। हालाँकि, यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि इस न्यायालय ने सेल्वी निर्णय में ही फिंगरप्रिंट के उपयोग के संबंध में अंतर को देखा है। इस न्यायालय ने बॉम्बे राज्य बनाम के पूर्व निर्णय पर ध्यान दिया था। काठी कालू ओघड़, ए. आई. आर. *1961* एस. सी. *1808* अनुमोदन के साथ। बायोमेट्रिक जानकारी जो कि उंगलियों के निशान और आईरिस स्कैन नहीं हो सकती है

सेल्वी के मामले में विचार के लिए आए परीक्षणों के बराबर। इसलिए, सेल्वी में इस न्यायालय का निर्णय किसी भी तरह से याचिकाकर्ताओं के मामले का समर्थन नहीं करता है। प्रश्न संख्या *3* का उत्तर निम्नलिखित तरीके से है:

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

Ans.9: धारा *33* को असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह पुलिस जांच के लिए आधार डेटा बेस के उपयोग का प्रावधान करती है और न ही इसे अनुच्छेद *20 (3)* के तहत दिए गए संरक्षण का उल्लंघन करने वाला कहा जा सकता है।

मुद्दा *No.10*

क्या आधार अधिनियम की धारा *47* है

असंवैधानिक*?*

253. याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि आधार अधिनियम की धारा *47* असंवैधानिक है क्योंकि यह उस व्यक्ति को अनुमति नहीं देता है जो आधार अधिनियम का शिकार है।

आपराधिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए आधार अधिनियम का उल्लंघन। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वह व्यक्ति जो आधार अधिनियम के तहत अपराध का शिकार है

शिकायत दर्ज करने का कोई उपाय नहीं है और अधिनियम की धारा *47* केवल अधिकारियों या अधिकारियों या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा शिकायत दर्ज करने को प्रतिबंधित करती है। *254.* उपरोक्त निवेदन का प्रत्यर्थी द्वारा खंडन किया जाता है कि धारा *47* का एक तर्क है। अधिनियम के अध्याय *VII* के तहत अपराध और दंड

आधार अधिनियम का उद्देश्य सी. आई. डी. आर. की शुद्धता और अखंडता को बनाए रखना है और सी. आई. डी. आर. में संपूर्ण नामांकन भंडारण और प्रमाणीकरण अभ्यास को केवल यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा कुशलता और प्रभावी ढंग से संभाला जा सकता है। इस प्रकार, शिकायत प्रस्तुत करने का अधिकार क्षेत्र यू. आई. डी. ए. आई. को प्रदान किया गया है जो है -

आधार योजना की शुद्धता बनाए रखने के लिए सबसे अधिक सौंपी गई संस्था और आधार अधिनियम के तहत किए गए अपराधों से भी प्रभावित है। धारा *47* इस प्रकार प्रदान करती हैः

"47. अपराध का संज्ञान-*(1)* कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, सिवाय प्राधिकरण या उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के।

(2) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट से कम कोई अदालत नहीं

या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का मुकदमा चलाएगा।

255. धारा *47* के समान प्रावधान अधिकांश क़ानूनों में पाए जाते हैं जो क़ानून के तहत अपराधों को परिभाषित करते हैं और जुर्माना प्रदान करते हैं। और उसके तहत सजा। निम्नलिखित कुछ मूर्तियाँ हैं जिनमें आधार अधिनियम की धारा *47* के समान प्रावधान हैः

"1) खानों और खनिजों की धारा *22 (*विकास और विकास*)*

विनियमन*)* अधिनियम, *1957*-कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित में की गई शिकायत के।

2) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, *1986* की धारा *34*-कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय सरकार या ब्यूरो के अधिकार के तहत या सरकार या ब्यूरो द्वारा इस

संबंध में सशक्त किसी अधिकारी द्वारा या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में मान्यता प्राप्त किसी उपभोक्ता या किसी संघ द्वारा की गई शिकायत के।

4) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की धारा *34* अधिनियम, *1997*-कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय प्राधिकरण द्वारा की गई शिकायत के।

5) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, *2007* की धारा *57 (1)*-कोई भी न्यायालय किसी भी मामले का संज्ञान नहीं लेगा।

बोर्ड या केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित किसी भी जांच एजेंसी द्वारा की गई शिकायत को छोड़कर अध्याय *IX* के तहत दंडनीय अपराध।

6) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, *1949* की धारा *47*-कोई भी अदालत शिकायत के अलावा धारा *36* एए की उप धारा *(5)* या धारा *46* के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी।

रिजर्व बैंक के एक अधिकारी द्वारा लिखित रूप में या, जैसा भी मामला हो, राष्ट्रीय बैंक द्वारा आम तौर पर या विशेष रूप से रिजर्व बैंक द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किया गया है, या जैसा भी मामला हो, राष्ट्रीय बैंक और किसी अन्य अदालत के अलावा कोई अदालत नहीं है।

7) पर्यावरण *(*संरक्षण*)* अधिनियम, *1986* की धारा *19*-कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, सिवाय इसके कि *(*ए*)* केंद्र सरकार या उस सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी प्राधिकरण या अधिकारी द्वारा की गई शिकायत पर, या *(*बी*)* कोई भी व्यक्ति जिसने कथित अपराध और उसके अपराध के बारे में निर्धारित तरीके से कम से कम साठ दिनों की सूचना दी है। केंद्र सरकार या उपरोक्त के रूप में अधिकृत प्राधिकारी या अधिकारी को शिकायत करने का इरादा।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[अशोक भूषण,

8) वायु की धारा *43 (*वायु की रोकथाम और नियंत्रण*)*

प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध की सुनवाई करेंगे।
इस अधिनियम के तहत दंडनीय "।

256. अधिनियम और उनके दंड के तहत अपराधों को परिभाषित करने वाले बड़ी संख्या में विशेष अधिनियमों में अधिनियम की धारा *34* के समान प्रावधान हैं।

आधार अधिनियम। अधिनियम के तहत अपराधों के प्रति विशेष उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विशेष अधिनियम बनाए गए हैं। विशेष अधिनियम के तहत अपराधों की शुरुआत और अभियोजन विशेष अधिनियम के तहत अधिकारियों के हाथों में दीक्षा और अभियोजन रखने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा रखा जाता है जो निवारक के रूप में कार्य करता है और अभियोजन को इसके तार्किक अंत तक लाया जाता है। इसके अलावा, ऐसे प्रावधानों का उद्देश्य तुच्छ और परेशान करने वाली शिकायतों को हतोत्साहित करना है।

257. राजकुमार गुप्ता बनाम उपराज्यपाल, दिल्ली और अन्य, *(1997) 1* एस. सी. सी. *556* के मामले में इस अदालत को औद्योगिक विवाद अधिनियम, *1947* की धारा *34 (1)* पर विचार करने का अवसर मिला और इसका उद्देश्य यह था कि प्रतिबंध। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा *34* में प्रावधान किया गया है कि कोई न्यायालय नहीं

इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध या ऐसे किसी अपराध के लिए उकसाने का संज्ञान लेगा, सिवाय उपयुक्त सरकार द्वारा या उसके अधिकार के तहत की गई शिकायत के। औद्योगिक की धारा *34* विवाद अधिनियम आधार अधिनियम की धारा *47* के समान है। यह

न्यायालय पैराग्राफ *16* में निम्नलिखित धारा *34* के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा *34* अधिनियम के तहत अपराधों की शिकायत करने के लिए कर्मचारी या ट्रेड यूनियन या एक नियोक्ता की पात्रता पर सीमा की प्रकृति है। पैराग्राफ *16* में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:

" 16. साथ ही, धारा *34* के प्रावधान एक कर्मचारी या एक ट्रेड यूनियन या एक नियोक्ता के उक्त प्रावधान के तहत अपराधों की शिकायत करने के अधिकार पर एक सीमा के रूप में हैं।

एक्ट करें। लोक हित में उन्हें तुच्छ, परेशान करने वाली या अन्यथा स्पष्ट रूप से असमर्थनीय शिकायतें करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इस उद्देश्य के लिए धारा *34* में यह अपेक्षा की गई है कि किसी भी शिकायत का तब तक संज्ञान नहीं लिया जाएगा जब तक कि यह प्राधिकरण द्वारा नहीं की गई हो। उपयुक्त सरकार।

" " [2018] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

258. जहाँ तक यह निवेदन है कि किसी व्यक्ति के लिए कोई मंच नहीं है

आधार अधिनियम के तहत अपराध का शिकार, यह कहने के लिए पर्याप्त है कि धारा *47* को प्राधिकरण द्वारा अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या जब उसे किसी पीड़ित से शिकायत प्राप्त होती है तो लागू किया जा सकता है। प्राधिकरण अर्थात यू. आई. डी. ए. आई. के पास अधिनियम की धारा *23* में उल्लिखित विभिन्न शक्तियाँ और कार्य हैं। यह प्राधिकरण है जिसे यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि अधिनियम के प्रावधानों को अधिनियम के अनुसार लागू किया जाए और अपराधियों को दंडित किया जाए। जहाँ तक पीड़ित के उपचार का संबंध है, कुछ तथ्य हैं जिन्हें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। *259.* सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, *2000* धारा *2 (टी)* में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को परिभाषित करता है जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

" धारा *2 (टी)-"*इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड*"* का अर्थ है डेटा, रिकॉर्ड या डेटा उत्पन्न, छवि या ध्वनि संग्रहीत, प्राप्त या इलेक्ट्रॉनिक में भेजा गया।

फॉर्म या माइक्रो फिल्म या कंप्यूटर से उत्पन्न माइक्रो फिशे; *"*

260. जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा *2 (टी)* में परिभाषित इलेक्ट्रॉनिक डेटा में निवासी के नामांकन के लिए एकत्र की जाती है और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा *30* में स्पष्ट रूप से बताई गई है।

आधार अधिनियम। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अध्याय *11* में अपराधों को परिभाषित किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा *66* सी, धारा *66* डी और धारा *72* अपराधों को परिभाषित करती है और जुर्माने का प्रावधान करती है, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

"66 ℃ *.* पहचान की चोरी के लिए दंड-जो कोई भी धोखाधड़ी या बेईमानी से किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या किसी अन्य विशिष्ट पहचान सुविधा का उपयोग करता है, उसे तीन साल तक की अवधि के लिए किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। जो एक लाख रुपये तक बढ़ सकता है।

66 डी. उपयोग करके व्यक्तित्व द्वारा धोखाधड़ी के लिए सजा

कंप्यूटर संसाधन-जो कोई भी, किसी भी संचार उपकरण या कंप्यूटर संसाधन धोखाधड़ी के लिए व्यक्तिगत रूप से, किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन साल तक हो सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा जो एक लाख रुपये तक हो सकता है।

72. गोपनीयता और गोपनीयता के उल्लंघन के लिए दंड-इस अधिनियम या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून में अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर, यदि कोई व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम, नियमों या विनियमों के तहत प्रदत्त किसी भी शक्ति के अनुसरण में न्याय के. एस. प्राधिकरण *(*आर. ई. टी. डी.*) v* बनाया है।

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

इसके तहत, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पुस्तक, रजिस्टर, पत्राचार, जानकारी, दस्तावेज़ या अन्य सामग्री तक सुरक्षित पहुंच है।

संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पुस्तक, रजिस्टर, पत्राचार, जानकारी, दस्तावेज या अन्य सामग्री का खुलासा करने पर उसे दो साल तक के कारावास या एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।

261. अपराध के संबंध में जो 'अपराध' की परिभाषा के भीतर आता है, एक पीड़ित हमेशा शिकायत दर्ज कर सकता है या एफ. आई. आर. दर्ज कर सकता है। आधार अधिनियम की धारा *46* में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि आधार अधिनियम अन्य दंडों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। धारा *46* इस प्रकार हैः

"46. अन्य दंडों में हस्तक्षेप न करने के लिए दंड। -
इस अधिनियम के तहत लगाया गया कोई भी जुर्माना उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत किसी अन्य दंड या सजा के अधिरोपण को नहीं रोकेगा।

262. राज्य में यह अदालत *(*दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र*)* बनाम संजय, *(2014)*

9 एस. सी. सी. *772* को खान और खनिज *(*विकास और विनियम*)* अधिनियम, *1957* की धारा *22* के प्रावधानों पर विचार करने का अवसर मिला था। प्रावधान आधार अधिनियम की धारा *47* के समान है। सवाल यह उठा कि क्या मामले में प्राधिकरण द्वारा धारा *22* के तहत शिकायत दर्ज नहीं की गई है, क्या अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है यदि यह भारतीय दंड संहिता के तहत किसी भी अपराध की परिभाषा के भीतर आता है। विभिन्न उच्च न्यायालयों के बीच अलग-अलग राय थी। इस न्यायालय ने इस न्यायालय के पहले के निर्णयों पर ध्यान देने के बाद, पैराग्राफ *17* और *73* में निम्नलिखित निर्धारित किया।

" 17. चूँकि गुजरात उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय और झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा परस्पर विरोधी विचार लिए गए हैं और वे अलग-अलग स्वरों में हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि

इन अपीलों में शामिल प्रश्न का निपटारा करें।

73. इस मामले में विचारपूर्वक विचार करने के बाद, दंड प्रक्रिया संहिता और दंड संहिता के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के आलोक में, हमारी निश्चित राय है कि

एम. एम. डी. आर. अधिनियम के तहत अपराध और इसके घटक

बेईमानी से नदी के तल से रेत और बजरी निकालना *[2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सहमति के बिना, जो राज्य की संपत्ति है, एक है

शिकायत जो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दायर की जा सकती है
विभिन्न उल्लंघनों के संबंध में संज्ञान लेना

एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधान। नतीजतन, विपरीत दृष्टिकोण

विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है

कानून और, इसलिए, खारिज कर दिया गया। नतीजतन, ये अपराधी

मजिस्ट्रेटों को निर्देश देने के साथ अपीलों का निपटारा किया जाता है
तदनुसार आगे बढ़ने के लिए चिंतित।

263. आधार अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान लेने की अनुमति देने में धारा *47* में निहित सीमा केवल

प्राधिकरण या उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत का विधायी उद्देश्य और उद्देश्य है, जैसा कि ऊपर देखा गया है। इस प्रकार हम आधार अधिनियम की धारा *47* में कोई असंवैधानिकता नहीं पाते हैं। में। पूर्वगामी चर्चाओं को देखते हुए, मुद्दे *No.10* का उत्तर निम्नलिखित है।

तरीका -

Ans.10: आधार अधिनियम की धारा *47* को लागू नहीं किया जा सकता है।

इस आधार पर असंवैधानिक कि यह उस व्यक्ति को अनुमति नहीं देता है जो पाता है कि आधार का उल्लंघन हुआ है

किसी भी आपराधिक प्रक्रिया को शुरू करने के लिए अधिनियम।

मुद्दा *No.11*

क्या आधार अधिनियम की धारा *57* है

असंवैधानिक*?*

264. अधिनियम की धारा *57,* जिसमें एक शीर्षक है "कानून के तहत अन्य उद्देश्यों के लिए आधार संख्या के उपयोग को रोकने के लिए अधिनियम नहीं" प्रदान करता हैः

" 57. दूसरों के लिए आधार संख्या के उपयोग को रोकने के लिए अधिनियम

कानून के तहत उद्देश्य। - इस अधिनियम में कुछ भी निहित नहीं होगा
किसी भी उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या के उपयोग को रोकें, चाहे वह राज्य या किसी भी निगम निकाय या व्यक्ति द्वारा, किसी भी कानून के अनुसार, कुछ समय के लिए।

लागू, या इस प्रभाव के लिए कोई अनुबंधः
बशर्ते कि इस धारा के तहत आधार संख्या का उपयोग धारा *8* के तहत प्रक्रिया और दायित्वों के अधीन होगा।

और अध्याय *VI*। "

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

265. धारा *57* के प्रावधान पर हमला करते हुए याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि धारा *57* के तहत गतिविधियों का व्यापक और असीमित दायरा शामिल है

और आधार का उपयोग करने के लिए अनुमत निजी संस्थाओं के प्रकार पूरी तरह से हैं अधिनियम के साधनों और उद्देश्यों से परे और बिना

कोई भी बाध्यकारी राज्य हित। कोई प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नहीं हैं।

निजी संस्थाओं के कार्यों को नियंत्रित करना और उपक्रम की विफलता या सेवा से इनकार के लिए कोई उपाय नहीं। नामांकित होने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति ने केवल आधार सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के लिए अपनी सहमति दी है, जिसे अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं माना जा सकता है। धारा *57* को अत्यधिक प्रत्यर्पण के आधार पर निरस्त किया जाना चाहिए। "कोई भी उद्देश्य" दिशानिर्देशों की अनुपस्थिति को इंगित करता है। किसी भी उद्देश्य का मतलब सभी उद्देश्य नहीं है।

और मानव अस्तित्व के कई पहलू। धारा *57* आनुपातिकता के सभी सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।

266. याचिकाकर्ताओं के उपरोक्त निवेदन का खंडन करते हुए,

उत्तरदाताओं का कहना है कि धारा *57* एक सक्षम प्रावधान नहीं है, यह केवल यह बताती है कि अधिनियम के प्रावधान अन्य उद्देश्यों के लिए आधार के उपयोग को नहीं रोकेंगे। वास्तव में, धारा *57* ऐसे उपयोगकर्ता पर अन्य उद्देश्यों के लिए सीमा का उपयोग करती है, जो प्रावधान में शामिल है - धारा *59.* आधार का उपयोग धारा *8* और अध्याय *VI* के तहत प्रक्रिया और दायित्वों के अधीन किया गया है, अनुबंध को धारा *8* के तहत प्रमाणीकरण के लिए प्रदान करना चाहिए और अध्याय *VI* के तहत संरक्षण और सूत्रीकरण भी स्पष्ट रूप से अध्याय *VII (*अपराध और दंड*)* के संचालन को शामिल करता है। धारा *57* का अन्य कानूनों से कोई संबंध नहीं है, जो संसद द्वारा बनाए जा सकते हैं, संसद द्वारा बनाए गए अन्य कानूनों को उनके गुण-दोष के आधार पर जांचना होगा। धारा *57* कानून बनाने के लिए सक्षम करने वाला प्रावधान नहीं है या बल्कि यह वास्तव में एक सीमा है या

कानून पर प्रतिबंध, जो आधार संख्या के उपयोग के संबंध में बनाया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यक्त की गई आशंका निजी क्षेत्रों में आधार के उपयोग के व्यापक विस्तार के बारे में है गलत जगह पर रखा गया।

267. धारा *57* पर याचिकाकर्ताओं के हमले का एक आधार यह है कि यह असमान है और आनुपातिकता परीक्षण को संतुष्ट नहीं करता है जैसा कि गोपनीयता निर्णय-पुट्टास्वामी मामले में निर्धारित किया गया है। आगे बढ़ने से पहले, आनुपातिकता परीक्षण, इसकी सामग्री और मापदंडों को देखना आवश्यक हो जाता है।

268. पतंजलि शास्त्री, मुख्य न्यायाधीश, उस समय मद्रास राज्य बनाम मद्रास में एक संविधान पीठ के लिए बोल रहे थे। वी. जी. रो, ए. आई. आर *1952* एस. सी.

196 , [2018] 8 एस. सी. आर. पर उचित प्रतिबंधों की अभिव्यक्ति का विस्तार करते हुए।

संविधान के अनुच्छेद *19* के खंड *(5)* में होने वाले अधिकार का प्रयोग यह निर्धारित करता है कि उचित प्रतिबंध असमान नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ *15* में निम्नलिखित देखा गया थाः

" 15 ..... इस संदर्भ में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जहां भी निर्धारित किया जाए, तर्कसंगतता की कसौटी प्रत्येक विवादित क़ानून पर लागू की जानी चाहिए, और तर्कसंगतता का कोई अमूर्त मानक या सामान्य पैटर्न निर्धारित नहीं किया जा सकता है जैसा कि सभी मामलों में लागू होता है। कथित रूप से उल्लंघन किए गए अधिकार की प्रकृति, लगाए गए प्रतिबंधों का अंतर्निहित उद्देश्य, सीमा

और बुराई की तात्कालिकता को दूर करने की मांग की गई, जिससे अधिरोपण का अनुपात, उस समय की प्रचलित परिस्थितियाँ, सभी को न्यायिक निर्णय में प्रवेश करना चाहिए। इस तरह के मायावी कारकों का मूल्यांकन करने और उनकी अपनी अवधारणा बनाने में क्या है

तर्कसंगत रूप से, किसी मामले की सभी परिस्थितियों में, यह अपरिहार्य है कि निर्णय में भाग लेने वाले न्यायाधीशों के सामाजिक दर्शन और मूल्यों के पैमाने को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, और ऐसे मामलों में विधायी निर्णय में उनके हस्तक्षेप की सीमा।

मामलों को केवल उनकी जिम्मेदारी और आत्मसंयम की भावना और इस गंभीर प्रतिबिंब से निर्धारित किया जा सकता है कि संविधान न केवल लोगों के सोचने के तरीके के लिए है, बल्कि सभी के लिए है, और जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों का बहुमत है।

प्रतिबंधों को लागू करने को अधिकृत करने में, विचार किया गया है

वे तर्कसंगत हों। "

269. ओम कुमार में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ और

अन्य बनाम भारत संघ, *(2001) 2* एस. सी. सी. *386* ने विधायी कार्रवाई के संदर्भ में आनुपातिकता की अवधारणा पर विस्तार से विचार किया। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब से ऊपर उल्लिखित आनुपातिकता का सिद्धांत भारत में लागू हुआ है, तब से न्यायमूर्ति जगन्नाथ राव ने आर. वी. में कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किया था। ओक्स *(1986) 26* डी. एल. आर. *2001* ने आनुपातिकता परीक्षण के तीन महत्वपूर्ण घटकों पर ध्यान दिया है। सबसे पहले, अपनाए गए उपायों को प्रश्नगत उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए। उन्हें मनमाना, अनुचित या तर्कहीन नहीं होना चाहिए।

विचार करें। संक्षेप में, उन्हें उद्देश्य से तर्कसंगत रूप से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा, साधनों को न केवल पहले अर्थ में उद्देश्य से तर्कसंगत रूप से जोड़ा जाना चाहिए, बल्कि प्रश्नगत स्वतंत्रता के अधिकार को यथासंभव कम से कम बाधित करना चाहिए। तीसरा, उपायों के प्रभाव और उद्देश्य के बीच 'आनुपातिकता' होनी चाहिए।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

270. पुनः टेरी ओट एस्टेट्स *(*पी*)* लिमिटेड में। बनाम। यू. टी. चंडीगढ़ और अन्य, *(2004) 2* एस. सी. सी. *130,* न्यायमूर्ति सिन्हा ने आनुपातिकता के सिद्धांत की विस्तृत समीक्षा की थी। पैराग्राफ *46* में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया हैः

"*46.* आनुपातिकता से, यह प्रश्न अभिप्रेत है कि क्या मौलिक अधिकारों के प्रयोग को विनियमित करते समय, उपायों का उचित या कम से कम प्रतिबंधात्मक चयन विधायिका या प्रशासक द्वारा किया गया है ताकि कानून के उद्देश्य या प्रशासनिक आदेश के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

हो सकता है। सिद्धांत के तहत, अदालत देखेगी कि विधायिका

और प्रशासनिक प्राधिकरण

"उन प्रतिकूल प्रभावों के बीच एक उचित संतुलन बनाए रखें जो कानून या प्रशासनिक आदेश के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए व्यक्तियों के अधिकारों, स्वतंत्रताओं या हितों पर पड़ सकते हैं।

वे सेवा करने के लिए थे "।

271. सिद्धांत का सबसे विस्तृत विचार

आधुनिक दंत चिकित्सा महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य में आनुपातिकता बनाई गई।

(2016) 7 एससीसी *353*। मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा पारित कानून की वैधता पर विचार किया गया। न्यायालय *(*हममें से एक, डॉ. न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी के माध्यम से बोलते हुए*)* ने अभिनिर्धारित किया कि जो अभ्यास किया जाना आवश्यक है वह मौलिक अधिकार और लगाए गए प्रतिबंधों का संतुलन है, जिसे आनुपातिकता के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। पैराग्राफ *60* में, निम्नलिखित कहा गया है:

" 60. . ... इस प्रकार, इस बात की जांच करते हुए कि क्या विवादित

संवैधानिक रूप से अनुमत होने के लिए कानून द्वारा संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार। अहरोन बराक *(*पूर्व मुख्य न्यायाधीश*)* के अनुसार,
इज़राइल का सर्वोच्च न्यायालय*)*, आनुपातिकता के चार उप-घटक हैं जिन्हें संतुष्ट करने की आवश्यकता है, एक की सीमा

संवैधानिक अधिकार संवैधानिक रूप से अनुमत होगा यदि:

[2018] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((i) यह एक उचित उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट किया गया है*;*

(iii) किए गए उपाय इस मायने में आवश्यक हैं कि ऐसे कोई वैकल्पिक उपाय नहीं हैं जो कम सीमा के साथ उसी उद्देश्य को प्राप्त कर सकें*;* और अंत में
(iv) उचित उद्देश्य को प्राप्त करने के महत्व और संवैधानिक अधिकार पर सीमा को रोकने के सामाजिक महत्व के बीच एक उचित संबंध *("*आनुपातिकता स्ट्रिक्टो सेंसु*"* या *"*संतुलन*")* होने की आवश्यकता है।

272. संवैधानिक सिद्धांतों का विस्तार करते हुए, यह निर्धारित किया गया था कि संविधान जनता की सुरक्षा के लिए संवैधानिक अधिकारों को सीमित करने की अनुमति देता है

दूसरों के हित या अधिकार। दो मूलभूत पहलुओं के बीच संघर्ष, यानी एक ओर अधिकार और दूसरी ओर इसकी सीमा - दोनों को संतुलित करके हल किया जाना चाहिए ताकि वे एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से सह-अस्तित्व में रहें। यह संतुलन प्रत्येक प्रतिस्पर्धी पहलू के सापेक्ष सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए जब उचित रूप से विचार किया जाए।

संदर्भ। उचित संतुलन के लिए किन मानदंडों को अपनाया जाना चाहिए

पैराग्राफ *63* और *64* में समझाया गया है:

"*63.* इस दिशा में अगला सवाल यह उठता है कि दोनों के बीच उचित संतुलन के लिए कौन से मानदंड अपनाए जाने चाहिए।
पहलू अर्थात। कानून द्वारा उस पर लगाए गए अधिकार और सीमाएँ। यहाँ "आनुपातिकता" की अवधारणा आती है, जो एक उचित है।

मानदंड। सटीक शब्दों में कहें तो जब कोई कानून किसी संवैधानिक अधिकार को सीमित करता है, तो ऐसी सीमा संवैधानिक होती है यदि वह आनुपातिक हो। कानून.

प्रतिबंध लगाने को आनुपातिक माना जाएगा यदि यह एक उचित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए है, और यदि इसे प्राप्त करने के लिए उपाय किए गए हैं।

ऐसा उद्देश्य तर्कसंगत रूप से उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, और इस तरह

उपाय आवश्यक हैं। के सिद्धांत का यह सार
आनुपातिकता को कनाडा के सी. जे. डिक्सन ने खूबसूरती से चित्रित किया है।

आर. वी. में ओकीज़, *(1986) 1* एससीआर *103 (*कैन एससी*),* निम्नलिखित में

शब्द *(*पी पर। *138):*

"यह स्थापित करने के लिए कि एक सीमा उचित और स्पष्ट रूप से उचित है

एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज में, दो केंद्रीय मानदंडों को पूरा किया जाना चाहिए। सबसे पहले, उद्देश्य, जिसे एक चार्टर अधिकार या स्वतंत्रता की सीमा के लिए जिम्मेदार उपायों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, वह न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v* को ओवरराइड करने के लिए पर्याप्त महत्व का होना चाहिए।

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार या स्वतंत्रता। दूसरा, धारा *1* का आह्वान करने वाले पक्ष को यह दिखाना चाहिए कि चुने गए साधन उचित और स्पष्ट रूप से उचित हैं। इसमें "एक रूप" शामिल है

आनुपातिकता परीक्षण की। "हालांकि इसकी प्रकृति

आनुपातिकता परीक्षण परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग होगा, प्रत्येक मामले में अदालतों को व्यक्तियों और समूहों के साथ समाज के हितों को संतुलित करने की आवश्यकता होगी। वहाँ हैं, मेरे अंदर देखें, आनुपातिकता परीक्षण के तीन महत्वपूर्ण घटक। सबसे पहले, अपनाए गए उपाय उद्देश्य से तर्कसंगत रूप से जुड़े होने चाहिए। दूसरा, साधनों को अधिकार या स्वतंत्रता को "जितना संभव हो उतना कम" बाधित करना चाहिए। तीसरा, उन उपायों के प्रभावों के बीच एक आनुपातिकता होनी चाहिए जो चार्टर के अधिकार या स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए जिम्मेदार हैं, और उद्देश्य जिसे "पर्याप्त महत्व" के रूप में पहचाना गया है। किसी उपाय के हानिकारक प्रभाव जितने अधिक गंभीर होंगे, उद्देश्य उतना ही अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए यदि

उपाय में उचित और स्पष्ट रूप से उचित होना है

मुक्त और लोकतांत्रिक समाज "।

64. इसलिए जो अभ्यास किया जाना है, वह यह पता लगाने के लिए है कि क्या संवैधानिक अधिकारों की सीमा एक

ऐसा उद्देश्य जो एक लोकतांत्रिक समाज में उचित और आवश्यक हो और इस तरह की कवायद में प्रतिस्पर्धी मूल्यों का वजन बढ़ाना और अंततः आनुपातिकता यानी विभिन्न हितों के संतुलन पर आधारित मूल्यांकन शामिल है।

273. कानून की वैधता की जांच करते हुए आनुपातिकता के सिद्धांत के अनुप्रयोग को अन्य देशों में भी स्वीकार किया गया है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ यूनाइटेड किंगडम, कनाडाई सर्वोच्च न्यायालय और ऑस्ट्रेलियाई न्यायालय के निर्णयों से पता चलता है कि उन्होंने एक क़ानून का न्याय करते समय आनुपातिकता सिद्धांत को लागू किया है। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों ने उक्त सिद्धांत को मान्यता दी है। पुट्टास्वामी मामले में गोपनीयता निर्णय ने एक क़ानून की वैधता का न्याय करने के लिए आनुपातिकता सिद्धांत को भी स्वीकार कर लिया है। गोपनीयता निर्णय में विकसित तीन गुना परीक्षण में, आनुपातिकता तीसरी है।

घटक। डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. ने पैराग्राफ *310* में कहा है

आनुपातिकता के संबंध में निम्नलिखितः

"*310.* जबकि यह राज्य के वैध हितों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करता है, फिर भी राज्य को एक मजबूत शासन स्थापित करना चाहिए जो

यह तीन गुना आवश्यकता की पूर्ति सुनिश्चित करता है।

आवश्यकताएँ गोपनीयता पर सभी प्रतिबंधों पर लागू होती हैं *(*न कि केवल सूचनात्मक गोपनीयता*)*। वे अनुच्छेद *21* के प्रक्रियात्मक और विषय-वस्तु आधारित अधिदेश से निकलते हैं। पहली आवश्यकता यह है कि गोपनीयता पर अतिक्रमण को सही ठहराने के लिए एक कानून होना चाहिए, जो अनुच्छेद *21* की एक स्पष्ट आवश्यकता है। क्योंकि, किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। कानून का अस्तित्व एक अनिवार्य आवश्यकता है। दूसरा, एक वैध राज्य उद्देश्य के संदर्भ में आवश्यकता की आवश्यकता यह सुनिश्चित करती है कि कानून की प्रकृति और सामग्री जो प्रतिबंध लगाती है, अनुच्छेद *14* द्वारा अनिवार्य तर्कसंगतता के क्षेत्र के भीतर आती है, जो राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ एक गारंटी है। एक वैध राज्य उद्देश्य की खोज यह सुनिश्चित करती है कि कानून स्पष्ट रूप से प्रभावित न हो।

मनमानी। वैधता, एक अभिधारणा के रूप में, एक मूल्य निर्णय शामिल है। न्यायिक समीक्षा विधायिका के मूल्य निर्णय की पुनः सराहना या दूसरा अनुमान नहीं लगाती है, बल्कि यह तय करने के लिए है कि जिस उद्देश्य को आगे बढ़ाने की मांग की गई है, वह स्पष्ट या स्पष्ट मनमानेपन से ग्रस्त है या नहीं। तीसरी

आवश्यकता यह सुनिश्चित करती है कि विधायिका द्वारा अपनाए गए साधन कानून द्वारा पूरा किए जाने वाले उद्देश्य और आवश्यकताओं के समानुपाती हों।

आनुपातिकता मनमाना राज्य कार्रवाई के खिलाफ गारंटी का एक अनिवार्य पहलू है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि अधिकार पर अतिक्रमण की प्रकृति और गुणवत्ता कानून के उद्देश्य के लिए असमान नहीं है। इसलिए, एक वैध कानून के लिए तीन गुना आवश्यकता एक ओर मनमानेपन के खिलाफ मौलिक गारंटी और दूसरी ओर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के बीच आपसी निर्भरता से उत्पन्न होती है। निजता का अधिकार, जो जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक आंतरिक हिस्सा है, और भाग *III* में सन्निहित स्वतंत्रताएँ उन्हीं प्रतिबंधों के अधीन हैं जो उन स्वतंत्रताओं पर लागू होती हैं।

274. तीसरी आवश्यकता यह सुनिश्चित करती है कि विधायिका द्वारा अपनाए गए साधन कानून द्वारा पूरा किए जाने वाले उद्देश्य और आवश्यकताओं के समानुपाती हों। आनुपातिकता मनमाना राज्य कार्रवाई के खिलाफ गारंटी का एक आवश्यक पहलू है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि अधिकार पर अतिक्रमण की प्रकृति और गुणवत्ता कानून के उद्देश्य के लिए असमान नहीं है।

275. माइकल श्वार्ज़ बनाम स्टैड्ट बोचम में यूरोपीय न्यायालय ने अपने दिनांकित *17.10.2013* के फैसले में, एक निर्देश जस्टिस के एस पुटास्वामी *(RETD) v* पर विचार करते हुए।

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

यूरोपीय संसद और व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण और इस तरह के डेटा की मुक्त आवाजाही के संबंध में व्यक्तियों की सुरक्षा पर, आनुपातिकता सिद्धांत लागू किया है। पैराग्राफ *40* में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

" 40. चौथा, न्यायालय को यह स्थापित करना चाहिए कि क्या उन अधिकारों पर रखी गई सीमाएं विनियमन संख्या *2252/2004* द्वारा अपनाए गए उद्देश्यों के अनुपात में हैं और विस्तार से, यूरोपीय संघ में अवैध प्रवेश को रोकने के उद्देश्य के लिए हैं। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि क्या उन उपायों को लागू किया गया है।
विनियमन उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक है उससे आगे नहीं जाते हैं *(*देखें वोल्कर और

मार्कस अनुसूची और एफर्ट, पैराग्राफ *74)*।

276. डिजिटल राइट्स आयरलैंड लिमिटेड में यूरोपीय संघ का न्याय न्यायालय। बनाम संचार मंत्री *[2015]* क्यू. बी. ई. सी. जे

127 उत्पन्न या संसाधित डेटा के प्रतिधारण पर संसद और परिषद निर्देश *2006/24/*ईसी की वैधता पर विचार करने का अवसर था

उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक संचार सेवाओं या सार्वजनिक संचार नेटवर्क के प्रावधान के संबंध में। आनुपातिकता के सिद्धांत को लागू करते हुए, यह माना गया कि आनुपातिकता के सिद्धांत

के लिए आवश्यक है कि ई. यू. संस्थानों के कार्य मुद्दे पर कानून द्वारा अपनाए गए वैध उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त हों और जो उचित और आवश्यक है उसकी सीमाओं से अधिक न हों।

उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। पैराग्राफ *46* में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:

"46. संक्षेप में, निर्देश *2006/24* की विशेषता इसकी कार्यात्मक द्वैतता है। एक ओर यह पूरी तरह से पारंपरिक है।

निर्देश जो राष्ट्रीय कानूनों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है

निर्देश की प्रस्तावना में असमान *(*पाठ *(5)* में कहा गया है कि राष्ट्रीय कानून "काफी भिन्न" हैं*)* या ऐसा होने की संभावना है, और आंतरिक बाजार के कामकाज के हित में अपनाया गया था और उस उद्देश्य के लिए सटीक रूप से कैलिब्रेट किया गया था, जैसा कि अदालत ने आयरलैंड बनाम यूरोपीय संसद में फैसला सुनाया था। हालांकि, दूसरी ओर, यह एक निर्देश भी है, जो अपने सामंजस्यपूर्ण कार्य में भी, जहां उपयुक्त हो, दायित्वों को स्थापित करना चाहता है-विशेष रूप से

डेटा प्रतिधारण दायित्व-जो गठन करते हैं, जैसा कि मैं बाद में दिखाऊंगा, चार्टर द्वारा यूरोपीय नागरिकों को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के आनंद में गंभीर हस्तक्षेप, विशेष रूप से गोपनीयता का अधिकार और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा का अधिकार।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

277. कोर्ट ऑफ द जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन डी चैंबर*)* का एक और फैसला टेली*2* स्वेरिज एबी बनाम पोस्ट और टेलीसिरेल्सन है। यूरोपीय संसद और परिषद के बारे मेंइलेक्ट्रॉनिक एकीकरण क्षेत्र में व्यक्तिगत डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा पर विचार किया गया। पैरास *95,96* और *116* में कहा गया है:

" 95. उस अंतिम मुद्दे के संबंध में, निर्देश *2002/58* के अनुच्छेद *15 (1)* का पहला वाक्य प्रदान करता है कि सदस्य राज्य एक उपाय अपनाना जो के सिद्धांत का अपमान करता है

संचार और संबंधित यातायात डेटा की गोपनीयता जहां

यह उस प्रावधान में निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एक लोकतांत्रिक समाज के भीतर एक आवश्यक, उचित और आनुपातिक उपाय है। उस निर्देश के पाठ *11* के संबंध में, यह कहा गया है कि उस प्रकार का एक उपाय 'सख्ती से' आनुपातिक होना चाहिए इच्छित उद्देश्य। विशेष रूप से, डेटा के प्रतिधारण के संबंध में, उस निर्देश के अनुच्छेद *15 (1)* के दूसरे वाक्य में निर्धारित आवश्यकता यह है कि डेटा को सीमित अवधि के लिए रखा जाना चाहिए और उस निर्देश के अनुच्छेद *15 (1)* के पहले वाक्य में बताए गए उद्देश्यों में से एक के संदर्भ में 'उचित' ठहराया जाना चाहिए।

96. आनुपातिकता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए भी प्राप्त होता है

न्यायालय के सुलझे हुए मामले से-कानून इस प्रभाव के लिए कि संरक्षण

यूरोपीय संघ के स्तर पर निजी जीवन का सम्मान करने का मौलिक अधिकार

आवश्यकता है कि संरक्षण से अपमान और सीमाएँ व्यक्तिगत डेटा केवल तभी लागू होना चाहिए जब तक कि सख्ती से आवश्यक हो।

(16 दिसंबर *2008* के निर्णय, सातकुन्नान मार्किनापोर्सी

और सतमेडिया, सी-*73/07*, ई. यू.*:* सीः *2008 : 727* , पैराग्राफ *56; 9* नवंबर *2010* का, वोल्कर एंड मार्कस शेके और आइफर्ट, सी-*92 / 09* और सी-*93/09*, ई. यू.*:* सीः *2010 : 662* , पैराग्राफ *77;* डिजिटल राइट्स जजमेंट, पैराग्राफ *52*, और *6* अक्टूबर *2015*, श्रेम्स,

सी-*362/14*, ईयूः सीः *2015 : 650* , अनुच्छेद *92)*।

116 जहां तक आनुपातिकता के सिद्धांत के साथ अनुकूलता का संबंध है,

राष्ट्रीय कानून उन शर्तों को नियंत्रित करता है जिनके तहत इलेक्ट्रॉनिक संचार सेवा प्रदाताओं को अनुदान देना होगा

पैराग्राफ *95* में जो कहा गया था, उसके अनुसार सुनिश्चित करें और इस निर्णय के *96*, कि इस तरह की पहुंच से अधिक नहीं है

जो कड़ाई से आवश्यक है उसकी सीमाएँ। जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[अशोक भूषण,

278. यू. एस. सुप्रीम कोर्ट ने उक्त परीक्षण पर विचार करते हुए बार-बार कम से कम घुसपैठ परीक्षण लागू करने से इनकार कर दिया है। वर्नोनिया स्कूल

जिला बनाम वेन एक्टन, *515* यूएस *646,132* एल. एड. *2* डी *564*, एक ऐसा मामला था जहां स्कूल जिले द्वारा एक छात्र एथलीट दवा नीति अपनाई गई थी, जिसने जिला स्कूल एथलेटिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रों के यादृच्छिक मूत्र विश्लेषण दवा परीक्षण को अधिकृत किया था। एक छात्र को फुटबॉल खेल में भाग लेने से मना कर दिया गया था क्योंकि उसने और उसके माता-पिता ने परीक्षण सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। एक्टन्स ने नीति के प्रवर्तन से एक घोषणात्मक और निषेधाज्ञा राहत की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया। उठाई गई दलीलों में से एक यह थी कि नीति असमान है क्योंकि यह सभी खिलाड़ियों को मूत्र विश्लेषण से गुजरने के लिए कहती है, परीक्षण कम से कम घुसपैठ परीक्षण नहीं है। सबसे कम घुसपैठ करने वाले परीक्षण को पीछे हटाते हुए, निम्नलिखित आयोजित किया गयाः

"समस्या के समाधान के लिए इन साधनों की प्रभावकारिता के बारे में: हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि खिलाड़ियों के नशीली दवाओं के उपयोग के "आदर्श" प्रभाव और खिलाड़ियों के लिए विशेष रूप से खतरे की दवा की समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान यह सुनिश्चित करके किया जाता है कि खिलाड़ी नशीली दवाओं का उपयोग न करें। उत्तरदाताओं का तर्क है कि "एक ही उद्देश्य के लिए कम घुसपैठ का साधन" उपलब्ध था, अर्थात्, "नशीली दवाओं के उपयोग के संदेह पर दवा परीक्षण"। उत्तरदाताओं के लिए संक्षिप्त जानकारी *45-46*। हमने बार-बार यह घोषणा करने से इनकार कर दिया है कि चौथे संशोधन के तहत केवल "कम से कम घुसपैठ" खोज ही उचित हो सकती है।

स्किनर, ऊपर, *629* पर, एन. *9,103 1* एड *2* डी *639,109* एस. सी. टी. *1402*

(मामले एकत्र करना*)*।

279. इसी प्रभाव के लिए यू. एस. सुप्रीम का एक और निर्णय है

280. याचिकाकर्ताओं ने उत्तरदाताओं की इस दलील का खंडन किया है कि आधार अधिनियम की आनुपातिकता का न्याय करने के लिए कम से कम घुसपैठ परीक्षण लागू नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कम से कम घुसपैठ परीक्षण एक परीक्षण है, जिसे बड़ी संख्या में मामलों में लागू किया गया था और यानी परीक्षण जो यह सुनिश्चित कर सकता है कि गोपनीयता पर न्यूनतम आक्रमण हो। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तरदाताओं ने एक स्मार्ट कार्ड पर स्विच किया होगा, जिसमें स्वयं किसी व्यक्ति की बायोमेट्रिक जानकारी होती है। उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया कि आधुनिक दंत चिकित्सा *(ऊपर)* या पुट्टास्वामी मामले में कम से कम घुसपैठ परीक्षण को मंजूरी नहीं दी गई है। हमारा यह भी विचार है कि ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण कम से कम घुसपैठ परीक्षण पर जोर नहीं दिया जा सकता है। कम से कम घुसपैठ परीक्षण को लागू करने के लिए, न्यायालय को पहचान के सभी उपलब्ध तरीकों का तुलनात्मक विश्लेषण करना होगा, जो सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट है।

उनके विवरणों के साथ जांच और तुलना करने की आवश्यकता है। अदालत को यह पता लगाने के लिए पहुंचना होगा कि पहचान का कौन सा तरीका कम से कम घुसपैठ करने वाला है। हमारा विचार है कि पहचान के कई तरीकों की तुलना करना और किसी निर्णय पर आना, जो कम से कम हस्तक्षेप करने वाला हो, एक ऐसा मामला है, जिसकी जांच करने के लिए विशेषज्ञों पर छोड़ दिया जाना बेहतर होगा। इसके अलावा, पहचान के अन्य तरीकों के संबंध में कोई उचित अभिवचन और सामग्री नहीं है, जो हो सकती थी

इस न्यायालय द्वारा एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए राज्य द्वारा अपनाया गया।

281. आनुपातिकता के मापदंडों को ध्यान में रखने के बाद, अब हमें आनुपातिकता और अन्य परीक्षणों को लागू करने की आवश्यकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या अनुभाग *57* आनुपातिकता और अन्य परीक्षणों को संतुष्ट करता है। धारा *57* इस वाक्यांश से शुरू होती है "इस अधिनियम में निहित कुछ भी आधार संख्या के उपयोग को नहीं रोकेगा". किसी भी उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए। धारा *57* निम्नलिखित अवधारणाओं और विचारों को प्रकट करती है, जिन्हें निम्नलिखित तरीके से पैराफ़्रेज़ किया जा सकता है:

(क*)* इस अधिनियम में निहित कुछ भी किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए आधार संख्या के उपयोग को नहीं रोकेगा।

किसी भी उद्देश्य के लिए।

*((*ख*)* चाहे राज्य या निकाय निगमित या निजी व्यक्ति द्वारा।

(ग*)* किसी भी कानून के अनुसार, कुछ समय के लिए लागू या किसी भी

इस आशय का अनुबंध।

282. आधार कार्यक्रम को लागू करने के लिए आधार अधिनियम का मूल विषय सब्सिडी के वितरण के उद्देश्यों के लिए था। उसी के लिए हकदार व्यक्तियों को लाभ या सेवाएं। धारा *7* के तहत जारी विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा, सरकार ने बड़ी संख्या में *133* योजनाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण लागू किया है।

संख्या। धारा *57* के पीछे का विचार यह है कि आधार को अधिनियम के चारों कोनों से मुक्त किया गया है और यह केवल धारा *7* के तहत उपयोग तक ही सीमित नहीं हो सकता है। यह अधिनियम किसी अन्य उद्देश्य के लिए आधार के उपयोग को प्रतिबंधित नहीं करता है। इस प्रकार धारा *57* एक तरह से स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति की है, जो किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए आधार का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। याचिकाकर्ताओं की दो बुनियादी आपत्तियाँ हैं। सबसे पहले, उन्होंने प्रस्तुत किया कि "कोई भी उद्देश्य" शब्द का उपयोग दिशाहीन और अनियंत्रित है और दूसरा इसका उपयोग किसी भी कानून के अनुसार निगम निकाय या व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है।

इस प्रभाव के लिए बल या कोई अनुबंध। पुट्टास्वामी निर्णय में पहले ही कहा जा चुका है कि निजता के अधिकार के किसी भी उल्लंघन का तीन गुना परीक्षण किया जाना चाहिए जैसा कि ऊपर देखा गया है। गोपनीयता के अधिकार में घुसपैठ न करने के लिए पहला परीक्षण, जिसे संतुष्ट करने की आवश्यकता है, वह यह है कि इसे कानून द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

[अशोक भूषण, जे।*]*

निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। धारा *57* आधार का उपयोग दो आधारों पर करती है। पहला, "किसी भी कानून के अनुसार, कुछ समय के लिए लागू" और दूसरा "इस आशय का कोई अनुबंध"। जब विधायिका "किसी भी कानून के अनुसार, कुछ समय के लिए लागू" वाक्यांश का उपयोग करती है, तो स्पष्ट रूप से धारा *57* में उपयोग किया गया शब्द कानून आधार अधिनियम, *2016* की धारा *57* और उसके तहत बनाए गए विनियमों के अलावा एक अन्य कानून है। जब कोई कानून आधार के उपयोगकर्ता को अनुमति देता है, तो इसकी वैधता का परीक्षण तीन गुना परीक्षण के आधार पर किया जाता है जैसा कि पुट्टास्वामी मामले में निर्धारित किया गया है, लेकिन आधार के उपयोग की अनुमति देते हुए। इस आशय का कोई भी अनुबंध स्पष्ट रूप से गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है। दो पक्षों के बीच किए गए अनुबंध को, भले ही एक पक्ष राज्य हो, कानून नहीं कहा जा सकता है।

283. इस प्रकार हमारा विचार है कि जहां तक धारा *57* "इस आशय के किसी भी अनुबंध" पर आधार के उपयोग की अनुमति देती है, वह स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है।

और नीचे गिराए जाने के योग्य है। हम फिर से स्पष्ट कर सकते हैं कि धारा *57* को केवल इस अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए कि यह स्पष्ट करता है कि आधार अधिनियम में निहित कुछ भी किसी भी कानून के अनुसार किसी भी उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार के उपयोग को नहीं रोकेगा। धारा *57* अपने आप में कोई कानून नहीं है, जो किसी भी उद्देश्य के लिए आधार के उपयोग की अनुमति दे सकता है। अस्तित्व में एक वैध कानून होना चाहिए, जिसे आधार के उपयोग के लिए प्रावधान करने के लिए पुट्टास्वामी मामले में निर्धारित तीन गुना परीक्षण में भी उत्तीर्ण होना चाहिए।

284. पूर्वगामी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हमने माना कि धारा

57, इस आशय के किसी अनुबंध के अनुसरण में राज्य या किसी निगमित निकाय या व्यक्ति द्वारा आधार के उपयोग की अनुमति देने वाली सीमा तक

असंवैधानिक और अमान्य। इस प्रकार, धारा *57* के मुख्य प्रावधान में अंतिम वाक्यांश, अर्थात "या इस आशय का कोई अनुबंध" निरस्त कर दिया जाता है। अंक संख्या *11* का उत्तर निम्नलिखित तरीके से दिया गया हैः

Ans.11: - धारा *57,* उस हद तक, जो सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के अनुसार राज्य या किसी भी निकाय, निगमित या व्यक्ति द्वारा आधार के उपयोग की अनुमति देती है।

इस आशय का कोई भी अनुबंध असंवैधानिक और अमान्य है। इस प्रकार, धारा *57* के मुख्य प्रावधान में अंतिम वाक्यांश, अर्थात "या इस आशय का कोई अनुबंध" निरस्त कर दिया जाता है।

मुद्दा *No.12*

क्या धारा *59* अमान्य है या

असंवैधानिक*?*

285. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि आधार अधिनियम के अधिनियमन से पहले कोई कानून नहीं था और किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी लेने सहित दिनांकित कार्यकारी आदेश के अनुसरण में की गई सभी कार्रवाइयां किसी भी कानून द्वारा समर्थित नहीं थीं जो गोपनीयता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती हैं। निजता के मौलिक अधिकार के उल्लंघन को बाद के किसी भी कानून द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि कार्यकारी कार्य, जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं, उन्हें इसका समर्थन करने के लिए कानून का अधिकार होना चाहिए। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला एक संविधान के बाद का कानून या कार्यकारी अधिनियम अभी भी पैदा हुआ है और शुरू से ही अमान्य है। इसके अलावा कोई सहमति नहीं थी, उक्त अधिसूचना के तहत नामांकन के समय व्यक्तियों से प्राप्त सूचित सहमति की तो बात ही छोड़िए। एक मान्यकारी कानून को पिछले कृत्यों की अयोग्यता के कारण को हटा देना चाहिए। वर्तमान मामले में अयोग्यता का कारण गोपनीयता उल्लंघन को नियंत्रित करने वाले कानून का अभाव था। हालाँकि, धारा *59* ऐसी कानूनी कल्पना पैदा नहीं करती है जहाँ आधार अधिनियम *2009* से अस्तित्व में माना जाता है। यह केवल एक कानूनी परिणाम घोषित करता है

संघ द्वारा *2009* से किए गए कार्य, जो वह नहीं कर सकता। *2016* से पहले कोई प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय मौजूद नहीं थे और इस प्रकार, यह मानते हुए भी कि धारा *59* वैध रूप से अधिनियमित है, इसे अनुच्छेद *14* और *21* का उल्लंघन करने के लिए असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए।

286. उपरोक्त प्रस्तुतियों का जवाब देते हुए, उत्तरदाताओं का कहना है कि

धारा *59* पूर्वव्यापी, बचत प्रावधान है जो दिनांकित अधिसूचना *28.01.2009* और उक्त प्रस्ताव के तहत केंद्र सरकार द्वारा की गई किसी भी चीज़ या की गई कार्रवाई के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव प्रदान करता है।

287. अभिव्यक्ति 'कुछ भी किया गया या इसके तहत कोई कार्रवाई

प्रस्ताव 'सभी कार्यों को शामिल करने के लिए काफी व्यापक है, जिसमें किए गए ज्ञापन भी शामिल हैं जिन्हें यू. आई. डी. ए. आई. ने केंद्रीय विभाग के रूप में निष्पादित किया था। सरकार। धारा *59* उक्त अधिनियम के तहत कार्यकारी योजना के तहत जो किया गया था उसे बचाने और जारी रखने का प्रयास करती है। यह निवेदन कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन को पूर्वव्यापी रूप से ठीक नहीं किया जा सकता है, गलत है। धारा *59* के अंतिम वाक्यांश में "माना जाएगा" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है, यह न्याय के. एस. पुत्रस्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से अधिनियम से पहले की गई कार्रवाई को विधायी समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से कल्पना के निर्माण को इंगित करती है। यह चाहता है कि

आधार की संपूर्ण संरचना को जारी रखें जो सरकारी संकल्प दिनांक *28.01.2009* के तहत स्थापित की गई थी। उपबंध माने जाने के परिणामस्वरूप, उपरोक्त योजना के तहत सभी कार्रवाई अधिनियम के तहत की गई मानी जाएगी, न कि उपरोक्त अधिसूचना के तहत। हम अधिनियम की धारा *59* पर एक नज़र डाल सकते हैं जो प्रदान करती हैः

" *59.* केंद्र सरकार द्वारा कुछ भी किया गया या कोई कार्रवाई की गई

भारत सरकार के संकल्प के तहत, योजना

अधिसूचना संख्या ए वाला आयोग*-43011/02/2009-*प्रशासन। *I,* दिनांक *28* जनवरी, *2009,* या विभाग द्वारा

मंत्रिमंडल के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी

सचिवालय अधिसूचना अधिसूचना संख्या एस. ओ.

2492 (ई*),* दिनांक *12* सितंबर, *2015,* जैसा भी मामला हो, के तहत वैध रूप से किया गया या लिया गया माना जाएगा।

अधिनियम "।

288. न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह सांविधिक व्याख्या के सिद्धांतों में,

14 संस्करण, कानूनी कल्पना की व्याख्या करते हुए निम्नलिखित शब्दों में सिद्धांत का सारांश देता हैः

"विधायिका एक कानूनी कल्पना बनाने के लिए काफी सक्षम है, दूसरे शब्दों में, एक ऐसे तथ्य के अस्तित्व को ग्रहण करने के उद्देश्य से एक डीमिंग प्रावधान लागू करने के लिए जो वास्तव में मौजूद नहीं है,

बशर्ते कि गैर-मौजूद तथ्यों की घोषणा जैसा कि मौजूद है, संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। हालाँकि 'डीम्ड' शब्द का उपयोग आमतौर पर किया जाता है, लेकिन उस शब्द का उपयोग किए बिना एक कानूनी कल्पना को लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, 'जैसे' शब्दों का उपयोग कानूनी कल्पना बनाने के लिए भी किया जा सकता है।

एक कानूनी कल्पना बनाने वाले प्रावधान की व्याख्या करने में, अदालत है

यह पता लगाने के लिए कि कल्पना किस उद्देश्य के लिए बनाई गई है, और इसका पता लगाने के बाद, न्यायालय को उन सभी तथ्यों और परिणामों को मान लेना है जो आनुषंगिक या अपरिहार्य हैं।

कल्पना को प्रभाव देना। लेकिन कल्पना को इस तरह से समझने में इसे उस उद्देश्य से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए जिसके लिए इसे बनाया गया है, या उस खंड की भाषा से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए जिसके द्वारा इसे बनाया गया है।

289. मेसर्स में इस न्यायालय का एक संविधान पीठ का निर्णय। वेस्ट रामनाड इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बनाम मद्रास राज्य और

एक अन्य, ए. आई. आर. *1962* एस. सी. *1753,* पर उत्तरदाताओं ने बहुत अधिक भरोसा किया है। मद्रास विधानमंडल ने एक अधिनियम, मद्रास विद्युत आपूर्ति *[2018] 8* एस. सी. आर. पारित किया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मद्रास प्रांत में बिजली की आपूर्ति के लिए उपक्रम *(*अधिग्रहण*)* अधिनियम, *1949*। *17.05.1951* दिनांकित एक आदेश द्वारा अपीलार्थी उपक्रम का अधिग्रहण किया गया और कब्जा लेने का निर्देश दिया गया। वहाँ था। *1949* के अधिनियम को चुनौती दी गई जिसे इस न्यायालय ने राजमुंदरी विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड बनाम में बरकरार रखा था। आंध्र राज्य

प्रदेश, ए. आई. आर. *1954* एस. सी. *251,* इस आधार पर कि अधिनियम मद्रास विधानमंडल की विधायी क्षमता से परे था। द मद्रास

विधानमंडल ने एक अन्य अधिनियम, मद्रास विद्युत आपूर्ति उपक्रम *(*अधिग्रहण*)* अधिनियम, *1949* पारित किया, जिसे राष्ट्रपति का अनुमोदन भी प्राप्त हुआ। सहमति दें। इस अधिनियम का उद्देश्य *1949* के अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई को मान्य करना था। कब्जा जारी रखने के लिए *1949* अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी। रिट याचिका खारिज कर दी गई और मामला इस अदालत में ले जाया गया। इस न्यायालय के समक्ष जो तर्क उठाया गया था, उसे पैराग्राफ *8* में निम्नलिखित शब्दों में देखा गया है:

"8 ..... श्री. नांबियार ने आगे तर्क दिया कि यह अधिसूचना दो कारणों से अमान्य थी; यह अमान्य थी क्योंकि इसे एक अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किया गया था जो इससे परे होने के कारण अमान्य था। मद्रास
विधानमंडल की विधायी क्षमता, और यह इस अतिरिक्त कारण से शून्य था कि इसके जारी होने से पहले, भारत का संविधान लागू हो गया था और यह कला के प्रावधानों के खिलाफ था। *31* संविधान, और इसलिए, कला।

13 (2) आवेदन किया। अधिनियम की धारा *24*, इसमें कोई संदेह नहीं है, इस अधिसूचना को कथित या मान्य करने का प्रयास किया गया है, लेकिन उक्त प्रयास विफल रहा है क्योंकि अधिनियम संभावित है। *24* पूर्वव्यापी नहीं हो सकता है

ऑपरेशन। वास्तव में, यह पहला विवाद है जो पहले उठाया गया था

हम "।

290. 1949 के अधिनियम की धारा *24*, जिसने पहले के अधिनियम के तहत की गई कार्रवाइयों को मान्य करने वाली एक काल्पनिक कल्पना का निर्माण किया था, में देखा गया है पैरा *11* जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

" 11. आइए फिर हम धारा *24* का अर्थ निकालें और यह तय करें कि क्या यह प्रतिवादी द्वारा जारी की गई आक्षेपित अधिसूचना को मान्य करने का काम करता है।

21 सितंबर, *1951*।

धारा *24* इस प्रकार है:

" किए गए आदेश, दिए गए निर्णय या निर्देश, जारी की गई अधिसूचनाएं, की गई कार्यवाही और किए गए कार्यों के संबंध में, कभी भी किए गए किसी भी उपक्रम के संबंध में, यदि वे वैध रूप से किए गए होते, तो एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

मद्रास विद्युत आपूर्ति उपक्रम *(*अधिग्रहण*)* अधिनियम, *1949 (*मद्रास अधिनियम *XLIII)*

1949) , और उसके तहत बनाए गए नियम लागू थे

अधिसूचनाएं, कार्यवाही, कार्य या चीजें, जो की गई थीं, दी गई थीं, जारी की गई थीं, ली गई थीं या की गई थीं, उन्हें वैध रूप से किया गया, दिया गया, जारी किया गया, लिया गया या किया गया घोषित किया जाता है, सिवाय इसके कि उक्त आदेश, निर्णय, निर्देश, अधिसूचनाएँ, कार्यवाहियाँ, कार्य या चीजें इसके प्रतिकूल हैं

इन अधिनियमों के प्रावधान "।

9999

अपीलार्थी के वकील की प्रस्तुति को निरस्त करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया था

अधिनियम *24* को पूर्वव्यापी उद्देश्य के लिए अधिनियमित किया गया था

पूर्ववर्ती अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई कार्रवाई। इसके बाद

: अनुच्छेद *13* में लिखा हैः

" 13 ..... यदि अधिनियम पूर्वव्यापी रूप से लागू है और एस। *24* पूर्ववर्ती अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई कार्रवाइयों को पूर्वव्यापी रूप से मान्य करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है, इसका पालन प्रासंगिक प्रावधानों के बहुत पूर्वव्यापी संचालन द्वारा किया जाना चाहिए कि जब विवादित अधिसूचना जारी की गई थी, तो ये प्रावधान थे

अस्तित्व में है। यही इसका स्पष्ट और स्पष्ट प्रभाव है

कानून का पूर्वव्यापी संचालन। इसलिए विचार करते हुए चाहे वह कला हो। *31 (1)* अनुपालन किया गया है या नहीं, हमें करना चाहिए

मान लीजिए कि अधिसूचना जारी होने से पहले, संबंधित

अधिनियम के प्रावधान मौजूद थे और इसलिए, अनुच्छेद। *31 (1)* यह माना जाना चाहिए कि इस अर्थ में इसका पालन किया गया है।

292. यह प्रस्तुत किया गया था कि अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना अनुच्छेद *31* का उल्लंघन करती है जो एक मौलिक अधिकार है और ऐसा नहीं कर सकता है

बाद के कानून द्वारा। विवाद में नोट किया गया है

एफ़ *15:*

15. यह हमें श्री नांबियार द्वारा वर्तमान अपीलों में उठाए गए बड़े मुद्दे की ओर ले जाता है। उनका तर्क है कि कानून को पूर्वव्यापी बनाने की विधायिका की शक्ति का वैध रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है ताकि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को पूर्वव्यापी रूप से रोका जा सके। उनका तर्क है कि *1949* का पूर्ववर्ती अधिनियम मृत और अप्रमाणित है। अस्तित्व में होने पर, आक्षेपित अधिसूचना ने कला का उल्लंघन किया। *31 (1)* और किसी मौलिक अधिकार के इस उल्लंघन को विधायिका द्वारा बाद में एक कानून पारित करके और इसे *[2018] 8* एस. सी. आर. बनाकर ठीक नहीं किया जा सकता है।

पूर्वव्यापी। इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने दीप चंद बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। उत्तर प्रदेश राज्य *(1959)* सप. *2* एस. सी. आर. *8. (* ए. आई. आर. *1959* एस. सी. *648) "*।

293. संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि विधानमंडल कानून के तहत की गई कार्रवाई को मान्य करने की शक्ति का प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सकता है

जो इस कारण से अमान्य था कि यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। पैराग्राफ *16* में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया हैः

" 16 ..... यदि कोई कानून इस कारण से अमान्य है कि उसे विधायी क्षमता के बिना किसी विधायिका द्वारा पारित किया गया है, और उसके प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है, तो उक्त कार्रवाई को निम्नलिखित द्वारा मान्य किया जा सकता है:
आवश्यक विधायी शक्ति से लैस होने के बाद उसी विधानमंडल द्वारा पारित किया गया कानून। यह स्थिति विवादित नहीं है। यदि विधायिका पूर्वव्यापी विधान द्वारा उन कानूनों के अनुसरण में की गई कार्रवाइयों में अयोग्यता को ठीक कर सकती है जो विधायी क्षमता के अभाव में शून्य थे और इस तरह की कार्रवाई को मान्य कर सकते हैं

उचित प्रावधान, यह देखना मुश्किल है कि वही शक्ति क्यों है

कानून के तहत की गई कार्रवाइयों को मान्य करने में विधायिका द्वारा समान रूप से प्रभावी ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता है जो इस कारण से अमान्य हैं कि उन्होंने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। जैसा कि दीप चंद के मामले में बहुमत के फैसले से पता चला है, विधायी क्षमता की कमी के साथ-साथ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से होने वाली दुर्बलता एक ही परिणाम की ओर ले जाती है और वह यह है कि उल्लंघन करने वाला कानून अमान्य और ईमानदार है। ऐसा होने पर, यदि विधायिका एक वर्ग के अमान्य कानून के तहत की गई कार्रवाइयों को मान्य कर सकती है, तो कोई कारण नहीं है कि वह कार्यों को मान्य करने के लिए अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है।
शून्य विधान के अन्य वर्ग के तहत लिया गया। इसलिए, हम श्री नांबियार के इस तर्क को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि जहां मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का संबंध है, विधायिका किसी कानून के तहत की गई कार्रवाई को पूर्वव्यापी रूप से मान्य करने वाला कानून पारित नहीं कर सकती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के कारण अमान्य था।

लागू होता है। उन्होंने कहा कि आधार अधिनियम की धारा *59* के विपरीत, पश्चिम रामनाड मामले में प्रावधानों में 'केंद्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई' जैसे कोई सीमित शब्द नहीं थे। आगे पश्चिम के तहत भी रामनाद केस सिद्धांत, कार्रवाई को बचाया जा सकता है, पिछली व्यवस्था के तहत उचित होना चाहिए। पश्चिम रामनाड कार्रवाई पहले के जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. के तहत की गई थी।

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

कानून जिसे अधिकार से बाहर घोषित किया गया था, जिसे धारा के तहत सहेजा नहीं जा सकता है

59 आधार अधिनियम। व्यक्तियों से बायोमेट्रिक्स का संग्रह

2016 तक के अधिकार को विधिसम्मत और *2009* के अधिकार क्षेत्र में वर्णित नहीं किया जा सकता है।

अधिसूचना। यदि यह *2009* की अधिसूचना के अधिकार से बाहर था, तो धारा *59* आधार अधिनियम कार्रवाई की पुष्टि नहीं कर सकता है।

295. जैसा कि कहा गया है, हम पहले ही निर्णय के अनुपात को देख चुके हैं।

पश्चिम रामनाड मामले में निर्णय में अनुच्छेद *16* में कि भले ही

इससे पहले की कार्रवाई, जिसे मान्य करने की मांग की गई थी, अधिकार से बाहर थी और उल्लंघन करती थी

कानून एक काल्पनिक कल्पना का निर्माण करता है। हमारा मानना है कि अनुपात निर्धारित किया गया है पश्चिम रामनाड मामला वर्तमान मामले में पूरी तरह से लागू होता है।

296. विशंभर नाथ कोहली में एक और संविधान पीठ और

अन्य वी। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, ए. आई. आर *1966* एस. सी. *573*

1950 के अधिनियम *31* के तहत निहित काल्पनिक कथा पर विचार करने का अवसर। *1950* के अधिनियम *31* की धारा *58 (3)* में यह प्रावधान माना गया है कि *1949* के अध्यादेश *27* के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया कुछ भी कार्य या कार्रवाई *1950* के अधिनियम *31* द्वारा या उसके तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए की गई या की गई मानी जाएगी। के पैराग्राफ *7* और *8* में

निम्नलिखित निर्णय दिया गया हैः

" 7. 1949 के अध्यादेश *27* के तहत एक कार्यवाही शुरू की गई

1949 का अध्यादेश *12* या *1949* में किया गया कुछ भी कार्य या की गई कार्रवाई।

उस अध्यादेश के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना था

यह माना जाए कि कार्यवाही शुरू की गई है, कार्य किया गया है और कार्रवाई की गई है पूर्व अध्यादेश के तहत जैसे कि वह अध्यादेश लागू था

किया गया या कार्रवाई की गई। *1950* के अधिनियम *31* की धारा *58 (3)* एक समान माना जाने वाला प्रावधान था कि कुछ भी किया गया या कार्रवाई की गई

के अध्यादेश *27* के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए लिया गया

1949 के अभ्यास में किया गया या लिया गया माना जाता है

1950 के अधिनियम *31* द्वारा या उसके तहत प्रदत्त शक्ति, जैसे कि अधिनियम

उस दिन लागू थे जिस दिन ऐसा किया गया था या कार्रवाई की गई थी

ले जाया गया।

मानो हम उस अधिनियम को उस दिन लागू कर रहे हों जिस दिन ऐसा किया गया था। की गई या कार्रवाई की गई। डिप्टी कस्टोडियन द्वारा पारित आदेश

एस के तहत। *6* अतः *1949* के अध्यादेश *12* का उद्देश्य था -

इस कार्यवाही का, *1950* के अधिनियम *31* द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया आदेश माना जाएगा जैसे कि वह अधिनियम

जिस दिन आदेश पारित किया गया था उस दिन बल।

297. पश्चिम रामनाद *(ऊपर)* में निर्णय का अनुपात इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में बार-बार लागू किया गया है। संदर्भ दिया जाता है हरि सिंह और अन्य बनाम। सैन्य संपदा अधिकारी और दूसरा, *1972 (2)* एस. सी. सी. *239,* जो सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा प्रस्तुत किया गया मामला था। पैराग्राफ *16* में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:

"16. वेस्ट रामनाड इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड *(1)* मामले में इस न्यायालय का निर्णय पूर्ववर्ती अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई के सत्यापन के उद्देश्य से संचालन में पूर्वव्यापी कानून बनाने के लिए विधायिका की क्षमता को स्थापित करता है, जिसे अदालत के एक निर्णय द्वारा अमान्य घोषित किया गया है। यह सराहना की जानी चाहिए कि सत्यापन बाद के प्रावधानों के आधार पर है
कानून का एक टुकड़ा "।

298. न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर, जे. कृष्ण चंद्र में

गंगोपाध्याय और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य, *1975 (2)* एस. सी. सी. *302* ने अधिनियम के सत्यापन पर विचार करते हुए कहा कि विधानमंडल पूर्वव्यापी रूप से यह मान्य कर सकता है कि अन्यथा निष्क्रिय कानून या कार्रवाई क्या थी। पैराग्राफ *25* में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:

"25. पश्चिम रामनाद *(ऊपर)* का अनुपात स्पष्ट है। विधायिका पूर्वव्यापी रूप से यह प्रमाणित कर सकती है कि अन्यथा निष्क्रिय कानून या कार्रवाई क्या थी। असंतुष्ट शब्दांकन, अस्पष्ट अभिव्यक्ति या अपूर्ण या कलात्मक प्रारूपण आवश्यक रूप से, केवल इसी कारण से, मान्य करने वाले कानून के स्पष्ट उद्देश्य और उसके पूर्वव्यापी उद्देश्य को पराजित नहीं कर सकता है।
सामग्री "।

299. यह न्यायालय फिर से आई. टी. डब्ल्यू. सिग्नोड इंडिया लिमिटेड बनाम. केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, *2004 (3)* एस. सी. सी. *48* ने अभिनिर्धारित किया कि उपचारात्मक कानूनों का उद्देश्य अपने स्वभाव से पिछले लेन-देन पर काम करना और उन्हें प्रभावित करना है। पैराग्राफ *61* में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:

"61. एक क़ानून, जो साधारण है, को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत निर्दिष्ट विधायी क्षेत्रों के संबंध में संसद या राज्य विधानमंडल की विधान की पूर्ण शक्ति विवादित नहीं है। एक वैधानिक अधिनियम हो सकता है
संभावित या पूर्वव्यापी रूप से अधिनियमित किया जाए। उपचारात्मक और मान्यकारी क़ानून के मामले में एक पूर्वव्यापी प्रभाव निर्विवाद रूप से दिया जा सकता है। वास्तव में उपचारात्मक क़ानून अपनी प्रकृति से न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(आर. ई. टी. डी.) v* के लिए अभिप्रेत हैं।

[अशोक भूषण, जे।*]*

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वे पहले से मौजूद शर्तों पर काम करते हैं, पिछले लेनदेन को संचालित करना और प्रभावित करना। हालांकि, सत्यापन अधिनियम का दायरा मामले-दर-मामले अलग-अलग हो सकता है।

300. यह तर्क कि अनुच्छेद *14* द्वारा प्रभावित कार्रवाई या प्रावधान को कभी भी मान्य नहीं किया जा सकता है, इस न्यायालय द्वारा विशेष रूप से खारिज कर दिया गया था

मैसूर राज्य और एक अन्य बनाम डी। अचिया चेट्टी, आदि, *(1969) 1* एस. सी. सी. *248*, पैराग्राफ *15* में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया हैः

"*15.* श्री एस. टी. देसाई, हालांकि, तर्क देते हैं कि अनुच्छेद *14* द्वारा प्रभावित अधिग्रहण या पहले की गई किसी भी चीज़ को कभी भी मान्य नहीं किया जा सकता है, जब तक कि अनुचित वर्गीकरण के दोष को हटा नहीं दिया जाता है और
वैधीकरण अधिनियम उस कारण से अप्रभावी है। यह तर्क इस तार्किक निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि कार्रवाई के लिए एक कानून के चयन से उत्पन्न होने वाले भेदभाव, दूसरे के बजाय, जब दो प्रक्रियाएं उपलब्ध होती हैं, तो क्षेत्र से प्रतिस्पर्धी कानूनों में से एक को पूर्वव्यापी रूप से हटाकर कभी भी सही नहीं किया जा सकता है। यह है।

गलत धारणा "।

301. एक क़ानून एक विधायी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक कानूनी कल्पना बनाता है। हम लॉर्ड एस्क्विथ के प्रसिद्ध निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं

ईस्ट एंड लिविंग *Co.Ltd*। और फ़िनसरी बरो काउंसिल, *1952* ए. सी. *109*, लॉर्ड एस्क्विथ का उच्चारण निम्नलिखित हैः

"यदि आपको एक काल्पनिक स्थिति के रूप में व्यवहार करने के लिए कहा जाता है

वास्तव में, आपको निश्चित रूप से, जब तक कि ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, तब तक उन परिणामों और घटनाओं की वास्तविक रूप से कल्पना भी करनी चाहिए जो, यदि अनुमानित हैं

स्थिति वास्तव में मौजूद थी, अनिवार्य रूप से उससे प्रवाहित हुई होगी या उसके साथ आई होगी। कानून कहता है कि आपको एक निश्चित स्थिति की कल्पना करनी चाहिए; यह नहीं कहता है कि ऐसा करने के बाद, आपको अपनी कल्पना को आने पर चौंका देना चाहिए या अनुमति देनी चाहिए।
उस स्थिति के अपरिहार्य परिणामों के लिए "।

302. विधायिका ने अक्सर कई कार्यों को बचाने के लिए कानूनी कल्पना का निर्माण किया है जो अधिनियमन से पहले हुए थे। नर बहादुर भंडारी और एक अन्य बनाम में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया गया है।

सिक्किम राज्य और अन्य, *(1998) 5* एस. सी. सी. *39*। उपरोक्त मामले में डीमिंग फिक्शन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, *1988* की धारा *30* द्वारा बनाया गया था। धारा *30* में यह प्रावधान है कि इस प्रकार दोहराए गए अधिनियमों के तहत या उनके अनुसरण में की गई या की गई कोई भी कार्रवाई या कथित रूप से की गई कार्रवाई

यह समझा जाएगा कि *1988* के अधिनियम के तहत किया गया है या लिया गया है। पैराग्राफ *10* में निम्नलिखित कहा गया थाः

" 10 ..... वर्तमान मामले में, *1988* का अधिनियम निरसन अधिनियम है। उप-सेक। *(2)* धारा *30* का पाठ इस प्रकार हैः

निरसित किया गया, जहाँ तक यह इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है, यह माना जाएगा कि इसके तहत या इसके तहत किया गया है या लिया गया है। इस अधिनियम के संबंधित प्रावधान का अनुसरण करना।

12. उक्त उप-धारा एक ओर यह सुनिश्चित करती है कि

सामान्य खंड अधिनियम की धारा *6* का अनुप्रयोग नहीं है

पूर्वाग्रह से ग्रस्त, दूसरी ओर यह एक अलग इरादे को व्यक्त करता है

उक्त धारा *6* द्वारा विचार किया गया। उपरोक्त उप-धारा के अंतिम भाग में एक कानूनी कल्पना का परिचय दिया गया है जिसके तहत *1947* के अधिनियम के तहत या उसके अनुसरण में की गई कोई भी कार्रवाई या कार्रवाई निम्नलिखित के तहत या उसके अनुसरण में की गई या की गई मानी जाएगीः

1988 के अधिनियम के संबंधित प्रावधान। वह है, कल्पना

प्रभाव यह है कि *1988* का अधिनियम तब लागू हुआ था जब ऐसा किया गया था या कार्रवाई की गई थी।

303. कर्नाटक राज्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य, *(2017) 3* एस. सी. सी. *362*, हममें से एक, न्यायमूर्ति दीपक, जैसा कि वे उस समय थे, में इस न्यायालय की न्यायपीठ द्वारा कल्पना को काल्पनिक मानने पर एक विस्तृत विचार किया गया था, जो अनुच्छेद *72* से *74* में न्यायालय की ओर से बोल रहे थेः

" 72. श्री रोहतगी के समर्पण का दूसरा अंग

रखरखाव क्षमता के तहत नियोजित भाषा से संबंधित है

1956 के अधिनियम की धारा *6 (2)*, जो इस प्रकार हैः

" 6 (2) उप-धारा *(1)* के तहत केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन के बाद न्यायाधिकरण के निर्णय का वही बल होगा जो इसके आदेश या डिक्री का होगा।

सुप्रीम कोर्ट। "

73. धारा *6 (2)* के आधार पर, जिसे संशोधन अधिनियम *2002 (2002* का अधिनियम संख्या *14)* के माध्यम से पेश किया गया था, जो *6.8.2002* से लागू हुआ था, श्री रोहतगी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि इस

न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को हटा दिया गया है क्योंकि यह अपने स्वयं के डिक्री पर अपील में नहीं बैठ सकता है। विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नरीमन और श्री नाफडे ने इस दलील का गंभीरता से विरोध किया है कि

उक्त प्रावधान, यदि इसकी व्याख्या एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* अधिकारिता को बाहर करने के लिए की जानी है।

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

भारत के उच्चतम न्यायालय के, इसका समर्थन अनुच्छेद *136 (2)* के अंत में "या अनुच्छेद *262 (2)* के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत गठित किसी भी न्यायाधिकरण के किसी भी निर्धारण के लिए" शब्दों को जोड़कर एक संवैधानिक संशोधन द्वारा किया जाना चाहिए और ऐसी स्थिति में, सभी संभावनाओं में संविधान में ऐसा संशोधन न्यायिक समीक्षा की शक्ति को प्रभावित करने वाले अधिकार से परे हो सकता है जो

यह संविधान की मूल विशेषता का एक हिस्सा है। प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने सर्वोच्च की शक्ति के प्रत्यर्पण और बहिष्कार के बीच अंतर किया है।

मूल संविधान द्वारा भारत का न्यायालय और द्वारा कोई बहिष्करण संवैधानिक संशोधन। जो भी हो, उक्त पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें केवल व्याख्या करने की आवश्यकता है

धारा *6 (2)* जैसा कि आज क़ानून की पुस्तक में मौजूद है। केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन के बाद न्यायाधिकरण के निर्णय को मजबूती प्रदान करने के लिए उक्त प्रावधान जोड़ा गया है और यह केंद्र-राज्य संबंधों *(1980)* पर सरकारिया आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

17.4.19 1980 में अधिनियम में संशोधन किया गया और धारा *6* ए को जोड़ा गया। यह धारा न्यायाधिकरण के निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए एक योजना तैयार करने का प्रावधान करती है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ प्राधिकरण की स्थापना, उसके कार्यकाल और सेवा की अन्य शर्तों आदि का प्रावधान है, लेकिन केवल ऐसी एजेंसी का निर्माण न्यायाधिकरण के निर्णय के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं होगा। धारा *6* ए के तहत स्थापित कोई भी एजेंसी वास्तव में संबंधित राज्यों के सहयोग के बिना काम नहीं कर सकती है। इसके अलावा, एक न्यायाधिकरण के निर्णय को बाध्यकारी और प्रभावी रूप से लागू करने योग्य बनाने के लिए, इसके पीछे वही बल और मंजूरी होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश या डिक्री के रूप में होनी चाहिए। हम अनुशंसा करते हैं कि इस उद्देश्य के लिए अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए।

17.6.05 - अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, *1956* में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि किसी न्यायाधिकरण के निर्णय के पीछे उच्चतम न्यायालय के आदेश या डिक्री के समान बल और मंजूरी हो।

न्यायाधिकरण के निर्णय को वास्तव में बाध्यकारी बनाना।

74 ..... संसद ने जानबूझकर उन शब्दों का उपयोग किया है जिनसे यह समझा जा सकता है कि एक कानूनी कल्पना उद्देश्य *[2018] 8* एस. सी. आर. को पूरा करने के लिए है।

जिसके लिए कथा बनाई गई है और इससे आगे की यात्रा करने का इरादा नहीं है। इसका उद्देश्य न्यायाधिकरण के निर्णय का बाध्यकारी प्रभाव और प्रवर्तनीयता की प्रभावशीलता है। इस प्रकार, यह संकीर्ण रूप से समझा जाना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या है।

सेवा करने के लिए होता है।

304. पैराग्राफ *75,76* और *77* में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

" 75. इस संदर्भ में, हम जी. पी. सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों, *14* वें संस्करण का उपयोगी उल्लेख कर सकते हैं। विद्वान। लेखक ने इस प्रकार व्यक्त किया हैः

"एक कानूनी कल्पना बनाने वाले प्रावधान की व्याख्या करते हुए, अदालत को यह पता लगाना है कि कल्पना किस उद्देश्य के लिए बनाई गई है, और इसका पता लगाने के बाद, अदालत को उन सभी तथ्यों और परिणामों को मान लेना है जो आनुषंगिक या अपरिहार्य हैं।

कल्पना को प्रभाव देना। लेकिन कल्पना को इस तरह से समझने में इसे उस उद्देश्य से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है जिसके लिए इसे बनाया गया है, या उस खंड की भाषा से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है जिसके द्वारा इसे बनाया गया है। इसे एक और काल्पनिक कथा आयात करके भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। ऊपर बताए गए सिद्धांत 'अच्छी तरह से स्थापित' हैं। कानून को व्यवहार्य बनाने के लिए एक कानूनी कल्पना की संक्षिप्त व्याख्या भी की जा सकती है।

76. अनीता हाडा बनाम। गॉडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स, *(2012) 5*

एस. सी. सी. *661,* तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार फैसला सुनाया हैः

" 37. राज्य में टी. एन. वी. अरूरन शुगर लिमिटेड, *(1997) 1* एस. सी. सी. *326* संविधान पीठ ने डीमिंग पर विचार करते हुए

एक क़ानून में प्रावधान ने फैसला सुनाया कि कानूनी कल्पना पैदा करने वाले क़ानून में एक प्रावधान की भूमिका अच्छी तरह से तय की गई है। खानों के मुख्य निरीक्षक बनाम को संदर्भ दिया गया था। करम चंद थापर, ए. आई. आर *1961* एस. सी. *838,* जे. के. कॉटन एस. पी. जी. और डब्ल्यूवीजी। मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, *1987* सप. एससीसी *350,* एम. वेणुगोपाल बनाम। एल. आई. सी. *(1994) 2* एस. सी. सी. *323* और हरीश टंडन बनाम। ए. डी. एम., इलाहाबाद, *(1995) 1* एस. सी. सी. *537* और अंततः, यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब कोई कानून यह कहते हुए एक कानूनी कल्पना का निर्माण करता है कि कुछ ऐसा किया गया माना जाएगा जो वास्तव में और सच्चाई में नहीं किया गया है, तो न्यायालय को जांच करनी होगी और यह पता लगाना होगा कि किस उद्देश्य के लिए और किन व्यक्तियों के बीच ऐसी वैधानिक कल्पना का सहारा लिया जाना है और उसके बाद, अदालतों को ऐसी वैधानिक कल्पना को पूरा प्रभाव देना होगा और इसे लागू करना होगा।

अपने तार्किक निष्कर्ष तक "। जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

38. उपरोक्त घोषणाओं से, जो सिद्धांत निकाला जा सकता है, वह यह है कि यह पता लगाना अदालत का बाध्यकारी कर्तव्य है कि कानूनी कल्पना किस उद्देश्य के लिए बनाई गई है। अदालत का यह भी कर्तव्य है कि वह सभी वास्तविक परिणामों और उदाहरणों के साथ कल्पना की कल्पना करे जब तक कि ऐसा करने से मना न किया जाए।

इसके अलावा, "मानित" शब्द के उपयोग को इसके संदर्भ में पढ़ना होगा और आगे, पूर्ण तार्किक उद्देश्य और महत्व को समझना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आधुनिक कानून में "मानित" शब्द का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया गया है। का उद्देश्य
विधायिका को ध्यान में रखना होगा।

77. हरि राम के मामले में, अदालत ने कहा है कि एक कानूनी कल्पना बनाने वाले प्रावधान की व्याख्या करते हुए, अदालत को यह पता लगाना है कि कल्पना किस उद्देश्य के लिए बनाई गई है और यह पता लगाने के बाद कि

उसी प्रकार, न्यायालय को उन सभी तथ्यों और परिणामों को ग्रहण करना है जो प्रभाव देने के लिए आकस्मिक या अपरिहार्य परिणाम हैं

काल्पनिक "।

केंद्र सरकार द्वारा दिनांकित *28.01.2009* अधिसूचना और दिनांकित *12.09.2015* अधिसूचना के तहत लिया गया है, जिसे एक कानूनी कल्पना बनाकर आधार अधिनियम के तहत वैध रूप से किया गया है। उपरोक्त दो अधिसूचनाओं के तहत की गई सभी कार्रवाइयों को सहेजने और उन्हें उस अधिनियम के तहत किया गया मानने का इरादा स्पष्ट है, यह धारा *59* का उद्देश्य और उद्देश्य है। धारा *59* को अर्थ देने के लिए व्याख्या की जानी चाहिए अन्यथा रखने का विधायी इरादा धारा *59* के उद्देश्य को विफल कर देगा। जैसा कि देखा गया है, विधायी उपकरण द्वारा विधानमंडल किसी भी कानूनी कल्पना का निर्माण करते समय पहले की गई कार्रवाइयों को शामिल कर सकता है जो वास्तव में धारा *59* द्वारा की गई है।

306. याचिकाकर्ताओं का एक और निवेदन है

विचार किया। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि अधिसूचना दिनांक *28.01.2009* के परिणामस्वरूप किए गए नामांकन के लिए व्यक्तियों से कोई सहमति या सूचित सहमति प्राप्त नहीं की गई थी, अधिसूचना दिनांक *28.01.2009* और उसके बाद की योजना स्पष्ट रूप से इंगित नहीं करती है कि आधार के लिए नामांकन स्वैच्छिक था। इस न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश जारी किया है जिसमें निर्देश दिया गया है कि नामांकन को स्वैच्छिक माना जाए, इसलिए यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि *28.01.2009* के बाद नामांकित होने वालों ने सहमति नहीं दी थी। व्यक्ति ने जनसांख्यिकीय जानकारी प्रदान की और बायोमेट्रिक जानकारी दी और *[2018] 8* एस. सी. आर.

नामांकन पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। नामांकन के बाद निवासियों को यह पुष्टि करने की आवश्यकता थी कि निहित जानकारी उनके द्वारा प्रदान की गई थी

और वे अपने आप में सच्चे और सही हैं। साइन स्लिप पर, उन्हें हस्ताक्षर करने या अपने अंगूठे का निशान खुद लगाने की आवश्यकता थी। यह रिकॉर्ड में है कि लागू होने से पहले *100* करोड़ से अधिक नामांकन पूरे किए गए थे। आधार अधिनियम *2016*। आधार अधिनियम के आधार पर बड़ी संख्या में व्यक्तियों ने सब्सिडी और सेवाओं का लाभ प्राप्त किया होगा, इस प्रकार, अधिनियम, *2016* के प्रवर्तन से पहले नामांकन को अवैध और अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम इस मुद्दे *No.12* का उत्तर निम्नलिखित तरीके से देते हैं;

Ans.12: - धारा *59* ने केंद्र सरकार द्वारा दिनांकित *28.01.2009* और *12.09.2009* अधिसूचनाओं के तहत की गई सभी कार्रवाइयों को मान्य किया है और सभी कार्रवाइयों को मान्य माना जाएगा।

आधार अधिनियम के तहत लिया गया।

क्या पहचान की जानकारी एकत्र करना

अंक संख्या *13*

5 से *18* वर्ष के बीच के बच्चे असंवैधानिक हैं*?*

307. अधिनियम की धारा *5* में प्रावधान किया गया है कि प्राधिकरण

महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, अकुशल और असंगठित श्रमिकों, खानाबदोश जनजातियों या ऐसे अन्य व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के लिए विशेष उपाय जिनके पास कोई स्थायी आधार संख्या नहीं है। आवास और व्यक्तियों की ऐसी अन्य श्रेणियां जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं। धारा *5* बच्चों को आधार संख्या जारी करने के लिए विशेष उपायों पर विचार करती है। आधार *(*नामांकन और अद्यतन*)* विनियम, *2016* में कुछ विशेष उपाय शामिल हैं। विशेष उपायों में से एक विनियमन *5* है, जो पांच साल से कम उम्र के बच्चों के नामांकन के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। विनियम *5* इस प्रकार हैः

5. बच्चों के नामांकन के लिए आवश्यक जानकारीः

पाँच साल की उम्र। — *(1)* पाँच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, निम्नलिखित जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी
संग्रहित कीजिएः

((क) नाम

(ख) जन्म तिथि

((c) लिंग

(घ) माता-पिता में से किसी एक की पंजीकरण पहचान पत्र या आधार संख्या,

अधिमानतः माता की स्थिति में दोनों माता-पिता न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v* हैं।

[अशोक भूषण, जे।*]*

जीवित, या संरक्षक। ऐसे माता-पिता या अभिभावक की आधार संख्या या ई. आई. डी. अनिवार्य है, और संबंध के लिए एक क्षेत्र है।

इसे भी दर्ज किया जाएगा।

(ई) ऐसे बच्चे का पता जो बच्चे के पते के समान हो।

संबंधित माता-पिता/अभिभावक।

(च) बच्चे के चेहरे की छवि ली जाएगी। माता-पिता/अभिभावक में से किसी एक की बायोमेट्रिक जानकारी ली जाएगी।

या नामांकन के दौरान प्रमाणित किया गया।

(2) संबंधित माता-पिता/अभिभावक और बच्चे के बीच संबंध स्थापित करने के लिए अनुसूची *II* में सूचीबद्ध संबंध प्रमाण *(*पी. ओ. आर.*)* दस्तावेज उस समय एकत्र किया जाएगा जब

नामांकन। केवल उन्हीं बच्चों को संबंध दस्तावेज *(*पी. ओ. आर.*)* के आधार पर नामांकित किया जा सकता है, जिनके नाम दस्तावेज़ में दर्ज हैं।

संबंध दस्तावेज।

5 से *18* वर्ष के बीच के बच्चों को अपने माता-पिता या अभिभावक की सहमति होनी चाहिए क्योंकि वे स्वयं नामांकन के लिए कोई वैध सहमति देने में असमर्थ हैं। इस प्रकार, जहां तक *5* से *18* वर्ष के बच्चों का संबंध है, हमें विनियमन *4* में माता-पिता की सहमति को पढ़ना होगा ताकि *5* से *18* वर्ष के बच्चों के संबंध में प्रावधान लागू न हो। असंवैधानिक है। इस प्रकार हम प्रश्न संख्या *13* का उत्तर निम्नलिखित तरीके से देते हैं:

Ans.13: - बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करने के लिए माता-पिता की सहमति

आधार *(*नामांकन और अद्यतन*)* विनियम, *2016* के विनियम *3* और *4* की संवैधानिकता को बरकरार रखने के लिए *5* से *18* वर्ष के बीच के बच्चों के नामांकन के लिए विनियम *3* और विनियम *4* के तहत जनसांख्यिकीय जानकारी को पढ़ना होगा।

क्या धन शोधन की रोकथाम *(*दूसरा संशोधन*)* द्वारा संशोधित नियम *9*

नियम, *2017* असंवैधानिक है*?*

309. उपरोक्त मुद्दे का जवाब देने के लिए हमें धन शोधन निवारण अधिनियम, *2002 (*पी. एम. एल. ए., *2002)* के उद्देश्यों और योजना का विज्ञापन करने की आवश्यकता है।

2002) . द्वितीय संशोधन नियम, *2017* पर आने से पहले धन शोधन रोकथाम *(*अभिलेखों का रखरखाव*)* नियम, *2005* द्वारा वर्णित योजना पर भी गौर करने की आवश्यकता है। पी. एम. एल. ए., *2002* को धन-शोधन को रोकने और धन-शोधन से प्राप्त या उसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने और उससे जुड़े या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम की लंबी प्रस्तावना है

जिनका पूरा उल्लेख किया जाना आवश्यक है, जो इस प्रकार हैः

"धन शोधन को रोकने और धन शोधन से प्राप्त या उसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने और उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए एक अधिनियम

वहाँ तक।

जहाँ राजनीतिक घोषणा और वैश्विक

संकल्प एस*-17/2* के साथ संलग्न कार्य कार्यक्रम था

संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अपनाया गया
फरवरी के तेइसवें दिन सत्रहवां विशेष सत्र,

1990 ;

और जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र द्वारा अपनाई गई राजनीतिक घोषणा आयोजित की गई

8 से *10* जून, *1998* को सदस्य राज्यों से राष्ट्रीय धन शोधन कानून और कार्यक्रम को अपनाने का आह्वान किया गया; और

जहाँ इसे लागू करना आवश्यक माना जाता है

उपरोक्त संकल्प और घोषणा;

310. दो अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएँ विशेष रूप से की गई हैं

प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है जो अधिनियम का मार्ग प्रशस्त करता है। *23* फरवरी, *1990* को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के धन शोधन पर सिफारिशें शामिल थीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा धन शोधन के खिलाफ राजनीतिक घोषणा और कार्य योजना *10.06.1998* पर आयोजित की गई जिसमें संयुक्त राष्ट्र के राज्यों के सदस्यों से निम्नलिखित प्रभाव से अपनी घोषणा को अपनाने का आह्वान किया गया थाः

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

"राजनीतिक घोषणा और धन के खिलाफ कार्य योजना

लॉन्ड्रिंग

संयुक्त राष्ट्र महासभा के बीसवें विशेष सत्र में अपनाया गया "दुनिया की नशीली दवाओं की समस्या का एक साथ मुकाबला करने" के लिए समर्पित

न्यू योर, *10* जून *1998 (*अंश*)*

"हम, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्र,

....

15. मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े धन शोधन के खिलाफ विशेष प्रयास करना और उस संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मजबूत करने के महत्व पर जोर देना।

उपक्षेत्रीय सहयोग, और उन राज्यों की सिफारिश करें जिनके पास है

अभी तक ऐसा नहीं किया गया है और वर्ष *2003* तक राष्ट्रीय धन शोधन कानून और कार्यक्रमों को *1988* के मादक पदार्थों और मनोदैहिक पदार्थों में अवैध व्यापार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ-साथ वर्तमान में अपनाए गए धन शोधन का मुकाबला करने के उपायों के अनुसार अपनाया गया है।

सत्र;

"काउंटरिंग मनी-लॉन्डरिंग " आम सभा,

घरेलू कानून बनाने और लागू करने के लिए कई राज्यों के भारी प्रयासों पर जोर देते हुए जो धन शोधन की गतिविधि को एक आपराधिक अपराध के रूप में पहचानता है,

प्रासंगिक सिफारिशों और आवश्यकता के अनुरूप सभी राज्यों द्वारा की जा रही प्रगति के महत्व को समझना।

राज्यों को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए डिज़ाइन की गई अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए

धन के विरुद्ध प्रभावी उपायों का कार्यान्वयन

धनशोधन,

1. अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य गंभीर अपराधों से प्राप्त धन के शोधन के साथ-साथ उस उद्देश्य के लिए राज्यों की वित्तीय प्रणालियों के उपयोग की कड़ी निंदा करता है; सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1988 का मादक द्रव्यों और मनःप्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ समझौता और धन शोधन पर अन्य प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय साधन, मौलिक संवैधानिक सिद्धांतों के अनुसार, निम्नलिखित सिद्धांतों को लागू करके:

(क) अन्य बातों के साथ-साथ धन शोधन के अपराध की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन का प्रावधान करने के लिए गंभीर अपराधों से प्राप्त धन शोधन को आपराधिक बनाने के लिए एक विधायी ढांचे की स्थापना:

((i) अपराध से प्राप्त आय की पहचान, अभिग्रहण, अभिग्रहण और अभिग्रहण;

((ii) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में आपसी कानूनी सहायता।

(iii) यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पारस्परिक कानूनी सहायता समझौतों में धन शोधन के अपराध को शामिल करना।

उस अपराध से संबंधित जांच, अदालती मामलों या न्यायिक कार्यवाही में न्यायिक सहायता;

(ख) अपराधियों और उनके अवैध धन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों तक पहुँच से वंचित करने के लिए एक प्रभावी वित्तीय और नियामक व्यवस्था की स्थापना, इस प्रकार संरक्षित करना। दुनिया भर में वित्तीय प्रणालियों की अखंडता और धन के खिलाफ कानूनों और अन्य नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

धनशोधन के माध्यम से:

(i) "अपने ग्राहक को जानें" के सिद्धांत को लागू करते हुए ग्राहक की पहचान और सत्यापन आवश्यकताएं, ताकि सक्षम अधिकारियों के लिए आवश्यक उपलब्ध हो सके। ग्राहकों की पहचान और उनके द्वारा की जाने वाली वित्तीय गतिविधियों के बारे में जानकारी;

((ग) संदिग्ध गतिविधि की अनिवार्य सूचना देना। *(iv)* धन को रोकने, जांच करने और दंडित करने के लिए निर्देशित प्रयासों में बैंक गोपनीयता बाधाओं को दूर करना।

लॉन्ड्रिंग; जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

(v) अन्य प्रासंगिक उपाय;

(ग) कानून प्रवर्तन उपायों का कार्यान्वयन

अन्य बातों के साथ-साथ इसके लिए उपकरण:

(i) प्रभावी पता लगाने, जांच, अभियोजन और

धन शोधन में शामिल अपराधियों को दोषी ठहराना
गतिविधि;

((ख) प्रत्यर्पण प्रक्रियाएँ।

((ग) सूचना साझा करने का तंत्र।

311. आधुनिक दुनिया आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रत्येक राष्ट्र तीव्र आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करता है।

कि धन का एक वैध स्रोत है। बैंकिंग और वित्तीय गोपनीयता उन देशों के लिए एक और बाधा है जो वास्तव में धन का मुकाबला करना चाहते हैं। लॉन्ड्रिंग। यह पूरी प्रक्रिया को गुप्त रखने के लिए धन शोधन की गतिविधि में निहित है। संसद ने अंतर्राष्ट्रीय घोषणा में उल्लिखित उद्देश्यों के साथ पीएमएलए अधिनियम लागू किया। अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के पैरा *1* को निम्नानुसार बताया गया है:

"उद्देश्यों और कारणों का विवरण

दुनिया भर में यह महसूस किया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है

यह न केवल देशों की वित्तीय प्रणालियों के लिए, बल्कि उनकी अखंडता और संप्रभुता के लिए भी गंभीर खतरा है। इस तरह के खतरे को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा की गई कुछ पहल हैं:

इसका वर्णन नीचे किया गया है:

(क*)* मादक पदार्थों और मनःप्रभावी पदार्थों में अवैध व्यापार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसमें भारत एक पक्ष है, मादक पदार्थों की आय के धनशोधन को रोकने का आह्वान करता है *[2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ख*) 1989* में प्रतिपादित बेसल स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स में बुनियादी नीतियों और प्रक्रियाओं को रेखांकित किया गया था जिनका बैंकों को पालन करना चाहिए। समस्या से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करना।

मनी लॉन्ड्रिंग।

(ग*) 14* से *16* जुलाई, *1989* तक पेरिस में आयोजित सात प्रमुख औद्योगिक देशों के शिखर सम्मेलन में स्थापित वित्तीय कार्रवाई कार्य बल ने धन शोधन की समस्या की जांच करने के लिए चालीस सिफारिशें की हैं, जो आधार सामग्री प्रदान करती हैं।

धन शोधन की समस्या से निपटने के लिए व्यापक कानून बनाना। सिफारिशों को विभिन्न शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख हैं -

(i) गंभीर रूप से किए गए धन के शोधन की घोषणा

अपराध एक आपराधिक अपराध है;

((ii) वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रकटीकरण के तौर-तरीकों पर काम करना।

रिपोर्ट करने योग्य लेन-देन के संबंध में;

*((*ग*)* अपराध की आय को जब्त करना; *((iv)* धन शोधन को प्रत्यर्पण योग्य अपराध घोषित करना;

और

(v) धन शोधन की जाँच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।

(घ*)* संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए संकल्प सं. राजनीतिक घोषणा और वैश्विक कार्य कार्यक्रम। *23* फरवरी, *1990* की धारा-*17/2* अन्य बातों के साथ-साथ सदस्य देशों से वित्तीय गतिविधियों को रोकने के लिए तंत्र विकसित करने का आह्वान करती है।

नशीली दवाओं से संबंधित धन शोधन के लिए संस्थानों का उपयोग

और इस तरह के धनशोधन को रोकने के लिए कानून बनाना।

(ई*)* संयुक्त राष्ट्र ने *8* से *10* जून, *1998* को संपन्न विश्व मादक पदार्थ समस्या का एक साथ मुकाबला करने पर विशेष सत्र में धन शोधन से निपटने की आवश्यकता के बारे में एक और घोषणा की है। भारत ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[अशोक भूषण,

312. उद्देश्यों और कारणों के कथन के पैराग्राफ दो में विधायी प्रक्रिया पर ध्यान दिया गया जो शुरू की गई थी

धन शोधन निवारण विधेयक, *1998,* जिसे लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक को वित्त पर स्थायी समिति को भेजा गया, जिसने *04.03.1999* पर अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंप दी। स्थायी समिति की विभिन्न सिफारिशों को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया और विधेयक में उक्त सिफारिशों के प्रावधान किए गए। इसके बाद, विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद राजपत्र में *01.07.2005* पर प्रकाशित किया गया। अधिनियम, *2002* को विभिन्न संसदीय अधिनियमों द्वारा संशोधित किया गया है। *2013* के अधिनियम *2* द्वारा वर्ष *2013* में किए गए संशोधनों द्वारा, विधानमंडल ने दुनिया के अन्य देशों के साथ तालमेल बनाए रखने का प्रयास किया है।

धन शोधन को रोकने के लिए और अधिक कठोर प्रावधान करना जो काले धन की अर्थव्यवस्था की जड़ होने के साथ-साथ उसका परिणाम भी है। धन शोधन को धारा *3* के तहत परिभाषित किया गया है जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए है:

"*3.* धन का अपराध-धनशोधन। - जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर एक पक्ष है या वास्तव में अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है, जिसमें इसे छिपाना भी शामिल है।

कब्जा, अधिग्रहण या उपयोग और इसे पेश करना या दावा करना

बेदाग संपत्ति धन के अपराध का दोषी होगा।

धनशोधन "।

313. धारा *2 (*एच. ए.*)* ग्राहक को परिभाषित करती है और धारा *2 (*डब्ल्यू. ए.*)* रिपोर्टिंग इकाई को परिभाषित करती है जो इस प्रकार हैं*;*

"2. (हा*)* "ग्राहक" का अर्थ है एक व्यक्ति जो एक रिपोर्टिंग इकाई के साथ वित्तीय लेनदेन या गतिविधि में लगा हुआ है और इसमें एक व्यक्ति भी शामिल है।

जिसकी ओर से लेन-देन या गतिविधि में शामिल व्यक्ति कार्य कर रहा है*;*

(वा*)* "सूचना देने वाली संस्था" का अर्थ है एक बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान, मध्यस्थ या एक नामित व्यक्ति को ले जाने वाला व्यक्ति।
व्यवसाय या पेशा*; "*

314. धारा *12* अभिलेखों को बनाए रखने के लिए रिपोर्टिंग इकाई पर विभिन्न दायित्वों को निर्धारित करती है। धारा *12 (1) (*सी*)* में कहा गया हैः

" धारा *12.* अभिलेखों को बनाए रखने के लिए इकाई को सूचित करना। *- (1)* प्रत्येक

सूचना देने वाली संस्था

.....

.....

[2018] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ग*)* अपने ग्राहकों की पहचान को इस तरह और विषय में सत्यापित करें।

ऐसी शर्तों के लिए, जो निर्धारित की जाएं*; "*

315. केंद्र सरकार अपनी शासन बनाने की शक्ति का प्रयोग कर रही है

उन्होंने नियम बनाए हैं, अर्थात्, धन शोधन की रोकथाम *(*अभिलेखों का रखरखाव*)* नियम, *2005 (*इसके बाद "नियम, *2005"* के रूप में संदर्भित*)*। वर्तमान मामले में दूसरे द्वारा संशोधित नियम *9* को चुनौती दी गई है। संशोधन नियम, *2017*। इस प्रकार हम द्वितीय संशोधन नियम, *2017* द्वारा नियम *9* में किए गए संशोधनों को

देख सकते हैं। द्वितीय संशोधन नियम, *2017* द्वारा, नियम *9* के उप-नियम *(9)* के उप-नियम *(4)* को निम्नलिखित तरीके से प्रतिस्थापित किया गया थाः

"(ख) नियम *9* में, उप-नियम *(4)* से उप-नियम *(9)* के लिए, निम्नलिखित उप-नियम

नियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः
"(4) जहां ग्राहक एक व्यक्ति है, जो आधार संख्या के लिए नामांकित होने का पात्र है, वह उप-नियम *(1)* के उद्देश्य से रिपोर्टिंग इकाई को प्रस्तुत करेगा,

(क) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार संख्या; और

(ख) स्थायी खाता संख्या या प्रपत्र संख्या *60* जैसा कि परिभाषित किया गया है।

आय-कर नियम, *1962,*

और व्यवसाय की प्रकृति और ग्राहक की वित्तीय स्थिति के संबंध में ऐसे अन्य दस्तावेज जिनकी आवश्यकता हो।

रिपोर्टिंग इकाई द्वाराः

बशर्ते कि जहां आधार संख्या नहीं दी गई हो

ग्राहक को आधार के लिए नामांकन के आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा और यदि स्थायी खाता संख्या प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो 'आधिकारिक रूप से' की एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

वैध दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगा।

बशर्ते कि किसी व्यक्ति द्वारा फोटो जमा करने की आवश्यकता न हो।

उप-नियम *(1)* के खंड *(*बी*)* के तहत आने वाला ग्राहक।

(4 ए*)* जहां ग्राहक एक व्यक्ति है, जो आधार संख्या के लिए नामांकित होने का पात्र नहीं है, वह उप नियम *(1)* के उद्देश्य से, रिपोर्टिंग इकाई, स्थायी खाते को प्रस्तुत करेगा।
आय-कर नियमों में परिभाषित संख्या या प्रपत्र संख्या *60,*

1962 :

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

बशर्ते कि यदि ग्राहक स्थायी जमा नहीं करता है

खाता संख्या, वह एक प्रमाणित प्रति जमा करेगा

'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ 'जिसमें उसकी पहचान का विवरण होता है और

पता, एक हालिया तस्वीर और ऐसे अन्य दस्तावेज

क्लाइंट की जो रिपोर्टिंग इकाई द्वारा आवश्यक हो सकती है। *(5)* उप-नियम *(4)* और *(4* ए*)* में कुछ भी निहित होने के बावजूद, एक व्यक्ति जो बैंकिंग में एक छोटा खाता खोलना चाहता है।

कंपनी को खाता खोलने के लिए फॉर्म पर स्वप्रमाणित फोटो और हस्ताक्षर या अंगूठे का प्रिंट लगाने पर ऐसा खाता खोलने की अनुमति दी जा सकती है।

बशर्ते कि

(i) बैंकिंग कंपनी का नामित अधिकारी, उद्घाटन करते समय

छोटा खाता, अपने हस्ताक्षर के तहत प्रमाणित करता है कि खाता खोलने वाले व्यक्ति ने, जैसा भी मामला हो, अपनी उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर या थम्प प्रिंट को चिपकाया है*;*

हाथ से निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना संभव है कि विदेशी प्रेषण को एक छोटे खाते में जमा नहीं किया जाता है और यह कि

मासिक और वार्षिक कुल पर निर्धारित सीमाएँ

ऐसे खातों में लेनदेन और शेष राशि का उल्लंघन नहीं किया जाता है।

लेन-देन की अनुमति देने से पहले*;*

(iii) छोटा खाता शुरू में बारह महीने की अवधि के लिए चालू रहेगा, और उसके बाद बारह महीने की अवधि के लिए यदि इस तरह के खाते के धारक प्रदान करता है। बैंकिंग कंपनी के समक्ष बारह महीनों के भीतर आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों में से किसी के लिए आवेदन करने का साक्ष्य

उक्त खाते को खोलने के बाद उक्त खाते के संबंध में पूरी छूट के प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी। चौबीस महीने*;*

(iv) छोटे खाते की निगरानी की जाएगी और जब धन शोधन या आतंकवाद के वित्तपोषण या अन्य उच्च जोखिम वाले परिदृश्यों का संदेह होता है, तो ग्राहक की पहचान आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों के उत्पादन के माध्यम से स्थापित की जाएगी, जैसा कि उप-नियम *(4)* में संदर्भित है और ग्राहक की आधार संख्या या जहां ग्राहक को आधार संख्या नहीं दी गई है, *[2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आवेदन के प्रमाण के उत्पादन के माध्यम से

आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज के साथ आधार के लिए नामांकन*;*

बशर्ते कि यदि ग्राहक आधार संख्या के लिए नामांकित होने का पात्र नहीं है, तो ग्राहक की पहचान स्थापित की जाएगी।

आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ के उत्पादन के माध्यम से;

(v) विदेशी प्रेषण को छोटे खाते में तब तक जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि ग्राहक की पहचान पूरी तरह से आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों के उत्पादन के माध्यम से स्थापित नहीं हो जाती है, जैसा कि उप नियम *(4)* में संदर्भित है और ग्राहक की आधार संख्या या जहां आधार संख्या नहीं दी गई है।

ग्राहक, एक आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज के साथ आधार के लिए नामांकन के लिए आवेदन के प्रमाण के उत्पादन के माध्यम से:

बशर्ते कि यदि ग्राहक आधार संख्या के लिए नामांकित होने का पात्र नहीं है, तो ग्राहक की पहचान स्थापित की जाएगी।

एक आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ के उत्पादन के माध्यम से।

6) जहां ग्राहक एक कंपनी है, वह इन उद्देश्यों के लिए होगी -

यू. बी.-नियम *(1),* रिपोर्टिंग इकाई को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करें:

((i) निगमन का प्रमाण पत्र;

((ii) ज्ञापन और संघ के लेख;

(ख) स्थायी खाता संख्या या आयकर नियम, *1962* में परिभाषित प्रपत्र *60*। एक वकील रखने वाले प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को जारी किया गया

कंपनी की ओर से लेन-देन करना या जहां आधार हो

संख्या निर्धारित नहीं की गई है, आधार के लिए नामांकन के लिए आवेदन का प्रमाण और यदि स्थायी खाता संख्या जमा नहीं की जाती है तो आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगा:

बशर्ते कि इस खंड के प्रयोजन के लिए यदि प्रबंधक,

कंपनी की ओर से लेन-देन करने के लिए वकील रखने वाले अधिकारी या कर्मचारी आधार आईसीई के. एस. पुटस्वामी *(*आरईटीडी*) v* के लिए नामांकित होने के पात्र नहीं हैं।

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

नंबर और स्थायी खाता संख्या जमा न करें, आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति जमा की जाएगी।

7) जहां ग्राहक एक साझेदारी फर्म है, वह इन उद्देश्यों के लिएउप-नियम *(1)* के अनुसार, निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां सूचना देने वाली संस्था को प्रस्तुत करें।

((i) पंजीकरण प्रमाणपत्र*;*

स्थायी खाता संख्या प्रस्तुत नहीं की गई है एक आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगाः बशर्ते कि इस खंड के उद्देश्य के लिए, यदि कंपनी की ओर से लेन-देन करने के लिए वकील रखने वाला व्यक्ति नहीं है

आधार संख्या के लिए नामांकित होने के लिए पात्र है और स्थायी खाता संख्या, आधिकारिक रूप से एक प्रमाणित प्रति जमा नहीं करता है। वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत किया जाएगा।

8) जहां ग्राहक एक न्यास है, वह उप-उद्देश्यों के लिए होगा।

यू. एल. ई. *(1)* रिपोर्टिंग इकाई को रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करें।

निम्नलिखित दस्तावेजः

((i) पंजीकरण प्रमाणपत्र*;* *((ख)* न्यास विलेख और

((क) आधार संख्या*;* और

आधार के लिए नामांकन के लिए आवेदन और मामले में स्थायी खाता संख्या प्रस्तुत नहीं की गई है एक आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगाः

बशर्ते कि इस खंड के प्रयोजन के लिए यदि व्यक्ति

कंपनी की ओर से लेन-देन करने के लिए एक वकील रखना नहीं है आधार संख्या के लिए नामांकित होने के लिए पात्र है और जमा नहीं करता है

स्थायी खाता संख्या, आधिकारिक रूप से एक प्रमाणित प्रति वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत किया जाएगा।

9) जहाँ ग्राहक एक अनिगमित संघ या निकाय है।

व्यक्तियों के लिए, यह निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां रिपोर्टिंग इकाई को प्रस्तुत करेगाः

(ख) आय-कर नियम, *1962* में परिभाषित स्थायी खाता संख्या या प्रपत्र *60,* उसकी ओर से लेन-देन करने के लिए एक वकील रखने वाले व्यक्ति को जारी किया गया या जहां आधार संख्या नहीं दी गई है,

आधार के लिए नामांकन के लिए आवेदन और मामले में

स्थायी खाता संख्या आधिकारिक रूप से मान्य जमा नहीं की गई है दस्तावेज़ प्रस्तुत किया जाएगा*;* और

((iv) ऐसी जानकारी जो रिपोर्टिंग इकाई द्वारा ऐसे संघ या व्यक्तियों के निकाय के कानूनी अस्तित्व को सामूहिक रूप से स्थापित करने के लिए आवश्यक हो सकती हैः

बशर्ते कि इस खंड के प्रयोजन के लिए यदि व्यक्ति

कंपनी की ओर से लेन-देन करने के लिए एक वकील रखना नहीं है आधार संख्या के लिए नामांकित होने के लिए पात्र है और जमा नहीं करता है

स्थायी खाता संख्या, आधिकारिक रूप से एक प्रमाणित प्रति वैध दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) उप-नियम *(14)* के बाद, निम्नलिखित उप-नियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्ः -

" (15) आधार की प्राप्ति के समय कोई भी सूचना देने वाली संस्था

इस नियम के प्रावधानों के तहत संख्या, ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा या हाँ/का उपयोग करके प्रमाणीकरण

विशिष्ट पहचान द्वारा प्रदान की गई कोई प्रमाणीकरण सुविधा नहीं भारतीय प्राधिकरण।

आईसीई के एस पुट्टास्वामी *(*आरईटीडी*) v.* भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

(16) यदि नियम *9* के उप-नियम *(4)* से *(9)* में निर्दिष्ट ग्राहक जम्मू राज्य का निवासी या निवासी नहीं है और कश्मीर, असम या मघालय और प्रस्तुत नहीं करता है

स्थायी खाता संख्या, ग्राहक को प्रस्तुत करना होगा

रिपोर्टिंग इकाई आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ की एक प्रमाणित प्रति

जिसमें उसकी पहचान और पते का विवरण है, हाल ही में

फोटोग्राफ और ऐसे अन्य दस्तावेज़, जिनके संबंध में व्यवसाय की प्रकृति और ग्राहक की वित्तीय स्थिति जो भी हो

(17) (क*)* अगर ग्राहक, आधार के लिए नामांकित होने के योग्य है और एक स्थायी खाता संख्या प्राप्त करें, जिसे उप में संदर्भित किया गया है

नियम *9* के नियम *(4)* से *(9)* आधार संख्या जमा नहीं करते हैं।

या उस समय की स्थायी खाता संख्या एक के साथ खाता आधारित संबंध की शुरुआत

रिपोर्टिंग इकाई, ग्राहक एक अवधि के भीतर उसी को प्रस्तुत करेगा

प्रारंभ होने की तारीख से छह महीने

खाता आधारित संबंधः

बशर्ते कि ग्राहक, जो आधार के लिए नामांकित होने और स्थायी खाता संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, जिनका पहले से ही रिपोर्टिंग संस्थाओं के साथ खाता आधारित संबंध है

इस अधिसूचना के अनुसार, ग्राहक *31* दिसंबर, *2017* तक आधार संख्या और स्थायी खाता संख्या जमा करेगा।

(ख) आधार *(*नामांकन और अद्यतन*)* विनियम, *2016* के विनियम *12* के अनुसार, राज्य सरकारों में स्थानीय प्राधिकरण

या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन बन गए हैं या बन गए हैं

और विशेष आधार नामांकन शिविरों का आयोजन कर रहे हैं नामांकन सुविधा प्रदान करने के लिए सुविधाजनक स्थान

यू. आई. डी. ए. आई. और किसी भी इच्छुक व्यक्ति के साथ परामर्श

इस में दिए गए अनुसार खाता आधारित संबंध शुरू करना

नियम, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या अभी तक नहीं है

आधार के लिए पंजीकृत, ऐसे विशेष आधार पर भी जा सकते हैं आधार नामांकन या किसी भी आधार के लिए नामांकन शिविर

के मौजूदा पंजीयकों के साथ आसपास के क्षेत्र में नामांकन केंद्र यूआईडीएआई।

(ग) यदि ग्राहक आधार संख्या जमा करने में विफल रहता है और

उपरोक्त छह महीने की सर्वोच्च अदालत की रिपोर्ट के भीतर स्थायी खाता संख्या

इस अवधि में उक्त खाता तब तक चालू नहीं रहेगा जब तक आधार संख्या और स्थायी खाता संख्या समाप्त नहीं हो जाती।

ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किया गयाः

बशर्ते कि यदि ग्राहक के पास पहले से ही खाता आधारित है

इस तारीख से पहले रिपोर्टिंग संस्थाओं के साथ संबंध

(18) यदि नियम *9* के उप-नियम *(4)* से *(9)* में निर्दिष्ट ग्राहक द्वारा प्रस्तुत आधार संख्या या स्थायी खाता संख्या से संबंधित पहचान जानकारी में ग्राहक का वर्तमान पता नहीं है, तो ग्राहक आधिकारिक रूप से वैध पता प्रस्तुत करेगा।
रिपोर्टिंग इकाई को दस्तावेज़ "।

316. द्वितीय संशोधन नियम, *2017* को चुनौती दी गई है -

इस आधार पर कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद *14,19 (1) (*जी), *21* और *300* ए का उल्लंघन करता है; आधार अधिनियम की धारा *3,7* और *51* और यह भी अधिकार से बाहर है

पीएमएलए अधिनियम, *2002* के प्रावधान।

317. श्री अरविंद पी. दातार ने अपनी प्रस्तुतियों को विस्तार से बताते हुए सीखा

वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि दूसरा संशोधन नियम अनुच्छेद *14* और *21* का उल्लंघन करता है क्योंकि आधार संख्या के लिए नामांकन नहीं करने का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति बैंक खाता संचालित नहीं कर सकते हैं और इस बारे में वैध स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए कि सभी बैंकों को प्रमाणित क्यों करना है।

व्यक्तियों की पहचान। अनुच्छेद *300* ए का उल्लंघन क्योंकि अस्थायी अभाव भी केवल प्राथमिक विधान द्वारा ही किया जा सकता है। द सेकंड संशोधन नियम आनुपातिकता परीक्षण में उत्तीर्ण नहीं होते हैं। कोई उचित उद्देश्य नहीं

स्थापित किया गया है। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि इस तरह के उपाय तर्कसंगत हैं और उद्देश्य की पूर्ति से जुड़े हैं और कम कानून के साथ कोई वैकल्पिक उपाय नहीं हैं। जब बैंक पहले ही ई-केवाईसी मानदंडों के अनुसार सभी खातों को सत्यापित कर चुके हैं, तो बैंक खातों के साथ सभी आधार नंबरों को स्थायी रूप से जोड़ना/जोड़ना पूरी तरह से मनमाना है। दूसरा संशोधन

नियम आनुपातिकता परीक्षण को संतुष्ट करने में विफल रहते हैं, तर्कहीन और स्पष्ट रूप से मनमाने होते हैं।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

319. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने इस दलील का खंडन करते हुए कहा कि दूसरा संशोधन नियम लागू होता है

जाली पहचान दस्तावेजों और वित्तीय अपराधों के आधार पर या तो काल्पनिक नाम या गलत व्यक्तियों के नाम पर अपराध किए जाते हैं। यह देखा गया है कि आवास प्रविष्टियां ज्यादातर बैंकिंग के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। काले धन को सफेद में बदलने के लिए फर्जी कंपनियों द्वारा चैनल। बेनामी लेनदेन नियमित रूप से बैंकिंग चैनलों के माध्यम से होते हैं। उपरोक्त सभी को बैंक खातों के साथ आधार को सत्यापित करके काफी हद तक जांचा जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खाता उस व्यक्ति का है जो खाता धारक होने का दावा करता है और वह एक वास्तविक व्यक्ति है। आधार के साथ बैंक खाते का सत्यापन यह भी सुनिश्चित करता है कि सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण आधार सत्यापित बैंक खाते में पहुंचे और इसे किसी अन्य खाते में नहीं भेजा जाए। शेल कंपनियों का उपयोग अक्सर बैंक खाते खोलने के लिए किया जाता है ताकि नकली पहचान के तहत अन्य संस्थाओं का बेहिसाब धन रखा जा सके, जिस पर आधार सत्यापन शुरू होने के बाद भी अंकुश लगाया जाएगा।

320. अब, हम पक्षों की संबंधित प्रस्तुतियों पर आते हैं। द्वितीय संशोधन नियम, *2017* का अवलोकन इंगित करता है कि राज्य

पी. एम. एल. ए. के प्रावधानों को और अधिक मजबूत बनाने और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि अधिनियम के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त किया जाए। आधार अधिनियम, *2016 01.07.2016* से लागू होने के बाद, खातों को आधार द्वारा सत्यापित करने का निर्णय लिया गया था। संशोधित नियम सभी संबंधित लोगों को काल्पनिक, नकली और बेनामी खातों का पता लगाने में मदद करते हैं। पी. एम. एल. ए. का उद्देश्य और लाभकारी स्वामी अधिनियम की परिभाषा मुखौटा कंपनियों और नकली निदेशकों के कॉर्पोरेट पर्दे के पीछे से गुजरना चाहती है ताकि रिपोर्टिंग संस्थाओं में खातों को नियंत्रित करने वाले वास्तविक प्राकृतिक व्यक्तियों का पता लगाएं। रिपोर्टिंग संस्थाओं पर लागू संशोधन नियम और राज्य द्वारा प्राप्त किए जाने वाले वैध उद्देश्य जो एक प्राकृतिक व्यक्ति या लाभकारी मालिक की निर्णायक पहचान है। वैधानिक नियमों ने सभी खाताधारकों पर आधार तंत्र द्वारा अपनी पहचान सत्यापित करने का दायित्व डाल दिया है और जो पहले से ही रिपोर्टिंग इकाई में खाता रखते हैं, उन्हें आधार संख्या या अपनी लागू आधार पहचान का प्रमाण जमा करना आवश्यक है। जब कोई कानून खाताधारक पर किसी विशेष तरीके से पहचान सत्यापन प्राप्त करने का दायित्व डालता है तो कोई व्यक्ति

आधार संख्या प्राप्त नहीं करने के लिए चुना गया व्यक्ति अपने खाते को संचालित करने के अपने अधिकार की शिकायत नहीं कर सकता है। याचिकाकर्ता का यह निवेदन कि इस बारे में कोई वैध स्पष्टीकरण नहीं है कि सभी बैंक खातों को प्रमाणित क्यों किया जाना है, भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आधार एक ऐसा तंत्र प्रदान करता है जो वास्तव में *[2018] 8* एस. सी. आर. की पहचान करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक खाता धारक, जो गैर-मौजूद व्यक्तियों और भूत नामों में मौजूद धोखाधड़ी वाले खातों को समाप्त करता है। इस नियम को शामिल करने का उद्देश्य नकली और डुप्लिकेट पैन और झूठे बैंक खातों को समाप्त करना संभव बनाना है। दूसरा संशोधन नियम नकली निदेशकों के नाम पर मुखौटा कंपनियों द्वारा रखे गए नकली बैंक खातों, धन शोधन, आतंक के वित्तपोषण आदि के खतरे को दूर करने की दिशा में उठाया गया कदम है। यह ध्यान देने योग्य है कि आधार संख्या खाता आधारित संबंध खोलने के समय दी जानी चाहिए, न कि बैंक के खाताधारक द्वारा किए गए प्रत्येक लेनदेन के लिए। जिनके पास पहले से ही खाते हैं, उन्हें सत्यापन के लिए केवल एक बार अपनी आधार संख्या जमा करनी होगी। केवल एक बार के लिए आधार संख्या दिए जाने की आवश्यकता खाताधारक पर कोई बोझ या अनुचित बोझ नहीं है। द्वितीय संशोधन नियमों का उद्देश्य राज्य के वैध उद्देश्य की ओर है और अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ संबंध रखना है। खाताधारक द्वारा केवल एक बार आधार संख्या जमा करना एक आनुपातिक उपाय है। हम पहले ही उन निर्णयों का उल्लेख कर चुके हैं जिनमें आनुपातिकता के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। आनुपातिकता के दृष्टिकोण से एक सांविधिक प्रावधान का निर्णय लेते समय न्यायालय को इस बात की जांच करनी होती है कि क्या सांविधिक प्रावधान में निहित सांविधिक उपाय उस उद्देश्य के विपरीत अत्यधिक नहीं है जो प्राप्त करना चाहता है। किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक या अन्य उपायों का प्रावधान करते समय विधायिका के पास विवेक का अंतर होता है। जब तक कि उपाय अनुचित और असमान नहीं हैं, अदालत नहीं करती है

आमतौर पर अपनी राय को प्रतिस्थापित करता है। नियम *9 (17) (सी)* के आधार पर, याचिकाकर्ता का तर्क है कि यदि खाताधारक आधार जमा करने में विफल रहता है

उप-नियम *(ग)* द्वारा यह विचार किया गया है कि खाता चालू नहीं रहेगा। हमारा विचार है कि खाता खाते से संबंधित रहता है। धारक और खाते में राशि केवल उसकी राशि है और खाताधारक की संपत्ति से

कोई वंचित नहीं है। बैंकिंग नियमों और प्रक्रियाओं के तहत, ऐसी कई परिस्थितियाँ हैं जहाँ खाता चालू नहीं होता है। गैर-प्रचालन खाता भी एक ऐसा खाता है जो खाताधारक का होता है और गैर-प्रचालन खाते में रखी गई राशि को न तो बैंक द्वारा जब्त किया जाता है और न ही उक्त न्याय के. एस. स्वामित्व *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* से निकाला जाता है।

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

खाता। इसके अलावा, आधार संख्या और पैन जमा होने तक ही खाता बंद रहता है। परिणाम केवल प्रदान किए गए हैं

अधिनियम और नियमों के उद्देश्य को प्रभावी बनाना अर्थात खाते को आधार तंत्र द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य खाताधारक को खाते में पड़ी राशि से वंचित करना नहीं है। इस प्रकार, हम याचिकाकर्ता के निवेदन में कोई सार नहीं पाते हैं कि नियम *9 (17) (*सी*)* अनुच्छेद *300* ए के तहत अधिकार का उल्लंघन करता है। खाते के सत्यापन के लिए आधार संख्या प्रदान करना

आधार संख्या और पैन या फॉर्म *60*, जैसा कि आयकर नियम, *1962* में परिभाषित किया गया है, प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को कंपनी की ओर से लेन-देन करने के लिए एक वकील रखने के लिए जारी किया गया है, यह पता लगाने के उद्देश्य से है कि कंपनी के पीछे लाभकारी मालिक। इस अधिनियम के उद्देश्यों में से एक यह है कि जहां भी धन शोधन पाया जाए, उसका पता लगाया जाए। नकली कंपनियों और नकली कंपनियों और वास्तविक का पता लगाने के लिए कंपनी के विवरण की पूछताछ करना

लाभकारी स्वामी को अधिनियम के उद्देश्य के लिए विदेशी नहीं कहा जा सकता है। कंपनी, साझेदारी फर्म, ट्रस्ट या निगमित संस्थान या व्यक्तियों का निकाय अनुच्छेद के तहत अधिकारों के किसी भी उल्लंघन की शिकायत नहीं कर सकते हैं। *19 (1) (* जी*)*। किसी भी पेशे, या किसी भी व्यापार या व्यवसाय को करने में उपरोक्त अधिकार में कोई प्रतिबंध नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि संशोधित नियम *9* भी आधार अधिनियम की धारा *3,7* और *51* का उल्लंघन करता है। धारा *3* आधार के तहत नामांकन का प्रावधान करती है।

योजना। धारा *7* में कुछ सब्सिडी, लाभ और सेवाओं आदि की प्राप्ति के लिए आधार संख्या के प्रमाण की आवश्यकता का प्रावधान है। धारा *51* प्राधिकरण द्वारा किसी भी सदस्य, प्राधिकरण के अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को *[2018] 8* एस. सी. आर. के तहत शक्तियों और कार्यों के प्रत्यायोजन से संबंधित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा *54* के तहत शक्ति को छोड़कर उक्त अधिनियम। नियमों को किसी भी तरह से धारा *3,7* और *51* का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जा सकता है। इन नियमों में कानून द्वारा बैंक खाते के सत्यापन के लिए आधार का उपयोग करने का प्रावधान है।

आधार अधिनियम की धारा *57*।

322. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि संशोधन नियम भी पी. एम. एल. ए., *2002* के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। श्री अरविंद पी. दातार ने भी इसका उल्लेख किया है

बैंक मेलाट बनाम में यू. के. उच्चतम न्यायालय का निर्णय। महामहिम का कोषागार, *(2013)* यूकेएससी *39*। उन्होंने अनुच्छेद *20* में संक्षेपित आनुपातिकता के सिद्धांत पर भरोसा किया है जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैः

मत्स्य पालन, भूमि और आवास *[1999] 1* एसी *69 80* पर। लेकिन यह निर्णय, हालांकि यह कानून के विकास में एक मील का पत्थर था, अब उस तरीके के लिए अधिक महत्वपूर्ण है जिसमें इसे बाद के मामले में अनुकूलित और लागू किया गया है-कानून,
विशेष रूप से आर *(*डेली*)* बनाम गृह राज्य सचिव

विभाग *[2001] 2* एसी *532 (*विशेष रूप से लॉर्ड स्टेन का भाषण*)*, आर बनाम शायलर *[2003] 1* एसी *247* पैरा *57-59 (*लॉर्ड होप ऑफ क्रेगहेड*)*, हुआंग बनाम गृह विभाग के लिए राज्य सचिव *[2007] 2* एसी *167* पैरा *19 (*लॉर्ड बिंघम ऑफ कॉर्नहिल*)* और आर *(*किला*)* बनाम गृह विभाग के लिए राज्य सचिव *[2012] 1* एसी *621* पैरा *45* पर। उनके प्रभाव को वर्तमान उद्देश्यों के लिए यह कहकर पर्याप्त रूप से संक्षेपित किया जा सकता है कि प्रश्न यह निर्धारित करने के लिए कि *(i)* क्या इसका उद्देश्य मौलिक अधिकार की सीमा को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण है*; (ii)* क्या यह उद्देश्य से तर्कसंगत रूप से जुड़ा हुआ है*; (iii)* क्या कम हस्तक्षेप करने वाले उपाय का उपयोग किया जा सकता था*;* और *(iv)* क्या इन मामलों और परिणामों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, एक उचित संतुलन बनाया गया है।

व्यक्ति के अधिकारों और समुदाय के हितों के बीच। ये चार आवश्यकताएँ तार्किक रूप से अलग हैं,

लेकिन व्यवहार में वे अनिवार्य रूप से ओवरलैप होते हैं क्योंकि एक ही तथ्य उनमें से एक से अधिक के लिए प्रासंगिक होने की संभावना है। *(* जोर देना

जोड़ा गया*)*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

323. आनुपातिकता के सिद्धांत जैसा कि उपरोक्त में देखा गया है

फैसला काफी हद तक वही है जो निर्धारित किया गया था

पुट्टास्वामी मामला और आधुनिक दंत चिकित्सा *(*ऊपर*)* में केवल एक अंतर है उपरोक्त दो निर्णय यह हैं कि हालांकि दोनों निर्णयों में सबसे कम हस्तक्षेपकारी परीक्षण देखा गया, लेकिन अंतिम निष्कर्ष में उक्त परीक्षण उपरोक्त दो निर्णयों के अनुपात में प्रतिबिंबित नहीं हुआ।

324. पूर्वगामी चर्चाओं में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि

द्वितीय संशोधन नियम, *2017* का नियम *9* पुट्टास्वामी मामले में निर्धारित तीन गुना परीक्षण को पूरी तरह से संतुष्ट करता है और इस दलील को कि नियम असंवैधानिक है, खारिज किया जाना चाहिए। हम अंक संख्या *14* का उत्तर निम्नलिखित तरीके से देते हैं:

Ans.14: - पीएमएलए *(*दूसरा संशोधन*)* द्वारा संशोधित नियम *9*

नियम, *2017* असंवैधानिक नहीं है और संविधान के अनुच्छेद *14,19 (1) (*जी*), 21* और *300* ए और आधार अधिनियम की धारा *3,7* और *51* का उल्लंघन नहीं करता है। आगे नियम *9* जैसा कि संशोधित किया गया है, पी. एम. एल. ए. अधिनियम, *2002* के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है।

द्वारा जारी परिपत्र दिनांक *23.03.2017*

अंक संख्या *15*

संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग

325. याचिकाकर्ताओं ने *23.03.2017* दिनांकित परिपत्र पर हमला किया है।

और प्रस्तुत किया कि परिपत्र अधिकार से बाहर है। दिनांक *23.03.2017* के परिपत्र द्वारा, दूरसंचार विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी लाइसेंसधारक

आधार आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से सभी मौजूदा मोबाइल ग्राहकों *(*प्रीपेड और पोस्टपेड*)* को फिर से सत्यापित करें। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सिम को आधार संख्या से जोड़ना संविधान के अनुच्छेद *21* का उल्लंघन है। उनकी चुनौती को विस्तार से बताते हुए, यह तर्क दिया जाता है कि *23.03.2017* दिनांकित परिपत्र आधार अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत नहीं आता है, न तो धारा *7* और न ही धारा *57*। *23.03.2017* दिनांकित परिपत्र संविधान के भाग *III* के तहत एक कानून नहीं है और इस प्रकार यह कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है

निजता के अधिकार पर। यह प्रस्तुत किया जाता है कि *23.03.2017* दिनांकित परिपत्र गोपनीयता निर्णय में निर्धारित तीन गुना परीक्षण को संतुष्ट नहीं करता है।

326. के जुड़ाव को उचित ठहराते हुए उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील

सिम कार्ड के साथ आधार प्रस्तुत करता है कि सिम कार्ड का सत्यापन न करने से गंभीर सुरक्षा खतरे पैदा हुए हैं, जिसे इस अदालत ने कई फैसलों में देखा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि परिपत्र दिनांक *23.03.2017 [2018] 8* एस. सी. आर. को जारी किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की सिफारिश का आधार। उत्तरदाता आगे प्रस्तुत करते हैं कि लोकनीति फाउंडेशन बनाम भारत संघ और एक अन्य, *(2017) 7* एस. सी. सी. *155* में इस न्यायालय के निर्देश के संदर्भ में दिनांक *23.03.2017* का परिपत्र जारी किया गया है। इस अदालत ने कार्रवाई को मंजूरी दे दी है, याचिकाकर्ता द्वारा दिनांकित *23.03.2017* परिपत्र में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया

जाता है कि केंद्र सरकार, जिसे लाइसेंस देने का अधिकार है, हमेशा लाइसेंस में एक शर्त रख सकती है जो लाइसेंसधारक को आधार सत्यापन के तहत सिम कार्ड को सत्यापित करने के लिए बाध्य करती है। इस तरह की शर्त को लागू करना वैधानिक शक्ति में है जो

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, *1885* की धारा *4* के तहत सरकार।

327. हमें याचिकाकर्ताओं द्वारा कथित हमले और प्रतिवादियों द्वारा दिए गए औचित्य के आधार पर दिनांकित *23.03.2017* परिपत्र की जांच करने की आवश्यकता है। संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग द्वारा सभी एकीकृत लाइसेंसधारियों/एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसधारियों/सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंसधारियों को इस विषय के साथ *23.03.2017* दिनांकित परिपत्र संबोधित किया गया है: मौजूदा अभिदाताओं के *100%* ई-केवाईसी के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेशों का कार्यान्वयन। परिपत्र के पैरा *1* से *3* पर ध्यान दिया जा सकता है, जो निम्नलिखित प्रभाव वाले हैं:

"माननीय उच्चतम न्यायालय ने लोकनीति फाउंडेशन बनाम भारत संघ द्वारा दायर रिट याचिका *(सी)* संख्या *(आईडी2)* में पारित अपने आदेश में विभाग द्वारा जारी "नया टेलीफोन कनेक्शन जारी करने के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया" का संज्ञान लेते हुए कहा है कि "पहचान सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी प्रक्रिया विकसित की गई है, साथ ही नए ग्राहकों के लिए सभी मोबाइल फोन ग्राहकों के पते भी। निकट भविष्य में, और विशेष रूप से,

आज से एक साल के भीतर इसी तरह का सत्यापन किया जाएगा
पूरा किया गया, मौजूदा ग्राहकों के मामले में "। यह एक ऐसे निर्देश के बराबर है जिसे एक वर्ष की समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना है।

2. दूरसंचार उद्योग के साथ विभाग में आई. डी. *1* पर एक बैठक आयोजित की गई जिसमें यू. आई. डी. ए. आई., टी. आर. ए. आई. और पी. एम. ओ. के प्रतिनिधियों ने भी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को लागू करने के लिए आगे की राह पर चर्चा करने के लिए भाग लिया। बैठक में विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श किया गया। उद्योग से प्राप्त सुझावों की विभाग में जांच की गई है।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(आर. ई. टी. डी.) v.* भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

3. तदनुसार, बैठक में हुई चर्चाओं और दूरसंचार उद्योग से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखने के बाद, हस्ताक्षरकर्ता को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी देने का निर्देश दिया जाता है कि सभी लाइसेंसधारक आधार आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से सभी मौजूदा मोबाइल ग्राहकों *(*प्रीपेड और पोस्टपेड*)* का पुनः सत्यापन करेंगे, जैसा कि इस कार्यालय पत्र संख्या में उल्लेख किया गया है। *800-29 / 2010 -* वी. ए. एस. दिनांकित *16.08.2016*। बाद के अनुच्छेदों में उल्लिखित निर्देश

पुनः सत्यापन करते समय सख्ती से पालन किया जाएगा।

व्यायाम करें "।

328. दूरसंचार विभाग का परिपत्र

आधार को मोबाइल नंबरों के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ना होगा किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार में घुसपैठ होना। पर कोई भी आक्रमण

इस प्रकार, हमें पहले यह जांचना होगा कि क्या *23.03.2017* दिनांकित परिपत्र को 'कानून' कहा जा सकता है। *329.* अनुच्छेद *13 (3)* में वर्णित कानून को यह पता लगाने के लिए लागू किया जाना चाहिए कि कानून क्या है। अनुच्छेद *13 (3) (ए)* निम्नलिखित शब्दों में कानून की एक समावेशी परिभाषा देता हैः

(क) "कानून" में कोई भी अध्यादेश, आदेश, उप-कानून, नियम, विनियमन, अधिसूचना, प्रथा या उपयोग शामिल है जो भारत के क्षेत्र में

कानून की शक्ति;

330. 23.03.2017 दिनांकित परिपत्र केवल एक कार्यकारी है।

संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग द्वारा *23.03.2017* पर जारी निर्देश। परिपत्र में परिपत्र जारी करने के लिए किसी भी वैधानिक प्रावधान या वैधानिक आधार का उल्लेख नहीं किया गया है। विषय-वस्तु।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, परिपत्र से संकेत मिलता है कि मौजूदा ग्राहकों के ई-केवाईसी आधारित पुनः सत्यापन के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेशों के कार्यान्वयन के लिए परिपत्र जारी किया गया है। इस न्यायालय के दिनांकित *06.02.2017* के निर्णय पर ध्यान देना आवश्यक है, जिसका एक संदर्भ *[2018] 8* एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वृत्ताकार में ही बनाया गया। लोकनीति फाउंडेशन बनाम भारत संघ और अन्य, *(2017) 7* एस. सी. सी. *155* द्वारा दायर एक रिट याचिका में इस न्यायालय द्वारा दिनांकित *06.02.2017* आदेश जारी किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध के साथ एक रिट याचिका दायर की है कि प्रत्येक ग्राहक और सदस्यों की पहचान का सत्यापन किया जाना चाहिए ताकि अज्ञात और असत्यापित ग्राहक मोबाइल फोन का दुरुपयोग न कर सकें। नोटिस जारी करने के बाद, भारत संघ ने एक जवाबी हलफनामा दायर किया था, जिसमें भारत संघ ने कहा था कि विभाग ने *16.8.2016* पर मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी शुरू किया है। *331.* निर्णय के पैरा *2* से *6*, जो वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं, इस प्रकार हैंः

2. भारत संघ को नोटिस जारी किए जाने के परिणामस्वरूप, ए

इसकी ओर से संक्षिप्त जवाबी हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें, यह है

निम्नानुसार अभिलिखित किया गया हैः

23. 31.01.2017 पर, *111.31* करोड़ आधार कार्ड जारी किए गए हैं जो *87.09%* आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि, अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है क्योंकि हो सकता है कि वे *75* वर्ष या उससे अधिक आयु के आधार कार्ड रखने में रुचि न रखते हों या आधार कार्ड का लाभ न उठा रहे हों।

पेंशन या प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण *(*डी. बी. टी.*)* का लाभ। वर्तमान में आधार कार्ड या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य नहीं है।

नया टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करें। जानकारी के रूप में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिनके पास आधार कार्ड/संख्या है

आम तौर पर ई-केवाईसी प्रक्रिया का उपयोग करके नया टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करें क्योंकि मोबाइल कनेक्शन *1* से *2* दिनों की तुलना में कुछ ही मिनटों में प्राप्त किया जा सकता है।
सामान्य पाठ्यक्रम।

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

24. कि इस प्रक्रिया में, गलत व्यक्ति को सिम की डिलीवरी की लगभग 'शून्य' संभावना होगी और ग्राहक की ट्रेसेबिलिटी में बहुत सुधार होगा। इसके अलावा, क्योंकि इसमें पते के प्रमाण या पहचान के प्रमाण के लिए कोई अलग दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। प्रक्रिया में, दस्तावेजों की जालसाजी की कोई संभावना नहीं होगी।

3. विद्वान महान्यायवादी ने प्रक्रिया की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करने के अपने प्रयास में, जिसे लागू किया गया है, आवेदन पत्र की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जो होगा -

आशंकाएँ, जो रिट याचिका में प्रस्तुत की गई हैं। *4.* जहाँ तक मौजूदा ग्राहकों का संबंध है, यह था

भारत संघ की ओर से प्रस्तुत किया गया कि *90* प्रतिशत से अधिक ग्राहक पूर्व-भुगतान कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं। यह इंगित किया गया था कि प्रत्येक पूर्व-भुगतान कनेक्शन धारक को, आगे के उपयोगकर्ता के लिए जमा करके, समय-समय पर अपने कनेक्शन का नवीनीकरण करना पड़ता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि इन *90* प्रतिशत मौजूदा ग्राहकों को नए ग्राहकों के लिए अपनाए गए तंत्र के समान एक तंत्र स्थापित करके भी सत्यापित किया जा सकता है। विद्वान महान्यायवादी का कहना है कि इसके लिए एक प्रभावी कार्यक्रम जल्द से जल्द तैयार किया जाएगा और पहचान सत्यापन की प्रक्रिया होगी -

जहाँ तक संभव हो, एक वर्ष के भीतर पूरा किया गया। *5.* सुनवाई के दौरान हमारे संज्ञान में लाई गई तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए, हम संतुष्ट हैं कि रिट याचिका में की गई प्रार्थनाओं को काफी हद तक निपटाया गया है, और पहचान सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी प्रक्रिया भी विकसित की गई है।

नए मोबाइल फोन ग्राहकों के लिए सभी मोबाइल फोन ग्राहकों के पते

अभिदाता। निकट भविष्य में, और विशेष रूप से, आज से एक साल के भीतर, मौजूदा ग्राहकों के मामले में इसी तरह का सत्यापन पूरा कर लिया जाएगा। तत्काल याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता की सराहना करते हुए, हम इस उम्मीद और अपेक्षा के साथ इसका निपटारा करते हैं कि इस न्यायालय को दिए गए वचन को गंभीरता से लिया जाएगा और जल्द से जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा। संभव है।

6. तत्काल याचिका का उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

332. निर्णय के पैरा *5* में आदेश का कार्यात्मक भाग शामिल है, जिसमें कहा गया है कि "हम इस आशा और अपेक्षा के साथ इसका निपटारा करते हैं कि इस न्यायालय को दिए गए वचन को गंभीरता से लिया जाएगा और इसे जल्द से जल्द लागू किया जाएगा।" ऊपर दिए गए इस न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि न्यायालय ने स्वयं कोई निर्देश नहीं दिया था बल्कि भारत संघ के रुख पर ध्यान दिया जहां उसने अदालत को सूचित किया कि विभाग ने पहले ही मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी शुरू कर दिया है। *90* प्रतिशत मौजूदा अभिदाताओं के लिए महान्यायवादी ने कहा है कि जल्द से जल्द एक प्रभावी कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और एक वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

333. हम अपने मन में स्पष्ट हैं कि इस न्यायालय ने *06.02.2017* पर केवल भारत संघ के रुख पर ध्यान दिया और रिट याचिका का निपटारा किया यह अपेक्षा करते हुए कि इस न्यायालय को दिए गए वचन को प्रभावी किया जाएगा।

334. दिनांकित *23.03.2017* परिपत्र में इस न्यायालय के आदेश को एक निर्देश के रूप में उद्धृत किया गया है, जिसे विभाग के अनुसार एक वर्ष की समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना था। परिपत्र में आगे कहा गया है कि दूरसंचार उद्योग के साथ विभाग में *13.02.2017* पर बैठक आयोजित की गई थी जिसमें यू. आई. डी. ए. आई., टी. आर. ए. आई. और पी. एम. ओ. के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

335. इस प्रकार इस न्यायालय ने लोकनीति मामले *(ऊपर)* में जांच नहीं की

निजता के अधिकार के संदर्भ में आधार आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया। इस प्रकार, इस न्यायालय का दिनांकित *06.02.2017* का आदेश सरकार को कानून के अनुसार अपने परिपत्र को उचित ठहराने से मुक्त नहीं कर सकता है।

336. प्रस्तुतियों में से एक, जो द्वारा उठाया गया है

परिपत्र के लिए एक वैधानिक आधार का हवाला देने के लिए उत्तरदाताओं का कहना है कि परिपत्र है

ट्राई अधिनियम, *1997* की धारा *11 (1) (ए)* के तहत ट्राई द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में जारी किया गया है। ट्राई अधिनियम, *1997* की धारा *11* में प्राधिकरण के कार्य के लिए धारा *11 (1) (ए)* का प्रावधान हैः

(क) निम्नलिखित मामलों पर या तो स्वतः या लाइसेंसकर्ता के अनुरोध पर सिफारिशें करें, अर्थात्:

((ii) सेवा प्रदाता को लाइसेंस के नियम और शर्तें;
((ग) अनुज्ञप्ति के नियमों और शर्तों का पालन न करने पर अनुज्ञप्ति को निरस्त करना।

XXXX

XXX जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

337. टी. आर. ए. आई. के कार्यों में से एक धारा *11 (1) (ए)* के अनुसार उसमें उल्लिखित मामलों पर सिफारिशें देना है। द.

टी. आर. ए. आई. की अनुशंसाएँ केवल अनुशंसाएँ थीं और केवल यह तथ्य कि टी. आर. ए. आई. द्वारा अनुशंसा भेजे जाने के बाद आई. डी. *1* का परिपत्र जारी किया गया था, आई. डी. *1* का परिपत्र जारी नहीं किया गया है।

वैधानिक चरित्र। इस प्रकार *23.03.2017* दिनांकित परिपत्र को संविधान के भाग *III* के अर्थ के भीतर एक कानून नहीं माना जा सकता है।

338. प्रत्यर्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील श्री राकेश द्विवेदी ने प्रस्तुत किया है कि केंद्र सरकार लाइसेंसधारक होने के नाते, अपने लाइसेंस में किसी भी शर्त के लिए प्रावधान करने की पूरी तरह से हकदार है, जो शर्त लाइसेंसधारक पर बाध्यकारी हो जाती है। के लिए लाइसेंस समझौते का उल्लेख

एकीकृत लाइसेंसधारी, श्री द्विवेदी प्रस्तुत करते हैं कि समझौते की शर्तों में से एक शर्त *16.1* थी जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

" *16.1* लाइसेंसधारी इस लाइसेंस समझौते के नियमों और शर्तों के साथ-साथ लाइसेंसकर्ता द्वारा जारी किए गए निर्देशों और ट्राई अधिनियम, *1997* के प्रावधानों के अनुसार ट्राई के ऐसे आदेशों/निर्देशों/विनियमों से बाध्य होगा, जैसा कि संशोधित किया गया है।
समय-समय पर "।

339. श्री द्विवेदी ने अपनी प्रस्तुतियों के समर्थन में कई निर्णयों पर भी भरोसा किया है कि शर्तों को वैध रूप से निर्धारित किया जा सकता है। उन्होंने बागलकोट सीमेंट कंपनी लिमिटेड पर भरोसा किया है। बनाम आर. के. पठान और अन्य, ए. आई. आर. *1963* एस. सी. *439*, जहां इस न्यायालय ने औद्योगिक रोजगार *(*स्थायी आदेश*)* अधिनियम, *1946* पर विचार करते हुए कहा कि अधिनियम का उद्देश्य नियोक्ताओं से रोजगार की शर्तों को सटीक और निश्चित बनाने की अपेक्षा करना था और अधिनियम का उद्देश्य अंततः इन शर्तों को स्थायी आदेशों के रूप में निर्धारित करना था ताकि जो पहले यहाँ एक अनुबंध द्वारा शासित होता था वह अब सांविधिक स्थायी आदेशों द्वारा शासित होगा।

340. उपरोक्त निर्णय को सर्वोत्तम रूप से इस अर्थ में पढ़ा जा सकता है कि शर्तें, जो स्थायी आदेशों में गिनाई गई हैं,

वैधानिक शर्तें। वर्तमान मामले में प्रत्यर्थियों द्वारा निर्णय का कोई लाभ नहीं लिया जा सकता है क्योंकि भले ही यह लाइसेंसधारी और अभिदाताओं के बीच समझौते में शर्त रखी गई हो कि लाइसेंसधारी होगा अनुज्ञप्तिदाता द्वारा जारी किए गए निर्देशों के लिए बाध्य, उक्त शर्त वैधानिक नहीं होती है और न ही कानून का रूप लेती है। सुखदेव सिंह और अन्य बनाम भगतराम सरदार सिंह रघुवंशी और एक अन्य, *(1975) 1* एस. सी. सी. *421* पर भरोसा किया गया, जहां इस न्यायालय ने कहा कि ओ. एन. जी. सी., एल. आई. सी. और औद्योगिक वित्त निगम द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों में सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट है।

कानून की शक्ति। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि वैधानिक प्रावधानों के तहत बनाए गए नियमों में कानून की शक्ति होगी, इस प्रकार, इस मामले का कोई अनुप्रयोग नहीं है। इसी तरह, लिली कुरियन बनाम सीनियर लेविना और अन्य पर निर्भरता, *(1979) 2* एस. सी. सी. *124*, अल्पना वी. मेहता बनाम महाराष्ट्र राज्य बोर्ड

माध्यमिक शिक्षा और एक अन्य, *(1984) 4* एस. सी. सी. *27*, सेंट जॉन्स शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान बनाम। क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय

शिक्षक शिक्षा परिषद और अन्य, *(2003) 3* एस. सी. सी. *321* वे सभी मामले थे, जहाँ विनियमों के तहत शर्तें निर्धारित की गई थीं, जो प्रकृति में वैधानिक थीं। वे मामले किसी भी तरह से उत्तरदाताओं की मदद नहीं करते हैं।

341. श्री द्विवेदी ने भारत संघ और एक अन्य बनाम एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया है। भारत और अन्य के सेवा प्रदाता, *(2011) 10* एस. सी. सी. *543*। यह

न्यायालय ने अनुच्छेद *39* में निम्नलिखित टेलीग्राफ अधिनियम की धारा *4* का उल्लेख करते हुए कहाः

"*39.* हालाँकि, टेलीग्राफ अधिनियम की धारा *4* की उप-धारा *(1)* का परंतुक केंद्र सरकार को ऐसी शर्तों पर और ऐसे भुगतानों पर विचार करते हुए, जो वह उचित समझती है, किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में लाइसेंस देकर इस विशेष विशेषाधिकार को छोड़ने में सक्षम बनाता है। जैसा कि केंद्र सरकार के पास है

दूरसंचार गतिविधियों को चलाने का अनन्य विशेषाधिकार और क्योंकि अकेले केंद्र सरकार को ऐसी शर्तों पर और ऐसी शर्तों पर विचार करते हुए किसी भी व्यक्ति के पक्ष में लाइसेंस देकर इस विशेषाधिकार को छोड़ने का अधिकार है

यह उचित समझता है कि टेलीग्राफ अधिनियम की धारा *4* की उप-धारा *(1)* के प्रावधान के तहत दिया गया लाइसेंस अनुबंध की प्रकृति का है।

केंद्र सरकार और लाइसेंसधारी के बीच।

342. केंद्र सरकार के इस अधिकार पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि वह ऐसी शर्त पर और ऐसी शर्तों पर विचार करते हुए लाइसेंस देकर किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेष विशेषाधिकार के साथ भाग ले। लेकिन केवल लाइसेंसधारियों को किसी भी तरह से आधार सत्यापन द्वारा ई-केवाईसी की अनिवार्य प्रक्रिया को अपनाने का निर्देश जारी करना

एक कानून के रूप में निर्देशों या निर्देशों की प्रशंसा करें। इस प्रकार, *23.03.2017* दिनांकित परिपत्र को एक कानून नहीं माना जा सकता है और आधार आधारित ई-केवाईसी के माध्यम से सभी मौजूदा मोबाइल ग्राहकों के पुनः सत्यापन के निर्देश को कानून द्वारा समर्थित नहीं माना जा सकता है, इसलिए इसे बरकरार नहीं रखा

जा सकता है। *343.* इस मामले का एक और पहलू है, जिस पर गौर करने की आवश्यकता है। आधार अधिनियम में केवल दो प्रावधान हैं जिनके तहत आधार न्याय के. एस. पुत्रस्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[अशोक भूषण,

इसका उपयोग किया जा सकता है, अर्थात धारा *7* और धारा *57*। वर्तमान धारा *7* का मामला नहीं है क्योंकि वर्तमान कोई सब्सिडी, लाभ या सेवा प्राप्त करने का मामला नहीं है। धारा *57* में यह विचार किया गया है कि "आधार का उपयोग एक कानून द्वारा प्रदान किया जा सकता है"। धारा *57* में उपयोग किए गए "कानून द्वारा" शब्दों का स्पष्ट रूप से अर्थ है आधार अधिनियम के अलावा सक्षम विधान द्वारा बनाया गया एक वैध कानून। मौजूदा ग्राहकों के सिम के सत्यापन के लिए आधार के उपयोग की अनुमति देकर कोई कानून नहीं बनाया गया है। आधार के इस तरह के उपयोग के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है, इसलिए धारा *57* भी आकर्षित नहीं होती है।

344. केवल उपरोक्त दो आकस्मिकताएँ हैं, जहाँ आधार

उपयोग किया जा सकता है और *23.03.2017* दिनांकित परिपत्र उपरोक्त किसी भी आकस्मिकता के दायरे में नहीं आता है, इसलिए *23.03.2017* दिनांकित परिपत्र को अलग रखा जाना चाहिए।

Ans.15: - सर्कुलर दिनांकित *23.03.2017* असंवैधानिक होने के कारण निर्धारित किया गया है

एक तरफ।

क्या आधार अधिनियम एक धन विधेयक है और

अंक संख्या *16*

अध्यक्ष द्वारा इसे धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का निर्णय इस न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है*?*

345. आधार अधिनियम को संसद ने धन विधेयक के रूप में पारित किया है। श्री पी. चिदंबरम, विद्वान वरिष्ठ वकील याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि आधार अधिनियम एक धन विधेयक नहीं है, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद *110* के तहत किसी भी खंड में शामिल नहीं है। वह आगे आधार को प्रमाणित करने वाले अध्यक्ष के उस निर्णय को प्रस्तुत करता है

धन विधेयक के रूप में विधेयक अवैध होने और व्यक्त संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण इसमें हस्तक्षेप किया जाना चाहिए और अध्यक्ष का ऐसा निर्णय भी इस न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन है। अनुच्छेद *110* में प्रयुक्त "केवल" शब्द का महत्व है और एक विधेयक, जिसमें केवल खंड *(*ए*)* से *(*एफ*)* से संबंधित प्रावधान शामिल नहीं हैं, को धन विधेयक नहीं माना जा सकता है। प्रत्यर्थी धन विधेयक का समर्थन करने के लिए खंड *(*छ*)* पर नहीं आ सकते हैं, जिसे तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि विधेयक के प्रावधान *(*क*)* से *(*च*)* तक के किसी भी खंड में शामिल न हों।

346. विद्वान महान्यायवादी श्री के. के. वेणुगोपाल ने उपरोक्त निवेदन का खंडन करते हुए कहा कि आधार विधेयक को सही तरीके से पारित किया गया है

धन विधेयक के रूप में। वे प्रस्तुत करते हैं कि अध्यक्ष द्वारा दिया गया प्रमाणन कि आधार विधेयक एक धन विधेयक है, अनुच्छेद *110 (3)* के आधार पर अंतिम बना दिया गया है, इसलिए इस पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। विद्वान महान्यायवादी द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि *[2018] 8* एस. सी. आर. देखने पर भी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आधार विधेयक गुण-दोष के आधार पर अनुच्छेद *110 (1)* के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करता है। वह प्रस्तुत करता है कि आधार विधेयक स्पष्ट रूप से संदर्भित है

अनुच्छेद *110 (1)* के खंड *(*सी*)*, खंड *(*ई*)* और खंड *(*जी*)*। वह प्रस्तुत करता है कि आधार अधिनियम का मूल धारा *7* है जो भुगतान के संबंध में है।

सब्सिडी, लाभ या सेवाएँ और जिनके लिए भारत की संचित निधि से व्यय किया जाता है। अनुच्छेद *122* संसद में किसी भी कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाने में भी रोक लगाता है। का प्रमाणन

धन विधेयक के रूप में विधेयक संसदीय प्रक्रिया का विषय है इसलिए अनुच्छेद *122* भी उक्त निर्णय को न्यायालय में प्रश्न किए जाने से बचाता है।

347. अनुच्छेद *110* और अनुच्छेद *122*, जो वर्तमान मामले में विचार के लिए आते हैं, इस प्रकार हैं:

"110. "मनी बिल" की परिभाषा।

(1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, एक विधेयक माना जाएगा -
एक धन विधेयक यदि इसमें केवल निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले से संबंधित प्रावधान हैं, अर्थात्:

*(*क*)* अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन

किसी भी कर का;
*(*ख*)* भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई गारंटी देने का विनियमन, या किए गए किसी भी वित्तीय दायित्वों के संबंध में कानून में संशोधन।

या भारत सरकार द्वारा किया जाना;

*(*ग*)* संचित निधि या भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, धन का भुगतान या निकासी

ऐसी किसी निधि से धन की राशि;

*(*घ*)* संचित निधि से धन का विनियोग

भारत का;

*(*ङ*)* किसी भी व्यय को भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय घोषित करना या

ऐसे किसी भी व्यय की राशि;

भारत का या भारत का सार्वजनिक खाता या ऐसे धन की अभिरक्षा या निर्गमन या संघ या किसी राज्य के खातों का लेखापरीक्षा; या
(छ) में निर्दिष्ट किसी भी मामले के लिए कोई आनुषंगिक मामला

उपखंड *(ए)* से *(एफ)*।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(आर. ई. टी. डी.) v.* भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

दंड, या प्रदान की गई सेवाओं के लिए लाइसेंस या शुल्क के लिए शुल्क की मांग या भुगतान के लिए, या इस कारण से कि यह किसी भी सेवा को लागू करने, समाप्त करने, छूट, परिवर्तन या विनियमन के लिए प्रावधान करता है।
स्थानीय उद्देश्यों के लिए किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या निकाय द्वारा कर।

(3) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोक सभा अध्यक्ष का निर्णय

यह अंतिम होगा।

उसे कि यह एक धन विधेयक है।
122. न्यायालय संसद की कार्यवाही की जाँच नहीं करेंगे। *(1)* संसद में किसी भी कार्यवाही की वैधता पर किसी भी कथित अनियमितता के आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

प्रक्रिया।

(2) संसद का कोई अधिकारी या सदस्य जिसमें प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए इस संविधान द्वारा या उसके तहत शक्तियां निहित हैं या

संसद में कार्य का संचालन, या व्यवस्था बनाए रखने के लिए, के संबंध में किसी भी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन होगा

उसके द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग करें।

348. हमें पहले इस प्रश्न से संबंधित प्रस्तुतिकरण के लिए विज्ञापन देने की आवश्यकता है कि क्या अध्यक्ष द्वारा विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का निर्णय है।

349. इस न्यायालय ने संसदीय कार्यवाही के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा के दायरे की जांच की है। एक समान संवैधानिक अध्यक्ष के निर्णय को अंतिम रूप देने वाला प्रावधान *[2018] 8* एस. सी. आर. में निहित है।

दसवीं अनुसूची के पैरा *6* में यह प्रश्न किया जाता है कि कोई व्यक्ति अयोग्य हो गया है या नहीं, जिसे सभापति के निर्णय के लिए भेजा जाना है या

अध्यक्ष और उनका निर्णय अंतिम होगा। पैरा *6* उपखंड *(1)* नीचे उद्धृत किया गया है:

"6. आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रश्नों पर निर्णय

दलबदल का। — *(1)* यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या

सदन का सदस्य इस अनुसूची के तहत अयोग्यता के अधीन हो गया है, प्रश्न को निर्णय के लिए भेजा जाएगा

अध्यक्ष या, यथास्थिति, ऐसे सदन का अध्यक्ष

और उसका निर्णय अंतिम होगा:

बशर्ते कि जहां यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या किसी सदन का अध्यक्ष या अध्यक्ष ऐसी अयोग्यता के अधीन हो गया है, तो प्रश्न सदन के ऐसे सदस्य के निर्णय के लिए भेजा जाएगा जो सदन करे।

इस संबंध में चुनाव करें और उनका निर्णय अंतिम होगा।

350. संविधान पीठ के पास किहोतो होलोहन बनाम ज़चिल्लु और अन्य, *1992* सप. में पैरा *6* पर विचार करने का अवसर था। *(2)* एससीसी

651 , न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचलैया, जैसा कि उन्हें तब विस्तृत रूप से प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया गया था। इस न्यायालय के समक्ष यह भी तर्क दिया गया कि दसवीं अनुसूची के पैरा *6* में अध्यक्ष के निर्णय की अंतिमता को देखते हुए, अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा से परे है। पैरा *78* में निम्नलिखित कहा गया है:

"78. इन दोनों विवादों के कुछ अतिव्यापी क्षेत्र हैं।

उनके बीच और एक साथ निपटाए जाने को स्वीकार करना। दसवीं अनुसूची का अनुच्छेद *6 (1)* एक वैधानिक अंतिमता प्रदान करने का प्रयास करता है -

सभापति या सभापति का निर्णय। तर्क यह है कि 'अंतिमता' की यह अवधारणा अपने आप में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर करती है। क्या "अंतिम" शब्द अध्यक्ष के निर्णय को न्यायिक समीक्षा से मुक्त करता है? यह अब अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है कि एक अंतिमता

खंड एक विधायी जादुई मंत्र नहीं है जिसका न्यायिक समीक्षा को बंद करने का प्रभाव है। किसी निर्णय की वैधानिक अंतिमता
अनुमान लगाता है और इसके साथ इसके सामंजस्य के अधीन है

कानून...

पैरा *80* से *85* में निम्नलिखित आयोजन किए गए हैं:

80. दुर्गा शंकर मेहता बनाम। रघुराज सिंह, आकाशवाणी *1954* एस. सी.

520 चुनाव न्यायाधिकरण के आदेश को अंतिम बना दिया गया और
लोक प्रतिनिधित्व की धारा *105* आईसीई के. एस. पुट्टास्वामी *(*आरईटीडी*) v.*

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

अधिनियम, *1951*। तर्क यह था कि अंतिमता और निर्णायक खंड अनुच्छेद *136* के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाधित करते हैं। इस विवाद को खारिज कर दिया गया। यह देखा गयाः *(* एयर पी। *522)*

चुनाव के संबंध में, इस न्यायालय की सर्वोच्च शक्ति उचित मामलों में विशेष अवकाश निश्चित रूप से आकर्षित किया जाएगा और इस शक्ति को किसी भी संसद द्वारा बाहर नहीं किया जा सकता है।

कानून।

..... लेकिन एक बार जब उस न्यायाधिकरण ने कोई निर्णय ले लिया है या मामले पर निर्णय, इस न्यायालय की हस्तक्षेप करने की शक्तियाँ

विशेष अवकाश का उपयोग हमेशा किया जा सकता है।

..... हालाँकि संविधान के अनुच्छेद *136* द्वारा दी गई शक्तियाँ विशेष या अवशिष्ट शक्तियों की प्रकृति में हैं जो हैं -

सामान्य कानून के दायरे से बाहर प्रयोग किया जा सकता है, उन मामलों में जहां न्याय की आवश्यकताएं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की मांग करती हैं

भूमि से।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा *105* निश्चित रूप से

निर्वाचन न्यायाधिकरण के निर्णय को अंतिम रूप देता है जहाँ तक

वह अधिनियम संबंधित है और आगे के लिए कोई प्रावधान नहीं करता है

प्रबलित शक्तियाँ जिनका प्रयोग यह न्यायालय मामले में कर सकता है संविधान के अनुच्छेद *136* के तहत विशेष अवकाश देना।

1. एक बार फिर, भारत संघ बनाम। ज्योति प्रकाश मित्तर *[1971] 3*

एस. सी. आर. *483* के अनुच्छेद *217 (3)* में एक समान अंतिमता खंडसंविधान विचार के लिए डेरा डाले हुए है। इस अदालत ने कहाः *(* एससीसी

पीपी। *410-1* , पैरा *32)*

..... अनुच्छेद *217 (3)* के तहत कार्य करने वाले राष्ट्रपति न्यायिक कार्य करते हैं।

हमारी योजना के तहत गंभीर महत्व का कार्य संविधान। वह अपने मंत्रियों की सलाह पर काम नहीं कर सकते।

आदेश की घोषित अंतिमता के बावजूद

राष्ट्रपति न्यायालय के पास निर्धारित करने के लिए उपयुक्त मामलों में अधिकार क्षेत्र है आदेश को एक तरफ रखते हुए, यदि ऐसा प्रतीत होता है कि यह संपार्श्विक पर पारित किया गया था

विचार या प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन नहीं किया गया था, या यह कि राष्ट्रपति का निर्णय सलाह या प्रतिनिधित्व द्वारा रंगीन था।

कार्यपालिका द्वारा बनाया गया या यह बिना किसी सबूत के स्थापित किया गया था। *"[2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

82. संविधान के अनुच्छेद *311 (3)* में आने वाली *"*अंतिम*"* अभिव्यक्ति का उल्लेख करते हुए यह न्यायालय भारत संघ बनाम. तुलसीराम पटेल, *[1985]* पूरक। *2* एस. सी. आर. *131* आयोजितः *(* एससीसी *p.507*। पैरा *138)*

अनुशासनात्मक प्राधिकारी का निर्णय कि यह उचित नहीं था जाँच आयोजित करना न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है। अदालत दुर्भावनापूर्ण आरोप, यदि कोई हो, की भी जांच करेगी।

रिट याचिका में किया गया। कारणों की प्रासंगिकता की जांच करते हुए, अदालत उस स्थिति पर विचार करेगी जिसने अनुशासनात्मक प्राधिकरण के अनुसार इस निष्कर्ष पर पहुंचा दिया कि जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं था। यदि अदालत को लगता है कि कारण अप्रासंगिक हैं, तो अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा अपनी संतुष्टि दर्ज करना एक दुरुपयोग होगा।

खंड *(ख)* द्वारा उसे प्रदत्त शक्ति। … .....

83. यदि इरादा उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने का होता, तो भाषा स्पष्ट रूप से काफी अलग होती। फिर भी, जहाँ इस तरह के बहिष्करण को एक संशोधन द्वारा प्रभावी बनाने की कोशिश की जाती है, वहाँ आगे सवाल उठेगा कि क्या ऐसा संशोधन संविधान की मूल विशेषता के लिए विनाशकारी होगा। लेकिन अनुच्छेद *363 (1)* में भाषा की तुलना से इसके विपरीत भाषा सामने आएगी जो ऐसे किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकती है।

84. वृंदावन नायक बनाम। भारत निर्वाचन आयोग *[1965] 3* एस. सी. आर. *53*, अनुच्छेद *192* द्वारा राज्यपाल की अयोग्यता के संबंध में निर्णय से जुड़ी अंतिमता के बावजूद

चुनाव के बाद राज्य विधानमंडल के सदस्य, संविधान के अनुच्छेद *226* के तहत दायर रिट याचिका को खारिज करने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद *136* के तहत विशेष अनुमति द्वारा अपील पर इस न्यायालय द्वारा मामले की जांच की गई थी। इसी तरह भारत संघ बनाम। ज्योति प्रकाश मित्तर *[1971] 3* एस. सी. आर. *483*, संविधान के अनुच्छेद *217 (3)* के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की

आयु के निर्धारण के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश से जुड़ी अंतिमता के बावजूद, इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद *136* के तहत दायर अपील के लंबित रहने के दौरान राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेश की वैधता की जांच की।

संविधान।

85. तर्क की स्वीकार्यता के खिलाफ अधिकार है

कि पैराग्राफ *6 (1)* में आने वाले "अंतिम" शब्द का प्रभाव जस्टिस के एस पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v* है।

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

अनुच्छेद *136,226* और *227* में न्यायालयों की अधिकारिता को बाहर करने का।

351. उपरोक्त संविधान पीठ का निर्णय स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ताओं के मामले का समर्थन करता है कि अनुच्छेद *110 (3)* के तहत अध्यक्ष के निर्णय से जुड़ी अंतिमता न्यायालय को अपनी न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करने से नहीं रोकती है। हम *1964* के विशेष संदर्भ संख्या *1,* ए. आई. आर. *1965* एस. सी. *745* में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले का भी उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें इस न्यायालय को अनुच्छेद *212* पर विचार करने का अवसर मिला था, जो संबंधित प्रावधान है।

अनुच्छेद *122* के राज्य पैरा मैटेरिया के विधानमंडल को। संविधान पीठ ने माना है कि अनुच्छेद *212* के तहत जिस पर सवाल उठाए जाने से संरक्षित किया गया है, वह किसी भी कथित अनियमितता या प्रक्रिया के आधार पर है। उक्त आधार निर्णय की अवैधता के मामले में लागू नहीं होता है। अगला मामला, जिस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है, वह है राजा रामपाल बनाम लोकसभा अध्यक्ष मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ का फैसला।

सभा और अन्य, *(2007) 3* एस. सी. सी. *184*। उपरोक्त मामले में संविधान पीठ के पास संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराए गए अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा जारी करने के प्रश्न पर विचार करने का अवसर था। संविधान के अनुच्छेद *122* के आधार पर न्यायालय के समक्ष एक निवेदन प्रस्तुत किया गया था, जो किसी भी प्रश्न पर प्रतिबंध लगाता है।

संसद की कार्यवाही, अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा से मुक्त है। उपरोक्त निवेदन को निर्णय के पैरा *364* में निम्नलिखित शब्दों में देखा गया है:

"364. भारत संघ के विद्वान वकील और विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की प्रस्तुतियाँ हमसे अनुच्छेद *122 (1)* के प्रावधानों में एक अंतिमता खंड को पढ़ने का अनुरोध करती हैं जहाँ तक संसदीय कार्यवाही का संबंध है। विषय पर

अंतिमता खंड और न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर उनके प्रभाव, कई मामले संदर्भित किए गए हैं जिन पर इस स्तर पर ध्यान दिया जा सकता है।

352. पैरास *376,377,384* और *386* में निम्नलिखित माना गया है:

"*376.* हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, उपरोक्त मामलों की श्रृंखला में जिस सिद्धांत पर ध्यान दिया जाना चाहिए वह यह है कि
अंतिमता खंडों के अस्तित्व के बावजूद, यह न्यायालय

जब भी और जहां भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, उसने न्यायिक समीक्षा के अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद *217 (3)* के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के प्रश्न का निर्धारण करते समय, या भारत के राष्ट्रपति *(*या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो*)* अनुच्छेद *311 (3)* के तहत निर्णय लेते समय।

किसी लोक सेवक को बर्खास्त करने या हटाने से पहले सामान्य रूप से अनिवार्य जांच को समाप्त करना, या उस मामले के लिए अध्यक्ष *(*या अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो,*)* दसवीं अनुसूची के पैरा *6* के तहत अयोग्यता के प्रश्न का निर्णय लेना, निम्नलिखित के तहत ऐसी अधिकारिता के लिए सौंपे गए अधिकारियों के रूप में कार्य कर सकता है - संवैधानिक प्रावधान। फिर भी, जिस तरह से उन्होंने उक्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया, वह पूरी तरह से न्यायिक जांच से परे नहीं है। दसवीं अनुसूची के तहत अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अध्यक्ष के मामले में, दसवीं अनुसूची के पैरा *6 (2)* द्वारा उनके समक्ष कार्यवाही को अनुच्छेद *122* के अर्थ के भीतर संसद में कार्यवाही घोषित किया जाता है। फिर भी, उक्त अधिकार क्षेत्र को गैर-न्यायोचित के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। इस दृष्टिकोण से, हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि पूर्ण प्रतिरक्षा उपलब्ध है

अनुच्छेद *105 (3)* से संबंधित संसदीय कार्यवाही। यह एक अलग-अलग मामले हैं कि ऐसी कार्यवाहियों की न्यायिक जांच को कौन से मापदंड, यदि कोई हों, को विनियमित या नियंत्रित करना चाहिए।

377. उत्तर प्रदेश विधानसभा मामले *(1964* का विशेष संदर्भ संख्या *1)*, ए. आई. आर. *1965* एस. सी. *745* में, इस मुद्दे को इस न्यायालय द्वारा आधिकारिक रूप से सुलझा लिया गया था, और यह एस. सी. आर. पीपी में आयोजित किया गया था। *455-56* , निम्नानुसारः *(AIR p.768,* पैरा *62)*

"ऐसा लगता है कि अनुच्छेद *212 (1)* एक नागरिक के लिए हस्तक्षेप करना संभव बनाता है।

विधि के उपयुक्त न्यायालय में इसकी वैधता पर प्रश्न

विधायी कक्ष के भीतर कोई कार्यवाही यदि उसका मामला हो

यह है कि उक्त कार्यवाही केवल अनियमितता से ग्रस्त नहीं है

प्रक्रिया की, लेकिन एक अवैधता से। अगर असंतुष्ट

प्रक्रिया अवैध और असंवैधानिक है, यह खुला रहेगा

कानून की अदालत में जांच की जाती है, हालांकि ऐसी जांच निषिद्ध है यदि प्रक्रिया के खिलाफ शिकायत इससे अधिक नहीं है कि

प्रक्रिया अनियमित थी। "

(जोर दिया गया*)*

384. अनुच्छेद *122 (1)* में निहित निषेध अवैधता के मामलों में प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है। इस संदर्भ में, सरोजिनी रामास्वामी बनाम का भी उल्लेख किया जा सकता है। भारत संघ, *(1992) 4* एस. सी. सी. *506*। यह मामला मुख्य रूप से न्यायाधीश *(*जांच*)* अधिनियम, *1968* के साथ पठित अनुच्छेद *124 (4)* से संबंधित था। अन्य बातों के साथ-साथ, अनुच्छेद *118* के तहत बनाए गए नियमों पर अनुच्छेद *124 (5)* के तहत बनाए गए नियमों के प्रबल प्रभाव पर विचार करते हुए, यह न्यायालय पीपी। *187-88* उन्होंने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं: *(* एस. सी. सी पी. *572*, पैरा *94)*

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

"94. हम पहले ही संवैधानिक योजना का संकेत दे चुके हैं भारत और अनुच्छेद *124* के खंड *(4)* और *(5)* का वास्तविक महत्व

अनुच्छेद *124 (5)* के तहत अधिनियमित कानून के साथ पढ़ें, अर्थात्,

न्यायाधीश *(*जांच*)* अधिनियम, *1968* और न्यायाधीश *(*जांच*)* नियम,

1969 , जो, अन्य बातों के साथ-साथ एक प्रावधान पर विचार करता है

संसद द्वारा विचार किए जाने से पहले रिपोर्ट में 'दोषी' का पता लगाना उसे हटाने के प्रस्ताव के साथ विचार के लिए। साथ में।

उत्तर प्रदेश विधानसभा मामले में निर्णय के साथ *(*विशेष संदर्भ*)* *1964* का सं. *1)* को उप में की गई घोषणा को पढ़ना होगा।

न्यायिक जवाबदेही समिति, *(1991) 4* एस. सी. सी. *699* कि

'अनुच्छेद *124 (5)* के तहत बनाया गया कानून बनाए गए नियमों पर हावी हो जाएगा।

अनुच्छेद *118* के तहत और दोनों सदनों पर बाध्यकारी होगा संसद। इस तरह के कानून का उल्लंघन होगा।

अवैधता और न्यायिक जांच से मुक्त नहीं हो सकता है

अनुच्छेद *122 (1)* के तहत। अनुमेय चुनौती का दायरा

द्वारा हटाए जाने के आदेश से संबंधित न्यायाधीश

राष्ट्रपति द्वारा हटाने का आदेश दिए जाने के बाद इन विचारों पर निर्धारित "।

(जोर दिया गया*)*

386. इस प्रकार अनुच्छेद *122 (1)* को जुड़वां पर विचार करने के लिए पाया जाना चाहिए।

किसी भी कार्यवाही के लिए वैधता और संवैधानिकता का परीक्षण संसद की चार दीवारें। तथ्य यह है कि यू. पी. विधानसभा

अभ्यास से संबंधित मामला *(1964* का विशेष संदर्भ संख्या *1)*

इसकी चार दीवारों से परे सदन की शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है

यह दृष्टिकोण जिसने स्पष्ट रूप से एक संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या की

विशेष रूप से आंतरिक न्यायिक समीक्षा की सीमा से निपटने के लिए

विधायी निकाय की कार्यवाहियाँ। इस दृष्टिकोण से, अनुच्छेद *122 (1)*

आंतरिक के अनन्य संज्ञान के अंग्रेजी सिद्धांत को विस्थापित करता है

मामला कानून को अप्रासंगिक बनाने वाली सदन की कार्यवाहियां जो

उस अधिकार क्षेत्र में अदालतों से उत्पन्न हुआ। पढ़ने का कोई भी प्रयास

न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को सीमित करने के लिए अनुच्छेद *122* में सीमा

*"(*जो कुछ भी नहीं किया गया है*)* शामिल किया गया है निहितार्थ से बाहर रखा गया है*)*, यह स्पष्ट और स्पष्ट सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट है

कि टचस्टोन पर परीक्षा के खिलाफ निषेध

"प्रक्रिया की अनियमितता "न्यायिक समीक्षा को वर्जित नहीं बनाती है

अवैधता या असंवैधानिकता के निष्कर्षों पर।

353. उपरोक्त मामला इस प्रस्ताव के लिए एक स्पष्ट अधिकार है कि अनुच्छेद *122* अवैधता के मामले में प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है। क्या है*?* संरक्षित केवल किसी भी अनियमितता या प्रक्रिया के आधार पर चुनौती है। संविधान में प्रक्रिया के उल्लंघन के आधार पर संसदीय निर्णय पर सवाल उठाने से छूट उन सिद्धांतों की मान्यता में है जो संसद को प्रक्रिया के संबंध में विशेषाधिकार देते हैं और किसी भी प्रक्रिया के उल्लंघन के आधार पर किसी भी चुनौती की अनुमति नहीं है।

354. श्री के. के. वेणुगोपाल ने अपने निवेदन के समर्थन में इस न्यायालय के दो निर्णयों पर भरोसा किया, जिनका नाम मोहम्मद है। सईद सिद्दीकी बनाम राज्य

उत्तर प्रदेश और अन्य, *(2014) 11* एस. सी. सी. *415* और योगेंद्र कुमार जायसवाल और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य, *(2016) 3* एस. सी. सी. *183*। वे प्रस्तुत करते हैं कि दोनों निर्णयों में, इस न्यायालय ने धन विधेयक को चुनौती देने के प्रश्न पर विचार करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि अध्यक्ष द्वारा किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का निर्णय अंतिम है और इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

355. हमें उपरोक्त निर्णयों पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है। मोहम्मद. सईद सिद्दीकी *(ऊपर)* तीन न्यायाधीशों द्वारा दिया गया फैसला था।

इस न्यायालय की पीठ। उत्तर प्रदेश लोकायुक्ता अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोकायुक्ता *(संशोधन)* अधिनियम, *2012* चुनौती का विषय था। उस संबंध में प्रस्तुतियों में से एक को पैरा *12* में नोट किया गया है, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" 12. श्री वेणुगोपाल ने आगे कहा कि

संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित भी नहीं किया गया था और इस प्रकार, कानून की नजर में यह केवल एक कागज का टुकड़ा है। विचाराधीन विधेयक को एक धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जब

यदि, इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद *199 (1)* और *199 (2)* में परिभाषित धन विधेयक के रूप में कभी नहीं कहा जा सकता है। चूंकि एक साधारण विधेयक के लिए प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और सहमति दी गई थी

राज्यपाल का एक असंबद्ध और अपूर्ण विधेयक प्राप्त किया गया था जो अनिवार्य आवश्यकताओं से भी नहीं गुजरा था

भारत के संविधान के तहत, पूरी कार्रवाई थी

असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद *200* का उल्लंघन

भारत का "। एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

356. इस न्यायालय ने अनुच्छेद *199* और *212*, जो अनुच्छेद *109* और *122* के अनुच्छेद हैं, पर ध्यान देने के बाद कहा कि समर्थन में कार्यवाही पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है कि उनके पास हैवे व्यवसाय के नियमों के अनुसार चलते रहे। इस न्यायालय ने पैराग्राफ *34* से *38* तक के मुद्दों का जवाब दिया, जो निम्नलिखित हैं।

" 34. उपरोक्त प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि अध्यक्ष के निर्णय और राज्य की कार्यवाही की अंतिमता विधानमंडल राज्य विधानमंडल का महत्वपूर्ण विशेषाधिकार होने के कारण,

अर्थात्। , अदालतों द्वारा बोलने, बहस और कार्यवाही की स्वतंत्रता की जांच नहीं की जानी चाहिए। "विधायिका की कार्यवाही" में संसदीय कार्य के लेन-देन में किसी भी सदन में कही गई या की गई हर बात शामिल है, जो वर्तमान मामले में है -

संशोधन अधिनियम का अधिनियमन। इसके अलावा, अनुच्छेद *212* न्यायालयों को विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया का पालन न करने या अन्यथा सदन द्वारा पारित विधेयकों पर सवाल उठाने के आधार पर राज्यपाल को सहमति के लिए विधेयक पेश करने में हस्तक्षेप करने से रोकता है। यह स्पष्ट करने के लिए, विधायिका के भीतर की कार्यवाही पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है कि उन्हें कार्य नियमों के अनुसार नहीं चलाया गया है। यह अनुच्छेद *194* से भी स्पष्ट है जो विधानमंडल के सदनों और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों के बारे में बात करता है।

35. हम पहले ही अनुच्छेद *199* का हवाला दे चुके हैं। अनुच्छेद *199 (3)* के संदर्भ में, विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय

यह कि विचाराधीन विधेयक एक धन विधेयक था, अंतिम है और उक्त निर्णय पर विवाद नहीं किया जा सकता है और न ही अनुच्छेद *212* के आधार पर राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा सकता है। हम हैं।

इस तथ्य से अवगत कि राजा राम पाल बनाम में इस न्यायालय के निर्णय में। लोकसभा *(2007) 3* एस. सी. सी. *184* में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसी कार्यवाहियां जो मूल या घोर अनियमितता या असंवैधानिकता के कारण दूषित हो सकती हैं, न्यायिक जांच से सुरक्षित नहीं हैं।

36. भले ही यह स्थापित हो कि इसमें कुछ कमजोरी थी

संविधान के अनुच्छेद *255* के संदर्भ में, संशोधन अधिनियम के अधिनियमन की प्रक्रिया, प्रक्रिया के मामले उस अधिनियम को अमान्य नहीं करते हैं जिसे राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा सहमति दी गई है, जैसा भी मामला हो।

37. एम. एस. एम. शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हा ए. आई. आर. *1960* एस. सी. *1186* और मैंगलोर गणेश बिडी वर्क्स बनाम। मैसूर राज्य, ए. आई. आर. *1963* एस. सी. *589*, इस न्यायालय की संविधान पीठों ने फैसला सुनाया

वहः

(i) किसी अधिनियम की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि यह अनुच्छेद *197* से *199* और निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करता है।

अनुच्छेद *202* में;

((ii) अनुच्छेद *212* किसी राज्य के विधानमंडल में किसी भी कार्यवाही की वैधता को प्रक्रिया की किसी भी कथित अनियमितता के आधार पर प्रश्न में बुलाए जाने से रोकता है; और

(iii) अनुच्छेद *255* में कहा गया है कि सिफारिश और पूर्व मंजूरी की आवश्यकताओं को केवल प्रक्रिया के रूप में माना जाना चाहिए।

यह भी अभिनिर्धारित किया जाता है कि किसी राज्य के विधानमंडल के भीतर की कार्यवाही की वैधता पर इस आरोप पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है कि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन नहीं किया गया है और कोई भी न्यायालय उन प्रश्नों पर विचार नहीं कर सकता है जो स्वयं विधानमंडल के विशेष अधिकार क्षेत्र के भीतर हैं।
उसे अपना व्यवसाय करने की शक्ति है।

38. इसके अलावा, यह सवाल कि क्या कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, केवल राज्य विधानसभा में उसके सदस्य द्वारा उठाया जा सकता है जब विधेयक राज्य विधानमंडल में लंबित हो और

इससे पहले कि यह एक अधिनियम बन जाए। यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि तत्काल मामले में किसी ने भी ऐसा कोई सवाल नहीं उठाया था।

357. यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संबंधित प्रश्न

सदन में प्रक्रिया पर अनुच्छेद *212* के आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था। एक अन्य निर्णय, जिस पर विद्वान महान्यायवादी ने भरोसा किया है, योगेंद्र कुमार जयसवाल *(*उपरोक्त*)* मामले में इस न्यायालय का निर्णय है। उपरोक्त निर्णय दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया था। उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने इस प्रश्न की जांच की कि क्या

उड़ीसा विशेष न्यायालय अधिनियम, *2006* को एक धन विधेयक के रूप में न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। इस न्यायालय ने पैराग्राफ *38* से *43* में इस मुद्दे पर विचार किया,

जिनका प्रभाव निम्नलिखित हैः

"38. सबसे पहले, हम राज्य विधानमंडल में धन विधेयक के रूप में विधेयक को पेश करने से संबंधित मुद्दे को उठाएंगे। श्री वीनू भगत, कुछ अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील, एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुटसवामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम।

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

उक्त पहलू पर जोर दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद *199*

संविधान "धन विधेयकों" को परिभाषित करता है। हमारे वर्तमान उद्देश्य के लिए,

अनुच्छेद *199* का खंड *(3)* प्रासंगिक होने के कारण नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"199. (3) . यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई विधेयक पेश किया गया है

जिस राज्य में विधान परिषद है, उसका विधानमंडल धन विधेयक है या नहीं, उस पर ऐसे राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

हमने वही निकाला है जिसका हम उल्लेख करेंगे

उक्त खंड की व्याख्या के संबंध में अधिकारी।

चुनौती ने अनुच्छेद *212* पर निर्भरता रखी थी जो यह निर्धारित करता है कि किसी राज्य के विधानमंडल में किसी भी कार्यवाही की वैधता पर किसी भी कथित आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। प्रक्रिया की अनियमितता।

40. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने राज्य विधानमंडलों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति से प्रेरणा ली है। पुनः *1964* ए. आई. आर. *1965* का विशेष संदर्भ सं. *1*

एस. सी. *745,* जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद *212 (1)* यह निर्धारित करता है कि किसी राज्य के विधानमंडल में किसी भी कार्यवाही की वैधता पर किसी भी कथित आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

विधायिका में कार्य संचालन, या व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उसके द्वारा उन शक्तियों के प्रयोग के संबंध में किसी भी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन होने से। न्यायालय ने राय दी कि अनुच्छेद *212 (1)* एक नागरिक के लिए किसी भी कानून की वैधता पर उचित अदालत में सवाल उठाना संभव बनाता है। विधान मंडल के भीतर कार्यवाही यदि उसका मामला यह है कि उक्त कार्यवाही केवल अनियमितता से ग्रस्त नहीं है

प्रक्रिया, लेकिन एक अवैधता से। यदि विवादित प्रक्रिया अवैध और असंवैधानिक है, तो इसकी अदालत में जांच की जा सकती है, हालांकि शिकायत *[2018] 8* एस. सी. आर. होने पर इस तरह की जांच निषिद्ध है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रक्रिया के खिलाफ प्रक्रिया से अधिक नहीं है अनियमित। इस प्रकार, उक्त प्राधिकारी ने इनके बीच अंतर किया है -

प्रक्रिया की अवैधता और प्रक्रिया की अनियमितता। *41.* कुछ अनुच्छेदों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है।

राजा राम पाल बनाम में संविधान पीठ के निर्णय से। लोकसभा *(2007) 3* एससीसी *184*। उक्त मामले में, पैरा *360* और *366* में, यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया हैः *(* एससीसी पीपी। *347 & 350)*

" 360. संसद की न्यायिक समीक्षा की सीमा का प्रश्न

प्रावधान के संदर्भ में मामलों का समाधान किया जाना चाहिए

अनुच्छेद *122 (1)* में निहित जो अनुच्छेद *212* से मेल खाता है

एम. एस. एम. शर्मा बनाम में संदर्भित। श्री कृष्ण सिन्हा आकाशवाणी

1960 एससी *1186 [*पंडित शर्मा *(2)]*। एक सादे पठन पर, अनुच्छेद *122 (1)* "संसद में किसी भी कार्यवाही की वैधता" को केवल "प्रक्रिया की अनियमितता" के आधार पर अदालत में "प्रश्न में बुलाए जाने" से रोकता है। दूसरे शब्दों में, प्रक्रियात्मक अनियमितताओं का उपयोग अदालत द्वारा विधायिका की चार दीवारों के भीतर जो कुछ भी होता है उसे पूर्ववत या दूषित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर, "प्रक्रियात्मक अनियमितता" "मूल अवैधता" के बिल्कुल विपरीत है जिसे पूर्व में शामिल नहीं किया जा सकता है। हमारा विचार है कि संसद की कार्यवाही के संबंध में न्यायिक अंग की भूमिका की जांच के संबंध में इस विशिष्ट प्रावधान में ऐसी भाषा का उपयोग किया गया है जो न तो अस्पष्ट है और न ही अस्पष्ट है और इसलिए इसे इस रूप में माना जाना चाहिए -

इस विषय पर संवैधानिक जनादेश, अनावश्यक प्रतिपादन

कहीं और उत्तर की खोज करें या के सिद्धांतों का आह्वान करें

सामंजस्यपूर्ण निर्माण।

***

366. जिस कसौटी पर विधायिका की चार दीवारों के भीतर संसदीय कार्यों की जांच की गई, वह संवैधानिक और मूल कानून दोनों था। कार्यवाही

केवल अनियमितता से पीड़ित लोगों के विपरीत, जो मूल अवैधता या असंवैधानिकता के कारण दूषित हो सकते हैं, उन्हें अनुच्छेद *122 (1)* द्वारा न्यायिक जांच से संरक्षित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ब्रैडलॉफ *(1884)* एलआर *12* क्यूबीडी *271* में निर्धारित व्यापक सिद्धांतः *53* एलजेक्यूबी *290: 50* एल. टी. *620 (*डी. सी.*)*, इंग्लैंड में विधायिका के विशेष संज्ञान को स्वीकार करते हुए शासन प्रणाली एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* पर कोई अनुप्रयोग नहीं है।

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

हमारे संविधान द्वारा प्रदान किया गया है जिसमें कोई भी अंग संप्रभु नहीं है और प्रत्येक अंग संवैधानिक जांच और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है, जिसमें चीजों की किस योजना में, इस न्यायालय को निगरानी और गारंटर होने का कर्तव्य सौंपा गया है

संविधान "।

जिसमें तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस तरह की चुनौती पर विचार करते हुए कहा कि अनुच्छेद *212* अदालतों को इसमें हस्तक्षेप करने से रोकता है। विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया का पालन न करने के आधार पर राज्यपाल को सहमति के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करना, या

अन्यथा सदन द्वारा पारित विधेयकों पर प्रश्न उठाते हुए, क्योंकि

अनुच्छेद *212* के आधार पर राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया पर सवाल उठाया जाए। न्यायालय ने राजा राम पाल *(*उपर्युक्त*)* मामले में उस निर्णय पर ध्यान दिया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसी

कार्यवाहियां जो मूल या घोर अनियमितता के कारण दूषित हो सकती हैं या असंवैधानिकता न्यायिक जांच से सुरक्षित नहीं है।

आखिरकार, अदालत ने चुनौती को खारिज कर दिया।

43. हमारी सुविचारित राय में, अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा उद्धृत अधिकारी एक विधेयक को पेश करने के लिए अधिक सहायता प्रदान नहीं करते हैं, जैसा कि मोहम्मद में आयोजित किया गया है। सईद सिद्दीकी *(ऊपर),* "अनियमितता" की अवधारणा के भीतर आता है और यह पर्याप्तता के दायरे के साथ आता है। *1964 (*उपर्युक्त*)* के विशेष संदर्भ संख्या *1* में क्या रखा गया है, उसे स्पष्ट रूप से समझना होगा। उसमें तथ्यात्मक मैट्रिक्स वर्तमान मामले से पूरी तरह से अलग था क्योंकि हम पाते हैं कि वर्तमान विवाद पूरी तरह से अलग है।

मोहम्मद में उच्चारण द्वारा कवर किया गया। सईद सिद्दीकी *(ऊपर)* और इसलिए, हम बिना किसी हिचकिचाहट के मानते हैं कि विद्वान वकील द्वारा इतनी दृढ़ता से आग्रह किए जाने में कोई योग्यता नहीं है

याचिकाकर्ता "।

358. उपरोक्त मामले में विचार से संकेत मिलता है कि इस न्यायालय ने मोहम्मद में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर गलती से भरोसा किया।

सिद्दीकी *(ऊपर)*। न्यायालय ने अपने निर्णय को अनुच्छेद *199 (3)* में अध्यक्ष के निर्णय से जुड़ी अंतिमता के साथ-साथ अनुच्छेद *212* में निहित अनियमितता प्रक्रिया पर विधायिका की कार्यवाही को चुनौती देने पर रोक लगाने पर आधारित किया। सवाल यह है कि जहां एक अध्यक्ष एक विधेयक को प्रमाणित करता है -

धन विधेयक और इसे धन विधेयक के रूप में पेश किया जाता है और पारित किया जाता है, यह केवल प्रक्रिया का सवाल है या नहीं*?* अनुच्छेद *107* में निम्नलिखित प्रावधान हैं -

विधेयकों को पारित करने की शुरूआत। अनुच्छेद *107 (2)* में कहा गया है कि अनुच्छेद *108* और *109* के प्रावधानों के अधीन, कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा तब तक पारित नहीं माना जाएगा जब तक कि संसद के दोनों सदनों द्वारा सहमति नहीं दी गई हो। हालांकि, एक पास करने की आवश्यकता

धन विधेयकों के मामले में दोनों सदनों का विधेयक लागू नहीं होता है। अनुच्छेद *110* में परिभाषित किया गया है कि धन विधेयक क्या है। धन विधेयक को संवैधानिक रूप से परिभाषित किया गया है और एक विधेयक केवल तभी धन विधेयक होगा जब वह अनुच्छेद *110 (1)* के अंतर्गत आता है। एक विधेयक, जो अनुच्छेद *110 (1)* में उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं करता है और इसे धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जाता है, क्या अनुच्छेद *110 (1)* में उल्लिखित संवैधानिक शर्तों को केवल अध्यक्ष के प्रमाण पत्र द्वारा ओवरराइड किया जाएगा*?*

359. हमने किहोतो होलोहन *(ऊपर)* और राजा राम पाल *(ऊपर)* में संविधान पीठ के फैसले पर ध्यान दिया है कि अध्यक्ष के फैसले की अंतिमता न्यायिक समीक्षा से अछूती नहीं है। सभी विधेयकों को संसद के दोनों

सदनों द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। धन विधेयकों के मामले में और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के मामले में अपवाद दिया जाता है। यदि हम विद्वान महान्यायवादी की इस दलील को स्वीकार करते हैं कि अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकरण केवल प्रक्रिया का विषय है और अनुच्छेद *122 (1)* के आधार पर इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, तो कोई भी विधेयक, जो अनुच्छेद *110* के तहत आवश्यक संवैधानिक शर्त को पूरा नहीं करता है, उसे धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जा सकता है-जिसे उच्च सदन द्वारा पारित किया जा सकता है। के बीच एक स्पष्ट अंतर है विषय "प्रक्रिया की अनियमितता" और "मूल अवैधता"। जब कोई विधेयक अनुच्छेद *110 (1)* के तहत आवश्यक संवैधानिक शर्त को पूरा नहीं करता है, तो उक्त आवश्यकता को केवल अध्यक्ष द्वारा प्रमाणन पर वाष्पित नहीं कहा जा सकता है। उस प्रमाणन को स्वीकार करना

संवैधानिक शर्त को पूरा नहीं करने के आधार पर चुनौती का बचाव करते हुए, न्यायालय संवैधानिक प्रावधानों को नजरअंदाज करने और पारित करने की अनुमति देगा। इस प्रकार, हमारा विचार है कि विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अध्यक्ष का निर्णय केवल प्रक्रिया का विषय नहीं है और यदि निर्णय में कोई अवैधता हुई है और निर्णय स्पष्ट रूप से संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है, तो निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। इसलिए, हमारा विचार है कि इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मोहम्मद में निर्णय दिया है।

सईद सिद्दीकी *(ऊपर)* और दो न्यायाधीश के. एस. पुटसवामी *(आर. ई. टी. डी.)* बनाम। भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

योगेंद्र कुमार जयस्वाल *(ऊपर)* मामले में इस अदालत के न्यायाधीश पीठ के फैसले में सही कानून निर्धारित नहीं किया गया है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आधार विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अध्यक्ष का निर्णय नहीं है

न्यायिक समीक्षा से प्रतिरक्षित।

360. हमारा मानना है कि आधार विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के लिए खुला है। अब हम इस बात की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या आधार विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अध्यक्ष का निर्णय किसी भी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करता है, यानी, क्या निर्णय किसी भी संवैधानिक अवैधता से दूषित है*?* के लिए

मुख्य मुद्दे का निर्धारण, जिसका उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या आधार विधेयक अनुच्छेद *110 (1)* के किसी भी खंड *(ए)* से *(एफ)* के अंतर्गत आता है। वह खंड *(छ)* केवल तभी लागू होगा जब कोई भी खंड *(क)* से *(च)* आकर्षित हो। खंड *(छ)* जो इस बात पर विचार करता है कि उपखंड *(क)* से *(च)* में निर्दिष्ट किसी भी मामले के लिए कोई भी प्रासंगिक मामला, विधेयक में एक प्रावधान हो सकता है, यह मानता है कि मुख्य प्रावधान किसी भी खंड में आते हैं।

(ए) से *(एफ)*। आधार अधिनियम की मुख्य धारा धारा *7* है, जिसका प्रभाव निम्नलिखित हैः

67. आधार संख्या का प्रमाण प्राप्त करने के लिए आवश्यक

कुछ सब्सिडी, लाभ और सेवाएँ आदि। - केंद्र सरकार या, यथास्थिति, राज्य सरकार, किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से

किसी सब्सिडी, लाभ या सेवा की प्राप्ति के लिए, जिसके लिए व्यय किया जाता है, या भारत की संचित निधि के भाग के रूपों से वहां की प्राप्ति के लिए शर्त यह है कि ऐसे व्यक्ति को प्रमाणीकरण से गुजरना होगा, या आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे कोई आधार संख्या नहीं दी गई है, ऐसा व्यक्ति नामांकन के लिए आवेदन करता है:

बशर्ते कि यदि कोई आधार संख्या किसी को नहीं दी गई है

व्यक्तिगत रूप से, व्यक्ति को सब्सिडी, लाभ या वितरण के लिए पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों की पेशकश की जाएगी।

सेवा "।

361. सब्सिडी, लाभ या सेवा की प्राप्ति के लिए एक शर्त जिसके लिए व्यय किया जाता है, या भारत की संचित निधि के भाग के रूप से वहां से रसीद, धारा *7* द्वारा प्रदान की गई है, यानी किसी व्यक्ति को प्रमाणीकरण के लिए भेजा जाता है। अधिनियम की प्रस्तावना के साथ-साथ ऊपर देखे गए उद्देश्यों और कारणों से यह भी संकेत मिलता है कि अधिनियम को एक सुशासन के रूप में, *[2018] 8* एस. सी. आर. प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का कुशल, पारदर्शी और लक्षित वितरण, जिसके लिए भारत की समेकित निधि से खर्च किया जाता है, ऐसे व्यक्तियों को विशिष्ट पहचान संख्या सौंपने के माध्यम से भारत में रहने वाले व्यक्तियों को और उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए। इस प्रकार, अधिनियम का विषय या मुख्य उद्देश्य और इस अधिनियम का उद्देश्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के कुशल, पारदर्शी और लक्षित वितरण को लागू करना है, जिसका खर्च भारत की संचित निधि से निकलता है। इस प्रकार, अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से अनुच्छेद *110 (1) (*सी*)* और *(*ई*)* में शामिल हैं।

362. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री पी. चिदंबरम ने अनुच्छेद *110 (1)* में आने वाले "केवल" शब्द पर बहुत जोर दिया है। अनुच्छेद *110 (1)* में प्रयुक्त "केवल" शब्द का उद्देश्य और अर्थ है। विधायी इरादा यह था कि मुख्य और मूल प्रावधानों को

*(*ए*)* से *(*एफ*)* तक केवल कोई भी या सभी खंड हों। यदि अधिनियम के मुख्य और मूल प्रावधान खंड *(*ए*)* से खंड *(*एफ*)* के दायरे में नहीं आते हैं, तो उक्त विधेयक को धन विधेयक नहीं कहा जा सकता है। यहां यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि संविधान सभा में *20.05.1949* पर "केवल" शब्द को हटाने के लिए एक संशोधन पेश किया गया था, माननीय श्री घनश्याम सिंह गुप्ता ने अनुच्छेद *90* के मसौदे में संशोधन पेश किया। उपरोक्त बहस को निकालना उपयोगी है, जिसका निम्नलिखित प्रभाव है:

माननीय श्री घनश्याम सिंह गुप्ता *(*सी. पी. और

बेरार: जनरल*):* महोदय, मैं आगे बढ़ने की विनती करता हूँ:
"कि अनुच्छेद *90* के खंड *(1)* में 'केवल' शब्द को हटा दिया जाए।

यह अनुच्छेद भारत सरकार अधिनियम की धारा *37* का एक प्रतिरूप है जिसमें कहा गया है कि कर लगाने या बढ़ाने या धन उधार लेने आदि का प्रावधान करने वाला कोई विधेयक या संशोधन गवर्नर-जनरल की सिफारिश के अलावा पेश या पेश नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि पूरा विधेयक धन विधेयक होना जरूरी नहीं हैः इसमें अन्य प्रावधान हो सकते हैं, लेकिन यदि कराधान या उधार आदि के बारे में कोई प्रावधान है। यह नीचे आ जाएगा
यह धारा *37,* और गवर्नर-जनरल की सिफारिश आवश्यक है। अब अनुच्छेद *90* कहता है कि एक विधेयक माना जाएगा -

एक धन विधेयक हो यदि इसमें केवल इससे संबंधित प्रावधान हैं

किसी भी कर का अधिरोपण, विनियमन आदि या धन उधार लेना आदि। इसका मतलब यह हो सकता है कि यदि कोई ऐसा विधेयक है जिसमें अन्य प्रावधान हैं और जिसमें कराधान या उधार आदि के बारे में भी प्रावधान है, तो यह धन विधेयक नहीं बन जाएगा। अगर मेरा इरादा यही है तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर मेरा इरादा ऐसा नहीं है तो मुझे "केवल" न्याय के. एस. श्रीवास्तव *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. शब्द कहना चाहिए।

भारत का संघ

[अशोक भूषण,

यह खतरनाक है, क्योंकि यदि विधेयक इन सभी चीजों को करता है और साथ ही कुछ और भी करता है तो यह धन विधेयक नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि मसौदा समिति का इरादा क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि लेख के इस पहलू को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

363. चर्चा के बाद, श्री नजीरुद्दीन अहमद ने यह भी सुझाव दिया कि संशोधन *No.1669* के संबंध में "केवल" शब्द की स्थिति पर विशेष रूप से विचार किया जाना चाहिए। यह एक ऐसा शब्द है जो पूरी तरह से गलत है। उस दिन, विचार को स्थगित कर दिया गया था और फिर से *06.06.1949* पर बहस में, संविधान सभा ने चर्चा शुरू की। संविधान सभा के अध्यक्ष ने संशोधन को मतदान के लिए रखा

364. अधिनियम के अन्य प्रावधानों को उपरोक्त मामले के लिए आकस्मिक कहा जा सकता है। आधार अधिनियम की संरचना इसके चारों ओर घूमती है सब्सिडी, लाभ प्रदान करने के लिए सरकार का संवैधानिक दायित्व

इस प्रभाव के लिए। धारा *57* के प्रावधान की प्रयोज्यता तब लागू होती है जब अधिनियम के तहत प्रक्रिया पूरी करने के बाद किसी व्यक्ति को आधार संख्या आवंटित की जाती है। धारा *57* भी एक आकस्मिक प्रावधान है। अनुच्छेद *110 (1)* के उपखंड *(*जी*)* के अंतर्गत आता है। धारा *57* राज्य या किसी भी निकाय कॉर्पोरेट या किसी भी निजी पक्ष द्वारा आधार संख्या के उपयोग पर अधिनियम के तहत लगाई गई एक सीमा है। इसलिए हमारा मानना है कि

आधार विधेयक को अध्यक्ष, *[2018] 8* एस. सी. आर. द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया गया है।

कौन सा निर्णय किसी भी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है, इसलिए इस कार्यवाही में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। मुद्दा संख्या *16* का उत्तर निम्नलिखित तरीके से दिया गया है:

Ans.16: - आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में सही ढंग से पारित किया गया है।

आधार विधेयक, *2016* को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है।

मुद्दा संख्या *17*

क्या आयकर अधिनियम, *1961* की धारा *139*-एए पुट्टास्वामी मामले में गोपनीयता निर्णय को देखते हुए असंवैधानिक है*?*

365. धारा *139*-ए. ए. को कई रिट याचिकाओं द्वारा चुनौती दी गई थी, जिनका फैसला इस न्यायालय ने बिनॉय विश्वम बनाम भारत संघ मामले में किया था। और अन्य, *(2017) 7* एससीसी *59*। धारा *139*-ए. ए. के अधिकारों को बरकरार रखते हुए रिट याचिकाओं का निपटारा किया गया था। निर्णय के पैरा *136* में कार्यात्मक भाग है, जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

" 136. उपरोक्त के अधीन, इन रिट याचिकाओं का निपटारा किया जाता है

निम्नलिखित तरीके से:

136.1 हमारा मानना है कि संसद अधिनियम बनाने के लिए पूरी तरह से सक्षम थी अधिनियम की धारा *139*-एए और इस कानून को बनाने का अधिकार

इस न्यायालय के आदेशों से कमजोर नहीं हुआ था।

136.2 . हम प्रावधानों के बीच कोई टकराव नहीं पाते हैं

आधार अधिनियम और आयकर अधिनियम की धारा *139* एए

अलग-अलग क्षेत्र।

136.3 . अधिनियम की धारा *139*-एए भेदभावपूर्ण नहीं है और न ही यह

संविधान के अनुच्छेद *14* में निहित समानता खंड का उल्लंघन करता है।

136.4 . धारा *139*-एए भी अनुच्छेद *19 (1) (*जी*)* का उल्लंघन नहीं करती है।

जहां तक संविधान आधार देने का आदेश देता है

पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आय में नामांकन संख्या

संभावित रूप से।

136.5 उपरोक्त तरीके से बरकरार रखे गए प्रावधान की वैधता संविधान के अनुच्छेद *21* को पारित करने के अधीन है, जो रिट याचिका जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* में संविधान पीठ के समक्ष मुद्दा है।

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

(सिविल*) 2012* की सं. *494* और अन्य संबंधित मामले। तब तक, अधिनियम की धारा *139*-एए की उप-धारा *(2)* के परंतुक के संचालन पर आंशिक रोक रहेगी, जैसा कि वर्णित है।

ऊपर। कोई लागत नहीं। "

366. उपरोक्त निर्णय के अनुसार, धारा-*139* एए के प्रावधानों की वैधता को अनुच्छेद *21* को पारित करने के अधीन रखा गया था।

संविधान का, जो *2012* की रिट याचिका *(*सी*)* संख्या *494* और अन्य संबंधित मामलों में संविधान पीठ के समक्ष लंबित मुद्दा था। पुट्टास्वामी में संविधान पीठ का निर्णय दिया गया था *24.08.2017* . निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है, ऐसे मौलिक अधिकार पर किसी भी प्रतिबंध को वैध माना गया है जब वह वहां निर्धारित तीन गुना परीक्षण में उत्तीर्ण हो जाता है। बढ़त में

डॉ. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ का निर्णय, तीन गुना परीक्षण हैं:

(अ*)*

कानून का अस्तित्व;
एक वैध राज्य हित और

(ख*)*

इस तरह के कानून को आनुपातिकता की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।

*((*ग*)*

367. डॉ. न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाया है

स्वयं और तीन अन्य माननीय न्यायाधीशों, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने अनुच्छेद *639* में आनुपातिकता की कसौटी को बरकरार रखा है। नतीजतन, नौ में से कम से कम पाँच न्यायाधीशों को आनुपातिकता परीक्षण लागू करने की आवश्यकता होती है। पुट्टास्वामी मामले में एक संविधान पीठ द्वारा प्रस्तावित परीक्षणों के अलावा, शायरा बानो बनाम मामले में इस न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा प्रस्तावित एक अतिरिक्त परीक्षण। भारत संघ, *(2017) 9* एस. सी. सी. *1*, न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन ने "मैनिफेस्ट" की एक परीक्षा निर्धारित की है।

मनमानी "। पुट्टास्वामी मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले और शायरा बानो के मामले में पांच न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को पढ़ते हुए,

याचिकाकर्ता धारा *139*-ए. ए. को चुनौती देने में तभी सफल हो सकता है जब वे निम्नलिखित परीक्षणों के आधार पर उक्त प्रावधान को गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला बताते हैं:

कानून की अनुपस्थिति;

((i)

((ख)

वैध राज्य हित का अभाव;

(iii)

आनुपातिकता की कमी से प्रावधान प्रभावित हो रहा है।

((iv)

अनुच्छेद *14*। *[* "स्पष्ट मनमानेपन" को निर्धारित करने के लिए परीक्षण यह तय करना है कि क्या अधिनियम अत्यधिक है।
अनुचित और/या मनमौजी, तर्कहीन या बिना

पर्याप्त निर्धारण सिद्धांत *"] [2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

368. विद्वान महान्यायवादी निम्नलिखित ब्याज पर निर्भर करता है, उसके अनुसार धारा *139*-ए. ए. द्वारा राज्य के हित को संतुष्ट करने के लिए सुरक्षित है:

आयकर अधिनियम में संशोधन के माध्यम से आयकर चोरी को रोकने के लिए, यह आवश्यक है कि आधार

बैंक खाते खोलने के लिए आधार को जोड़ने के लिए कानून द्वारा आवश्यकता लागू करके काले धन और धन शोधन की रोकथाम, संचय, परिसंचरण और उपयोग;
आतंकवाद को रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने और अपराध की रोकथाम के लिए आधार संख्या की आवश्यकता हो

मोबाइल फोन के लिए सिम कार्ड से जुड़ा हुआ।

369. बिनॉय विश्वम ने अनुच्छेद *123* से *125* में आनुपातिकता के सिद्धांत पर धारा *139*-एए की जांच की है:

" 123. उपरोक्त मापदंडों और सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम इस बारे में चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या "प्रतिबंध" जिसके परिणामस्वरूप उप-धारा *(2)* के परंतुक के संदर्भ में होंगे।

अधिनियम की धारा *139*-ए. ए. उचित है या नहीं। *124.* आइए हम आधार के उद्देश्यों पर फिर से विचार करें, और इस प्रक्रिया में,

विशेष रूप से अधिनियम की धारा *139*-ए. ए.

125. तकनीक का उपयोग करके, आधार के रूप में एक विधि तैयार करने की कोशिश की जाती है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान को बिना किसी छूट के त्रुटिहीन तरीके से पता लगाया जाता है।

किसी भी व्यक्ति को कई पहचान या काल्पनिक पहचान दिखाने की संदिग्ध प्रथाओं का सहारा लेना। यही कारण है कि इसे "अद्वितीय पहचान" नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर लाभ प्राप्त करना है, जिनमें से कुछ का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया हैः *125.1 .* सबसे पहले, एक कल्याणकारी और लोकतांत्रिक राज्य के रूप में, किसी भी जिम्मेदार सरकार का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह समाज के गरीबी से पीड़ित और हाशिए पर पड़े वर्गों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाए। यह भारतीय संविधान का भी लोकाचार है जो राज्य पर "राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों" के रूप में, ऐसे वंचित वर्गों की बेहतरी के लिए पर्याप्त और प्रभावी कदम उठाने का कर्तव्य डालता है। राज्य इन वंचित और वंचित वर्गों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार और यहां तक कि सांस्कृतिक अवसर और सामाजिक स्थिति प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपाय करने के लिए बाध्य है।

यह एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

ऐसा नहीं है कि सरकार ने समय-समय पर इस दिशा में कदम नहीं उठाए हैं। उसी समय, हालांकि, कठोर वास्तविकता यह है कि

इन योजनाओं का लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंचा है जिनके लिए

देश द्वारा नीति अपनाने के बाद पिछले *25* वर्षों में यह उपलब्धि हासिल की गई उदारीकरण के युग में प्रवेश किया, जिसे के रूप में जाना जाता है,

वैश्वीकरण। पिछले दशक में आर्थिक विकास हुआ है

अभूतपूर्व और कई वर्षों तक भारतीय अर्थव्यवस्था ने दुनिया में सबसे अधिक दर से विकास किया। साथ ही यह भी एक तथ्य है कि

महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक सफलता के बावजूद

ठोस और टिकाऊ साबित हुए, इसके लाभ गरीबों और सबसे गरीब लोगों तक नहीं पहुंचे हैं। वास्तव में, इस तरह के लाभ मुख्य रूप से अमीर और उच्च मध्यम वर्ग द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ जाती है।

125.1. 2 . जीन ड्रेज़ और अमर्त्य सेन इस स्थिति का वर्णन करते हैं।

निम्नानुसारः

यह विशेषता है कि भारत चीन के साथ साझा करता है*)*, लेकिन यह भी कि चीन में वास्तविक मजदूरी में तेजी से वृद्धि जिससे मजदूर वर्गों को बहुत लाभ हुआ है, भारत की अपेक्षाकृत स्थिर वास्तविक मजदूरी से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। इससे भी कम महत्वपूर्ण बात यह है कि *146* तीव्र आर्थिक विकास से उत्पन्न सार्वजनिक राजस्व का उपयोग सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे का एक निर्धारित और सुनियोजित तरीके से विस्तार करने के लिए नहीं किया गया है *(*इसमें भारत चीन द्वारा बहुत पीछे छोड़ दिया गया है*)*।

आवश्यक सामाजिक सेवाओं *(*स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल से लेकर सुरक्षित पानी के प्रावधान तक*)* की निरंतर कमी है। जल निकासी*)* आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए। जैसा कि हम वर्तमान में चर्चा करेंगे, जबकि भारत अपनी वास्तविक आय की प्रगति में अन्य देशों को पीछे छोड़ रहा है, इनमें से कई देशों ने सामाजिक संकेतकों के मामले में इसे पीछे छोड़ दिया है, यहां तक कि दक्षिण एशिया के क्षेत्र में भी।

अध्याय *3* में, 'तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में भारत'*)*।

[2018] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केवल एक विरोधाभास की ओर इशारा करते हुए, भले ही भारत ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के मामले में चीन को काफी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन इसकी प्रगति चीन जैसे संकेतकों की तुलना में बहुत धीमी रही है। दीर्घायु, साक्षरता, बाल अल्पपोषण और मातृ मृत्यु दर। दक्षिण एशिया में ही, बहुत गरीब अर्थव्यवस्था

बांग्लादेश ने कई सामाजिक संकेतकों *(*जीवन प्रत्याशा सहित*)* के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है।

बच्चों का टीकाकरण, शिशु मृत्यु दर, बच्चे

अल्पपोषण और लड़कियों की स्कूली शिक्षा*)*। यहां तक कि नेपाल भी इस हद तक आगे बढ़ रहा है कि अब उसके पास भारत के समान कई सामाजिक संकेतक हैं, इसके बावजूद कि इसका प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद लगभग एक तिहाई है। जबकि बीस साल पहले भारत के छह दक्षिण एशियाई देशों *(*भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान*)* में आम तौर पर दूसरा सबसे अच्छा सामाजिक संकेतक था, अब यह दूसरा सबसे खराब *(*केवल समस्याग्रस्त पाकिस्तान से आगे*)* दिखता है। भारत प्रति की सीढ़ी चढ़ रहा है

सामाजिक संकेतकों की ढलान से नीचे गिरते हुए प्रति व्यक्ति आय।

125.1. 3 . यह इस संदर्भ में है कि न केवल सतत विकास की आवश्यकता है जो विकास को एकीकृत करने का ध्यान रखता है और

विकास, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आर्थिक लाभ

इस देश के प्रत्येक नागरिक को विकास प्राप्त होता है, यह एक कल्याणकारी राज्य में सरकार का कर्तव्य भी बन जाता है कि वह विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के साथ आए जो न केवल वंचित वर्ग की तत्काल जरूरतों का ध्यान रखे बल्कि यह भी सुनिश्चित करे कि ऐसे व्यक्तियों को पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं ताकि वे अपने जीवन को आर्थिक और सामाजिक रूप से बेहतर बना सकें। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वास्तव में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा समय-समय पर तैयार की जाती हैं और जारी की जाती हैं।

सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों पर खर्च करने के लिए पर्याप्त राशि निर्धारित की गई। हालांकि, भ्रष्टाचार सहित विभिन्न कारणों से, वास्तविक लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंचता है जिन्हें इस तरह के लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रमुख में से एक

इन व्यक्तियों की पहचान करने में विफलता उन साधनों की कमी के कारण है जिनके द्वारा ऐसे वास्तविक जरूरतमंद वर्ग की पहचान स्थापित की जा सकती है। नतीजतन, बहुत सारे भूत और नकली लाभार्थी अनुचित

और अस्वीकार्य लाभ लेने में सक्षम होते हैं। इस देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने रिकॉर्ड में कहा है कि सरकार द्वारा दलितों के कल्याण के लिए खर्च किए गए एक रुपये में से केवल *15* पैसे वास्तव में उन व्यक्तियों तक पहुंचते हैं जिनके लिए यह *STICE K S PUTTASWAMY (RETD) v* है।

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

मतलब। इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है कि यू. आई. डी./आधार के साथ बहुत कुछ

हालाँकि, यह टिप्पणी करना उचित होगा कि न्यायमूर्ति एम. बी. शाह की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल *(*एस. आई. टी.*)* की काले धन पर टिप्पणियों के अनुसार, एक कारण यह है कि व्यक्तियों के पास वित्तीय/व्यावसायिक लेनदेन में प्रवेश करते समय अपने पैन या यू. आई. डी. या पासपोर्ट संख्या या ड्राइविंग लाइसेंस या पहचान का कोई अन्य प्रमाण उद्धृत करने का विकल्प है। इस वजह से पहचान के प्रमाण देने के कई तरीके हैं, कोई नहीं है

अध्यक्ष, सीबीडीटी ने भारत में काले धन से निपटने के उपायों पर चर्चा की और विदेशों में जो धन शोधन की समस्या पर भी चर्चा करते हैं

अलग-अलग कंपनियों के तहत कई फर्जी पैन नंबर रखने वाले व्यक्तियों द्वारा नकली कंपनियों की आड़ में करों से बचने के लिए किया जा रहा है उनके नामों के नाम या भिन्नताएँ। यह तब संभव हो सकता है जब पहचान का एक समान प्रमाण, अर्थात् यू. आई. डी. अपनाया जाए। यह एक जा सकता है

उक्त अस्वस्थता की जाँच करने और उसे कम करने के लिए लंबा रास्ता तय करना।

125.3 . तीसरा, आधार या यू. आई. डी., जिसे सबसे उन्नत और परिष्कृत बुनियादी ढांचे के रूप में जाना जाता है, कानून-प्रवर्तन एजेंसियों को समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकता है। कुछ हद तक आतंकवाद और अपराध को रोकने में भी सहायक हो सकता है और अपराधों पर नकेल कसने में जांच एजेंसियों की भी मदद कर सकता है। निस्संदेह, उपरोक्त और इसी तरह के कुछ अन्य वैध विचारों को देखते हुए, सरकार का इरादा आधार आंदोलन को बढ़ावा देना और इस देश के लोगों को आधार योजना के तहत खुद को पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

370. बिनॉय विश्वम के अनुच्छेद *122* से *125* में भी कहा गया है *-bserved* कि उठाए गए उपाय जाँच करने के लिए एक लंबा रास्ता तय कर सकते हैं और

यह काले धन की बीमारी है।

371. पुट्टास्वामी मामले में डॉ. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड

ए. एफ. *311* ने कहा हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"311. ..... अपराध की रोकथाम और जांच और राजस्व की सुरक्षा राज्य के वैध उद्देश्यों में से हैं। समाज कल्याण राज्य में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म एक महत्वपूर्ण साधन हैं। सूचना प्रौद्योगिकी-वैध रूप से तैनात

नवाचार और ज्ञान के प्रसार में एक शक्तिशाली प्रवर्तक है।

372. पुट्टास्वामी मामले में, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने रोपन यूनियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का उल्लेख किया है और कहा है कि गोपनीयता के अधिकार पर सख्ती करों और वित्तीय संस्थानों के आधार पर उचित हो सकती है। पैराग्राफ *640* में न्याय जैसा अभिनिर्धारित किया गया हैः

"640. 2016 के यूरोपीय संघ विनियमन की ओर मुड़ना उपयोगी होगा। निजता के अधिकार के प्रतिबंध उचित हो सकते हैं

निम्नलिखित परिस्थितियों के सिद्धांत के अधीन

आनुपातिकताः

*(*क*)* अन्य मौलिक अधिकारः निजता का अधिकार होना चाहिए

समाज में इसके कार्य के संबंध में विचार किया जाए और अन्य मौलिक अधिकारों के खिलाफ संतुलित।

*(*ख*)* वैध राष्ट्रीय सुरक्षा हित।

*(*ग*)* वैज्ञानिक या ऐतिहासिक अनुसंधान सहित जनहित

उद्देश्य या सांख्यिकीय उद्देश्य।

*(*घ*)* आपराधिक अपराधः योग्य व्यक्ति की आवश्यकता

सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरे के खिलाफ सुरक्षा उपायों सहित आपराधिक अपराधों की रोकथाम जांच, अभियोजन के लिए प्राधिकरण*;*

*(*ई*)* अज्ञात डेटाः जानकारी संबंधित नहीं है

"छद्मनामकरण "जिसका अर्थ है व्यक्तिगत डेटा को इस तरह से संसाधित करना कि व्यक्तिगत डेटा को अब अतिरिक्त जानकारी के उपयोग के बिना किसी विशिष्ट डेटा विषय के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसी अतिरिक्त जानकारी को अलग से रखा जाए और यह तकनीकी और संगठनात्मक नियमों के अधीन हो। यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय कि व्यक्तिगत डेटा किसी पहचाने गए या पहचान योग्य प्राकृतिक व्यक्ति के लिए जिम्मेदार नहीं है*;*

*(*च*)* कर आदि। *:* कर के नियामक ढांचे और वित्तीय संस्थानों, बाजारों के कामकाज के लिए न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* प्रकटीकरण की आवश्यकता हो सकती है।

[अशोक भूषण, जे।*]*

निजी जानकारी। लेकिन फिर यह सभी को जानकारी के प्रकटीकरण का अधिकार नहीं देगा और प्रसंस्करण के उद्देश्यों के अनुसार डेटा सुरक्षा नियम होने चाहिए। हालाँकि, ऐसी प्रक्रिया हो सकती है जो उन उद्देश्यों के लिए उपयुक्त हो जिनके लिए इसे शुरू में एकत्र किया गया है।

373. धारा *139*-एए इस प्रकार स्पष्ट रूप से राज्य के वैध हित को पूरा करने के लिए अधिनियमित की गई। धारा *139*-ए जो डब्ल्यू. ई. एफ. से प्रभावी हुई।

स्थायी खाता संख्या *(*पैन*)* के लिए प्रावधान और प्रावधान यह भी प्रदान करता है कि वैधानिक अनिवार्य प्रावधान जब "प्रत्येक व्यक्ति" विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऐसी संख्या *(*पैन संख्या*)* का उद्धरण देगा

धारा *139* ए में उल्लिखित। धारा *139*-एए का परिचय धारा *139* ए का विस्तार और निहितार्थ है। धारा *139*-एए की शुरुआत एक मजबूत प्रौद्योगिकी समाधान की मदद से प्रणाली से डुप्लिकेट पैन को समाप्त करने के उद्देश्य से की गई थी।

374. आयकर अधिनियम की नई धारा *139*-ए. ए. आधार से जोड़कर फर्जी पैन कार्ड को हटाने का प्रयास करती है।

कंपनियाँ और इस तरह काले धन, धन के खतरे पर अंकुश लगाएं

375. बिनॉय विश्वम ने धारा *139*-ए. ए. के अधिनियमन के लिए अन्य प्रासंगिक तर्कों का उल्लेख किया है। धारा *139*-ए. ए. को भी असमान नहीं कहा जा सकता है। इस धारा को प्राप्त करने के लिए अधिनियमित किया गया है राज्य का वैध उद्देश्य। धारा *139*-ए. ए. संसद द्वारा बनाया गया एक कानून है, जिसमें आधार को पैन से जोड़ने की आवश्यकता होती है। ऐसे अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले साधनों को ऐसा नहीं कहा जा सकता है -

किसी भी तरह से असमान। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि धारा *139* - एए अनुचित रूप से केवल व्यक्तिगत करदाताओं को आकर्षित करता है और अन्य कर भुगतान करने वाले करदाताओं को नहीं, जो वित्तीय धोखाधड़ी में भी शामिल हो सकते हैं। उपरोक्त

प्रस्तुत करने से हमें रोकने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आधार संख्या व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है न कि संस्थाओं द्वारा इसलिए धारा-*139* एए केवल व्यक्तियों पर लागू हो सकती है। किसी भी स्थिति में, विधायिका से किसी विशेष बुराई से संबंधित सभी मुद्दों को एक बार में हल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

व्यक्तियों के लिए नकली पैन को समाप्त करने के लिए यह एक आवश्यक पहला कदम है; अन्य करों के लिए नकली पैन को समाप्त करना विधायिका के लिए पूरी तरह से स्वीकार्य है

बाद के चरण में भुगतान करने वाली संस्थाएं। न्यायिक निर्णयों में भी इस तरह के दृष्टिकोण का समर्थन किया जाता है। नमित शर्मा बनाम। भारत संघ, *(2013) 1* एस. सी. सी. *745 (*स्वतंत्र कुमार, जे. के अनुसार*)* इस न्यायालय ने कहाः

" 43. समानता या समान संरक्षण के नियम के लिए यह आवश्यक नहीं है कि किसी राज्य को किसी राज्य के हर पहलू पर हमला करने के बीच चयन करना चाहिए।

समस्या या बिल्कुल भी समस्या पर हमला नहीं करना, और विशेष रूप से सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के संबंध में। जब तक रेखा खींची जाती है
राज्य द्वारा तर्कसंगत रूप से समर्थन योग्य है, अदालतें उचित विराम बिंदु के रूप में अपने फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेंगी।

376. इस प्रकार, विधायिका केवल धारा *139*-ए. ए. के साथ व्यक्तिगत निर्धारिती को लक्षित करने के लिए अपने अधिकार के भीतर है, न कि हर अन्य कर-भुगतान करने वाली संस्था को।

कानून में कर दाताओं के पूर्ण कवरेज का प्रावधान नहीं है-जो वित्तीय धोखाधड़ी में लिप्त हो सकते हैं, लेकिन 'नुकसान की डिग्री' की परिकल्पना कर सकते हैं और उस आधार पर कार्य कर सकते हैं। इस संदर्भ में, सभी व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आधार संख्या अनिवार्य की जा रही है। यह प्राकृतिक व्यक्तियों पर लागू होता है।

साथ ही ऐसे व्यक्ति जो एक साथ कानूनी व्यक्तियों का गठन करते हैं *(*उदाहरण के लिए साझेदारी में भागीदार, कंपनी के सदस्य आदि*)* और इसलिए डुप्लिकेट पैन को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कवरेज प्रदान करते हैं और इसलिए कम करते हैं इन माध्यमों से वित्तीय और कर धोखाधड़ी की घटनाएँ। पैन में आधार को शामिल करने का उद्देश्य कर चोरी, नकली लेनदेन, प्रवेश पर अंकुश लगाना है।

प्रदाता जो फर्जी पैन के कारण बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। बायोमेट्रिक पहचान पर आधारित आधार का अनूठा डी-डुप्लिकेशन है

विश्व बैंक द्वारा सबसे परिष्कृत प्रणाली के रूप में सम्मानित किया गया। पैन में आधार को शामिल करने से ईमानदार करदाताओं के बीच असमानता दूर होती है

और गैर-आज्ञाकारी, बेईमान जो करों का भुगतान किए बिना भाग जाते हैं। पैन में आधार को शामिल करने से समानता को नकारने के बजाय बढ़ावा मिलता है। यह समानता को बढ़ावा देता है और अनुच्छेद *14* के अनुरूप है।

377. नतीजतन, धारा *139*-ए. ए. पुट्टास्वामी के मामले में निर्धारित तीन गुना परीक्षण का पूरी तरह से अनुपालन करती है। धारा *139*-एए, इस प्रकार नहीं है

किसी व्यक्ति के निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन और धारा *139* एए को उस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है।

Ans.17: - धारा *139*-ए. ए. पुट्टास्वामी मामले में गोपनीयता निर्णय के अनुसार गोपनीयता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

क्या आधार अधिनियम अंतरिम का उल्लंघन करता है

मुद्दा संख्या *18*

2012 की लिखित याचिका *(*सी*)* संख्या *494* में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश*?*

378. याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने *2012* की रिट याचिका *(*सी*)* संख्या *494* में *23.09.2013* से *15.10.2015* तक विभिन्न अंतरिम आदेश पारित किए हैं। आई. डी. *1* पर, इस अदालत ने निर्देश दिया, "इस बीच, किसी भी व्यक्ति को आधार कार्ड नहीं मिलने से पीड़ित नहीं होना चाहिए, इस तथ्य के बावजूद कि किसी प्राधिकरण ने इसे अनिवार्य बनाने के लिए एक परिपत्र जारी किया था और जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है, तो इसकी जांच की जा सकती है।

क्या वह व्यक्ति कानून के तहत इसके लिए हकदार है और यह किसी भी अवैध अप्रवासी को नहीं दिया जाना चाहिए।

379. 11.08.2015 पर, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश जारी कियाः

"इस मामले पर विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि ब्याज संतुलन तब तक सबसे अच्छा रहेगा, जब तक कि भारत संघ या यू. आई. डी. ए. द्वारा मामले पर एक बड़ी पीठ द्वारा अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है।
निम्नलिखित तरीके से आगे बढ़ेंः

1. भारत संघ रेडियो और टेलीविजन नेटवर्क सहित इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में व्यापक प्रचार करेगा कि किसी नागरिक के लिए आधार कार्ड प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है।

2. आधार कार्ड दिखाने की कोई शर्त नहीं होगी -

किसी नागरिक को अन्यथा देय कोई भी लाभ प्राप्त करना;

3. विशिष्ट पहचान संख्या या आधार कार्ड का उपयोग उत्तरदाताओं द्वारा पीडीएस योजना के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए और विशेष रूप से खाद्यान्न आदि के वितरण और खाना पकाने के ईंधन जैसे मिट्टी के तेल के लिए नहीं किया जाएगा। आधार कार्ड का उपयोग एलपीजी के लिए भी किया जा सकता है।

वितरण योजना;

4. आधार कार्ड जारी करते समय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी का उपयोग ऊपर के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि

जैसा कि किसी न्यायालय द्वारा आपराधिक उद्देश्य के लिए निर्देशित किया जा सकता है

जाँच "।

15.10.2015 के बाद के क्रम से, कुछ और योजनाएं थीं

शामिल हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

380. यह प्रस्तुत किया जाता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने *139* की संख्या वाली विभिन्न अधिसूचनाएं जारी कीं, जिनके लिए आवश्यक है

विभिन्न लाभों, सब्सिडी और योजनाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण। इस तरह के आदेश जारी करना इस न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त अंतरिम आदेशों का उल्लंघन है।

381. बिनॉय विश्वम *(ऊपर)* में एक तर्क दिया गया था कि धारा *139*-एए का अधिनियमन *2012* की रिट याचिका *(सी)* संख्या *494* में पारित अंतरिम आदेश का उल्लंघन था। उक्त तर्क पर विचार किया गया और पैरा *99* में इसे इस प्रकार माना गयाः

" 99. हालांकि, मुख्य जोर इस दलील पर है कि संसद या कोई भी राज्य विधानमंडल एक ऐसा कानून पारित नहीं कर सकता है जो किसी निर्णय को रद्द कर देता है जिससे उक्त निर्णय को रद्द कर दिया जाता है, वह भी निर्णय के आधार को हटाए बिना। यह तर्क आकर्षक प्रतीत होता है क्योंकि इस न्यायालय द्वारा लंबित रिट याचिकाओं में कुछ आदेश पारित किए जाते हैं जिनके प्रभाव से आधार का नामांकन स्वैच्छिक होगा। हालाँकि, यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि उन याचिकाओं में आदेश पारित किए गए हैं जहाँ एक कार्यकारी/प्रशासनिक उपाय के रूप में आधार योजना को चुनौती दी गई है। उन मामलों में, उक्त आदेश उस मामले में पारित नहीं किए जाते हैं जहां न्यायालय संसद द्वारा पारित क़ानून पर विचार कर रहा था। इसके अलावा, ये अंतरिम आदेश हैं क्योंकि अदालत की राय थी कि जब तक गोपनीयता के अधिकार के मुद्दे के संदर्भ में मामले का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक उक्त आधार को लागू किया जाएगा।

यह तय करना कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद *21* का हिस्सा है या नहीं। इसलिए कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
ले जाया गया। इस तरह की स्थिति में, यह नहीं कहा जा सकता है कि संसद इस तरह के विधेयक को पारित करने से वंचित है या अक्षम है।

कानून। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जिस आधार पर उपरोक्त आदेश पारित किए जाते हैं, उन्हें हटा दिया जाना चाहिए, जो नहीं किया जाता है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह केवल आधार अधिनियम को अनिवार्य बनाकर ही किया जा सकता है। दो कारणों से इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल हैः सबसे पहले, जब इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश जिन पर याचिकाकर्ताओं द्वारा भरोसा किया जाता है, जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(आर. ई. टी. डी.) v.*

भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

यह तब पारित किया गया था जब आधार अधिनियम भी लागू नहीं किया गया था। दूसरा, जैसा कि पहले ही विस्तार से चर्चा की जा चुकी है, आधार अधिनियम

और आयकर अधिनियम की धारा *139*-एए में निहित कानून दो अलग-अलग स्थितियों से संबंधित है और विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है। इसलिए विधायी अक्षमता का यह तर्क भी विफल हो जाता है।

382. हमने देखा है कि *2012* की रिट याचिका *(*सी*)* संख्या *494* उस समय दायर की गई थी जब आधार योजना को लागू किया जा रहा था।

कार्यपालक के दिनांकित *28.01.2009* के निर्देशों का आधार। अधिनियम, *2016* के अधिनियमन से पहले दायर रिट याचिका में आधार योजना को निम्नलिखित आधार पर चुनौती दी गई थीः

आई.

एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से विभिन्न समाज सेवा योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने की आवश्यकता और

ii.

व्यक्तियों की निजता के अधिकार के बारे में चिंता, जो आधार योजना के तहत बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह के कारण उत्पन्न हुई, जो बिना किसी विधायी समर्थन के है।

383. आधार अधिनियम, *2016* आधार योजना को विधायी समर्थन देता है। अधिनियम में प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करने वाले विशिष्ट प्रावधान हैं -

आधार नामांकन में एकत्र की गई मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम की धारा *7* के तहत अधिसूचित योजनाएं इन आधार पर थीं -

आधार अधिनियम और इसे इस न्यायालय के अंतरिम आदेशों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। यह निवेदन कि अंतरिम आदेश आधार को स्वैच्छिक होने का निर्देश देते हैं, प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि उन व्यक्तियों से सहमति प्राप्त की गई थी, जो आधार अधिनियम के तहत नामांकन के लिए आए थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वे सभी, जिन्हें दिनांक *28.01.2009* की सांविधिक योजना के तहत नामांकित किया गया था, व्यक्तियों द्वारा अपनी जानकारी को सत्यापित करने के लिए सहमति दी गई थी।

384. इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आधार अधिनियम को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि यह *2012* की रिट याचिका *(*सी*)* संख्या *494* में इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों का उल्लंघन है। मुद्दा संख्या *18* का उत्तर दिया गया है

निम्नलिखित तरीके सेः

Ans.18: - आधार अधिनियम *2012* की रिट याचिका *(*सी*)* संख्या *494* और अन्य में पारित अंतरिम आदेशों का उल्लंघन नहीं करता है।

लेखन याचिकाएँ।

385. मैंने न्यायमूर्ति *A.K.Sikri (*जो राय उनकी अपनी ओर से और प्रमुख की ओर से है*)* की विद्वतापूर्ण और विद्वतापूर्ण राय देखी थी।

न्याय और न्याय *A.M.Khanwilkar)* जिसके साथ मैं मोटे तौर पर सहमत हूँ। पीएमएलए *(*दूसरा संशोधन*)* नियम, *2017* द्वारा संशोधित नियम *9* को मेरे सम्मानित भाई ने रद्द कर दिया है, जिसे मैंने बरकरार रखा है। मेरे कारण और निष्कर्ष एक ही रेखा पर हैं, सिवाय कुछ को छोड़कर जहां मेरे निष्कर्ष बहुमत की राय के अनुरूप नहीं हैं।

निष्कर्ष -

386. उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं -

निष्कर्ष निकालना:

(1)

आधार देने के लिए आधार अधिनियम के तहत आवश्यकता

जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी गोपनीयता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है।

(2)

जनसांख्यिकीय आवश्यकता वाले आधार अधिनियम के प्रावधान और

आधार संख्या के लिए निवासी से बायोमेट्रिक जानकारी तीन गुना परीक्षण पास करती है जैसा कि पुट्टास्वामी *(*उपरोक्त*)* मामले में निर्धारित किया गया है, इसलिए इसे असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता है। डेटा का संग्रह, इसका भंडारण और उपयोग उल्लंघन नहीं करता है।

(3)

निजता का मौलिक अधिकार।

आधार अधिनियम व्यापक रूप से एक संरचना नहीं बनाता है

(4)

निगरानी।

आधार अधिनियम और विनियम सुरक्षा प्रदान करते हैं

(5)

व्यक्तियों से प्राप्त डेटा।

(6)

आधार की धारा *7* संवैधानिक है। प्रावधान

की विफलता के कारण दावा करने के अधिकार के कुछ मामलों में इनकार के कारण रद्द किए जाने के योग्य नहीं है

प्रमाणीकरण।

(7)

राज्य भोजन, आश्रय आदि के अधिकार को बढ़ाते हुए।

अनुच्छेद *21* के तहत परिकल्पित लाभार्थियों की निजता के अधिकार का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है और न ही पहले वाले को दिया जा सकता है।

उत्तरार्द्ध पर वरीयता।

(8)

धारा *29* के प्रावधान संवैधानिक हैं और नहीं करते हैं
गिराए जाने के योग्य है।

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

धारा *33* को असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह प्रावधान करता है

(9)

पुलिस जाँच के लिए आधार डेटा बेस के उपयोग के लिए
न ही इसे अनुच्छेद के तहत दिए गए संरक्षण का उल्लंघन कहा जा सकता है।

20 (3) .

(10)

आधार अधिनियम की धारा *47* को लागू नहीं किया जा सकता है।

इस आधार पर असंवैधानिक है कि यह अनुमति नहीं देता है
व्यक्ति जो पाता है कि आधार अधिनियम का उल्लंघन हुआ है

किसी भी आपराधिक प्रक्रिया को शुरू करना।

(11)

धारा *57*, उस हद तक, जो आधार के उपयोग की अनुमति देती है

राज्य या कोई निगमित निकाय या व्यक्ति, इसके अनुसरण में

इस आशय का कोई भी अनुबंध असंवैधानिक और अमान्य है। इस प्रकार, धारा *57* के मुख्य प्रावधान में अंतिम वाक्यांश, अर्थात "या कोई

इस आशय का अनुबंध निरस्त कर दिया गया है।

(12)

धारा *59* ने केंद्र द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों को मान्य किया है।

सरकार दिनांकित *28.01.2009* अधिसूचनाओं के तहत और

12.09.2009 और सभी कार्यों को माना जाएगा

आधार अधिनियम के तहत लिया गया।

(13)

बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करने के लिए माता-पिता की सहमति
विनियमन *3* और विनियमन के तहत जनसांख्यिकीय जानकारी

4 5 से *18* वर्ष के बीच के बच्चों के नामांकन के लिए पढ़ा जाना चाहिए ताकि नियम *3* और *4* की संवैधानिकता को बनाए रखा जा सके।

आधार *(*नामांकन और अद्यतन*)* विनियम, *2016*।

(14)

पीएमएलए *(*दूसरा संशोधन*)* नियमों द्वारा संशोधित नियम *9,*

2017 असंवैधानिक नहीं है और अनुच्छेदों का उल्लंघन नहीं करता है

14 , 19 (1) (छ*)* संविधान की धारा *21* और *300* ए और आधार अधिनियम की धारा *3,7* और *51*। इसके अलावा नियम *9* में संशोधन किया गया है -

पी. एम. एल. ए. अधिनियम, *2002* के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है।

23.03.2017 दिनांकित परिपत्र के असंवैधानिक होने को दरकिनार कर दिया गया है।

(15)

(16)

आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में सही ढंग से पारित किया गया है। द.

आधार विधेयक, *2016* को प्रमाणित करने का अध्यक्ष का निर्णय

धन विधेयक न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है।

धारा *139*-ए. ए. मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।

(17)

पुट्टास्वामी मामले में गोपनीयता निर्णय के अनुसार गोपनीयता।

(18)

आधार अधिनियम पारित अंतरिम आदेशों का उल्लंघन नहीं करता है

2012 की रिट याचिका *(*सी*)* संख्या *494* और अन्य रिट याचिकाओं में।

388. हम मामलों के इस समूह में उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर विचार करने और उनका जवाब देने के बाद, अनुच्छेद *32* के तहत दायर सभी रिट याचिकाओं को हमारे निष्कर्षों के अनुसार निपटाया जाना चाहिए जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। सभी स्थानांतरण मामले/स्थानांतरण याचिकाएं भी तदनुसार निर्णय लेने के योग्य हैं। *389.* अब हम एस. एल. पी. से उत्पन्न आपराधिक अपील पर आते हैं। *(*सीआरएल।*) 2014* का सं. *2524*। उपरोक्त एस. एल. पी. *(*सी. आर. एल.*)* न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दिनांक *22.10.2013* द्वारा पारित एक आदेश से उत्पन्न हुआ जिसके द्वारा

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने डी. जी., यू. आई. डी. ए. आई. और डिप्टी कमिश्नर को निर्देश दिया। डी जी। यू. आई. डी. ए. आई. प्रौद्योगिकी केंद्र, बैंगलोर प्रतिवादी सी. बी. आई. को आवश्यक डेटा प्रदान करेगा उक्त आदेश को आपराधिक रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा एस. एल. पी. को जन्म देते हुए *26.02.2014* पर आदेश पारित किया गया था। *(*सीआरएल।*) 2014* का सं. *2524*।

390. हमने ऊपर देखा है कि आधार अधिनियम की धारा *33* के अनुसार उप-धारा *(1)* के अनुसार जानकारी का खुलासा किया जा सकता है। न्यायालय के किसी आदेश के लिए, जो जिला न्यायाधीश के आदेश से कम न हो। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा सूचना के प्रकटीकरण का निर्देश देने वाला आदेश, वर्तमान मामले में, धारा *33* की उप-धारा *(1)* के अनुरूप नहीं है, इसलिए न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी दिनांक *22.10.2013* द्वारा पारित आदेश और उक्त आदेश के संदर्भ में पारित उच्च न्यायालय का आदेश रद्द करने योग्य है। तदनुसार आपराधिक अपील की अनुमति है।

391. किसी भी अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है।

अवमानना आवेदन जिनके लिए प्रार्थना की गई थी। अवमानना की सभी याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं।

392. नतीजतन, मामलों के इस समूह का निर्णय निम्नलिखित तरीके से किया जाता हैः

अनुच्छेद *32* के तहत दायर सभी रिट याचिकाएं और साथ ही

((i)

स्थानांतरण मामलों का निपटारा हमारे निष्कर्षों के अनुसार किया जाता है।

ऊपर लिखा है।

((ख)

एस. एल. पी. से उत्पन्न आपराधिक अपील *(*आपराधिक*)* संख्या *2524*

2014 की अनुमति है।

(iii)

सभी अवमानना आवेदन बंद कर दिए गए हैं।

393. अलग होने से पहले, हम उद्योग के लिए अपनी गहरी प्रशंसा, कड़ी मेहनत और न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. के लिए विद्वान सलाहकार द्वारा दिखाई गई वाक्पटुता को दर्ज करते हैं।

भारत का संघ

हमारे सामने उपस्थित होने वाले पक्षकार, जो उनके संबंधित तर्कों में पर्याप्त रूप से प्रदर्शित किए गए थे। विद्वान परामर्श ने इस देश और विदेश में उपलब्ध सभी प्रासंगिक संबंधित सामग्रियों के साथ हमें प्रबुद्ध किया है। इन जनहित याचिकाओं द्वारा उठाई गई चिंता एक चिंता का विषय है उन छोटे से भारतीय के लिए जिनके लिए समाज, सरकार और न्यायालय मौजूद हैं। हम दोनों पक्षों के साथ-साथ उन लोगों के लिए उपस्थित विद्वान वकील द्वारा हमारे सामने व्यक्त की गई चिंता और जुनून की सराहना करते हैं, जिन्हें मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी गई थी। हम इन मामलों में समर्थन किए गए कारण के लिए अपनी सराहना की एक बार फिर रिकॉर्डिंग करके समाप्त करते हैं।

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.

सूचकांक

एक परिचयः प्रौद्योगिकी, शासन और स्वतंत्रता

पुट्टास्वामी *1* सिद्धांत

बी.

बी. आई. मूलः निजता एक प्राकृतिक अधिकार के रूप में

B. 2 संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार के रूप में निजता स्वतंत्रता और गरिमा

बी. *3* निजता की रूपरेखा

बी. *4* सूचनात्मक गोपनीयता

बी. *5* निजता के अधिकार को सीमित करना

B. 6 राज्य के वैध हित

सी प्रस्तुतियाँ

सी. आई. याचिकाकर्ताओं की प्रस्तुतियाँ
सी. *2* उत्तरदाताओं की प्रस्तुतियाँ

डी.

आधार की संरचनाः कानूनी ढांचे का विश्लेषण

ई.

आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पारित करना

ई. आई. अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा

ई. *2* आधार अधिनियम एक धन विधेयक के रूप में

एफ.

बायोमेट्रिक्स, गोपनीयता और आधार

एफ. आई. बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का बढ़ता उपयोग
एफ. *2* बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह में सहमति

एफ. *3* आधार कानून के समक्ष स्थिति
एफ. *4* आधार अधिनियम में गोपनीयता संबंधी चिंताएँ

1. आधार अधिनियम के तहत नामांकन और प्रमाणीकरण पहुंच जानकारी के दौरान सहमति

2. मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी के स्वतः साझा करने के दौरान प्रकट की गई जानकारी का विस्तार

3. बायोमेट्रिक जानकारी का विस्तारित दायरा

4. आधार अधिनियम के संबंध में अन्य चिंताएँः बायोमेट्रिक सूचना की प्रभावकारिता के बारे में
एम

5. डेटाबेस में बायोमेट्रिक रिकॉर्ड तक कोई पहुंच नहीं है
6. बायोमेट्रिक लॉकिंग

7. प्रमुख संकेत

जी वैध राज्य उद्देश्य

जी. आई. निदेशक सिद्धांत

जी*2* विकास और स्वतंत्रता

जी. *3* पहचान और पहचान

एच आनुपातिकता

एच. आई. परस्पर विरोधी अधिकारों का समन्वय
एच. *2* भारतीय न्यायशास्त्र में आनुपातिकता मानक

एच. *3* तुलनात्मक न्यायशास्त्र

एच. *4* आधारः आनुपातिकता विश्लेषण
एच. *5* गरिमा और वित्तीय बहिष्कार

एच. *6* धारा *139* एए की संवैधानिक वैधता

कर अधिनियम *1961*

एच. *7* सिम कार्ड और आधार संख्या को जोड़ना

आई.

धन शोधन के नियम

धारा *59* में बचत

जे.

के.

कानून का शासन और अंतरिम आदेशों का उल्लंघन

एल.

निष्कर्ष न्याय के. एस. पुत्रस्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

एक परिचयः प्रौद्योगिकी, शासन और स्वतंत्रता *1.* प्रौद्योगिकी और बायोमेट्रिक्स मुकदमेबाजी में हाल ही में प्रवेश करने वाले हैं। व्यक्तिगत रूप से, प्रत्येक विशिष्ट दावे प्रस्तुत करता हैः प्रौद्योगिकी को महान प्रवर्तक के रूप में; और बायोमेट्रिक्स को अद्वितीय पहचानकर्ता के रूप में। पुनः संयोजक तत्वों के रूप में, वे नई आनुवंशिक सामग्री का निर्माण करते हैं। एक साथ मिलकर, वे डिजिटल युग में शासन के लिए अप्रत्याशित

चुनौतियों को प्रस्तुत करते हैं। इन चुनौतियों का एक कारण यह है कि हमारा कानून एक मौलिक रूप से अलग युग और समय में विकसित हुआ। कानून ने उपकरणों का विकास किया

वृद्धिशील चरणों में शासन। वे उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ के अनुकूल थे। अभिव्यक्ति के जिन रूपों को कानून ने संहिताबद्ध किया था, वे तब विकसित हुए थे जब कागज सर्वव्यापी था। एक निश्चित स्वतंत्रता के लिए अनुमति दी गई कागज की सीमाएँ: व्यक्तित्व की स्वतंत्रता और अस्पष्ट होने की स्वतंत्रता। कागज के साथ शासन कागज पर शासन में समाप्त हो सकता है। प्रौद्योगिकी एक सार्वभौमिक भाषा बन गई है जो संस्कृति और भाषा को फैलाती है। यह शासन की संस्थाओं का सामना करता है।

नई समस्याओं के साथ। उनमें से कई के पास कोई तैयार जवाब नहीं है।

2. प्रौद्योगिकी उन धारणाओं पर सवाल उठाती है जो हमारी तर्क की प्रक्रियाओं को रेखांकित करती हैं। यह नागरिकों के बीच संवाद को नया रूप देता है और राज्य। इन सबसे ऊपर, यह उन सिद्धांतों की सीमाओं का परीक्षण करता है जो लोकतंत्र एक ढाल के रूप में विकसित हुए हैं जो व्यक्ति की पवित्रता को बनाए रखते हैं।

3. शासन के बीच अंतरफलक को समझने में,

4. भारतीय संविधान के प्रख्यात विद्वान ग्रैनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान के दर्शन पर दूरदर्शी टिप्पणियां की थीं। उन्होंने इसे तीन भागों में पाया।

"संविधान को संक्षेप में तीन धाराओं के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है: राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे बढ़ाना; लोकतंत्र की संस्थाओं और भावना की स्थापना करना; और भारतीयों की जनता को बेहतर बनाने के लिए एक सामाजिक क्रांति को बढ़ावा देना. ये तीनों धाराएं परस्पर निर्भर और अटूट रूप से जुड़ी हुई हैं। सामाजिक क्रांति को लोकतंत्र की कीमत पर न तो खोजा जा सकता था और न ही प्राप्त किया जा सकता था। न ही भारत वास्तव में लोकतांत्रिक हो सकता है जब तक कि सामाजिक क्रांति में सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट न हो।

एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना। राष्ट्रीय एकता के बिना, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा और सामाजिक और आर्थिक सुधार की दिशा में बहुत कम प्रगति होगी। और लोकतंत्र और सुधार के बिना, राष्ट्र एकजुट नहीं रह सकता था। इन तीन तारों के साथ, निर्माताओं ने एक निर्बाध जाल बनाया था। किसी भी एक हिस्से पर अनुचित दबाव या शिथिलता वेब को विकृत कर देगी और इसके विनाश और इसके साथ ही राष्ट्र के विनाश का जोखिम उठाएगी। सामंजस्य बनाए रखें

इन पंक्तियों के बीच अनुमानित रूप से उन लोगों को प्रस्तुत करेगा जो बाद में बड़ी कठिनाइयों के साथ संविधान पर काम करते हैं।

ये तीन तार बहुत हद तक उस बहु-केंद्रित जाल की तरह हैं जिसका लोन है। फुलर बोल चुका है। *3* एक स्ट्रैंड पर एक खिंचाव दूसरों के बीच संतुलन को हिलाता है। उनके बीच संतुलन संविधान के संतुलन को बनाए रखता है।

5. इस न्यायालय को इस पर निर्णय लेने का काम सौंपा गया है

आधार परियोजना की संवैधानिक वैधता। ग्रैनविल ऑस्टिन ने जिन कठिनाइयों की भविष्यवाणी की थी, वे तारों के सामंजस्य में उत्पन्न होंगी

"सीमलेस वेब "वर्तमान मामले में प्रकट होते हैं। यह मामला बोलता है

एक उदार संवैधानिक लोकतंत्र के मौलिक मूल्यों की रक्षा करते हुए सामाजिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को सुसंगत बनाने की आवश्यकता है।

6. एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत करने के लिए, भारत ने एक कल्याणकारी राज्य के ढांचे का समर्थन किया। निर्देशक सिद्धांत इसके सहयोगी हैं। राज्य है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय वाली सामाजिक व्यवस्था को यथासंभव प्रभावी ढंग से सुरक्षित और संरक्षित करके अपने नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देना। सरकार सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है

संसाधनों के समान वितरण और समान अवसर पैदा करके राष्ट्र के नागरिकों का आर्थिक उत्थान। ये ऐसे आदर्श हैं जो राज्य की कार्रवाई का मार्गदर्शन और संचालन करने के लिए हैं। राज्य की प्रतिबद्धता कल्याण में सुधार उन उपायों और कार्यक्रमों के माध्यम से प्रकट होता है जिनका वह अनुसरण करता है।

7. भारत के संविधान ने भाग *III* में मानव स्वतंत्रता के चार्टर और आंशिक रूप से परिवर्तनकारी शासन के दृष्टिकोण को शामिल किया है।

IV. अपने अधिकार न्यायशास्त्र के माध्यम से, इस न्यायालय ने भाग *III* में अधिकारों की रक्षा करने और कम से कम भाग *IV* के कुछ अधिकारों को पूर्व में पढ़कर उन्हें लागू करने का प्रयास किया है, जो संवैधानिक रूप से संरक्षित गरिमा के अधिकार के लिए आंतरिक है। निर्देशक सिद्धांत हैं - *2* ग्रैनविल ऑस्टिन, एक लोकतांत्रिक संविधान पर काम कर रहे हैंः भारत का इतिहास

पेज *6* पर अनुभव, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस *(2003)*

3 लोन एल. फुलर और केनेथ आई. विंस्टन, निर्णय के रूप और सीमाएँ,

हार्वर्ड लॉ रिव्यू, वॉल्यूम।

92 , (1978) , पृष्ठों पर *353-409* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(RETD) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

अपने नागरिकों के प्रति राज्य के सकारात्मक कर्तव्यों की याद दिलाता है। जहाँ सामाजिक कल्याण एक मूलभूत मूल्य है, वहीं संविधान मौलिक मानवाधिकारों का रक्षक है। उन दोनों आदर्शों को बनाए रखने में, इसने एक उदार राजनीतिक व्यवस्था को बुना है जहां व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता एक लोकतांत्रिक समाज के केंद्र में हैं। संविधान समानता, गरिमा, निजता, स्वायत्तता, अभिव्यक्ति और अन्य स्वतंत्रताओं की रक्षा करके अपने उदार मूल्यों को पूरा करना चाहता है।

8. हाल की दो पुस्तकों ने मानव की जटिलताओं का पता लगाया है।

पहचान। "द लाइज़ दैट बाइंडः रीथिंकिंग आइडेंटिटी "*4*, क्वामे एंथनी अप्पिया का कहना है कि एक उदार संवैधानिक लोकतंत्र एक भाग्य नहीं बल्कि एक परियोजना है। वह रोमन नाटककार टेरेंस से प्रेरणा लेते हैं जो कहते हैंः " में मनुष्य हूँ। मुझे लगता है कि मेरे लिए कुछ भी मानव विदेशी नहीं है। " दूसरी ओर, फ्रांसिस फुकुयामा की पहचान के बारे में एक अलग बारीकियां हैं। आइडेंटिटी मेंः गरिमा की मांग और ज्ञान की राजनीति *3*, वे इस बारे में लिखते हैं कि कैसे राष्ट्र उदार लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर "एकीकृत राष्ट्रीय पहचान" की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। पुस्तकों की समीक्षा करते हुए, आनंद गिरिधरदास ने कहा कि फुकुयामा की पहचान की भावना "समावेशी होने के लिए काफी बड़ी है लेकिन लोगों को एजेंसी की वास्तविक भावना देने के लिए पर्याप्त छोटी है।

उनके समाज पर "। . अप्पिया और फुकुयामा दो प्रकार प्रस्तुत करते हैं-अप्पिया के लिए इसकी एक महानगरीय और वैश्विक प्रकृति है जबकि यह एक राष्ट्र राज्य के साथ अधिक एकीकृत है, फुकुयामा के लिए, हालांकि दृढ़ता से एक उदार संवैधानिक व्यवस्था में निहित है।

9. भारत ने वैश्विक समुदाय द्वारा प्रौद्योगिकी के पुनर्गठन में भाग लिया है और उससे लाभान्वित हुआ है। हम सूचना के युग में रहते हैं और एक ऐसी तकनीकी क्रांति के साक्षी हैं जो हमारे जीवन के लगभग हर पहलू में व्याप्त है। कमी और अप्रचलन तकनीक की तरह ही सर्वव्यापी हैं। प्रौद्योगिकी एक बड़ा सहायक है। न्याय तक पहुंच को आगे बढ़ाने और अच्छे कार्यों को बढ़ावा देने के लिए राज्य द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है

शासन।

10. एक सूचना क्रांति के प्रतीक युग में, समाज एक ज्ञान अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव देख रहा है। ज्ञान अर्थव्यवस्था में,

4 क्वामे एंथनी अप्पिया, द लाइज़ दैट बाइंडः पहचान, लिबराइट पर पुनर्विचार करें

प्रकाशन *(2018)*।

5 फ्रांसिस फुकुयामा, पहचानः गरिमा की मांग और राजनीति

प्रबोधन, फरार, स्ट्रॉस और गिरौक्स *(2018)*।

6 आनंद गिरिधरदास, 'पहचान क्या है?', द न्यूयॉर्क टाइम्स, *27* अगस्त, *2018*। *7* पीटर एफ. ड्रकर, द एज ऑफ डिस्कंटीन्यूटीः हमारे परिवर्तन के लिए दिशानिर्देश

सोसायटी, हार्पर एंड रो *(1969)*। ड्रकर की पुस्तक ने 'नॉलेज इकोनॉमी' शब्द को लोकप्रिय बनाया।

विकास सूचना की मात्रा, गुणवत्ता और सुलभता पर निर्भर करता है। फिर भी डिजिटल इंडिया की खोज डिजिटल विभाजन से अवगत होनी चाहिए। पहुँच गंभीर बाधाओं का सामना करती है। आबादी के बड़े हिस्से के पास इंटरनेट या सूचना तक पहुंच के लिए आवश्यक संसाधनों तक बहुत कम या कोई पहुंच नहीं है। ज्ञान अर्थव्यवस्था के विकास के साथ, हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र ने गोपनीयता अधिकारों का विस्तार किया है।

एक डिजिटल राष्ट्र को एक डिजिटल नागरिक की पहचान को कम नहीं करना चाहिए। जबकि डेटा नया तेल है, यह अभी भी औसत नागरिक के जीवन को छोड़ देता है। यदि कल्याणकारी अधिकारों तक पहुंच को अद्वितीय डेटा सेटों से जोड़ा जाता है, तो सूचनात्मक संसाधनों तक विषम पहुंच से सार्वजनिक संसाधनों तक पहुंच की पहले से मौजूद असमानताओं को कायम नहीं रखा जाना चाहिए। एक पहचान परियोजना जिसमें *130* करोड़ लोगों की बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय जानकारी का संग्रह शामिल है, दुनिया में सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान परियोजना का निर्माण, मानवाधिकारों के साथ इसके अनुपालन का आकलन करने के लिए सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए।

11. सूचना युग के आगमन के साथ आई तकनीक से सशक्त आधार परियोजना की कल्पना की गई और इसका जन्म हुआ। यह परियोजना बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी पर आधारित एक केंद्रीकृत राष्ट्रव्यापी पहचान प्रणाली है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से कल्याणकारी लाभों के वितरण में एक गेम चेंजर बनना है। इस परियोजना का उद्देश्य दोहरीकरण को सुविधाजनक बनाना, राजस्व रिसाव को रोकना और पहचान के लिए अधिक लागत और समय कुशल प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। बायोमेट्रिक्स और प्रमाणीकरण के उपयोग पर संकल्पित, आधार पहचान पत्र को मूल रूप से स्वैच्छिक पसंद के रूप में पेश किया गया था। इसे राज्य की सब्सिडी और लाभों के लिए एक आवश्यकता बनाया गया था, जिसके लिए भारत की समेकित निधि से खर्च किए जाते हैं। बाद में इसका विस्तार किया गया

कई अन्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक हो जाता है। यह परियोजना बहुआयामी और विस्तृत है। शायद ऐसा कोई राष्ट्रीय पहचान कार्यक्रम नहीं है। दुनिया में मौजूद है। आधार परियोजना के कई पहलू हैं, जिनमें से सभी याचिकाकर्ताओं द्वारा एक विस्तृत चुनौती का विषय रहे हैं। उन्हें सरकार की ओर से समान रूप से मजबूत बचाव का सामना करना पड़ा है।

जिसने तर्क दिया है कि यह कार्यक्रम भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और काले धन पर अंकुश लगाने के लिए अपरिहार्य है।

8 'ज्ञान अर्थव्यवस्था क्या है*?*, आई. जी. आई. ग्लोबलः ज्ञान प्रसारक,

यहाँ उपलब्ध हैः

*HTTPS: //*डब्ल्यू. डब्ल्यू. आई. जी. आई-ग्लोबल। कॉम/शब्दकोश/स्वदेशी-ज्ञान-और-ज्ञान संहिताकरण-इन-द-ज्ञान-अर्थव्यवस्था*/16327*

9 कृष्णदास राजगोपाल, 'आधार संख्या मेंः सर्वोच्च न्यायालय में यू. आई. डी. ए. आई. के सी. ई. ओ. की प्रस्तुति से प्रमुख व्यक्ति, द हिंदू, *(22* मार्च, *2018)*। आधार

मार्च *2018* तक नामांकन *1* अरब से अधिक था।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

12. आधार परियोजना दो महत्वपूर्ण सवाल उठाती हैः पहला, क्या मानवाधिकारों और कल्याण को आगे बढ़ाने के बीच प्रतिस्पर्धी हित हैं*?*

13. दक्षता संस्थागत शासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन दक्षताएं गरिमा से समझौता कर सकती हैं। जब दक्षता एक हो जाती है मौलिक स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देने के लिए सार्वभौमिक मंत्र, एक ऐसे समाज के उस सीमा को पार करने का खतरा है जो लोकतंत्र को सत्तावादी संस्कृतियों से विभाजित करता है। जिस आधार पर आधार परियोजना को चुनौती दी गई है, उसके केंद्र में सत्ता का मुद्दा है। हमारा संविधान एक

कई तरीकों से परिवर्तनकारी दस्तावेज़। उनमें से एक व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं के दायरे का विस्तार करते हुए राज्य की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करना है। यह नागरिकों को अधिनायकवादी ज्यादतियों से बचाता है और राज्य के अंगों के बीच, राज्य और नागरिकों के बीच और नागरिकों के बीच व्यवस्था स्थापित करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह राजनीति के मूल परिभाषित तत्व के रूप में व्यक्ति की स्थिति की पुष्टि करता है। यही सभी नागरिकों को अपने भाग्य के लेखक बनने के लिए सशक्त बनाकर सत्ता को रोकने का औचित्य है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, आधार परियोजना की तकनीकी क्षमता के साथ-साथ वास्तविक कार्यान्वयन इस संबंध क्षेत्र में राज्य और उसके नागरिकों के बीच संतुलन को बदल देता है और इसमें संवैधानिक ढांचे के भीतर स्थायी रूप से शक्ति का पुनर्वितरण करने की क्षमता है।

14. जहां तक नागरिक-राज्य संबंधों का संबंध है, संविधान को वैध के खिलाफ व्यक्ति के अधिकारों को संतुलित करने के लिए बनाया गया था

राज्य हित। परिवर्तनकारी होने के कारण, इसकी व्याख्या बदलते समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए की जानी चाहिए। संविधान के दुभाषिया के रूप में, इस न्यायालय का कर्तव्य है कि वह राज्य की कार्रवाई के खिलाफ सतर्क रहे जो राज्य की शक्ति और नागरिकों के अधिकारों के बीच ठीक संतुलन को बिगाड़ने और हमारे नागरिकों में निहित स्वतंत्रताओं की रक्षा करने के लिए खतरा है।

15. वर्तमान मामले में ऐसे मुद्दे शामिल हैं जो कानून के शासन द्वारा शासित लोकतंत्र के रूप में हमारे संवैधानिक ढांचे के केंद्र तक जाते हैं। उनमें से इस न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का दायरा है। द. आधार विधेयक को लोकसभा में धन विधेयक के रूप में पारित किया गया था। सवाल यह है कि क्या संवैधानिक रूप से राज्यसभा को पारित करने की अनुमति थी। द्विसदनीय विधानमंडल में राज्यसभा की भूमिका

संरचना, कार्यकारी शक्ति की सीमाएँ जब यह मौलिक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टों को प्रभावित करती है

इस न्यायालय के अंतरिम आदेशों का पालन करने के अधिकार और राज्य का कर्तव्य ऐसे मामले हैं जो मामले में विश्लेषण के लिए आते हैं।

16. इसलिए मामला कानून के शासन के बारे में है और

संस्थागत शासन। जवाबदेही कानून के शासन का एक प्रमुख पहलू है।

प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी ने टिप्पणी की हैः

"सामूहिक गरीबी की स्थितियों में मानवाधिकारों की समस्या इस प्रकार पुनर्वितरण, पहुंच और जरूरतों की है। दूसरे शब्दों में, यह "विकास" की समस्या है, नियोजित सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। सार्वजनिक शक्ति के निरंतर प्रयोग के माध्यम से। जैसा कि कोई नहीं है

यह आश्वासन कि सार्वजनिक शक्ति हमेशा, या अधिकांश मामलों में भी,

वंचित और बेदखल लोगों के पक्ष में प्रयोग किया जाए, और

विकास की महत्वपूर्ण अवधारणा स्वयं जवाबदेही है,

सार्वजनिक शक्ति का उपयोग करने वाले, इससे प्रभावित लोगों के लिए और
बड़े पैमाने पर लोग। जवाबदेही वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम

राज्यपालों के बीच संतुलन बना सकते हैं और बनाए रख सकते हैं

शासित "। *10*

आधार परियोजना की प्रकृति, इसकी व्यापकता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर परिणामी प्रभाव को शामिल करते हुए, परियोजना की संरचना और प्रभाव की बारीकी से जांच करना अनिवार्य बनाता है। इसके लिए यह स्वतंत्रता का भविष्य निर्धारित करेगा। *B* पुट्टास्वामी *1 1* सिद्धांत

17. नौ न्यायाधीशों की पीठ ने एक सर्वसम्मत फैसले में निजता की घोषणा की

स्वतंत्रता, गरिमा और व्यक्तिगत स्वायत्तता के एक पहलू के रूप में संवैधानिक रूप से संरक्षित किया जाना। एक विशाल निर्णय में, न्यायालय ने गोपनीयता की उत्पत्ति और इसकी सामग्री का पता लगाया। यह निर्णय निजता के अधिकार पर प्रतिबंधों की संवैधानिक वैधता का मूल्यांकन करने के लिए आनुपातिकता की कसौटी निर्धारित करता है।

18. निजता की सुरक्षा एक के रूप में इसकी स्थिति से उभरी है

प्रत्येक व्यक्ति में विरासत में प्राप्त प्राकृतिक अधिकार के साथ-साथ "संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार" के रूप में इसकी स्थिति। एक संवैधानिक संरक्षण के रूप में, निजता का संबंध संविधान के अनुच्छेद *21* में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी के साथ-साथ स्वतंत्रता और गरिमा के अन्य पहलुओं से है।

भाग *III* में निहित मौलिक अधिकारों द्वारा मान्यता प्राप्त और गारंटीकृत।

10 उपेंद्र बख्शी, मानव होने का अधिकारः कुछ पाखंड, भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र

त्रैमासिक, खंड। *13 , (1986) .*

1 न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी *(*सेवानिवृत्त*)* बनाम भारत संघ *("*पुट्टास्वामी*"), (2017) 10* एस. सी. सी. *1* न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम।

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

आई ओरिजिन्सः निजता एक प्राकृतिक अधिकार के रूप में

19. पुट्टास्वामी का मानना है कि निजता का अधिकार हर क्षेत्र में निहित है।

प्राकृतिक अधिकार के रूप में विभाजन। यह अपरिहार्य है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने में सक्षम होने के लिए एक पूर्व शर्त देता है। फैसले में चार न्यायाधीशों *(*जिनसे न्यायमूर्ति संजय किशन कौल सहमत थे*)* ने कहाः

" 42. निजता व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व पर नियंत्रण रखने के अधिकार का एक सहवर्ती है। यह इस धारणा में एक मूल पाता है कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो मनुष्य के लिए स्वाभाविक या अंतर्निहित हैं। प्राकृतिक अधिकार अविभाज्य हैं क्योंकि वे मानव व्यक्तित्व से अविभाज्य हैं। *1 2*

(जोर दिया गया*)*

" 319. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान की रचना नहीं है। इन अधिकारों को मान्यता दी गई है संविधान प्रत्येक व्यक्ति को मानव तत्व के एक आंतरिक और अविभाज्य अंग के रूप में विरासत में मिला है।

भीतर "। *13 (* जोर दिया गया*)*

उनकी सहमति वाली राय, एस. ए. बोबडे, जे. ने कहाः

" 392 ..... गोपनीयता, जिसके बारे में हम यहाँ चिंतित हैं, एक अपरिहार्य प्राकृतिक अधिकार के रूप में विशिष्ट रूप से योग्य है, जो दो मूल्यों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, जिनकी सुरक्षा सार्वभौमिक नैतिक समझौते का विषय हैः मनुष्य की जन्मजात गरिमा और स्वायत्तता। *1 4*

(जोर दिया गया*)*

इसी तरह, अपनी सहमति वाली राय में, नरीमन, जे. ने कहाः

" 532 ..... इसलिए, हमारे सामने यह तर्क दिया गया था कि ऊपर उल्लिखित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और इस तथ्य को देखते हुए कि यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को उसके मनुष्य होने के कारण प्राप्त है, इस अधिकार को संविधान द्वारा प्रदान नहीं किया गया है, बल्कि इसे केवल मौलिक होने का दर्जा दिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता इस मामले में सही हैं।
प्रस्तुत करना "। *15*

(जोर दिया गया*)*

आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *365* पर, पृष्ठ *508* पर आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *536-537* आई. बी. आई. डी. पर, पृष्ठ *605 [2018] 8* एस. सी. आर. पर।

अभय मनोहर सप्रे, जे. ने अपनी सहमति में कहाः

" 557. मेरी सुविचारित राय में, "किसी की भी निजता का अधिकार।

व्यक्ति अनिवार्य रूप से एक प्राकृतिक अधिकार है, जो जन्म से प्रत्येक मनुष्य में निहित है। यह वास्तव में अविभाज्य है और

मनुष्य से अविभाज्य "। *16*

(जोर दिया गया*)*

निर्णय आधिकारिक रूप से स्थिति का निर्धारण करता है। जबकि निजता को संविधान द्वारा जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा के एक आंतरिक और अविभाज्य अंग के रूप में मान्यता दी गई है और संरक्षित किया गया है, यह प्रत्येक व्यक्ति में एक प्राकृतिक अधिकार के रूप में निहित है।

B. 2 संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार के रूप में निजता स्वतंत्रता और

गरिमा

20. इस फैसले ने व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार व्यवस्था के केंद्र में रखा। व्यक्ति संवैधानिक केंद्र के मूल में निहित है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श व्यक्ति के लिए एक गरिमापूर्ण अस्तित्व सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण को जीवंत करते हैं। अदालत ने कहा कि वह गोपनीयता उस व्यक्ति से जुड़ी होती है न कि उस स्थान से जहां वह जुड़ी हुई है। यह मानते हुए कि गोपनीयता व्यक्ति की स्वायत्तता की रक्षा करती है और

चुनाव करने का अधिकार, चार न्यायाधीशों के फैसले में कहा गयाः

" 108 ..... व्यक्ति संविधान का केंद्र बिंदु है क्योंकि व्यक्तिगत अधिकारों की प्राप्ति में ही समुदाय का सामूहिक कल्याण निर्धारित होता है। मानव गरिमा संविधान का एक अभिन्न अंग है। *17 1 7*
" 266. हमारा संविधान व्यक्ति को अपने फोकस में सबसे आगे रखता है, भाग *III* में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की गारंटी देता है और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आकांक्षा को मूर्त रूप देता है।

भाग *IV* में आर्थिक अधिकार।

(जोर दिया गया*)*

यह अभिनिर्धारित किया गया कि गोपनीयता "सामाजिक वर्ग या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना" प्रत्येक व्यक्ति में निहित है और प्रत्येक व्यक्ति अंतरंगता और स्वायत्तता का हकदार है जो गोपनीयता की रक्षा करता हैः

" 271 ..... यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की एक आंतरिक और मूल विशेषता के रूप में गोपनीयता है जो एक व्यक्ति को किसी व्यक्ति के खिलाफ खड़े होने में सक्षम बनाती है।

16 इबिद, पृष्ठ *614* पर

17 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *403* एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

जबरन नसबंदी का कार्यक्रम। फिर, यह गोपनीयता है जो

यदि राज्य गैर-सहमति वाले पुरुषों या महिलाओं के अनिवार्य दवा परीक्षण शुरू करता है तो यह एक शक्तिशाली गारंटी है। विवाह की पवित्रता, प्रजनन की स्वतंत्रता, परिवार का चुनाव

जीवन और अस्तित्व की गरिमा ऐसे मामले हैं जो चिंता का विषय हैं।

सामाजिक स्तर या आर्थिक स्तर की परवाह किए बिना प्रत्येक व्यक्ति

कल्याण हो। सुख की खोज इस पर आधारित है

स्वायत्तता और गरिमा। दोनों ही आवश्यक विशेषताएँ हैं -

गोपनीयता जो जन्म के बीच कोई अंतर नहीं करती है

व्यक्तियों के निशान "। *1 8 (*जोर दिया गया*)*

21. यह स्वीकार करते हुए कि नागरिक-राजनीतिक अधिकार आर्थिक अधिकारों के अधीन नहीं हैं, न्यायालय ने कहा कि "सामाजिक-आर्थिक अधिकारों के लिए या उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक शर्तें विध्वंसक स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करती हैं। "

" 266 ..... यह कहना कि गरीबों को नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की आवश्यकता नहीं है और केवल आर्थिक कल्याण से संबंधित हैं-इतिहास के माध्यम से मानवाधिकारों के सबसे गंभीर उल्लंघन को रोकने के लिए उपयोग किया गया है। इन सबसे ऊपर, यह महसूस किया जाना चाहिए कि यह सवाल करने का अधिकार, जांच करने का अधिकार और असहमति का अधिकार है।

एक जानकार नागरिक को कार्यों की जांच करने में सक्षम बनाता है

सरकार। शासन करने वालों को सामाजिक-आर्थिक कल्याण लाभों के प्रावधान सहित अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के बारे में सवाल करने का अधिकार है। जांच करने और तर्क करने की शक्ति एक लोकतांत्रिक राजनीति के नागरिकों को बुनियादी मुद्दों पर सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाती है जो उनके अधिकारों को नियंत्रित करते हैं। *1 9 267 .....* स्वतंत्रता की स्थितियाँ और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का एक जीवंत दावा सामाजिक न्याय की निरंतर समीक्षा को बढ़ावा देता है।

आर्थिक कार्यक्रम और अभाव और अभाव को दूर करने में उनकी प्रभावशीलता। सार्वजनिक मामलों की जांच स्वतंत्रता के अस्तित्व पर आधारित है। इसलिए नागरिक और राजनीतिक अधिकार और सामाजिक-आर्थिक अधिकार पूरक हैं और परस्पर अनन्य नहीं हैं। *20*

पृष्ठ *482 [2018] 8* एस. सी. आर. पर पृष्ठ *481-482* पर पृष्ठ *484* पर।

महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया कि नागरिक-राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक-आर्थिक अधिकारों के बीच संघर्ष है। न्यायालय के विचार में दोनों न्याय के संवैधानिक दृष्टिकोण का एक अभिन्न अंग हैं।

22. यह माना गया था कि गोपनीयता व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व पर नियंत्रण रखने के अधिकार को दर्शाती है। यह निजता को मानव गरिमा और स्वतंत्रता का केंद्र बनाता है। स्वतंत्रता और गरिमा पूरक संवैधानिक संस्थाएं हैं। निजता को स्वतंत्रता का अभिन्न अंग माना जाता था। निजता संवैधानिक स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने में सहायता करती है। इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दियाः

"119. जीना सम्मान के साथ जीना है। के ड्राफ्ट्समैन

संविधान ने समाज के बारे में उनकी दृष्टि को परिभाषित किया जिसमें

अन्य स्वतंत्रताएँ, स्वतंत्रता और गरिमा। गरिमा इतनी मौलिक है कि यह भाग *III* द्वारा व्यक्ति को गारंटीकृत अधिकारों के मूल में व्याप्त है। गरिमा वह मूल है जो मूल को एकजुट करता है।
अधिकार क्योंकि मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए अस्तित्व की गरिमा प्राप्त करना चाहते हैं। निजता अपने परिचर मूल्यों के साथ व्यक्ति को गरिमा का आश्वासन देती है और यह केवल तभी हो सकता है जब जीवन का आनंद गरिमा के साथ लिया जा सके। गोपनीयता गरिमा की पूर्ति सुनिश्चित करती है और एक मूल मूल्य है जिसे जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा प्राप्त करने का इरादा है। *21*

127 ..... निजता का अधिकार मानव गरिमा का एक तत्व है। निजता की पवित्रता गरिमा के साथ इसके कार्यात्मक संबंध में निहित है। निजता यह सुनिश्चित करती है कि एक व्यक्ति मानव व्यक्तित्व के आंतरिक अंतराल को सुरक्षित करके गरिमापूर्ण जीवन जी सके।
अवांछित घुसपैठ। गोपनीयता की स्वायत्तता को मान्यता देता है

व्यक्ति और प्रत्येक व्यक्ति का आवश्यक विकल्प चुनने का अधिकार जो जीवन के पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। ऐसा करने में गोपनीयता यह स्वीकार करती है कि स्वतंत्रता और स्वतंत्रताओं को पूरा करने के लिए एक इंसान के लिए गरिमापूर्ण जीवन जीना आवश्यक है जो संविधान की आधारशिला हैं। *9 22*

23. मानव गरिमा का आश्वासन जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। गोपनीयता और गरिमा के बीच "कार्यात्मक संबंध" सुरक्षा प्रदान करता है

21 आई. बी. आई. डी., पृष्ठों पर *406-407*

22 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *413* पर जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

"322. निजता मानव गरिमा का संवैधानिक मूल है। निजता में मानक और वर्णनात्मक दोनों कार्य होते हैं। मानक स्तर पर गोपनीयता उन शाश्वत मूल्यों की सेवा करती है जिन पर जीवन, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की गारंटी स्थापित की जाती है। वर्णनात्मक स्तर पर, गोपनीयता अधिकारों के एक समूह को प्रस्तुत करती है और

हित जो व्यवस्थित स्वतंत्रता की नींव पर होते हैं। *2 23*

298 ..... गोपनीयता के बिना गरिमा का अस्तित्व नहीं हो सकता है। दोनों जीवन, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के अपरिहार्य मूल्यों के भीतर रहते हैं जिन्हें संविधान ने मान्यता दी है। निजता व्यक्ति की पवित्रता की अंतिम अभिव्यक्ति है। यह एक संवैधानिक मूल्य है जो मौलिक अधिकारों के दायरे में फैला हुआ है और व्यक्ति के लिए पसंद और आत्मनिर्णय के क्षेत्र की रक्षा करता है। *24*

24. निजता व्यक्ति की स्वायत्तता पर आधारित होती है। द.

चुनाव करने की क्षमता मानव व्यक्तित्व के मूल में है। इसकी अलंघनीय प्रकृति गोपनीयता की वैध अपेक्षा के साथ अपने बारे में अंतरंग निर्णय लेने की क्षमता में प्रकट होती है। निजता संवैधानिक गारंटी है

व्यक्तित्व के सभी पहलुओं के प्रति समर्पण। गोपनीयता को एक माना गया था

अधिकांश स्वतंत्रताओं के प्रयोग के लिए "आवश्यक शर्त"। इस प्रकार, गोपनीयता और स्वतंत्रता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गोपनीयता के लिए आवश्यक है

स्वतंत्रता का संरक्षण। जे. बोबडे ने अपनी अलग राय में कहा किः

" 409 ..... स्वतंत्रता और गोपनीयता इस तरह से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं कि गोपनीयता अक्सर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग के लिए आवश्यक बुनियादी शर्त होती है। ऐसी अनगिनत गतिविधियाँ हैं जो

वास्तव में प्रदर्शन करने में असमर्थ हैं और कई मामलों में गरिमा के साथ जब तक कि कोई व्यक्ति अकेला न रह जाए या अन्यथा न हो

उसकी गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सशक्त। *2 25*

411 ..... गरिमा और गोपनीयता दोनों अंतरंग रूप से जुड़े हुए हैं और व्यक्तियों के जन्म और मृत्यु के लिए और इन घटनाओं के बीच जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए प्राकृतिक स्थितियां हैं। अनिवार्य रूप से, तब, निजता का अधिकार अनुच्छेद *21* के तहत 'जीवन' और 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' दोनों का एक अभिन्न अंग है, और इसका उद्देश्य अधिकार धारक को अपनी क्षमता को पूरी तरह से विकसित करने में सक्षम बनाना है जो केवल प्रस्तावना के साथ-साथ भाग *III* में व्यक्त किए गए संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप ही संभव है। *26*

इबिद, पृष्ठ *508* पर इबिद, पृष्ठ *499* पर

इबिद, पृष्ठ *543* पर

उदाहरण के लिए, पृष्ठ *544 [2018] 8* एस. सी. आर. पर।

25. एक प्राकृतिक कानून अधिकार होने के अलावा, निजता के अधिकार को अनुच्छेद *21* से प्रवाहित एक संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार माना गया था।

निजता अनुच्छेद *21* के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनिवार्य तत्व है और एक संवैधानिक मूल्य के रूप में जो संविधान के भाग *III* में अंतर्निहित मौलिक स्वतंत्रताओं में सन्निहित है। पिछले चार वर्षों में भारतीय न्यायशास्त्र में मिसाल के पाठ्यक्रम का पता लगाना।

दशकों से, चार न्यायाधीशों का विचार हैः

अनुच्छेद *19* में। *9 9 27* *" 320.*
निजता एक संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है जो मुख्य रूप से अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी से उभरता है।

21 संविधान "। *28*

इसी तरह, न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने चार न्यायाधीशों के विचार से सहमति व्यक्त करते हुए कहाः

" 375. निजता का अधिकार निश्चित रूप से मुख्य स्वतंत्रताओं में से एक है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। यह अनुच्छेद *21* में उस अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर स्वतंत्रता का हिस्सा है। *29*

26. गरिमा और स्वतंत्रता के लिए अपरिहार्य होना, और प्रत्येक व्यक्ति की आत्म-प्राप्ति के उद्देश्य से स्वतंत्रता के प्रयोग के लिए आवश्यक होना,

निजता को न केवल अनुच्छेद *21* द्वारा, बल्कि संविधान के सभी भाग *III* द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं और अधिकारों में चलने वाला एक सामान्य विषय माना गया था। जे. बोबडे ने अपनी अलग राय में कहा किः

" 406. किसी गतिविधि को करने की स्वतंत्रता से अलग किसी गतिविधि को करने की बुनियादी स्वतंत्रता को काटना या अलग करना संभव नहीं है। निजता जैसी बुनियादी शर्त का दावा करने का अधिकार जिसमें गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है, अपने आप में एक मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। इस प्रकार, गोपनीयता अभ्यास के लिए आवश्यक बुनियादी, अपरिवर्तनीय शर्त का गठन करती है।

'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' और स्वतंत्रता की गारंटी

संविधान। यह आंशिक रूप से असंबद्ध प्रमुख आधार है।

संविधान का तीसरा भाग। *3 30*

29 इबिद, पृष्ठ *531* पर

30 आई. बी. आई. डी., पृष्ठों पर *541-542* एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

जब यह संवैधानिक के समक्ष अधिकार धारकों द्वारा दावा किया जाता है अदालतों, निजता का अधिकार न केवल अनुच्छेद में स्थित हो सकता है

21 , लेकिन साथ ही किसी भी अन्य गारंटी में भी

भाग *III* में। वर्तमान स्थिति में, अनुच्छेद *19 (1), 20 (3), 25,28* और *29* सभी अधिकारों की सहायता करते हैं और उन्हें सार्थक बनाते हैं -

निजता का अभ्यास "।

(जोर दिया गया*)*

निजता की रूपरेखाएँ

27. गोपनीयता को विशिष्ट अर्थ रखने के लिए माना गया है जिसमें शामिल हैं -नियंत्रण*; (ii)* निर्णयात्मक स्वायत्तता*;* और *(iii)* सूचनात्मक नियंत्रण।

चार न्यायाधीशों ने अभिनिर्धारित किया किः

" 248. स्थानिक नियंत्रण निजी स्थानों के निर्माण को दर्शाता है। निर्णयात्मक स्वायत्तता अंतरंग व्यक्तिगत विकल्पों को समझती है

सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया जाता है जैसे कि विश्वास या पोशाक के तरीके। सूचनात्मक नियंत्रण व्यक्ति को सुरक्षा कवच के रूप में गोपनीयता का उपयोग करने का अधिकार देता है।

व्यक्ति से संबंधित जानकारी पर व्यक्तिगत नियंत्रण बनाए रखें।

नरीमन जे. ने अपनी अलग राय में कहाः

" 521. भारतीय संदर्भ में, निजता का मौलिक अधिकार होगा

कम से कम निम्नलिखित तीन पहलुओं को शामिल करेंः

गोपनीयता जिसमें व्यक्ति शामिल होता है अर्थात जब किसी व्यक्ति के अधिकारों की स्थिति द्वारा उसके अधिकारों से संबंधित कुछ आक्रमण होता है।

भौतिक शरीर, जैसे कि स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार*;*

सूचनात्मक गोपनीयता जो किसी व्यक्ति की गोपनीयता से संबंधित नहीं है

शरीर लेकिन एक व्यक्ति के मन से संबंधित है, और इसलिए यह स्वीकार करता है कि एक व्यक्ति का शरीर पर नियंत्रण हो सकता है।

उस सामग्री का प्रसार जो उसके लिए व्यक्तिगत है।

इस तरह की जानकारी का अनधिकृत उपयोग, इसलिए हो सकता है

इस अधिकार का उल्लंघन*;* और

पसंद की गोपनीयता, जो मौलिक व्यक्तिगत विकल्पों पर किसी व्यक्ति की स्वायत्तता की रक्षा करती है।

28. हालांकि, यह माना गया कि यह अधिकारों का एक संपूर्ण सूत्रीकरण नहीं है। अपने निष्कर्षों को दर्ज करते हुए, चार न्यायाधीशों की राय

आयोजितः

"324. इस न्यायालय ने कोई विस्तृत आदेश नहीं दिया है।

गणना या हक या हितों की सूची
निजता के अधिकार में शामिल। संविधान को करना चाहिए

समय की महसूस की गई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित करें
द्वारा शासित एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में डाली गई चुनौतियों

कानून का शासन। संविधान के अर्थ को स्वीकार किए जाने के समय मौजूद दृष्टिकोणों पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। तकनीकी परिवर्तन ने उन चिंताओं को जन्म दिया है जो वर्तमान में मौजूद नहीं थीं

दशकों पहले और प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास हो सकता है
वर्तमान की कई धारणाएँ अप्रचलित हो जाती हैं। अतः यह

संविधान की व्याख्या लचीली होनी चाहिए और
भावी पीढ़ियों को अपनी सामग्री को अनुकूलित करने की अनुमति देने के लिए लचीला

इसकी बुनियादी या आवश्यक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए। *32 (* जोर दिया गया*)*

इसके अतिरिक्त, न्यायमूर्ति बोबडे ने अपनी अलग राय में कहा कि निजता का अधिकार संविधान के अन्य भागों में भी निर्णय में निर्दिष्ट अधिकारों से परे हो सकता हैः

"415. इसलिए, गोपनीयता भाग *III* में किसी भी गारंटी के आनंद के लिए आवश्यक शर्त है। नतीजतन, जब संवैधानिक अदालतों के समक्ष अधिकार धारकों द्वारा इसका दावा किया जाता है, तो निजता का अधिकार न केवल अनुच्छेद *21* में स्थित हो सकता है, बल्कि

भाग *III* में किसी भी अन्य गारंटी में एक साथ। में
वर्तमान स्थिति, अनुच्छेद *19 (1), 20 (3), 25,28* और *29* सभी अधिकार हैं जो गोपनीयता के प्रयोग द्वारा सहायता और सार्थक बनाए गए हैं।

यह एक विस्तृत सूची नहीं है। भविष्य में विकास

प्रौद्योगिकी और सामाजिक व्यवस्था से यह अच्छी तरह से पता चल सकता है कि

और भी अधिक संवैधानिक साइटें हैं जिनमें गोपनीयता का अधिकार है
ऐसे क्षेत्र जो वर्तमान में हमारे लिए स्पष्ट नहीं हैं। *33*

(जोर दिया गया*)*

बी. *4* सूचनात्मक गोपनीयता

29. पुट्टास्वामी ने माना कि सूचना की गोपनीयता एक अनिवार्य आवश्यकता है

32 इबिद, पृष्ठ *509* पर

33 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *545* पर जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

'स्वयं' की स्वतंत्र, व्यक्तिगत अवधारणा। न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा कि

सूचनात्मक गोपनीयता "एक व्यक्ति के दिमाग से संबंधित है, और इसलिए यह स्वीकार करता है कि एक व्यक्ति का उस सामग्री के प्रसार पर नियंत्रण हो सकता है जो उसके लिए व्यक्तिगत है"। इस तरह की जानकारी का कोई भी अनधिकृत उपयोग गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन कर सकता है। अपने सहमति वाले फैसले में, न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि सूचनात्मक गोपनीयता किसी व्यक्ति को "केवल सीमित उद्देश्यों के लिए कुछ व्यक्तिगत जानकारी का प्रसार करने" का अधिकार प्रदान करती है। जे. कौल ने अपनी अलग राय में कहाः

"620 ..... समाज में लोग दूसरों से जो सीमाएँ स्थापित करते हैं, वे न केवल भौतिक होती हैं, बल्कि सूचनात्मक भी होती हैं। विभिन्न संबंधों के संबंध में विभिन्न प्रकार की सीमाएँ होती हैं। गोपनीयता अजीब सामाजिक स्थितियों को रोकने में सहायता करती है और

सामाजिक घर्षण को कम करना। व्यक्तियों के बारे में अधिकांश जानकारी "आपका कोई व्यवसाय नहीं" वाक्यांश के तहत आ सकती है। .....

एक व्यक्ति को विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं के लिए व्यक्तिगत डेटा जमा करते समय अपने जीवन को नियंत्रित करने का अधिकार है। यह है लेकिन

यह आवश्यक है कि व्यक्ति को पता हो कि डेटा का उपयोग किस लिए किया जा रहा है और इसे सही करने और संशोधित करने की क्षमता के साथ। लोकतंत्र में स्वतंत्रता की पहचान यह है कि

असंभव है, अगर महत्वपूर्ण निर्णय गुप्त रूप से किए जाते हैं
हमारी जागरूकता या भागीदारी के बिना। *34 (* जोर दें।

आपूर्ति की गई*)*

30. गोपनीयता की एक उचित अपेक्षा के लिए आवश्यक है कि डेटा

संग्रह किसी व्यक्ति की स्वायत्तता का उल्लंघन नहीं करता है। चार न्यायाधीशों के फैसले में डेटा संरक्षण व्यवस्था में सहमति की केंद्रीयता का उल्लेख किया गया। न्यायमूर्ति कौल की अलग सहमति वाली राय में भी इस पर प्रकाश डाला गया थाः

"625. प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और छवि पर नियंत्रण रखने में सक्षम होने का अधिकार होना चाहिए जैसा कि दुनिया के सामने चित्रित किया गया है और अपनी पहचान के व्यावसायिक उपयोग को

नियंत्रित करने का अधिकार होना चाहिए। इसका यह भी अर्थ है कि किसी व्यक्ति को अपनी सहमति के बिना व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अपनी छवि, नाम और अपने व्यक्तिगत जीवन और पहचान के अन्य पहलुओं का उपयोग करने से दूसरों को रोकने की अनुमति दी जा सकती है। *35*

34 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *627 35* पर आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *629* पर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

सहमति, पारदर्शिता और सूचना पर नियंत्रण सूचना की गोपनीयता के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस संरचना में, न्यायालय ने मुख्य रूप से हमारे न्यायशास्त्र के केंद्र में "व्यक्ति" पर ध्यान केंद्रित किया है।

बी. *5* निजता के अधिकार को सीमित करना

31. निजता को संवैधानिक दर्जा देने का अंतर्निहित महत्व है। न्यायमूर्ति नरीमन ने इस पर विचार किया:

" 490 ..... संविधान के मौलिक अधिकारों के अध्याय में इस तरह के अधिकार की मान्यता केवल एक मान्यता है कि बहुसंख्यक सरकारों की बदलती रेत के बावजूद ऐसा अधिकार मौजूद है।

कानून मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं; वे उनका उल्लंघन भी कर सकते हैं। यदि कोई मौजूदा क़ानून या भविष्य में बनाया जाने वाला कोई क़ानून निजता के अपरिहार्य अधिकार का उल्लंघन है, तो इस अदालत को इस क़ानून के खिलाफ परीक्षण करने की आवश्यकता होगी।

ऐसे मौलिक अधिकार और यदि यह पाया जाता है कि बिना किसी प्रतिकूल सामाजिक या सार्वजनिक हित के ऐसे अधिकार का उल्लंघन किया गया है, तो इस न्यायालय का कर्तव्य होगा कि वह इस तरह के विधान को मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के रूप में शून्य घोषित करे।

गोपनीयता "। *36*

एक संवैधानिक अधिकार में सकारात्मक और नकारात्मक 'पहलू' शामिल हो सकते हैं। वे जनादेश को दर्शाते हैं। सकारात्मक स्तर पर, वे हमारी स्वतंत्रता की विषय-वस्तु और विविधता पर जोर देते हैं। एक 'नकारात्मक' के रूप में, वे राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के क्षेत्र में घुसपैठ करने के लिए राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं। इस अर्थ में 'नकारात्मक' एक संयम को दर्शाता है: मौलिक अधिकार सत्ता के अधिकार पर एक अवरोधक प्रभाव हैं। स्वयं को अपने अधिकार की सीमा के भीतर रखने के अलावा, राज्य का प्रदर्शन करने का सकारात्मक दायित्व हो सकता है। सूचनात्मक गोपनीयता और डेटा संरक्षण जैसे अधिकार अनिवार्य करते हैं कि राज्य को एक व्यवहार्य कानूनी व्यवस्था के रूप में लाना चाहिए जो सूचनात्मक गोपनीयता को पहचानता है, सम्मान करता है, सुरक्षा करता है और लागू करता है। सूचनात्मक गोपनीयता के लिए राज्य को अपने अधिकारों के समूह की रक्षा के लिए सकारात्मक कदम उठाकर इसकी रक्षा करने की आवश्यकता होती है। द.

सूचनात्मक गोपनीयता का अधिकार न केवल ऊर्ध्वाधर *(*राज्य अभिनेताओं के खिलाफ दावा और संरक्षित*)* है, बल्कि क्षैतिज भी है। सूचनात्मक गोपनीयता के लिए कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता होती है क्योंकि व्यक्ति को

एक अनियमित बाजार स्थान पर नहीं छोड़ा जा सकता है। व्यक्तिगत व्यक्तिगत डेटा तक पहुँच और उसका दोहन-चाहे वह राज्य या गैर-राज्य संस्थाओं द्वारा हो-एक कानूनी प्रणाली द्वारा नियंत्रित होना चाहिए।

36 आई. बी. आई. डी., पृष्ठों पर *580-581* जस्टिस के. एस. पुटास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

हर समय सहमति, पारदर्शिता और डेटा पर व्यक्तिगत नियंत्रण के सिद्धांतों के इर्द-गिर्द बनाया गया शासन।

32. निजता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक आंतरिक घटक होने के नाते, यह माना गया था कि सीमाएं जो उन पर काम करती हैं अनुच्छेद *21* के तहत अधिकार निजता के अधिकार पर काम करेंगे। इसलिए निजता के अधिकार पर किसी भी तरह के प्रतिबंध की कड़ी संवैधानिक जांच की जाएगी। निजता पर किसी भी अतिक्रमण की वैधता का परीक्षण करने के लिए संवैधानिक आवश्यकताओं को निर्णय में निम्नानुसार निपटाया गया थाः

"325 ..... अनुच्छेद *21* के संदर्भ में निजता पर आक्रमण को एक ऐसे कानून के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए जो एक ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करता है जो निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित हो। कानून को अनुच्छेद *21* के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण के संदर्भ में भी वैध होना चाहिए। जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आक्रमण होना चाहिए।

(i) वैधता की तीन गुना आवश्यकता को पूरा करना, जो कानून के अस्तित्व को अभिनिर्धारित करता है*; (ii)* आवश्यकता, जिसे वैध कानून के संदर्भ में परिभाषित किया गया है।

राज्य लक्ष्य*;* और *(iii)* आनुपातिकता जो वस्तुओं और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनाए गए साधनों के बीच एक तर्कसंगत संबंध सुनिश्चित करती है। *" 3 7*

ये तीन-गुना आवश्यकताएँ अनुच्छेद *21* के प्रक्रियात्मक और विषय-वस्तु आधारित अधिदेश से उत्पन्न होती हैं। पहली आवश्यकता एक वैध कानून का अधिनियमन है, जो गोपनीयता पर अतिक्रमण को उचित ठहराता है। एक वैध राज्य उद्देश्य की दूसरी आवश्यकता यह सुनिश्चित करती है कि अधिनियमित कानून

गोपनीयता को प्रतिबंधित करना संवैधानिक रूप से उचित है और यह स्पष्ट मनमानेपन से ग्रस्त नहीं है। आनुपातिकता की तीसरी आवश्यकता सुनिश्चित करती है

कि निजता के अधिकार पर अतिक्रमण की प्रकृति और गुणवत्ता कानून के उद्देश्य से असमान नहीं है। आनुपातिकता के लिए राज्य को विधायिका द्वारा अपनाए गए साधनों को उचित ठहराने की आवश्यकता होती है।

निजता के अधिकार पर केवल अपने वैध हित को प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम डिग्री का अतिक्रमण करेगा। न्यायमूर्ति नरीमन ने इस प्रकार निर्णय दियाः

"495 ..... निजता के पहलुओं से निपटने वाले सांविधिक प्रावधानों का परीक्षण इस आधार पर जारी रहेगा कि वे निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेंगे, और यदि यह एक संतुलन परीक्षण पर पाया जाता है कि सामाजिक या सार्वजनिक हित और प्रतिबंधों की तर्कसंगतता दावा की गई निजता के विशेष पहलू से

अधिक होगी, तो उन्हें निरस्त नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा है, तो ऐसे कानून जो राज्य को संविदात्मक रूप से जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं

37 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *509* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट पर

व्यक्तियों के बारे में दी गई परिस्थितियों में एकत्र किया जाएगा, बशर्ते वे गोपनीयता के व्यक्तिगत अधिकार की भी रक्षा करें।

यदि संबंधित वैधानिक उद्देश्य के लिए दिया जाता है, तो ऐसे विवरण निश्चित रूप से निजता के अधिकार को प्रभावित करेंगे, लेकिन एक संतुलन पर, पारित करना होगा क्योंकि संबंधित राज्य की कार्रवाई में इस अधिकार की रक्षा के लिए पर्याप्त अंतर्निहित सुरक्षा उपाय हैं-अर्थात। तथ्य यह है कि इस तरह की जानकारी को किसी और को प्रसारित नहीं किया जा सकता है, सिवाय मजबूर करने के जनहित के आधार। " *38*

33. जहां अदालत के पांच न्यायाधीशों ने निजता का उल्लंघन करने वाले कानून का परीक्षण करने के लिए "आनुपातिकता" आदेश को अपनाया, वहीं न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने "राज्य के हित को बाध्य करने वाले" मानक को लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा की और इसे "जांच का उच्चतम मानक जिसे एक अदालत अपना सकती है" बताया। वर्णन कीजिए।

अनुच्छेद *21* गोपनीयता के "आधार" के रूप में, विद्वान न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित कियाः

" *379* ..... यदि स्वतंत्रता की भावना गोपनीयता के प्रत्येक दावे में व्याप्त है, तो यह कल्पना करना असंभव नहीं तो मुश्किल है कि किसी भी मानक

अनुच्छेद *21* के तहत एक के अलावा सीमा लागू होती है। *39*

380. अनुच्छेद *21* के तहत समीक्षा के न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित मानक को विस्तार की आवश्यकता नहीं है। इसका उपयोग अब तक गोपनीयता के दावे से संबंधित मामलों में भी किया जाता रहा है। गोबिंद ने अनुच्छेद के अलावा बाध्यकारी राज्य ब्याज मानक का सहारा लिया

21 तर्कसंगतता जांच। संयुक्त राज्य अमेरिका से जहां 'सम्मोहक राज्य हित' की शब्दावली उत्पन्न हुई, जांच के एक सख्त मानक में दो चीजें शामिल हैं-एक 'सम्मोहक राज्य'।

ब्याज 'और' संकीर्ण सिलाई 'की आवश्यकता *(*संकीर्ण सिलाई का अर्थ है कि कानून को प्राप्त करने के लिए संकीर्ण रूप से तैयार किया जाना चाहिए उद्देश्य*)*। एक शब्द के रूप में, बाध्यकारी राज्य हित नहीं है

अमेरिका में निश्चित रूप। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि इस मानक को कुछ स्पष्टता के साथ अपनाया जाए कि कब और किस प्रकार की गोपनीयता का दावा है कि इसका उपयोग किया जाना है। केवल गोपनीयता के दावों में जो सबसे सख्त जांच के योग्य हैं, राज्य के हित का उपयोग करने के लिए मजबूर करने वाला मानक है। अन्य के लिए, अनुच्छेद *21* के तहत न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित मानक लागू होंगे। जब बाध्यकारी राज्य

ब्याज मानक का उपयोग किया जाना है तो यह ठोस मामलों के संदर्भ पर निर्भर होना चाहिए। *9940 (* जोर दें।

आपूर्ति की गई*)*

इबिद, पृष्ठ *532* पर

आई. बी. आई. डी., पृष्ठों पर *532-533* जस्टिस के. एस. पुटास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

न्यायमूर्ति चेलमेश्वर का दृष्टिकोण मामलों की व्यापकता में 'निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित' मानक को स्वीकार करता है, एक निश्चित श्रेणी के मामलों में एक अपवाद बनाता है जहां एक उच्च जांच लागू होनी चाहिए। वे।

अपवाद की श्रेणियों का वर्णन नहीं किया गया है। जैसा कि न्यायाधीश की राय थी, उन्हें मामले-दर-मामले के आधार पर विकसित किया जाएगा।

34. नौ न्यायाधीशों की पीठ ने माना था कि गोपनीयता की रूपरेखा

संवैधानिक रूप से संरक्षित स्वतंत्रताओं के दायरे में मौजूद हैं। भाग *III* में गारंटी के आनंद के लिए गोपनीयता को एक आवश्यक शर्त माना गया था। इसने गोपनीयता की गारंटी वाली सुरक्षा के दायरे को बढ़ाया है। नतीजतन, गोपनीयता उल्लंघन को आम तौर पर अनुच्छेद *21* के तहत लागू होने वाले अन्य परीक्षणों को पूरा करना होगा। न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे ने अपनी सहमति में कहाः

अपनी प्रभावकारिता के साथ स्वतंत्रता और यह कि यह प्रत्येक में स्थित हो सकता है
उन्हें, यह राज्य द्वारा इसके साथ उस हस्तक्षेप का पालन करना चाहिए

जो भी एक या अधिक भाग *III* के खिलाफ परीक्षण किया जाना चाहिए

गारंटी जिनका आनंद कम किया जाता है। नतीजतन, गोपनीयता

अनुच्छेद *21* पर लागू होने वाला ऐसा दृष्टिकोण पूरी तरह से होगा
आर. सी. कूपर बनाम के अनुरूप भारत संघ "। *41*

(जोर दिया गया*)*

इसलिए राज्य द्वारा गोपनीयता को प्रतिबंधित करने के किसी भी प्रयास को भाग *III* के प्रत्येक प्रावधान के लिए निर्धारित संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, जिसका प्रतिबंध उल्लंघन करता है। न्यायमूर्ति नरीमन ने अपनी सहमति वाली राय में कहाः

" 488 ..... निजता के हितों में प्रत्येक राज्य की घुसपैठ
भौतिक निकाय या व्यक्तिगत जानकारी के प्रसार के साथ

के तहत निर्धारित संतुलन परीक्षण के अधीन किया जाए
मौलिक अधिकार जिसका यह उल्लंघन करता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि

दावा किया गया गोपनीयता हित स्थापित है "। *42*

(जोर दिया गया*)*

41 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *549 42* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *580 [2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायमूर्ति नरीमन ने आगे कहाः

" 526 ..... जब इस अधिकार पर प्रतिबंधों की बात आती है, तो ड्रिल

विभिन्न अनुच्छेदों का जिनके साथ अधिकार संबंधित होना चाहिए

सावधानीपूर्वक पालन किया। उदाहरण के लिए, यदि गोपनीयता पर प्रतिबंध मौलिक व्यक्तिगत विकल्पों पर है जो किसी व्यक्ति को करना है, तो अनुच्छेद *14* के साथ पढ़ने वाले अनुच्छेद *21* के तहत राज्य की कार्रवाई को रोका जा सकता है यदि यह मनमाना और अनुचित है; और अनुच्छेद *19 (1) (*ए*)* के साथ पढ़ने वाले अनुच्छेद *21* के तहत केवल तभी जब यह अनुच्छेद *19 (2)* में उल्लिखित विषयों से संबंधित है और इस न्यायालय द्वारा इस तरह के कानून या अधीनस्थ कानून के लिए निर्धारित परीक्षणों को पारित करने के लिए

या अनुच्छेद *14* के साथ पठित अनुच्छेद *21* के तहत कार्यकारी कार्रवाई; या उपरोक्त उदाहरणों में अनुच्छेद *19 (1) (*ए*)* के साथ पठित अनुच्छेद *21*
इसे पूरा किया जाना चाहिए ताकि राज्य की कार्रवाई को पूरा किया जा सके। *43*

(जोर दिया गया*)*

निजता की सुरक्षा पर संवैधानिक गारंटी को एक निश्चित आधार पर रखा गया था। चूँकि गोपनीयता के उद्भव भाग *III* द्वारा गारंटीकृत विभिन्न अधिकारों के लिए पता लगाने योग्य हैं, एक कानून या कार्यकारी कार्रवाई जो गोपनीयता का अतिक्रमण करती है, उसे प्रत्येक मौलिक अधिकारों के संबंध में संवैधानिक रूप से अनुमेय प्रतिबंध की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए जहां दावा स्थापित किया गया है।

B. 6 राज्य के वैध हित

35. यह स्वीकार करते हुए कि निजता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है, निर्णय यह मानता है कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए निर्धारित परीक्षणों के अधीन अधिकार में कटौती के लिए वैध राज्य हित एक वैध आधार हो सकते हैं। न्यायमूर्ति नरीमन ने कहाः

" 526 ..... यह अधिकार राज्य के वैध हितों या सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए राज्य द्वारा बनाए गए उचित नियमों के अधीन है। हालाँकि, जब इस अधिकार पर प्रतिबंधों की बात आती है, तो विभिन्न अनुच्छेदों की कवायद जिसका अधिकार संबंधित है, का सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए।

यह स्वीकार करते हुए कि अधिकार पर किसी भी प्रतिबंध के लिए एक वैध राज्य उद्देश्य एक पूर्व-आवश्यकता है, चार न्यायाधीशों के फैसले ने कहाः

43 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *601 44* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *601* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी.

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

"310 ..... एक वैध राज्य उद्देश्य के संदर्भ में आवश्यकता की आवश्यकता, यह सुनिश्चित करती है कि कानून की प्रकृति और सामग्री जो प्रतिबंध लगाती है, अनुच्छेद *14* द्वारा अनिवार्य तर्कसंगतता के क्षेत्र के भीतर आती है, जो मनमाना राज्य कार्रवाई के खिलाफ एक गारंटी है। एक वैध राज्य उद्देश्य की खोज यह सुनिश्चित करती है कि कानून ऐसा करता है

प्रकट मनमानेपन से पीड़ित न हों। "

36. निर्णय में राज्य के वैध हितों के उदाहरण दिए गए हैं। विभिन्न मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को स्पष्ट माना गया था

निजता के अधिकार पर प्रतिबंध। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब यह राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित हो तो निजी जानकारी के संग्रह और भंडारण में राज्य का वैध हित है। राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं के अलावा, एक महत्वपूर्ण राज्य हित, यह सुनिश्चित करने में निहित है कि दुर्लभ सार्वजनिक संसाधन उन लाभार्थियों तक पहुँचें जिनके लिए वे हैं

इरादा था। यह इस प्रकार आयोजित किया गया थाः

"311 ..... मानव विकास के लिए संसाधनों का आवंटन जोड़ा गया है
एक वैध चिंता के साथ कि संसाधनों का उपयोग बाहरी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डेटा माइनिंग कि संसाधनों को वैध लाभार्थियों के लिए ठीक से तैनात किया गया है, राज्य के लिए प्रामाणिक डेटा के संग्रह पर जोर देने के लिए एक वैध आधार है। *45*

अपराध की रोकथाम और जांच, राजस्व की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को राज्य के अन्य वैध उद्देश्यों के हिस्से के रूप में सीमांकित किया गया था। निर्णय राज्य पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व रखता है कि उसके वैध हितों को विधिवत संरक्षित किया गया है, जबकि राज्य जो डेटा एकत्र करता है उसका उपयोग केवल राज्य के वैध उद्देश्यों के लिए किया जाता है और "बाहरी उद्देश्यों के लिए अनधिकृत रूप से उपयोग नहीं किया जाता है"। " "

37. हालाँकि, यह दोहराते हुए कि गोपनीयता के हर पहलू की रक्षा की जानी चाहिए, निर्णय में कहा गया है कि व्यक्तिगत हितों और राज्य की वैध चिंताओं के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन होना चाहिए। न्यायमूर्ति नरीमन ने अपनी अलग राय में कहाः

"488. निजता के हितों में प्रत्येक राज्य की घुसपैठ
भौतिक निकाय या किसी व्यक्ति या व्यक्ति से संबंधित व्यक्तिगत विकल्पों के लिए व्यक्तिगत जानकारी के प्रसार के साथ

के तहत निर्धारित संतुलन परीक्षण के अधीन किया जाए

मौलिक अधिकार जो इस बात पर निर्भर करता है कि कहाँ

दावा किया गया गोपनीयता हित स्थापित है "। *46*

45 इबिद, पृष्ठ *505* पर *46* उदाहरण के लिए, पृष्ठ *580 [2018] 8* एस. सी. आर. पर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

38. पुट्टास्वामी का फैसला निजता के अधिकार को एक संवैधानिक गारंटी के रूप में मान्यता देता है जो स्वतंत्रता के लिए आंतरिक रूप से संरक्षित है।

व्यक्तिगत आत्म-बोध के मूल्य को महत्व देते हैं। क्योंकि यह एकांत के रसातल में है कि मन के अंतरतम अंतराल को भीतर और बाहर अन्वेषण करने के लिए सांत्वना मिलती है। सी प्रस्तुतियाँ

सी. आई. याचिकाकर्ताओं की प्रस्तुतियाँ

याचिकाकर्ता निम्नलिखित की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हैं:

आधार कार्यक्रम जो *28.01.2009* से लेकर अब तक के बीच संचालित होता है।

ए।

आधार अधिनियम, *2016* का *12.07.2016* पर लागू होना;

आधार अधिनियम, *2016 (*और वैकल्पिक रूप से इसके कुछ प्रावधान*)*

बी।

अधिनियम*);*

सी। आधार अधिनियम, *2016* के तहत बनाए गए विनियम;

आधार कार्यक्रम के तत्व जो काम करना जारी रखते हैं

डी।

अधिनियम के आवरण के बिना;

ई. धन शोधन सहित अधीनस्थ विधान

(संशोधन*)* नियम, *2017;*

आधार अधिनियम की धारा *7* के तहत जारी की गई सभी अधिसूचनाएँ जहाँ तक वे कुछ का लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य बनाती हैं।

लाभ, सेवाएँ और अनुदान; तथा

जी। जिन कार्यों ने आधार को अनिवार्य बना दिया, यहां तक कि जहां भी गतिविधि हो

अधिनियम की धारा *7* के अंतर्गत नहीं आता है।

वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान ने कहा कि आधार परियोजना और अधिनियम निम्नलिखित आधारों पर अधिकार से बाहर हैं:

आई।

परियोजना और अधिनियम गोपनीयता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं;

ii आधार परियोजना की संरचना व्यापक रूप से सक्षम बनाती है।

राज्य द्वारा निगरानी; 'सीमित सरकार' की मौलिक संवैधानिक विशेषता

आई. ई.

- जो लोगों की संप्रभुता और सीमित सरकारी प्राधिकरण है-आधार के बाद पूरी तरह से बदल जाता है और आधार को उलट देता है।

नागरिक और राज्य के बीच संबंध; एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

एक लोकतांत्रिक समाज में एक नागरिक या निवासी के पास एक विकल्प होता है - उसके दौरान विभिन्न तरीकों से खुद को पहचानें

आम तौर पर समाज में बातचीत, साथ ही साथ उनकी बातचीत में

राज्य के साथ। केवल एक तरीके से पहचान को अनिवार्य करना अत्यधिक घुसपैठ, अत्यधिक और असमान है और लेखों का उल्लंघन करता है।

14 , *19* और *21;* और

इससे पहले और बाद में राज्य द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया कानून का अधिनियमन अनुच्छेद *14* और *21* का उल्लंघन है क्योंकि:

नामांकन के समय कोई सूचित सहमति नहीं है;

ए।

यू. आई. डी. ए. आई. का नामांकन एजेंसियों पर नियंत्रण नहीं है।

बी।

और उन संस्थाओं से अनुरोध करना जो संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करती हैं जो पकड़ने, भंडारण और दुरुपयोग की सुविधा प्रदान करती हैं
सूचना; और

सी. आई. डी. आर. में एकत्र और अपलोड किए गए आंकड़ों का सत्यापन नहीं किया गया है।

सी।

यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा नामित किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा।

एपिल सिब्बल, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि के प्रावधान

आधार अधिनियम निम्नलिखित कारणों से असंवैधानिक हैः

संवेदनशील व्यक्तिगत का एकत्रीकरण और एकाग्रता

आधार अधिनियम के तहत जानकारी की अनुमति नहीं है क्योंकि इसका उपयोग किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत, व्यावसायिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने में किया जा सकता है। इसलिए यह

अनुच्छेदों के तहत गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का उल्लंघन

19 (1) (क) संविधान के *19 (1) (छ), 21* और *25* तक;

जानकारी का ऐसा एकत्रीकरण भी एक उल्लंघन है

सूचनात्मक गोपनीयता, जिसे पुट्टास्वामी में मान्यता दी गई है;

आधार को अनिवार्य बनाना नागरिकों को अनुचित रूप से वंचित करता है

संविधान; सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक विशेष पहचान के रूप में आधार का उपयोग असमान है और अन्यथा व्यक्तियों के खिलाफ मनमाना और भेदभावपूर्ण होने के लिए अनुच्छेद *14* का उल्लंघन करता है।

इस तरह के लाभों के हकदार; *[2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सरकार के साथ आंकड़ों का संग्रह और भंडारण

वी.

आधार अधिनियम अनुच्छेद *20 (3)* और अनुच्छेद *21* के तहत परिकल्पित आत्म-अपराध से सुरक्षा के अधिकार और निजता और व्यक्तिगत गरिमा और शारीरिक अखंडता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
संविधान;

यह निर्धारित करने के लिए कि आधार एकमात्र पहचान है जो एक

vi.

अधिकार प्राप्त करने वाला व्यक्ति संविधान के तहत व्यक्ति की पहचान करने के अधिकार के विपरीत है।

अन्य निर्धारित दस्तावेज जैसे कि मतदाता सूची या

पासपोर्ट;

आधार अधिनियम की धारा *7* केवल ऐसी सब्सिडी पर लागू होती है,

vii

लाभ और सेवाएँ, जिनके लिए पूरा खर्च सीधे भारत की संचित निधि से किया जाता है या जिनसे पूरी प्राप्तियाँ सीधे संचित निधि का हिस्सा बनती हैं।

भारत;

vii एकमात्र पहचान के रूप में आधार का उपयोग चोरी को नहीं रोकेगा

और दोषपूर्ण पहचान के रूप में धन और सब्सिडी का डायवर्जन केवल उन कारकों में से एक है जो इसमें योगदान करते हैं; और आधार परियोजना
आवश्यक लाभों के अनुदान की शर्त लगाती है

ix

व्यक्तिगत अधिकारों के समर्पण पर।

विद्वान वरिष्ठ वकील इर गोपाल सुब्रमण्यम ने निम्नलिखित बात कहीः

मान्यताएँ:

आई।

आधार परियोजना संविधान के अनुच्छेद *21* के तहत गरिमा का उल्लंघन करती है।
निर्णयों में मान्यता प्राप्त संविधान-पुट्टास्वामी में,

नालसा *47* और सुब्रमण्यम स्वामी *48;*

आधार परियोजना असंवैधानिक है क्योंकि यह छूट की मांग करती है

ई.

मौलिक अधिकार;

आधार परियोजना मूल और गारंटी का उल्लंघन करती है।

III

अनुच्छेद *14,19* और *21* के तहत प्रक्रियात्मक तर्कसंगतता;

आधार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से बहिष्कृत करता है और

iv.

इसलिए अनुच्छेद *14* के तहत भेदभावपूर्ण है;

जहां तक आधार अधिनियम का उद्देश्य है, उसमें वैधता का अभाव है।

वी.

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को पूर्वव्यापी रूप से मान्य करता है;

(2014) 5 एस. सी. सी. *438*

(2016) 7 एस. सी. सी. *221* एस. टी. आई. सी. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

संविधान के तहत प्रदत्त अधिकार और अधिकार नहीं हो सकते हैं।

एल्गोरिदमिक संभावनाओं पर आधारित होना चाहिए जिन्हें यू. आई. डी. ए. आई. नियंत्रित नहीं कर सकता है।

गैर-प्रमाणीकरण के लिए कोई परिणाम निर्धारित नहीं किया गया है

आधार अधिनियम;

आधार अधिनियम संविधान के भाग *IX* का उल्लंघन करता है, जो

*(*पंचायतों को*)* विकेंद्रीकरण का प्रावधान है, जबकि आधार योजना संविधान के संघीय ढांचे पर प्रहार करती है; और आधार अधिनियम के तहत उल्लंघनों को ठीक नहीं किया जा सकता है।

विद्वान वरिष्ठ वकील दातार ने कहा हैः

पीएमएलए *(*दूसरा संशोधन*)* नियम, *2017* का नियम *9* जो आधार को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य है

यह असंवैधानिक है और संविधान के अनुच्छेद *14,19 (1) (*जी*), 21* और *300* ए, आधार अधिनियम की धारा *3,7* और *51* का उल्लंघन करता है।

यह पी. एम. एल. ए. अधिनियम, *2002* के प्रावधानों से भी परे है।

निम्नलिखित आधारः

विवादित संशोधित नियमों के तहत, आधार को जोड़ा जाना

ए।

आधार के लिए नामांकन करने से बैंक खाता संचालित नहीं हो सकता है।
जो पूरी तरह से अनुच्छेद *14* की भावना का उल्लंघन करता है, अब तक यह मनमाने ढंग से असमान व्यवहार के आधार पर किया गया है

अनुचित वर्गीकरण;

बी

विवादित नियम अनुच्छेद *19 (1) (*जी*)* का उल्लंघन करते हैं क्योंकि

नियम कंपनियों, फर्मों, न्यासों आदि को संदर्भित करते हैं, जबकि आधार अधिनियम केवल "व्यक्तियों" की पहचान स्थापित करने के लिए है।

बैंक खाते का संचालन न होना, यहां तक कि अस्थायी रूप से भी

एस.

अवधि, किसी व्यक्ति की संपत्ति से वंचित होने की ओर ले जाती है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद *300* ए के तहत उल्लंघन का गठन करती है, जो प्रदान करता है कि वंचितता केवल प्राथमिक कानून द्वारा की जा सकती है; और

डी

इस नियम का पीएमएलए अधिनियम के उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि

अधिनियम में बैंक खातों को गैर-सरकारी बनाने का कोई प्रावधान नहीं है।

कार्यात्मक;

आयकर अधिनियम, *1961* की धारा *139* एए को संविधान के अनुच्छेद *14,21* और *19 (*जी*); [2018] 8* एस. सी. आर. के उल्लंघन के रूप में निरस्त किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बिनॉय विश्वम बनाम भारत संघ में निर्णय की आवश्यकता है

iii.

नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को देखते हुए विचार
पुट्टास्वामी में;

आधार अधिनियम में गंभीर कमियों को देखते हुए, एक

iv.

निजता के अधिकार की रक्षा करने और नौ न्यायाधीशों के आदेश को लागू करने के लिए अनुच्छेद *142* के तहत दिशानिर्देशों की आवश्यकता है।

पुट्टास्वामी में बेंच;

अगर आधार परियोजना को बंद नहीं किया जाता है, तो इसे सीमित किया जाना चाहिए

वी.

केवल उन व्यक्तियों की पहचान या प्रमाणीकरण के लिए जो हकदार हैं

अनुदान, लाभ और सेवाएँ जिनके लिए व्यय किया जाता है

भारत की संचित निधि से उपगत राशि;

vi.

आधार अधिनियम की धारा *2 (*जी*), 2 (*जे*) 7,57* और *59* अनुच्छेदों का उल्लंघन करती हैं।

14 , 21 और संविधान का *300* ए; और

पीएमएलए नियम *9* मनमाना है क्योंकि यह रिजर्व बैंक मास्टर के विपरीत है।

vii

परिपत्र *(2013* में जारी), जिसमें दस्तावेजों की एक सूची प्रदान की गई थी
जिन्हें नाम और निवास के प्रमाण के संबंध में 'पहचान प्रमाण' के रूप में माना जाना था।

विद्वान वरिष्ठ वकील आई. आर. पी. चिदंबरम ने तर्क दिया कि आधार

सी. टी. को धन विधेयक के रूप में पारित नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार उन्होंने प्रस्तुत किया:

आई।

वित्तीय बिलों और धन बिलों के बीच एकमात्र अंतर है -

संविधान के अनुच्छेद *110* में "केवल" शब्द का अर्थ है कि धन बिलों का दायरा वित्तीय बिलों के दायरे से कम है और इस प्रकार धन बिलों से संबंधित प्रावधानों का अर्थ लगाया जाना चाहिए।

सख्ती से;

ii.

धारा *57* जैसे इसके कई प्रावधानों के बाद से निरस्त कर दिया गया
धन विधेयक की प्रकृति से कोई संबंध नहीं है और कोई संबंध नहीं है

भारत की समेकित निधि के लिए;

चूँकि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं,

एम.

राज्य सभा की शक्तियों में कटौती का लेखा
और राष्ट्रपति, प्रासंगिक प्रावधानों की सख्त व्याख्या की जानी चाहिए;

जबकि अनुच्छेद *110 (3)* में प्रावधान है कि अध्यक्ष का निर्णय

iv.

लोकसभा के बारे में कि क्या कोई विधेयक 'धन विधेयक' है

(2017) 7 एस. सी. सी. *59* एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

अंत में, अंतिमता केवल संसद के संबंध में है और करता है न्यायिक समीक्षा को बाहर नहीं किया गया है; और

चूँकि विधायी प्रक्रिया अवैध है और इसकी शक्ति

राज्यसभा को विधायी अनुमति नहीं देने के लिए दरकिनार कर दिया गया है

आधार विधेयक की जांच, अधिनियम के प्रावधानों को अधिनियम को बचाने के लिए अलग नहीं किया जा सकता है और अधिनियम को न्यायालय द्वारा समग्र रूप से निरस्त किया जा सकता है।

विद्वान वरिष्ठ वकील वी विश्वनाथन ने निम्नलिखित बात कहीः

सायनः

अधिनियम के पारित होने से पहले किए गए सभी कार्य शुरू से ही अमान्य हैं और धारा *59* द्वारा सहेजे या मान्य नहीं किए गए हैं। किसी भी स्थिति में, धारा *59* अमान्य है;

आधार परियोजना और अधिनियम के तहत डेटा का संग्रह, भंडारण और उपयोग निम्नलिखित कारणों से अमान्य हैः

आधार अधिनियम और आसपास के बुनियादी ढांचे ने

ए।

आधार रखने को वास्तविक रूप से अनिवार्य बना दिया;
पहचान की जानकारी का अनिवार्य संग्रह विभिन्न उल्लंघनों का उल्लंघन करता है

बी।

निजता के अधिकार के पहलू-शारीरिक गोपनीयता, सूचनात्मक

गोपनीयता और निर्णयात्मक स्वायत्तता;

यह अधिनियम असंवैधानिक है क्योंकि यह पहचान एकत्र करता है।

सी।

माता-पिता के बिना *5-18* वर्ष के बीच के बच्चों की जानकारी
सहमति*;*

डी।

पहचान की जानकारी का केंद्रीकृत भंडारण और अनुचित

लेन-देन डेटा और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड के प्रतिधारण की लंबी अवधि असमान है*;*

अधिनियम और विनियम आधार संख्या धारकों को प्रतिबंधित करते हैं

ई.

संग्रहित उनकी पहचान की जानकारी तक पहुँचने या उसे सुधारने से

सी. आई. डी. आर. पर*;* और

एफ.

अधिनियम और विनियमों में संवेदनशील सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों का अभाव है

व्यक्तिगत डेटा।

अधिनियम की धारा *7* के तहत स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं और भोजन, पेंशन और दैनिक मजदूरी से संबंधित सेवाओं का दावा किया गया है। बायोमेट्रिक विफलता के कारण अस्वीकार कर दिया गया है। बायोमेट्रिक

बुनियादी ढाँचा एक संभावित प्रणाली पर काम करता है, जो *[2018] 8* एस. सी. आर. नहीं हो सकता।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

'सौ प्रतिशत अचूक' होना। इस प्रकार, राज्य को वैकल्पिक रूप से लाभ से वंचित होने से रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है पहचान के
सत्यापन के तरीके। यह वर्तमान में अनुपस्थित है,

जिसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद *14* और *21* का उल्लंघन होता है*;*
चूक के खिलाफ सुनवाई के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है और

iv.

आधार संख्या को निष्क्रिय करना, जो सिद्धांतों का उल्लंघन करता है

प्राकृतिक न्याय; और आधार
अधिनियम की धारा *2 (जी), 2 (जे), 2 (के)* और *23 (2)* प्रभावित करती हैं।

वी.

अत्यधिक प्रत्यायोजन और संबद्ध नियमों से अस्पष्ट हैं, स्पष्ट
रूप से मनमाना और अनुचित।

विद्वान वरिष्ठ वकील आई. आर. आनंद ग्रोवर ने इस प्रकार प्रस्तुत किया हैः

आई।

आधार परियोजना आधार के दायरे से बहुत आगे तक फैली हुई है

बिना किसी प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के कार्य करें। इसलिए यह कानून के समर्थन और मंजूरी के बिना अनुच्छेद *21* का उल्लंघन करता है। द.

एकत्र किया गया डेटा अनधिकृत, अत्यधिक और अवैध है।
साझा किया;

ई.

पहचान स्थापित करने के लिए बायोमेट्रिक तकनीक का उपयोग अनिश्चित है।

अप्रमाणित और अविश्वसनीय बहिष्कार और उल्लंघन की ओर ले जाता है
अनुच्छेद *14* और *21;*

आधार परियोजना में सुरक्षा की कमी अधिकार का उल्लंघन करती है

एम.

अनुच्छेद *21* के तहत गोपनीयता;

iv.

इसके माध्यम से यू. आई. डी. ए. आई. को अत्यधिक शक्तियां सौंपी गई हैं।

आधार अधिनियम; और

अधिनियम की धारा *33 (2)* और *57* अस्पष्ट, व्यापक और

वी.

संवैधानिक रूप से अमान्य।

क्या मीनाक्षी अरोड़ा, विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा किः

i व्यक्तिगत डेटा का सामान्य और अंधाधुंध प्रतिधारण, जिसमें शामिल हैं

भाषण और अभिव्यक्ति, गोपनीयता और गरिमा; आधार को पहचान का एकमात्र साधन बनाना

आई।

सेवाएँ गरिमा को बाधित करती हैं क्योंकि इसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है।

मौलिक अधिकारों के प्रयोग के लिए; और न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

आधार परियोजना में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है

ई.

डेटा सुरक्षा के लिए, केवल एक सामान्य दायित्व के अलावा
यू. आई. डी. ए. आई., जो यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य के दायित्व का उल्लंघन है

कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, गरिमा और निजता का अधिकार

संविधान के भाग *III* के तहत उल्लंघन नहीं किया गया है।

विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सज्जन पूवय्या ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया है:

आई।

आधार अधिनियम न्याय की संवैधानिक कसौटी को पूरा करने में विफल रहता है।

निष्पक्ष और उचित कानून;

i धारा *32* के तहत राज्य द्वारा आधार अभिलेखों का रखरखाव

राज्य द्वारा अनुचित घुसपैठ है;

बी. ई. *III* धारा *33* के तहत व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग अनुचित है।

राज्य द्वारा घुसपैठ;

अधिनियम की धारा *57* उद्देश्य के सिद्धांत के विपरीत है।

. 2

सीमाएँ; और

V धारा *2 (*जी*)* और *2 (*जे*),* धारा *3 (1)* का परंतुक, धारा *23 (2) (*जी*)* और धारा *23 (2) (*एन*)* को धारा *54 (2) (1)* के साथ पढ़ा जाता है, और अधिनियम की धारा *29 (4)* अत्यधिक प्रत्यर्पण के दुष्प्रभाव से ग्रस्त है।

विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सी. यू. सिंह ने तर्क दिया कि आधार परियोजना के माध्यम से बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। एक बच्चे को कोई अधिकार नहीं है सहमति दें या अनुबंध में प्रवेश करें। भारत में कानून के तहत एक बच्चे को किसी भी चीज से खुद को बांधने, सहमति देने या प्रवेश करने की कोई शक्ति या अधिकार नहीं है।

अनुबंध। इस पृष्ठभूमि में, बच्चों के लिए आधार को अनिवार्य करने के लिए राज्य का कोई बाध्यकारी हित नहीं है। शिक्षा के लिए एक बच्चे के मौलिक अधिकार को आधार प्रस्तुत करने के अधीन नहीं बनाया जा सकता है। ये आवश्यकताएं न केवल बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने वाले घरेलू कानूनों के विपरीत हैं, बल्कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के भी खिलाफ हैं। विद्वान वकील ने बेघर लोगों के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में भी बात की, जिन्हें एक निश्चित निवास की कमी के कारण लाभ से वंचित कर दिया जाता है। विद्वान वरिष्ठ वकील श्री संजय हेगड़े ने आग्रह किया है कि चूंकि इसमें कोई 'आवश्यक प्रथा' शामिल नहीं है, इसलिए आधार अधिनियम की अनिवार्य प्रकृति से छूट की अनुमति दी जानी चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद *25* के तहत विवेक। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और यौन अल्पसंख्यकों के लिए एक हस्तक्षेप संगठन की ओर से बहस करने वाली विद्वान वकील सुश्री जयना कोठारी ने आग्रह किया कि *[2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आधार अधिनियम यौन अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करता है। आधार विनियमों में जनसांख्यिकीय जानकारी की आवश्यकता होती है। नामांकन प्रपत्र है

तीसरा लिंग, लेकिन बोर्ड में कोई एकरूपता नहीं है, और आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए जिन दस्तावेजों को प्रस्तुत करना पड़ता है, उनके पास हमेशा वह विकल्प नहीं होता है। आधार को लगभग हर चीज के लिए अनिवार्य किया जा रहा है, लेकिन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आधार नहीं मिल सकता है क्योंकि उनके पास लिंग पहचान दस्तावेज नहीं हैं जो आधार के लिए आवश्यक हैं। लिंग पहचान की इस गैर-मान्यता से लाभों से इनकार किया जाता है जो है

यह अनुच्छेद *14* और *21* दोनों का उल्लंघन है।

एक हस्तक्षेप आवेदन में हमारे सामने यह भी तर्क दिया गया है कि अनिवासी भारतीयों को आधार से वंचित करने से भेदभाव होता है जब अनिवासी भारतीय भारत में बुनियादी सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं।

सी. *2* उत्तरदाताओं की प्रस्तुतियाँ

भारत के लिए विद्वान महान्यायवादी श्री के. के. वेणुगोपाल ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है:

आधार अधिनियम के लागू होने से पहले की अवधि के लिए,

आई.

एस. सी. द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के कारण, एक आधार संख्या या नामांकन संख्या स्वैच्छिक थी, और इसलिए

किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ था;

आधार अधिनियम की धारा *59* आधार अधिनियम द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों की सुरक्षा करती है।

ii.

2010 से लेकर आधार अधिनियम के पारित होने तक की अवधि

2016 ; एम. पी. शर्मा और खड़क सिंह के निर्णय वे हैं

iii.

क्रमशः *8* और *6* न्यायाधीशों ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, पुट्टास्वामी तक की अवधि के दौरान दी गई छोटी पीठों के निर्णय इनक्यूरियम के अनुसार होंगे। इसलिए, राज्य को इस आधार पर आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं थी कि आधार संख्या प्राप्त करने के उद्देश्य से एक कानून की आवश्यकता थी
या एक नामांकन संख्या। परिणामस्वरूप, की गई प्रशासनिक कार्रवाइयों के साथ-साथ लाभार्थियों द्वारा लाभ और सब्सिडी की प्राप्ति भी वैध होगी।

आधार अधिनियम के बाद, याचिकाकर्ताओं को करना होगा

iv.

यह स्थापित करें कि पुट्टास्वामी में नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्धारित एक या अधिक परीक्षण आधार अधिनियम के परिणामस्वरूप गोपनीयता के आक्रमण को असंवैधानिक बनाते हैं। पुट्टास्वामी में निर्धारित परीक्षण संतुष्ट हुए हैं और इसलिए आधार

अधिनियम निम्नलिखित कारणों से असंवैधानिक नहीं है:

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

कानून के अस्तित्व के संबंध में पहली शर्त है

ए।

संतुष्ट हो गया;

बी।

अधिनियम के माध्यम से प्रतिभूति को संतुष्ट किया जाता है;
आधार अधिनियम आनुपातिकता के परीक्षण को संतुष्ट करता है

सी.

यह सुनिश्चित करना कि अधिनियम के उद्देश्यों और इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाए गए साधनों के बीच एक "तर्कसंगत संबंध" मौजूद है; और
राज्य के वैध हित का परीक्षण करने के उद्देश्य से और

डी।

आनुपातिकता, न्यायालय को इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि
धारा *7* के तहत सब्सिडी और लाभों में से प्रत्येक का पता संविधान के अनुच्छेद *21* के तहत अधिकारों से लगाया जा सकता है-जैसे कि मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार, भोजन का अधिकार, आश्रय का अधिकार, रोजगार का अधिकार, चिकित्सा देखभाल और शिक्षा का अधिकार। यदि इन अधिकारों को निजता के अधिकार के साथ जोड़ा जाता है, तो पहला बाद वाले पर हावी होगा।

आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में वैध रूप से पारित किया गया था

निम्नलिखित आधारः

'सब्सिडी का लक्षित वितरण' शब्द एक पर विचार करता है

भारत की संचित निधि से धन का व्यय, जो आधार अधिनियम को कला के तहत धन विधेयक के दायरे में लाता है। *110* संविधान का;

धारा *7,24,25* और अधिनियम की प्रस्तावना भी इसका समर्थन करती है

धन विधेयक के रूप में वर्गीकरण; आधार अधिनियम में सहायक प्रावधान हैं, लेकिन वे उस कानून के सार और सार से संबंधित हैं जो लक्षित है।

अधिनियम की धारा *57* को संविधान के अनुच्छेद *110 (1) (*जी*)* द्वारा सुरक्षित रखा गया है क्योंकि यह एक स्वतंत्र प्रावधान है और भले ही कोई विधेयक अनुच्छेद *110 (1)* के खंड *(*ए*)* से *(*एफ*)* के तहत शामिल नहीं है, यह अभी भी हो सकता है

अनुच्छेद *110 (1) (*जी*)* के अंतर्गत आता है।

विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल शार मेहता ने प्रस्तुत कियाः

आयकर अधिनियम की धारा *139* एए की अनुच्छेद *19* के संदर्भ में बिनॉय विश्वम में जांच की गई थी और यह तीन परीक्षणों *[2018] 8* एस. सी. आर. को पूरा करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पुट्टास्वामी के साथ-साथ मैनिफेस्ट की परीक्षा के तहत निर्धारित

शायरा बानो बनाम भारत संघ में निर्धारित मनमानी;

आधार के लिए आवश्यक जनसांख्यिकीय जानकारी

पैन कार्ड प्राप्त करते समय नामांकन पहले से ही जमा किया जाता है और इसलिए व्यक्तियों को रोक लगाने में वैध रुचि नहीं होती है।

जानकारी;

आधार को पैन से जोड़ना जनहित में हैः आधारः

इस खतरे पर अंकुश लगाने में राज्य का वैध हित है

ए।

पैन कार्ड के आधार से यह सुनिश्चित होगा कि एक व्यक्ति के पास केवल एक पैन कार्ड हो, जिससे इन आर्थिक स्थितियों पर अंकुश लगेगा।
अपराध;

बी।

आनुपातिकता और तर्कसंगतता का परीक्षण; व्यक्तिगत हित एक व्यापक सार्वजनिक हित का मार्ग प्रशस्त करता है।

सी।

और राज्य के हित को आगे बढ़ाने के लिए एक वैधानिक प्रावधान लिया जाएगा।

मौलिक अधिकारों पर वरीयता;

डी।

न्यायालय को विधानमंडल के विवेक में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए
जब तक कि वैधानिक उपाय उस उद्देश्य के लिए आश्चर्यजनक रूप से असमानुपाती नहीं है जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है;

भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों का हस्ताक्षरकर्ता है।

ई.

जिसे काले धन और धन शोधन के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई करने का दायित्व है, जिसके अनुसरण में आयकर अधिनियम और पीएमएलए अधिनियम और उसके तहत नियमों में संशोधन सहित अन्य उपाय किए गए हैं। विधायिका द्वारा लाया गया;

आधार अधिनियम और आयकर के तहत वैधानिक प्रावधान

एफ.

अधिनियम विशिष्ट और स्वतंत्र हैं। इसके अलावा, एक प्रावधान की वैधता की जांच दूसरे के आलोक में नहीं की जा सकती है। एक *(*अनिवार्य या स्वैच्छिक*)* चरित्र को निर्दिष्ट करना

जी।

कानून के प्रावधान संसद का विशेषाधिकार है और अदालतों द्वारा इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है; और

7) 9 एस. सी. सी. *1* एसटी. आई. सी. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

संशोधित पीएमएलए नियमों का नियम *9* जो अनिवार्य करता है

एच.

बैंक खाता खोलने के लिए आधार संख्या प्रस्तुत करना आधार अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है। इसी तरह, यह नियम कि यदि छह महीने के भीतर आधार से जुड़ा नहीं किया जाता है तो मौजूदा बैंक खाता चालू नहीं होगा, जुर्माना नहीं है, बल्कि धन शोधन करने वालों के खातों को चालू करने का परिणाम है गैर-परिचालन,

विद्वान वरिष्ठ वकील अकेश द्विवेदी ने प्रस्तुत किया है:

निजता का अधिकार तब होता है जब उचित अपेक्षा होती है।

गोपनीयता। हालांकि, गोपनीयता की यह उचित अपेक्षा आधार अधिनियम के लागू होने के बाद से एक डेटासेट से दूसरे में अंतर है

जनसांख्यिकीय जानकारी के बीच एक अंतर, वैकल्पिक

जनसांख्यिकीय जानकारी *(*जैसे मोबाइल नंबर*)*, मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी *(*उंगलियों के निशान और आईरिस स्कैन*)* और बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फोटोग्राफ;

वैकल्पिक रूप से, अनुच्छेद *21* की प्रयोज्यता को सीमित करना होगा।

मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं हैं और यदि विशेष रूप से अनुमति दी जाए तो उन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है। अनुच्छेद *21* स्पष्ट रूप से कानूनों द्वारा वंचित करने की परिकल्पना करता है जो वैध उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं और हैं उचित और आनुपातिक;

आधार अधिनियम बहिष्करण का कारण नहीं बनता है क्योंकि यदि प्रमाणीकरण कई प्रयासों के बाद विफल हो जाता है, फिर सब्सिडी,

आधार कार्ड प्रस्तुत करके या नामांकन के लिए आवेदन की रसीद प्रस्तुत करके आधार संख्या के कब्जे को साबित करके लाभ और सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है और

नामांकन आई. डी. संख्या प्रस्तुत करना; आधार अधिनियम की धारा *7* सेवाओं, लाभों और सब्सिडी प्रदान करके संविधान के अनुच्छेद *21* द्वारा मान्यता प्राप्त मानव गरिमा के अधिकार की रक्षा करती है। आधार अधिनियम मौलिक अधिकारों का सम्मान करने के लिए राज्य के दायित्व के अनुसरण में एक कल्याणकारी योजना है।

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार; न्याय *(*सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक*)* सुनिश्चित करने और असमानता को समाप्त करने के लिए *(*अनुच्छेद *14)*

गरीबों और दलितों की स्थिति में सुधार करना;

सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को भाग *III* में पढ़ा जाना चाहिए

संविधान के कारण नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का लाभ नहीं उठाया जा सकता है

सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को मजबूत किए बिना; *[2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

vii. एक कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक नागरिक को कम से कम जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच हो। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के जनादेश के तहत एक समाजवादी राज्य का विचार पूरी तरह से भ्रामक होगा यदि यह अपने नागरिकों के लिए जीवन में बुनियादी आवश्यकताओं को सुरक्षित करने में विफल रहता है। उन लोगों के लिए कोई गरिमा नहीं हो सकती जो भुखमरी, अधीनता, अभाव और हाशिए पर हैं और जो ऐसा काम करने के लिए मजबूर हैं जो आंतरिक रूप से मानव गरिमा से कम है।*viii.* आधार संख्या व्यक्तियों को संख्या में परिवर्तित नहीं करती है। प्रमाणीकरण के लिए आधार संख्या आवश्यक है और इसका उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। याचिकाकर्ताओं ने पहचान और पहचान की अवधारणाओं को मिला दिया है। एक संख्या के माध्यम से प्रमाणीकरण केवल एक तकनीकी आवश्यकता है जो नहीं है

किसी व्यक्ति की पहचान को बदलना;

ix. भले ही निजता के अधिकार और भोजन और आश्रय के अधिकार के बीच टकराव हो, आधार अधिनियम एक उचित संतुलन बनाता है। आधार अधिनियम मानव गरिमा और जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है, इसलिए गोपनीयता की कोई उचित अपेक्षा नहीं होगी

और स्वायत्तता;

आधार के तहत आधार संख्या प्राप्त करने की आवश्यकता

एक्स.

अधिनियम नागरिकों में विश्वास की कमी को नहीं दर्शाता है। राज्य द्वारा प्रमाणीकरण यह नहीं मानता है कि उसके सभी नागरिक बेईमान हैं। आधार अधिनियम के प्रावधान केवल नियामक प्रकृति के हैं-हवाई अड्डों या अन्य कार्यालयों में तलाशी की प्रक्रिया के समान-क्योंकि लक्षित वितरण सुनिश्चित करने का कोई प्रभावी तरीका नहीं है।

xi. वर्तमान मामले में "कम से कम घुसपैठ परीक्षण" लागू नहीं है।

इस आवश्यकता को कि राज्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कम से कम घुसपैठ करने वाले साधनों को अपनाया जाना चाहिए, भारतीय अदालतों द्वारा निर्णयों के एक समूह में खारिज कर दिया गया है क्योंकि इसमें एक मूल्य निर्णय और दूसरा विधायिका के विवेक का अनुमान लगाना शामिल है। इस तरह का परीक्षण विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करता है।

xii. यह मानते हुए भी कि 'कम से कम घुसपैठ विधि' परीक्षण लागू होता है, पहचान की कम से कम घुसपैठ विधि निर्धारित करने का अभ्यास एक तकनीकी अभ्यास है और इसे अदालत में नहीं किया जा सकता है।*xiii.* जिन याचिकाकर्ताओं ने आधार कार्ड के विकल्प के रूप में स्मार्ट कार्ड प्रस्तुत किए हैं, उन्होंने यह स्थापित नहीं किया है कि स्मार्ट कार्ड आधार कार्ड प्रमाणीकरण प्रक्रिया की तुलना में कम घुसपैठ करने वाले हैं; *STICE K S PTTASWAMY (RETD) v.*

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

'सख्त जांच परीक्षण' आधार अधिनियम पर लागू नहीं होता है।

उस परीक्षण की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई है, जिसे केवल लागू किया जाना है

'संदिग्ध वर्गीकरण' के लिए;

आधार अधिनियम की धारा *7* में कोई छूट शामिल नहीं है।

मौलिक अधिकार;

सरकार या विधायिका के खिलाफ दुर्भावना की कोई धारणा नहीं हो सकती है। केवल दुरुपयोग की संभावना आधार अधिनियम को अमान्य करने का आधार नहीं है।

धारा *57* के माध्यम से, संसद का उद्देश्य इसका उपयोग करना था -

आधार संख्या अन्य उद्देश्यों के लिए उपलब्ध है क्योंकि

पहले के क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और निजीकरण

सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के कब्जे में। कई निजी निगमित निकाय समानांतर और प्रतिस्पर्धा में काम कर रहे हैं

सार्वजनिक क्षेत्र जैसे बैंकिंग, बीमा, रक्षा और स्वास्थ्य। ये मुख्य क्षेत्र हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत आवश्यक हैं। अखंडता, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन के लिए;

आई. धारा *54 (2) (ए)* और धारा *54 (1)* के साथ पठित धारा *2 (जी)* और *(जे)* यू. आई. डी. ए. आई. को अत्यधिक शक्ति हस्तांतरण से ग्रस्त नहीं हैं और प्रतिबंधों के साथ पर्याप्त दिशानिर्देश हैं। अधिनियम के तहत प्राधिकरण की विनियमन बनाने की शक्ति सीमित है।

'ऐसी अन्य जैविक विशेषता' अभिव्यक्ति के उपयोग से जिसकी व्याख्या इन श्रेणियों के साथ की जाएगी - जिन सूचनाओं का पहले उल्लेख किया गया है, वे हैं, उंगलियों के निशान और आईरिस स्कैन।

इन श्रेणियों की कुछ विशेषताएँ हैं: सबसे पहले, वे करते हैं

आनुवंशिक जानकारी नहीं है; दूसरा, वे गैर-घुसपैठ हैं; तीसरा, प्रमाणीकरण करने के अलावा वे व्यक्ति की किसी अन्य जानकारी को प्रकट नहीं करते हैं; चौथा, ये डिजिटल तकनीक के बिना भी किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पहचान के तरीके हैं; पांचवां, वे उपयोग करने में सक्षम हैं

तात्कालिक डिजिटल प्रमाणीकरण; और छठा, वे डिजिटल प्रमाणीकरण को सक्षम करने वाली जैविक विशेषताएँ हैं। धारा *54* के तहत जैविक विशेषताओं को जोड़ना अनिवार्य रूप से धारा *55* के तहत संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए। यह एक अतिरिक्त जाँच है

यू. आई. डी. ए. आई. की विनियमन बनाने की शक्ति; धारा *2 (के)* के तहत, जो जनसांख्यिकीय जानकारी को परिभाषित करती है, जानकारी की कुछ संवेदनशील श्रेणियां जैसे 'नस्ल, धर्म, जाति, जनजाति, जातीयता, भाषा, पात्रता के रिकॉर्ड, आय *[2018] 8* एस. सी. आर.

या व्यक्ति के 'चिकित्सा इतिहास' को बाहर रखा गया है। शब्द 'अन्य'

प्रासंगिक जानकारी का अर्थ सामान्य माना जाना चाहिए और

बायोमेट्रिक जानकारी के विपरीत आवश्यक रूप से जनसांख्यिकीय प्रकृति का होना चाहिए;

आधार आवश्यक है, क्योंकि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का *3* प्रतिशत खरबों है।

सब्सिडी के लिए सरकारों द्वारा रुपये आवंटित किए जाते हैं, छात्रवृत्ति, पेंशन, शिक्षा, भोजन और अन्य कल्याण

कार्यक्रम। लेकिन लगभग आधा अगर नहीं पहुंचता है

इच्छित लाभार्थी। इसे ठीक करने के लिए आधार आवश्यक है।

समस्या के रूप में कोई अन्य पहचान दस्तावेज व्यापक रूप से नहीं है और

आम तौर पर देश के निवासियों के पास और अधिकांश अन्य पहचान दस्तावेजों की गुणवत्ता का आनंद नहीं लेते हैं

पोर्टेबिलिटी;

आधार के तहत नामांकन और प्रमाणीकरण प्रक्रियाएँ

अधिनियम को दृढ़ता से विनियमित किया जाता है ताकि डेटा सुरक्षित रहे।

. सी. आई. डी. आर. की सुरक्षा भी पर्याप्त रूप से सुनिश्चित की जाती है।

उपाय और सुरक्षा;

आई. आधार अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि यू. आई. डी. ए. आई. का आधार पर नियंत्रण हो।

प्रमाणीकरण प्रक्रिया के दौरान अनुरोध करने वाली इकाई;

. नामांकन विनियम यह सुनिश्चित करते हैं कि सूचित की आवश्यकता

आधार कार्ड प्राप्त करते समय व्यक्तियों की सहमति पूरी की जाती है।

निम्नलिखित तरीकों सेः

सबसे पहले, निवासी को अपने को सत्यापित करने का अवसर दिया जाता है।

ए।

या अपलोड करने से पहले सटीकता के लिए उसकी जानकारी;

बी।

दूसरा, विवरण और सहायक दस्तावेज हैं -

निवासी, या एक परिचयकर्ता *(*विशिष्ट मामलों में*)* द्वारा प्रदान किया गया;
तीसरा, नामांकन एजेंसी सूचित करने के लिए बाध्य है

सी।

जिस तरीके से जानकारी का उपयोग किया जाएगा, प्राप्तकर्ताओं की प्रकृति जिसके साथ जानकारी दी जाएगी, उसके बारे में व्यक्ति

प्रमाणीकरण के दौरान साझा किया जाना है; और जानकारी प्राप्त करने के अधिकार का अस्तित्व, ऐसी पहुंच के लिए अनुरोध करने की प्रक्रिया और उस व्यक्ति/विभाग का विवरण जिसे अनुरोध किया जा सकता है; और

डी।

चौथा, सूचना का अपलोड उपस्थिति में किया जाता है

व्यक्ति से।

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

जब कोई व्यक्ति संबंध बनाने का विकल्प चुनता है।

क्षेत्र तब पहचान के तरीके के रूप में उसकी पसंद स्वायत्तता के कारण स्वचालित रूप से प्रतिबंधित हो जाता है

वे व्यक्ति या संस्था जिनके साथ वे संबंध बनाना चाहते हैं। यह अधिक होता है जहाँ व्यक्ति रोजगार, सेवा, सब्सिडी चाहता है। या लाभ;

आई. केंद्र सरकार के पास आधार कार्ड को सिम कार्ड से जोड़ने का निर्देश देने की शक्ति है, क्योंकि यह उद्देश्य के समानुपाती है

राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में हासिल करने की मांग की गई;

ii. प्रमाणीकरण और मेटाडेटा की प्रक्रिया के बारे में

अधिनियम के तहत, यह प्रस्तुत किया जाता है:

आधार परियोजना का एकमात्र उद्देश्य प्रमाणीकरण है

ए।

और अधिनियम के तहत डेटा का विश्लेषण करने की कोई शक्ति नहीं है; ख। आधार अधिनियम में बड़ा डेटा या सीखने के एल्गोरिदम शामिल नहीं हैं। यह केवल एक मिलान एल्गोरिथ्म का उपयोग करता है

प्रमाणीकरण का उद्देश्य;

विचारित मेटाडेटा प्रक्रिया या तकनीकी मेटाडेटा है।

सी।

और व्यक्ति के बारे में कुछ भी प्रकट नहीं करता है। अधिनियम की धारा *2 (*डी*)* "प्रमाणीकरण रिकॉर्ड" को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है प्रमाणीकरण के समय का रिकॉर्ड, आरई की पहचान और प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया ", और प्रासंगिक

प्रमाणीकरण विनियमन, विनियमन *26*, इससे आगे नहीं जाता है।

अधिनियम की धारा *2 (*डी*)* का दायरा;

इसके अलावा, अधिनियम के विनियम *26* और धारा *32 (3)*

डी।

प्राधिकरण को किसी भी वस्तु को इकट्ठा करने या संग्रहीत करने से प्रतिबंधित करें।

प्रमाणीकरण के उद्देश्य के बारे में जानकारी; तथा

केवल सीमित तकनीकी मेटाडेटा को संग्रहीत करने की आवश्यकता होती है।

ई.

लेखापरीक्षा के माध्यम से आरई पर नियंत्रण रखने का प्रयास।

iii. आधार डेटा की सुरक्षा के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है:

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, *2000* के प्रावधान

ए।

और वहाँ प्रदान किए गए दंडात्मक उपाय किए जाते हैं
आधार की धारा *30* के तहत आधार डेटा पर लागू

अधिनियम; और

सी. आई. डी. आर. तक अनधिकृत पहुँच प्राप्त करने का प्रयास करने वाला कोई भी व्यक्ति

बी।

10 तक के कारावास सहित कठोर दंड का सामना करना पड़ता है।

वर्षों से।

अनुरोध पर प्राधिकरण द्वारा प्रयोग किए गए नियंत्रण पर

न्यायालय के समक्ष संस्थाओं *(*आर. ई.*)* से निम्नलिखित आग्रह किया गया था:

प्राधिकरण द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नियंत्रण का मानक

ए।

अनुरोध करने वाली संस्थाएं 'उचित और उचित' हैं जैसा कि निर्धारित किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद *21* के तहत;

इस नियंत्रण में उन आवश्यकताओं को शामिल किया गया है जो आरई द्वारा खरीदी जाती हैं।

बी।

विक्रेताओं द्वारा नियंत्रित फिंगरप्रिंट उपकरण

प्राधिकरण, प्राधिकरण के साथ उपकरण के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी प्रदान करता है। उपकरण गुणवत्ता जांच के अधीन है, और होने से पहले प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

आरई द्वारा उपयोग किया जाता है। प्राधिकरण भी उपाय करता है
यह सुनिश्चित करें कि डेटा को एन्क्रिप्टेड रूप में भेजा गया है;

प्राधिकरण से आरई को लाइसेंस तभी दिया जाता है जब

सी।

आरई का ऑडिट किया जाता है, और ऑडिट रिपोर्ट है

स्वीकृत; और

इन आरई द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों को अलग किया जाता है और वहाँ

डी।

इस डेटा को एकत्रित करने का कोई तरीका मौजूद नहीं है। प्रमाणीकरण अनुरोधों के दौरान, व्यक्ति की पूरी पहचान जानकारी

प्राधिकरण द्वारा आर. ई. को कभी भी वापस नहीं भेजा जाएगा क्योंकि

बायोमेट्रिक साझा करने पर एक वैधानिक प्रतिबंध मौजूद है

अधिनियम की धारा *29 (1) (ए)* और *29 (4)* के तहत जानकारी।

यू. आई. डी. ए. आई. ने विदेशियों के साथ लाइसेंस समझौते किए हैं। सॉफ्टवेयर के लिए बायोमेट्रिक समाधान प्रदाता *(*बी. एस. पी.*)*। भले ही

सॉफ्टवेयर का स्रोत कोड बी. एस. पी. द्वारा बरकरार रखा जाता है क्योंकि यह

उनकी बौद्धिक संपदा, सर्वर कक्षों में डेटा का गठन करता है

डेटा ऑफ़लाइन संग्रहीत किया जाता है। कोई अवसर नहीं है बी. एस. पी. डेटा निकालेगी क्योंकि उनके पास इसकी कोई पहुंच नहीं है;

आधार अधिनियम के लागू होने से पहले, आधार परियोजना

सूचना प्रौद्योगिकी के प्रावधानों द्वारा शासित था

अधिनियम, *2000*। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, *2000* की धारा *72* ए उल्लंघन में सूचना के प्रकटीकरण के लिए दंड का प्रावधान

कानून या अनुबंध;

आधार अधिनियम की संरचना किसी भी वास्तविक आधार को सक्षम नहीं करती है

वास्तविक रूप में बड़े पैमाने पर निगरानी की संभावना, निकट या दूरस्थ

राज्य द्वारा समय; एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

आई. पहचान की जानकारी देना और प्रमाणीकरण से गुजरना

इसका अनुच्छेद *19 (1) (*ए*)* पर कोई प्रत्यक्ष और अपरिहार्य प्रभाव नहीं पड़ता है। वैकल्पिक रूप से, भले ही अनुच्छेद *19 (1) (*ए*)* को आकर्षित किया जाता है, अनुच्छेद *19 (2)* आधार अधिनियम की धारा *7* की रक्षा करेगा क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष और स्पष्ट प्रावधान हैं।

राज्य की सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के साथ निकट संबंध;

7. इस तर्क के जवाब में कि आधार की आवश्यकताएँ

लाभों, सेवाओं और सब्सिडी के लिए संख्या और प्रमाणीकरण यह प्रस्तुत किया जाता है कि *11* वीं अनुसूची के अनुच्छेद *243*-जी और मद *11,12,16,17,23,25* और *28* अधिकार से बाहर होंगे

केवल ऐसी शक्तियाँ प्राप्त करें जो राज्य के विधानमंडल द्वारा उसे दी गई हों। अनुच्छेद *243*-जी केवल सक्षम कर रहा है। पंचायतों को संबंधित शक्तियां प्रदान करने की राज्य की कोई बाध्यता नहीं है -

उस पर

11 वीं अनुसूची में निर्दिष्ट मदें;

धारा *57* की वैधता और उद्देश्य पर, यह आग्रह किया जाता है:

धारा *57* एक सक्षमकारी प्रावधान नहीं है। यह केवल प्रदान करता है,

ए।

जैसा कि यह कहता है, कि अधिनियम के प्रावधान रोकने वाले नहीं हैं

अन्य उद्देश्यों के लिए आधार का उपयोग;

बी।

हालांकि, धारा *57* ऐसे किसी भी उपयोग पर एक सीमा लगाती है।
अन्य उद्देश्यों के लिए, कि उपयोग किसी भी द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए

लागू कानून या कोई अनुबंध;

एक अन्य सीमा धारा के परंतुक द्वारा प्रस्तुत की गई है।

सी।

57 , जिसमें कहा गया है कि आधार संख्या का उपयोग धारा *8* के तहत प्रक्रिया और दायित्वों के अधीन होगा

और अध्याय *VI*, जो अनिवार्य रूप से इसे अध्याय *VII (*अपराधों और अपराधों से संबंधित*)* के संचालन के अधीन भी करेगा।

अधिनियम के दंड*);*

धारा *57* के तहत, राज्य, एक निकाय निगमित या कोई अन्य

डी।

व्यक्ति तब तक अनुरोध करने वाली संस्था नहीं बन सकता जब तक कि

धारा *57* के तहत प्रदान की गई सीमाओं का पालन किया जाता है*;*

ई. धारा *57* सीमाएँ लगाती है, और उपयोग द्वारा समर्थित है

प्रमाणीकरण, सूचना की सुरक्षा और दंडात्मक
उपाय*;*

'किसी भी कानून या किसी अनुबंध के अनुसार', और 'इस प्रभाव के लिए' अभिव्यक्तियों में आवश्यक रूप से यह शामिल है कि जहां राज्य कोई कानून बनाता है या कोई निकाय निगमित अनुबंध में प्रवेश करता है, कानून या अनुबंध *[2018] 8* एस. सी. आर. के निर्माण से पहले होना चाहिए।

प्रमाणीकरण विनियमों के विनियम *12* के तहत अनुरोध करने वाली संस्था या उप प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसी बनने के लिए कोई आवेदन*;* और
बड़ी संख्या में छोटे सेवा प्रदाता ऐसा नहीं कर सकते हैं।

जी।

धारा *57* के तहत अनुरोध करने वाली संस्थाएं बन जाती हैं, क्योंकि वे प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसियां *(ए. यू. ए.)/*के. वाई. सी. उपयोगकर्ता एजेंसियां *(*के. यू. ए.*)* बनने के लिए विनियमों द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों द्वारा मांगे गए कठोर मानक को पूरा नहीं करेंगी। इसलिए, यह प्रावधान ऐसी स्थिति पैदा नहीं करता है जिससे आम आदमी को गुजरना पड़ता है

सभी गतिविधियों में प्रमाणीकरण।

XXXV. आधार अधिनियम बहिष्कृत नहीं बल्कि समावेशक है क्योंकि यह

सभी नागरिकों को एक गरिमापूर्ण अस्तित्व के लिए आवश्यक आवश्यकताएँ प्रदान करता है*;*

XXXVIi। बाहर निकलने का विकल्प होना संवैधानिक आवश्यकता नहीं है।

विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नीरज किशन कौल ने निम्नलिखित बात कहीः

प्रस्तुतियाँः

आई.

आधार पहचान के लिए एक त्वरित और विश्वसनीय साधन है और
प्रमाणीकरण और इसे अमान्य रखने का कोई कारण नहीं है;

ii. निजी संस्थाएं और ए. यू. ए./के. यू. ए. जिन्होंने अपना व्यवसाय बनाया है

इसके आसपास आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

सेवाएँ;

iii. धारा *57* एक सक्षम प्रावधान है और निजी खिलाड़ियों को सत्यापन के लिए एक उपकरण के रूप में आधार प्रमाणीकरण सेवाओं का उपयोग करने का विकल्प दिया जाना चाहिए यदि निजी खिलाड़ियों के बीच आम सहमति है।

और उनके ग्राहक;

iv. आधार प्रमाणीकरण से गाँवों में महिलाओं को लाभ हुआ है और

प्रवासियों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों की पहुंच में वृद्धि,

इस प्रकार हिंसक वित्तपोषण को कम करना; और

किसी कानून को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि

वी.

दुरुपयोग की गुंजाइश।

भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री जयंत भूषण ने अदालत के समक्ष निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह कियाः

बैंकिंग विनियमन के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक

आई.

अधिनियम, *1949* और पी. एम. एल. ए. नियम, *2005* के नियम *9* ने *20* अप्रैल, *2018* को एक संशोधित मास्टर सर्कुलर जारी किया, जिसमें कहा गया है कि एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुटस्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.*

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

आधार को एक रिपोर्टिंग संस्था को प्रस्तुत करना होगा। यह परिपत्र

पीएमएलए नियमों के अनुरूप;

पी. एम. एल. ए. नियमों के नियम *9 (14)* में प्रावधान है कि नियामक-इस मामले में आर. बी. आई., इन नियमों को शामिल करते हुए दिशानिर्देश निर्धारित करता है -

उप-नियम *9 (1)-(13)* की आवश्यकताएँ, जिनमें शामिल होंगेः

पहचान को सत्यापित करने के लिए उन्नत या सरलीकृत उपाय; और आरई में आधार जमा करने की आवश्यकता अभ्यास में है

नियम *9 (14)* के तहत इस शक्ति का।

विद्वान वकील ओपल शंकरनारायणन ने प्रस्तुत किया हैः

आधार अधिनियम समग्र रूप से मौलिक नियमों का उल्लंघन नहीं करता है।

निजता का अधिकार;

आधार अधिनियम को विफल होने से बचाने वाले कारक

भारत की संचित निधि का लाभ उठाना; पहचान का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो पहचान के अधिकार का हिस्सा है।

गरिमा, जिसे आधार अधिनियम द्वारा महसूस किया जा रहा है;

पहचान के अधिकार को यू. डी. एच. आर. और आई. सी. सी. पी. आर. जैसे उपकरणों के तहत भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के तहत भी मान्यता दी गई है।

पहले से ही बड़े पैमाने पर हुए नामांकनों और सार्वजनिक निधियों से सरकार द्वारा किए गए खर्च को देखते हुए, धारा *59* को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाना व्यापक लोक हित में होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह एकमात्र रास्ता है।

सरकार को भारी राजस्व हानि होगी और पात्र लोगों को लाभकारी योजनाओं से वंचित करना,

इस बीच; आधार अधिनियम के कुछ प्रावधानों को निरस्त या पढ़ा जाना चाहिए ताकि समग्र रूप से अधिनियम अपने आवश्यक उद्देश्य को पूरा करना जारी रख सके-अर्थात् धारा *47*, धारा *8 (4)* और धारा

29 (2) अधिनियम का; और

आयकर अधिनियम, *1961* की धारा *139* एए अनुच्छेद *14* का उल्लंघन करती है।

और संविधान के *21.*

विद्वान वकील इर जोहेब हुसैन ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दींः

आई.

निजता के अधिकार की ओर से परोक्ष रूप से दावा नहीं किया जा सकता है

इस न्यायालय के समक्ष *6* वर्षों से याचिकाओं के लंबित होने के बावजूद गोपनीयता के अपने अधिकार के लिए और इसलिए, याचिकाकर्ताओं की चुनौती, एक प्रतिनिधि क्षमता में, धारा *7* के आधार पर तीसरे पक्ष की गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन बनाए रखने योग्य नहीं है;

ii. आधार के स्तर पर गोपनीयता के लिए कोई खतरा नहीं बढ़ा है

निम्नलिखित कारणों से अनुरोध करने वाली संस्थाओं *(*आर. ई.*)* काः

आरईएस के पास पहले से ही व्यक्तिगत जानकारी है

ए।

व्यक्ति और आधार को शामिल करना किसी भी तरह से नहीं है।

गोपनीयता के लिए खतरा बढ़ाना;

आर. ई. द्वारा प्रकट की गई कोई भी जानकारी इसके कारण नहीं होगी

बी।

आधार और इसे डोमेन विशिष्ट कानूनों, या डेटा संरक्षण व्यवस्था या समझौतों के तहत निपटना होगा।

आरई और उनके ग्राहकों के बीच; और
आरई के पास अपने ग्राहकों का डेटा होता है न कि अन्य का।

सी.

आरईएस के ग्राहक, इसलिए निगरानी की कोई संभावना नहीं है। *iii.* आधार अधिनियम में सूचना के प्रकटीकरण के खिलाफ सुरक्षा उपाय

पी. यू. सी. एल. मामले में निर्धारित सुरक्षा उपायों से बेहतर हैं। अध्याय *VII* के साथ धारा *8,28* और *29* जो निम्नलिखित से संबंधित है -

अपराध और दंड, सूचना की सुरक्षा प्रदान करते हैं
और धारा *33* प्रकटीकरण के लिए एक सख्त प्रक्रिया निर्धारित करती है। भले ही आधार अधिनियम को पी. यू. सी. एल. में निर्धारित मानकों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अधिनियम में सुरक्षा उपाय न केवल पहचान की जानकारी और प्रमाणीकरण के संबंध में पर्याप्त हैं

अभिलेख, लेकिन पी. यू. सी. एल. द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों से कहीं अधिक;

iv.

याचिकाकर्ता यह तर्क नहीं दे सकते कि आधार की धारा *33 (2)*

अधिनियम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ जाता है और है

निम्नलिखित कारणों से असमान *(*क्योंकि यह "राष्ट्रीय सुरक्षा" शब्द को परिभाषित नहीं करता है*):*

"राष्ट्रीय सुरक्षा" के हित में क्या है, यह कोई सवाल नहीं है।

ए।

कानून की लेकिन कार्यकारी क्षेत्र में आने वाली नीति की; और

(2011) 14 एस. सी. सी. *331* एस. टी. आई. सी. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सख्ती से पालन नहीं किया जा सकता है

बी।

राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली स्थिति। ऐसे मामलों में, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह इस पर विचार करे और वैधानिक प्रावधान करे

बहिष्करण।

ये कानून, जो चुनौती के दायरे में हैं, पुनर्वितरण न्याय को बढ़ावा देने और ठोस न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस योजना का हिस्सा हैं

समानता, अनुच्छेद *14,38,39* बी और *39* सी को आगे बढ़ाने में। ये कानून एक अधिक पारदर्शी और स्वच्छ प्रणाली सुनिश्चित करते हैं, राजस्व रिसाव और करों की चोरी को जड़ से खत्म करते हैं, जिससे वास्तविक लाभ मिलता है।

याचिकाकर्ताओं ने जो तर्क दिया है, उसके विपरीत आधार अधिनियम का उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दमन से पूरी तरह से असंबंधित है और कोई भी आकस्मिक प्रभाव, यदि बिल्कुल भी हो, तो इसमें शामिल नहीं होगा। अनुच्छेद *19 (1) (*ए*)* के तहत अधिकार*;*

याचिकाकर्ता यह तर्क नहीं दे सकते कि आधार की धारा *47*

अधिनियम निम्नलिखित कारणों से मनमाना या अनुचित हैः

अधिनियम के तहत अपराधों और दंड का उद्देश्य है -

ए।

आधार संख्या धारक के डेटा की शुद्धता बनाए रखें
और सी. आई. डी. आर. की अखंडता, जो प्राप्त करने में अभिन्न हैं

अधिनियम का उद्देश्य*;*

सी. आई. डी. आर. में डेटा का नामांकन, भंडारण और प्रमाणीकरण

बी।

ये इतने व्यापक और स्वाभाविक रूप से तकनीकी हैं कि प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन से यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है।

व्यक्ति को बिना उपचार के नहीं छोड़ा गया है, जैसा कि वह कर सकता है

सी।

यू. आई. डी. ए. आई. को सीधे या शिकायत निवारण केंद्र *[*आधार *(*नामांकन और अद्यतन*)* विनियम, *2016* का विनियम *32]* के माध्यम से शिकायत करें। शिकायत होने के बाद, यू. आई. डी. ए. आई. शिकायत की जांच करने और तदनुसार शिकायत दर्ज करने के लिए बाध्य होगा।
आधार अधिनियम की धारा *47* के संदर्भ में न्यायालय में*;*

आधार अधिनियम की धारा *56* यह स्पष्ट करती है कि आवेदन

डी।

आई. टी. अधिनियम जैसे अन्य कानूनों पर प्रतिबंध नहीं है।

आधार की धारा *7* के तहत आधार को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

निम्नलिखित कारणों से कार्य करें:

बायोमेट्रिक्स की भागीदारी के कारण, यह लगभग है

ए।

एक व्यक्ति के लिए दो आधार संख्या प्राप्त करना असंभव है।

इससे नकली और डुप्लिकेट की प्रविष्टि की जांच करने में मदद मिलेगी।

किसी भी कल्याणकारी योजना में लाभार्थी*;*

अन्य तरीके जो पिछले *70* वर्षों में उपयोग किए गए थे

बी।

दोहरेपन, कल्याणकारी योजनाओं में धन की हेराफेरी को रोकने के लिए,
बड़े पैमाने पर कर चोरी, काला धन का सृजन और

डुप्लिकेट की उपस्थिति और पुनः उपस्थिति, बदल गई है

व्यर्थ होने के लिए। अगर आधार को स्वैच्छिक बनाया जाता है, तो वही

समस्याएँ प्रणाली में वापस आने की संभावना है; और
राज्य उपलब्ध सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए बाध्य है

सी।

संसाधनों का उचित आवंटन सुनिश्चित करने के लिए

अनुच्छेद *14* के तहत राज्य पर संवैधानिक अधिदेश

अपने संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करें।

कर अधिनियम के रूप में वे दोनों अकेले कानून हैं और उनके दायरे ऑपरेशन अलग है;

आधार अधिनियम के माध्यम से राज्य निम्नलिखित कार्यों को आगे बढ़ा रहा हैः

संविधान के भाग *III* और भाग *IV* के तहत दायित्व और

अंतर्राष्ट्रीय दायित्वः

सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य का सकारात्मक दायित्व है

ए।

भोजन, आश्रय और आवास के बुनियादी अधिकार जैसे आर्थिक अधिकार

अनुच्छेद *21* से उत्पन्न लोगों की आजीविका, भले ही यह

नकारात्मक रूप से लिखा जाता है;

बी।

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार

और भारत में सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को उसी पर रखा गया है

पीठ *[*पी. यू. सी. एल.*]*। आधार को प्राप्त करने का एक साधन है
अधिकारों का अंतिम समूह। आनुपातिकता विश्लेषण होगा

इसलिए इस संदर्भ में अधिकारों के संतुलन की आवश्यकता है।

अनुच्छेद *38,39 (*बी*), (*सी*), (*ई*), (*एफ*), 41,43,47* और *51 (*सी*)* लागू करते हैं।

सी.

प्रभावी सुनिश्चित करने के लिए राज्य पर एक संवैधानिक जनादेश

सार्वजनिक संसाधनों का कुशल उपयोग;

राज्य लोगों के प्रति सार्वजनिक संसाधनों का न्यासी है।

डी।

अनुच्छेद *14* के साथ-साथ जनता के संवैधानिक सिद्धांत द्वारा

ट्रस्ट; और एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

आधार अवसंरचना का निर्माण और अधिनियम

ई.

आधार अधिनियम सरकार द्वारा अपनाए जाने की दिशा में एक कदम है

आईसीईएससीआर के तहत भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्व।

आनुपातिकता का परीक्षण करते समय, प्रतिबंध की तर्कसंगतता है के दृष्टिकोण से वस्तुनिष्ठ तरीके से निर्धारित किया जाना

आम जनता के हित और न कि दृष्टिकोण से

आक्रमण का दावा करने वाले व्यक्तिगत अधिकार वाहक का *3 2;* और

आधार अधिनियम की धारा *29 (2)* और आर. टी. आई. अधिनियम की धारा *4 (*बी*) (xii)* के बीच कथित टकराव के संबंध में, पूर्व को निम्नलिखित के लिए असंवैधानिक नहीं माना जा सकता है: कारण:

किसी प्रावधान को केवल तभी निरस्त किया जा सकता है जब वह इसका उल्लंघन करता हो

ए।

संविधान या यदि विधायिका में क्षमता की कमी है, तो नहीं

इस आधार पर कि यह किसी अन्य कानून के साथ टकराव में है;
किसी भी मामले में, दोनों के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों के दायित्व

बी।

ये प्रावधान अलग हैं, क्योंकि सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत

आर. टी. आई. अधिनियम लाभार्थियों का विवरण प्रकाशित कर सकता है

मौजूदा डेटाबेस और यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा प्राप्त जानकारी को साझा करने या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, यदि कोई जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाती है, तो उसे गोपनीयता के आधार पर पीड़ित व्यक्ति द्वारा चुनौती दी जा सकती है।
जो वर्तमान से पूरी तरह से असंबंधित होगा

चुनौती;

दोनों कानून अपने अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं और कोई नहीं है

सी।

उनके बीच संघर्ष; और

दो कानूनों के बीच टकराव को सुलझाए जाने की आवश्यकता है

डी।

सुसंगत निर्माण के माध्यम से। हालाँकि, चूंकि इन दोनों कानूनों के बीच कोई टकराव नहीं है, इसलिए सामंजस्यपूर्ण निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है।

39. आधार अधिनियम की संरचना में जनसांख्यिकी और जनसंख्या के आधार पर निवासियों के लिए विशिष्ट पहचान बनाने की परिकल्पना की गई है।ट्राईसी जानकारी। इस अधिनियम में पहचान की प्रक्रिया की परिकल्पना की गई है -

अद्वितीय पहचान

आर. एन. डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर बनाम मध्य प्रदेश राज्य, *(2016) 7,353*।

प्रत्येक व्यक्ति को सौंपी गई जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी के साथ सत्यापित किया जाता है जो उस व्यक्ति से संबंधित होती है जिसे केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी *(*सी. आई. डी. आर.*)* के रूप में जाने जाने वाले डेटा के केंद्रीकृत भंडार में संग्रहीत किया जाता है। विधायी डिजाइन के पूर्व भाग को इसके विनियामक प्रावधानों द्वारा लागू किया जाता है जो उन व्यक्तियों के नामांकन को नियंत्रित करते हैं जो

एक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की गई। विधायी डिजाइन के बाद के भाग में 'प्रमाणीकरण' की प्रक्रिया शामिल है।

40. के प्रमुख पहलुओं की समझ को सुविधाजनक बनाने के लिए

कानून, धारा *2* अर्थों का एक शब्दकोश प्रदान करता है। ' धारा *2 (*ए*)* में 'आधार संख्या' को पहचान संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है।

धारा *3* की उप-धारा *(3)* के तहत व्यक्ति। जिस व्यक्ति को आधार संख्या जारी की जाती है, उसे धारा *2 (*बी*)* में 'आधार संख्या धारक' के रूप में वर्णित किया गया है। धारा *2 (*सी*)* में 'प्रमाणीकरण' अभिव्यक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

"(ग) "प्रमाणीकरण" का अर्थ है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जनसांख्यिकीय जानकारी या बायोमेट्रिक के साथ आधार संख्या।

किसी व्यक्ति की जानकारी को उसके सत्यापन के लिए केंद्रीय पहचान डेटा भंडार को प्रस्तुत किया जाता है और ऐसा भंडार उपलब्ध जानकारी के आधार पर उसकी शुद्धता या कमी की पुष्टि करता है।

इसके साथ "।

धारा *2 (*डी*)* 'प्रमाणीकरण रिकॉर्ड' को प्रमाणीकरण के समय के रिकॉर्ड, अनुरोध करने वाली संस्था की पहचान और यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया के रूप में बताती है। महत्वपूर्ण परिभाषाएँ 'बायोमेट्रिक' की हैं। जानकारी ',' मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी ',' जनसांख्यिकीय जानकारी 'और' पहचान जानकारी '। ये इस प्रकार हैं:

" (छ*)* "बायोमेट्रिक जानकारी" का अर्थ है किसी व्यक्ति की तस्वीर, फिंगर प्रिंट, आइरिस स्कैन या अन्य ऐसी जैविक विशेषताएँ जो हो सकती हैं।

(जे*)* "मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी" का अर्थ है फिंगर प्रिंट, आइरिस स्कैन, या किसी व्यक्ति की ऐसी अन्य जैविक विशेषता जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है;

53 धारा *2 (*एम*)* में कहा गया है: 'नामांकन' का अर्थ है, ऐसे व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया, जैसा कि नियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

इस अधिनियम के तहत।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

(के*)* "जनसांख्यिकीय जानकारी" में किसी व्यक्ति के नाम, जन्म तिथि, पता और अन्य प्रासंगिक जानकारी से संबंधित जानकारी शामिल है, जो आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है, लेकिन इसमें नस्ल, धर्म, जाति, जनजाति, जातीयता, भाषा, पात्रता के रिकॉर्ड, आय या चिकित्सा इतिहास शामिल नहीं होंगे।

(एन*)* किसी व्यक्ति के संबंध में "पहचान की जानकारी" में उसकी आधार संख्या, उसकी बायोमेट्रिक जानकारी और उसकी जनसांख्यिकीय जानकारी शामिल है।

उपरोक्त परिभाषाओं के सबसे बड़े उपसमुच्चय में 'पहचान की जानकारी' शामिल है जिसे आधार संख्या, बायोमेट्रिक जानकारी और जनसांख्यिकीय जानकारी को समझने के लिए एक समावेशी अर्थ में परिभाषित किया गया है। जनसांख्यिकी

जनसांख्यिकीय जानकारी के दायरे से आय या चिकित्सा इतिहास। बायोमेट्रिक जानकारी में, फोटो की धारा *2 (*जी*)* के तहत, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन, या किसी व्यक्ति की ऐसी अन्य जैविक विशेषताएँ जो नियमों द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं। खंड में मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी

41. एक व्यक्ति की पहचान की जानकारी एक केंद्रीय भंडार में संग्रहीत की जाती है। धारा *2 (*एच*)* "केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी" को एक या अधिक स्थानों में एक केंद्रीकृत डेटाबेस के रूप में परिभाषित करती है जिसमें आधार संख्या धारकों को जारी किए गए सभी आधार नंबर होते हैं, साथ ही संबंधित जनसांख्यिकीय जानकारी और ऐसे व्यक्तियों की बायोमेट्रिक जानकारी और अन्य संबंधित जानकारी होती है। सी. आई. डी. आर. आधार अधिनियम की रीढ़ है। अधिनियम के तहत एकत्र की गई या बनाई गई सभी जानकारी इसमें

संग्रहीत की जाती है। सी. आई. डी. आर. की स्थापना और रखरखाव के लिए, यह किया गया है *3 4* अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यू. आई. डी. ए. आई. एक या अधिक संस्थाओं को संलग्न कर सकता है, जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य कार्य को भी कर सकते हैं। यह अधिनियम सी. आई. डी. आर. की स्थापना और रखरखाव के लिए निजी संस्थाओं की भागीदारी को प्रतिबंधित नहीं करता है।

54 धारा *10,* आधार अधिनियम *8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

42. धारा *3,* 'आधार संख्या' प्राप्त करने की पात्रता से संबंधित है, जो 'नामांकन' शीर्षक वाले अध्याय *II* का एक हिस्सा है। धारा *3* में तीन भाग हैं: *(i)* आधार संख्या प्राप्त करने के लिए प्रत्येक निवासी की पात्रता; *(ii)* जनसांख्यिकीय जमा करने की आवश्यकता और

बायोमेट्रिक जानकारी जिसे नामांकित किया जाना है; और *(iii)* प्रक्रिया से गुजरना

नामांकन। धारा *3* इस प्रकार प्रदान करती है:

"खंड *(3):* आधार संख्या।

(1) प्रत्येक निवासी आधार संख्या प्राप्त करने का हकदार होगा।

अपनी जनसांख्यिकीय जानकारी और बायोमेट्रिक जमा करके

नामांकन की प्रक्रिया से गुजरने वाली जानकारी:

बशर्ते कि केंद्र सरकार समय-समय पर ऐसे अन्य श्रेणी के व्यक्तियों को अधिसूचित कर सकती है जो आधार संख्या प्राप्त करने के हकदार हो सकते हैं।

(2) नामांकन एजेंसी, नामांकन के समय, सूचित करेगी

निम्नलिखित विवरणों के नामांकन से गुजर रहा व्यक्ति

ऐसी रीति जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है, अर्थात्:

(क) जानकारी का उपयोग किस तरीके से किया जाएगा;

(ख) उन प्राप्तकर्ताओं की प्रकृति जिनके साथ जानकारी का इरादा है

प्रमाणीकरण के दौरान साझा किया जाना; और
(ग) सूचना तक पहुँच के अधिकार का अस्तित्व, ऐसी पहुँच के लिए अनुरोध करने की प्रक्रिया और व्यक्ति का विवरण या

प्रभारी विभाग जिसे इस तरह के अनुरोध किए जा सकते हैं।
(3) जनसांख्यिकीय जानकारी और बायोमेट्रिक की प्राप्ति पर

उप-धारा *(1)* के तहत जानकारी, प्राधिकरण, जानकारी को सत्यापित करने के बाद, उस तरीके से जो इसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाए

नियम, ऐसे व्यक्ति को आधार संख्या जारी करें।

हकदारी स्पष्ट रूप से विकल्प का विषय है न कि मजबूरी का। यह धारा *3* का मौलिक अभिधारणा है। हालांकि, आधार संख्या प्राप्त करने की पात्रता आवश्यकता के अनुसार होती है। *55* धारा *2 (v)* में कहा गया हैः निवासी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत में कुल मिलाकर एक सौ बयासी दिन या उससे अधिक की अवधि या अवधि के लिए रहा हो।

नामांकन के लिए आवेदन की तारीख से तुरंत पहले के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी प्रस्तुत करना और नामांकन की प्रक्रिया में भाग लेना।

43. जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी का संग्रह एक नामांकन एजेंसी द्वारा किया जाता है। नामांकन एजेंसी "को अधिनियम की धारा *2 (1)* के तहत एक एजेंसी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे यू. आई. डी. ए. आई. या पंजीयक द्वारा जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने के लिए नियुक्त किया गया है।

अधिनियम के तहत व्यक्ति। नामांकन एजेंसी को राज्य की इकाई होने की आवश्यकता नहीं है। यह परिभाषा नामांकन की प्रक्रिया के लिए व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह में निजी संस्थाओं की भागीदारी के लिए जगह खोलती है। नामांकन एजेंसियों को नामांकन केंद्र स्थापित करने होते हैं और उन्हें धारा *3* की उप-धारा *(2)* द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार काम करना होता है, जिसमें नामांकन एजेंसी को उस व्यक्ति को तीन महत्वपूर्ण पहलुओं का खुलासा करने की आवश्यकता होती है, जो नामांकन से गुजर रहा है। पहला वह तरीका है जिसमें जानकारी का खुलासा किया जाता है व्यक्ति का उपयोग किया जाएगा। दूसरा उन प्राप्तकर्ताओं की प्रकृति से संबंधित है जिनके साथ प्रमाणीकरण के दौरान जानकारी साझा किए जाने की संभावना है। तीसरा व्यक्ति के प्रकट की गई जानकारी तक पहुँच के अधिकार पर आधारित है। ये तीनों पहलू विधायी अभिकल्पना के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे प्रक्रिया में व्यक्तिगत स्वायत्तता को सबसे आगे रखने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति जो बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय जानकारी का खुलासा करता है, उसे पूरी तरह से यह समझने का वैधानिक अधिकार है कि जिस जानकारी का खुलासा किया गया है, उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है।

जारी किए जाने पर, उप-धारा *(3)* प्राधिकरण से विनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से प्रकट की गई जानकारी को सत्यापित करने की अपेक्षा करती है। अधिनियम यह निर्दिष्ट करने के लिए विनियमों पर छोड़ देता है कि सत्यापन कैसे किया जाएगा। *56* धारा *2 (*ओं*)* में कहा गया हैः पंजीयक "से कोई भी संस्था अभिप्रेत है जो इसके द्वारा प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त हो।

इस अधिनियम के तहत व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण

57 विनियमन *7,* आधार *(*नामांकन और अद्यतन*)* विनियम, *2016 58* धारा *3 (2),* आधार अधिनियम।

44. धारा *4,5* और *6* उन विशेषताओं को इंगित करती हैं जो आधार संख्या, चरणों की विधायी मान्यता के लिए जिम्मेदार हैं। वित्तीय समावेशन और आवधिक आवश्यकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक

जानकारी का अद्यतन करना। धारा *4* के तहत, आधार संख्या रखने के साथ तीन महत्वपूर्ण विशेषताएं जुड़ी होती हैं। पहला यह है कि संख्या है

एक व्यक्ति के लिए और केवल उस व्यक्ति के लिए अद्वितीय। एक बार आवंटित होने के बाद, आधार संख्या को किसी अन्य व्यक्ति को फिर से नहीं सौंपा जा सकता है। दूसरी विशेषता यह है कि आधार संख्या यादृच्छिक होती है और इसका अपने धारक की विशेषताओं या पहचान से कोई संबंध नहीं होता है। धारा *4* की तीसरी विशेषता यह है कि एक बार आवंटित होने के बाद, एक आधार संख्या को "किसी भी उद्देश्य के लिए" अपने धारक की पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। धारा *5* के तहत, यू. आई. डी. ए. आई. को महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, अकुशल और असंगठित श्रमिकों, खानाबदोश जनजातियों, ऐसे व्यक्तियों जिनके पास स्थायी निवास स्थान नहीं हैं और अन्य श्रेणियों को आधार संख्या जारी करने के लिए विशेष उपाय अपनाने का आदेश दिया गया है जिन्हें नियमों द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। धारा *6* में एक सक्षम प्रावधान है जिसके द्वारा प्राधिकरण धारकों को अपनी जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी को अद्यतन करने की आवश्यकता हो सकती है।

सरकारों को सब्सिडी, लाभ और सेवाएं प्राप्त करने के लिए आधार संख्या के प्रमाण की आवश्यकता हो सकती है जिसके लिए खर्च किया जाता है। भारत की संचित निधि से *(*या प्राप्तियाँ इसका हिस्सा हैं*)*। धारा *7* निम्नलिखित शब्दों में हैः

"*7.* कुछ की प्राप्ति के लिए आवश्यक आधार संख्या का प्रमाण
अनुदान, लाभ और सेवाएँ आदि। - केंद्र सरकार

बशर्ते कि यदि किसी व्यक्ति को आधार संख्या नहीं दी जाती है, तो व्यक्ति को वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों की पेशकश की जाएगी - सब्सिडी,
लाभ या सेवा के वितरण के लिए पहचान। जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

धारा *3 (*जैसा कि पहले बताया गया है*)* आधार संख्या के लिए एक पात्रता का प्रतिपादन करती है। एक पात्रता एक ऐसे अधिकार की परिकल्पना करती है जो हो सकता है *(*या नहीं भी हो सकता है*)* निवासी द्वारा प्रयोग किया गया। आखिरकार, हकदारी एक विकल्प है। हालांकि, धारा *7* एक आवश्यकता पर विचार करती है। इसमें भारत की संचित निधि से ली जाने वाली सब्सिडी, लाभ या सेवाएँ शामिल हैं; यह जुड़ाव या

तो व्यय के स्रोत या प्राप्तियों के संबंध में है। 'लाभ', 'सेवा' और 'सब्सिडी' अभिव्यक्तियों की वैधानिक परिभाषाएँ धारा *2* के खंड *(एफ), (डब्ल्यू)* और *(एक्स)* में निहित हैं जो निम्नानुसार प्रदान करती हैं:

"(च) "लाभ" से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को नकद या किसी प्रकार से प्रदान किया गया कोई भी लाभ, उपहार, पुरस्कार, राहत या भुगतान अभिप्रेत है और इसमें ऐसे अन्य लाभ शामिल हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

(ङ) "सेवा" से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को किसी भी रूप में प्रदान किया गया कोई प्रावधान, सुविधा, उपयोगिता या कोई अन्य सहायता अभिप्रेत है और इसमें ऐसी अन्य सेवाएं शामिल हैं जिन्हें अधिसूचित किया जा सकता है।

केंद्र सरकार द्वारा;

(x) "सब्सिडी" का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह को नकद या किसी प्रकार की सहायता, सहायता, अनुदान, अनुदान या विनियोग का कोई भी रूप।
व्यक्ति और इसमें ऐसी अन्य सब्सिडी शामिल हैं जिन्हें अधिसूचित किया जा सकता है

केंद्र सरकार द्वारा। "

46. धारा *7* में एक उद्देश्य, एक शर्त और एक

आवश्यकताएँ। प्रावधान में शामिल उद्देश्य स्थापित करना है एक व्यक्ति की पहचान। यह जिस शर्त का प्रतीक है, वह सब्सिडी, लाभ या सेवा की प्राप्ति के लिए है जिसके लिए व्यय किया जाता है या रसीदें भारत की संचित निधि का हिस्सा होती हैं। जहां उद्देश्य और शर्त पूरी हो जाती है, केंद्र या राज्य सरकारों को आवश्यकता हो सकती है कि व्यक्ति को *(i)* इससे गुजरना चाहिए।

प्रमाणीकरण; या *(ii)* आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करें; या *(iii)* नामांकन के लिए आवेदन का प्रमाण प्रदान करें जहां आधार है।

संख्या निर्धारित नहीं की गई है। धारा *7* में तीन विकल्प निर्धारित किए गए हैं। जहाँ उद्देश्य और शर्त *(*ऊपर उल्लिखित*)* पूरी होती है, वहाँ व्यक्ति को प्रमाणीकरण से गुजरना पड़ता है। वैकल्पिक रूप से, व्यक्ति को इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि उसके पास आधार संख्या है। हालाँकि, यदि व्यक्ति को आधार संख्या नहीं दी गई है, तो उसे नामांकन के लिए आवेदन करना होगा। ऐसी स्थिति में जहां अभी तक कोई आधार संख्या नहीं दी गई है, परंतुक में निर्धारित किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सब्सिडी, लाभ या सेवाओं के वितरण के लिए व्यक्ति को पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रदान किए जाएंगे। धारा *7* इंगित करती है कि जबकि केंद्र या राज्य सरकारें अनिवार्य कर सकती हैं कि किसी व्यक्ति को रसीद के लिए एक शर्त के रूप में प्रमाणीकरण से गुजरना होगा

सब्सिडी, लाभ या सेवा के प्रमाणीकरण की विफलता को लाभ, सब्सिडी या सेवाओं से इनकार करने के आधार के रूप में नहीं माना जा सकता है। यही कारण है कि प्रमाणीकरण के अभाव में, आधार संख्या का होना

पर्याप्त होगा। इसके अलावा, भले ही किसी व्यक्ति के पास आधार संख्या न हो, धारा *7* के अधिदेश को नामांकन के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करके कम किया जाएगा।

धारा *3*, जो आधार संख्या प्राप्त करने की पात्रता की बात करती है, धारा *7* के विपरीत है, जिसके तहत सब्सिडी, लाभ या सेवा की प्राप्ति के लिए आधार संख्या की आवश्यकता हो सकती है। एक पात्रता के रूप में, धारा *3* आधार संख्या रखने को वैकल्पिक बनाती है। धारा *7* एक सक्षम करने वाली शक्ति है जिसके द्वारा केंद्र या राज्य सरकारें आधार संख्या की आवश्यकता बना सकती हैं बाध्यकारी या अनिवार्य जहां कोई व्यक्ति सब्सिडी, लाभ या सेवा चाहता है जिसके लिए व्यय किया जाता है या जिसकी प्राप्ति भारत की संचित निधि का हिस्सा है। धारा *7* धारा *3* पर एक प्रबल प्रावधान के रूप में कार्य करती है।

47 जिस तरीके से प्रमाणीकरण किया जाता है, उसे धारा *8* द्वारा विस्तृत रूप से बताया गया है। धारा *8* निम्नलिखित शब्दों में है:

"आधार संख्या का प्रमाणीकरण।

(1) प्राधिकरण आधार का प्रमाणीकरण करेगा।

किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आधार संख्या धारक की संख्या

अपनी बायोमेट्रिक जानकारी या जनसांख्यिकीय जानकारी के संबंध में अनुरोध करने वाली संस्था, ऐसी शर्तों के अधीन और
ऐसी फीस का भुगतान और इस तरह से जो निर्दिष्ट किया जाए

नियमों के अनुसार।
(2) एक अनुरोध करने वाली संस्था -

(क*)* जब तक कि इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान नहीं किया गया है, प्रमाणीकरण के उद्देश्यों के लिए अपनी पहचान की जानकारी एकत्र करने से पहले किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करें जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है; और

(ख*)* यह सुनिश्चित करें कि किसी व्यक्ति की पहचान की जानकारी का उपयोग केवल केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में जमा करने के लिए किया जाता है।

प्रमाणीकरण के लिए।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

(3) एक अनुरोध करने वाली संस्था, ऐसे तरीके से, जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, प्रमाणीकरण के लिए अपनी पहचान की जानकारी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित विवरणों के संबंध में सूचित करेगी।

प्रमाणीकरण के लिए, अर्थात्:

(क*)* जानकारी की प्रकृति जिस पर साझा की जा सकती है

प्रमाणीकरण*;*

(ख*)* प्रमाणीकरण के दौरान प्राप्त जानकारी का उपयोग अनुरोध करने वाली संस्था द्वारा किया जा सकता है*;* और
(ग*)* पहचान की जानकारी प्रस्तुत करने के विकल्प

अनुरोध करने वाली इकाई।

किसी भी मुख्य बायोमेट्रिक को छोड़कर ऐसी पहचान की जानकारी
जानकारी "।

जैसा कि हमने पहले देखा है, प्रमाणीकरण में एक ऐसी प्रक्रिया शामिल होती है जिसमें आधार संख्या, जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक के साथ होती है।

जानकारी, सत्यापन के लिए सी. आई. डी. आर. को प्रस्तुत की जाती है और इसके साथ उपलब्ध जानकारी के आधार पर भंडार द्वारा सही या अन्यथा होने के लिए सत्यापित किया जाता है। धारा *8* की उप-धारा *(1)* के तहत प्रमाणीकरण एक अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पर किया जाना है। धारा *2 (*यू*)* में 'अनुरोध करने वाली इकाई' अभिव्यक्ति को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

" (यू*)* "अनुरोध करने वाली संस्था" का अर्थ है एक एजेंसी या व्यक्ति जो केंद्रीय पहचान डेटा में किसी व्यक्ति की आधार संख्या, और जनसांख्यिकीय जानकारी या बायोमेट्रिक जानकारी प्रस्तुत करता है।

प्रमाणीकरण के लिए भंडार "।

यह परिभाषा निजी एजेंसियों के जुड़ाव को भी प्रतिबंधित नहीं करती है।

प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के लिए। धारा *8* की उप-धारा *(2)* के तहत, प्रत्येक अनुरोध करने वाली संस्था व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए बाध्य है।

के उद्देश्य से उसकी पहचान की जानकारी एकत्र करने से पहले

प्रमाणीकरण। इसके अलावा, अनुरोध करने वाली संस्था को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पहचान की जानकारी केवल सी. आई. डी. आर. को प्रमाणीकरण के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। अनुरोध करने वाली संस्था द्वारा पहचान की जानकारी जमा करने से पहले प्रमाणीकरण के लिए, यह खुलासा करना कानून के आदेश के तहत है *(i)* प्रमाणीकरण पर साझा की जा सकने वाली जानकारी की प्रकृति*; (ii)* प्रमाणीकरण के दौरान प्राप्त जानकारी का उपयोग किस पर किया जा सकता है*;* और *(iii)*

पहचान की जानकारी प्रस्तुत करने के विकल्प। *59* पाठ्यक्रम के दौरान

59 धारा *8 (3),* आधार अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

प्रमाणीकरण के लिए, यू. आई. डी. ए. आई. को मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी को छोड़कर ऐसी पहचान जानकारी साझा करने के लिए सकारात्मक, नकारात्मक या उचित प्रतिक्रिया के साथ प्रमाणीकरण प्रश्न का जवाब देना आवश्यक है। *60* मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी साझा नहीं की जा सकती है। प्रमाणीकरण के तरीके आधार *(*प्रमाणीकरण*)* विनियम *2016* के विनियम *4* में उल्लिखित हैं। यह *(i)* जनसांख्यिकीय जानकारी*; (ii)* सीमित समय वैधता के साथ एक बार का पासवर्ड*; (iii)* बायोमेट्रिक्स या *(iv)* बहु-कारक प्रमाणीकरण *(*उपरोक्त में से दो या अधिक का संयोजन*)* पर आधारित हो सकता है। द.

अनुरोध करने वाली एजेंसी अपनी आवश्यकता के अनुसार मोड का चयन करती है।

48. यू. आई. डी. ए. आई. आधार अधिनियम के तहत प्रमुख इकाई है। अधिनियम के अध्याय *IV* के तहत सी. आई. डी. आर. के नामांकन और प्रमाणीकरण और रखरखाव की प्रक्रियाओं की जिम्मेदारी लेने के लिए यू. आई. डी. ए. आई. के प्राधिकरण को वैधानिक समर्थन प्रदान किया गया है। धारा *11* में प्रावधान है कि केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, यू. आई. डी. ए. आई. की स्थापना करेगी, जो एक निगमित निकाय है, जो नामांकन और प्रमाणीकरण की प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होगा और ऐसे अन्य कार्य करेगा जो अधिनियम के तहत उसे सौंपे गए हैं। यू. आई. डी. ए. आई. की संरचना निम्नानुसार प्रदान की गई है - धारा *12:* एक अध्यक्ष *(*अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त*);* दो अंशकालिक सदस्य, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो सदस्य-सचिव होंगे, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। धारा *23* यू. आई. डी. ए. आई. की शक्तियों और कार्यों को स्पष्ट करती है। धारा *23* की उप-धारा *(1)* में यू. आई. डी. ए. आई. से व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करने और प्रदर्शन करने की आवश्यकता है।

प्रमाणीकरण। धारा *23 (2)* यू. आई. डी. ए. आई. की शक्तियों और कार्यों की एक समावेशी सूची प्रदान करती हैः

"*(2)* उप-धारा *(1)* के प्रतिकूल प्रभाव के बिना, शक्तियाँ और

प्राधिकरण के कार्यों में, अन्य बातों के साथ, शामिल हैं -

(क*)* विनियमों द्वारा, जनसांख्यिकीय जानकारी और नामांकन और प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक बायोमेट्रिक जानकारी निर्दिष्ट करना।

(ख*)* जनसांख्यिकीय जानकारी और बायोमेट्रिक एकत्र करना।
आधार संख्या चाहने वाले किसी भी व्यक्ति की जानकारी

ऐसी रीति जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की जाए*;*

(ग*)* केंद्रीय पहचान डेटा भंडार के संचालन के लिए एक या अधिक संस्थाओं की नियुक्ति*;*

60 धारा *8 (4),* आधार अधिनियम *61* धारा *11 (2),* आधार अधिनियम आईसीई के. एस. पुट्टास्वामी *(*आरईटीडी*) v.*

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

*(*घ*)* व्यक्तियों को आधार संख्याएँ तैयार करना और निर्दिष्ट करना; *(*ङ*)* आधार संख्या का प्रमाणीकरण करना;

*(*च*)* केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी में व्यक्तियों की जानकारी को इस तरह से बनाए रखना और अद्यतन करना जैसे हो सके।

विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जाना;

*(*छ*)* आधार संख्या और उससे संबंधित जानकारी को इस तरह से हटाना और निष्क्रिय करना जो निर्दिष्ट किया जाए। नियमों के अनुसार;

*(*ज*)* विभिन्न सब्सिडी, लाभ प्रदान करने या प्राप्त करने के उद्देश्यों के लिए आधार संख्या के उपयोग के तरीके को निर्दिष्ट करना,

सेवाएँ और अन्य उद्देश्य जिनके लिए आधार संख्याएँ हो सकती हैं

उपयोग किया जाता है;

((i) विनियमों द्वारा नियम और शर्तों को निर्दिष्ट करना।

पंजीयकों, नामांकन एजेंसियों और सेवाओं की नियुक्ति

प्रदाताओं और उनकी नियुक्तियों को रद्द करना;

*(*जे*)* केंद्रीय पहचान डेटा भंडार की स्थापना, संचालन और रखरखाव;

*(*के*)* आधार संख्या धारकों की जानकारी, नियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से साझा करना, बशर्ते कि - इस अधिनियम के प्रावधान;

(1) इस उद्देश्य के लिए सूचना और रिकॉर्ड के लिए बुलाना, निरीक्षण, पूछताछ और संचालन का ऑडिट करना।

केंद्रीय पहचान डेटा भंडार, पंजीयक का अधिनियम,

इस अधिनियम के तहत नियुक्त पंजीकरण एजेंसियों और अन्य एजेंसियों;

*(*एम*)* विनियमों द्वारा डेटा प्रबंधन, सुरक्षा प्रोटोकॉल और अन्य प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करना।

इस अधिनियम के तहत सुरक्षा उपाय;

*(*एन*)* विनियमों द्वारा शर्तों और प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करना।

मौजूदा आधार में नई आधार संख्या जारी करने के लिए

संख्या धारक;

*(*ओ*)* शुल्क लगाना और एकत्र करना या पंजीयकों, नामांकन एजेंसियों या अन्य सेवा प्रदाताओं को ऐसा शुल्क एकत्र करने के लिए अधिकृत करना। इस अधिनियम के तहत उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क

जिस तरह से विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है; *[2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

*(*पी*)* ऐसी समितियों की नियुक्ति जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए आवश्यक हो; *(*आधार के उपयोग सहित बायोमेट्रिक्स और संबंधित क्षेत्रों में प्रगति के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।

उपयुक्त तंत्र के माध्यम से संख्याएँ;

*(*सुविधा केंद्र और शिकायत निवारण केंद्र स्थापित करना। व्यक्तियों, पंजीयकों की शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र,

नामांकन करने वाली एजेंसियां और अन्य सेवा प्रदाता;

*(*ट*)* ऐसी अन्य शक्तियाँ और कार्य जो विहित किए जाएं।

धारा *54,* यू. आई. डी. ए. आई. को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिनियम के साथ विनियम और नियम बनाने का अधिकार है। धारा *54* के उप *2)* में प्रावधान है कि यू. आई. डी. ए. आई. विनियम बना सकता है।

निम्नलिखित में से कोई भी विषयः

*"(*ए*)* खंड *(*जी*)* के तहत बायोमेट्रिक जानकारी और खंड *(*के*)* के तहत जनसांख्यिकीय जानकारी, और जनसांख्यिकीय जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया

धारा *2* के खंड *(*एम*)* के तहत एजेंसियों का नामांकन करके व्यक्तियों से;

*(*ख*)* आधार संख्या जारी करने के लिए जनसांख्यिकीय जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी के सत्यापन का तरीका

धारा *3* की धारा *(3);*

*(*ग*)* धारा *4* की उप-धारा *(3)* के तहत आधार संख्या धारक की पहचान के प्रमाण के रूप में आधार संख्या को स्वीकार करने की शर्तें;

*(*घ*)* धारा *5* के तहत व्यक्तियों की अन्य श्रेणियां जिनके लिए

प्राधिकरण के आवंटन के लिए विशेष उपाय करेगा

आधार संख्या;

*(*ङ*)* बायोमेट्रिक जानकारी को अद्यतन करने का तरीका और

धारा *6* के तहत जनसांख्यिकीय जानकारी;

(च*)* धारा *8* के तहत आधार संख्या के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया*;* आईसीई के एस पुट्टास्वामी *(*आरईटीडी*) v.*

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

(ज*)* प्राधिकरण की बैठकों का समय और स्थान और उसके द्वारा अनुसरण किए जाने वाले व्यवसाय के लेन-देन की प्रक्रिया, धारा *19* की उप-धारा *(1)* के तहत गणपूर्ति सहित*;*

(i) धारा *21* की उप-धारा *(2)* के तहत प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य नियम और शर्तें*;*

(के*)* केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में व्यक्तियों की जानकारी को बनाए रखने और अद्यतन करने का तरीका धारा *23* की उप-धारा *(2)* का खंड *(*च*);*

(1) आधार संख्या को हटाने और निष्क्रिय करने का तरीका और उप-धारा के खंड *(*छ*)* के तहत उससे संबंधित जानकारी।

और अन्य उद्देश्यों के लिए जिनके लिए आधार संख्या का उपयोग धारा *23* की उप-धारा *(2)* के खंड *(*एच*)* के तहत किया जा सकता है*;* *(* एन*)* पंजीयकों की नियुक्ति के लिए नियम और शर्तें,

नामांकन एजेंसियों और अन्य सेवा प्रदाताओं और

धारा *23* की उप-धारा *(2)* के खंड *(i)* के तहत उनकी नियुक्तियों का निरसन*;*

(ओ*)* धारा *23* की उप-धारा *(2)* के खंड *(*के*)* के तहत आधार संख्या धारक की जानकारी साझा करने का तरीका*;* *(* पी*)* के खंड *(*एम*)* के तहत डेटा प्रबंधन, सुरक्षा प्रोटोकॉल और अन्य प्रौद्योगिकी सुरक्षा उपायों से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाएं।

(क्यू*)* नई आधार संख्या जारी करने की प्रक्रिया उप-धारा के खंड *(*एन*)* के तहत मौजूदा आधार संख्या धारक

(2) धारा *23; [2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(आर*)* धारा *23* की उप-धारा *(2)* के खंड *(*ओ*)* के तहत उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए ऐसे शुल्क एकत्र करने के लिए पंजीयकों, नामांकन एजेंसियों या अन्य सेवा प्रदाताओं को अधिकृत करने का तरीका*;*

(धारा *23* की उप-धारा *(2)* के खंड *(*आर*)* के तहत पंजीयक, नामांकन एजेंसियों और अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियां और प्रथाएं*;*

(टी) उप-धारा *(5)* के प्रावधान के तहत आधार संख्या धारक द्वारा पहचान की जानकारी प्राप्त करने का तरीका।

धारा *28;*

(यू) इस अधिनियम के तहत एकत्र या बनाई गई मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी के अलावा पहचान की जानकारी साझा करने का तरीका।

धारा *29* की उप-धारा *(2)* के तहत;

(v) उप-धारा *(1)* के तहत जनसांख्यिकीय जानकारी और उप-धारा के तहत बायोमेट्रिक जानकारी में परिवर्तन का तरीका।

(2) धारा *31;* *(डब्ल्यू)* धारा *32* की उप-धारा *(2)* के तहत प्रमाणीकरण के लिए अनुरोध और उस पर उप-धारा *(1)* के तहत प्रतिक्रिया और आधार संख्या धारक द्वारा प्रमाणीकरण रिकॉर्ड प्राप्त करने का तरीका और समय;

(x) कोई अन्य मामला जो अपेक्षित है, या निर्दिष्ट किया जा सकता है, या जिसके संबंध में प्रावधान किया जाना है या किया जा सकता है

नियम "।

धारा *23 (2)* और *54 (2)* के साथ पठित धारा *11 (1)* इंगित करती है कि यू. आई. डी. ए. आई.

वहन करने की शक्ति और जिम्मेदारी के साथ निहित एकमात्र प्राधिकरण

कई प्रकार के कार्य करते हैं। इन कार्यों में शामिल हैं:

(i) जनसांख्यिकीय जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी का संग्रह

व्यक्तियों से;

((ii) व्यक्तियों को आधार संख्या तैयार करना और निर्दिष्ट करना।

(iii) आधार संख्या का प्रमाणीकरण करना;

((iv) व्यक्तियों की जानकारी को बनाए रखना और अद्यतन करना।

सी. आई. डी. आर;

(v) आधार संख्या को हटाना और निष्क्रिय करना; *(vi)* आधार संख्या के उपयोग के तरीके को निर्दिष्ट करना।

विभिन्न सब्सिडी, लाभ प्रदान करने या प्राप्त करने के उद्देश्य,

सेवाएँ और अन्य उद्देश्य; न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

(vii) पंजीयकों, नामांकन एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति के लिए नियम और शर्तों को निर्दिष्ट करना और

नियुक्तियाँ;

(viii) डेटा प्रबंधन, सुरक्षा प्रोटोकॉल और अन्य तकनीकी सुरक्षा उपायों से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करना।

अधिनियम;

((ix) व्यक्तियों, पंजीयकों, नामांकन एजेंसियों और अन्य सेवा प्रदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए सुविधा केंद्र और तंत्र स्थापित करना; और

(x) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य कार्य।

अधिनियम कोई सीमा निर्धारित नहीं करता है जिसके भीतर यू. आई. डी. ए. आई. का एकमात्र प्राधिकरण काम कर सकता है। यू. आई. डी. ए. आई. को उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। आधार की संरचना यू. आई. डी. ए. आई. को सभी प्रक्रियाओं के केंद्र में रखती है।

49. जानकारी एकत्र करने, संग्रहीत करने, सुरक्षित करने, प्रसंस्करण करने, व्यक्तियों को आधार संख्या देने या प्रमाणीकरण करने के कार्यों को करने के उद्देश्य से, धारा *23 (3)* के खंड *(*ए*)* में विचार किया गया है कि यूआईडीएआई समझौता ज्ञापन में प्रवेश कर सकता है।

या केंद्र या राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों या अन्य एजेंसियों के साथ समझौते। अपने कार्यों के निर्वहन में, यू. आई. डी. ए. आई. अधिसूचना द्वारा, कई पंजीयकों को नियुक्त कर सकता है, ऐसी एजेंसियों को जानकारी एकत्र करने, संग्रहीत करने, सुरक्षित करने और संसाधित करने या प्रमाणीकरण या इसके संबंध में ऐसे अन्य कार्यों को करने के लिए नियुक्त और अधिकृत कर सकता है, जो अधिनियम *(*धारा *23 (3) (*बी*)* के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हो सकते हैं। कुशल निर्वहन के लिए यू. आई. डी. ए. आई. अपने कार्यों के लिए सलाहकारों, सलाहकारों और अन्य व्यक्तियों को भी नियुक्त कर सकता है जिनकी आवश्यकता हो *(*धारा *23 (4))*। ये, कई अन्य प्रावधानों की तरह, आधार परियोजना में निजी संस्थाओं की भागीदारी के लिए गुंजाइश खोलते हैं। यह अधिनियम की धारा *57* से भी स्पष्ट है, जो किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए राज्य, निगमित संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा आधार संख्या का उपयोग करने की अनुमति देती है:

"57. अन्य उद्देश्यों के लिए आधार संख्या के उपयोग को रोकने के लिए अधिनियम नहीं

कानून के तहत।

इस अधिनियम में निहित कुछ भी किसी भी उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या के उपयोग को नहीं रोकेगा, चाहे वह राज्य या किसी निगम निकाय या व्यक्ति द्वारा, किसी भी कानून के अनुसार, कुछ समय के लिए, या इस आशय के किसी अनुबंध के अनुसार:

बशर्ते कि इस धारा के तहत आधार संख्या का उपयोग धारा *8* के तहत प्रक्रिया और दायित्वों के अधीन होगा और

अध्याय *VI* "।

50. व्यक्तियों की पहचान की जानकारी और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी *UIDAI.62* पर रखी गई है।

यू. आई. डी. ए. आई. को व्यक्तियों की पहचान की जानकारी और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड की गोपनीयता सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है, *6 3* परिस्थितियों को छोड़कर, जहां *Act.64* धारा *28 (3)* द्वारा जानकारी के प्रकटीकरण की अनुमति है, यू. आई. डी. ए. आई. को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता है कि -

इसके कब्जे या नियंत्रण में जानकारी, जिसमें सी. आई. डी. आर. में संग्रहीत जानकारी भी शामिल है, अधिनियम या विनियमों के तहत अनुमति नहीं दी गई पहुंच, उपयोग या प्रकटीकरण के खिलाफ और आकस्मिक या जानबूझकर विनाश, हानि या क्षति के खिलाफ सुरक्षित और संरक्षित है। बनाए रखने के लिए

व्यक्तियों की जानकारी की सुरक्षा और गोपनीयता के लिए, यू. आई. डी. ए. आई. को धारा *28 (4)* के तहत, निम्नलिखित के लिए भी आवश्यक हैः

" *(क)* उचित तकनीकी और संगठनात्मक सुरक्षा उपायों को अपनाना और उन्हें लागू करना;

(ख) यह सुनिश्चित करें कि इस अधिनियम के तहत प्राधिकरण के किसी भी कार्य को करने के लिए नियुक्त या नियुक्त एजेंसियों, सलाहकारों, सलाहकारों या अन्य व्यक्तियों के पास उपयुक्त तकनीकी और

सूचना के लिए संगठनात्मक सुरक्षा उपाय; और

(ग) यह सुनिश्चित करना कि ऐसी एजेंसियों, सलाहकारों, सलाहकारों या अन्य व्यक्तियों के साथ किए गए समझौते या व्यवस्थाएं, प्राधिकरण पर लगाए गए दायित्वों के बराबर दायित्वों को लागू करती हैं। यह अधिनियम, और ऐसी एजेंसियों, सलाहकारों, सलाहकारों और अन्य व्यक्तियों से केवल प्राधिकरण के निर्देशों पर कार्य करने की अपेक्षा करता है।

यू. आई. डी. ए. आई., इसके अधिकारियों, अन्य कर्मचारियों *(*चाहे सेवा के दौरान या उसके बाद*)*, और कोई भी एजेंसी जो सी. आई. डी. आर. को संग्रहीत किसी भी जानकारी को प्रकट नहीं करने के लिए रखती है, पर *(*धारा *28 (5)* के तहत*)* बोझ डाला जाता है। किसी को भी प्रमाणीकरण रिकॉर्ड। हालाँकि, एक आधार संख्या धारक यू. आई. डी. ए. आई. से मूल बायोमेट्रिक जानकारी को छोड़कर पहचान की जानकारी तक पहुँच प्रदान करने का अनुरोध कर सकता है जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है।

विनियम *(*धारा *28 (5)* का परंतुक*)*।

62 धारा *28 (1)*, आधार अधिनियम *63* धारा *28 (2)*, आधार अधिनियम

64 धारा *33*, आधार अधिनियम न्याय के. एस. पुत्रस्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

धारा *29* अधिनियम के तहत एकत्र की गई या बनाई गई जानकारी को साझा करने पर प्रतिबंध लगाती है। धारा *29* की उप-धारा *(1)* में प्रावधान है किः

" (1) इसके तहत कोई मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र या बनाई नहीं गई है।

यह अधिनियम, होगा

(ख) आधार बनाने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है।
इस अधिनियम के तहत संख्या और प्रमाणीकरण।

उप-धारा *(2)* में विचार किया गया है कि अधिनियम के तहत एकत्र या बनाई गई मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी के अलावा पहचान की जानकारी को केवल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और विनियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से साझा किया जा सकता है।

धारा *29 (3)* के तहत, एक अनुरोध करने वाली संस्था पर यह सुनिश्चित करने का बोझ डाला जाता है कि उसके पास उपलब्ध किसी भी पहचान की जानकारी का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है, सिवाय उस उद्देश्य के जो उस समय व्यक्ति को निर्दिष्ट किया गया था।

प्रमाणीकरण के लिए पहचान की जानकारी जमा करना; और न ही आगे खुलासा किया गया, सिवाय उस व्यक्ति की पूर्व सहमति के जिसके साथ ऐसी जानकारी संबंधित है।

उप-धारा *(4)* आधार संख्या धारक के संबंध में अधिनियम के तहत एकत्र या बनाई गई किसी भी आधार संख्या या मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी के प्रकाशन, प्रदर्शन या सार्वजनिक रूप से पोस्ट करने पर रोक लगाती है, सिवाय उन उद्देश्यों के जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं। धारा *30* में विचार किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में एकत्र और संग्रहीत बायोमेट्रिक जानकारी को "संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी" माना जाना चाहिए। यह प्रावधान विशेष रूप से बायोमेट्रिक जानकारी से संबंधित है। यह प्रावधान जनसांख्यिकीय जानकारी को दी जाने वाली सुरक्षा को कम करता है। इसके अलावा, यू. आई. डी. ए. आई. पर एक वैधानिक कर्तव्य रखा गया है कि वह विनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से और समय अवधि के लिए प्रमाणीकरण रिकॉर्ड बनाए रखे। *65* यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा प्रमाणीकरण अभिलेखों के रखरखाव का मुद्दा विवादास्पद रहा है और इसे "आनुपातिकता" नामक एक बाद के खंड में निपटाया गया है। प्रत्येक आधार संख्या धारक को प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है।

विनियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से उसका प्रमाणीकरण रिकॉर्ड। धारा *32 (3)* यू. आई. डी. ए. आई. *(*या तो स्वयं या अपने नियंत्रण में किसी भी संस्था के माध्यम से*)* को प्रमाणीकरण के उद्देश्य के बारे में कोई भी जानकारी एकत्र करने, रखने या बनाए रखने से रोकती है। *65* धारा *32 (1)*, आधार अधिनियम *66* धारा *32 (2)*, आधार अधिनियम *8* एस. सी. आर.

51. आधार अधिनियम व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण की अनुमति देता है।

सीमित परिस्थितियों में। जिस तरीके और उद्देश्य के लिए पहचान की जानकारी या प्रमाणीकरण रिकॉर्ड सहित व्यक्तियों की जानकारी का खुलासा किया जा सकता है, वह अधिनियम की धारा *33* के तहत प्रदान किया गया है। धारा *33* में कहा गया हैः

" (1) धारा *28* की उप-धारा *(2)* या उप-धारा *(5)* या धारा *29* की उप-धारा *(2)* में निहित कुछ भी किसी अदालत के आदेश के अनुसार की गई पहचान की जानकारी या प्रमाणीकरण रिकॉर्ड सहित जानकारी के किसी भी प्रकटीकरण के संबंध में लागू नहीं होगा।

जिला न्यायाधीश से कमतरः

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत अदालत द्वारा कोई भी आदेश प्राधिकरण को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।
(2) धारा *28* की उप-धारा *(2)* या उप-धारा *(5)* और धारा *29* की उप-धारा *(1),* उप-धारा *(2)* या उप-धारा *(3)* के खंड *(*बी*)* में निहित कुछ भी किसी भी मामले में लागू नहीं होगा।

पहचान की जानकारी सहित जानकारी का प्रकटीकरण या

प्रमाणीकरण अभिलेख, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किसी अधिकारी के निर्देश के अनुसरण में बनाए गए हैं जो पद से नीचे नहीं है।

भारत सरकार के संयुक्त सचिव विशेष रूप से अधिकृत

इस संबंध में केंद्र सरकार के एक आदेश द्वाराः

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत जारी किए गए प्रत्येक निर्देश की समीक्षा एक निगरानी समिति द्वारा की जाएगी जिसमें कैबिनेट सचिव और भारत सरकार के सचिव शामिल होंगे।
कानूनी मामलों का विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग

और सूचना प्रौद्योगिकी, इसके प्रभावी होने से पहलेः

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत जारी किया गया कोई भी निर्देश इसके जारी होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए वैध होगा, जिसे निगरानी समिति द्वारा समीक्षा के बाद तीन महीने की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। " "

धारा *31* के तहत, किसी भी जनसांख्यिकीय जानकारी या बायोमेट्रिक के मामले में आधार संख्या धारक की जानकारी गलत पाई जाती है, गुम हो जाती है या बाद में बदल जाती है, आधार संख्या धारक को यू. आई. डी. ए. आई. से न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* में सी. आई. डी. आर. में अपने रिकॉर्ड में बदलाव करने का अनुरोध करना आवश्यक है।

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

विनियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीका। जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक जानकारी में परिवर्तन के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर, यू. आई. डी. ए. आई. के पास अपनी संतुष्टि के अधीन, अधिनियम में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने की शक्ति निहित है।

आधार संख्या धारक से संबंधित अभिलेख और धारक को परिवर्तन के बारे में सूचित करना। धारा *31* की उप-धारा *(4)* अधिनियम या इस संबंध में बनाए गए विनियमों में दिए गए तरीके को छोड़कर सी. आई. डी. आर. में किसी भी पहचान की जानकारी में परिवर्तन को प्रतिबंधित करती है।

52. अध्याय *VII* अपराधों और दंड का प्रावधान करता है। धारा *34* के तहत, नामांकन के समय प्रतिरूपण के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा *35* आधार संख्या का प्रतिरूपण करने के लिए जुर्माना लगाती है।

जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक जानकारी को बदलकर धारक। धारा *37*

पहचान की जानकारी *(*जो नामांकन या प्रमाणीकरण के दौरान एकत्र की गई थी*)* का खुलासा करने के लिए जुर्माना प्रदान करता है। धारा *38* के तहत, सी. आई. डी. आर. तक अनधिकृत पहुंच के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा *38* इस प्रकार प्रदान करती है:

"जो भी, प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं किया जा रहा है, जानबूझकर,

*(*ए*)* केंद्रीय पहचान डेटा तक पहुंच या सुरक्षित पहुंच

*(*ख*)* केंद्रीय पहचान डेटा भंडार से या किसी हटाने योग्य भंडारण में संग्रहीत किसी भी डेटा को डाउनलोड, प्रतिलिपि या निकालता है।
मध्यम*;*

*(*ग*)* केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में किसी भी वायरस या अन्य कंप्यूटर संदूषक का परिचय या कारण बनता है*;*

*(*घ*)* केंद्र में डेटा को नुकसान या नुकसान पहुँचाना।

पहचान डेटा भंडार*;*

*(*ई*)* केंद्र तक पहुंच को बाधित करता है या बाधित करता है

पहचान डेटा भंडार*;*

*(*च*)* केंद्रीय पहचान डेटा भंडार तक पहुँचने के लिए अधिकृत किसी भी व्यक्ति तक पहुँच से इनकार या इनकार करता है*;*

*(*छ*)* धारा *28* की उप-धारा *(5)* के उल्लंघन में किसी भी जानकारी का खुलासा करता है, या इसमें जानकारी साझा करता है, उपयोग करता है या प्रदर्शित करता है।

धारा *29* का उल्लंघन या किसी भी मामले में किसी व्यक्ति की सहायता करना।

उपर्युक्त कार्य; *(ज)* किसी भी हटाने योग्य भंडारण माध्यम या केंद्रीय पहचान डेटा सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट में संग्रहीत किसी भी जानकारी को नष्ट, हटा या बदल देता है।

रिपॉजिटरी या इसके मूल्य या उपयोगिता को कम करता है या इसे हानिकारक रूप से प्रभावित करता है

किसी भी माध्यम से; या

(i) उपयोग किए गए किसी भी कंप्यूटर स्रोत कोड को चुराता है, छुपाता है, नष्ट करता है या बदलता है या किसी व्यक्ति को चोरी करने, छिपाने, नष्ट करने या बदलने का कारण बनता है।

प्राधिकरण द्वारा क्षति पहुँचाने के इरादे से,

कारावास से दंडनीय होगा जो एक अवधि के लिए हो सकता है तीन साल तक बढ़ाया जाएगा और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा जो

दस लाख रुपये से कम नहीं होना चाहिए।

यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो अधिनियम के तहत उपचार लेने के अधिकार पर बाद में चर्चा की जाएगी। उप-धारा *(2)* के तहत, कोई भी अदालत मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक अधिकारी से कम नहीं है। मजिस्ट्रेट अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का मुकदमा चला सकते हैं।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

धारा *48* केंद्र सरकार को कुछ स्थितियों में यू. आई. डी. ए. आई. का स्थान लेने का अधिकार देती है। धारा *50* के तहत, यू. आई. डी. ए. आई., अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने या अपने कार्यों के निष्पादन में, केंद्र सरकार की नीति के प्रश्नों पर लिखित निर्देशों से बाध्य होगा। धारा *51* यू. आई. डी. ए. आई. में किसी भी सदस्य, अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को अधिनियम के तहत अपनी शक्तियां और कार्य *(*धारा *54* के तहत शक्ति को छोड़कर*)* सौंपने की शक्ति निहित करती है जो वह आवश्यक समझे। धारा *51* यू. आई. डी. ए. आई. को अपनी किसी भी शक्ति और कार्यों को सौंपने के लिए एक व्यापक विवेकाधिकार प्रदान करती है।
धारा *55* आधार अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम और विनियम को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष निर्धारित करने की अपेक्षा करती है। अनुभाग

कहते हैं:

"*55.* संसद के समक्ष नियमों और विनियमों को प्रस्तुत करना।

इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र में या दो या दो से अधिक सत्रों में शामिल हो सकता है।

क्रमिक सत्र, और यदि, उपरोक्त सत्र या क्रमिक सत्रों के तुरंत बाद सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन नियम या विनियम में कोई संशोधन करने के लिए सहमत होते हैं, या दोनों सदन इस बात पर सहमत होते हैं कि नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम या विनियम इसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसा भी मामला हो।

संशोधन या रद्द करना वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।
उस नियम या विनियम के तहत पहले की गई किसी भी चीज़ का।

यू. आई. डी. ए. आई. को अपने द्वारा बनाए गए नियमों को संसद के समक्ष रखने की आवश्यकता है।

53. आधार की संरचना पूरी परियोजना की तर्कसंगतता का विश्लेषण करने के अभ्यास का अभिन्न अंग है। चाहे वह वास्तुकला याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई चिंताओं को संबोधित करती है

इस अभ्यास का आवश्यक घटक। आधार की संरचना को तर्कसंगतता और आनुपातिकता की संवैधानिक आवश्यकताओं को पार करना चाहिए। इस पहलू पर इस निर्णय के बाद के भाग में "आनुपातिकता" शीर्षक के तहत विचार किया जाएगा।

ई. आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पारित करना

54. याचिकाकर्ताओं ने आधार अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए कहा कि इसे धन विधेयक के रूप में पारित नहीं किया जा सकता था।

प्रस्तुतिकरण के अनुसार, आधार अधिनियम संविधान के अनुच्छेद *110* के तहत धन विधेयक के रूप में योग्य नहीं था, और यह मामलों पर कानून बनाता है

जो उस प्रावधान के बाहर है। भारत के महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि संविधान अध्यक्ष के निर्णय को अंतिम रूप देता है कि क्या कोई विधेयक एक धन विधेयक है और इसलिए यह सवाल कि क्या आधार अधिनियम धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत होने की आवश्यकताओं को पूरा करता है, न्यायिक समीक्षा के लिए खुला नहीं है। महान्यायवादी ने यह भी आग्रह किया कि

आधार अधिनियम अनुच्छेद *110* के अंतर्गत आता है।

अनुच्छेद *110* इस प्रकार प्रदान करता है:

"*(1)* इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, एक विधेयक निम्नलिखित समझा जाएगा -

एक धन विधेयक हो यदि इसमें केवल सभी से संबंधित प्रावधान हैं या

निम्नलिखित में से कोई भी विषय, अर्थात्:
(क) अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन

((ख) भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई गारंटी देने का विनियमन, या किसी वित्तीय दायित्व के संबंध में कानून में संशोधन।
भारत सरकार द्वारा किया गया;

(ग) संचित निधि या भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, धन का भुगतान या निकासी

ऐसी किसी भी निधि से धन;

((घ) संचित निधि में से धन का विनियोग
भारत;

(ङ) किसी भी व्यय को भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय घोषित करना या राशि में वृद्धि करना।

ऐसे किसी भी व्यय का;

(च) भारत की संचित निधि या भारत के सार्वजनिक खाते के कारण धन की प्राप्ति या ऐसे धन की अभिरक्षा या जारी करना या संघ या किसी अन्य देश के खातों का लेखा परीक्षण।

राज्य; या

(छ) उपखंड में निर्दिष्ट किसी भी मामले के लिए कोई आनुषंगिक मामला।

खंड *(ए)* से *(एफ)*।

(2) किसी विधेयक को केवल इस कारण से धन विधेयक नहीं माना जाएगा कि इसमें जुर्माना या अन्य आर्थिक प्रावधान हैं।
जुर्माना, या लाइसेंस के लिए शुल्क की मांग या भुगतान के लिए या न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.*

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क, या इस कारण से कि यह स्थानीय उद्देश्यों के लिए किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या निकाय द्वारा किसी भी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन का प्रावधान करता है।

(3) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोक सभा अध्यक्ष का निर्णय

यह अंतिम होगा।

(4) प्रत्येक धन विधेयक का समर्थन तब किया जाएगा जब इसे अनुच्छेद *109* के तहत राज्य परिषद को प्रेषित किया जाता है, और जब इसे अनुच्छेद *111* के तहत राष्ट्रपति को सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो लोक सभा के अध्यक्ष के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए जाते हैं -
उसे कि यह एक धन विधेयक है "।

55. इस न्यायालय के समक्ष प्रमुख प्रश्न हैंः

(i) क्या अनुच्छेद *110 (3)* के तहत लोकसभा अध्यक्ष का यह निर्णय कि कोई विधेयक धन विधेयक है, न्यायिक अधिकार से मुक्त है।

समीक्षा;

((ii) यदि *(i)* का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या आधार अधिनियम संविधान के अनुच्छेद *110 (1)* के तहत एक धन विधेयक है; और *(iii)* यदि आधार अधिनियम को लागू करने वाला विधेयक धन विधेयक नहीं था, तो क्या इसके विधायी होने से असंवैधानिकता की घोषणा होगी।

लोकसभा में धन विधेयक के रूप में पारित।

ई. आई. अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा

सदन कि यह एक धन विधेयक है। धन विधेयक की प्राप्ति की तारीख से, राज्यसभा चौदह दिनों की अवधि के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ विधेयक को लोकसभा को वापस करने के लिए बाध्य है। लोकसभा के पास "सभी या किसी को भी स्वीकार या अस्वीकार करने" का विवेकाधिकार है। राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशें। *67* यदि लोकसभा स्वीकार करती है

राज्य सभा की किसी भी सिफारिश के साथ, धन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है।

67 अनुच्छेद *109 (2),* भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2018] 8 एस सी आर।

कहा जाता है कि राज्य सभा की सिफारिशों के अनुसार, धन विधेयक दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित किया गया था जिसमें इसे मूल रूप से लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। *69* यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और उसकी सिफारिशों के लिए राज्य सभा को प्रेषित किए जाने के बाद चौदह दिनों की अवधि के भीतर लोकसभा को वापस नहीं किया जाता है, तो इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित किया गया माना जाता है जिसमें इसे मूल रूप से लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। *70* जब संसद के सदनों द्वारा कोई धन विधेयक पारित किया जाता है, तो अनुच्छेद *111* के अनुसार इसे लोकसभा अध्यक्ष के प्रमाण पत्र के साथ राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अनुच्छेद *117 (1)* में यह भी प्रावधान है कि "अनुच्छेद *110* के खंड *(1)* के उपखंड *(ए)* से *(एफ)* में निर्दिष्ट किसी भी मामले के

लिए प्रावधान करने वाला विधेयक" भी राज्य सभा में पेश नहीं किया जाएगा। *57.* संविधान में राज्य विधानसभा में पेश किए गए और पारित किए गए धन विधेयकों के लिए संबंधित प्रावधान हैं। लेख

198 राज्य विधान सभा में धन विधेयकों के लिए एक विशेष प्रक्रिया प्रदान करता है। अनुच्छेद *199 (3)* विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय की अंतिमता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद *200* के तहत, जब राज्य विधानमंडल द्वारा कोई धन विधेयक पारित किया जाता है, तो इसे सहमति के लिए अध्यक्ष के प्रमाण पत्र के साथ राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। *72* अनुच्छेद *107* में सामान्य रूप से विधेयकों को पेश करने और पारित करने के प्रावधान हैं और इस प्रकार प्रदान करता हैः

"*(1)* धन विधेयकों और अन्य वित्तीय विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद *109* और *117* के प्रावधानों के अधीन, एक विधेयक निम्न में उत्पन्न हो सकता हैः

संसद का कोई भी सदन।

(2) अनुच्छेद *108* और *109* के प्रावधानों के अधीन, एक विधेयक
यह नहीं माना जाएगा कि यह संसद के सदनों द्वारा तब तक पारित किया गया है जब तक कि दोनों सदनों द्वारा बिना संशोधन के या केवल ऐसे संशोधनों के साथ सहमति नहीं दी गई है जिन पर दोनों सदनों द्वारा सहमति दी गई है।

68 अनुच्छेद *109 (3)*, भारत का संविधान *6 9* अनुच्छेद *109 (4)*, भारत का संविधान *7 0* अनुच्छेद *109 (5)*, भारत का संविधान *71* अनुच्छेद *110 (4)*, भारत का संविधान *72* अनुच्छेद *199 (4)*, भारत का संविधान न्याय के एस गोस्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

(3) संसद में लंबित एक विधेयक के कारण समाप्त नहीं होगा

सदनों का सत्रावसान।

(4) राज्य सभा में लंबित कोई विधेयक जो लोक सभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, लोक सभा के भंग होने पर व्यपगत नहीं होगा।
(5) एक विधेयक जो लोक सभा में लंबित है, या जिसे लोक सभा द्वारा पारित किया जा चुका है, राज्य परिषद में लंबित है, अनुच्छेद *108* के प्रावधानों के अधीन रहते हुए,

लोक सभा के विघटन पर चूक "।

58. सामान्य विधेयक तभी पारित किए जा सकते हैं जब उन पर दोनों सदनों की सहमति हो। एक सदन द्वारा सुझाए गए संशोधनों पर सहमति बनानी होगी।

विधेयक के पारित होने के लिए दोनों सदनों द्वारा। संसद के दोनों सदनों को संविधान द्वारा पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है।

साधारण नोटों से। कानून के पारित होने में राज्यसभा को सौंपी गई महत्वपूर्ण भूमिका से हटकर, संविधान ने धन विधेयकों के पारित होने में राज्यसभा के लिए एक सीमित भूमिका निर्धारित की है।

59. संविधान अध्यक्ष को विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है -

यह तय करने के लिए कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा जाता है। जब लोकसभा अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करता है, तो राज्यसभा के पास केवल चौदह दिनों की समय सीमा के भीतर विधेयक पर सिफारिश करने का विकल्प बचता है। केवल सिफारिशें होने के कारण, वे लोकसभा को बाध्य नहीं करती हैं। इन्हें लोकसभा द्वारा या तो स्वीकार किया जा सकता है या अस्वीकार किया जा सकता है। *60.* राज्यसभा द्विसदनीय विधानमंडल में एक संवैधानिक निकाय है। संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन से द्विसदनीयता को अपनाया। धन विधेयक के पारित होने में ऊपरी सदन की सीमित भूमिका की उत्पत्ति का पता ब्रिटिश संसद अधिनियम से लगाया जा सकता है।

1911 , जिसकी चर्चा इस विश्लेषण के बाद के भाग में की जाएगी। संविधान के प्रारूपक संविधान के प्रभाव के प्रति सचेत थे

संस्थागत शक्ति का दुरुपयोग। उन्होंने संवैधानिक शासन की संरचना का एक विस्तृत खाका प्रदान किया। यह *[2018] 8* एस. सी. आर. के लिए आवश्यक है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसके दायरे को समझने के लिए हमारे संवैधानिक इतिहास को समझें कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अध्यक्ष के निर्णय को अंतिम माना जाता है।

61. में धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया की उत्पत्ति

यूनाइटेड किंगडम *1911* के संसद अधिनियम से भी पुराना है। द. थॉमस एर्स्किन मे द्वारा कानून, विशेषाधिकारों पर आधिकारिक ग्रंथ ",

ब्रिटेन में संसद की कार्यवाही और उपयोग हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बीच कराधान की उनकी शक्तियों और राष्ट्रीय राजस्व और सार्वजनिक व्यय के संबंध में संबंधों के विकास के इतिहास पर आधारित है। *74*

हाउस ऑफ लॉर्ड्स और रानी की सहमति के बाद ही। " जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स को अनुदान प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त था लगभग *300* वर्षों तक, हाउस ऑफ लॉर्ड्स को मूल रूप से किसी विधेयक में संशोधन करने से नहीं रोका गया था। लेकिन क्रमशः *16717* और *167877* में, कॉमन्स ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियों को कम करने के लिए दो प्रस्ताव पारित किए ताकि केवल कॉमन्स को कराधान और सरकारी व्यय के संबंध में एक विधेयक के दायरे को निर्देशित या सीमित करने का एकमात्र अधिकार हो। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को ऐसे किसी भी विधेयक में बदलाव करने से बाहर रखा गया था।

लॉर्ड्स के बहिष्कार का इतनी सख्ती से पालन किया गया कि कॉमन्स ने पूर्व को शुल्क लेने, आर्थिक दंड लगाने या उनके लिए मुकदमा करने के तरीके को बदलने की शक्ति से भी इनकार कर दिया। *73* थॉमस एर्स्किन मे, कानून, विशेषाधिकार, कार्यवाही और उपयोग पर एक ग्रंथ

संसद, नौवां संस्करण *(1883)*

74 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *637-638* पर। यह नोट करता है: " विस्तार से, जब कॉमन्स का राजनीतिक प्रभाव बढ़ गया था, और उनके द्वारा वोट की गई सब्सिडी राष्ट्रीय राजस्व का प्रमुख स्रोत बन गई थी, तो उन्होंने धीरे-धीरे कराधान और आपूर्ति के संबंध में अपनी वर्तमान स्थिति को ग्रहण किया, और लॉर्ड्स के साथ-साथ खुद को भी अपने अनुदान में शामिल किया। *1407* तक, राजा हेनरी चतुर्थ द्वारा "द इंडेम्निटी ऑफ द लॉर्ड्स एंड कॉमन्स" नामक अध्यादेश में कहा गया था कि अनुदान "कॉमन्स द्वारा दिए गए थे, और सहमति दी गई थी।

प्रभुओं द्वारा "।

75 इबिद, पृष्ठ *638* पर *76* इबिद, पृष्ठ *641* पर। प्रस्ताव में कहा गया है: "कि राजा को दी गई सभी सहायताओं में

सामान्य तौर पर, दर या कर में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।

77 आइबीआइडी। प्रस्ताव में कहा गया है: "यह कि संसद में महामहिम को सभी सहायता और आपूर्ति और सहायता, कॉमन्स का एकमात्र उपहार है और ऐसी किसी भी सहायता और आपूर्ति को प्रदान करने के लिए सभी बिल कॉमन्स से शुरू होने चाहिए: और यह कि ऐसे अनुदानों के उद्देश्यों, उद्देश्यों, विचारों, शर्तों, सीमाओं और योग्यताओं को ऐसे विधेयकों में निर्देशित करने, सीमित करने और नियुक्त करने का कॉमन्स का निस्संदेह और एकमात्र अधिकार है;

हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इसे बदला या बदला नहीं जाना चाहिए। जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

असुविधा ", इसके कारण *1849* में एक स्थायी आदेश को अपनाया गया जिसने विधायी मुद्दों पर संशोधनों का सुझाव देने के लिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स को जगह दी। *79* हालांकि, संवैधानिक झड़पें जारी रहीं। अंततः वे *1911* के संसद अधिनियम को पारित करने के लिए प्रेरित हुए। अनिवार्य रूप से हाउस ऑफ लॉर्ड्स को धन विधेयकों को अस्वीकार करने के अधिकार से वंचित कर दिया।

62. संसद अधिनियम *1911* का उद्देश्य स्पष्ट रूप से "विनियमित करना" था।

संसद के दोनों सदनों के बीच संबंध। अधिनियम की प्रस्तावना इंगित करती है कि इसे "हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मौजूदा शक्तियों को सीमित करने" के लिए अधिनियमित किया गया था। धारा *1 (1)* धन विधेयकों पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्ति का प्रावधान करती है:

"यदि कोई धन विधेयक, जो हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित किया गया है और सत्र की समाप्ति से कम से कम एक महीने पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स को भेजा गया है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा उस सदन में भेजे

जाने के एक महीने के भीतर बिना संशोधन के पारित नहीं किया जाता है, तो विधेयक, जब तक कि हाउस ऑफ कॉमन्स इसके विपरीत निर्देश नहीं देता है, महामहिम के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और संसद का एक अधिनियम बन जाएगा।

शाही सहमति का संकेत दिया जा रहा है, इसके बावजूद कि सदन

लॉर्ड्स ने विधेयक के लिए सहमति नहीं दी है।

" "धन विधेयक" को पहली बार वैधानिक रूप से परिभाषित किया गया था। धारा *1 (2)*

प्रदान किया गया:

"धन विधेयक का अर्थ है एक सार्वजनिक विधेयक जिसमें हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की राय में केवल निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय से संबंधित प्रावधान हैं, अर्थात् -
संचित निधि, *[*राष्ट्रीय ऋण निधि*]* या संसद द्वारा प्रदान किए गए धन पर ऋण या शुल्क के अन्य वित्तीय उद्देश्यों के भुगतान के लिए अधिरोपण, निरसन, छूट, परिवर्तन या कराधान का विनियमन, या परिवर्तन या निरसन

ऐसे किसी भी शुल्क का; आपूर्ति; सार्वजनिक धन के खातों का विनियोग, प्राप्ति, अभिरक्षा, जारी करना या लेखा परीक्षा; किसी भी ऋण की गारंटी या पुनर्भुगतान; या अधीनस्थ मामले।

78 आई. बी. आई. डी., पृष्ठों पर *642-643* *79* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *646-647 80* संसद अधिनियम *1911* की प्रस्तावना *81* आई. बी. आई. डी. *[2018] 8* एस. सी. आर.

उन विषयों या उनमें से किसी के लिए प्रासंगिक। इस उपखंड में

अभिव्यक्ति "कराधान", "सार्वजनिक धन", और "ऋण" क्रमशः

इसमें स्थानीय लोगों द्वारा उठाया गया कोई कर, धन या ऋण शामिल नहीं है।
स्थानीय उद्देश्यों के लिए प्राधिकरण या निकाय।

जो उनकी राय में धन विधेयक की परिभाषा के अंतर्गत आता है। परिभाषा के बाहर के प्रावधानों वाले किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित नहीं किया जाएगा। अध्यक्ष किसी विधेयक को तब तक प्रमाणित नहीं करता जब तक कि वह पारित नहीं हो जाता। जिस रूप में यह हाउस ऑफ कॉमन्स को छोड़ देगा, यानी अपने कॉमन्स चरण के अंत में। सदन में पारित होने के बाद ही अध्यक्ष यह तय कर सकता है कि किसी विधेयक को प्रमाणित किया जाए या नहीं। *82*

1911 के अधिनियम की धारा *3* अध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र को अंतिमता प्रदान करती है और इसे न्यायिक समीक्षा से मुक्त करती है। इसके अनुसार:

"हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष का कोई भी प्रमाण पत्र दिया गया

इस अधिनियम के तहत सभी उद्देश्यों के लिए निर्णायक होगा, और

किसी भी अदालत में पूछताछ नहीं की जाएगी। "

(जोर दिया गया*)*

'धन विधेयक' की वैधानिक अवधारणा और अध्यक्ष का प्रमाणन संसद अधिनियम, *1911* द्वारा प्रस्तुत 'धन विधेयक' के रूप में एक विधेयक ने अंततः भारत के संविधान में अपना स्थान बना लिया, लेकिन महत्वपूर्ण संशोधनों के साथ।

82 हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संविधान पर चयन समिति, धन विधेयक और कॉमन्स

वित्तीय विशेषाधिकार *(2011)*, यहां उपलब्ध हैः //प्रकाशन। संसद। यूके/पी. ए./एल. डी. *201011 /* एलडीसेलेक्ट/एलडीकॉन्स्ट/*97 /*

*97.*पी. डी. एफ. जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

63. भारत में, धन विधेयकों का वर्गीकरण भारत के राष्ट्रमंडल विधेयक *1925* से शुरू हुआ कहा जा सकता है।

250 सदस्यों वाले एक राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा मसौदा तैयार किया गया था, जिसके अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू थे। राष्ट्रमंडल विधेयक के अनुच्छेद *36* में प्रावधान किया गया हैः

" 36. (क*)* कोई भी विधेयक जो सरकार की सामान्य वार्षिक सेवाओं के लिए राजस्व या धन का विनियोग करता है, केवल ऐसे विनियोग से ही संबंधित होगा।

(ख*)* कराधान अधिरोपित करने वाले विधेयक केवल करों के अधिरोपण और किसी अन्य मामले से संबंधित किसी भी प्रावधान से संबंधित होंगे।

कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
(ग*)* राजस्व या धन के विनियोग या लागू करने के लिए विधेयक।

कराधान केवल मंत्रिमंडल के एक सदस्य द्वारा पेश किया जाएगा,

और केवल विधान सभा में उत्पन्न हो सकता है।

विधेयक में न तो धन विधेयक की परिभाषा दी गई थी और न ही इसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों की विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका पर चर्चा की गई थी।

दिसंबर *1927* के अपने मद्रास सत्र में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन आयोग की स्थापना के जवाब में *(*जिसने ऐसा नहीं किया*)*

क्या किसी भारतीय सदस्य ने*)* भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्व-पक्षीय सम्मेलन की स्थापना करने का निर्णय लिया है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष के रूप में

मोतीलाल नेहरू के साथ एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। नेहरू रिपोर्ट के अनुच्छेद *17* में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है:

"*17.* एक धन विधेयक का अर्थ है एक ऐसा विधेयक जिसमें केवल निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, अर्थात् कराधान का अधिरोपण, निरसन, छूट, परिवर्तन या विनियमन; सार्वजनिक राजस्व या धन पर शुल्क के ऋण या अन्य वित्तीय उद्देश्यों के भुगतान के लिए अधिरोपण, या ऐसे किसी भी शुल्क में परिवर्तन या निरसन; सार्वजनिक धन के खातों की आपूर्ति, विनियोग, प्राप्ति, अभिरक्षा, जारी करना या लेखा परीक्षा; किसी भी ऋण को बढ़ाना या उसका पुनर्भुगतान; या गौण मामले आकस्मिक हैं। उन विषयों या उनमें से किसी के लिए। इस परिभाषा में क्रमशः "कराधान", "सार्वजनिक धन" और "ऋण" अभिव्यक्ति में स्थानीय अधिकारियों या निकायों द्वारा उठाया गया कोई कर, धन या ऋण शामिल नहीं है।

स्थानीय उद्देश्यों के लिए।

नेहरू रिपोर्ट में धन विधेयक की परिभाषा ब्रिटेन में संसद अधिनियम, *1911* से ली गई थी। रिपोर्ट के अनुच्छेद *18* में प्रावधान किया गया है कि *[2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"यह प्रश्न कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष द्वारा तय किया जाएगा।" द हाउस ऑफ

प्रतिनिधियों *(*निचले सदन*)* को सीनेट *(*ऊपरी सदन*)* द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार प्रदान किया गया था। रिपोर्ट के अनुच्छेद *19* में इस प्रकार प्रावधान किया गया है:

"प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित एक धन विधेयक को उसकी सिफारिशों के लिए सीनेट को भेजा जाएगा और इसे कुछ दिनों के बाद प्रतिनिधि सभा को वापस कर दिया जाएगा, जो इसे सभी या किसी भी विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए पारित कर सकता है।
सीनेट की सिफारिशें; और इस प्रकार पारित विधेयक होगा

माना जाता है कि दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था।

जब भारत की संविधान सभा का सत्र चल रहा था, भारतीय समाजवादी पार्टी अपनी विचारधाराओं के आधार पर "भारत गणराज्य के संविधान का मसौदा" लेकर आई। इसके प्रारूप संविधान के अनुच्छेद *147* में प्रावधान किया गया है:

"*147. (1)* प्रावधान करने वाला एक विधेयक

(क) किसी भी चीज़ को लागू करने, समाप्त करने, हटाने, बदलने या विनियमित करने के लिए कर; या

(ख) धन के उधार को विनियमित करने के लिए, या सरकार द्वारा कोई गारंटी देने के लिए, या सरकार द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी वित्तीय दायित्वों के संबंध में कानून में संशोधन करने के लिए।

सरकार; या

(ग) किसी भी व्यय को सार्वजनिक राजस्व पर प्रभारित व्यय घोषित करने के लिए, या ऐसी किसी राशि की राशि बढ़ाने के लिए।

व्यय

एक धन विधेयक के रूप में माना जाएगा और सरकार की सिफारिश के अलावा पेश या पेश नहीं किया जाएगा।

(2) किसी विधेयक या संशोधन को उपरोक्त किसी भी उद्देश्य के लिए केवल इस कारण से प्रावधान करने के लिए नहीं माना जाएगा कि यह जुर्माना या अन्य आर्थिक दंड लगाने के लिए, या प्रदान की गई सेवाओं के लिए लाइसेंस या शुल्क के लिए शुल्क की मांग और भुगतान के लिए, या इस कारण से कि यह किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कर के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन का प्रावधान करता है।

या स्थानीय उद्देश्यों के लिए निकाय।

(3) इस विवाद के मामले में कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अध्यक्ष का निर्णय, या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अंतिम होगा। जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

64. भारतीय संविधान निर्माताओं के सामने एक और मॉडल मौजूद था। ब्रिटिश भारत के प्रावधानों द्वारा शासित था भारत सरकार अधिनियम, *1935*, जिसमें संसद के दो सदनों-राज्य परिषद *(*ऊपरी सदन*)* और संघीय विधानसभा *(*निचला सदन*)* के लिए प्रावधान किया गया था। भारत सरकार अधिनियम *1935* की धारा *37* ने वित्तीय बिलों के लिए विशेष प्रावधान किए:

किसी भी वित्तीय दायित्व के संबंध में कानून में संशोधन करने के लिए
संघीय सरकार द्वारा किए गए या किए जाने वाले; या *(*ग*)* किसी भी व्यय को उस पर प्रभारित व्यय घोषित करने के लिए

संघ के राजस्व, या ऐसे किसी व्यय की राशि को बढ़ाने के लिए, गवर्नर-जनरल की सिफारिश के अलावा पेश या स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, और ऐसा प्रावधान करने वाला विधेयक राज्य परिषद में पेश नहीं किया जाएगा।

1935 के अधिनियम के तहत, वित्तीय विधेयक के संबंध में अध्यक्ष के प्रमाण पत्र का कोई प्रावधान नहीं था। धारा *38 (1)* प्रत्येक सदन को अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने और अपने व्यवसाय के संचालन के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत करती है। एक वित्तीय विधेयक केवल "गवर्नर-जनरल की सिफारिश पर" पेश किया जा सकता था। धारा *41* ने "प्रक्रिया की किसी भी कथित अनियमितता के आधार पर" न्यायिक समीक्षा से सामान्य प्रतिरक्षा प्रदान की:

"41 (1) . संघीय विधानमंडल में किसी भी कार्यवाही की वैधता पर किसी भी कथित आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।
प्रक्रिया की अनियमितता।

(2) विधान-मंडल का कोई भी अधिकारी या अन्य सदस्य जिसके पास इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत प्रक्रिया को विनियमित करने या कार्य संचालन करने या व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित हैं, उसके द्वारा उन शक्तियों के प्रयोग के संबंध में किसी भी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा। "

संविधान सभा के पास स्पष्ट रूप से ये विधायी उदाहरण थे

धन विधेयकों से संबंधित जिन पर उसने अपने मसौदे तैयार करते समय विचार किया होगा।

65. जब संविधान सभा की कार्यवाही चल रही थी, सर बी. एन. राउ ने इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में संघ संविधान समिति के लिए संविधान के मसौदे का एक ज्ञापन तैयार किया। यह.

संघ की एक संसद की परिकल्पना की गई जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन-सीनेट और प्रतिनिधि सभा शामिल थे। *83* संघ संविधान समिति की बैठकों में चर्चा किए गए प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव यह था कि "धन विधेयक लोक सभा में उत्पन्न होंगे और दूसरे सदन की शक्ति संशोधन के लिए सुझाव देने तक सीमित होगी, जिसे लोक सभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।" *84* बी. शिव राव ने रिकॉर्ड किया है कि इस दौरान क्या हुआ

संविधान सभा की कार्यवाहियाँः

"मसौदे में विधायी प्रावधान भी शामिल थे।

वित्तीय मामलों में प्रक्रिया, प्रक्रिया और व्यवसाय के संचालन के लिए सामान्य प्रक्रिया। राष्ट्रपति की सहमति के लिए कोई भी विधेयक तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था जब तक कि इसे दोनों सदनों द्वारा समान रूप से पारित नहीं किया गया हो। धन विधेयकों के मामले को छोड़कर, दोनों सदनों को समान शक्तियां थीं और दोनों सदनों के बीच अंतर था।
राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में बहुमत से निपटाया जाना था। धन विधेयकों को मसौदे में परिभाषित किया गया था जिसमें किसी भी कर को लागू करने या बढ़ाने, भारत सरकार द्वारा धन के उधार को विनियमित करने या वित्तीय गारंटी देने का प्रस्ताव करने वाले विधेयक शामिल थे। या

व्यय की किसी भी वस्तु को राजस्व पर "प्रभारित" घोषित करना, अर्थात इसे लोक सभा के मत के बाहर रखना। संविधान सभा द्वारा अनुमोदित सामान्य सिद्धांत यह था कि कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण का प्रयोग लोक सभा द्वारा किया जाएगा। तदनुसार मसौदे में प्रावधान किया गया था कि धन विधेयक केवल उसी सदन में उत्पन्न हो सकते हैं। धन विधेयकों के मामले में राज्य परिषद की शक्तियां संशोधन के लिए सुझाव देने तक सीमित थीं। यदि इन सुझावों को लोक सभा द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता था, या यदि राज्य परिषद संशोधन के लिए अपने सुझावों के साथ तीस दिनों के भीतर एक विधेयक को वापस नहीं करती थी, तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित किया गया माना जाएगा जिसमें इसे लोक सभा द्वारा पारित किया गया था और राष्ट्रपति को उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया था। *9 85*

83 बी. शिव राव, द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कांस्टीट्यूशनः एक अध्ययन, भारतीय संस्थान

लोक प्रशासन *(1968),* पृष्ठ *420* पर

84 आई. बी. आई.

85 आई. बी. आई. डी., पृष्ठों पर *427-428*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

66. संवैधानिक सलाहकार द्वारा तैयार किए गए मसौदे में एक

एक धन विधेयक की परिभाषा, जो भारत सरकार अधिनियम *1935* की धारा *37,* राष्ट्रमंडल ऑस्ट्रेलिया संविधान अधिनियम *190086* की धारा *53* और आयरलैंड के संविधान के अनुच्छेद *22* से प्रेरित थी। "यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक 'धन विधेयक' है या नहीं, तो उस पर लोक सभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। " *88* न तो भारत सरकार अधिनियम *1935* की धारा *37* और न ही राष्ट्रमंडल ऑस्ट्रेलिया संविधान अधिनियम *1900* की धारा *53* में ऐसा कोई प्रावधान है जो अध्यक्ष के निर्णय को कानूनी रूप से अंतिम रूप देता है। मसौदा प्रावधान आयरलैंड के संविधान *1937* के अनुच्छेद *22* के समान था, जो प्रदान करता हैः

" *1.* डेल एरियन *89 9* के अध्यक्ष किसी भी विधेयक को प्रमाणित करेंगे।

जो, उनकी राय में, धन विधेयक होने के लिए एक धन विधेयक है,
और उसका प्रमाणपत्र, बाद के अधीनता में होगा

इस धारा के प्रावधान अंतिम और निर्णायक होंगे।
2. सीनड एरिनू, एक प्रस्ताव द्वारा, एक बैठक में पारित किया गया जिस पर

कम से कम तीस सदस्य उपस्थित हैं, अनुरोध कर सकते हैं

राष्ट्रपति इस प्रश्न का उल्लेख करेंगे कि क्या विधेयक एक है या नहीं

विशेषाधिकार समिति को धन विधेयक।

86 उक्त प्रावधान में कहा गया हैः विधानक संबंधमे सदनसभक शक्ति। राजस्व या धन का विनियोग करने वाले या कर लगाने वाले प्रस्तावित कानून नहीं होंगे।

सीनेट में उत्पन्न होता है। लेकिन किसी प्रस्तावित कानून को उचित राजस्व या धन या कराधान लागू करने के लिए नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसमें केवल जुर्माना या अन्य आर्थिक दंड लगाने या विनियोजित करने के लिए प्रावधान हैं, या लाइसेंस के लिए शुल्क की मांग या भुगतान या विनियोजित करने के लिए, या प्रस्तावित कानून के तहत सेवाओं के लिए शुल्क। सीनेट कराधान लागू करने वाले प्रस्तावित कानूनों, या सरकार की सामान्य वार्षिक सेवाओं के लिए राजस्व या धन को विनियोजित करने वाले प्रस्तावित कानूनों में संशोधन नहीं कर सकता है। सीनेट किसी भी प्रस्तावित कानून में संशोधन नहीं कर सकता है ताकि लोगों पर किसी भी

प्रस्तावित शुल्क या बोझ को बढ़ाया जा सके। सीनेट किसी भी स्तर पर प्रतिनिधि सभा को किसी भी प्रस्तावित कानून को वापस कर सकता है जिसमें सीनेट संदेश द्वारा किसी भी वस्तु या प्रावधान को छोड़ने या संशोधन करने का अनुरोध करते हुए संशोधन नहीं कर सकता है। और प्रतिनिधि सभा, यदि वह उचित समझती है, तो संशोधनों के साथ या उनके बिना ऐसी कोई भी चूक या संशोधन कर सकती है। इस धारा में दिए गए प्रावधान को छोड़कर, सीनेट के पास प्रतिनिधि सभा के बराबर शक्ति होगी।

सभी प्रस्तावित कानूनों का सम्मान करें।

87 बी. शिव राव, द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कांस्टीट्यूशनः चयनित दस्तावेज, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान *(2012)*, पृष्ठ *32* पर, जैसा कि प्रतीक दत्ता, शेफाली मल्होत्रा और शिवांगी त्यागी, न्यायिक समीक्षा और धन विधेयक, एन. यू. जे. एस. कानून में उद्धृत किया गया है।

समीक्षा *(2017)*

89 आयरलैंड में निचला सदन *90* आयरलैंड में ऊपरी सदन *[2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. यदि राष्ट्रपति राज्य परिषद के परामर्श के बाद अनुरोध को स्वीकार करने का निर्णय लेते हैं तो वह एक विशेषाधिकार समिति नियुक्त करेंगे जिसमें डेल के सदस्यों की समान संख्या होगी।

एरियन और सीनड एरियन और एक अध्यक्ष जो एक होगा

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशः ये नियुक्तियाँ राज्य परिषद के साथ परामर्श के बाद की जाएंगी। मतों की समानता के मामले में, लेकिन अन्यथा नहीं, अध्यक्ष का अधिकार होगा।
वोट करने के लिए।

4. राष्ट्रपति इस प्रश्न को इस प्रकार नियुक्त विशेषाधिकार समिति को भेजेगा और समिति उस दिन के बाद *21* दिनों के भीतर राष्ट्रपति को अपने निर्णय की रिपोर्ट देगी।

जिसे बिल सीनड एरियन को भेजा गया था।

सीनड एरियन के अनुरोध को स्वीकार नहीं करने का फैसला करता है, या यदि
विशेषाधिकार समिति समय के भीतर रिपोर्ट करने में विफल रही

एतऽ पहिने देलक अध्यक्षक प्रमाणपत्र निर्दिष्ट कयल गेल अछि।

एरैन की पुष्टि हो जाएगी। "*(* जोर दिया गया*)*

67. संविधान सभा के सलाहकार द्वारा तैयार किए गए मसौदे में उपरोक्त प्रावधान को पूरी तरह से नहीं अपनाया गया था। इसने अध्यक्ष के प्रमाणन की अंतिमता पर भाग को अपनाया कि क्या कोई विधेयक धन विधेयक है। विवाद समाधान का आयरिश मॉडल, जो स्पीकर के प्रमाणन की समीक्षा करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता था, को अपनाया नहीं गया था।

इसके बाद, संविधान के अध्यक्ष को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में

5 दिसंबर *1947* को विधानसभा, वित्तीय विशेषज्ञ समिति

प्रावधानों ने मसौदा प्रावधान में एक संशोधन का सुझाव दिया, जिसके प्रभाव से:

"जब कोई धन विधेयक निचले सदन से ऊपरी सदन को भेजा जाता है, तो निचले सदन के अध्यक्ष का एक प्रमाण पत्र जिसमें कहा गया हो कि यह एक धन विधेयक है, विधेयक के साथ संलग्न किया जाना चाहिए या उसका समर्थन किया जाना चाहिए और संसद अधिनियम, *1911* के अनुरूप प्रावधान की तर्ज पर संविधान में इस आशय का प्रावधान किया जाना चाहिए।

इससे बाहर के विवादों को रोका जा सकेगा।

निचला सदन "। *91 (*जोर दिया गया*)*

91 9 1 बी. शिव राव, भारत के संविधान की रचनाः चयनित दस्तावेज, भारतीय

लोक प्रशासन संस्थान, पृष्ठ *281* पर जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

संसद के ऊपरी सदन में भ्रम पैदा करने से बचने के लिए प्रक्रियात्मक सरलता के लिए निचले सदन के अध्यक्ष द्वारा किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने की परिकल्पना की गई थी।

68. अंतिम प्रावधान जो संविधान के अनुच्छेद *110* का रूप ले चुका है, उसमें *1911* के अधिनियम में उपयोग की गई सटीक भाषा शामिल नहीं है। ब्रिटिश संसद के *1911* के अधिनियम ने जानबूझकर ब्रिटिश संसद के सदन के अध्यक्ष के प्रमाण पत्र की न्यायिक समीक्षा को बाहर कर दिया।

हमारे संविधान निर्माताओं का इरादा है कि वे लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी गई शक्ति को वही दर्जा प्रदान नहीं करना चाहते हैं जो हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष को प्रदान किया गया है। अगर उनका इरादा कुछ और होता तो वे उसी भाषा का इस्तेमाल करते। जैसा कि *1911* के अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया था। अन्तिमा संसद के सदनों के बीच के रूप में काम करेगी। इसने न्यायिक समीक्षा को बाहर नहीं किया

संवैधानिक न्यायालय। *69.* ब्रिटिश कानूनी प्रणाली संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाती है। भारत में ऐसा नहीं है। हमारी एक प्रणाली है जिस पर आधारित है

संविधान की सर्वोच्चता। न्यायिक समीक्षा संवैधानिक सर्वोच्चता का एक अनिवार्य घटक है। कल्पना मेहता बनाम भारत संघ के मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने इस अंतर को ध्यान में रखते हुए कहा हैः

92 प्रतीक दत्ता, शेफाली मल्होत्रा और शिवांगी त्यागी, न्यायिक समीक्षा और धन विधेयक,

एन. यू. जे. एस. विधि समीक्षा *(2017)*

"..... दोनों प्रणालियों के बीच मौलिक अंतर इस तथ्य में निहित है कि ब्रिटेन में सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप में संसदीय संप्रभुता ने भारतीय संविधान में संवैधानिक सर्वोच्चता को रास्ता दिया है। संवैधानिक सर्वोच्चता के आदेश

संवैधानिक पाठ में सन्निहित। संविधान उन संस्थानों में पूर्ण शक्ति के अस्तित्व की अनुमति नहीं देता है जिन्हें वह बनाता है। संविधान की बुनियादी विशेषताओं के एक भाग के रूप में न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक संस्थान इसके अंतर्गत कार्य करे।
अपनी सीमाएँ और सीमाएँ। *" 9 4*

70. न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संवैधानिक

व्याख्या और शासन में सिद्धांत प्रबल होते हैं। संविधान द्वारा बनाए गए संस्थान इसके मानदंडों के अधीन हैं। किसी भी संवैधानिक संस्थान के पास पूर्ण शक्ति नहीं होती है। एहि कारणसँ लोकसभाक अध्यक्षक प्रमाणपत्रकेँ न्यायिक समीक्षासँ कोनो प्रतिरक्षा नहि देल गेल अछि। संविधान निर्माताओं ने संविधान के प्रवर्तक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका की परिकल्पना की है। न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान, विशेष रूप से न्यायिक समीक्षा की शक्ति के संबंध में, "आदर्शवाद" के साथ तैयार किए गए थे, जैसा कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने देखा था। देश के न्यायालयों से संविधान और उसके मूल्यों के संरक्षक के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। संवैधानिक न्यायालयों को संविधान के तहत सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा शक्ति के प्रयोग की जांच करने का कर्तव्य सौंपा गया है। संविधान द्वारा निर्मित संस्थागत पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति संवैधानिक मानदंडों के विपरीत कार्य नहीं कर सकता है। न्यायिक समीक्षा संविधान के सिद्धांतों और भावना की रक्षा करती है। न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के मनमाने आचरण पर रोक लगाना है। यह सार्वजनिक अधिकारियों को संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह ठहराता है। अगर हमारे संविधान को राजनीतिक उन्नति के उतार-चढ़ाव से बचना है और सभी के बारे में प्रचलित सनकीपन का सामना करना है

संवैधानिक संस्थानों, शक्ति और अधिकार की धारणाओं को छोड़ देना चाहिए।

कर्तव्यों और कानून के शासन के अनुपालन के लिए। संवैधानिक संस्थानों को शक्ति और विशेषाधिकार के संचय के केंद्र बिंदु के रूप में नहीं देखा जा सकता है। वे उन सभी लोगों द्वारा विश्वास में रखे जाते हैं जो इस समय उन पर कब्जा कर रहे हैं। संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों के लिए सत्ता की अस्थिरता एक अस्पष्ट प्रतिबिंब है। संविधान में ए पर विचार नहीं किया गया है

यह जिन संस्थानों का निर्माण करता है, उनका अवमूल्यन। अध्यक्ष का कार्यालय

94 आई. बी. आई. डी., पैरा *227 95* ग्रैनविल ऑस्टिन, भारतीय संविधानः एक राष्ट्र की आधारशिला, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय

प्रेस *(1966),* पृष्ठ *205* पर जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

लोक सभा, कोई अपवाद नहीं हो सकता है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय संवैधानिक सिद्धांतों के साथ इसके अनुपालन की कसौटी पर परखा जा सकता है। न ही अध्यक्ष का ऐसा निर्णय संवैधानिक नैतिकता को छोड़ सकता है।

71. हमारा संविधान किसी को भी पूर्ण शक्ति प्रदान नहीं करता है।

संस्था। यह प्रत्येक संस्थान के लिए सीमा निर्धारित करता है। हमारी संवैधानिक योजना में नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली की परिकल्पना की गई है। लोकसभा अध्यक्ष की यह तय करने की शक्ति कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। यह तर्क कि अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा से मुक्त है और इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, संविधान की पूरी योजना के विपरीत है, जो पारदर्शिता पर आधारित है।

निष्पक्षता और निष्पक्षता। अनुच्छेद *110 (3)* में प्रयुक्त वाक्यांश "अंतिम होगा" को आयरिश संविधान के अनुच्छेद *22* से अपनाया गया है, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। आयरिश संविधान के अनुच्छेद *22* के प्रावधान अध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र की समीक्षा के लिए एक तंत्र प्रदान करते हैं। आयरिश संविधान के तहत सहायता प्रदान की जाती है जिसके द्वारा आयरिश संसद के ऊपरी सदन के सदस्य आयरलैंड के राष्ट्रपति से अनुरोध कर सकते हैं कि क्या कोई विधेयक धन विधेयक है, इस सवाल को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए। यदि राष्ट्रपति इस प्रश्न को संदर्भित करते हैं

समिति का निर्णय "अंतिम और निर्णायक" होता है। संविधान सभा के सदस्यों ने इस तंत्र को नहीं अपनाया। इस तंत्र की अनुपस्थिति का मतलब यह नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय नियंत्रण और संतुलन के अधीन नहीं हो सकता है, जिसमें न्यायिक समीक्षा एक अनिवार्य पहलू है। अध्यक्ष को उस अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्य करना होता है, जिसे संविधान अध्यक्ष के कार्यालय को प्रदान करता है। लोकसभा अध्यक्ष को प्रदत्त शक्ति का उपयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह लोकसभा की योजना को नुकसान पहुंचा सकता है।

संविधान। न्यायिक समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए अंतिम उपाय है कि अध्यक्ष संवैधानिक सौंप से परे कार्य न करें।

72. "अंतिम होगा" वाक्यांश के दायरे को संविधान सभा की कार्यवाही को देखकर भी समझा जा सकता है। द.

अनुच्छेद *110 (4)* की संवैधानिक नींव एक सुझाव पर आधारित है -

वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति कि जब कोई धन विधेयक निचले सदन से ऊपरी सदन में प्रेषित किया जाता है, तो इसे अध्यक्ष के प्रमाण पत्र द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी विवाद को रोका जा सके।

" निचले सदन के बाहर के मामले के बारे में। इसलिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बारे में अध्यक्ष के निर्णय को दी गई अंतिमता का उद्देश्य राज्य *[2018] 8* एस. सी. आर. में इस मुद्दे पर किसी भी विवाद से बचना है।

सभा और राष्ट्रपति के समक्ष। यदि इसका उद्देश्य न्यायालय को अध्यक्ष के निर्णय की वैधता पर निर्णय लेने से रोकना होता, तो अनुच्छेद की भाषा इसे स्पष्ट कर देती। कहाँ ए।

संवैधानिक प्रावधान न्यायिक समीक्षा को बाहर करने के लिए एक विशिष्ट इरादे को दर्शाता है, उस प्रभाव के लिए स्पष्ट शब्दों का उपयोग किया जाता है। अनुच्छेद *2430 (ए)%, 243 ZG (ए) 9 7* और

329 (क*)* विशेष रूप से वाक्यांश का उपयोग करें-"किसी भी अदालत में प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा"। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद *329 (ए)* इस प्रकार प्रदान करता हैः

"इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद *(*क*)* निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता,
अनुच्छेद *327* या अनुच्छेद *328* के तहत किया जाएगा, इसमें नहीं बुलाया जाएगा

किसी भी अदालत में सवाल। *(* जोर दिया गया*)*

73. एन पी पोन्नुस्वामी बनाम निर्वाचन अधिकारी, नामक्कल

निर्वाचन क्षेत्र, नामक्कल, सलेम जिला ", इस न्यायालय की छह न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद *329* के प्रावधानों का अर्थ लगाते हुए इसकी तुलना पूर्ववर्ती अनुच्छेदों से की और इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

"*5 .....* एक ओर अनुच्छेद *327* और *328* और दूसरी ओर अनुच्छेद *329* में उपयोग की गई भाषा में एक उल्लेखनीय अंतर यह है कि जहां पहले दो अनुच्छेद "इस संविधान के प्रावधानों के अधीन" शब्दों से शुरू होते हैं, वहीं अंतिम अनुच्छेद "इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद" शब्दों से शुरू होता है। बार में यह माना गया कि भाषा में इस अंतर का प्रभाव

यह है कि जबकि संसद द्वारा अनुच्छेद *327* के तहत या राज्य विधानमंडल द्वारा अनुच्छेद *328* के तहत बनाई गई कोई भी कानून संविधान के अनुच्छेद *226* के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता को बाहर नहीं कर सकती है, उस अधिकार क्षेत्र को निम्नलिखित के लिए प्रदान किए गए मामलों के संबंध में बाहर रखा गया है।

अनुच्छेद *329* "। *9999 9 9*

9 6 अनुच्छेद *2430 (*ए*)*, जो पंचायतों पर अध्याय का एक हिस्सा है, प्रदान करता हैः इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद, *(*ए*)* निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता, जो अनुच्छेद *243* के के तहत बनाई गई या प्रस्तावित की गई है, पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जाएगा। *9 7* अनुच्छेद *243* जेडजी *(*ए*)*, जो नगर पालिकाओं पर अध्याय का एक हिस्सा है, प्रदान करता हैः इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद, *(*ए*)* निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता, जो अनुच्छेद *243ZA* के तहत बनाई गई या बनाई जानी है, पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

कोई भी अदालत "।

99 आई. बी. आई. डी., पैरा *5* में जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

74. इससे जुड़ी अंतिमता के दायरे को समझने के लिए

अनुच्छेद *110 (3)* के तहत अध्यक्ष के निर्णय का विश्लेषण करना उपयोगी होगा कि अन्य संवैधानिक प्रावधानों के मामले में, इस न्यायालय द्वारा "अंतिम होगा" शब्दों की व्याख्या कैसे की गई है। दसवीं अनुसूची *1 02* के अनुच्छेद *217 (3) 1 0 0 100,311 (3) 1 1 0 1 1* और पैराग्राफ *6 (1)* में यह वाक्यांश है "होगा। अंतिम हो "। भारत संघ बनाम ज्योति प्रकाश मित्तर *1 3* वाले मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद *217 (3)* के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के निर्धारण पर राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेश की वैधता की जांच कर सकता है। छह न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया किः

" 32 ..... अनुच्छेद *217 (3)* के तहत कार्य करने वाले राष्ट्रपति

हमारी योजना के तहत गंभीर महत्व का न्यायिक कार्य

संविधान। वह अपने मंत्रियों की सलाह पर काम नहीं कर सकते।

राष्ट्रपति के आदेश की घोषित अंतिमता के बावजूद, न्यायालय के पास आदेश को दरकिनार करने के लिए उपयुक्त मामलों में अधिकार क्षेत्र है, यदि यह प्रतीत होता है कि यह संपार्श्विक विचारों पर पारित किया गया था या प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन नहीं किया गया था, या राष्ट्रपति के निर्णय को सलाह या सलाह से रंगा गया था।

कार्यपालिका द्वारा किया गया प्रतिनिधित्व या यह नहीं पर आधारित था

सबूत। साक्ष्य की प्रशंसा पूरी तरह से इस पर छोड़ दी गई है कि

राष्ट्रपति और यह अभिनिर्धारित करना न्यायालयों का कार्य नहीं है कि राष्ट्रपति के समक्ष रखे गए साक्ष्य के आधार पर, जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है,

अगर उन्हें मामले का फैसला करने के लिए बुलाया जाता तो उनके पास होता

किसी अन्य निष्कर्ष पर पहुँचे। *" 104*

100 अनुच्छेद *217 (3)* में कहा गया हैः " यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो इस प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद किया जाएगा।

भारत सरकार और राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। *101* अनुच्छेद *311 (3)* में कहा गया हैः यदि, उपरोक्त किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या ऐसी जांच करना यथोचित रूप से व्यवहार्य है जैसा कि खंड में निर्दिष्ट किया गया है।

(2) , उस पर ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करने या हटाने या उसे पद से कम करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

103 (1971) 1 एस. सी. सी. *396* *104* उदाहरण के लिए, पृष्ठ *397 [2018] 8* एस. सी. आर. पर।

राष्ट्रपति को अनुच्छेद *217 (3)* के तहत निर्णय लेने में न्यायिक कार्य करने के लिए आयोजित किया गया था।

अनुच्छेद *311 (3)* के तहत अंतिमता के प्रश्न पर भारत संघ बनाम तुलसीराम पटेल *105* मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा विचार किया गया था। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद *311 (3)* द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निर्णय को दी गई अंतिमता कि जांच करना उचित रूप से व्यवहार्य नहीं है, न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं है जहां तक उसकी न्यायिक शक्ति है।

समीक्षा की जा रही है। संविधान की दसवीं अनुसूची में निहित प्रावधानों की संवैधानिक वैधता इस न्यायालय की एक संविधान पीठ के समक्ष किहोतो होलोहन बनाम ज़चिल्लू *1 06* मामले में विचार के लिए आई। संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि अनुसूची के तहत अध्यक्ष या अध्यक्ष में निहित शक्ति एक न्यायिक शक्ति है, और न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी हैः

" 111 ..... दसवीं अनुसूची का वह अनुच्छेद *6 (1),* इस हद तक
यह अध्यक्षों/अध्यक्षों के निर्णय को अंतिम रूप देना चाहता है।

वैध है। लेकिन वैधानिक अंतिमता की अवधारणा में सन्निहित

पैराग्राफ *6 (1)* न्यायिक प्रक्रिया को बाधित या निरस्त नहीं करता है।

संविधान के अनुच्छेद *136,226* और *227* के तहत समीक्षा

जहाँ तक संवैधानिक उल्लंघनों पर आधारित दुर्बलताएँ हैं

आदेश, दुर्भावना, नियमों का पालन न करना

प्राकृतिक न्याय और विकृति का संबंध है। *107*

(जोर दिया गया*)*

पीठ ने यह भी स्पष्ट किया था किः

चुनौती के तहत प्राधिकरण की कार्रवाई शक्तियों के अधिकार से बाहर है
उक्त प्राधिकारी को प्रदान किया गया। इस तरह की कार्रवाई अति अधिकारपूर्ण हो सकती है।

इस कारण से कि यह एक अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन है

प्राधिकरण को ऐसा लेने की शक्ति प्रदान करने वाले कानून का

कार्रवाई। यह उन्हें प्रदत्त शक्तियों से भी परे होगा।

प्राधिकरण यदि यह दुर्भावना से दूषित है या इसका रंगीन अभ्यास है

बाहरी और अप्रासंगिक विचारों पर आधारित शक्ति।

99108

105 (1985) 3 एस. सी. सी. *398 106 (1992)* पूरक *(2)* एस. सी. सी. *651 107* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *711* पर

108 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *708* पर जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

निस्संदेह, अनुच्छेद *217 (3), 311 (3)* और दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ *6 (1)* में निहित अंतिमता खंडों को न्यायिक समीक्षा को बाहर करने के लिए नहीं माना गया था क्योंकि शक्ति की आवश्यक प्रकृति न्यायिक है। अनुच्छेद *110 (3)* के तहत एक विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने के लिए अध्यक्ष को एक संवैधानिक कार्य सौंपा गया है, जिसके लिए न्यायिक शक्ति के गुण नहीं हैं।

आवेदन करें। वास्तव में, अनुच्छेद *110 (3)* के तहत अध्यक्ष को सौंपी गई शक्ति विधायी प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। लेकिन, यह तथ्य कि एक संवैधानिक पदाधिकारी जिस अधिकार का प्रयोग करता है, वह न्यायिक चरित्र का नहीं है।

यह इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है कि उस शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने वाला एक अंतिम खंड इसे न्यायिक समीक्षा से मुक्त बनाता है। जहाँ शक्ति का प्रत्यर्पण उचित पूर्ति के अधीन है - संवैधानिक मानदंडों के अनुसार, अधिकार क्षेत्र का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी है, यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक है कि क्या संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन हुआ है। न्यायिक समीक्षा की प्रकृति और विस्तार निस्संदेह उस स्थिति से भिन्न होगा जहां अंतिम रूप दिया गया है।

न्यायिक, प्रशासनिक या अर्ध-न्यायिक शक्ति से संबद्ध। हालांकि, ए. अंतिमता पर खंड के बावजूद, यह संवैधानिक न्यायालय के लिए यह निर्धारित करने के लिए खुला है कि क्या किसी संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन हुआ है जिसके परिणामस्वरूप निर्णय संवैधानिक दुर्बलता से ग्रस्त है। अध्यक्ष को एक संवैधानिक कार्य सौंपना

अनुच्छेद *110 (3)* के तहत किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने के लिए अनुच्छेद *110 (1)* में निर्धारित मानदंडों की पूर्ति पर आधारित है। प्रमाणन पर इस आधार पर सवाल उठाया जा सकता है कि विधेयक शर्तों को पूरा नहीं करता है

अनुच्छेद *110 (1)* में धन विधेयक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। यदि यह स्थापित हो जाता है, तो प्रमाणन संवैधानिक जनादेश के विपरीत होगा। क्या ऐसा है, इसकी न्यायिक जांच की जा सकती है।

75. यह धारणा कि सत्ता सौंपना निरपेक्ष है, एक औपनिवेशिक मूल है। औपनिवेशिक शासन के तहत कानून केवल व्यवस्था बनाए रखने का एक साधन नहीं था, बल्कि अधीनता का एक स्रोत था। पूर्ण अधिकार के निहित होने की मान्यता केवल इस आधार का प्रतिबिंब थी कि शासन करने वालों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था। जिन लोगों पर शासन किया जाता था, उन्हें शासक के अधिकार को स्वीकार करना पड़ता था। औपनिवेशिक कानून और इतिहास की इन मानक नींवों की तरह संवैधानिक सिद्धांत से अलग कुछ भी नहीं हो सकता है। यह धारणा कि शक्ति निरपेक्ष है, एक संविधान के साथ असंगत है जो सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को कार्यों को सौंपने के साथ आने वाले प्रतिबंधों के अधीन है। हमारे कानून को अपने संस्थापक सिद्धांतों को अपने औपनिवेशिक अतीत से मुक्त करने की आवश्यकता को पहचानना चाहिए। न्यायालय को इस धारणा को आसानी से स्वीकार नहीं करना चाहिए कि एक संवैधानिक पदाधिकारी में निहित अधिकार न्यायिक समीक्षा से मुक्त है।

और विशिष्ट और, क्या इस तरह के बहिष्कार को एक संवैधानिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो एक संवैधानिक आवश्यकता के संदर्भ में मूल्यांकन की गई कार्यक्षमता की कसौटी पर खरा उतरता है। गणतंत्र के सातवें दशक में, संविधान की हमारी व्याख्या को मुक्त करने की आवश्यकता को कम करना चाहिए यह अपने औपनिवेशिक विनाश से है।

यह दृष्टिकोण इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य *1 0 9 109* में अपनाया गया था। राज्यपाल की शक्ति बनाने वाले अध्यादेश की व्याख्या करते हुए न्यायालय ने कहा कि

संविधान की व्याख्या को "सावधानीपूर्वक संरचित" किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शक्ति वही बनी रहे जो हमारे संविधान निर्माताओं का इरादा था। पीठ ने कहाः

" 91 ..... जिस मुद्दे पर विस्तार की आवश्यकता है वह यह है कि क्या एक अध्यादेश जिसका स्वभाव ही सीमित जीवन है, उसे लागू किया जा सकता है।

भविष्य के लिए परिणाम *(*अधिकारों के निर्माण के संदर्भ में,

विशेषाधिकार, देनदारियाँ और दायित्व*)* जो अध्यादेश के जीवनकाल से परे होंगे। इस मुद्दे पर फैसला करते समय अदालत को यह करना चाहिए कि

एक व्याख्या को अपनाना जो बुनियादी को आगे बढ़ाता है
विधायी नियंत्रण का संवैधानिक आधार

अध्यादेश। संसदीय लोकतंत्र के जीवित रहने के लिए इस संवैधानिक मूल्य का संरक्षण आवश्यक है।

कानून और सामूहिक शासन की निश्चित नींव

संविधान की खामोशी को आत्मसात किया जाना चाहिए
उन्हें एक अर्थ से भरकर मूल सामग्री जो कानून के शासन को बढ़ाती है। कार्यपालिका को अध्यादेश बनाने की शक्ति की एक घटना के रूप में श्रेय देना, एक अप्रतिबंधित क्षमता

109 (2017) 3 एस. सी. सी. *1* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

भावी पीढ़ी के लिए बाध्यकारी प्रभाव पैदा करना संसदीय लोकतंत्र में एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। अदालत ने अध्यादेशों को बनाने की शक्ति की व्याख्या, जो सरकार की कार्यकारी शाखा में उत्पन्न होती है, इस मूल धारणा से अनजान नहीं हो सकती है कि कानून बनाने की शक्ति का प्राथमिक रूप इसके माध्यम से है।

विधायिका। *"1 1 0 (*जोर दिया गया*)*

अध्यादेश बनाने की शक्ति को "संवैधानिक आवश्यकता" प्राप्त करने के लिए एक असाधारण शक्ति माना गया था।

76. अनुच्छेद *122* का सीमांत नोट है: " अदालतें संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगी। लेख इस प्रकार है:

" 122. (1) संसद में किसी भी कार्यवाही की वैधता पर प्रक्रिया की किसी भी कथित अनियमितता के आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

(2) संसद का कोई अधिकारी या सदस्य जिसमें प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए इस संविधान द्वारा या उसके तहत शक्तियां निहित हैं या संसद में कार्य का संचालन, या व्यवस्था बनाए रखने के लिए, के संबंध में किसी भी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन होगा

उसके द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग करें। " "

उनके न्यायालय को इस सवाल पर विचार करना चाहिए कि क्या अध्यक्ष का निर्णय अनुच्छेद *110 (3)* अनुच्छेद *122* द्वारा संरक्षित है। अनुच्छेद *122* यू. आर. टी. को इस आधार पर संसद में किसी भी कार्यवाही की वैधता की जांच करने से रोकता है कि "प्रक्रिया में कोई कथित अनियमितता" थी। अनुच्छेद में निर्दिष्ट "प्रक्रिया" अभिव्यक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद *118* में किया गया है। अनुच्छेद *8* के सीमांत नोट में "प्रक्रिया के नियमों" का प्रावधान है। अनुच्छेद *118* इस प्रकार प्रदान करता है:

" 118. (1) संसद का प्रत्येक सदन इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए विनियमन के लिए नियम बना सकता है। इसकी प्रक्रिया और इसके व्यवसाय का संचालन। *(2)* जब तक खंड *(1)* के तहत नियम नहीं बनाए जाते हैं, तब तक भारत अधिराज्य के विधानमंडल के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से तुरंत पहले लागू प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश संसद के संबंध में प्रभावी होंगे, बशर्ते कि

राज्य परिषद के अध्यक्ष या लोक सभा के अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, द्वारा उसमें किए जाने वाले संशोधन और अनुकूलन। *(3)* राष्ट्रपति ने इसके बाद

राज्य परिषद के अध्यक्ष और लोक सभा के अध्यक्ष के साथ परामर्श, संयुक्त बैठकों और संचार के संबंध में प्रक्रिया के बारे में नियम बना सकते हैं।

दोनों सदनों के बीच।

(4) दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोक सभा का अध्यक्ष, या उनकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति जो हो सकता है

खंड *(3)* के तहत बनाई गई प्रक्रिया के नियमों द्वारा निर्धारित,

अध्यक्षता करें "। *(* जोर दिया गया*)*

संविधान के अधीन। अनुच्छेद *118* के तहत बनाए गए नियम प्रक्रियात्मक प्रकृति के हैं। अनुच्छेद *118* से *122* के तहत विचार की गई प्रक्रिया मूल संवैधानिक आवश्यकताओं से अलग है। लोकसभा अध्यक्ष पर यह प्रमाणित करने की बाध्यता रखी गई है कि क्या कोई विधेयक एक धन विधेयक केवल अनुच्छेद *122* के तहत विचार की गई "प्रक्रिया" का मामला नहीं है। यह एक संवैधानिक आवश्यकता है, जिसे अनुच्छेद *110* में निर्धारित मानदंडों के अनुसार पूरा किया जाना है। यदि यह अनुच्छेद *110* के तहत प्रदान किए गए संवैधानिक मानदंडों के विपरीत है, तो अनुच्छेद *122* अध्यक्ष की कार्रवाई को नहीं बचाएगा। न्यायालय, अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हुए

समीक्षा, अध्यक्ष की कार्रवाई की वैधता पर निर्णय ले सकती है यदि यह संवैधानिक दुर्बलता का कारण बनती है। अनुच्छेद *122* में छूट की परिकल्पना नहीं की गई है न्यायिक समीक्षा से, यदि कोई संवैधानिक दुर्बलता रही है। संविधान अनुच्छेद *122* के तहत न्यायिक समीक्षा के पूर्ण निषेध का समर्थन नहीं करता है। यह केवल "प्रक्रिया की अनियमितता" तक सीमित है।

78. इस न्यायालय ने कई अवसरों पर अनुच्छेद *122 (*और राज्यों के लिए संबंधित अनुच्छेद *212* के तहत*)* के तहत प्रदान किए गए प्रतिबंध के दायरे को प्रतिबंधित किया है और "प्रक्रिया की अनियमितता" को "अवैधता" से अलग किया है। *1964* के विशेष संदर्भ संख्या *1* में, इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ अनुच्छेद *212 (1)* के संदर्भ में उस अंतर को ध्यान में रखाः

*" 61 ... .*अनुच्छेद *212 (2)* उन अधिकारियों और विधानमंडल के सदस्यों को उन्मुक्ति प्रदान करता है जिनके पास या जिनके द्वारा शक्तियां निहित हैं।

111 ए. आई. आर. *1965* एस. सी. *745* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम। भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

विधानमंडल में प्रक्रिया या कार्य संचालन को विनियमित करने या व्यवस्था बनाए रखने के लिए संविधान के तहत, उसके द्वारा उन शक्तियों के प्रयोग के संबंध में किसी भी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन होने से। कला. *212 (1)* ऐसा प्रतीत होता है कि एक नागरिक के लिए यह संभव हो जाता है कि वह उचित न्यायालय में विधायी कक्ष के अंदर किसी भी कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाए, यदि उसका मामला यह है कि उक्त कार्यवाहियों को केवल कानूनी कार्यवाही से ही नुकसान नहीं होता है।
प्रक्रिया की अनियमितता, लेकिन एक अवैधता से। अगर

विवादित प्रक्रिया अवैध और असंवैधानिक है, यह होगा
कानून की अदालत में जांच के लिए खुला रहें, हालांकि इस तरह

जाँच निषिद्ध है यदि शिकायत के खिलाफ

प्रक्रिया इससे अधिक नहीं है कि प्रक्रिया थी अनियमित।
*"(*जोर दिया गया*)*

रामदास अठावले बनाम भारत संघ *1 1 2 112 ("*रामदास अठावले*")*इस न्यायालय की संस्थान पीठ ने उपरोक्त सूत्रीकरण को संविधान के अनुच्छेद *2* तक बढ़ा दियाः

असंवैधानिक, यह कानून के न्यायालय में जांच के लिए खुला होगा, हालांकि इस तरह की जांच निषिद्ध है यदि इसके खिलाफ शिकायत है प्रक्रिया इससे अधिक नहीं है कि प्रक्रिया अनियमित थी। यही सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद *122* की व्याख्या के मामले में भी समान रूप से लागू होगा।

इस न्यायालय की संविधान पीठ ने राजा राम पाल बनाम माननीय ईकर, लोकसभा *1 1 4 114 ("*राजा राम पाल*")* में एक आकस्मिक अनियमितता *"*और*"* अवैधता *"*के बीच के अंतर की पुष्टि की। पीठ ने कहा कि अदालतों को न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है

संसद की प्रक्रिया में अवैधता या असंवैधानिकताः *(2010) 4* एससीसी *1*

आई. बी. आई. डी., पृष्ठों पर *13-14*

(2007) 3 एससीसी *184 [2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 386 ..... अनुच्छेद *122* में किसी सीमा को पढ़ने का कोई भी प्रयास ताकि -

असंवैधानिकता के मामले में संसद की प्रक्रिया की जांच करने के लिए अदालत के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करना, अवैधता के विपरीत संवैधानिक पाठ के लिए हिंसा करने के बराबर होगा। *"*एक्सप्रेसियो यूनिअस एस्ट एक्सक्लूसिओ अल्टेरियस*"* के सिद्धांत को लागू करते हुए *(*जो कुछ भी शामिल नहीं किया गया है उसे निहितार्थ से बाहर रखा गया है*)*, यह स्पष्ट और स्पष्ट है कि

"प्रक्रिया की अनियमितता" की कसौटी अवैधता के निष्कर्षों पर वर्जित न्यायिक समीक्षा नहीं बनाती है या
असंवैधानिकता. *1 1 5*

398 ..... न्यायालय हस्तक्षेप करने से इनकार कर देगा यदि उसके समक्ष लाई गई शिकायत "प्रक्रिया की अनियमितता" के आरोपों तक ही सीमित है। लेकिन यदि घोर अवैधता या संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन दिखाया जाता है, तो न्यायिक समीक्षा को अनुच्छेद *122* या उस मामले के लिए अनुच्छेद *105* द्वारा किसी भी तरह से बाधित नहीं किया जाएगा। *" 1 116*

न्यायालय ने भारत में संवैधानिक पृष्ठभूमि को इंग्लैंड से अलग करते हुए कहा कि इंग्लैंड ने विशेष संसदीय प्रभुत्व का शासन अपनाया है, लेकिन भारत संविधान में प्रदान की गई नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली द्वारा शासित है:

*" 366.*जिस कसौटी पर विधानमंडल की चार दीवारों के भीतर संसदीय कार्यों की जांच की गई, वह संवैधानिक और मूल दोनों तरह का कानून था। कार्यवाही

जो मूल अवैधता या असंवैधानिकता के कारण दूषित हो सकता है, जबकि केवल अनियमितताओं से पीड़ित लोगों को इससे सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है।

ब्रैडलॉ *[(1884) 12* क्यू. बी. डी. *271]* में निर्धारित व्यापक सिद्धांत में अनुच्छेद *122 (1)* द्वारा न्यायिक जांच इंग्लैंड में विधानमंडल के अनन्य संज्ञान को स्वीकार करने का शासन प्रणाली पर कोई अनुप्रयोग नहीं है।

हमारे संविधान द्वारा प्रदान किया गया है जिसमें कोई भी अंग संप्रभु नहीं है और प्रत्येक अंग संवैधानिक जांच और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है, इस न्यायालय को किस कार्य योजना में सौंपा गया है के प्रहरी और गारंटर होने के कर्तव्य के साथ

संविधान "। *117 (* जोर दिया गया*)*

115 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *359 116* आई. बी. आई. डी. पर, पृष्ठ *362 117* आई. बी. आई. डी. पर, पृष्ठ *350* जस्टिस के. एस. पुटास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. पर।

भारत का संघ

जे.*]*

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड,

इन निर्णयों से जो सिद्धांत उभरता है वह यह है कि

अध्यक्ष न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए उत्तरदायी है, यदि यह अवैधता या संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन से ग्रस्त है।

79. महान्यायवादी ने इस दलील को आगे बढ़ाया कि यह न्यायालय

पिछले अवसरों पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अध्यक्ष के निर्णय की जांच करने से परहेज किया है। उन निर्णयों के लिए वर्तमान मामले में निर्णय लेने के लिए चर्चा की आवश्यकता होती है। मैंगलोर गणेश बिडी वर्क्स बनाम मैसूर राज्य *("मैंगलोर बिडी")* में, एक नया

भारतीय सिक्का अधिनियम में संशोधन करके सिक्का प्रणाली शुरू की गई थी। नई प्रणाली के तहत, जबकि एक रुपये को सौ नए पैसे में विभाजित किया गया था, सोलह आना या चौंसठ पैसे की पुरानी कानूनी निविदा एक सौ नए पैसे के बराबर कानूनी निविदा बनी रही। अपीलार्थी, जो मैसूर बिक्री कर अधिनियम के तहत पंजीकृत एक फर्म थी, को मुद्रा में परिवर्तन के कारण बिक्री कर के रूप में अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ा। यह तर्क दिया गया था कि *3* पाई *(*पुरानी मुद्रा*)* के स्थान पर *2* नए पैसे *(*नई मुद्रा*)* को कर के रूप में प्रतिस्थापित करके, मैसूर बिक्री कर अधिनियम द्वारा लगाए गए कर में बदलाव किया गया था, जो केवल संविधान के अनुच्छेद *198,199* और *207* के तहत एक धन विधेयक पारित करके किया जा सकता था।

और चूंकि कर को बढ़ाने के लिए कोई धन विधेयक पेश या पारित नहीं किया गया था, इसलिए कर अवैध और अमान्य था। इसलिए, तर्क यह था कि धन विधेयक को पारित करने के लिए परिकल्पित प्रक्रिया होनी चाहिए

था, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया। संविधान पीठ ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि अन्न, पाईस और पाई के स्थान पर एक नए सिक्के यानी नए पैसे का प्रतिस्थापन कर में वृद्धि के बराबर नहीं है। इसे केवल एक सिक्के के स्थान पर समान मूल्य के दूसरे सिक्के के रूप में माना जाता था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि नए पैसे के संदर्भ में कर का उद्ग्रहण था यह असंवैधानिक नहीं था और न ही यह एक कर लगाने वाला उपाय था, लेकिन यह केवल पुराने सिक्कों को नए सिक्कों में बदलने से संबंधित था। यह अभिनिर्धारित करते हुए पीठ ने यह भी टिप्पणी कीः

> *" 5 .....* यह मानते हुए भी कि यह एक कर लगाने वाला उपाय है, इसकी वैधता नहीं हो सकती है।
>
> इस आधार पर चुनौती दी जाए कि यह कला का अपमान करता है। *197 199* और
>
> कला में निर्धारित प्रक्रिया। *202* संविधान से। लेख
>
> *212* किसी विधानमंडल में किसी भी कार्यवाही की वैधता को प्रतिबंधित करता है
>
> राज्य को किसी भी कथित आधार पर प्रश्न में बुलाए जाने से
>
> प्रक्रिया और कला की अनियमितता। *255* उन आवश्यकताओं को निर्धारित करता है सिफारिश और पूर्व मंजूरी पर विचार किया जाना चाहिए।
>
> केवल प्रक्रिया के मामलों के रूप में "।

118 1963 पूरक *(1)* एस. सी. आर. *275 [2018] 8* एस. सी. आर.

यह मानते हुए कि कर में कोई वृद्धि केवल सिक्कों के प्रतिस्थापन में शामिल नहीं थी, वैकल्पिक परिकल्पना अनुपात का हिस्सा नहीं है और अनावश्यक थी। अनुपात यह था कि एक नए सिक्के का प्रतिस्थापन धन विधेयक के बराबर नहीं था। संविधान पीठ का निर्णय मैंगलोर बीडी ने इस तर्क से निपटा कि एक धन विधेयक को असंवैधानिक रूप से एक सामान्य विधेयक के रूप में पारित किया गया था। पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि

सिक्कों के प्रतिस्थापन ने इसे धन विधेयक नहीं बना दिया। इस निर्णय में राज्य विधानमंडल में कार्यवाही की प्रतिरक्षा के संबंध में एक सामान्य अवलोकन शामिल है। एक विद्वतापूर्ण लेख *1,1 9 119* में मैंगलोर बीडी में की गई सामान्य टिप्पणियों को अनावश्यक और अनुपात नहीं के रूप में सही ढंग से संदर्भित किया गया है क्योंकि इस मुद्दे पर पहले से ही गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया गया था, यह मानते हुए कि सिक्कों का प्रतिस्थापन कर में वृद्धि नहीं थी। *80.* मोहम्मद सईद सिद्दीकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य *("*मोहम्मद सईद सिद्दीकी*")* मामले में इस अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उत्तर प्रदेश लोकायुक्ता और उप-लोकायुक्ता *(*संशोधन*)* अधिनियम, *2012* की संवैधानिक वैधता पर विचार किया। असंशोधित अधिनियम की धारा *5 (1)* ने लोकायुक्ता के लिए छह साल की अवधि का प्रावधान किया। धारा *5 (3)* में प्रावधान किया गया है कि पद धारण करना बंद करने पर, लोकायुक्ता या उप-लोकायुक्ता पद के लिए अयोग्य होंगे।

आगे की नियुक्ति। नई राज्य सरकार, जो सत्ता में आई, ने एक विधेयक पेश किया जिसे उत्तर प्रदेश लोकायुक्ता और उप-लोकायुक्ता *(*संशोधन*)* अधिनियम, *2012* के रूप में पारित किया गया, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश लोकायुक्ता और उप-लोकायुक्ता का कार्यकाल छह साल से बढ़ाकर आठ कर दिया गया।

वर्षों या जब तक उत्तराधिकारी कार्यालय में प्रवेश नहीं करता है। संशोधन अधिनियम भी उत्तर प्रदेश सरकार के तहत आगे की नियुक्ति के लिए लोकायुक्ताओं या उप-लोकायुक्ताओं की अयोग्यता को सीमित करना। संशोधन अधिनियम को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि इसे धन विधेयक के रूप में पारित किया गया था, जबकि इसके बावजूद, इसे संविधान के अनुच्छेद *199* के तहत कभी भी धन विधेयक नहीं कहा जा सकता था। पीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि "क्या कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह सवाल केवल राज्य विधानसभा में उसके सदस्य द्वारा उठाया जा सकता है जब

119 प्रतीक दत्ता, शेफाली मल्होत्रा और शिवांगी त्यागी, न्यायिक समीक्षा और धन

बिल, खण्ड *10*, एन. यू. जे. एस. विधि समीक्षा *(2017)*।

120 (2014) 11 एस. सी. सी. *415* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

विधेयक राज्य विधानमंडल में लंबित है और इससे पहले कि यह एक अधिनियम बन जाए। इसने निम्नलिखित सिद्धांतों को तैयार करने के लिए मैंगलोर बीडी में की गई टिप्पणियों पर भरोसा कियाः

" ((i) किसी अधिनियम की वैधता को इस पर चुनौती नहीं दी जा सकती है -

जमीन

और *(iii)* अनुच्छेद *255* में निम्नलिखित आवश्यकताओं को निर्धारित किया गया है - अनुशंसा और पूर्व मंजूरी को माना जाना चाहिए -

केवल प्रक्रिया की बात। यह आगे माना जाता है कि की वैधता

इस आरोप पर प्रश्न कि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया
कानून का सख्ती से पालन नहीं किया गया है और कोई भी अदालत इसमें नहीं जा सकती है

वे प्रश्न जो विशेष अधिकार क्षेत्र के भीतर हैं

स्वयं विधानमंडल, जिसके पास अपना संचालन करने की शक्ति है

व्यापार "।

फैसले में पंडित एम. एस. एम. शर्मा बनाम डॉ. श्री कृष्ण सिन्हा *1 2 1 ("*एम. एस. एम*".)* मामले में सात न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का भी संदर्भ दिया गया है।

शर्मा *")*।

"विधानमंडल की कार्यवाही" संसदीय कार्य के लेन-देन में "किसी भी सदन में कही गई या की गई हर चीज" को शामिल करने के लिए आयोजित की गई थी। अनुच्छेद *212* और *255* पर भरोसा करते हुए, पीठ ने अध्यक्ष के निर्णय को अंतिम रूप दिया:

" 43. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, के अध्यक्ष का निर्णय

अनुच्छेद *212*। इसके अलावा, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद *255* यह भी दर्शाता है कि संविधान के
तहत प्रक्रिया के मामले प्रदान नहीं करते हैं

एक अधिनियम अमान्य जिसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई हो।

विधान द्वारा उक्त विधेयक के पारित होने के विरुद्ध याचिकाकर्ता
केवल सभा ही अस्वीकार्य है। *1 22*

121 आकाशवाणी *1960* एससी *1186*

122 मोहम्मद सईद सिद्दीकी, आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *430 [2018] 8* एस. सी. आर.

राजा राम पाल में संविधान पीठ के फैसले का संदर्भ देते हुए पीठ ने कहा कि भले ही यह स्थापित हो गया हो कि संशोधन को लागू करने की प्रक्रिया में कुछ कमजोरी थी

अधिनियम, इसे संविधान के अनुच्छेद *255* द्वारा संरक्षित किया जाएगा।

81. इसके बाद, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने योगेंद्र कुमार जयसवाल बनाम बिहार राज्य *1 23 ("*योगेंद्र कुमार*")* मामले पर विचार किया।

उड़ीसा विशेष न्यायालय अधिनियम, *2006* की संवैधानिक वैधता। द.

उच्च राजनीतिक और सार्वजनिक पदों पर आसीन या आसीन व्यक्तियों द्वारा आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक संपत्ति के संचय को ध्यान में रखते हुए राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाया गया था। विधायिका ने कुछ वर्गों के अपराधों की त्वरित सुनवाई और संपत्तियों को जब्त करने के लिए विशेष अदालतें प्रदान कीं। अपीलार्थी, जो लोक सेवक थे और आपराधिक मामलों का सामना कर रहे थे, उन्होंने अधिनियम को इस आधार पर चुनौती दी कि इसे राज्य विधानसभा में धन विधेयक के रूप में पेश किया गया था, हालांकि इसमें संविधान के अनुच्छेद *199* के तहत धन विधेयक की कोई विशेषता नहीं थी। अदालत ने मोहम्मद सईद सिद्दीकी के मामले में फैसले के बाद याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसमें कहा गया था कि:

"*43.* हमारी सुविचारित राय में, अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत अधिकारी एक विधेयक को पेश करने के लिए बहुत अधिक सहायता प्रदान नहीं करते हैं, जैसा कि मोहम्मद में आयोजित किया गया है। सईद सिद्दीकी *(*ऊपर*)*, "अनियमितता" की अवधारणा के भीतर आता है और यह पर्याप्तता के दायरे के साथ आता है। *1964 (*उपर्युक्त*)* के विशेष संदर्भ संख्या *1* में क्या रखा गया है, उसे स्पष्ट रूप से समझना होगा। उसमें तथ्यात्मक मैट्रिक्स वर्तमान मामले से पूरी तरह से अलग था क्योंकि हम पाते हैं कि वर्तमान विवाद पूरी तरह से अलग है।

मोहम्मद में उच्चारण द्वारा कवर किया गया। सईद सिद्दीकी *(*ऊपर*)* और इसलिए, हम बिना किसी हिचकिचाहट के मानते हैं कि विद्वान वकील द्वारा इतनी दृढ़ता से आग्रह किए जाने में कोई योग्यता नहीं है

अपीलकर्ता "। *124*

1964 के विशेष संदर्भ संख्या *1* को योगेंद्र कुमार में प्रतिष्ठित किया गया था। अनुच्छेद *255* प्रदान करता है:

"संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का कोई अधिनियम और ऐसे किसी अधिनियम में कोई प्रावधान केवल इस कारण से अमान्य नहीं होगा कि इस संविधान द्वारा आवश्यक कुछ सिफारिश या पूर्व मंजूरी नहीं दी गई थी, यदि उस अधिनियम को मंजूरी दी गई थी।

123 (2016) 3 एससीसी *183*

124 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *229* पर जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

*((*क*)* जहां राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी,

या तो राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा;

(ख*)* जहां राजप्रमुख की सिफारिश की आवश्यकता थी, या तो राजप्रमुख या राष्ट्रपति द्वारा; *(* ग*)* जहाँ सिफारिश या पूर्व मंजूरी की आवश्यकता हो।

यह राष्ट्रपति का था, राष्ट्रपति द्वारा।

82. अनुच्छेद *255* एक ऐसी स्थिति के बारे में बताता है जहां राज्यपाल, राजप्रमुख या, जैसा भी मामला हो, राष्ट्रपति द्वारा "सिफारिश या पूर्व मंजूरी" देने की आवश्यकता होती है। सिफारिश या पूर्व मंजूरी की अनुपस्थिति कानून को अमान्य नहीं करेगी, जहां अधिनियम को राज्यपाल या राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। दूसरे शब्दों में, बाद की सहमति, सिफारिश या मंजूरी की अनुपस्थिति को ठीक करती है। अनुच्छेद *255* किसी भी तरह से लोकसभा या राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के निर्णय या प्रमाण पत्र से संबंधित नहीं है कि क्या कोई विधेयक धन विधेयक है। इसके अलावा, अनुच्छेद *255* अनुच्छेद *110* पर इस साधारण कारण से लागू नहीं होता है कि अनुच्छेद *110* में पूर्व मंजूरी या सिफारिश शामिल नहीं है। अनुच्छेद *255* में संसद के उच्च सदन या राज्य विधानमंडल की भूमिका को हटाने की परिकल्पना नहीं की गई है। मोहम्मद सईद सिद्दीकी अनुच्छेद *255* की गलत समझ पर आगे बढ़ते हैं। योगेंद्र कुमार में मोहम्मद सईद सिद्दीकी का अनुसरण किया गया। ये दोनों

निर्णयों में वही तीन अनुच्छेद उद्धृत किए गए हैं-अनुच्छेद *199,125,22,126* और

255 , अध्यक्ष के आचरण पर सवाल उठाने से बचना, यह देखे बिना कि अनुच्छेद *255* वहां लागू नहीं होता है।

इसके अलावा, एम. एस. एम. शर्मा, जिसे मोहम्मद सईद सिद्दीकी में संदर्भित किया गया था, पर विशेष संदर्भ में चर्चा की गई थी ताकि यह माना जा सके कि यदि ऐसी कार्यवाही अवैध है तो विधायी कक्ष में किसी भी कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाया जा सकता है। विशेष संदर्भ, रामदास अठावले और राजा राम के निर्णयों से जो सुसंगत धागा निकलता है

पाल का कहना है कि संसद या राज्य विधानमंडल में कार्यवाही की वैधता इस आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकती है कि कोई अवैधता या संवैधानिक उल्लंघन है। इसके अलावा, योगेंद्र कुमार में फैसला मोहम्मद सईद सिद्दीकी के बाद आया। सिद्दीकी एक गलती पर आधारित था मैंगलोर बीडी की समझ। अनुच्छेद *110 (3)* और *199 (3)* के तहत अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है।

125 संघ के लिए संबंधित प्रावधान संविधान का अनुच्छेद *110* है। *126* संघ के लिए संबंधित प्रावधान संविधान का अनुच्छेद *122* है।

मोहम्मद सईद सिद्दीकी में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले और योगेंद्र कुमार में दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को खारिज कर दिया गया है।

83. लोकसभा अध्यक्ष के फैसले की न्यायिक समीक्षा को छोड़कर किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने से छूट मिल जाएगी।

जांच, यहां तक कि जहां विधेयक निष्पक्ष रूप से नहीं बोलता है, केवल अनुच्छेद *110 (1)* में निर्धारित प्रावधानों से संबंधित है। लोकसभा अध्यक्ष का यह निर्णय कि क्या कोई विधेयक धन विधेयक है, सीधे तौर पर प्रभावित करता है

संवैधानिक भूमिका जो इसके संबंध में राज्यसभा द्वारा निभाई जाएगी। अकेले लोकसभा संसद का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। भारतीय संसद द्विसदनीय है। संविधान में एक विशेष प्रावधान किया गया है राज्यसभा के लिए भूमिका। भारतीय संदर्भ में राज्यसभा की प्रासंगिकता को सही मायने में समझने के लिए, तुलनात्मक कानून में एक अभ्यास के रूप में प्रमुख द्विसदनीय प्रणालियों का विश्लेषण आवश्यक है।

84. द्विसदनीय विधायिकाएँ राष्ट्रपति या संसदीय सरकार के रूपों के लिए अद्वितीय नहीं हैं। राष्ट्रपति के साथ लोकतंत्र

सरकार के रूप ने द्विसदनीय विधानमंडलों को अपनाया है, जिसका प्रमुख उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका है। संसदीय लोकतंत्रों में, भारत और ब्रिटेन ने द्विसदनीय विधानसभाओं को अपनाया है। वे हैं।

85. ब्रिटेन ने कुछ प्रारंभिक संस्थागत प्रथाओं का विकास किया जिनका पश्चिमी दुनिया में अनुकरण किया गया। एक अलग शक्तिशाली विधायिका की शुरुआत की गई थी जब *1215* में राजा जॉन ने एक लिखित प्रस्ताव दिया था। कर लगाने के लिए संसद की सहमति लेने की प्रतिबद्धता जिसके लिए वह सामंती विशेषाधिकार द्वारा हकदार था। अगली पाँच शताब्दियों में, ब्रिटिश संसद को शासक की इच्छा पर बुलाए गए एक संस्थान से बदल दिया गया था, जो शासक की इच्छाओं से स्वतंत्र नीतिगत झुकाव विकसित करने के लिए नियमित अवसरों पर मिलती थी। *1 29* में

127 फतहली एम. मोघद्दम, द सेज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पोलिटिकल बिहेवियर *(2017)*। *128* बेट्टी ड्रेक्सहेज, द्विसदनीय विधानमंडलः एक अंतर्राष्ट्रीय तुलना, आंतरिक और राज्य संबंध मंत्रालय-नीदरलैंड *(2015)*, पृष्ठ *7 129* पर अभिनय मुथू और केनेथ ए. शेपसल, संस्थानों और आर्थिक प्रदर्शन में द्विसदनीयता का संवैधानिक विकल्प *(*एल्हानन हेल्पमैन संस्करण*)*, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस *(2008)*, पृष्ठ *251-252* जस्टिस के एस पुटास्वामी *(RETD) v.*

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

चौदहवीं शताब्दी में, संसद को दो कक्षों में विभाजित किया गया थाः एक कक्ष *(*हाउस ऑफ लॉर्ड्स*)* जिसमें सामंती प्रभुओं के साथ बहस हुई और दूसरा कक्ष *(*हाउस ऑफ कॉमन्स*)* जहां नागरिकों का प्रतिनिधित्व किया गया था। *130* ब्रिटिश संसद के ऊपरी सदन, लॉर्ड्स में वंशानुगत साथी शामिल थे *(*जिनकी संख्या उन्हें बनाने के लिए राजा के विवेक के अनुसार भिन्न थी*)*। निचला सदन, कॉमन्स, संपत्ति की पर्याप्त आवश्यकता को पूरा करने वाले व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता था। ब्रिटेन में दो कक्षों ने एक प्रकार के वर्ग को प्रतिबिंबित किया विभाजन। अठारहवीं शताब्दी की शुरुआत से पहले, गृहयुद्ध, राज-हत्या, एक गणराज्य के साथ प्रयोग और नाममात्र के सम्राट की बहाली जैसे कई कारकों के कारण सत्ता को स्थायी रूप से स्थानांतरित किया गया था।

राजा से संसद तक। *131* लगभग उसी समय, उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेश अपने स्वयं के संस्थानों का निर्माण कर रहे थे। औपनिवेशिक विधानमंडलों की अवधारणा की जा रही थी

संसदें। कन्वेंशन उन लोगों के बीच एक समझौता था जो एक ऐसी संसद चाहते थे जिसमें राज्यों की, उनकी आबादी के आकार की परवाह किए बिना, एक समान आवाज होगी, और जो नवगठित संघीय राष्ट्र के लिए एक संसद चाहते थे जहां भाग लेने वाले राज्य थे। उनकी जनसंख्या के आकार के अनुपात में प्रतिनिधित्व किया। दो अलग-अलग रचना वाले कक्षों वाली एक प्रणाली को अंततः गतिरोध से बाहर निकलने का एकमात्र

तरीका चुना गया। *133* एक द्विसदनीय विधानमंडल के लिए तर्क जिसमें प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निचला सदन और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन शामिल हैं।

132 बेट्टी ड्रेक्सहेज, द्विसदनीय विधानमंडलः एक अंतर्राष्ट्रीय तुलना, आंतरिक और राज्य संबंध मंत्रालय-नीदरलैंड *(2015)*, पृष्ठ *8* पर *133* बेट्टी ड्रेक्सहेज, द्विसदनीय विधानमंडलः एक अंतर्राष्ट्रीय तुलना, आंतरिक और राज्य संबंध मंत्रालय-नीदरलैंड *(2015)*, पृष्ठ *7 [2018] 8* एस. सी. आर. पर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऊपरी सदन को जेम्स मैडिसन ने फेडरलिस्ट पेपर्स में सबसे अच्छी तरह से व्यक्त किया थाः

"पहला. विधान सभा की दूसरी शाखा के रूप में एक सीनेट, जो पहले से अलग है और उसके साथ शक्ति को विभाजित करता है, सभी मामलों में सरकार पर एक हितकारी रोक होनी चाहिए। यह दो अलग-अलग निकायों की सहमति की आवश्यकता के साथ लोगों की सुरक्षा को दोगुना कर देता है।

हड़पने या धोखाधड़ी की योजनाओं में, जहां महत्वाकांक्षा या

अन्यथा एक का भ्रष्टाचार पर्याप्त होगा।
दूसरा। सीनेट की आवश्यकता से कम संकेत नहीं मिलता है

सभी एकल और कई विधानसभाओं की प्रवृत्ति

अचानक और हिंसक भावनाओं का आवेग, और द्वारा बहकाया जाना
असंयमित और विनाशकारी संकल्पों में तथ्यात्मक नेता।

तीसरा। सीनेट द्वारा आपूर्ति की जाने वाली एक और खामी एक कमी में निहित है

विधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के साथ उचित परिचित होना।

एक निजी प्रकृति की खोज से भाग, नियुक्ति में जारी रहा
थोड़े समय के लिए, और अपने देश के कानूनों, मामलों और व्यापक हितों के अध्ययन के लिए सार्वजनिक व्यवसाय के अंतराल को समर्पित करने के लिए कोई स्थायी उद्देश्य नहीं होने के कारण, यदि पूरी तरह से खुद पर छोड़ दिया जाए, तो कई महत्वपूर्ण त्रुटियों से बचना चाहिए।

उनके विधायी विश्वास का प्रयोग। एक अच्छी सरकार का तात्पर्य है

दो बातेंः पहला, सरकार के उद्देश्य के प्रति निष्ठा, जो लोगों की खुशी है; दूसरा, साधनों का ज्ञान

जिसे उस उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

चौथा। तेजी से उत्पन्न होने वाली सार्वजनिक परिषदों में परिवर्तनशीलता

नए सदस्यों का उत्तराधिकार, चाहे वे कितने भी योग्य हों,

सबसे मजबूत तरीके से, कुछ स्थिर की आवश्यकता को इंगित करता है

सरकार में संस्था।

मैडिसन ने अवधारणा दी कि दूसरा कक्ष महत्वपूर्ण भूमिकाओं को पूरा करेगाः *(क)* यह निश्चितता प्रदान करेगा कि सरकार अपने घटकों के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा नहीं करेगी, क्योंकि चैंबर उस पर एक अतिरिक्त जांच प्रदान करता है; *(ख)* यह दूसरे चैंबर की कार्रवाइयों पर अंकुश लगा सकता है यदि वह 'अचानक और स्पष्ट रूप से भावुक' होने का आग्रह करता है। *(ग)* यह कानून बनाने और देश के हितों में विशेषज्ञता की आवश्यकता को पूरा कर सकता है और इस प्रकार विधायी गलतियों से बचने में मदद कर सकता है।

134 जेम्स मैडिसन, द फेडरलिस्ट नंबर *62*-द सीनेट, द फेडरलिस्ट पेपर्स *(1788),*

एच. टी. पी. पर उपलब्धः *//*डब्ल्यू. डब्ल्यू. संविधान। ओ. आर. जी./फ़ीड/फ़ेडर *62*।

एच. टी. एम. एल. जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

और *(घ)* यह स्थिरता के लिए एक कारक हो सकता है जो देश के प्रशासन में निरंतरता सुनिश्चित करता है।

86. दोनों प्रणालियों में द्विसदनीयता एक विकास के रूप में उभरी

राज्य की बदलती अवधारणाओं से संबंधित। द्विसदनीयता पर साहित्य ने किसी राज्य के विधानमंडल में दूसरा सदन होने के महत्व पर प्रकाश डाला है। विलियम रिकर ने इस बात पर जोर दिया है कि एक द्विसदनीय संरचना बहुमत के अत्याचार पर नियंत्रण के रूप में कार्य करती है। *1 35* लेवमोर इसी तरह इस विचार को प्रतिध्वनित करता हैः

"बहुत कम से कम, अगर दोनों सदन एक मुद्दे पर विचार करते हैं

साथ ही, एक चैंबर का एजेंडा सेटर दया पर होगा

दूसरे सदन में विचार के क्रम का।

इस प्रकार द्विसदनीयता को एक प्रतिकार के रूप में समझा जा सकता है
जब सामना करना पड़ता है तो संयोजक, या एजेंडा सेटर की जोड़ तोड़ करने की शक्ति

साइकिल चलाने की प्राथमिकताओं के साथ "। *136*

डच गृह और राज्य संबंधों के मंत्रालय द्वारा किए गए एक अध्ययन ने कई देशों में द्विसदनीय प्रणाली के डिजाइन का विश्लेषण किया। अध्ययन ने द्विसदनीयता के विकास पर संवैधानिक ग्रंथों और साहित्य से परामर्श किया और यह निष्कर्ष निकाला किः

"ऐतिहासिक रूप से, द्विसदनीय प्रणालियों का निर्माण, दोनों संघीय में

और कुलीन संस्करण, हमेशा उन लोगों के लिए एक रियायत थी

(राज्य या संपदा*)* जो नई व्यवस्था में सत्ता खोने का जोखिम उठाते थे। उभरते लोकतंत्रों में, और आज तक, द्विसदनीय प्रणाली का चुनाव भय को दूर करने के साधन के रूप में दिखाई देता है।

लोकतंत्रीकरण और सुलह के परिणामों के बारे में
लोकतंत्रीकरण प्रक्रिया के साथ अभिजात वर्ग की स्थापना की। विकसित में

लोकतंत्रों में अब द्विसदनीय प्रणाली के औचित्य की मांग की जाती है

मुख्य रूप से विभिन्न प्रणालियों के संयोजन की संभावना में

प्रतिनिधित्व *(*विशेष रूप से संघीय प्रणालियों में*)* और

में एक अलग कक्ष द्वारा पुनर्विचार की संभावना

विधायी, गलतियाँ करने से बचना संभव बनाना और
विधान की गुणवत्ता और स्थिरता दोनों को बढ़ाना। में।

वेस्टमिंस्टर मॉडल की अधिकांश प्रणालियाँ जहाँ

135 विलियम एच. रिकर, द्विसदनीयतावाद का औचित्य, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान

समीक्षा *(1992),* खंड। *13* , अंक *1,* पृष्ठ *101-16* पर।

136 शाऊल लेवमोर, द्विसदनीयवादः एक से दो निर्णय कब बेहतर होते हैं*?* , कानून और अर्थशास्त्र की अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा *(1992),* खंड। *12* , पृष्ठ *147-148* पर। *137* बेट्टी ड्रेक्सहेज, द्विसदनीय विधानमंडलः एक अंतर्राष्ट्रीय तुलना, मंत्रालय

आंतरिक और राज्य संबंध-नीदरलैंड *(2015)*।

सरकार निचले सदन का हिस्सा होती है और इसके पास एक स्थिर बहुमत होता है-इसके अलावा एक सीनेट को कभी-कभी संसदीय कार्य में अधिक स्वतंत्र इनपुट देने, पार्टी अनुशासन द्वारा कम निर्धारित करने और अल्पसंख्यकों के हितों पर अधिक ध्यान देने की भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस कारण से, कभी-कभी अल्पसंख्यकों को बहुमत के अत्याचार से बचाने के लिए एक द्विसदनीय प्रणाली की सिफारिश की जाती है। अंत में, एक द्विसदनीय प्रणाली दक्षता में भी वृद्धि कर सकती है क्योंकि विधायी कार्यभार को दो कक्षों के बीच विभाजित करना संभव है। ऐसा तब हो सकता है जब दोनों सदन एक प्रकार के श्रम विभाजन को अवशोषित करते हैं *(*जैसे सीनेट में तकनीकी कानूनी गुणवत्ता पर जोर*)*। कई द्विसदनीय प्रणालियों में, इसके अलावा, किसी भी सदन में बिल रखने का निर्णय लिया जा सकता है, और सीनेट को भी पहल करने का अधिकार है। *99138* "

87. संसद में किसी एक दल का शासन नहीं होने पर दूसरे सदन का महत्व बढ़ जाता है। जिन सरकारों के पास उच्च सदन के बहुमत का समर्थन नहीं है, उन्हें विधेयकों को पारित करने में मुश्किल होती है। *1 39* इलियट बुल्मर टिप्पणियाँ

विशेष रूप से यह कि एक लोकतंत्र में, एक दूसरा सदन एक विविध समाज का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व करने में निर्वाचित सदन की अक्षमता को संबोधित करता है। इस दृष्टिकोण से, एक दूसरा सदन "क्षेत्रीय, सांप्रदायिक या अन्य अल्पसंख्यकों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ समाज के अधिक सूक्ष्म और पूर्ण प्रतिनिधित्व" को सक्षम कर सकता है। *140* गणतंत्र विधानमंडलों में दूसरे सदनों के लाभ पर चर्चा करते हुए, रोजर्स का मानना है कि दूसरे सदन की संस्था केवल तभी विधायी लाभ उत्पन्न करती है जब सदन एक दूसरे से काफी भिन्न हों। *141* विभिन्न विद्वानों के कार्यों का हवाला देते हुए उन्होंने कहाः

"हैमंड और मिलर पाते हैं कि "स्थिरता-प्रेरक गुण"

द्विसदनीयतावाद के. विशिष्ट रूप से अस्तित्व पर निर्भर हैं

दोनों सदनों में अलग-अलग दृष्टिकोण "। बुकानन और

टल्लॉक इसी तरह निष्कर्ष निकालते हैं कि, "जब तक कि आधार के लिए

138 आई. बी. आई. डी., पृष्ठों *11-12 139* पर जेम्स एन. ड्रुकमैन और माइकल एफ. थीज़, समरूपता का महत्वः सरकार के गठन और अवधि पर द्विसदनीयतावाद का प्रभाव, अमेरिकन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस *(2002)*, खंड। *46* , नंबर *4*, पृष्ठों पर *760-771*।

140 इलियट बल्मर, द्विसदनीयवाद, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल

सहायता *(2017)*, पृष्ठ *4* पर

141 जेम्स आर. रोजर्स, द एडवांटेज ऑफ सेकंड चैंबर्स इन रिपब्लिकन लेजिस्लेचरः एक सूचनात्मक सिद्धांत, पृष्ठ *6* पर, *HTTPS* पर उपलब्ध हैः *//*ई. सी. पी. आर. ईयू/फाइलस्टोर/पेपरप्रपोसल/बीईबी*20221*-सी*2* सी *5-4475-9* बी*9* एफ-*74* बीबी*3* एफ *1512* ए *7*।

पी. डी. एफ. जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व काफी अलग है, वहाँ

ऐसा लगता है कि यह दो सदनों की प्रणाली के लिए कोई बहाना नहीं है। क्योंकि दो "सर्वांगसम" कक्ष स्पष्ट रूप से नीतिगत परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करेंगे, इसलिए लिजफार्ट ने सर्वांगसम कक्षों वाली द्विसदनीय प्रणालियों को "कमजोर" रूपों के रूप में वर्णित किया।

द्विसदनीयता "।

88. द्विसदनीयवाद, जब एक सिद्धांत के रूप में स्थापित किया जाता है

दूसरा सदन होने की आवश्यकता पर विचार-विमर्श करते हुए, संविधान सभा को कई अन्य देशों के संवैधानिक इतिहास की जांच करने का लाभ मिला। संवैधानिक सलाहकार बी. एन. राउ ने दूसरे सदन के मुद्दे को "सबसे अधिक परेशान करने वाले मुद्दों में से एक" पाया। राजनीति विज्ञान के प्रश्न "। *143* औपनिवेशिक शासन के तहत, द्विसदनीयवाद पहले ही पेश किया जा चुका था। भारत के लिए राष्ट्रीय सभा के रूप में पहली द्विसदनीय विधायिका की स्थापना भारत सरकार अधिनियम *1919* द्वारा की गई थी। भारत सरकार अधिनियम, *1935* ने संघीय विधानमंडल में एक उच्च सदन का निर्माण किया था जिसमें प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए सदस्यों के साथ-साथ कई रियासतों द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि शामिल थे जो ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं थे। *1935* का अधिनियम नए संविधान में संसद की संरचना के लिए खाका बन गया। राज्य सभा, उच्च सदन के रूप में

संसद को संविधान में अपनाया गया था। संसद के ऊपरी सदन की स्थापना के पीछे संविधान निर्माताओं की दृष्टि को ग्रैनविल ऑस्टिन के उत्कृष्ट कार्य में अभिव्यक्ति मिली हैः

"संविधान के विधायी प्रावधानों को तैयार करते समय संविधान सभा के सदस्यों का एक प्रमुख उद्देश्य थाः देश की सामाजिक और राजनीतिक एकता का आधार बनाना।

142 इबिद *143* ग्रैनविल ऑस्टिन, भारतीय संविधानः कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, ऑक्सफोर्ड

यूनिवर्सिटी प्रेस *(1966),* पृष्ठ *195* पर सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान सभा के लक्ष्य लोकप्रिय बनाना था।

सरकार के सभागारों में राय, और, इसे वहाँ लाने की विधि से, भारतीयों को यह दिखाने के लिए कि हालाँकि वे कई लोग थे, वे केवल एक राष्ट्र थे। *144*

89. संविधान का अनुच्छेद *80* की संरचना से संबंधित है -

4 (1) और *80 (2))*। सीटों के इस विभाजन के पीछे का कारण "छोटे राज्यों के हितों की रक्षा करना है और साथ ही साथ यह सुनिश्चित करना है कि बड़े राज्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व, ताकि मतदाताओं के अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों की इच्छा उन लोगों की इच्छा पर हावी न हो जो बहुमत का प्रतिनिधित्व करते थे। इस मायने में राज्यसभा की एक विशेष संरचना है।

90. राज्य सभा की संस्थागत संरचना को राष्ट्र के बहुलवाद और इसकी विविधता को प्रतिबिंबित करने के लिए विकसित किया गया है।

भाषा, संस्कृति, धारणा और रुचि। विधायी प्रस्तावों की व्यापक जांच सुनिश्चित करने के लिए संविधान निर्माताओं द्वारा राज्यसभा की परिकल्पना की गई थी। संसद के दूसरे सदन के रूप में, यह जल्दबाजी और गलत कल्पना वाले कानून पर रोक लगाने के रूप में कार्य करता है, जिससे विधायी कार्य की जांच का अवसर मिलता है। राज्य सभा की भूमिका कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने और शक्ति के संतुलन को बनाए रखने के लिए आंतरिक है। ऊपरी सदन कई क्षेत्रों में निचले सदन के कामकाज का पूरक है।

144 ग्रैनविल ऑस्टिन, भारतीय संविधानः कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, ऑक्सफोर्ड

यूनिवर्सिटी प्रेस *(1966),* पृष्ठ *180* और *203* पर

145 अनुच्छेद *80 (4),* भारत का संविधान *146* अनुच्छेद *80 (5),* भारत का संविधान *147* सिद्धार्थ चौहान, द्विसदनीयवादः तुलनात्मक अंतर्दृष्टि और सबक, सेमिनार *(*फरवरी, *2013)* एच. टी. पी. पर उपलब्ध हैः *//*भारत-सेमिनार। *com/2013/642 642* सिद्धार्थ चौहान।

एच. टी. एम. एल. जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

तरीके। राज्य सभा के संबंध में संतुलन की संस्था के रूप में कार्य करती है लोकसभा और भारत के संघीय ढांचे का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य सभा का अस्तित्व और भूमिका दोनों ही संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा हैं। हमारे संविधान की वास्तुकला

राज्यसभा को संघीय द्विसदनीयता की संस्था के रूप में देखा जाता है, न कि केवल एक साधारण द्विसदनीय विधानमंडल के हिस्से के रूप में। 'सीनेट' के बजाय 'काउंसिल ऑफ स्टेट्स' के रूप में इसका नामकरण उचित रूप से इसे उचित ठहराता है।

संघीय महत्व। *1 4 9* सीरवई ने देखा है कि हमारे संविधान में संघीय सिद्धांत प्रमुख है। इसके कई संघीय क्षेत्रों की ओर इशारा करते हुए

सीरवई एक अभिन्न तत्व के रूप में राज्यसभा की स्थिति पर जोर देते हैंः

"सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, संसद *(*केंद्रीय विधानमंडल*)* है

राज्यों पर निर्भर, क्योंकि इसके एक सदन, परिषद

राज्य परिषद के पास मार्ग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवाज हो सकती है वित्तीय विधेयकों के अलावा अन्य विधान। दूसरा, संशोधन के लिए एक विधेयक

संविधान को प्रत्येक सदन द्वारा पारित किए जाने की आवश्यकता है

उस सदन में पूर्ण बहुमत से अलग से संसद और

उपस्थित और मतदान करने वालों में से कम से कम दो-तिहाई। तब से

राज्य परिषद अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानमंडलों द्वारा चुनी जाती है।

संशोधन में राज्य विधानमंडलों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

संविधान की आवश्यकता के कारण विशेष

अनुच्छेद *368* के प्रावधान में उल्लिखित *(*संविधान का संशोधन*)*
संविधान*)* में तब तक संशोधन नहीं किया जा सकता जब तक कि संसद द्वारा पारित संशोधनों को कम से कम आधे लोगों द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है।

राज्यों के विधानमंडल। चौथा, अनुच्छेद का संशोधन।

352 44 वें संशोधन द्वारा राज्य परिषद को सबसे अधिक अधिकार दिया गया है।

आपातकाल की घोषणा में महत्वपूर्ण आवाज, क्योंकि

आपातकाल की घोषणा को प्रत्येक सदन द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए

के संशोधन के लिए आवश्यक बहुमत द्वारा अलग से

संविधान। पाँचवाँ, संघ की कार्यकारी शक्ति निहित है।

148 एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ *(*ए. आई. आर. *1994* एस. सी. *1998)* मामले में, इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया: लोकतंत्र और संघवाद हमारे संविधान की आवश्यक विशेषताएं हैं और इसकी मूल संरचना का हिस्सा हैं। *149* राज्यसभा सचिवालय, भारतीय संसद का दूसरा कक्ष: पृष्ठ *2* पर राज्य सभा की भूमिका और स्थिति *(2009)*। एम. एन. कौल और एस. एल. शकधर, संसद का अभ्यास और प्रक्रिया, लोकसभा सचिवालय *(2001)* भी देखें।

भारत के राष्ट्रपति जो प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा नहीं चुना जाता है, लेकिन एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है जिसमें *(*ए*)* राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और *(*बी*)* संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानमंडलों के पास राष्ट्रपति का चुनाव करने में पर्याप्त मतदान शक्ति होती है; उस शक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से राज्य परिषद के माध्यम से बढ़ाया जाता है, जिसे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुना जाता है। *150*

91. राज्यसभा भारत के घटक राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। यह वैध रूप से संघीय राजनीति में घटक राज्यों के हितों के संरक्षक के रूप में खुद को रखता है। यह राज्यों की आकांक्षाओं के प्रति चिंतित और संवेदनशील रहने का प्रयास करता है, जिससे देश के "संघीय ताने-बाने" को मजबूती मिलती है और "राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है"। *151* संसद का संघीय सदन होने के कारण, राज्यसभा को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं, जो संविधान *152 1 52* के तहत लोकसभा को भी उपलब्ध नहीं हैं: .

" *(i)* संविधान के अनुच्छेद *249* में प्रावधान है कि राज्य सभा कम से कम दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सकती है।
उपस्थित सदस्यों और इस आशय से मतदान करने वाले सदस्यों का कि यह राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन है कि संसद

राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाना चाहिए। फिर, संसद को पूरे भारत के क्षेत्र या किसी भी हिस्से के लिए प्रस्ताव में निर्दिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। ऐसा

प्रस्ताव अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहता है, लेकिन इस अवधि को एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

((ii) संविधान के अनुच्छेद *312* के तहत, यदि राज्यसभा पारित हो जाती है।
उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई के बहुमत से एक प्रस्ताव जो यह घोषणा करता है कि यह आवश्यक है या

राष्ट्रीय हित में संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए संसद ने

कानून द्वारा ऐसी सेवाओं को बनाने की शक्ति; और

150 एच. एम. सीरवई, भारत का संवैधानिक कानून, यूनिवर्सल लॉ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड, वॉल्यूम। *1* ,

(1991) , पृष्ठों पर *299-300*।

151 राज्यसभा सचिवालय, भारतीय संसद का दूसरा कक्षः की भूमिका और स्थिति

राज्यसभा, *(2009),* पृष्ठ *6* पर। राज्यसभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय की संरचना और कार्य, *(2009),* पृष्ठ *2-3* पर न्याय के. एस. गोस्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

एक निर्धारित अवधि के भीतर संसद के सदन। हालाँकि, कुछ परिस्थितियों में, राज्यसभा को इस संबंध में विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। यदि कोई घोषणा ऐसे समय पर जारी की जाती है जब लोकसभा का विघटन उसके अनुमोदन के लिए अनुमत अवधि के भीतर होता है, फिर घोषणा प्रभावी रह सकती है यदि -

इसे मंजूरी देने वाला प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा पारित किया जाता है।

92. राज्यसभा एक स्थायी निकाय है क्योंकि यह विघटन के अधीन नहीं है। *53* अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन होने के नाते, सरकार बनाने या हटाने में इसकी कोई भूमिका नहीं है और इसलिए यह तुलनात्मक रूप से "प्रतिस्पर्धी दल की राजनीति की मजबूरियों से मुक्त" है। *154* एक संशोधन कक्ष के रूप में, संविधान निर्माताओं ने कल्पना की कि यह संविधान के मूल्यों की रक्षा करेगा, भले ही यह लोकप्रिय इच्छा के खिलाफ हो। राज्यसभा बहुसंख्यकवाद के खिलाफ एक प्रतीक है। कुलदिप नायर बनाम भारत संघ *1 55* मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने राज्यसभा के महत्व पर प्रकाश डालाः

" 47. राज्यसभा एक ऐसा मंच है जहाँ अनुभवी सार्वजनिक हस्तियों को आम चुनाव के हंगामे से गुजरे बिना प्रवेश मिलता है जो लोकसभा के मामले में अपरिहार्य है। यह लोकसभा पर एक पुनरीक्षण कक्ष के रूप में कार्य करता है। दो वाद-विवाद कक्षों के अस्तित्व का अर्थ है कि सभी प्रस्ताव और

सरकार की योजनाओं पर दो बार चर्चा की गई है। ए के रूप में

सदन को संशोधित करते हुए, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों में सुधार करने में मदद करती है।

93. सहभागितापूर्ण शासन लोकतंत्र का सार है। यह प्रतिक्रियाशीलता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। राज्यसभा द्वारा संशोधित विधेयकों के विश्लेषण से पता चलता है कि कई मामलों में, परिवर्तन *153* अनुच्छेद *83 (1)* के तहत, राज्यसभा एक स्थायी निकाय है जिसके सदस्य *6* साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं और एक तिहाई सदस्य हर *2* साल में सेवानिवृत्त होते हैं। *154* राज्यसभा सचिवालय, भारतीय संसद का दूसरा कक्षः की भूमिका और स्थिति

राज्यसभा, *(2009),* पृष्ठ *7-8* पर

155 (2006) 7 एससीसी *1* *156* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *47* पर सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों में राज्यसभा द्वारा अनुशंसित विधेयकों को अंततः लागू किया गया। *1 57* दहेज निषेध विधेयक उस विधान का एक उदाहरण है जिसमें संशोधनों पर राज्य सभा के आग्रह के कारण दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी।

बैठक में, राज्यसभा द्वारा सुझाए गए संशोधनों में से एक को बिना विभाजन के अपनाया गया। *159* राष्ट्र निर्माण में राज्यसभा की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों के बीच बातचीत विभिन्न दृष्टिकोणों से विवादों को हल करने में मदद करती है। भारतीय संसद की द्विसदनीय प्रकृति संघीय संविधान के कार्यकरण का अभिन्न अंग है। यह हमारे लोकतंत्र की नींव रखता है। यह कि यह संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है, इसलिए यह संवैधानिक सिद्धांत पर आधारित है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अध्यक्ष का निर्णय प्रक्रिया का विषय नहीं है। यह सीधे तौर पर राज्यसभा की भूमिका को प्रभावित करता है और इसलिए, संघीय राजनीति के कामकाज को प्रभावित करता है।

94. एक संवैधानिक न्यास है जो इससे जुड़ा हुआ है

यह तय करने के लिए कि क्या लोकसभा अध्यक्ष

विधायी उपाय एक धन विधेयक है। निर्णय लेने का अधिकार इस उम्मीद पर आधारित है कि लोकसभा का अध्यक्ष द्विसदनीय विधानमंडल में एक समन्वित संस्थान के अस्तित्व को कमजोर नहीं करेगा। एक संवैधानिक न्यास लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय में निहित किया गया है। एक साधारण विधेयक को धन विधेयक घोषित करके, अध्यक्ष राज्यसभा की भूमिका को सीमित कर देता है। यह शक्ति बेलगाम या न्यायिक जांच से रहित नहीं हो सकती है। यदि अध्यक्ष की शक्ति का प्रयोग संवैधानिक मानदंडों के विपरीत किया जाता है, तो यह न केवल राज्यसभा की भूमिका को सीमित करेगा, बल्कि संविधान द्वारा बनाए गए विधायी निकाय की प्रभावशीलता को भी कम करेगा। ऐसा परिणाम भारतीय संविधान की योजना के साथ असंगत होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक समीक्षा आवश्यक है कि संविधान की संघीय विशेषताओं का उल्लंघन न हो।

ई. *2* आधार अधिनियम एक धन विधेयक के रूप में

इस न्यायालय को अब इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में वैध रूप से पारित किया गया था।

157 राज्यसभा सचिवालय, भारतीय संसद का दूसरा कक्षः की भूमिका और स्थिति

राज्यसभा, *(2009),* पृष्ठ *5* पर

158 डॉ. अम्बेडकर ने समझाया कि केंद्रीय विधानमंडल के संघीय चरित्र के कारण संयुक्त बैठक को केंद्र में रखा गया था। देखें ग्रैनविल ऑस्टिन, भारतीय संविधानः एक राष्ट्र की आधारशिला, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस *(1966),* पृष्ठ पर

202

159 राज्यसभा सचिवालय, भारतीय संसद का दूसरा कक्षः की भूमिका और स्थिति

राज्यसभा, *(2009),* पृष्ठ *5* पर जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

95. संविधान का अनुच्छेद *110 (1)* धन विधेयक को परिभाषित करता है। किसी विधेयक के धन विधेयक बनने के लिए, इसमें "केवल प्रावधान" होने चाहिए जो इन से संबंधित हों -

अनुच्छेद *110* के खंड *1* के उपखंड *(*ए*)* से *(*जी*)* में निर्दिष्ट प्रत्येक या किसी भी मामले में। अभिव्यक्ति "यदि इसमें केवल निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले से संबंधित प्रावधान हैं, अर्थात्". महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, "यदि" अभिव्यक्ति एक शर्त को इंगित करती है और यह केवल इस शर्त को पूरा करने पर है कि एक विधेयक को अध्याय के प्रयोजनों के लिए एक धन विधेयक माना जाता है। दूसरा, एक धन विधेयक होने के लिए, विधेयक में केवल वे प्रावधान होने चाहिए जो खंड *(*ए*)* से *(*जी*)* के लिए संदर्भित हैं। शर्त यह निर्धारित करने की तुलना में बहुत अधिक कठोर है कि विधेयक में खंड *(*ए*)* से *(*जी*)* में वर्णित किसी भी मामले को शामिल किया जाना चाहिए। "केवल प्रावधान" शब्दों का अर्थ है कि उपखंड *(*ए*)* से *(*जी*)* के मामलों के अलावा, विधेयक में कुछ और शामिल नहीं होगा। अन्यथा, "केवल" अभिव्यक्ति का कोई अर्थ नहीं होगा। "केवल" शब्द को निरर्थक या अनावश्यक नहीं माना जा सकता है। तीसरा, "यदि इसमें केवल प्रावधान हैं" और "अर्थात्" दो अभिव्यक्तियाँ इंगित करती हैं कि उपखंड *(*ए*)* से *(*जी*)* एक धन विधेयक में क्या शामिल हो सकता है, इसका संपूर्ण विवरण है। धन विधेयक की विषय-वस्तु इन में निर्दिष्ट सभी या किसी भी मामले तक ही सीमित होनी चाहिए।

जो पहले से ही निर्दिष्ट है। उपखंड *(*छ*)* एक अवशिष्ट प्रविष्टि नहीं है जिसमें उपखंड *(*क*)* से *(*च*)* में निर्दिष्ट मामलों के अलावा अन्य सभी मामले शामिल हैं। यदि उपखंड *(*छ*)* को एक पकड़ के रूप में पढ़ा जाता है-सभी अवशिष्ट प्रावधान, तो यह बिलों के एक वर्ग को धन बिल के रूप में परिभाषित करने के उद्देश्य को विफल कर देगा। उपखंड *(*छ*)* के तहत जो आनुषंगिक है वह है जो एक के लिए सहायक है

विषय जो पहले से ही उपखंड *(ए)* से *(एफ)* में निर्दिष्ट है। परीक्षण यह नहीं है कि क्या यह किसी विधेयक की विषय-वस्तु के लिए आनुषंगिक है, बल्कि यह है कि क्या यह उपखंड *(ए)* से *(एफ)* में विशेष रूप से उल्लिखित किसी भी मामले के लिए आनुषंगिक है। महान्यायवादी अदालत से अनुरोध करेंगे कि वह "केवल" "यदि" से पहले शब्द को पढ़े, न कि जहां यह होता है। यदि प्रस्तुतिकरण स्वीकार किया जाता है, तो इसका परिणाम यह होगा कि विधेयक एक धन विधेयक होगा यदि इसमें खंड *(ए)* से *(जी)* से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, भले ही इसमें अन्य प्रावधान शामिल हों जो इन खंडों से संबंधित न हों। हम संविधान को फिर से नहीं लिख सकते हैं, विशेष रूप से जहां यह दोनों पाठों के विपरीत है।

संदर्भ और इरादा। अनुच्छेद *110* के खंड *(2)* में प्रावधान है कि किसी विधेयक को केवल इस कारण से धन विधेयक नहीं माना जाएगा कि इसमें जुर्माना या अन्य आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान है, या सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के लिए शुल्क की मांग या भुगतान का प्रावधान है।

प्रदान की गई सेवाओं के लिए लाइसेंस या शुल्क, या इस कारण से कि यह स्थानीय उद्देश्यों के लिए किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या निकाय द्वारा किसी भी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन का प्रावधान करता है। *1911* के संसद अधिनियम की तरह, अनुच्छेद *110 (1)* के तहत प्रदान की गई धन विधेयक की परिभाषा संपूर्ण प्रकृति की है। एक विधेयक एक धन विधेयक हो सकता है यदि इसमें अनुच्छेद *110 (1)* के उपखंड *(ए)* से *(जी)* के तहत सूचीबद्ध सभी या किसी भी मामले से संबंधित "केवल प्रावधान" हैं।

96. वित्तीय विधेयक धन विधेयक से अलग होता है। अनुच्छेद *117*

वित्तीय बिलों से संबंधित विशेष प्रावधान प्रदान करता है। अनुच्छेद *117* के खंड *(1)* में कहा गया हैः

"*(1)* अनुच्छेद *110* के खंड *(1)* के उपखंड *(ए)* से *(एफ)* में निर्दिष्ट किसी भी मामले के लिए प्रावधान करने वाला विधेयक या संशोधन।

सिफारिश के अलावा पेश या स्थानांतरित नहीं किया जाएगा

राष्ट्रपति का और ऐसा प्रावधान करने वाला विधेयक नहीं होगा -

राज्यों की परिषद में पेश किया गया "।

वित्तीय विधेयक में अनुच्छेद *110* के उपखंड *(ए)* से *(एफ)* से संबंधित "केवल प्रावधान" होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अनुच्छेद *110 (1)* के प्रावधान संकीर्ण और संपूर्ण हैं।

97. व्याख्या के रूप में, "केवल" शब्द का उपयोग

यह इंगित करता है कि एक विशेष प्रविष्टि संपूर्ण है और किसी भी ऐसी चीज के लिए लागू नहीं है जो इसके दायरे से बाहर है। इस न्यायालय ने "केवल" अभिव्यक्ति की व्याख्या बहिष्करण और प्रतिबंध के शब्द के रूप में की है, *160* द अनुच्छेद *110 (1)* की प्रकृति में प्रतिबंधात्मक होने की व्याख्या का समर्थन भारत की संविधान सभा की कार्यवाही द्वारा भी किया जाता है। लेख

110 यह संविधान के प्रारूप के अनुच्छेद *90* के अनुरूप है। *20* मई *1949* को संविधान सभा के सदस्य घनश्याम सिंह गुप्ता ने संविधान के अनुच्छेद *90* के खंड *(1)* में संशोधन का प्रस्ताव रखा।

"केवल" शब्द। उन्होंने कहा कि एक विधेयक अन्य प्रावधानों को शामिल करते हुए भी एक धन विधेयक हो सकता है। गुप्ता ने तर्क दियाः

"यह लेख सरकार की धारा *37* का एक प्रोटोटाइप है

भारत अधिनियम जो कहता है कि कोई विधेयक या संशोधन

कर लगाना या बढ़ाना या धन उधार लेना आदि नहीं होगा।

की सिफारिश के अलावा पेश या स्थानांतरित किया जाए

गवर्नर-जनरल। इसका मतलब यह है कि पूरा विधेयक एक होना आवश्यक नहीं है।

160 हरि राम बनाम। बेबी गोकुल प्रसाद, *(1991)* सप्लीमेंट *(2)* एस. सी. सी. *608;* मेसर्स सारू स्मेल्टिंग *(*पी*)* लिमिटेड बनाम। बिक्री कर आयुक्त, लखनऊ, *(1993)* पूरक *(3)* एस. सी. सी. *97*।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

धन विधेयकः इसमें अन्य प्रावधान हो सकते हैं, लेकिन यदि कराधान या उधार आदि के बारे में कोई प्रावधान है। यह इस धारा *37* के तहत आएगा और गवर्नर-जनरल की सिफारिश आवश्यक है। अब अनुच्छेद *90* कहता है कि एक विधेयक माना जाएगा
एक धन विधेयक होगा यदि इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, विनियमन आदि या धन उधार लेने आदि से संबंधित प्रावधान हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि अगर एक

जिस विधेयक में अन्य प्रावधान हैं और कराधान या उधार आदि के बारे में भी प्रावधान है, वह धन विधेयक नहीं बन जाएगा। अगर मेरा इरादा यही है तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर मेरा इरादा ऐसा नहीं है तो मुझे "केवल" शब्द कहना होगा।

खतरनाक है, क्योंकि यदि विधेयक इन सभी चीजों को करता है और साथ ही कुछ और भी करता है तो यह धन विधेयक नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि मसौदा समिति का इरादा क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि लेख के इस पहलू को ध्यान में रखा जाना चाहिए। *161 (* जोर दिया गया*)*

एक अन्य सदस्य नजीरुद्दीन अहमद ने भी "केवल" शब्द को हटाने पर जोर दिया। इन दोनों सदस्यों की चिंता यह थी कि "केवल" शब्द किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में पारित किए जाने के दायरे को सीमित करता है। उनकी आशंका थी कि यदि किसी विधेयक में अन्य प्रावधान हैं जो अनुच्छेद *90* के मसौदे में उल्लिखित खंडों से असंबंधित हैं, तो "केवल" शब्द को देखते हुए विधेयक धन विधेयक होने के योग्य नहीं होगा। इन सदस्यों द्वारा सुझाए गए संशोधन को बाद में मतदान के लिए सूचीबद्ध किया गया था। *8* जून *1949* को मतदान के लिए रखे जाने पर संशोधन को खारिज कर दिया गया था। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने जानबूझकर उक्त को खारिज कर दिया

संशोधन।

98. जब किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है, तो यह शक्ति छीन लेता है

विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने के लिए राज्य सभा। राज्यसभा केवल धन विधेयक के लिए सुझाव दे सकती है, जो लोकसभा के लिए बाध्यकारी नहीं है। संविधान निर्माताओं को पता होता कि

धन विधेयक के रूप में पेश किए जाने वाले विधेयक के परिणाम। चूंकि धन विधेयकों के संदर्भ में राज्यसभा की भूमिका सीमित है, इसलिए

धन विधेयक का गठन अनुच्छेद *90* के मसौदे में "केवल" शब्द को अपनाकर प्रतिबंधित किया गया था। धन विधेयक होने के लिए किसी विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जो अनुच्छेद *110 (1)* के खंड *(ए)* से *(जी)* के बाहर हो। संविधान ने अनुच्छेद *110 (1)* में "संबंधित" अभिव्यक्ति का सावधानीपूर्वक उपयोग किया है और

किसी विधेयक के उपबंध, जिसमें अनुच्छेद *110 (1)* के उपखंड *(क)* से उपखंड *(छ)* से संबंधित कुछ उपबंध हैं, और इसके परे आने वाले उपबंध भी हैं। किसी भी अन्य व्याख्या के परिणामस्वरूप फिर से लिखा जाएगा संविधान। यदि किसी विधेयक में ऐसे प्रावधान हैं जो उपखंड *(ए)* से *(जी)* के बाहर आते हैं, तो यह धन विधेयक नहीं है। राज्य सभा अपने संवैधानिक कार्य के हिस्से के रूप में विधायी भागीदारी का हकदार है। बिल की संपूर्णता

धन विधेयक के रूप में नहीं माना जा सकता है, एक बार जब इसमें कोई मामला शामिल हो जो

उपखंड *(ए)* से *(जी)* से परे आते हैं। एक बार जब यह स्थिति आ जाती है, तो उन भागों को अलग करना असंभव हो सकता है जो उपखंड *(ए)* से *(जी)* के भीतर आते हैं और जो बाहर होते हैं। उपखंड *(ए)* से *(जी)* से परे जाने वाले मामलों की उपस्थिति का विधेयक की प्रकृति और राज्य सभा की विधायी भागीदारी के संदर्भ में परिणाम होता है। यदि राज्यसभा के संवैधानिक कार्य को इस परिकल्पना के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि यह विधेयक एक धन विधेयक था, तो न्यायिक समीक्षा में इस निष्कर्ष का परिणाम कि विधेयक एक धन विधेयक नहीं है, का पालन करना चाहिए। कोई भी अन्य निर्माण द्विसदनीयता को एक भ्रम में बदल देगा।

इस व्याख्या का समर्थन कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य *62* मामले में इस न्यायालय के सात न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से भी किया जाता है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को प्रदत्त अध्यादेश बनाने की शक्ति अनुच्छेद *123* और *233* द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं द्वारा सीमित है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया थाः

" 59 ..... गठन करने की शक्ति का संवैधानिक प्रदान करना

अध्यादेश कानून के सामान्य तरीके के विचलन में हैं जो संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित निकायों के माध्यम से होता है। संविधान द्वारा इस तरह के विचलन की अनुमति दी गई है ताकि राष्ट्रपति और राज्यपाल ऐसे अध्यादेशों को लागू कर सकें जो केवल उन परिस्थितियों के अस्तित्व के कारण कानून की शक्ति और प्रभाव रखते हैं जो कानून के निर्माण में कोई देरी नहीं कर सकते हैं। संसदीय लोकतंत्र में, सरकार सामूहिक रूप से निर्वाचित विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है।

सरकार का निर्वाह विधायिका के निरंतर विश्वास पर निर्भर करता है। अध्यादेश बनाने की शक्ति

विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन है

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

कार्यकारी। कार्यपालिका की जवाबदेही

विधायिका को उस तरीके से दर्शाया जाता है जिसमें

संविधान ने अध्यादेश बनाने की शक्ति के अधीन किया है

विधायी प्राधिकरण के लिए। यह, संविधान प्राप्त करता है

अनुच्छेद *214* की आवश्यकताओं के अनुसार *(*जोर दिया गया*)*

99. धन विधेयक पारित करने का लोकसभा का अधिकार आधारित है।

अनुच्छेद *110* के तहत निर्धारित आवश्यकताओं पर। द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन

संविधान ने जानबूझकर अनुच्छेद *110 (1)* के दायरे को सीमित कर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह प्रावधान राज्यसभा के अधिकार को खत्म करने का एक तरीका नहीं है। संविधान निर्माताओं की मंशा स्पष्ट है। लोकसभा धन विधेयक की आड़ में कोई विधायी उपाय पेश या पारित नहीं कर सकती, जिसे अन्यथा राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार किया जा सकता था। द्विसदनीयता हमारे लोकतंत्र का एक संस्थापक मूल्य है। यह संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है। धन विधेयक के रूप में एक विधेयक को पेश करना और पारित करना, जो संविधान के अनुच्छेद *110 (1)* के तहत धन विधेयक होने के योग्य नहीं है, स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है। लोकसभा को संसद का पूरा अधिकार नहीं सौंपा गया है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर भारत की संसद का गठन करते हैं। लोकसभा निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक निकाय है और नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी, हर संवैधानिक संस्थान की तरह, यह भी संविधान की इस मूल संरचना का हिस्सा है। एक राजनीतिक दल या गठबंधन जिसके पास लोकसभा में बहुमत है, वह संविधान के कामकाज को बाधित नहीं कर सकता है, जिसके खिलाफ डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में चेतावनी दी थी। एक सत्तारूढ़ सरकार को करना होगा

संवैधानिक मानदंडों के भीतर काम करना चाहिए और संवैधानिक नैतिकता का पालन करना चाहिए।

100. भारत का संविधान केवल कागज का चर्मपत्र नहीं है।

यह उन लोगों के दर्शन के साथ लिखा गया था जिन्होंने स्वतंत्रता को खून और पसीना दियाः राजनीतिक हस्तियां, समाज सुधारक और संविधान निर्माता। यह संस्थानों, न्याय और सुशासन में विश्वास का प्रतीक है। उस दृष्टि को झुठलाया नहीं जा सकता। लोकसभा अध्यक्ष का यह सुनिश्चित करना एक भारी संवैधानिक कर्तव्य है कि एक विधेयक, जो धन विधेयक नहीं है, को धन विधेयक के रूप में पारित नहीं किया जाए। लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य,

163

इबिद, पृष्ठ *61* पर

164

संविधान सभा की बहस *(4* नवंबर, *1948)*। डॉ. अम्बेडकर ने टिप्पणी की थीः ..... केवल प्रशासन के रूप को बदलकर और इसे असंगत और संविधान की भावना के विपरीत बनाकर संविधान को विकृत करना पूरी तरह से संभव है। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और राष्ट्रपति को यह सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक एकजुटता से काम करने की आवश्यकता है कि संविधान का कोई भी प्रावधान कमजोर या विकृत न हो।

101. आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पारित किया गया था। प्रावधान

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह अधिनियम एक धन विधेयक है, अधिनियम का विश्लेषण करने की आवश्यकता है।

अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि

सब्सिडी, लाभों का पारदर्शी और लक्षित वितरण और
सेवाएँ, जिसके लिए व्यय किया जाता है

भारत में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भारत की समेकित निधि

ऐसे व्यक्तियों को विशिष्ट पहचान संख्या निर्धारित करना और

उससे संबंधित या प्रासंगिक मामले।

प्रस्तावना में सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के वितरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसके लिए भारत की संचित निधि से खर्च किया जाता है। लेकिन आवश्यक मुद्दा यह है कि क्या अधिनियम स्वयं को उन मामलों तक सीमित रखता है जो अनुच्छेद *110* के दायरे में आते हैं।

102. धारा *3* भारत में प्रत्येक निवासी को एक अधिकार प्राप्त करने का अधिकार देती है

नामांकन की प्रक्रिया से गुजरते हुए, अपनी जनसांख्यिकीय जानकारी जमा करके आधार संख्या। धारा *2 (*एम*)* "नामांकन" को जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करती है।

ऐसे व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्ति। जनसांख्यिकीय प्राप्त करने के बाद और

"महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, अकुशल और असंगठित श्रमिकों, खानाबदोश जनजातियों या ऐसे अन्य व्यक्तियों के लिए जिनके पास कोई स्थायी आवास नहीं है और ऐसे व्यक्तियों की अन्य श्रेणियां। धारा *6* के तहत, यू. आई. डी. ए. आई. आधार संख्या धारकों को अपनी जनसांख्यिकीय जानकारी और बायोमेट्रिक को अद्यतन करने की आवश्यकता हो सकती है। समय-समय पर जानकारी, ताकि केंद्रीय पहचान डेटा भंडार *("*सी. आई. डी. आर"*.)* में उनकी जानकारी की निरंतर सटीकता सुनिश्चित की जा सके।

165 धारा *2 (v)* में कहा गया है: निवासी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो नामांकन के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले के बारह महीनों में कुल एक सौ बयासी दिन या उससे अधिक की अवधि या अवधि के लिए भारत में रहा हो।

166 धारा *3 (3),* आधार अधिनियम न्याय के. एस. पुत्रस्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

आधार अधिनियम सी. आई. डी. आर. को एक केंद्रीकृत डेटाबेस के रूप में परिभाषित करता है जिसमें आधार संख्या धारकों को जारी किए गए सभी आधार नंबरों के साथ-साथ संबंधित जनसांख्यिकीय जानकारी और उनकी बायोमेट्रिक जानकारी होती है।

व्यक्ति और अन्य संबंधित जानकारी। *167*

103. धारा *7* में आधार संख्या के प्रमाण की आवश्यकता है।

सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लाभ उठाने की शर्त, जिसके लिए व्यय भारत की संचित निधि से वहन किया जाता है। धारा *7* के प्रावधान में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को आधार संख्या नहीं दी जाती है, तो व्यक्ति को सब्सिडी, लाभ या सेवा प्रदान करने के लिए पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों की पेशकश की जाएगी। धारा *8 (1)* के तहत यू. आई. डी. ए. आई. को आधार संख्या का *68* वां प्रमाणीकरण करने की आवश्यकता है।

आधार संख्या धारक, किसी भी अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा प्रस्तुत अपनी बायोमेट्रिक जानकारी या जनसांख्यिकीय जानकारी के संबंध में। धारा *8 (2)* के तहत, अनुरोध करने वाली संस्था को उद्देश्यों के लिए अपनी पहचान की जानकारी एकत्र करने से पहले किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

प्रमाणीकरण। अनुरोध करने वाली संस्था को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा एकत्र की गई व्यक्ति की पहचान जानकारी का उपयोग केवल प्रमाणीकरण के लिए सी. आई. डी. आर. को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। धारा *8 (3)* एक अनुरोध करने वाली संस्था की अपेक्षा करती है -

प्रमाणीकरण के संबंध में कुछ विवरण प्रमाणीकरण के लिए पहचान की जानकारी जमा करने वाले व्यक्ति को सूचित करें।

104. अधिनियम का चौथा अध्याय यू. आई. डी. ए. आई. से संबंधित है। धारा *11*

यू. आई. डी. ए. आई. को नामांकन और प्रमाणीकरण की प्रक्रियाओं के लिए और अधिनियम के तहत उसे सौंपे गए कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार निकाय के रूप में स्थापित करता है। इस अधिनियम में यू. आई. डी. ए. आई. की संरचना, इसके सदस्यों की योग्यता, इसके अध्यक्ष और सदस्यों के पद का कार्यकाल, उन्हें हटाने और कार्यों का प्रावधान है। धारा *23*, जो यू. आई. डी. ए. आई. की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है, इसे नीति, प्रक्रिया विकसित करने के लिए अधिकृत करती है।

167 धारा *2 (एच)*, आधार अधिनियम *168* धारा *2 (सी)* में कहा गया हैः प्रमाणीकरण का अर्थ है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आधार बनाया जाता है।

जनसांख्यिकीय जानकारी या बायोमेट्रिक जानकारी के साथ संख्या
व्यक्ति को उसके सत्यापन के लिए केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी को प्रस्तुत किया जाता है और ऐसा रिपॉजिटरी अपने पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर शुद्धता या उसकी कमी की पुष्टि करता है।

169 धारा *2 (यू)* में कहा गया हैः अनुरोध करने वाली संस्था का अर्थ है एक एजेंसी या व्यक्ति जो आधार संख्या, और जनसांख्यिकीय जानकारी या बायोमेट्रिक जानकारी प्रस्तुत करता है।

प्रमाणीकरण के लिए केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में व्यक्तिगत

170 धारा *12*, आधार अधिनियम

171 धारा *13*, आधार अधिनियम

172 धारा *14*, आधार अधिनियम *173* धारा *15*, आधार अधिनियम

174 धारा *17*, आधार अधिनियम *8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने और प्रदर्शन करने के लिए प्रणालियाँ

105. अध्याय *V* यू. आई. डी. ए. आई. के अनुदानों, खातों और लेखापरीक्षा और वार्षिक रिपोर्टों से संबंधित है। धारा *25* में प्रावधान है कि शुल्क या राजस्व एकत्र किया जाता है। यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा। अध्याय *VI* प्रमाणीकरण के लिए व्यक्तियों से एकत्र की गई जानकारी की सुरक्षा से संबंधित है। धारा *28 (3)* यू. आई. डी. ए. आई. से सभी आवश्यक कदम उठाने की अपेक्षा करती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय कि उसके कब्जे या नियंत्रण में जानकारी,

सी. आई. डी. आर. में संग्रहीत जानकारी सहित, पहुंच, उपयोग या प्रकटीकरण *(*अधिनियम या विनियमों के तहत अनुमति नहीं*)*, और आकस्मिक या जानबूझकर विनाश, हानि या क्षति के खिलाफ सुरक्षित और संरक्षित

है। धारा *29* अधिनियम के तहत एकत्र या बनाई गई मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी को साझा करने पर प्रतिबंध लगाती है। धारा *32 (2)* प्रत्येक आधार संख्या धारक को अपना प्रमाणीकरण रिकॉर्ड इस तरह से प्राप्त करने का अधिकार देती है जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। धारा *33* के प्रकटीकरण का प्रावधान है -

अदालती आदेश के अनुसार या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में जानकारी।

106. अधिनियम के अध्याय *VII (*धारा *34* से *47)* में अपराधों और दंड का प्रावधान है। धारा *34* नामांकन के समय प्रतिरूपण के लिए दंड का प्रावधान करती है। धारा *35* प्रतिरूपण के लिए दंड का प्रावधान करती है।

जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक जानकारी बदलकर आधार संख्या धारक। धारा *37* के तहत, पहचान की जानकारी *(*जो नामांकन या प्रमाणीकरण के दौरान एकत्र की गई थी*)* का खुलासा करने के लिए जुर्माना प्रदान किया जाता है। धारा *38* सी. आई. डी. आर. तक अनधिकृत पहुँच के लिए दंड का प्रावधान करती है। धारा *39* सी. आई. डी. आर. में आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ के लिए जुर्माना लगाती है। धारा *40* और *41* के तहत, अनुरोध करने वाली संस्थाओं और नामांकन एजेंसियों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, यदि वे अधिनियम के तहत उन पर लगाए गए दायित्वों का उल्लंघन करते हैं। धारा *44* इंगित करती है कि अधिनियम के प्रावधान किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए किसी भी अपराध या उल्लंघन पर लागू होंगे, चाहे वह किसी भी राष्ट्रीयता का हो।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

107. धारा *48* केंद्र सरकार को कुछ स्थितियों में यू. आई. डी. ए. आई. का स्थान लेने का अधिकार देती है। धारा *50* में कहा गया है कि यू. आई. डी. ए. आई. केंद्र सरकार द्वारा नीति संबंधी प्रश्नों पर दिए गए निर्देश। धारा *51* यू. आई. डी. ए. आई. को किसी भी सदस्य, अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के लिए अधिकृत करती है।

प्राधिकरण या कोई अन्य व्यक्ति, जैसे कि इसकी शक्तियाँ और कार्य *(*धारा *54* के तहत शक्ति को छोड़कर*)* जो वह आवश्यक समझे। धारा *53* केंद्र सरकार को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। धारा *54 (2) (*एम*)* के तहत, यू. आई. डी. ए. आई. विभिन्न सब्सिडी, लाभ, सेवाएं प्रदान करने या उनका लाभ उठाने के उद्देश्यों के लिए आधार संख्या के उपयोग का तरीका प्रदान करने वाले नियम बना सकता है।

और "अन्य उद्देश्य" जिनके लिए आधार संख्या का उपयोग किया जा सकता है। धारा *57* राज्य या किसी भी निगमित निकाय या व्यक्ति को "किसी भी उद्देश्य के लिए" किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग करने के लिए अधिकृत करती है, जो अधिनियम की धारा *8* और अध्याय *VI* के तहत प्रक्रिया और दायित्वों के अधीन है। धारा *59* केंद्र सरकार द्वारा *28* जनवरी *2009* और *12* सितंबर *2015* की अधिसूचनाओं के अनुसार और आधार अधिनियम के अधिनियमन से पहले की गई कार्रवाइयों को मान्य करने का प्रयास करती है।

आधार अधिनियम के प्रावधानों का यह व्यापक विवरण इंगित करता है कि यह अधिनियम जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक प्रस्तुत करके एक विशिष्ट पहचान संख्या-आधार संख्या-प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा

बनाता है जानकारी और नामांकन और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया से गुजरना। अधिनियम इंगित करता है कि आधार संख्या को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है

नामांकन। धारा *3* प्रत्येक निवासी को आधार संख्या रखने का अधिकार देती है। धारा *4 (3)* में कहा गया है कि इस तरह से उत्पन्न आधार संख्या का उपयोग किया जा सकता है "किसी भी उद्देश्य के लिए" पहचान के प्रमाण के रूप में। इस कानून का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक निवासी के लिए एक राष्ट्रीय पहचान बनाना है। यह जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक संग्रह के लिए एक प्रक्रिया को कानून बनाकर ऐसा करना चाहता है।

जानकारी दी। अधिनियम ने अपने प्रावधानों की पूर्ति की निगरानी के लिए एक प्राधिकरण बनाया है। अपने प्राथमिक फोकस और पहलों में, कानून धन विधेयक के लिए अनुच्छेद *110* द्वारा आरक्षित क्षेत्र से परे जाता है। धारा *7* से *10* नामांकन के समय प्रस्तुत की गई जानकारी के प्रमाणीकरण से संबंधित है। धारा *8* अनुरोध करने वाली संस्थाओं पर यह सुनिश्चित करने के लिए दायित्व पैदा करती है कि उनकी पहचान की जानकारी एकत्र करने से पहले व्यक्तियों से सहमति प्राप्त की जाए और यह कि ऐसे व्यक्ति की पहचान की जानकारी सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट है।

केवल प्रमाणीकरण के लिए सी. आई. डी. आर. को प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किया जाता है। धारा *11* से *23* एक सांविधिक प्राधिकरण *(*यू. आई. डी. ए. आई.*)* का निर्माण करती है और इसे नामांकन और प्रमाणीकरण की प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदारियां सौंपती है और अधिनियम के तहत इसे सौंपे गए अन्य कार्यों का निर्वहन करती है, जिसमें व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करना शामिल है।

धारा *23 (2) (*एच*)* में प्रावधान है कि विभिन्न सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लाभ उठाने के अलावा, आधार संख्या का उपयोग "अन्य" के लिए किया जा सकता है। उद्देश्य "। धारा *28* से *33* सूचना की सुरक्षा से संबंधित है, और पहचान जानकारी की सुरक्षा और गोपनीयता प्रदान करती है और

सूचना साझा करने पर प्रतिबंध। धारा *28* पहचान की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए यू. आई. डी. ए. आई. पर दायित्व लगाती है।

सी. आई. डी. आर. में संग्रहीत जानकारी सहित व्यक्तियों की जानकारी और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड, जो इसके कब्जे या नियंत्रण में हैं।

पहचान की जानकारी और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड का प्रकटीकरण हो सकता है धारा *33* के तहत, अदालत के आदेश *(*जिला न्यायाधीश के पद से कम नहीं*)* के अनुसार या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किया गया

एक अधिकारी का निर्देश *(*भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से कम नहीं*)*। धारा *34* से *47* अधिनियम के तहत बनाए गए ठोस अपराधों और दंड से संबंधित है। धारा *54 (2) (*एम*)* में कहा गया है कि यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा उपयोग के तरीके को निर्दिष्ट करते हुए नियम बनाए जा सकते हैं। विभिन्न सब्सिडी, लाभ, सेवाएँ और "अन्य उद्देश्यों" को प्रदान करने या उनका लाभ उठाने के उद्देश्यों के लिए आधार संख्याएँ जिनके लिए आधार संख्या का उपयोग किया जा सकता है। धारा *57* किसी भी व्यक्ति की पहचान "किसी भी उद्देश्य

के लिए" स्थापित करने के लिए आधार संख्या के उपयोग को अधिकृत करती है *(*चाहे वह राज्य या किसी निगम निकाय या कानून या अनुबंध के तहत व्यक्ति द्वारा हो*)*।

108. धारा *7* सब्सिडी, लाभ या सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार संख्या का उपयोग अनिवार्य बनाती है, जिसके लिए खर्च किया जाता है।

भारत की संचित निधि से खर्च किया गया। अधिनियम की योजना विशिष्ट पहचान संख्या से संबंधित कई पहलुओं से संबंधित है। अद्वितीय पहचान का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता हैः लाभ, सब्सिडी और सेवाओं का लाभ उठाना, जिनके लिए भारत की संचित निधि से खर्च किए जाते हैं, केवल एक उद्देश्य है। आधार अधिनियम की प्रस्तावना इंगित करती है कि इसका मुख्य उद्देश्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का एक कुशल और लक्षित वितरण प्राप्त करना था, जिसके लिए भारत की संचित निधि से खर्च किया जाता है। हालाँकि, अधिनियम के मूल प्रावधान प्रस्तावना में निर्दिष्ट उद्देश्य तक ही सीमित नहीं हैं। वास्तव में, वे अनुच्छेद *110 (1)* के तहत धन विधेयक की सीमाओं से बहुत आगे निकल जाते हैं।

न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

110. आधार अधिनियम का कानूनी ढांचा ठोस दायित्वों और देनदारियों का निर्माण करता है जो निवासियों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। *109.* एक विधेयक, धन विधेयक होने के लिए, केवल ऐसे प्रावधान होने चाहिए जो अनुच्छेद *110* में उल्लिखित मामलों के दायरे में आते हैं। की धारा *7*

अधिनियम आधार संख्या को लाभ उठाने के लिए अनिवार्य बनाने की अनुमति देता है।

सेवाओं, लाभों और अनुदानों का, जिनके लिए व्यय किया जाता है

भारत की संचित निधि से। अनुच्छेद *110 (1)* के खंड *(*ई*)* के तहत धन विधेयक को किसी भी व्यय की घोषणा से संबंधित होना चाहिए

भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय *(*या व्यय की राशि में वृद्धि*)*। महत्वपूर्ण रूप से, धारा *7* सेवाओं, लाभों या सब्सिडी पर किए गए व्यय को भारत की संचित निधि पर शुल्क घोषित नहीं करती है। धारा *7* जो करती है वह एक प्रावधान लागू करना है।

समेकित निधि से ली जाने वाली सेवाओं, लाभों या सब्सिडी के मामले में आधार को अनिवार्य बनाने की अनुमति देना। धारा *7* उन्हें संचित निधि पर शुल्क घोषित नहीं करती है। इसमें प्रावधान है कि सेवाओं, लाभों या सब्सिडी के मामले में, जो पहले से ही समेकित निधि से लिए जाते हैं, आधार बनाया जा सकता है

इनका लाभ उठाना अनिवार्य है। धारा *7*, दूसरे शब्दों में, प्रमाणीकरण की आवश्यकता को लागू करने के लिए एक प्रावधान है न कि किसी को घोषित करने के लिए।

व्यय भारत की संचित निधि पर प्रभार होगा। इसलिए,

यहां तक कि धारा *7* भी अनुच्छेद *110 (1) (*ई*)* के दायरे में नहीं है। हालाँकि, भले ही धारा *7* को अनुच्छेद *110* के लिए संदर्भित माना जाना था, लेकिन यह अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर लागू नहीं होता है।

अधिनियम के अन्य प्रावधान किसी भी स्थिति में अनुच्छेद *110 (1)* के दायरे में नहीं आते हैं। एक प्रावधान-धारा *7*-को प्रस्तुत करने से अधिनियम की संपूर्णता में कोई कमी नहीं आती है।

धन विधेयक जहां इसके अन्य प्रावधान अनुच्छेद *110* में निर्धारित मापदंडों से परे जाते हैं। विशेष रूप से अधिनियम की धारा *57 (*जो एक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट तैयार करती है*)*

अनुच्छेद *110 (1)* के उपखंड *(*ई*)* से संबंधित, अधिनियम के अन्य प्रावधान अनुच्छेद *110 (1)* से असंबंधित हैं। *110.* इस न्यायालय को आधार अधिनियम के अधिनियमन से पहले विधायी इतिहास के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। एक विधायी प्रदान करने का प्रयास

आधार परियोजना को नियंत्रित करने वाली रूपरेखा सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक, *2010 (*"एन. आई. ए. विधेयक"*)* पेश करके बनाई गई थी। एन. आई. ए. विधेयक *3* दिसंबर *2010* को राज्यसभा में पेश किया गया था। विधेयक की प्रस्तावना ने इसके उद्देश्य को इंगित किया:

भारत में रहने वाले व्यक्तियों और व्यक्तियों के कुछ अन्य वर्गों के लिए पहचान संख्या और ऐसे व्यक्तियों के प्रमाणीकरण का तरीका ताकि ऐसे व्यक्तियों को लाभ और सेवाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान की जा सके जिनके वे हकदार हैं और संबंधित मामलों के लिए
इसके साथ या उससे आनुषंगिक।

विधेयक का मुख्य उद्देश्य विशिष्ट पहचान संख्या जारी करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण की स्थापना करना था।

*' '*आधार*')* भारत के निवासियों और किसी भी अन्य श्रेणी के लोगों को लाभ और सेवाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से। अध्याय *II*

(विधेयक के खंड *3* से *10)* आधार संख्या से संबंधित हैं। विधेयक का खंड *3* प्रत्येक निवासी को प्राधिकरण को जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करने पर आधार संख्या प्राप्त करने का अधिकार देता है। खंड *4 (3)* में कहा गया है कि एक आधार संख्या प्रमाणीकरण के अधीन, आधार संख्या धारक की पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अध्याय *III (*खंड *11* से *23)* भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण से संबंधित है। खंड *11* केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकरण की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। खंड *23* ने प्राधिकरण को निवासियों को आधार संख्या जारी करने और प्रमाणीकरण करने के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करने का अधिकार दिया। खंड *23 (2) (*एच*)* में कहा गया है कि प्राधिकरण विभिन्न लाभों और सेवाओं के वितरण के लिए आधार संख्या के उपयोग और प्रयोज्यता को निर्दिष्ट कर सकता है।

केंद्रीय पहचान डेटा की स्थापना, संचालन और रखरखाव प्राधिकरण द्वारा कोषागार *(*सी. आई. डी. आर.*)* खंड *23 (2) (*जे*)* के तहत प्रदान किया गया था। अध्याय *IV (*खंड *24* से *27)* अनुदान, लेखा और लेखा परीक्षा के लिए प्रावधान करता है।

और प्राधिकरण से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन। खंड *25* में कहा गया है कि प्राधिकरण द्वारा एकत्र शुल्क या राजस्व भारत की समेकित निधि में जमा किया जाएगा और पूरी राशि प्राधिकरण को हस्तांतरित की जाएगी। अध्याय *5 (*खंड *28* और *29)* के सृजन से संबंधित

एक पहचान समीक्षा समिति और उसके कार्य। समीक्षा समिति के कार्यों में उपयोग की सीमा और पैटर्न का पता लगाना शामिल था।

देश भर में आधार संख्या की गणना करना और सिफारिशों के साथ सालाना एक रिपोर्ट तैयार करना। अध्याय *VI (*खंड *30* से *33)* व्यक्तिगत पहचान जानकारी और प्रमाणीकरण अभिलेखों की सुरक्षा से संबंधित है। खंड *30 (1)* प्राधिकरण से सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपेक्षा करता है और

पहचान की जानकारी और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड की गोपनीयता व्यक्तियों। खंड *30 (2)* प्राधिकरण से यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय *(*सुरक्षा उपायों सहित*)* करने की अपेक्षा करता है कि

प्राधिकरण का कब्जा या नियंत्रण *(*केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में संग्रहीत जानकारी सहित*)* किसी भी नुकसान या अनधिकृत पहुंच या उपयोग या अनधिकृत प्रकटीकरण के खिलाफ सुरक्षित और संरक्षित है। खंड *33* में कहा गया है कि अदालत के अनुसार व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा किया जा सकता है।

आदेश या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में। अध्याय *VII (*खंड *34* से *46)* ने कानून के तहत अपराधों और दंडों का सृजन किया। खंड *47* ने केंद्र सरकार को प्राधिकरण का स्थान लेने का अधिकार दिया। खंड *50* प्राधिकरण को किसी भी सदस्य, प्राधिकरण के अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को अपनी शक्तियों और कार्यों *(*खंड *53* के तहत शक्ति को छोड़कर*)* को सौंपने के लिए अधिकृत करता है। खंड *57* ने योजना आयोग की *2009* की अधिसूचना के तहत केंद्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयों को मान्य करने की मांग की।

111. चूंकि यू. आई. डी. कार्यक्रम में जटिल मुद्दे शामिल थे, इसलिए एन. आई. ए.

विधेयक को *10* दिसंबर *2010* को श्री यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता में वित्त पर स्थायी समिति को जांच और रिपोर्ट के लिए भेजा गया था। स्थायी समिति में लोकसभा के *21* सदस्य और राज्यसभा के *10* सदस्य शामिल थे। स्थायी समिति

11 दिसंबर *2011* को अपनी रिपोर्ट *1,75* प्रस्तुत की। रिपोर्ट में विधेयक पर कई आपत्तियां उठाई गईं, जिनका सारांश नीचे दिया गया हैः

(i) चूंकि कानून बनाने का काम चल रहा था, इसलिए कोई भी विधेयक लंबित था।

कार्यकारी कार्रवाई संसद के विशेषाधिकारों का उतना ही उल्लंघन है जितना कि

175 42 वीं रिपोर्ट, वित्त पर स्थायी समिति *(2011-12),* यहाँ उपलब्ध हैः */*

*/*डब्ल्यू. डब्ल्यू. पीआरएसइंडिया। ओआरजी/अपलोड/मीडिया/यूआईडी/यूआईडी*% 20* रिपोर्ट।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के सदनों में से एक के रूप में एक अध्यादेश की घोषणा

संसद का सत्र चल रहा है।

(ii) जबकि देश अवैध प्रवासियों और सीमाओं के पार से घुसपैठ की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक, *2010* में प्रत्येक निवासी को आधार संख्या प्राप्त करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है, इसके अलावा ऐसी अन्य श्रेणी के व्यक्तियों को भी अधिकार दिया गया है जिन्हें समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है।

यह इच्छा, यह पकड़ा जाता है, अवैध प्रवासियों को भी हकदार बनाता है

आधार संख्या के लिए;

(iii) रहने वाले व्यक्तियों के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या जारी करना।

भारत में और विशिष्ट के तहत व्यक्तियों के अन्य वर्गों में
पहचान *(*यू. आई. डी.*)* योजना गंभीर खामियों और चिंता वाले क्षेत्रों से भरी हुई है। उदाहरण के लिए, आधार संख्या जारी करने के लिए हाशिए पर पड़े वर्गों का पूरा या लगभग पूरा कवरेज नहीं हो सका।

यह मुख्य रूप से दो कारणों से प्राप्त किया गया है। *(* क*)* यू. आई. डी. ए. आई. के पास उनसे संबंधित सांख्यिकीय डेटा नहीं है; और *(*ख*)* बायोमेट्रिक्स की अनुमानित विफलता *15* प्रतिशत तक होने की उम्मीद है क्योंकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक श्रम पर निर्भर है।

((iv) अपने भीतर गंभीर मतभेद होने के बावजूद

यू. आई. डी. योजना पर सरकार, इस योजना को बिना किसी परवाह के अत्यधिक तरीके से लागू करना जारी रखे हुए है

कानूनी और अन्य सामाजिक परिणाम;

(v) यू. आई. डी. योजना में कई मुद्दों पर स्पष्टता का अभाव है, जिसमें सम सहित कई मुद्दे शामिल हैं।

"आधार" संख्या जारी करने का मूल उद्देश्य। हालांकि इस योजना में दावा किया गया है कि आधार संख्या प्राप्त करना स्वैच्छिक है, लेकिन लोगों के मन में आशंका पैदा हो गई है कि अगर उनके पास आधार संख्या नहीं है तो भविष्य में खाद्य अधिकारों सहित सेवाओं/लाभों से वंचित कर दिया जाएगा।

(vi) यह भी स्पष्ट नहीं है कि लाभ और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए भविष्य में आधार संख्या रखना अनिवार्य किया जाएगा या नहीं। भले ही आधार संख्या पात्रता को लक्षित लाभार्थियों से जोड़ती है, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं हो सकता है कि लाभार्थियों के पास है

सही ढंग से पहचाना गया। इस प्रकार, उचित की वर्तमान समस्या

पहचान बनी रहेगी;

(vii) यद्यपि अन्य देशों की पहचान प्रणाली और यू. आई. डी. योजना के बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं, फिर भी एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* को आगे बढ़ाने से पहले वैश्विक अनुभव से सबक सीखने की आवश्यकता है।

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

यू. आई. डी. योजना के कार्यान्वयन के साथ, जिसे योजना मंत्रालय ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है*;*

ओ विशाल डेटाबेस और सूचना के दुरुपयोग की संभावना को ध्यान में रखते हुए, किसी भी कानून के लिए एक राष्ट्रीय डेटा संरक्षण कानून का अधिनियमन एक पूर्व-आवश्यकता है जो व्यक्तियों से सूचना के बड़े पैमाने पर संग्रह और अलग-अलग क्षेत्रों में इसके संबंधों से संबंधित है।

डाटाबेस। डेटा संरक्षण कानून के अभाव में, डेटा तक पहुंच और दुरुपयोग जैसे मुद्दों से निपटना मुश्किल होगा।

स्थायी समिति ने यू. आई. डी. योजना को जल्दबाजी में मंजूरी देने के तरीके को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। कई अन्य योजनाओं/परियोजनाओं के विपरीत, कोई व्यापक व्यवहार्यता अध्ययन नहीं, ऐसी महंगी योजना को मंजूरी देने से पहले जो किया जाना चाहिए था, वह यू. आई. डी. योजना के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए किया गया था, जिसमें लागत-लाभ विश्लेषण, आधार संख्या की तुलनात्मक लागत और पहचान के विभिन्न मौजूदा रूप, वित्तीय निहितार्थ और पहचान की चोरी की रोकथाम, उदाहरण के लिए, नकली और डुप्लिकेट को खत्म करने के लिए होलोग्राम सक्षम राशन कार्ड का उपयोग करना शामिल है।

लाभार्थी*;*

यू. आई. डी. योजना अंततः निजी पर निर्भर हो सकती है।

यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा कई निजी विक्रेताओं के साथ किए गए संविदात्मक समझौतों के बावजूद एजेंसियां। नतीजतन, लाभार्थियों को लाभ और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जो अब

मुफ्त में उपलब्ध*;* यह योजना एक जटिल रूप में प्रौद्योगिकी में अनिश्चितता से भरी हुई है।

1. 2 अरब लोगों के बड़े स्तर पर नामांकन*;* और समिति ने महसूस किया कि व्यक्तियों की जानकारी के सत्यापन की जिम्मेदारी पंजीयकों को सौंपी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल

वास्तविक निवासियों के इस प्रणाली में नामांकित होने से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। सीमा को देखते हुए

किसी भी तंत्र जैसे कि एक उपयुक्त सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट द्वारा सुरक्षा लेखा परीक्षा

जानकारी के सत्यापन के लिए स्थापित की जाने वाली एजेंसी, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या सभी आधार संख्या धारकों की जानकारी का पूर्ण सत्यापन व्यावहारिक रूप से संभव है; और क्या यह राष्ट्रीय स्तर पर समझौता किए बिना इच्छित परिणाम देगा।
सुरक्षा।

यू. आई. डी. योजना के बारे में इन आशंकाओं के साथ, वित्त पर स्थायी समिति ने स्पष्ट रूप से बताया कि राष्ट्रीय पहचान

भारतीय प्राधिकरण विधेयक, *2010* स्वीकार्य नहीं था। समिति ने सरकार से यू. आई. डी. योजना और विधेयक में निहित प्रस्तावों पर पुनर्विचार और समीक्षा करने और संसद के समक्ष एक नया कानून लाने का आग्रह किया। अंततः एन. आई. ए. विधेयक को *3* मार्च, *2016* को राज्यसभा से वापस ले लिया गया।

112. आधार अधिनियम *2016* और एन. आई. ए. विधेयक *2010* की तुलना से पता चलता है कि दोनों का एक समान उद्देश्य और ढांचा है-विशिष्ट पहचान संख्या की एक प्रणाली स्थापित करना, जिसे लागू किया जाएगा और

एक सांविधिक प्राधिकारी द्वारा निगरानी। एन. आई. ए. विधेयक धन विधेयक नहीं था। यह राज्यसभा द्वारा कभी पारित नहीं किया गया था। विधेयक की जांच की गई थी

वित्त संबंधी स्थायी समिति, जिसमें राज्यसभा से *10* और लोकसभा से *21* सदस्य थे। एन. आई. ए. विधेयक में आधार अधिनियम की धारा *7* के समान कोई प्रावधान नहीं था। फिर भी, जैसा कि पहले चर्चा की गई है, धारा *7* की उपस्थिति आधार अधिनियम को धन विधेयक नहीं बनाती है। आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पेश करने से राज्यसभा को विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने की अपनी शक्ति से वंचित कर दिया गया। चूंकि आधार अधिनियम को अपने वर्तमान रूप में लोकसभा में धन विधेयक के रूप में पेश किया गया था, इसलिए राज्यसभा के पास विधेयक की सिफारिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों *(*जिसमें धारा *57* को हटाना भी शामिल था*)* को लोकसभा द्वारा खारिज कर दिया गया था। विधायी इतिहास इस तथ्य का एक स्पष्ट संकेत है कि बाद का मार्ग

धन विधेयक के रूप में विधेयक को राज्यसभा के संवैधानिक अधिकार से पारित किया गया। राज्यसभा अपनी वैधता से वंचित थी।

लोकसभा में धन विधेयक के रूप में विधेयक के पारित होने से संवैधानिक भूमिका।

113. न्यायालय को इस तर्क पर भी ध्यान देना चाहिए कि

उत्तरदाताओं का कहना है कि आधार अधिनियम एक धन विधेयक है। भारत के लिए विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया है कि हालांकि अधिनियम में सहायक प्रावधान हैं, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य भारत की संचित निधि से निकलने वाली सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का वितरण है और अन्य प्रावधान न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* के मुख्य उद्देश्य से संबंधित हैं।

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

अधिनियम जो सब्सिडी और लाभ दे रहा था। यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान विवाद में लागू होने वाली वास्तविक परीक्षा पीठ और पदार्थ का सिद्धांत है। *114.* इस न्यायालय ने पीठ और सार के सिद्धांत को तब लागू किया है जब किसी कानून को लागू करने के लिए विधायिका की विधायी क्षमता है

चुनौती दी। इस सिद्धांत को यह मूल्यांकन करने के लिए लागू किया जाता है कि क्या एक अधिनियम जिसे चुनौती दी गई है, वह सातवीं अनुसूची की तीन सूचियों में से एक में प्रविष्टि के भीतर आता है, जिसके तहत विधायिका की क्षमता है।

संविधान का अनुच्छेद *246*। संविधान की सातवीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण करती है। जब किसी विधायिका द्वारा अधिनियमित किसी कानून को विधायी क्षमता की कमी के आधार पर चुनौती दी जाती है, तो पीठ और सार के सिद्धांत को लागू किया जाता है।

सिद्धांत के तहत, कानून वैध होगा यदि सार में, यह एक विधायी प्रविष्टि के दायरे में आता है जिस पर विधायिका एक कानून बनाने के लिए सक्षम है, भले ही यह संयोग से एक अलग विधायी प्रविष्टि पर खाई हो।

सूची। इस सिद्धांत को लागू करने के लिए संवैधानिक तर्क को ए. एस. कृष्णा बनाम मद्रास राज्य *76* में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले में समझाया गया हैः

"8 ..... लेकिन फिर, यह याद रखना चाहिए कि हम एक संघीय संविधान का निर्माण कर रहे हैं। यह इस तरह के एक सार है
संविधान कि एक वितरण होना चाहिए

केंद्र के बीच संघ की विधायी शक्तियाँ

और प्रांतों। वितरण की योजना अलग-अलग संविधानों के साथ अलग-अलग है, लेकिन तब भी जब संविधान विस्तार से उन विषयों की गणना करता है जिन पर केंद्र और राज्य कर सकते हैं।

कानून बनाने के लिए, कानून के क्षेत्रों का कुछ अतिव्यापी होना अपरिहार्य है। ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम, *1867*, जिसने कनाडा के लिए एक संघीय संविधान की स्थापना की, धारा *91* और *92* में गणना की गई

जिन विषयों पर डोमिनियन और प्रांत कर सकते थे

क्रमशः विधायी। इसके बावजूद कि सूचियों को इस तरह से तैयार किया गया था कि वे काफी पूर्ण और व्यापक हों, यह पाए जाने में बहुत समय नहीं लगा कि दोनों खंडों में गिने गए विषय परस्पर जुड़े हुए थे, और प्रिवी काउंसिल के पास डोमिनियन और प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता को बार-बार पारित करने के लिए समय था। यह इस स्थिति में था कि प्रिवी काउंसिल ने सिद्धांत विकसित किया, कि यह तय करने के लिए कि क्या एक विवादित कानून अंतरराज्यीय था।

इसके अधिकार और सार को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई कानून विधायिका की क्षमता के भीतर किसी विषय से संबंधित पाया जाता है, तो इसे आंतरिक अधिकार माना जाना चाहिए, भले ही यह संयोग से हो सकता है।

उन विषयों पर खाई जो इसकी विधायी क्षमता के भीतर नहीं हैं। *'(*जोर दिया गया*)*

महाराष्ट्र राज्य बनाम भारत शांति लाल शाह *1 77* में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले ने तर्क की प्रक्रिया को संक्षेप में प्रस्तुत किया है।

जिसका न्यायालय द्वारा पीठ और पदार्थ के सिद्धांत को लागू करते समय पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहाः

" 43 ..... यदि विधायी क्षमता के लिए कोई चुनौती है
अदालतें इसके सार और सार का पता लगाने की कोशिश करेंगी।

विचाराधीन अधिनियम की जांच पर अधिनियमन। इस प्रक्रिया में, अदालतों के लिए यह आवश्यक है कि वे जांच करें

अधिनियम का वास्तविक स्वरूप, इसका उद्देश्य, इसका दायरा और प्रभाव यह पता लगाने के लिए कि क्या विचाराधीन अधिनियम है
वास्तव में आवंटित कानून के क्षेत्र के लिए संदर्भित

राज्य अधिनियम और इस तरह के विश्लेषण और परीक्षण पर, यदि यह पाया जाता है कि सार और सार में, यह राज्य सूची में एक प्रविष्टि के तहत आता है, लेकिन संघ सूची में विषयों पर केवल एक आकस्मिक अतिक्रमण है, तो राज्य अधिनियम केवल अमान्य नहीं होगा।
क्योंकि संघ सूची के किसी भी विषय पर आकस्मिक अतिक्रमण है। *178 (* जोर दिया गया*)*

115. पीठ और पदार्थ के सिद्धांत का उपयोग मुख्य रूप से यह जांचने के लिए किया जाता है कि क्या विधायिका के पास इस संबंध में कानून बनाने की क्षमता है या नहीं। संविधान के तहत प्रदान की गई तीन सूचियों में से किसी एक के लिए। इसे धन विधेयक के रूप में बनाए रखने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है, एक ऐसा विधेयक जो अनुच्छेद *110* द्वारा निर्धारित संवैधानिक सीमाओं से परे जाता है, चाहे कोई विधेयक धन विधेयक के रूप में वैध रूप से पारित किया गया हो, इसका संविधान के अनुच्छेद *246* के तहत विधायिका की विधायी क्षमता से कोई लेना-देना नहीं है। क्या कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका परीक्षण अनुच्छेद *110* की सीमाओं के भीतर किया जाना चाहिए। महान्यायवादी का निवेदन इस पर निर्भर करता हैः '
नज़रअंदाज़ करें

177 (2008) 13 एससीसी *5*

178 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *21* पर जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

जे.*]*

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़,

"केवल निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले से संबंधित प्रावधान" की अभिव्यक्ति करें और धारा *7* को इसके प्रमुख प्रावधान के रूप में मानते हुए विधेयक को धन विधेयक मान लें। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद *110* की स्पष्ट और स्पष्ट भाषा की अनदेखी करेगा। जैसा कि हमने पहले जोर दिया है, महान्यायवादी के प्रस्तुत करने के लिए अदालत को "केवल" शब्द को अपनी वर्तमान स्थिति से "यदि" से पहले के स्थान पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। यह संविधान को फिर से लिखने के लिए होगा जिसका अर्थ होगा कि एक विधेयक एक धन विधेयक होगा यदि इसमें कुछ प्रावधान हैं जो उप के तहत आते हैं।

खंड *(ए)* से *(जी)*। संविधान इसके विपरीत कहता हैः एक बिल एक है धन विधेयक यदि इसमें केवल एक या अधिक से संबंधित प्रावधान हैं -

धारा *7* को आनुषंगिक के रूप में पढ़ें। इस तरह के दृष्टिकोण को अधिनियम के एक सादे पठन से झुठलाया जाता है, जैसा कि पहले संकेत दिया गया है। इसके अलावा, हमने उन कारणों का भी संकेत दिया है कि क्यों धारा *7* को भी अनुच्छेद *110* के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है। धारा *7* किसी भी व्यय को व्यय के रूप में घोषित करने से संबंधित नहीं है। संचित निधि में प्रभारित। धारा *7* सब्सिडी, लाभ या सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने की अनुमति देती है, जिस पर समेकित निधि से खर्च किया जाता है। धारा *7* करता है

संचित निधि में कोई व्यय नहीं लेता है। यह आधार को अनिवार्य बनाने से संबंधित है।

अपने तर्क के समर्थन में, प्रत्यर्थियों ने भारत संघ बनाम शाह गोवर्धन एल. मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भी भरोसा किया है।

काबरा टीचर्स कॉलेज *1 7 9* प्रस्तुत करता है कि पीठ और पदार्थ के सिद्धांत का उपयोग किसी भी संदर्भ में किया जा सकता है। न्यायालय ने कहाः

> *" 7.* यह आगे एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि विभिन्न में प्रविष्टियाँ
>
> सूचियों को संकीर्ण अर्थ दिए बिना एक साथ पढ़ा जाना चाहिए
>
> उनमें से कोई भी। संसद और राज्य की शक्ति
>
> विधायिका को सटीक और निश्चित शब्दों में व्यक्त किया जाता है। जबकि एक
>
> दोनों प्रविष्टियों में "पीठ और पदार्थ" का सिद्धांत होना चाहिए
> किसी विधान की वास्तविक प्रकृति और प्रविष्टि का पता लगाने के लिए आवेदन किया गया
>
> जिसके साथ यह गिर जाएगा। प्रविष्टियों के बीच टकराव के मामले में

सूची *I* और सूची *II* का निर्णय "पीठ और पदार्थ" के सिद्धांत को लागू करके किया जाना है। "पीठ और सार" के सिद्धांत का अर्थ है कि यदि कोई अधिनियम काफी हद तक स्पष्ट रूप से प्रदत्त शक्तियों के भीतर आता है

जिस विधायिका ने इसे अधिनियमित किया, उस पर संविधान

इसे अमान्य नहीं माना जा सकता है, केवल इसलिए कि यह संयोग से है

दूसरे विधानमंडल को सौंपे गए मामलों का अतिक्रमण करता है।

जब किसी कानून को विधायी क्षमता से परे माना जाता है, तो यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि वह सही है।

विधान की प्रकृति। यदि इस तरह की जांच में यह पाया जाता है कि विधानमंडल को सौंपे गए किसी मामले पर कानून सार में एक है, तो इसे पूरी तरह से वैध माना जाना चाहिए, भले ही यह संयोग से उन मामलों पर खाई बना सकता है जो इसकी क्षमता से बाहर हैं। के वास्तविक चरित्र की जांच करने के लिए अधिनियमन, संपूर्ण अधिनियम, इसके उद्देश्य और दायरे और प्रभाव में जाने की आवश्यकता है। क्षेत्र में आक्रमण का सवाल

किसी अन्य विधान का निर्धारण डिग्री द्वारा नहीं बल्कि सार द्वारा किया जाना है। "सार और सार" के सिद्धांत को न केवल दो विधानसभाओं की शक्तियों के बीच संघर्ष के मामलों में लागू किया जाना चाहिए, बल्कि किसी भी मामले में जहां सवाल उठता है कि क्या कोई कानून विशेष विधायी द्वारा कवर किया गया है। शक्ति जिसके प्रयोग में इसे बनाया जाना अपेक्षित है। *1 80 (*जोर दिया गया*)*

निर्णय वर्तमान विवाद में प्रस्तुत करने के लिए कोई सहायता नहीं है। न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां शक्ति के संबंध में हैं -

संविधान के अनुच्छेद *246* के तहत कानून बनाना। यह धन विधेयक के प्रश्न से असंबद्ध है। इसलिए, यह तर्क कि आधार अधिनियम एक धन विधेयक है, खारिज कर दिया जाता है। *116.* आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पेश करने ने राज्यसभा के संवैधानिक अधिकार को दरकिनार कर दिया है। का मार्ग

धन विधेयक के रूप में आधार अधिनियम संवैधानिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसने राज्यसभा को संशोधन करके विधेयक के प्रावधानों में बदलाव करने से वंचित कर दिया। अनुच्छेद *110* के प्रावधानों की कसौटी पर, विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित नहीं किया जा सकता था। *25* नवंबर *1949* को संविधान सभा में अपने अंतिम संबोधन में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने कहा थाः

180 आई. बी. आई. डी., पृष्ठों पर *233-234* जस्टिस के. एस. पुटास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

"संविधान का कार्यकरण पूरी तरह से संविधान की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। संविधान केवल राज्य के अंगों जैसे विधानमंडल, कार्यपालिका और

न्यायपालिका। राज्य के उन अंगों का कामकाज जिन कारकों पर निर्भर करता है, वे हैं लोग और राजनीतिक दल जिन्हें वे अपनी इच्छाओं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने साधन के रूप में स्थापित करेंगे।

राजनीति "। *181*

117. कानून बनाने में राज्यसभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्यसभा के अधिकार का अतिक्रमण संवैधानिक योजना और लोकतांत्रिक संस्थानों की वैधता के साथ टकराव में है। यह. यह संविधान के साथ धोखाधड़ी है। धन विधेयक के रूप में किसी विधेयक को पारित करना, जब वह इसके लिए योग्य नहीं होता है, तो इसके नाजुक संतुलन को नुकसान पहुंचाता है।

द्विसदनीयता जो संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है। सत्ता में सत्तारूढ़ दल के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं हो सकता है। लेकिन उस विधायी निकाय की विधायी भूमिका को एक ऐसे विधेयक को कानून बनाकर समाप्त नहीं किया जा सकता है जो धन विधेयक के रूप में धन विधेयक नहीं है। यह एक छल-कपट होगा, जिसे एक संवैधानिक अदालत स्वीकार नहीं कर सकती। लोकतांत्रिक राजनीति में मतभेदों को बातचीत और समायोजन द्वारा हल किया जाना चाहिए। किसी अन्य संवैधानिक संस्थान के साथ मतभेदों को सरल उपाय से हल नहीं किया जा सकता है -

इसे नजरअंदाज करें। ऐसा करना राजनीतिक रूप से समीचीन हो सकता है। लेकिन यह संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है। एक लोकतांत्रिक संस्थान का यह पतन नहीं हो सकता है

पास करने की अनुमति। लोकतंत्र के लिए संस्थान महत्वपूर्ण हैं। उन्हें कमजोर करना केवल लोकतांत्रिक संरचनाओं के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इस प्रकार यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद *110* के तहत धन विधेयक के रूप में अर्हता प्राप्त करने में विफल रहता है। चूँकि इस अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पारित किया गया था, हालाँकि यह ऐसा होने के योग्य नहीं है, इसलिए इस अधिनियम का पारित होना एक अवैधता है। आधार अधिनियम अनुच्छेद *110* का उल्लंघन है और इसलिए इसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है।

एफ बायोमेट्रिक्स, गोपनीयता और आधार

"कोई भी स्थिति जो मनुष्य और मशीन के बीच बातचीत की अनुमति देती है, बायोमेट्रिक्स को शामिल करने में सक्षम है *"182*

181 संविधान सभा *(25* नवंबर *1949) 182* गैरी रोथेनबाग, *(*ए. कैवकियन, गोपनीयता और बायोमेट्रिक्स, सूचना और गोपनीयता आयुक्त, ओंटारियो, कनाडा, *1999*, पृष्ठ *11* में उद्धृत, जो *HTTP* पर उपलब्ध है: *//* डब्ल्यू. डब्ल्यू. आईपीसी। पर। सी. ए./छवियाँ/संसाधन/प्रि

बायोम।

118. 'बायोमेट्रिक' शब्द यूनानी संज्ञा 'जीवन' *(*जीवन*)* और 'ध्यान' *(*माप*)* से लिया गया है और इसका अर्थ है 'जीवन का माप'।

प्रजातियाँ '। *183* बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकियों का तात्पर्य है कि "किसी व्यक्ति की अनूठी या विशिष्ट मानव विशेषताओं को एकत्र किया जाता है, मापा जाता है और पहचान के लिए उस व्यक्ति द्वारा किए गए दावे के स्वचालित सत्यापन के लिए संग्रहीत किया जाता है" *184* ये प्रणालियाँ इस प्रकार पहचान या पहचान को सत्यापित या सत्यापित करती हैं। उस व्यक्ति से। स्वचालित माप और उनके जैविक लक्षणों *(*जैसे उंगलियों के निशान, चेहरा और आईरिस*)* या व्यवहार संबंधी विशेषताओं *(*जैसे हस्ताक्षर और आवाज*)* के विश्लेषण के आधार पर व्यक्तियों का दावा।

119. यह विचार कि हमारे शरीर के अंगों का उपयोग हमारे अद्वितीय स्वयं को पहचानने के लिए किया जा सकता है, कोई नई बात नहीं है। हाथ, पैर और उंगली के छापों का उपयोग प्राचीन काल से उनकी अनूठी विशेषताओं के कारण किया जाता रहा है। हालांकि, बायोमेट्रिक प्रणालियों के आगमन से पहले, मानव विशेषताओं की तुलना हाथ से की जाती थी। इसलिए आज की बायोमेट्रिक प्रणालियाँ हस्तचालित सत्यापन विधियों से अलग हैं क्योंकि यह तकनीक पहले से मौजूद हस्तचालित सत्यापन व्यवस्था के स्थान पर मानव विशेषताओं की स्वचालित तुलना करने की अनुमति देती है। यह समझना चाहिए कि बायोमेट्रिक प्रणाली स्वयं व्यक्तियों की पहचान नहीं करती है। पहचान के लिए,

अतिरिक्त जानकारी जो पहले से ही डेटाबेस में संग्रहीत है, की आवश्यकता है क्योंकि बायोमेट्रिक सिस्टम केवल उस जानकारी की तुलना कर सकते हैं जो पहले से ही प्रस्तुत की गई है। *185* इस तरह की प्रणाली का अभिन्न अंग पहले एकत्र और संग्रहीत किए गए बायोमेट्रिक डेटा के साथ पहचान के दावे का मिलान है। सामान्य तौर पर, बायोमेट्रिक अनुप्रयोगों को उन प्रणालियों के रूप में संदर्भित किया जाता है जो किसी को दावों को प्रमाणित करने की अनुमति देते हैं। 'प्रमाणित करने' क्रिया को 'प्रामाणिक, कानूनी रूप से मान्य बनाने' के रूप में वर्णित किया जा सकता है। *186* मूल रूप से, उंगलियों के निशान सबसे अधिक ज्ञात और उपयोग किए जाने वाले बायोमेट्रिक लक्षण थे, लेकिन प्रौद्योगिकी में सुधार के साथ, बायोमेट्रिक जानकारी के कई स्रोत सामने आए हैं। इनमें चेहरे की विशेषताओं, आईरिस, आवाज, हाथ की ज्यामिति और डीएनए से संबंधित डेटा शामिल हैं। प्रत्येक विशेषता को विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके एकत्र किया जाता है और कर सकते हैं

पहचान प्रक्रिया की सटीकता और विश्वसनीयता को मजबूत करने और सुधारने के लिए अलग-अलग या संयोजन में विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाए। *1 87*

183 एल्स जे. किंड्ट, बायोमेट्रिक अनुप्रयोगों की गोपनीयता और डेटा संरक्षण मुद्देः ए.

तुलनात्मक कानूनी विश्लेषण, स्प्रिंगर *(2013)*

184

आइबीआइडी।

186 आइबीआइडी। *187* नैन्सी यू लियू, बायो-प्राइवेसीः गोपनीयता विनियम और बायोमेट्रिक्स की चुनौती,

रूटलेज *(2013)*।

सामान्य तौर पर, बायोमेट्रिक जानकारी को किसी व्यक्ति की निकालने योग्य प्रमुख विशेषताओं को 'इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल टेम्पलेट' में संसाधित करके विकसित किया जाता है, जिसे फिर एन्क्रिप्ट किया जाता है और डेटाबेस में संग्रहीत किया जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी भी उद्देश्य के लिए अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए प्रणाली से जुड़ता है, तो जानकारी का उपयोग 'इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल टेम्पलेट' के साथ सहेजे गए 'इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल टेम्पलेट' का मिलान करके किया जाता है।

बायोमेट्रिक तकनीक का उद्देश्य "एक से एक" पहचान जांच के माध्यम से व्यक्तियों की पहचान की पुष्टि करना है। यह प्रणाली उस विशिष्ट व्यक्ति के लिए मौजूदा डेटा के साथ बायोमेट्रिक डेटा के स्रोत की तुलना करती है। एफ. आई. बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का बढ़ता उपयोग

1980 और *1990* के दशक में विकसित देशों द्वारा बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकियां, हाल के रुझान गोपनीयता की चिंताओं के कारण बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी-या कम से कम बायोमेट्रिक डेटा के बड़े पैमाने पर भंडारण-को तैनात करने के लिए उनकी अनिच्छा को दर्शाते हैं। प्रमुख उदाहरणों में यूके में राष्ट्रीय पहचान रजिस्टर और आईडी कार्ड को समाप्त करना और बायोमेट्रिक पासपोर्ट तैनात करते समय एक केंद्रीकृत डेटाबेस को अस्वीकार करने का जर्मनी का निर्णय शामिल था। *189* इसके विपरीत, विकास में देश में बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी की तैनाती में वृद्धि हुई है क्योंकि इसे नागरिकों के सामने उनकी कानूनी पहचान स्थापित करने और उन्हें सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के साथ-साथ आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में चित्रित किया जा रहा है। हालाँकि, अक्सर इन लक्ष्यों को उनकी निजता और अन्य मानवीय अधिकारों की कीमत पर प्राथमिकता दी जाती है।

अधिकार। *1 9 0 190* साइमन डेविस, एक प्रख्यात गोपनीयता विशेषज्ञ, बताते हैं कि यह कोई दुर्घटना या संयोग नहीं है कि बायोमेट्रिक सिस्टम सबसे अधिक हैं

कल्याणकारी प्राप्तकर्ताओं के साथ आक्रामक रूप से परीक्षण किया गया क्योंकि वे राज्य द्वारा अनिवार्य घुसपैठ का विरोध करने की स्थिति में नहीं हैं। *191*

188 प्राइवेसी इंटरनेशनल, बायोमेट्रिक्सः दोस्त या गोपनीयता का दुश्मन*?*, *HTTPS* पर उपलब्धः */ /*गोपनीयता अंतर्राष्ट्रीय। *org/*साइटें*/*डिफ़ॉल्ट*/*फाइलें*/2017-11* बायोमेट्रिक्स _ फ्रेंड _ या _ फो। पीडीएफ *189* आई. बी. आई. डी. *190* इबिद *191* साइमन डेविस, जैसा कि जॉन डी. वुडवर्ड, बायोमेट्रिक स्कैनिंग, लॉ एंड पॉलिसी में उद्धृत किया गया हैः बायोमेट्रिक ब्लूप्रिंट का मसौदा तैयार करने की चिंताओं की पहचान, विश्वविद्यालय

पिट्सबर्ग लॉ रिव्यू, *(1997)*

जनसंख्या स्तर पर सटीकता की उच्च दर के साथ व्यक्तिगत पहचान की अनुमति देने के लिए पर्याप्त रूप से अद्वितीय माना जाता है। *192* विकासशील देशों में औपचारिक पहचान और आधिकारिक पहचान प्रलेखन की कमी एक गंभीर चुनौती है जो सरकारों के साथ-साथ उनकी क्षमता को भी बाधित करती है।

विकास संगठन उन आबादी को आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करते हैं जिनकी वे सेवा करते हैं। *193* इसके अलावा, सटीक डेटा एकत्र करने के लिए पहचान भी आवश्यक है जो निगरानी के लिए आवश्यक है।

सरकारी कार्यक्रमों की प्रगति। *194* हालाँकि, जबकि बायोमेट्रिक तकनीक कई फायदे लाती है, दूसरा पक्ष यह है कि वही तकनीक मानवाधिकारों के उल्लंघन का कारण भी बन सकती हैः

"जब मजबूत कानूनी ढांचे और सख्त सुरक्षा उपायों के अभाव में अपनाया जाता है, तो बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकियां लोगों के लिए गंभीर खतरे पैदा करती हैं।

गोपनीयता और व्यक्तिगत सुरक्षा, जैसा कि उनका आवेदन हो सकता है

भेदभाव, प्रोफाइलिंग और जनसमूह को सुविधाजनक बनाने के लिए विस्तार किया गया

निगरानी। अलग-अलग सटीकता और विफलता दर

प्रौद्योगिकी गलत पहचान, धोखाधड़ी और नागरिक का कारण बन सकती है
बहिष्करण "। *195*

121. विशेष रूप से विकासशील देशों में बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकियों को अपनाना नए नियमों के कार्यान्वयन के बाद से अनूठी चुनौतियों का सामना कर रहा है।

इन देशों में प्रौद्योगिकियां शायद ही कभी मजबूत कानूनी ढांचे के अधिनियमन से पहले होती हैं। उन देशों के आकलन जहां नई तकनीकों को विनियमित करने या डेटा की सुरक्षा के लिए एक कानूनी तंत्र का बाद में विचार के रूप में पालन किया गया है, से पता चला है कि बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक बड़ा जोखिम मौजूद है जहां व्यक्तियों को बुनियादी मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाता है, और चरम मामलों में, यहां तक कि उनकी पहचान भी। *196*

122. प्रौद्योगिकी आज अपने साथ जबरदस्त शक्ति लाती है और

एक सिक्के के दो किनारों की तरह। जब इसे उत्पादक रूप से लागू किया जाता है, तो यह दुनिया भर के व्यक्तियों को जानकारी प्राप्त करने, खुद को व्यक्त करने और स्थानीय और वैश्विक चर्चाओं में वास्तविक समय में उन तरीकों से भाग लेने की अनुमति देता है जो पहले अकल्पनीय थे। दूसरा पक्ष चिंता का विषय है

192 डैनियल एम. एल. स्टोरिस्टियनू, टोबी एल. नॉर्मन, एलेक्जेंड्रा ग्रिगोर और एलेन बी. लैब्रिक, क्या बायोमेट्रिक्स विकासशील दुनिया की चुनौतियों को हरा सकता है*?*, बायोमेट्रिक तकनीक

आज *(2016)*

193 इबिद

194 आई. बी. आई. डी. *195* प्राइवेसी इंटरनेशनल, बायोमेट्रिक्स, यहां उपलब्ध हैः //गोपनीयता अंतर्राष्ट्रीय। *org /*

विषय/बायोमेट्रिक्स

196 प्राइवेसी इंटरनेशनल, बायोमेट्रिक्सः दोस्त या गोपनीयता का दुश्मन*?*, *HTTPS* पर उपलब्धः *//* गोपनीयता अंतर्राष्ट्रीय। *org/*साइटें*/*डिफ़ॉल्ट*/*फाइलें*/2017-11* बायोमेट्रिक्स _ फ्रेंड _ या _ फो।

पी. डी. एफ. जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

राज्य और निजी संस्थाओं द्वारा निगरानी और बड़े पैमाने पर प्रोफाइलिंग जैसी कार्रवाइयों द्वारा बायोमेट्रिक्स सहित नई तकनीक का दुरुपयोग। यह विशेष रूप से तीव्र है, इस तथ्य को देखते हुए कि तकनीकी प्रगति ने विधायी परिवर्तन को बहुत आगे बढ़ा दिया है। नतीजतन, मानवाधिकारों की सुरक्षा और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय अक्सर गायब रहते हैं। विनियामक ढांचे की कमी, या मौजूदा ढांचे की अपर्याप्तता के सामाजिक और नैतिक परिणाम हैं और यह एक निरंतर जोखिम पैदा करता है कि गोपनीयता, स्वतंत्रता और अन्य मौलिक स्वतंत्रताओं की अवधारणाओं को गलत समझा जाएगा, उनका क्षरण किया जाएगा या उनका अवमूल्यन किया जाएगा। *197*

123. निजता को विभिन्न राष्ट्रीय संविधानों और कई वैश्विक और क्षेत्रीय मानव अधिकारों में एक मौलिक मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।

अधिकार संधियाँ। आज के डिजिटल युग में, गोपनीयता का अधिकार "वह आधारशिला है जो हम कौन हैं उसकी रक्षा करता है और बढ़ते राज्य के सामने अपनी स्वायत्तता और आत्मनिर्णय को बनाए रखने के लिए हमारे चल रहे संघर्ष का समर्थन करता है।

शक्ति। " *198*

124. बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी के प्रसार ने अभूतपूर्व पैमाने पर व्यक्तिगत गोपनीयता के आक्रमण को सुगम बनाया है। कच्चा।

बायोमेट्रिक्स के केंद्र में जानकारी अपनी प्रकृति से व्यक्तिगत है। *1 9 9*

आधार अधिनियम इसे संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के रूप में मान्यता देता है।

बायोमेट्रिक तकनीक इस मायने में अद्वितीय है कि यह मानव शरीर या व्यवहार के हिस्से का उपयोग प्रमाणीकरण या पहचान के आधार के रूप में करती है और इसलिए संबंधित व्यक्ति से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। जबकि बायोमेट्रिक तकनीक कुछ ऐसे ही मुद्दों को उठाती है जो सरकारी एजेंसियों या निजी फर्मों द्वारा नागरिकों के बारे में कोई भी व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने पर उत्पन्न होते हैं, ऐसी विशिष्ट विशेषताएं हैं जो अन्य व्यक्तिगत डेटा से बायोमेट्रिक डेटा को अलग करती हैं, जिससे गोपनीयता सुरक्षा के संबंध में विशेष महत्व की बायोमेट्रिक तकनीक के बारे में चिंता होती है। *200*

125. निजता से संबंधित हितों के दो मुख्य समूह हैं जो नैतिकता और गोपनीयता पर समकालीन चर्चा के लिए सीधे प्रासंगिक हैं।

बायोमेट्रिक्स के कानूनी प्रभाव। *201* पहला समूह 'सूचना गोपनीयता' के अंतर्गत आता है और व्यक्तिगत गोपनीयता के नियंत्रण से संबंधित है।

197 आई. बी. आई. डी. *198* प्राइवेसी इंटरनेशनल, बायोमेट्रिक्सः दोस्त या गोपनीयता का दुश्मन*?*, *HTTPS* पर उपलब्धः *//* गोपनीयता अंतर्राष्ट्रीय। ओ. आर. जी./साइट/डिफ़ॉल्ट/फाइल/*2017-11* बायोमेट्रिक्स मित्र या शत्रु। पीडीएफ

199 नैन्सी यू लियू, बायो-प्राइवेसीः गोपनीयता विनियम और बायोमेट्रिक्स की चुनौती,

रूटलेज *(2013)*

200 इबिद

201 आदर्श सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 8 एस सी आर।

जानकारी दी। अपने बारे में व्यक्तिगत जानकारी को नियंत्रित करने की क्षमता व्यक्ति की गरिमा, आत्म-सम्मान और व्यक्तित्व की भावना से निकटता से संबंधित है। दूसरा हित समूह 'भौतिक गोपनीयता' के दायरे में आता है। निजता की यह भावना विशुद्ध रूप से शारीरिक से परे है और इसका उद्देश्य अनिवार्य रूप से मानव व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना है। यह व्यक्तियों के भौतिक शरीर और स्थानों में घुसपैठ के खिलाफ एक सुरक्षा है। एक अन्य मुद्दा गोपनीयता के संबंध में संपत्ति के अधिकारों का है, जो मानव व्यक्तित्व में हितों के विनियोग और स्वामित्व से संबंधित है। में। कई क्षेत्राधिकारों में, सूचनात्मक गोपनीयता का आधार यह धारणा है कि किसी व्यक्ति के बारे में सभी जानकारी कुछ मौलिक रूप से उनकी अपनी संपत्ति है, और यह उनका है कि वे संवाद करें या बनाए रखें जैसा वे उचित समझते हैं।

126. बायोमेट्रिक डेटा के अधिकांश रूपों के संग्रह के लिए डेटा विषय के व्यक्तिगत स्थान के कुछ उल्लंघन की आवश्यकता होती है। आइरिस और फिंगरप्रिंट स्कैनर को आंखों, हाथों और उंगलियों जैसे शरीर के अंगों के लिए बायोमेट्रिक सेंसर की निकटता की आवश्यकता होती है।

कानून प्रवर्तन और फोरेंसिक पहचान के संदर्भ में भी, फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग को भौतिक गोपनीयता को खतरे में डालने के लिए स्वीकार किया जाता है। कई देशों में ऐसे कानून और विनियम हैं जिनका उद्देश्य ऐसे उपायों को विनियमित करना है, ताकि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जा सके।

राज्य की शक्तियों और कानून प्रवर्तन द्वारा उल्लंघन। हालांकि, बायोमेट्रिक्स

प्रमाणीकरण और पहचान के उद्देश्य के लिए अलग है क्योंकि उनका अपराध से संबंधित निशान खोजने का कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति के लिए विशिष्ट पहचान जानकारी उत्पन्न करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। उद्देश्य में यह अंतर वास्तव में भौतिक बायोमेट्रिक्स के संग्रह को अखंडता और गोपनीयता का अधिक गंभीर उल्लंघन बनाता है। यह इंगित करता है कि यह धारणा हो सकती है कि कोई निर्दोष साबित होने तक दोषी है। यह आम तौर पर स्वीकृत कानूनी सिद्धांत के विपरीत होगा कि एक व्यक्ति दोषी साबित होने तक निर्दोष है और बहुत से निर्दोष लोगों को निगरानी योजनाओं में लाएगा।

127. सूचनात्मक गोपनीयता के बारे में चिंताओं की तुलना में भौतिक गोपनीयता के बारे में चिंताएं आमतौर पर पीछे हट जाती हैं। इसका कारण यह है

यह है कि बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के परिणामस्वरूप होने वाली भौतिक घुसपैठ आमतौर पर भौतिक जानकारी के संग्रह के परिणामस्वरूप होती है। हालाँकि, विशिष्ट सांस्कृतिक या धार्मिक पृष्ठभूमि के कुछ लोगों के लिए, शारीरिक घुसपैठ से होने वाला मानसिक नुकसान भी काफी गंभीर हो सकता है। *202*

202 नैन्सी यू लियू, बायो-प्राइवेसीः गोपनीयता विनियम और बायोमेट्रिक्स की चुनौती,

रूटलेज *(2013)*।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

स्वतंत्रता और स्वायत्तता। आम लोगों के लिए प्रोफाइल किए जाने से खुद को बचाने के लिए अनामता एकमात्र उपकरण हो सकता है। इस प्रकार, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी का उपयुक्त विकल्प नहीं होना चाहिए क्योंकि बायोमेट्रिक्स अपनी प्रकृति से ही गुमनामी के साथ असंगत है। जिस तरह से व्यक्तिगत बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग करके जानकारी को जोड़ा और पहचाना जा सकता है, गुमनाम रहने की क्षमता गंभीर रूप से कम हो जाती है। जबकि कुछ लोगों का तर्क है कि "यह स्पष्ट नहीं है कि बायोमेट्रिक्स का उपयोग करने पर अधिक गुमनामी खो जाएगी", इस तर्क का मूल्यांकन इस तथ्य के आलोक में किया जा सकता है कि

बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी द्वारा लाया गया एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन 'अस्पष्टता द्वारा गोपनीयता' की तीव्र गिरावट है, जो अनिवार्य रूप से "कागज और अन्य विरासत रिकॉर्ड कीपिंग की अक्षमताओं द्वारा अनजाने में व्यक्तियों को दी जाने वाली गोपनीयता का एक रूप है"। *205* अब जब दुनिया भर में कागजी रिकॉर्ड अधिक कुशल डिजिटल रिकॉर्ड रखने और पहचान के लिए रास्ता दे रहे हैं, तो गोपनीयता के इस रूप को समाप्त किया जा रहा है, और कभी-कभी परिवर्तनों के प्रभावों को दूर करने के लिए अनुरूप डेटा गोपनीयता सुरक्षा के बिना। *206* *128.* बायोमेट्रिक रूप से बढ़ी हुई पहचान की जानकारी, जनसांख्यिकीय डेटा जैसे पता, उम्र और लिंग के साथ, अन्य डेटा के साथ, जब तेजी से बड़े, स्वचालित प्रणालियों में उपयोग किया जाता है, तो समाजों में विशेष रूप से डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और सुरक्षा के संबंध में गहन परिवर्तन पैदा होता है। बायोमेट्रिक्स पहचान प्रणालियों के केंद्र में हैं।

इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ समूहों का उत्पीड़न किया जाता है

204 इबिद *205* पाम डिक्सन, ए फेल्योर टू डू नो हार्म-भारत का आधार बायोमेट्रिक आईडी कार्यक्रम और यूरोप और अमेरिका में उपायों के संबंध में गोपनीयता की रक्षा करने में इसकी अक्षमता।

स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी *(2017)*, खंड। *7* , पृष्ठों पर *539-567*

206 आइबीआइडी।

पहचान प्रणालियों के उपयोग के माध्यम से नस्ल, जातीयता और धर्म के आधार पर नागरिकों को सुविधा प्रदान की गई। इसलिए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इतिहास से सीखे गए सबक को ध्यान में रखते हुए पहचान प्रणालियों के विकास की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाए।

129. बायोमेट्रिक तकनीक के उपयोग को उचित ठहराना महत्वपूर्ण है।

गोपनीयता के आक्रमण को देखते हुए। जब बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्रमाणीकरण के लिए होता है और उपयोगकर्ता की मजबूत पहचान होने में बहुत कम या कोई लाभ नहीं होता है, तो बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह को उचित ठहराना मुश्किल होता है।

जानकारी दी। संभावित डर यह है कि ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ मजबूत उपयोगकर्ता सत्यापन/पहचान से कम या कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है और यही वह जगह है जहाँ बायोमेट्रिक तकनीक अनावश्यक हो सकती है, *207 (*उदाहरण के लिए: यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई व्यक्ति है

बार में जाने और शराब पीने के लिए पर्याप्त उम्र, यह जानना अनावश्यक है कि वह व्यक्ति कौन है, जब केवल यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता है कि व्यक्ति कानूनी उम्र का है*)*। यदि बायोमेट्रिक्स का उपयोग केवल निम्न स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की संभावना है।

130. बायोमेट्रिक डेटा, अपनी प्रकृति से, आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है

विशेषताएँ जो हमें 'मनुष्य' बनाती हैं और इसका व्यापक दायरा एक साथ लाता है

विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत तत्व। यह तर्क दिया जाता है कि इस तरह के जन्मजात डेटा का संग्रह, विश्लेषण और भंडारण अमानवीय है क्योंकि यह व्यक्ति को एक संख्या तक कम कर देता है। अंततः, संगठनों और सरकारी एजेंसियों को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में एक बाध्यकारी वैध रुचि है और एक अनिवार्य फिंगरप्रिंट आवश्यकता यथोचित रूप से उस उद्देश्य से संबंधित है जिसके लिए इसकी आवश्यकता है। बायोमेट्रिक डेटा के अनावश्यक संग्रह से बचने का एक तरीका सख्त कानूनी निर्धारण करना है।

यह सुनिश्चित करने के लिए मानक कि गोपनीयता में घुसपैठ जैव-मीट्रिक डेटा के संग्रह की आवश्यकता के अनुरूप और आनुपातिक है। *208*

एफ. *2* बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह में सहमति

131. सरकार द्वारा भौतिक डेटा के संग्रह पर नियम

एजेंसियां आमतौर पर निर्दिष्ट करती हैं कि किसी व्यक्ति को उंगलियों के निशान और/या शारीरिक ऊतक प्रदान करने के लिए किन स्थितियों की आवश्यकता हो सकती है। यदि सहमति की आवश्यकता है, तो सहमति के दायरे को विनियमित करने के लिए नियम हैं। यदि जबरन खोज की अनुमति है, तो आमतौर पर विनिर्देश प्रदान किए जाते हैं कि कैसे और किसके द्वारा

207 नैन्सी यू लियू, बायो-प्राइवेसीः गोपनीयता विनियम और बायोमेट्रिक्स की चुनौती,

रूटलेज *(2013)*।

खोजबीन की जाएगी। इसलिए, इस मुद्दे से जुड़े कानूनी प्रश्न इस प्रकार होने चाहिए: *(* ए*)* यदि आवश्यक हो, तो वास्तव में कवरेज की सीमा क्या होनी चाहिए

सहमति*?*

(ख*)* बायोमेट्रिक जानकारी का अनिवार्य संग्रह कब आवश्यक है*?*

और इसे संचालित करने के लिए कौन पात्र है*?*

(ग*)* ऐसा करने की प्रक्रिया क्या है*?*

(घ*)* वास्तव में क्या दाखिल और संग्रहीत किया जाना चाहिए*?*

132. बायोमेट्रिक तकनीक एक परिपक्व तकनीक होने से बहुत दूर है।

और कई प्रकार की त्रुटियाँ अनिवार्य रूप से होती हैं। परिपक्व प्रौद्योगिकी किसी भी प्रौद्योगिकी के लिए एक लोकप्रिय शब्द है जिसके लिए परिनियोजन में कोई भी सुधार क्रांतिकारी के बजाय विकासवादी है। *209* एक बार बायोमेट्रिक प्रणाली से समझौता हो जाने के बाद, यह हमेशा के लिए समझौता हो जाता है। बायोमेट्रिक पहचान की स्थिति में

चोरी, उपयोगकर्ता को सिस्टम से वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं प्रतीत होगा। पासवर्ड और संख्याएँ बदली जा सकती हैं, लेकिन चोरी होने की स्थिति में बायोमेट्रिक्स से समझौता करने वाली बुनियादी जैविक विशेषताओं को कैसे बदला जा सकता है*?* आधार कानून की वैधता का परीक्षण करने के लिए इन सभी मानकों को दो-भाग की जांच में लागू करने की आवश्यकता हैः सबसे पहले, भारत सरकार द्वारा आधार अधिनियम के अधिनियमन से पहले बायोमेट्रिक्स की शुरुआत और भूमिका का मार्गदर्शन करने वाली रिपोर्टों और कदमों का विश्लेषण किया जाएगा, जिसके बाद बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी और गोपनीयता के प्रतिच्छेदन से संबंधित प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण किया जाएगा, क्योंकि वे आधार अधिनियम, *2016* में निहित हैं और इसके तहत बनाए गए नियमों का समर्थन करते हैं।

एफ. *3* आधार कानून के समक्ष स्थिति

पूर्व-अधिनियमन घटनाओं का सारांश

133. 3 मार्च *2006* को सूचना विभाग ने

प्रौद्योगिकी, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा *12* महीने की अवधि में 'गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र' *(*बी. पी. एल.*)* परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। *210* इसके बाद एक प्रक्रिया समिति बनी।

209 सेगेन्स मेडिकल डिक्शनरी, *2012*। *210* संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना विभाग

परियोजना के लिए प्रौद्योगिकी, प्रशासनिक मंजूरी-"बी. पी. एल. के लिए विशिष्ट आई. डी".

परिवार, दिनांक *3* मार्च, *2006 (*अनुलग्नक आर-*1*, पूर्व-अधिनियम तिथियों की सूची और

लर्नड एजी द्वारा प्रस्तुत आधार परियोजना के लिए कार्यक्रम*)*।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कुछ महीनों बाद *3* जुलाई *2006* को प्रक्रियाओं का सुझाव देने के लिए स्थापित किया जा रहा है बी. पी. एल. परिवार परियोजना के लिए विशिष्ट आई. डी. *("*यू. आई. डी*".)* के तहत बनाए जाने वाले मुख्य डेटाबेस से डेटा के अद्यतन, संशोधन, जोड़ और हटाने के लिए। *21 1* प्रक्रिया समिति ने 'रणनीतिक दृष्टिः निवासियों की विशिष्ट पहचान *'2 1 2*। पेपर ने यू. आई. डी. डेटाबेस को अन्य डेटाबेस के साथ जोड़ने की सिफारिश की जो निरंतर अद्यतन और उपयोगकर्ता-आधारित सत्यापन और आधार डेटाबेस के रूप में चुनाव आयोग के डेटाबेस का उपयोग सुनिश्चित करेगा। *213* दस्तावेज़ के बीच

अन्य रूप से, यह भी कहा गया कि लंबी अवधि में यू. आई. डी. को अपनाने के लिए वैधानिक समर्थन की आवश्यकता होगी*; 2 1 4* विभिन्न हितधारकों द्वारा इसे अपनाना सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और गोपनीयता पर ध्यान केंद्रित करने और दोषसिद्धि की आवश्यकता होगी*; 2 1 5* जबकि

'पारदर्शिता बनाम निजता का अधिकार एक और चुनौती थी जो

संबोधित किया जाना चाहिए। *21 6* बायोमेट्रिक्स, हालांकि, इस स्तर पर पेपर में कोई उल्लेख नहीं मिला।

इसके बाद *4* दिसंबर *2006* को मंत्रियों का एक अधिकार प्राप्त समूह बना।

("ई. जी. ओ. एम.*)*, का गठन प्रधानमंत्री की मंजूरी से नागरिकता अधिनियम *1955* और विशिष्ट पहचान संख्या परियोजना के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर *(*एन. पी. आर.*)* को एकत्रित करने के लिए किया गया था। *217 27* अप्रैल *2007* को आयोजित अपनी बैठक में प्रक्रिया समिति ने निर्णय लिया कि यू. आई. डी. डेटाबेस तीन चरणों में विकसित होगाः प्रारंभिक, मध्यवर्ती और अंतिम। बायोमेट्रिक्स का उल्लेख पहली बार यू. आई. डी. के संदर्भ में किया गया था, जब समिति ने सहमति व्यक्त की थी कि यदि बुनियादी ढांचा उपलब्ध है और किसी निवासी की तस्वीर और/या बायोमेट्रिक्स अन्य जानकारी के साथ उपलब्ध है, तो इसे प्रारंभिक और मध्यवर्ती में लिया जाएगा।

211 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, अधिसूचनाः दिनांक *3* जुलाई, *2006* को बी. पी. एल. परिवारों के लिए विशिष्ट आई. डी. परियोजना के तहत बनाए जाने वाले मुख्य डेटाबेस से डेटा और क्षेत्रों के अद्यतन, संशोधन, जोड़ और हटाने की प्रक्रियाओं का सुझाव देने के लिए एक प्रक्रिया समिति का गठन *(*परिशिष्ट आर-*2*, विद्वान ए. जी. द्वारा प्रस्तुत आधार परियोजना के लिए पूर्व-अधिनियमन तिथियों और घटनाओं की सूची*)*।

213 आई. बी. आई. *214* आई. बी. आई.

215 आई. बी. आई.

216 आई. बी. आई. *217* दो योजनाओं को जोड़ने के लिए मंत्रियों के एक अधिकार प्राप्त समूह का गठन-नागरिकता अधिनियम, *1955* के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की विशिष्ट

पहचान संख्या *(*यू. आई. डी.*)* परियोजना *(*परिशिष्ट आर-*4,* विद्वान ए. जी. द्वारा प्रस्तुत आधार परियोजना के लिए पूर्व-अधिनियमन तिथियों और घटनाओं की सूची*)*।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

चरणों में भी। *218* इसके बाद, ई. जी. ओ. एम. ने स्थापना को मंजूरी दी।

28 जनवरी को योजना आयोग के तहत एक यू. आई. डी. प्राधिकरण का गठन किया गया, जबकि एन. पी. आर. और यू. आई. डी. को जोड़ने की रणनीति को भी मंजूरी दी गई। ई. जी. ओ. एम. ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि एन. पी. आर. अभ्यास के तहत डेटा के संग्रह में यथासंभव हद तक तस्वीरों और बायोमेट्रिक्स का संग्रह शामिल हो सकता है, जबकि यह भी संकल्प लिया गया कि एन. पी. आर. के तहत एकत्र किए गए डेटा को रखरखाव और अद्यतन के लिए यू. आई. डी. प्राधिकरण को सौंप दिया जाएगा। ई. जी. ओ. एम. ने *4* नवंबर *2008* को अपनी चौथी बैठक में निर्णय लिया कि शुरू में, यू. आई. डी. ए. आई. को *5* साल की अवधि के लिए योजना आयोग के तहत एक कार्यकारी निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। यह परिकल्पना की गई थी कि यू. आई. डी. ए. आई. निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची से अपना डेटाबेस बनाएगा और इसे गरीबी रेखा से नीचे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आंकड़ों के माध्यम से सत्यापित करेगा, लेकिन इसके पास डेटाबेस कैसे बनाया जाना चाहिए, इसके बारे में अपने निर्णय लेने का भी अधिकार होगा। *220* नतीजतन, भारत सरकार ने *28* जनवरी *2009* को योजना आयोग के तत्वावधान में एक संलग्न कार्यालय और कार्यकारी प्राधिकरण के रूप में यू. आई. डी. ए. आई. का गठन करते हुए एक अधिसूचना जारी की।

134. यू. आई. डी. ए. आई. के गठन के बाद, योजना आयोग के सचिव ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखा

6 मई *2009* को निवासी भारतीयों के लिए यू. आई. डी. ए. आई. और यू. आई. डी. नंबरों पर एक संक्षिप्त लेख संलग्न किया गया। पत्र में अवधारणा, कार्यान्वयन शामिल था। राज्यों की भूमिका और जिम्मेदारियों के साथ-साथ परियोजना की रणनीति, मॉडल*/UTs.221* यह भी निर्णय लिया गया कि यू. आई. डी. डेटाबेस और भागीदार डेटाबेस के बीच दो तरह के संबंधों के लिए भागीदार डेटाबेस

218 योजना आयोग, सं. *4 (4)/56/2005*-सी एंड आई, डॉ. अरविंद विरमानी की अध्यक्षता में विशिष्ट पहचान पत्र परियोजना की पांचवीं बैठक के कार्यवृत्त *(*अनुलग्नक आर-*6,* आधार परियोजना के लिए पूर्व-अधिनियमन तिथियों और घटनाओं की सूची*)*

विद्वान ए. जी.*)*।

219 दो योजनाओं-नागरिकता अधिनियम, *1955* के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की विशिष्ट पहचान संख्या *(*यू. आई. डी.*)* परियोजना को एकत्रित करने के लिए ई. जी. ओ. एम. की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त *(*परिशिष्ट आर-*10,* विद्वान ए. जी. द्वारा प्रस्तुत आधार परियोजना के लिए पूर्व-अधिनियमन तिथियों और घटनाओं की सूची*)*।

220 दो योजनाओं को जोड़ने के लिए ई. जी. ओ. एम. की चौथी बैठक के कार्यवृत्त नागरिकता अधिनियम, *1955* के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की विशिष्ट पहचान संख्या *(*यू. आई. डी.*)* परियोजना *(*परिशिष्ट आर-*12,* विद्वान ए. जी. द्वारा प्रस्तुत आधार परियोजना के लिए पूर्व-अधिनियमन

तिथियों और घटनाओं की सूची)। *221* सचिव, भारत सरकार, योजना आयोग, डी. ओ. नं. ए-*11016/02/09* यू. आई. डी. ए. आई. *(*अनुलग्नक आर-*22,* आधार के लिए पूर्व-अधिनियम तिथियों और घटनाओं की सूची*)*

विद्वान एजी द्वारा प्रस्तुत परियोजना*)*।

ई. सी. आई. डेटाबेस, ग्रामीण विकास मंत्रालय-ग्रामीण घरेलू सर्वेक्षण डेटाबेस और राज्य राशन कार्ड *(*पी. डी. एस.*)* डेटाबेस यू. आई. डी. डेटाबेस का रखरखाव और निरंतर अद्यतन करेंगे।

135. यू. आई. डी. ए. आई. की प्रधानमंत्री परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई।

12 अगस्त *2009* को। परिषद द्वारा विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, *222* जिसके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अन्य बातों के अलावा, बायोमेट्रिक्स के क्षेत्र में मानक निर्धारित करने के लिए यू. आई. डी. ए. आई. को एक शीर्ष निकाय के रूप में नामित करने का प्रस्ताव और

जनसांख्यिकीय डेटा संरचनाओं को मंजूरी दी जानी चाहिए। *29* सितंबर *2009* को, यू. आई. डी. ए. आई. ने यू. आई. डी. ए. आई. के लिए बायोमेट्रिक मानक तैयार करने के लिए बायोमेट्रिक्स मानक समिति *("*बी. एस. सी*".)* की स्थापना की। समिति को निम्नलिखित अधिदेश सौंपा गया थाः *223*

बायोमेट्रिक मानक विकसित करना जो अंतरसंचालनीयता सुनिश्चित करेगा

विभिन्न अभिकरणों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं का

यू. आई. डी. प्रणाली का उपयोग करें।

बायोमेट्रिक्स के मौजूदा मानकों की समीक्षा करना और यदि आवश्यक हो,

दोहराव से संबंधित यू. आई. डी. ए. आई. की आवश्यकताएँ और
प्रमाणीकरण।

इसके बाद जनसांख्यिकीय डेटा मानकों का निर्माण किया गया।

और सत्यापन प्रक्रिया समिति *("*डी. डी. एस. वी. पी. सी*".) 9* अक्टूबर *2009* को निम्नलिखित आदेश के साथः *224*

जनसांख्यिकीय डेटा और जनसांख्यिकीय डेटा की सिफारिश करें
मानक *(*डेटा फ़ील्ड और उनके प्रारूप/संरचना, आदि*)* जो

अंतरसंचालनीयता और बुनियादी के मानकीकरण को सुनिश्चित करेगा
जनसांख्यिकीय डेटा और विभिन्न एजेंसियों द्वारा उपयोग की जाने वाली उनकी संरचना

जो यू. आई. डी. प्रणाली का उपयोग करते हैं*;* और

इस जनसांख्यिकीय डेटा के सत्यापन की प्रक्रिया की सिफारिश करें
यह सुनिश्चित करने के लिए कि नामांकन के समय लिया गया डेटा

यू. आई. डी. प्रणाली में निवासियों की संख्या सही है।

222 योजना आयोग, यू. आई. डी. ए. आई. की प्रधानमंत्री परिषद की बैठक के कार्यवृत्त *(*अनुलग्नक आर*-35,* आधार परियोजना के लिए पूर्व-अधिनियमन तिथियों और घटनाओं की सूची*)*

विद्वान ए. जी. द्वारा प्रस्तुत*)*।

223 योजना आयोग, यू. आई. डी. ए. आई., कार्यालय ज्ञापन, यहां उपलब्ध हैः *//* डब्ल्यू. डब्ल्यू.

यूआईडीएआई। गव. इन/छवियाँ/संसाधन बायोमेट्रिक मानक समिति _ अधिसूचना

. पीडीएफ।

224 डी. डी. एस. वी. पी. सी. *(*यू. आई. डी. ए. आई.*),* डी. डी. एस. वी. पी. सी. रिपोर्ट*,* दिनांक *09* दिसंबर *2009,* यहां उपलब्ध हैः */*

*/*यूआईडीएआई। गव. */* छवियाँ*/*यू. आई. डी. डी. डी. एस. वी. पी. समिति रिपोर्ट में। पी. डी. एफ.*,* पृष्ठ *5-6* पर।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

जे.*]*

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़,

136. डी. डी. एस. वी. पी. सी. ने *9* दिसंबर *2009* की अपनी रिपोर्ट में कहा,

कि यू. आई. डी. ए. आई. ने डुप्लिकेट पहचान की जांच करने के लिए प्राथमिक विधि के रूप में बायोमेट्रिक्स सुविधाओं का चयन किया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक व्यक्ति विशिष्ट रूप से एक आसान और लागत प्रभावी तरीके से पहचाने जाने पर, यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि ली गई बायोमेट्रिक जानकारी उस समय डी-डुप्लिकेशन करने में सक्षम थी जब जानकारी एकत्र की गई थी। *225* अपने निवासी को जानें *("*केवाईआर*")* सत्यापन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी कि "प्रमुख जनसांख्यिकीय डेटा को ठीक से सत्यापित किया जाए ताकि यूआईडी प्रणाली के भीतर डेटा का उपयोग पहचान के प्रमाणीकरण के लिए किया जा सके।

विभिन्न प्रणालियों द्वारा "। यू. आई. डी. के तहत सत्यापन के तीन अलग-अलग तरीके स्वीकार्य होने थे। सत्यापन इस पर आधारित हो सकता है -

सहायक दस्तावेज़*;*

एक परिचय प्रणाली जिसके तहत "अनुमोदित" का एक नेटवर्क

परिचयकर्ता एक निवासी का परिचय दे सकते हैं और इसकी वैधता की पुष्टि कर सकते हैं

निवासी की जानकारी; और *(यह विचार उधार लिया गया था)*

बैंकों में खाता खोलने की प्रक्रिया।*)*

राष्ट्रीय जनसंख्या में सार्वजनिक जांच के लिए अपनाई गई प्रक्रिया

रजिस्टर करें।

137. कुछ अनिवार्य क्षेत्रों की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए,

नाम, जन्म तिथि और पता, "पहचान का प्रमाण" *(*पोल*)* और "पते का प्रमाण" *(*पीओए*)* की आवश्यकता होगी। इसमें क्रमशः निवासी का नाम और फोटो और नाम और पता वाले दस्तावेज शामिल होंगे। *9* अप्रैल *2010* को, एन. पी. आर. अभ्यास के लिए आईरिस बायोमेट्रिक्स के संग्रह को मंजूरी दी गई थी। *226*

138. अप्रैल *2010* में यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा जारी एक रणनीति अवलोकन

परियोजना की विशेषताओं, लाभों, राजस्व मॉडल और समयसीमा का वर्णन किया। *227* सर्वेक्षण में कहा गया है कि यू. आई. डी. ए. आई. यू. आई. डी. संख्या जारी करने के लिए निवासियों से निम्नलिखित जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करेगाः

नाम

- जन्म तिथि

लिंग

-

225 इबिद, पृष्ठ *4* पर *226* अनुलग्नक आर-*43*, खंड *II*, आधार के लिए पूर्व-अधिनियम तिथियों और घटनाओं की सूची

परियोजना, ए. जी. द्वारा प्रस्तुतियाँ

227 यू. आई. डी. ए. आई., यू. आई. डी. ए. आई. रणनीति अवलोकन, एच. टी. पी. पर उपलब्ध हैः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. पीआरएसइंडिया। *org/*अपलोड */*

मीडिया*/*यू. आई. डी.*/*यू. आई. डी. ए. आई.*% 20* स्ट्रैटेजी*% 20OVERVIEW.pdf*\

पिता*/*पति*/*अभिभावक का नाम और यू. आई. डी. संख्या *(*वैकल्पिक*)*

-

वयस्क निवासियों के लिए*)*

माता/पत्नी/अभिभावक का नाम और यू. आई. डी. संख्या *(*वैकल्पिक*)*

वयस्क निवासियों के लिए*)*
परिचयकर्ता का नाम और यू. आई. डी. संख्या *(*इसकी कमी के मामले में*)*

दस्तावेज़*)*

पता

●

सभी दस उंगलियों के निशान, फोटो और दोनों आईरिस स्कैन

इसके बाद *3* दिसंबर *2010* को राज्यसभा में भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक, *2010 (*एन. आई. ए. आई. विधेयक*)* पेश किया गया। *13* फरवरी *2011* को दस लाखवां आधार कार्ड वितरित किया गया था। इसके बाद *11* अप्रैल *2011* को केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, *2000* की धारा *43* ए के तहत सूचना प्रौद्योगिकी *(*उचित सुरक्षा प्रथाएं और प्रक्रियाएं और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना*)* नियम, *2011 ["*आईटी नियम*"]*। *29* सितंबर *2011* को आधार परियोजना ने एक वर्ष पूरा किया। दस करोड़ नामांकन और *3.75* करोड़ से अधिक आधार संख्या बनाने की घोषणा की गई थी।

यू. आई. डी. ए. आई. की रिपोर्टों और पंजीयकों के अधिकारों का विश्लेषण बायोमेट्रिक्स मानक समिति *(*बी. एस. सी.*)* की रिपोर्ट

139. बी. एस. सी. ने *30* दिसंबर *2009* की अपनी रिपोर्ट में कहा कि उसने अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ व्यापक बैठकें और चर्चा की और

प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ता। इंडी को इकट्ठा करने के लिए एक तकनीकी उप-समूह का गठन किया गया था। उंगलियों के निशान और गुणवत्ता का विश्लेषण करें। *25, 000* से अधिक व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट चित्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और बिहार के जिलों से लिए गए थे।

उड़ीसा। लगभग सभी चित्र ग्रामीण क्षेत्रों से थे, और एकत्र किए गए थे।

228 अनुलग्नक आर*-46,* खंड *II,* आधार के लिए पूर्व-अधिनियम तिथियों और घटनाओं की सूची

परियोजना, ए. जी. जस्टिस के. एस. पुट्सवामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* द्वारा प्रस्तुतियाँ *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

विभिन्न एजेंसियों द्वारा विभिन्न कैप्चर उपकरणों का उपयोग करके, और इसके माध्यम से विभिन्न परिचालन प्रक्रियाएँ। बी. एस. सी. रिपोर्ट उस बहाने के बारे में चुप है जिस पर *25,000* लोगों की उंगलियों के निशान एकत्र किए गए थे। यू. आई. डी. ए. आई. की यह कार्रवाई गोपनीयता की चिंताओं को बढ़ाती है, विशेष रूप से जब से उंगलियों के निशान थे।

बी. एस. सी. ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों और वर्तमान राष्ट्रीय सिफारिशों की समीक्षा करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि एक फिंगरप्रिंट आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली यू. आई. डी. ए. आई. के डी-डुप्लिकेशन प्रयासों के मूल में होनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन *(*आई. एस. ओ.*)* द्वारा निर्धारित फिंगरप्रिंट, चेहरे और आईरिस के लिए बायोमेट्रिक्स मानकों की आई. एस. ओ. *19794* श्रृंखला यू. आई. डी. परियोजना के लिए सबसे उपयुक्त थी। *229* बी. एस. सी. ने यह भी देखा कि जबकि एक फिंगरप्रिंट आधार बायोमेट्रिक प्रणाली यू. आई. डी. ए. आई. के दोहराव हटाने के प्रयासों के मूल में होगी, अनुभवजन्य आंकड़ों के अभाव में भारतीय संदर्भ में इसकी सटीकता का अनुमान नहीं लगाया जा सकाः

"समिति ने नोट किया कि चेहरा सबसे अधिक पकड़ा जाता है

बायोमेट्रिक, और अक्सर मैनुअल जाँच में उपयोग किया जाता है। हालांकि, अकेले खड़े होकर, स्वचालित चेहरे की पहचान उच्च स्तर की सटीकता प्रदान नहीं करती है, और इसका उपयोग केवल प्राथमिक बायोमेट्रिक तौर-तरीके के पूरक के लिए किया जा सकता है। फिंगरप्रिंटिंग, सबसे पुरानी बायोमेट्रिक तकनीक, की वैश्विक स्तर पर सभी बायोमेट्रिक्स तौर-तरीकों में सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी है। ..... इन कारकों के आधार पर, समिति यह मानती है कि फिंगरप्रिंट आधारित बायोमेट्रिक्स प्रणाली इसके मूल में होगी।

यू. आई. डी. ए. आई. के दोहराव हटाने के प्रयास।

हालाँकि, समिति इस तथ्य से भी अवगत है कि यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा आवश्यक परिमाण का दोहराव दुनिया में कभी लागू नहीं किया गया है। वैश्विक संदर्भ में, अब तक *99* प्रतिशत की डी डुप्लिकेशन सटीकता हासिल की गई है।

पचास मिलियन तक के डेटाबेस के खिलाफ अच्छी गुणवत्ता वाले उंगलियों के निशान। हालाँकि, दो कारक सटीकता के बारे में अनिश्चितता पैदा करते हैं जिसे उंगलियों के निशान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। पहला, डेटाबेस के आकार को पचास मिलियन से एक अरब तक मापते हुए प्रभावकारिता को बनाए रखने का पर्याप्त विश्लेषण नहीं किया गया है। दूसरा, फिंगरप्रिंट की गुणवत्ता, जो दोहराव की सटीकता निर्धारित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चर है, का भारतीय संदर्भ में गहराई से अध्ययन नहीं किया गया है। *99230* '

229 यू. आई. डी. के लिए बायोमेट्रिक्स, बायोमेट्रिक्स डिजाइन मानकों पर यू. आई. डी. ए. आई. समिति

आवेदन, पृष्ठ *4* पर

230 आइबीआइडी।

140. "डिजिटल पहचान के लिए डिजिटल पहचान प्रणालियों के लिए तकनीकी मानक" शीर्षक से चर्चा के लिए अपनी रिपोर्ट में, विकास *(*आई. डी. *4.* डी.*)* पहल, विश्व बैंक की एक अंतर-विभागीय प्रयास रिपोर्ट में कहा गया है कि यू. आई. डी. ए. आई. ने एक महत्वपूर्ण सुरक्षा मानक, आई. एस. ओ. *24745* को लागू नहीं किया था, जो भंडारण के दौरान गोपनीयता और अखंडता के लिए बायोमेट्रिक जानकारी की सुरक्षा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।

या पहचान का प्रबंधन. आधार प्रणाली के लिए लागू अनुपालन प्रक्रियाओं की जटिलता के कारण। *231* कार्यक्रम के समर्थकों का तर्क है कि यू. आई. डी. ए. आई. के लिए पूरी निष्पक्षता में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आई. एस. ओ. *24745* मानक अगस्त *2011* में प्रकाशित किया गया था, जबकि बी. एस. सी. की रिपोर्ट जनवरी *2010* में यू. आई. डी. ए. आई. को पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी थी। हालाँकि, आईएसओ *24745* के परियोजना संपादक श्री म्युंग ग्यून चुन ने कहा है कि आईएसओ *24745* मानक बायोमेट्रिक पहचान द्वारा उठाए गए 'गैरकानूनी प्रसंस्करण और डेटा के उपयोग' जैसी 'अद्वितीय गोपनीयता चिंताओं' को संबोधित करने के लिए एक 'अमूल्य उपकरण' है क्योंकि इसकी बाध्यकारी प्रकृति 'जो बायोमेट्रिक्स को व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी से जोड़ती है'। *232*

आईएसओ *24745* "एक बायोमेट्रिक प्रणाली की सुरक्षा और ठोस जवाबी उपायों के साथ डेटा विषयों की गोपनीयता की रक्षा करना" चाहता है। *233* आईएसओ *24745* मानक निर्दिष्ट करता है:

> "बायोमेट्रिक में निहित खतरों और जवाबी उपायों का विश्लेषण
>
> बायोमेट्रिक संदर्भ के बीच बंधन के लिए सुरक्षा आवश्यकताएँ
> और एक पहचान संदर्भ;
>
> विभिन्न परिदृश्यों के साथ बायोमेट्रिक प्रणाली अनुप्रयोग मॉडल
>
> बायोमेट्रिक संदर्भों का भंडारण और तुलना;
>
> अवधि के दौरान किसी व्यक्ति की गोपनीयता की सुरक्षा पर मार्गदर्शन
>
> बायोमेट्रिक जानकारी का प्रसंस्करण। " *234*

B. 2010 का रणनीति अवलोकन इस रिपोर्ट में, निवासियों की जानकारी के संबंध में 'गोपनीयता और उद्देश्य' के बीच एक संतुलन बनाने की मांग की गई थी जो था

231 विकास के लिए पहचान *(*विश्व बैंक समूह*)*, डिजिटल पहचान प्रणाली के लिए तकनीकी मानक, चर्चा के लिए डिजिटल पहचान मसौदा, यहां उपलब्ध हैः //पबडोक्स। विश्व बैंक। *org/en/579151551870563O/ID4D*-प्राविधिक

मानक-डिजिटल-पहचान के लिए। पीडीएफ, पृष्ठ *22* पर।

233 आइबीआइडी। *234* आइबीआइडी।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन जैसी बायोमेट्रिक जानकारी, अन्य जानकारी के रूप में देश में सार्वजनिक और निजी एजेंसियों के पास पहले से ही उपलब्ध थी। *237* निजता और गोपनीयता के अधिकार को आवश्यक प्रावधानों को लागू करके संरक्षित करने की मांग की गई थी। *238* यह संदर्भ में भी देखा गया था गोपनीयता की ऐसी स्थिति जिसमें पहचान की चोरी का शिकार हुए निवासी की बायोमेट्रिक जानकारी का नुकसान, विशेष रूप से जब ऐसी जानकारी बैंकिंग, सामाजिक सुरक्षा और पासपोर्ट रिकॉर्ड से जुड़ी हो, वित्तीय

और अन्य संपत्तियों और निवासी की प्रतिष्ठा को जोखिम में डालती है। *239* समीक्षा के अनुसार, परिकल्पित यू. आई. डी. ए. आई. अधिनियम *(*जो इस रिपोर्ट के प्रकाशन के समय अभी भी विचाराधीन था और अभी तक कानून नहीं बनाया गया था*)* में निम्नलिखित अपराधों के लिए उपाय होंगेः

"यू. आई. डी. ए. आई., पंजीयक या नामांकन एजेंसी में किसी के द्वारा भी सूचना का अनधिकृत प्रकटीकरण;

द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाली जानकारी का प्रकटीकरण

यू. आई. डी. ए. आई.;

डेटाबेस पर किसी भी डेटा को किसी के साथ साझा करना;

किसी के लिए भी डेटा के विश्लेषण में शामिल होना या उसे सुविधाजनक बनाना;

किसी के लिए भी किसी भी प्रकृति की प्रोफाइलिंग में शामिल होना या सुविधा प्रदान करना या किसी के लिए भी किसी भी प्रकृति की प्रोफाइलिंग के लिए जानकारी प्रदान करना;
यदि यू. आई. डी. ए. आई. या उसके डेटाबेस के खिलाफ निर्देश दिया जाता है तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत सभी अपराधों को यू. आई. डी. ए. आई. के तहत अपराध माना जाएगा। *240*

हालाँकि, रिपोर्ट के अनुसार, यू. आई. डी. ए. आई. को केवल पहचान धोखाधड़ी और दस्तावेज़ धोखाधड़ी के संबंध में किसी भी शिकायत से चिंतित होना था।

235 यू. आई. डी. ए. आई., यू. आई. डी. ए. आई. रणनीति अवलोकन, एच. टी. पी. पर उपलब्ध हैः *//*डब्ल्यू. डब्ल्यू. पीआरएसइंडिया। *org/*अपलोड/मीडिया/यू. आई. डी./यू. आई. डी. ए. आई.*% 20* रणनीति*% 20* अवलोकन। पी. डी. एफ., पृष्ठ *4,236* आई. बी. आई. डी. पर।

239 इबिद, पृष्ठ *33* पर *240* आइबीआइडी।

(नकली/भ्रामक दस्तावेज*)* को निवासी का नामांकन करने वाले पंजीयक पर छोड़ दिया जाना था। *241 141.* यू. आई. डी. ए. आई. के रणनीति अवलोकन से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैंः सबसे पहले, यू. आई. डी. ए. आई. को आधार कार्यक्रम शुरू होने से पहले बायोमेट्रिक जानकारी के महत्व के बारे में पता था।

दूसरा, यू. आई. डी. ए. आई. ने स्वयं पहचान की चोरी के परिदृश्य पर विचार किया था जो आधार कार्ड के लिए नामांकन के समय हो सकता है। हालाँकि, इसके पास किसी व्यक्ति की पहचान की चोरी के बाद होने वाले संभावित नुकसान का कोई समाधान नहीं था, विशेष रूप से तब जब संभावित 'यू. आई. डी. ए. आई. अधिनियम' अभी भी विचाराधीन था और अंततः *2016* तक लागू नहीं किया गया था।

सी. पंजीयक

142. 'पंजीयक' शब्द को सबसे पहले यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा परिभाषित किया गया था।

डी. डी. एस. वी. पी. सी. रिपोर्ट "किसी भी सरकारी या निजी एजेंसी के रूप में जो निवासियों को नामांकित करने और प्रमाणित करने के लिए यू. आई. डी. ए. आई. के साथ साझेदारी करेगी"। *242* रणनीति अवलोकन में, इस शब्द को "केंद्रीय और राज्य विभागों और निजी क्षेत्र की एजेंसियों जैसी एजेंसियों के रूप में परिभाषित किया गया था जो यू. आई. डी. ए. आई. के लिए 'पंजीयक' होंगे":

243

रणनीति अवलोकन में यह भी कहा गया है किः

"पंजीयक यू. आई. डी. आवेदनों को संसाधित करेंगे और उनसे जुड़ेंगे।

सी. आई. डी. आर. निवासी जानकारी को डुप्लिकेट करेगा और यू. आई. डी. संख्या प्राप्त करेगा। ये पंजीयक या तो नामांकनकर्ता हो सकते हैं, या एजेंसियों को नामांकनकर्ता के रूप में नियुक्त करेंगे, जो इच्छुक लोगों के साथ संपर्क करेंगे।

यू. आई. डी. नंबर। प्राधिकरण सेवा के साथ भी साझेदारी करेगा।

प्रमाणीकरण के लिए प्रदाता। यदि पंजीयक निवासी को कार्ड जारी करता है, तो यू. आई. डी. ए. आई. सिफारिश करेगा कि कार्ड में यू. आई. डी. संख्या, नाम और तस्वीर हो। वे स्वतंत्र होंगे

उनकी सेवाओं से संबंधित कोई और जानकारी जोड़ें *(*जैसे
बैंक द्वारा ग्राहक आईडी के रूप में*)*। वे आवेदक से एकत्र किए गए बायोमेट्रिक को प्रिंट/स्टोर करने के लिए भी स्वतंत्र होंगे।

जारी कार्ड। यदि अधिक पंजीयक इस तरह की बायोमेट्रिक जानकारी को एकल कार्ड प्रारूप में संग्रहीत करते हैं, तो कार्ड आपस में काम करने योग्य हो जाएंगे।

ऑफ़लाइन सत्यापन। लेकिन यू. आई. डी. ए. आई. ऑडिट पर जोर नहीं देगा।
या इसे लागू करें। "*244 (* जोर दिया गया*)*

241 पृष्ठ *34 242* डी. डी. एस. वी. पी. सी. *(*यू. आई. डी. ए. आई.*)*, डी. डी. एस. वी. पी. सी. रिपोर्ट, *(9* दिसंबर *2009)* पर आई. बी. आई. डी., जो कि यहां उपलब्ध हैः *//* यूआईडीएआई। गव. में/छवियाँ/यू. आई. डी. डी. डी. एस. वी. पी. समिति रिपोर्ट। पृष्ठ *5* पर पी. डी. एफ. *243* यू. आई. डी. ए. आई., यू. आई. डी. ए. आई. रणनीति अवलोकन, एच. टी. पी. पर उपलब्ध हैः *//*डब्ल्यू. डब्ल्यू. पीआरएसइंडिया। ओ. आर. जी./अपलोड/मीडिया/यू. आई. डी./यू. आई. डी. ए. आई.*% 20* स्ट्रैटेजी*% 20OVERVIEW.pdf,* पेज *2 244* आई. बी. आई. डी. पर, पेज *15* जस्टिस के. एस. पुटास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. पर।

भारत का संघ

जे.*]*

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़,

143. 'आधार हैंडबुक फॉर रजिस्ट्रार्स *2010' (2010)* में

हैंडबुक), पंजीयकों के संबंध में निम्नलिखित नीतिगत दिशानिर्देश निर्धारित किए गए थेः

"पंजीयक निवासियों से एकत्र किए गए बायोमेट्रिक डेटा को अपने पास रख सकते हैं।

1.

उनके द्वारा दर्ज किया गया। हालांकि, पंजीयक को एक अभ्यास करना होगा

से एकत्र किए गए आंकड़ों के संबंध में देखभाल का प्रत्ययी कर्तव्य
निवासी और नुकसान, अनधिकृत पहुंच के लिए जिम्मेदार होंगे

और उनकी अभिरक्षा में डेटा का दुरुपयोग।

डेटा की अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, बायोमेट्रिक्स

2.

संग्रहित का उपयोग करके संग्रह पर एन्क्रिप्ट किया जाएगा
पंजीयक द्वारा परिभाषित कूटलेखन कुंजी। यह जिम्मेदारी है कि

पंजीयक सुरक्षा, सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए

यह डेटा जो उनकी हिरासत में है। पंजीयक को सुरक्षा करनी चाहिए

अनधिकृत पहुंच और दुरुपयोग से डेटा। यूआईडीएआई

बायोमेट्रिक डेटा के भंडारण के लिए दिशानिर्देशों को परिभाषित करेगा

पंजीयक को यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ मार्गदर्शन देने का आदेश

डेटा। पंजीयक किसी भी अनधिकृत नुकसान के लिए उत्तरदायी होंगे।
इस डेटा की पहुंच और दुरुपयोग। पारदर्शिता के हित में,

यह अनुशंसा की जाती है कि पंजीयक निवासी को सूचित करे
कि वे बायोमेट्रिक डेटा रखेंगे और परिभाषित भी करेंगे

डेटा का उपयोग कैसे किया जाएगा और इसे कैसे सुरक्षित रखा जाएगा। *245*
*(*जोर दिया गया*)*

बायोमेट्रिक डेटा का भंडारण "। *246* हालांकि पुस्तिका में यह संकेत दिया गया है कि भंडारण के लिए दिशानिर्देश यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा परिभाषित किए गए थे, लेकिन यह स्पष्ट है कि इसमें समय लगा। यह केवल *2010* के बाद स्थापित किया गया था, जिसके पहले पंजीयक बिना दिशानिर्देशों के काम कर रहे थे कि बायोमेट्रिक डेटा को कैसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

निम्नलिखित दिशानिर्देश का उल्लेख *2010* की पुस्तिका और दोनों में मिलता है।

2013 :

"पारदर्शिता के हित में, यह अनुशंसा की जाती है कि

पंजीयक निवासी को सूचित करते हैं कि वे रखेंगे

245 यू. आई. डी. ए. आई., पंजीयकों के लिए आधार पुस्तिका, एच. टी. पी. पर उपलब्ध हैः //करते हैं। राजस्थान। गव. इन/प्रशासक/सूचियाँ/डाउनलोड/संलग्नक/*26*/आधार पुस्तिका संस्करण। पीडीएफ,

पृष्ठ *11* पर

246 अनुलग्नक आर-*74*, खंड *III*, आधार के लिए पूर्व-अधिनियमन तिथियों और घटनाओं की सूची

परियोजना, ए. जी. द्वारा प्रस्तुतियाँ।

बायोमेट्रिक डेटा और यह भी परिभाषित करें कि डेटा का उपयोग कैसे किया जाएगा और

इसे कैसे सुरक्षित रखा जाएगा। *247*

हालांकि, इस दिशानिर्देश से यह स्पष्ट है कि यह केवल कुलसचिवों के लिए एक सिफारिश थी, और इस पर कोई दायित्व नहीं डाला गया था

पंजीयक, निवासियों को सूचित करें कि उनके बायोमेट्रिक डेटा को उनके द्वारा संग्रहीत किया जाएगा और डेटा का उपयोग कैसे किया जाना है और इसे सुरक्षित कैसे रखा जाना है। इसके विपरीत, आधार *(*सूचना साझा करना*)* विनियम *2016* का विनियम *5*,

कहते हैंः

"अनुरोध करने वाली संस्था के अलावा किसी भी एजेंसी या संस्था की जिम्मेदारी

आधार संख्या के संबंध में। —

(1) कोई भी व्यक्ति, एजेंसी या संस्था जो आधार एकत्र करती है।

संख्या या आधार संख्या वाला कोई भी दस्तावेज,
करेगाः *(क)* वैध आधार संख्या एकत्र करें, संग्रहीत करें और उपयोग करें।

उद्देश्य; *(ख)* आधार संख्या धारक को निम्नलिखित जानकारी देंः

विवरणः - आई. जानकारी किस उद्देश्य के लिए है
संग्रहित; *ii.* चाहे आधार संख्या जमा करना हो या

ऐसे उद्देश्य के लिए आधार का प्रमाण अनिवार्य है या

यह; *iii.* आधार संख्या जमा करने के विकल्प या
आधार संख्या वाला दस्तावेज़, यदि कोई हो; *(ग)* प्राप्त करें

संग्रह के लिए आधार संख्या धारक की सहमति,

निर्दिष्ट के लिए उसकी आधार संख्या का भंडारण और उपयोग

उद्देश्य।

(2) ऐसा व्यक्ति, एजेंसी या संस्था आधार संख्या का उपयोग नहीं करेगी।

आधार संख्या में निर्दिष्ट उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए

अपनी सहमति प्राप्त करने के समय धारक।

(3) ऐसा व्यक्ति, एजेंसी या संस्था आधार साझा नहीं करेगी।

आधार की सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति के साथ संख्या
संख्या धारक "। *(* जोर दिया गया*)*

144. पंजीयक कानून के तहत क्या करने के लिए बाध्य है

आधार अधिनियम का अधिनियमन, आधार अधिनियम के अधिनियमन से पहले पंजीयक के लिए एक सिफारिश थी। इस प्रकार, यह अनिश्चित है कि क्या निवासियों को इस बारे में सूचित किया गया था कि उनका डेटा कहाँ और कैसे रखा जाएगा

247 यू. आई. डी. ए. आई. *(*योजना आयोग*)*, पंजीयकों के लिए आधार पुस्तिका *(2010)*, उपलब्ध है।

एचटीटीपी परः *//*भारतीय सूक्ष्म वित्त। कॉम*/*डब्ल्यूपी-सामग्री*/*अपलोड*/2010/08* आधार-हैंडबुक।

पीडीएफ, पृष्ठ *11* पर*;* यू. आई. डी. ए. आई. *(*योजना आयोग*)*, पंजीयकों के लिए आधार पुस्तिका *(2013)*, पृष्ठ *16* पर *(*अनुलग्नक आर-*74*, विद्वान ए. जी. द्वारा प्रस्तुत आधार परियोजना के लिए पूर्व-अधिनियमन तिथियों और घटनाओं की सूची*)*।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

सुरक्षित क्योंकि पंजीयकों के लिए दिशानिर्देश केवल अनुशंसित थे

प्रकृति में। इसी तरह, 'नामांकन कर्मचारियों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, *2017'* शीर्षक वाले यू. आई. डी. ए. आई. दस्तावेज़ में, 'पंद्रह आज्ञाओं में से एक जिसे एक ऑपरेटर को निवासी नामांकन के दौरान याद रखना चाहिए' यह सुनिश्चित करें कि निवासी को अच्छी तरह से सूचित किया गया है कि उसका बायोमेट्रिक केवल आधार नामांकन*/*अद्यतन के लिए उपयोग किया जाएगा और कोई अन्य उद्देश्य नहीं होगा। *248* हालांकि, 'नामांकन प्रक्रिया अनिवार्य, *2012'* शीर्षक वाले यू. आई. डी. ए. आई. दस्तावेज़ में, नामांकन कर्मचारियों पर इस तरह के किसी भी दायित्व का कोई उल्लेख नहीं है। *249* डेटा के संग्रह के लिए सूचित सहमति के अभाव में, संभावित अवैधता की छाया डाली जाती है।

एफ. *4* आधार अधिनियम में गोपनीयता संबंधी चिंताएँ

1 नामांकन और प्रमाणीकरण के दौरान सहमति और अधिकार

आधार अधिनियम के तहत जानकारी तक पहुँच

145. आधार अधिनियम की धारा *3 (2)* में नामांकन एजेंसियों को नामांकित किए जा रहे व्यक्ति को निम्नलिखित के बारे में सूचित करने की आवश्यकता हैः *(a)* जिस तरीके से

जानकारी का उपयोग किया जाएगा; बी*)* उन प्राप्तकर्ताओं की प्रकृति जिनके साथ प्रमाणीकरण के दौरान जानकारी साझा की जानी है; और सी*)* जानकारी प्राप्त करने के अधिकार का अस्तित्व। हालाँकि, नामांकन विनियमों की अनुसूची *I* में नामांकन प्रपत्र कोई स्पष्टीकरण या स्पष्टीकरण नहीं देता है।

धारा *3 (2)* के अधिदेश को कैसे पूरा किया जाए, इस पर तंत्र।

आधार अधिनियम की धारा *3 (2) (*सी*)* और धारा *32 (2)* में किसी व्यक्ति के अपने प्रमाणीकरण रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के अधिकार को मान्यता दी गई है। हालांकि, पूरक नियम जो

अधिनियम के पूरक ऐसी जानकारी तक पहुँचने की प्रक्रिया के बारे में विवरण से वंचित हैं।

इसी तरह, नामांकन विनियमों के विनियम *9 (*सी*)* में कहा गया है कि डेटा तक पहुँचने की प्रक्रिया निवासियों को नामांकन प्रपत्र के माध्यम से प्रदान की जाएगी, जो नामांकन की अनुसूची *I* में पाई जाती है।

नियम। हालाँकि, वह सब जो अनुसूची *I* बताती है वह हैः " मुझे अपनी पहचान की जानकारी *(*मुख्य बायोमेट्रिक्स को छोड़कर*)* प्राप्त करने का अधिकार हैः

यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, वास्तव में ऐसी किसी भी प्रक्रिया को निर्धारित किए बिना।

248 यू. आई. डी. ए. आई., नामांकन कर्मचारियों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, यहां उपलब्ध हैंः *//* आइडियाज। गव. इन/इमेजेस/एनेक्सर _ बी _ रोल्स _ और _ एनरोलमेंट _ स्टाफ की _ जिम्मेदारी। पृष्ठ *8* पर पी. डी. एफ.

249 यू. आई. डी. ए. आई., नामांकन प्रक्रिया अनिवार्य *(13* दिसंबर *2012),* एच. टी. पी. पर उपलब्ध हैः *//*

डब्ल्यू. डब्ल्यू. एन. आई. सी. टी. सी. सी. *com/*छवियाँ/आधार*% 20* परियोजना*% 20* प्रशिक्षण*% 20* मॉड्यूल */*

अंग्रेजी*% 20* प्रशिक्षण*% 20* मॉड्यूल/मॉड्यूल *2* _ आधार _ नामांकन _ प्रक्रिया *17122012*।

146. अधिनियम की धारा *2 (1),* जो आधार *(*नामांकन और अद्यतन*)* के विनियमन *23* के साथ पढ़ने वाली एक नामांकन एजेंसी को परिभाषित करती है। नियम संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा के संग्रह की अनुमति देते हैं।

(निजी एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों की जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी*)*, जिन्हें आधार पंजीकरण की स्वैच्छिक प्रकृति को समझाने और किसी व्यक्ति की सूचित सहमति प्राप्त करने का बोझ भी उठाना पड़ता है।

आधार अधिनियम की धारा *54* की उप-धारा *(1)* और उप-धारा *(2)* के उपखंड *(*एफ*)* और *(*डब्ल्यू*)* के तहत बनाए गए प्रमाणीकरण विनियम आधार संख्या के लिए प्रमाणीकरण ढांचे से संबंधित हैं।

प्रमाणीकरण एजेंसियों का शासन और प्रमाणीकरण डेटा और अभिलेखों के संग्रह, भंडारण की प्रक्रिया। विनियम *5 (1)* में कहा गया है कि प्रमाणीकरण के समय आधार संख्या धारक को कौन से विवरण उपलब्ध कराए जाएंगे जो कि क*)* प्रमाणीकरण के बाद प्राधिकरण द्वारा साझा की जाने वाली जानकारी की प्रकृति, *(*ख*)* प्रमाणीकरण के दौरान प्राप्त जानकारी के उपयोग के बारे में; और *(*ग*)* पहचान की जानकारी प्रस्तुत करने के विकल्प हैं। विनियम *6 (2)* में कहा गया है कि एक अनुरोध करने वाली संस्था भौतिक रूप से या अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रमाणीकरण के लिए आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगी और प्राधिकरण द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट तरीके और प्रपत्र में प्राप्त सहमति के लॉग या रिकॉर्ड बनाए रखेगी।
यद्यपि विनियम *5* में उल्लेख किया गया है कि प्रमाणीकरण के समय, अनुरोध करने वाली संस्थाएं प्रमाणीकरण के उद्देश्य से पहचान की जानकारी जमा करने के विकल्पों के बारे में आधार संख्या धारक को सूचित करेंगी, और विनियम *6* में कहा गया है कि अनुरोध करने वाली संस्था प्रमाणीकरण के लिए आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगी, उपरोक्त परिस्थितियों में से किसी में भी विनियम स्पष्ट रूप से परिभाषित विकल्पों को निर्दिष्ट नहीं करते हैं जिन्हें आधार संख्या धारक को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

यदि वे पहचान की जानकारी जमा नहीं करना चाहते हैं, और न ही नियम आधार संख्या धारक के मामले में पालन की जाने वाली प्रक्रिया को निर्दिष्ट करते हैं

सहमति नहीं देता है। यह एक महत्वपूर्ण चूक है। विकल्प प्रदान करने के उपायों को सभी पहचान प्रणालियों में परिभाषित किया जाना चाहिए, विशेष रूप से वे जो बड़े पैमाने पर लागू किए जाते हैं।

2 प्रमाणीकरण और साझा करने के दौरान प्रकट की गई जानकारी का विस्तार

मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी

147. अधिनियम की धारा *8 (4)* प्राधिकरण को "सकारात्मक, नकारात्मक या किसी अन्य के साथ प्रमाणीकरण प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति देती है। न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v* को छोड़कर ऐसी पहचान की जानकारी साझा करने के लिए उचित प्रतिक्रिया।

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

कोई भी मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी "। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि इस प्रावधान का व्यापक दायरा प्राधिकरण को किसी व्यक्ति की तस्वीर, नाम, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल पता और नामांकन के समय प्रकट की गई किसी भी अन्य जनसांख्यिकीय जानकारी सहित जानकारी के साथ अनुरोध करने वाली संस्था को जवाब देने का विवेकाधिकार देता है। इसके अलावा, यह महसूस किया जाना चाहिए कि भले ही मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी साझा नहीं की जा सकती है, फिर भी जनसांख्यिकीय जानकारी संवेदनशील है। प्रमाणीकरण विनियम *250* के विनियम *2 (*जे*)* में ई-केवाईसी डेटा *251* के साथ डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रतिक्रिया प्रदान की गई है।

विनियम *2 (के)]* को अनुरोध करने वाली संस्था को वापस किया जा सकता है, जबकि विनियम *3 (ii) 252* यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा प्रमाणीकरण *(*ई-के. वाई. सी.*)* के इस रूप का प्रावधान करता है।

148. आधार अधिनियम की धारा *29 (1)* में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 'मूल बायोमेट्रिक जानकारी कभी भी किसी के साथ साझा नहीं की जा सकती है। इस अधिनियम के तहत आधार संख्या बनाने और प्रमाणीकरण के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए जो भी कारण हो या उपयोग किया जाए। हालाँकि, यह प्रावधान जो किसी व्यक्ति की मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी को साझा किए जाने से बचाता है, अधिनियम की धारा *29 (4) 253* द्वारा विरोधाभासी है, वह प्रावधान जो यू. आई. डी. ए. आई. को नियमों द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किसी व्यक्ति की मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी को प्रकाशित करने, प्रदर्शित करने या पोस्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। इस खंड की भाषा व्यापक है और जिससे अतिक्रमण और सत्ता का दुरुपयोग हो सकता है। इसके अलावा, उप-धारा *29 (1)* और *(2)*, वास्तव में, दो वर्गों के बीच अंतर पैदा करती हैं -

250 आधार *(*प्रमाणीकरण*)* विनियमों का विनियम *2 (*जे*):* ई-के. वाई. सी. प्रमाणीकरण सुविधा का अर्थ है एक प्रकार की प्रमाणीकरण सुविधा जिसमें बायोमेट्रिक जानकारी और/या ओ. टी. पी. और आधार संख्या को अनुरोध करने वाली संस्था के माध्यम से आधार संख्या धारक की सहमति से सुरक्षित रूप से प्रस्तुत किया जाता है, सी. आई. डी. आर. में उपलब्ध डेटा के साथ मिलान किया जाता है, और प्राधिकरण डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रतिक्रिया देता है।

प्रमाणीकरण से संबंधित अन्य तकनीकी विवरणों के साथ ई-केवाईसी डेटा

लेन-देन।

251 आधार प्रमाणीकरण विनियमों का विनियम *2 (*के*):* "ई-केवाईसी डेटा "का अर्थ है

जनसांख्यिकीय जानकारी और आधार संख्या धारक की तस्वीर।

252 आधार *(*प्रमाणीकरण*)* विनियम, *2016* का विनियम *3 (ii): 3.* प्रमाणीकरण के प्रकार-प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली दो प्रकार की प्रमाणीकरण सुविधाएं होंगी, अर्थात्-*(i)* हां/नहीं प्रमाणीकरण सुविधा, जो हो सकती है -

किसी भी तरीके का उपयोग करके किया जाता है, *(ii)* ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा, जिसे केवल ओ. टी. पी. और/या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण मोड का उपयोग करके किया जा सकता है जैसा कि विनियमन *4 (2)* में निर्दिष्ट है।

253 धारा *29 (4)* में कहा गया है: आधार संख्या धारक के संबंध में इस अधिनियम के तहत एकत्र या बनाई गई कोई भी आधार संख्या या मूल बायोमेट्रिक जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रकाशित, प्रदर्शित या पोस्ट नहीं की जाएगी, सिवाय उन उद्देश्यों के जो आधार संख्या धारक द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

नियम "। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 8 एस सी आर।

जानकारी *(*मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी और पहचान की जानकारी*)*, जो व्यक्तिगत पहचान के लिए अभिन्न हैं। पहचान की जानकारी को समान सुरक्षा की आवश्यकता होती है जैसा कि मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी को प्रदान किया जाता है।

3 बायोमेट्रिक जानकारी का विस्तारित दायरा

बायोमेट्रिक जानकारी। इसके अलावा, क्या एकत्र किया जा सकता है, इसका दायरा नियमों पर छोड़ दिया गया है। ये प्रावधान यू. आई. डी. ए. आई. को नामांकन के समय पहले से एकत्र की गई जानकारी की प्रकृति का विस्तार करने के लिए सशक्त बनाते हैं, इस हद तक कि 'ऐसी अन्य जैविक विशेषताओं' को भी एकत्र किया जा सकता है कि वह इसे भविष्य की तारीख में विनियमों में निर्दिष्ट करके उपयुक्त समझ सके। इन धाराओं की परिभाषाएँ सरकार को बायोमेट्रिक विवरणों की सूची में जोड़ने के लिए बेलगाम शक्तियाँ प्रदान करती हैं जिनकी यू. आई. डी. ए. आई. को आवश्यकता हो सकती है।

नामांकन के दौरान नागरिक के साथ भाग लेना जो व्यक्तियों के रक्त और मूत्र के नमूनों सहित जैविक विशेषताओं के एक आक्रामक संग्रह के बराबर भी हो सकता है। *4* आधार अधिनियम के संबंध में अन्य चिंताएँ: गलत धारणाएँ

बायोमेट्रिक जानकारी की प्रभावकारिता के बारे में

150. फोरेंसिक विज्ञान में फिंगरप्रिंट की विशिष्टता जलरोधक प्रमाण के बिना एक धारणा बनी हुई है। बायोमेट्रिक की विशिष्टता

डेटा निरपेक्ष नहीं है, यह सापेक्ष है। हर किसी के पास एक विशेष बायोमेट्रिक विशेषता नहीं होगी, या किसी व्यक्ति की बायोमेट्रिक विशेषता 'सामान्य' अपेक्षित विशेषता से काफी अलग हो सकती है। कुछ लोग लापता हो सकते हैं।

त्वचा या अन्य बीमारी के कारण उंगलियों के निशान, जो आगे का कारण बन सकते हैं

फिंगरप्रिंट-आधारित रजिस्टर में एक बड़ी आबादी का नामांकन करते समय समस्याएं। ऐसे मामले में भेदभाव की चिंताएं भी उठाई जा सकती हैं। इसलिए, एक बड़े पैमाने पर बायोमेट्रिक योजना को आमतौर पर एक से अधिक न्याय के. एस. पुटस्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v* का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

बायोमेट्रिक। उदाहरण के लिए-सभी लोगों को नामांकित किया जा सकता है यह सुनिश्चित करने के लिए फिंगरप्रिंट और चेहरा दोनों। *2 254*

तथाकथित स्थिर प्रकार के बायोमेट्रिक डेटा की स्थिरता निरपेक्ष नहीं है। हर बार जब कोई व्यक्ति फिंगरप्रिंट पर फिंगरप्रिंट रखता है

पाठक, पैटर्न थोड़ी दूरी से समान दिखाई दे सकता है, लेकिन वास्तव में त्वचा की सूखापन, नमी और लोच के कारण पैटर्न में छोटे अंतर हैं। इसके अलावा, कट और खरोंच पैटर्न को बदल सकते हैं। इसी तरह, एक लोकप्रिय बायोमेट्रिक माप, आइरिस भी प्रभावित होता है। एक वैध छवि प्राप्त करने में कठिनाइयों से।

अनियंत्रित प्रकाश स्थितियों में स्पेकुला प्रतिबिंबों से भी आईरिस बाधित हो सकता है। ये समस्याएं अन्य अपेक्षाकृत स्थिर बायोमेट्रिक पहचानकर्ताओं पर भी लागू होती हैं। *255*

151. आधार अधिनियम की धारा *6256* और *31 (2) 257*

व्यक्तिगत आधार धारकों पर अपनी जानकारी को अद्यतन करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी। ये प्रावधान व्यक्तियों पर यह सुनिश्चित करने के लिए एक कानूनी अधिदेश बनाते हैं कि उनकी जानकारी सी. आई. डी. आर. के भीतर सटीक है। यह एक स्वीकृति है

कि किसी व्यक्ति की बायोमेट्रिक जानकारी समय-समय पर बदल सकती है। उम्र बढ़ने, शारीरिक श्रम, चोट और बीमारी जैसे प्राकृतिक कारक किसी व्यक्ति की बायोमेट्रिक जानकारी को जीवन भर के दौरान बदल सकते हैं। आधार कार्यक्रम के आलोचक हालांकि इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि यू. आई. डी. ए. आई. के बार-बार किए जाने के बावजूद अद्यतन के प्रावधान उड़ जाते हैं।

जिन कार्यों को दर्पण में या अपनी उंगलियों में देखने के रूप में हानिरहित माना जा सकता है, और इसलिए उपरोक्त अनुभागों का पालन करने का कोई वस्तुनिष्ठ साधन नहीं है। वास्तव में, एक प्रमाणीकरण विफलता और बाद में कल्याणकारी लाभों से इनकार, एक सब्सिडी या एक सेवा जिसके लिए एक व्यक्ति हकदार है, इस निष्कर्ष पर पहुंचने का एकमात्र तरीका हो सकता है कि उसके बायोमेट्रिक्स को *CIDR.258* में अद्यतन करने की आवश्यकता है। *254* रमेश सुब्रमण्यन, कंप्यूटर सुरक्षा, गोपनीयता और राजनीतिः वर्तमान मुद्दे,

चुनौती और समाधान, आई. आर. एम. प्रेस, पृष्ठों पर *99-100*

255

इबिद, पृष्ठ *100* पर

256 धारा *6* में कहा गया हैः प्राधिकरण आधार संख्या धारकों से समय-समय पर अपनी जनसांख्यिकीय जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी को अद्यतन करने की आवश्यकता हो सकती है।

जिस तरह से विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, ताकि केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में उनकी जानकारी की निरंतर सटीकता सुनिश्चित की जा सके।

257 धारा *31 (2)* में कहा गया हैः यदि आधार संख्या धारक की कोई बायोमेट्रिक जानकारी खो जाती है या बाद में किसी कारण से बदल जाती है, तो आधार संख्या धारक प्राधिकरण से केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में अपने रिकॉर्ड में इस तरह से आवश्यक परिवर्तन करने का अनुरोध करेगा जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सके। *258* एल. विश्वनाथ, आधार के बायोमेट्रिक्स के उपयोग के बारे में आपको चिंता करने के चार कारण, द वायर *(28* मार्च, *2017)*, यहां उपलब्ध हैः //तार। इन/राइट्स/रियल-प्रॉब्लम आधार-झूठ-बायोमेट्रिक्स *[2018] 8* एस. सी. आर.

इसके अलावा, चूंकि एक अनूठी पहचान के रूप में आधार का वादा बायोमेट्रिक्स की विशिष्टता पर निर्भर करता है, इसलिए यह मान लेना तर्कसंगत होगा कि बायोमेट्रिक डेटा के किसी भी अद्यतन को नए नामांकन के

समान कठोरता से गुजरना चाहिए। आधार *(*नामांकन और अद्यतन*)* विनियम, *2016* के अध्याय *IV* के तहत 'निवासियों की जानकारी को अद्यतन करने के तरीके' शीर्षक वाला विनियम *19 (*ए*)* प्रदान करता हैः

" 19. निवासियों की जानकारी को अद्यतन करने का तरीक़ाः

क*)* प्रचालक की सहायता से किसी भी नामांकन केंद्र पर

और/या पर्यवेक्षक। निवासी को बायोमेट्रिक रूप से प्रमाणित किया जाएगा

और साथ में अपना आधार नंबर देना होगा।

पहचान की जानकारी को अद्यतन करने की मांग की गई है।

यह सवाल उठाता है कि कोई व्यक्ति अपनी बायोमेट्रिक जानकारी को कैसे अपडेट करेगा। यदि सी. आई. डी. आर. में संग्रहीत बायोमेट्रिक जानकारी बदल गई है, तो वर्तमान बायोमेट्रिक्स इस दौरान बेमेल हो जाएगा।

प्रमाणीकरण। यह विनियमन निम्नलिखित कारणों से व्यवहार में अद्यतन कैसे किया जाना चाहिए, इस पर कोई वास्तविक स्पष्टता प्रदान नहीं करता हैः

1 . जैसा कि विनियमन द्वारा आवश्यक है, क्या किसी व्यक्ति से कहा जा सकता है

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से गुजरना, जब उद्देश्य अद्यतन करना हो

बायोमेट्रिक्स*?* क्या प्रावधान एक निहित अपेक्षा के बराबर है कि

2 .

व्यक्ति को सबसे पहले नामांकन केंद्र पर फिर से जाना चाहिए

दस उंगलियाँ और दो आईरिस *(*मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी*)* हैं प्रमाणीकरण के उद्देश्यों के लिए गलत प्रस्तुत किया गया*? 259.*

यह इस तथ्य का भी प्रमाण है कि आधार नामांकन एक बार का मामला नहीं है।

5 डेटाबेस में बायोमेट्रिक रिकॉर्ड तक कोई पहुंच नहीं है

152. आधार अधिनियम की धारा *28 (5) 260* का प्रावधान किसी व्यक्ति को बायोमेट्रिक जानकारी तक पहुंच की अनुमति नहीं देता है जो आधार अधिनियम का मूल आधार है।

उसकी विशिष्ट पहचान पत्र *(*आधार*)*। पहुँच की कमी निम्नलिखित कारणों से समस्याग्रस्त हैः सबसे पहले, यह सत्यापित करना कि क्या बायोमेट्रिक्स में है

259 आइबीआइडी। धारा *28 (5)* में कहा गया हैः किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद

प्राधिकरण या उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी या केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी का रखरखाव करने वाली कोई भी एजेंसी, चाहे वह अपनी सेवा के दौरान हो या उसके बाद, केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी या प्रमाणीकरण रिकॉर्ड में संग्रहीत किसी भी जानकारी को प्रकट नहीं करेगी।

किसी को भीः बशर्ते कि कोई आधार संख्या धारक प्राधिकरण से अपनी मूल बायोमेट्रिक जानकारी को छोड़कर अपनी पहचान की जानकारी तक पहुंच प्रदान करने का अनुरोध इस तरह से कर सकता है -

विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

सही तरीके से दर्ज किया गया है या पहली जगह में संभव नहीं है। यह तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब वही जानकारी पहचान का आधार बनती है और प्रमाणीकरण और बाद में कल्याणकारी लाभों और अन्य सेवाओं तक पहुंच का आधार होती है। दूसरा, डेटाबेस में किसी व्यक्ति की बायोमेट्रिक पहचान को धोखाधड़ी से बदलने की बहुत संभावना है, क्योंकि व्यक्ति के पास नामांकन के समय दर्ज की गई बायोमेट्रिक जानकारी को सत्यापित करने का कोई साधन नहीं है। यहां तक कि नामांकन संचालक *(*सॉफ्टवेयर हैक के साथ*)* जैसी इकाई भी किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ किसी और की बायोमेट्रिक्स अपलोड कर सकती है। *261* व्यक्ति तक पहुँच से इनकार करना ए का उल्लंघन करता है

डेटा संरक्षण का मौलिक सिद्धांतः डेटा का स्वामित्व हर समय व्यक्ति के पास होना चाहिए। इस मौलिक सिद्धांत को नजरअंदाज करना स्पष्ट रूप से मनमाना और अनुच्छेद *14* का उल्लंघन है।

6 बायोमेट्रिक लॉकिंग

153. प्रमाणीकरण विनियम *11 (1)* और *(4)* प्रदान करते हैं

बायोमेट्रिक लॉकिंग की सुविधा। विनियम *11 (1)* में निम्नलिखित प्रावधान हैंः

"प्राधिकरण आधार संख्या धारक को सक्षम कर सकता है -
उसके बायोमेट्रिक्स को स्थायी रूप से बंद कर दें और अस्थायी रूप से उसे खोल दें जब

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक "।

विनियम *11 (4)* में निम्नलिखित प्रावधान हैंः

"प्राधिकरण आधार संख्या धारकों के लिए प्रावधान कर सकता है
ऐसे स्थायी ताले को किसी भी समय सुरक्षित तरीके से हटाना।

बायोमेट्रिक लॉकिंग की अनुमति देने वाला प्रावधान इस हद तक फायदेमंद है कि यह आधार संख्या धारकों को अपने बायोमेट्रिक्स को स्थायी रूप से लॉक करने और बायोमेट्रिक के लिए आवश्यक होने पर ही अस्थायी रूप से उन्हें खोलने की अनुमति देता है

प्रमाणीकरण। लेकिन विनियमन इस हद तक समस्याग्रस्त है कि यह यू. आई. डी. ए. आई. को बिना किसी निर्दिष्ट आधार के इस तरह के ताला हटाने के प्रावधान करने का भी अधिकार देता है। *262*

7 प्रमुख संकेत

154. बायोमेट्रिक तकनीक का उपयोग बढ़ने की संभावना है

निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में नाटकीय रूप से। हमारी ओर से, हम केवल यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्रौद्योगिकी में की गई प्रगति के साथ-साथ

261 एल. विश्वनाथ, आधार के बायोमेट्रिक्स के उपयोग के बारे में आपको चिंता करने के चार कारण, द वायर *(28* मार्च, *2017),* यहां उपलब्ध है: //तार। में/अधिकार/वास्तविक-समस्या आधार-झूठ-बायोमेट्रिक्स *262* द सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी, आधार अधिनियम विनियमों के प्रमुख प्रावधानों का विश्लेषण, *(31* मार्च, *2017),* यहां उपलब्ध है: //सिस-इंडिया। *org/*इंटरनेट गवर्नेंस/ब्लॉग/एनालिसिस-ऑफ-की-प्रावधान-ऑफ-आधार-एक्ट-रेगुलेशन।

सख्त कानूनी और तकनीकी सुरक्षा उपाय ताकि बायोमेट्रिक्स गोपनीयता के लिए खतरा न बन जाए। *26 263*

155. गोपनीयता की कोई अनूठी अवधारणा नहीं है और गोपनीयता और अन्य उद्देश्यों के बीच आदान-प्रदान हो सकता है। *264* के बारे में चुनौती

गोपनीयता को निम्नलिखित शब्दों में सबसे अच्छा रखा जाता है:

"किसी भी अधिकार क्षेत्र में गोपनीयता की परिभाषा में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, कानूनी, धार्मिक और अन्य स्थानीय कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक.

जब गोपनीयता या गोपनीयता के कुछ तत्वों की बात आती है तो आकार सभी देशों, क्षेत्रों या संस्कृतियों में फिट नहीं हो सकता है। इसके अलावा, समय बीतने और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ गोपनीयता के विचार बदल जाते हैं।

हालांकि, अलग-अलग दृष्टिकोण मूल्यांकन में बाधा नहीं हैं।

गोपनीयता लेकिन एक चुनौती "। *265*

बायोमेट्रिक्स और गोपनीयता के बीच संबंध पूरी तरह से प्रणालियों के डिजाइन और उस ढांचे द्वारा आकार दिया जाता है जिसके भीतर निजी और व्यक्तिगत डेटा को संभाला जाता है। दुर्भाग्य से, विशेष रूप से विकासशील देशों में बायोमेट्रिक्स को अपनाने के साथ गोपनीयता संबंधी चिंताओं पर पर्याप्त चर्चा नहीं हुई है। *266* बायोमेट्रिक्स "गोपनीयता का कट्टर मित्र" भी हो सकता है जब तकनीक का उपयोग पहुंच को नियंत्रित करने और अनधिकृत कर्मियों को संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने से रोकने के लिए किया जाता है। *267* बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी के गोपनीयता परिणामों का मूल्यांकन करते समय, यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह धारणा नहीं हो सकती है कि वर्तमान गोपनीयता सुरक्षा जो प्रौद्योगिकी की वर्तमान स्थिति के लिए उपयुक्त हो सकती है, भी पर्याप्त होगी। भविष्य। *268* प्रौद्योगिकी का विकास जारी रहेगा और इसी तरह गोपनीयता सुरक्षा विकसित करने की आवश्यकता होगी। गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के बारे में चिंताओं को दूर करना होगा। निष्पक्ष सूचना प्रथाएँ

263 A. Cavoukian, गोपनीयता और बायोमेट्रिक्स, सूचना और गोपनीयता आयुक्त कनाडा *(1999), HTTP* पर उपलब्ध हैः *//*डब्ल्यू. डब्ल्यू. आईपीसी। पर। सीए/छवियाँ/संसाधन /

प्राइ-बायोम। पीडीएफ

264 रॉबर्ट गेलमैन। गोपनीयता और बायोमेट्रिक पहचान प्रणालीः विकासशील देशों के लिए उचित सूचना प्रथाओं का उपयोग करने वाला एक दृष्टिकोण, सी. जी. डी. नीति पत्र *028* वाशिंगटन डी. सी.*:* वैश्विक विकास केंद्र *(1* अगस्त *2013),* यहां उपलब्ध हैः *//* डब्ल्यू. डब्ल्यू. सी. जी. देव. *org/*साइटें/डिफ़ॉल्ट/फाइलें/गोपनीयता-और-बायोमेट्रिक-आईडी-सिस्टम *_ 0*। पीडीएफ *265* इबिद

266 267 जॉन डी वुडवर्ड, बायोमेट्रिक्सः बायोमेट्रिक्स में कानून और नीति संबंधी चिंताओं की पहचान करना *(*ए. के. जैन ए. के., आर. बोले और एस. पंकांती संस्करण*)* , स्प्रिंगर *(1996) 268* रॉबर्ट गेलमैन, गोपनीयता और बायोमेट्रिक आईडी सिस्टमः विकासशील देशों के लिए उचित सूचना प्रथाओं का उपयोग करने वाला एक दृष्टिकोण, सी. जी. डी. नीति पत्र *028* वाशिंगटन डी. सी.*:* वैश्विक विकास केंद्र *(1* अगस्त*, 2013),* यहां उपलब्ध हैः *//*

डब्ल्यू. डब्ल्यू. सी. जी. देव. *org/*साइटें/डिफ़ॉल्ट/फाइलें/गोपनीयता-और-बायोमेट्रिक-आईडी-सिस्टम *_ 0*।

पी. डी. एफ. जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

(एफ. आई. पी.*),* डिजाइन द्वारा गोपनीयता *(*पी. बी. डी.*),* और गोपनीयता प्रभाव आकलन *(* पी. आई. ए. एस.*) "269* इन चिंताओं को दूर करने में उपयोगी हो सकता है। एफ. आई. पी. एस. गोपनीयता नीति के लिए मूल सामग्री प्रदान करता है। पी. बी. डी. एक सक्रिय दृष्टिकोण प्रदान करता है

गोपनीयता की सुरक्षा के लिए जो समस्याओं के उत्पन्न होने के बाद उनका जवाब देने के बजाय अग्रिम योजना पर निर्भर करती है। पी. आई. ए. प्रौद्योगिकी या अन्य गोपनीयता परिणामों पर विचार करने और उनका आकलन करने का एक औपचारिक तरीका प्रदान करते हैं।

योजना के शुरुआती चरणों में विकल्पों पर विचार करने सहित विकल्प। ये तीन पद्धतियाँ परस्पर अनन्य नहीं हैं और हो सकती हैं -

समाज के लिए न्यायसंगत और इष्टतम परिणाम प्राप्त करने के लिए संयुक्त। *21 270 156.* विशेष महत्व का "नुकसान न पहुँचाएँ" सिद्धांत है जिसका अर्थ है कि बायोमेट्रिक्स और डिजिटल पहचान का उपयोग जारीकर्ता प्राधिकरण, विशेष रूप से एक सरकार, या निकटवर्ती पक्षों द्वारा उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए जो पहचान रखने वाले व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। *271*

पहचान प्रणाली, चाहे वह कागज में हो या डिजिटल, जनता के लिए काम करनी चाहिए

अच्छा है और कोई नुकसान नहीं करना चाहिए। हालांकि, अपनी अंतर्निहित शक्ति के कारण पहचान प्रणाली, शत्रुतापूर्ण हाथों में रखे जाने और उपयोग किए जाने पर नुकसान पहुंचा सकती है अनुचित तरीके से। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ना करें।

'हार्म' के लिए कठोर मूल्यांकन, दूरदर्शिता और निरंतर निरीक्षण की आवश्यकता होती है। *272*

157. कई विरोधी अभिनेता हैं-निजी जासूसी समूहों से लेकर विदेशी सरकारों तक, जो डेटा कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। भविष्य की सरकारों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का भी खतरा है। हालांकि, मजबूत गोपनीयता संरक्षण कानूनों और सुरक्षा उपायों को बनाने और स्थापित करने से इन जोखिमों को कम किया जा सकता है-जैसे कि ई. यू. जी. डी. पी. आर. *273* द्वारा प्रदान की गई रूपरेखा। लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए, सरकार

सभी नागरिकों की निगरानी से संबंधित अपनी शक्तियों को कम करने और डेटा के अनावश्यक संग्रह को रोकने की आवश्यकता है। इस तरह की सुरक्षा आशंकाओं को शांत कर सकती है और आधार की दीर्घकालिक वैधता को बरकरार रख सकती है। यदि विधायी प्रक्रिया सार्वजनिक प्रतिक्रिया को ध्यान में रखती है और गोपनीयता को संबोधित करती है

आधार के बारे में चिंता, यह अधिक के लिए एक ठोस आधार प्रदान करेगा

डिजिटल पहल, जो आज के डिजिटल युग में आसन्न हैं। हालाँकि, अपने वर्तमान रूप में, आधार ढांचा निर्णय के इस खंड में चर्चा की गई गोपनीयता संबंधी चिंताओं के मुद्दों को संबोधित नहीं करता है। *269* इबिद

270

इबिद

271 पाम डिक्सन, ए फेल्योर टू डू नो हार्म-भारत का आधार बायोमेट्रिक आईडी कार्यक्रम और यूरोप और अमेरिका में उपायों के संबंध में गोपनीयता की रक्षा करने में इसकी अक्षमता।

स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी, वॉल्यूम। *7 (2017)* , पृष्ठों पर *539-567*

272 इबिद *273* जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जो यहां उपलब्ध हैः //जी. डी. पी. आर-जानकारी।

जी वैध राज्य उद्देश्य

जी. आई. निर्देशक सिद्धांत

158. केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि वैध राज्य

आधार परियोजना को आगे बढ़ाने में रुचि सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संविधान के पाठ और भावना में दिखाई गई गंभीर चिंता से उत्पन्न होती है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तावित दृष्टिकोण के अनुसार, भोजन का अधिकार निजता के अधिकार से अधिक होना चाहिए। आधार परियोजना, यह रही है

आग्रह किया, सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को पूरा करने का प्रयास करता है।

159. संविधान सभा ने निर्वात में काम नहीं किया। द.

आदर्शवाद, जिसके साथ विधानसभा के सदस्यों ने संविधान का मसौदा तैयार किया, "स्वतंत्रता आंदोलन की सामाजिक सामग्री" का परिणाम था, जो सदस्यों की वर्तमान के बारे में जागरूकता से आया था। भारतीय जनता की स्थितियाँ। ग्रैनविल ऑस्टिन ने इसलिए संविधान को एक "सामाजिक दस्तावेज" और एक "आधुनिकीकरण बल" के रूप में संदर्भित किया है, जिसके प्रावधान "मानवीय भावनाओं" को दर्शाते हैं। *275* संविधान वह माध्यम था जिसके माध्यम से नवजात भारतीय लोकतंत्र को कई लक्ष्यों को बढ़ावा देना था। ऑस्टिन ने कहाः

> " *[*लक्ष्यों*]* में सामाजिक क्रांति सर्वोपरि थी। इस क्रांति के माध्यम से बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाएगा
>
> आम आदमी की, और, यह आशा की गई थी, यह क्रांति
>
> संरचना में मूलभूत परिवर्तन लाएंगे।
>
> *(* जोर दिया गया*)*
>
> भारतीय समाज "। *276*

ऑस्टिन ने आगे कहा हैः

> " विधानसभा का पहला कार्य भारत को स्वतंत्र करना था।
>
> एक नया संविधान, भूखे लोगों को खिलाने के लिए, और कपड़े पहनने के लिए
>
> नग्न जनता, और प्रत्येक भारतीय को पूरा अवसर देने के लिए
>
> *" 277*
>
> अपनी क्षमता के अनुसार स्वयं का विकास करें।

"भारत का संविधान" शीर्षक से अपनी कृति में उन्होंने कहाः एक प्रासंगिक विश्लेषण ", अरुण

के तिरुवेंगडम ने संविधान के एक ऐसे लक्ष्य की पहचान इस प्रकार कीः

> " भारतीय संविधान ने आर्थिक विकास के लिए खाका तैयार करने का प्रयास किया विशाल उपमहाद्वीप राष्ट्र का विकास, जो एक था

274 ग्रैनविल ऑस्टिन, भारतीय संविधानः एक राष्ट्र की आधारशिला, ऑक्सफोर्ड

यूनिवर्सिटी प्रेस *(1999)* पृष्ठ *xxii* पर

275 इबिद, पृष्ठ *62*, *xiii* और *xiii* पर *276* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *xxi* पर

277 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *32* पर जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

एक ऐसी आबादी के लिए अनिवार्य है जो बड़े पैमाने पर अनपढ़, गरीब और ग्रामीण समाजों में असमान रूप से स्थित थी, जिनकी कई आवश्यक सामाजिक वस्तुओं और बुनियादी सुविधाओं तक सीमित पहुंच थी। *2789 9* "राज्य के इन सकारात्मक दायित्वों को स्थापित करके, संविधान सभा के सदस्यों ने इसे जिम्मेदारी बना दिया

भविष्य की भारतीय सरकारों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक भलाई के बीच, संपत्ति के संरक्षण और कुछ लोगों के विशेषाधिकार के बीच एक बीच का रास्ता खोजने के लिए

'आम भलाई में योगदान के लिए सभी लोगों की शक्तियों को समान रूप से मुक्त करने' के लिए कई लोगों को लाभ। *99279 "22 (*जोर दिया गया*)*

संविधान सभा की कार्यवाही के दौरान एक उदाहरण। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने विधानसभा को संविधान में शामिल करने के लिए एक सामाजिक योजना प्रस्तुत की थी, जिसमें प्रत्येक वयस्क भारतीय को जीवन बीमा द्वारा कवर करने के प्रावधान शामिल थे। हालाँकि, उनकी सामाजिक योजना थी इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि ऐसे प्रावधानों को कानून बनाने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए और उन्हें संविधान में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। *280*

161. जिन सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों पर विचार किया गया था

स्वतंत्रता का समय राज्य के एजेंडे में सबसे आगे रहता है आज भी। संविधान के कुछ भाग अपने सामाजिक इरादे का खाका घोषित करने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। निर्देशात्मक सिद्धांत विशेष रूप से थे

इस उद्देश्य के लिए संविधान में शामिल किया गया। हालांकि अदालतों में लागू करने योग्य नहीं हैं, सिद्धांत "देश के शासन में मौलिक" हैं और कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। *281* निर्देशक सिद्धांतों का सार संविधान के अनुच्छेद *38* में निहित है, जो लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए राज्य को बाध्य करता है। संविधान के भाग *IV* के रूप में शीर्षक, निर्देशक सिद्धांत संविधान निर्माताओं के कल्याणकारी दृष्टिकोण के प्रतीक हैं। *278* अरुण के तिरुवेंगडम, भारत का संविधानः एक प्रासंगिक विश्लेषण,

(ब्लूम्सबरी *2017),* पृष्ठ *1* पर

279 ग्रैनविल ऑस्टिन, भारतीय संविधानः एक राष्ट्र की आधारशिला, ऑक्सफोर्ड

पेज *66* पर यूनिवर्सिटी प्रेस *(1999)*

280 इबिद, पृष्ठ *99* पर *281* अनुच्छेद *37,* भारतीय संविधान *[2018] 8* एस. सी. आर.

संविधान के अनुच्छेद *38* में प्रावधान है किः

"*(1)* राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावी ढंग से सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करेगा। *(2)* राज्य, विशेष रूप से, आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, और न केवल व्यक्तियों के बीच, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के समूहों के बीच भी स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा।

व्यवसाय "।

अनुच्छेद *39* के खंड *(*बी*), (*सी*), (*ई*)* और *(*एफ*)* इस प्रकार प्रदान करते हैं:

..... *(* ख*)* कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह से वितरित किया जाता है कि आम लोगों को सबसे अच्छा लाभ मिले।

अच्छा है*;*

(ग*)* कि आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणामस्वरूप धन और उत्पादन के साधन आम लोगों के लिए केंद्रित नहीं होते हैं।

हानि*;*

:

(ई*)* श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं का स्वास्थ्य और शक्ति, और

बच्चों की कम उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाता है और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता के कारण अनुचित व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है।

उनकी उम्र या ताकत के लिए*;*

(च*)* कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और गरिमा की स्थितियों में विकास करने के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बचपन और युवाओं को शोषण से बचाया जाए और

नैतिक और भौतिक परित्याग के खिलाफ "।

अनुच्छेद *41* में काम करने, शिक्षा और सार्वजनिक प्रतिरोध के अधिकार की बात की गई है:

"*41.* राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अक्षमता और अन्य अनर्ह अभाव के मामलों में काम करने, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा। जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.*

भारत का संघ

जे.*]*

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़,

अनुच्छेद *43* एक जीवन निर्वाह मजदूरी और काम की स्थितियों पर विचार करता है जो जीवन का एक सभ्य मानक प्रदान करते हैं:

"*43.* राज्य उपयुक्त विधान द्वारा इसे सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।

कृषि, औद्योगिक या अन्यथा, काम, एक जीवित मजदूरी, स्थितियाँ
जीवन के एक सभ्य मानक और जीवन का पूरा आनंद सुनिश्चित करने के लिए कार्य करना।

अवकाश और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर और, विशेष रूप से,

राज्य कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा

ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार "।

अनुच्छेद *47* पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य पर एक सकारात्मक दायित्व डालता है।

उनके प्राथमिक कर्तव्य। सामाजिक-आर्थिक न्याय के संवैधानिक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते हुए, निदेशक सिद्धांतों में अपनाए गए मूल्यों को

सामाजिक और आर्थिक विकास के क्रम में उत्तरोत्तर प्राप्त किया गया।

162. हाल ही में प्रकाशित एक पुस्तक "भारत का सर्वोच्च न्यायालयः

द बिगिनिंग्स, जॉर्ज एच. गडबोइस, जूनियर का मानना है कि भारतीय संविधान, "आसानी से दुनिया का सबसे लंबा मौलिक कानून है, जो शायद अब तक के सबसे उदार कानूनों में से एक है"। *282* प्रतिबिंबित कर रहा है भारत के संविधान के मसौदा तैयार करने वालों को जिन संवैधानिक मॉडलों से पोषण मिला, उन पर गडबोइस कहते हैं:

ब्रिटिश मॉडल से अनुकूलित, एक संघ के बाद पैटर्न
1935 का भारत सरकार अधिनियम और कनाडा का संविधान,

वाइमर में निर्धारित आपातकालीन शक्तियों का एक समूह

संविधान, से अनुकूलित मौलिक अधिकारों की एक लंबी सूची
एक बिल ऑफ राइट्स, एक सुप्रीम कोर्ट के साथ अमेरिकी अनुभव

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने मॉडल के रूप में कार्य किया, और
"राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत "के बाद बनाए गए

आयरलैंड का संविधान "। *283*

निर्देशक सिद्धांतों पर विचार करते हुए, गडबोइस ने कहाः

"यह कहने के लिए पर्याप्त है कि निर्देशक सिद्धांतों ने प्रदान किया है
सरकार के प्रयासों के लिए संवैधानिक आधार और औचित्य

कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए, या, पसंदीदा पदनाम का उपयोग करने के लिए

भारतीय नेताओं द्वारा, एक "समाज का समाजवादी स्वरूप"। *28 284*

282 जॉर्ज एच. गडबोइस, जे. आर., भारत का सर्वोच्च न्यायालयः शुरुआत *(*विक्रम राघवन*)*

और वासुजीत राम एड.*)* , ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस *(2017),* पृष्ठ *193* पर

283 आई. बी. आई. डी., पृष्ठों पर *193-194* *284* उदाहरण के लिए, पृष्ठ *195 [2018] 8* एस. सी. आर. पर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उनके अनुसार, निर्देशों के पीछे की मंजूरी "राजनीतिक है और न्यायिक नहीं है"। दूसरी ओर, मौलिक अधिकार न्यायसंगत हैं क्योंकि अनुच्छेद *13* में प्रावधान है कि एक कानून जो उन्हें छीन लेता है या कम कर देता है

वे शून्य हो जाएँगे। जैसा कि गाडबोइस इसे संघर्ष के रूप में देखते हैं, यह हैः

"निर्देशक सिद्धांत उस समय की सरकार को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में कानून बनाने के लिए निर्देशों का एक समूह है, जिसका अर्थ है, निश्चित रूप से, बड़े पैमाने पर समुदाय के सामाजिक और आर्थिक उत्थान पर जोर देना और इसके अनुरूप घटाना।

व्यक्तिगत अधिकार। कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना सरकार का कर्तव्य है। संक्षेप में, संविधान सर्वोच्च न्यायालय को विधायिकाओं और कार्यकारियों द्वारा संभावित उल्लंघन के खिलाफ मौलिक अधिकारों को सार्थक बनाने का कार्य प्रदान करता है, और सरकार के लिए राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाना अनिवार्य बनाता है, ऐसे परिवर्तन जो कुछ निजी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए बाध्य थे।

कम से कम यह कल्पना की जा सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय और सरकार दोनों बिना किसी संघर्ष के अपने-अपने कार्यों को पूरा कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विधायिकाएँ, जिसका उद्देश्य है निर्देशात्मक सिद्धांतों में निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने के अलावा और कुछ नहीं करना, अधिनियमित कानून जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मौलिक अधिकारों के साथ टकराव में पाया। *285*

गैडबोइस द्वारा यह सूत्रीकरण अप्रैल *1965* में एक शोध प्रबंध का हिस्सा था। तब से भारत में न्यायशास्त्र के विकास ने इसे बदल दिया है।

सामाजिक कल्याण को प्राप्त करने के लिए बनाए गए विधायी कार्यक्रमों की तर्कसंगतता। *163.* जैसे-जैसे हमारा संवैधानिक न्यायशास्त्र विकसित हुआ है, निर्देशक सिद्धांतों को केवल एक बयान से अधिक के रूप में मान्यता दी गई है

वांछित लक्ष्यों के लिए। संवैधानिक व्याख्या की एक प्रक्रिया द्वारा, उनमें निहित मूल्यों को संविधान के भाग *III* द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के अर्थ और दायरे का विस्तार करने के लिए तर्कसंगतता के मानकों के रूप में अपनाया गया है। *286* ऐसा करने में, न्यायिक व्याख्या है

285 आई. बी. आई. डी., पृष्ठों पर *195-196* *286* मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, *(1980) 3* एस. सी. सी. *625* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम।

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

मानव की सार्वभौमिक घोषणा में भारत द्वारा ग्रहण किए गए अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के लिए एक ठोस संवैधानिक सामग्री को आत्मसात करने का प्रयास किया गया

घरेलू स्तर पर खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधायी प्रयास। द. अधिनियम गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को खाद्यान्न प्रदान करने के लिए एक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पहचान करता है। धारा *12 (2) (*बी*)* में विचार किए गए नियमों में सूचना और संचार के अनुप्रयोग को शामिल किया गया है।

शासन की पारदर्शिता सुनिश्चित करने और लाभों के परिवर्तन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी उपकरण। एक अन्य महत्वपूर्ण कानून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम *(*मनरेगा*)* अधिनियम *2005* है, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए बनाया गया था।

ग्रामीण परिवारों की आजीविका और सुरक्षा। यह अधिनियम प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक सक्षम व्यक्ति को सौ दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देता है।

सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए तैयार किए गए लोक निर्माण कार्यक्रमों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर का शारीरिक सदस्य। राष्ट्रीय खाद्य दोनों

सुरक्षा अधिनियम *2013* और मनरेगा अधिनियम *2005* ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और अभाव की स्थानिक समस्याओं से निपटने के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण का पालन करते हैं। उत्तरदाताओं द्वारा यह तर्क दिया गया है कि लाभार्थियों की बायोमेट्रिक पहचान के लिए आधार का लाभ उठाना, यह सुनिश्चित करने के लिए विधायी प्रयास का एक आंतरिक हिस्सा है कि खाद्य सुरक्षा और रोजगार गारंटी के संदर्भ में लाभ उन लोगों को दिए जाएं जिनके लिए वे पात्र हैं।

मतलब।

जी*2* विकास और स्वतंत्रता

164. कई विद्वानों ने भारतीय संविधान के मूल विषयों पर गहन शोध किया है। उपेंद्र बख्शी ने तर्क दिया है कि भारतीय

संविधान में चार संप्रभु गुण हैं: अधिकार, न्याय, विकास और शासन *"287*। बक्शी ने नोट किया कि वे "आपस में जुड़े हुए और आपस में जुड़े हुए हैं।"

बाकी के साथ और, संवैधानिक और सामाजिक अतीत और उनकी भविष्य की छवियों दोनों के साथ विरोधाभासी संयोजन/पुनर्संयोजन में। *288* विकास हमारी संवैधानिक दृष्टि का एक प्रमुख पहलू है। विकास में

संवैधानिक संदर्भ में न केवल आर्थिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है

287 उपेंद्र बख्शी, *"*एक ज्ञात लेकिन एक उदासीन न्यायाधीश*":* समकालीन भारतीय न्यायशास्त्र में रोनाल्ड ड्वोर्किन की स्थिति, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कांस्टीट्यूशनल लॉ,

(2003) पृष्ठ *582* पर

288 इबिद *[2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सकल घरेलू वृद्धि जैसे पारंपरिक संकेतकों का

उत्पाद या औद्योगिक उत्पादन। संवैधानिक अर्थ में विकास का केंद्रीय अभ्यास किसी व्यक्ति के जीवन को पीड़ित करने वाले "अभाव, अभाव और उत्पीड़न" को संबोधित करना है।

165. पारंपरिक अर्थों में, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का अर्थ है मानव मामलों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप की अनुपस्थिति। स्वतंत्रता मानती है कि

व्यक्तिगत निर्णयों और विकल्पों के लिए आरक्षित क्षेत्र। राज्य को जो करने से रोका जाता है, वह नकारात्मक अर्थ में है। नागरिक और राजनीतिक अधिकार राज्य की कार्रवाई पर प्रतिबंध के रूप में काम करते हैं। वे राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं। यशैया बर्लिन ने स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा तैयार की इस प्रकारः

"मैं उस हद तक स्वतंत्र हूँ जिस हद तक कोई भी आदमी या मनुष्य का शरीर मेरी गतिविधि में हस्तक्षेप नहीं करता है। राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक क्षेत्र है

जिसके भीतर एक आदमी दूसरों द्वारा निर्बाध रूप से कार्य कर सकता है। *29 0*

166. व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इस अवधारणा में, एक कर्तव्य लागू करती है

राज्य पर संयम रखें। नवउदारवाद के आधुनिक विचारों को बढ़ावा मिला है।

व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रताएँ। एफ. ए. हायेक स्वतंत्रता की सामग्री को बाधाओं की अनुपस्थिति के रूप में समझते हैं। नतीजतन, स्वतंत्रता की यह धारणा एक संकीर्ण न्यायशास्त्र के ढांचे में राज्य की भूमिका का सम्मान करती है। राज्य द्वारा सामाजिक न्याय का अनुसरण करने या धन के पुनर्वितरण के लिए अपने अधिकार का उपयोग करने के प्रयास इस अवधारणा में राज्य शक्ति का वैध उपयोग नहीं होगा। *29 1*
167. यह धारणा कि स्वतंत्रता में केवल संयम से मुक्ति शामिल है, अपने प्रवचन के ब्रह्मांड को पूरा नहीं करती है। स्वतंत्रता की व्यापक धारणाएँ इस तथ्य से अवगत हैं कि व्यक्तियों को अपना उद्देश्य पूरा करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए।

पूर्ण क्षमता तक। सामाजिक और आर्थिक भेदभाव

289 अमर्त्य सेन, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस *(2000),* पृष्ठ पर

xii

290 यशैया बर्लिन, टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, एच. टी. पी. पर उपलब्ध हैः //संकाय। डब्ल्यू. डब्ल्यू. अम्ब। एडु/स्टीवन। लेवाइन/कोर्स/फॉल% 202015/क्या% 20 इस% 20 स्वतंत्रता% 20 लेखन/बर्लिन। पीडीएफ
291 एफ. ए. हायेक, द कांस्टीट्यूशन ऑफ लिबर्टी, रूटलेज एंड केगन पॉल, *(1960)* पृष्ठों पर

11 , 207-208 जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

शिक्षा, संसाधन और गरिमापूर्ण जीवन के साधनों तक पहुँच में वास्तविक बाधाएँ। स्वतंत्रता की सामग्री को समझने के लिए यह दृष्टिकोण स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की अवधारणा के लिए आवश्यक एक गरिमापूर्ण अस्तित्व का नेतृत्व करने की क्षमता को दर्शाता है। सामाजिक आर्थिक असमानता और स्वतंत्रता को हटाने के बीच अभिन्न संबंध को अमर्त्य सेन ने "स्वतंत्रता के रूप में विकास" में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है:

"विकास के लिए प्रमुख स्रोतों को हटाने की आवश्यकता है

स्वतंत्रता का अभावः गरीबी के साथ-साथ अत्याचार, खराब आर्थिक अवसरों के साथ-साथ व्यवस्थित सामाजिक अभाव, सार्वजनिक सुविधाओं की उपेक्षा के साथ-साथ असहिष्णुता या दमनकारी राज्यों की अति सक्रियता। इसके बावजूद
समग्र समृद्धि में अभूतपूर्व वृद्धि, समकालीन

दुनिया बड़ी संख्या में प्राथमिक स्वतंत्रताओं से इनकार करती है-शायद
यहाँ तक कि अधिकांश लोग भी। कभी-कभी मूल की कमी

स्वतंत्रता का उल्लंघन सीधे तौर पर सत्तावादी शासनों द्वारा राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता से इनकार करने और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मामलों में भाग लेने की स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप होता है।
समुदाय का जीवन "।

अवसर, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक शक्तियाँ, और अच्छे स्वास्थ्य, बुनियादी शिक्षा की सक्षम करने वाली स्थितियाँ, और प्रोत्साहन और खेती पहल की। इसे आगे बढ़ाते हुए, सेन ने बुनियादी आर्थिक स्थितियों की अनुपलब्धता के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सह-संबंध को मान्यता दी है:

आर्थिक अस्वतंत्रता सामाजिक अस्वतंत्रता को जन्म दे सकती है, ठीक उसी तरह जैसे सामाजिक अस्वतंत्रता या राजनीतिक
अस्वतंत्रता भी आर्थिक अस्वतंत्रता को बढ़ावा दे सकती है। *293*

292 अमर्त्य सेन, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस *(2000)* पृष्ठ पर

3-4

293 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *8* पर सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

168. एक एजेंसी के रूप में स्वतंत्रता की धारणा को सेन ने 'क्षमता सिद्धांत' के हिस्से के रूप में विकसित किया है। आवश्यक परिणाम सामाजिक और आर्थिक रूप से अस्वतंत्रता के प्रमुख स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करना।

दृष्टिकोण यह है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए इन प्रतिबंधों को हटाना आवश्यक है। यदि वास्तविक स्वतंत्रता सामाजिक और आर्थिक अभाव पैदा करने वाली स्थितियों को दूर करने के माध्यम से प्राप्त की जानी है, तो राज्य की भूमिका संयम के अभाव तक सीमित नहीं है। इसके विपरीत, व्यक्तिगत क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राज्य का एक सकारात्मक दायित्व है। मार्था नुसबाम *2 9 4* का तर्क है कि स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए राज्य को सकारात्मक कर्तव्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता होती है। नुसबाम क्षमता के एक सीमा स्तर को व्यक्त करता है जिसके नीचे वास्तविक मानव कार्यप्रणाली उपलब्ध नहीं है। स्वतंत्रता को मानव विकास के संदर्भ में देखा जाता है और यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति क्षमता की सीमा से ऊपर उठ सकते हैं। बुनियादी अधिकारों की प्राप्ति में, स्वतंत्रता की पूर्ति को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सकारात्मक कर्तव्यों के अधीन है। *169.* सेन और नुसबौम के लेखन से उभरने वाली स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की व्यापक अवधारणा का सीधा परिणाम इस बात पर पड़ता है कि हम नागरिक और राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को कैसे देखते हैं। अधिकारों के दो समूहों के बीच का अंतर एक बार भ्रमपूर्ण हो जाता है जब नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को उनके व्यापक दायरे में ऐसे उपाय करने के लिए एक संबंधित कर्तव्य के रूप में माना जाता है जो सही साबित होंगे।

स्वतंत्रता। हेनरी शू *295* का सुझाव है कि अधिकार संबंधित कर्तव्यों को जन्म देते हैं। इन कर्तव्यों में शामिल हैं:

((i) सम्मान करने का कर्तव्य;

((ख) रक्षा करने का कर्तव्य; और

((ग) पूरा करने का कर्तव्य।

सम्मान के कर्तव्यों में दूसरों के अधिकारों को प्रभावित करने पर संयम शामिल है। जनादेश की रक्षा करने के कर्तव्य कि राज्य को दूसरों को उसी तरह से रोकना चाहिए जैसे वह खुद को रोकता है। हस्तक्षेप न करने का राज्य का कर्तव्य निजी व्यक्तियों तक फैला हुआ है। पूरा करने के कर्तव्य का अर्थ है अधिकारों की प्राप्ति में वंचितों की सहायता करना। यह उन स्थितियों को बनाने के लिए एक संबंधित कर्तव्य लागू करता है जो अधिकार की प्राप्ति को सुविधाजनक बनाएगी। व्यक्ति के लिए संरक्षित अधिकार इस उम्मीद को भी दर्शाता है कि राज्य को इस अभ्यास को सक्षम करने वाले संस्थानों का निर्माण करना चाहिए। *294* मार्था नुसबाम, महिला और मानव विकास, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रेस,

(2000)

295

हेनरी शू, बुनियादी अधिकारः निर्वाह, समृद्धि और अमेरिकी विदेश नीति, प्रिंसटन

यूनिवर्सिटी प्रेस, दूसरा संस्करण *(1996)*

सकारात्मक प्रकृति के सुविधाजनक उपायों या कार्य कार्यक्रमों का। अधिकारों की प्राप्ति में राज्य को सकारात्मक दायित्वों को पूरा करना होता है। राज्य के ये सकारात्मक कर्तव्य कल्याणकारी अधिकारों के संदर्भ में आसानी से स्पष्ट हो जाते हैं जब राज्य को गरीबी को कम करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने चाहिए और आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रमुख स्रोतों को कम करना चाहिए। स्वतंत्रता। लेकिन नुसबौम और शू के शोध प्रबंध की राजनीतिक अधिकारों की पूर्ति सुनिश्चित करने में भी राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अत्यधिक नेटवर्क और प्रौद्योगिकी पर निर्भर दुनिया में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए राज्य को व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता होती है। डेटा सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता अनिवार्य है कि राज्य एक सकारात्मक शासन स्थापित करे जो व्यक्ति को हिंसक बाजार स्थानों से पहचानता है, सम्मान करता है और उसकी रक्षा करता है। राज्य का एक सकारात्मक कर्तव्य है कि वह एक स्वायत्त नियामक ढांचा बनाए जिसमें व्यक्ति को राज्य और गैर-राज्य दोनों अभिनेताओं के खिलाफ उपचार तक पहुंच हो।

एक स्वायत्त इकाई के रूप में व्यक्ति पर हमले के गंभीर खतरे। उस कर्तव्य का निर्वहन करने में विफलता अधिकारों का सम्मान करने, उनकी रक्षा करने और उन्हें पूरा करने में राज्य की विफलता है।

संविधान सभा में डॉ. अम्बेडकर का भविष्यसूचक अंतिम संबोधन उस दृष्टिकोण को विस्तार से बताता हैः

"सामाजिक स्तर पर, भारत में कुछ लोगों के लिए उन्नयन के साथ श्रेणीबद्ध असमानता के सिद्धांत पर आधारित एक समाज है और
दूसरों के लिए अपमान। आर्थिक स्तर पर, हमारे पास एक ऐसा समाज है जिसमें कुछ ऐसे हैं जिनके पास अपार धन है जबकि कई ऐसे हैं जो घोर गरीबी में जी रहे हैं। *26* जनवरी, *1950* को हम विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। हम कब तक इस जीवन को जीते रहेंगे*?*

विरोधाभास*?* हम कब तक अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता से इनकार करते रहेंगे*?* अगर हम लंबे समय तक इससे इनकार करते रहे, तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डालकर ही ऐसा करेंगे। हमें इस अंतर्विरोध को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए अन्यथा जो लोग असमानता से पीड़ित हैं वे राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे को उड़ा देंगे जो *[*इस*]* विधानसभा ने *[*इतनी*]* मेहनत से किया है।
बनाया गया।

9 9 296

सामाजिक कल्याण और सुरक्षा की खोज विकास का एक केंद्रीय पहलू है। अम्बेडकर के दृष्टिकोण में राज्य मुख्य होगा।

296 संविधान सभा की बहस *(25* नवंबर *1949)*

170. सामाजिक अवसर वे सुविधाएँ और "व्यवस्थाएँ हैं जो समाज शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पोषण के लिए करता है", जो "बेहतर जीवन जीने के लिए व्यक्ति की पर्याप्त स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं"। *297* सामाजिक सुरक्षा उपायों में ऐसे कार्यक्रम शामिल हैं जो पर्याप्त संसाधनों तक पहुंच की गारंटी देने वाले सहायता उपायों के माध्यम से जनसंख्या के कल्याण को बढ़ावा देने का इरादा रखते हैं। सामाजिक सुरक्षा ढांचा न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों में प्रभावी भागीदारी के लिए भी महत्वपूर्ण है। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम 'आर्थिक और सामाजिक अधिकारों' से प्रवाहित होते हैं-जिन्हें 'कल्याणकारी अधिकार' भी कहा जाता है। ये अधिकार, सार्वभौमिक के तहत पहली बार मान्यता प्राप्त हैं मानवाधिकार पर घोषणा, *1948* में "सुरक्षात्मक छत्र" के तहत स्वतंत्रताओं और दावों की एक बड़ी सूची शामिल है। इनमें न केवल बुनियादी राजनीतिक अधिकार शामिल हैं, बल्कि काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बेरोजगारी और गरीबी से सुरक्षा, ट्रेड यूनियनों में शामिल होने का अधिकार और यहां तक कि न्यायपूर्ण और अनुकूल पारिश्रमिक का अधिकार भी शामिल है। *29 9* वैश्विक गरीबी और अन्य आर्थिक और सामाजिक अभावों को दूर करने के लिए एक साधन के रूप में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम वैश्विक विमर्श के केंद्र में हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद *22* स्पष्ट रूप से

यह मान्यता है कि समाज का प्रत्येक सदस्य सामाजिक सुरक्षा के अधिकार और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का हकदार है। उन अधिकारों को गरिमा और व्यक्तित्व के मुक्त विकास के लिए अपरिहार्य बताया गया है। इन अधिकारों की प्राप्ति को राष्ट्रीय प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दोनों के माध्यम से और प्रत्येक राज्य के संगठन और संसाधनों के अनुसार सुगम बनाया जाना चाहिए। अनुच्छेद *22* में कहा गया है कि:

> "अनुच्छेद *22*
>
> समाज के सदस्य के रूप में हर किसी को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है
>
> और राष्ट्रीय प्रयास के माध्यम से प्राप्ति का हकदार है और
> अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रत्येक राज्य के संगठन और संसाधनों के अनुसार, उसकी गरिमा और उसके व्यक्तित्व के मुक्त विकास के लिए अपरिहार्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार।

297 अमर्त्य सेन, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस *(2000),* पृष्ठ *39* पर *298* अमर्त्य सेन, द आइडिया ऑफ जस्टिस, पेंगुइन *(2009)* पृष्ठों पर *379-380*

299 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *380* पर जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

इसी तरह, अनुच्छेद *23* अधिकारों के एक समूह को समझता है जिसमें *(i)* काम करने का अधिकार*; (ii)* रोजगार का स्वतंत्र विकल्प*; (iii)* काम की न्यायसंगत और अनुकूल परिस्थितियाँ*; (iv)* बेरोजगारी से संरक्षण शामिल हैं। *(v)* बिना किसी भेदभाव के समान काम के लिए समान वेतन*; (vi)* काम के लिए उचित और अनुकूल पारिश्रमिक*;* और *(vii)* ट्रेड यूनियनों का गठन और सदस्यता। अनुच्छेद *23* इन अधिकारों को सुनिश्चित करने के साधन के रूप में समझता है।

भारत ने यू. डी. एच. आर. को अपनाया है, इसके सिद्धांत हमारी संवैधानिक बातचीत को वैध रूप से सक्रिय कर सकते हैं। अनुच्छेद *22* और *23* दोनों ही काम और सामाजिक सुरक्षा के मामलों में आर्थिक अधिकारों और

अधिकारों को मान्यता देने में महत्वपूर्ण हैं। दोनों अनुच्छेद मानव गरिमा और आर्थिक अधिकारों की प्राप्ति के बीच आंतरिक संबंध को मान्यता देते हैं। सामाजिक सुरक्षा के उपाय आर्थिक स्वतंत्रता की प्राप्ति और मानव गरिमा की आकांक्षा को पूरा करने के लिए अभिन्न हैं। *171.* भारत ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ-साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर वाचा को अपनाया और उसकी पुष्टि की। भारत ने *10* अप्रैल *1979* को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर वाचा को स्वीकार किया। प्रस्तावना के अनुसार, जो राज्य वाचा के पक्षकार हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि:

"भय और अभाव से मुक्ति का आनंद लेने वाले स्वतंत्र मनुष्यों का आदर्श केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब ऐसी परिस्थितियाँ बनाई जाएं जिससे हर कोई अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का आनंद ले सके।

साथ ही उनके नागरिक और राजनीतिक अधिकार भी।

इस प्रकार स्वतंत्रता को भय और अभाव की अनुपस्थिति के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, स्वतंत्रता एक समूह के आनंद में शामिल है अधिकारः आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक के साथ-साथ नागरिक और राजनीतिक अधिकार। दूसरे शब्दों में, अधिकारों के दो समूहों के बीच कोई द्वंद्व नहीं है।

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर वाचा के अनुच्छेद *11* में करार करने वाले राज्यों पर सकारात्मक दायित्व लगाए गए हैं:

"अनुच्छेद *11.*

वर्तमान वाचा के राज्य पक्ष इस अधिकार को मान्यता देते हैं

1.

सभी को अपने और अपने लिए पर्याप्त जीवन स्तर के लिए

परिवार, जिसमें पर्याप्त भोजन, कपड़े और आवास शामिल हैं, और जीवन स्थितियों में निरंतर सुधार। राज्य पक्ष इस अधिकार, *[2018] 8* एस. सी. आर. की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएंगे।

इस प्रभाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व को पहचानना

मुक्त सहमति के आधार पर सहयोग।
वर्तमान वाचा के लिए राज्य दल, को मान्यता देते हुए

2.

भूख से मुक्त होने का प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार, व्यक्तिगत रूप से और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से, विशिष्ट कार्यक्रमों सहित उपाय करेगा, जिनकी आवश्यकता है:

*(*क*)* तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान का पूरा उपयोग करके, पोषण के सिद्धांतों के ज्ञान का प्रसार करके और भोजन के उत्पादन, संरक्षण और वितरण के तरीकों में सुधार करना।

कृषि प्रणालियों का इस तरह से विकास या सुधार करना ताकि प्राकृतिक संसाधनों का सबसे कुशल विकास और उपयोग किया जा सके।

संसाधन;

*(*क*)* दोनों खाद्य पदार्थों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए-खाद्य निर्यातक देशों का आयात करना, ताकि आवश्यकता के संबंध में विश्व खाद्य आपूर्ति का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

172. आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के उल्लंघन पर मासट्रिक्ट दिशानिर्देश *(*जनवरी *1997)* में कहा गया है किः

"अब यह निर्विवाद है कि सभी मानवाधिकार अविभाज्य, परस्पर निर्भर, परस्पर संबंधित और मानव गरिमा के लिए समान महत्व के हैं। इसलिए, राज्य उल्लंघन के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए हैं।

दिशानिर्देशों में यह भी निर्धारित किया गया है कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की तरह, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार राज्यों पर तीन अलग-अलग प्रकार के दायित्वों को लागू करते हैंः सम्मान, रक्षा और पूरा करने का दायित्व। दिशानिर्देशों में माना गया है कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन राज्यों की ओर से किए गए कार्यों और चूक के माध्यम से हो सकता है। राज्यों द्वारा अपने कानूनी दायित्वों से उत्पन्न उपाय करने में चूक या विफलता के परिणामस्वरूप इस तरह के उल्लंघन हो सकते हैं। उनमें से कानून को लागू करने या लागू करने के लिए डिज़ाइन की गई नीतियों को लागू करने में विफलता है वाचा के प्रावधान। समान शब्दों में, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा के कार्यान्वयन पर लिम्बर्ग सिद्धांतों ने राज्यों को वाचा में निहित अधिकारों को प्राप्त करने की दिशा में तत्काल कदम उठाने के लिए सकारात्मक कर्तव्यों को निर्धारित किया। दिशानिर्देशों के खंड *16,21* और *27* इस प्रकार हैंः

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

*[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

"16. सभी राज्य पक्षों का दायित्व है कि वे संविधान में निहित अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति की दिशा में कदम उठाने के लिए तुरंत शुरुआत करें।

वाचा.

21. दायित्व "उत्तरोत्तर पूर्ण प्राप्ति प्राप्त करने के लिए

अधिकारों के लिए राज्यों के पक्षों को जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ने की आवश्यकता है

अधिकारों की प्राप्ति की दिशा में संभव। के तहत नहीं
परिस्थितियों की व्याख्या इस रूप में की जाएगी कि राज्यों को पूर्ण प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए अनिश्चित काल के लिए प्रयासों को स्थगित करने का अधिकार है। इसके विपरीत सभी राज्यों के पक्षों का दायित्व है कि वे अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए तुरंत कदम उठाना शुरू करें।

27. यह निर्धारित करने में कि क्या वाचा में मान्यता प्राप्त अधिकारों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं, न्यायसंगत और प्रभावी उपयोग और उन तक पहुंच के लिए ध्यान दिया जाएगा।

उपलब्ध संसाधन "।

मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय अधिसूचितअंतिम टिप्पणी संख्या *3*, जिसे *14* दिसंबर को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति के पांचवें सत्र में अपनाया गया था

990. टिप्पणी में कहा गया हैः

"... जबकि प्रासंगिक अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति उत्तरोत्तर प्राप्त की जा सकती है, उस लक्ष्य की दिशा में कदम संबंधित राज्यों के लिए वाचा के लागू होने के बाद उचित रूप से कम समय के भीतर उठाए जाने चाहिए। इस तरह के कदम जानबूझकर, ठोस होने चाहिए।

और दायित्वों को पूरा करने के लिए यथासंभव स्पष्ट रूप से लक्षित किया गया

वाचा में मान्यता प्राप्त "।

इसी तरह, आर्थिक, सामाजिक समिति के बीसवें सत्र में पर्याप्त भोजन के अधिकार पर सामान्य टिप्पणी संख्या *12* को हटा दिया गया था।

घ. *12* मई *1999* को सांस्कृतिक अधिकार। इसमें कहा गया हैः

"समिति का मानना है कि भूख और कुपोषण की समस्याएं अक्सर विकास में विशेष रूप से तीव्र होती हैं

देश, कुपोषण, अल्पपोषण और अन्य समस्याएं जो पर्याप्त भोजन के अधिकार और भूख से मुक्ति के अधिकार से संबंधित हैं, कुछ सबसे आर्थिक रूप से विकसित देशों में भी मौजूद हैं।

देशों में, मूल रूप से, भूख और कुपोषण की समस्या की जड़ें भोजन की कमी नहीं हैं, बल्कि अन्य बातों के साथ-साथ गरीबी के कारण उपलब्ध भोजन तक पहुंच की कमी है।

दुनिया की आबादी "। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

173. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम *1993* की धारा *2 (1) (*च*)* विशेष रूप से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर वाचा का विज्ञापन करती है। अधिकारः

"*2. (1) (* च*)* "अंतर्राष्ट्रीय करार" से नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार और अंतर्राष्ट्रीय करार अभिप्रेत हैं।
16 दिसंबर, *1996* को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अपनाई गई वाचा और संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाई गई ऐसी अन्य वाचा या संधि।

केंद्रीय के रूप में संयुक्त राष्ट्र की महासभा
सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है; "

धारा *12 (*च*)* के तहत, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को संधियों और मानवाधिकारों के अन्य अंतर्राष्ट्रीय साधनों का अध्ययन करने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करने का कार्य सौंपा गया है। संसद ने मौलिक मानव स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने के राष्ट्रीय प्रयास के एक भाग के रूप में उपरोक्त समझौतों के तहत अंतर्राष्ट्रीय कानून में भारत के दायित्वों को वैधानिक रूप से शामिल किया है। आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना उस मिशन का अभिन्न अंग है। अमर्त्य सेन ने अपनी उत्कृष्ट कृति 'द आइडिया ऑफ जस्टिस' में इस संबंध में कहा है:

"दूसरी पीढ़ी के अधिकारों को शामिल करने से वैश्विक स्तर के सामान्य विचारों में निहित नैतिक मुद्दों को एकीकृत करना संभव हो जाता है।
विचारशील लोकतंत्र की मांगों के साथ विकास, जो दोनों मानवाधिकारों से जुड़ते हैं और अक्सर मानव को आगे बढ़ाने के महत्व की समझ के साथ

क्षमताएँ "। *300*

174. इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा एक आधार कड़ी के रूप में कार्य करती है

विकास। विकास और सामाजिक सुरक्षा *(*मानव क्षमता का विस्तार*)* के बीच भी दोतरफा संबंध है। द्रेज़ और सेन ने अपने निम्नलिखित अवलोकन में इस संबंध से निपटा है:

"विकास से ऐसे संसाधन उत्पन्न होते हैं जिनसे शिक्षा के विस्तार के लिए सार्वजनिक और निजी प्रयासों को व्यवस्थित रूप से जुटाया जा सकता है।
स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, सामाजिक सुविधाएँ और अन्य आवश्यक वस्तुएँ

300 अमर्त्य सेन, द आइडिया ऑफ जस्टिस, पेंगुइन *(2009)* पृष्ठ *381* पर जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.*

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

और सभी के लिए स्वतंत्र मानव जीवन। और मानव का विस्तार

क्षमता, बदले में, संसाधनों के तेजी से विस्तार की अनुमति देती है और

उत्पादन, जिस पर अंततः आर्थिक विकास निर्भर करता है।

अच्छी तरह से काम करने वाली सार्वजनिक सेवाएं, विशेष रूप से *(*लेकिन केवल नहीं*)* क्षेत्रों में

जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण हैं।

सहभागी विकास के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने में कि विकास की ओर ले जाता है

लोगों की जीवन स्थितियों में तेजी से सुधार "। *301*

लेखकों ने आगे कहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के अलावा, भारत को "समग्र रूप से सार्वजनिक क्षेत्र" में जवाबदेही के बड़े मुद्दों का सामना करना पड़ता है। *302* सार्वजनिक सेवाओं में प्रगति की कमी लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक बड़ी बाधा के रूप में कार्य करती है। *303* यह देखा गया है:

"स्कूल पर भारतीय सामाजिक नीतियों की सापेक्ष कमजोरी

शिक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य सेवा, बाल पोषण, आवश्यक भूमि सुधार

और लैंगिक समानता राजनीतिक रूप से लगे रहने की कमियों को दर्शाती है

सार्वजनिक तर्क और सामाजिक दबाव, न केवल अपर्याप्तताएँ

सरकार की आधिकारिक सोच। " *304*

इसलिए भारतीय लोकतंत्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि यह कैसे काम करता है।

आम आदमी को बुनियादी मानव सुविधाओं के हस्तांतरण में जवाबदेही के मुद्दों के साथ।

175. राज्य का यह सुनिश्चित करने का एक वैध उद्देश्य है कि उसके नागरिक

बुनियादी मानव सुविधाएं प्राप्त करें। विकास देखने के लिए, विशाल आम नागरिकों को सब्सिडी और लाभ प्रदान करने में राज्य द्वारा किए जाने वाले खर्च की राशि, जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। विधायी और संस्थागत परिवर्तन अक्सर पारदर्शिता और जवाबदेही का माहौल बनाने में सक्षम होते हैं। संस्थागत परिवर्तन लाने वाले विधायी अधिनियम का सबसे स्पष्ट उदाहरण सूचना का अधिकार अधिनियम, *2005* है। टिप्पणीकारों ने अक्सर

अधिनियम द्वारा स्थापित, एक तरह से, सामाजिक के विस्तार के रूप में कार्य करना चाहता है *301* जीन ड्रेज़ और अमर्त्य सेन, एन अनसर्टेन ग्लोरी, पेंगुइन *(2013)*, पृष्ठ *x* और

xi

302 इबिद, पृष्ठ *xi* पर

303 जीन ड्रेज़ और अमर्त्य सेन, एन अनसर्टेन ग्लोरी, पेंगुइन *(2013)*, पृष्ठ *33* पर *304* अमर्त्य सेन, द आइडिया ऑफ जस्टिस, पेंगुइन *(2009)* पृष्ठ *349* पर

305 जीन ड्रेज़ और अमर्त्य सेन, एन अनसर्टेन ग्लोरी, पेंगुइन *(2013)*, पृष्ठ *100* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट पर

सुरक्षा कार्यक्रम। राज्य को इसकी जाँच करने के लिए एक वैध चिंता है

कल्याणकारी लाभ जो यह उन लोगों के लिए चिह्नित करता है, जो हकदार हैं, बिना किसी मोड़ के उन तक पहुँचते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि आधार कार्यक्रम इस प्रकार कार्य करता है -

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से होने वाले लाभों की प्राप्ति के लिए एक साधन। आधार कार्यक्रम, यह आगे तर्क दिया गया था,

राज्य की इस चिंता को पूरा करता है कि इसके संसाधनों का पूरी तरह से मानव विकास के लिए उपयोग किया जाता है। उत्तरदाताओं द्वारा यह तर्क दिया गया है कि *2009* में यू. आई. डी. ए. आई. की स्थापना के बाद से, इसका मूल अधिदेश निवासियों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करना है। यह संख्या दो उद्देश्यों को पूरा करेगी। सबसे पहले, यह

राज्य द्वारा प्रदान किए गए लाभ। पहचान की एक विधि स्थापित करने का कारण यह सुनिश्चित करना है कि राज्य द्वारा तैयार किए गए समाज कल्याण कार्यक्रमों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ उन लाभार्थियों तक पहुंचे जिनके लिए वे अभिप्रेत हैं। यह तर्क दिया गया है कि एक नीतिगत हस्तक्षेप के रूप में, वित्तीय समावेशन को सुरक्षित करने के लिए पहचान का एक अनूठा उपाय है। समाज कल्याण कार्यक्रमों की सफलता में एक महत्वपूर्ण बाधा यह है कि लाभ लक्षित आबादी तक नहीं पहुंचते हैं। इसका कारण हो सकता है

व्यक्तियों की स्थिति के साथ आंतरिक रूप से कुछ करना है जितना कि उनकी बड़ी सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के साथ। असंगठित क्षेत्र में प्रवासी श्रमिकों और श्रमिकों के पास निवास की स्थिरता का अभाव है। उनके काम की प्रकृति उनके जीवन को पेरिपेटेटिक बनाती है। खानाबदोश जनजातियाँ, विशेष रूप से दुर्गम क्षेत्रों में, निश्चित घर नहीं हो सकते हैं। कई मामलों में, पारंपरिक व्यवसायों में मौसमी परिवर्तनों के आधार पर व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता होती है। फिर से, महिलाओं, बच्चों और विकलांगों सहित नागरिकों के समूहों को लिंग, आयु और विकलांगता जैसे कारकों के परिणामस्वरूप सार्वजनिक रूप से तैयार किए गए सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के तहत लाभ प्राप्त करने में महत्वपूर्ण कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

176. राज्य द्वारा प्रदान किए जाने वाले कल्याणकारी लाभों तक असमान पहुंच अभाव का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है जिसके परिणामस्वरूप जीवन और आजीविका को बनाए रखने के साधनों से वंचित हो जाता है। आधार आधारित पहचान को अपनाने से पहले, निवासियों की पहचान के लिए कई मंच थे। उन्होंने एक ऐसी स्थिति पैदा की जहां जिनके पास कोई पहचान नहीं थी, उनकी गरिमापूर्ण जीवन जीने के साधनों तक पहुंच नहीं थी। समान रूप से महत्वपूर्ण, एक नीतिगत हस्तक्षेप के रूप में, कब्ज़े का मुद्दा था। जबकि एक ओर, आबादी के बड़े हिस्से को कल्याणकारी सहायता तक कोई पहुंच नहीं थी, लाभ उन व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किए जा सकते थे जो नकली या कई पहचानों के दावे से उनके हकदार नहीं थे। नकली पहचान स्थापित करने से न्याय के. एस. पुटस्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी.

व्यक्ति को दूसरे के रूप में पारित करने और एक लाभ प्राप्त करने के लिए जिसका वह व्यक्ति हकदार नहीं है। नकली पहचान पकड़ने की समस्या को बढ़ा देती है

शेल पहचान के माध्यम से व्यक्तियों को कई लाभ प्राप्त करने की अनुमति देकर। नीति निर्माताओं को नकली और कई पहचानों से उत्पन्न गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने सरकारी खजाने पर बोझ डाला और साथ ही साथ राज्य द्वारा बनाई गई सामाजिक प्रणाली की प्रभावशीलता को कम किया।

राज्य द्वारा तैनात संसाधन उसके सार्वजनिक राजस्व से हैं। पहचान के एक अद्वितीय उपाय को तैयार करते समय, राज्य को वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने और वित्तीय बहिष्कार से बचाने की आवश्यकता द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। समाज कल्याण लाभों के लिए पात्र प्रत्येक नागरिक को उन्हें प्राप्त करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो हकदार है, उसे बाहर नहीं किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति सामाजिक कल्याण लाभों के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, उन्हें पात्र व्यक्ति के रूप में पारित करके उन्हें नहीं पकड़ना चाहिए। लाभार्थियों की पहचान के लिए एक मजबूत मंच को लागू करना और लागू करना आवश्यक है यह सुनिश्चित करें कि सामाजिक कल्याण लाभ उन लोगों के हाथों में पहुंचे जो पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं और उन लोगों के किराए के व्यवहार से कब्जा नहीं करते हैं जिनके लिए सामाजिक कल्याण लाभ तैयार नहीं किए गए हैं। यह राज्य की नीति का एक वैध उद्देश्य है। लक्षित आबादी तक पहुंचना एक वैध संवैधानिक उद्देश्य है। समाज कल्याण के उपाय राज्य की नीति का एक आंतरिक हिस्सा हैं जो अस्तित्व की गरिमापूर्ण स्थितियों को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाए गए हैं।

हाशिए पर पड़े लोगों के लिए, विशेष रूप से वे जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। सामाजिक कल्याण की पूर्ति के लिए लाभार्थियों की पहचान महत्वपूर्ण है।

कार्यक्रम।

177. ये चिंताएं आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016* का आधार हैं। जैसा कि इसके उद्देश्यों और कारणों का विवरण बताता है:

"विभिन्न उपदानों, लाभों, सेवाओं, अनुदानों, मजदूरी और अन्य *[2018]* के वितरण के लिए लक्षित लाभार्थियों की सही पहचान।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत के समेकित कोष से वित्त पोषित सामाजिक लाभ योजनाएं सरकार के लिए एक चुनौती बन गई हैं। किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने में विफलता इनके सफल कार्यान्वयन में एक बड़ी बाधा साबित हुई है।

कार्यक्रम। यह महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, प्रवासी अकुशल और असंगठित श्रमिकों और खानाबदोश जनजातियों जैसे व्यक्तियों की कुछ श्रेणियों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय रहा है। एक विश्वसनीय प्रणाली के अभाव में

लाभार्थियों की पहचान को प्रमाणित करना, यह सुनिश्चित करना मुश्किल है कि

सब्सिडी, लाभ और सेवाएं इच्छित तक पहुँचती हैं।
लाभार्थी "।

उद्देश्यों और कारणों का विवरण इंगित करता है कि अधिनियम "भारत की संचित निधि से प्राप्त लाभार्थियों को परिसंपत्तियों, सब्सिडी और सेवाओं का प्रभावी, सुरक्षित और सटीक वितरण" सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। कानून की वास्तुकला पर विचार किया जाता है

निम्नलिखित पहलुओं का प्रतिपादन करनाः

"*(* क*)* प्रदान करने पर व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करना।

अद्वितीय के लिए जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी
भारतीय पहचान प्राधिकरण*;*

(ख*)* किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए आधार संख्या की आवश्यकता

लाभों, सब्सिडी और सेवाओं का वितरण *(*जहां से*)* खर्च किया जाता है या उससे रसीद एक हिस्सा है। भारत की संचित निधि*;*

(ग*)* जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी के संबंध में आधार संख्या धारक की आधार संख्या का प्रमाणीकरण*;*

(घ*)* उपरोक्त उद्देश्यों के अनुसरण में कार्य करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना*;*

(ई*)* केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी में व्यक्तियों की जानकारी को इस तरह से बनाए रखना और अद्यतन करना जो हो सकता है

विनियमों द्वारा निर्दिष्ट*;*

(च*)* केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में संग्रहीत जानकारी सहित प्राधिकरण के कब्जे या नियंत्रण में जानकारी की सुरक्षा, गोपनीयता और गोपनीयता से संबंधित उपाय*;* और

(छ*)* प्रासंगिक वैधानिक उल्लंघन के लिए अपराध और दंड

प्रावधान "। जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

अधिनियम की प्रस्तावना इंगित करती है कि संसद ने "सब्सिडी, लाभों और सेवाओं के कुशल, पारदर्शी और लक्षित वितरण" को सुरक्षित करने के लिए सुशासन के एक साधन के रूप में कानून तैयार किया है, जिसके लिए निवासी व्यक्तियों को समेकित निधि से खर्च किया जाता है।

178. आधार प्लेटफॉर्म अपने आप में एक सामाजिक कल्याण लाभ नहीं है। अनिवार्य रूप से, यह जो हासिल करना चाहता है वह एक अनूठी पहचान प्रदान करना है

प्रत्येक निवासी। यह पहचान, आधार संख्या के रूप में, जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी जमा करने पर प्राप्त की जाती है।

नामांकन का पाठ्यक्रम। विधायी डिजाइन में परिकल्पना की गई है कि व्यक्ति की पहचान प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापित की जाती है जिसके द्वारा केंद्रीय भंडार में संग्रहीत बायोमेट्रिक डेटा का प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तुत बायोमेट्रिक जानकारी के साथ मिलान किया जाता है। आधार एक मंच है

मुख्य रूप से बायोमेट्रिक जानकारी पर आधारित पहचान के सत्यापन के लिए। व्यक्ति की पहचान स्थापित करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में जो धारा *7* में परिकल्पित सामाजिक कल्याण लाभों के लिए, आधार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह इस मायने में सहायक है कि राज्य नीति के एक उपाय के रूप में, यह आबादी के हर वर्ग को पहचान का एक साधन प्रदान करके वित्तीय समावेशन लाने का प्रयास करता है, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जो पारंपरिक मार्करों के दायरे में नहीं रहे हैं।

अयोग्य द्वारा पकड़े नहीं जाते हैं। बायोमेट्रिक मार्करों की एक प्रबल विश्वसनीयता पर भरोसा करते हुए, आधार मंच समाप्त करने का प्रयास करता है, या कम से कम किराया मांगने के व्यवहार पर अंकुश लगाने का प्रयास करता है। धारा *7* में अंतर्निहित तर्क भारत की संचित निधि से वित्त पोषित सेवाओं, लाभों और सब्सिडी का लक्षित वितरण है। आजादी के बाद के सात दशकों में, केंद्र सरकार ने गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के अस्तित्व की स्थितियों को सुधारने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मुफ्त शिक्षा, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन और एलपीजी सब्सिडी सहित सामाजिक कल्याण के उपाय किए हैं।

यह सुनिश्चित करने में राज्य का हित है कि राज्य द्वारा प्रदान किए जाने वाले कल्याणकारी लाभ उन लोगों तक पहुँचें जिनके लिए वे अभिप्रेत हैं। जी*3* पहचान और पहचान

179. पहचान मानव व्यक्तित्व से अविभाज्य है। एक पहचान एक बयान है कि एक व्यक्ति कौन है। हमारी पहचान यह निर्धारित करती है कि हम कौन हैं।

वे व्यक्त करते हैं कि हम चाहते हैं कि दुनिया हमें किस रूप में जाने। मानव व्यक्तित्व, एक निश्चित स्तर पर, पहचान के बारे में है, क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के माध्यम से है।

पहचान का दावा कि प्रत्येक व्यक्ति के मूल को संरक्षित करना चाहता है

उसकी मानवता। एक पहचान वह व्यक्तित्व है जिसे एक व्यक्ति कई संबंधों में प्रस्तुत करता है। हमारी पहचान का महत्व हमारे प्राणियों के मूल को व्यक्त करने की हमारी क्षमता में निहित है। जब संविधान हम जो हैं वह होने और होने के हमारे अधिकार की रक्षा करता है, यह एक ऐसी जगह बनाता है जहां व्यक्ति हस्तक्षेप से मुक्त है। हमारी स्वतंत्रता को मान्यता देकर

स्वायत्त व्यक्तियों के रूप में, संविधान दूसरों के साथ बातचीत में अपनी पहचान को संरक्षित करने और आकार देने की हमारी क्षमता को मान्यता देता है।

पहचान हो सकती है, लेकिन हमेशा अपरिवर्तनीय विशेषताओं पर आधारित नहीं होती है जिन्हें जन्म के समय परिभाषित किया जाता है। जो अपरिवर्तनीय है वह नहीं हो सकता है या, किसी भी तरह से, है आम तौर पर परिवर्तन में सक्षम होने के रूप में नहीं समझा जाता है। लेकिन यहाँ भी, हमारी विशेषताओं की अपरिवर्तनीयता हमारे अपने अस्तित्व के सापेक्ष है और उस सामाजिक परिवेश से आकार लेने में सक्षम है

जिसमें मनुष्य अपना जीवन जीते हैं। आखिरकार, हमारे जैविक अस्तित्व के बारे में जो विशेषताएँ जन्म के समय परिभाषित की जाती हैं, वे हमारी पहचान को बाधित करने वाली नहीं हैं, जैसा कि अक्सर माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अपरिवर्तनीय विशेषताएं हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के साथ भी लगातार जुड़ी हुई हैं। वे उस वातावरण को आकार देते हैं और उससे प्रभावित होते हैं।

180. पहचान और पहचान के बीच अंतर है। पहचान एक प्रमाण की बात है-यह स्थापित करने के लिए कि एक व्यक्ति वास्तव में है,

वह व्यक्ति जो अधिकार या हकदारी का दावा करता है। अपनी दैनिक बातचीत में, व्यक्तियों को खुद को दूसरों से अलग करना पड़ता है, चाहे वह रोजगार, यात्रा, नागरिक संघ, स्थान, सामुदायिक दृष्टिकोण, राजस्व दायित्वों या लाभों तक पहुंच के दौरान हो। पहचान है

पहचान का प्रमाण या पहचान का प्रमाण। दैनिक जीवन की कई गतिविधियों में पहचान अनिवार्य है: एक पासपोर्ट आवश्यक है

अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, चुनावी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए एक मतदाता पहचान पत्र की आवश्यकता होती है, वाहन चलाने के लिए एक ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है और आग्नेयास्त्र रखने के लिए एक हथियार लाइसेंस की आवश्यकता होती है। चिकित्सा बीमा पॉलिसी के धारक के पास अपनी पहचान दर्शाने वाला एक कार्ड होगा जो चिकित्सा लाभ प्राप्त करने के लिए एक वैध पॉलिसी रखने का प्रमाण है।

181. अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत, पहचान की मान्यता एक दायित्व है

एक राष्ट्र राज्य। मानव की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद *6* अधिकारों का प्रावधान है कि "हर किसी को कानून से पहले हर जगह एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार है"। अंतर्राष्ट्रीय वाचा का अनुच्छेद *16*

नागरिक और राजनीतिक अधिकार समान रूप से हैं। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुच्छेद *8* में कहा गया है कि राज्य पक्ष अपनी पहचान को संरक्षित करने के लिए बच्चे के अधिकार का सम्मान करने का बीड़ा उठाते हैं, जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.*

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

जिसमें गैरकानूनी हस्तक्षेप के बिना कानून द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीयता, नाम और पारिवारिक संबंध शामिल हैं। पहचान के महत्व को पहचाना जाता है

मानवाधिकारों पर अमेरिकी समझौते के अनुच्छेद *3* के अनुसार। अमेरिकी राज्यों के संगठन *(*ओ. ए. एस.*)* की अंतर अमेरिकी न्यायिक समिति *(*आई. ए. जे. सी.*)* ने वास्तव में यह प्रावधान किया है कि:

"12. पहचान का अधिकार गुणों और मानवीय गरिमा के अनुरूप है। नतीजतन, यह एक सामूहिक हित की अभिव्यक्ति के रूप में एक प्रवर्तनीय बुनियादी मानव अधिकार है।
समग्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो मानवाधिकारों पर अमेरिकी समझौते में प्रदान किए गए मामलों में अपमान या निलंबन को स्वीकार नहीं करता है।

15. समिति का मानना है कि पहचान का अधिकार इनमें से है -

इसके सबसे प्रासंगिक निहितार्थ और दायरा, एक

स्वायत्त अधिकार जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों पर आधारित है और जो राज्यों की घरेलू कानूनी प्रणालियों में माने जाने वाले वास्तविक सांस्कृतिक तत्वों से प्राप्त होते हैं,

इसलिए व्यक्ति की विशिष्टता को उसके उन अधिकारों के साथ संतुष्ट करना जो अद्वितीय, एकल और पहचान योग्य हैं। *9306*

182. राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ *3 0 7* में इस न्यायालय ने माना कि लिंग पहचान ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा नागरिक अधिकारों के आनंद के लिए मौलिक और एक आवश्यक घटक है। पहचान के आत्मनिर्णय को अनुच्छेद *21* का एक अनिवार्य पहलू माना गया है। इस न्यायालय के दृष्टिकोण सेः

" 74. किसी की लैंगिक पहचान की मान्यता गरिमा के मौलिक अधिकार के केंद्र में है। लिंग, जैसा कि पहले से ही संकेत दिया गया है, किसी के होने की भावना के मूल के साथ-साथ किसी व्यक्ति की पहचान का एक अभिन्न अंग है। इसलिए लैंगिक पहचान की कानूनी मान्यता गरिमा और स्वतंत्रता की गारंटी के अधिकार का हिस्सा है।
हमारे संविधान के तहत।

75. अनुच्छेद *21,* जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, किसी व्यक्ति की "व्यक्तिगत स्वायत्तता" की सुरक्षा की गारंटी देता है। अनुज गर्ग बनाम। होटल

एसोसिएशन ऑफ इंडिया *3 (*एस. सी. सी. पी. *15* , पैरा *34-35),* इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि व्यक्तिगत स्वायत्तता में दोनों का नकारात्मक अधिकार शामिल है

306 पहचान के अधिकार पर राय, *2007,* एच. टी. पी. पर उपलब्ध हैः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. ओएएस। *org/en/sla /*

आइ. ए. जे. सी./डी. ओ. सी. एस./आइ. जे. सी. _ करेंट _ एजेंडा _ राइट _ टू _ आइडेंटिटी। पीडीएफ

307 (2014) 5 एससीसी *438 [2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दूसरों के हस्तक्षेप और सकारात्मक अधिकार के अधीन नहीं होना

व्यक्तियों को अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने के लिए, व्यक्त करने के लिए

स्वयं और यह चुनने के लिए कि किन गतिविधियों में भाग लेना है। स्वयं

और आत्म-अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे में आती है
भारत के संविधान के अनुच्छेद *21* के तहत गारंटी।

नेटवर्क समाज में पहचान एक जटिल चरित्र धारण करती है। शाह एक नेटवर्क समाज *308* की निम्नलिखित परिभाषा को अपनाते हैं।

"नेटवर्क समाज एक ऐसा समाज है जहाँ प्रमुख सामाजिक संरचनाएँ होती हैं।

और इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित गतिविधियों का आयोजन किया जाता है

सामाजिक संगठन। यह सामाजिक नेटवर्क के बारे में है जो प्रक्रिया करता है और जानकारी का प्रबंधन करें और सूक्ष्म-इलेक्ट्रॉनिक आधारित का उपयोग कर रहे हैं

प्रौद्योगिकियां *"30 9.*

183. एक नेटवर्क समाज में, एक व्यक्ति एक डेटा विषय है और एक

स्वयं की मात्रा। व्यक्ति एक डेटा विषय है क्योंकि उसका डेटा डेटाबेस में संग्रहीत किया जाता है। शाह ने नोट किया कि इस बारे में एक दुविधा है कि क्या डेटा विषय वह व्यक्ति है जिसकी पहचान डेटा को मान्य करने का आधार बन जाती है या क्या डेटा विषय व्यक्ति की पहचान है क्योंकि यह डेटा सेट के माध्यम से बनाया जाता है। व्यक्ति एक मात्रात्मक स्व बन जाता है जहाँ डेटा जो विभिन्न प्रणालियों में वितरित किया जाता है, किसी व्यक्ति की एक व्यापक प्रोफ़ाइल बनाने के लिए "क्यूरेट" किया जाता है।

184. आधार परियोजना का उद्देश्य एक विशिष्ट पहचान की अनुमति देना था

व्यक्तियों को "असंबद्ध और अक्सर शत्रुतापूर्ण सरकारी डेटाबेस प्रणालियों के माध्यम से नेविगेट करने" में सक्षम बनाना। शाह ने नोट किया कि *2009* से, 'पहचान' और 'पहचान' शब्दों का उपयोग आधार परियोजना के हिस्से के रूप में किया गया था-परिवर्तनशील रूप से, "एक जिज्ञासु संयोजन और

अंतरसंचालनीयता "इन धारणाओं के बीच *310*"। 'पहचान' एक नेटवर्क उपकरण की अद्वितीय डेटा स्कैन करके किसी व्यक्ति की पहचान करने की क्षमता है। *308* निशांत शाह, पहचान और पहचान-नेटवर्क के समय में व्यक्ति

शासन, सामाजिक कानूनी समीक्षा, *HTTP* पर उपलब्ध हैः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. सामाजिक-कानूनी समीक्षा। कॉम / डब्ल्यूपी-सामग्री/अपलोड/*2015/12*/पहचान-और-पहचान-व्यक्तिगत-में -

समय-का-नेटवर्क-शासन। पीडीएफ

309 मैनुअल कैस्टेल्स, कन्वर्सेशन विद मैनुअल कैस्टेल्स, ग्लोबट्रॉटर, यहाँ उपलब्ध है

एचटीटीपीः //ग्लोबट्रॉटर। बर्कले। ए. डी. यू./लोग/कैस्टेल्स/कैस्टेल्स-कॉन *4*। एचटीएमएल

310 निशांत शाह, पहचान और पहचान-नेटवर्क के समय में व्यक्ति

शासन, सामाजिक कानूनी समीक्षा, *HTTP* पर उपलब्ध हैः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. सामाजिक-कानूनी समीक्षा। कॉम /

डब्ल्यूपी-सामग्री/अपलोड/*2015/12*/पहचान-और-पहचान-व्यक्तिगत-में -

समय-का-नेटवर्क-शासन।

पी. डी. एफ. जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

व्यक्तिगत जानकारी से लेकर बायोमेट्रिक विवरण जैसे फिंगर प्रिंट और आईरिस स्कैन, जो एक बड़े केंद्रीकृत डेटाबेस में संग्रहीत किए जाएंगे। यू. आई. डी. ए. आई. ने कहा कि पहचान अपने हाँ/नहीं तंत्र के माध्यम से की गई थी जिसके द्वारा केंद्रीकृत डेटाबेस इस बात का जवाब देगा कि प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तुत बायोमेट्रिक विवरण भंडार में दिए गए विवरणों से मेल खाते हैं या नहीं। तकनीकी रूप से, इस स्तर पर, आधार को पहचान का एक साधन होना था। फिर भी एक अन्य स्तर पर, आधार परियोजना ने खुद को उन व्यक्तियों को एक दस्तावेजी पहचान प्रदान करने के रूप में पेश किया जिनके पास एक भी नहीं हो सकता है। शाह ने अपने लेख के दौरान आधार परियोजना में पहचान और पहचान के बीच के टकराव के बारे में बताया है:

"इस अस्पष्टता और संयोजन को केवल कीबोर्ड की एक शब्दार्थ पर्ची के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, बल्कि एक बहुत बड़ी घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो बड़ी डेटा धाराओं और आत्म-परिमाणीकरण के उपायों के माध्यम से व्यक्ति की एक नई धारणा के निर्माण की ओर इशारा करती है। यह हमें एक तकनीकी-सामाजिक ढांचा प्रदान करता है जहां पहचान का मशीन कार्य पहचान की मानवीय अभिव्यक्ति से जुड़ा होता है, और इस प्रकार यह देखने में एक मार्ग प्रदान करता है कि क्या होता है जब हमारी पहचान को मध्यस्थता, शमन, सुविधा प्रदान की जाती है, और उन तरीकों से नियंत्रित किया जाता है जिनमें प्रमाणीकरण और सत्यापन की नेटवर्क तकनीकें काम करती हैं। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है जहां किसी व्यक्ति की पहचान को आधार परियोजना बनाने वाले नेटवर्क गणना के तर्क और रसद के माध्यम से ऑन्टोलॉजिकल रूप से परिभाषित किया जाता है। यही कारण है कि उदाहरण के लिए, आधार नामांकन प्रणाली व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी की सत्यता की जांच नहीं करती है। नामांकन के लिए, व्यक्ति को प्रदान की गई जानकारी को प्रमाणित या मान्य करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। नाम, पता, विवरण आदि खाली संकेत हैं और किसी के लिए भी किसी भी पहचान को ग्रहण करना संभव है जब तक कि वे बायोमेट्रिक पहचान का अलंघनीय डेटा देते हैं। इस प्रकार, व्यक्ति की पहचान

नामांकित और पंजीकृत लगभग महत्वहीन है और इसका मूल्य केवल इस बात में है कि यह अब हमेशा प्रदान की गई साख या जानकारी के माध्यम से व्यक्ति की पहचान कैसे करेगा। आधार नेटवर्क शासन प्रणाली का संबंध केवल पहचानकर्ताओं से है
आख्यान, पुनरावृत्ति, पहचान और अभिव्यक्ति के रूपों की तुलना में, और यह वह जगह है जहाँ हम उन तरीकों की जांच करना शुरू करते हैं जिनमें पहचान को आकार दिया जाता है, समझा जाता है, और गणना प्रणालियों में किसी व्यक्ति की धारणा का निर्माण करने के लिए उपयोग किया जाता है। *311*

311 इबिद *[2018] 8* एस. सी. आर.

संविधान के भाग *III* द्वारा गारंटीकृत पहचान को साबित करने के लिए पहचान के साधनों के चयन का दावा करने की क्षमता होनी चाहिए। एक की आवश्यकता केवल एक तरीके के आधार पर पहचान साबित करने वाला व्यक्ति आत्मनिर्णय और स्वतंत्र विकल्प के अधिकार का उल्लंघन करेगा।

186. आधार *(*नामांकन और अद्यतन*)* विनियम, *2016* विनियम *4* में जनसांख्यिकीय जानकारी निर्धारित करता है जो नामांकन के लिए आवश्यक है। विनियम *4* निम्नलिखित शब्दों में हैः

"4. नामांकन के लिए आवश्यक जनसांख्यिकीय जानकारी।

(1) निम्नलिखित जनसांख्यिकीय जानकारी एकत्र की जाएगी।

नामांकन से गुजरने वाले सभी व्यक्तियों से *(*पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों को छोड़कर*):*

((i) नाम*;*

((iv) आवासीय पता।

(2) नामांकन के दौरान निम्नलिखित जनसांख्यिकीय जानकारी भी अतिरिक्त रूप से एकत्र की जा सकती है, नामांकन से गुजरने वाले व्यक्ति के विकल्प परः

((i) मोबाइल नंबर*;*

((ii) ईमेल पता।

(3) परिचयकर्ता-आधारित नामांकन के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त

जानकारी एकत्र की जाएगीः

((i) परिचयकर्ता का नाम*;*

((ii) परिचयकर्ता की आधार संख्या।

(4) परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में, निम्नलिखित

अतिरिक्त जानकारी एकत्र की जाएगीः

((ख) संबंध।

((ग) परिवार के मुखिया की आधार संख्या*;*

((iv) परिवार के मुखिया की बायोमेट्रिक जानकारी का एक तरीका।

(5) उपरोक्त जनसांख्यिकीय जानकारी के मानक इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किए जाएंगे।

(6) जनसांख्यिकीय जानकारी में नस्ल, धर्म, जाति, जनजाति, जातीयता, भाषा, अधिकार का रिकॉर्ड, आय या निवासी का चिकित्सा इतिहास शामिल नहीं होगा।

विनियम *9* में कहा गया है कि नामांकन के समय, नामांकन एजेंसी उस व्यक्ति को सूचित करेगी जो नामांकन से गुजर रहा है *(i)* तरीका जिसमें जानकारी का उपयोग किया जाएगा; *(ii)* उन प्राप्तकर्ताओं की प्रकृति जिनके साथ प्रमाणीकरण के दौरान जानकारी साझा करने का इरादा है;

और *(iii)* सूचना तक पहुँच के अधिकार का अस्तित्व। विनियम *10* के तहत, नामांकन के इच्छुक निवासी को पहचान, पता और जन्म तिथि के प्रमाण के लिए सहायक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ नामांकन के लिए आवेदन जमा करना होता है। अनुसूची *II* सहायक दस्तावेजों की एक सूची को इंगित करती है जो पहचान, पता और जन्म तिथि के सत्यापन के लिए स्वीकार किए जाते हैं। यदि किसी निवासी के पास सहायक दस्तावेज नहीं हैं, तो परिचयकर्ता या परिवार के प्रमुख के माध्यम से नामांकन पर विचार किया जाता है। अनुसूची *II* में अठारह दस्तावेज हैं जिन्हें पहचान के प्रमाण के रूप में और तैंतीस दस्तावेजों को पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह तर्क दिया गया है कि आधार अधिनियम निवासी को आधार संख्या प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी भी निर्धारित दस्तावेज के माध्यम से खुद को पहचानने की अनुमति देता है। आधार संख्या का लाभ धारा *7* के तहत सब्सिडी, लाभ या सेवा प्राप्त करने के लिए उठाया जा सकता है, जिसका खर्च भारत की संचित निधि से लिया जाता है।

संविधान का अनुच्छेद *266* निम्नलिखित प्रावधान करता है:

"*266.* भारत और भारत के समेकित कोष और सार्वजनिक खाते

राज्यों ने
(1) अनुच्छेद *267* के प्रावधानों और कुछ करों और शुल्कों की पूरी या शुद्ध आय के हिस्से को राज्यों को सौंपने के संबंध में इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन, सभी

भारत सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व, ट्रेजरी बिल, ऋण या तरीके *[2018]* जारी करके उस सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण *8* एस. सी. आर.

और इसका अर्थ है कि ऋणों के पुनर्भुगतान में उस सरकार द्वारा प्राप्त अग्रिम और सभी धन एक समेकित निधि का गठन करेंगे -

"भारत की संचित निधि" के हकदार, और किसी राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, उस सरकार द्वारा कोषागार बिल, ऋण या तरीके जारी करके उठाए गए सभी ऋण और
अर्थात् ऋणों के पुनर्भुगतान में उस सरकार द्वारा प्राप्त अग्रिम और सभी धन एक समेकित निधि होगी जिसका वह हकदार होगा।

"राज्य की समेकित निधि "।

(2) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन भारत के सार्वजनिक खाते या राज्य के सार्वजनिक खाते में जमा किए जाएंगे, जैसा भी मामला हो।
(3) भारत की संचित निधि या किसी राज्य की संचित निधि में से कोई भी धन कानून के अनुसार और उद्देश्यों और तरीके के अलावा विनियोजित नहीं किया जाएगा।

इस संविधान में प्रावधान किया गया है।

187. केंद्र सरकार अनुच्छेद *266* के तहत समेकित निधि की संरक्षक है। सरकारी प्रपत्र द्वारा प्राप्त सभी राजस्व

संचित निधि का हिस्सा। इसकी आय का कोई भी हिस्सा "कानून के अनुसार और उद्देश्य और तरीके के अलावा विनियोजित नहीं किया जा सकता है" जो संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। कोष के संरक्षक के रूप में, केंद्र सरकार ने, यह प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, आधार अधिनियम संसद के माध्यम से अधिनियमित किया गया था। अधिनियम में कहा गया है कि

आधार संख्या को छोड़कर किसी अन्य पहचान का उपयोग करने के व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिबंध, सब्सिडी, लाभ या सेवा का लाभ उठाने के उद्देश्य से जिसमें समेकित निधि से खर्च शामिल है। समेकित निधि से वित्त पोषित लाभों, सेवाओं और सब्सिडी के वितरण के लिए आधार संख्या को अनिवार्य बनाने का उद्देश्य उस व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करना है जिसे लाभ हस्तांतरित किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए था कि समेकित निधि द्वारा वित्त पोषित सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के तहत लाभ लक्षित लाभार्थियों के हाथों तक पहुंचे। केंद्र सरकार, जो अपनी कल्याणकारी योजनाओं में भारी मात्रा में धन खर्च करती है, इस तथ्य से अवगत थी कि जो धन लाभार्थियों के लिए था, उसे भूतों और नकलों के माध्यम से लूटा जा रहा था। नतीजतन, वास्तविक लाभार्थी अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* को बढ़ावा देने के एक साधन के रूप में अपनाए गए सामाजिक कल्याण उपायों पर फर्जी पहचानों के निर्माण द्वारा लाभों को घेरना गंभीर रूप से प्रभावित हुआ।

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

सामाजिक और आर्थिक विकास। इस बुराई से निपटने के लिए आधार परियोजना ने *2016* में एक वैधानिक चरित्र ग्रहण किया। कानून के प्रावधानों के माध्यम से, संसद का इरादा था कि आधार को दोहराए जाने का एक प्रभावी साधन बनना चाहिए। यह विधायी निकाय के दृष्टिकोण पर आधारित है कि बायोमेट्रिक्स का उपयोग नकली पहचान प्राप्त करना असंभव नहीं तो मुश्किल बना देगा। दूसरे शब्दों में, आधार को नकली कंपनियों और नकली पहचान की बुराई पर अंकुश लगाने के लिए विधायी नीति के रूप में अपनाया गया था। जहाँ राज्य सामाजिक कार्यों पर बड़ी राशि खर्च करता है।

कल्याणकारी परियोजनाओं में, यह सुनिश्चित करने में इसका वैध हित है कि यह जिन संसाधनों को तैनात करता है, वे उन लोगों के हाथों तक पहुँचें जिनके लिए वे हैं।

सार्वजनिक विश्वास। राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि संचित निधि में रखे गए उसके राजस्व को कानून के अनुसार विनियोजित किया जाए और बाहरी उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग न किया जाए। ये प्राकृतिक संसाधन आवंटन में इस न्यायालय के निर्णयों में सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया है, *2012* की विशेष

संदर्भ संख्या *3 1 2*, जनहित याचिका केंद्र बनाम भारत संघ *3 1 3 313*, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड बनाम भारत संघ *3 14*

धारा *7* का अधिदेश राज्य के वैध हित पर आधारित है। राज्य की यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण रुचि है कि सार्वजनिक राजस्व उचित रूप से उपलब्ध हो।

लेखांकित, कि संचित निधि का उपयोग कानून द्वारा अधिकृत उद्देश्यों के लिए किया जाता है; कि विकास के लिए धन वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँचता है और

सामाजिक-आर्थिक सीढ़ी के निचले पायदान पर खड़े लोगों के लिए दुर्लभ सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग किराए की मांग करने वाले व्यवहार द्वारा गलत तरीके से नहीं किया जाता है। एच आनुपातिकता

188. याचिकाकर्ताओं ने आधार परियोजना और आधार अधिनियम की संवैधानिक वैधता को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी है।

के अधिकार सहित नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन

गोपनीयता और गरिमा। बचाव में उत्तरदाताओं ने तर्क दिया है कि आधार पहचान का एक प्रवर्तक है और नागरिकों को भोजन और आजीविका के अधिकार जैसे जीवन के अधिकार के विभिन्न पहलुओं का एहसास करने के लिए सशक्त बनाता है।

189. विद्वान महान्यायवादी ने तर्क दिया है कि आधार संख्या का उपयोग और प्रमाणीकरण एक आवश्यक और आनुपातिक है वित्तीय लाभों और सेवाओं के लक्षित वितरण को सुनिश्चित करने और 'रिसाव' को रोकने के लिए उपाय। वह प्रस्तुत करता है कि आधार योजना संतुष्ट करती है

आनुपातिकता का परीक्षणः इसका उस लक्ष्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध है जिसे वह प्राप्त करना चाहता है, और चूंकि कल्याणकारी लाभ गरिमा के साथ जीने के अधिकार को बढ़ाते हैं, इसलिए बाद वाला निजता के अधिकार पर हावी होगा। विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राकेश द्विवेदी ने तर्क दिया है कि भारतीय न्यायशास्त्र में "कम से कम घुसपैठ परीक्षण" को स्वीकार नहीं किया जाता है। वह प्रस्तुत करता है कि भले ही परीक्षण को स्वीकार किया जाना था, यह निर्धारित करने की कवायद कि क्या कोई उपाय कम से कम घुसपैठ है, एक तकनीकी मुद्दा है जिसके लिए न्यायालय में आवश्यक विशेषज्ञता का अभाव है। उनका कहना है कि यह अभ्यास "अदालतों में उन वकीलों की सहायता से नहीं किया जा सकता है जिनके पास इस क्षेत्र में समान रूप से कोई विशेषज्ञता नहीं है" और "इस तरह के अभ्यास में अनुसंधान शामिल है, विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन और अदालतें इसका स्थान नहीं ले सकती हैं"। श्री गोपाल विद्वान वकील शंकरनारायणन प्रस्तुत करते हैं कि "इस समय" अपनाए गए साधन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक से अधिक नहीं हैं कि "स्वीकृत वस्तुओं" की सेवा की जाए, और वे व्यक्तिगत हितों *(*मौलिक अधिकारों*)* को सामाजिक हितों *(*निर्देशक सिद्धांतों*)* के साथ संतुलित करते हैं। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि तथ्य यह है कि विभिन्न सीमाएँ हैं जो यह

सुनिश्चित करती हैं कि गोपनीयता के उल्लंघन और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के बीच "कुछ संतुलन" प्राप्त किया जाए।

इस न्यायालय को अब आधार अधिनियम को आनुपातिकता के अधीन करके इन प्रतिस्पर्धी हितों को 'संतुलित' करने का नाजुक कार्य करना चाहिए।

परीक्षण।

एच. आई. परस्पर विरोधी अधिकारों का समन्वय *190.* अपने प्रसिद्ध कार्य के *2003* के संस्करण में, ग्रैनविल ऑस्टिन ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के शब्दों को याद किया कि स्वतंत्रता और न्याय के. एस. पुटसवामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम।

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

रोटी असंगत नहीं हैं, लेकिन आगे कहते हैं, 'न तो उन्हें आसानी से एक साथ खोजा जा सकता है'। *315* जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने अंतर्दृष्टिपूर्ण तरीके से इस बारे में बात की थी कि एकता, अखंडता, लोकतंत्र और सामाजिक क्रांति के संविधान के सूत्र किस तरह उनके साथ संघर्ष कर सकते हैं।

संविधान के साथ काम करने वालों के लिए एक और चुनौती पैदा कर रहा है। *316* उनके अनुसार संविधान में निहित कुछ प्रश्न हैं "लोकतंत्र किसके लिए*?* न्याय किसके लिए*?* क्या*?*

न्याय है*?* नागरिकों के बीच, उनके और उनकी सरकार के बीच संविधान के साधनों को लागू करने के उचित साधन क्या हैं*?" 3 1 7* यह संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता के कारण था कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न तो सामाजिक क्रांति की धारा और न ही लोकतंत्र की धारा को दूसरे की कीमत पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। *318* प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी के कार्यों में भी रोटी और स्वतंत्रता के बीच प्रत्यक्ष संघर्ष का पता लगाया गया है। *1984* में मानवाधिकारों पर एक मौलिक निबंध में, जिसे वे "संस्कृति और सभ्यता के लिए शास्त्रीय और समकालीन मानव विचार का महान उपहार" कहते हैं, उन्होंने *319* पर चर्चा की।

"पुराने के गर्भ से नए अधिकार उत्पन्न होते हैं" के रूप में नए क्षेत्रों और निर्वाचन क्षेत्रों में मानवाधिकारों के विचार और कार्रवाई का व्यापक क्षेत्र। *320* वह बुनियादी मानव आवश्यकताओं और मानवाधिकारों के बीच के अंतर पर ध्यान आकर्षित करते हैं और तर्क देते हैं कि इन दोनों ताकतों के बीच निरंतर संघर्ष मानव दृष्टिकोण होने के अधिकार और मानवाधिकार दृष्टिकोण के बीच के अंतर का सार है। *321* यह ठीक ही कहा गया है कि मानवाधिकारों पर चर्चा हमेशा विकास की व्यापक बहस का एक अंतर्निहित पहलू होगी। उनका मानना है कि "विकास" शब्द का जो भी अर्थ हो, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग मानव बने रहने के अधिकार से वंचित न रहें:

"इसका जो भी अर्थ हो, "विकास" का कम से कम यह अर्थ होना चाहिएः लोगों को इंसान बनने और बने रहने का अधिकार दिया जाएगा।
पूर्ण और निरंतर निर्धनता और निर्धनता उजागर होती है

लोगों को उनकी मानवता का नुकसान। मनुष्य को लेने वाले किसी भी समाज में नहीं

315 ग्रैनविल ऑस्टिन, एक लोकतांत्रिक संविधान पर काम कर रहे हैंः भारत का इतिहास

पेरियन्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस *(2003)*, पृष्ठ *652* पर

316 इबिद, पृष्ठ *651* पर *317* इबिद

318 319 उपेंद्र बख्शी, मानवाधिकार से लेकर मानव होने के अधिकार तकः सम हेरेसीज, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर क्वार्टरली, वॉल्यूम। *13* , नंबर *3/4, Pg.185, (*दिसंबर *1986) 320* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *185* पर

321 इबिद *[2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिकारों को गंभीरता से ऐसी स्थिति की अनुमति दी जानी चाहिए जहां मनुष्य मानव के अधीन हो जाते हैं-यानी जब उन्हें बलपूर्वक आत्मसमर्पण करना पड़ता है, यहां तक कि उन लोगों को भी जो मनुष्य के "अपरिहार्य" अधिकारों का मुखरता से पाठ करते हैं। अभिव्यक्ति "मानवाधिकार" एक का अनुमान लगाती है जिस स्तर पर जैविक संस्थाओं को मानव कहे जाने की गरिमा प्रदान की जाती है। मानवाधिकारों के धारकों को मानव होने और बने रहने का अंतर्निहित अधिकार होना चाहिए, जिससे उन्हें कुछ अधिकार मिल सकें।

उत्तरजीविता की योजना बनाने में पसंद की स्वायत्तता। *322*

इस प्रकार, मानवाधिकारों के व्यापक मैट्रिक्स में हमेशा 'मानव होने और बने रहने' का अपरिहार्य और मौलिक अधिकार शामिल है। प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी ने कहा कि मानवाधिकारों और 'मानव होने के अधिकार' के बीच यह व्यापक बहस रोटी बनाम स्वतंत्रता संघर्ष को दर्शाती है। यह ध्यान दिया जाता है कि ऐतिहासिक रूप से, स्वतंत्रता को रोटी पर चुना गया होगा क्योंकि इसमें उदार अधिकारों की विशाल गणना शामिल है, इस तीव्र जागरूकता के बावजूद कि रोटी के बिना, बोलने और इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, विवेक और धर्म का जुड़ाव, राजनीतिक भागीदारी, प्रतीकात्मक वयस्क मताधिकार सभी अर्थहीन हो सकते हैं। *323* साथ ही, बक्शी स्वतंत्रता की कीमत पर रोटी चुनने के खतरे की ओर इशारा करते हैं, यह देखते हुए कि ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्रता के अभाव में, मनुष्य सबसे घोर अपमान के अधीन रहे हैंः

" "रोटी" का प्रावधान किसी भी प्रकार की "स्वतंत्रता" के प्रावधान को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने को उचित ठहरा सकता है। इस तरह की स्वतंत्रता के अभाव में, यहां तक कि वादा की गई "रोटी" को भी जनता द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता है; वास्तव में, वे इस प्रक्रिया में, शासन प्रायोजित भुखमरी के अपमान पर विरोध करने की अपनी शक्ति भी खो देते हैं। यह,

वास्तव में, एक ऐसी संभावना है जो इससे अधिक बार साकार हुई है

नहीं। " *324*

बक्शी ने निष्कर्ष निकाला कि रोटी और स्वतंत्रता के बीच चयन एक गलत विरोधाभास है। चुनौती रोटी और स्वतंत्रता के बीच सार में एक विकल्प नहीं है, बल्कि दोनों का संतुलन हैः *325*

"लेकिन मुद्दे वास्तव में सार में "रोटी" और/या "स्वतंत्रता" नहीं हैं, बल्कि किसके पास प्रत्येक का कितना, कितने समय के लिए, दूसरों के लिए क्या कीमत है, और क्यों है। कुछ लोगों के पास "रोटी" और "स्वतंत्रता" दोनों होती हैं; दूसरों के पास "स्वतंत्रता" होती है लेकिन "रोटी" बहुत कम होती है या कोई नहीं।

324 इबिद, पृष्ठ *190* पर

325 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *186* पर जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

कुछ भी नहीं; फिर भी दूसरों के पास आधी रोटी है *(*जो निश्चित रूप से किसी से बेहतर नहीं है*!)* स्वतंत्रता के साथ या उसके बिना; और फिर भी दूसरों के पास एक अनिश्चित मिश्रण है जहाँ "रोटी" सुनिश्चित की जाती है यदि निश्चित *(*सभी नहीं*)* स्वतंत्रताएँ हैं

सौदा किया "। *9 326*

इन असंख्य बातों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा संतुलन प्राप्त करने और बनाए रखने की दिशा में काम करना राज्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है।

विचार करें। राज्य को हमेशा इस ज्ञान और कर्तव्य की भावना से निर्देशित होना चाहिए कि एक सच्चे लोकतंत्र में, नागरिकों को अधिकारों और जरूरतों के बीच चयन करने के लिए नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि वे दोनों के लिए समान रूप से हकदार हैं। न्याय के संरक्षक और मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में, यह इस न्यायालय की जिम्मेदारी है कि वह एक रोक के रूप में कार्य करे और यह सुनिश्चित करे कि सरकारी कार्रवाई या निष्क्रियता उस संतुलन को खतरे में नहीं डालती है जिसे संविधान प्राप्त करना चाहता है। यह याद रखना अनिवार्य है कि 'रोटी' और 'स्वतंत्रता' दोनों ही हमारे जीवन की गारंटी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

नागरिक मानवाधिकारों और स्वतंत्रताओं का सरगम जो मानव अस्तित्व को सार्थक बनाते हैं।

191. न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करते समय, अदालतों को अक्सर अधिकारों के बीच संघर्ष, दोनों के बीच तनाव से जुड़ी स्थितियों का सामना करना पड़ता है।

दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक ही अधिकार के दावे से उत्पन्न अधिकारों और कलह के दावे से उत्पन्न होने वाले व्यक्ति। अधिकारों के बीच संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब मौलिक मानवाधिकार का दावा किया जाता है

दूसरों द्वारा विशिष्ट स्वतंत्रताओं के प्रयोग पर किसी व्यक्ति के प्रभाव से। एक व्यक्ति की बोलने और व्यक्त करने की स्वतंत्रता दूसरे की गरिमा को प्रभावित कर सकती है। एक व्यक्ति तब व्यथित हो सकता है जब किसी व्यक्ति द्वारा बोलने के अधिकार का स्वतंत्र प्रयोग उसकी प्रतिष्ठा को बाधित करता है, जो अनुच्छेद *21* के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है। ऐसी स्थिति में, एक नागरिक द्वारा अनुच्छेद *19 (1) (*ए*)* के तहत दिए गए अधिकार और अनुच्छेद *21* के तहत गरिमा के अधिकार के संरक्षण का दावा करने वाले दूसरे के नुकसान की भावना के बीच संघर्ष उत्पन्न होगा। टकराव भी पैदा होते हैं।

जब अधिकारों के प्रयोग को सामूहिक रूप से प्रभावित माना जाता है

व्यक्तियों के दूसरे समूह की पहचान। संघर्ष तब उत्पन्न हो सकते हैं जब संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त स्वतंत्रता की खोज में किसी व्यक्ति की कोई गतिविधि या आचरण, उसी मानव अधिकार के तहत किसी अन्य व्यक्ति को दिए गए संरक्षण को बाधित करता है। ऐसी स्थिति में एक स्वतंत्रता से उत्पन्न होने वाला संघर्ष शामिल होता है जो उसी से संबंधित है।

संवैधानिक गारंटी। निजता अनुच्छेद *21* के तहत जीवन के अधिकार का दावा है। एक गरिमापूर्ण अस्तित्व का अधिकार भी संरक्षित है *326* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *186* सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर

एक ही लेख। अनुच्छेद *21* के भीतर एक संघर्ष में ऐसी स्थिति शामिल हो सकती है जब दो स्वतंत्रताओं को राजनीतिक अधिकारों के रूप में दावा किया जाता है। एक संघर्ष एक ऐसी स्थिति की भी परिकल्पना कर सकता है जहां जीवन के अधिकार की छत्रछाया में एक राजनीतिक अधिकार का दावा एक आर्थिक अधिकार के दावे के साथ संघर्ष में खड़ा है जिसे जीवन के संरक्षण द्वारा भी समझा जाता है। संविधान।

इस तरह के संघर्षों के लिए अदालत को न्यायिक प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता होती है

बलिदान और पूर्वगामी अधिकार। उन निर्णयों को लेने में, एक निश्चित स्तर का मूल्य निर्णय अपरिहार्य है। न्यायालय जो संतुलन बनाता है, वह न्यायिक निर्णय लेने में परस्पर विरोधी अधिकारों के सापेक्ष महत्व पर अपने मूल्य निर्णय के संबंध में आलोचना के लिए खुला हो सकता है। उन ठीक शेष राशि को बनाने में, अदालत एक उद्देश्य का पीछा कर सकती है उन मूल्यों पर भरोसा करके निर्माण जो संविधान में रखे गए हैं

एक न्यायपूर्ण समाज के लिए इसके प्रयास के हिस्से के रूप में। हमारे संविधान ने भाग *III* में राजनीतिक स्वतंत्रता के महत्व को मान्यता दी है। भाग *IV* में, संविधान ने भेदभाव और पूर्वाग्रह के हमारे सामाजिक इतिहास को मान्यता दी है जो गरीबी, अभाव और समाज के प्रमुख वर्गों के लिए एक सम्मानजनक अस्तित्व के अभाव का कारण बने हैं। भाग *III* को भाग *IV* के साथ संतुलित रखना सामाजिक और आर्थिक न्याय के दृष्टिकोण का अभिन्न अंग है जिसे संविधान ने राजनीतिक लोकतंत्र के अनुरूप प्राप्त करने का प्रयास किया है। यह क्षेत्र जितना कठिन है, अधिकारों का संतुलन अपरिहार्य है, जब व्यक्तियों द्वारा प्रतिपादित अधिकार संघर्ष में होते हैं।

192. पिछले दो दशकों में इस न्यायालय के कई फैसलों ने मौलिक अधिकारों के बीच टकराव को रोकने का प्रयास किया है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज *(*पी. यू. सी. एल.*)* बनाम भारत संघ *3 27*

इस न्यायालय से मतदाताओं की जानकारी के अधिकार *(*चुनाव में उम्मीदवारों और उनके जीवनसाथी की संपत्ति के प्रकटीकरण की आवश्यकता*)* को अनुच्छेद *21* में निहित गोपनीयता के अधिकार के साथ संतुलित करने के लिए कहा गया था। संतुलन बनाते हुए, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने नागरिकों को उन लोगों के मामलों के बारे में सूचित करने के अधिकार को प्राथमिकता दी जो चुनावी लोकतंत्र में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। जैसा कि अदालत ने कहाः

" 121 ..... चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अपने जीवनसाथी की संपत्ति और देनदारियों का खुलासा करने के लिए बुलाकर,

327 (2003) 4 एस. सी. सी. *399* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

इस प्रकार मतदाता/नागरिक की जानकारी को बढ़ावा दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार के बीच प्रतिस्पर्धा होती है और

नागरिकों के सूचना के अधिकार, पूर्व अधिकार को बाद के अधिकार के अधीन किया जाना चाहिए क्योंकि यह व्यापक जनता की सेवा करता है।
ब्याज। उस उम्मीदवार के बारे में जानने का अधिकार जो एक सार्वजनिक व्यक्ति और लोगों का प्रतिनिधि बनने का इरादा रखता है, प्रभावी और वास्तविक नहीं होगा यदि केवल संपत्ति और देनदारियों की संक्षिप्त जानकारी दी जाए। *328*

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम *1951* में केवल अध्यक्ष या सदन के सभापति को संपत्ति और देनदारियों के प्रकटीकरण के लिए निहित प्रावधान नागरिक के सूचना के अधिकार की पर्याप्त रूप से रक्षा नहीं करता है, जिसके परिणामस्वरूप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी का उल्लंघन होता है।

193. थलाप्पलम सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम

केरल राज्य *3 2 9,* इस न्यायालय ने अधिकार के बीच संघर्ष पर विचार किया जानकारी *[(*अनुच्छेद *19 (1) (*ए*)* द्वारा संरक्षित*]* और गोपनीयता का अधिकार *(*अनुच्छेद *21* द्वारा संरक्षित*)*। न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 61. इसलिए सूचना का अधिकार और निजता का अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं हैं, दोनों अधिकार, जिनमें से एक भारत के संविधान के अनुच्छेद *19 (1) (*ए*)* के तहत आता है और दूसरा भारत के संविधान के अनुच्छेद *21* के तहत आता है, स्पष्ट रूप से व्यापक सार्वजनिक हित में विनियमित, प्रतिबंधित और कम किया जा सकता है। पूर्ण या अनियंत्रित व्यक्तिगत अधिकार किसी भी आधुनिक राज्य में मौजूद नहीं हैं और न ही हो सकते हैं। नागरिकों के सूचना प्राप्त करने के अधिकार को आर. टी. आई. अधिनियम द्वारा वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है, लेकिन साथ ही अधिनियम में ही सीमाएं भी प्रदान की गई हैं, जो प्रस्तावना और संविधान के अन्य प्रावधानों से स्पष्ट है।

अधिनियम "। *330*

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सूचना का अधिकार और निजता के अधिकार के बीच संतुलन सूचना का अधिकार अधिनियम *2005* के तहत तैयार किया गया हैः यदि माँगी गई जानकारी व्यक्तिगत है और इसका किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, तो कोई सार्वजनिक प्राधिकरण ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। यदि मांगी गई जानकारी दी जानी है। व्यापक लोक हित में उपलब्ध, कारणों को दर्ज करना होगा क्योंकि जिस व्यक्ति से जानकारी मांगी गई है, उसे गोपनीयता का अधिकार है

329 (2013) 16 एससीसी *82* *330* उदाहरण के लिए, पृष्ठ *112 [2018] 8* एस. सी. आर. पर।

अनुच्छेद *21* द्वारा गारंटीकृत। थलाप्पलम ने दो मौलिक अधिकारों, अनुच्छेद *19 (1) (ए)* द्वारा संरक्षित सूचना के अधिकार और अनुच्छेद *21* द्वारा संरक्षित गोपनीयता के अधिकार के बीच उत्पन्न होने वाले संघर्ष को माना। *194.* हाल ही में, जी सुंदरराजन बनाम भारत संघ *3 3 1 331* में, दो न्यायाधीशों की पीठ ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना को इस आधार पर चुनौती दी कि यह अनुच्छेद *21* द्वारा गारंटीकृत जीवन के अधिकार का उल्लंघन करेगा। यह देखते हुए कि पर्यावरण की सुरक्षा सहित कई अधिकारों के दावे के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है, न्यायालय ने कहा कि व्यापक सार्वजनिक हित सर्वोपरि होना चाहिएः

" 198. हमें इस मुद्दे को हल करना होगा कि क्या एन. पी. पी. की स्थापना से गारंटीकृत जीवन के अधिकार का उल्लंघन होगा।
अनुच्छेद *21* के तहत कुडनकुलम और उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों के लिए या एन. पी. पी. की स्थापना करके, यह व्यापक अर्थों में जीवन के अधिकार को बनाए रखेगा। लाभ को संतुलित करते हुए

के. के. एन. पी. पी. इकाइयों *1* से *6* की स्थापना, जीवन और संपत्ति के अधिकार और समुद्री जीवन सहित पर्यावरण की सुरक्षा के साथ, हमें संतुलन बनाना होगा, क्योंकि परमाणु ऊर्जा का उत्पादन हमारे देश के आर्थिक विकास, गरीबी को कम करने, रोजगार पैदा करने आदि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस तरह की परियोजना की स्थापना करते समय, हमें जीवन के अधिकार के छोटे उल्लंघन के बजाय व्यापक जनहित के बारे में समग्र दृष्टिकोण रखना होगा

संविधान के अनुच्छेद *21* के तहत गारंटी "। *9 332*

सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ *3 33* में, विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए संतुलन की भावना की आवश्यकता पर जोर दिया जब दो नागरिकों द्वारा मौलिक अधिकारों का दावा संघर्ष में हैः

" 137 ..... एक व्यक्ति के एक मौलिक अधिकार का दूसरों द्वारा दूसरे मौलिक अधिकार के प्रयोग के साथ सामंजस्य में सह-अस्तित्व होना चाहिए और समग्र रूप से सामाजिक कल्याण के हित में निर्देशक सिद्धांतों के आलोक में राज्य द्वारा शक्ति के उचित और वैध प्रयोग के साथ भी। न्यायालय का कर्तव्य विभिन्न हितों के प्रतिस्पर्धी दावों के बीच संतुलन बनाना है। *334*

यह देखते हुए कि "मौलिक अधिकारों का संतुलन एक संवैधानिक आवश्यकता है", न्यायालय ने एक आंतरिक अधिकार के रूप में प्रतिष्ठा को सुसंगत बनाने का प्रयास किया है।

इबिद, पृष्ठ *714* पर *(2016) 7* एससीसी *221*

334 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *319* पर जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

अनुच्छेद *19 (2)* के तहत प्रतिबंध के रूप में आपराधिक मानहानि के साथ अनुच्छेद *21* के तहत जीवन के अधिकार का तत्व।

195. आशा रंजन बनाम चंद्रकेश्वर प्रसाद *335* में, इस न्यायालय ने अनुच्छेद *21* के भीतर दो व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के बीच संघर्ष से जुड़े मामले पर विचार किया। एक तरफ अपराध के आरोपी व्यक्ति की ओर से जीवन के अधिकार का दावा किया गया था, जिसने निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का दावा किया था, और पीड़ित के हितों की सुरक्षा जो अनुच्छेद *21* के तहत उसी मौलिक अधिकार से भी संबंधित थी। संघर्ष को हल करने में, न्यायालय ने "सर्वोपरि सामूहिक हितों" को संरक्षित करने की आवश्यकता को व्यक्त कियाः

विचार करें। यह याद रखना होगा कि कोई भी मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है और कुछ परिस्थितियों में इसकी सीमाएँ हो सकती हैं। इस प्रकार, राज्य द्वारा अनुमेय सीमाएँ लगाई जाती हैं। उक्त सीमाएँ कानून की सीमा के भीतर होनी चाहिए। हालाँकि, जब एक ही अनुच्छेद के तहत प्रदत्त अधिकार का अंतर-टकराव होता है, जैसे कि इस मामले में निष्पक्ष परीक्षण, वह परीक्षण जिसे लागू करने की आवश्यकता होती है, हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि यह "सर्वोपरि सामूहिक हित" या "न्याय में जनता के विश्वास को बनाए रखना" होगा।

वितरण प्रणाली "। *336*

196. ये निर्णय इंगित करते हैं कि विभिन्न मौलिक अधिकारों और संघर्षों के दावे से उत्पन्न होने वाले संघर्षों को हल करने की प्रक्रिया

समान मौलिक अधिकार के भीतर, आवश्यक रूप से न्यायिक संतुलन शामिल है। न्यायसंगत संतुलन खोजने में इस न्यायालय ने ऐसे मानदंड लागू किए हैं जैसे -

'सर्वोपरि लोक हित '। राजनीतिक स्वतंत्रताओं और आर्थिक स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में, न्यायालय को

335 (2017) 4 एस. सी. सी. *397* *336* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *433* सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर

[2018] 8 एस सी आर।

मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य। उनके सह-अस्तित्व पर ही संविधान की इमारत की स्थापना हुई है। दोनों में से कोई भी दूसरे के बिना नहीं रह सकता है। लोकतंत्र राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना आर्थिक अधिकारों को मान्यता देने के अधिनायकवादी विकल्प को अस्वीकार करता है। स्वतंत्रता और कानून के शासन पर आधारित संवैधानिक गारंटी के कारण आर्थिक अधिकार न्यायसंगत हो गए हैं। संविधान लोकतांत्रिक शासन पर आधारित है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा पर आधारित है। स्वतंत्रता दोनों बुनियादी राजनीतिक स्वतंत्रताओं को समझती है।

हमारे समाज के बड़े हिस्से को भेदभाव और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा। जहाँ प्रश्न निजता के अधिकार को सीमित करने से संबंधित है, वहाँ पुट्टास्वामी को आनुपातिकता के परीक्षण की आवश्यकता है। इसलिए, यह परीक्षण किया जाना चाहिए कि क्या आधार योजना आनुपातिकता की कसौटी को पूरा करती है।

197. आनुपातिकता की परीक्षा, जो कानून के सामान्य सिद्धांतों के एक अलिखित समूह के रूप में शुरू हुई थी, आज उन विवादों को हल करने के लिए प्रमुख "सर्वोत्तम अभ्यास" न्यायिक मानक का गठन करती है जिनमें या तो संघर्ष शामिल है।

यूरोपीय महाद्वीप के साथ-साथ यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका और इज़राइल सहित सामान्य कानून क्षेत्राधिकारों में। *338* आनुपातिकता "एक अन्तरराष्ट्रीय अधिकारों का परिभाषित सैद्धांतिक मूल है-आधारित संविधानवाद "*339*। इसे एक मौलिक संवैधानिक सिद्धांत, *340* की श्रेणी में उठाया गया है और यह अधिकार की संस्कृति से औचित्य की संस्कृति में वैश्विक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। *341* सर्विन का तर्क है कि गोपनीयता पर न्यायशास्त्र "अकेले रहने के अधिकार" से विकसित हुआ है, जो अब आनुपातिकता के सिद्धांत के इर्द-गिर्द केंद्रित है। *342*

संवैधानिकता, कोलंबिया जर्नल ऑफ ट्रांसनेशनल लॉ, वॉल्यूम। *47 (2008) 339* जूड मैथ्यूज और एलेक स्टोन स्वीट, सभी चीजें अनुपात में*?* अमेरिकन राइट्स रिव्यू एंड द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंसिंग, एमोरी लॉ जर्नल, वॉल्यूम। *60 (2011) 340* आई. बी. डी. *341* मोशे कोहेन-एलिया और इड्डो पोराट, आनुपातिकता और औचित्य की संस्कृति, अमेरिकन जर्नल ऑफ कम्पेरेटिव लॉ वॉल्यूम। *59 (2011) (* में उद्धृत*);* एटियेन मुरेनिक, ए ब्रिज टू व्हेयर*?* अधिकारों का अंतरिम विधेयक प्रस्तुत करना,

साउथ अफ्रीकन जर्नल ऑन ह्यूमन राइट्स, वॉल्यूम। *10 (1994)*

342 एंड्रयू बी. सेरविन, गोपनीयता *3*-आनुपातिकता का सिद्धांत, विश्वविद्यालय

मिशिगन जर्नल ऑफ लॉ रिफॉर्म, वॉल्यूम। *42 (2009)*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

198. आनुपातिकता की परीक्षा के लिए आधार योजना को प्रस्तुत करने का मतलब यह नहीं है कि न्यायालय दूसरे स्थान पर है-आधार योजना के विवेक का अनुमान लगाना।

विधायिका। राज्य की कार्रवाई को न्यायिक जांच के अधीन किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह संवैधानिक रूप से पारित हो। आनुपातिकता परीक्षण यह निर्धारित करता है कि किसी अधिकार के प्रयोग में राज्य के हस्तक्षेप की प्रकृति और सीमा *(*इस मामले में, गोपनीयता, गरिमा, विकल्प और बुनियादी अधिकारों तक पहुंच के अधिकार*)* उस लक्ष्य के अनुपात में होनी चाहिए जिसे वह प्राप्त करना चाहता है *(*इस मामले में, कल्याणकारी रिसाव को कथित रूप से रोकना और बेहतर लक्ष्य*)*।

संवैधानिक व्याख्या के ढांचे के भीतर, आनुपातिकता

यह निर्धारित करने के लिए एक परीक्षण के रूप में कार्य करता है कि विधायी हस्तक्षेप के सामने मौलिक अधिकारों को किस हद तक सीमित किया जा सकता है जो सामाजिक और सार्वजनिक हित के उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है। इज़राइल के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अहरोन बराक ने आनुपातिकता परीक्षण के महत्व को इस प्रकार वर्णित किया है: *343*

" आनुपातिकता परीक्षण की परीक्षा *(*संकीर्ण अर्थ में*)*

हमें पहले सिद्धांतों पर वापस लाता है जो हमारी नींव हैं
संवैधानिक लोकतंत्र और मानवाधिकार। हमारे लोकतंत्र की विशेषता यह है कि यह मानवाधिकारों का उल्लंघन करने की क्षमता पर सीमाएं लगाता है*;* कि यह इस मान्यता पर आधारित है कि

व्यक्ति के चारों ओर उसके अधिकार की रक्षा करने वाली एक दीवार है, जो

इसे बहुमत से भी तोड़ा नहीं जा सकता है।

आनुपातिकता परीक्षण को लागू करने में, न्यायालय यांत्रिक रूप से राज्य के दावों को स्थगित नहीं कर सकता है। विशेष रूप से आधार योजना की घुसपैठ की प्रकृति को देखते हुए, विधायिका के प्रति इस तरह का सम्मान अनुचित है। राज्य को यह प्रदर्शित करके अपने बोझ का निर्वहन करना चाहिए कि अधिकारों का उल्लंघन करने वाले उपाय आवश्यक थे और प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य के अनुपात में थे।

एच. *2* भारतीय न्यायशास्त्र में आनुपातिकता मानक

199. भारत में आनुपातिकता का सिद्धांत लंबा है।

न्यायशास्त्रीय इतिहास जिसका इस न्यायालय के *344* वें निर्णय में उल्लेख किया गया है:

" 1950 से हमारे संविधान के भाग *III* में मौलिक अधिकारों पर एक अध्याय के कारण, भारतीय न्यायालयों को नुकसान नहीं हुआ

343 अदालाह वी। गृह मंत्री, एचसीजे *7052/03,* अंग्रेजी अनुवाद यहाँ उपलब्ध है

एचटीटीपीः //एलियन। अदालत। गव. *il/*फ़ाइलें _ *ng/03/520/070 a 47/03070520*। ए *47*। पीडीएफ

344 ओम कुमार बनाम भारत संघ, *(2001) 2* एस. सी. सी. *386 [2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आनुपातिकता के सिद्धांत पर असंवैधानिक विधान घोषित करने या उनके अनुरूप तरीके से पढ़ने के लिए अंग्रेजी न्यायालयों द्वारा अनुभव की गई अक्षमता के समान अक्षमता से

अधिकारों का चार्टर। *1950* से, का सिद्धांत

' 'आनुपातिकता' को वास्तव में जोरदार तरीके से लागू किया गया है

भारत में विधायी *(*और प्रशासनिक कार्रवाई*)*। भारत के संविधान के अनुच्छेद *19 (1)* में उल्लिखित मौलिक स्वतंत्रताओं का उल्लंघन करने वाले कानून की वैधता से निपटने के दौरान, इस अदालत के पास इस बात पर विचार करने का अवसर था कि क्या कानून द्वारा लगाए गए प्रतिबंध स्थिति के लिए असमान थे और विकल्पों के लिए कम से कम प्रतिबंधात्मक नहीं थे। *(* जोर दिया गया*)*

हो सकता है कि इस न्यायालय के शुरुआती फैसलों में "आनुपातिकता" अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया गया हो। लेकिन जिस तरह से अदालत ने समझाया कि अधिकारों पर अनुमेय प्रतिबंध क्या होगा, वह बीज या आनुपातिकता मानक के मूल को इंगित करता है। *1950* के दशक से आनुपातिकता तर्कसंगतता का मूल रहा है। चिंतामन राव बनाम मध्य प्रदेश राज्य *3 45* एक राज्य कानून से संबंधित है जो सरकार को कुछ क्षेत्रों में लोगों को बीड़ी बनाने से प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है।

इस कानून का उद्देश्य उन क्षेत्रों में कृषि उद्देश्यों के लिए पर्याप्त श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करना था जहां बीड़ी उत्पादन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था।

नियोजित किए जाने की संभावना वाले व्यक्तियों के लिए रोजगार का वैकल्पिक स्रोत

कृषि श्रम। न्यायालय ने कहा कि राज्य को उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी मजदूरों को पूरे वर्ष बीड़ी निर्माण में संलग्न होने से प्रतिबंधित करने की आवश्यकता नहीं है। एक संविधान पीठ की ओर से न्यायमूर्ति महाजन ने कहाः

*"6.*वाक्यांश "उचित प्रतिबंध" का अर्थ है कि अधिकार का आनंद लेने वाले व्यक्ति पर लगाई गई सीमा मनमाना या अत्यधिक प्रकृति की नहीं होनी चाहिए, जो जनता के हित में आवश्यक है। "उचित" शब्द का अर्थ है बुद्धिमान देखभाल और विचार-विमर्श, अर्थात, एक व्यक्ति का चयन।
निश्चित रूप से कौन सा कारण निर्धारित करता है। ऐसा विधान जो मनमाने ढंग से या अत्यधिक रूप से अधिकार पर आक्रमण करता है, उसे तर्कसंगतता की गुणवत्ता को समाहित करने वाला नहीं कहा जा सकता है और जब तक कि यह उचित नहीं है।

अनुच्छेद *19 (1) (छ)* में गारंटीकृत स्वतंत्रता और अनुच्छेद *19* के खंड *(6)* द्वारा अनुमत सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन को उस गुण में अभाव माना जाना चाहिए। *(* जोर दिया गया*)*

345 1950 एस. सी. आर. *759* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

200. मद्रास राज्य बनाम वी. जी. रो *346* ने विचार किया कि क्या किसी संगठन को गैरकानूनी घोषित करने में तमिलनाडु सरकार की कार्रवाई ने संविधान के अनुच्छेद *19 (1) (*सी*)* का उल्लंघन किया है। मुख्य न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री ने संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए कहा कि क्या हुआ है

हमारे कानून में आनुपातिकता के सिद्धांत के एक उत्कृष्ट कथन के रूप में माना जाता हैः

"15 ..... तर्कसंगतता का परीक्षण, जहाँ भी निर्धारित किया जाए, प्रत्येक व्यक्तिगत क़ानून पर लागू किया जाना चाहिए, और कोई अमूर्त मानक या तर्कसंगतता का सामान्य पैटर्न निर्धारित नहीं किया जा सकता है। जैसा कि
सभी मामलों में लागू होता है। कथित रूप से उल्लंघन किए गए अधिकार की प्रकृति, लगाए गए प्रतिबंधों का अंतर्निहित उद्देश्य, बुराई की सीमा और तात्कालिकता को दूर करने की मांग, अधिरोपण का अनुपात, प्रचलित शर्तें

उस समय, सभी को न्यायिक निर्णय में प्रवेश करना चाहिए।

आपूर्ति की गई*)*

बिहार राज्य बनाम कमलाकांत मिश्रा *3 47* वाले मामले में संविधान पीठ के फैसले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *144* की उप-धारा *(6)* के दूसरे भाग को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि -

संविधान के अनुच्छेद *19* के खंड *(1)* के उपखंड *(*बी*), (*सी*)* और *(*डी*)* का उल्लंघन किया गया। न्यायमूर्ति के. एस. हेगड़े ने बहुमत के लिए बोलते हुए कहाः

*"15.*यह पता लगाने के लिए कि क्या प्रतिबंध उचित है, महत्वपूर्ण परीक्षणों में से एक यह देखना है कि क्या प्रतिबंध अधिक है।

आवश्यकता का या क्या यह मनमाने ढंग से लगाया गया है

तरीका "। *348 (* जोर दिया गया*)*

201. मोहम्मद फारूक बनाम मध्य प्रदेश राज्य *3 4 9 349* में। इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि

अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति के अधिकार को सीमित करने वाले उपाय की आनुपातिकता *19 (1) (* छ*)* संविधान के जिन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, उनमें यह शामिल होगा कि क्या कम कठोर प्रतिबंध से

उद्देश्य। जैसा कि अदालत ने कहाः

"10 ..... न्यायालय को किसी व्यवसाय या पेशे को चलाने पर प्रतिबंध लगाने वाले विवादित कानून की वैधता पर विचार करते हुए, इससे प्रभावित नागरिकों के मौलिक अधिकारों और व्यापक सार्वजनिक हित पर इसके प्रत्यक्ष और तत्काल प्रभाव का मूल्यांकन करने का प्रयास करना चाहिए।

346 1952 एससीआर *597*

347 (1969) 3 एस. सी. सी. *337*

348 इबिद, पृष्ठ *345* पर *349 (1969) 1* एससीसी *853 [2018] 8* एस. सी. आर.

इच्छित वस्तु के प्रकाश में सुनिश्चित करने की मांग की गई

हासिल किया गया, नागरिक की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता, *[.],*

कम लागू करके उद्देश्य को प्राप्त करने की संभावना

कठोर संयम, *[.]* या कि कम कठोर प्रतिबंध
यह सुनिश्चित कर सकता है कि जिस उद्देश्य को प्राप्त करने का इरादा है।

99350

(जोर दिया गया*)*

विशंभर दयाल चंद्र मोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य *3 51* में,

" "उचित प्रतिबंध" का अर्थ यह माना गया था कि किसी अधिकार के उपभोग पर लगाई गई सीमा मनमाना या अत्यधिक प्रकृति की नहीं होनी चाहिए, जो जनता के हित में आवश्यक है।

202. ओम कुमार बनाम भारत संघ *352* में निर्णय संबंधित है।

विभागीय अनुशासन में लगाए गए दंड की मात्रा कार्यवाही। न्यायमूर्ति एम. जगन्नाथ राव ने दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए आनुपातिकता को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया:

"28. 'आनुपातिकता' से हमारा मतलब इस सवाल से है कि क्या, जबकि

मौलिक अधिकारों के प्रयोग को विनियमित करना, उपयुक्त या न्यूनतम

विधायिका या प्रशासक ताकि के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए
कानून या प्रशासनिक आदेश का उद्देश्य, जैसा भी मामला हो

हो सकता है। सिद्धांत के तहत, न्यायालय देखेगा कि विधायिका
और प्रशासनिक प्राधिकरण उचित संतुलन बनाए रखता है।

प्रतिकूल प्रभावों के बीच जो कानून या

उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो उनका इरादा था
सेवा करने के लिए। विधायिका और प्रशासनिक प्राधिकरण हैं

हालाँकि विवेक के एक क्षेत्र या विकल्पों की एक श्रृंखला को देखते हुए लेकिन

कि क्या किया गया विकल्प अधिकारों का उल्लंघन करता है

अत्यधिक या नहीं, यह न्यायालय के लिए है। इसका मतलब यह है कि

आनुपातिकता "। *353*

(जोर दिया गया*)*

टेरी ओट एस्टेट बनाम यू. टी., चंडीगढ़ *354* में, इस न्यायालय ने आनुपातिकता की एक समान व्याख्या को अपनाया।

203. आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र बनाम राज्य

351 (1982) 1 एससीसी *39* *352 (2001) 2* एस. सी. सी. *386*

353 इबिद, पृष्ठ *399* पर

354 (2004) 2 एससीसी *130*

355 (2016) 7 एस. सी. सी. *353* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

मध्य प्रदेश निजी व्यवसायिक दीक्षा संस्था *(*प्रवेश का विनियम अवाम शुल्क का निर्माण*)* के अधिकारों के लिए एक चुनौतीहिनियम, *2007* ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद *19 (6)* के पाठ में लागू करने के लिए आनुपातिकता सही परीक्षा है। अदालत की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी ने कहाः

"60 ..... इस प्रकार, इस बात की जांच करते हुए कि क्या क़ानून और नियमों के विवादित प्रावधान उचित प्रतिबंधों के बराबर हैं और आम जनता के हित में लाए गए हैं, जो अभ्यास किया जाना आवश्यक है वह एक ओर व्यवसाय करने के मौलिक अधिकार और लगाए गए प्रतिबंधों का संतुलन है।

आनुपातिकता '। न्यायशास्त्रीय रूप से, 'आनुपातिकता' हो सकती है
आवश्यक और निर्धारित करने वाले नियमों के समूह के रूप में परिभाषित

संवैधानिक रूप से सीमित करने के लिए पर्याप्त शर्तें संवैधानिक रूप से
एक कानून द्वारा संरक्षित अधिकार

अनुमेय. *99356 (*जोर दिया गया*)*

आनुपातिकता के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए, न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी

आनुपातिकता पर अहरोन बराक की मौलिक पुस्तक *357* में त्रुटिः

"60 ..... संवैधानिक अधिकार की सीमा संवैधानिक रूप से अनुमत होगी यदिः *((i)* यह एक उचित उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट किया गया है*; (ii)* ऐसी सीमा को प्रभावी बनाने के लिए किए गए उपाय तर्कसंगत रूप से उस उद्देश्य की पूर्ति से जुड़े हैं*; (iii)* उपाय

यह आवश्यक है कि ऐसे कोई वैकल्पिक उपाय नहीं हैं जो समान रूप से उसी उद्देश्य को कम सीमा के साथ प्राप्त कर सकें*;* और अंत में *(iv)* दोनों के बीच एक उचित संबंध *('*आनुपातिकता स्ट्रिक्टो सेंसु' या *'*संतुलन'*)* होना चाहिए।

उचित उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने का महत्व

संवैधानिक पर सीमा को रोकने का महत्व

सही "। *9 3 5*

टाइस सीकरी ने माना कि संवैधानिक अधिकारों को सीमित करने वाले कानूनों को संतुष्ट करना चाहिए

आनुपातिकता टीः

"63 ..... प्रतिबंध लगाने वाले कानून को आनुपातिक माना जाएगा यदि यह एक उचित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए है, और यदि इस तरह के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किए गए उपाय तर्कसंगत रूप से संबंधित हैं

उद्देश्य, और ऐसे उपाय आवश्यक हैं। *359*

इबिद, पृष्ठ *412* पर उदाहरण के लिए, पृष्ठ *414 [2018] 8* एस. सी. आर. पर।

64. इसलिए जो अभ्यास किया जाना है, वह यह पता लगाने के लिए है कि क्या संवैधानिक अधिकारों की सीमा एक
ऐसा उद्देश्य जो एक लोकतांत्रिक समाज में उचित और आवश्यक हो और इस तरह की कवायद में प्रतिस्पर्धी मूल्यों का वजन बढ़ाना और अंततः आनुपातिकता यानी विभिन्न हितों के संतुलन पर आधारित मूल्यांकन शामिल है। *9 360 (*जोर दिया गया*)*

204. के. एस. पी. कुट्टास्वामी बनाम भारत संघ *361* में, हम में से एक

(जे. चंद्रचूड़*)* ने चार न्यायाधीशों की ओर से बोलते हुए उन परीक्षणों को निर्धारित किया जिन्हें निजता के उल्लंघन को उचित ठहराने के लिए हमारे संविधान के तहत संतुष्ट करने की आवश्यकता होगी। इसमें आनुपातिकता का परीक्षण शामिल थाः

"325 ..... एक ऐसा कानून जो निजता का अतिक्रमण करता है, उसे करना होगा

पर अनुमेय प्रतिबंधों के टचस्टोन का सामना करना

मौलिक अधिकार। अनुच्छेद *21* के संदर्भ में निजता पर आक्रमण को एक ऐसे कानून के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए जो एक ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करता है जो निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित हो। कानून को जीवन और व्यक्तिगत अतिक्रमण के संदर्भ में भी वैध होना चाहिए।
अनुच्छेद *21* के तहत स्वतंत्रता। जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आक्रमण को तीन गुना आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए *(i)* वैधता, जो कानून के अस्तित्व को स्वीकार करती है*; (ii)* आवश्यकता, जिसे एक वैध राज्य उद्देश्य के संदर्भ में परिभाषित किया गया है*;* और *(iii)* आनुपातिकता जो उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनाए गए साधनों के बीच एक तर्कसंगत संबंध सुनिश्चित करती है। *9 362*

तीसरा सिद्धांत *(*उपरोक्त*)* वस्तुओं और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनाए गए साधनों के बीच एक तर्कसंगत संबंध सुनिश्चित करने के लिए आनुपातिकता की परीक्षा को अपनाता है। आनुपातिकता परीक्षण की आवश्यक भूमिका अदालत को यह निर्धारित करने में सक्षम बनाना है कि क्या कोई विधायी उपाय मौलिक अधिकार के साथ इसके हस्तक्षेप में असमान है। इसका निर्धारण करने में, न्यायालय को इस बात का ध्यान रखना होगा कि क्या कानून के उद्देश्य के अनुरूप कम हस्तक्षेपकारी उपाय अपनाया जा सकता था और क्या किसी मौलिक अधिकार पर अतिक्रमण का प्रभाव उस लाभ के लिए अनुपातहीन है जो होने की संभावना है। आनुपातिकता मानक को कानून के प्रक्रियात्मक और मूल पहलुओं द्वारा पूरा किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने अपनी सहमति में निम्नलिखित *3 63* के रूप में एक चार-आयामी परीक्षण का सुझाव दिया।

360 इबिद, पृष्ठ *415* पर

361 (2017) 10 एससीसी *1*

362 इबिद, पृष्ठ *509* पर

363 आई. बी. आई. डी., पैरा *638* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

" ((i) कार्रवाई को कानून द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
((ii) लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रस्तावित कार्रवाई आवश्यक होनी चाहिए।

एक वैध उद्देश्य के लिए समाज*;*

((iii) इस तरह के हस्तक्षेप की सीमा आनुपातिक होनी चाहिए -

इस तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता*;*
(iv) इस तरह के दुरुपयोग के खिलाफ प्रक्रियात्मक गारंटी होनी चाहिए।

हस्तक्षेप "।

'आनुपातिकता का परीक्षण' एक न्यायिक रूप से स्थापित सिद्धांत है जिसने देश में मौलिक अधिकारों के न्यायशास्त्र को सशक्त किया है। द.

अधिकार-आधारित निर्णय में आनुपातिकता मानक का अनुप्रयोग विभिन्न क्षेत्राधिकारों में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है। एच. *3* तुलनात्मक न्यायशास्त्र

205. चूंकि आधार योजना द्वारा उठाई गई कुछ चिंताएं भारत में पहली बार उत्पन्न हुई हैं, इसलिए उन विदेशी क्षेत्राधिकारों के निर्णयों पर चर्चा करना उचित होगा जिन्होंने आधार योजना की जांच की है।

उपायों की आनुपातिकता उनमें से कई निर्धारित उपायों के समान हैं

आधार अधिनियम के तहत।

206. प्रिवी काउंसिल ने मानदंडों को तैयार किया

एलोय डी फ्रीटास बनाम मंत्रालय के स्थायी सचिव में आनुपातिकता कृषि, मत्स्य पालन, भूमि और आवास, *364* तीन गुना परीक्षण का विस्तार करते हुए:

" चाहे कि: *(i)* विधायी उद्देश्य पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण है -

मौलिक अधिकार को सीमित करना उचित है*; (ii)* विधायी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाए गए उपाय तर्कसंगत रूप से इससे जुड़े हुए हैं*;* और *(iii)* अधिकार या स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले साधन अब नहीं हैं।

जो उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है।

इसके बाद हुआंग *(*एफ. सी.*)* बनाम गृह राज्य सचिव

विभाग, *365* हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने एक चौथा मापदंड जोड़ा जो "व्यक्तियों और समूहों के साथ समाज के हितों को संतुलित करने की आवश्यकता है।"

207. संघीय जनगणना अधिनियम मामले *(*वोल्क्सज़लुंगसुरटेल*)* में, *36* जर्मनी के संघीय गणराज्य के संघीय संवैधानिक न्यायालय

जर्मन संघीय जनगणना अधिनियम, *1983* के लिए एक चुनौती का सामना किया, जो

नागरिकों की बुनियादी व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह के लिए प्रदान किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आय का स्रोत, व्यवसाय, पूरक रोजगार, शैक्षिक पृष्ठभूमि और काम के घंटे शामिल हैं। उद्देश्यों के लिए स्थानीय सरकारों को सांख्यिकीय डेटा के संचरण के लिए प्रदान किए गए कुछ प्रावधान

क्षेत्रीय योजना, सर्वेक्षण, पर्यावरण संरक्षण और निर्वाचन जिलों को फिर से तैयार करना। न्यायालय ने स्थानीय अधिकारियों को सांख्यिकीय डेटा के हस्तांतरण की अनुमति देने वाले प्रावधानों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उन्होंने अधिकारियों को स्थानीय आवास रजिस्ट्रियों के साथ जनगणना डेटा की तुलना करने में सक्षम बनाया। न्यायालय ने कहा कि सांख्यिकीय डेटा और व्यक्तिगत डेटा का संयोजन

रजिस्ट्री से विशेष व्यक्तियों की पहचान हो सकती है, जिससे व्यक्तियों के सूचनात्मक आत्मनिर्णय के अधिकार पर एक भयावह प्रभाव पड़ेगा। न्यायालय ने जर्मन संविधान के अनुच्छेद *1 (1)* और *2 (1)* से एक 'सूचनात्मक आत्मनिर्णय का मौलिक अधिकार' विकसित किया, जो मानव गरिमा के मौलिक अधिकार और किसी के व्यक्तित्व को स्वतंत्र रूप से विकसित करने के अधिकार की रक्षा करता है। आधुनिक डेटा प्रोसेसिंग द्वारा उत्पन्न जोखिमों के संदर्भ में इस अधिकार के महत्व को समझाते हुए, न्यायालय ने कहा कि:

> उनके सामाजिक क्षेत्र का और कुछ हद तक मूल्यांकन करें
> संभावित वार्ताकारों के पास ज्ञान का होना। ए सोशल
>
> जिस क्रम में व्यक्ति अब यह पता नहीं लगा सकते कि कौन जानता है
>
> उनके बारे में क्या और कब और एक कानूनी आदेश जो ऐसा करता है
>
> संभव सूचना के अधिकार के साथ संगत नहीं होगा
>
> आत्मनिर्णय। यह न केवल संभावनाओं को सीमित करेगा
>
> उन व्यक्तियों के व्यक्तिगत विकास के लिए भी
>
> सार्वजनिक भलाई के लिए हानिकारक है क्योंकि आत्मनिर्णय एक है

एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन के लिए प्राथमिक पूर्व शर्त

कार्रवाई और भागीदारी की स्वतंत्रता पर आधारित समाज

उनके सदस्य। मौलिक अधिकार सिद्धांत रूप में गारंटी देता है -

व्यक्तियों की अपने निर्णय लेने की शक्ति

उनके व्यक्तिगत डेटा का प्रकटीकरण और उपयोग। " *367*

367 जुर्गेन ब्रॉमर एट अल। , "*BVerfGE 65,1*-जनगणना अधिनियम *"60* वर्षों में जर्मन बुनियादी कानूनः जर्मन संविधान और उसका न्यायालय-मौलिक अधिकारों के क्षेत्र में जर्मनी के संघीय संवैधानिक न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय *(*सुहैना वाहिदुद्दीन संस्करण*), (2012)* पृष्ठ *147-148* पर उपलब्ध है। //डब्ल्यू. डब्ल्यू. कासा। डी/डब्ल्यूएफ/डॉक /

केएएस *32858-1522-1-30.* पीडीएफ*?*

121123115540 जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

न्यायालय ने सूचनात्मक आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देते हुए कहा कि डेटा के अलग-अलग खंडों को "अन्य डेटा संग्रहों के साथ जोड़ा जा सकता है, विशेष रूप से जब व्यक्तिगत एकीकृत सूचना प्रणालियों का निर्माण किया जाता है-एक आंशिक या वस्तुतः पूर्ण व्यक्तित्व प्रोफ़ाइल तक जोड़ने के लिए", और वह भी, "संबंधित व्यक्ति के पास इसकी सच्चाई और अनुप्रयोग को नियंत्रित करने का कोई साधन नहीं है"। *368* महत्वपूर्ण महत्व का न्यायालय का अवलोकन है कि सूचना का अधिकार स्वयं

निर्धारण विशेष रूप से खतरे में है क्योंकि निर्णय लेने में, किसी को अब हाथ से एकत्र किए गए रजिस्ट्रियों और फाइलों पर भरोसा नहीं करना पड़ता है। आज, स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग की सहायता से किसी निश्चित या सत्यापन योग्य व्यक्ति की व्यक्तिगत या तथ्यात्मक स्थितियों के बारे में व्यक्तिगत बयानों को संग्रहीत करने के तकनीकी साधन व्यावहारिक रूप से असीमित हैं और दूरी की परवाह किए बिना कुछ ही सेकंड में पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। *369*

हालाँकि, न्यायालय ने नोट किया कि सूचनात्मक स्वयं का अधिकार

निर्धारण निरपेक्ष नहीं है और यह कि सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं कुछ शर्तों के तहत व्यक्तिगत डेटा एकत्र कर सकती हैं। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस सूचनात्मक गतिविधि के लिए एक वैधानिक आधार होना चाहिए, और यह आनुपातिकता के सिद्धांत को संतुष्ट करना चाहिए। वैधानिक आधार की आवश्यकता पर, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

"डेटा का उपयोग कानून द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य तक सीमित है। अगर

स्वचालित डेटा प्रसंस्करण से जुड़े खतरों के अलावा किसी अन्य कारण से, इसके खिलाफ सुरक्षा की आवश्यकता है

अनधिकृत उपयोग-अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा इस तरह के उपयोग के खिलाफ सुरक्षा सहित-हस्तांतरण पर प्रतिबंध के माध्यम से और

इस तरह के डेटा का उपयोग *"370*

"प्रसंस्करण के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित शर्तें बनाई जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यक्ति स्वचालित संग्रह और प्रसंस्करण के संदर्भ में केवल डेटा विषय न बन जाएं।

उनके व्यक्ति से संबंधित जानकारी। एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ संबंध की अनुपस्थिति जिसे हर समय पहचाना और सत्यापित किया जा सकता है और डेटा का बहुआयामी उपयोग, दोनों उन प्रवृत्तियों को मजबूत करते हैं जिन्हें डेटा संरक्षण कानून द्वारा जांचा और प्रतिबंधित किया जाना है, जो ठोस अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है।

सूचनात्मक आत्मनिर्णय के लिए संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार। *371*

370 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *150* पर। *371* उदाहरण के लिए, पृष्ठ *151 [2018] 8* एस. सी. आर. पर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आनुपातिकता के सिद्धांत पर, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

"विधायिका को अपने वैधानिक नियमों में आनुपातिकता के सिद्धांत का सम्मान करना चाहिए। यह सिद्धांत, जिसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, मौलिक अधिकारों की प्रकृति का अनुसरण करता है।
जो, राज्य के हस्तक्षेप से स्वतंत्रता के लिए जनता के सामान्य अधिकार की अभिव्यक्ति के रूप में, किसी भी मामले में सार्वजनिक शक्तियों द्वारा केवल सार्वजनिक हितों की सुरक्षा के लिए अपरिहार्य रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। ऊपर वर्णित खतरों को ध्यान में रखते हुए जो स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग के उपयोग से उत्पन्न होते हैं, विधायिका को पहले की तुलना में अधिक संगठनात्मक और प्रक्रियात्मक सावधानियों को अपनाना चाहिए जो इसके विपरीत काम करते हैं।

व्यक्तित्व के अधिकार के उल्लंघन का खतरा

" 1983 के जनगणना अधिनियम का सर्वेक्षण कार्यक्रम भी संतुष्ट करता है,

समीक्षाधीन मामले के लिए प्रासंगिक सीमा तक, का सिद्धांत

आनुपातिकता। इसलिए इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक उपाय उपयुक्त और आवश्यक होना चाहिए; परिचर कार्रवाई की तीव्रता मामले के महत्व के अनुपात में नहीं हो सकती है।

और जनता पर लगाए गए समझौते "। *373*

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि उद्देश्य के सिद्धांतों के अनुसार

विनिर्देशन और आनुपातिकता, न केवल उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए डेटा एकत्र किया जा रहा है, संग्रह के समय निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, बल्कि अर्जित डेटा भी उस उद्देश्य से अधिक नहीं होना चाहिए जो निर्दिष्ट

उद्देश्य को पूरा करने के लिए बिल्कुल आवश्यक है। इसके आलोक में, न्यायालय ने जर्मन संसद को जनगणना करने से पहले कुछ विवरणों में कानून में संशोधन करने और कानून में उन सभी खामियों को बंद करने का निर्देश दिया जो व्यक्तिगत डेटा के संग्रह, भंडारण, उपयोग और हस्तांतरण में दुरुपयोग का कारण बन सकती हैं।

208. ई. सी. टी. एच. आर. ने इस बात पर विचार किया कि जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जिन्हें बाद में बरी कर दिया गया था या जिनके खिलाफ आरोप हटा दिए गए थे, उनके डी. एन. ए. नमूनों को बनाए रखना निजता के अधिकार का उल्लंघन था या नहीं। एस एंड मार्पर बनाम यूनाइटेड किंगडम, *374* में ई. सी. टी. एच. आर. ने "प्रतिधारण की शक्ति की व्यापक और अंधाधुंध प्रकृति" का उल्लेख कियाः

"सामग्री को अपराध की प्रकृति या गंभीरता के बावजूद रखा जा सकता है, जिसके साथ व्यक्ति पर मूल रूप से संदेह किया गया था।
या संदिग्ध अपराधी की उम्र के; उंगलियों के निशान और नमूने लिए जा सकते हैं-और किसी भी उम्र के व्यक्ति से रखे जा सकते हैं, जिसे दर्ज करने योग्य अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें नाबालिग या नाबालिग शामिल हैं।

373 इबिद, पृष्ठ *154* पर

374 (2008) 48 ई. एच. आर. आर. *1169* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

प्रकृति या गंभीरता जो भी हो, सामग्री को अनिश्चित काल तक बनाए रखा जाता है।
जिस अपराध का व्यक्ति पर संदेह था। इसके अलावा,

बरी किए गए व्यक्ति के लिए केवल सीमित संभावनाएं मौजूद हैं
डेटा को राष्ट्रव्यापी डेटाबेस से हटा दें या

नष्ट की गई सामग्री; विशेष रूप से, कोई प्रावधान नहीं है
प्रतिधारण के लिए औचित्य की स्वतंत्र समीक्षा

की गंभीरता जैसे कारकों सहित परिभाषित मानदंडों के लिए

अपराध, पिछली गिरफ्तारियाँ, संदेह की ताकत

व्यक्ति और कोई अन्य विशेष परिस्थितियाँ। *375*

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि प्रतिधारण आवेदकों के निजता के अधिकार के साथ एक असमान हस्तक्षेप का गठन करता हैः

"125 ..... कि शक्तियों का आवरण और अंधाधुंध स्वभाव
उंगलियों के निशान, कोशिकीय नमूने और डीएनए प्रोफाइल को बनाए रखना।

जिन व्यक्तियों पर संदेह है लेकिन अपराधों के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है, जैसा कि में लागू होता है

वर्तमान आवेदकों का मामला, एक उचित संतुलन बनाने में विफल रहता है

प्रतिस्पर्धी सार्वजनिक और निजी हितों के बीच और कि

प्रत्यर्थी राज्य ने किसी भी स्वीकार्य सीमा को पार कर लिया है
इस संबंध में प्रशंसा। तदनुसार, मुद्दे पर प्रतिधारण

के साथ एक असमान हस्तक्षेप का गठन करता है

निजी जीवन के लिए आवेदक का सम्मान करने का अधिकार और नहीं हो सकता है
एक लोकतांत्रिक समाज में आवश्यक माना जाता है।

(जोर दिया गया*)*

अदालत ने सरकार की इन दलीलों को खारिज कर दिया कि उंगलियों के निशान तटस्थ, उद्देश्यपूर्ण, अकाट्य और अस्पष्ट सामग्री का गठन करते हैं, यह मानते हुए कि उनमें किसी व्यक्ति के बारे में अद्वितीय जानकारी होती है, जिससे कुछ परिस्थितियों में उनकी सटीक पहचान की अनुमति मिलती है। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि उंगलियों के निशान का संग्रह इसलिए निजी जीवन को प्रभावित करने में सक्षम था, और सहमति के बिना ऐसी जानकारी को बनाए रखना "तटस्थ या महत्वहीन नहीं माना जा सकता है।"

209. 2012 में, फ्रांसीसी संवैधानिक परिषद *("*परिषद*") -*

फ्रांसीसी कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा करने वाले निकाय ने पहचान संरक्षण अधिनियम के चार प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया, जिसमें नागरिकों के लिए एक नई राष्ट्रीय बायोमेट्रिक आईडी की शुरुआत का प्रस्ताव किया गया था। *376 375* आई. बी. आई. डी., *22* मार्च *2012* के पैराग्राफ *119 376* निर्णय संख्या *2012-652* डी. सी. में ले कॉनसिल कांस्टीट्यूशनल द्वारा,

एच. टी. पी. पर उपलब्धः *//*डब्ल्यू. डब्ल्यू. परिषद-संविधान। एफ. आर./कॉनसिल-कॉन्स्टिट्यूशनल/अंग्रेजी / मामला-कानून/नमूना-के-निर्णय-इन-प्रासंगिक-क्षेत्र-डीसी/निर्णय/निर्णय-नहीं*-2012-652* डीसी-ऑफ*-22-*मार्च*-2012.105428*।

अनुच्छेद *3* और *5* उन प्रावधानों में से थे जिन्हें निरस्त कर दिया गया था। अनुच्छेद *3* ने अधिकृत किया कि राष्ट्रीय पहचान पत्र में डेटा हो सकता है जो धारक को इलेक्ट्रॉनिक संचार नेटवर्क पर खुद को पहचानने या अपने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। लेख में कहा गया हैः

"यदि इसके धारक द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो राष्ट्रीय पहचान पत्र में डेटा भी हो सकता है, जिसे अलग से संग्रहीत किया जा सकता है, जिससे यह इलेक्ट्रॉनिक संचार नेटवर्क पर खुद को पहचानने और अपने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करने में सक्षम हो सकता है। प्रत्येक उपयोग पर, इच्छुक पक्ष यह तय करेगा कि कौन से पहचान डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया जाना है।

परिषद ने कहा कि अनुच्छेद *3* में एकत्र किए जा रहे आंकड़ों की प्रकृति को निर्धारित नहीं किया गया है और न ही यह गोपनीयता बनाए रखने की कोई गारंटी प्रदान करता है। इस प्रकार, परिषद ने अनुच्छेद *3* को घोषित किया असंवैधानिकः

"कि अनुच्छेद *3* के प्रावधान या तो "डेटा" की प्रकृति को निर्दिष्ट नहीं करते हैं जिसके माध्यम से इन कार्यों को लागू किया जा सकता है या इसकी अखंडता और गोपनीयता सुनिश्चित करने की गारंटी नहीं है। यह डेटा कि वे किसी भी अधिक विस्तार से उन शर्तों को परिभाषित नहीं करते हैं जिनके तहत इन कार्यों को लागू करने वाले व्यक्तियों को प्रमाणित किया जाना है, विशेष रूप से जब वे नाबालिग हैं या कानूनी संरक्षण के अधीन हैं; कि तदनुसार, संसद ने अपनी शक्तियों से अधिक कार्य किया; कि तदनुसार अनुच्छेद *3* को शासित किया जाना चाहिए।

असंवैधानिक; "

जानकारी जिसमें धारक की वैवाहिक स्थिति और निवास के अलावा, उनकी ऊंचाई, आंखों का रंग, उंगलियों के निशान और फ्रांसीसी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने के लिए और यदि लोक अभियोजक या न्यायाधीश द्वारा अधिकृत किया जाता है तो कुछ अपराधों से जुड़ी जांच करने के लिए फोटो।

परिषद ने फ्रांसीसी संविधान के अनुच्छेद *34* पर भरोसा करते हुए कहा कि दोनों के बीच संतुलन बनाना संसद का दायित्व है।

सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा करना और एक ओर अपराधियों को न्याय के दायरे में लाना और दूसरी ओर निजता का अधिकार। परिषद ने *1789* के मानव अधिकारों और नागरिक की घोषणा पर भरोसा रखा। घोषणा के अनुच्छेद *2* में कहा गया है, "प्रत्येक राजनीतिक संगठन का उद्देश्य मनुष्य के प्राकृतिक और अभेद्य अधिकारों का संरक्षण है। ये अधिकार स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और उत्पीड़न का प्रतिरोध हैं। परिषद ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद *2* द्वारा घोषित स्वतंत्रता में न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v* का अधिकार शामिल है।

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

निजी जीवन के लिए सम्मान, और तदनुसार, "व्यक्तिगत डेटा के संग्रह, पंजीकरण, संरक्षण, परामर्श और संचार को सामान्य हित के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए और इस उद्देश्य के अनुपात में पर्याप्त तरीके से लागू किया जाना चाहिए।" परिषद ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद *5*

फ्रांसीसी संविधान का उल्लंघन किया क्योंकि एकत्र किए गए डेटा की प्रकृति ऐसी थी कि यह फ्रांसीसी नागरिकों की उनकी उंगलियों के निशान के आधार पर पहचान की सुविधा प्रदान करेगी, इस प्रकार निजी जीवन के सम्मान के अधिकार का उल्लंघन होगाः

"हालाँकि, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि, इसके उद्देश्य को देखते हुए, यह डेटाबेस

व्यक्तिगत डेटा रखने का उद्देश्य फ्रांसीसी राष्ट्रीयता की लगभग सभी आबादी से संबंधित डेटा एकत्र करना है; क्योंकि इस फ़ाइल में पंजीकृत बायोमेट्रिक डेटा, विशेष रूप से

उंगलियों के निशान, स्वयं की तुलना के लिए उत्तरदायी हैं
किसी व्यक्ति द्वारा अनैच्छिक रूप से छोड़े गए भौतिक निशान या

संवेदनशील; कि इस डेटाबेस की तकनीकी विशेषताएँ
जैसा कि विवादित प्रावधानों द्वारा परिभाषित किया गया है, यह सक्षम बनाता है

सत्यापन के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए परामर्श

व्यक्ति की पहचान; कि अधिनियम के प्रावधानों को संदर्भित किया गया है

इस डेटाबेस को न केवल पहचान और यात्रा दस्तावेजों के जारी करने या नवीनीकरण के संबंध में या ऐसे दस्तावेज़ के धारक को सत्यापित करने के लिए, बल्कि अन्य दस्तावेजों के लिए भी परामर्श या देखने के लिए अधिकृत करें।

प्रशासनिक प्रकृति के उद्देश्य या जाँच द्वारा
पुलिस,

..... पंजीकृत डेटा की प्रकृति, इस प्रसंस्करण के दायरे, इसकी तकनीकी विशेषताओं और उन शर्तों को ध्यान में रखते हुए जिनके तहत इससे परामर्श किया जा सकता है, अनुच्छेद *5* के प्रावधान गोपनीयता के सम्मान के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।

पीछा किए गए लक्ष्य के अनुपात में माना जाता है; कि तदनुसार, अधिनियम के अनुच्छेद *5* और *10* को असंवैधानिक ठहराया जाना चाहिए।

(जोर दिया गया*)*

इसके बाद, पहचान संरक्षण पर *27* मार्च, *2012* का कानून अनुच्छेद *3* और *5* के बिना फ्रांस के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, जिसे परिषद द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया था। *377*

210. अयकागुएर बनाम फ्रांस *3 78* जैविक परीक्षण से गुजरने के लिए आवेदक के इनकार से संबंधित था, जिसका परिणाम में शामिल किया जाना था *377* एल. ओ. आई. एन. ° *2012-410* डु *27* मार्च *2012* रिलेटिव ए ला प्रोटेक्शन डी एल 'आइडेंटिटे, यहां उपलब्ध हैः *//*डब्ल्यू. डब्ल्यू. कानून-व्यवस्था। गौव। एफ. आर./एफ़िच टेक्सट। करते हैं*? cid Texte = JORFTEXT*

000025582411 & डेटटेक्सटे = और कैटेगरीलियन-आईडी।

378 आवेदन सं।

राष्ट्रीय कम्प्यूटरीकृत डीएनए डेटाबेस। उनके इनकार के परिणामस्वरूप, उन्हें दोषी ठहराया गया था। ई. सी. टी. एच. आर. ने माना कि डी. एन. ए. प्रोफाइल के भंडारण पर नियम व्यक्तियों को इसकी अवधि और इस तथ्य के कारण पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं कि डेटा को हटाया नहीं जा सकता है। न्यायालय ने निष्कर्ष

निकाला कि नियम प्रतिस्पर्धी सार्वजनिक और निजी हितों के बीच संतुलन बनाने में विफल रहे और सर्वसम्मति से कहा कि संविधान के अनुच्छेद *8 (*निजी जीवन के सम्मान का अधिकार*)* का उल्लंघन हुआ है।

मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन।

211. एसोसिएशन फॉर ला प्रमोशन में काउंसिल डी 'एटैट *379*

डी एल 'इमेज *3 8 0* से पूछा गया था कि क्या बायोमेट्रिक पासपोर्ट से डेटा के उपयोग और भंडारण को विनियमित करने वाला आदेश वैध था। फरमान की शर्तों में से एक यह थी कि अधिकारियों द्वारा आठ उंगलियों के निशान संग्रहीत किए गए थे, जबकि पासपोर्ट के लिए केवल दो की आवश्यकता थी। काउंसिल डी 'एटैट ने कहा कि केंद्रीय रूप से संग्रहीत किए जाने वाले छह और उंगलियों के निशान का संग्रह और प्रतिधारण कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस के उद्देश्य के संबंध में अप्रासंगिक और अत्यधिक था।

212. डिजिटल राइट्स आयरलैंड लिमिटेड बनाम मंत्री, *381* में कोर्ट ऑफ

यूरोपीय संघ के न्यायाधीश ने माना कि यूरोपीय संघ की विधायिका ने डेटा प्रतिधारण निर्देश को अपनाकर यूरोपीय संघ के मौलिक अधिकारों के चार्टर-अनुच्छेद *7,8* और *52 (1)* के कुछ प्रावधानों के संबंध में आनुपातिकता के सिद्धांत की सीमाओं को पार कर लिया था। निर्देश के अनुसार, सदस्य राज्य नागरिकों को स्टोर करने के लिए बाध्य थे '

कम से कम *6* महीने और अधिकतम *24* महीने के लिए दूरसंचार डेटा। निर्देश ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को आई. पी. पता और सभी ई. के उपयोग के समय जैसे विवरणों तक पहुंच का अनुरोध करने का अधिकार दिया।

मेल, फोन कॉल और पाठ संदेश भेजे या प्राप्त किए जाते हैं।

न्यायालय ने उपायों के लिए आनुपातिकता का परीक्षण लागू किया। यह ध्यान दिया गया कि मेटाडेटा अधिकारियों को किसी व्यक्ति के निजी जीवन के बारे में सटीक निष्कर्ष निकालने की अनुमति देता है, और ड्रैगनेट डेटा संग्रह इस भावना के आधार पर एक डरावना प्रभाव पैदा करता है कि किसी का जीवन हर समय निगरानी के अधीन है। मेटाडेटा की प्रकृति पर, न्यायालय ने कहा कि:

"समग्र रूप से लिया जाए तो, *[*मेटाडेटा*]* बहुत सटीक हो सकता है।

के निजी जीवन से संबंधित निष्कर्ष निकाले जाने हैं

379 काउंसिल डी 'एटैट *(*काउंसिल ऑफ स्टेट*)* फ्रांसीसी सरकार का एक निकाय है जो कार्यकारी शाखा के कानूनी सलाहकार और प्रशासनिक मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करता है।

न्याय

380 फ्रांस में कॉनसिल डी 'एटैट, *26* अक्टूबर *2011 381* सी *293/12* और सी *594/12* जस्टिस के एस पुटास्वामी *(*आरईटीडी*)* वी।

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

जिन व्यक्तियों के डेटा को बनाए रखा गया है, जैसे कि

दैनिक जीवन, स्थायी या अस्थायी निवास स्थान, दैनिक या अन्य गतिविधियाँ, की गई गतिविधियाँ, सामाजिक

उन व्यक्तियों के संबंध और उनके द्वारा अक्सर देखे जाने वाले सामाजिक वातावरण। " *382*

अदालत ने पाया कि निगरानी एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित-सार्वजनिक सुरक्षा-की सेवा करती है और सुरक्षा का अधिकार स्वयं चार्टर के अनुच्छेद *6* के तहत एक मौलिक अधिकार है। *383* हालाँकि, न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने के लिए एक दो-आयामी आनुपातिकता परीक्षण को अपनाया कि निर्देश का प्रतिधारण

और पहुँच आवश्यकताएँ उस ब्याज के आनुपातिक नहीं थीं।

... अदालत के सुलझे हुए मामले-कानून के अनुसार, आनुपातिकता के सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि यूरोपीय संघ के संस्थानों के कार्य

इस मुद्दे पर कानून द्वारा अपनाए गए वैध उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है और जो है उसकी सीमा से अधिक नहीं है

उन्हें प्राप्त करने के लिए उपयुक्त और आवश्यक

उद्देश्य। " *384*

गंभीर अपराध के खिलाफ लड़ने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रतिधारण उपाय को अनावश्यक माना गया थाः

"जहां तक निर्देश *2006/24* द्वारा आवश्यक डेटा को बनाए रखने की आवश्यकता का संबंध है, यह माना जाना चाहिए कि गंभीर अपराध के खिलाफ लड़ाई, विशेष रूप से संगठित अपराध और आतंकवाद के खिलाफ, वास्तव में है

निर्देश *2006/24* द्वारा स्थापित माना जा रहा है
उस लड़ाई के उद्देश्य के लिए आवश्यक। *(* जोर दें।

आपूर्ति की गई*) "385*

न्यायालय ने मौलिक के साथ हस्तक्षेप की सीमा को नियंत्रित करने वाले किसी भी स्पष्ट या सटीक नियमों को निर्धारित करने में विफल रहने के लिए निर्देश की आलोचना की। चार्टर के अनुच्छेद *7* और *8* में निहित अधिकार। इसने देखा कि निर्देश व्यापक था क्योंकि यह सभी आंकड़ों पर लागू होता है, चाहे कुछ भी हो

382 इबिद, पैरा *27 383* इबिद, पैरा *42 384* इबिद, पैरा *46* पर *385* उदाहरण के लिए, पैरा *51 [2018] 8* एस. सी. आर. में।

संदेह का अस्तित्व, और दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकारी पहुंच या सुरक्षा उपायों को सीमित करने के लिए कोई मानदंड नहीं थाः

"..... निर्देश *2006/24* में, सामान्यीकृत तरीके से, सभी शामिल हैं।

लोग

और इलेक्ट्रॉनिक संचार के सभी साधनों के साथ-साथ सभी यातायात
बिना किसी भेदभाव, सीमा या अपवाद के डेटा बनाया जा रहा है

गंभीर अपराध के खिलाफ लड़ने के उद्देश्य के आलोक में।

..... गंभीर अपराध के खिलाफ लड़ाई में योगदान करने की मांग करते हुए,

निर्देश *2006/24* के बीच किसी भी संबंध की आवश्यकता नहीं है
डेटा जिसके लिए प्रतिधारण प्रदान किया गया है और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है

और, विशेष रूप से, यह *(i)* के संबंध में प्रतिधारण तक सीमित नहीं है

एक विशेष समय अवधि और/या एक विशेष अवधि से संबंधित डेटा

भौगोलिक क्षेत्र और/या विशेष व्यक्तियों के एक वृत्त के लिए संभावित

किसी गंभीर अपराध में किसी न किसी तरह से शामिल होना, या *(ii)*

ऐसे व्यक्ति जो अन्य कारणों से, प्रतिधारण द्वारा योगदान कर सकते हैं।

उनके डेटा का, गंभीर मामलों की रोकथाम, पता लगाने या अभियोजन के लिए

अपराध "। *386*

"न केवल निर्देश *2006/*में सीमाओं की सामान्य अनुपस्थिति है।

24 लेकिन निर्देश *2006/24* भी कोई उद्देश्य निर्धारित करने में विफल रहता है।
कसौटी जिसके द्वारा पहुँच की सीमा निर्धारित की जाए

डेटा और उनके बाद के लिए सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरण

रोकथाम, पहचान या आपराधिक उद्देश्यों के लिए उपयोग

अपराधों से संबंधित अभियोजन जो, सीमा को ध्यान में रखते हुए और

मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप की गंभीरता
चार्टर के अनुच्छेद *7* और *8* में निहित, पर विचार किया जा सकता है

इस तरह के हस्तक्षेप को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त रूप से गंभीर होना। जिस पर

इसके विपरीत, निर्देश *2006/24* केवल अनुच्छेद *1 (1)* में संदर्भित करता है

प्रत्येक सदस्य द्वारा परिभाषित गंभीर अपराध के लिए सामान्य तरीका

अपने राष्ट्रीय कानून में राज्य करें। *387*

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि निर्देश पहुंच के लिए "स्पष्ट और सटीक नियम" *388* निर्धारित करने में विफल रहा या राज्यों को उस समय की अवधि का निर्णय कैसे करना चाहिए जिसके लिए डेटा रखा जाना चाहिए, और "एक व्यापक और सटीक नियम शामिल हैं।

387 इबिद, पैरा *60* पर

388 आई. बी. आई. डी., पैरा *54* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

सख्ती से आवश्यक "। *389* न्यायालय ने इस आधार पर निर्देश को निरस्त कर दिया कि

3 9 0 राज्य की पहुंच पर लगाई गई सीमाओं की कमी, *391* और इसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता के आधार पर डेटा के उपचार के बीच अंतर करने में विफलता। *39 2*

महत्वपूर्ण महत्व का न्यायालय का इस बात पर जोर है कि यूरोपीय संघ के विधानमंडल के विवेक की न्यायिक समीक्षा "सख्त होनी चाहिए" क्योंकि "व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के प्रकाश में निजी जीवन के लिए सम्मान का मौलिक अधिकार और निर्देश *2006/24* के कारण उस अधिकार में हस्तक्षेप की सीमा और गंभीरता। *393* इसके अलावा, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि गंभीर अपराध और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जैसे अत्यधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य भी ऐसे उपायों को उचित नहीं ठहरा सकते हैं जो हस्तक्षेप के उन रूपों की ओर ले जाते हैं जो 'कड़ाई से आवश्यक' से परे हैं।

213. माइकल श्वार्ज बनाम स्टैड्ट बोचम, *395* में यूरोपीय संघ के न्याय न्यायालय को एक परिषद विनियमन में एक प्रावधान की वैधता की जांच करने के लिए कहा गया था जो पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को उंगलियों के निशान प्रदान करने के लिए बाध्य करता है जो उस पासपोर्ट में संग्रहीत किया जाएगा।

यह विचार करते हुए कि क्या यह विनियमन वैध और आवश्यक था, न्यायालय ने कहाः

*" ... .*विनियमन संख्या *2252/2004* के अनुच्छेद *1 (2)* में पासपोर्ट के अलावा उंगलियों के निशान के भंडारण का प्रावधान नहीं है।

स्वयं, जो केवल धारक का है। *3 396*
विनियमन जो उन उंगलियों के निशान को संग्रहीत करने के किसी अन्य रूप या विधि के लिए प्रदान नहीं करता है, इसकी व्याख्या केंद्रीकृत लोगों के लिए एक कानूनी आधार प्रदान करने के रूप में नहीं की जा सकती है।

उन परिस्थितियों में, द्वारा रखे गए तर्क
संभावित केंद्रीकरण से जुड़े जोखिमों के बारे में अदालत को संदर्भित करना

389 इबिद, पैरा *65* पर

394 इबिद, पैरा *51* पर *395 [2013]* ई. यू. ई. सी. जे. सी-*291/12 396* आई. बी. आई. डी., पैरा *60* पर

397 आई. बी. आई. डी., पैरा *61* सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट में

केंद्रीकृत फिंगरप्रिंट प्रदान करने वाले कानून के खिलाफ
आधार। पूर्वगामी के आलोक में, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि अनुच्छेद

1 (2) विनियमन संख्या *2252/2004* का अर्थ किसी भी प्रक्रिया से नहीं है।

उंगलियों के निशान जो क्रम में आवश्यक से परे जाते हैं

धोखाधड़ी के उपयोग से बचाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए
पासपोर्ट। यह इस प्रकार है कि अनुच्छेद से उत्पन्न हस्तक्षेप

1 (2) विनियमन संख्या *2252/2004* की सुरक्षा के अपने उद्देश्य से उचित है।

पासपोर्ट के धोखाधड़ी से उपयोग के खिलाफ।

99398

अदालत ने कहा कि हालांकि पासपोर्ट में उंगलियों के निशान लेना और संग्रहीत करना निजी अधिकारों के सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है

जीवन और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा का अधिकार, विनियमन संख्या *2252/2004* के अनुच्छेद *1 (2)* में उंगलियों के निशान के किसी भी प्रसंस्करण का संकेत नहीं दिया गया है जो पासपोर्ट के धोखाधड़ी वाले उपयोग से बचाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक से परे जाएगा और इसलिए वैध था।

214. माधेवू बनाम मॉरीशस राज्य में, *399* न्यायिक

प्रिवी काउंसिल की समिति ने मॉरीशस की संवैधानिकता के संबंध में मॉरीशस के सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले की अपील सुनी

राष्ट्रीय पहचान पत्र *(*विविध प्रावधान*)* अधिनियम, *2013* के प्रावधान। अधिनियम के लिए फिंगरप्रिंट सहित बायोमेट्रिक जानकारी की आवश्यकता थी, एक केंद्रीय रजिस्टर में संग्रहीत किया जाना था जिसमें मॉरीशस के प्रत्येक नागरिक की पहचान का विवरण दर्ज किया जाना था।

उच्चतम न्यायालय ने उस अधिनियम के प्रावधानों को बरकरार रखा जिसमें उंगलियों के निशान अनिवार्य रूप से लेने का प्रावधान था। हालांकि, अदालत ने उन्हें खारिज कर दिया

बायोमेट्रिक डेटा को केंद्रीय रजिस्टर में संग्रहीत करने के लिए प्रावधान। अपीलार्थी ने समिति से यह तर्क देते हुए अपील की कि उंगलियों के निशान अनिवार्य रूप से लेने के प्रावधानों को भी असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया जाना चाहिए।

398 इबिद, पैरा *62* पर

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

मॉरीशस के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष धारा *9 (3)* के तहत गैर-अनुपालन के लिए संभावित दंड की गंभीरता। चुनौती इस आधार पर थी कि बायोमेट्रिक पहचान पत्र का कार्यान्वयन और बायोमेट्रिक डेटा का स्थायी भंडारण मॉरीशस के संविधान और नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। अधिनियम की धारा *4 (2) (*सी*)* को चुनौती देने के संबंध में, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि "प्रत्येक व्यक्ति जो पहचान पत्र के लिए आवेदन करता है, उसे अपनी पहचान दर्ज कराने की अनुमति होगी।

उंगलियों के निशान, और अपने बारे में अन्य बायोमेट्रिक जानकारी, ली जानी चाहिए और दर्ज की जानी चाहिए. पहचान पत्र के उद्देश्य के लिए, "सर्वोच्च

अदालत ने कहा कि संविधान की धारा *9 (1)* के तहत निजता का अधिकार एक पूर्ण अधिकार नहीं था और उस अधिकार में हस्तक्षेप किया जा सकता है।

धारा *9 (2)* के तहत अनुमति दी गई है, यदि कोई कानून जो उस अधिकार में हस्तक्षेप करता है, अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक व्यवस्था के हित में था। समिति ने यह निर्धारित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को नोट किया कि क्या धारा *4 (2) (*सी*)* संविधान की अवहेलना करती है, जो एस और मार्पर बनाम यूनाइटेड किंगडम *4 0 0 400* में निर्धारित परीक्षण पर आधारित थीः .

उच्चतम न्यायालय ने एस बनाम यूनाइटेड किंगडम में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय के न्यायशास्त्र पर ध्यान आकर्षित किया। वस्तुतः न्यायालय ने पूछा कि क्या यह उपाय एक वैध उद्देश्य का अनुसरण करता है, क्या उस उद्देश्य की प्राप्ति में हस्तक्षेप के लिए राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा दिए गए कारण प्रासंगिक और पर्याप्त थे, और क्या यह उपाय अनुसरण किए गए उद्देश्य के अनुपात में था। यह मूल्यांकन अनिवार्य रूप से वही है जो ई. सी. एच. आर. के अनुच्छेद *8 (2)* के संबंध में यूनाइटेड किंगडम की अदालतों द्वारा अपनाया गया है, जिसमें अदालतें खुद से पूछती हैं *(*ए*)* क्या उपाय कानून के अनुसार है, *(ii)* क्या यह एक वैध उद्देश्य का अनुसरण करता है, और *(iii)* क्या उपाय मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप को जन्म देगा जो असमान हैं।

पीछा किए गए वैध उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए। *(iii)* के संबंध में, अदालतें खुद से पूछती हैंः *(* क*)* क्या उद्देश्य संरक्षित अधिकार की सीमा को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण है, *(*ख*)* क्या उपाय उद्देश्य से तर्कसंगत रूप से जुड़ा हुआ है, *(*ग*)* क्या

एक कम घुसपैठ उपाय का उपयोग इसके बिना किया जा सकता था

उद्देश्य की प्राप्ति से समझौता करना *(*दूसरे शब्दों में, क्या मौलिक अधिकार पर सीमा वह थी जिसे विधायी द्वारा लागू करना उचित था*)*, और *(*घ*)* क्या

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संरक्षित अधिकारों के उल्लंघन का प्रभाव है

उपाय के संभावित लाभ के लिए अनुपातहीन "

समिति ने मॉरीशस के सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को दोहराया कि अधिनियम के प्रावधान जो अनिवार्य रूप से उंगलियों के निशान लेने और दर्ज करने को लागू करते हैं, संविधान की धारा *9 (1)* के तहत गारंटीकृत अपीलार्थी के अधिकारों में हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन यह कि कानून जनहित और सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर न्यायोचित थाः

"हम पाते हैं कि इस बात पर शायद ही कोई विवाद हो कि उंगलियों के निशान लेना

लागू कानूनी ढांचे के भीतर वैध का पालन करता है

राष्ट्र के लिए एक ठोस और सुरक्षित पहचान संरक्षण प्रणाली स्थापित करने का उद्देश्य और इस प्रकार पहचान धोखाधड़ी के खिलाफ अपरिहार्य सुरक्षा प्रदान करने वाली एक सामाजिक आवश्यकता का जवाब देना। इस तरह का उद्देश्य, जैसा कि व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है, मॉरीशस में उचित कानून प्रवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, उनके लिए फिंगरप्रिंट लेने में उचित सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए

कार्ड में सम्मिलन, और अपेक्षाकृत सीमित डिग्री

हस्तक्षेप शामिल है, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस तरह

हस्तक्षेप वैध उद्देश्य के आनुपातिक है "। *9 402*

इस प्रकार, मॉरीशस के सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम के उन प्रावधानों को बरकरार रखा जो उंगलियों के निशान अनिवार्य रूप से लेने के लिए प्रदान किए गए थे। अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा *3* को भी चुनौती दी, जिसमें बायोमेट्रिक डेटा को रजिस्टर में संग्रहीत करने का प्रावधान किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने डेटा संग्रह के उद्देश्य से गवाहों की गवाही पर विचार करने के बाद कहा कि हालांकि इस डेटा को संग्रहीत करने और एकत्र करने का एक वैध उद्देश्य हो सकता है, लेकिन इस तरह के भंडारण और प्रतिधारण को स्थापित करने के लिए पर्याप्त मजबूत कारण हैं।

एक अनिश्चित अवधि के लिए डेटा का अनुपात उस वैध उद्देश्य के अनुपात में है जिसका पीछा किया गया था "स्थापित नहीं किया गया था। *403* अतः न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

"..... यह अकल्पनीय है कि महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों के अभाव में व्यक्तिगत डेटा तक इस तरह की अनियंत्रित पहुंच हो सकती है।

न्यायिक नियंत्रण द्वारा। के दुरुपयोग या दुरुपयोग की संभावना

प्रतिवादियों ने प्रतिधारण को उचित ठहराने के लिए दावा किया है और
डेटा संरक्षण अधिनियम के तहत व्यक्तिगत डेटा का भंडारण "। *404*

403 इबिद, पृष्ठ *31* पर

404 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *33* पर जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

इस प्रकार, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने नोट किया कि व्यक्तिगत बायोमेट्रिक डेटा के भंडारण और प्रतिधारण के लिए प्रावधान करने वाला कानून संविधान की धारा *9 (2)* के तहत एक अनुमेय अपमान का गठन करता है, *405* ने यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि प्रतिवादी ने भंडारण से संबंधित प्रावधानों को स्थापित नहीं किया था और

एक लोकतांत्रिक समाज में प्रतिधारण उचित था, वे असंवैधानिक थे।

न्यायिक समिति ने उच्चतम न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया। हालाँकि, इसने उच्चतम न्यायालय के आदेश में एक विसंगति का उल्लेख किया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उंगलियों के निशान और अन्य बायोमेट्रिक डेटा के भंडारण और प्रतिधारण के लिए प्रावधान करने वाला कानून अनुमेय है।
संविधान की धारा *9 (2)* के तहत अपमान, साथ ही साथ समान प्रावधानों को असंवैधानिक ठहराते हुए।
समिति ने

होल्डिंग का मिलान किया गयाः

संविधान की धारा *9 (2)* के तहत सार्वजनिक व्यवस्था।
(जोर दिया गया*)*

215. विद्वान महान्यायवादी ने अन्य मामलों पर भरोसा किया है

उनके इस तर्क को पुष्ट करने के लिए अधिकार क्षेत्र कि विभिन्न सेवाओं के लिए बायोमेट्रिक जानकारी का संग्रह और उपयोग कानूनी पाया गया है। बायोमेट्रिक डेटा *406* को सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन में इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः

405 अनुच्छेद *9.* घर और अन्य संपत्ति की गोपनीयता की सुरक्षाः *(2) (*क*)* रक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक नैतिकता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, नगर और देश नियोजन, खनिज के विकास या उपयोग के हित में, किसी भी कानून के अधिकार के तहत निहित या की गई किसी भी चीज़ को इस धारा के अनुरूप या उल्लंघन के रूप में इस हद तक नहीं माना जाएगा कि विचाराधीन कानून प्रावधान करता है।

*(*ख*)* अन्य व्यक्तियों के अधिकारों या स्वतंत्रताओं की रक्षा करने के उद्देश्य से*; (*ग*)* सरकार के किसी अधिकारी या अभिकर्ता या स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कानून द्वारा स्थापित निगमित निकाय को, -

किसी भी कर, दर या देय के उद्देश्य से उन परिसरों का मूल्यांकन करने के लिए, या किसी ऐसी संपत्ति से संबंधित काम करने के लिए जो उन परिसरों में कानूनी रूप से है और जो सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या उस निकाय से संबंधित है, जैसा भी मामला हो; या *(*डी*)* किसी दीवानी मामले में अदालत के फैसले या आदेश को

लागू करने के उद्देश्य से अधिकृत करने के लिए किसी व्यक्ति के परिसर में प्रवेश करना।
कार्यवाहियाँ, न्यायालय के आदेश से किसी व्यक्ति या संपत्ति की तलाशी या ऐसे आदेश द्वारा किसी परिसर में प्रवेश, सिवाय इसके कि जहां तक वह प्रावधान या, जैसा भी मामला हो, उसके अधिकार के तहत किया गया कार्य लोकतांत्रिक समाज में उचित रूप से उचित नहीं दिखाया गया है।

406 अनुच्छेद *4 (14)*

"संबंधित विशिष्ट तकनीकी प्रसंस्करण के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत डेटा

किसी व्यक्ति की शारीरिक, शारीरिक या व्यवहारिक विशेषताएँ

प्राकृतिक व्यक्ति, जो अद्वितीय पहचान की अनुमति या पुष्टि करता है
उस प्राकृतिक व्यक्ति की, जैसे चेहरे की छवियाँ या डैक्टिलोस्कोपिक

डेटा "।

("डायोनिसियो*) 4 1* ओ और बोवेन बनाम रॉय *(*बोवेन*)*। *41 1* केवल एक्टन, स्किनर और डायोनिसियो को बायोमेट्रिक्स के संदर्भ में तय किया गया था, जो कि हम जो पहले पाए गए हैं, वे आधार कार्यक्रम का आधार हैं।

एक्टन में,

अदालत ने माना कि हाई स्कूल एथलीटों के यादृच्छिक दवा परीक्षण का संचालन करने वाले अधिकारियों की कार्रवाई संग्रह की शर्तों के बाद से कानूनी थी

ये आम तौर पर सार्वजनिक शौचालयों में पाए जाने वाले लगभग समान थे। नतीजतन, यह पाया गया कि छात्रों के गोपनीयता हित नगण्य रूप से प्रभावित हुए थे। स्किनर में, अदालत ने संघीय की कार्रवाइयों को पाया

410 410 अमेरिका *1 (1973) 411 476* अमेरिका *693 (1986)*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

संशोधन "। न्यायालय ने कहा कि पहचान योग्य भौतिक विशेषताओं का जबरन प्रदर्शन "अनिवार्य आत्म-दोषारोपण के खिलाफ विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित हित" का उल्लंघन नहीं करता है। बोवेन में, न्यायालय ने एक कल्याणकारी योजना के प्रावधानों को बरकरार रखा जिसमें नागरिकों को

अपनी सामाजिक सुरक्षा संख्या प्रस्तुत करें, इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कि उपयोग

एक सामाजिक सुरक्षा संख्या ने अपीलार्थी की मूल अमेरिकी मान्यताओं का उल्लंघन किया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रथम संशोधन के स्वतंत्र अभ्यास खंड का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि सरकार को अपने आंतरिक मामलों को धार्मिक नियमों के अनुरूप संचालित करने की आवश्यकता है।

विशेष नागरिकों की मान्यताएँ।

4 1 2 में, नौवें सर्किट ने दिवालियापन संहिता के प्रावधानों को बरकरार रखा, जिसमें अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों पर दिवालियापन याचिका तैयार करने वालों की सामाजिक सुरक्षा संख्या का सार्वजनिक प्रकटीकरण अनिवार्य था, यह देखते हुए कि यह प्रावधान धोखाधड़ी को रोकने और न्यायिक कार्यवाही तक सार्वजनिक पहुंच प्रदान करने के सरकारी हितों की पूर्ति के लिए अधिनियमित किया गया था।

216. अमेरिका में निचली अदालतों के कुछ निर्णय जिन्होंने बायोमेट्रिक्स तैनात करने वाले राज्य के कानूनों या कार्यों की वैधता पर विचार किया है और जिन्हें उत्तरदाताओं द्वारा उद्धृत किया गया है, वे हैं: हास्केल बनाम हैरिस *("हास्केल"), 4 1 3* यूटिलिटी वर्कर्स यूनियन ऑफ अमेरिका बनाम न्यूक्लियर विनियामक आयोग *("यूडब्ल्यूयूए"), 4 1 4* निकोलस ए इकोबुची बनाम न्यूपोर्ट शहर *("इकोबुची"), 4 1 5* थॉम बनाम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज *("थॉम"), 4 1 6* पर्की बनाम मोटर वाहन विभाग

(" पर्की*), 4 1 7* बुकानन बनाम विंग *(*बुकानन*), 4 1 8* लोग बनाम स्टलर *(*स्टलर*), 4 1 9* संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम केली *(*केली*) 42 0 20* और ब्राउन बनाम ब्रैनन *(*ब्रैनन*)। 42 1* पहली बार में, ऐसा लगता है कि ये मामले उत्तरदाताओं के रुख का समर्थन करते हैं, हालाँकि, हम इस पर ध्यान नहीं दे सकते हैं जिस संदर्भ में न्यायालय उस निष्कर्ष पर पहुंचे जिस पर उत्तरदाताओं ने अपनी दलीलों के समर्थन में जोर दिया। हास्केल में, नौवां परिपथ

कैलिफोर्निया का एक कानून मिला जिसने कानून प्रवर्तन अधिकारियों को अधिकृत किया

412 194 एफ. *3* डी *954 (9* वां सिर। *1999) 413 669* एफ. *3* डी *1049 (9* वां सिर। *2012)*

414 664 एफ. सप. *136 (S.D.N.Y. 1987) 415 785 F. 2d 1354 (*छठा सिर। *1986) 416306* एफ. सप. *1002 (S.D.N.Y. 1969) 417 (1986) 42* कैल। *3* डी *185*

418 N.Y.S.2d 865 419 10 कैल। *App.3d 582 (1970) 420 55 F. 2d 67 (2d Cir. 1932) 421 399* एफ. सप. *133 (M.D.N.C. 1975)*

आपराधिक गिरफ्तारी, जिन्हें दोषी नहीं ठहराया गया था, के मुंह के बकल स्वाब से एक नमूने के रूप में डी. एन. ए. एकत्र करना संवैधानिक है।

अदालत ने नोट किया कि गिरफ्तार लोगों ने गोपनीयता हितों को कम कर दिया था; एक गुप्त स्वाब एकत्र करने की शारीरिक घुसपैठ प्रकृति में न्यूनतम थी; जानकारी का उपयोग करने के तरीके पर कड़ी सीमाएँ थीं;

और जेल प्रशासन और कानून में सहायता प्राप्त निर्दोष गिरफ्तार लोगों को दोषमुक्त करने के लिए भविष्य में आपराधिक कृत्यों को रोकने में राज्य का हित था।

प्रवर्तन। उपरोक्त कारणों से, न्यायालय ने पाया कि अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों की निजता का उल्लंघन उचित था। यू. डब्ल्यू. यू. ए. में, नौवें सर्किट ने फैसला सुनाया कि परमाणु ऊर्जा सुविधाओं में काम करने वाले व्यक्तियों को पहचान और आपराधिक इतिहास रिकॉर्ड जांच के लिए अपनी उंगलियों के निशान जमा करने की आवश्यकता वाला कानून असंवैधानिक नहीं था। आईकोबुची में, एक अध्यादेश जिसमें शराब बेचने वाले प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को नग्न नृत्य की अनुमति दी गई थी, पुलिस विभाग द्वारा उंगलियों की छपाई और फोटो खिंचवाने की आवश्यकता थी, को संवैधानिक माना गया था। अदालत ने कहा कि खुदरा शराब प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों की उंगलियों की छपाई और तस्वीरें लेना तर्कसंगत है।

अपराध के उन्मूलन के वैध उद्देश्य से संबंध। थॉम में, न्यूयॉर्क का एक कानून, जिसमें रोजगार की शर्त के रूप में, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजों की सदस्य फर्मों के सभी कर्मचारियों को होना आवश्यक था

फिंगरप्रिंटेड, बरकरार रखा गया था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि फिंगरप्रिंटिंग एक पूर्ववर्ती के अस्तित्व या गैर-अस्तित्व को सत्यापित करने का एक आवश्यक साधन था।

कि उसने स्वीकार किया था कि उसने कभी उंगली की छवि नहीं देखी थी प्रदर्शन किया और पता नहीं था कि क्या एक लेजर शामिल था। स्टुलर में, एक कानून की संवैधानिकता जिसके लिए "अस्थायी और भ्रमणशील वर्गों" की आवश्यकता होती है, जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.*

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

रिसॉर्ट शहर के "आगंतुकों और निवासियों" को लोगों और संपत्ति दोनों के खिलाफ अपराध और नुकसान से बचाने के लिए कर्मचारियों की फिंगरप्रिंटिंग को बरकरार रखा गया था। केली में, सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने प्रतिवादी की उंगलियों के निशान वापस करने के दावे को खारिज कर दिया, जो उसे निषेध एजेंटों द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद प्राप्त किया गया था।

कि "अपराध के लिए आरोपित" व्यक्तियों की पहचान करने के तरीके में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था। ब्रैनन में, अदालत ने माना कि एक कानून जिसमें "नरसंहारियों" को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी उंगलियों के निशान, तस्वीरें और अपनी चिकित्सा परीक्षाओं की रिपोर्ट जमा करने की आवश्यकता होती है, वैध था, यह देखते हुए कि उंगलियों के निशान और तस्वीरें उनकी पहचान के साथ-साथ सार्वजनिक नैतिकता और शालीनता से संबंधित आपराधिक कानूनों के प्रवर्तन में सहायता करेंगी।

217. विद्वान महान्यायवादी द्वारा उद्धृत मामले आधार कार्यक्रम के संदर्भ में लागू नहीं होंगे। मामले उद्धृत किए गए हैं।

बहुत विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित संकीर्ण रूप से तैयार किए गए कानूनों से निपटा गया। उदाहरण के लिए, अदालतों ने परमाणु सुविधा की रक्षा करने या प्रतिभूतियों की चोरी को रोकने के उद्देश्य से कानूनों को बरकरार रखा, जहां तोड़फोड़ या सुरक्षा के उल्लंघन की घटनाओं से राष्ट्रीय आपदाएं होतीं। इन राष्ट्रीय आपदाओं के परिणामस्वरूप तत्काल मानव जीवन का नुकसान होता या वित्तीय आपातकाल की स्थिति पैदा होती। ऐसे कानून,

इसलिए, सुरक्षा चिंताओं को शांत करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिन्हें लागू नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर जान-माल के नुकसान की घटनाएं हो सकती हैं और

संपत्ति।

कुछ कानूनों ने पहचान के लिए डीएनए नमूने, उंगलियों के निशान और तस्वीरों के संग्रह की अनुमति दी। इन कानूनों के पीछे का उद्देश्य अपराध की रोकथाम था, हालांकि तुलनात्मक रूप से छोटे पैमाने पर। इसके अलावा, इन मामलों में अदालतें इस बात से भी संतुष्ट थीं कि बायोमेट्रिक्स एकत्र करने में शामिल प्रक्रियाएं उन्हें असंवैधानिक करार देने के लिए पर्याप्त आक्रामक नहीं थीं या दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय थे।

आपराधिकता के चश्मे से देखा जाता है, और इसलिए, गोपनीयता की कम अपेक्षा के रूप में माना जाता है। द्वारा उद्धृत निर्णय जिन उत्तरदाताओं पर अपराध के संदर्भ में निर्णय लिया गया था, उनसे राज्य को कम से कम आपराधिक पृष्ठभूमि *[2018] 8* एस. सी. आर. के बारे में एक उचित विश्वास बनाने की आवश्यकता होती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

व्यक्तियों या अपराध करने की उनकी क्षमता। इसके विपरीत, द्वारा पहचान की जानकारी एकत्र करते हुए, आधार कार्यक्रम प्रत्येक नागरिक को एक संभावित अपराधी के रूप में मानता है, यहां तक कि राज्य को यह उचित विश्वास दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि कोई नागरिक किसी अपराध या पहचान को अंजाम दे रहा है।

धोखाधड़ी। जब राज्य को इस आशय के लिए उचित विश्वास और न्यायिक निर्धारण की आवश्यकता नहीं होती है, तो आधार जैसे कार्यक्रम, जो नागरिकों की निजता की न्यायोचित अपेक्षाओं का उल्लंघन करता है।

संविधान, राज्य द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के लिए पूरी तरह से असमान है।

218. आनुपातिकता के मौलिक नियम, जैसे-जैसे वे उभरते हैं

निर्धारित मामलों से इस प्रकार तैयार किया जा सकता है: *1*. मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने वाला कानून अनुसरण में होना चाहिए।

एक वैध राज्य उद्देश्य; अधिकारों के लिए औचित्य-उल्लंघनकारी उपाय जो हस्तक्षेप करते हैं

2.

या मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रयोग को सीमित करना उनके बीच एक तर्कसंगत संबंध के अस्तित्व पर आधारित होना चाहिए।
उपाय, वास्तव में स्थिति और उद्देश्य जिसे प्राप्त करने की मांग की गई थी;

उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपाय आवश्यक होने चाहिए और आवश्यक होने चाहिए।

3.

उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक से अधिक हद तक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना;

प्रतिबंधों को केवल वैध उद्देश्यों को पूरा नहीं करना चाहिए; उन्हें करना चाहिए।

4.

उनकी रक्षा करना भी आवश्यक है; और

5.

और केंद्रीय रूप से संग्रहीत डेटा की सुरक्षा। निजता में मनमाने या अपमानजनक हस्तक्षेप को रोकने के लिए, राज्य को यह गारंटी देनी चाहिए कि व्यक्तिगत जानकारी का संग्रह और उपयोग व्यक्ति की सहमति पर आधारित है; कि यह कानून द्वारा अधिकृत है और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हैं कि डेटा का उपयोग केवल संग्रह के समय निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया गया है। डेटा का स्वामित्व हर समय उस व्यक्ति में निहित होना चाहिए जिसका डेटा एकत्र किया जाता है। व्यक्ति को पहुँच का अधिकार होना चाहिए एकत्र
किए गए डेटा और बाहर निकलने के विवेक के लिए।

219. निजता और आनुपातिकता दो परस्पर जुड़े विषय हैं जो उपरोक्त निर्णयों में लगातार दोहराये जाते हैं। निजता, जिसे "सूचनात्मक आत्मनिर्णय" के रूप में भी माना जाता है, एक मौलिक मूल्य है। व्यक्तिगत गरिमा पर प्रभाव पर लगातार जोर दिया जाता है यदि निजी जानकारी न्याय के. एस. पुटसवामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

यह व्यापक रूप से उपलब्ध है और व्यक्ति इसके प्रकटीकरण और उपयोग पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं। अपने व्यक्तिगत डेटा की उपलब्धता और उपयोग की सीमा को नियंत्रित करने के इस अधिकार को डेटा सुरक्षा के एक निर्माण खंड के रूप में देखा जाता है-विशेष रूप से एक ऐसे वातावरण में जहां प्रौद्योगिकी की स्थिति जानकारी के संग्रह, विश्लेषण और प्रसार में आसानी की सुविधा प्रदान करती है।

220. सूचना के व्यापक और अंधाधुंध संग्रह को गोपनीयता के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है, जो स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक है। एकत्रित डेटा को बनाए रखने की व्यापक शक्ति को भी एक के रूप में देखा जाता है निजता के अधिकार में असमान हस्तक्षेप और एक लोकतांत्रिक समाज में आवश्यक नहीं है। निर्णयों में कहा गया है कि असीमित डेटा प्रतिधारण और राज्य की अप्रतिबंधित पहुंच दोनों एक असमान अनुपात का गठन करते हैं।

गोपनीयता और डेटा सुरक्षा में हस्तक्षेप। वे एकत्र किए जा रहे डेटा की प्रकृति को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने और इसकी गोपनीयता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर देते हैं। जिन प्रावधानों का सम्मान नहीं किया जाता है, उन्हें वैध नहीं माना जा सकता है। जबकि अदालतें सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा की आवश्यकता को पहचानती हैं, वे सार्वजनिक व्यवस्था और गोपनीयता के अधिकार की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर देती हैं।

221. आनुपातिकता का सिद्धांत भी इन निर्णयों के माध्यम से दोहराया जाता है, जिसमें कहा गया है कि सूचना का संग्रह और उपयोग कानून द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य और सार्वजनिक हित की सुरक्षा के लिए अपरिहार्य सीमा तक सीमित होना चाहिए। आनुपातिकता के लिए सार्वजनिक और निजी हितों के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। निर्णयों में कहा गया है कि अनधिकृत उपयोग के खिलाफ सुरक्षा होनी चाहिए और एकत्र किए गए डेटा के प्रसंस्करण के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित शर्तें होनी चाहिए। उन शर्तों को अत्यधिक नहीं होना चाहिए और सार्वजनिक हित के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए और उद्देश्य के अनुपात में तरीके से लागू किया जाना चाहिए। एकत्र किए गए और रखे गए डेटा का बहुत व्यापक दायरा, अधिकारियों द्वारा डेटा तक पहुंच पर लगाई गई सीमाओं की कमी और इसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता के आधार पर डेटा के उपचार के बीच अंतर करने में विफलता को अदालतों द्वारा उपाय को रद्द करने के लिए आधार के रूप में देखा जाता है। जबकि राज्य की अनिवार्यताओं को प्रासंगिक माना जाता है, उन अनिवार्यताओं के अनुपात में प्रतिधारण और पहुंच आवश्यकताओं और दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है। अदालतों ने उन नियमों को बरकरार रखा है जो वैध उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं और उनके नियमों में अत्यधिक नहीं हैं।

प्रकृति या प्रभाव। मुद्दा यह है कि क्या आधार परियोजना और अधिनियम, नियम और विनियम आनुपातिकता की कसौटी पर खरे उतरते हैं।

एच. *4* आधारः आनुपातिकता विश्लेषण

222. आधार के तहत, राज्य ने एक उद्देश्य रखा है -

अपने नागरिकों को सब्सिडी और अधिकारों का हस्तांतरण। इसका उद्देश्य रिसाव पर अंकुश लगाना और पारदर्शी और कुशल "सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण" को बढ़ाना था। हालाँकि, वर्तमान रूप में अधिनियम ने एक अनुरूप उद्देश्य को पार कर लिया है और अनिवार्य बायोमेट्रिक सक्षम आधार लिंकिंग के माध्यम से नागरिक-राज्य भागीदारी के हर पहलू को प्रशासित करने का प्रयास किया है। आधार योजना के संचालन के परिणामस्वरूप होने वाले मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का मूल्यांकन राज्य के वैध हित और आनुपातिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। चूंकि बायोमेट्रिक प्रणालियों को नियोजित किया गया है, इसलिए यह समझना मौलिक है कि बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग करने के निर्णय की शुरुआत से ही गोपनीयता का अधिकार और इसकी सुरक्षा बहस के केंद्र में होनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह से लेकर प्रतिधारण तक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय निर्धारित किए जाएं। उस समय

संग्रह, व्यक्तियों को संग्रह प्रक्रिया, संग्रह के इच्छित उद्देश्य, विशेष कारण के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

और विशिष्ट कानून ताकि गोपनीयता के अधिकार को न केवल मान्यता दी जाए बल्कि इसके सभी पहलुओं में संरक्षित किया जाए। इस दायित्व को पूरा करने का मतलब अनिवार्य रूप से डेटा संरक्षण कानून को लागू करना भी होगा। विशेष तकनीकों के चयन और प्रौद्योगिकी की वास्तुकला में घटकों की भूमिका का भी बायोमेट्रिक प्रणाली द्वारा प्रदान की गई गोपनीयता सुरक्षा पर एक मजबूत प्रभाव पड़ता है। सुनवाई

के दौरान, यू. आई. डी. ए. आई. के सी. ई. ओ., श्री अजय भूषण पांडे को विद्वान महान्यायवादी के अनुरोध पर आधार परियोजना की संरचना और कार्यप्रणाली को समझाते हुए अदालत के समक्ष एक पावर-पॉइंट प्रस्तुति देने की अनुमति दी गई थी। प्रस्तुतिकरण के आधार पर याचिकाकर्ताओं के वकील श्री श्याम दीवान ने उत्तरदाताओं को प्रश्नों की एक सूची दी थी। इन प्रश्नों के उत्तर यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा दाखिल किए गए हैं। जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. द्वारा शक्ति-बिंदु प्रस्तुति का विश्लेषण करना।

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

सी. ई. ओ., श्री दीवान द्वारा संबोधित प्रश्न और उत्तरदाताओं द्वारा दायर प्रतिक्रियाएँ आधार परियोजना की संरचना को समझने में सुविधा प्रदान करेंगी। हमारे विश्लेषण से संकेत मिलता है कि नामांकन के चरण में या जानकारी को अद्यतन करते समय किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की शुद्धता का यू. आई. डी. ए. आई. या सरकार के किसी भी अधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया जाता है। यू. आई. डी. ए. आई. अपने डेटाबेस में दर्ज जानकारी की शुद्धता के लिए संस्थागत जिम्मेदारी नहीं लेता है। यह इस कार्य को नामांकन एजेंसी या पंजीयक को सौंपता है। निम्नलिखित उत्तर प्रस्तुत किया गया है

इस पहलू पर विशेष रूप से संबोधित प्रश्नों के उत्तरदाताः

"यू. आई. डी. ए. आई. प्रक्रिया के अनुसार, दस्तावेजों का सत्यापन है -

पंजीयक को सौंपा गया। दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन के लिए, नामांकन केंद्र में मौजूद सत्यापनकर्ता इसका सत्यापन करेगा

दस्तावेज़। पंजीयक/नामांकन एजेंसी को कर्मियों की नियुक्ति करनी चाहिए

दस्तावेजों के सत्यापन के लिए "।

223. यू. आई. डी. ए. आई. उन व्यक्तियों की पहचान नहीं करता है जो आधार प्रणाली में नामांकन करते हैं। एक बार जब बायोमेट्रिक जानकारी नामांकन के दौरान सी. आई. डी. आर. में संग्रहीत की जाती है, तो इसका मिलान केवल सी. आई. डी. आर. में प्राप्त जानकारी से किया जाता है।

प्रमाणीकरण का समय। आधार संख्या धारक का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सी. आई. डी. आर. में आधार संख्या धारक की बायोमेट्रिक जानकारी के खिलाफ "एक से एक" बायोमेट्रिक मिलान के रूप में किया जाता है। मैच के आधार पर, यू. आई. डी. ए. आई. 'हां' या 'नहीं' प्रतिक्रिया प्रदान करता है। सी. आई. डी. आर. में दर्ज की जा रही जानकारी सही है या नहीं, यह एक कार्य है जो नामांकन एजेंसी या पंजीयक को सौंपा गया है। यू. आई. डी. ए. आई. इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है।

यह सत्यापित करने का काम भी कि क्या कोई व्यक्ति अवैध निवासी है, नामांकन एजेंसियों पर छोड़ दिया गया है। नामांकन के चरण में, इस बात का सत्यापन किया जाता है कि कोई व्यक्ति पिछले बारह महीनों में *182* दिनों या उससे अधिक समय से भारत में रह रहा है या नहीं, यह व्यक्ति की 'स्व-घोषणा' के आधार पर किया जाता है। घोषणा जो आधार में दी गई है

नामांकन प्रपत्र इस प्रकार हैंः

"आधार की धारा *3 (2)* के तहत प्रकटीकरण *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)*

अधिनियम, *2016*

मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि मैं पिछले *12* महीनों में कम से कम *182* दिनों से भारत में रह रहा हूं और मेरे द्वारा यू. आई. डी. ए. आई. को दी गई जानकारी *(*बायोमेट्रिक्स सहित*)* सही, सही और सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट है।

सटीक। मुझे पता है कि आधार बनाने और प्रमाणीकरण के लिए बायोमेट्रिक्स सहित मेरी जानकारी का परीक्षण किया जाएगा। मैं समझता हूं कि मेरी पहचान की जानकारी *(*मुख्य बायोमेट्रिक को छोड़कर*)* प्रमाणीकरण के दौरान या आधार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केवल मेरी सहमति से किसी एजेंसी को प्रदान की जा सकती है। मुझे यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी पहचान की जानकारी *(*मुख्य बायोमेट्रिक्स को छोड़कर*)* प्राप्त करने का अधिकार है। *422*

224. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि जिन व्यक्तियों को *12* तारीख को अधिनियम लागू होने से पहले आधार कार्यक्रम के तहत नामांकित किया गया था

सितंबर *2016 (*सौ करोड़ से अधिक*)* को यह घोषणा करने की भी आवश्यकता नहीं थी। प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रामाणिकता *(*घोषणा के साथ*)* की जांच यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा नहीं की जाती है।

यदि आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है तो पहचान के वैकल्पिक तरीकों के उपयोग की अनुमति देने वाली अपवाद प्रबंधन प्रक्रिया को भी अनुरोध करने वाली संस्था के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। इस पहलू पर, न्यायालय को जो जवाब दिया गया है, वह इस प्रकार हैः

"आधार *(*प्रमाणीकरण*)* विनियम *2016* के विनियम *14 (i)* के अनुसार, अनुरोध करने वाली संस्थाएं अपवाद-प्रबंधन को लागू करेंगी।

आधार संख्या धारकों को प्रमाणीकरण सेवाओं का निर्बाध प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए तंत्र और बैक-अप पहचान प्रमाणीकरण तंत्र। इसलिए, इस अपवाद प्रबंधन तंत्र को अनुरोध करने वाली संस्थाओं और सरकार के मामले में, उनके संबंधित मंत्रालयों द्वारा लागू और निगरानी की जानी है।

उनतालीस हजार नामांकन संचालकों को काली सूची में डाल दिया गया है

यूआईडीएआई। नामांकन संचालकों को काली सूची में डालने का कारण पूछने वाले याचिकाकर्ताओं के सवाल के जवाब में, यू. आई. डी. ए. आई. ने कहा है कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान डेटा गुणवत्ता की जांच की जाती है और यदि कोई आधार नामांकन यू. आई. डी. ए. आई. प्रक्रिया के अनुरूप नहीं पाया जाता है। नामांकन अस्वीकृत हो जाता है और आधार संख्या उत्पन्न नहीं होती है। एक ऑपरेटर जो पॉलिसी में परिभाषित सीमा को पार करता है, उसे काली सूची में डाल दिया जाता है /

यू. आई. डी. ए. आई. पारिस्थितिकी तंत्र से हटा दिया गया। यू. आई. डी. ए. आई. ने जानकारी दी है कि चालीस-नौ हजार ऑपरेटरों को निम्नलिखित कारणों से यू. आई. डी. ए. आई. पारिस्थितिकी तंत्र से काली सूची में डाल दिया गया था/हटा दिया गया थाः *(* क*)* अवैध रूप से प्रभारित करना

अमान्य बायोमेट्रिक अपवाद; और *(*घ*)* अन्य प्रक्रिया कदाचार। एक बार ऑपरेटर को काली सूची में डालने या निलंबित करने के बाद, आगे नामांकन नहीं किया जा सकता है। ब्लैकलिस्टिंग/निलंबन का आदेश मान्य होने तक इसके द्वारा किया जाता है।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

225. आधार संरचना में प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसियों *(*ए. यू. ए.*)* और प्रमाणीकरण सेवा एजेंसियों *(*ए. एस. ए.*)* की भूमिका शामिल है। आधार *(*प्रमाणीकरण*)* विनियमों के तहत ए. एस. ए. को आवश्यक प्रावधान करने वाली संस्थाओं के रूप में परिभाषित किया गया है। *UIDAI.423 AUAS* द्वारा प्रदान की गई प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करके प्रमाणीकरण करने के लिए अनुरोध करने वाली संस्था को सक्षम बनाने के लिए सुरक्षित नेटवर्क कनेक्टिविटी और संबंधित सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है।

आधार *(*प्रमाणीकरण*)* विनियमों के तहत अनुरोध के रूप में परिभाषित

"हाँ/नहीं प्रमाणीकरण सुविधा" द्वारा प्रदान की गई हाँ/नहीं प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करने वाली संस्थाएं एक प्रकार की प्रमाणीकरण सुविधा है जिसमें पहचान की जानकारी और आधार संख्या को एक अनुरोध के माध्यम से आधार संख्या धारक की सहमति से सुरक्षित रूप से प्रस्तुत किया जाता है।

इकाई का, सी. आई. डी. आर. में उपलब्ध आंकड़ों के साथ मिलान किया जाता है, और प्राधिकरण पहचान की जानकारी को छोड़कर, प्रमाणीकरण लेनदेन से संबंधित अन्य तकनीकी विवरणों के साथ "हां" या "नहीं" वाले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रतिक्रिया के साथ जवाब देता है। *425* दूसरे प्रकार का प्रमाणीकरण सुविधा ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा है, जिसमें बायोमेट्रिक जानकारी और/या ओ. टी. पी. और आधार संख्या सुरक्षित रूप से होती है।

आधार संख्या धारक की सहमति से एक अनुरोधकर्ता संस्था के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जिसका सी. आई. डी. आर. में उपलब्ध आंकड़ों के साथ मिलान किया जाता है। और प्राधिकरण प्रमाणीकरण लेनदेन से संबंधित अन्य तकनीकी विवरणों के साथ ई-केवाईसी डेटा युक्त डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रतिक्रिया देता है। एक अनुरोध करने वाली संस्था जो एक ए. यू. ए. होने के अलावा, यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा प्रदान की गई ई-के. वाई. सी. प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करती है, उसे "ई-के. वाई. सी. उपयोगकर्ता एजेंसी" या "के. यू. ए". कहा जाता है। *42 6* विनियम *15 (2)* के तहत, एक अनुरोध करने वाली एजेंसी किसी अन्य एजेंसी या संस्था को प्रत्येक के लिए एक अलग लाइसेंस कुंजी उत्पन्न करके और साझा करके हां/नहीं प्रमाणीकरण करने की अनुमति दे सकती है।

यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऐसी संस्था उक्त अनुरोध करने वाली संस्था को प्रदान की गई है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि लाइसेंस कुंजी को साझा करना केवल हां/नहीं प्रमाणीकरण करने के लिए अनुमत है, और ई-केवाईसी प्रमाणीकरण के मामले में निषिद्ध है। *427*

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि प्वाइंट ऑफ सर्विस *(*पी. ओ. एस.*)* बायोमेट्रिक रीडर बायोमेट्रिक जानकारी संग्रहीत करने में सक्षम हैं। यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा दी गई प्रतिक्रिया नीचे दी गई है:

423 विनियमन *2 (*एफ*)*, आधार *(*प्रमाणीकरण*)* विनियम *424* विनियम *2 (*जी*)*, आधार *(*प्रमाणीकरण*)* विनियम *2 (*पी*)*, आधार *(*प्रमाणीकरण*)* विनियम *426* विनियम *2 (1)*, आधार *(*प्रमाणीकरण*)* विनियम *427* विनियम *15*, आधार *(*प्रमाणीकरण*)* विनियम।

"यू. आई. डी. ए. आई. ने सभी प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए पंजीकृत उपकरणों *(*आर. डी.*)* का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। पंजीकृत उपकरणों के साथ बायोमेट्रिक डेटा को प्रदाता कुंजी का उपयोग करके उपकरण/आर. डी. सेवा के भीतर हस्ताक्षरित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह वास्तव में लाइव कैप्चर किया गया है। उपकरण प्रदाता आर. डी. सेवा मेजबान अनुप्रयोग पर लौटने से पहले पी. आई. डी. ब्लॉक को कूटबद्ध करता है। यह आर. डी. सेवा बायोमेट्रिक कैप्चर, हस्ताक्षर और बायोमेट्रिक्स के एन्क्रिप्शन को अपने भीतर समाहित करती है। इसलिए, आधार प्रमाणीकरण प्रणाली में आर. डी. की शुरुआत किसी भी संभावना को खारिज करती है
संग्रहीत बायोमेट्रिक का उपयोग और अन्य स्रोतों से ली गई बायोमेट्रिक्स की पुनरावृत्ति। अनुरोध करने वाली संस्थाओं को आधार *(*प्रमाणीकरण*)* विनियम *2016* के विनियम *17 (1) (*ए*)* के तहत आधार प्रमाणीकरण के लिए ली गई बायोमेट्रिक्स को संग्रहीत करने की कानूनी रूप से अनुमति नहीं है।

226. पी. आई. डी. ब्लॉक को आधार *(*प्रमाणीकरण*)* विनियम, *2016* के विनियम *2 (*एन*)* में व्यक्तिगत पहचान डेटा तत्व के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें प्रमाणीकरण के दौरान आधार संख्या धारक से एकत्र किए गए आवश्यक जनसांख्यिकीय और/या बायोमेट्रिक और/या ओ. टी. पी. शामिल हैं। विनियम *17 (1) (*सी*)* अनुरोध करने वाली संस्था को पी. आई. डी. ब्लॉक को तब संग्रहीत करने की अनुमति देता है जब यह बफर प्रमाणीकरण के लिए होता है जहां इसे अस्थायी रूप से रखा जा सकता है।

थोड़े समय के लिए प्रमाणीकरण उपकरण पर, और यह कि प्रसारण के बाद इसे हटा दिया जाता है। इस प्रकार, आधार परियोजना के तहत, अनुरोध संस्थाएं व्यक्तियों की पहचान की जानकारी रख सकती हैं, भले ही वह अस्थायी अवधि के लिए हो।

याचिकाकर्ताओं द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि आधार संरचना में प्रमाणीकरण संस्थाएं प्रमाणीकरण की तारीख और समय, ग्राहक आई. पी., उपकरण आई. डी. और प्रमाणीकरण के उद्देश्य को दर्ज करने में सक्षम हैं।

प्रमाणीकरण। जवाब में, यू. आई. डी. ए. आई. ने कहा कि वह अनुरोध करने वाली संस्थाओं को उपकरण के आई. पी. पते, उपकरण के जी. पी. एस. निर्देशांक और प्रमाणीकरण के उद्देश्य से संबंधित किसी भी लॉग को बनाए रखने के लिए नहीं कहता है। हालाँकि, यह स्वीकार किया गया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी प्रणालियाँ सुरक्षित हैं और धोखाधड़ी का प्रबंधन किया जाता है, बैंकों और दूरसंचार प्रदाताओं जैसे ए. यू. ए. भंडारण कर सकते हैं।

उन्हें सुरक्षित करने के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त जानकारी

प्रणाली। *227.* प्रमाणीकरण अनुरोध भेजने की प्रक्रिया को आधार *(*प्रमाणीकरण*)* विनियमों के विनियम *9* में निपटाया गया है। यह.

यह प्रावधान है कि आधार संख्या या अनुरोध करने वाली संस्था द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य पहचानकर्ता को एकत्र करने के बाद, जिसे आधार संख्या के साथ मैप किया गया है और आधार संख्या धारक से आवश्यक जनसांख्यिकीय और/या बायोमेट्रिक जानकारी और/या ओ. टी. पी., ग्राहक का आवेदन तुरंत जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.*

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

केवाईसी डेटा, जैसा भी मामला हो, प्रमाणीकरण लेनदेन से संबंधित अन्य तकनीकी विवरणों के साथ। प्रमाणीकरण के सभी तरीकों में, आधार संख्या अनिवार्य है और इनपुट के साथ जमा की जाती है मानकों जैसे कि प्रमाणीकरण हमेशा *1* तक कम हो जाता हैः *1* मैच। विनियम *9* के खंड *(5)* में प्रावधान है कि एक अनुरोध करने वाली संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि

कि पी. आई. डी. ब्लॉक का कूटलेखन प्रमाणीकरण उपकरण पर पकड़ने के समय निर्धारित प्रक्रियाओं और विनिर्देशों के अनुसार होता है।

यूआईडीएआई द्वारा नीचे। विनियम *18 (1)* में प्रावधान है कि एक अनुरोध करने वाली संस्था अपने द्वारा संसाधित प्रमाणीकरण लेनदेन के लॉग बनाए रखेगी, जिसमें निम्नलिखित लेनदेन विवरण शामिल होंगेः

(क*)* आधार संख्या जिसके खिलाफ प्रमाणीकरण की मांग की जाती है*;* *(* बी*)* प्रस्तुत प्रमाणीकरण अनुरोध के निर्दिष्ट मापदंड*;*

(ग*)* प्रमाणीकरण प्रतिक्रिया के रूप में प्राप्त निर्दिष्ट मापदंड*;*

(घ*)* प्रमाणीकरण के समय आधार संख्या धारक को जानकारी के प्रकटीकरण का रिकॉर्ड*;* और *(* ङ*)* प्रमाणीकरण के लिए आधार संख्या धारक की सहमति का अभिलेख।

इस प्रावधान में किसी भी मामले में पी. आई. डी. जानकारी को बरकरार नहीं रखा गया है। विनियम *18 (2)* और *18 (3)* अनुरोध करने वाली संस्था द्वारा प्रमाणीकरण लेनदेन के लॉग को दो साल की अवधि के लिए बनाए रखने की अनुमति देते हैं। दो साल की समाप्ति पर लॉग को एक के लिए संग्रहीत किया जाना है

पाँच वर्ष की अवधि या इकाई को नियंत्रित करने वाले कानूनों या विनियमों द्वारा आवश्यक वर्षों की संख्या, जो भी बाद में हो। इस अवधि की समाप्ति पर, लॉग को हटा दिया जाएगा, सिवाय उन रिकॉर्डों के जिन्हें अदालत द्वारा या किसी भी लंबित विवाद के लिए बनाए रखने की आवश्यकता होती है। विनियमन *20 (1)* में प्रावधान है कि एक प्रमाणीकरण सेवा एजेंसी अपने द्वारा संसाधित प्रमाणीकरण लेनदेन के लॉग को बनाए रखेगी, जिसमें निम्नलिखित लेनदेन विवरण शामिल होंगेः

*(*बी*)* प्रस्तुत प्रमाणीकरण अनुरोध के मापदंड; और *(*ग*)* प्रमाणीकरण प्रतिक्रिया के रूप में प्राप्त मापदंड।

विनियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निवारण, विवाद निवारण और लेखा परीक्षा। प्रमाणीकरण लॉग का उपयोग बताए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। दो की अवधि समाप्त होने पर प्रमाणीकरण लॉग को पांच साल की अवधि के लिए संग्रहीत किया जाएगा। पाँच वर्ष की समाप्ति पर या इकाई को नियंत्रित करने वाले कानूनों या विनियमों द्वारा आवश्यक वर्षों की संख्या, जो भी बाद में हो, प्रमाणीकरण लॉग को उन लॉग को छोड़कर हटा दिया जाएगा जिन्हें अदालत द्वारा या लंबित विवादों के लिए बनाए रखने की आवश्यकता होती है। आधार अधिनियम की धारा *2 (*डी*) 428* प्रमाणीकरण के समय के अभिलेख के भंडारण की अनुमति देती है। ये प्रावधान एक विशिष्ट समय अवधि के लिए प्रमाणीकरण लेनदेन के लॉग के भंडारण की अनुमति देते हैं।

यू. आई. डी. ए. आई. के सी. ई. ओ. द्वारा की गई पावर-पॉइंट प्रस्तुति में कहा गया है कि:

"पंजीकृत उपकरणों के साथ प्रत्येक बायोमेट्रिक उपकरण में एक होगा

अद्वितीय पहचानकर्ता जो पता लगाने, विश्लेषण और धोखाधड़ी की अनुमति देता है

प्रबंधन और बायोमेट्रिक डेटा पर उपकरण के भीतर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

प्रतिक्रिया आगे इंगित करती है कि यू. आई. डी. ए. आई. को ए. यू. ए. कोड, ए. एस. ए. मिलता है।

कोड, अद्वितीय उपकरण कोड, प्रमाणीकरण के लिए उपयोग किया जाने वाला पंजीकृत उपकरण कोड और उस यू. आई. डी. ए. आई. को पता चल जाएगा कि प्रमाणीकरण किस उपकरण से हुआ है और किस ए. यू. ए./ए. एस. ए. के माध्यम से हुआ है। उत्तरदाताओं द्वारा दी गई प्रतिक्रिया में कहा गया है:

"यू. आई. डी. ए. आई. को आई. पी. पते या जी. पी. एस. स्थान से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिलती है जहाँ से प्रमाणीकरण किया जाता है क्योंकि ये मापदंड प्रमाणीकरण का हिस्सा नहीं हैं।

केवाईसी *(v2.1)* एपीआई। यू. आई. डी. ए. आई. को केवल यह पता होगा कि किस उपकरण से

प्रमाणीकरण हुआ है, जिसके माध्यम से ए. यू. ए./ए. एस. ए. आदि।

428 धारा *2 (*डी*)* में कहा गया है: प्रमाणीकरण रिकॉर्ड का अर्थ है प्रमाणीकरण के समय का रिकॉर्ड और अनुरोध करने वाली संस्था की पहचान और उसके द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया।

*[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

ट्रेसेबिलिटी से स्लाइडों का यही मतलब है। यू. आई. डी. ए. आई. को प्रमाणीकरण उपकरण को किस स्थान पर तैनात किया गया है, इसके आई. पी. पते और इसके प्रचालक और प्रमाणीकरण के उद्देश्य के बारे में

कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसके अलावा, यू. आई. डी. ए. आई. या इसके अंतर्गत आने वाली कोई भी संस्था आधार अधिनियम की धारा *32 (3)* के तहत प्रमाणीकरण के उद्देश्य के बारे में किसी भी जानकारी को एकत्र करने, रखने या बनाए रखने से नियंत्रण को वैधानिक रूप से प्रतिबंधित किया गया है।

हालांकि, विनियमन *26*, जो प्रमाणीकरण लेनदेन डेटा के भंडारण और रखरखाव से संबंधित है, स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि यूआईडीएआई

प्रमाणीकरण लेन-देन डेटा को संग्रहीत और बनाए रखें, जिसमें निम्नलिखित जानकारी होगी:

(क*)* पी. आई. डी. ब्लॉक सहित प्राप्त प्रमाणीकरण अनुरोध डेटा*;*

(बी*)* भेजे गए प्रमाणीकरण प्रतिक्रिया डेटा*;*

(ग*)* लेन-देन से संबंधित मेटा डेटा *1 2 9 429;* और *(* घ*)* आवश्यकतानुसार कोई भी प्रमाणीकरण सर्वर साइड कॉन्फ़िगरेशन *430*।

यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा छह महीने की अवधि के लिए रखा गया है, और उसके बाद पांच साल के लिए संग्रहीत किया जाएगा, जिस पर, प्रमाणीकरण लेनदेन डेटा को हटा दिया जाएगा, सिवाय इसके कि जब इसे अदालत द्वारा या किसी लंबित विवाद के संबंध में बनाए रखने की आवश्यकता हो। इन प्रावधानों से संकेत मिलता है कि आधार संरचना के तहत, यू. आई. डी. ए. आई. प्रमाणीकरण लेनदेन डेटा को संग्रहीत करता है। यह व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त डेटा लघुकरण सिद्धांतों का उल्लंघन है जो चाहते हैं कि डेटा संग्रहकर्ता और प्रोसेसर व्यक्तिगत डेटा रिकॉर्ड को तब हटा दें जब उस उद्देश्य को पूरा किया जाए जिसके लिए इसे एकत्र किया गया है। सुरक्षा मानकों के विनिर्देशन की कमी और पारदर्शिता की समग्र कमी और अपर्याप्त शिकायत निवारण तंत्र आधार कार्यक्रम इससे जुड़े समग्र जोखिम को बहुत बढ़ा देता है

डेटा प्रतिधारण। आधार व्यवस्था में, एक प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसी *(*ए. यू. ए.*)* सी. आई. डी. आर. से जुड़ती है और उपयोगकर्ता को मान्य करने और उसकी सेवाओं को सक्षम करने के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करती है। सेवा वितरण के रसद की जिम्मेदारी ए. यू. ए. के पास है। इस संघीय मॉडल में,

429 ए. यू. ए. कोड, ए. एस. ए. कोड, अद्वितीय उपकरण कोड, प्रमाणीकरण के लिए उपयोग किया जाने वाला पंजीकृत उपकरण कोड और उस यू. आई. डी. ए. आई. को पता चल जाएगा कि प्रमाणीकरण किस उपकरण से किया गया है।

हो चुका है

430 एक महत्वपूर्ण विन्यास आईपी पता हो सकता है।

प्रमाणीकरण सेवा एजेंसियां *(*ए. एस. ए.*)* एक या अधिक ए. यू. ए. की ओर से सी. आई. डी. आर. को प्रमाणीकरण अनुरोध भेजती हैं। हालाँकि, कोई भी उपकरण जो

इंटरनेट के माध्यम से संचार करने वालों को एक आई. पी. पता सौंपा जाता है। लेन-देन के लिए निर्धारित मेटा का उपयोग करके, आईपी पते का उपयोग करके प्रमाणीकरण के स्थान का आसानी से पता लगाया जा सकता है।

228. याचिकाकर्ताओं ने इस अदालत का ध्यान सुरक्षा और आधार के संबंध में एक विशेषज्ञ रिपोर्ट पर रखने के लिए भी आकर्षित किया है, जिसे *09* मार्च *2018* को एक अतिरिक्त हलफनामे के साथ दायर किया गया था। *4* मार्च *2018* की रिपोर्ट का शीर्षक "आधार गोपनीयता और सुरक्षा के बारे में प्रमुख चिंता का विश्लेषण" है और इसे प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने लिखा है। प्रोफेसर अग्रवाल आई. आई. टी. कानपुर में एन. रामाराव प्रोफेसर हैं और प्रौद्योगिकी और वास्तुकला समीक्षा बोर्ड *(*टी. ए. आर. बी.*)* और सुरक्षा समीक्षा के सदस्य हैं। यू. आई. डी. ए. आई. की समिति प्रोफेसर अग्रवाल की रिपोर्ट अंतर गोपनीयता की धारणा से संबंधित है। विभेदक गोपनीयता तकनीकी संस्थाओं के लिए व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता बनाए रखते हुए उपयोगकर्ता की आदतों के बारे में समग्र जानकारी एकत्र करना और साझा करना संभव बनाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रोटोकॉल की अंतर गोपनीयता लोगों की गोपनीयता में परिवर्तन है जब प्रोटोकॉल को किसी अन्य प्रोटोकॉल को बदले बिना पेश किया जाता है। यदि किसी प्रोटोकॉल की अंतर गोपनीयता "गैर-नकारात्मक" है, तो प्रोटोकॉल किसी भी तरह से गोपनीयता से समझौता नहीं करता है। चार मौजूदा आधार डेटाबेस हैं:

(i) 'व्यक्ति डेटाबेस' किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताओं को संग्रहीत करता है।

(नाम, पता, उम्र आदि*)* उसके आधार संख्या के साथ*;*

(ii) संदर्भ डेटाबेस एक व्यक्ति की आधार संख्या को एक विशिष्ट संदर्भ संख्या के साथ संग्रहीत करता है *(*जिसका किसी व्यक्ति की आधार संख्या से कोई संबंध नहीं है*);*

(iii) बायोमेट्रिक डेटाबेस किसी व्यक्ति की बायोमेट्रिक जानकारी संग्रहीत करता है।

अद्वितीय संदर्भ संख्या के साथ*;* और

(iv) सत्यापन लॉग पिछले पांच वर्षों में किए गए सभी आईडी सत्यापन को दर्ज करता है। प्रत्येक सत्यापन के लिए, यह बायोमेट्रिक डेटा संग्रहीत करता है,

आधार संख्या, और उस उपकरण की आईडी जिस पर सत्यापन किया जाता है

किया गया।

यदि कोई डेटाबेस लीक हो जाता है तो रिपोर्ट स्थिति का विश्लेषण करती है। रिपोर्ट में कहा गया है:

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

" अंत में, आइए हम सत्यापन लॉग पर ध्यान दें। इसका रिसाव किसी व्यक्ति की सुरक्षा और गोपनीयता दोनों को प्रभावित कर सकता है क्योंकि कोई भी कई लोगों की पहचान निकाल सकता है *(*और इसलिए जाली पहचान बदल सकता है*)* और उन स्थानों का भी पता लगा सकता है जहां

पिछले पाँच वर्षों में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए लेनदेन। नोट

इसकी अंतर गोपनीयता नकारात्मक हो जाती है क्योंकि इस डेटाबेस तक पहुंच के बिना पिछले पांच वर्षों में किसी व्यक्ति के स्थानों को ट्रैक करना संभव नहीं है *(*वर्तमान स्थान पर नज़र रखने के विपरीत जो संभव है*)*। इसलिए, सत्यापन लॉग रखा जाना चाहिए।

सुरक्षित "।

यह रिपोर्ट आधार डेटाबेस में सत्यापन लॉग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित करती है। सत्यापन लॉग का रिसाव तब से व्यक्तियों की सुरक्षा और गोपनीयता को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है रिपोर्ट में कहा गया है कि सत्यापन लॉग से, पिछले पांच वर्षों में किसी व्यक्ति द्वारा लेनदेन के स्थानों का पता लगाना संभव है। सत्यापन लॉग में एक उल्लंघन किसी तीसरे पक्ष को स्थान तक पहुँचने की अनुमति देगा

पिछले पाँच वर्षों में किसी व्यक्ति का लेनदेन। रिपोर्ट में बताया गया है कि

कि आधार डेटाबेस के माध्यम से किसी व्यक्ति के स्थान का पता लगाना संभव है। आधार डेटाबेस पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य डेटाबेस से अलग है। आधार डेटाबेस सार्वभौमिक है और इसमें किसी व्यक्ति की बायोमेट्रिक्स होती है। इसलिए इस डेटाबेस के प्रभावों की जांच करने की सीमा इसकी तुलना में बहुत अधिक है अन्य डेटाबेस।

229. पुट्टास्वामी में, न्यायमूर्ति कौल *(*अपने सहमति वाले फैसले में*)* ने व्यक्तियों की निगरानी के संबंध में चिंताओं पर जोर दिया। द. विद्वान न्यायाधीश ने फैसला सुनाया किः

"प्रौद्योगिकी के विकास और विकास ने राज्य द्वारा गोपनीयता के संभावित आक्रमण के लिए नए साधन बनाए हैं, जिसमें निगरानी, प्रोफाइलिंग और डेटा संग्रह शामिल हैं।

प्रसंस्करण। निगरानी कोई नई बात नहीं है, लेकिन प्रौद्योगिकी ने उन तरीकों से निगरानी की अनुमति दी है जो अकल्पनीय हैं। राज्यों द्वारा अपनाई जा रही ऐसी ही एक तकनीक 'प्रोफाइलिंग' है। डेटा गोपनीयता पर *2016* का यूरोपीय संघ विनियमन 'प्रोफाइलिंग' को व्यक्तिगत डेटा के स्वचालित प्रसंस्करण के किसी भी रूप के रूप में परिभाषित करता है जिसमें एक प्राकृतिक व्यक्ति से संबंधित कुछ व्यक्तिगत पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए व्यक्तिगत डेटा का उपयोग होता है, विशेष रूप से उस प्राकृतिक व्यक्ति के प्रदर्शन से संबंधित पहलुओं का विश्लेषण या भविष्यवाणी करने के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्थिति, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत प्राथमिकताएँ, रुचियाँ, विश्वसनीयता, व्यवहार, स्थान या गतिविधियाँ। इस तरह के विवरण के परिणामस्वरूप धर्म, जातीयता और जाति के आधार पर भेदभाव हो सकता है। *431*

न्यायमूर्ति कौल ने निजी संस्थाओं के आचरण को विनियमित करने की आवश्यकता के साथ-साथ व्यक्तियों की प्रोफाइलिंग पर भी विचार कियाः

"गैर-राज्य अभिनेताओं की घर और गोपनीयता पर आक्रमण करने की क्षमता को भी बढ़ाया गया है। तकनीकी विकास ने पत्रकारिता को सुगम बनाया है जो पहले से कहीं अधिक घुसपैठिया है। *432*

विशेष रूप से मानव व्यवहार और बातचीत से संबंधित प्रतिरूपों, प्रवृत्तियों और संघों को प्रकट करना और इसलिए, मूल्यवान है।
जानकारी दी। यह 'बिग डेटा' का युग है। प्रौद्योगिकी में प्रगति ने न केवल डेटा के नए रूप बनाए हैं, बल्कि डेटा के विश्लेषण के नए तरीके भी बनाए हैं और डेटा के लिए नए उपयोगों की खोज की है। एल्गोरिदम अधिक प्रभावी हैं और

कम्प्यूटेशनल शक्ति तेजी से बढ़ी है। *433*

230. आधार अधिनियम की धारा *2 (*सी*)* का खुलासा करने में सक्षम है

431 अनुच्छेद *585* में पुट्टास्वामी *432* अनुच्छेद *587* में पुट्टास्वामी

433 पुट्टास्वामी पैरा *588* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

डेटा विषय की सहमति के बिना उस जानकारी का उपयोग। यह अपनी जानकारी के उपयोग पर किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत नियंत्रण को नष्ट कर देता है। बायोमेट्रिक डेटा का अनधिकृत द्वितीयक उपयोग शायद सबसे बड़ा जोखिम है जो बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी सूचना के लिए पैदा करती है।

इस संबंध में, यू. आई. डी. ए. आई. और एल. *1* आइडेंटिटी सॉल्यूशंस के बीच हस्ताक्षरित अनुबंध *(*दिनांक *24* अगस्त *2010)* से निपटना आवश्यक होगा। विदेशी इकाई जिसने बायोमेट्रिक भंडारण के लिए स्रोत कोड प्रदान किया*)*। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि अनुबंध एल *1* आइडेंटिटी सॉल्यूशंस को भारत में सभी निवासियों के बारे में सभी व्यक्तिगत जानकारी तक मुफ्त पहुंच प्रदान करता है। अनुबंध निर्दिष्ट करता है कि यू. आई. डी. ए. आई. *('*खरीदार*')* को स्थायी रूप से खरीदार के अद्वितीय विनिर्देशों के लिए अनुबंध के "पूरी तरह से निष्पादन के दौरान" मैसर्स एल-*1* आइडेंटिटी सॉल्यूशंस द्वारा "पहचानी गई" सभी मूल नई बनाई गई प्रक्रियाओं का उपयोग करने का अधिकार है और जिसमें एल-*1* आइडेंटिटी सॉल्यूशंस से संबंधित कोई भी पूर्व मौजूदा बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल नहीं है। *435*

यू. आई. डी. ए. आई. को एल-*1* आइडेंटिटी सॉल्यूशंस द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर *(*मालिकाना एल्गोरिदम*)* का लाइसेंस प्रदान किया गया था। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि

अनुबंध जोः

"यहाँ दिया गया अनुबंध और लाइसेंस सॉफ्टवेयर की एक प्रति की बिक्री नहीं हैं और खरीदार को एम/एस एल-*1* आइडेंटिटी सॉल्यूशंस ऑपरेटिंग कंपनी के स्वामित्व वाले एबीआईएस और एसडीके सॉफ्टवेयर का मालिक नहीं बनाते हैं। *9 436*

अनुबंध एल-*1* पहचान समाधानों को स्वामित्व बनाए रखने के लिए अधिकृत करता है। अनुबंध के तहत खरीदार को वस्तुओं, सेवाओं और अन्य वितरण में सभी बौद्धिक संपदा अधिकारों का स्वामित्व

उनकी पूर्व-विद्यमान प्रौद्योगिकियों में संशोधन या व्युत्पन्न कार्य,

सॉफ्टवेयर, वस्तु, सेवाएँ और अन्य कार्य। यदि एल-*1* आइडेंटिटी सॉल्यूशंस या उसके संघ के सदस्यों द्वारा किए गए किसी संशोधन या व्युत्पन्न कार्य में खरीदार की अद्वितीय गोपनीय जानकारी होती है, तो अनुबंध में प्रावधान है कि पूर्ववर्ती इस तरह के संशोधन या व्युत्पन्न को आगे किसी अन्य ग्राहक या तीसरे पक्ष को लाइसेंस या वितरित नहीं करेगा।

434 नैन्सी यू लियू, बायो-प्राइवेसीः गोपनीयता विनियम और बायोमेट्रिक्स की चुनौती,

रूटलेज *(2013)* पृष्ठ *76* पर

435 अनुबंध *436* आई. बी. आई. डी. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट का खंड *13.1*

खरीदार की पूर्व लिखित अनुमति के बिना पीछा करना। *437* क्लॉज रोवाइड्सः

"मेसर्स एल-*1* आइडेंटिटी सॉल्यूशंस ऑपरेटिंग कंपनी/मेसर्स एल-*1* आइडेंटिटी सॉल्यूशंस ऑपरेटिंग कंपनी की टीम यह सुनिश्चित करेगी कि जब वह सेवाओं को करने के दौरान किसी भी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रक्रियाओं, दस्तावेज़ या सामग्री का उपयोग करती है, तो यह किसी भी व्यक्ति और मेसर्स के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है।

एल-*1* आइडेंटिटी सॉल्यूशंस ऑपरेटिंग कंपनी रखेगी

किसी भी अनुमति/लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन या उल्लंघन या मेसर्स एल-*1* आइडेंटिटी सॉल्यूशंस ऑपरेटिंग कंपनी या मेसर्स एल-*1* की टीम द्वारा किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन।

पहचान समाधान संचालन कंपनी के दौरान

सेवाओं का निष्पादन। मेसर्स एल *1* आइडेंटिटी सॉल्यूशंस ऑपरेटिंग कंपनी/मेसर्स एल-*1* आइडेंटिटी सॉल्यूशंस ऑपरेटिंग कंपनी, मेसर्स एल-*1* आइडेंटिटी सॉल्यूशंस ऑपरेटिंग कंपनी की टीम द्वारा उल्लंघन के मामले में, मेसर्स एल-*1* आइडेंटिटी सॉल्यूशंस ऑपरेटिंग कंपनी का रक्षा पर एकमात्र नियंत्रण होगा और

सभी संबंधित समझौता वार्ताएँ "।

13. 4 सूचना गोपनीयता से संबंधित है। यह प्रदान करता हैः

"एम/एस एल-*1* आइडेंटिटी सॉल्यूशंस ऑपरेटिंग कंपनी/एम/एस एल-*1* आइडेंटिटी सॉल्यूशंस ऑपरेटिंग कंपनी की टीम अपने साथ नहीं ले जाएगी।

कोई भी लिखित/मुद्रित दस्तावेज़, लेआउट आरेख, फ़्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, भंडारण टेप, अन्य भंडारण उपकरण या कोई अन्य सामान/सामग्री जो खरीदार के स्वामित्व में है, डेटासेंटर साइटों में या बाहर

और यू. आई. डी. ए. आई. से लिखित अनुमति के बिना स्थान

खरीदार "।

15 , "डेटा और हार्डवेयर" के रूप में शीर्षक, प्रदान करता है:

" *15.1* इस अनुबंध के आधार पर, मेसर्स एल-*1* आइडेंटिटी सॉल्यूशंस ऑपरेटिंग कंपनी/मेसर्स एल-*1* आइडेंटिटी सॉल्यूशंस ऑपरेटिंग कंपनी की टीम के पास व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच हो सकती है।

खरीदार *[*यू. आई. डी. ए. आई.*]* और/या किसी तीसरे पक्ष या भारत के किसी भी निवासी, किसी भी कानून के दायरे में आने वाला कोई अन्य व्यक्ति जो लागू हो सकता है। खरीदार के पास एकमात्र होगा

ऐसे सभी डेटा का स्वामित्व और स्थायी रूप से उपयोग करने का अधिकार

न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

भारत का जो मेसर्स एल-*1* आइडेंटिटी सॉल्यूशंस ऑपरेटिंग कंपनी या मेसर्स एल-*1* आइडेंटिटी सॉल्यूशंस के ट्राम के कब्जे में हो सकता है
प्रदर्शन के क्रम में संचालन कंपनी।

15.2 खरीदार के पास इस अनुबंध के तहत सेवाओं का प्रदर्शन करने के दौरान मेसर्स एल-*1* आइडेंटिटी सॉल्यूशंस ऑपरेटिंग कंपनी द्वारा बनाए गए और बनाए गए भारत के निवासियों के स्वामित्व वाले बायोमेट्रिक टेम्पलेट का एकमात्र स्वामित्व और उपयोग करने का अधिकार होगा। अनुबंध की समाप्ति या समाप्ति की स्थिति में, मेसर्स एल-*1* आइडेंटिटी सॉल्यूशंस ऑपरेटिंग कंपनी सभी स्वामित्व वाले टेम्पलेटों को यू. आई. डी. ए. आई. को इलेक्ट्रॉनिक भंडारण माध्यम में एक ऐसे रूप में हस्तांतरित करेगी जो संदर्भ के लिए स्वतंत्र रूप से पुनर्प्राप्त करने योग्य हो।
और भविष्य में उपयोग करें।

15.3 डेटा को मेसर्स एल-*1* आइडेंटिटी सॉल्यूशंस ऑपरेटिंग कंपनी द्वारा भारत सरकार की प्रतिधारण नीति या किसी अन्य नीति के अनुसार *7* साल की अवधि से अधिक नहीं रखा जाएगा।

यू. आई. डी. ए. आई. भविष्य में इसे अपना सकता है।

अनुबंध के तहत, एल-*1* आइडेंटिटी सॉल्यूशंस बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर का स्वामित्व बरकरार रखता है। यू. आई. डी. ए. आई. को केवल सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का लाइसेंस दिया गया है। न तो केंद्र सरकार और न ही यू. आई. डी. ए. आई. के पास डी-डुप्लिकेशन तकनीक के लिए स्रोत कोड है जो कार्यक्रम के केंद्र में है। स्रोत कोड एक विदेशी निगम का है। यू. आई. डी. ए. आई. केवल एक लाइसेंसधारी है। यह भी प्रावधान किया गया है कि एल-*1* आइडेंटिटी सॉल्यूशंस को यू. आई. डी. ए. आई. और व्यक्तिगत डेटाबेस तक पहुंच प्रदान की जा सकती है।

किसी भी व्यक्ति की जानकारी। *232.* पुट्टास्वामी में इस न्यायालय ने डेटा गोपनीयता की सुरक्षा में सहमति की केंद्रीयता पर जोर दिया था:

"307 ..... निजता की सुरक्षा के अलावा, डेटा सुरक्षा व्यवस्था व्यक्ति की स्वायत्तता की रक्षा करना चाहती है। यह बात स्पष्ट है।

सहमति की केंद्रीयता पर यूरोपीय डेटा संरक्षण व्यवस्था में जोर देने से। सहमति के मुद्दे से संबंधित पारदर्शिता की आवश्यकता है जिसके लिए डेटा प्राप्तकर्ता द्वारा डेटा हस्तांतरण और उपयोग से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है।

आधार अधिनियम के लागू होने से पहले, किसी व्यक्ति को सूचित सहमति का कोई अधिकार नहीं था। व्यक्तिगत नागरिकों की सहमति के बिना, यू. आई. डी. ए. आई. ने अनुबंध के प्रदर्शन के लिए उसे कोई भी जानकारी प्रदान करने के लिए एल-*1* आइडेंटिटी सॉल्यूशंस के साथ अनुबंध किया। यह अनुबंध सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में प्रदान किया गया है।

कि एल-*1* आइडेंटिटी सॉल्यूशंस यू. आई. डी. ए. आई. को हुए किसी भी नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करेगा। हालाँकि, *12* करोड़ नागरिकों की संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के रिसाव को केवल संविदात्मक क्षतिपूर्ति से ठीक नहीं किया जा सकता है। डेटा का नुकसान अपरिवर्तनीय है। डिजिटल समाज में, एक व्यक्ति को व्यक्तिगत जानकारी पर नियंत्रण बनाए रखते हुए अपनी रक्षा करने का अधिकार है। *1. 2* अरब नागरिकों के डेटा की सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है और इसे एक अनुबंध द्वारा क्षतिपूर्ति नहीं किया जा सकता है।
233. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान ने भी इस न्यायालय का ध्यान ज्ञापन की ओर आकर्षित किया है।

यू. आई. डी. ए. आई. और विभिन्न संस्थाओं के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करना। आधार अधिनियम के अधिनियमन से पहले, यू. आई. डी. ए. आई. एक कार्यकारी प्राधिकरण के रूप में अस्तित्व में था, पूर्ववर्ती योजना आयोग के तहत और फिर केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत। श्री दीवान ने तर्क दिया है कि नामांकन की प्रक्रिया में लगे निजी पक्षों की गतिविधियों का कोई वैधानिक या कानूनी समर्थन नहीं था। यह उनका तर्क था कि यू. आई. डी. ए. आई. और पंजीयकों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन निम्नलिखित के दायरे में अनुबंध नहीं हैं -

संविधान का अनुच्छेद *299*, और इसलिए, पंजीकरण के लिए पंजीयक द्वारा नियुक्त निजी संस्थाओं द्वारा किए गए कार्यों को शामिल नहीं करता है। में।

मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड बनाम भारत संघ *4 3 8*, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया थाः

"*290.* अपीलार्थी जो चाहते हैं वह एक तरह से एक विशिष्ट प्रदर्शन है जब कोई अनुबंध समाप्त नहीं होता है। दलों के बीच। समझौता ज्ञापन एक अनुबंध नहीं है, और किसी भी मामले में अनुच्छेद *299* के अर्थ के भीतर नहीं है।

भारत का संविधान "। *439*

संविधान का अनुच्छेद *299*। यू. आई. डी. ए. आई. और नामांकन एजेंसियों के बीच अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं है। *234.* इस न्यायालय ने पुट्टास्वामी में निर्णय दिया कि कोई भी कानून जो किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है, उसके लिए सख्त अंतर्निर्मित होने की आवश्यकता है।

439 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *153* पर जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

अनुरोध करने वाली संस्थाएं। वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में *212* पंजीयक और *755* नामांकन एजेंसियां हैं। *440* इतनी सारी संस्थाओं के कार्यों की निगरानी करना कोई आसान काम नहीं है। व्यक्तियों की पहचान की जानकारी के केंद्रीय डेटाबेस को प्रबंधित करने और सुरक्षित करने की जिम्मेदारी भी यू. आई. डी. ए. आई. पर रखी गई है। यू. आई. डी. ए. आई. को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि डेटा

सी. आई. डी. आर. में भंडारित को सुरक्षित और गोपनीय रखा जाता है। इसे *12* करोड़ नागरिकों की पहचान की जानकारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। यू. आई. डी. ए. आई. को आधार की संरचना के तहत विवेकाधीन शक्तियां सौंपी गई हैं, जिसमें किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी को उनके साथ अनुबंध के प्रदर्शन के लिए बायोमेट्रिक सेवा प्रदाताओं *(*बी. एस. पी.*)* के साथ साझा करने का विवेकाधिकार भी शामिल है।

अधिनियम के तहत कोई भी अपराध केवल तभी संज्ञेय होगा जब यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा शिकायत दर्ज की जाती है। यू. आई. डी. ए. आई. एक स्वतंत्र निगरानी एजेंसी नहीं है। आधार संरचना के तहत, यू. आई. डी. ए. आई. एकमात्र प्राधिकरण है जो

परियोजना के सभी कार्यों को पूरा करता है, चाहे वह प्रशासनिक, न्यायिक, खोजी या निगरानी हो। जबकि अधिनियम यू. आई. डी. ए. आई. को ऐसे प्रमुख कार्य प्रदान करता है, यह नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी के डेटाबेस की सुरक्षा के लिए यू. आई. डी. ए. आई. पर कोई संस्थागत जवाबदेही नहीं रखता है। अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए विनियमों का पालन न करने के मामले में यू. आई. डी. ए. आई. और उसके कर्मियों के दायित्व पर अधिनियम मौन है। अधिनियम की धारा *23 (2) (*ओं*)* के तहत, यू. आई. डी. ए. आई. को एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। परियोजना का प्रशासन करने वाले प्राधिकरण को परियोजना से उत्पन्न होने वाली शिकायतों के समाधान के लिए रूपरेखा प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार बनाना, शिकायत निवारण निकाय की स्वतंत्रता से गंभीर रूप से समझौता करता है। *441* अधिनियम की धारा *47* उपचार मांगने के अधिकार का उल्लंघन करती है। धारा *47 (1)* के तहत, एक अदालत एक का संज्ञान ले सकती है *440* श्री राकेश द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत, राज्य के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील

गुजरात

441 द सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी, आधार विधेयक और चिंताओं में मुख्य बिंदु, यहां उपलब्ध हैः *//*सिस-इंडिया। ओ. आर. जी./इंटरनेट-गवर्नेंस/आधार में प्रमुख बिंदु

बिल और चिंताएँ।

236. किसी भी कानून के प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, जो किसी व्यक्ति की गोपनीयता का उल्लंघन करता है। एक निष्पक्ष डेटा संरक्षण व्यवस्था के लिए डेटा के उल्लंघन से निपटने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण की स्थापना की आवश्यकता होती है। सुरक्षा ढांचे के साथ-साथ इसके अनुपालन की सक्रिय रूप से निगरानी करना। स्वतंत्र निगरानी प्राधिकरण को उन मानकों को निर्धारित करने की आवश्यकता होनी चाहिए जिनके खिलाफ डेटा सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन को मापा जाना है। इसे कानून के उल्लंघन के संबंध में विवादों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना होता है। डेटा सुरक्षा के लिए एक मजबूत व्यवस्था की आवश्यकता है

व्यक्तियों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा के लिए नियामक ढांचा। द.

निर्दिष्ट और हानि, अनधिकृत पहुँच, संशोधन और प्रकटीकरण जैसे जोखिमों के खिलाफ सुरक्षा उपायों के अधीन। *444* स्वतंत्र प्राधिकारी को संसद के प्रति जवाबदेह होने की आवश्यकता है। एक नियामक ढांचे के अभाव में जो डेटा सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है, आधार अधिनियम *442* शंकर अय्यर, आधारः भारत की *12* अंकों की क्रांति का एक बायोमेट्रिक इतिहास,

वेस्टलैंड *(2017),* पृष्ठों पर *226-227*

443 सुभाशीष बनर्जी, आर्किटेक्चर फॉर प्राइवेसी, द इंडियन एक्सप्रेस *(5* मई *2018),* यहां उपलब्ध हैः *//*इंडियन एक्सप्रेस। *com/*आलेख/राय/कॉलम/वास्तुकला-गोपनीयता के लिए-डेटा-सुरक्षा-फेसबुक-भारत-संयुक्त राज्य-*5163819/444* शंकर अय्यर, आधारः भारत की *12* अंकों की क्रांति का एक बायोमेट्रिक इतिहास,

वेस्टलैंड *(2017),* पृष्ठ *226* पर जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

अनुच्छेद *14* के आधार पर किसी चुनौती के खिलाफ एकजुट नहीं होता है। यह कानून डेटा संरक्षण व्यवस्था के अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने में विफल रहा है जो *1.2* अरब भारतीयों के डेटा की रक्षा करता है। एक नियामक ढांचे की अनुपस्थिति कानून को इस आधार पर चुनौती देने के लिए असुरक्षित छोड़ देती है कि यह कानून के शासन के तहत निष्पक्ष संस्थागत शासन की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा है।

237. आधार अधिनियम की योजना सूचना और उनकी सुरक्षा के लिए अध्याय *VI* में उल्लिखित मानदंडों पर आधारित है।

अध्याय *VII* के तहत आपराधिक अपराधों और दंड की व्यवस्था के तहत प्रवर्तन। आपराधिक गलत काम को दंडित करने के लिए कानून के तहत एक व्यवस्था प्रदान करना आवश्यक है। लेकिन, आपराधिक अपराध एक स्वायत्त निकाय के तत्वावधान में एक मजबूत नियामक ढांचे के लिए रामबाण नहीं हैं।

नियामक निकाय। डेटा की अखंडता के संबंध में उल्लंघन वृद्धिशील हो सकते हैं। व्यक्तियों के एक समुदाय के दैनिक जीवन में लाखों डेटा लेनदेन होते हैं। डेटा की अखंडता के संबंध में कई उल्लंघन हैं। यदि अलग से देखा जाए तो उनमें से कुछ तुच्छ प्रतीत हो सकते हैं। हालांकि, कुल मिलाकर, ये उल्लंघन व्यक्ति की गरिमा और

स्वायत्तता पर गंभीर रूप से अतिक्रमण करते हैं। आपराधिक कानून का एक शासन अपने आप में इन सभी उल्लंघनों से उनकी मात्रा और जटिलता के संदर्भ में निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आपराधिक कानून को एक स्वतंत्र नियामक ढांचे द्वारा पूरक किया जाना चाहिए। इसकी अनुपस्थिति में, एक गंभीर खतरा है कि डेटा संरक्षण के शासन के साथ-साथ आपराधिक न्याय का प्रशासन भी निष्क्रिय हो जाएगा।

दुर्भाग्य से, ऊपर उल्लिखित प्रकृति का एक नियामक ढांचा पूरी तरह से अनुपस्थित है। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और नियंत्रित यू. आई. डी. ए. आई. के पास न तो स्वायत्तता है और न ही नियामक

डेटा की सुरक्षा के संबंध में कानून के अधिदेश को लागू करने का अधिकार। एक नियामक ढांचे की अनुपस्थिति कानून को डेटा उल्लंघन से निपटने में काफी हद तक अप्रभावी बनाती है। डेटा सुरक्षा को एक अनियमित बाजार स्थान पर नहीं छोड़ा जा सकता है। न ही कानून इस शौकीन उम्मीद पर टिका हो सकता है कि सरकार के भीतर या बाहर संगठित संरचनाएं स्व-अनुपालन करेंगी। आधार अधिनियम एक स्वायत्त नियामक तंत्र की स्थापना और उसे लागू करने के लिए अपने विधायी डिजाइन में स्पष्ट रूप से विफल रहा है। इस तरह के तंत्र के अभाव में, राज्य सूचनात्मक आत्मनिर्णय के व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा के लिए अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहा है।

238. धारा *33 (2),* जो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में पहचान की जानकारी और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड के प्रकटीकरण की अनुमति देती है, एक

एक समिति द्वारा निरीक्षण की प्रक्रिया। हालांकि, कोई ठोस सर्वोच्च अदालत की रिपोर्ट नहीं है

किसी की पहचान का प्रमाण क्योंकि यह अपेक्षाकृत अद्वितीय जैविक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करते हैं। चूंकि बायोमेट्रिक डेटा को आमतौर पर केवल एक व्यक्ति से जोड़ा जा सकता है, यह एक शक्तिशाली, अद्वितीय पहचानकर्ता के रूप में कार्य करता है जो व्यक्तिगत डेटा के विभिन्न टुकड़ों को एक साथ लाता है। किसी व्यक्ति की जानकारी। एक अपेक्षाकृत अद्वितीय पहचानकर्ता के रूप में, बायोमेट्रिक डेटा न केवल व्यक्तियों को ट्रैक करने की अनुमति देता है, बल्कि यह किसी व्यक्ति की जानकारी के संग्रह की क्षमता भी पैदा करता है और

एक व्यापक प्रोफ़ाइल में निगमन। केंद्रीय डेटाबेस, डेटा मिलान/लिंकिंग और प्रोफाइलिंग तकनीकी कारक हैं जो 'फंक्शन क्रीप' *(*फिसलन ढलान जिसके अनुसार जानकारी का उपयोग किया जा सकता है*)* की सुविधा प्रदान करते हैं।

उन कार्यों के अलावा अन्य कार्यों के लिए जिनके लिए इसे एकत्र किया गया था*)*। गोपनीयता के पैरोकारों का मानना है कि किसी भी पहचान योजना को एक छिपे हुए एजेंडे के साथ किया जा सकता है और फिसलन ढलान प्रभाव कई कारकों जैसे कि सरकारों और व्यवसाय की प्रेरणाओं और सुरक्षा उपायों के अस्तित्व के लिए प्रासंगिक हो सकता है। बायोमेट्रिक डेटा की विशेष प्रकृति फंक्शन क्रीप को अधिक संभावित और आकर्षक भी बनाती है। फंक्शन क्रीप को नियंत्रित करने के लिए संभव कानूनी उपाय अभी भी सीमित हैं। हालांकि, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे फंक्शन क्रीप को कम किया जा सकता है। इनमें शामिल हैं *(i)* किसी भी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए

एकत्र किए गए डेटा की मात्रा को सीमित करना; *(ii)* प्रणाली तक तकनीकी पहुंच को सीमित करने के लिए विनियमन को सक्षम करना; *(iii)* सभी हितधारकों और सार्वजनिक भागीदारी के साथ ठोस बहस; *(iv)*

240. इस न्यायालय ने पुट्टास्वामी में कहा कि गोपनीयता की उचित अपेक्षा के लिए आवश्यक है कि डेटा संग्रह की स्वायत्तता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति। न्यायालय ने सहमति, पारदर्शिता और सूचना पर नियंत्रण को आधारशिला माना है जिस पर सूचनात्मक गोपनीयता के मूल सिद्धांत खड़े हैं। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि एक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह दूसरों को अपनी छवि, नाम और व्यक्तिगत जीवन और पहचान के अन्य पहलुओं का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए बिना सहमति के करने से रोक सके। आधार संख्या किसी भी व्यक्ति की एक विशिष्ट विशेषता है। यह किसी व्यक्ति से जुड़ी अनूठी जानकारी को मूर्त रूप देता है। जिस तरीके से इसका उपयोग किया जाना है, वह व्यक्ति की सहमति पर निर्भर होना चाहिए।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

241. आधार अधिनियम की धारा *57* राज्य, निजी संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा "किसी भी उद्देश्य के लिए" किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या के उपयोग की अनुमति देती है। निजी संस्थाओं को आधार संख्या का उपयोग करने की अनुमति देने से किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके व्यक्तिगत डेटा का व्यावसायिक दोहन होगा और व्यक्तिगत प्रोफाइलिंग हो सकती है। तर्क यह है कि धारा *57* पुट्टास्वामी निर्णय में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहती है।

इस संबंध में, *2010* के नीति पत्र का संदर्भ लिया जाना चाहिए। एक समूह

भारत सरकार द्वारा एक गोपनीयता कानून के लिए एक ढांचा विकसित करने के लिए अधिकारियों की संख्या बनाई गई थी जो सुरक्षा और क्षेत्रीय हितों के साथ गोपनीयता संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करेगी, और इस विषय पर डोमेन कानून की आवश्यकता का जवाब देगी। गोपनीयता पर प्रस्तावित कानून के लिए कानूनी ढांचे के लिए एक दृष्टिकोण पत्र समूह द्वारा तैयार किया गया था और सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था।

भारत। पेपर ने अद्वितीय व्यक्तिगत आईडी के डेटाबेस के आधार पर एक परियोजना होने के नतीजों का उल्लेख किया:

"जब डेटा को विकेंद्रीकृत तरीके से संग्रहीत किया जाता है तो डेटा गोपनीयता और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा की आवश्यकता लगभग कभी भी चिंता का विषय नहीं होती है। हालाँकि, यह सब बदलने की संभावना है

यू. आई. डी. परियोजना का कार्यान्वयन। अपरिहार्य में से एक

यू. आई. डी. परियोजना के परिणाम यह होंगे कि यू. आई. डी. संख्या

कई डेटाबेस को एकीकृत करेगा। अधिक से अधिक एजेंसियों के रूप में

सरकार यू. आई. डी. परियोजना पर हस्ताक्षर करेगी, यू. आई. डी. संख्या होगी

एक आम धागा बन जाता है जो उन सभी डेटाबेस को एक साथ जोड़ता है। समय के साथ, निजी उद्यम भी अपनी सेवाओं के वितरण के उद्देश्यों के लिए या ग्राहक के रूप में नामांकन के लिए एक पहचानकर्ता के रूप में यू. आई. डी. संख्या को अपना सकते हैं। एक बार ऐसा होने के बाद, वर्तमान में कई डेटाबेस के बीच मौजूद डेटा का पृथक्करण गायब हो जाएगा।

इस तरह का एक विशाल परस्पर जुड़ा हुआ सार्वजनिक सूचना डेटाबेस है

भारत में अभूतपूर्व। यह आवश्यक है कि उचित कदम उठाए जाएं।

विशाल सरकार के सामने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए लिया गया

निजी डेटा के भंडारों को जोड़ा गया है और डेटा का खतरा है

सुरक्षा उल्लंघन वास्तविक हो जाता है। *445*

पेपर ने यू. आई. डी. परियोजना के दोहन की क्षमता पर प्रकाश डाला। संभावना यह थी कि यू. आई. डी. डेटा का सीधे उपयोग किया जा सकता था। *445* भारत सरकार, गोपनीयता पर एक विधान के लिए दृष्टिकोण पत्र *(2010),* उपलब्ध

एचटीटीपी परः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. पीआरएसइंडिया। *org/*अपलोड/मीडिया/यू. आई. डी./एप्रोच _ पेपर।

पी. डी. एफ. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 8 एस सी आर।

या अप्रत्यक्ष रूप से बाजार की ताकतों द्वारा वाणिज्यिक शोषण के साथ-साथ नागरिकों की निजता में राज्य द्वारा घुसपैठ के लिए। पत्र में निजी संस्थाओं द्वारा नागरिकों के डेटा के दोहन के संबंध में एक तीखा अवलोकन थाः

निजी संस्थाओं के साथ
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सरकारी और निजी दोनों कार्यों के संदर्भ में व्यक्ति की गोपनीयता की रक्षा की जानी चाहिए।

क्षेत्रीय इकाइयाँ "। *446*

पेपर ने एक सख्त गोपनीयता संरक्षण तंत्र की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जो व्यक्तिगत डेटा को वाणिज्यिक शोषण के साथ-साथ व्यक्तिगत प्रोफाइलिंग से रोक सकता है।

242. भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक, *2010* के अध्याय *5* का भी उल्लेख किया जाना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं -

पहचान समीक्षा समिति का गठन। प्रस्तावित समिति को देश भर में आधार संख्या के उपयोग की सीमा और पैटर्न का पता लगाने का कार्य सौंपा जाना था। समिति को अपनी सिफारिशों के साथ आधार संख्या के उपयोग की सीमा और पैटर्न के संबंध में सालाना एक रिपोर्ट तैयार करनी थी और इसे केंद्र सरकार को प्रस्तुत करना था। इस तरह की समिति की स्थापना के पीछे का विचार आधार संख्या का उपयोग करने की सीमा को

सीमित करना था। इन प्रावधानों में नहीं है इसे आधार अधिनियम, *2016* में शामिल किया गया है। इसके बजाय, अधिनियम राज्य के साथ-साथ निजी संस्थाओं द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए आधार संख्या के उपयोग की अनुमति देता है। यह अति विस्तार का एक स्पष्ट मामला है और स्पष्ट मनमानेपन का एक उदाहरण है।

446 न्याय की आज्ञा का पालन करने वाले के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

243. धारा *57* इंगित करती है कि विधायिका ने बहुत दूर तक यात्रा की है।

सामाजिक कल्याण लाभों का लक्षित वितरण सुनिश्चित करने के अपने घोषित उद्देश्य से परे। आधार प्लेटफॉर्म को निजी संस्थाओं द्वारा उपयोग करने की अनुमति देना कानून बनाने के उद्देश्य से कहीं अधिक है। यह संविदात्मक खंडों के कथित प्रयोग में भी नागरिकों के डेटा के वाणिज्यिक दोहन को उजागर करता है। इसके परिणामस्वरूप नागरिकों की गोपनीयता और प्रोफाइलिंग का उल्लंघन होगा। "आधार की गोपनीयता और सुरक्षा" शीर्षक वाला एक लेखः ए कंप्यूटर साइंस पर्सपेक्टिव *"447* प्रोफाइलिंग और पहचान के जोखिम को रेखांकित करता है जो आधार संख्या के उपयोग से संभव है। इसमें कहा गया हैः

"आधार संख्या आधार योजना के केंद्र में है।
और यह चिंता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। याद रखें कि

आधार संख्या एक अद्वितीय पहचानकर्ता है जिसे काम करना चाहिए।

कई क्षेत्रों में। यह देखते हुए कि आधार संख्या अनिवार्य है
सेवाओं को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से खुलासा किया जाता है, यह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो जाता है, न केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से बल्कि अक्सर मानव पठनीय में भी।

फॉर्म भी, जिससे सेवा प्रदाताओं के लिए जोखिम बढ़ जाता है

कई सेवा क्षेत्र। एक बार आधार संख्या
व्यक्ति *(*अनिवार्य रूप से*)* ज्ञात है, कि व्यक्ति की पहचान की जा सकती है

डोमेन में सहमति के बिना, कई उल्लंघनों के लिए अग्रणी

गोपनीयता "।

244. "किसी भी उद्देश्य के लिए" आधार के उपयोग से होने वाले जोखिम

एक प्रणाली में प्रोफाइल होने की क्षमता रखता है, जिसका उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। यह प्रभावित करने की क्षमता भी रखता है *447* श्वेता अग्रवाल, सुभाशीष बनर्जी और सुबोध शर्मा, आधार की गोपनीयता और सुरक्षाः ए कंप्यूटर साइंस पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली *(16* सितंबर *2017)*, वॉल्यूम। *52* , *HTTPS* पर उपलब्धः *//*डब्ल्यू. डब्ल्यू. ई. पी. डब्ल्यू. इन*/*जर्नल*/2017/37* विशेष

लेख/गोपनीयता-और सुरक्षा-आधार। एचटीएमएल

448 निशांत शाह, डिजिटल नेटिवः द इंडियन एक्सप्रेस *(17* जून *2018)*, एक प्रभाव पैदा करता है, जो यहां उपलब्ध हैः //इंडियन एक्सप्रेस। कॉम/लेख/प्रौद्योगिकी/सामाजिक/डिजिटल-देशी-कारण

एक-प्रभाव-*5219977*/सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2018] 8 एस सी आर।

व्यक्तियों के व्यवहार के प्रतिमान, उनकी गोपनीयता और स्वतंत्रता को प्रभावित करके। व्यक्ति विवरण का उपयोग मानव जीवन के बीच सह-संबंध बनाने के लिए किया जा सकता है, जो आम तौर पर असंबद्ध होते हैं। यदि मानव जीवन के हर पहलू में आधार संख्या के निशान छोड़ दिए जाते हैं, तो इससे गोपनीयता का नुकसान होगा। प्रोफाइलिंग व्यक्तियों के प्रभावों का अनुमान *1966* में अलेक्जेंडर सोल्झेनित्साइनिन कैंसर वार्ड *449* द्वारा लगाया गया था। उनके विचार हमारे युग के अनुरूप हैं:

"जैसे-जैसे हर आदमी जीवन से गुजरता है, वह कई रूपों में भरता है

अभिलेख प्रशासन। इस प्रकार हर आदमी से सैकड़ों छोटे धागे निकलते हैं, कुल मिलाकर लाखों धागे। यदि ये धागे अचानक दिखाई देते हैं, तो पूरा आकाश मकड़ी के जाल की तरह दिखाई देगा, और यदि वे लोचदार पट्टियों के रूप में मूर्त रूप लेते हैं, तो बसें, ट्राम और यहां तक कि लोग भी चलने की क्षमता खो देंगे, और हवा शहर की सड़कों पर फटे समाचार पत्रों या शरद ऋतु के पत्तों को ले जाने में असमर्थ होगी। वे दिखाई नहीं देते हैं, वे भौतिक नहीं हैं, लेकिन हर आदमी अपने अस्तित्व के बारे में लगातार जागरूक रहता है। हर आदमी, अपने स्वयं के अदृश्य धागे के बारे में स्थायी रूप से जागरूक होता है, स्वाभाविक रूप से उन लोगों के लिए सम्मान विकसित करता है जो लोगों को हेरफेर करते हैं।
धागे "।

बायोमेट्रिक डेटा पर नेटवर्क किए गए समाज के अदृश्य धागे में भविष्य के लिए गंभीर संकेत हैं। जब तक कानून एक प्रभावी आदेश नहीं देता डेटा संरक्षण ढांचा, स्वतंत्रता और गरिमा की खोज हवा की तरह ही अल्पकालिक होगी।

245. एक उपन्यासकार की दृष्टि हमारे समय में एक वास्तविकता बनने की धमकी दे रही है। विवरण व्यक्ति और उनके व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। चूंकि डेटा संग्रह पहचान के प्रमाण के लिए अनुरोध करने वाली संस्थाओं के आधार पर एक व्यक्ति की प्राथमिकताओं को दर्ज करता है, ऐसा कोई भी पैटर्न अपने आप में महत्वपूर्ण डेटा है जिसका उपयोग भविष्य के विकल्पों और व्यक्तियों की प्राथमिकताओं के उद्भव की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है। इन वरीयताओं का उपयोग चुनावी कार्यालयों के लिए उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं के निर्णय लेने को प्रभावित करने के लिए भी किया जा सकता है। इस तरह की प्रथा लोकतंत्र के काम करने के लिए अस्वास्थ्यकर होगी, जहां एक नागरिक स्वतंत्र विकल्प से वंचित है। आधुनिक डिजिटल युग में, गोपनीयता सुरक्षा की मांग नहीं है कि डेटा को सुरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए।

एकत्र किया गया, संग्रहीत किया गया या उपयोग किया गया, लेकिन यह कि साबित करने योग्य गारंटी होनी चाहिए

449 अलेक्जेंडर सोल्झेनित्सिन, कैंसर वार्ड, द बोडले हेड *(1968)*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

बाहरी खतरे। राज्य हमेशा अपने विरोधियों से खतरे के लिए खुला रहता है, और राष्ट्रीय स्तर की पहचान प्रणाली किसी भी व्यक्ति के लिए एक आसान लक्ष्य बन सकती है जो व्यक्ति के बायोमेट्रिक के रूप में गंभीर नुकसान करना चाहता है। इस प्रक्रिया में प्रमाण-पत्र खतरे में हैं। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि राज्य की कार्रवाई एक पहचान प्रणाली विकसित करते समय सुरक्षा कमजोरियों का पता लगाए। इन मुद्दों को आधार अधिनियम द्वारा हल नहीं किया गया है। वर्तमान में यह निर्दिष्ट करने के लिए सीमित विधायी या अन्य नियामक मार्गदर्शन है कि क्या निजी या सार्वजनिक संगठनों को दूसरों को बायोमेट्रिक जानकारी साझा करने या बेचने से रोका जाता है। धारा *57* को व्यक्तियों के डेटा के व्यावसायिक दोहन की अनुमति देने या उनके व्यवहार पैटर्न को प्रभावित करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। धारा *57* संवैधानिक रूप से पारित नहीं होती है। यह स्पष्ट रूप से मनमाना है, अति विस्तार से ग्रस्त है और अनुच्छेद *14* का उल्लंघन करता है।

246. इसके मूल में, आधार अधिनियम व्यक्तियों की पहचान के लिए एक विधि बनाने का प्रयास करता है ताकि सेवाएं, सब्सिडी और अन्य प्रदान किए जा सकें। उन्हें लाभ। अधिनियम की प्रस्तावना में बताया गया है कि अधिनियम की संरचना "सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का कुशल, पारदर्शी और लक्षित वितरण" प्रदान करने का प्रयास करती है, जिसके लिए निवासी व्यक्तियों को समेकित निधि से खर्च किया जाता है। अधिनियम की धारा *7* आधार संख्या या आधार रखने का प्रमाण बनाती है

सब्सिडी वाले अनाज और एलपीजी की आपूर्ति से लेकर सड़कों और नागरिक सुविधाओं के उपयोग, स्वास्थ्य सेवा और यहां तक कि करदाताओं को छूट भी इस तरह के दायरे में आ सकती है। धारा *7* का दायरा नागरिकों के जीवन के हर बुनियादी पहलू को शामिल कर सकता है। समाज के हाशिए पर पड़े वर्ग, जो काफी हद तक सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अन्य पर निर्भर हैं बायोमेट्रिक एल्गोरिदम में बेमेल होने के कारण उत्तरजीविता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों को बुनियादी जीवन स्थितियों से वंचित किया जा सकता है। अधिनियम की धारा *7* के तहत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना, जिसमें आधार संख्या रखने या प्रमाणीकरण की आवश्यकता के अनिवार्य प्रमाण की आवश्यकता होती है, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इनमें *252* योजनाएं शामिल हैं, जिनमें बच्चों के लिए योजनाएं *(*जैसे सर्व शिक्षा अभियान के तहत लाभ या मध्याह्न भोजन योजना के तहत भोजन प्राप्त करना, बच्चों के लिए चित्रकला और निबंध प्रतियोगिताएं, योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति*)*, बंधुआ श्रम और मानव तस्करी के पुनर्वास से संबंधित योजनाएं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं, सार्वभौमिक पहुंच शामिल हैं। तपेदिक देखभाल, पेंशन, श्रम और रोजगार से संबंधित योजनाएं, कौशल विकास, कार्मिक और प्रशिक्षण, कृषि

और किसान कल्याण, प्राथमिक और उच्च शिक्षा, सामाजिक न्याय, विकलांग व्यक्तियों के लिए लाभ, महिला और बाल विकास, ग्रामीण विकास, खाद्य वितरण, स्वास्थ्य सेवा, पंचायती राज, रसायन और उर्वरक, जल

यह जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन की रूपरेखा को फिर से बनाने के लिए है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आधार अधिनियम की धारा *2 (*के*)* में व्यक्ति के भंडारण को शामिल नहीं किया गया है सी. आई. डी. आर. में नस्ल, धर्म, जाति, जनजाति, जातीयता, भाषा, आय या चिकित्सा इतिहास से संबंधित जानकारी, आधार को इसके साथ अनिवार्य रूप से जोड़ना।

विभिन्न योजनाएं प्रभाव में एक ही परिणाम की अनुमति देती हैं। उदाहरण के लिए, जब हाथ से मैला ढोने में लगे किसी विशेष जाति के व्यक्ति को बचाया जाता है और पुनर्वास योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, उसे आधार संख्या को योजना के साथ जोड़ना पड़ता है, तो इसका प्रभाव यह होता है कि योजना के डेटाबेस में हाथ से मैला ढोने में लगे व्यक्ति के रूप में एक प्रोफ़ाइल बनाई जाती है। हाथ से मैला साफ करने वाला होने का कलंक स्थायी रूप से हो जाता है

उसकी/उसकी पहचान के लिए तय। आधार अधिनियम विशेष रूप से जिसे बाहर करने का प्रयास करता है, वह लाभों और सेवाओं के वितरण की आड़ में विभिन्न डेटाबेस के साथ आधार संख्या को अनिवार्य रूप से जोड़कर किया जाता है।

इसके अलावा, आधार संख्या के प्रमाण की अनुपस्थिति राज्य की नजर में एक निवासी को अस्तित्वहीन बना देगी, और ऐसे निवासियों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर देगी। इस प्रकार धारा *7* नागरिकों के जीवन पर सीधा प्रभाव डालती है। यदि न्याय के. एस. पुत्रस्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* के लिए आधार की आवश्यकता अनिवार्य कर दी गई है।

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला हर लाभ या सेवा, आधार के बिना समकालीन भारत में रहना असंभव है। यह बुराई से पीड़ित है ओवरब्रॉड होने का। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी *(*जो समेकित निधि से खर्च होती है*)* का दायरा अन्य लाभों और सेवाओं के समान नहीं है जो सरकार उन्हें प्रदान करती है।

उनके नागरिक। इसलिए, लाभों और सेवाओं को सब्सिडी के समान मापदंड से नहीं मापा जा सकता है। सेवाओं और लाभों का समावेश

धारा *7* में फंक्शन क्रीप के प्रकार के लिए एक पूर्व-कर्सर है जो है गोपनीयता और सूचनात्मक आत्मनिर्णय के साथ असंगत। 'सेवाएँ' और 'लाभ' अभिव्यक्तियों की व्यापक परिभाषाएँ सक्षम करेंगी।

सरकार आधार प्लेटफॉर्म के तहत नागरिकों के साथ अपने जुड़ाव के लगभग हर पहलू को विनियमित करेगी। धारा *7* सेवाओं और लाभों के लिए इसके अप्रचलित अनुप्रयोग में स्पष्ट अति विस्तार से ग्रस्त है।

किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को नकद या किसी प्रकार से राहत या भुगतान प्रदान किया जाता है। 'सेवा' को किसी भी प्रावधान, सुविधा, उपयोगिता के लिए परिभाषित किया गया है, या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को किसी भी रूप में प्रदान की जाने वाली कोई अन्य सहायता। ये व्यापक और असंरचित

शब्द हैं जिनके तहत सरकार नागरिक के साथ एक इंटरफेस से जुड़ी अपनी गतिविधियों के पूरे सरगम को शामिल कर सकती है। प्रावधान ने कोई आवश्यकता नहीं की है

क्या धारा *7* के प्रावधानों को किसी व्यक्ति द्वारा दी गई पिछली सेवा के कारण देय पेंशन के लिए किसी भी औचित्य के साथ लागू किया जा सकता है राज्य*?* पेंशन, यह अच्छी तरह से तय की गई है, राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली बड़ी राशि या इनाम नहीं है। पेंशन, सेवा की शर्त के रूप में, एक प्रतिफल के रूप में संलग्न होती है।

किसी व्यक्ति द्वारा राज्य और उसके उपकरणों के लिए प्रदान की गई लंबे वर्षों की सेवा के लिए। उम्र बढ़ने के साथ पेंशनभोगियों की उम्र बढ़ती जाती है। इनमें से कई

वे बायोमेट्रिक्स के नुकसान सहित वृद्धावस्था के कष्टों से पीड़ित हैं।

इसी तरह, राज्य अपने कल्याणकारी दायित्वों के एक हिस्से के रूप में स्कूल जाने वाले बच्चों को समाज के हाशिए पर रहने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन या छात्रवृत्ति सहित कई लाभ प्रदान करता है। क्या इन लाभों का वितरण एक छोटे बच्चे पर निर्भर किया जाना चाहिए*?* आधार संख्या प्राप्त करना या प्रमाणीकरण की प्रक्रिया से गुजरना*?* राज्य का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ वास्तविक छात्रों द्वारा प्राप्त किए जा रहे हैं जो उनके हकदार हैं। इस वैध उद्देश्य को आधार के अनिवार्य प्रवर्तन के विपरीत कम घुसपैठ वाले उपायों को अपनाकर पूरा किया जा सकता है।

पहचान के एकमात्र भंडार के रूप में योजना। राज्य यह प्रदर्शित करने में विफल रहा है कि बायोमेट्रिक के अलावा एक कम घुसपैठ का उपाय

प्रमाणीकरण अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगा। यह कि राज्य बिना किसी अपवाद के आधार योजना के पालन पर जोर देने में सक्षम रहा है, धारा *7* के अति विस्तार का परिणाम है। नतीजतन, धारा *7* में लाभों और सेवाओं का समावेश एक पेटेंट अस्पष्टता, अस्पष्टता और अति विस्तार से ग्रस्त है जो सेवाओं और लाभों के समावेश को मनमाना और अनुच्छेद *14* का उल्लंघन करता है।

249. आधार परियोजना में विभिन्न संस्थाएं शामिल हैं। उनकी अंतर-निर्भरताओं के लिए उन पर अधिक जिम्मेदारी डालने की आवश्यकता होती है ताकि गोपनीयता और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। आधार की संरचना व्यक्तियों को डेटा के रूप में मानती है। हालाँकि, मूल व्यक्तित्व के बारे में होना चाहिए। आधार की संरचना पारदर्शिता की कमी से नष्ट हो जाती है,

उत्तरदायित्व और सीमाएँ। व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण के लिए सुरक्षा उपायों को स्पष्ट रूप से डिजाइन और डिफ़ॉल्ट रूप से गारंटी दी जानी चाहिए थी। *450* आधार के भीतर जवाबदेही और पारदर्शिता की उपस्थिति

वास्तुकला एक आवश्यक आवश्यकता होनी चाहिए ताकि इससे पार पाया जा सके

450 शंकर अय्यर, आधारः भारत की *12* अंकों की क्रांति का एक बायोमेट्रिक इतिहास,

वेस्टलैंड *(2017)*, पृष्ठ *226* पर जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

गोपनीयता और स्वतंत्रता के नुकसान का डर। इन सुरक्षा उपायों के बिना, कानून और इसकी संरचना आनुपातिकता के तहत पारित नहीं हो सकती है। यह भी रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि पहचान व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद *21* के तहत जीवन का अधिकार है। मानवीय संबंधों और राज्य के साथ किसी व्यक्ति के व्यवहार में पहचान आवश्यक और अपरिहार्य है। यह धारणा कि व्यक्तियों के पास केवल एक है,

या कम से कम, एक प्रमुख पहचान ठोस संवैधानिक सिद्धांत नहीं है। संविधान को बहुल संस्कृतियों वाले राष्ट्र के लिए अपनाया गया है। यह जीवन के हर क्षेत्र में विविधता को स्वीकार करना है। पहचान की विविधता बहुलता की अभिव्यक्ति है जो हमारी सामाजिक संस्कृति का सार है। अमर्त्य सेन ने 'द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन' *451* में इस धारणा की असमर्थता को प्रदर्शित किया है कि पहचान अनन्य है। वह एक विशिष्ट पहचान की धारणा को "बेतुका" के रूप में अस्वीकार करते हैं, यह देखते हुए कि विभिन्न स्थितियों में, व्यक्ति अलग-अलग पहचानों पर भरोसा करते हैं और दावा करते हैं:

संदर्भ। वही व्यक्ति भारतीय मूल का हो सकता है, एक पारसी, एक फ्रांसीसी नागरिक, एक अमेरिकी निवासी, एक महिला, एक कवि, एक शाकाहारी, और
मानवविज्ञानी, एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, एक ईसाई, एक पक्षी निरीक्षक, और अतिरिक्त-स्थलीय जीवन और प्रवृत्ति में उत्साही विश्वास रखने वाले

बहुरंगी यू. एफ. ओ. में ब्रह्मांड के चारों ओर सवारी करने के लिए विदेशी जीव। इनमें से प्रत्येक सामूहिकता, जिससे यह व्यक्ति संबंधित है, उसे एक विशेष पहचान देती है। वे सभी कर सकते हैं प्रासंगिकता, संदर्भ के आधार पर "। *452*

स्वतंत्रता एक विशिष्ट पहचान उत्पन्न कर सकती है। स्वतंत्रताओं के संयोजन समग्र पहचानों के साथ संगत हैं। सेन इस धारणा को भी खारिज करते हैं कि व्यक्ति "पसंद के लिए बहुत कम जगह के साथ अपनी पहचान की खोज करते हैं"। इस तरह की धारणा के लिए समर्थन, जैसा कि वे देखते हैं, सामुदायिक दर्शन से आता है, जिसके अनुसार पहचान पसंद से पहले होती है:

"जैसा कि प्रोफेसर माइकल सैंडल ने इस दावे की व्याख्या की है।

अन्य सामुदायिक दावे*):* 'समुदाय न केवल यह बताता है कि उनके पास साथी नागरिकों के रूप में क्या है, बल्कि यह भी बताता है कि वे क्या हैं, न कि एक

451 अमर्त्य सेन, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, पेंगुइन *(2005)*, पृष्ठ *350 452* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *350 [2018] 8* एस. सी. आर.

वे संबंध चुनते हैं *(*जैसा कि एक स्वैच्छिक संघ में*)* लेकिन एक लगाव जो वे खोजते हैं, न केवल एक विशेषता बल्कि उनकी पहचान का एक घटक इस दृष्टिकोण में, पहचान तर्क से पहले आती है।

और चयन "। *453*

सेन उपरोक्त विचार को इस आधार पर अस्वीकार करते हैं कि यह एक सार्वभौमिक रूप से मान्य सिद्धांत। निस्संदेह, कुछ पहचान 'दी' जाती हैं। लेकिन यहाँ भी, जैसा कि सेन बताते हैं, मुद्दा यह नहीं है कि क्या किसी व्यक्ति द्वारा सभी मामलों में एक पहचान का चयन किया जा सकता है, बल्कि यह है कि क्या व्यक्ति के पास विभिन्न पहचानों के लिए सापेक्ष वजन पर कोई विकल्प है:

एक साथ हो सकता है। लोगों की पसंद इस मान्यता से बाधित हो सकती है कि वे यहूदी या मुसलमान हैं, लेकिन उनके द्वारा अभी भी निर्णय लिया जाना है कि क्या महत्व है।
वे दूसरों पर उस विशेष पहचान को देते हैं जो उनके पास भी हो सकती है *(*उदाहरण के लिए, उनकी राजनीतिक मान्यताओं से संबंधित,

राष्ट्रीयता, मानवीय प्रतिबद्धताएँ या पेशेवर
संलग्नक*)* "। *9 454*

सेन का तर्क है कि पहचान एक बहुवचन अवधारणा है और विभिन्न पहचानों की प्रासंगिकता उन संदर्भों पर निर्भर करती है जिनमें उनका दावा किया जाता है:

"इस प्रकार पहचान एक मौलिक रूप से बहुवचन अवधारणा है, जिसमें अलग-अलग संदर्भों में अलग-अलग पहचानों की अलग-अलग प्रासंगिकता है। और सबसे ज़्यादा

महत्वपूर्ण रूप से, हमारे पास इस बात का विकल्प है कि हमारी विभिन्न पहचानों के साथ क्या महत्व जोड़ना है। सिर्फ तर्क करने से कोई बच नहीं सकता।

क्योंकि पहचान की धारणा को लागू किया गया है। पहचान पर चयन में बाधाएं और संबंध शामिल होते हैं, लेकिन जो विकल्प मौजूद हैं और किए जाने हैं वे वास्तविक हैं, भ्रम नहीं। विशेष रूप से,

विभिन्न पहचानों के बीच प्राथमिकताओं का चयन, जिसमें उनकी संबंधित मांगों के लिए कौन से सापेक्ष भार शामिल हैं, केवल खोज का विषय नहीं हो सकता है। वे अपरिहार्य रूप से निर्णयात्मक हैं,

और कारण की मांग करें-न कि केवल मान्यता। *455*

453 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *350 454* आई. बी. आई. डी. पर, पृष्ठ *351 455* आई. बी. आई. डी. पर, पृष्ठ *352* जस्टिस के. एस. पुटास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी.

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

250. संविधान उन अधिकारों को मान्यता देता है जिनकी वह रक्षा करता है, कई पहचानों और अपनी अभिव्यक्ति के असंख्य रूपों को। नागरिकों के रूप में हमारी राजनीतिक पहचान राष्ट्र के साथ हमारे संबंधों को परिभाषित करती है। जिन अधिकारों को संविधान मौलिक स्वतंत्रता के रूप में मान्यता देता है, वे स्वयं की पहचान का प्रतिबिंब हैं। जब हम बोलते हैं,

इसलिए हम स्वीकार करते हैं कि हम कौन हैं। एक कलाकार जो चित्रकारी करता है, लेखक जो एक विचार साझा करता है, संगीतकार जो रचना करता है, उपदेशक जो हमारी आध्यात्मिकता को प्रभावित करता है और जनवादी जो मानवीय संवेदनाओं में प्रवेश करता है, वे सभी पहचान के प्रतिपादन में भागीदार हैं। इस सहभागी प्रक्रिया में,

कलाकार और दर्शक दोनों की पहचान लगातार जुड़ी रहती है। संवैधानिक स्तर पर पहचान अधिकार में परिलक्षित होती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए, अपने मूल्यों द्वारा संरक्षित, जीवन जीने का एक तरीका जो हमारे प्राणियों की विशिष्टता को परिभाषित करता है। संविधान उन स्वतंत्रताओं के आधार पर कई पहचानों को मान्यता देता है, जिन्हें वह हमारे प्राणियों के एक अविभाज्य अंग के रूप में मान्यता देता है। मनुष्य होने के लिए बहुत सारे लोग होने चाहिए

पहचान और इसे विभिन्न रूपों में व्यक्त करने के अधिकार की गारंटी दी जाए। जिस राज्य को लिखित संविधान का पालन करना चाहिए, वह किसी भी व्यक्ति को एक या अधिक पहचान छोड़ने की आवश्यकता नहीं रख सकता है। संवैधानिक स्वतंत्रता राज्य को उनका सम्मान करने के लिए मजबूर करती है।

251. तकनीकें जो हमारी पहचान के कार्य करने के तरीके को प्रभावित करती हैं, वे संवैधानिक मानदंडों के अधीन होनी चाहिए। व्यक्तिगत पहचान का अस्तित्व संवैधानिक लोकतंत्र का मूल है। *4* नवंबर *1948* को संविधान सभा को संबोधित करते हुए डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने हमारे संवैधानिक ढांचे में व्यक्तिगत पहचान के महत्व पर जोर दिया थाः

> "मुझे खुशी है कि संविधान के मसौदे ने व्यक्ति को अपनाया है।
>
> इसकी इकाई के रूप में "। *456*

व्यक्तिगत पहचान होना मानव स्थिति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहचान का निषेध व्यक्तित्व का नुकसान है, जो बदले में पसंद की स्वतंत्रता और स्वतंत्र इच्छा को प्रभावित करता है। व्यक्तित्व लोकतंत्र का निर्माण करता है। यह लोकतंत्र की गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे तय किए गए मामलों में मानव स्वतंत्रता और पहचान के बीच घनिष्ठ संबंध को मान्यता दी। मेनका गांधी बनाम भारत संघ *457* में यात्री, कर्मचारी

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य *458* में यौन उत्पीड़न की शिकायत, गीता हरिहरन *(*सुश्री*)* बनाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नाबालिग का अभिभावक

456 संविधान सभा की बहस *(4* नवंबर*, 1948) 457 (1978) 1* एस. सी. सी. *248 458 (1997) 6* एस. सी. सी. *241* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

इंडिया *459*, अनुज गर्ग बनाम होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया में बार कर्मचारी भारत *460*, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ *461* में ट्रांसजेंडर, मधु किश्वर बनाम राज्य में आदिवासी कार्यकर्ता

बिहार *462* और नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य *3* में राज्य हिंसा के उत्पीड़ित पीड़ित सभी पहचान के दावे में लगे हुए हैं।

पुट्टास्वामी व्यक्ति की भूमिका को "मुख्य भूमिका" के रूप में पहचानते हैं। संवैधानिक फोकस "और" संविधान का केंद्र बिंदु "। न्यायमूर्ति कौल की सहमति वाली राय ने माना कि व्यक्ति को अपनी पहचान को नियंत्रित करने का अधिकार है। *464*

याचिकाकर्ताओं द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि एक विशिष्ट पहचान संख्या व्यक्ति की पहचान का उल्लंघन करती है क्योंकि यह प्रत्येक निवासी को एक संख्या तक कम कर देती है। आधार कार्ड धारक के अनुसार, एक विशिष्ट पहचान संख्या को संवैधानिक पहचान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आधार अधिनियम अपने उद्देश्यों और कारणों के विवरण में इंगित करता है कि लक्षित लाभार्थियों की सही पहचान आवश्यक है और किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने में विफलता कल्याणकारी लाभों के वितरण में एक बड़ी बाधा है। धारा *3 (1)* आधार संख्या प्राप्त करने के लिए प्रत्येक निवासी की पात्रता को मान्यता देती है। धारा *4 (3)* में प्रावधान है कि आधार संख्या को पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। धारा *7 (1)* इंगित करती है कि इसका उद्देश्य रसीद के लिए किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करना है। संचित निधि से प्राप्त सेवाएँ, लाभ या सब्सिडी। इन प्रावधानों को संवैधानिक पहचान को विस्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। न ही धारा *7* के प्रावधान किसी व्यक्ति को अनाम या चेहरा रहित व्यक्ति तक सीमित कर सकते हैं।

252. आधार पहचान के बारे में है और एक ऐसा साधन है जो पहचान के प्रमाण की सुविधा प्रदान करता है। इसे संवैधानिक पहचान को मिटाना नहीं चाहिए। धारा *2 (*के*)* में जनसांख्यिकीय जानकारी की परिभाषा में नस्ल, धर्म, जाति, जनजाति, जातीयता, भाषा, अधिकार के रिकॉर्ड, आय शामिल नहीं हैं।

या चिकित्सा इतिहास। हालांकि, जैसा कि पहले विशेष रूप से चर्चा की गई है, आधार संख्या को विभिन्न डेटाबेस से जोड़ना किसी व्यक्ति की प्रोफाइलिंग करने में सक्षम है, जिसमें उसकी जाति, धर्म, जाति, जनजाति, जातीयता, भाषा, पात्रता के रिकॉर्ड के बारे में जानकारी शामिल हो सकती है।

आय या चिकित्सा इतिहास। इस प्रकार प्रौद्योगिकी का प्रभाव ऐसा है कि

459 (1999) 2 एससीसी *228*

460 (2008) 3 एससीसी *1*

461 (2014) 5 एस. सी. सी. *438*

462 (1996) 5 एससीसी *125*

463 (2011) 7 एस. सी. सी. *547*

आधार की योजना विभिन्न संवैधानिक पहचानों को *12* अंकों की संख्या की एकल पहचान में बदल सकती है और किसी व्यक्ति के अपनी पसंद के साथ खुद को पहचानने के अधिकार का उल्लंघन कर सकती है।

253. सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और कार्यक्रम एक माध्यम हैं -

समाज के एक बड़े वर्ग का अस्तित्व। भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, जैसे कि पीडीएस, लोगों की गरिमा की रक्षा के लिए शुरू की गई थीं।

हाशिए पर। इन योजनाओं से बहिष्करण उन योजनाओं के औचित्य को विफल कर देता है जो पुरानी भूख और कुपोषण को दूर करने के लिए हैं। बहिष्करण मानव गरिमा का उल्लंघन है। जैसा कि पहले विस्तार से चर्चा की गई थी, सरकारी अभिलेखों में दर्ज आंकड़े और याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर हलफनामे तकनीकी कारणों से बहिष्कार के स्पष्ट उदाहरणों की ओर इशारा करते हैं। आधार में त्रुटियाँ। आधार योजना में प्रमाणीकरण विफलताओं ने विशेष रूप से ग्रामीण भारत में गंभीर व्यवधान पैदा किया है। बायोमेट्रिक उपकरणों के परिणामस्वरूप बहिष्करण का हाशिए पर पड़े लोगों और गरीबों के जीवन पर असमान प्रभाव पड़ता है। यह न्यायालय हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों के प्रति आंखें मूंद नहीं सकता है। डिजिटल राष्ट्र के उद्देश्य को आगे बढ़ाना आज का फैशन हो सकता है। प्रौद्योगिकी निस्संदेह एक सहायक है। यह हमारे युग का सार्वभौमिक एकीकरणकर्ता बन गया है। फिर भी, प्रौद्योगिकी और बुनियादी मानवाधिकारों के बीच अंतरफलक सामाजिक वास्तविकता से अनजान नहीं हो सकता है। बायोमेट्रिक्स को संवैधानिक अधिकारों से अनिवार्य रूप से जोड़ने के परिणामस्वरूप गरीब लोगों को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। एक डिजिटल विभाजन मौजूद है। समाज में काम करने वाली सामाजिक और तकनीकी बाधाओं के बारे में परवाह किए बिना उस विभाजन के एक तरफ के लोगों को रेल मार्ग से जोड़ना सामाजिक कल्याण के उद्देश्य को विफल करना है। न्यायालय को विशेष रूप से वंचितों की गरिमा के प्रति सचेत रहना होगा। न्यायालय को संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने की अपनी भूमिका को पूरा करना चाहिए, भले ही यह आबादी के एक छोटे प्रतिशत को प्रभावित करता हो।

इस मामले में बहिष्करण त्रुटियों ने हाशिए पर पड़े लोगों के साथ गंभीर अन्याय किया है। इसलिए न्यायालय को उनकी गरिमा की रक्षा करने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

254. अधिकारों की संस्था अपने प्रतिबंधों को उचित ठहराने की भारी जिम्मेदारी राज्य पर डालती है। सनक पर कोई अधिकार नहीं खोया जा सकता है और

राज्य की इच्छाएँ। राज्य अपने कार्यों को उचित ठहराने में विफल रहा है और यह प्रदर्शित करने में विफल रहा है कि सब्सिडी के लक्षित वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए, जो नागरिकों के लिए भोजन के अधिकार जैसे कई अधिकारों को बढ़ावा देते हैं, स्वचालित रूप से निजता के अधिकार का त्याग करना पड़ता है जब ये दोनों अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित हैं। एक अधिकार को दूसरे के कहने पर नहीं लिया जा सकता है, विशेष रूप से जब राज्य इस न्यायालय को संतुष्ट करने में असमर्थ रहा है कि दोनों अधिकार पारस्परिक रूप से अनन्य हैं। राज्य याचिकाकर्ताओं के इस तर्क का जवाब देने में असमर्थ रहा है कि वह अदालत की रिपोर्टों को प्रस्तुत करने में विफल रहा है

विचार करें कि बहुत कम अधिकार थे-आक्रामक उपाय जो इसके लक्ष्यों को आगे बढ़ा सकते थे। सबूत का भार राज्य पर था कि

यह दर्शाता है कि आधार योजना के माध्यम से प्रदान किए गए भोजन और अन्य अधिकारों का अधिकार गोपनीयता और गरिमा के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के बिना सुरक्षित नहीं किया जा सकता था। ड्वोर्किन ने अपनी शास्त्रीय पुस्तक "टेकिंग राइट्स सीरियसली" में इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या कुछ अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि राज्य अन्य अधिकारों को कम करने के बावजूद इसे बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करने में न्यायसंगत है, कहा हैः

"लेकिन कोई भी समाज जो इस आधार पर विभिन्न अधिकारों को मान्यता देने का इरादा रखता है कि किसी व्यक्ति की गरिमा या समानता पर विभिन्न तरीकों से हमला किया जा सकता है, इस तरह के सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकता है। यदि अधिकार बनाते हैं

समझ में आता है, तो उनके महत्व की डिग्री इतनी अलग नहीं हो सकती है कि कुछ लोग तब भी गिनती नहीं करते जब अन्य होते हैं
उल्लेख किया गया है "। *9465 (* जोर दिया गया*)*

व्यक्तिगत डेटा की अखंडता, सूचनात्मक आत्मनिर्णय के अधिकार और सबसे बढ़कर गोपनीयता-गरिमा-स्वायत्तता त्रयी के लिए जिम्मेदार अधिकारों की रक्षा के लिए वास्तुकला अपर्याप्त है। यह भी निष्कर्ष निकाला जाता है कि आधार योजना विभिन्न संवैधानिक पहचानों को नष्ट करने में सक्षम है। आधार आधारित प्रमाणीकरण में त्रुटियों के कारण होने वाला वित्तीय बहिष्कार व्यक्ति के गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करता है। आधार योजना भारतीय संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक स्वतंत्रताओं में अनुचित घुसपैठ का कारण बनती है क्योंकि उत्तरदाता यह प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं कि ये उपाय आवश्यकता और आनुपातिकता की कसौटी को पूरा करते हैं।

256. हमारा न्यायशास्त्र गरिमा प्राप्त करने की आवश्यकता के प्रति गहरी जागरूकता को दर्शाता है। पुट्टास्वामी में भी नौ न्यायाधीशों की पीठ का फैसला हमारी संवैधानिक योजना में गरिमा के मौलिक मूल्य पर जोर दिया गया।

465 रोनाल्ड ड्वोर्किन, टेकिंग राइट्स सीरियसली *(1977),* पृष्ठों पर *203-204* जस्टिस के एस पुटास्वामी *(RETD) v.*

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

मानव गरिमा संविधान के भाग *III* और *IV* के बीच संबंधों में एक मजबूत बंधन है। निर्देशात्मक सिद्धांतों को पढ़ना

भाग *IV* में जीवन के अधिकार के संदर्भ में *(*संविधान के भाग *III* में*)* अधिकार की मूल सामग्री और गरिमापूर्ण अस्तित्व की स्थितियों को सुरक्षित करने के लिए अपने सकारात्मक दायित्व की खोज में राज्य की क्षमता दोनों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। गरिमा प्राकृतिक कानून का एक अभिन्न तत्व है और एक अविभाज्य

संवैधानिक निर्माण है। गरिमापूर्ण जीवन जीना किसी भी व्यक्ति के लिए एक संवैधानिक आश्वासन है। डॉ. अम्बेडकर ने चार बुनियादी आधारों की अवधारणा की जिन पर एक राजनीतिक लोकतंत्र आराम कर सकता हैः

((i) व्यक्ति अपने आप में एक अंत है।
((ii) कि व्यक्ति के पास कुछ अपरिहार्य अधिकार हैं जो अनिवार्य हैं।

उसे संविधान द्वारा गारंटी दी जाए।

((iii) कि व्यक्ति को त्याग करने की आवश्यकता नहीं होगी।

एक शर्त के रूप में उसके किसी भी संवैधानिक अधिकार

विशेषाधिकार की प्राप्ति के लिए पूर्ववर्ती।

((iv) कि राज्य निजी संस्थाओं को शक्तियाँ नहीं सौंपेगा।

लोग दूसरों को नियंत्रित करने के लिए। *466 (* जोर दिया गया*)*

डॉ. अम्बेडकर के शब्दों की संवैधानिक संदर्भ में व्याख्या करते हुए, राज्य की ओर से कोई भी कार्रवाई जो किसी व्यक्ति को उसकी या उसकी गरिमा या भाग *III* के तहत किसी अन्य अधिकार को छोड़ने के लिए मजबूर करती है, अनुमत नहीं होगी।

257. पुरानी भूख के साथ रहने का अनुभव; आवर्ती

भोजन की उपलब्धता के बारे में अनिश्चितता; ऋण बंधन; कम और अत्यधिक कम वेतन वाला काम; आत्म-इनकार; और जीवित रहने की अन्य जरूरतों का त्याग, *467* के खिलाफ भेदभाव किया जाना लोगों के लिए गरिमा के नुकसान के उदाहरण हैं।

हाशिए पर। राज्य में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम और कानून हैं। हाशिए पर पड़े लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार करना और उनकी गरिमा और आजीविका के साधनों की रक्षा करना। हालाँकि, जैसा कि साईनाथ, द्रेज़, सेन और अन्य लेखकों के कार्यों में प्रलेखित है, भारत में "आम लोगों को प्रदान की जाने वाली सामाजिक सेवाओं का स्तर पूरी तरह से खराब है, चाहे वह मध्य भारत हो।

दिन-भोजन योजना, सर्व शिक्षा अभियान, एकीकृत बाल *466* डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकरः लेखन और भाषण *(*खंड। *1)* डॉ. अम्बेडकर

फाउंडेशन *(2014)*

467 हर्ष मंदर, भूख के साथ रहनाः वृद्ध, एकल महिला और विकलांग लोगों के बीच अभाव, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक *(26* अप्रैल, *2008),* खंड। *43 , HTTPS* पर उपलब्धः *//*डब्ल्यू. डब्ल्यू. ई. पी. डब्ल्यू. इन*/*जर्नल*/2008/17* विशेष-लेख*/*जीवित-भूखी

वृद्ध-एकल-महिला-और-लोगों के बीच अभाव सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विकास सेवाएँ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा राज्य की राजधानियों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल और यहां तक कि सार्वजनिक अस्पताल भी हैं। के सामने आने वाले अभावों को संबोधित करने का यह तरीका

हाशिए पर पड़े लोग उनकी गरिमा को कुचल देते हैं।

राज्य की ओर से कोई भी कार्रवाई या निष्क्रियता जो हाशिए पर पड़े लोगों की गरिमा की रक्षा के प्रति असंवेदनशील और बेपरवाह हो

संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य। समाज के सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को बढ़ावा देने वाली किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना से होने वाले लाभों से इनकार

हाशिए पर, संविधान के तहत वैध नहीं होगा, क्योंकि इस तरह का इनकार मानव गरिमा का उल्लंघन करता है। किसी भी व्यक्ति को उसकी गरिमा से अलग नहीं किया जा सकता है। गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी न केवल सरकारों की है, बल्कि व्यक्तियों, समूहों और संस्थाओं की भी है।

यह उपरोक्त पृष्ठभूमि में है कि इस न्यायालय को याचिकाकर्ताओं के अगले तर्क पर विचार करना चाहिए। याचिकाकर्ताओं का निवेदन है कि पहचान पहचानने की तकनीक एक ऐसी प्रणाली पर आधारित हो सकती है जो नियतात्मक या संभावित हो। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली एक संभावित मॉडल पर काम करती है। प्रमाणीकरण के उद्देश्यों के लिए, एक तुलना एक टेम्पलेट के माध्यम से की जाती है जो उंगली के निशान को एक पैमाने और फिर एक मिनट तक कम कर देती है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इसके परिणामस्वरूप, पहचान निश्चितता से एक अवसर में कम हो जाती है।

258. आधार अधिनियम की धारा *7* इसे अनिवार्य बनाती है

यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रमाणीकरण प्रक्रिया की विफलता के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा *7* के तहत सब्सिडी, लाभ या सेवा से इनकार किया जाता है। यह तर्क दिया गया है कि आधार योजना में नामांकन न होने और आधार संख्या को लाभ, सब्सिडी या सेवा से न जोड़ने के कारण पात्र लाभार्थियों को बाहर कर दिया जाता है। यह प्रस्तुतिकरण है याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बायोमेट्रिक्स का प्रमाणीकरण दोषपूर्ण है, क्योंकि बायोमेट्रिक्स हैं

468 डिग्निटी, नॉट मेरे रोटी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली *(10* अगस्त, *2013),* वॉल्यूम। *48* ,

HTTPS पर उपलब्धः *//*डब्ल्यू. डब्ल्यू. ई. पी. डब्ल्यू. इन*/*जर्नल*/2013/32* संपादकीय/गरिमा-मात्र नहीं रोटी। एचटीएमएल

469 यू. आई. डी. ए. आई., आधार प्रमाणीकरण, यहां उपलब्ध हैः *//*यूआईडीएआई। गव. इन/प्रमाणीकरण।

एच. टी. एम. एल. जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

उन्होंने अपनी लिखित प्रस्तुतियों में तर्क दिया है कि "परियोजना एक 'पहचान' परियोजना नहीं है, बल्कि 'पहचान' अभ्यास है और जब तक बायोमेट्रिक्स काम नहीं करता है, तब तक राज्य के लिए एक व्यक्ति मौजूद नहीं है"। इस विवाद से निपटने के लिए, यह समझना आवश्यक है कि क्या बायोमेट्रिक्स प्रमाणीकरण के परिणामस्वरूप मिलान में त्रुटियां हो सकती हैं। लोगों की पहचान तीन बुनियादी तरीकों से की जाती हैः कुछ ऐसा जो वे जानते हैं, कुछ ऐसा जो उनके पास है, या कुछ ऐसा जो वे हैं। *470* बायोमेट्रिक्स अंतिम के भीतर आता है

श्रेणी, और, इस तरह, संभवतः नकल या जाली होने के लिए कम संवेदनशील होना चाहिए। हालांकि, विभिन्न कारक सटीक मानव पहचान की संभावना को कम कर सकते हैं, और इससे बेमेल होने की संभावना बढ़ जाती है। मानव त्रुटिपूर्णता त्रुटियाँ पैदा कर सकती है। *471*

259. संयुक्त राज्य अमेरिका में, राष्ट्रीय अकादमी

विज्ञान ने *2010* में बायोमेट्रिक्स पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसका शीर्षक था "बायोमेट्रिक रिकग्निशनः चुनौती और अवसर "*472.* यह रिपोर्ट राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी और चिकित्सा संस्थान के तत्वावधान में कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन पर आधारित थी। यह रिपोर्ट बायोमेट्रिक्स की प्रकृति पर निम्नानुसार प्रकाश डालती हैः

और उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन संदर्भ के भीतर किया जाना चाहिए।
इस मौलिक और महत्वपूर्ण विशेषता की। बायोमेट्रिक

मान्यता में एक सहिष्णुता के भीतर मिलान शामिल है

एक विषय के लिए डेटा एकत्र किया। अनुमानित मिलान आवश्यक है
व्यक्तियों के भीतर और उनके बीच जैविक विशेषताओं और व्यवहारों में भिन्नताओं के कारण। " *473 473 (*जोर दिया गया*)*

470 संयुक्त राज्य सामान्य लेखा कार्यालय, प्रौद्योगिकी मूल्यांकनः सीमा सुरक्षा के लिए बायोमेट्रिक्स का उपयोग *(2002),* जो एच. टी. पी. पर उपलब्ध हैः *//*डब्ल्यू. डब्ल्यू. गाओ। *gov/new.* आइटम */*

डी*03174*। पीडीएफ।

471 जेरेमी विकिंस, बायोमेट्रिक्स की नीतिशास्त्रः इलेक्ट्रॉनिक पहचान, विज्ञान और इंजीनियरिंग नैतिकता *(2007)* के व्यापक उपयोग से सामाजिक बहिष्कार का जोखिम,

पृष्ठों पर *45-54*

472 बायोमेट्रिक पहचानः चुनौती और अवसर *(*जोसेफ एन. पटो और लिनेट आई. मिलेट संस्करण*)* , राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी-संयुक्त राज्य अमेरिका *(2010),*

HTTPS पर उपलब्धः *//*डब्ल्यू. डब्ल्यू. झपकी लें। एडु/रीड*/12720/*चैप्टर*/1*

473 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *3* पर सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बंदरगाह ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि किसी व्यक्ति के बायोमेट्रिक्स में कैसे बदलाव होते हैं

कई कारकों के कारण सी. सी. आर.*:*

"बायोमेट्रिक विशेषताएँ और ली गई जानकारी

आयु में परिवर्तन से बायोमेट्रिक प्रणाली प्रभावित हो सकती है,

पर्यावरण, बीमारी, तनाव, व्यावसायिक कारक,

प्रशिक्षण और प्रोत्साहन, जानबूझकर परिवर्तन, सामाजिक

उस स्थिति के सांस्कृतिक पहलू जिसमें प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं

सिस्टम के साथ मानव इंटरफेस में परिवर्तन होता है, और

इत्यादि। नतीजतन, के साथ व्यक्ति की प्रत्येक बातचीत

प्रणाली *(*नामांकन, पहचान आदि*)* विभिन्न बायोमेट्रिक जानकारी से जुड़ी होगी। कोशिश करने वाले लोग

किसी न किसी कारण से मान्यता को विफल करना भी बायोमेट्रिक प्रणालियों में अंतर्निहित अनिश्चितता में योगदान देता है। *99474 (* जोर दें।

आपूर्ति की गई*)*

पोर्ट ने यह भी कहा था कि बायोमेट्रिक्स के परिणामस्वरूप बहिष्करण हो सकता है

यदि इसका उपयोग किसी लाभ की पात्रता का दावा करने के लिए किया जाता है:

किसी लाभ, बायोमेट्रिक प्रणाली के लिए नामांकन या पात्रता भाग लेने में असमर्थ लोगों को मताधिकार से वंचित कर सकता है

शारीरिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कारणों से। इन कारणों से, विशेष रूप से सार्वजनिक नीति द्वारा संचालित अनुप्रयोगों में बायोमेट्रिक्स का उपयोग, जहां प्रभावित आबादी के पास भागीदारी का बहुत कम विकल्प हो सकता है-हानिकारक सामाजिक और व्यक्तिगत प्रभावों का अनुमान लगाने और उन्हें कम करने और गोपनीयता और उचित प्रक्रिया अधिकारों के उल्लंघन से बचने के लिए सावधानीपूर्वक निरीक्षण और सार्वजनिक चर्चा के योग्य है।

मान्यता प्राप्त सटीकता और प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकता है वस्तुतः कोई भी बायोमेट्रिक प्रणाली और उपयोगकर्ता का व्यवहार सामाजिक, सांस्कृतिक या कानूनी संदर्भ से प्रभावित हो सकता है। इसी तरह, एक बायोमेट्रिक प्रणाली की स्वीकार्यता प्रतिभागी आबादी के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर करती है। *475 (* जोर दिया गया*)*

डी

डी, पृष्ठों पर *10-11* जस्टिस के एस पुट्टास्वामी *(*आरईटीडी*)* वी। भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती है कि किसी व्यक्ति के बायोमेट्रिक लक्षणों और डेटा रिकॉर्ड के बीच के संबंध में कारण बनने की क्षमता होती है मताधिकार का हनन, जब जनसंख्या के एक वर्ग को सकारात्मक दावा प्रणालियों के लाभों से बाहर रखा जाता है। रिपोर्ट इस प्रकार बताती है किः

"नामांकन करने या मान्यता प्राप्त करने में विफलता जैसी त्रुटि स्थितियों को संभालने के लिए नीतियों और इंटरफेस को गरिमा, गोपनीयता या उचित प्रक्रिया अधिकारों का उल्लंघन करने से बचने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए।
प्रतिभागियों "। *(* जोर दिया गया*)*

260. एल्स किंड्ट ने "बायोमेट्रिक अनुप्रयोगों की गोपनीयता और डेटा संरक्षण मुद्दे" शीर्षक से एक व्यापक शोध में कहाः एक तुलनात्मक

कानूनी विश्लेषण *"476,* बायोमेट्रिक्स की प्रकृति से संबंधित है। पुस्तक में कहा गया है कि बायोमेट्रिक प्रणालियों में त्रुटि दरें ऐसी स्थिति पैदा करती हैं जहां पात्र डेटा विषयों को डेटाबेस मिलान की प्रक्रिया से गलत तरीके से खारिज कर दिया जाएगा। इससे व्यक्तियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह देखा गया है किः

"त्रुटि दर से यह भी संकेत मिलता है कि प्रणाली धोखेबाजों को अनुमति देगी। यह उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बायोमेट्रिक की सुरक्षा
उच्च गलत स्वीकार दर के मामले में प्रणालियों पर सवाल उठाए जाने चाहिए। इस तत्व को निर्णय लेने में पर्याप्त वजन दिया जाना चाहिए

सुरक्षा उद्देश्यों के लिए एक बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करें।

व्यक्ति, उम्र बढ़ने के मामले में, विशेष रूप से चेहरे और विकलांगों के लिए
लोग। स्वास्थ्य समस्याओं वाले व्यक्तियों को भी गलत तरीके से अस्वीकार किया जा सकता है या उनकी पहचान नहीं की जा सकती है, हालांकि वे पहले नामांकित थे। कुछ मामलों में, *(*गैर*-)* नामांकन एक महत्वपूर्ण समस्या होगी। यह स्पष्ट है कि इन डेटा विषयों को अतिरिक्त आवश्यकता है।

सुरक्षा "। *477*

यह पुस्तक बायोमेट्रिक्स की सीमित सटीकता में निहित जोखिम को रेखांकित करती है, *478*

261. हाल ही में प्रकाशित एक पुस्तक जिसका शीर्षक है *"*स्वचालित असमानता*":* हाउ हाई-टेक टूल्स प्रोफाइल, पुलिस और गरीबों को दंडित करें *"479,*

वर्जीनिया यूबैंक्स द्वारा लिखित, डेटा माइनिंग के प्रभाव से संबंधित है,

476 एल्स जे. किंड्ट, बायोमेट्रिक अनुप्रयोगों की गोपनीयता और डेटा संरक्षण मुद्देः ए.

तुलनात्मक कानूनी विश्लेषण, स्प्रिंगर *(2013)*

477 इबिद, पृष्ठ *363* पर

478 इबिद *479* वर्जीनिया यूबैंक्स, स्वचालित असमानता हाई-टेक टूल्स प्रोफाइल, पुलिस,

और गरीबों को दंडित करें, सेंट मार्टिन प्रेस *(2018)*

नीति एल्गोरिदम, और अमेरिका में आर्थिक असमानता और लोकतंत्र पर भविष्यसूचक जोखिम मॉडल। यूबैंक्स स्वचालित के प्रभावों को रेखांकित करता है

कल्याणकारी प्रावधान, बेघरता और बाल संरक्षण से संबंधित तीन मामलों के अध्ययन के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका में सार्वजनिक सेवाओं पर निर्णय लेना।

स्वचालित निर्णय लेना पहुंच में बहुत व्यापक है और इसके गैर-डिजिटल तंत्रों के लिए अज्ञात प्रभाव होने की संभावना है, जैसे कि अमेरिका में उन्नीसवीं शताब्दी के गरीब घर। गरीब घर कर-समर्थित थे आवासीय संस्थान जहाँ लोगों को जाना आवश्यक था यदि वे अपना भरण-पोषण नहीं कर सकते थे। *480* जो लोग अपना *(*और अपने परिवार का*)* भरण-पोषण नहीं कर सकते थे, उन्हें सार्वजनिक नीलामी में बोली लगाने के लिए रखा गया था। जिस व्यक्ति को अनुबंध मिला *(*जो एक विशिष्ट समय-सीमा के लिए था*)* उसे गरीब व्यक्ति *(*व्यक्तियों*)* के श्रम का उपयोग भोजन, कपड़े, आवास और व्यक्ति और उसके परिवार के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के बदले में मुफ्त में मिलता था। यह प्रथा गिरमिटिया दासता का एक रूप था और दुर्व्यवहार के खिलाफ सुरक्षा के लिए शायद ही कोई सहारा था। यूबैंक्स गरीबी प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी आधारित निर्णय लेने को *19* वीं शताब्दी के गरीब घरों का विस्तार मानते हैंः

"अमेरिका के गरीब और कामकाजी वर्ग के लोग लंबे समय से आक्रामक निगरानी, आधी रात के छापे और दंडात्मक सार्वजनिक नीति के अधीन रहे हैं जो गरीबी के कलंक और कठिनाई को बढ़ाते हैं। इस दौरान

उन्नीसवीं शताब्दी में, उन्हें काउंटी के गरीब घरों में अलग रखा गया था।

बीसवीं शताब्दी के दौरान, उनकी जांच की गई थी केसवर्कर्स, मुकदमे में अपराधियों की तरह व्यवहार किया जाता है। आज, हमने डेटाबेस, एल्गोरिदम से एक डिजिटल गरीब घर बनाया है,

480 टॉमी एल. गार्डनर, स्पेंडिंग योर वे टू द पुअरहाउस, ऑथरहाउस *(2004),*

पृष्ठ *221* पर एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

और जोखिम मॉडल। यह पहले आई हर चीज की पहुंच और नतीजों को ग्रहण करने का वादा करता है।

गरीबी प्रबंधन में पहले के तकनीकी नवाचारों की तरह,

डिजिटल ट्रैकिंग और स्वचालित निर्णय-पेशेवर मध्यम वर्ग की जनता से गरीबी को छिपाना और राष्ट्र को नैतिक अधिकार देना।

इसे अमानवीय विकल्प चुनने की आवश्यकता हैः खाना किसे मिलता है और जो भूखे मरता है, जिसके पास आवास है और जो बेघर रहता है, और

राज्य द्वारा कौन से परिवार टूट गए हैं। डिजिटल गरीब घर है

एक लंबी अमेरिकी परंपरा का हिस्सा। हम व्यक्ति का प्रबंधन करते हैं उन्मूलन के लिए हमारी साझा जिम्मेदारी से बचने के लिए गरीब

गरीबी "। *481*

थोर आगे टिप्पणी करते हैंः

"जबकि गरीब घरों को भौतिक रूप से ध्वस्त कर दिया गया है, उनकी विरासत जीवित है और स्वचालित निर्णय लेने की प्रणालियों में अच्छी तरह से बनी हुई है।

जो आज के गरीबों को घेरता है और फंसाता है। उनके सभी उच्च तकनीक वाले पॉलिश के लिए,

गरीबी प्रबंधन की हमारी आधुनिक प्रणालियाँ-स्वचालित निर्णय लेना, डेटा माइनिंग और भविष्यसूचक विश्लेषण

अतीत के गरीब घरों के साथ उल्लेखनीय संबंध। हमारा नया

डिजिटल उपकरण गरीबी के दंडात्मक, नैतिक दृष्टिकोण से उत्पन्न होते हैं और उच्च तकनीक नियंत्रण और जांच की एक प्रणाली का निर्माण करते हैं। डिजिटल गरीब घर गरीबों को जनता तक पहुँचने से रोकता है संसाधन; पुलिस उनके श्रम, खर्च, कामुकता, और

जो इसका पालन नहीं करते हैं उन्हें दंडित और अपराधी बनाता है बिनि बिथोनफोरा। इस प्रक्रिया में, यह हमेशा बेहतर नैतिकता का निर्माण करता है।

'योग्य' और 'अयोग्य' के बीच अंतर

गरीब, वर्गीकरण जो हमारी राष्ट्रीय विफलता को तर्कसंगत बनाते हैं

एक-दूसरे की देखभाल करने के लिए। *482 (* जोर दिया गया*)*

के. एस. इस तर्क का निर्माण करता है कि स्वचालित निर्णय लेने की तकनीक

ओ. टी. गरीबों और केवल गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक सहायक के रूप में कार्य करता है।

3 एक द्वारपालः

"नए उच्च-तकनीकी उपकरण अधिक सटीक माप के लिए अनुमति देते हैं और ट्रैकिंग, जानकारी का बेहतर साझाकरण, और दृश्यता में वृद्धि

लक्षित आबादी। गरीबों की सहायता के लिए समर्पित एक प्रणाली में

गिनिया यूबैंक्स, स्वचालित असमानता हाउ हाई-टेक टूल्स प्रोफाइल, पुलिस, डी. गरीबों को दंडित करें, सेंट मार्टिन प्रेस *(2018)*, पृष्ठों पर *12-13*

घ, पृष्ठ *16 [2018] 8* एस. सी. आर. पर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और कामकाजी वर्ग के लोगों का आत्मनिर्णय, इस तरह की परिश्रम इस बात की गारंटी देगा कि वे उन सभी लाभों को प्राप्त करें जिनके वे कानून द्वारा हकदार हैं। उस संदर्भ में, एकीकृत डेटा और आधुनिक प्रशासन के परिणामस्वरूप गरीब समुदायों के लिए खराब परिणाम नहीं होंगे। लेकिन हमारी वर्तमान कल्याणकारी प्रणाली में स्वचालित निर्णय लेना बहुत हद तक सजा और रोकथाम के पुराने, आक्रामक रूपों की तरह काम करता है। यह फ़िल्टर करता है और डायवर्ट करता है। यह एक द्वारपाल है, एक नहीं

सुविधा प्रदाता "। *483*

पुस्तक का सार निम्नलिखित उद्धरण में परिलक्षित होता है:

"हम सभी डिजिटल गरीब घर में रहते हैं। हम हमेशा उस दुनिया में रहे हैं जिसे हमने गरीबों के लिए बनाया है। हम एक ऐसा समाज बनाते हैं जिसका विकलांगों या बुजुर्गों के लिए कोई उपयोग नहीं है, और फिर जब हम आहत होते हैं या बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें अलग कर दिया जाता है। हम मानव मूल्य को केवल मजदूरी अर्जित करने की क्षमता के आधार पर मापते हैं, और एक ऐसी दुनिया में पीड़ित होते हैं जो कम मूल्यवान है।

देखभाल और समुदाय। हम अपनी अर्थव्यवस्था को नस्लीय और जातीय अल्पसंख्यकों के श्रम के दोहन पर आधारित करते हैं और स्थायी असमानताओं पर नजर रखते हैं
मानव क्षमता को कम करें। हम दुनिया को अनिवार्य रूप से खूनी प्रतिस्पर्धा से ग्रस्त देखते हैं और कई लोगों को पहचानने में असमर्थ हैं।

जिस तरह से हम एक-दूसरे का सहयोग करते हैं और एक-दूसरे को ऊपर उठाते हैं।

लेकिन केवल गरीब ही काउंटी के गरीब घर के सामान्य छात्रावासों में रहते थे। केवल गरीबों को वैज्ञानिक स्पष्टता के नैदानिक सूक्ष्मदर्शी के तहत रखा गया था। आज हम सभी बेसहारा लोगों के लिए रखे गए डिजिटल जाल के बीच रह रहे हैं। *484 (* जोर दें।

आपूर्ति की गई*)*

स्वचालित असमानता प्रमाणीकरण और एल्गोरिदमिक प्रौद्योगिकी के साथ समस्याओं को प्रदर्शित करती है और इंगित करती है कि यह प्रणाली, जिसका उद्देश्य अल्पावधि के लिए सहायता प्रदान करना और लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करना था, गरीबी और अन्याय को बनाए रखने के लिए एक प्रणाली बन गई है।

484 इबिद, पृष्ठ *188* पर

485 पुट्टास्वामी, पैरा *119* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

हकदार लाभ या सब्सिडी गरिमा का उल्लंघन है। अगर ऐसी कोई परियोजना है

जीवित रहना है, तो यह सुनिश्चित करना होगा कि व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा की जाए। इन चिंताओं को दूर किया जाना चाहिए। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आधार परियोजना में बायोमेट्रिक्स के अनुप्रयोग के बारे में चिंताओं पर *2009* में यू. आई. डी. ए. आई. *486* की बायोमेट्रिक्स मानक समिति द्वारा चर्चा की गई थी, जिसका विचार था कि आधार परियोजना के बड़े परिमाण ने बायोमेट्रिक्स की सटीकता के बारे में अनिश्चितता पैदा कर दी थी। *487 2010* में यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा प्रकाशित रणनीति अवलोकन *488* में यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा कथित बायोमेट्रिक्स से जुड़े जोखिमों पर चर्चा की गई थी।

स्वयं। 'परियोजना जोखिम' शीर्षक के तहत, अवलोकन में कहा गया है कि यू. आई. डी. परियोजना को इसके कार्यान्वयन में कुछ जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें इसकी संरचना और इसके प्रोत्साहनों के डिजाइन के माध्यम से संबोधित किया जाना है। इसमें कहा गया हैः

" 1) गोद लेने के जोखिमः निवासियों से यू. आई. डी. संख्या की पर्याप्त, जल्द मांग करनी होगी। प्रमुख जनसांख्यिकीय समूहों *(*ग्रामीण और गरीब*)* के बीच महत्वपूर्ण जनसमूह के बिना संख्या

दीर्घावधि में सफलता नहीं मिलेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए, यू. आई. डी. ए. आई. को मॉडल डी-डुप्लिकेशन और प्रमाणीकरण करना होगा।
प्रतिभागी एजेंसियों के लिए प्रभावी और व्यवहार्य दोनों होना

4) पैमाने के जोखिमः परियोजना को उन अभिलेखों को संभालना होगा जो संख्या में एक अरब तक पहुँचते हैं। यह बायोमेट्रिक डी-डुप्लिकेशन के साथ-साथ प्रशासन, भंडारण और बुनियादी ढांचे के निरंतर विस्तार में महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है।
5) प्रौद्योगिकी जोखिमः प्रौद्योगिकी यू. आई. डी. कार्यक्रम का एक प्रमुख हिस्सा है, और यह दुनिया में पहली बार है जब भंडारण,

486 यू. आई. डी. के लिए बायोमेट्रिक्स, बायोमेट्रिक्स डिजाइन मानकों पर यू. आई. डी. ए. आई. समिति

आवेदन, पृष्ठ *4* पर

487 आई. बी. आई. *488* यू. आई. डी. ए. आई., यू. आई. डी. ए. आई. रणनीति अवलोकन, *(2010),* यहाँ उपलब्ध हैः *//*डब्ल्यू. डब्ल्यू. पीआरएसइंडिया। ओ. आर. जी./अपलोड/मीडिया/यू. आई. डी./यू. आई. डी. ए. आई.*% 20* रणनीति*% 20OVERVIEW.pdf* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

बायोमेट्रिक्स के प्रमाणीकरण और डी-डुप्लिकेशन का प्रयास किया जा रहा है
इस पैमाने पर। प्राधिकरण को जोखिमों का समाधान करना होगा

में सही तकनीक का सावधानीपूर्वक चयन करके

वास्तुकला, बायोमेट्रिक्स और डेटा प्रबंधन उपकरण;

अप्रचलन और डेटा गुणवत्ता का प्रबंधन करना;
लेन-देन सेवा मॉडल और सर्वोत्तम की दिशा में नवाचार

संभावित परिणाम।

6) गोपनीयता और सुरक्षा जोखिमः यू. आई. डी. ए. आई. को यह सुनिश्चित करना होगा

कि निवासी डेटा साझा या समझौता नहीं किया गया है "। *489 (* जोर दें।

आपूर्ति की गई*)*

तकनीकी त्रुटि के परिणामस्वरूप प्रमाणीकरण विफल हो जाएगा। यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा उठाई गई चिंताओं को आधार परियोजना के कार्यान्वयन से पहले हल किया जाना चाहिए था। ग्रामीण भारत में खराब संपर्क एक प्रमुख चिंता का विषय था। अधिकांश भारतीय आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। त्रुटियों का एक छोटा सा प्रतिशत भी करोड़ों की आबादी को प्रभावित करता है। बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी की दुर्बलताओं के कारण उन्हें सब्सिडी और लाभों से इनकार करना सुशासन और सामाजिक समानता के लिए खतरा है।

263. अपवर्जन के मुद्दे पर तीन स्तर पर विचार करने की आवश्यकता है।

विभिन्न स्तरः *(i)* आधार अधिनियम के कार्यान्वयन से पहले, जब *2009* से बायोमेट्रिक्स का उपयोग किया जा रहा था; *(ii)* अधिनियम के प्रावधानों के तहत; और *(iii)* आधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान व्यावहारिक स्तर पर।

2016 में आधार अधिनियम के अधिनियमन से पहले,

एन. आई. ए. विधेयक की जांच करने वाली वित्त समिति समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों पर आधार के प्रभाव के बारे में चिंतित थी। चूंकि सब्सिडी और लाभों का लाभ आधार आधारित प्रमाणीकरण पर निर्भर था, इसलिए प्रमाणीकरण में किसी भी त्रुटि के परिणामस्वरूप आधार से इनकार कर दिया जाएगा।
वंचितों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ। *2011* में स्थायी समिति की रिपोर्ट में इस प्रकार उल्लेख किया गया थाः

" आधार संख्या जारी करने के लिए हाशिए पर पड़े वर्गों का पूर्ण या लगभग पूर्ण कवरेज मुख्य रूप से दो कारणों से प्राप्त नहीं किया जा सका

कारण जैसे। *(i)* यू. आई. डी. ए. आई. के पास उनसे संबंधित सांख्यिकीय डेटा नहीं है; और *(ii)* बायोमेट्रिक्स की अनुमानित विफलता की उम्मीद है।

जनसंख्या के एक बड़े हिस्से के कारण *15* प्रतिशत तक अधिक होना
शारीरिक श्रम पर निर्भर होना। *49 0 0 (*जोर दिया गया*)*

489 इबिद, पृष्ठ *38* पर *490* वित्त पर स्थायी समिति की बयालीसवीं रिपोर्ट *(2011)*, यहाँ उपलब्ध है

एचटीटीपीः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. पीआरएसइंडिया। ओआरजी/अपलोड/मीडिया/यूआईडी/यूआईडी% *20* रिपोर्ट।

पी. डी. एफ., पृष्ठ *30* पर जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

आर्थिक सर्वेक्षण ने सार्वभौमिक बुनियादी आय *(*यू. बी. आई.*)* की अवधारणा पर चर्चा करते हुए प्रमाणीकरण विफलताओं को स्वीकार किया है। सर्वेक्षण, जो केंद्र सरकार का एक आधिकारिक दस्तावेज है, बताता है कि यूबीआई इस विचार पर आधारित है कि एक न्यायपूर्ण समाज को इस बात की गारंटी देने की आवश्यकता है कि

प्रत्येक व्यक्ति को एक न्यूनतम आय जिस पर वे भरोसा कर सकते हैं, और जो बुनियादी वस्तुओं तक पहुंच और गरिमापूर्ण जीवन के साथ जीवन के लिए आवश्यक भौतिक आधार प्रदान करती है। *491* यूबीआई को लाभार्थियों के बैंक खातों में नकद हस्तांतरण *(*सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने के लिए*)* प्रदान करके लागू किया जाना था। यू. बी. आई. का कार्यान्वयन जे. ए. एम. ट्रिनिटी के माध्यम से किया जाना थाः जन-धन बैंक खाते, आधार डेटा और मोबाइल फोन। हालांकि, सर्वेक्षण में कहा गया है कि आधार को पहचान की समस्या को हल करने के लिए बनाया गया है, लेकिन यह "लक्षित समस्या" को अपने दम पर हल नहीं कर सकता है। सर्वेक्षण में राज्य की क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया गया और कहा गया कि "राज्य को अभी भी सार्वजनिक वस्तुओं की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करने के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाना होगा"। *492* सर्वेक्षण में देश के कई क्षेत्रों में आधार के प्रमाणीकरण विफलताओं के आंकड़े दर्ज किए गए हैं:

"जबकि आधार कवरेज की गति अनुकरणीय रही है।

एक अरब आधार कार्ड वितरित किए जा रहे हैं, कुछ राज्यों की रिपोर्ट

प्रमाणीकरण विफलताएँ: अनुमानों में झारखंड के लिए *49* प्रतिशत, गुजरात के लिए *6* प्रतिशत, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के लिए *5* प्रतिशत और राजस्थान के लिए *37* प्रतिशत विफलता दर शामिल हैं। करने में विफलता

वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करने से बहिष्करण त्रुटियां होती हैं। *493*

समाज कल्याण लाभों के प्रावधान में किसी भी विफलता दर को स्वीकार्य नहीं माना जा सकता है। खाद्यान्न जैसे मामलों में बुनियादी अधिकार, किसी भी त्रुटि को रोक नहीं सकते हैं। भोजन से इनकार करने का अर्थ है परिवार को निर्धनता, कुपोषण और यहाँ तक कि मृत्यु की ओर ले जाना।

264. 19 दिसंबर *2017* का एक हालिया कार्यालय ज्ञापन

केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी *494* में स्वीकार किया गया है कि आधार नामांकन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और बुनियादी ढांचे की बाधाएं उत्पन्न करने में सक्षम हैं

ऑनलाइन प्रमाणीकरण में कठिनाइयाँ। ज्ञापन में कहा गया है कि वे

491 भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण *2016-17,* यहां उपलब्ध हैः //

डब्ल्यू. डब्ल्यू. हिन्दू केंद्र। कॉम/मल्टीमीडिया/आर्काइव/*03193* /

आर्थिक सर्वेक्षण *20 3193543* ए। पीडीएफ, एट

पृष्ठ *173*

492 इबिद, पृष्ठ *174* पर

493 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *194 494* कार्यालय ज्ञापन दिनांक *19* दिसंबर *2017,* पर उपलब्ध है। //डीबीटीभारत। गव. में /

डेटा/ओम/ऑफिस*% 20* मेमोरेन्डम _ आधार।

जिन लाभार्थियों के पास आधार नहीं है, उन्हें वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों के आधार पर सब्सिडी, लाभ या सेवा प्रदान की जाएगी। आधार अधिनियम की धारा *7* द्वारा विचार किया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है कि सभी लाभार्थियों को आधार कार्यक्रम के तहत नामांकन प्राप्त करने की सुविधा हो। ज्ञापन उन मामलों में सब्सिडी, लाभ या सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक तंत्र बनाता है जहां आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता हैः

(i) विभाग और बैंक शाखाएं जहां भी संभव हो, फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आई. आर. आई. एस. स्कैनर के लिए प्रावधान कर सकते हैं। *(ii)* कनेक्टिविटी की कमी के कारण विफलता के मामलों में, ऑफ़लाइन प्रमाणीकरण प्रणाली जैसे कि क्यू. आर. कोड आधारित कूपन, मोबाइल आधारित ओ. टी. पी. या

टी. ओ. टी. पी. का पता लगाया जा सकता है; और

(iii) उन सभी मामलों में जहां ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव नहीं है, लाभ/सेवा आधार के कब्जे के आधार पर प्रदान की जा सकती है, एक रजिस्टर में लेनदेन को विधिवत दर्ज करने के बाद, समीक्षा की जा सकती है।

और समय-समय पर ऑडिट किया जाता है।

भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि पूरे भारत में लाखों पात्र लाभार्थी हैं जिन्हें वित्तीय बहिष्कार का सामना करना पड़ा है। मंत्रिमंडल सचिवालय ने सक्रिय रूप से स्वीकार किया है कि

धारा *7* में निर्धारित तरीकों के अलावा, वैकल्पिक तौर-तरीकों को लागू करके बहिष्करण के मामलों को संबोधित करने की आवश्यकता है। उपरोक्त विकल्प *(i)* और *(ii)* को भविष्य में लागू किया जाना था। यह कवायद सरकार द्वारा पहले से की जानी चाहिए थी। समस्याओं का अनुमान तब लगाया जाना चाहिए जब

कोई परियोजना ड्राइंग बोर्ड पर हो, न कि सामाजिक कल्याण लाभों से वंचित होने के कारण गंभीर अभाव के बाद।

265. आधार आधारित बायोमेट्रिक में विफलताओं या त्रुटियों के कारण नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने से छूट

रीतिका खेरा और जीन ड्रेज़ सहित नागरिक समाज के सदस्यों द्वारा प्रकाशित शोध अध्ययनों और शैक्षणिक लेखन में भी प्रमाणीकरण का दस्तावेजीकरण किया गया है। नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हलफनामों में इसी तरह की गवाही दर्ज की गई है। नागरिक समाज की आवाज सुनना आधार जैसी परियोजना के संरचनात्मक डिजाइन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। फीड-बैक प्राप्त करने और प्रतिक्रिया करने के लिए एक विश्वसनीय तंत्र के अभाव में, राज्य को अपने स्वयं के कर्मियों पर निर्भर रहना पड़ता है जो हमेशा प्रदर्शन और विफलता का विश्वसनीय और स्पष्ट मूल्यांकन प्रदान नहीं कर सकते हैं।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

266. ए. बी. बी. ए. *(*आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण*)* फिंगरप्रिंट रीडर से लैस प्वाइंट ऑफ सेल *(*पी. ओ. एस.*)* मशीन स्थापित करने और हर बार जब कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग करता है तो उसे प्रमाणित करने की प्रथा को संदर्भित करता है। *495* ड्रेज़ ने कहा है कि पीडीएस आउटलेट्स में सफल प्रमाणीकरण के लिए, कई तकनीकों को एक साथ काम करने की आवश्यकता है। *49 6* ये *4 9 7* हैं।

(क*)* आधार संख्या की सीडिंगः एक योग्य व्यक्ति लाभार्थी बन सकता है और पीडीएस प्रणाली का उपयोग केवल तभी कर सकता है जब उसकी आधार संख्या को पीडीएस डेटाबेस पर सही ढंग से जोड़ा गया हो और

घरेलू राशन कार्ड में जोड़ा गया*;*

(ख*)* प्वाइंट ऑफ सेल *(*पी. ओ. एस.*)* मशीनः पी. डी. एस. आउटलेट की प्रक्रिया पी. ओ. एस. मशीन पर निर्भर है। यदि इसमें खराबी आती है तो कोई लेन-देन नहीं किया जा सकता है। प्रक्रिया में पहला कदम आवश्यक है

विक्रेता को लाभार्थी का राशन कार्ड नंबर दर्ज करना है

पी. ओ. एस. मशीन पर घर*;*

((ग*)* इंटरनेट कनेक्शनः पी. ओ. एस. मशीन का सफलतापूर्वक काम करना राशन कार्ड के सत्यापन के रूप में इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भर करता है।

संख्या और लाभार्थी का बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट किया जाता है

इंटरनेट पर*;*

(घ*)* दूरस्थ आधार सर्वरः दूरस्थ आधार सर्वर सत्यापित करें

राशन कार्ड संख्या और फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण शुरू करें*;* और

(ई) फिंगरप्रिंट पहचानने वाला सॉफ्टवेयरः लाभार्थी पॉस मशीन में फिंगरप्रिंट पहचान के लिए प्रस्तुत करके अपनी पहचान साबित करता है। सत्यापन पर, पी. ओ. एस. मशीन इंगित करती है कि लाभार्थी वास्तविक है और उसके घर में खाद्यान्न वितरित किया जा सकता है।

उपरोक्त प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि हर महीने पीडीएस अनाज की खरीद के समय, राशन कार्ड पर सूचीबद्ध किसी भी एक व्यक्ति को प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है

495 रीतिका खेरा, कल्याणकारी कार्यक्रमों पर आधार का प्रभाव, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, खंड। *52 (16* दिसंबर *2017)*, यहां उपलब्ध हैः *//*डब्ल्यू. डब्ल्यू. ई. पी. डब्ल्यू. इन*/*जर्नल*/2017/50/*विशेष-लेख*/*प्रभाव-आधार-कल्याण-कार्यक्रम। एचटीएमएल

496 जीन ड्रेज़, पीडीएस पर काले बादल, द हिंदू *(10* सितंबर *2016)*, उपलब्ध

*HTTPS: //*डब्ल्यू. डब्ल्यू. हिन्दू हैं। कॉम/ओपिनियन/लीड/डार्क-क्लाउड-ओवर-द-पीडीएस */* अनुच्छेद *14631030*। ई. सी.

497 अनमोल सोमांची, सृजना बेज, और मृत्युंजय पांडे, अच्छा किया एबीबीए*?* हैदराबाद में आधार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक *(18* फरवरी *2017)*, खंड। *52 , HTTPS* पर उपलब्धः *//*डब्ल्यू. डब्ल्यू. ई. पी. डब्ल्यू. इन*/*जर्नल*/2017/7* वेब

बहिष्कृत/अच्छा किया-अब्बा।

एच. टी. एम. एल. सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

[2018] 8 एस सी आर।

498 रीतिका खेरा, कल्याणकारी कार्यक्रमों पर आधार का प्रभाव, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, खंड। *52 (16* दिसंबर *2017)*, यहां उपलब्ध हैः *//*डब्ल्यू. डब्ल्यू. ई. पी. डब्ल्यू. इन*/*जर्नल*/2017/50/*विशेष-लेख*/*प्रभाव-आधार-कल्याण-कार्यक्रम। एचटीएमएल *499* जीन ड्रेज़, पीडीएस पर काले बादल, द हिंदू *(10* सितंबर *2016)*, उपलब्ध

*HTTPS: //*डब्ल्यू. डब्ल्यू. हिन्दू हैं। कॉम/ओपिनियन/लीड/डार्क-क्लाउड-ओवर-द-पीडीएस */*

अनुच्छेद *14631030*। ई. सी.

500 इबिद *501* सोसायटी फॉर सोशल ऑडिट, एकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, एफ. पी. शॉप्स लेफ्ट ओवर बेनिफिशियरीज रिपोर्ट, एच. टी. पी. पर उपलब्ध हैः *//*डब्ल्यू. डब्ल्यू. सोशल ऑडिट। एपी। गव. इन*/*सोशल ऑडिट */*

दस्तावेज़ लोड करें*?* दस्तावेज़ का नाम *=* उचित*% 20* कीमत*% 20* काम*% 20% 20* दुकानें*% 20 (*राशन *% 20* कार्ड*% 20* धारक*)% 20-% 20* लाभार्थी*% 20* रिपोर्ट। पी. डी. एफ. *&* प्रकार *=* अनुप्रयोग। आंध्र सरकार के अध्ययन, हिंदुस्तान टाइम्स *(7* अक्टूबर *2015)* में कहा गया है कि आधार आधारित परियोजनाएं भी देखें जो गरीबों को विफल कर रही हैं। *//*

डब्ल्यू. डब्ल्यू. समय-समय पर। कॉम/इंडिया/आधार-आधारित-परियोजनाएं-विफल-गरीब-कहते हैं

आंध्र-गवर्नमेंट-स्टडी/स्टोरी-*7MFBCeJcf185Lc5zztON6L.html* जस्टिस के. एस. पुटसवामी *(RETD) v.*

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

हैदराबाद में किए गए *80* घरों में से *502* घरों में किए गए एक अन्य सर्वेक्षण से पता चलता है कि प्रौद्योगिकी-गहन प्रमाणीकरण और भुगतान प्रणालियों की शुरुआत के बावजूद, कमजोर और आश्रित लोगों की एक बड़ी संख्या है।

खाद्यान्न के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली *(*पी. डी. एस.*)* भोजन के अपने अधिकार का एहसास करने में विफल रही है। सर्वेक्षण से पता चला कि सर्वेक्षण में शामिल *80* लोगों में से *89* प्रतिशत परिवारों ने आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण *(*एबीबीए*)* की शुरुआत से पहले ही सही कीमतों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने की सूचना दी। इसके विपरीत, इसके पांच तकनीकी घटकों में से एक या अधिक के साथ रिपोर्ट की गई त्रुटियों के कारण प्रमाणीकरण विफलताओं के कारण *10* प्रतिशत घरों को बाहर रखा गया था।

268. "आधार और खाद्य सुरक्षा" शीर्षक वाला एक लेख

झारखंडः बिना लाभ के दर्द*? " 503* , ग्रामीण झारखंड में एक घरेलू सर्वेक्षण के आधार पर, पीडीएस लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य एबीबीए से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करता है। लेख में ग्रामीण गरीबों के जीवन पर पीडीएस के प्रभाव को नोट किया गया है, जो हर महीने राशन की दुकान पर जाते हैं। "उनके नाजुक और अनिश्चित जीवन" में, पीडीएस "कुछ हद तक खाद्य और आर्थिक सुरक्षा" प्रदान करता है। लेख में कहा गया है कि एबीबीए में, प्रमाणीकरण की विफलता के परिणामस्वरूप राशन की दुकानों से भोजन को अस्वीकार कर दिया जाता है। घर बिना किसी गलती के भोजन राशन प्राप्त करने में असमर्थ है। लेख इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि झारखंड में पीडीएस पर एबीबीए को लागू करना "बिना लाभ के दर्द" का मामला है, क्योंकि इससे बहिष्कार की गंभीर समस्याएं पैदा हुई हैं *(*विशेष रूप से विधवाओं, बुजुर्गों और शारीरिक श्रमिकों जैसे कमजोर समूहों के लिए*)*। लेख में आगे कहा गया है कि एबीबीए न तो मात्रा धोखाधड़ी *(*जो झारखंड में पीडीएस भ्रष्टाचार का मुख्य रूप है*)* को कम करने में विफल रहा है, न ही इसने झारखंड में पीडीएस की अन्य महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने में मदद की है, जैसे कि राशन कार्ड में नाम गायब होने की समस्या, अन्त्योदय *(*सबसे गरीब*)* परिवारों की पहचान, या निजी विक्रेताओं की मनमानी शक्ति। लेख प्रमाणीकरण विफलताओं और अंतिम कारणों में से एक के रूप में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी की पहचान करता है।

बहिष्करणः

" छिटपुट इंटरनेट संपर्क एक और बड़ी बाधा है।

कभी-कभी, हल्की बारिश संपर्क को बाधित करने के लिए पर्याप्त होती है या

502 अनमोल सोमांची, सृजना बेज, और मृत्युंजय पांडे, अच्छा किया एबीबीए*?* आधार एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हैदराबाद, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम। *52 (18* फरवरी *2017), HTTPS* पर उपलब्ध हैः *//*डब्ल्यू. डब्ल्यू. ई. पी. डब्ल्यू. इन*/*जर्नल*/2017/7* वेब

बहिष्कृत/अच्छा किया-अब्बा। एचटीएमएल

503 झारखंड में जीन द्रेज, नजर खालिद, रीतिका खेरा और अनमोल सोमांची, आधार और खाद्य सुरक्षाः बिना लाभ के दर्द*?*, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम। *52 (16* दिसंबर *2017)*।

[2018] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बिजली की आपूर्ति। एबीबीए प्रक्रिया का हर कदम-राशन कार्ड

सत्यापन, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, इलेक्ट्रॉनिक अपलोड
लेन-देन, एन. एफ. एस. ए. *[*राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम*]* सूचियों को अद्यतन करना

और पी. ओ. एस. *504 [*प्वाइंट ऑफ सेल*]* मशीन पर अधिकार निर्भर करता है।
इंटरनेट कनेक्टिविटी पर। इसके अलावा, स्थिर संपर्क के साथ भी,

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण हमेशा आसान नहीं होता है। बायोमेट्रिक विफलताएँ

विशेष रूप से दो समूहों के लिए आम हैंः बुजुर्ग, और मैनुअल

मजदूर। दोनों विशेष रूप से खाद्य असुरक्षा के प्रति संवेदनशील हैं।

99505

लेख में एबीबीए की विफलता के कारण गरीबों को बुनियादी सेवाओं से वंचित करने को गंभीर अन्याय के रूप में माना गया हैः

"एक ऐसी तकनीक लागू करना जो उन लोगों पर काम नहीं करती है जो

उनके अस्तित्व के लिए इस पर निर्भर रहना एक गंभीर अन्याय है। *506*

(जोर दिया गया*)*

जैसा कि हमने इस फैसले के पहले भाग में उल्लेख किया है, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण में भी झारखंड में लाभार्थियों की विफलता दर *49* प्रतिशत और राजस्थान में *37* प्रतिशत पाई गई है। जिन लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, वे सबसे गरीब होते हैं।

रीतिका खेड़ा आधार के प्रभाव को देखती है-सुरक्षा के साथ एकीकरण

योजनाएं *(*मुख्य रूप से मनरेगा, पीडीएस और सामाजिक सुरक्षा पेंशन में*)*। *507* लेखक ने मध्य में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस *(*एल. पी. जी.*)* सब्सिडी और आधार के अनुप्रयोग पर आधार के प्रभाव पर भी संक्षेप में चर्चा की है।

दिन का भोजन *(*एम. डी. एम.*)* योजना। अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में, लेख ने प्राथमिक क्षेत्र अध्ययनों से मात्रात्मक डेटा, सरकारी पोर्टलों से माध्यमिक डेटा, सूचना का अधिकार *(*आर. टी. आई.*)* अधिनियम के तहत किए गए प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों और संसद में प्रश्नों के जवाबों पर भरोसा किया है। खेरा के शब्दों में, आधार "बहिष्करण का साधन" बनता जा रहा हैः

504 इबिद, पृष्ठ *51* पर। लेख में कहा गया है: "*[* पी. ओ. एस.*]* एक हाथ में पकड़ने वाला उपकरण है जो प्रत्येक पी. डी. एस. आउटलेट *("*राशन की दुकान*")* पर स्थापित किया जाता है और इंटरनेट से जुड़ा होता है। उस दुकान से जुड़े राशन कार्डों की सूची और उनके संबंधित अधिकारों को पी. ओ. एस. मशीन में संग्रहीत किया जाता है और हर महीने अद्यतन किया जाता है। जब कोई कार्डधारक आता है, तो पी. ओ. एस. मशीन पहले केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी *(*सी. आई. डी. आर.*)* में उसकी आधार संख्या के खिलाफ संग्रहीत बायोमेट्रिक डेटा के साथ उसकी उंगलियों के निशान का मिलान करके उसे "प्रमाणित" करती है। मशीन तब व्यक्ति के अधिकारों के साथ एक रसीद उत्पन्न करती है, जो एक रिकॉर्ड किए गए संदेश से भी सुनाई देती है। लेन-देन का विवरण भी विक्रेता द्वारा व्यक्ति के राशन कार्ड में दर्ज किया जाना चाहिए। *505* इबिद, पृष्ठ *55* पर

506 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *58 507* रीतिका खेरा, कल्याणकारी कार्यक्रमों पर आधार का प्रभाव, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, खंड। *52 (16* दिसंबर *2017),* यहां उपलब्ध है: *//*डब्ल्यू. डब्ल्यू. ई. पी. डब्ल्यू. इन*/*जर्नल*/2017/50/*विशेष-लेख*/*प्रभाव-आधार-कल्याण-कार्यक्रम।

एच. टी. एम. एल. जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

"बचत या बहिष्कार*?* सरकार ने दावा किया कि आधार एकीकरण ने *31* दिसंबर *2016 (*जी. ओ. एल. *2017* सी*)* तक *399* करोड़ रुपये की बचत की।

लाभों के एक दिए गए स्तर पर, सरकारी व्यय में कमी

किसी विशेष हस्तांतरण योजना में दो पहलू हो सकते हैं: हटाना

भूत और डुप्लिकेट *("*दक्षता*");* और संख्या में गिरावट

और इसे आधार-सक्षम बचत के रूप में प्रस्तुत किया गया था *(*यादव*)* *2016* च*)*। झारखंड में भी पेंशनभोगियों के नाम हटा दिए गए हैं।

क्योंकि उन्होंने आधार-सीडिंग औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया या सीडिंग त्रुटियों *(*सेन *2017* ए*)* के कारण पेंशन बंद हो गई। पढ़ाई कर रहे हैं।

100 पेंशनभोगी, यादृच्छिक रूप से चुने गए *10* गाँवों में से चुने गए

भुगतान एक बड़ा मुद्दा था। शेष *16* प्रतिशत नहीं थे। आधार से संबंधित मुद्दों के कारण इसे प्राप्त करना। *508*

पूजा अवस्थी कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों की दुर्दशा का दस्तावेजीकरण करती है, जिन्हें आधार प्रणाली में नामांकित नहीं होने के कारण पेंशन से वंचित कर दिया गया है। कुष्ठ रोग उंगलियों के निशान को नुकसान पहुँचा सकता है और इस प्रकार एक व्यक्ति को बायोमेट्रिक्स प्रदान करने में असमर्थ बना सकता है। अवस्थी के अनुच्छेद *509* में कहा गया है कि आधार कुष्ठ रोग से पीड़ित *86,000* नागरिकों को लाभ या सेवाओं से वंचित करने में सक्षम है।

इन लेखनों से पता चलता है कि कैसे ज्यादातर मामलों में, प्रमाणीकरण विफलता का मतलब है कि व्यक्ति/परिवार को बिना किसी गलती के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के लाभ से वंचित कर दिया गया था। कुछ लोग भूखे रह गए हैं। कुछ लोगों की कथित तौर पर जान चली गई। *510*

508 इबिद, पृष्ठ *66* पर *509* पूजा अवस्थी, वोट देने के लिए काफी अच्छी, आधार के लिए पर्याप्त नहीं, पीपुल्स आर्काइव ऑफ

ग्रामीण भारत, यहां उपलब्ध हैः //रूरल इंडिया ऑनलाइन। ओ. आर. जी./लेख/वोट देने के लिए पर्याप्त

आधार के लिए पर्याप्त नहीं

510 आधार से जुड़ी एक और मौत*?* झारखंड की महिला को *4* महीने तक राशन नहीं दिया गया

भूख से मर जाता है, स्क्रॉल *(3* फरवरी *2018),* यहाँ उपलब्ध हैः *HTTPS: //*स्क्रॉल करें। */* अनुच्छेद*/867352/*में फिर भी-एक और-आधार से जुड़ा-मृत्यु-झारखंड-महिला-मर जाती है-भूख से-इनकार के बाद

राशन की; भोजन से इनकार किया गया क्योंकि उसके पास आधार से जुड़ा राशन कार्ड नहीं था,

झारखंड की लड़की की भूख से मृत्यु, स्क्रॉल *(16* अक्टूबर *2017),* यहाँ उपलब्ध हैः *HTTPS: //*स्क्रॉल करें। में*/*अनुच्छेद*/854225/*अस्वीकृत-भोजन-क्योंकि-उसने-किया-नहीं-आधार-जुड़ा-राशन-कार्ड

झारखंड-भूख से लड़की की मौत-सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

269. एक व्यक्ति का बायोमेट्रिक्स समय के साथ बदलता है। उन लोगों के लिए, जो

शारीरिक श्रम में लगे हुए हैं, और जो व्यक्ति विकलांग या वृद्ध हैं, उंगलियों के निशान वास्तव में बायोमेट्रिक उपकरणों द्वारा नहीं लिए जा सकते हैं। इस खंड में जिस सामग्री पर भरोसा किया गया है, वह सरकार से उत्पन्न होती है।

आधिकारिक दस्तावेजों के साथ-साथ नागरिक समाज के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं से। वित्तीय बहिष्करण के गंभीर मुद्दे मौजूद हैं। वृद्धों के लिए पेंशन विशेष रूप से उन मामलों में जहां पिछली सेवा के लिए पेंशन अर्जित की जाती है, दान या वेतन नहीं है। वे गठित करते हैं कानूनी अधिकार। एक वृद्धावस्था पेंशनभोगी के लिए, समय और उम्र के उतार-चढ़ाव उंगलियों के निशान को मिटा देते हैं। कठोर शारीरिक श्रम गंभीर रूप से प्रभावित करता है

उंगलियों के निशान। बुजुर्ग, विकलांग और युवा सबसे अधिक असुरक्षित हैं और सामाजिक कल्याण के अधिकारों से इनकार करने से वास्तव में जीवन के अधिकार से वंचित हो जाते हैं। क्या बालिकाओं की छात्रवृत्ति या युवाओं के लिए मध्याह्न भोजन को बायोमेट्रिक मिलान की अनिश्चितताओं पर निर्भर किया जाना चाहिए*?* प्रौद्योगिकी के लिए हमारी खोज देश की वास्तविक समस्याओं से अनजान नहीं होनी चाहिएः सामाजिक बहिष्कार, निर्धनता और हाशिए पर डालना। आधार परियोजना महत्वपूर्ण डिजाइन खामियों से

ग्रस्त है जो इसकी संरचनात्मक प्रामाणिकता को प्रभावित करती है। कल्याणकारी हक प्रदान करने में संरचनात्मक अभिकल्पना संरचनात्मक प्रक्रिया के अनुरूप होनी चाहिए,

अनुच्छेद *14* और *21* के अनुरूप हो। आधार परियोजना अपने ढांचे और डिजाइन में खामियों को दूर करने में विफल रही है जो बहिष्कार के गंभीर मुद्दों को जन्म देती हैं। व्यक्तियों की गरिमा और अधिकार एल्गोरिदम या संभावनाओं पर आधारित नहीं हो सकते हैं। संवैधानिक गारंटी प्रौद्योगिकी के उतार-चढ़ाव के अधीन नहीं हो सकती है। *270.* संरचनात्मक नियत प्रक्रिया वृहत स्तर पर सार्वजनिक संस्थानों और परियोजनाओं पर आवश्यकताओं को लागू करती है। संरचनात्मक प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि सामाजिक कल्याण लाभों का वितरण प्रभावी होना चाहिए।

और समय पर। जो लोग लाभ के लिए पात्र हैं, उन्हें बहिष्करण का सामना नहीं करना चाहिए। लाभों के वितरण की प्रक्रियाएँ दमनकारी नहीं होनी चाहिए। उन्हें वितरण करने वालों और लाभ प्राप्त करने वालों दोनों द्वारा अनुपालन करने में सक्षम होना चाहिए। प्रौद्योगिकी की तैनाती को कवरेज क्षेत्र के हर हिस्से में तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखना चाहिए।

और साक्षरता और जागरूकता के प्रचलित स्तर। इन सबसे ऊपर, परियोजना की रूपरेखा संरचनात्मक उचित प्रक्रिया के अनुरूप तभी होगी जब यह कमियों के प्रति उत्तरदायी हो, लाभार्थियों के प्रति जवाबदेह हो और यह सुनिश्चित करने का बोझ रखे कि लाभ राज्य और उसकी एजेंसियों पर हाशिए पर पड़े लोगों तक पहुंचे।

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

आयकर की धारा *139* एए की संवैधानिक वैधता

अधिनियम *1961*

271. आयकर अधिनियम *1961* की धारा *139* एए, जो वित्त अधिनियम *2017* द्वारा निर्धारित की गई थी, स्थायी खाता संख्या *(*पैन*)* और आयकर के लिए आवेदन में आधार का उल्लेख करना अनिवार्य करती है।
आधार संख्या परिणाम सूचित करने में विफलता

पैन को पूर्वव्यापी रूप से अमान्य माना जा रहा है।

एन *139* एए इस प्रकार पढ़ता है:

"आधार संख्या का उद्धरण। - *(1)* प्रत्येक व्यक्ति जो आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, *1* जुलाई को या उसके बाद,

2017 , आधार संख्या उद्धृत करें

(i) स्थायी खाते के आवंटन के लिए आवेदन पत्र में

संख्या;

((ii) आय की वापसी में:

बशर्ते कि जहां व्यक्ति के पास नहीं है

आधार संख्या, नामांकन के समय उसे जारी किए गए आधार आवेदन पत्र की नामांकन आईडी, स्थायी खाता संख्या के लिए आवेदन में या, जैसा भी मामला हो, उसके द्वारा दी गई आय की वापसी में उद्धृत की जाएगी।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसे स्थायी खाता आवंटित किया गया है *1* जुलाई, *2017* को संख्या, और जो आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, वह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख को या उससे पहले, अपने आधार संख्या को ऐसे प्राधिकरण को ऐसे प्रपत्र और तरीके से सूचित करेगा जो निर्धारित किया जाए।

आधिकारिक राजपत्रः

बशर्ते कि आधार संख्या को सूचित करने में विफलता की स्थिति में, व्यक्ति को आवंटित स्थायी खाता संख्या अमान्य मानी जाएगी और इस अधिनियम के अन्य प्रावधान लागू होंगे, जैसे कि व्यक्ति ने स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए आवेदन नहीं किया था।

(3) इस धारा के प्रावधान ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे। या व्यक्तियों के वर्ग या वर्ग या कोई राज्य या किसी राज्य का हिस्सा, जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जाए,

आधिकारिक राजपत्र।

स्पष्टीकरण। - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्तियाँ -

(i) "आधार संख्या", "नामांकन" और "निवासी" के क्रमशः समान अर्थ होंगे।

आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी का लक्षित वितरण*)* की धारा *2* के खंड *(*ए*), (*एम*)* और *(*वी*)* में,
लाभ और सेवा*)* अधिनियम, *2016 (2016* का *18);*

((ii) "नामांकन आईडी" का अर्थ है *28* अंकों का नामांकन।

के समय निवासी को जारी की गई पहचान संख्या

नामांकन "।

दो न्यायाधीशों की पीठ *(*जिसमें डॉ. न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक शामिल थे*)*

नौ न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष *(*पुट्टास्वामी में निर्णय अभी दिया जाना था*)*, दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने गोपनीयता के आधार पर और अनुच्छेद *21* के तहत कानून को चुनौती देने पर ध्यान नहीं दिया। बेंच

अनुच्छेद *14* और *19* के आधार पर और कानून बनाने के लिए संसद की क्षमता के आधार पर अन्य प्रस्तुतियों की जांच की।

273. बिनॉय विश्वम में निर्णय इस बात का आकलन करता है कि

एक कानून की संवैधानिक वैधता, न्यायिक समीक्षा के दो आधार उपलब्ध हैं:

(i) कानून बनाने वाले निकाय की विधायी क्षमता जिसके पास है -

कानून के विषय पर कानून अधिनियमित किया; और

((ii) संविधान के भाग *III* का अनुपालन, जो स्पष्ट करता है।

मौलिक अधिकार, और अन्य प्रावधानों के साथ
संविधान।

यह मानते हुए कि चुनौती का तीसरा आधार-कि विचाराधीन कानून मनमाना है-उपलब्ध नहीं है, बिनॉय विश्वम के फैसले ने एपी बनाम मैकडोवेल एंड कंपनी *(*मैकडोवेल*)* राज्य में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा कानून के उच्चारण पर भरोसा किया। *512* मैकडॉवेल ने फैसला सुनाया कि जबकि इस आधार पर एक क़ानून को चुनौती दी गई है कि यह अनुच्छेद *14* के तहत समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, एक क़ानून को इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता है कि यह मनमाना है:

" 43 ..... दूसरे शब्दों में कहें, यदि किसी अधिनियम को इस रूप में चुनौती दी जाती है

अनुच्छेद *14* का उल्लंघन, इसे तभी निरस्त किया जा सकता है जब यह पाया जाए

511 (2017) 7 एससीसी *59*

512 (1996) 3 एस. सी. सी. *709* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

कि यह समानता खंड/समान संरक्षण खंड का उल्लंघन है

उसमें प्रतिष्ठापित..

किसी भी अधिनियम को केवल यह कहकर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि यह मनमाना या अनुचित है। कुछ या अन्य संवैधानिक दुर्बलता होनी चाहिए

किसी अधिनियम को अमान्य करने से पहले पाया गया। *513*

बिनॉय विश्वम के मामले में, दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि न्यायिक समीक्षा की "रूपरेखा" मध्य प्रदेश राज्य बनाम राकेश कोहली, *5 1/4* और हाल ही में राजबाला बनाम हरियाणा राज्य में लिखी गई थी। *515*

उसी स्थिति को दोहराते हुए, बिनॉय विश्वम का मानना है:

"*81.*इस संदर्भ में एक अन्य पहलू, जिस पर जोर देने की आवश्यकता है, वह यह है कि किसी कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है।

यह इस आधार पर कि यह "मनमाना" है क्योंकि यह जांच करना कि क्या कोई विशेष अधिनियम मनमाना है या नहीं, एक मूल्य निर्णय का तात्पर्य है और अदालतें विधायी विकल्पों के विवेक की जांच नहीं करती हैं और,

इसलिए, यह अभ्यास नहीं किया जा सकता है। *516*

अपने और न्यायमूर्ति उदय यू ललित के पक्ष में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैकडॉवेल का यह कथन कि "किसी भी अधिनियम को केवल मनमाना या अनुचित कहकर निरस्त नहीं किया जा सकता है", अजय हासिया बनाम खालिद मुजीब सहरावर्दी मामले में संविधान पीठ के फैसले पर ध्यान देने में विफल रहा है। *("* अजय हसिया *"), 5 1 8* और डॉ. के. आर. में तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय

लक्ष्मणन बनाम टी. एन. राज्य *("*लक्ष्मणन*")*। *51 9* अजय हासिया में, संविधान पीठ ने वर्गीकरण के सिद्धांत में समानता के सिद्धांत के विकास का पता लगाया। अजय हसिया ने फैसला सुनाया कि ई. पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य, *520* में निर्णय के बाद से यह माना गया था कि समानता की एक ठोस सामग्री थी, जो सीधे शब्दों में कहें तो मनमानेपन का विरोधी थी। नतीजतनः

"*16 .....* इसलिए जहां कहीं भी राज्य की कार्रवाई में मनमानी है, चाहे वह विधायिका की हो या कार्यपालिका की।

518 (1981) 1 एस. सी. सी. *722* *519 (1996) 2* एससीसी *226*

520 (1974) 4 एससीसी *3 [2018] 8* एस. सी. आर.

या अनुच्छेद *12*, अनुच्छेद *14* के तहत किसी "प्राधिकरण" का

तुरंत हरकत में आता है और ऐसे राज्य पर हमला करता है

कार्रवाई। वास्तव में, तर्कसंगतता और गैर-मनमानेपन की अवधारणा पूरी संवैधानिक योजना में व्याप्त है और एक सुनहरा धागा है जो पूरे संविधान के ताने-बाने से गुजरता है।
संविधान "। *521 (* जोर दिया गया*)*

लक्ष्मणन में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले द्वारा राज्य के कानून को अमान्य करने के लिए मनमानेपन का सिद्धांत लागू किया गया था। इस संदर्भ में न्यायमूर्ति नरीमन ने शायरा बानो में संविधान पीठ में दो न्यायाधीशों की ओर से बोलते हुए कहा कि स्पष्ट मनमानेपन का एक घटक है -

अनुच्छेद *14.* इसलिए, एक कानून जो स्पष्ट रूप से मनमाना है, समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगाः

"*87.* तर्कसंगतता का धागा पूरे मौलिक अधिकारों के अध्याय में चलता है। जो स्पष्ट रूप से मनमाना है वह स्पष्ट रूप से अनुचित है और कानून के शासन के विपरीत होने से अनुच्छेद *14* का उल्लंघन होगा। इसके अलावा, मैकडॉवेल में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में एक स्पष्ट विरोधाभास है जब यह कहा जाता है कि एक संवैधानिक चुनौती इस आधार पर सफल हो सकती है कि एक कानून "असमान, अत्यधिक या अनुचित" है, फिर भी ऐसी चुनौती कानून के आधार पर विफल हो जाएगी।

"अनुचित, अनावश्यक या अनुचित "। मनमानेपन का सिद्धांत जब कानून पर लागू होता है तो स्पष्ट रूप से इसमें शामिल नहीं होता है

बाद की चुनौती लेकिन केवल एक कानून होना शामिल होगा

असमान, अत्यधिक या अन्यथा स्पष्ट रूप से अनुचित होना। अतः उपरोक्त सभी आधार अपने विभिन्न रूपों में राज्य की कार्रवाई के बीच अंतर करने का प्रयास नहीं करते हैं, जो सभी मौलिक अधिकारों की अवहेलना करने पर बाधित होते हैं।

भाग *III* में व्यक्तियों और नागरिकों को गारंटी

संविधान "। *9 522*

न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा है कि मैकडॉवेल के बाद भी,

कानून की वैधता पर मनमानेपन के आधार पर विचार किया गया है *(*मालपे विश्वनाथ आचार्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, *523* मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, *524* तमिलनाडु राज्य बनाम के श्याम सुंदर, *525* आंध्र प्रदेश डेयरी विकास*)*

524 (2004) 4 एस. सी. सी. *311*

525 (2011) 8 एस. सी. सी. *737* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

निगम संघ बनाम बी नरसिम्हा रेड्डी *526* और के. टी. प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य *527)*।

275. शायरा बानो मामले में न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा है कि

मैकडॉवेल के बाद आए निर्णयों में बिनॉय विश्वम में दो न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय भी शामिल है। न्यायमूर्ति नरीमन के विचार में ये निर्णय अब अच्छे कानून नहीं हैं:

"*99.* हालांकि, बिहार राज्य बनाम। बिहार डिस्टिलरी लिमिटेड, एस. सी. सी. पैरा *22* पर, एम. पी. बनाम राज्य में। राकेश कोहली, एस. सी. सी. पैरा *17* से *19*, राजबाला बनाम में। हरियाणा राज्य, एस. सी. सी. पैरा *53* से *65* और

बिनॉय विश्वम बनाम। भारत संघ, एस. सी. सी. पैरा *80* से

82 , मैकडॉवेल को अनुच्छेद के तहत कानून को निरस्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में "मनमानेपन" के उपयोग के लिए एक पूर्ण प्रतिबंध के रूप में पढ़ा गया था।

14. जैसा कि हम पहले भी उल्लेख कर चुके हैं

मैकडॉवेल स्वयं इनक्यूरियम के अनुसार है, जिसने समान या उच्च शक्ति की पीठों के कई निर्णयों पर ध्यान नहीं दिया है, इसके

अन्यथा भी तर्क त्रुटिपूर्ण होना। निर्णयों को,
इसलिए मैकडॉवेल का अनुसरण करना अब अच्छा नियम नहीं है। " *528*

उपरोक्त उद्धरण में, न्यायमूर्ति नरीमन ने विशेष रूप से कहा है कि मैकडॉवेल परीक्षण, जो मनमानेपन के आधार पर एक कानून को चुनौती देने से रोकता है, ने अजय हासिया और लक्ष्मणन में तीन न्यायाधीशों की पीठ के बाध्यकारी संविधान पीठ के दृष्टिकोण की अनदेखी की। इसके अलावा, शायरा बानो का उपरोक्त उद्धरण बिनॉय विश्वम में न्यायिक समीक्षा पर प्रतिबंध को अस्वीकार करता है, जो मैकडॉवेल का अनुसरण करता है। न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने अपने फैसले के दौरान न्यायमूर्ति नरीमन द्वारा व्यक्त किए गए विचार से विशेष रूप से सहमति व्यक्त की है:

" *5* ..... हालाँकि, कानून के शुद्ध प्रश्न पर कि एक कानून, चाहे वह पूर्ण हो या अधीनस्थ, को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है -

निष्पक्षता, मैं न्यायमूर्ति नरीमन द्वारा कानून की स्पष्ट व्याख्या से सहमत हूं। मेरा यह भी दृढ़ विचार है कि भारत का संवैधानिक लोकतंत्र किसी ऐसे कानून की कल्पना नहीं कर सकता जो मनमाना हो। "

276. पुट्टास्वामी में, चार न्यायाधीशों की ओर से दिए गए निर्णय ने स्पष्ट रूप से निर्धारण में अनुच्छेद *14* के प्रभाव को मान्यता दी

526 (2011) 9 एस. सी. सी. *286* *527 (2011) 9* एससीसी *1*

528 उदाहरण के लिए, पृष्ठ *97 [2018] 8* एस. सी. आर. पर।

दोनों की प्रक्रियात्मक और साथ ही मूल सामग्री

निपुणता। न्यायालय ने कहा:

" *291* ..... अनुच्छेद *21* का विकास, क्योंकि कूपर में निर्णय परिवर्तन के दो प्रमुख क्षेत्रों को इंगित करता है। सबसे पहले, मौलिक अधिकारों को अब अलग-थलग या जलरोधक नहीं माना जाता है

डिब्बे। परिणामस्वरूप, अनुच्छेद *14* को अनुच्छेद *21* की सामग्री को सजीव करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। दूसरा, अभिव्यक्ति

" अनुच्छेद *21* में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया केवल प्रक्रिया की उपस्थिति की औपचारिक आवश्यकता को इंगित नहीं करती है।

अधिनियमित कानून। उस अभिव्यक्ति को प्रक्रिया की सामग्री और इसकी गुणवत्ता को दर्शाने के लिए आयोजित किया गया है जो उचित, न्यायपूर्ण और उचित होना चाहिए।

उचित है। केवल तथ्य यह है कि कानून प्रदान करता है

जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है।

इसकी वैधता और संवैधानिक रूप से मान्य होने की प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। तर्कसंगतता की गुणवत्ता नहीं है

केवल उस प्रक्रिया की सामग्री को संलग्न करें जिसे कानून

अनुच्छेद *21* के संदर्भ में निर्धारित करता है लेकिन कानून की सामग्री के लिए ही। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद *21* की आवश्यकता केवल कानून के तहत निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया के अधिनियमन से पूरी नहीं होती है और ऐसा करने वाला कानून अभी भी इस आधार पर चुनौती देने के लिए अतिसंवेदनशील हो सकता है कि इसकी सामग्री एक वैध कानून की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। कानून इस आधार पर ठोस चुनौती के लिए खुला है कि यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। *529*

निम्नलिखित टिप्पणियों में मेरे सिद्धांत पर जोर दिया गया हैः

"294 ... . अनुच्छेद *14*, मनमानेपन के खिलाफ एक गारंटी के रूप में, लागू करता है

अनुच्छेद *21* की संपूर्णता। के बीच संबंध

मनमानेपन और जीवन की सुरक्षा के खिलाफ गारंटी और

व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक बहुआयामी स्तर पर काम करती है। सबसे पहले, यह सुनिश्चित करता है कि वंचित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। दूसरा, अनुच्छेद *14* प्रक्रिया और अभिव्यक्ति "कानून" दोनों को प्रभावित करता है। अनुच्छेद *21* के अर्थ के भीतर एक कानून अनुच्छेद *14* में उत्पन्न निष्पक्षता के मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए। ए के रूप में

सैद्धांतिक रूप से, एक बार जब अनुच्छेद *14* का अनुच्छेद *21* से संबंध हो जाता है, तो निष्पक्षता और तर्कसंगतता के मानदंड न केवल प्रक्रिया पर बल्कि कानून पर भी लागू होंगे। *530*

घ, पृष्ठ *495* डी पर, पृष्ठ *496* पर

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

277. बिनॉय विश्वम मामले में, दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि आधार अधिनियम के तहत नामांकन स्वैच्छिक है, लेकिन यह वैध रूप से खुला है

पैन कार्ड के साथ आधार संख्या को जोड़ने के लिए आयकर अधिनियम की धारा *139* एए को लागू करते हुए संसद को

अनिवार्य है। अदालत ने कहा कि आयकर अधिनियम के तहत इसे अनिवार्य बनाने का उद्देश्य काले धन, धन शोधन और कर चोरी पर अंकुश लगाना था। ऐसा करना संसद के लिए खुला था और उस आधार पर इसकी विधायी क्षमता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था। अदालत ने माना कि काले धन का पता लगाने और धन शोधन पर अंकुश लगाने का विधायी उद्देश्य है

कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ एक वैध संबंध प्रस्तुत किया गयाः

अलगाव में माना जाना पर्याप्त नहीं हो सकता है। इसलिए, किसी विशेष उपाय की तर्कसंगतता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि इसका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं है। बेशक, एक निश्चित उद्देश्य है। अकेले इस उद्देश्य के लिए, व्यक्तिगत उपाय का उपहास नहीं किया जा सकता है। हम पहले ही न्यायमूर्ति एम. बी. शाह की अध्यक्षता में काले धन पर एस. आई. टी. की सिफारिशों पर ध्यान दे चुके हैं। हमने "भारत और विदेश में काले धन से निपटने के उपायों" पर सीबीडीटी के अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा सुझाए गए उपायों को भी दोहराया है। उन्होंने बिना किसी अनिश्चितता के सुझाव दिया है कि वित्त/व्यावसायिक लेन-देन आदि में प्रवेश करने के लिए किसी व्यक्ति की पहचान का एक एकल प्रमाण हो सकता है। इस
गलत प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए एक लंबा रास्ता। इसके अलावा, भले ही वह अकेला हो

पैन कार्ड के डी-डुप्लिकेशन का उद्देश्य लिया जाता है

विचार, जो अनुच्छेद *14* के दूसरे परीक्षण को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। यह रिकॉर्ड में आया है कि *11.35* डुप्लिकेट के लाख मामले

पैन या धोखाधड़ी वाले पैन कार्ड का पहले ही पता लगाया जा चुका है और इनमें से एक लाख मामले व्यक्तिगत मूल्यांकनकर्ताओं से संबंधित हैं। पैन के साथ आधार को जोड़ने के कुछ लाभ हैं जिनमें *[2018] 8* एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पहले से ही गणना की गई है। इसके अलावा, जब हम नकली कंपनियों के मुद्दे को संबोधित करते हैं, तब भी तथ्य यह है कि कंपनियां आखिरकार व्यक्तियों द्वारा बनाई जाती हैं और इन व्यक्तियों को अपनी पहचान दिखाने के लिए दस्तावेज पेश करने होते हैं। यह तर्क दिया गया कि डुप्लिकेट/फर्जी पैन कार्ड वाले व्यक्तियों की संख्या मुश्किल से *0.40* प्रतिशत है और इसलिए, इस तरह के प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं थी। हम प्रतिशत के आंकड़ों से नहीं जा सकते। निरपेक्ष

ऐसे मामलों की संख्या *10.52* लाख है, जिसे किसी भी तरह से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने और राष्ट्र पर प्रतिकूल प्रभाव पैदा करने के लिए छोटा नहीं कहा जा सकता है। उत्तरदाताओं ने तर्क दिया है कि आधार यह सुनिश्चित करेगा कि पहचान का कोई दोहराव न हो क्योंकि बायोमेट्रिक्स इसकी अनुमति नहीं देगा और इसलिए, यह जांच कर सकता है
शेल कंपनियों का भी विकास।

106. उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं है। *9 531*

अदालत ने कहा कि यह हमारे समय की एक कठोर वास्तविकता है कि राज्य द्वारा अपनाए गए कल्याणकारी उपायों का लाभ समाज के उन वर्गों तक नहीं पहुंचता है जिनके लिए वे अभिप्रेत हैं:

" 125.1. 3 ..... हालांकि, भ्रष्टाचार सहित विभिन्न कारणों से,

वास्तविक लाभ उन लोगों तक नहीं पहुँचता है जिन्हें इस तरह के लाभ मिलने चाहिए। मुख्य कारणों में से एक इन व्यक्तियों की पहचान करने में विफलता है क्योंकि ऐसे साधनों की कमी है जिनके द्वारा ऐसे वास्तविक जरूरतमंद वर्ग की पहचान स्थापित की जा सकती है। नतीजतन, बहुत सारे भूत और नकली लाभार्थी अनुचित और अस्वीकार्य लाभ लेने में सक्षम होते हैं। इस देश का एक पूर्व प्रधानमंत्री चला गया है यह कहने के लिए रिकॉर्ड करें कि सरकार द्वारा दलितों के कल्याण के लिए खर्च किए गए एक रुपये में से वास्तव में केवल *15* पैसे

उन लोगों तक पहुँचता है जिनके लिए यह अभिप्रेत है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यू. आई. डी./आधार के साथ इस क्षेत्र में बहुत सारी अस्वस्थता हो सकती है।

99532

ख्याल रखा '।

मूल्यांकन करते हैं। न्यायालय ने संसद के निर्णय को विधायी के रूप में बरकरार रखा *531* आई. बी. आई. डी., पृष्ठों पर *134-135*

532 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *146* पर जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

पैन को आधार के साथ जोड़ने का मुख्य भाग "पैन डेटाबेस के डी-डुप्लिकेशन का सबसे अच्छा तरीका और एकमात्र मजबूत तरीका" है। *278.* धारा *139* एए की इमारत आधार अधिनियम द्वारा बनाई गई संरचना पर आधारित है। आयकर अधिनियम *1962* की धारा *139* एए आधार की आवश्यकता पर एक वैध कानून के तहत अधिनियमित की गई है। आधार को पैन से जोड़ने वाले कानून की वैधता इस पर निर्भर है और इसे पैन से अलग नहीं किया जा सकता है।

मूल आधार कानून की वैधता। वास्तव में, यह एक कारण है कि बिनॉय विश्वम में अनुच्छेद *21* की चुनौती पर निर्णय नहीं लिया गया था

क्योंकि उस पर एक बड़ी पीठ के समक्ष विचार लंबित था। इसलिए धारा *139* एए के तहत आधार को पैन से जोड़ने की वैधता आधार अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर निर्भर होनी चाहिए क्योंकि यह है

इस न्यायालय द्वारा निर्धारित। इसके अलावा आयकर नियम *1962* का नियम *114* बी उन लेनदेनों की सूची प्रदान करता है जिनके लिए एक व्यक्ति को पैन कार्ड संख्या का उल्लेख करना होगा। नियम *114* बी की आवश्यकता है कि एक व्यक्ति के पास एक होना चाहिए

उन लेनदेनों के लिए पैन कार्ड। इनका सारांश नीचे दिया गया है:

"मोटर वाहन अधिनियम, *1988 (1988* का *59)* की धारा *2* के खंड *(28)* में परिभाषित मोटर वाहन या वाहन की बिक्री या खरीद, जिसके लिए दो पहिया वाहनों के अलावा उस अधिनियम के अध्याय *IV* के तहत एक पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण की आवश्यकता होती है।

*(*उस अधिनियम की धारा *51* में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित*)* किसी भी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक, जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, *1949 (1949* का *10)* लागू होता है, या किसी अन्य कंपनी या संस्थान के लिए आवेदन करना।
क्रेडिट या डेबिट कार्ड जारी करना।

प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की धारा *12* की उप धारा *(1* ए*)* के तहत पंजीकृत किसी डिपॉजिटरी, प्रतिभागी, प्रतिभूतियों के संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के साथ डीमैट खाता खोलना।

भारत का अधिनियम, *1992 (1992* का *15)*।

किसी भी बिल या बिल के बदले होटल या रेस्तरां को भुगतान

समय।

किसी भी विदेशी देश की यात्रा के संबंध में भुगतान या

किसी भी समय किसी भी विदेशी मुद्रा की खरीद के लिए भुगतान। अपनी इकाइयों की खरीद के लिए म्यूचुअल फंड को भुगतान।

किसी कंपनी या संस्था को उसके द्वारा जारी डिबेंचर या बॉन्ड प्राप्त करने के लिए भुगतान।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, *1934 (1934* का *2)* की धारा *3* के तहत गठित भारतीय रिजर्व बैंक को उसके द्वारा जारी बांड प्राप्त करने के लिए भुगतान। के साथ जमा करें,

बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक जिसे
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, *1949 (1949* का *10)* लागू होता है *(*धारा *51* में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित*)*।

वह अधिनियम*);*

डाकघर।

किसी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक से बैंक ड्राफ्ट या भुगतान आदेश या बैंकर के चेक की खरीद, जिसके लिए बैंकिंग

विनियमन अधिनियम, *1949 (1949* का *10)* लागू होता है *(*उस अधिनियम की धारा *51* में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित*)*। एक समय जमा के साथ,

एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक जिसे

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, *1949 (1949* का *10)* लागू होता है *(*धारा *51* में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित*)*।

वह अधिनियम*);*

एक डाकघर*;*

कंपनी अधिनियम की धारा *406* में निर्दिष्ट निधि,

2013 (18 2013 का*);* या

एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जिसके पास भारतीय रिजर्व बैंक की धारा *45*-आई. ए. के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र है।

जमा रखने या स्वीकार करने के लिए भारत अधिनियम, *1934 (1934* का *2)*

सार्वजनिक।

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, *2007 (2007* का *51)* की धारा *18* के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए पूर्व-भुगतान भुगतान उपकरणों को जारी करने और उनके संचालन के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों में परिभाषित एक या अधिक पूर्व-भुगतान भुगतान उपकरणों के लिए भुगतान, किसी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, *1949 (1949* का *10) (*उस अधिनियम की धारा *51* में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित*)* या किसी अन्य कंपनी या संस्थान पर लागू होता है।

प्रतिभूति अनुबंध *(*विनियमन*)* अधिनियम, *1956 (1956* का *42)* की धारा *2* के खंड *(*ज*)* में परिभाषित प्रतिभूतियों *(*शेयरों के अलावा*)* की बिक्री या खरीद के लिए अनुबंध।
किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी कंपनी के शेयरों की बिक्री या खरीद नहीं

किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध।

किसी भी अचल संपत्ति की बिक्री या खरीद।
ऊपर निर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा किसी भी प्रकृति की वस्तुओं या सेवाओं की किसी भी व्यक्ति द्वारा बिक्री या खरीद। ”

पुट्टास्वामी में निर्णय ने माना है कि राजस्व के हितों की रक्षा आनुपातिकता की त्रिस्तरीय परीक्षा में एक वैध राज्य उद्देश्य है। ऐसी परिस्थितियाँ जो बिनॉय विश्वम में दिए गए निर्णय कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए राजस्व की वैध चिंताओं का एक पर्याप्त संकेतक है, जिसमें पैन डेटा बेस के डुप्लिकेशन के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। एक वैध

राज्य का उद्देश्य मौजूद है। हालाँकि, यह अपने आप में कानून की वैधता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, जो अन्य मापदंडों को पूरा करना चाहिए

पुट्टास्वामी में आनुपातिकता का वर्णन किया गया है। धारा *139* एए का स्पष्टीकरण मूल आधार कानून से 'आधार संख्या', 'नामांकन' और 'निवासी' अभिव्यक्तियों की परिभाषा को अपनाता है। पैन कार्ड के साथ आधार को जोड़ना आधार कानून की संवैधानिक वैधता पर निर्भर करता है। इसलिए, यह पुष्टि करने के अलावा कि धारा *139* एए में उपाय का उद्देश्य एक वैध राज्य उद्देश्य है, आधार की वैधता के संबंध में इस न्यायालय का निर्णय पैन को आधार के साथ जोड़ने पर प्रभाव डालेगा, जो धारा *139* एए है।

हासिल करने की कोशिश करता है। एच. *7* सिम कार्ड और आधार संख्या को जोड़ना

279. अविषेक गोयनका बनाम भारत संघ *3 3 3 533* में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एक जनहित याचिका पर विचार किया जिसमें निम्नलिखित से संबंधित मानदंडों, विनियमों और दिशानिर्देशों के गैर-पालन को उजागर करने की मांग की गई थी:

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं *(*टी. एस. पी.*)* द्वारा ग्राहक सत्यापन। द.

533 (2012) 5 एससीसी *275 [2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

टी. आर. ए. आई. और डी. ओ. टी. के प्रतिनिधियों वाली समिति। अदालत ने यह आदेश दिया गया कि समिति द्वारा निम्नलिखित मुद्दों की जांच की जानी चाहिए:

"(क) क्या सेवा प्रदाता/लाइसेंसधारी, स्वयं दूरसंचार विभाग या किसी अन्य केंद्रीय निकाय द्वारा पुनः सत्यापन किया जाना चाहिए*?*

(ख) क्या पूर्व-सक्रिय सिम की बिक्री सहित निर्देशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना बढ़ाने की कोई आवश्यकता है*?* कार्ड*?*

(ग) क्या सिम कार्ड की डिलीवरी डाक द्वारा की जा सकती है*?* देय राशि प्रदान करने के लिए सिम कार्ड की डिलीवरी का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है

अभिदाता की पहचान और पते का सत्यापन*?*

(घ) आवेदन पत्रों में से किस आवेदन पत्र को सार्वभौमिक के रूप में अपनाया जाना चाहिए अर्थात मौजूदा या ट्राई द्वारा अब सुझाए गए आवेदन पत्र को

सिम कार्ड खरीदने के लिए आवेदन पत्र*?*
(ङ) विशिष्ट पहचान पत्र के अभाव में, क्या अभिदाता विवरण को अद्यतन करना व्यक्तिगत रूप से अनुज्ञप्तिधारी का बोझ होना चाहिए या इसे अनुज्ञप्तिधारी के अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से करने की अनुमति दी जा सकती है*?*

(च*)* राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित के हित में,

क्या सभी पंजीकृत अभिदाताओं का डेटाबेस होना चाहिए

डी. ओ. टी. या लाइसेंसधारी द्वारा बनाए रखा जाता है और उसे कितनी जल्दी सुरक्षा एजेंसियों के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है।

कानून के साथ*? 9 534*

उपरोक्त निर्देश के अनुसरण में, डीओटी ने *9* अगस्त *2012* को नए मोबाइल ग्राहकों के सत्यापन पर निर्देश जारी किए। *6* जनवरी *2016* को, ट्राई ने डीओटी को एक संचार को संबोधित करते हुए सिफारिश की कि ग्राहक सत्यापन के लिए नई प्रक्रिया "बोझिल और संसाधन गहन" थी और इसलिए इसे आधार से जुड़े ई-केवाईसी तंत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। इसके बाद, दूरसंचार विभाग ने *16* अगस्त *2016* को मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए सभी लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में आधार ई-केवाईसी सेवा शुरू करने का निर्देश जारी किया। हालांकि, यह कहा गया था कि ई-केवाईसी

534 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *283* पर जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

प्रक्रिया ग्राहकों को मोबाइल कनेक्शन जारी करने की मौजूदा प्रक्रिया के अलावा एक विकल्प थी और यह थोक, बाहरी और विदेशी ग्राहकों के लिए लागू नहीं होगी।

280. लोकनीति फाउंडेशन बनाम भारत संघ *535* में अनुच्छेद *32* के तहत इस न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई थी। वह राहत जो

दावा किया गया कि ग्राहकों का सौ प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए एक निश्चित मोबाइल फोन ग्राहक सत्यापन होना चाहिए। याचिका के जवाब में, केंद्र सरकार ने इस अदालत को सूचित किया कि डीओटी ने *16* अगस्त *2016* को मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी शुरू किया था, जिसके द्वारा ग्राहकों के साथ-साथ टीएसपी के पॉइंट ऑफ सेल एजेंटों को यूआईडीएआई द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। विद्वान महान्यायवादी द्वारा एक बयान दिया गया था कि एक वर्ष के भीतर प्रीपेड कनेक्शनों के सत्यापन के लिए एक प्रभावी कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। ए. जी. के बयान को ध्यान में रखते हुए, दो न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित निर्देशों के संदर्भ में याचिका का निपटारा कियाः

"5. सुनवाई के दौरान हमारे संज्ञान में लाई गई तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए, हम संतुष्ट हैं कि रिट याचिका में की गई प्रार्थनाओं पर काफी हद तक विचार किया गया है, और

पहचान सत्यापन के साथ-साथ सभी मोबाइल फोन ग्राहकों के पते सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रक्रिया विकसित की गई है।

नए ग्राहक। निकट भविष्य में, और विशेष रूप से, आज से एक साल के भीतर, मौजूदा ग्राहकों के मामले में इसी तरह का सत्यापन पूरा कर लिया जाएगा। प्रशंसा करते हुए
तत्काल याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता, हम इस उम्मीद और अपेक्षा के साथ इसका निपटारा करते

हैं कि इस न्यायालय को दिए गए वचन को गंभीरता से लिया जाएगा, और इसे जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। *536*

निर्णय के बाद, डीओटी ने *23* मार्च *2017* को सभी के लिए एक निर्देश जारी किया

लाइसेंसधारियों ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को लागू करने के लिए एक रास्ता खोज लिया गया है। इस परिकल्पना के आधार पर कि इस न्यायालय ने ई-केवाईसी सत्यापन का निर्देश दिया था, डीओटी ने इसे लागू करने के लिए आगे बढ़े

23 मार्च *2017*।

281. यू. आई. डी. ए. आई. और गुजरात राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री राकेश द्विवेदी ने इस उपाय का समर्थन किया। वह.

535 (2017) 7 एससीसी *155* *536* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *156* सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर

[2018] 8 एस सी आर।

ब्याज याचिका, यह केंद्र सरकार थी जिसने मोबाइल के लिए ई-केवाईसी सत्यापन को लागू करने के लिए *16* अगस्त *2016* के अपने फैसले पर भरोसा किया अभिदाता। याचिका का निपटारा किया गया क्योंकि प्रार्थनाओं को काफी हद तक निपटाया गया था और अदालत ने माना कि पतों के सत्यापन के साथ-साथ पहचान सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी प्रक्रिया अपनाई गई थी। मौजूदा ग्राहकों को एक वर्ष के भीतर इसी तरह से सत्यापित करने का निर्देश दिया गया था। यह मुद्दा कि मोबाइल सिम कार्ड के साथ आधार को जोड़ना संवैधानिक रूप से वैध था या नहीं

विचार करें।

283. आधार संख्या को सिम कार्ड से जोड़ने और मोबाइल ग्राहकों के ई-केवाईसी प्रमाणीकरण की आवश्यकता के निर्णय को केंद्र सरकार ने विशुद्ध रूप से पहचान की दक्षता के मामले के रूप में देखा है। ट्राई के *6* जनवरी *2016* के पत्र में कहा गया है कि उसने ग्राहक सत्यापन के लिए जो नई प्रक्रिया अपनाई थी, वह थी "बोझिल और संसाधन गहन "। यह मुद्दा कि क्या आधार से जुड़ा ई-केवाईसी प्रमाणीकरण गोपनीयता को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा

मोबाइल ग्राहकों ने निर्णय लेने की गणना में प्रवेश नहीं किया। आनुपातिकता के परीक्षण को लागू करने में, मामले को न केवल यह निर्धारित करके संबोधित किया जाना चाहिए कि क्या कोई उपाय कुशल है, बल्कि यह भी कि क्या यह प्रभावी है।

यह उस वैध उद्देश्य के लिए असमान या अत्यधिक नहीं होने की कसौटी को पूरा करता है जिसे राज्य आगे बढ़ाना चाहता है। टी. आर. ए. आई. और डी. ओ. टी. को उन सिम कार्डों के अस्तित्व पर वैध चिंता है जो वास्तविक नहीं हैं। लेकिन असली मुद्दा यह है कि क्या आधार कार्ड को जोड़ना ग्राहक सत्यापन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने का सबसे कम हस्तक्षेप करने वाला तरीका है। राज्य निजता की रक्षा करने की आवश्यकता और गोपनीयता के उपयोग में निहित खतरों से अनजान नहीं हो सकता है। दूरसंचार

सेवा प्रदाताओं द्वारा आधार प्लेटफॉर्म। पर्याप्त सुरक्षा उपायों के अभाव में, मोबाइल ग्राहकों का बायोमेट्रिक डेटा हो सकता है

गंभीर रूप से समझौता किया और वाणिज्यिक लाभ के लिए शोषण किया। उचित सत्यापन की आवश्यकता पर जोर देते हुए, राज्य न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* की अवहेलना नहीं कर सकता है।

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

बायोमेट्रिक डेटा की अखंडता को संरक्षित करने की आवश्यकताओं को पूरा करना और मोबाइल फोन ग्राहकों की गोपनीयता। न ही हम इस तर्क को स्वीकार कर सकते हैं कि सेल फोन डेटा इतना सार्वभौमिक है कि कोई भी बायोमेट्रिक जानकारी के खुलासा में निहित खतरों के बारे में निंदनीय हो सकता है।

आनुपातिकता जो पुट्टास्वामी में प्रस्तावित की गई है और जैसा कि इस फैसले में विस्तार से बताया गया है, हम नहीं पाते कि आधार संख्या को मोबाइल सिम कार्ड से जोड़ने का निर्णय वैध या संवैधानिक है। केवल यह एक वैध राज्य उद्देश्य का अस्तित्व अपनाए गए साधनों को उचित नहीं ठहराएगा। अंत कम से कम संवैधानिक सिद्धांत के रूप में साधनों को उचित नहीं ठहराते हैं। साधनों को वैध होने के लिए, उन्हें एक वैध राज्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं पर उनके अतिक्रमण में असमान या अत्यधिक नहीं होना चाहिए।

285. मोबाइल प्रौद्योगिकी हमारे युग की एक सर्वव्यापी विशेषता बन गई है। मोबाइल फोन केवल टेलीफोन की सुविधा के लिए उपकरण नहीं हैं।

बातचीत। वे व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, जीवन शैली और व्यक्तिगत विकल्पों को दर्शाने वाले आंकड़ों का भंडार हैं। वे पारिवारिक जीवन, कार्यस्थल और व्यक्तिगत अंतरंगता को सहन करते हैं। सिम कार्ड के साथ बायोमेट्रिक डेटा का संयोजन व्यक्तिगत स्वायत्तता के लिए गंभीर खतरों से भरा हुआ है। उदार मूल्यों पर आधारित संविधान को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकृति का अतिक्रमण। आधार संख्या को सिम कार्ड से जोड़ने और ई-केवाईसी प्रमाणीकरण की व्यवस्था को स्पष्ट रूप से लागू करने का निर्णय

संवैधानिक मस्टर को पारित नहीं करता है और अमान्य होना चाहिए। सभी टी. एस. पी. को केंद्र सरकार और टी. आर. ए. आई. द्वारा दो सप्ताह के भीतर सभी ग्राहकों के बायोमेट्रिक डेटा और आधार विवरण को तुरंत हटाने का निर्देश दिया जाएगा। उपरोक्त डेटा और आधार विवरण का उपयोग किसी भी टीएसपी या उनकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति या एजेंसी द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

आई मनी लॉन्ड्रिंग नियम

286. संसद ने एक भाग के रूप में धन शोधन पर एक कानून लागू किया

वित्तीय प्रणालियों और राष्ट्रों की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा ठोस प्रयास। उद्देश्यों और कारणों का विवरण

विधेयक के प्रस्तुतिकरण के साथ एक स्पष्टीकरण शामिल है -

अधिनियम के कारणः

[2018] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"परिचय

मनी लॉन्ड्रिंग न केवल वित्तीय के लिए एक गंभीर खतरा है देशों की प्रणालियाँ, लेकिन उनकी अखंडता और संप्रभुता के लिए भी। इस तरह के खतरों को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कुछ पहल की हैं। यह महसूस किया गया है कि धन शोधन और संबंधित गतिविधियों को रोकने के लिए एक व्यापक कानून तत्काल बनाया जाना चाहिए।

जरूरत है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संसद में धन शोधन रोकथाम विधेयक, *1998* पेश किया गया था। बिल इसे वित्त पर स्थायी समिति को भेजा गया, जिसने *4* मार्च *1999* को लोकसभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। द.

केंद्र सरकार ने स्थायी समिति की सिफारिशों को व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया और उन्हें कुछ अन्य वांछित परिवर्तनों के साथ उक्त विधेयक में शामिल कर लिया।

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

दुनिया भर में यह महसूस किया जा रहा है कि धन शोधन एक

न केवल देशों की वित्तीय प्रणालियों के लिए, बल्कि उनकी अखंडता और संप्रभुता के लिए भी गंभीर खतरा है। इस तरह के खतरे को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा की गई कुछ पहलों की रूपरेखा नीचे दी गई हैः

*(*क*)* मादक द्रव्यों और मनःप्रभावी पदार्थों में अवैध व्यापार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसमें भारत एक पक्ष है, मादक द्रव्य अपराधों और अन्य संबंधित गतिविधियों की आय के धनशोधन की रोकथाम और जब्त करने का आह्वान करता है।

ऐसे अपराध से प्राप्त आय।

*(*ख*) 1989* में प्रतिपादित बेसल स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स में बुनियादी नीतियों और प्रक्रियाओं को रेखांकित किया गया है जिनका पालन बैंकों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता के लिए करना चाहिए।

धन शोधन की समस्या से निपटना।

*(*ग*)* मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या की जांच के लिए *14* से *16* जुलाई *1989* तक पेरिस में आयोजित सात प्रमुख औद्योगिक देशों के शिखर सम्मेलन में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की स्थापना की गई।

चालीस सिफारिशें की हैं, जो धन शोधन की समस्या से निपटने के लिए व्यापक कानून के लिए आधार सामग्री प्रदान करती हैं। सिफारिशों को विभिन्न शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया गया था।

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख हैं। भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

(i) धन शोधन की घोषणा

गंभीर अपराध एक आपराधिक अपराध*;*

((ii) रिपोर्ट करने योग्य लेन-देन के संबंध में वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रकटीकरण के तौर-तरीकों पर काम करना।

((ग) अपराध की आय को जब्त करना*;* *((iv)* धन शोधन को प्रत्यर्पण योग्य घोषित करना।

अपराध*;* और

(v) जाँच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।

धन शोधन का।

((घ) राजनीतिक घोषणा और वैश्विक कार्य कार्यक्रम

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया
संकल्प सं। *23* फरवरी *1990* की धारा*-17/2,* अन्य बातों के साथ-साथ, सदस्य देशों से तंत्र विकसित करने का आह्वान करती है -

वित्तीय संस्थानों को नशीली दवाओं से संबंधित धन शोधन और कानून बनाने के लिए उपयोग करने से रोकें इस तरह के धनशोधन को रोकें।

(ई) प्रतिकार पर विशेष सत्र में संयुक्त राष्ट्र

8 से *10* जून *1998* को समाप्त हुई विश्व मादक पदार्थ समस्या ने धन शोधन से निपटने की आवश्यकता के बारे में एक और घोषणा की है। भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है

यह घोषणा "।

287. "लाभकारी स्वामी, सूचना देने वाली संस्था और शिक्षण" अभिव्यक्तियों को टी के खंड *(*एफए*), (*डब्ल्यूए*)* और *(*एन*)* में क्रमशः परिभाषित किया गया हैः

जो एक न्यायिक व्यक्ति पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण का प्रयोग करता है। *(* वा*)* "रिपोर्टिंग इकाई" का अर्थ है एक बैंकिंग कंपनी, वित्तीय

संस्था, मध्यस्थ या एक नामित व्यक्ति को ले जाने वाला व्यक्ति

व्यवसाय या पेशा।

(एन*)* "मध्यस्थ" का अर्थ है,

(i) एक स्टॉक-ब्रोकर, उप-ब्रोकर, शेयर हस्तांतरण एजेंट, एक निर्गम के लिए बैंकर, एक न्यास विलेख के लिए ट्रस्टी, एक निर्गम के लिए पंजीयक, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, निवेश *[2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, *1992 (1992* का *15)* की धारा *12* के तहत पंजीकृत प्रतिभूति बाजार से जुड़े सलाहकार या कोई अन्य मध्यस्थ; या

((ख) अग्रिम अनुबंध *(*विनियमन*)* अधिनियम, *1952 (1952* का *74)* के तहत मान्यता प्राप्त या पंजीकृत संगठन या ऐसे संघ के सदस्य; या *(iii)* पेंशन निधि नियामक द्वारा पंजीकृत मध्यस्थ और

विकास प्राधिकरण; या

((iv) प्रतिभूति अनुबंध *(*विनियमन*)* अधिनियम, *1956 (1956* का *42)* की धारा *2* के खंड *(*च*)* में निर्दिष्ट मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज।

धन शोधन *(*अभिलेखों का रखरखाव*)* नियमों को धन शोधन निवारण द्वारा संशोधित किया गया था।

अभिलेखों का अधिभोग*)* दूसरा संशोधन नियम *2017*। के द्वारा

में, कई परिभाषाओं के संदर्भ में पेश किया गया था

आधार अधिनियम की धाराएँ। ये हैं:

" (एएए) "आधार संख्या" का अर्थ है आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016* की धारा *2* की उप-धारा *(*ए*)* के तहत परिभाषित एक पहचान संख्या;

*("*प्रमाणीकरण" का अर्थ है आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम, *2016* की धारा *2* की उप धारा *(*सी*)* के तहत परिभाषित प्रक्रिया;

*("*पहचान की जानकारी" से आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण*)* अधिनियम की धारा *2* की उप-धारा *(*एन*)* में परिभाषित जानकारी अभिप्रेत है। *2016 ;*

*(एएई) "*ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा" का अर्थ है आधार *(*प्रमाणीकरण*)* विनियम, *2016* में परिभाषित एक प्रमाणीकरण सुविधा;

*("*हां/नहीं प्रमाणीकरण सुविधा" का अर्थ है प्रमाणीकरण।

आधार *(*प्रमाणीकरण*)* विनियमों में परिभाषित सुविधा,

2016 ..... " जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

इसी तरह, "आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज" अभिव्यक्ति को निम्नलिखित रूप में पढ़ने के लिए संशोधित किया गया थाः

" *(* घ*)* "आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज" का अर्थ है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्थायी खाता संख्या *(*पैन*)* कार्ड,

*[*भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, राज्य सरकार के एक अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित मनरेगा द्वारा जारी नौकरी पत्र, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पता और आधार संख्या का विवरण हो या केंद्र सरकार द्वारा *[*नियामक*]* के परामर्श से अधिसूचित कोई अन्य दस्तावेजः

[बशर्ते कि जहां ग्राहकों की पहचान को सत्यापित करने के लिए सरल उपाय लागू किए जाते हैं, वहां निम्नलिखित दस्तावेज माने जाएंगे।

(क*)* केंद्र/राज्य सरकार के विभागों, सांविधिक/विनियामक द्वारा जारी आवेदक की तस्वीर के साथ पहचान पत्र
प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और सार्वजनिक वित्तीय संस्थान;

(ख*)* राजपत्र अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र, जिसमें विधिवत सत्यापन किया गया हो।

व्यक्ति की तस्वीर*]* "।

288. 2005 के नियमों के नियम *9* में प्रत्येक सूचना देने वाली संस्था के लिए आवश्यक है -

खाता-आधारित संबंध की शुरुआत के समय ग्राहक को उचित परिश्रम करना। उचित परिश्रम के लिए ग्राहक की पहचान के सत्यापन और यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि ग्राहक कार्य कर रहा है या नहीं।

एक लाभकारी मालिक की ओर से, जिसकी पहचान की जानी चाहिए। नियम *9 (3)* उप-नियम *1* के उद्देश्य के लिए "लाभकारी स्वामी" अभिव्यक्ति को परिभाषित करता है। नियम *9 (4)* में एक व्यक्तिगत ग्राहक को आधार संख्या जमा करने की आवश्यकता होती है। नियम *9 (3)* और नियम *9 (4)* नीचे दिए गए हैंः

" *9.* ग्राहक के कारण परिश्रम। *(1)* प्रत्येक सूचना देने वाली संस्था
XXXXX

XXXXX

(3) उप-नियम *(1)* के प्रयोजन के लिए लाभकारी स्वामी होगा -

निम्नानुसार निर्धारित किया गया

(क*)* जहाँ ग्राहक एक कंपनी है, वहाँ लाभकारी मालिक स्वाभाविक व्यक्ति *(*व्यक्ति*)* है, जो, चाहे अकेले काम कर रहा हो या एक साथ, या *[2018] 8* एस. सी. आर.

एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से, एक नियंत्रित स्वामित्व हित है या जो अन्य साधनों के माध्यम से नियंत्रण का प्रयोग करता है।

स्पष्टीकरण। इस उपखंड के प्रयोजन के लिए

1. "स्वामित्व ब्याज को नियंत्रित करने का अर्थ है बीस-पाँच प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हक। कंपनी के शेयरों या पूंजी या लाभ का;

2. "नियंत्रण में अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने या प्रबंधन या नीति को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा। उनके शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारक समझौतों या मतदान समझौतों के आधार पर निर्णय;

*(*बी*)* जहां ग्राहक एक साझेदारी फर्म है, लाभकारी मालिक स्वाभाविक व्यक्ति *(*ओं*)* है, जो अकेले या एक साथ काम कर रहा है, या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से, *I* का स्वामित्व रखता है /

पंद्रह प्रतिशत से अधिक का हक। साझेदारी की पूँजी या लाभ;

*(*ग*)* जहाँ ग्राहक एक असंबद्ध संघ या व्यक्तियों का निकाय है, वहाँ लाभकारी स्वामी स्वाभाविक व्यक्ति *(*ओं*)* है, जो अकेले या एक साथ काम कर रहा है, या एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से, पंद्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हक रखता है। ऐसे संघ या व्यक्तियों के निकाय की संपत्ति या पूंजी या लाभ;

*(*घ*)* जहां ऊपर *(*क*)* या *(*ख*)* या *(*ग*)* के तहत किसी भी प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान नहीं की गई है, वहां लाभकारी मालिक प्रासंगिक प्राकृतिक व्यक्ति है।

जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद धारण करता है; *(*ई*)* जहाँ ग्राहक एक न्यास है, लाभकारी स्वामी *(*ओं*)* की पहचान में न्यास के लेखक, न्यासी, पंद्रह प्रतिशत के साथ लाभार्थियों की पहचान शामिल होगी। या न्यास में अधिक रुचि और अंतिम अभ्यास करने वाला कोई अन्य प्राकृतिक व्यक्ति

नियंत्रण या स्वामित्व की एक श्रृंखला के माध्यम से न्यास पर प्रभावी नियंत्रण, और

*(*च*)* जहाँ ग्राहक या नियंत्रक हित का स्वामी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी है, या ऐसी कंपनी की सहायक कंपनी है, वहाँ ऐसे किसी शेयरधारक या लाभकारी मालिक की पहचान और सत्यापन करना आवश्यक नहीं है।

कंपनियाँ।

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

*[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

(4) जहां ग्राहक एक व्यक्ति है, जो आधार संख्या के लिए नामांकित होने का पात्र है, वह उप-नियम *(1)* के उद्देश्य से रिपोर्टिंग इकाई को प्रस्तुत करेगा, - *(क)* विशिष्ट पहचान द्वारा जारी आधार संख्या

भारतीय प्राधिकरण; और

(ख) स्थायी खाता संख्या या प्रपत्र संख्या *60* के रूप में

आय-कर नियम, *1962* में परिभाषित और ऐसे अन्य दस्तावेज जिनमें व्यवसाय की प्रकृति और ग्राहक की वित्तीय स्थिति के संबंध में विवरण देने वाली संस्था द्वारा आवश्यक हो सकते हैं: बशर्ते कि जहां आधार संख्या निर्धारित नहीं की गई हो

ग्राहक को आधार के लिए नामांकन के आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा और यदि स्थायी खाता संख्या प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो 'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज' की एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

प्रस्तुत किया जाएगा।

बशर्ते कि किसी व्यक्ति द्वारा फोटो जमा करने की आवश्यकता न हो

उप-नियम *(1)* के खंड *(*बी*)* के तहत आने वाला ग्राहक।

(जोर दिया गया*)*

नियम *9* के ए. एल. ई. *15* में रिपोर्टिंग इकाई को ऐसा करने की आवश्यकता है आधार संख्या की प्राप्ति के समय अधिसूचना:

" (15) इस नियम के प्रावधानों के तहत आधार संख्या की प्राप्ति के समय कोई भी सूचना देने वाली संस्था प्रमाणीकरण करेगी।

ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा या हाँ/नहीं का उपयोग करना

विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई प्रमाणीकरण सुविधा

भारत का "।

ले *17* एक ग्राहक के लिए छह महीने की अवधि की अनुमति देता है जो पात्र है

आधार के लिए और पैन प्राप्त करने के लिए इसे आधार पर जमा करने के लिए

लेखा-आधारित संबंध का संयोजन। ऐसा करने में विफल रहने पर खाता तब तक चालू नहीं रहेगा जब तक कि आधार संख्या ए. एन. जमा नहीं हो जाती। उप-नियम *17* के खंड ए और सी में निम्नलिखित प्रावधान हैं -

5 :

" (17) (क*)* यदि ग्राहक, आधार के लिए नामांकित होने और स्थायी खाता संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, जिसे उप-लेख में संदर्भित किया गया है।

नियम *9* के नियम *(4)* से *(9)* शुरू होने के समय आधार संख्या या स्थायी खाता संख्या जमा नहीं करते हैं।

एक रिपोर्टिंग इकाई, ग्राहक *[2018] 8* एस. सी. आर. के साथ एक खाता आधारित संबंध।

लेखा आधारित संबंध शुरू होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर इसे प्रस्तुत करेगाः
बशर्ते कि ग्राहक, आधार के लिए नामांकित होने के पात्र हों और

स्थायी खाता संख्या प्राप्त करें, जिसके पास पहले से ही

इस अधिसूचना की तारीख से पहले रिपोर्टिंग संस्थाओं के साथ खाता आधारित संबंध, ग्राहक आधार संख्या जमा करेगा और

31 दिसंबर, *2017* तक स्थायी खाता संख्या।

(ग*)* यदि ग्राहक उपरोक्त छह महीने के भीतर आधार संख्या और स्थायी खाता संख्या जमा करने में विफल रहता है।

इस अवधि में उक्त खाता तब तक चालू नहीं रहेगा जब तक आधार संख्या और स्थायी खाता संख्या समाप्त नहीं हो जाती।

ग्राहक द्वारा प्रस्तुतः

बशर्ते कि यदि ग्राहक के पास पहले से ही खाता आधारित है

इस अधिसूचना की तारीख से पहले रिपोर्टिंग संस्थाओं के साथ संबंध आधार संख्या और स्थायी खाता जमा करने में विफल रहता है

31 दिसंबर, *2017* तक उक्त खाता तब तक चालू नहीं रहेगा जब तक आधार संख्या और स्थायी नहीं हो जाती।

खाता संख्या ग्राहक द्वारा जमा की जाती है।

289. इन नियमों को तैयार करने के लिए वैधानिक अधिदेश में पीएमएलए की धारा *12,15* और *73* शामिल हैं। जहाँ तक सामग्री है, खंड

यह निम्नानुसार हैः

" 12. अभिलेखों को बनाए रखने के लिए सूचना देने वाली संस्थाः *(1)* प्रत्येक सूचना देने वाली संस्था

(क*)* खंड *(*ख*)* के अंतर्गत आने वाले लेन-देनों से संबंधित जानकारी सहित सभी लेन-देनों का रिकॉर्ड इस तरह से बनाए रखें कि वे व्यक्तिगत लेन-देनों का पुनर्निर्माण कर सकें।

(ख*)* निदेशक को निर्धारित समय के भीतर ऐसे लेन-देन से संबंधित जानकारी, चाहे प्रयास किया गया हो या निष्पादित किया गया हो, प्रदान करें, जिसकी प्रकृति और मूल्य निर्धारित की जा सकती है;

(ग) अपने ग्राहकों की पहचान को इस तरह से और ऐसी शर्तों के अधीन सत्यापित करें, जो निर्धारित की जा सकती हैं;

(घ) लाभप्रद स्वामी, यदि कोई हो, की पहचान करें।

ग्राहक, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है; एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

(ई) पहचान का प्रमाण देने वाले दस्तावेजों का रिकॉर्ड बनाए रखें

इसके ग्राहक और लाभकारी मालिकों के साथ-साथ खाता
इससे संबंधित फाइलें और व्यावसायिक पत्राचार

ग्राहक।

(2) हर जानकारी को बनाए रखा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है या सत्यापित किया जाता है, सिवाय इसके कि उस समय लागू किसी भी कानून के तहत अन्यथा प्रदान किया गया हो।

इसे गोपनीय रखा जाएगा।

(3) उप-धारा *(1)* के खंड *(*क*)* में निर्दिष्ट अभिलेखों को निम्नलिखित तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए बनाए रखा जाएगाः

ग्राहक और रिपोर्टिंग इकाई के बीच लेनदेन।

(4) उप-धारा *(1)* के खंड *(*ङ*)* में निर्दिष्ट अभिलेख

व्यवसाय के बाद पाँच साल की अवधि के लिए बनाए रखा जाए

ग्राहक और रिपोर्टिंग इकाई के बीच संबंध समाप्त हो गया है।

(5) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी प्रकार की छूट दे सकती है। किसी भी दायित्व से रिपोर्टिंग इकाई या रिपोर्टिंग संस्थाओं का वर्ग

इस अध्याय के तहत "।

(जोर दिया गया*)*

एन *12* रिपोर्ट करने वाली संस्थाओं पर अपने ग्राहकों और लाभकारी मालिकों की पहचान को बनाए रखने और सत्यापित करने के लिए एक वैधानिक दायित्व लगाता है।

एनार निर्धारित। प्रक्रिया और तरीका जिसमें

केंद्र सरकार द्वारा उप-धारा *12* के तहत रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।वी बैंक ऑफ इंडिया। धारा *15* इस प्रकार प्रदान करती है:

" 15. सूचना देने की प्रक्रिया और तरीका

इकाइयाँ:

कार्यान्वयन के उद्देश्य से धारा *12* की उप-धारा *(1)* के तहत एक रिपोर्टिंग इकाई द्वारा जानकारी बनाए रखना और प्रस्तुत करना। इस अधिनियम के प्रावधान "।

(जोर दिया गया*)*

बनाने की शक्ति धारा *73* के प्रावधानों के लिए संदर्भित है, जो

जैसा कि सामग्री है, निम्नानुसार प्रदान करता है:

" 73. नियम बनाने की शक्ति

(1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए।

(2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, ऐसे नियम सभी या किसी के लिए प्रावधान कर सकते हैं

निम्नलिखित मामले, अर्थात्

(जे*)* धारा *12* की उप-धारा *(1)* के खंड *(*सी*)* के तहत रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा ग्राहकों की पहचान का सत्यापन करने का तरीका और शर्तें*;*

(जे. जे.*)* उपखंड *(*डी*)* के तहत रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा ग्राहकों से लाभकारी मालिक, यदि कोई हो, की पहचान करने का तरीका।

धारा *12* की धारा *(1);*

(के*)* धारा *12* की उप-धारा *(1)* के तहत जानकारी को बनाए रखने और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और तरीका।

धारा *15* के तहत*;*

(x) कोई अन्य विषय जो होना आवश्यक है, या हो सकता है -

निर्धारित "।

धारा *12 (1) (*सी*)* रिपोर्टिंग इकाई से अपने ग्राहकों की पहचान को "इस तरह से और ऐसी शर्तों के अधीन" सत्यापित करने की अपेक्षा करती है जो हो सकता है

निर्धारित किया गया। नियम *9* के उप-नियम *17 (*सी*)* सहित नियमों के प्रावधानों को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि वे अत्यधिक प्रत्यायोजन के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं।

290. बॉम्बे डाइंग और एम. एफ. जी बनाम बॉम्बे एनवायरनमेंटल

एक्शन ग्रुप *537*, इस न्यायालय ने अच्छी तरह से तय किए गए कानूनी परीक्षण की फिर से पुष्टि की है जो प्रत्यायोजित विधान की वैधता निर्धारित करता है। अदालत ने कहाः

" 104 ..... किसी भी कानून के कारण, चाहे द्वारा अधिनियमित

विधायिका या अधीनस्थ विधान के माध्यम से, राज्य अपनी विधायी नीति को प्रभावी बनाता है। हालाँकि, इस तरह का कानून संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं होना चाहिए। एक अधीनस्थ कानून अलग

संविधान के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण, यह उस मूल अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं होना चाहिए जिसके तहत इसे बनाया गया है। एक अधीनस्थ विधान, जो कि तुच्छ है, उचित और विधायी नीति के अनुरूप होना चाहिए और साथ ही उद्देश्य और उद्देश्य को भी प्रभावी बनाना चाहिए।

अधिनियम और अच्छे विश्वास के साथ "।

537 (2006) 3 एस. सी. सी. *434* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

2018 . जिस बुनियादी मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या *2017* में पीएमएलए नियमों में लाए गए संशोधन आनुपातिकता की कसौटी पर खरे उतरते हैं।

292. 2005 में, केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से धन शोधन की रोकथाम को अधिसूचित किया।

(अभिलेखों का रखरखाव*)* नियम *2005* मूल की धारा *73* के तहत एक्ट करें। 'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज' अभिव्यक्ति को नियम *2 (*डी*)* में निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया थाः

" (घ*)* "आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज" का अर्थ है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्थायी खाता संख्या *(*पैन*)* कार्ड,

भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, राज्य सरकार के एक अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एन. आर. ई. जी. ए. द्वारा जारी नौकरी पत्र, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र *540 [*या राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर*]* जिसमें नाम, पता और आधार संख्या या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य दस्तावेज का विवरण हो।

*[*नियामक*]* के साथ परामर्श; "

538 (2007) 13 एस. सी. सी. *673* *539* जी. एस. आर. *980 (*ई*)* द्वारा प्रतिस्थापित, दिनांक *16-12-2010 (*डब्ल्यू. ई. एफ. *16-12-2010) 540* जी. एस. आर. *544 (*ई*)* द्वारा सम्मिलित

"*(4)* जहां ग्राहक एक व्यक्ति है, वह उप-नियम *(1)* के उद्देश्य से, अपनी पहचान के विवरण वाले "आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज" की एक प्रमाणित प्रति रिपोर्ट करने वाली संस्था को प्रस्तुत करेगा।

व्यवसाय की प्रकृति और वित्तीय स्थिति के संबंध में पता, एक हालिया तस्वीर और ऐसे अन्य दस्तावेज

क्लाइंट की जो रिपोर्टिंग इकाई द्वारा आवश्यक हो सकती हैः "

नियम *9 (14)* के तहत, नियामक को नियम के प्रावधानों के संदर्भ में दिशानिर्देश जारी करने और ग्राहक की पहचान को सत्यापित करने के लिए उन्नत या सरल उपाय निर्धारित करने का अधिकार था।

ग्राहक का प्रकार, व्यावसायिक संबंध, और समग्र धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों के आधार पर लेनदेन की प्रकृति और मूल्य। उपरोक्त नियमों के तहत छह 'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज' थेः पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्थायी खाता संख्या *(*पैन*)* कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और यू. आई. डी. ए. आई. का एक पत्र जिसमें नाम, पता और आधार का विवरण हो। संख्या। या नियामक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य दस्तावेज।

293. 25 फरवरी *2016* को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मास्टर सर्कुलर में, प्रस्तुत करने के लिए एक प्रावधान किया गया था

ग्राहक, अपने विकल्प पर, पहचान और पते के प्रमाण के लिए छह आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों *(*ओ. वी. डी.*)* में से एक। नियम *3 (vi)* ने 'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज' अभिव्यक्ति को समान शब्दों में परिभाषित कियाः

"*(vi)* "आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज" का अर्थ है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्थायी खाता संख्या *(*पैन*)* कार्ड,

भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, राज्य सरकार के एक अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित मनरेगा द्वारा जारी नौकरी पत्र, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पता और आधार संख्या का विवरण होता है।

व्याख्याः ग्राहक, अपने विकल्प पर, पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के लिए छह ओ. वी. डी. में से एक प्रस्तुत करेंगे।

ग्राहक के उचित परिश्रम और जारी उचित परिश्रम को इस प्रकार परिभाषित किया गया थाः

"ग्राहक देय परिश्रम *(*सी. डी. डी.*)* "का अर्थ है क्षतिपूर्ति और

'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों' को 'पहचान के प्रमाण' और 'पते के प्रमाण' के रूप में उपयोग करके ग्राहक और लाभकारी मालिक का सत्यापन करना।

"नियत परिश्रम पर चलने का अर्थ है नियमित निगरानी।

खातों में लेन-देन यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे ग्राहकों के प्रोफाइल और धन के स्रोत के अनुरूप हैं। जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

294. मुख्य परिपत्र का अध्याय *III* विनियमित के लिए प्रदान किया गया है

ग्राहक स्वीकृति नीति निर्दिष्ट करने के लिए *(*बैंकों सहित*)*। खंड

मास्टर सर्कुलर में अन्य बातों के साथ निर्दिष्ट किया गया है कि ग्राहक ऐसा नहीं करेंगे

अतिरिक्त ओ. वी. डी. प्रस्तुत करने की आवश्यकता है यदि ओ. वी. डी. पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है,

पहचान और पते दोनों का प्रमाण। अध्याय *VI* जो प्रदान करता है

एक उचित परिश्रम प्रक्रिया ने ग्राहकों को छह में से एक जमा करने की अनुमति दी

पहचान और पते के प्रमाण के लिए वी. डी.। अध्याय *VI* के भाग *V* के तहत, एन. के. एस. को विशेष रूप से एक सीमा से ऊपर बड़े और जटिल लेनदेन के लिए उचित परिश्रम करना आवश्यक था। खंड *39* परिपत्र में खातों को आंशिक रूप से बंद करने और बंद करने का प्रावधान किया गया है:

"*39.* आंशिक रूप से रोक और खातों को बंद करना

*(*क*)* जहाँ आर. ई. सी. डी. डी. का पालन करने में असमर्थ हैं

ऊपर भाग *I* से *V* में उल्लिखित आवश्यकताएँ, वे खाते नहीं खोलेंगी, व्यावसायिक संबंध शुरू नहीं करेंगी या लेन-देन नहीं करेंगी। मौजूदा व्यावसायिक संबंधों के मामले में, जो के. वाई. सी. के अनुरूप नहीं हैं, बैंक आम तौर पर देय राशि देने के बाद मौजूदा व्यावसायिक संबंधों को समाप्त करने के लिए कदम उठाएंगे।

नोटिस करें।

*(*ख*)* नियम के अपवाद के रूप में, बैंकों के पास यह विकल्प होगा कि वे सीधे व्यावसायिक संबंध समाप्त न करें।

और इसके बजाय इस खाते में संचालन को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का विकल्प चुनें जैसा कि नीचे बताया गया है:

'आंशिक रूप से जमने' का विकल्प इसके बाद अभ्यास होगा।

आई.

ग्राहकों को तीन महीने की उचित सूचना देना

के. वाई. सी. आवश्यकताओं का पालन करें।
तीन महीने की और अवधि देने वाला एक अनुस्मारक

ii.

भी दिया जाएगा।
इसके बाद, 'आंशिक फ्रीजिंग' लागू की जाएगी

iii.

क्रेडिट की अनुमति देना और सभी डेबिट की अनुमति नहीं देना

खाता जारी होने के छह महीने बाद के. वाई. सी. का पालन न करने की स्थिति में खातों को बंद करने की स्वतंत्रता

पहली सूचना।
खातों से/में सभी डेबिट और क्रेडिट होंगे

iv.

अनुमति नहीं दी गई, 'आंशिक रूप से रोक' लगाने के छह महीने बाद खाते केवाईसी का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

V. खाताधारकों के पास के. वाई. सी. दस्तावेज जमा करके अपने खातों को फिर से चालू करने का विकल्प होगा।

(ग) जब कोई खाता बंद किया जाता है, चाहे वह 'आंशिक रूप से बंद' किए बिना हो या 'आंशिक रूप से बंद' किए जाने के बाद, तो उसका कारण होगा -

खाताधारक को सूचित किया गया। "

अध्याय *VIII* में वित्तीय खुफिया इकाई को आवश्यकताओं की सूचना देने का प्रावधान किया गया है। अध्याय *IX* अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत आवश्यकताओं/दायित्वों के अनुपालन से संबंधित है। अध्याय *10* का खंड *58* विदेशी खाता कर के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।

अनुपालन अधिनियम *(*एफ. ए. टी. सी. ए.*)* और सामान्य सूचना मानक *(*सी. आर. एस.*)*।

296. यह तय करने में कि क्या *2017* में नियमों में किया गया संशोधन वैध है, यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि आनुपातिकता के पहलू पर पहले से क्या निर्धारित किया गया है। क्या प्रत्येक खाता-आधारित संबंध के लिए आधार संख्या जमा करने या जोड़ने की आवश्यकता आनुपातिकता की कसौटी को संतुष्ट करती है? धन शोधन को रोकने में राज्य का एक वैध उद्देश्य है। वास्तव में, यह धन शोधन पर अंकुश लगाने और उससे निपटने के उद्देश्य से है कि मूल न्याय के. एस. पुटसवामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

प्रारंभिक और जारी उचित परिश्रम के लिए शर्तें। रिजर्व बैंक ने कई रिपोर्टिंग आवश्यकताएं शुरू की हैं जिनमें आवश्यक आवश्यकताएं भी शामिल हैं - एफ. ए. टी. सी. ए. मानदंडों का पालन करें। एक वैध राज्य लक्ष्य का अस्तित्व आनुपातिकता के केवल एक तत्व को संतुष्ट करता है। अपनी प्रस्तुतियों में, केंद्र सरकार ने आनुपातिकता के अन्य तत्वों को अनुत्तरित छोड़ते हुए केवल वैध उद्देश्य के साथ काम किया है। खाता आधारित संबंध में प्रत्येक ग्राहक को आधार संख्या को बैंक खाते से जोड़ने की आवश्यकता है और

एक प्रमाणीकरण आवश्यकता लागू करना, राज्य के उद्देश्य और उद्देश्य के लिए अत्यधिक है। ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि सभी मौजूदा खाताधारकों के साथ-साथ भविष्य में खाता खोलने की इच्छा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति धन शोधन करने वाला हो सकता है। ग्राहक का प्रकार, व्यवसाय की प्रकृति

संबंध, लेन-देन की प्रकृति और मूल्य और इसमें शामिल आतंकवाद और धनशोधन जोखिम मामलों और ग्राहकों के बीच अंतर करने के लिए एक आधार प्रदान कर सकते हैं। नियम खाता खोलने और खाता चलाने के बीच अंतर करने में भी विफल रहते हैं। यदि अतीत में कोई खाता खोला गया है, तो यह एक स्थापित पहचान के आधार पर होगा। आधार संख्या जमा न करने के परिणाम निम्नलिखित हैं -

क्रूर। निर्धारित अवधि के भीतर जमा न करने के परिणामस्वरूप खाते का संचालन बंद हो जाएगा। पूरी तरह से वास्तविक

जो ग्राहक किसी भी गलत काम में शामिल नहीं है, वह विशुद्ध रूप से इस धारणा पर संविधान के अनुच्छेद *300* ए का उल्लंघन करते हुए खाते में परिलक्षित धन और निवेश के उपयोग से वंचित रहेगा कि वह या तो वह धनशोधन में लिप्त रही है। वर्गीकरण अति-समावेशी हैः ऐसी प्रकृति की एक समान आवश्यकता हर किसी पर लागू नहीं की जा सकती है।

वित्तीय प्रणाली से जुड़े जोखिमों के बावजूद लेखा आधारित संबंध। एक पेंशनभोगी या एक वेतनभोगी वेतनभोगी के खाते को सीमा पार प्रवाह और बहिर्वाह के साथ एक उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति के समान नहीं कहा जा सकता है। प्रत्येक खाताधारक के साथ अत्यधिक व्यवहार करना घुसपैठिया मानक स्पष्ट मनमानेपन से पीड़ित है। इसके अलावा, अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है जो किसी खाताधारक के खाते में जमा धन से वंचित होने के परिणाम की गारंटी देता है, भले ही वह अस्थायी अवधि के लिए हो। धारा *12 (1) (*सी*)* एक रिपोर्टिंग इकाई को इकाई या उसके ग्राहक को इस तरह से सत्यापित करने का अधिकार देती है और "ऐसी शर्तों के अधीन" जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। यह किसी खाते के बंद होने के परिणाम की परिकल्पना नहीं करता है। खाते को अवरुद्ध करना एक

अनुच्छेद *300* ए के तहत संपत्ति से वंचित करना। केंद्र सरकार ने

यह स्थापित करने के बोझ का निर्वहन करने में असमर्थ रहा कि यह धन शोधन सुपर कोर्ट रिपोर्ट को रोकने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का सबसे कम घुसपैठ करने वाला साधन था

या कि इसका उद्देश्य विफल हो जाता यदि यह रिपोर्टिंग इकाई के साथ सभी खाता आधारित संबंधों के साथ आधार संख्या को अनिवार्य रूप से जोड़ने की आवश्यकता को लागू नहीं करता। धनशोधन वास्तव में एक गंभीर मामला है और केंद्र सरकार लेनदेन और स्रोतों को वर्गीकृत करने सहित आवश्यक कदम उठाने की हकदार है जो कानून के उल्लंघन का संदेह करने के लिए उचित आधारों को जन्म देते हैं। लेकिन, सभी खाता आधारित संबंधों के साथ आधार संख्या को जोड़ने की एक समान आवश्यकता लागू करना स्पष्ट रूप से असमान और अत्यधिक है। यह आनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरने में विफल रहता है और स्पष्ट मनमानेपन से ग्रस्त होता है। जबकि हम उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, हम स्पष्ट करते हैं कि यह केंद्र सरकार को अपनी नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा और भारतीय रिजर्व बैंक को नियामक के रूप में नियम को फिर से तैयार करने से नहीं रोकेगा। इस निर्णय में उल्लिखित आनुपातिकता के सिद्धांतों के अनुपालन के अधीन, इस तरीके से आवश्यकताएं जो धन शोधन को रोकने के उद्देश्य की उचित पूर्ति सुनिश्चित करेंगी।

जे. धारा *59* में बचत

297. आधार अधिनियम की धारा *59* में कहा गया हैः

"केंद्र सरकार द्वारा कुछ भी किया गया या कोई कार्रवाई की गई

भारत सरकार के संकल्प के तहत, योजना

अधिसूचना संख्या ए वाला आयोग-*43011/02/2009*-प्रशासन। *I*, दिनांक *28* जनवरी, *2009*, या विभाग द्वारा

मंत्रिमंडल के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी

सचिवालय अधिसूचना अधिसूचना संख्या एस. ओ.

2492 (ई*)*, दिनांक *12* सितंबर, *2015*, जैसा भी मामला हो,

यह माना जाएगा कि इसे वैध रूप से किया गया है या इसके तहत लिया गया है।

अधिनियम "।

298. याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि *28* जनवरी *2009* और *12* सितंबर *2015* की अधिसूचनाओं के अनुसार किए गए सभी कार्य जिसे आधार कार्यक्रम बनाया और लागू किया गया था, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और कानून के अधिकार द्वारा समर्थित नहीं था। यह प्रस्तुत किया गया है कि राज्य और निजी संस्थाओं द्वारा व्यक्तिगत डेटा का संग्रह, भंडारण और उपयोग, जो एक विधायी शून्य में किया गया था क्योंकि राज्य छह साल से आधार अधिनियम को लागू करने में विफल रहा था, अब किया जा रहा है।

धारा *59* द्वारा मान्य किए जाने की मांग की गई। यह तर्क दिया गया है कि चूंकि आधार अधिनियम के अधिनियमन से पहले किए गए कार्य मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में हैं, इसलिए धारा *59* अमान्य है। इसके अलावा, धारा *59* बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह को मान्य करने के लिए काम नहीं करती है। आधार अधिनियम का प्रवर्तन।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

यह प्रस्तुत किया गया है कि एक मान्यकारी कानून को पिछले कृत्यों की अयोग्यता के कारण को हटा देना चाहिए: यह प्रभावी नहीं होगा यदि यह केवल उस कानून में संशोधन किए बिना एक कानूनी परिणाम मानता है जिससे इसका परिणाम सामने आ सकता है। वर्तमान मामले में, यह तर्क दिया गया है कि धारा *59* एक कानूनी कल्पना पैदा नहीं करती है जहां आधार अधिनियम *2009* से अस्तित्व में माना जाता है और यह केवल *2009* से संघ द्वारा किए गए कार्यों के कानूनी परिणाम की घोषणा करता है।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि धारा *59* अमान्य और असंवैधानिक है क्योंकि *2016* से पहले किए गए आधार नामांकन के लिए न तो सूचित सहमति थी और न ही कोई प्रक्रियात्मक गारंटी और सुरक्षा उपाय थे

एक कानूनी ढांचे के तहत प्रदान किया गया। यह तर्क दिया जाता है कि धारा *59*, अधिनियम के अधिनियमन से पहले किए गए नामांकनों के लिए आधार अधिनियम के तहत प्रदान की गई सहमति और अन्य प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के अभाव को ठीक नहीं कर सकती है।

299. प्रत्यर्थियों ने प्रस्तुत किया है कि धारा *59* केंद्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयों की रक्षा करती है। यह विचार नहीं करता है कि

राज्य सरकारों द्वारा पहचान की जानकारी वाले किसी भी डेटा बेस का रखरखाव। यह आग्रह किया जाता है कि राज्य सरकारों ने अधिनियम लागू होने से पहले आधार नामांकन के दौरान एकत्र किए गए बायोमेट्रिक डेटा को अपने सर्वर से नष्ट कर दिया है। यह तर्क दिया गया है कि धारा *59* प्रकृति में पूर्वव्यापी है क्योंकि इसमें कहा गया है कि यह पहले की तारीख से संचालित होगी।

उत्तरदाताओं ने वेस्ट रामनाड इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बनाम राज्य के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है। मद्रास *54 1 ("*पश्चिम रामनाड*")*, मैसूर राज्य बनाम डी. अचिया चेट्टी, आदि *542 ("*चेट्टी*")*, और हरि सिंह बनाम सैन्य संपदा अधिकारी *54 3 ("*हरि सिंह*")* ने तर्क दिया कि विधायिका, पूर्वव्यापी संचालन द्वारा, एक कानून के तहत की गई कार्रवाइयों की अयोग्यता को ठीक कर सकती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए शून्य है।

यह भी तर्क दिया गया है कि आधार अधिनियम के आने से पहले, किसी भी व्यक्ति को मजबूरी में नामांकित नहीं किया गया है, और चूंकि सभी नामांकन स्वैच्छिक थे, इसलिए उन्हें अनुच्छेद *21* का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है

542 (1969) 1 एस. सी. सी. *248* *543 (1972) 2* एस. सी. सी. *239* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है, संसद को एक मान्य खंड लागू करने से नहीं रोकता है। कर्नाटक राज्य बनाम तमिलनाडु राज्य *544* को यह प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है कि धारा *59* एक कल्पित कल्पना पैदा करती है जिसके परिणामस्वरूप किसी को यह कल्पना करनी होगी कि अधिसूचनाओं के तहत की गई सभी कार्रवाई अधिनियम के तहत की गई थी। *300.* धारा *7* में प्रावधान है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को आवश्यक आधार संख्या के प्रमाण की आवश्यकता हो सकती है।

सब्सिडी, लाभ या सेवा का लाभ उठाने की शर्त जिसके लिए भारत की संचित निधि से खर्च किया जाता है। धारा *3* में प्रावधान है कि आधार संख्या में किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी शामिल होगी। " धारा *2 (*जी*)* के तहत बायोमेट्रिक जानकारी का अर्थ है किसी व्यक्ति की तस्वीर, फिंगर प्रिंट, आइरिस स्कैन या ऐसी अन्य जैविक विशेषताएँ जो नियमों द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं। धारा *4 (3)* में प्रावधान है कि आधार संख्या का उपयोग "किसी भी उद्देश्य के लिए" पहचान के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। धारा *57* एक निकाय कॉर्पोरेट या व्यक्ति को "किसी भी उद्देश्य के लिए" किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग करने के लिए अधिकृत करती है। धारा *57* के परंतुक में प्रावधान है कि धारा के तहत आधार संख्या का उपयोग अधिनियम की धारा *8* और अध्याय *VI* के तहत प्रक्रिया और दायित्वों के अधीन होगा। धारा *8* प्रमाणीकरण के लिए प्रक्रिया निर्धारित करती है। इसमें कहा गया है कि प्रमाणीकरण के लिए, एक अनुरोध करने वाली संस्था पहचान की जानकारी एकत्र करने से पहले किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि पहचान की जानकारी का उपयोग केवल प्रमाणीकरण के लिए केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में जमा करने के लिए किया जाए। इसमें किसी अन्य उद्देश्य के लिए पहचान की जानकारी एकत्र करने की परिकल्पना नहीं की गई है। अधिनियम का अध्याय *VI*, जो सूचना की सुरक्षा से संबंधित है, अधिनियम के तहत एकत्र की गई पहचान की जानकारी की सुरक्षा और गोपनीयता प्रदान करता है, उस जानकारी को साझा करने पर प्रतिबंध लगाता है और बायोमेट्रिक्स को संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के रूप में वर्गीकृत करता है।

301. आधार अधिनियम की योजना बायोमेट्रिक जानकारी के प्रमाणीकरण के माध्यम से पहचान की एक प्रणाली बनाती है और केंद्र और राज्य सरकारों को निजी संस्थाओं को आधार संख्या बनाने के उद्देश्य से व्यक्तिगत बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने का कार्य सौंपने के लिए अधिकृत करता है। यह अधिनियम केंद्र सरकार, राज्य सरकारों द्वारा आधार संख्या के उपयोग को अधिकृत करता है और

किसी के लिए निवासी की पहचान स्थापित करने के लिए निजी संस्थाएं

544 (2017) 3 एस. सी. सी. *362* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

उद्देश्य। इस अधिनियम में बायोमेट्रिक जानकारी के भंडारण और उपयोग के संबंध में कुछ सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं। आधार अधिनियम के अधिनियमन से पहले की गई कार्रवाइयों का परीक्षण अधिनियम के तहत

प्रदान किए गए कानूनी ढांचे के आधार पर किया जाना चाहिए। *302.* धारा *59* एक प्रमाणक प्रावधान है। यह आधार अधिनियम से पहले केंद्र सरकार के सभी कार्यों को मान्य करना चाहता है, जो

28 जनवरी *2009* और *12* सितंबर *2015* की अधिसूचनाओं के तहत किया गया था। धारा *59* राज्य सरकारों के कार्यों को मान्य नहीं करती है या निजी संस्थाओं से। राज्य सरकारों और निजी संस्थाओं द्वारा किए गए अधिनियम धारा *59* द्वारा सुरक्षित नहीं हैं।

303. योजना आयोग की *28* जनवरी *2009* की अधिसूचना ने यू. आई. डी. ए. आई. का गठन किया, साथ ही इसे एक विशिष्ट पहचान *(*यू. आई. डी.*)* योजना को लागू करने के लिए एक योजना और नीतियों को निर्धारित करने की जिम्मेदारी दी। यू. आई. डी. ए. आई. को केवल यू. आई. डी. डेटाबेस के स्वामित्व और संचालन के लिए अधिकृत किया गया था, जिसमें निरंतर आधार पर डेटाबेस के अद्यतन और रखरखाव की एक और जिम्मेदारी थी। उल्लेखनीय है कि *2009* की अधिसूचना में बायोमेट्रिक्स के उपयोग का कोई संदर्भ नहीं था।

आधार संख्या। अधिसूचना में बायोमेट्रिक्स एकत्र करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। बायोमेट्रिक्स, फिंगर प्रिंट या आईरिस स्कैन इसके दायरे में नहीं थे। बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं से संबंधित सुरक्षा उपायों और उपायों का कोई उल्लेख नहीं था, डेटा कैसे होगा

एकत्र किया जाता है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट में कहा गया है कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा आधार अधिनियम को अधिसूचित किया गया था, तब तक यू. आई. डी. ए. आई. ने लगभग *100* करोड़ आधार संख्याएँ तैयार कर ली थीं। *545* आधार अधिनियम के लागू होने से पहले व्यक्तियों से बायोमेट्रिक्स का संग्रह *2009* की अधिसूचना के दायरे में नहीं आता है। अधिसूचना में उंगलियों के निशान और आईरिस स्कैन को निर्दिष्ट करने में विफल रहने के कारण, सत्यापन प्रावधान अधिनियम से पहले बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह तक नहीं फैला है। *2009* की अधिसूचना में किसी भी सरकारी विभाग या किसी भी संस्था को बायोमेट्रिक्स एकत्र करने का अधिकार नहीं दिया गया था। चूंकि बायोमेट्रिक्स के संग्रह को *2009* की अधिसूचना द्वारा अधिकृत नहीं किया गया था, इसलिए आधार अधिनियम की धारा *59* इन कार्यों को मान्य नहीं करती है।

545 पत्र सूचना कार्यालय, यू. आई. डी. ए. आई. एक अरब *(100* करोड़*)* आधार ए उत्पन्न करता है।

भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण, *HTTP* पर उपलब्ध हैः *//*पिब। ठीक है। इन*/*न्यूजाइट */* छपाई जारी करें। एएसपीएक्स*?*

304. व्यक्तियों के बायोमेट्रिक्स का संग्रह उनकी गोपनीयता और गरिमा को प्रभावित करता है। बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करने के लिए राज्य द्वारा अनिवार्य उपाय की वैधता के लिए सूचित सहमति महत्वपूर्ण है। ए पर अतिक्रमण

मौलिक अधिकार के लिए विधायिका द्वारा एक वैध कानून बनाने की आवश्यकता होती है। *546* कानून तभी वैध होगा जब यह अनुमत आवश्यकताओं को पूरा करता है। मौलिक अधिकारों में से प्रत्येक से संबंधित प्रतिबंध जिन पर अतिक्रमण है। निजता संविधान के भाग *III* को सक्रिय करती है। *547* निजता से

आने वाले किसी भी अधिकार का आक्रमण राज्य पर अपने कार्यों को उचित ठहराने की भारी जिम्मेदारी डालता है। पुट्टास्वामी में इस न्यायालय के नौ न्यायाधीश

स्पष्ट रूप से माना गया कि निजता के अधिकार का अतिक्रमण करने के लिए एक वैध कानून होना चाहिए। एक कार्यकारी अधिसूचना पुट्टास्वामी में विचारित एक वैध कानून की आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। एक वैध कानून, इस मामले में, संसद द्वारा अधिनियमित एक कानून का अर्थ होगा, जो न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित है। निजता के मौलिक अधिकार पर किसी भी अतिक्रमण को कार्यकारी अधिसूचना द्वारा कायम नहीं रखा जा सकता है।

प्रत्यर्थियों के इस कथन में भी कोई योग्यता नहीं है कि आधार अधिनियम के अधिनियमन से पहले किसी भी व्यक्ति को मजबूरी में नामांकित नहीं किया गया है, और चूंकि सभी नामांकन स्वैच्छिक थे, इसलिए इन्हें अनुच्छेद *21* या किसी अन्य मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा उपयोग किए जाने वाले पहले दो नामांकन प्रपत्रों के प्रारूप, जिसके तहत लगभग *90* करोड़ नामांकन किए गए थे, में सूचित सहमति या बायोमेट्रिक्स के उपयोग का कोई उल्लेख नहीं था। अतः इस निवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है।

एक वैध कानून के अस्तित्व के अलावा, जो गोपनीयता पर आक्रमण को अधिकृत करता है, पुट्टास्वामी के लिए आवश्यक है कि कानून में पर्याप्त अधिकार होने चाहिए।

व्यक्तिगत डेटा के संग्रह और भंडारण के लिए सुरक्षा उपाय। डेटा संरक्षण, जो गोपनीयता के लिए आंतरिक है, की स्वायत्तता की रक्षा करना चाहता है

व्यक्तिगत। निर्णय में डेटा संरक्षण व्यवस्था में सहमति की केंद्रीयता का उल्लेख किया गया। आधार अधिनियम सूचित सहमति सुनिश्चित करने के उद्देश्यों के लिए धारा *3 (2)* और धारा *8 (3)* में कुछ सुरक्षा उपाय प्रदान करता है, और दंड के रूप में अध्याय *VII* के साथ पठित धारा *29* के संदर्भ में। अधिनियम के तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपाय पहले मौजूद नहीं थे

546 मध्य प्रदेश राज्य में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ बनाम। ठाकुर भरत सिंह *(*ए. आई. आर. *1967* एस. सी. *1170)* ने कहाः सभी कार्यकारी कार्रवाई जो किसी भी व्यक्ति के पूर्वाग्रह के लिए काम करती है, उसे इसका समर्थन करने के लिए कानून का अधिकार होना चाहिए। सरकार या उसके अधिकारियों द्वारा किया गया प्रत्येक अधिनियम, यदि किसी व्यक्ति के पूर्वाग्रह के लिए काम करना है, तो किसी विधायी प्राधिकरण द्वारा समर्थित होना चाहिए।

547 पुट्टास्वामी, पैरा *272* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

अधिसूचना और आधार अधिनियम से पहले पर्याप्त सुरक्षा उपायों के अभाव से ग्रस्त है। जबकि एक विधायिका के पास पूर्वव्यापी रूप से कानून बनाने की शक्ति है, यह मौलिक अधिकार पर अतिक्रमण को सही ठहराने के लिए अतीत में सुरक्षा उपायों के अस्तित्व के बारे में एक काल्पनिक कल्पना नहीं बना सकती है। जिस समय सितंबर *2016* में आधार अधिनियम के लागू होने से पहले नामांकन हुए थे, उस समय पर्याप्त सुरक्षा उपायों का अभाव था। धारा *59*, जैसा कि यह माना जाता है, अधिनियम के तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का विस्तार पहले किए गए नामांकनों तक नहीं कर सकती है। यह केवल इसलिए अस्वीकार्य होगा क्योंकि सूचित उन व्यक्तियों की सहमति, जिनकी आधार संख्या उस अवधि में उत्पन्न की गई थी, को कानून की धारणा द्वारा

पूर्वव्यापी रूप से कानून नहीं बनाया जा सकता है। इसके अलावा, यह आपराधिक कानून का एक सिद्धांत है कि इसे उन कृत्यों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है जो उस समय अपराध नहीं थे जब वे हुए थे। संविधान के अनुच्छेद *20 (1)* में प्रावधान है कि "कोई भी व्यक्ति नहीं।

अपराध के रूप में आरोपित अधिनियम के होने के समय लागू कानून के उल्लंघन को छोड़कर किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा। "अपराध और दंड" से संबंधित अधिनियम के अध्याय *VII* के तहत प्रदान किए गए अधिनियम के आपराधिक प्रावधानों के अनुप्रयोग को आधार अधिनियम के अधिनियमन से पहले की अवधि तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

305. प्रत्यर्थियों का कहना है कि आधार अधिनियम से पहले बायोमेट्रिक्स का संग्रह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम *2000* के प्रावधानों द्वारा पर्याप्त रूप से सुरक्षित था; विशेष रूप से वे प्रावधान, जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी *(*संशोधन*)* अधिनियम, *2008* द्वारा जोड़ा या संशोधित किया गया था।

अधिनियम की धारा *43* ए डेटा की सुरक्षा करने में विफलता के लिए मुआवजे का प्रावधान करती हैः

"जहाँ एक निगमित निकाय, जो किसी कंप्यूटर संसाधन में किसी भी संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी को रखता है, संभालता है या संभालता है, जिसका वह मालिक है, नियंत्रण करता है या संचालित करता है, उसे लागू करने में लापरवाही करता है।

और उचित सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं को बनाए रखने और इस तरह किसी भी व्यक्ति को गलत नुकसान या गलत लाभ का कारण बनता है, ऐसा निगमित निकाय इस तरह से प्रभावित व्यक्ति को मुआवजे के रूप में नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। व्याख्याः इसके लिए

इस धारा के उद्देश्य,

(i) "निगमित निकाय" से कोई भी कंपनी अभिप्रेत है और इसमें एक फर्म, एकल स्वामित्व या वाणिज्यिक या व्यावसायिक गतिविधियों में लगे व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है।

((ii) "उचित सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं" का अर्थ है

ऐसी जानकारी को अनधिकृत पहुंच, क्षति, उपयोग से बचाने के लिए बनाई गई सुरक्षा प्रथाएं और प्रक्रियाएं,

संशोधन, प्रकटीकरण या हानि, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है
पार्टियों के बीच एक समझौते में या जैसा कि उस समय लागू किसी कानून में निर्दिष्ट किया जा सकता है और ऐसे समझौते या किसी कानून के अभाव में, ऐसी उचित प्रतिभूति

ऐसे पेशेवरों के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रथाएं और प्रक्रियाएं

निकाय या संघ जो वे उचित समझते हैं।

((ग) "संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी" का अर्थ है -

व्यक्तिगत जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है

केंद्र सरकार ऐसे लोगों के साथ परामर्श करती है
पेशेवर निकाय या संघ जो वे मान सकते हैं

फिट "।

(जोर दिया गया*)*

306. केंद्र सरकार द्वारा धारा *43* ए के तहत बनाए गए सूचना प्रौद्योगिकी *(*उचित सुरक्षा और प्रक्रियाएं और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना*) 2011* के नियम *3* में परिभाषित किया गया है,

व्यक्तिगत डेटा या जानकारी *":*

"किसी व्यक्ति के संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी का अर्थ है ऐसी व्यक्तिगत जानकारी जिसमें संबंधित जानकारी शामिल हो*; -* *(i)* कूटशब्द*;*

((ii) वित्तीय जानकारी जैसे बैंक खाता या क्रेडिट कार्ड या

डेबिट कार्ड या अन्य भुगतान साधन विवरण*;*

((ग) शारीरिक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति*;*

(v) चिकित्सा अभिलेख और इतिहास*;* *(vi)* बायोमेट्रिक जानकारी*;*

(vii) सेवा प्रदान करने के लिए निगमित निकाय को प्रदान किए गए उपरोक्त खंडों से संबंधित कोई भी विवरण*;* और

(viii) उपरोक्त खंडों के तहत निगमित निकाय द्वारा कानूनी रूप से संसाधित, संग्रहीत या संसाधित करने के लिए प्राप्त कोई भी जानकारी।

अनुबंध या अन्यथा।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

बशर्ते कि, कोई भी जानकारी जो सार्वजनिक डोमेन में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध या सुलभ है या सूचना का अधिकार अधिनियम, *2005* या किसी अन्य कानून के तहत प्रस्तुत की गई है, इन नियमों के उद्देश्यों के लिए संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी के रूप में नहीं मानी जाएगी।

धारा *66* सी पहचान की चोरी के लिए सजा का प्रावधान करती है:

" 66 ℃ *.* पहचान की चोरी के लिए सजा।

जो कोई भी धोखाधड़ी से *548* या बेईमानी से *549* किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या किसी अन्य विशिष्ट पहचान सुविधा का उपयोग करता है, उसे किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन साल तक हो सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा जो एक रुपये तक हो सकता है।

एक लाख। " *(* जोर दिया गया*)*

धारा *66* ई किसी व्यक्ति की निजता के उल्लंघन के लिए सजा का प्रावधान करती हैः

"जो कोई भी, जानबूझकर या जानबूझकर पकड़ता है, प्रकाशित करता है या
उसकी सहमति के बिना किसी व्यक्ति के निजी क्षेत्र की छवि को प्रसारित करने के लिए, उस व्यक्ति की गोपनीयता का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियों में, कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन साल तक बढ़ सकता है या दो लाख रुपये से अधिक के जुर्माने से, या

दोनों के साथ।

अनुभाग के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है कि "संचारित" का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक दृश्य छवि को इस इरादे से भेजना कि इसे किसी व्यक्ति द्वारा देखा जाए। व्यक्ति या व्यक्ति "। एक छवि के संबंध में 'कैपचर' को परिभाषित किया गया है।

इसका अर्थ है किसी भी माध्यम से वीडियोटेपिंग, फोटोग्राफी, फिल्मांकन या रिकॉर्डिंग। निजी क्षेत्र का अर्थ है "नग्न या अंडरगारमेंट पहने जननांग, प्यूबिक।

क्षेत्र, नितंब या महिला स्तन "। " "प्रकाशन" को मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में पुनरुत्पादन और इसे जनता के लिए उपलब्ध कराने के रूप में परिभाषित किया गया है।

548

भारतीय दंड संहिता की धारा *25* में कहा गया हैः धोखाधड़ी से "। एक व्यक्ति को धोखाधड़ी से एक काम करने के लिए कहा जाता है यदि वह धोखा देने के इरादे से वह काम करता है लेकिन अन्यथा नहीं।

549

भारतीय दंड संहिता की धारा *24* में कहा गया हैः बेईमानी से "-जो कोई भी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुँचाने या दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान पहुँचाने के इरादे से कुछ भी करता है, उसे" बेईमानी से "सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट कहा जाता है।

धारा *72* ए कानूनी अनुबंध के उल्लंघन में जानकारी के प्रकटीकरण के लिए सजा का प्रावधान करती हैः

"इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून में अन्यथा प्रावधान किए गए को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति, जिसमें एक मध्यस्थ भी शामिल है, जिसने वैध अनुबंध की शर्तों के तहत सेवाएं प्रदान करते

समय, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत जानकारी वाली किसी भी सामग्री तक पहुंच हासिल कर ली है, यह जानने के इरादे से कि वह गलत नुकसान या गलत लाभ का कारण बन सकता है, संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना, या किसी वैध अनुबंध के उल्लंघन में, ऐसी सामग्री का खुलासा करता है, किसी अन्य व्यक्ति को एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसका विस्तार हो सकता है
तीन साल, या पाँच लाख रुपये तक के जुर्माने के साथ,

या दोनों के साथ। *(* जोर दिया गया*)*

व्यावसायिक या वाणिज्यिक गतिविधियों में लगे व्यक्तियों का संगठन। सरकारी एजेंसियों द्वारा लीक या गुम की गई व्यक्तिगत जानकारी धारा *43* ए के तहत नहीं आएगी। धारा *66* ई का दायरा सीमित है। यह. यह किसी भी व्यक्ति के "निजी क्षेत्र" की गोपनीयता से संबंधित है। ऐसा नहीं है।

सूचनात्मक गोपनीयता से निपटें। धारा *72* ए का दायरा भी सीमित है। यह केवल एक वैध अनुबंध के तहत सेवाएं प्रदान करते समय प्राप्त व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने के कार्यों को दंडित करता है। धारा *66*°सी पहचान की चोरी से संबंधित है और किसी व्यक्ति की विशिष्ट पहचान विशेषता के बेईमान या धोखाधड़ीपूर्ण उपयोग को दंडित करती है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी तक अनधिकृत पहुंच को भी दंडित नहीं करता है। आधार अधिनियम द्वारा शुरू किए गए कई सुरक्षा उपायों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों में नहीं समझा गया था। वास्तव में, यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में उन सुरक्षा उपायों की अनुपस्थिति थी जिसके लिए उन्हें आधार अधिनियम में शामिल करने की आवश्यकता थी। इसलिए महान्यायवादी का यह कहना सही नहीं है कि भारत व्यापक सुरक्षा उपायों के तहत काम करता है

उस अवधि के दौरान बायोमेट्रिक डेटा को नियंत्रित करना जब आधार परियोजना एक कार्यकारी अधिसूचना द्वारा शासित थी, एक विधायी ढांचे के अभाव में। एक विधायी ढांचे की अनुपस्थिति ने प्रस्तुत किया गोपनीयता के गंभीर उल्लंघन के लिए संवेदनशील बायोमेट्रिक डेटा का संग्रह। यहाँ दो अलग-अलग पहलू हैं। सबसे पहले, *2009* और *2016* के बीच आधार परियोजना के लिए एक विधायी ढांचे की अनुपस्थिति ने जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* को छोड़ दिया।

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

निजता के अधिकार की व्यापक रूप से रक्षा करें और उसे लागू करें। दूसरा, *2009* की अधिसूचना बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह को अधिकृत नहीं करती है। नतीजतन, *2009* की अधिसूचना के तहत की गई कार्रवाइयों का सत्यापन धारा *59* द्वारा अधिनियम के प्रवर्तन से पहले बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह को सहेजा नहीं जाता है। निजता सर्वोपरि है। उचित, पर्याप्त और कठोरता के बिना गोपनीयता के किसी भी आक्रमण की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

न केवल किसी की व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग या हानि के लिए दंड प्रदान करने वाले सुरक्षा उपाय, बल्कि उस व्यक्ति की सुरक्षा के लिए भी।

307. प्रत्यर्थियों ने कई निर्णयों पर भरोसा किया है जहां इस न्यायालय ने वैध क़ानूनों को बरकरार रखा है, जो, उनका तर्क है, धारा *59* के समान हैं। पहला निर्णय जिस पर चर्चा करने की आवश्यकता है वह है -

पश्चिम रामनाड में संविधान पीठ का निर्णय, जो मद्रास विधानमंडल के एक मान्य क़ानून से संबंधित था। राज्य में बिजली उपक्रमों का अधिग्रहण करने की मांग करने वाले मद्रास विधानमंडल के *1949* के अधिनियम *43* को विधायी क्षमता के अभाव में निरस्त कर दिया गया था। इस बीच, संविधान लागू हुआ, और सातवीं अनुसूची के तहत, राज्य ने विधायी क्षमता हासिल कर ली। *1954* में एक नया कानून बनाया गया। धारा *24* में *1949* के अधिनियम के तहत की गई और की गई कार्रवाइयों को मान्य करने की मांग की गई है। धारा *24* में इस प्रकार प्रावधान किया गया हैः

"यदि मद्रास विद्युत आपूर्ति उपक्रम *(*अधिग्रहण*)* अधिनियम *1949 (1949* का मद्रास अधिनियम *43)* और उसके तहत बनाए गए नियम उस तारीख से लागू होते, जिस दिन उक्त आदेश, निर्णय या निर्देश दिए गए थे, अधिसूचनाएं जारी की गईं, कार्यवाही की गई और कार्य या कार्य किए गए, यदि वे वैध रूप से किए गए, दिए गए, जारी किए गए, किए गए या किए गए होते।

अधिसूचनाएँ, कार्यवाही, कार्य या चीजें की गई थीं, दी गई थीं, जारी की गई थीं, ली गई थीं या की गई थीं, जिन्हें वैध रूप से किया गया था, दिया गया था, जारी किया गया था, लिया गया था या किया गया था, जैसा भी मामला हो, इसके अलावा

निर्देश, अधिसूचनाएँ, कार्यवाहियाँ, अधिनियम या चीज़ें
इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल "। *(*जोर दिया गया*)*

धारा *24* को एक प्रावधान माना गया था, जिसने पहले के अधिनियम के प्रावधानों के तहत वैध रूप से की गई कार्रवाइयों को बचाया और मान्य किया, जो शुरुआत से ही अमान्य था। न्यायालय की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति गजेंद्रगडकर ने धारा *24* की व्याख्या इस प्रकार कीः

"*12.* इस खंड का पहला भाग अन्य बातों के साथ-साथ

अधिसूचनाएँ जो इसके तहत वैध रूप से जारी की गई हैं

पूर्ववर्ती अधिनियम के सुसंगत प्रावधान और इसका अर्थ है कि यदि पूर्ववर्ती अधिनियम सुसंगत समय पर वैध था, तो यह प्रकट होना चाहिए।
कि विचाराधीन अधिसूचनाएं वास्तव में उक्त अधिनियम के तहत ठीक से की जा सकती थीं और की जा सकती थीं। दूसरे शब्दों में, इससे पहले कि कोई अधिसूचना धारा *24* के लाभ का दावा कर सके, यह दिखाया जाना चाहिए कि इसे संबंधित प्रावधानों के तहत ठीक से जारी किया गया था।

पूर्ववर्ती अधिनियम के प्रावधान, यह मानते हुए कि उक्त
उस समय प्रावधान स्वयं वैध और लागू थे। धारा के दूसरे भाग में यह प्रावधान है कि पहले भाग में आने वाली अधिसूचनाओं को इस अधिनियम द्वारा वैध रूप से जारी किया गया है; "एतद्वारा घोषित" अभिव्यक्ति का स्पष्ट रूप से अर्थ है "इस अधिनियम द्वारा घोषित" और यह दर्शाता है कि पहले भाग में आने वाली अधिसूचनाओं को अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जारी किया गया माना जाएगा और उन्हें उक्त प्रावधानों के तहत वैध रूप से जारी किया गया माना जाएगा। धारा के तीसरे भाग में यह प्रावधान है कि अधिसूचना जारी

करने की वैधता के बारे में वैधानिक घोषणा इस अपवाद के अधीन होगी कि उक्त अधिसूचना असंगत या प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए।

अधिनियम के प्रावधानों के लिए। दूसरे शब्दों में, इस धारा का प्रभाव यह है कि यदि कोई अधिसूचना ठीक से जारी की गई थी

पूर्ववर्ती अधिनियम के प्रावधानों और इसकी वैधता के तहत

अभिशंसन नहीं किया गया है यदि उक्त प्रावधान थे

स्वयं वैध, यह वैध माना जाएगा

अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किया गया, बशर्ते,

बेशक, यह अधिनियम के अन्य प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है। खंड बहुत खुशी से नहीं लिखा गया है, लेकिन इसके निष्पक्ष और उचित निर्माण पर, इसके बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है
अर्थ या प्रभाव "। *(* जोर दिया गया*)*

308. दूसरा निर्णय चेट्टी में चार न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय है, जो एक भेदभावपूर्ण प्रक्रिया को पूर्वव्यापी रूप से सुधारने के लिए एक विधायिका की क्षमता से संबंधित है। सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए मैसूर में दो अधिनियम थे-मैसूर भूमि।

अधिग्रहण अधिनियम, *1894* और बैंगलोर शहर सुधार अधिनियम, *1945*। प्रत्यर्थी ने बैंगलोर में अपनी भूमि के अधिग्रहण के लिए *1894* के अधिनियम के तहत जारी एक अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती दी कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों का सहारा लेना भेदभावपूर्ण था क्योंकि अन्य मामलों में सुधार अधिनियम के प्रावधान सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v* थे।

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

उच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया, जिसके खिलाफ इस न्यायालय में याचिका दायर की गई। अपील के लंबित रहने के दौरान, भूमि अधिग्रहण *(*वैधीकरण*)* अधिनियम, *1962* पारित किया गया था। इसमें दो प्रावधान थे। धारा *2* में प्रावधान किया गया हैः

2. भूमि के कुछ अधिग्रहण और कार्यवाहियों का सत्यापन

और उससे जुड़े आदेश।

) बैंगलोर शहर सुधार अधिनियम, *1945 (1945* का मैसूर अधिनियम *5)* या किसी अन्य अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद।

या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश मेंः

(क*)* बैंगलोर शहर या किसी भी क्षेत्र के सुधार, विस्तार या विकास के उद्देश्य से भूमि का प्रत्येक अधिग्रहण, जिसमें बैंगलोर शहर सुधार अधिनियम, *1945* का विस्तार होता है, राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

या मैसूर भूमि के तहत कार्य करने का इरादा रखता है

अधिग्रहण अधिनियम, *1894 (1894* का मैसूर अधिनियम *7)*, इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले किसी भी समय, और प्रत्येक कार्यवाही आयोजित की गई, अधिसूचना जारी की गई और उक्त उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में आदेश दिया गया। सभी प्रयोजनों के लिए वैध रूप से बनाया गया माना जाएगा, जारी करने के लिए आयोजित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, और कोई भी

मैसूर के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू हुई

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, *1894*, उक्त उद्देश्य के लिए इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले, लेकिन इस तरह के प्रारंभ से पहले समाप्त नहीं हुआ, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, *1894 (1894* का केंद्रीय अधिनियम *1)* के तहत जारी रखा जा सकता है, जैसा कि भूमि अधिग्रहण *(*मैसूर*)* द्वारा मैसूर राज्य में विस्तारित किया गया था।

विस्तार और संशोधन*)* अधिनियम, *1961* और तदनुसार कोई अधिग्रहण नहीं किया गया, कोई कार्यवाही नहीं की गई, कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई और राज्य सरकार या किसी अन्य द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया।

ऐसे किसी भी अधिग्रहण के संबंध में मैसूर भूमि अधिग्रहण अधिनियम, *1894* या भूमि अधिग्रहण अधिनियम, *1894* के तहत प्राधिकरण पर इस आधार पर सवाल उठाया जाएगा कि राज्य सरकार उक्त उद्देश्य के लिए उक्त अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण करने में सक्षम नहीं थी।

अन्य आधार जो भी हो;

(ख*)* ऐसी कोई भूमि जिसके अधिग्रहण के लिए खंड *(*क*)* के प्रावधान लागू होते हैं, राज्य में निहित होने के बाद

सरकार, जिसे हस्तांतरित माना गया है, या सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट है

बैंगलोर शहर के सुधार के लिए न्यासी मंडल को, जैसा भी मामला हो, हस्तांतरित किया गया। *(* जोर दें।

आपूर्ति की गई*)*

1962 के अधिनियम ने मैसूर भूमि अधिग्रहण के तहत किए गए सभी अधिग्रहणों, कार्यवाही, जारी अधिसूचनाओं या आदेशों को मान्य किया।

मान्यता देने वाला कानून लागू होने से पहले अधिनियम। वैधीकरण अधिनियम को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि एक ही क्षेत्र में अधिग्रहण कानूनों के तहत दो अलग-अलग प्रक्रियाओं को निर्धारित करने वाले दो अधिनियमों का प्रावधान करना भेदभावपूर्ण था। इस न्यायालय ने पाया कि विधायिका ने पूर्वव्यापी रूप से संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए एक ही कानून बनाया और मान्यता देने वाले अधिनियम को बरकरार रखा। यह आयोजित किया गया थाः

" *15.* यदि दो प्रक्रियाएं मौजूद हैं और एक का पालन किया जाता है और दूसरे को त्याग दिया जाता है, तो किसी भी मामले में भेदभाव पाया जा सकता है। लेकिन विधानमंडल के पास अभी भी केवल एक प्रक्रिया उपलब्ध रखने वाली प्रक्रियाओं में से एक को पूर्वव्यापी रूप से कार्रवाई से बाहर करने की क्षमता है, जिसका पालन किया जाता है और इस प्रकार भेदभाव को दूर किया जाता है। इस तरह एक वैलिडेटिंग एक्ट भेदभाव पर काबू पा सकता है। जहाँ, हालांकि, विधायी क्षमता है

उपलब्ध नहीं है, भेदभाव हमेशा के लिए रहना चाहिए, क्योंकि उस भेदभाव को केवल शक्ति रखने वाली विधायिका द्वारा ही हटाया जा सकता है

दो में से एक प्रक्रिया बनाना और विधायिका द्वारा नहीं

जिसके पास वह शक्ति नहीं है। ' "

"

309. पश्चिम रामनाड में, मान्यता इस शर्त पर निर्भर थी कि एक अधिसूचना या अधिनियम वैध रूप से जारी किया जाना चाहिए था या इसके तहत किया जाना चाहिए था। पूर्ववर्ती कानून, यह मानते हुए कि पूर्ववर्ती अधिनियम स्वयं उस समय वैध था। वर्तमान मामले में, बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह के लिए सरकार की कार्रवाइयों को नियंत्रित करने वाला कोई पूर्व कानून नहीं था। आधार अधिनियम को *2016* में अधिसूचित किया गया था। योजना आयोग की *2009* की अधिसूचना और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की *2015* की अधिसूचना

किसी भी कानून के तहत जारी नहीं किए गए थे। इसलिए, पश्चिम रामनाड में मान्यता देने वाला कानून स्पष्ट रूप से एक अलग शैली का था। पश्चिम रामनाद से भारत संघ को कोई सहायता नहीं मिलेगी। *310.* चेट्टी में निर्णय वास्तव में एक मान्य कानून की आवश्यक विशेषताओं को सामने लाता है। इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले दो कानूनों का अस्तित्व

भूमि अधिग्रहण को भेदभावपूर्ण पाया गया था और इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद *14* का उल्लंघन किया गया था *(*कानून में स्थिति के आधार पर जो तब था*)*। इस न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान, न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

विधायिका ने एक मान्य कानून बनाया जिसने अयोग्यता के कारण को हटा दिया। उच्च न्यायालय द्वारा राज्य के कानून को अमान्य किए जाने का कारण एक ही क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले दो कानूनों का अस्तित्व था। यह

सार्वजनिक परिसरों पर अनधिकृत कब्जा। इस न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान, सार्वजनिक परिसर *(*अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली*)* अधिनियम, *1971* लागू किया गया था, जिसने की गई सभी कार्रवाइयों को मान्य किया। *1958* के अधिनियम के तहत। *1971* के अधिनियम की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई थी। बाद के अधिनियम की धारा *20* में प्रावधान किया गया हैः

"किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद, कुछ भी किया गया या की गई कोई कार्रवाई *(*जिसमें बनाए गए नियम या आदेश, जारी किए गए नोटिस, बेदखली का आदेश या प्रभाव, नुकसान का आकलन, किराया या नुकसान या लागत की वसूली और शुरू की गई कार्यवाही शामिल है*)* या सार्वजनिक परिसर *(*अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली*)* अधिनियम, *1958* के तहत किया गया या लिया गया है, उसे उतना ही वैध और प्रभावी माना जाएगा जितना कि
यदि ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी या इसके तहत की गई थी

इस अधिनियम के संबंधित प्रावधान जो उप-अधिनियम के तहत

धारा *1* की धारा *(3) 16* सितंबर, *1958* को लागू हुई मानी जाएगी।

आपूर्ति की गई*)*

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विधायिका के पास अपनी दुर्बलताओं को दूर करके पहले के कानून के तहत कार्यों को मान्य करने की शक्ति है। उस मामले में, *1958* से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ *1971* के अधिनियम को लागू करके मान्यता प्राप्त की गई थी और यह कानून बनाकर कि पहले की कानून के तहत की गई कार्रवाइयों को उतना ही वैध और प्रभावी माना जाएगा जैसे कि वे *1971* के अधिनियम के तहत किए गए थे। न्यायालय ने कहाः

"*24.* इस न्यायालय द्वारा *1958* के अधिनियम को असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया है। इसलिए अपीलार्थियों की ओर से दलीलें इस आधार पर आगे बढ़ीं कि *1958* के अधिनियम को असंवैधानिक माना जाएगा। इसलिए यह कहा गया कि *1971* का अधिनियम *1958* के अधिनियम के तहत की गई कार्रवाइयों को मान्य नहीं कर सका। इसका उत्तर ऊपर बताए गए कारणों से है कि विधानमंडल *1958* में इस कानून को लागू करने के लिए सक्षम था और *1971* के अधिनियम द्वारा विधानमंडल ने कानून को पूर्ण पूर्वव्यापी दिया है।

ऑपरेशन। विधानमंडल के पास पहले के अधिनियम की दुर्बलताओं को दूर करके पहले के अधिनियम के तहत कार्यों को मान्य करने की शक्ति है। द.

1971 अधिनियम ने सत्यापन के उस उद्देश्य को हासिल कर लिया है।

न्यायालय ने पश्चिम रामनाड में संविधान पीठ के फैसले को मंजूरी दीः

"*16.* वेस्ट रामनाड इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड मामले में इस न्यायालय का निर्णय पूर्ववर्ती अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई के सत्यापन के उद्देश्य से संचालन में पूर्वव्यापी कानून बनाने के लिए विधायिका की क्षमता को स्थापित करता है, जिसे अदालत के एक निर्णय द्वारा अमान्य घोषित किया गया है। यह सराहना की जानी चाहिए कि सत्यापन बाद के कानून के प्रावधानों के आधार पर है।

हरि सिंह में, मान्यता देने वाला अधिनियम पूर्वव्यापी रूप से पिछले अधिनियम के तहत की गई कार्रवाइयों को अधिकृत करता है, जिसे अदालत के फैसले द्वारा अमान्य कर दिया गया था। *1971* क मान्यकारी कानूनकैं

1958 सँ पूर्वव्यापी प्रभावसँ अधिनियमित कयल गेल छल। *312.* उत्तरदाताओं ने जावरा शुगर मिल्स *(*पी*)* लिमिटेड बनाम मध्य राज्य मामले में इस अदालत के फैसलों पर रिलायंस को रखा था।

प्रदेश *550 (*जावरा शुगर मिल्स*)*, एस. के. जी. शुगर लिमिटेड बनाम बिहार राज्य *551 ("*एस. के. जी. शुगर*")* और कृष्ण चंद्र गंगोपाध्याय बनाम भारत संघ *552 ("*कृष्ण चंद्र*")*, यह तर्क देने के लिए कि राजकोषीय विधान के मामले में, जहां एक नागरिक के अनुच्छेद *265* या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए एक अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था, दोष को दूर करने के बाद वैध अधिनियम बनाए गए थे और उन मामलों में जहां राज्य विधानमंडल को कर उपाय लागू करने में अक्षम माना गया था, संसद द्वारा एक ठोस प्रावधान करके एक मान्य कानून बनाया गया था।

550 (1966) 1 एससीआर *523 551 (1974) 4* एस. सी. सी. *827 552 (1975) 2* एस. सी. सी. न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम।

भारत का संघ

जे.*]*

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़,

313. जावरा शुगर मिल्स में, उपकर लगाने वाला राज्य का कानून लागू किया गया था

विधायी क्षमता की कमी के कारण। संसद ने अमान्य राज्य कानून के तहत उपकर लगाने को मान्य करने के लिए गन्ना उपकर *(*वैधीकरण*)* अधिनियम, *1961* लागू किया। *1961* के अधिनियम की धारा *3 (1)* में प्रावधान किया गया हैः

न्यायालय, लगाए गए, मूल्यांकन किए गए या एकत्र किए गए या अभिप्रेत सभी उपकर किसी भी राज्य अधिनियम के तहत अधिरोपित, मूल्यांकन या संग्रहित किया गया है

इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले माना जाएगा कि

वैध रूप से लगाया गया, मूल्यांकन किया गया या तदनुसार एकत्र किया गया

कानून के साथ, जैसे कि राज्य अधिनियमों के प्रावधान और सभी

अधिसूचनाएँ, आदेश और इसके तहत जारी या बनाए गए नियम, इस प्रकार

जहाँ तक ऐसे प्रावधान अधिरोपण, निर्धारण और

इस तरह के उपकर के संग्रह को शामिल किया गया था और इसका हिस्सा बनाया गया था यह धारा और यह धारा सभी सामग्री पर लागू थी।

उस समय जब ऐसा उपकर लगाया गया था, मूल्यांकन किया गया था या एकत्र किया गया था;

*99 (*जोर दिया गया*)*

इस धारा को बरकरार रखा गया। संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए, मुख्य न्यायाधीश गजेंद्रगडकर ने कहाः

" 14 ..... संसद ने उक्त अधिनियम बनाकर क्या किया है

धारा अमान्य राज्य कानूनों को मान्य करने के लिए नहीं है, लेकिन

उक्त द्वारा कवर किए गए उपकर के संबंध में एक कानून बनाएँ

पूर्वव्यापी रूप से संचालन में। वहाँ एक कट्टरपंथी है
दोनों पदों के बीच अंतर। जहाँ विधायिका

एक पहले के अधिनियम को मान्य करना चाहता है जिसे घोषित किया गया है
एक या दूसरे कारण से अमान्य होने के लिए, यह उक्त अधिनियम से दुर्बलता को दूर करने के लिए आगे बढ़ता है और इसके प्रावधानों को मान्य करता है।

जो किसी भी दुर्बलता से मुक्त हैं। *(* जोर दिया गया*)*

विधायी क्षमता के अभाव में राज्य के कानून को अमान्य माना गया था। संसद, जो इस विषय पर एक कानून बनाने के लिए सक्षम थी, ने पूर्वव्यापी प्रभाव और अमान्य राज्य कानून के तहत की गई कार्रवाई को मान्य किया।

314. एस. के. जी. चीनी में, एक राज्य कानून-बिहार चीनी कारखाने नियंत्रण

अधिनियम, *1937*-को असंवैधानिक घोषित किया गया था। *1969* में, बिहार में राष्ट्रपति शासन के दौरान, संसद ने बिहार गन्ना *(*बिहार गन्ना विनियमन*)* लागू किया।

आपूर्ति और खरीद*)* अधिनियम, *1969*। अधिनियम की धारा *66 (1)* में प्रावधान किया गया है:

" 12 ..... किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद, लगाए गए, मूल्यांकन किए गए या एकत्र किए गए सभी उपकर और कर या

अधिरोपित, मूल्यांकन या संग्रहित किए जाने का तात्पर्य

इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले किसी भी राज्य की कानून को कानून के अनुसार वैध रूप से अधिरोपित, मूल्यांकन या एकत्र किया गया माना जाएगा जैसे कि यह अधिनियम उन सभी भौतिक समयों पर लागू था जब ऐसा उपकर या कर लगाया गया था, मूल्यांकन किया गया था या एकत्र किया गया था और तदनुसार।

संस्थान पीठ ने अभिनिर्धारित किया:

*" 32 ... .*धारा *66 (1)* में मान्य करने वाले प्रावधान द्वारा शुरू की गई कानूनी कल्पना के आधार पर, विवादित अधिसूचना को जरूरी नहीं कि *1968* के अध्यादेश संख्या *3* के तहत जारी किया गया हो, बल्कि राष्ट्रपति अधिनियम के तहत ही जारी किया गया माना जाएगा।

कानूनी बल और वैधता सीधे उत्तरार्द्ध से "। *554*

315. कृष्ण चंद्र में, बिहार भूमि सुधारों के प्रावधान

950 विधायी क्षमता के अभाव में उन्हें निरस्त कर दिया गया था। खान और खनिज अधिनियम *(*विनियमन और

) अधिनियम, *1957* उन प्रावधानों को पूर्वव्यापी के साथ मान्य करने के लिए

धारा *2* में प्रावधान किया गया है कि:

" 1 ..... (2) . बिहार राज्य के कुछ कानूनों और कार्रवाई की वैधता

लिया गया और उससे जुड़ी हुई चीजें। *(1)* अनुसूची में निर्दिष्ट कानून होंगे और होंगे

हमेशा के रूप में वैध माना जाता है जैसे कि

उसमें निहित प्रावधानों को अधिनियमित किया गया था

संसद।

(2) किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद, की गई सभी कार्रवाइयाँ, की गई चीज़ें, बनाए गए नियम, जारी की गई अधिसूचनाएँ या कथित रूप से की गई, की गई, बनाई गई या जारी की गई हैं और ऐसे किसी भी कानून के तहत प्राप्त किराए या रॉयल्टी को निम्नलिखित माना जाएगा:
वैध रूप से लिया गया है, किया गया है, बनाया गया है, जारी किया गया है या महसूस किया गया है, जैसे कि यह धारा बिल्कुल भी लागू थी

भौतिक समय जब इस तरह की कार्रवाई की गई थी, चीजें थीं

किया गया, नियम बनाए गए, अधिसूचना जारी की गई, या किराया या रॉयल्टी प्राप्त की गई, और कोई मुकदमा या अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी।

घ, पृष्ठ *831* डी पर, पृष्ठ *835* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

किराए की वापसी के लिए किसी भी अदालत में बनाए रखा या जारी रखा गया या ऐसे किसी भी कानून के तहत रॉयल्टी प्राप्त की जाती है।

उप-धारा *(2)* में किसी व्यक्ति को रोकने के रूप में समझा जाएगा।
उसके द्वारा भुगतान किए गए किसी भी किराए या रॉयल्टी की वापसी का दावा करने से

99555

ऐसे किसी भी कानून के तहत उससे देय राशि की अधिकता।
(जोर दिया गया*)*

मामले में केंद्रीय मुद्दा यह था कि क्या एक क़ानून और एक नियम जिसे पहले असंवैधानिक या अमान्य घोषित किया गया था, सक्षम विधानमंडल द्वारा नए मान्य कानून के माध्यम से पूर्वव्यापी रूप से अधिनियमित किया जा सकता है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसा हो सकता है।

316. आधार अधिनियम की धारा *59* मान्यता देने से अलग है।

जावरा शुगर मिल्स, एस. के. जी. शुगर और कृष्ण चंद्र में प्रावधान। उन मामलों में, विधायी क्षमता के अभाव में राज्य के कानून अमान्य थे। संसद, जिसके पास निस्संदेह विधायी क्षमता थी, पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ एक नया कानून बना सकती थी और राज्य के कानून के तहत की गई कार्रवाइयों की रक्षा कर सकती थी। यह कमजोरी कि पहले के कानून विधायिका में क्षमता के अभाव के कारण अमान्य थे, नए कानूनों ने विधायी क्षमता के अभाव के दोष को ठीक कर दिया।

317. संसद और राज्य विधानमंडलों के पास पूर्ण शक्ति है।

उन विषयों पर कानून बनाना जो उनकी विधायी क्षमता के अंतर्गत आते हैं। शक्ति पूर्ण है क्योंकि विधायिका संभावित के साथ-साथ पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ कानून बना सकती है। जहाँ एक कानून एक दोष से ग्रस्त है या अमान्य कर दिया गया है, यह दोष को हटाने के लिए विधायिका के लिए खुला है। ऐसा करते समय, विधायिका प्रशासनिक अधिनियमों को मान्य कर सकती है या

अतीत में अमान्य कानून के तहत किए गए निर्णय। मान्यता की सही परीक्षा यह है कि इसे पहले के कानून में दोषों को दूर करना चाहिए। मान्यता देने वाले कानून के लिए यह कहना पर्याप्त नहीं है कि पहले के कानून की अयोग्यता के आधार को हटा दिया गया है। मान्यता देने वाले कानून को कमियों को दूर करना चाहिए। आधार अधिनियम लागू होने से पहले *2009* और *2016* के बीच की अवधि के दौरान बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह में कई कमियां थीं। पहला सक्षम कानून का अभाव था। नतीजतन, संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी का संग्रह कानून के अधिकार के बिना हुआ। दूसरा, *2009* की अधिसूचना ने बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह को अधिकृत नहीं किया। तीसरा, बायोमेट्रिक डेटा का संग्रह प्रकृति के एक सक्षम ढांचे के बिना था जो

555 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *305* शीर्ष अदालत की रिपोर्ट पर

आधार अधिनियम *2016* से लागू हुआ। आधार अधिनियम ने सूचित सहमति प्राप्त करने, नागरिकों से एकत्र की गई जानकारी की गोपनीयता, उल्लंघन के लिए दंड और अपराधों को सुरक्षित करने के लिए एक व्यवस्था शुरू की और उन उपयोगों को विनियमित किया जिन पर एकत्र किए गए डेटा को रखा जा सकता था। सुरक्षा उपायों के अभाव में, आधार अधिनियम *2016* के अधिनियमन से पहले बायोमेट्रिक डेटा का संग्रह अधिकार से बाहर है।

318. धारा *59* अयोग्यता के कारण को नहीं हटाती है। सबसे पहले, धारा *59 2009* की अधिसूचना के तहत की गई कार्रवाइयों की रक्षा करती है। द.

अधिसूचना बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह को अधिकृत नहीं करती है। इसलिए, धारा *59 2009* और *2016* के बीच बायोमेट्रिक्स के संग्रह के लिए कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करेगी। दूसरा, यह आधार अधिनियम के माध्यम से

था कि सूचित सहमति, एकत्र की गई जानकारी की गोपनीयता, डेटा के उपयोग पर प्रतिबंध और उल्लंघन के लिए दंड और अपराधों की व्यवस्था के माध्यम से सुरक्षा उपायों को लागू करने की मांग की गई थी। धारा *59* *2009* और *2016* के बीच इन सुरक्षा उपायों की अनुपस्थिति को ठीक नहीं करती है। धारा *59* एक मान्यकारी कानून के परीक्षण को पूरा करने में विफल रहती है क्योंकि सुरक्षा उपायों और एक नियामक ढांचे की अनुपस्थिति केवल *2009* और *2016* की अधिसूचनाओं के तहत किए गए कार्यों को मान्य करके ठीक नहीं की जाती है। इस सिद्धांत के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता है कि विधायिका मौलिक अधिकार के उल्लंघन को ठीक करने का हकदार है। लेकिन ऐसा करने के लिए, आधार या नींव को ठीक करना आवश्यक है

जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन था। कमी को मान्यता देने वाले कानून द्वारा ठीक होने के लिए प्रदर्शित किया जाना चाहिए। धारा *59*

स्पष्ट रूप से ऐसा करने में विफल रहता है। यह उन स्थितियों के संबंध में कमियों को दूर करने में विफल रहता है जिनके तहत *2016* में आधार अधिनियम के प्रवर्तन से पहले बायोमेट्रिक डेटा का संग्रह किया गया था। प्रत्यर्थियों ने प्रस्तुत किया कि धारा *59* एक कल्पित कल्पना का निर्माण करती है और इस तर्क के समर्थन में कुछ निर्णयों का हवाला दिया। विशंभर नाथ कोहली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य *556* में एक अध्यादेश ने एक और अध्यादेश को निरस्त कर दिया। निरस्तीकरण अध्यादेश की धारा *58 (3)* में कहा गया हैः

"6 ..... निर्वासित संपत्ति प्रशासन अध्यादेश, *1949* या हैदराबाद प्रशासन के इस अधिनियम द्वारा निरसन
निर्वासित संपत्ति विनियमन या किसी भी संबंधित कानून का उस अध्यादेश, विनियमन या संबंधित कानून के पिछले संचालन को प्रभावित नहीं करेगा, और इसके अधीन, कुछ भी किया गया या कोई भी

556 (1966) 2 एस. सी. आर. *158* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

उस अध्यादेश, विनियमन या संबंधित कानून द्वारा या उसके तहत प्रदत्त किसी भी शक्ति के प्रयोग में की गई कार्रवाई, यह समझा जाएगा कि इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग इस तरह किया गया या किया गया है जैसे कि यह अधिनियम उस दिन लागू था जिस दिन ऐसा किया गया था या कार्रवाई की गई थी। *(* जोर दिया गया*)*

319. इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि धारा *58* के आधार पर, निरस्त अध्यादेश के तहत की गई सभी चीजों और की गई कार्रवाइयों को निरसन अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया या किया गया माना जाता है, जैसे कि वह अधिनियम उस दिन लागू था जिस दिन वह काम किया गया था या कार्रवाई की गई थी। निरस्त अध्यादेश के तहत किए गए कार्यों या की गई कार्रवाइयों को काल्पनिक रूप से निरस्तीकरण अधिनियम के तहत किया गया या किया गया माना जाना चाहिए। इन कार्रवाइयों को मान्य किया गया क्योंकि इस मामले में अधिनियम को उस दिन लागू माना गया था जिस दिन ऐसा किया गया था या कार्रवाई की गई थी। आधार अधिनियम की धारा *59* इस कल्पना को पैदा नहीं करती है। आधार अधिनियम उस तारीख को लागू नहीं होता है जिस दिन कार्रवाई की गई थी, जिसे यह धारा मान्य करना चाहती है। *320.* हममें से एक, माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक मिश्रा *(*तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में*)* की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने

कर्नाटक बनाम तमिलनाडु राज्य *557*, अंतर-राज्य नदी जल विवाद अधिनियम, *1956* के तहत गठित कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश के खिलाफ दायर दीवानी अपीलों के एक समूह पर विचार कर रहा था। *1956* के अधिनियम की धारा *6 (2)* में प्रावधान हैः

" 72 ..... 6 (2) . उप-धारा *(1)* के तहत केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन के बाद न्यायाधिकरण के निर्णय का वही बल होगा जो इसके आदेश या डिक्री का होगा।

सुप्रीम कोर्ट। " *558*

धारा *6 (2)* पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया कि इस न्यायालय की अधिकारिता को हटा दिया गया है क्योंकि यह अपने स्वयं के डिक्री पर अपील में नहीं बैठ सकता है। न्यायालय ने इस निवेदन को स्वीकार नहीं किया और कहाः

" 74. धारा *6 (2)* में प्रयुक्त भाषा से पता चलता है कि न्यायाधिकरण के निर्णय का बल इस न्यायालय के आदेश या डिक्री के समान होगा। होने के बीच एक अंतर है

557 (2017) 3 एस. सी. सी. *362* *558* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *405* सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर

इस न्यायालय के आदेश या डिक्री के समान बल और उचित निर्णय के बाद इस न्यायालय द्वारा डिक्री पारित करना। संसद ने जानबूझकर उन शब्दों का इस्तेमाल किया है जिनसे यह समझा जा सकता है कि

एक कानूनी कथा उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए होती है जिसके लिए कथा बनाई गई है और इससे आगे की यात्रा करने का इरादा नहीं है। इसका उद्देश्य न्यायाधिकरण के निर्णय का बाध्यकारी प्रभाव और प्रवर्तनीयता की प्रभावशीलता है। इस प्रकार, इसे उस उद्देश्य के संबंध में संकीर्ण रूप से समझा जाना चाहिए जो इसे पूरा करने के लिए है। *55 9*

81 ..... यह स्पष्ट है कि संसद का इरादा इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाने का नहीं था। द.

उक्त प्रावधान न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय को बाध्यकारी प्रभाव देने के लिए जोड़ा गया था। यह कथा उस सीमित उद्देश्य के लिए बनाई गई है। *99560 (* जोर दिया गया*)*

निर्णय यह स्पष्ट करता है कि एक काल्पनिक कथा मूल रूप से जो इरादा किया गया था, उससे आगे नहीं जा सकती है। जैसा कि पहले कहा गया है, बायोमेट्रिक्स के संग्रह और प्रमाणीकरण की कार्रवाई या सूचित सहमति की आवश्यकता का *2009* की अधिसूचना में कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए, धारा *59* को एक काल्पनिक कल्पना बनाने के लिए नहीं माना जा सकता है कि जारी की गई अधिसूचनाओं के तहत की गई सभी कार्रवाई अधिनियम के तहत की गई थी, न कि उपरोक्त अधिसूचनाओं के तहत। *321.* इस न्यायालय को प्रत्यर्थियों की इस दलील पर भी विचार करना चाहिए कि संसद को मान्यता कानून बनाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, भले ही न्यायालय के पास इसकी वैधता पर निर्णय लेने का अवसर न हो।

जिन अधिसूचनाओं को धारा *59* द्वारा मान्य किया गया है। प्रत्यर्थियों ने अमरेंद्र कुमार महापात्रा बनाम उड़ीसा राज्य मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा किया है। *561* यह मामला

इसमें कर्मचारियों की तदर्थ नियुक्तियों को नियमित करने के लिए अधिनियमित उड़ीसा इंजीनियर सेवा *(*नियुक्ति की वैधता*)* अधिनियम, *2002* की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या उड़ीसा अधिनियम प्रभावी रूप से किसी पूर्व-विद्यमान अधिनियम या नियम में किसी अवैधता या दोष को मान्य करने के लिए एक सत्यापन क़ानून था। न्यायालय ने कहा कि चूंकि उड़ीसा अधिनियम ने केवल सहायक अभियंताओं के रूप में तदर्थ सहायक अभियंताओं के रूप में काम करने वाले स्नातक वजीफा अभियंताओं की नियुक्ति को नियमित किया है, इसलिए इसे एक मान्य कानून के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कानून ऐसे किसी गैर-अस्तित्व वाले अधिनियम को मान्य नहीं करता है, लेकिन

560 इबिद, पृष्ठ *408* पर

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

केवल एक कल्पना का सहारा लेकर तदर्थ सहायक इंजीनियरों को राज्य के मूल कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया गया। इस न्यायालय ने कहाः

" 31 ..... किसी अधिनियम, कार्यवाही या नियम को अमान्य घोषित करने वाली पूर्व न्यायिक घोषणा किसी वैधीकरण अधिनियम के अधिनियमन के लिए पूर्ववर्ती शर्त नहीं है। इस तरह के कानून को एक कथित अयोग्यता को भी दूर करने के लिए अधिनियमित किया जा सकता है, जिसे न्यायालय ने किया है।
निर्णय लेने का कोई अवसर नहीं। इसलिए, न्यायिक घोषणा की अनुपस्थिति यह निर्धारित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या

या नहीं कानून एक मान्य कानून है। *" 562*

न्यायालय ने आगे कहा किः

" 25. ..... जब ऐसे किसी वैधीकरण अधिनियम की वैधता पर सवाल उठाया जाता है, तो न्यायालय को सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी

कानून और यह निर्धारित करना कि क्या *(i)* अयोग्यता का दोष

कि अधिनियम, नियम, कार्यवाहियों या कार्रवाई को अमान्य कर दिया गया है, इसे मान्य करने वाले विधान द्वारा ठीक कर दिया गया है *(ii)* क्या विधायिका अधिनियम, कार्रवाई को मान्य करने में सक्षम थी,

पूर्ववर्ती में अमान्य घोषित कार्यवाहियां या नियम

निर्णय और *(iii)* क्या ऐसा सत्यापन सुसंगत है।

संविधान के भाग *III* द्वारा गारंटीकृत अधिकारों के साथ। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक होने पर ही वैधीकरण अधिनियम को प्रभावी माना जा सकता है और न्यायालय के प्रतिकूल निर्णय से उत्पन्न होने वाले परिणामों को निष्प्रभावी माना जा सकता है। *(* जोर दें।

आपूर्ति की गई*)*

322. दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम ब्रोच मामले में इस अदालत के संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा किया

नगर पालिका *563* किसी भी अधिनियम, नियम, कार्रवाई या कार्यवाही को मान्य करने के लिए एक कानून के टुकड़े की निम्नलिखित पूर्व-आवश्यकताओं को तैयार करने के लिए:

" (क*)* विधिमान्यकरण अधिनियम को लागू करने वाली विधायिका होनी चाहिए -

कानून बनाने के लिए सक्षम और*;* *(*
ख*)* अधिनियम की प्रभावहीनता या अयोग्यता का कारण या

कार्यवाही को हटाने की आवश्यकता है।

इन निर्णयों से पता चलता है कि हालांकि इस प्रस्ताव के साथ कोई असहमति नहीं हो सकती है कि एक विधायिका के पास अपनी क्षमता के भीतर,

562 उदाहरण के लिए, पृष्ठ *604 563 (1969) 2* एस. सी. सी. *283* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2018] 8 एस सी आर।

किसी दोषपूर्ण कानून को मान्य करने के लिए कानून बनाना, ऐसे कानून की वैधता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या यह पिछले कानून की प्रभावहीनता या अयोग्यता के कारण को हटा देता है।

अधिनियम या कार्यवाही। संसद के पास न्यायिक निर्धारण के साथ या उसके बिना, पूर्व-विद्यमान कानून में किसी अवैधता या दोष को ठीक करने के लिए सत्यापन का कानून बनाने की शक्ति है। लेकिन उस कानून को दुर्बलता या अयोग्यता के कारण को ठीक करना चाहिए। धारा *59* आधार अधिनियम के अधिनियमन से पहले अयोग्यता के कारण को ठीक करने में विफल रहती है।

के कानून का शासन और अंतरिम आदेशों का उल्लंघन

323. कानून का शासन आधुनिक लोकतंत्र की आधारशिला है

समाज और लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों की रक्षा करता है। जब कानून के शासन की व्याख्या संवैधानिकता के सिद्धांत के रूप में की जाती है, तो यह सरकारी शक्तियों या कार्यों का एक विभाजन मानता है जो मनमाने ढंग से राज्य शक्ति के प्रयोग को रोकता है। यह कानून की व्यापकता को भी मानता है: मनमानी शक्ति से व्यक्ति के संरक्षण में यह तथ्य शामिल है कि राज्य के साथ उसके व्यक्तिगत व्यवहार सामान्य नियमों द्वारा विनियमित होते हैं, जो निजी नागरिकों और सार्वजनिक अधिकारियों पर समान रूप से बाध्यकारी होते हैं। *564*

इसमें राज्य के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों के मौलिक पृथक्करण की परिकल्पना की गई है। शक्ति का पृथक्करण कानून के शासन के जवाबदेही पहलू का समर्थन करता है। न्यायिक और कार्यकारी शक्तियों का पृथक्करण कानून के शासन की एक अनिवार्य विशेषता है। न्यायपालिका की शक्ति सौंपकर अदालतों में समीक्षा, सिद्धांत सरकारी अधिकारियों को अंतिम शब्द रखने से रोकता है कि क्या उन्होंने अवैध रूप से काम किया है। न्यायिक शक्ति का पृथक्करण कार्यकारी शाखा पर एक प्रभावी नियंत्रण प्रदान करता है। *565*

324. कानून के शासन और शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणाएँ

भारतीय संवैधानिक विमर्श का अभिन्न अंग रहे हैं। हालाँकि इन दोनों अवधारणाओं को संविधान में उतने शब्दों में निर्दिष्ट नहीं किया गया है, लेकिन इस न्यायालय ने अपने निर्णयों में इन पर बहुत ध्यान दिया है। यद्यपि भारतीय संविधान कठोर अर्थों में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का पालन नहीं करता है, मुख्य न्यायाधीश द्वारा कानून का निम्नलिखित कथन

राम साहिब राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य *566* में न्यायमूर्ति मुखर्जी को व्यापक रूप से इसकी सामग्री के मूल को परिभाषित करने के रूप में माना जाता हैः *564* टी. आर. एस. एलन, संवैधानिक न्यायधीशः ए लिबरल थ्योरी ऑफ़ द रूल ऑफ़ लॉ *(2001)*

एच. टी. पी. पर उपलब्धः *//*डब्ल्यू. डब्ल्यू. ऑक्सफोर्ड स्कॉलरशिप। *com/*व्यू*/10.1093/acprof:* ओसो */*

9780199267880.001. 0001 / एकप्रोफ़*-9780199267880-*अध्याय*-2*

565 डेनिस मेयर्सन, द रूल ऑफ लॉ एंड द सेपरेशन ऑफ पॉवर्स *(2004),* उपलब्ध है।

एचटीटीपी परः *//5.* ऑस्टली। एडयू। एयू*/*एयू*/*पत्रिकाएँ*/*एमक्यूएलजे*/2004/1*। एचटीएमएल

566 (1955) 2 एस. सी. आर. *225* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

" 12 ..... भारतीय संविधान ने वास्तव में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनी पूर्ण कठोरता में मान्यता नहीं दी है, लेकिन सरकार के विभिन्न भागों या शाखाओं के कार्यों में पर्याप्त अंतर किया गया है और इसके परिणामस्वरूप यह बहुत अधिक हो सकता है।

ठीक कहा जा सकता है कि हमारा संविधान विचार नहीं करता है

राज्य के एक अंग या भाग द्वारा उन कार्यों की धारणा जो अनिवार्य रूप से दूसरे से संबंधित हैं।

शक्तियों के पृथक्करण में नियंत्रण और संतुलन की एक ऐसी प्रणाली की परिकल्पना की गई है, जो कानून द्वारा शासन सुनिश्चित करती है न कि उन लोगों की इच्छा से जिन्हें वे अधिकार देते हैं।

शासन को कुछ समय के लिए सौंपा गया है। सत्ता की ज्यादतियों पर अंकुश लगाने से, इसका सीधा संबंध संस्थागत ईमानदारी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से है। एस. जी. जयसिंहानी बनाम भारत संघ *567* में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

कानून के शासन द्वारा शासित, विवेकाधिकार, जब कार्यकारी अधिकारियों को प्रदान किया जाता है, तो स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमाओं के भीतर सीमित होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से कानून के शासन का अर्थ है कि निर्णय ज्ञात सिद्धांतों और नियमों के अनुप्रयोग द्वारा किए जाने चाहिए और सामान्य रूप से, ऐसे निर्णय पूर्वानुमेय होने चाहिए और नागरिक को पता होना चाहिए कि वह कहाँ है। यदि कोई निर्णय बिना किसी सिद्धांत या बिना किसी नियम के लिया जाता है तो यह अप्रत्याशित है और ऐसा निर्णय निम्नलिखित के अनुसार लिए गए निर्णय के विपरीत है -
कानून का शासन "।

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा घोषित किया गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य *568* में मुख्य न्यायाधीश सीकरी ने कहा कि:

" 292 ..... कहा जा सकता है कि मूल संरचना में निम्नलिखित विशेषताएं शामिल हैं:

(1) संविधान की सर्वोच्चता*;*

(2) सरकार का रिपब्लिकन और लोकतांत्रिक रूप*;*
(3) संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र*;*

567 (1967) 2 एससीआर *703 568 (1973) 4* एससीसी *225 [2018] 8* एस. सी. आर.

(4) विधायिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण,

कार्यपालिका और न्यायपालिका*;*

(5) संविधान का संघीय चरित्र "। *569*

(जोर दिया गया*)*

न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना ने कहा कि कानून के शासन का अर्थ है सर्वोच्चता। मनमानेपन के विपरीत संविधान और कानून *"570*। इस न्यायालय के बाद के फैसलों में भी यही विचार व्यक्त किया गया है। *571* श्रीमतीइंदिरा में

नेहरू गांधी बनाम श्री राज नारायण *572*, मुख्य न्यायाधीश ए. एन. रे ने कानून के शासन को लोकतंत्र का आधार माना। तमिलनाडु राज्य बनाम केरल राज्य *573* में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा शक्तियों के पृथक्करण और कानून के शासन के बीच कार्यात्मक संबंध पर चर्चा की गई थी, जो इस प्रकार है:

" 98. भारतीय संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के विपरीत

संविधान इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता कि
शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान के माध्यम से होता है। यह है।

इस कारण से कि इस न्यायालय ने शक्ति के पृथक्करण को मान्यता दी है

संविधान की एक बुनियादी विशेषता और एक आवश्यक घटक के रूप में

संविधान में स्पष्ट रूप से उत्कीर्ण नहीं किया गया है, इसका विस्तार, संचालन
और संविधान से दृश्यता स्पष्ट है। भारतीय

संविधान ने औपचारिक रेखाएं खींचे बिना सीमांकन किया है

तीन अंगों-विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच।

इस न्यायालय ने लगातार न्यायिक समीक्षा को शक्तियों के पृथक्करण के साथ-साथ कानून के शासन का एक आवश्यक घटक माना है। न्यायिक समीक्षा में न केवल संवैधानिकता का निर्धारण शामिल है

कानून लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई की वैधता भी। यह यह सुनिश्चित करके कानून के शासन के सार की रक्षा करता है कि कार्यपालिका में निहित प्रत्येक विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग न्यायपूर्ण, उचित और निष्पक्ष तरीके से किया जाए।

570 इबिद, पैरा *1529* में *571* श्रीमती. इंदिरा नेहरू गांधी बनाम श्री राज नारायण, *1975 (*पूरक*)* एस. सी. सी. *1;* बिहार राज्य बनाम बाल मुकुंद साह*, (2000) 4* एस. सी. सी. *640]; I.* आर. एल. आर. वी. द्वारा कोएल्हो *(*मृत*)* की स्थिति

तमिलनाडु, *(2007) 2* एस. सी. सी. *1.*

572 1975 पूरक एस. सी. सी. *1*

573 (2014) 12 एस. सी. सी. *696* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

जे.*]*

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़,

325. संविधान के अनुच्छेद *143* के तहत एक संदर्भ *574* में, ए

सात न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि "भारतीय संविधान के तहत शक्तियों का विशिष्ट और कठोर पृथक्करण हो या न हो", न्यायपालिका को संविधान के प्रावधानों को समझने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। यह आयोजित किया गया थाः

अदालतों के समक्ष चुनौती दी गई, यह कभी सुझाव नहीं दिया जाता है कि
इस बारे में भौतिक प्रश्न कि क्या विधायी प्राधिकरण है

मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, हो सकता है

विधायिकाएँ स्वयं निर्णय लेती हैं। इस तरह का निर्णय

विवाद पूरी तरह से और विशेष रूप से न्यायपालिका को सौंपा गया है

यह देश "।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर में अपनी प्रसिद्ध असहमति में बनाम शिवकांत शुक्ला *575*, न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना ने कानून के शासन को "मनमानेपन के विरोधी" के रूप में संदर्भित करते हुए कहाः

" 527 ..... कानून का शासन अब सभी सभ्य लोगों का स्वीकृत मानदंड है। समाज. *[ई]* जहाँ भी इसकी पहचान स्वतंत्रता के साथ की जाती है

व्यक्तिगत। यह विरोधी के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था की धारणाएँ। हर राज्य में

आवश्यकताओं के साथ मानवाधिकारों के सामंजस्य की समस्या उत्पन्न होती है जनहित में। इस तरह के सामंजस्य को केवल प्राप्त किया जा सकता है

स्वतंत्र न्यायालयों का अस्तित्व जो संतुलन बना सकते हैं

नागरिक और राज्य के बीच और सरकारों को अनुपालन करने के लिए मजबूर करना

कानून के लिए "। *576*

326. न्यायिक समीक्षा को बुनियादी विशेषताओं में से एक माना गया है

संविधान से। एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ *577* में इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने घोषणा कीः

574 (1965) 1 एस. सी. आर. *413 575 (1976) 2* एस. सी. सी. *521 576* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *748* पर *577 (1997) 3* एससीसी *261 [2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 78 ..... अनुच्छेद *226* के तहत उच्च न्यायालयों और संविधान के अनुच्छेद *32* के तहत सर्वोच्च न्यायालय में निहित विधायी कार्रवाई पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की एक अभिन्न और आवश्यक विशेषता है, जो इसकी मूल संरचना का हिस्सा है। *578*

न्यायिक समीक्षा, कानून के शासन और शक्तियों के पृथक्करण के बीच पूरक संबंध संविधान के काम करने का अभिन्न अंग है। आई आर कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य *579* में इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

" 129 ..... समानता, कानून का शासन, न्यायिक समीक्षा और शक्तियों का पृथक्करण संविधान की मूल संरचना के अंग हैं।

इनमें से प्रत्येक अवधारणा घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। अगर कानून के सामने समानता नहीं है तो कानून का शासन नहीं हो सकता है। ये अर्थहीन होंगे यदि उल्लंघन न्यायिक प्रक्रिया के अधीन नहीं था। समीक्षा करें। यदि विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियाँ एक निकाय में निहित हैं तो ये सभी अनावश्यक होंगे। इसलिए, यह तय करने का कर्तव्य है कि क्या सीमाओं का उल्लंघन किया गया है

न्यायपालिका पर रखा गया "।

न्यायिक समीक्षा, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करके, संविधान के मूलभूत मूल्यों और कानून के शासन को बढ़ावा देती है। इस न्यायालय ने पुट्टास्वामी में इस पहलू पर ध्यान दिया:

"*295.* इन सबसे ऊपर, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि न्यायिक समीक्षा जीवन पर विधायी अतिक्रमण के खिलाफ एक शक्तिशाली गारंटी है और
व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इस अधिकार को सौंपने से संविधान द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दिए गए संरक्षण के महत्व को कम कर दिया जाएगा। इसलिए, जबकि कानून की वैधता के लिए संवैधानिक चुनौतियों में न्यायिक समीक्षा का प्रयोग किया जाता है

संवैधानिकता की धारणा और विधायी, कार्यपालिका और सरकार के बीच शक्तियों के पृथक्करण के लिए सचेत सम्मान।

न्यायिक संस्थान, संवैधानिक शक्ति जो न्यायालय में निहित है, को न्यायिक संस्थाओं की रक्षा के एक जीवंत साधन के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए।

व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रताएँ। *581*

578 इबिद, पृष्ठ *301* पर *579 (2007) 2* एससीसी *1*

580 इबिद, पृष्ठ *58* पर

581 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *497* पर जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

जे.*]*

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़,

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि विधायिका या कार्यपालिका द्वारा इसके मूल्यों को कम नहीं किया जाए। हमारा न्यायालय रहा है

582

इस भूमिका के बारे में जागरूक। कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य

इस प्रश्न पर विचार करते हुए कि क्या एक अध्यादेश *(*राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित*)* जिसका जीवनकाल सीमित है, इसके लिए परिणाम ला सकता है

सात न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि भविष्य *(*अधिकारों, विशेषाधिकारों, देनदारियों और दायित्वों के निर्माण के संदर्भ में*)* जो अपने जीवन से परे होगा। कि -

" 91 ..... संविधान की खामोशी को आत्मसात किया जाना चाहिए

उन्हें एक अर्थ के साथ अंतःस्थापित करके मूल सामग्री जो

कानून के शासन को बढ़ाता है। कार्यपालिका को एक के रूप में श्रेय देना

अध्यादेश बनाने की शक्ति की घटना, एक अप्रतिबंधित क्षमता

भावी पीढ़ी के लिए बाध्यकारी प्रभाव पैदा करना एक खतरनाक स्थिति स्थापित करेगा संसदीय लोकतंत्र में एक मिसाल। अदालत ने

अध्यादेशों को बनाने की शक्ति की व्याख्या, जो उत्पन्न होती है

सरकार की कार्यकारी शाखा में, अनजान नहीं हो सकता है

बुनियादी धारणा है कि कानून बनाने का प्राथमिक रूप के माध्यम से है विधायिका। *"583 (*जोर दिया गया*)*

न्यायालय ने कहा कि अध्यादेश बनाने की शक्ति सावधानीपूर्वक होनी चाहिए

यह सुनिश्चित करने के लिए संरचित किया गया है कि यह वही बना रहे जो हमारे संविधान निर्माताओं का इरादा थाः संवैधानिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक असाधारण शक्ति।

328. संवैधानिक लोकतंत्र में, सरकार की शक्ति है,

संविधान के मौलिक मानदंडों द्वारा परिभाषित, सीमित और वितरित। संवैधानिक लोकतंत्र अपने राजनीतिक शासन को बनाए रखता है।

सार्वजनिक पद पर रहते हुए अपने निर्णयों और कार्यों के लिए उत्तरदायी, जिम्मेदार या जवाबदेह। *584* एक संवैधानिक लोकतंत्र सरकार के प्रमुख अंगों या भागों के बीच राजनीतिक अधिकार के वितरण की डिग्री और तरीके को निर्धारित करता है। प्रत्येक संस्थान की सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। संविधान द्वारा। संविधान द्वारा बनाई गई किसी भी संस्था के पास पूर्ण शक्ति नहीं हो सकती है। शक्तियों का पृथक्करण, परिकल्पना की गई

संविधान द्वारा विभिन्न संस्थानों के बीच नियंत्रण और संतुलन के रूप में कार्य करता है और यह सुनिश्चित करके कानून के शासन को बढ़ावा देता है कि कोई भी संस्थान मनमाने तरीके से कार्य नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान की मूल संरचना के एक भाग के रूप में और कानून के शासन और शक्तियों के पृथक्करण के एक आवश्यक घटक के रूप में न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य है -

582 (2017) 3 एससीसी *1*

583 इबिद, पृष्ठ *76* पर *584* एल्मन लेरॉय वे, जूनियर, संवैधानिक लोकतंत्र और अन्य राजनीतिक शासन,

एच. टी. पी. पर उपलब्धः *//*डब्ल्यू. डब्ल्यू. परिरक्षक। नेट/सी. यू. एन. ए. पी. एल. एस. सी. आई. *201* पार्ट *TWOA.shtml* सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक संस्थान अपनी सीमा के भीतर कार्य करे। न्यायिक समीक्षा कानून के प्रशासन में पारदर्शिता, निरंतरता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है।

और समानता, न्याय और निष्पक्षता की धारणाएँ *585*। संविधानवाद इस प्रकार सरकार पर एक कानूनी सीमा लगाता है। इसमें सीमित सरकार के अस्तित्व की परिकल्पना की गई है। शासन की संस्था को दिया गया विवेकाधिकार, चाहे वह विधायिका हो या कार्यपालिका, संविधान की स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमाओं के भीतर सीमित है। न केवल राज्य के अंगों की आवश्यकता है

न्यायिक समीक्षा राज्य के अंगों के अधिकार पर संविधान द्वारा लगाई गई सीमाओं को लागू करने के लिए एक मंजूरी और एजेंसी है। राजनीतिक अधिकार की सीमित शक्ति के इस सूत्रीकरण को इस न्यायालय के कई निर्णयों में मान्यता दी गई है। एम. पी. ठाकुर बनाम भरत सिंह *587* के मामले में एक संविधान पीठ ने कहाः

" 5 ..... हमारा संघीय ढांचा कुछ बुनियादी बातों पर आधारित है।

सिद्धांतः *(1)* सीमित लोगों की संप्रभुता

सरकारी प्राधिकरण अर्थात सरकार का संचालन किया जाना चाहिए।

अधिकांश लोगों की इच्छा के अनुसार। द.

लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से खुद को नियंत्रित करते हैं, जबकि

कार्यकारी सरकार की आधिकारिक एजेंसियों के पास केवल

ऐसी शक्तियाँ जो उन्हें लोगों द्वारा प्रदान की गई हैं;

(2) इन तीनों के बीच शक्तियों का बंटवारा है।

राज्य के अंग-विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक

प्रत्येक अंग पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ जांच होती है

अन्य; और *(3)* विधि का शासन जिसमें न्यायिक समीक्षा शामिल है।
मनमाना कार्यकारी कार्रवाई। *"(*जोर दिया गया*)*

329. एस. पी. में एक संविधान पीठ द्वारा दिए गए निर्णय में

संपत कुमार बनाम भारत संघ *588*, मुख्य न्यायाधीश पी. एन. भगवती ने अपनी सहमति वाली राय में कहाः *585* शीला बारसे बनाम। महाराष्ट्र राज्य *((1983) 2* एस. सी. सी. *96)*, उच्चतम न्यायालय ने पुलिस हिरासत में महिलाओं के लिए निष्पक्षता पर जोर दिया और पुलिस हिरासत में कैदियों, विशेष रूप से महिला कैदियों की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देशों की एक संहिता का मसौदा भी तैयार किया। वीना सेठी बनाम। बिहार राज्य *(*ए.

आई. आर. *1982* एस. सी. *1470),* उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय देते हुए कि कानून का शासन केवल उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास अपने अधिकारों के लिए लड़ने के साधन हैं, गरीबों तक कानून के शासन की पहुंच का विस्तार किया, जो भारत का बड़ा हिस्सा हैं।

और गरीबों की मदद के लिए लोकस स्टैंडी सिद्धांत का विस्तार किया

586 दुर्गा दास बसु, सीमित सरकार और न्यायिक समीक्षा, लेक्सिसनेक्सिस, *(2016)*

पृष्ठ *123-124*

587 (1967) 2 एससीआर *454*

588 (1987) 1 एस. सी. सी. *124* एस. टी. आई. सी. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

"3 ..... यह हमारी संवैधानिक योजना का एक मौलिक सिद्धांत है कि राज्य का प्रत्येक अंग, प्रत्येक प्राधिकरण संविधान, संविधान से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और उसे ऐसी शक्ति की सीमाओं के भीतर कार्य करना होता है। यह एक सीमित सरकार है।

जो हमारे पास संविधान के तहत है और कार्यपालिका और विधायिका दोनों को संविधान के तहत उन्हें प्रदान की गई शक्ति की सीमाओं के भीतर कार्य करना होगा। न्यायपालिका है

संविधान के अंतिम दुभाषिया का गठन किया

और उसे यह निर्धारित करने का नाजुक कार्य सौंपा जाता है कि प्रत्येक को प्रदत्त शक्ति की सीमा और दायरा क्या है। सरकार की शाखा, संविधान के तहत ऐसी शक्ति के प्रयोग की क्या सीमाएँ हैं और क्या कोई

किसी भी शाखा की कार्रवाई ऐसी सीमाओं का उल्लंघन करती है। यह कानून के शासन का एक बुनियादी सिद्धांत भी है जो संविधान के हर प्रावधान में व्याप्त है और जो इसका मूल और सार है।

कि कार्यपालिका या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा शक्ति का प्रयोग न केवल संविधान द्वारा सशर्त होना चाहिए, बल्कि कानून के अनुसार भी होना चाहिए और यह न्यायपालिका है जिसे यह सुनिश्चित करना है कि

कि कानून का पालन किया जाता है और इसका पालन किया जाता है कार्यपालिका और अन्य की ओर से कानून की आवश्यकताएँ

अधिकारी। *"9 58 9 9 (*जोर दिया गया*)*

330. आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य *5 9 0 590* मामले में नौ न्यायाधीश

एच ने माना कि सरकारी शक्ति पर नियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि

लोकतंत्र के राष्ट्रीय मूल्यों को नुकसान नहीं पहुँचता हैः

" 43 ..... संविधानवाद का सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण के एक नियंत्रण और संतुलन मॉडल की वकालत करता है; इसके लिए एक प्रसार की आवश्यकता होती है।

शक्तियों की, विभिन्न स्वतंत्र केंद्रों की आवश्यकता निर्णय लेना। न्यायपालिका की भूमिका सुरक्षा करना है।

मौलिक अधिकार। एक आधुनिक लोकतंत्र बहुसंख्यक शासन के दोहरे सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता पर आधारित है। लॉर्ड स्टेन के अनुसार, यह न्यायपालिका का काम है कि वह सिद्धांतों को संतुलित करे और यह सुनिश्चित करे कि सरकार संख्या के आधार पर काम करे।

यह मौलिक अधिकारों पर हावी नहीं होता है।

कानून का अधिकार किसी भी संस्थान के अधिकार पर एक निहित सीमा है।

pid, पृष्ठों पर *128-129 2007) 2* एससीसी *1*

. टी. बागान *(*पी*)* लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य, *(2011) 9* एस. सी. सी. *1* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2018] 8 एस सी आर।

331. अदालतों के अंतरिम आदेश न्यायिक समीक्षा का एक अभिन्न अंग हैं। किसी मामले में प्रथम दृष्टया निष्कर्षों के आधार पर जारी किए गए अंतरिम निर्देश तब तक की अस्थायी व्यवस्था हैं जब तक कि मामले का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता।

अंतरिम आदेश यह सुनिश्चित करते हैं कि जो कारण उत्तेजित किया जा रहा है वह अंतिम सुनवाई से पहले निष्फल न हो। *592* न्यायपालिका की शक्ति समीक्षा केवल उच्च न्यायालयों द्वारा जारी रिट या सरकारी कार्रवाई को रद्द करने के बारे में नहीं है। न्यायिक समीक्षा का जिम्मा सौंपा गया है

यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य कि न्यायिक आदेशों का पालन किया जा रहा है। जब तक आदेशों को लागू नहीं किया जाता है, तब तक नागरिक न्यायिक समीक्षा की प्रभावशीलता और कानूनी प्रणाली में विश्वास खो देंगे।

यह उपरोक्त संवैधानिक स्थिति की पृष्ठभूमि में है कि इस न्यायालय को इस तर्क पर विचार करना चाहिए कि वर्तमान विवाद के निर्णय के दौरान इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों का पालन नहीं किया गया था। इस न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेशों के माध्यम से आधार के अनिवार्य उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर लगातार जोर दिया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अंतरिम आदेशों का उल्लंघन किया गया है और कई अवमानना याचिकाएं लंबित हैं।

इस न्यायालय के समक्ष।

332. आधार अधिनियम के अधिनियमन से पहले, इस योजना को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। *23* सितंबर के अपने अंतरिम आदेश द्वारा

201359 4, दो न्यायाधीशों की पीठ ने निर्देश दिया:

"सभी मामलों की सुनवाई अंततः होनी चाहिए। सभी मामलों की सूची बनाएँ

इस बीच, किसी भी व्यक्ति को आधार कार्ड नहीं मिलने के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, इस तथ्य के बावजूद कि किसी प्राधिकरण ने इसे अनिवार्य बनाने के लिए एक परिपत्र जारी किया था और जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है, तो यह जांचा जा सकता है कि क्या वह व्यक्ति इसके लिए पात्र है।
कानून और यह किसी भी अवैध अप्रवासी को नहीं दिया जाना चाहिए।

(sic)

इसके बाद *26* नवंबर *2013* का एक आदेश आया जिसमें पहले के आदेश को जारी रखा गया थाः
592 असम राज्य बनाम। बराक उपात्यक डीयू कर्मचारी संस्था, *(2009) 5* एस. सी. सी. *694 593* अवमानना याचिका *(*सिविल*)* सं. डब्ल्यू. पी. *(*सी*)* सं. *144/2014* में। अवमानना याचिका *(*सिविल*)* सं. *WP (C)* सं. *829/2013* में *674/2014*। अवमानना याचिका *(*सिविल*)*

डब्ल्यू. पी. *(*सी*)* संख्या में नहीं *444/2016.494/2012*

594 अंतरिम आदेश डब्ल्यू. पी. *(2012* का सिविल नंबर *494)* में था।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

वकील।
इस बीच जारी रखने का अंतरिम आदेश "।

एक अन्य याचिका, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो *595* पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने *24* मार्च *2014* को एक अंतरिम आदेश में निर्देश दियाः

अपने प्रपत्रों/परिपत्रों/पसंदों को संशोधित करने का निर्देश दिया ताकि आधार संख्या की आवश्यकता न पड़े
इस न्यायालय द्वारा तुरंत पारित अंतरिम आदेश की आवश्यकता. टैग करें और मामले को मुख्य मामले यानी डब्ल्यू. पी. *(*सी*) No.494/2012* के साथ सूचीबद्ध करें।

16 मार्च *2015* को, *2012* के डब्ल्यू. पी. *(*सिविल*) 494* पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने *23* सितंबर *2013* के अपने पहले के आदेश के उल्लंघन को नोट किया और इस प्रकार निर्देश दियाः

"मामलों की सुनवाई के लिए काफी समय की आवश्यकता होती है। में

इस बीच, यह हमारे ध्यान में लाया जाता है कि निश्चित रूप से

आधार पहचान पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा जोर दिया जा रहा है। हम विशिष्ट उदाहरणों में जाने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। चूंकि भारत संघ का प्रतिनिधित्व विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा किया जाता है और सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व किया जाता है

हम अपने संबंधित वकील के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि भारत संघ और राज्यों और उनके सभी अधिकारियों दोनों को *23* तारीख को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करना चाहिए।

सितंबर, *2013* "।

11 अगस्त *2015* के एक आदेश द्वारा, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस मुद्दे को संदर्भित किया कि क्या निजता न्यायाधीशों की एक बड़ी संख्या वाली पीठ का मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित अंतरिम निर्देश जारी किए गए थेः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"इस मामले पर विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि ब्याज संतुलन तब तक सबसे अच्छा रहेगा, जब तक कि भारत संघ या यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा मामले पर एक बड़ी पीठ द्वारा अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है। निम्नलिखित तरीके से आगे बढ़ेंः

1. भारत संघ रेडियो और टेलीविजन नेटवर्क सहित इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में व्यापक प्रचार करेगा कि यह है

किसी नागरिक के लिए आधार कार्ड प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। *2.* आधार कार्ड दिखाने की कोई शर्त नहीं होगी -

किसी नागरिक को अन्यथा देय कोई भी लाभ प्राप्त करना;

3. विशिष्ट पहचान संख्या या आधार कार्ड होगा

खाद्यान्न आदि और खाना पकाने का ईंधन, जैसे मिट्टी का तेल। आधार कार्ड का उपयोग एलपीजी वितरण योजना के उद्देश्य के लिए भी किया जा सकता हैः *4.* आधार कार्ड जारी करते समय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी

जैसा कि किसी न्यायालय द्वारा आपराधिक उद्देश्य के लिए निर्देशित किया जा सकता है जाँच "।

अक्टूबर *2015* में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने दिनांक *11* अगस्त *2015* को आंशिक रूप से संशोधित किया, इस प्रकारः

"*3 .....* हमारा विचार है कि दिनांक *1* के आदेश के अनुच्छेद *3* में, यदि हम अन्य दो योजनाओं, अर्थात् पी. डी. एस. योजना और एल. पी. जी. वितरण योजना के अलावा, योजनाओं को जोड़ते हैं, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की तरह

योजना *(*मनरेगा*)*, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम *(*वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगता पेंशन*)*, प्रधानमंत्री जन धन योजना *(*पीएमजेडीवाई*)* और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन *(*ईपीएफओ*)* वर्तमान में इस न्यायालय द्वारा पारित पहले के आदेश को कमजोर नहीं करेंगे। इसलिए, अब हम उपरोक्त योजनाओं को अन्य

दो योजनाओं के अलावा शामिल करते हैं जिन्हें इस न्यायालय ने अपने पूर्व आदेश दिनांक *11.08.2015* में अनुमति दी है।

4. हम भारत संघ से आग्रह करते हैं कि वह इस न्यायालय द्वारा पारित पहले के सभी आदेशों का सख्ती से पालन करेगा।

23.09.2013 .

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

5. हम यह भी स्पष्ट करेंगे कि आधार कार्ड योजना विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक है और इसे तब तक अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता जब तक कि मामला न हो।

अंततः इस न्यायालय द्वारा किसी न किसी तरह से निर्णय लिया जाता है।

आधार अधिनियम लागू होने के बाद अखिल बंगाल अल्पसंख्यक छात्र परिषद बनाम भारत संघ *5 9 6* में भारत सरकार के अवर सचिव द्वारा सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों को लिखे गए एक पत्र को चुनौती दी गई थी, जिसके द्वारा एक योजना के तहत लाभ का दावा करने के लिए आधार जमा करने की आवश्यकता को अनिवार्य कर दिया गया था। *14* सितंबर *2016* के एक आदेश द्वारा, दो न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नानुसार निर्देश दियाः

"..... हम दिनांकित पत्रों के संचालन और कार्यान्वयन पर रोक लगाते हैं

14.07.2006 (अर्थात अनुलग्नक पी-*5*, पी-*6* और पी-*7)* प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और योग्यता के लिए

सह-साधन छात्रवृत्ति योजना ने जिस हद तक आधार जमा करना अनिवार्य कर दिया है और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी उत्तरदाता संख्या *2* को निर्देश दिया है कि वे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर छात्र पंजीकरण फॉर्म के लिए अनिवार्य शर्त के रूप में आधार संख्या को हटा दें। //छात्रवृत्ति। गव. में /
नया छात्र शासन और मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति योजना और योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति योजना के लिए दिनांकित विज्ञापन के 'महत्वपूर्ण निर्देशों' के खंड *(*सी*)* के कार्यान्वयन पर रोक लगाएँ।

इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान।

यह प्रस्तुत किया गया है कि आधार के आवेदन को अनिवार्य बनाने वाली अधिसूचनाएं और परिपत्र इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के विपरीत हैं। यह तर्क दिया गया है कि उत्तरदाताओं ने सुशासन के सबसे प्राथमिक मानदंडों का उल्लंघन किया है और

न्यायिक आदेशों का अनादर किया। इस विवाद पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।
333. विधायिका केवल यह घोषणा नहीं कर सकती कि अदालत का निर्णय अमान्य है या यह रद्द कर दिया गया है। कल्पना मेहता में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने निर्णय दियाः

"255 ..... यदि विधायिका को ऐसा करने की अनुमति दी जाती है, तो यह संवैधानिक हस्तांतरण की सीमाओं से परे जाएगी। जबकि शक्तियों का पृथक्करण विधायिका को केवल एक जारी करने से रोकता है

596 डब्ल्यूपी *(*सिविल*)* सं. *686/2016 [2018] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह घोषणा करते हुए कि कोई निर्णय गलत या अमान्य है, कानून बनाने वाला निकाय एक ऐसा कानून बनाने का हकदार है जो अदालत द्वारा बताए गए दोषों को दूर करता है। एक कानून का अधिनियमन जो निर्णय के आधार को छीन लेता है *(*केवल इसे अमान्य करने के विपरीत*)* अनुमेय है और इसका उल्लंघन नहीं है

अलगाव सिद्धांत। वास्तव में यही वह आधार है जिसके आधार पर मान्यता दी जाती है

कानून बनाने की अनुमति है "। *597*

यदि इस न्यायालय के अंतिम निर्णय या आदेश को संसद के अधिनियम द्वारा पूर्ववत करने की मांग की जाती है, तो यह अनिवार्य है कि न्यायालय के निर्णय आदेश के आधार को हटा दिया जाए। यह भुवनेश्वर में इस न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया है।

जीएच बनाम भारत संघ *5 9 8.*

"11. समय-समय पर इस बात पर विवाद उत्पन्न हुआ है कि क्या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णयों के प्रभाव को कानून में संशोधन करके मिटा दिया जा सकता है।

पूर्वव्यापी प्रभाव। ऐसे कई संशोधन अधिनियमों को कहा जाता है
अधिनियमों को मान्य करना, कानून में उस दोष को पूर्वव्यापी रूप से हटाकर विशेष अधिनियमों के तहत की गई कार्रवाई को मान्य करना जिसके कारण कानून या उसके हिस्से को अधिकार से बाहर घोषित किया गया था। इस न्यायालय द्वारा इस तरह की कवायद को न्यायालयों की न्यायिक शक्ति का अतिक्रमण नहीं माना गया है। द.

निर्णयों या आदेशों को अप्रभावी बनाने का अभ्यास

द्वारा आधार को बदलकर सक्षम न्यायालयों का

विधान, विधान को मान्य करने का एक सर्वविदित साधन है। इस न्यायालय ने बार-बार कहा है कि इस तरह के मान्य करने वाले कानून जो अयोग्यता के कारण को हटा देते हैं, उन्हें न्यायिक शक्ति पर अतिक्रमण नहीं माना जा सकता है। साथ ही, किसी भी अधिनियम के तहत शक्ति के प्रयोग में कोई भी कार्रवाई जो

अदालत द्वारा अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता है

केवल ऐसा कहकर एक वैध अधिनियम द्वारा मान्य जब तक कि
अदालत द्वारा इंगित किए गए दोष को हटा दिया गया है

पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ। मान्यता देने वाला कानून होना चाहिए

अयोग्यता के कारण को हटा दें। इस तरह के दोष या कमी तक

एक कानून के तहत अदालत द्वारा इंगित प्राधिकरण है

पश्चातवर्ती अधिनियम द्वारा पूर्वव्यापी के साथ हटा दिया गया

प्रभाव से, न्यायालय के निर्णय की बाध्यकारी प्रकृति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। *59 9 (*जोर दिया गया*)*

इबिद, पृष्ठ *126* पर *(1994) 6* एससीसी *77*

पृष्ठों *83-84* जस्टिस के. एस. पुटास्वामी *(RETD) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

जब *25* मार्च *2016* को आधार अधिनियम अधिसूचित किया गया था, तो इस अदालत द्वारा जारी अंतरिम निर्देश लागू थे। क्या यह तब सरकार के लिए प्रशासनिक अधिसूचनाओं की एक आभासी श्रृंखला पर शुरू करने के लिए खुला था आधार को जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव अस्तित्व के लगभग हर पहलू की अनिवार्य आवश्यकता बनाना*?*

केंद्र सरकार ने इस अदालत के समक्ष जो रुख अपनाया है, वह केवल यह है: इस अदालत द्वारा अंतरिम निर्देश तब जारी किए गए थे जब आधार परियोजना कार्यकारी निर्देशों द्वारा शासित थी। संसद द्वारा एक बार कानून बनाए जाने के बाद, सरकार को प्रशासनिक निर्देश जारी करने में सक्षम बनाने के लिए एक वैधानिक प्राधिकरण अस्तित्व में लाया गया था। इसलिए, कानून के अधिनियमन पर अंतरिम आदेशों का अनुपालन वर्जित है। *334.* सरकार के इस बचाव की जांच दो स्तरों पर की जा सकती है-पहला वैधानिक व्याख्या के मामले के रूप में और दूसरा, एक व्यापक आधार पर जो इस न्यायालय की न्यायिक शक्ति को संलग्न करता है। वैधानिक व्याख्या के मामले में, आधार अधिनियम ने, जैसा कि वह नहीं कर सकता था, केवल इस अदालत के अंतरिम आदेशों को रद्द नहीं किया। धारा *59* में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अदालत के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद इसे ओवरराइडिंग प्रभाव देता हो। अंतरिम आदेशों का स्थान नहीं लिया जाता है विशुद्ध रूप से वैधानिक व्याख्या के मामले के रूप में इस मुद्दे पर पहुँचने के अलावा, व्यापक चिंताएं हैं जो अधिकारियों द्वारा अंतरिम निर्देशों की उपेक्षा करते हुए आगे बढ़ने के तरीके से उत्पन्न होती हैं। इस अदालत द्वारा अंतरिम निर्देश ऐसी स्थिति में जारी किए गए थे जब याचिकाओं के एक समूह में एक संवैधानिक चुनौती को इस आधार पर संबोधित किया गया था कि आधार परियोजना निजता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों के लिए अपमानजनक थी। चुनौती की प्रकृति इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसे शुरू में एक संविधान पीठ और उसके बाद, इस न्यायालय के नौ न्यायाधीशों की पीठ को इस सवाल का समाधान करने के लिए भेजा गया था कि क्या गोपनीयता एक संरक्षित मौलिक अधिकार है। बायोमेट्रिक डेटा का संग्रह और भंडारण और प्रमाणीकरण के उद्देश्य से इसका उपयोग एक संवैधानिक चुनौती का विषय है। चुनौती की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और मामले में उत्पन्न हुए गंभीर मुद्दों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय की क्रमिक पीठों ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। उन निर्देशों का उद्देश्य यह है कि अदालत द्वारा सूचीबद्ध निर्दिष्ट योजनाओं को छोड़कर आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता था। इसके अलावा, वित्तीय बहिष्कार की गंभीर शिकायत के संदर्भ में, अदालत ने निर्देश दिया कि किसी भी व्यक्ति को आधार शीर्ष

अदालत की रिपोर्ट के अभाव में खाद्यान्न जैसे कल्याणकारी अधिकारों की प्राप्ति से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए।

संख्या। संवैधानिक चुनौती को केवल इस पर समाप्त नहीं किया गया था

आधार अधिनियम को लागू करना। कानून ने एक ऐसी परियोजना को एक वैधानिक चरित्र दिया जो *2009* से प्रशासनिक या कार्यकारी प्रकृति की थी। बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह में अंतर्निहित कुछ बुनियादी विशेषताओं के लिए संवैधानिक चुनौती का अभी भी समाधान किया जाना बाकी है

निर्माण कानून में गलत है, यह सुनिश्चित करना इस न्यायालय का मौलिक कर्तव्य है कि उसके आदेशों का तिरस्कार न किया जाए। अगर हम सरकार द्वारा अपने स्वयं के निर्देशों का सख्ती से पालन नहीं करते हैं, तो यह सर्वोच्च न्यायालय की संस्थागत स्थिति के लिए घातक साबित होगा। यदि सरकारें अपनी इच्छानुसार न्यायिक निर्देशों की अवहेलना करने के लिए स्वतंत्र थीं, तो क्या नागरिकों पर एक अलग पैमाना लागू किया जा सकता था? न्यायिक आदेशों का पालन करने का दायित्व हमारी राजनीति के लिए सार्वभौमिक है और इसमें कोई अपवाद नहीं है। हमारे अंतरिम आदेशों की बेशर्मी से अवहेलना का सामना करते हुए, मेरा मानना है कि हमारे पास दृढ़ रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। *335.* एक स्वतंत्र न्यायपालिका को प्रदत्त न्यायिक समीक्षा की शक्ति के लिए आवश्यक है कि राज्य के अन्य अंग एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* के अधिकार का सम्मान करें।

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

. पी. संबमूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य *600* में यह न्यायालय, कानून के शासन में न्यायिक समीक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है।

ई, इस प्रकार आयोजित किया गयाः

"4 ..... यह विधि के शासन का एक मूल सिद्धांत है कि कार्यपालिका या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा शक्ति का प्रयोग न केवल संविधान द्वारा सशर्त होना चाहिए, बल्कि कानून के अनुसार भी होना चाहिए और न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की जाती है कि कानून का पालन किया जाए और कार्यपालिका और अन्य प्राधिकरणों की ओर से कानून की आवश्यकता का पालन किया जाए। इसकी शक्ति के माध्यम से

न्यायिक समीक्षा उच्च न्यायालय जैसे स्वतंत्र संस्थागत प्राधिकरण को प्रदान की जाती है कि कानून का शासन बनाए रखा जाता है और राज्य के प्रत्येक अंग को कानून की सीमाओं के भीतर रखा जाता है।

अब अगर न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है

राज्य सरकार द्वारा ओवरराइड करके शून्य पर सेट किया गया

इसके खिलाफ दिया गया निर्णय, कानून के शासन की मौत की घंटी की तरह लगेगा। कानून का शासन समाप्त हो जाएगा

जिसका अर्थ है, क्योंकि तब यह राज्य के लिए खुला रहेगा

सरकार कानून की अवहेलना करती है और फिर भी इससे बच जाती है। *601*

(जोर दिया गया*)*

336. दो न्यायाधीशों की एक पीठः अरुंधति रॉय *602* ने कहा कि अदालतों को कानून के शासन की रक्षा करने के लिए, यह आवश्यक है कि अदालतों की गरिमा का सम्मान और रक्षा की जाए। यह था।

" 'कानून का शासन' किसी भी सभ्य लोकतांत्रिक नीति के शासन का मूल नियम है। हमारी संवैधानिक योजना कानून के शासन की अवधारणा पर आधारित है जिसे हमने अपनाया है और खुद को दिया है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या सामूहिक रूप से, निर्विवाद रूप से कानून की सर्वोच्चता के अधीन है। व्यक्ति चाहे जो भी हो, चाहे वह कितना भी ऊँचा हो, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, भले ही वह कितना भी शक्तिशाली और कितना भी अमीर हो। कानून के शासन की स्थापना प्राप्त करने के लिए,

संविधान ने देश में न्यायपालिका को विशेष कार्य सौंपा है। यह केवल अदालतों के माध्यम से है कि

987) 1 एस. सी. सी. *362*

घ, पृष्ठ *369* पर

कानून अपनी सामग्री को उजागर करता है और अपनी अवधारणा को स्थापित करता है। के लिए न्यायपालिका को अपने कर्तव्यों और कार्यों को प्रभावी ढंग से और उस भावना के अनुसार करने के लिए, जिसके साथ उसे पवित्र रूप से सौंपा गया है, न्यायालयों की गरिमा और अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए।

और हर कीमत पर संरक्षित। *603 (* जोर दिया गया*)*

कानून के शासन के एक घटक के रूप में शक्ति की जवाबदेही के लिए आवश्यक है कि राज्य के किसी भी अंग और उसके एजेंटों में निहित शक्ति का उपयोग केवल संवैधानिक मूल्यों और दृष्टि को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। *604* सरकारी प्राधिकार का प्रयोग केवल लिखित कानूनों के अनुसार किया जा सकता है जो

एक स्थापित प्रक्रिया के बावजूद अपनाया जाता है। विधायिका या कार्यपालिका की कोई भी कार्रवाई स्थापित सिद्धांतों के अलावा अदालतों के अधिकार को कम नहीं कर सकती है। अदालती आदेशों का अनादर करने से अदालतों की गरिमा को नुकसान पहुंचता है।

337. संवैधानिक नैतिकता के लिए आवश्यक है कि सरकार इस तरह से कार्य न करे जो कानून के शासन का उल्लंघन हो। *605* संवैधानिक नैतिकता के लिए आवश्यक है कि इस न्यायालय के आदेशों का ईमानदारी से पालन किया जाए। यह न्यायालय संविधान का अंतिम संरक्षक है। संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं को इस न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है। संवैधानिक नैतिकता

यह आवश्यक है कि देश की संवैधानिक अदालतों में नागरिकों का विश्वास बना रहे। न्यायालयों के अस्तित्व का महत्व

हार्पर ली के क्लासिक "टू किल ए मॉकिंगबर्ड" में नागरिकों की आँखों पर प्रकाश डाला गया है:

"लेकिन इस देश में एक तरीका है जिसमें सभी पुरुषों को समान बनाया जाता है-एक मानव संस्थान है जो एक गरीब को रॉकफेलर के बराबर, मूर्ख व्यक्ति को आइंस्टीन के बराबर और अज्ञानी व्यक्ति को किसी भी कॉलेज के अध्यक्ष के बराबर बनाता है। सज्जनों, वह संस्था एक अदालत है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय या देश का सबसे विनम्र जे. पी. न्यायालय हो सकता है। या यह सम्मानित अदालत जिसकी आप सेवा करते हैं। हमारी अदालतों में भी अपनी खामियां हैं, जैसा कि कोई भी मानव संस्थान करता है, लेकिन इस देश में हमारी अदालतें महान स्तर वाली हैं, और हमारे अदालतों में सभी पुरुष बनाए गए हैं।

बराबर "। *(*जोर दिया गया*)*

कई नागरिक, हालांकि पीड़ित हैं, पहुँचने की स्थिति में नहीं हैं

603 इबिद, पृष्ठ *346* पर *604* नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, *(2011) 7* एस. सी. सी. *547* *605* मनोज नरूला बनाम भारत संघ, *(2014) 9* एस. सी. सी. *1* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम।

भारत का संघ

*[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

इस न्यायालय तक पहुँचने के लिए जागरूकता। उनकी शिकायतों का समाधान नहीं किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को बिना किसी उपचार के हर दिन चोट लगती है। इस न्यायालय और उसके संस्थागत प्राधिकरण के अंतरिम आदेशों की अवज्ञा, वर्तमान मामले ने सामाजिक प्रभाव डाला है। इसके परिणामस्वरूप भी इनकार किया गया है

एक आम नागरिक के अस्तित्व के लिए आवश्यक सब्सिडी और अन्य लाभ। इसलिए इन मनमाने कृत्यों के वैध जवाब के रूप में संवैधानिक नैतिकता को लागू करने की आवश्यकता है। इस न्यायालय के अंतरिम आदेशों का पालन न करना संवैधानिक नैतिकता के विपरीत है। संवैधानिक नैतिकता, कानून के शासन के एक अनिवार्य घटक के रूप में, कार्यपालिका द्वारा शक्ति की ज्यादतियों को बेअसर करना चाहिए। इस अदालत के अंतरिम आदेश के बावजूद आधार को अनिवार्य बनाने के लिए जिस निर्लज्ज तरीके से अधिसूचना जारी की गई है, वह गंभीर चिंता का विषय है। उच्चतम न्यायालय के संस्थागत अधिकार की रक्षा करना उन मूल्यों का अभिन्न अंग है जिन्हें संविधान अपनाता है। एक सीमित सरकार के अभिधारणा को नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने और सरकार को उसके उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका द्वारा लागू किया जाता है। इस न्यायालय का अधिकार शक्ति के अच्छे संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जिस पर लोकतंत्र पनपता है और जीवित रहता है। न्यायालय के आदेश अनुशंसा करने वाले नहीं हैं-वे संविधान के

बाध्यकारी निर्देश हैं। न्यायनिर्णायक। इस न्यायालय की संस्थागत प्रतिष्ठा को कमजोर करना केवल एक अरब से अधिक नागरिकों की स्वतंत्रता को खतरे में डालने की कीमत पर हो सकता है, जिसकी न्यायिक समीक्षा रक्षा करना चाहती है।

जितना कि जनता के विश्वास में। संयुक्त रूप से वे न्यायालय को नैतिक और संस्थागत अधिकार प्रदान करते हैं। वैधता और कर्तव्य की उस भावना ने मुझे एक बार फिर लिखित संविधान और कानून के शासन के मानदंडों पर जोर देने की आवश्यकता है। इस निर्णय ने एक बहुत व्यापक अभिधारणा ली है। आधार अधिनियम के पारित होने से पहले इसे धन विधेयक नहीं मानने के कारण, मैंने दो लोगों के लिए संवैधानिक चुनौती के गुणों पर गौर किया है कारणः

आई. दोनों द्वारा गुणों पर काफी विस्तार से तर्क दिया गया है

याचिकाकर्ताओं और भारत संघ; और

ii. इस दृष्टिकोण के एक तार्किक परिणाम के रूप में कि आधार

कानून एक धन विधेयक नहीं है, यह सरकार के लिए नए कानून को फिर से पेश करने के लिए खुला होगा। इसलिए डेटा संरक्षण और सूचनात्मक गोपनीयता के अधिकार को विनियमित करने वाले कानून को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को चित्रित किया गया है।

एल निष्कर्ष

339. वर्तमान विवाद के लिए इस न्यायालय को विश्लेषण करने की आवश्यकता है

आधार अधिनियम और विनियमों के प्रावधान, संविधान के चश्मे और इस न्यायालय के उदाहरणों के माध्यम से उस ढांचे के साथ जो अधिनियम के अधिनियमन से पहले मौजूद था। मेरे निष्कर्ष नीचे दिए गए हैंः

(1) इस चुनौती से निपटने के लिए कि आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पारित नहीं किया जाना चाहिए था, इस न्यायालय को यह निर्णय लेने की आवश्यकता थी कि क्या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है। निर्णय ने संविधान के अनुच्छेद *110 (3)* के इतिहास को देखते हुए, अध्यक्ष के निर्णय को अंतिम रूप देने वाली तुलनात्मक संवैधानिक प्रथाओं के साथ इसकी तुलना करके, अन्य संवैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण करके जो वाक्यांश "अंतिम होगा" का उपयोग करते हैं, और अनुच्छेद के तहत संसदीय कार्यवाही को दिए गए संरक्षण की जांच करके, अध्यक्ष के निर्णय के लिए जिम्मेदार अंतिमता के दायरे का विश्लेषण किया है।

122. इस फैसले में कहा गया हैः

(क) अनुच्छेद *110 (3)* के तहत उपयोग किए गए वाक्यांश "अंतिम होगा" का उद्देश्य इस मुद्दे पर किसी भी विवाद से बचना है कि क्या

विधेयक राज्य सभा के संबंध में और राष्ट्रपति के समक्ष एक धन विधेयक है। अनुच्छेद *110 (3)* में उपयोग की गई भाषा अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा को बाहर नहीं करती है।

यह अनुच्छेद *199 (3)* पर भी लागू होता है।

(ख) अनुच्छेद *122* के तहत संसदीय कार्यवाही को प्रदान की गई न्यायिक समीक्षा से प्रतिरक्षा "प्रक्रिया की अनियमितता" से जुड़े उदाहरणों तक सीमित है। इस न्यायालय के निर्णय

विशेष संदर्भ में, रामदास अठावले और राजा राम पाल का मानना है कि संसद या राज्य विधानमंडल में कार्यवाही की वैधता न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकती है जब कोई ठोस अवैधता या संवैधानिक उल्लंघन होता है। इन निर्णयों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है, यदि यह समस्या से ग्रस्त है।

अवैधता या संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन से।

(ग) अनुच्छेद *255* का अध्यक्ष के इस निर्णय से कोई संबंध नहीं है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।

तीन न्यायाधीशों की पीठ एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुटसवामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

मोहम्मद सईद सिद्दीकी के फैसले की गलत व्याख्या की गई

मैंगलोर बीडी में अनुच्छेद *212* को लागू करने का निर्णय

(या अनुच्छेद *122)* और *255 (*अनुच्छेद *199* या *110* के तहत*)* अध्यक्ष के आचरण पर सवाल उठाने से बचना। द. योगेंद्र कुमार मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का पालन किया गया

मोहम्मद सईद सिद्दीकी। कानून की सही स्थिति यह है कि अनुच्छेद *110 (3)* और *199 (3)* के तहत अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है। मोहम्मद में निर्णय

सईद सिद्दीकी और योगेंद्र कुमार उसी के अनुरूप हैं।
खारिज कर दिया।

((घ) राज्य सभा का अस्तित्व और उसकी भूमिका

भारतीय संसद में संघीय द्विसदनीयता की संस्था, संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने के लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय का राज्यसभा की भूमिका पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि धन विधेयक को पारित करने में राज्यसभा की भूमिका सीमित होती है। लोक सभा अध्यक्ष का निर्णय

सभा द्वारा एक साधारण विधेयक को धन विधेयक घोषित करने से राज्यसभा की भूमिका सीमित हो जाती है। अध्यक्ष की शक्ति

संवैधानिक मानदंडों और मूल्यों के उल्लंघन में मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह संघीय द्विसदनीयता के सार को नुकसान पहुंचाता है, जो संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है। इसलिए संविधान के मूल ढांचे की रक्षा के लिए अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा आवश्यक है कि क्या कोई विधेयक धन विधेयक है।

धन विधेयक को प्रमाणित करने के लिए, एक विधेयक में "केवल प्रावधान" होने चाहिए।

उप में निर्धारित प्रत्येक या किसी एक मामले से निपटना

अनुच्छेद *110 (1)* के खंड *(ए)* से *(जी)*। एक विधेयक, जिसमें दोनों प्रावधान हैं जो अनुच्छेद *110 (1)* के उपखंड *(ए)* से *(जी)* के भीतर आते हैं।

और जो प्रावधान उनके दायरे से बाहर हैं, वे योग्य नहीं होंगे

एक धन विधेयक बनें। इस प्रकार, जब एक विधेयक जिसे धन विधेयक के रूप में पारित किया गया है, उसके कुछ प्रावधान हैं जो इसके दायरे से बाहर हैं - अनुच्छेद *110 (1)* के उपखंड *(ए)* से *(जी)* तक, इन प्रावधानों को अलग नहीं किया जा सकता है। यदि विधेयक धन विधेयक नहीं था, तो राज्य की भूमिका

किसी संवैधानिक संस्थान का अवमूल्यन नहीं किया जा सकता है न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित। लोकतंत्र जीवित रहता है जब

संवैधानिक संस्थान जीवंत हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 8 एस सी आर।

आधार अधिनियम एक विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त करने के लिए एक वैधानिक ढांचा बनाता है, जो "किसी भी" उद्देश्य के लिए उपयोग करने में सक्षम है, जिसमें लाभ, सब्सिडी और सेवाओं का लाभ उठाना, जिसके लिए भारत के समेकित कोष से खर्च किए जाते हैं, धारा *7* के तहत प्रदान किया गया केवल एक उद्देश्य है। अनुच्छेद *110 (1)* के खंड *(ई)* में यह अपेक्षा की गई है कि एक धन विधेयक को किसी भी व्यय को भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय घोषित करने *(*या धन की राशि बढ़ाने*)* से संबंधित होना चाहिए।

व्यय*)*। धारा *7* इस आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहती है। धारा *7* संचित निधि पर किए गए व्यय को शुल्क घोषित नहीं करती है। इसमें केवल यह प्रावधान है कि ऐसी सेवाओं, लाभों या सब्सिडी के मामले में, उनका लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य बनाया जा सकता है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा *7* के अलावा अन्य प्रावधान आधार से संबंधित कई पहलुओं से संबंधित हैं।

संख्याएँ: जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर नामांकन, आधार संख्या का निर्माण, व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने से पहले व्यक्तियों की सहमति प्राप्त करना।

जानकारी, प्रक्रिया को लागू करने और पर्यवेक्षण के लिए एक वैधानिक प्राधिकरण का निर्माण, प्रक्रिया के दौरान एकत्र की गई जानकारी की सुरक्षा, कुछ परिस्थितियों में जानकारी का प्रकटीकरण, प्रकटीकरण या जानकारी के नुकसान के लिए अपराध और दंड का सृजन, और "किसी भी उद्देश्य" के लिए आधार संख्या का उपयोग। आधार अधिनियम के ये सभी प्रावधान झूठ नहीं बोलते हैं

अनुच्छेद *110 (1)* के उपखंड *(ए)* से *(जी)* के दायरे में। इसलिए, वैकल्पिक में, भले ही यह माना जाता है कि धारा *7* का संबंध है

भारत की संचित निधि से किया गया व्यय, अधिनियम के अन्य प्रावधान अनुच्छेद *110 (1)* के दायरे में आने में विफल रहते हैं। इस प्रकार, आधार अधिनियम को आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहने के लिए असंवैधानिक घोषित किया जाता है।

अनुच्छेद *110 (1)* के तहत धन विधेयक के रूप में प्रमाणित।

यह तर्क कि आधार अधिनियम एक धन विधेयक है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की संचित निधि से निकलने वाली सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का वितरण करना है।

भारत और यह कि अन्य प्रावधान अधिनियम के मुख्य उद्देश्य के सहायक हैं, इसका भी कोई आधार नहीं है, क्योंकि पीठ और सार का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि क्या विधायिका के पास संविधान की सातवीं अनुसूची की तीन सूचियों में से किसी के संबंध में कानून बनाने की क्षमता है। इस सिद्धांत को यह घोषित करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है कि क्या कोई विधेयक एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v* को संतुष्ट करता है।

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

संविधान के अनुच्छेद *110* में निर्धारित आवश्यकताओं को धन विधेयक प्रमाणित किया जाना है। भारत संघ का तर्क इस बात से चूक जाता है कि किसी विधेयक को "केवल" धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जा सकता है यदि वह खंड *(ए)* में निहित सभी या किसी भी मामले से संबंधित हो।

(छ) अनुच्छेद *110 (1)*।

यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि आधार अधिनियम असंवैधानिक है क्योंकि इसे धन विधेयक के रूप में पारित किया गया है, इस निर्णय ने कानून के साथ-साथ कानून के अधिनियमन से पहले परियोजना के ढांचे के लिए अन्य संवैधानिक चुनौतियों के गुणों का भी विश्लेषण किया है।

आधार अधिनियम की संरचना निवासियों के लिए उनकी जनसांख्यिकी और पहचान के आधार पर एक अनूठी पहचान बनाने का प्रयास करती है।

बायोमेट्रिक जानकारी। यह अधिनियम पहचान की एक प्रक्रिया स्थापित करता है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को सौंपी गई विशिष्ट पहचान को उस व्यक्ति से संबंधित जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी के साथ सत्यापित किया जाता है जो डेटा के केंद्रीकृत भंडार में संग्रहीत होती है।

सामाजिक कल्याण योजनाओं और कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए लाभार्थियों की पहचान अभिन्न और आवश्यक है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य के प्रयासों का एक हिस्सा हैं कि इसके नागरिकों की बुनियादी मानव सुविधाओं तक पहुंच हो। यह निर्णय स्वीकार करता है कि भारत संघ का यह तर्क कि पहचान की एक प्रणाली को बनाए रखने में एक वैध राज्य का उद्देश्य है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य द्वारा प्रदान किए जाने वाले कल्याणकारी लाभ लाभार्थियों तक पहुँचें।

जो हकदार हैं, बिना डायवर्जन के।

एक बायोमेट्रिक प्रणाली विकसित करते समय संबोधित। पर्याप्त मानदंड बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह से लेकर प्रतिधारण तक प्रत्येक चरण के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। संग्रह के समय, व्यक्तियों को संग्रह प्रक्रिया, इच्छित उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

संग्रह का कारण, विशेष डेटा सेट का अनुरोध क्यों किया जाता है और जिनके पास उनके डेटा तक पहुंच होगी। इसके अतिरिक्त, प्रतिधारण अवधि उचित होनी चाहिए और व्यक्तियों को किसी भी समय अपने डेटा तक पहुँचने, सही करने और हटाने का अधिकार दिया जाना चाहिए, जो एक ऑप्ट-आउट विकल्प से परिचित प्रक्रिया है।

उसके प्रमाणीकरण रिकॉर्ड से संबंधित। आधार अधिनियम में स्पष्ट रूप से कोई परिभाषित विकल्प नहीं हैं जिन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यदि आधार संख्या धारक प्रमाणीकरण के दौरान पहचान की जानकारी जमा नहीं करना चाहते हैं, तो न ही नियम आधार संख्या के मामले में पालन की जाने वाली प्रक्रिया को निर्दिष्ट करते हैं।

धारक प्रमाणीकरण के लिए सहमति प्रदान नहीं करता है।

अधिनियम की धारा *29 (1)* और *(2)* सूचना के दो वर्गों *(*मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी और पहचान जानकारी*)* के बीच अंतर पैदा करती है, जो व्यक्तिगत पहचान के लिए अभिन्न हैं और जिन्हें समान सुरक्षा की आवश्यकता होती है। धारा *29 (4)* अति विस्तार से ग्रस्त है क्योंकि यह यू. आई. डी. ए. आई. को विनियमों द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किसी व्यक्ति की मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी को प्रकाशित करने, प्रदर्शित करने या पोस्ट करने की व्यापक विवेकाधीन शक्ति देता है।

धारा *2 (*जी*), (*जे*), (*के*)* और *(*टी*)* अति विस्तार से ग्रस्त हैं, क्योंकि इनसे जैविक विशेषताओं का एक आक्रामक संग्रह हो सकता है। ये

प्रावधान यू. आई. डी. ए. आई. को बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय जानकारी के दायरे को परिभाषित करने और इसे सशक्त बनाने के लिए विवेकाधीन शक्ति प्रदान करते हैं।

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* के समय पहले से ही एकत्र की गई जानकारी की प्रकृति का विस्तार करें।

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

नामांकन का, इस तरह के किसी भी अन्य संग्रह की सीमा तक

जैविक विशेषताएँ "जो इसे उपयुक्त मान सकती हैं।

बायोमेट्रिक जानकारी के मामले में किसी व्यक्ति को अपनी बायोमेट्रिक जानकारी को कैसे अद्यतन करना चाहिए, इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है।

सी. आई. डी. आर. में संग्रहीत डेटा के साथ बेमेल है। आधार अधिनियम की धारा *28 (5)* का प्रावधान, जो किसी व्यक्ति को बायोमेट्रिक जानकारी तक पहुंच की अनुमति नहीं देता है, जो उसकी विशिष्ट आईडी का मूल है, एक मौलिक सिद्धांत का उल्लंघन है कि किसी व्यक्ति के डेटा का स्वामित्व हर समय व्यक्ति के पास होना चाहिए। यू. आई. डी. ए. आई. को निवासियों की बायोमेट्रिक ताला हटाने के संबंध में व्यापक शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। आधार अधिनियम के अधिनियमन से पहले भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों के इस विश्लेषण के साथ-साथ आधार अधिनियम, *2016* के तहत प्रावधानों के विस्तृत विश्लेषण और इसके तहत बनाए गए सहायक विनियमों के साथ, इस निर्णय का निष्कर्ष है कि आधार कार्यक्रम सूचनात्मक गोपनीयता से संबंधित आवश्यक मानदंडों का उल्लंघन करता है।

निर्धारण और डेटा सुरक्षा।

अपने नागरिकों की गरिमा की रक्षा करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी जो आधार कार्यक्रम का मूल है, संभावित प्रकृति की है, जिससे प्रमाणीकरण विफल हो जाता है। इन प्रमाणीकरण विफलताओं के कारण अधिकारों और कानूनी अधिकारों से इनकार किया गया है। आधार परियोजना अपने ढांचे और डिजाइन में खामियों को दूर करने में विफल रही है, जिसके कारण पात्र लाभार्थियों को बाहर करने के गंभीर उदाहरण सामने आए हैं, जैसा कि भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण और शोध अध्ययनों सहित सरकारी रिकॉर्ड से आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है। गरिमा और व्यक्तियों के अधिकारों को एल्गोरिदम या संभावनाओं पर निर्भर नहीं किया जा सकता है।

संवैधानिक गारंटी परिवर्तनशीलता के अधीन नहीं हो सकती है। तकनीक से। नागरिकों के सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को बढ़ावा देने वाली किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना से उत्पन्न होने वाले लाभों से इनकार करना

मानव गरिमा का उल्लंघन और हमारे अधीन अस्वीकार्य

संवैधानिक योजना।

आधार योजना के परिणामस्वरूप मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का परीक्षण आनुपातिकता की कसौटी पर किया गया था। उत्तरदाताओं द्वारा अपनाए गए उपाय निम्नलिखित कारणों से आवश्यकता और आनुपातिकता की कसौटी को पूरा करने में विफल रहते हैं:

यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि ए. यू. ए. अपनी सुरक्षा के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त जानकारी संग्रहीत कर सकते हैं। प्रणाली। एएसए को एक विशिष्ट समय अवधि के लिए प्रमाणीकरण लेनदेन के लॉग को संग्रहीत करने की भी अनुमति दी गई है। इसमें है।

यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा स्वीकार किया गया है कि उसे ए. यू. ए. कोड, ए. एस. ए. कोड, अद्वितीय उपकरण कोड और प्रमाणीकरण के लिए उपयोग किया जाने वाला पंजीकृत उपकरण कोड मिलता है, और यू. आई. डी. ए. आई. को पता चल जाएगा कि प्रमाणीकरण किस उपकरण से और उसके माध्यम से किया गया था।

प्रमाणीकरण लेनदेन डेटा संग्रहीत करता है। यह व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त डेटा न्यूनतमकरण सिद्धांतों का उल्लंघन है जो आदेश दें कि डेटा संग्रहकर्ता और प्रोसेसर व्यक्तिगत को हटा दें

डेटा रिकॉर्ड करता है जब वह उद्देश्य पूरा होता है जिसके लिए इसे एकत्र किया गया है। इसके अलावा, लेन-देन के लिए मेटा-डेटारेलेट का उपयोग करके, प्रमाणीकरण के स्थान का आसानी से आईपी पते का उपयोग करके पता लगाया जा सकता है, जो व्यक्ति की गोपनीयता पर प्रभाव डालता है।

सत्यापन लॉग। आधार की संरचना आधार डेटाबेस के माध्यम से संभावित निगरानी गतिविधियों का खतरा पैदा करती है। सत्यापन लॉग में कोई भी रिसाव एक किसी व्यक्ति के बायोमेट्रिक डेटा के तीसरे पक्ष द्वारा अनधिकृत शोषण के लिए असुरक्षित होने का अतिरिक्त जोखिम।

यू. आई. डी. ए. आई. के पास डी-डुप्लिकेशन के लिए स्रोत कोड है। प्रौद्योगिकी जो कार्यक्रम के केंद्र में है। स्रोत कोड एक विदेशी निगम का है। यू. आई. डी. ए. आई. केवल एक लाइसेंसधारी है। आधार अधिनियम के अधिनियमन से पहले, व्यक्तिगत नागरिकों की सहमति के बिना, यू. आई. डी. ए. आई. ने एल-*1* आइडेंटिटी सॉल्यूशंस *(*वह विदेशी संस्था जो बायोमेट्रिक भंडारण के लिए स्रोत कोड प्रदान करती है*)* के साथ अनुबंध किया था ताकि उसे किसी भी निवासी ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* से संबंधित कोई भी व्यक्तिगत जानकारी प्रदान की जा सके।

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

भारत से। यह इस बुनियादी आवश्यकता के विपरीत है कि किसी व्यक्ति को अपनी रक्षा करने का अधिकार है।

व्यक्तिगत जानकारी पर नियंत्रण। *12* करोड़ नागरिकों के आंकड़ों की सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है और इसे केवल सामान्य अनुबंध के नियमों और शर्तों के अधीन नहीं किया जा सकता है। आधार अधिनियम के लागू होने से पहले समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे

यू. आई. डी. ए. आई. और पंजीयकों के बीच अनुबंध नहीं थे।

संविधान के अनुच्छेद *299* का दायरा, और इसलिए, पंजीकरण के लिए पंजीयकों द्वारा नियुक्त निजी संस्थाओं द्वारा किए गए कार्यों को शामिल नहीं करता है। चूंकि कोई गोपनीयता नहीं है

यू. आई. डी. ए. आई. और नामांकन एजेंसियों के बीच अनुबंध, प्रक्रिया में लगे निजी पक्षों की गतिविधियाँ

आधार अधिनियम के अधिनियमन से पहले नामांकन

कोई वैधानिक या कानूनी समर्थन नहीं।

आधार संरचना के तहत, यू. आई. डी. ए. आई. एकमात्र प्राधिकरण है जो सभी प्रशासनिक, न्यायिक कार्य करता है।

परियोजना के कार्यों की जांच और निगरानी करना। जबकि अधिनियम इन कार्यों को यू. आई. डी. ए. आई. को प्रदान करता है, यह स्थान नहीं देता है।

सुरक्षा के लिए यू. आई. डी. ए. आई. पर कोई भी संस्थागत जवाबदेही नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी का डेटाबेस। यू. आई. डी. ए. आई. यह सत्यापित करने के लिए कोई संस्थागत जिम्मेदारी भी नहीं लेता है कि क्या डेटा है या नहीं।

सी. आई. डी. आर. में दर्ज और संग्रहीत सही और प्रामाणिक है।

यह कार्य नामांकन एजेंसी को सौंपा गया है या

पंजीयक। सी. आई. डी. आर. में दर्ज किए जा रहे आंकड़ों का सत्यापन

यह एक अत्यधिक संवेदनशील कार्य है जिसके लिए यू. आई. डी. ए. आई. को

जिम्मेदारी ली है। आधार अधिनियम अधिनियम या विनियमों के प्रावधानों का पालन न करने के मामले में यू. आई. डी. ए. आई. और उसके कर्मियों के दायित्व पर भी चुप है।

अधिनियम की धारा *47* नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन करती है

उपचार। धारा *47 (1)* के तहत, एक अदालत केवल एक शिकायत पर अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान ले सकती है।

यू. आई. डी. ए. आई. या उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा बनाया गया। धारा *47* मनमाना है क्योंकि यह व्यक्तियों को उनके निजता के अधिकार के उल्लंघन के लिए प्रभावी उपचार प्राप्त करने के लिए एक तंत्र प्रदान करने में विफल रहती है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा *23 (2) (*ओं*)* के तहत यू. आई. डी. ए. आई. को एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

प्राधिकरण बनाना जो एक परियोजना का प्रशासन कर रहा है, *[2018] 8* एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

परियोजना से उत्पन्न होने वाली शिकायतों के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करने के लिए जिम्मेदार

ढांचा जो डेटा के लिए मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है संरक्षण के लिए, आधार अधिनियम अनुच्छेद *14* के तहत तर्कसंगतता के आधार पर एक चुनौती के खिलाफ एकजुट नहीं हो सकता है।

धारा *33 (2)* के तहत प्रदान किए गए निरीक्षण तंत्र के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कोई ठोस प्रावधान, जैसे कि डेटा न्यूनतम प्रदान करना, निर्धारित नहीं किया गया है, जो पहचान की जानकारी और प्रमाणीकरण के प्रकटीकरण की अनुमति देता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अभिलेख।

धारा *57* के तहत निजी संस्थाओं को आधार संख्या का उपयोग करने की अनुमति देने से बिना सहमति के व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा का व्यावसायिक दोहन होगा और व्यक्तिगत प्रोफाइलिंग भी हो सकती है। प्रोफाइलिंग का उपयोग भविष्य के विकल्पों और वरीयताओं के उद्भव की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है

व्यक्तियों। इन वरीयताओं का उपयोग भी किया जा सकता है

चुनावी कार्यालयों के लिए उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं के निर्णय लेने को प्रभावित करना। यह गोपनीयता संरक्षण मानदंडों के विपरीत है। डेटा का उपयोग अनुमोदित उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। विकास करते समय

आधार के परिमाण की एक पहचान प्रणाली, *1. 2* अरब नागरिकों के डेटा से संबंधित सुरक्षा संबंधी चिंताएं

संबोधित किया जाना चाहिए। इन मुद्दों को आधार अधिनियम द्वारा हल नहीं किया गया है। नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहने से, धारा *57* अनुच्छेद *14* और *21* का उल्लंघन करती है।

ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

धारा *57* व्यक्तियों के डेटा के वाणिज्यिक दोहन की अनुमति देने या उन्हें प्रभावित करने के लिए लागू होने के लिए अतिसंवेदनशील है। व्यवहार पैटर्न। धारा *57* संवैधानिक रूप से पारित नहीं हो सकती है। चूँकि यह स्पष्ट रूप से मनमाना है, इसलिए यह पीड़ित है

अति विस्तार और अनुच्छेद *14* का उल्लंघन करता है।

धारा *7* व्यापक होने के बाद से अति विस्तार से ग्रस्त है

'सेवाएँ' और 'लाभ' की परिभाषाएँ सक्षम बनाती हैं।

सरकार अपने लगभग हर पहलू को विनियमित करने के लिए

कार्य रेंगने के प्रकार के लिए कर्सर जो सूचनात्मक आत्मनिर्णय के अधिकार के साथ असंगत है। इसलिए धारा *7* मनमाना है और इस संबंध में अनुच्छेद *14* का उल्लंघन है। परिभाषित सेवाओं और लाभों को शामिल करना।

राज्य के वैध उद्देश्य को अनिवार्य के विपरीत कम घुसपैठ के उपायों को अपनाकर पूरा किया जा सकता है।

पहचान के एकमात्र भंडार के रूप में आधार योजना का प्रवर्तन। राज्य यह प्रदर्शित करने में विफल रहा है कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के अलावा कम घुसपैठ करने वाला उपाय इसके उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगा। कि राज्य आधार योजना के पालन पर जोर देने में सक्षम रहा है बिना किसी अपवाद के यह धारा *7* के अति विस्तार का परिणाम है।

जब आधार को प्रत्येक डेटाबेस में जोड़ा जाता है, तो यह विवेकपूर्ण डेटा साइलो में एक सेतु बन जाता है, जो इस जानकारी तक पहुंच रखने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के जीवन की रूपरेखा को फिर से बनाने की अनुमति देता है। यह निजता के अधिकार के विपरीत है और

संभावित निगरानी के कारण गंभीर खतरे हैं। एक अधिकार को दूसरे के कहने पर नहीं खोया जा सकता है। राज्य इस न्यायालय को संतुष्ट करने में विफल रहा है कि सब्सिडी का लक्षित वितरण जो जीवन के अधिकार को जीवंत करता है, व्यक्तिगत स्वायत्तता, डेटा संरक्षण और गरिमा के अधिकार का आवश्यक त्याग करता है जब ये दोनों अधिकार हैं -

संविधान द्वारा संरक्षित।

आधार अधिनियम की धारा *59* आधार सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट से पहले की गई केंद्र सरकार की कार्रवाइयों को पूर्वव्यापी रूप से मान्य करने का प्रयास करती है

28 जनवरी *2009* और *12* सितंबर *2015* की अधिसूचनाओं के अनुसार अधिनियम। धारा *59* राज्य सरकारों या निजी संस्थाओं के कार्यों को मान्य नहीं करती है। इसके अलावा, की अधिसूचना

2009 बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह को अधिकृत नहीं किया। नतीजतन, *2009* के तहत की गई कार्रवाइयों का सत्यापन धारा *59* द्वारा अधिसूचना अधिनियम के प्रवर्तन से पहले बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह को सुरक्षित नहीं करती है। जबकि संसद

एक मान्य कानून बनाने की क्षमता रखता है, इसे दुर्बलता या अयोग्यता के कारण को ठीक करना चाहिए। धारा *59* आधार अधिनियम के अधिनियमन से पहले अयोग्यता के कारण को ठीक करने में विफल रहती है। *2009* और *2016* के बीच आधार परियोजना के लिए एक विधायी ढांचे की अनुपस्थिति ने लाखों भारतीय नागरिकों के बायोमेट्रिक डेटा को उस तरह की सुरक्षा से वंचित कर दिया जो गोपनीयता के अधिकार की व्यापक रूप से रक्षा और उसे लागू करने के लिए प्रदान की जानी चाहिए। इसलिए धारा *59* एक मान्यकारी कानून के परीक्षण को पूरा करने में विफल रहती है क्योंकि एक नियामक ढांचे और सुरक्षा उपायों की पूर्ण अनुपस्थिति को केवल *2009* और *2016* की अधिसूचनाओं के तहत किए गए कार्यों को मान्य करके ठीक नहीं किया जा सकता है।

पुट्टास्वामी में निर्णय ने माना कि राजस्व आनुपातिकता की त्रि-आयामी परीक्षा में एक वैध राज्य लक्ष्य का गठन करता है। हालांकि, एक वैध उद्देश्य का अस्तित्व कानून की वैधता को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त है, जो अन्य मापदंडों को भी पूरा करना चाहिए।

पुट्टास्वामी में आनुपातिकता का वर्णन किया गया है।

पैन कार्ड के साथ आधार को जोड़ना इस बात पर निर्भर करता है कि

आधार कानून की संवैधानिक वैधता। आयकर अधिनियम *1962* की धारा *139* एए इस आधार पर आधारित है कि आधार अधिनियम स्वयं एक वैध विधान है। चूंकि आधार अधिनियम को अब असंवैधानिक माना जाता

है क्योंकि इसे धन विधेयक के रूप में अधिनियमित किया गया है और आनुपातिकता की कसौटी पर, अनुच्छेद *139* एए के तहत आधार को पैन से जोड़ना स्वतंत्र रूप से खड़ा नहीं होता है।

पी. एम. एल. ए. नियमों में *2017* के संशोधन आनुपातिकता की कसौटी को पूरा करने में विफल रहे हैं। सभी खाता आधारित संबंधों के साथ आधार संख्या को जोड़ने की एक समान आवश्यकता इस धारणा पर लागू होती है कि सभी मौजूदा खाताधारकों के साथ-साथ भविष्य में खाता खोलने का प्रयास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक संभावित धन शोधनकर्ता है। एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुटास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. की प्रकृति के आधार पर अधिरोपण की मात्रा में कोई अंतर नहीं किया गया है।

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

व्यावसायिक संबंध, लेन-देन की प्रकृति और मूल्य या आतंकवाद और धन शोधन की वास्तविक संभावना। नियम खाता खोलने के बीच अंतर करने में भी विफल रहते हैं।

और एक खाता संचालित करना। इसके अलावा, आधार संख्या जमा करने में विफलता के परिणाम कठोर हैं। अपने वर्तमान रूप में, नियम स्पष्ट रूप से असमान और अत्यधिक हैं। हम स्पष्ट करते हैं कि यह होल्डिंग संघ को बाधित नहीं करेगी।

सरकार अपनी नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए और भारतीय रिजर्व बैंक नियामक के रूप में आवश्यकताओं को इस तरह से फिर से तैयार करने के लिए जो इस निर्णय में उल्लिखित आनुपातिकता के सिद्धांतों के अनुपालन के अधीन, धन शोधन को रोकने के उद्देश्य की उचित पूर्ति सुनिश्चित करेगा।

मोबाइल फोन लोगों के जीवन की एक सर्वव्यापी विशेषता बन गए हैं और आधार संख्या को सिम कार्ड से जोड़ना और मोबाइल ग्राहकों के ई-केवाईसी प्रमाणीकरण की आवश्यकता है

इसे अवश्य ही इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए। आवेदन करना

आनुपातिकता परीक्षण, अभिदाता सत्यापन का वैध उद्देश्य, की प्रतिवर्ती आवश्यकताओं के खिलाफ संतुलित होना चाहिए बायोमेट्रिक डेटा की अखंडता और मोबाइल फोन ग्राहकों की गोपनीयता को संरक्षित करना। मोबाइल फोन व्यक्तिगत डेटा का भंडार है और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, जीवन शैली और विकल्पों को दर्शाता है। सिम कार्ड के साथ बायोमेट्रिक जानकारी का संयोजन

व्यक्तिगत गोपनीयता, स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए गंभीर खतरा। आनुपातिकता के परीक्षण को ध्यान में रखते हुए जो किया गया है

पुट्टास्वामी में प्रस्तावित और जैसा कि इस फैसले में विस्तार से बताया गया है, आधार संख्या को मोबाइल सिम कार्ड से जोड़ने का निर्णय न तो वैध है और न ही संवैधानिक है। केवल एक वैध का अस्तित्व

राज्य का उद्देश्य वर्तमान मामले में अपनाए गए असमान साधनों को उचित नहीं ठहराएगा। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा एकत्र की गई बायोमेट्रिक जानकारी और आधार विवरण तत्काल हटा दिया जाएगा और टी. एस. पी. एस. या किसी भी एजेंसी या व्यक्ति या उनकी ओर से उक्त जानकारी या विवरण का कोई उपयोग नहीं किया जाएगा।

न्यायिक आदेशों *(*अंतरिम और अंतिम दोनों*)* की अवज्ञा, चाहे वह सरकार द्वारा हो या नागरिकों द्वारा, कानून के शासन के आधार को नकारती है।

औचित्य और संवैधानिक कर्तव्य दोनों के लिए संघ की आवश्यकता थी

सरकार इस न्यायालय के अंतरिम आदेशों में बदलाव के लिए आधार अधिनियम के अधिनियमन के बाद इस न्यायालय का रुख करेगी। शासन की संस्थाएं संवैधानिक नैतिकता की भावना से बंधी होती हैं जो

उन्हें न्यायिक आदेशों का पालन करने की आवश्यकता होती है।

(21) पहचान अनिवार्य रूप से एक बहुवचन अवधारणा है। संविधान भी

अधिकारों की अधिकता के माध्यम से कई पहचानों को पहचानता है

कि यह सुरक्षा करता है। आधार में प्रयुक्त तकनीक

योजना विभिन्न संवैधानिक पहचानों को एक में बदल देती है

12 अंकों की संख्या की पहचान और किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन

एक चुने हुए माध्यम से खुद को पहचानना। आधार है

पहचान के बारे में और एक उपकरण है जो एक प्रमाण की सुविधा प्रदान करता है

पहचान की। इसे संवैधानिक रूप से मिटाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

पहचान।

(22) 2009 से पूरा आधार कार्यक्रम इस समस्या से ग्रस्त है।

आधार अधिनियम का अधिनियमन आधार परियोजना को नहीं बचाता है। आधार अधिनियम, इसके तहत बनाए गए नियम और विनियम,

और अधिनियम के अधिनियमन से पहले की रूपरेखा है

असंवैधानिक है।

(23) अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कदम उठाने में सक्षम बनाना।

इस निर्णय के साथ, यह अनुच्छेद *142* के तहत निर्देशित किया जाता है कि मौजूदा

जो डेटा एकत्र किया गया है उसे एक अवधि के लिए नष्ट नहीं किया जाएगा।

केंद्र सरकार द्वारा इसके अनुरूप अधिनियमित किया गया है
इस निर्णय में जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है,

डेटा नष्ट हो जाएगा।

मजबूत गोपनीयता संरक्षण कानून बनाने और सुरक्षा उपायों को स्थापित करने से आधार योजना से जुड़ी कुछ चिंताओं को दूर किया जा सकता है या कम से कम उन्हें दूर किया जा सकता है जो सूचनात्मक आत्मनिर्णय, व्यक्तिगत गोपनीयता, गरिमा और स्वायत्तता को गंभीर रूप से बाधित करती हैं। संविधान के लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए सरकार को

जिस परियोजना पर इस निर्णय में चर्चा की गई है। देविका गुजराल

याचिकाओं का निपटारा किया गया।